उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

की

कार्यवाहियों

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ३४

—:o:—

१२, १३, १५, १६, १८, १९, २०, २४, २५, २६, २७,
फरवरी तथा ४, ५ मार्च, सन् १९५४ ई०

मुद्रक :
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, (लखनऊ) उत्तर प्रदेश, भारत।
१९६०

मूल्य: बिना महसूल १२ नये पैसे, महसूल सहित १९ नये पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल ५ रुपये, महसूल सहित ६ रुपये ।

विषय सूची

शुक्रवार, १२ फरवरी, सन् १९५४ ई०

शुक्रवार, १९ फरवरी, सन् १९५४ ई०

शनिवार, २० फरवरी, सन् १९५४ ई०

बुधवार, २४ फरवरी, सन् १९५४ ई०

गुरुवार, २५ फरवरी, सन् १९५४ ई०

शुक्रवार, २६ फरवरी, सन् १९५४ ई०

शनिवार, २७ फरवरी, सन् १९५४ ई०

गुरुवार, ४ मार्च, सन् १९५४ ई०

शुक्रवार, ५ मार्च, १९५४ सन् ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

के

पदाधिकारी

चेयरमैन

श्री चन्द्र भाल ।

डिप्टी चेयरमैन

श्री निजामुद्दीन, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सेक्रेटरी

श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए० ।

सरकार

गवर्नर

श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुन्शी

मंत्रि-परिषद्

पं० गोविन्द बल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन तथा नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल०-एल० बी०, वित्त, विद्युत्, वन तथा सहकारी मंत्री ।

डा० सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, गृह तथा श्रम मंत्री ।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, पुनर्वास तथा उद्योग मंत्री ।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

श्री चन्द्र भानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, खाद्य, रसद तथा स्वास्थ्य मंत्री ।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, माल तथा कृषि मंत्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-एट-ला, न्याय तथा आबकारी मंत्री ।

श्री हर गोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री ।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वशासन मंत्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवहन मंत्री ।

एडवोकेट जनरल

श्री कन्हैया लाल मिश्र, बी० ए०, एल-एल बी० ।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्यों के नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	अब्दुल शकूर नजमी, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
२	अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री	..	नाम निर्देशित ।
३	इन्द्र सिंह नयाल, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
४	ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ।
५	उमा नाथ बली, श्री	..	नाम निर्देशित
६	एम० जे० मुकर्जी, श्री	..	,,
७	कन्हैया लाल गुप्त, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ।
८	कुंवर गुरु नारायण, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
९	कुंवर महावीर सिंह, श्री	..	,,
१०	केदार नाथ खेतान, श्री	..	,,
११	कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री	..	,,
१२	खुशाल सिंह, श्री	..	,,
१३	गोविन्द सहाय, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ।
१४	चन्द्रभाल, श्री (चेयरमैन)	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
१५	जगन्नाथ आचार्य, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
१६	जमीलुर्रहमान किदवई, श्री	..	,,
१७	ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री	..	,,
१८	तारा अग्रवाल, श्रीमती	..	नाम निर्देशित ।
१९	तेलूराम, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
२०	दीप चन्द्र, श्री	..	,,
२१	नरोत्तम दास टंडन, श्री	..	,,
२२	निजामुद्दीन, श्री (डिप्टी चेयरमैन)	..	,,
२३	निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ।
२४	प्रताप चन्द्र आजाद, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
२५	प्रभुनारायण सिंह, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
२६	प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री	..	,,
२७	प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री	..	,,
२८	पन्ना लाल गुप्त, श्री	..	,,
२९	परमात्मा नन्द सिंह, श्री	..	,,
३०	पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
३१	प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ।
३२	बद्रीप्रसाद कक्कड़, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
३३	बशीरअहमद, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
३४	बालकराम वैश्य, श्री	..	,,
३५	बाबूअब्दुल मजीद, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
३६	बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ।
३७	वीरभान भाटिया, डाक्टर	..	नाम निर्देशित ।
३८	वेणीप्रसाद टंडन, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ।
३९	बंशीधर शुक्ल, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
४०	व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)	..	,,
४१	व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ।
४२	महमूद अस्लम खां, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।

क्रम-संख्या	सदस्यों के नाम		निर्वाचन क्षेत्र
४३	महादेवी वर्मा, श्रीमती	..	नाम निर्देशित ।
४४	राना शिव अम्बर सिंह, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
४५	राम किशोर रस्तोगी, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
४६	राम नन्दन सिंह, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
४७	राम नारायण पान्डे, श्री	..	,, ,,
४८	राम लखन, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
४९	राम लगन सिंह, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
५०	राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री	..	नाम निर्देशित ।
५१	रुकुनुद्दीन खां, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
५२	लल्लू राम द्विवेदी, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
५३	लालता प्रसाद सोनकर, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
५४	विजय आफ विजयानगरम, डाक्टर महाराजकुमार	..	नाम निर्देशित ।
५५	विश्वनाथ, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
५६	शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ।
५७	शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
५८	शान्ति देवी, श्रीमती	..	,, ,,
५९	शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ।
६०	शिवराजवती नेहरू, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
६१	शिव प्रसाद सिन्हा, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ।
६२	शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
६३	श्याम सुन्दर लाल, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
६४	सत्यप्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री	..	,,
६५	सभापति उपाध्याय, श्री	..	नाम निर्देशित ।
६६	सरदार सन्तोष सिंह, श्री	..	,,
६७	सैयद मुहम्मद नसीर, श्री	..	,,
६८	हृदय नारायण सिंह, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ।
६९	हयातुल्ला अन्सारी, श्री	..	नाम निर्देशित ।
७०	हर गोविन्द मिश्र, श्री	..	,,

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

१२ फरवरी, १९५४

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (६३)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महमूद असलम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट विहारी लाल, प्रोफेसर
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विजय आफ विजयानगरम, महाराज कुमार डाक्टर
विश्व नाथ, श्री
वीरभानु भाटिया, डाक्टर
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अंसारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)

प्रश्नोत्तर

१–५—श्री (हकीम) व्रज लाल वर्मन (स्थगित)

६–१२—डाक्टर वीर भानु भाटिया (स्थगित)।

१३–१४—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (स्थगित)।

१५–२१—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी (स्थगित)।

२२–२७—श्री कन्हैया लाल गुप्त (स्थगित)।

चेयरमैन—आज के सब प्रश्न स्थगित हैं।

इलाहाबाद में कुम्भ दुर्घटना पर शोकोद्गार

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)—जनाब चेयरमैन साहब, हम सब को मालूम है कि अभी कुंभ के मौके पर एक ऐसी बात पेश आई कि जो लोग हम यहां पर मौजूद हैं उन्हीं के लिये नहीं बल्कि इस प्रदेश के तमाम रहने वालों के लिये बहुत ही तकलीफ और दुख देने वाली है। जिस किसी ने भी उस को सुना उसी के दिल को एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा कि आज इस वक्त पर हमारे यहां ऐसी गंभीर बात पेश आई। जो कुछ वहां कुम्भ के मौके पर वाकया हुआ उससे आदमियों की जानें गईं और जख्मी भी हुए, हमारी उनके साथ दिली हमदर्दी है। वहां जो कुछ पहले से हो रहा था उसकी निस्बत यह समझा जाता था कि जो इंतजाम वहां है वह इतना संतोषजनक था कि उसकी बिना पर यह तवक्को किया जाता था कि कोई ऐसी बात गालिबन पेश नहीं आयेगी जिससे इस किस्म का कोई नतीजा पैदा हो। मैं इस वक्त इस बात में जाना जरूरी नहीं समझता कि क्या हुआ और किस तरह हुआ। जिस तरह भी हुआ हो वह तकलीफदेह हुआ। बाहर से आये हुए लोगों के लिये अव्वल किसी जगह पर कैसा ही बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जाय तब भी मेरे ख्याल में किसी आदमी को इतना आराम तो नहीं मिल सकता जितना आराम उसको किसी अपनी जगह पर मिलता हो। जो लोग वहां ठहरे हुए थे, यह हो सकता है कि उनको ऐसी तकलीफ न हुई हो जैसी कि इस किस्म के मेलों में शरीक होने से होती है। मगर फिर भी कि वहां गैर जगह पर कुछ देरी के लिये जो ठहरे हुए थे तो उनको इतनी तकलीफ नहीं हो सकती थी जितनी कि ऐसे-ऐसे मौके पर हुई है। किन्तु इस किस्म की बात पेश आई जिससे वहां के रहने वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। वह दिन एक तारीखी दिन था और मैं समझता हूं कि वह वाकया भी एक तारीखी हुआ। आगे के लिये हम चाहते हैं कि इस किस्म का कोई वाकया न पेश आये। मैं इस हाउस की तरफ से बहुत ही रंज और गम का इजहार करता हूं। हम सब की यही दुआ है कि जिन लोगों का वहां पर इंतकाल हो गया है और वे जिस दूसरी दुनिया में गये हैं, उनको वहां पर आराम मिले और उनके रिश्तेदारों को तसकीन मिले। मैं इन अल्फाजों के साथ बहुत ही अफसोस जाहिर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी इस हाउस की यह आवाज उनके रिश्तेदारों तक पहुंच जायगी।

चेयरमैन—इस संबंध में दो प्रस्तावों की सूचना मुझे मिली थी, एक श्री राजाराम जी द्वारा और दूसरी श्री कुंवर गुरु नारायण जी द्वारा। माननीय सदन के नेता के वक्तव्य के बाद मैं समझता हूं कि अब इन प्रस्तावों की जरूरत नहीं रह जाती है। अब हम लोग एक मिनट खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि मृतक व्यक्तियों की आत्माओं को शांति और उनके परिवार को धैर्य मिले।

(सब सदस्यों ने एक मिनट खड़े होकर शोक प्रकट किया।)

ण शुद्ध नहीं किया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का रिपोर्ट किया जाना

चेयरमैन—मुझे सदन को यह रिपोर्ट करना है कि कल विधान परिषद् के सदस्य श्री राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुनने विधान सभा भवन में गए थे और वहां पर राज्यपाल ने जो अभिभाषण दोनों सदनों के सदस्यों को दिया, वह इस प्रकार है—

श्री राज्यपाल—विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्यगण !

गत वर्ष १६ फरवरी को मुझे आपको सम्बोधित करने का प्रथम बार गौरव प्राप्त हुआ था। तब से एक वर्ष व्यतीत हो गया है। अब आप लोगों को फिर से सम्बोधन का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है।

२—इलाहाबाद को कुम्भ दुर्घटना की चर्चा करते हुये मुझे हार्दिक पीड़ा होती है। कुम्भ के मेले में हमारे देश के लाखों व्यक्ति आते हैं और हमारी सरकार ने उनके लिये सभी सम्भव सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने में कोई भी कोर कसर नहीं उठा रखी थी, प्रबन्ध बहुत सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था और जिन व्यक्तियों ने भी उस प्रबन्ध को समीक्षापूर्वक देखा उन्होंने उसकी सराहना की। हमारे सभी प्रयत्नों का ऐसा दुखद अन्त हुआ इस बात से हमें और भी अधिक क्षोभ है। जो व्यक्ति इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं उनके परिजनों के साथ हमारी हार्दिक सहानुभूति और समवेदना है। उन कारणों को ढूंढ़ निकालने के लिए जिनके फलस्वरूप वह हृदय विदारकदुर्घटना आ पड़ी है और भविष्य में यथासंभव ऐसे सभी उपाय करने के निमित्त जिससे ऐसी आपदायें न होने पाय, हमारी सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जो सम्पूर्ण विषय पर विचार करके सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समिति के कार्य को सुकर बनाने के निमित्त प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक सहयोग और साहाय्य मिल सकेगा।

३—विधान मण्डल के वर्तमान कार्यकाल में विधान मण्डल में और उसके बाहर भी पर्याप्त कार्य हुआ। वर्तमान विधान मण्डल मई, १९५२ में सामान्य निर्वाचनों के फलस्वरूप बना। तब से अब तक सामान्य व्यक्ति के वर्तमान जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये सर्वतोमुखी उन्नति हुई है। इस अल्प अवधि में की गयी यह उन्नति हम सब के लिए सन्तोष का विषय है।

४—विधायक क्षेत्र में बहुत से अधिनियम बनाये जा चुके हैं जिनमें उल्लेखनीय हैं : उत्तर-प्रदेश भूदान-यज्ञ अधिनियम, जिसका उद्देश्य है आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू-दान यज्ञ संबंधी भूमियों के प्रदान और बन्दोबस्त को सुकर बनाना, उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, जिसमें जोतों पर वास्तविक कब्जा रखने वाले कृषकों की बेदखली से रक्षा की गयी है, तथा आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन अधिनियम, जिसका लक्ष्य है विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उच्चतर शिक्षा के स्तर को सुधारना। कबाल नगरों में नगरपालक निगमों की स्थापना की ओर आपने उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अधिनियम, पारित करके पग बढ़ाया है।

यहां पर उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ भी उल्लेखनीय है। इसके द्वारा चीनी मिलों में गन्ने के उपयुक्त वितरण तथा गन्ना उत्पादन के लिये उचित मूल्य की व्यवस्था की गयी है। लाभांश भोग की एक योजना जिसका लक्ष्य चीनी उद्योग में उत्पादक और विनिर्माणकर्त्ता के बीच लाभों का समुचित वितरण है, विचाराधीन है।

५—प्रथम बार राज्य के स्थानीय निकायों में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए। ४१५ नागरिक-क्षेत्रों में स्थानीय प्राधिकारियों का पुनस्संगठन किया गया जिसमें अध्यक्ष, सभापति तथा सदस्यों के रूप में ६,००० व्यक्ति चुने गए। लगभग ५० प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ६,००० पोलिंग बूथ बनाये गए। प्रशासन पर जिसमें पुलिस भी सम्मिलित है काफी भार रहा और उसने उसे अच्छे ढंग से निबाहा।

[श्री राज्यपाल]

यद्यपि कुछ स्थानों पर लोगों में तनाव अवश्य रहा, किन्तु कहीं भी शांति भंग न होने पायी। हमारी सरकार यह आशा करती है कि इन संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधि उस जनता की सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के सम्मिलित लक्ष्य से काम करेंगे, जिसने उन्हें चुना है। कबाल नगरों में प्रशासक निगमों की स्थापना सुकर बनाने की तैयारी में व्यस्त हैं।

६—विभिन्न नगरपालिकाओं में जलनिकास तथा जलपूर्ति का सुधार परमावश्यक है। अभी तक इस प्रयोजन के लिये हमारे पास न तो ठोस कार्यक्रम था और न योजना। यह कठिनाई अब दूर हो गयी है और पंचवर्षीय कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। राष्ट्र की पंच-वर्षीय योजना में ऐसी योजनाओं के लिये उपयुक्त व्यवस्था है। यह आशा की जाती है कि १५ वर्तमान जलकल केंद्रों का, जो समय के अनुरूप नहीं रह गए हैं, पुनरुद्धार तथा ७ नगरों में पानी के निकास की योजना पूर्ण होने के अतिरिक्त ६ नगरों में पानी की पूर्ति का नया प्रबन्ध हो सकेगा। उस योजना की सफलता वृहत् योजनाओं की सफलता का आधार बनेगी।

७—गत अक्तूबर-नवम्बर में लखनऊ की कुछ घटनाओं को छोड़कर, जिनका कुप्रभाव कई अन्य जिलों में भी हुआ, राज्य में आंतरिक शांति बनी रही। अभाग्यवश विश्वविद्यालय की स्थिति का कुछ राजनैतिक दलों ने पूर्णरूपेण राजनैतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उपयोग किया और कुछ समाज विरोधी तत्वों ने विधिहीन कार्यों को संगठित करके लाभ उठाया। हमारी सरकार ने तत्परता से सप्रभाव उपायों द्वारा स्थिति को शीघ्र ही नियंत्रित कर लिया।

८—राज्य के कुछ भागों में डाकुओं के कुकृत्यों से उत्पन्न चिन्ता बहुत कुछ हल्की रही और चरना, महाबीर और मेंहदी के कुख्यात गिरोह नष्ट कर दिये गए। मानसिंह के गिरोह का सफाया करने का दृढ़ प्रयास हो रहा है। जनता ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा समितियों के संगठन में दिलचस्पी ली है। कुछ लोगों ने डाकुओं के हमलों का सामना करने, घमासान मुकाबलों में वीरता से काम लेने और अपराधियों को पकड़ने में ठोस और वास्तविक कार्य किया किया है।

९—जेल प्रशासन सुधार पर भी ध्यान दिया गया है। गत वर्ष एक प्रयोग हुआ था जिसमें बन्दियों के नैतिक स्तर तथा उनके प्रति व्यवहार को सुधारने के निमित उन्हें चन्द्र प्रभा नदी पर बांध-निर्माण में स्वच्छन्दता से कार्य करने दिया गया था। सफलता से प्रोत्साहित होने पर बनारस जिले में कर्मनाशा पर बांध-निर्माण के लिए एक और शिविर चालू किया गया जहां पर २,००० बन्दी अन्य श्रमिकों के साथ मिल जुल कर कार्य करते रहे ह और उन्हीं की भांति वेतन कमाते हैं। स्त्री बन्दियों के सुधार पर भी विचार हो रहा है। आदर्श जेल, लखनऊ का एक खंड दीर्घ अवधि वाले बन्दियों के लिए पृथक् रूप से नियत कर दिया गया है और वहां उन्हें उपयोगी धंधों की प्रशिक्षा दी जायेगी, जिससे जेल से छूटने के बाद वे जीविका का उपार्जन कर सकें तथा लाभप्रद कार्य करते हुए विधि के अनुसार नागरिकों का जीवन व्यतीत कर सकें।

१०—राज्य की पंच-वर्षीय योजना का सम्पादन लक्ष्यों के अनुरूप रहा है। जनता में अब जागृति उत्पन्न हो गयी है और यह योजना के प्रति सचेत है। जनता की आकांक्षाओं की संतुष्टि करने के लिये राज्य की योजना, जो आरम्भ में ८६ करोड़ की थी, १९५३ में काफी विस्तृत कर दी गयी। यह परिनिष्ठित योजना अब १३० करोड़ रुपये की है। जल-सिंचन, चालक-शक्ति शिक्षा, पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा औद्योगिक श्रमिकों एवं अल्पवेतन भोगियों के निवासस्थान की योजनायें सम्मिलित कर लेने के फलस्वरूप यह विस्तार हुआ है।

११—सामूहिक विकास एवं राष्ट्र विस्तार योजनाओं का सूत्रपात कर दिया गया है और उनकी जड़ें अब मजबूत हो रही हैं। हमारे राज्य को गत वर्ष १८ खंड वाली ६ विकास

का विस्तार ६,००० वर्गमील में है और २६ लाख जनता से सम्बद्ध है। कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, समाज-शिक्षण आदि नियोजन के सभी कार्यक्षेत्रों के कार्य प्रशिक्षा प्राप्त विशेषतः योग्य कार्यकर्त्ता इन विकास क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हैं। इनकी सहायता के लिये प्रत्येक खंड के मुख्यावास में विशेषज्ञों की एक टोली रहती है। उन्नत बीजों, उपकरणों, रासायनिक उर्वरकों तथा खादों के वितरण का व्यापक रूप से कार्य आरम्भ कर दिया गया है। खाद की आधुनिक परिपाटी भी प्रचलित कर दी गयी है। बीज व्याप्ति योजना की अच्छी प्रगति हुई है और यह आशा की जाती है कि गेहूं, धान, मटर, और मक्का के संबंध में पूर्णतः तथा चना, जौ और आलू के संबंध में ६० प्रतिशत व्याप्ति वर्ष के भीतर ही हो जायगी। उन्नत कृषि कला एवं उपकरणों को प्रचलित किया गया है। नकदीवाली फसलों (cash crops) तथा उद्यानकरण पर भी विचार किया गया है। सिंचाई को उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई है और लगभग ५२,००० एकड़ भूमि सिंचाई में आ चुकी है। यह आशा की जाती है कि अगले दो वर्षों में योजनाओं के कुल क्षेत्र के ५० प्रतिशत में सिंचाई की व्यवस्था हो जायगी। महामारी और पशुरोग बहुत कम हो गए हैं और प्राथमिक सहायता एवं धात्रि-सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है।

१२---इन क्षेत्रों में समृद्ध के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये आत्म साहाय्य के आधार पर संचार साधनों का विकास हो रहा है। वयस्क साक्षरता कक्षाओं, छायाचित्रों, प्रतियोगिताओं, अल्पकालिक प्रशिक्षण शिविरों, दृश्य प्रेक्षणों, किसान मेलों और कार्यकर्त्ता-शिविरों द्वारा सामाजिक शिक्षा दी जा रही है। विशेषतः बेकारी की समस्या दूर करने के निमित्त गृह उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सामूहिक विकास योजना क्षेत्रों की जनता में आत्मविकास की प्रेरणा स्पष्ट है।

१३---योजना समाप्ति तक राज्य में ११० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड स्थापित करने का प्रस्ताव है। १० ऐसे खंड अक्तूबर, १९५३ में गांधी जयन्ती के दिन खुले थे और लगभग २४ गत गणतंत्र दिवस पर। इस वित्तीय वर्ष के अवसान तक इस राज्य के प्रत्येक जिले में या तो एक सामूहिक विकास योजना अथवा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड होगा।

१४---सामूहिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के सूत्रपात स कार्य कर्त्ताओं के प्रशिक्षण की योजना का विस्तार आवश्यक हो गया है। मई, १९५२ में भारत सरकार के प्रबन्धाधीन तथा फोर्ड संस्थान के साहाय्य से बख्शी के तालाब में उसका समारंभ हुआ था। तब से उक्त प्रबंध में ही पांच और केन्द्र खुले हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अपने १३ प्रशिक्षण केन्द्र इस वर्ष चलाये हैं। आशा की जाती है कि उक्त कन्द्रों में १६,००० के लगभग क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता ५ वर्ष समाप्त होते-होते प्रशिक्षित हो जायेंगे।

१५---गत वर्ष संचालित श्रमदान का आन्दोलन अत्यन्त सफल रहा और उसके विषय में उत्साह आश्चर्यजनक रहा। सफलता की इस सीमा की आशा बहुत से आशावादियों को भी न थी। प्रान्तीय रक्षक दल ग्रामीण क्षेत्रों में अनुशासित नवयुवकों का संगठन सिद्ध हुआ और श्रमदान में अग्रणी रहा। विगत गणतंत्र सप्ताह में श्रमदान का परिणाम अत्यन्त उल्लेखनीय रहा। ग्राम-क्षेत्रों में सामाजिक दशाओं के सुधार एवं सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण कार्य के संबंध में ग्राम पंचायतों का सहयोग समान रूप से ठोस रहा।

१६---कृषि हमारी अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार है और कुछ समय तक रहेगी। अतएव कृषि के विस्तार, उत्पादन की अभिवृद्धि, कृषिकला एवं उपकरणों के सुधार, अच्छे खादों की व्यवस्था, सिंचाई की सुविधायें और उद्यानकरण के विस्तार की ओर समुचित ध्यान दिया गया है। लाभप्रद स्पर्धा को प्रेरित करने के लिये फसल प्रतियोगिता योजनायें पुनरीक्षित हुईं और सुधारी गयीं। इसमें ७८,३३४ उत्पादकों ने भाग लिया और ऐसे लोगों को १,३८,४०० रुपये के पारितोषिक दिये गए। पारितोषिक-प्राप्त अधिकतम धान की उपज ५७।। मन प्रति एकड़, गेहूं की ६१ मन प्रति एकड़, और आलू की

[श्री राज्यपाल]

करने के हेतु वैसी ही पारितोषिक योजनायें प्रचलित की गयीं। उद्यानकरण के संबंध में एक लाख से अधिक फलवृक्ष लगाये गए। मैदानी क्षेत्र में १२ और कुमायूं के पहाड़ी क्षेत्र में ९ पोषण बाटिकायें अर्थात् नर्सरी प्रचलित की गयीं।

१७—पशु विकास और विशेषतया गौ और गोवंश का विकास किसी भी कृषीय-अर्थ व्यवस्था में अन्य कार्यकलापों से पीछे नहीं रह सकता। नियोजन के इस पहलू पर हमारी सरकार ने उचित ध्यान दिया है। ऐसे ग्राम खंडों में, जिन में लगभग २० गांव हैं और २०,००० पशु रहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित किये गए हैं। निकम्मे बैलों और अवांछनीय पशुओं का क्लीवीकरण और रोकथाम की जा सकने वाली पशुओं की संक्रामक बीमारियों का निरोधन किया गया। पशुबाजारों के उपयुक्त नियंत्रण और विनियम के निमित्त हमारी सरकार शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है। पशु विकास के कल्याण-कार्यों के लिये ऐसा विनियमन आवश्यक है।

१८—सिचाई, कृषीय अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार है और इस पर अधिकतम ध्यान देना उचित ही है। गत दिसम्बर में रंगवा बांध जिससे ९०,००० एकड़ भूमि सिंच सकेगी, पूर्ण हो चुका है। हमीरपुर जिले का अर्जुन बांध आगामी जून तक पूरा हो जायगा। राज्य में नलकूपों के निर्माण में भी द्रुत प्रगति हो रही है। इस वर्ष ९०० नलकूप बने और मार्च, १९५३ की समाप्ति तक २,६११ नलकूप चालू थे। ८३,८५,००० एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो रही है जिसमें २०,०९५ मील सिंचन प्रणालियां फैली हुई हैं। इस वर्ष मार्च की समाप्ति तक ४३० मील सिंचन प्रणालियां और बढ़ जायेंगी तथा ६०० नलकूप और बढ़ जायेंगे। इस प्रकार सिंचित क्षेत्र ८६,८५,००० एकड़ हो जायगा।

१९—रिहंद बांध योजना में २,४०,००० किलोवाट शक्ति अधिष्ठित करके चालक शक्ति को राज्य सरकार प्रगति देना चाहती है। इसमें लगभग ३५ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना से पूर्वी जिले में कृषि, गृहस्थी तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली मिल सकेगी। कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में विस्तार होने के कारण १५,००० किलोवाट शक्ति और मिल सकेगी। आशा की जाती है कि यह योजना निकट भविष्य में पूर्ण हो सकेगी।

२०—नयी सड़कों और पुलों के निर्माण में काफी प्रगति हुई है। इस वर्ष ५०० मील नयी पक्की सड़कें बनीं और चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ९० मील और बन जायेंगी। जहां तक कच्ची सड़कों का संबंध है, मिट्टी का काम एवं पुलों और पुलियों का काम ७०० मील में पूरा किया जा चुका है। कई बड़े नये पुल भी बन रहे हैं।

२१—देश विभाजन के फलस्वरूप अपने घरों से विस्थापित अपार जन समूह के लिये सहायता और सुरक्षा की व्यवस्था करने की समस्या उत्पन्न हुई। हमारी सरकार के अनवरत प्रयास इस दिशा में सफल हुए हैं और प्रायः सभी लोगों को काम और मकान मिल गया है। इन व्यक्तियों को निवास एवं जीवन की समुचित सुख-सुविधायें प्रदान करने के लिये आदर्श उपनिवेशन और नगर बन गये हैं। हमारी सरकार ने १०,००० से अधिक मकान और ३०,००० से अधिक दूकानों का निर्माण कर लिया है। लगभग २,००० मकानों और उतनी ही पक्की दूकानों के निर्माण का कार्यक्रम बन गया है। स्थानीय निकायों और गृह सहकारी समितियों ने एक करोड़ रुपये से अधिक ऋण की सहायता से निर्माण-कार्य द्वारा विस्थापितों को बसाने में पर्याप्त योग प्रदान किया है।

२२—हमारी सरकार की उपनिवेशन योजना सफल हुई है और इससे देश के खाद्य साधनों की वृद्धि हुई है। इसने पुराने सैनिकों, राजनैतिक पीड़ितों, विस्थापितों, भूमिहीन किसानों और कृषि स्नातकों को बसाने में पर्याप्त सहायता दी है। २ लाख एकड़ से अधिक भूमि पर खेती होने लगी है और कई हजार परिवार बस गए हैं।

२३—राज्य में मलेरिया से बहुत उत्पीड़न हुआ है और इसके द्वारा न केवल लोगों को कष्ट ही हुआ है, अपितु मानव शक्ति का आर्थिक ह्रास हुआ है। इस रोग को नियंत्रित करने के लिये केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त-पोषित राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ने पीलीभीत, खेरी, बहराइच, मिर्जापुर और रामपुर में ५ मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम यूनिटें स्थापित की हैं। इन प्रयासों की अनुपूर्ति के रूप में राज्य सरकार ने उपनिवेशों और तराई-भाबर-क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण के उपाय किये हैं। मातृत्व तथा शिशु कल्याण योजना के विस्तार रूप में लखनऊ और आगरा में अगले तीन वर्ष की अवधि में ५० पलंग वाले २ अस्पताल और २०० नए मातृत्व तथा शिशु-कल्याण केंद्र खोले जायेंगे।

२४—आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम आपने पिछले सत्र में पारित किया था। इस अधिनियम के उपबन्धों से वे त्रुटियां दूर हो जायेंगी, जो देखने में आयी थीं और मुझे आशा है कि नये विधान (measure) से अपेक्षाकृत अच्छे प्रशासन का आविर्भाव होगा। ऐसे कानून बनाये जा रहे हैं, जिनके द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों का पुनर्गठन किया जा सके।

२५—शिक्षा पद्धति के सम्पूर्ण ढांचे की ओर हमारी सरकार ध्यान दे रही है। उद्देश्य यह है कि स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाय जो शिक्षा संस्थाओं से छात्र के निकलने के बाद उसके लिये वास्तव में लाभप्रद हो और जिससे वह अपनी जीविका उपार्जित कर सके और साथ ही उस भार को ग्रहण कर सके जो देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस पर अनिवार्यतः पड़ता है। शिक्षा पद्धति में व्यावसायिक तथा दस्तकारी की शिक्षा के दृष्टिकोण को स्थान देना आवश्यक प्रतीत होता है। वर्तमान उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को क्रमशः बहुधन्धी स्कूलों में परिणत करना होगा। आवश्यक विधायक (Legislative) सुधार इस वर्ष के भीतर ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जायगा।

२६—प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में भी पुनस्संगठन की आवश्यकता है। विचार है कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के साथ फार्मों की भी व्यवस्था की जाय जिससे कि कृषि तथा उद्यानकरण की व्यावहारिक शिक्षा पाने वाले छात्र स्कूलों की आय में भी वृद्धि कर सकें। इस वर्ष यथासंभव अधिक से अधिक स्कूलों के लिये भूमि प्राप्त करने तथा उनमें साज-सामान की व्यवस्था करने की दिशा में दृढ़ता के साथ प्रयत्न किया जायगा। इससे ३,००० नए योग्यता-प्राप्त अध्यापकों की भर्ती करने में सहायता मिलेगी और साथ ही इस हद तक शिक्षितों की बेरोजगारी की समस्या भी इससे हल होगी।

२७—कच्चे माल की कमी, अत्यधिक स्टाक के जमा हो जाने और कभी-कभी वित्तीय कठिनाइयों से, राज्य के उद्योगों के निर्विघ्न संचालन में बाधा पहुंची है, जिसके फलस्वरूप आंशिक रूप से मिल बंदियों (closures), हड़तालें, ताला बंदियां, छटनियां और बैठकियां (play-offs) हुईं सामान्य समस्याओं पर विचार विमर्श करने और इस प्रकार संघर्ष के अवसरों को कम करने के उपयोगी साधन के रूप में, त्रिदलीय संगठन (Tripartite machinery) का उपयोग किया गया। सूती कपड़े तथा चीनी के कारखानों अभिनवीकरण (rationalization) तथा पुनस्संगठन की समस्या, श्रमिक कल्याण के प्रसार तथा मालिकों और श्रमिकों में अच्छे संबंध बढ़ाने की ओर समुचित ध्यान दिया गया। अभिनवीकरण संबंधी कार्य के लिये श्रम कमिश्नर के कार्यालय में एक कार्य-दक्षता (efficiency) उप-विभाग खोला गया।

२८—औद्योगिक श्रमिकों के लिये गृह-निर्माण कार्य में उत्साहवर्द्धक प्रगति हुई। चीनी के कारखानों के मजदूरों के लिये मकान बनाने की योजना का उद्देश्य श्रमिकों के लिये १,५०० क्वार्टर बनाना है। ३४ कारखानों में अब तक ६०० क्वार्टर बनकर तैयार हो चुके ह। कानपुर और लखनऊ में श्रमिकों के लिये ६,५०० से अधिक क्वार्टर बनाने की योजना

[श्री राज्यपाल]

है, जिनमें से २,००० क्वार्टर कानपुर में अब तक बन चुके हैं। आगामी वर्ष में आगरा, फिरोजाबाद और हाथरस में क्वार्टर बनाने का काम हाथ में लिया जायगा और साथ ही कानपुर में गन्दी बस्तियों की सफाई की बड़ी योजना को चालू करने का काम भी हाथ में लिया जायगा। औद्योगिक गृह निर्माण योजना को गन्दी बस्तियों की सफाई के आन्दोलन से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है।

२९—मेहतरों के लिये अच्छे मकानों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य की नगरपालिकाओं के नगरों में उनके लिये ३२.२५ लाख रुपये की लागत से २,१५० रहने के मकान बनाने का विचार कर रही है।

३०—निस्संदेह आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि मिर्जापुर के राजकीय सीमेंट कारखाने के निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई है। इस वर्ष के लगभग मध्य तक यह कारखाना चालू हो जायगा। इसमें प्रतिवर्ष २ लाख टन से अधिक पोर्टलैन्ड सीमेंट तैयार होगा और इससे उत्तर प्रदेश में, जिसमें अभी तक सीमेंट का कोई कारखाना नहीं था, सीमेंट की मांग एक बड़ी हद तक पूरी होगी। जब इस कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ हो जायगा, तो सरकार के विकास कार्यक्रम की प्रगति काफी बढ़ जायगी।

३१—न्याय प्रशासन के प्रक्रिया को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिये उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है। कुछ दीवानी कानूनों में संशोधन करने का एक विधेयक पहले ही से आपके सामने है। समिति की सिफारिशों के अनुसार अन्य कानूनों म संशोधन करने के एक विधान पर विचार हो रहा है और वह यथा-समय आपके सामने प्रस्तुत किया जायगा। इस विषय पर भारत सरकार भी ध्यान दे रही ह।

३२—हमारी सरकार अनुसूचित और पिछड़ी जातियों तथा भूतपूर्व अपराधशील वर्गों की दशा सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न करती रही है। सुधार कार्यों पर होने वाला व्यय १९४६–४७ ई० में लगभग ५ लाख रुपये से बढ़कर १९५२–५३ ई० में लगभग ४९.६२ लाख रुपया हो गया। यह प्रस्ताव है कि बक्शी का तालाब ट्रेनिंग सेण्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए दो अतिरिक्त टेक्निकल सेण्टर स्थापित किये जायं तथा भूतपूर्व अपराधशील जातियों से सम्बद्ध समस्याओं पर सरकार को परामर्श देने के लिए और उन्हें भूमि पर फिर से बसाने के लिए एक बोर्ड का निर्माण किया जाय। देहरादून जिले के जौनसार–बावर और टेहरी-गढ़वाल जिलों के रवाई–जौनपुर के पिछड़े हुए क्षेत्रों में कतिपय सामाजिक कुरीतियों तथा कुष्ट रोग के उन्मूलन के लिए भी विशेष कार्यवाहियां प्रारम्भ की जा रही हैं। मिर्जापुर जिले की पिछड़ी जातियों में शिक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियां और प्रगाढ़ रूप से चलाने का कार्य भी हाथ में ले लिया गया है।

३३—हमारी सरकार के कहने पर, देवनागरी लिपि सुधार का अखिल भारतीय सम्मेलन अभी हाल में भारत के उप राष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन के सभापतित्व में लखनऊ में हुआ था। उसमें राज्यों के मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्री और विशेषज्ञ उपस्थित थे। उसकी कार्यवाहियां पूर्ण सद्भावना के वातावरण में हुई और सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये। सम्मेलन के सफलतापूर्वक समाप्त होने का श्रेय एक बहुत बड़े अंश में हमारे मुख्य मन्त्री को प्राप्त है।

३४—स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद, जिसमें पूर्ण रूपसे पुलिस राज्य बदलकर कल्याण-कारी राज्य हो गया है, सरकार के कृत्यों के बदलने के साथ–साथ, प्रशासकीय सेवाओं के कृत्य भी मौलिक रूप से बदल गये हैं। नयी व्यवस्था में ऐसे कार्यकुशल तथा ईमानदार अफ़सरों की आवश्यकता है जो सामान्य समृद्धि प्राप्त करने के प्रयत्न में प्रायः मिशनरियों की जैसी भावना से प्रेरित होकर काम करें। आनुशासिक कार्यवाही जांच समिति ने, जो भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से सम्बद्ध नियमों तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से तथा सेवाओं की कार्यकुशलता और ईमानदारी सम्बन्धी समस्याओं पर सिफारिशें करने के प्रयोजन से स्थापित की गयी थी, प्रायः अपना कार्य समाप्त कर लिया है। हमारी

सरकार यह आशा करती है कि उसके लिए इन सिफारिशों के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेना सम्भव होगा जिससे एक विशुद्ध प्रशासकीय व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य शीघ्रता के साथ पूरा हो जाय।

३५——यहां पर मुख्य मन्त्री द्वारा किये गये उन विशेष प्रयत्नों का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है जो उन्होंने कार्यकुशलता को ठेस पहुंचाये बिना सरकारी व्यय में मितव्ययता करने के लिए किये हैं। पंचवर्षीय योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वित किये जाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है और मुख्य मन्त्री द्वारा अफसरों से व्यक्तिगत रूप से की गयी अपील तथा उनके साथ किये गये परामर्श के फलस्वरूप, काफी बचत कर ली गयी है। इस उद्देश्य से कि ऐसी सभी कार्य विधियां जिनके द्वारा सार्वजनिक धन का अपव्यय होता है, समाप्त कर दी जायं, सरकार ने एक विशेष मितव्ययता विभाग भी खोल दिया है।

३६——हमारी सरकार ने धीरे धीरे नियन्त्रण हटाने की नीति जारी रखी है। विगत मई मास में २६ नगरों में राशन व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। उसके बाद भी १२ और नगरों में विगत अक्तूबर मास से राशन व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। इस कलेन्डर वर्ष के आरम्भ से शेष २४ नगरों में भी राशन व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। अब किसी भी नगर में राशन व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार ने विगत जनवरी मास से सभी प्रकार के मोटे अनाजों पर से नियंत्रण पूरी तौर से हटा लिया है और अब उनके बारे म केवल यही प्रतिबन्ध है कि उन्हें बनारस फूड रीजन के ११ कमी वाले जिलों से बाहर नहीं भेज जा सकता। मोटे अनाजों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाये जाने पर जो प्रतिबन्ध थे वे भी हटा लिये गये हैं।

३७——अब मैं उस कार्य का उल्लेख करता हूं जो इस सत्र (Session) में आप लोग करने जा रहे हैं। पहले बजट लिया जायगा। अगले वित्तीय वर्ष के तखमीने और चालू वर्ष के शेष पूरक तखमीने अब तैयार हैं, और शीघ्र ही आप के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। सम्बद्ध विनियोग विधेयक भी आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, जिससे कि वे सदैव की भांति वित्तीय वर्ष के अन्त होने के पहले पारित किये जा सकें। जो विधान प्रस्तुत किये जायेंगे, उनमें एक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक है, जिसका उद्देश्य जमींदारी के विनाश के पश्चात् निष्क्रान्त सम्पत्तियों के प्रशासन से सम्बद्ध कुछ कठिनाइयां दूर करना है। दूसरा विधान शिक्षा-निधि-न्यास विधेयक (शिक्षा निधि ट्रस्ट बिल) है, जिसका उद्देश्य यह है कि काशी विद्यापीठ की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए किये गये समझौते को मान्यता दी जाय। एक अन्य विधान भी जिसका नाम ऐच्छिक विकास अंशदान विधेयक (वालन्टरी डेवेलपमेंट कन्ट्रीब्यूशन बिल) है, आपके विचारार्थ प्रस्तुत किया जायगा। इस विधेयक का प्रयोजन ऐच्छिक अंशदान द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण कार्य किये जाने के लिए सुविधाएं देना है। अनुभव से यह पता चला है कि सार्वजनिक प्रयोजनों और सार्वजनिक उपयोगिता के निमित्त बनी हुई कम्पनियों के लिए अनिवार्य रूप से भूमि प्राप्त करने से सम्बद्ध विधि आधुनिक आवश्यकताओं को देखते हुए सब प्रकार से उपयुक्त नहीं है। यह विचार करने के लिए कि उक्त विधि में क्या संशोधन किया जाय, हमारी सरकार ने मई, १९५२ ई० में एक समिति इस उद्देश्य से नियुक्त की थी कि वह अन्य बातों के साथ साथ लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट (भूमि प्राप्त करने के अधिनियम) के अधीन व्यवहारों (cases) के विस्तारण में देरी होने के कारणों की जांच करे और उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट दे। उस समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप इस ऐक्ट (अधिनियम) का संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। पंचायत राज्य ऐक्ट (अधिनियम) में, जो १९४७ ई० में पारित हुआ था, महत्वपूर्ण संशोधन करने के लिए भी एक विधेयक प्रस्तुत किया जायगा। इन संशोधनों में जिस प्रकार की बातों का समावेश होगा वे ये हैं :——पंचायतों का संगठन, उनके कर्त्तव्य तथा अधिकार और उनका वाह्य नियंत्रण।

गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस, को विश्वविद्यालय में परिणत करने के निमित्त एक विधेयक आपके विचारार्थ प्रस्तुत करने का भी विचार है। यथार्थ में इस विधान से यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि इस समय न्यूनाधिक रूप में जो बात एक तथ्य बन चुकी है, उस पर विधि की मुहर लग जाय।

[श्री राज्यपाल]

हिन्दुओं में कुछ पूजा के स्थानों के समुचित प्रशासन तथा धार्मिक और धमार्थ प्रयोजनों के लिए प्रदत्त निधि के समुचित उपयोग की आवश्यकता की ओर हमारी सरकार का ध्यान प्राय: आकृष्ट किया गया है। इस सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के काम में एक अधिकारी को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। आवश्यक सूचना के इकट्ठा होते ही, सरकार अपने प्रस्ताव आपके समक्ष रक्खेगी।

३८—आपसे इस सत्र में यू० पी० कैटिल ट्रेसपास (संशोधन) विधेयक, १९५४ और कुछ अन्य विधेयकों पर भी विचार करने के लिए कहा जायगा।

३९—जैसा कि आप देखेंगे, हमारी सरकार परिस्थितियों और साधनों को देखते हुए यथासम्भव शीघ्रता से राज्य की जनता को समृद्ध और सुखी बनाने के अपने मनोवांछित लक्ष्य तक पहुंचने का भरसक प्रयत्न कर रही है। बाधायें और कठिनाइयां भी सामने आती रहती हैं। किन्तु सफलता की ओर बढ़ने के लिए कोई सुगम मार्ग नहीं है, बाधायें दृढ़तापूर्वक किये जाने वाले प्रयत्नों की कसौटी होती हैं। हमारी सरकार आपसे—विधान मण्डल के सदस्यों से और आपके द्वारा राज्य की जनता से यह आशा करती है कि आप सब उत्तरदायित्वपूर्ण आलोचना तथा रचनात्मक सहायता द्वारा सहयोग देंगे। जनता की सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि वह निर्धनता तथा अभाव दूर करने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करे और साथ ही स्वयं जनता का भी यह कर्त्तव्य होता है कि वह इस प्रयत्न में इस प्रकार से योग दे कि सफलता प्राप्त करना सुगम हो जाय।

४०—इस समय विशेष रूप से हमारे देश को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा के उस पार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका प्रभाव बहुत दूर तक पड़ेगा। लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना अत्यावश्यक ही नहीं, नितान्त आवश्यक है, लेकिन इससे भी बड़ी मांग यह है कि राष्ट्रीय एकता कायम रहे और एकनिष्ठ होकर राज्य की सुस्थिरता बनायी रक्खी जाय तथा उसके साधनों का विकास किया जाय। मुझे इसमें किंचित सन्देह नहीं है कि हम में से हर कोई, चाहे उसका कार्य क्षेत्र इस सदन में हो या इसके बाहर, अपने और अपने देश के प्रति इस सर्वोपरि कर्त्तव्य का निस्वार्थ भाव से और उत्साहपूर्वक पालन करेगा।

४१—अपना भाषण समाप्त करने के पहले मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके सामने जो कार्य हैं, उनको अडिग उत्साह से करने की शक्ति ईश्वर आपको प्रदान करे।

जय हिन्द !

कुम्भ दुर्घटना व गन्ना हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव

चेयरमैन—मुझे यह सूचना देनी है कि मेरे पास दो कार्य स्थगन प्रस्ताव आये हैं जिनमें से एक श्री नरोत्तम दास टंडन जी का है जो कि कुम्भ में हुई दुखद दुर्घटना के सम्बन्ध में है और एक श्री कुंवर गुरु नारायण जी का है जो कि केन ग्रोअर्स और मिल ओनर्स के झगड़ों के सम्बन्ध में है। इन दोनों विषयों के ऊपर विवाद करने के लिये अगले दो दिनों में सदन को अवसर मिलेगा तथा वे गवर्नर साहब के एड्रेस के डिस्कशन में जो कुछ चाहें कह सकेंगे, इसलिये मैं समझता हूं कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है और मैं इनकी अनुमति नहीं दे सकता।

सन १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीज़ीशन (कन्टीन्यूएन्स आफ पावर्स) संशोधन विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि सन् १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीज़ीशन (कन्टीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३० दिसम्बर, १९५३, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५३ ई० का ३१ वां अधिनियम बना।

सन् १९५३ ई० का आगरा यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि सन् १९५३ ई० के आगरा यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति ३० दिसम्बर, १९५३, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५३ ई० का ३१वां अधिनियम बना।

सन् १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल---मैं आपकी आज्ञा से यह भी घोषणा करता हूं कि सन् १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के प्रथम पूरक) विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति २ जनवरी, १९५४ को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५४ ई० का पहला अधिनियम बना।

सन् १९४० ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज मोटर वेहिकिल्स रूल्स में संशोधन

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--Sir, I lay on the table Transport Department Notifications no. 5428 T.P./30/142 T. (42)/53, dated August 20, 1953, no. 3925T. P./30/759 T. 49, dated October 14, 1953, no. 5427 T.P./30/142T/51, dated October22, 1953, no. 6254 T. P./30/142/22/T/51, dated January 2, 1954, no. 7411T. P./30/142/33/T/52, dated January 6, 1954 and no. 6053T. P./30/142T./43/53, dated January 6, 1954, amending the United Provinces Motor Vehicles Rules, 1940.

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५१ में संशोधन

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--Sir, I lay on the table Revenue (A) Department Notification no. 8066/I-A—1699-1953, dated December 29, 1953, amending the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, 1951.

सन् १९५३ ई० की उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की पंचम) आज्ञा

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—Sir, I lay on the table the Uttar Pradesh Land Tenures (Removal of difficulties) (Fifth) Order, 1953.

रेवेन्यू कोड मैनुअल के अध्याय ४ के नियम १६३ में संशोधन

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--Sir, I lay on the table Revenue (A) Department Notification no. 72/I. A—516.48, dated December 9, 1953, amending Rule 163 of Chapter IV of Revenue Code Manual.

सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) अध्यादेश

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--Sir, I lay on the table the U. P. Panchayat Raj (Term of Office) (Supplementary) Ordinance, 1954, (U. P. Ordinance no. 1 of 1954).

प्रस्ताव कि दो सदस्य, रुड़की यूनिवर्सिटी के सीनेट के लिये चुने जायें

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--Sir, I move that the Legislative Council do elect, on such date and in such manner as the Chairman may direct, two members to serve on the Senate of the Roorkee University.

चेयरमैन--The question is that the Legislative Council do elect, on such date and in such manner as the Chairman may direct, two members to serve on the Senate of the Roorkee University.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—इस चुनाव के लिये २४ फरवरी को १२ बजे तक सेक्रेटरी के पास नाम भेज दिये जायें।

सन् १९५३-५४ ई० के पूरक अनुदानों (दूसरी किस्त) के लिये मांगें

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—Sir, I present the demand for Supplementary, Grants 1953-54 (Second Instalment).

श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और इसके लिये आपकी अनुमति चाहता हूं :—

"उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंने राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय, आज हमारा हृदय दुख से सन्तप्त है। जो दुर्घटना कुम्भ के मेले के अवसर पर हुई है वह ऐसी है कि जो भी उसको जानता है या जिसने भी उसके सम्बन्ध में सुना है, वह बिना दुख प्रदर्शित किये नहीं रह सकता है। जहां हमारे हृदय में इस दुर्घटना के कारण दुख है, वहां कुछ लोगों के दिलों में इससे रोष भी है। रोष का कारण भी है और मैं यहां इस समय उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि उनका रोष एक हद तक उचित भी है। कुम्भ का मेला एक सामान्य मेला नहीं है और न रोजमर्रा के मेलों और तमाशों जैसा वह मेला है। वह एक धार्मिक पर्व है और उसके धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर ही देश के लाखों नर नारी प्रयाग में इस पर्व के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिये आते हैं। देश के अनेक प्रदेशों से आने वाले जो लोग होते हैं वे इस अवसर पर इस प्रदेश के अतिथि होते हैं और हमारा यह कर्त्तव्य है और वह कर्त्तव्य होना चाहिये कि जहां तक हो सके हम उनको सुख और सुविधा दें और उनकी सेवा सुश्रुषा का समुचित प्रबन्ध करें। मुझे हर्ष है कि हमारी सरकार ने वहां काफ़ी प्रबन्ध किया और वह सन्तोषजनक भी बतलाया जा सकता है, परन्तु उन सब के होते हुये भी यह बात निर्विवाद है कि हम उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सके, हर प्रकार का प्रबन्ध यात्रियों की सेवा सुश्रुषा का वहां किया गया, सफाई, स्वास्थ्य रक्षा इत्यादि का समुचित प्रबन्ध हुआ, यात्रा की सुविधा भी रही, परन्तु जैसी उनकी रक्षा होनी चाहिये वह हम नहीं कर सके। तमाम इन्तजाम के बावजूद भी हमारे लिये यह कलंक की बात है और इसके लिये मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने यह उचित ही किया है जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा है, कि एक समिति की नियुक्ति की है और उस कमेटी के सामने यह तमाम बातें आयेंगी कि कैसे यह घटना हुई और इसके क्या कारण थे, इसके लिये कौन जिम्मेदार है, सरकारी अफ़सर जिम्मेदार हैं या दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, तो ये सभी चीजें उस कमेटी के सामने आयेंगी और जिस समय तक उस कमेटी की रिपोर्ट न आ जाय मैं समझता हूं कि हमको उसके लिये बहुत रोष न करना चाहिये। हमको प्रतीक्षा करनी चाहिये और मेरा विश्वास है कि जो भी कारण होंगे दुर्घटना के उस कमेटी की रिपोर्ट में हमारे सामने अवश्य आयेंगे और हमको यह मौका मिलेगा कि हम देखें कि कौन से ऐसे कारण हुये जिसकी वजह से ऐसी दुखद दुर्घटना हुई जिसमें सैकड़ों मरे और हजारों घायल हो गये। उस कमेटी का यह भी कर्त्तव्य होगा कि आगे ऐसी दुर्घटनायें किस प्रकार रोकी जा सकती हैं और इसके लिये वह अपने सुझाव देगी। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि यदि हमारे अधिकारियों की गफलत के कारण इस किस्म की दुर्घटना हुई तो सरकार उनके ऊपर जो उचित कार्यवाही हो सकती है वह अवश्य करेगी।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में पिछले वर्ष में जो प्रगति हुई है उन सभी विषयों की संक्षिप्त रूप से चर्चा की है और उन्होंने हमें बताया है कि कम्यूनिटी प्रोजेक्ट और नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस की योजनायें जो हमारे प्रान्त में चल रही हैं, उनमें क्या प्रगति [illegible]। उन्होंने यह भी बताया है कि हमारे यहां सिंचाई में कितनी बढ़ोतरी हुई है, बिजली बढ़ी है और अन्य क्या प्रबन्ध हो रहे हैं। इन सब चीजों की चर्चा उसमें की गई है।

में आप का समय अधिक इस संबंध में नहीं लेना चाहता, परन्तु आप का ध्यान राज्यपाल महोदय के उस अंतिम पैराग्राफ की ओर दिलाना चाहता हूं जहां उन्होंने हमको यह बताया है कि हमारा लक्ष्य क्या है जिसकी पूर्ति की ओर हमको अग्रसर होना है। पूर्ण जन कल्याण राज्य की स्थापना हमारा लक्ष्य है, परन्तु उस लक्ष्य की पूर्ति एकदम नहीं हो सकती। हम उस ओर बढ़ रहे हैं और हमारी प्रगति संतोषजनक भी है। मंजिल बहुत लम्बी है जहां हमें पहुंचना है वह स्थान भी बहुत दूर है और रास्ते में बहुत सी बाधायें हैं, बड़ी बड़ी खाइयां हैं और हमें उनको पार करना है। यदि हम सीधे मार्ग पर चल रहे हैं और उत्साह के साथ चल रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम वहां जल्द से जल्द न पहुंच जायं। इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारे देश की स्थिति बहुत दुखद है, गरीबी बहुत जोरों पर है और बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है, यह भी तथ्य है, यदि मैं यह कहूं कि बेरोजगारी हमारे यहां बढ़ती जा रही है। परन्तु इन सब बातों को दूर करने के लिये हमको अनेक साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। हमारी कम्यूनिटी प्रोजेक्ट और नेशनल एक्सटेनशन सर्विस की योजना जो है वह हमको उस ओर ले जाती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी अन्य ऐसी चीजें हैं जो जन हित के लिये आवश्यक हैं और उनकी तरफ भी हमको तवज्जह करना है।

सिंचाई की स्कीम और कम्यूनिटी प्रोजेक्ट बहुत सुन्दर चीजें हैं उनसे हमको लाभ पहुंचेगा और पहुंच रहा है लेकिन जो बेरोजगारी और गरीबी का प्रश्न हमारे सामने है उसको अलग नहीं किया जा सकता है हमें फौरन उसको हल करना चाहिये।

मुझे हर्ष है कि राज्यपाल महोदय ने अपने इस संबोधन में इसका तज़किरा करते हुए हमें बताया है कि इस विषय में सरकार प्रगति कर रही है और उचित कार्यवाही कर रही है। वह कहते हैं कि "Special attention is being paid to revitalising the drive for extension of cottage industries particularly with a view to relieve the problem of unemployment." मुझे इससे संतोष अवश्य होता है लेकिन मैं यह देखता हूं कि इस ओर जितना हमारा ध्यान होना चाहिए उतना हमारा ध्यान अभी नहीं है। प्रधान मंत्री, प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग मिनिस्टर्स इत्यादि सभी मानते हैं कि बेरोजगारी यदि दूर हो सकती है तो उसका प्रमुख साधन यही है कि छोटे छोटे उद्योग धंधों को विकसित किया जाय उनकी सहायता की जाय और उनको संरक्षण दिया जाय। दुर्भाग्यवश हम एक कुचक्र में पड़े हुए हैं, अंग्रेजी में जिसे "vicious circle" कहते हैं। हमारी क्रय शक्ति (परचेजिंग पावर) घट रही है और पर्चेजिंग पावर के घटने के कारण मांग में कमी होती जा रही है और मांग कम होने के कारण उत्पादन में कमी होना स्वाभाविक है। यह ऐसा कुचक्र है जिसे हमको तोड़ना है। इस कुचक्र को तोड़ कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं गवर्नमेंट की तवज्जह इस ओर खासतौर से दिलाना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी कठिनाइयां हमारे मार्ग में आती जा रही है जिससे यह प्रश्न और भी जटिल समस्या बनती जा रही है। हमारी प्रतिदिन बढ़ती हुई आबादी भी हमारे रास्ते में रुकावट बनी हुई है। रोजमर्रा के जो आंकड़े हमारे सामने हैं उनको अगर गम्भीरता के साथ देखा जाय तो मालूम होगा कि बारह हजार पांच सौ नये आदमियों की करीब करीब रोजाना आमद हमारे देश में होती है जिनके लिए अन्न तथा वस्त्र के अतिरिक्त लाभप्रद धंधे पैदा करने की भी जरूरत होती है। कल कारखाने जो हमारे देश में विद्यमान हैं वह हमारी इस समस्या को हल नहीं कर सकते। मेरा विश्वास है कि इस बात को समझने के बाद हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं रह जाता सिवाय इसके कि हम छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करें। बड़े-बड़े कल कारखानों में आज हमारे देश में २२, २३ लाख आदमी लगे हुए हैं। ३६ करोड़ की आबादी में २२, २३ लाख की संख्या क्या होती है। लेकिन उन २२, २३ लाख आदमियों का संगठन है। संगठन के कारण उनकी सुनवाई हो जाती है। लेकिन जो करोड़ों लोग छोटे-छोटे उद्योग धंधों में लगे हुए हैं उनकी हालत यदि देखी जाय तो कहीं अधिक नाज़ुक मिलेगी। वह विवश हैं, उनकी आवाज ऐसी नहीं है कि जो मजबूती के साथ सरकार के कानों तक पहुंच सके। इसलिए हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम देखें कि जो करोड़ों आदमी इन उद्योग-

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

धंधों में लगे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। उनके रहने के मकानों को देखें तो हम पायेंगे कि एक ही छोटी सी कोठरी में वह अपना सोना, बैठना और खाना पीना करते हैं, और उसी में उनके टूल्स, मशीन वगैरा रहते हैं। सारे परिवार के लोग मिलकर काम करते हैं और शाम को जब अपनी बनाई हुई चीज को लेकर बाज़ार में जाते हैं तो उनको औने पौने दाम मिलते हैं। इसलिये हमको इस ओर खास तौर से तवज्जह देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने आगे चलकर सम्बोधन के अन्त में यह आशा प्रकट की है कि हम सब मिलकर सहयोग के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगें और अपने प्रदेश को सुखी तथा समृद्धशाली बनाने का प्रयत्न करें। मैं आशा करता हूं कि सदन के सभी सदस्य चाहे वे किसी दल के हों इससे सहमत होंगे। आज देश के निर्माण के लिये जिन साधनों की आवश्यकता है उसमें हम सब मिलकर काम करें। मैं समझता हूं कि राज्यपाल की यह आशा अवश्य पूरी होगी। अन्त में अधिक समय न लेकर अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस विशाल भवन का निर्माण करने हम जा रहे हैं वह बड़ा उत्तरदायित्व का काम है। इस भवन के सभी स्तम्भों को हमें दृढ़ बनाना है। सबसे पहले यह आवश्यक है कि हमारा राष्ट्र सुसंगठित बने और उन सब प्रवृत्तियों को हमें रोकना होगा जिनसे राष्ट्र के कमजोर होने की सम्भावना हो सकती है। चाहे वे मजहब से ताल्लुक रखती हों, चाहे जाति बिरादरी से, चाहे वह भाषा व प्रान्तीय भावनाओं से। उन सभी प्रवृत्तियों को हमें रोकना होगा ताकि हमारा राज्य बलवान बने। इसके अलावे हमको अपने राज्य को सुखी और समृद्ध बनाना है, इसके लिये आवश्यक है कि जो हमारे गृह उद्योग हैं उनको हम विकसित करने का पूर्ण प्रयत्न करें। उसके लिये बहुत से उपाय हैं। परन्तु सर्वप्रथम हमें उनकी रक्षा करनी है जिसके लिये यह अत्यावश्यक है कि हम उन्हें अपनायें और इस बात का संकल्प करें कि हम इस देश की बनी हुई चीजों को खरीदेंगे और विशेषकर हम उन्हीं चीजों का प्रयोग करेंगे जो हमारे गांवों में बनती है और जिनका हमारे छोटे-छोटे उद्योग धन्धों द्वारा निर्माण होता है। यदि हम यह संकल्प कर लेंगे तो हम उस कुचक्र को तोड़ सकेंगे जिसकी मैंने पहिले चर्चा की है। यदि हम इस संकल्प को लेकर उन छोटे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देंगे तो उसका यह परिणाम होगा कि मांग बढ़ेगी और मांग के साथ उत्पादन बढ़ेगा और इस तरह से उद्योग धंधों का विकास होगा। यही तरीका उस कुचक्र को तोड़ने के लिये सफल हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब लोग स्वदेशी के व्रत को आज ही से धारण करने का संकल्प करें। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं।

*श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रथा कि श्री राज्यपाल महोदय दोनों सदनों के सदस्यों के सम्मुख संबोधन करें, कई दृष्टियों से बहुत सुन्दर प्रथा है विशेषकर इस दृष्टि से कि इसके द्वारा राज्य सरकार को राज्य के कामों का एक लेखाजोखा सदस्यों के सामने रखने का एक मौका मिल जाता है। इस तरह से दोनों सदनों के सदस्यों को इकट्ठा करने के लिये अवसर मिल जाता है। साथ ही सरकार को इस सम्बोधन के पश्चात् अपने में विश्वास प्राप्त करने का अवसर होता है। राज्यपाल महोदय ने अपना सम्बोधन जिन शब्दों से प्रारम्भ किया है वे शब्द हम सभी के हृदय में सबसे ऊपर हैं। आज इस सदन की कार्यवाही भी, अध्यक्ष महोदय, उसी घटना के उल्लेख द्वारा हुई और प्रस्तावक महोदय ने भी उसी घटना का सर्व-प्रथम उल्लेख किया। उस घटना से प्रान्त भर में दुख के बादल छाये हुये हैं और वह दुख कितना ऊंचा है वह इसी बात से प्रगट है कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन को उसी घटना से प्रारम्भ किया है। उसी सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना उचित समझता हूं।

मुझे यह निवेदन करना है कि मेरा विचार कुम्भ में जाने का नहीं था परन्तु एक आवश्यक सरकारी कार्य के कारण वहां पहुंचने की आवश्यकता पड़ी। मुझे वहां बाहर के

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

लोगों के सम्पर्क में आने का भी अवसर मिला और मैंने वहां हर एक की जबान पर २ तारीख की शाम तक यह सुना कि प्रबन्ध बहुत अच्छा है। दो बातों का तो विशेष वर्णन किया जा रहा था। स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो इन्तजाम था उसके लिये फ्लाइलेस शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। ८०० एकड़ भूमि पर मक्खी का कहीं नाम भी नहीं दिखाई पड़ता था। सभी की जबान पर प्रबन्ध की प्रशंसा थी। ३ तारीख को जिस समय साढ़े आठ और नौ के बीच यह दुर्घटना हुई, उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आधा घन्टे तक यह विश्वास लोगों को नहीं होता था कि इस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। मैं भी उसी भीड़ के साथ-साथ चल रहा था और यद्यपि यह प्रचार किया जा रहा था कि संगम की तरफ हालत खराब है लेकिन इसके बावजूद भी मैंने देखा कि लगभग २० मिनट तक लोग बराबर संगम की तरफ चलते रहे इस आशा से कि अपनी ताकत या चतुरता से हम नहा लेंगे और आध घन्टे बाद ही इस बात की चर्चा स्वयंसेवकों के कैम्पों में और दूसरे स्थानों में फैल गई कि इस तरह की घटना हुई है। इस दुर्घटना से न केवल प्रान्त में ही शोक है वरन् देश भर में इसके लिये दुख किया जा रहा है। किन कारणों से यह दुर्घटना हुई इसके लिये तो मैं समझता हूं कि ऐसी दुर्घटना का रोकना मनुष्य शक्ति से बाहर था और यह दुर्घटना उसी तरह से हुई जैसे कि सब इन्तजाम होते हुये भी बाढ़ इत्यादि आ जाती है। मैं भी इस दुर्घटना के सम्बन्ध में अपना खेद प्रगट करता हूं।

राज्यपाल महोदय के सम्बोधन से बहुत सी बातें स्पष्ट रूप से प्रगट हो गई हैं। सबसे पहले भूदान यज्ञ अधिनियम का उल्लेख किया गया है। भूदान यज्ञ ऐक्ट हमारे प्रान्त के लिये सबसे आगे ले जाने वाली चीज है। इस ऐक्ट के बनने के बाद और प्रान्तों ने भी इसकी नकल की और हमारे प्रान्त ने श्री विनोवा भावे से इस मामले में सलाह लेकर इस बात का सबूत दिया कि जितनी अच्छी बातें दूसरे लोगों द्वारा की जायेंगी उनका सरकार स्वागत करेगी। श्री विनोबा के शब्दों में यह एक साम्यवाद का रूप है। यह साम्यवाद को रोकने का एक ही तरीका है कि इस प्रकार से लोगों को अपने पास होने वाली चीजों में जैसे जमीन और जमीन से आगे चलने पर, अन्न, संपत्ति आदि जिसको कि वह अपने उपभोग के लिये एकत्रित करते हैं और लोगों के साथ भी उसका बटवारा किया जा सके और उसको सम्मिलित किया जा सके।

उसके पश्चात् ही एक ऐसी चीज श्रमदान है जो स्वयंमेव हो। अपने आप परिश्रम ऐसे रूप से किया जाय जिससे सार्वजनिक लाभ हो सके। अपने लिये परिश्रम तो सब लोग करते हैं, लेकिन दूसरे के लिये परिश्रम करना तो साधारण बात नहीं है और वह भी शारीरिक परिश्रम। श्रमदान भी एक इसी प्रकार की नई चीज है जिसकी कि लहर हमारे प्रान्त में आती है। अन्य विभागों का विशेष उल्लेख तो इस संशोधन में नहीं है जैसे कि कृषि विभाग, पशु-पालन विभाग, सिंचाई विभाग, नई सड़कें व पंचवर्षीय योजना और इंडस्ट्रीज विभाग में जो कुछ भी किया गया है उसका विस्तार से उल्लेख न करके मैं केवल एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि शिक्षा में जो प्रगति हुई है उसके संबंध में दो शब्द विस्तार से कहने की आज्ञा मैं आपसे चाहूंगा। शिक्षा विभाग के संबंध में कितनी बार इस सदन में जिक्र आ चुका है कि जो शिक्षा कई सरकारी विभागों में हो रही है उसका एकीकरण किस प्रकार से किया जाय। अगर यह हो सके तो सब लोगों को शिक्षा का वास्तविक लाभ हो सकेगा। एज्युकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के द्वारा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा अलग-अलग शिक्षा देने का प्रबंध है। अभी अभी एक नया कदम जो संभवतः सरकारी तौर पर इस सदन के सामने नहीं है कि एज्युकेशन डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट यह दोनों जितना शिक्षण कर रहे रहे हैं उनका सामंजस्य करन के रूप में, रिकंसीलेशन करने के तरीके से एकीकरण कर दिया जाय। उसके संबंध में पहला कदम यह उठाया गया है कि अभी अभी हाल में बोर्ड आफ हाई स्कूल और इंटरमीडियेट एज्युकेशन की तरफ से एक नया इम्तिहान शुरू किया गया है जिसका नाम होगा हाई स्कूल टेक्निकल एक्जामिनेशन, इंटरमीडिएट टेक्निकल एक्जा-मिनेशन औद सरकारी विभागों के तीन स्कूल एक गवर्नमेंट कारपेंटरी स्कूल, बरेली, दूसरा

[श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल]

गवर्नमेंट कारपेंटरी स्कूल, कानपुर और तीसरा गवर्नमेंट कारपेंटरी स्कूल, इलाहाबाद। यह तीनों टेक्निकल हाई स्कूल्स की शिक्षा में तब्दील कर दिए गये हैं और पिछली जुलाई से नवें क्लास की पढ़ाई इनमें चल रही है यानी सन् १९५५ ई० में हाई स्कूल टेक्निकल इक्जामिनेशन इन तीन संस्थाओं के लिये होगा और इंटरमीडियेट टेक्निकल इक्जामिनेशन की भी योजना की गई है जिसके लिये फिलहाल अभी एक ही संस्था है जिसका नाम गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंटरमीडियेट कालेज कानपुर है जो अब तक गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंस्टीटयूट के नाम से था। इसमें एज्यूकेशन डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट यह दोनों मिल कर काम करेंगे और इस प्रकार लगभग ३० संस्थायें हैं जो कि शनैः शनैः शिक्षा विभाग के साथ मिल कर कार्य करेंगी और उन संस्थाओं से निकले हुए विद्यार्थियों को भी उसी प्रकार से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्राप्त होगा जिस प्रकार से कि एज्युकेशन डिपार्टमेंट से निकले हुए विद्यार्थियों को मिलता है।

इसी प्रकार से हम प्राइमरी शिक्षा के विभाग में देखते हैं कि एज्युकेशन डिपार्टमेंट के साथ-साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पूरा-पूरा सहयोग है जिसके बिना कार्य नहीं चल सकता। सरकार का जैसा कि एक स्वप्न था और जो कि सरकार के सामने गैर सरकारी रूप से रक्खा गया था कि जितनी भी गांव में चलने वाली संस्थायें हैं उनके साथ विशेष रूप से यदि कुछ जमीन ऐसी हो जो कि खेती करने के काम आ सके तो उससे कई लाभ होंगे। एक तो वे संस्थायें आत्मनिर्भर हो सकेंगी और दूसरे वे विद्यार्थी अगर चाहेंगे तो बाद में खेती का काम भी कर सकेंगे, और इसके साथ ही साथ जो एक बाढ़ सी आ गई है बिना काम के लोगों की और जिससे कि पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी फैल रही है, वह भी रोकी जा सकेगी।

इसलिये नया आयोजन हुआ है। ग्राम पंचायतों के द्वारा ५ एकड़ जमीन प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में लगाई जायेगी, अधिकांश स्कूलों के लिये वह जमीन प्राप्त हो चुकी है और शेष स्कूलों के लिये वह जमीन प्राप्त की जा रही है। नये स्कूलों के लिये ३२०० टीचर्स जो एग्री-कल्चर में ट्रेन्ड होंगे वे हर एक ग्रामीण स्कूलों में फैला दिये जायेंगे। पहले शिक्षा और एग्री-कल्चर विभाग उनको ट्रेन करेंगे। आगरा यूनीवर्सिटी संशोधन विधेयक हम पास कर चुके हैं। इलाहाबाद यूनीवर्सिटी संशोधन विधेयक हमारे सामने आने वाला है।

इसके अतिरिक्त जो नई चीज संबोधन में है जिसका उल्लेख मैं अन्तिम शब्दों में करना चाहता हूं वह नई चीज यह है जिसका ज़िक्र पृष्ठ ११ पर है। हिन्दुओं में कुछ पूजा के स्थानों के समुचित प्रशासन तथा धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए प्रदत्त निधि के समुचित उपयोग की आवश्यकता की ओर हमारी सरकार का ध्यान प्रायः आकृष्ट किया गया है। इस सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के काम में एक अधिकारी को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है, यानी इस पर जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए एक अफसर की नियुक्ति की गई है। संबोधन के अन्त में राज्यपाल महोदय ने कहा है कि "आप के सामने जो कार्य हैं उनको अडिग उत्साह से करने की शक्ति ईश्वर आपको प्रदान करे।" जहां तक हमारी जानकारी है मैं कह सकता हूं कि ईश्वर शब्द पहले पहल ही आया है। मैं इसको इस रूप से लेता हूं जैसा कि माननीय राधाकृष्णन ने कहा है कि सेकुलर स्टेट के मानी यह नहीं हैं कि धर्म का उसमें जिक्र न हो बल्कि धर्म सबके लिए लाभदायक हो। ऐसी स्टेट जिसमें ईश्वर और धर्म के नाम पर किसी के लिए हानिकारक कार्य न किया जाय। अब मैं प्रस्तावक महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बैठता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं--

"The following be added at the end of the motion :

'But note with regret that it makes no mention of :

(1) the economic slump that has set in,

(2) the fall in the purchasing power of the people,

(3) the daeterioration in the condition of the middle classes, and

(4) any tax relief to the already overtaxed people.' "

श्रीमान् जी, जो प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के संबोधन के संबंध में इस भवन के सामने उपस्थित है उसे पढ़ने के बाद दिमाग में यह बात पैदा हुई कि माननीय राज्यपाल ने जो तस्वीर इस सम्बोधन में इस प्रदेश की उन्नति की खींची है वह इस प्रकार है जैसे कि कोई एक स्किलफुल लाइयर हो, वह कोर्ट में केस आर्गू करने जाय तो वह अपने केस को बहुत सुन्दर तरीके से रखता है और जो उसके विपरीत फैक्टस हैं उनका जिक्र कहीं भी नहीं करता। मैं यह समझता हूं कि विरोधी दल का फर्ज भी है कि जब एक प्रकार का चित्र हमारे सामने रखा जाय उस वक्त हम तस्वीर का दूसरा रुख भी अपने सामने रखें कि आज हमारे प्रदेश की क्या हालत है और यह इसीलिये और भी आवश्यक है। ज्यादातर लोग सम्बोधन की तारीफ तो करेंगे ही लेकिन फिर भी यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम हुकूमत का ध्यान उन सार्ट कमिंग्स की तरफ भी दिलायें जो हमारे प्रदेश में हैं।

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में यह कहा है कि सन् १९५२ से लेकर आजतक बहुत बड़ा प्रोग्रेस हर तरफ हुआ है। हो सकता है कि यह गवर्नमेंट का दृष्टिकोण हो लेकिन मैं निश्चय के साथ यह कह सकता हूं कि पब्लिक दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। पब्लिक का दृष्टिकोण ऐसा क्यों नहीं है और राज्यपाल महोदय का ऐसा दृष्टिकोण क्यों है तो इसको कैसे आंका जा सकता है। उसको आंकने का एक मात्र यही तरीका है कि हम आज देखें कि जो कामन मैन है और जो जनता है वह सुखी है और उसकी तकलीफों में कमी हुई है या नहीं। सन् १९५२ के पहले से भी अधिक आज उस की तकलीफ हर तरफ बढ़ती चली जा रही है। यदि हम कामन मैन का लाट देखेंगे तो हम आंक सकते हैं कि जो कुछ प्रोग्रेस हुई है उसका फल सही हुआ है या गलत हुआ है। इसके विपरीत एक बात मैं अवश्य कह सकता हूं और वह यह है कि जो अचीवमेंट्स हैं उनके अलावा एक अचीवमेंट जरूर सरकार ने किया है और वह यह है कि सन् ५२ से लेकर आजतक सरकार ने जो सबसे बड़ा एचीवमेंट किया है वह टैक्सेशन का है। अधिक से अधिक टैक्स लगाने का प्रयत्न किया गया। एक समय था कि हमारा यह उत्तर प्रदेश लोयस्ट टैक्स्ड स्टेट था लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश इस समय वन आफ दि बिगेस्ट टैक्स्ड स्टेट है। शायद बम्बई और मद्रास के बाद तीसरा नम्बर हमारे प्रदेश का आता है। उदाहरण के तौर पर मैं बतला सकता हूं कि सेल्स टैक्स, बिजली टैक्स, ऐग्रीकल्चरिस्ट पर टैक्स और नाना प्रकार के टैक्स आपने लोगों पर लगाये हैं। इस तरह आप ने इर्रीगेशन के टैक्स में वृद्धि की है और पंचायत टैक्स भी लगाया है। इसके अतिरिक्त ऐग्रीकलचरल इन्कम टैक्स की जो शरह थी उसको भी आपने बढ़ाया है। ये तो वे टैक्स हैं जो कि कानूनी तौर से वसूल किये जाते हैं। लेकिन मैं जब देखता हूं तो देहातों की हालत के बारे में मैं कह सकता हूं कि गैर कानूनी तरीके से जितना रुपया आज ऐग्रीकल्चरिस्ट्स और जनता से जाता है वह कई गुना ज्यादा है। वह पुलिस के पास जाता है और जो आज तमाम भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसमें जाता है। आज कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसा दिये हो सकता हो।

यह तो छिपे हुए टैक्स हैं और खुल्लमखुल्ला टैक्स वे हैं जिनकी गणना मैंने अभी की है। कोर्ट फीस, स्टैम्पस ड्यूटी टैक्स वगैरह जनता पर लाद दिये गये हैं। तो इसका नतीजा यह होता ह कि कास्ट आफ लीविंग ऊंची हो जाती है और जब कास्ट आफ लीविंग ऊंची हो जाती है तो यह स्वाभाविक ह कि हमारा स्टैन्डर्ड आगे बढ़ जाता है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय को सदन के सामने तस्वीर के दोनों रुख रखने चाहिये थे। राज्यपाल महोदय ने सदन के सामने तस्वीर का एक ही पहलू रखा ह। जनता के सामने ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए था जिससे जनता कम से कम यह आंक सके और उसके दिल में यह ख्याल पैदा हो कि वाकई में सरकार ने उन परिस्थितियों का ध्यान रखा है जो देश में पैदा हो गई है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि आज हमारे देश की हालत ऐसी नहीं है कि हम तस्वीर को एक ही तरफ से देखें और उसकी एक बहुत ही रोजी पिक्चर बना दें और यह संतोष कर ले कि हमारा देश बहुत ही तरक्की कर रहा है।

राज्यपाल के सम्बोधन में यह कहा गया है कि इन्डस्ट्रीयल प्रोग्रेस का सर्वे किया गया है और हमने इतने किलोवाट बिजली पैदा कर दी ह, इतनी नहरें बनवा दी हैं और उन सब

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

के नम्बर दे दिये हैं। आप कहते हैं कि हमने यह तरक्की की है, लेकिन इस समय हमारे सामने प्रश्न यह है कि हमने जो कुछ भी किया है उससे जनता को कोई फायदा हुआ है या नहीं, जो कुछ आपने तरक्की की है उससे जनता फायदा उठा सकती है या नहीं। उदाहरण के लिए कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन को ले लीजिये। आप कहते हैं कि हम वहां पर काफी बिजली पैदा करते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि जो बिजली हम पैदा करते हैं उससे जनता को लाभ होता है या नहीं। जनता की क्रयशक्ति कम हो रही है इसलिये वह उसका ठीक से इस्तेमाल कर नहीं सकती है। आज हम जो कुछ भी तरक्की कर रहे हैं उसमें कास्ट आफ प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि जो कुछ भी हम जनता के आराम के लिए करते हैं उससे उसको उतना फायदा नहीं पहुंच पाता है जितना उसको पहुंचना चाहिए। इस प्रकार की तरक्की को मैं कोई सही तरक्की नहीं समझता हूं। मान लिया जाय कि यू० पी० सीमेंट फैक्ट्री है और उसमें ७०० टन सीमेंट पैदा हो गई लेकिन कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ता गया तो उससे जनता का कोई लाभ नहीं होता है। आगे चलकर भी अगर इससे भी अधिक सीमेंट पैदा हो तो इससे कुछ फायदा नहीं है और उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने लाल बत्ती जला दी है इसलिये मैं एक आध बात कह कर खत्म करूंगा और वह यह कि माननीय राज्यपाल महोदय ने इन्डस्ट्रियल पालिसी के प्रोग्रेस का वर्णन किया है लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया, मैंने इसका एक प्रस्ताव भी सदन के सामने रक्खा था लेकिन मिडिल क्लास के सम्बन्ध में सम्बोधन में कुछ भी नहीं कहा गया है। आखिर जो मिडिल क्लास समाज की बैक बोन है उसकी हालत को कैसे सुधारा जायेगा अगर उनकी हालत को नहीं सुधारा जायेगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और आज भी रिपोर्ट करता हूं, तो उसका परिणाम यह होगा कि जिस साम्यवाद को आप देश में रोकना चाहते हैं, वह रुकने के बजाय और भी बढ़ता चला जायेगा और उस वर्ग के लोग इसमें शरीक होंगे और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि जो कुछ महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा है और उसमें उन्होंने जो तस्वीर दी है वह अपनी हुकूमत के प्रोग्रेस की तस्वीर ही रखी। जो दूसरी तस्वीर थी और जिससे कि हम जनता के दुखों को आंक सकते थे उनको इसमें बिल्कुल ही इगनोर कर दिया गया है। कोई भी चीज इस सम्बोधन में ऐसी नहीं है जो जनता के सामने सही राय पर पहुंच सके और कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिसको देख कर जनता में प्रसन्नता हो और उत्साह बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

***श्री राजा राम शास्त्री** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं वह इस प्रकार है :—

सम्बोधन के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

किन्तु सदन को खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया है—

१—गत ३ फरवरी के कुम्भ के महान पर्व के अवसर पर जो हृदय विदारक दुर्घटना हुई, जिसमें एक हजार से अधिक व्यक्तियों की जानें गयीं, उस अवसर पर राज भवन में दावत दी गयी और गाने बजाने का समारोह किया गया, उसका जिक्र तक न किया जाना और न इस बात का उल्लेख किया जाना कि उक्त दुर्घटना क्यों हुई।

२—गन्ना उत्पादकों की हड़ताल के समय २५० से अधिक समाजवादी कार्यकर्त्ताओं एवं किसानों की गिरफ्तारी और सरकारी शक्ति का झुककर मिल मालिकों के पक्ष में उपयोग करना।

३—उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी और जनता की गिरती क्रयशक्ति अर्थात् बढ़ती हुई गरीबी, मजदूरों, अध्यापकों एवं मध्यम वर्ग की सोचनीय अवस्था।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

४--प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दफ़ा १४४ लगाकर बढ़ते हुये किसानों मजदूरों एवं आम जनता के आन्दोलनों को पशुबल द्वारा दमन करना।

५--प्रदेश की जनता पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुये टैक्सों के कारण जनता में असन्तोष और बेचैनी का बढ़ना।

६--प्रदेश में बढ़ती हुई चोरी, डकैती, लूटमार, हत्या और हिंसात्मक कार्यों की ओर जनता का झुकाव, इन बातों का सम्बोधन में कोई जिक्र तक नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान मंडलों के सामने राज्यपाल आकर सम्बोधन करें, यह प्रथा किस उद्देश्य से शुरू की गई, यह तो मैं नहीं कह सकता, फिर भी इसके बारे में सरकारी पक्ष में और हमारे विचारों में महान् मतभेद है। आम तौर से हम देखते हैं कि जब कभी राज्यपाल महोदय अपना सम्बोधन विधान मंडलों के सामने करते हैं तो जिस तरह से सरकार के किसी विभाग की रिपोर्ट पेश की जाती है उसी तरह से सरकार के प्रवक्ता बन कर राज्यपाल महोदय सदन के सामने आते हैं। मैं समझता हूं कि यह तरीक़ा ग़लत है। राज्यपाल महोदय सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं बल्कि वे हमारे प्रदेश के सर्वप्रथम नागरिक हैं और नागरिक जीवन का उनके भाषण में प्रतिबिम्ब होना चाहिये, न कि सरकार के किसी विभाग की रिपोर्ट। अगर हम इस निगाह से इस सम्बोधन को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्यपाल महोदय को सरकार के कार्यों की जितनी प्रशंसा न भी करनी चाहिये थी उससे भी बढ़कर उन्होंने सराहना सरकार के कार्यों की है। आम तौर से हमारे प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, यानी गरीब किसानों, मजदूरों, अध्यापकों, मध्यम वर्ग के लोगों वगैरह के सम्बन्ध में कहीं पर भी संबोधन में जिक्र नहीं किया गया है, इसलिये मैं समझता हूं कि इस सम्बोधन में जनता की वास्तविक दशा का प्रतिबिम्ब नहीं है।

मुझे अभी दो भाषण सरकारी पक्ष के सुनने को मिले और प्रस्तावक महोदय ने, मुझे खुशी है एक वाक्य ऐसा कहा, अगर उसे ठीक तरह से समझा जाय और इस सदन के नेता को स्वयं समझ लेना चाहिये कि वास्तव में सदन की भावना क्या है। वे कांग्रेस पक्ष के सदस्य हैं, लेकिन उनको भी कितना दुख है लेकिन फिर भी चूंकि उनको प्रशंसा करनी है इसलिये उन्होंने प्रशंसा की मगर उन्होंने एक बात यह भी कही कि यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि कुम्भ के मेले पर जो जनता आमंत्रित की गई उनकी सुरक्षा का प्रबन्धन हीं हो सका और उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारे लिये एक कलंक की बात रहेगी। ऐसी बात उन्होंने कही जब कि मैं समझता हूं कि वे सरकारी पक्ष की ओर बैठे हुये हैं, तो आप कल्पना कीजिये कि यदि वे विरोधी पक्ष की तरफ से होते तो किन शब्दों में इस बात की व्याख्या करते। इसलिये मेरा विश्वास है कि चाहे कोई सदन में इस बात को प्रकट करे, या न करे लेकिन सदन के बाहर हर माननीय सदस्य का हृदय इस घटना से पीड़ित है और वे जानते हैं कि कुम्भ मेले की इस दुर्घटना से सरकार अपने को बचा नहीं सकती है। अगर सरकार अब भी यह कहे कि उसने वहां ठीक तरह से रक्षा का प्रबन्ध किया तो यह गलत बात है। यह भी बड़े दुख की बात है कि इस कुम्भ के अवसर पर जब कि वहां हमारे देश के बड़े बड़े व्यक्ति, मुख्य मंत्री जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल महोदय थे, तो उन्हें उस घटना की खबर भी नहीं हो सकी। तो यहां यह कहना कि प्रबन्ध सबसे ज्यादा सुन्दर रहा और आम जनता इस बात को जानती है, तो मैं समझता हूं कि इस सदन के अन्दर उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये जो कि सत्य न हों। वैसे आप कहने के लिये कुछ भी कह लीजिये लेकिन मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य होता है कि जब कि यहां कहा जाता है कि इतना सुन्दर प्रबन्ध था कि लोगों को एक मक्खी तक के दर्शन नहीं हुये। कुम्भ मेले में जहां लाखों आदमी थे, वहां एक मक्खी तक के दर्शन नहीं हुये, यह बात तो यहां कही जाती है। लेकिन अगर सचमुच में वहां मक्खियां नहीं दिखलाई पड़ीं तो क्या वहां आपको गन्दा गड्ढा भी नहीं दिखलाई पड़ा। उसमें दलदल पड़ा हुआ था और सरकार का कहना है कि वहां पर ४ सौ जानें चली गईं। तो आपके उस इन्तजाम की कैसे प्रशंसा की जाय। मेरा विश्वास है कि उस समय हमारे माननीय सदस्य शान्ति स्वरूप जी वहां उपस्थित नहीं होंगे और वे शायद बी० आई० पी० में बैठे हुये चाय पानी

[श्री राजाराम शास्त्री]

कर रहे होंगे, इसलिये आपका विश्वास दूसरा है और जनता का विश्वास दूसरा है। जांच कमेटी आपने बैठाई, तो जांच कमेटी के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना कहना है कि जब आप चाहते हैं कि जांच कमेटी का कार्य सुचारु रूप से हो तो जहां उसकी सरकारी आदमी हैं, वहां उसमें जनता का भी सहयोग होना चाहिये। सरकार इसमें जनता का भी विश्वास करे और जहां उसमें सरकारी अफसर हों या दूसरे रिटायर्ड अफ़सर हों और या दूसरे आफिशियलस हों, तो वहां जनता के भी लोग हों और इस तरह से जो काम होगा और उसमें जो भी निर्णय होगा वह सभी को मान्य होगा और जनता को भी इस तरह से विश्वास हो सकेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप चाहे रोज जांच कमेटी बैठाइये और उसकी रिपोर्ट ि निकालिये, लेकिन जनता इससे पूर्ण सन्तुष्ट नहीं होगी। राज्यपाल का जो सम्बोधन हमने पढ़ा तो उसमें उन्होंने इसी तरह की बात कही है कि प्रबन्ध बहुत अच्छा हुआ। मैं भी कहता हूं कि विदेशों में इस बात की बहुत चर्चा है और जो जरा सी खराबी हुई वह एक ही दिन थी। एक महीने तक तो प्रबन्ध, मुझे खुशी है, काफ़ी अच्छा रहा, परन्तु जिस दिन के लिये वहां प्रबन्ध किया गया था और जिस दिन माननीय मंत्री जी भी वहां गये हुये थे, उसी दिन थोड़ी सी भूल हो गई और वह भूल सरकार की निगाह में नहीं आ सकी और इस तरह से वहां टेलीफोन की व्यवस्था भी ठीक तरह से नहीं हो सकी। पानी की व्यवस्था टूट गई, मर रहे हैं, पानी नहीं मिल सका। इतने आदमियों के मर जाने के बाद भी जरा सी गल्ती हो गई, मुख्य मंत्री और राज्यपाल जी को इत्तिला न हो सकी। आपकी निगाह में जरा सी गलती है। आप महीने भर जो इन्तजाम जिस दिन के लिये करते रहे उसी दिन सारा इन्तज़ाम फेल हो गया। आप अपनी तरफ से अपने लिये तारीफ कर लीजिये पर जनता संतुष्ट नहीं हो सकती। असली स्वाद खाने में होता है, चौके की व्यवस्था कितनी बढ़िया हो, सफाई कितनी ही हो, लेकिन अगर सारा खाना ही जल जाय तो उससे किसी का पेट नहीं भर सकेगा, आप भले ही प्रशंसा कर लीजिये, आप उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। मेरा विश्वास है और जो प्रबन्ध किया गया था उसमें आप के लिये दूसरा रास्ता था और लाखों जनता के लिये दूसरा प्रबन्ध था। अधिकारी गण आपके लिये इन्तज़ाम एक रास्ते पर कर रहे थे और लाखों जनता कीड़े मकोड़े की तरह दूसरी ओर मर रही थी, लेकिन वहां कोई इन्तज़ाम नहीं था। जब मुख्य मंत्री जाते हैं या अन्य मंत्री जाते हैं तो सरकार के उच्च अधिकारियों की यह इच्छा होती है कि जनता भाड़ में जाय, लेकिन माननीय मंत्री की कृपा दृष्टि उनकी ओर एक बार हो जाय और वे देख लें कि आपके इन्तज़ाम के लिये मैं भी आया हूं। इस तरीके के लिये यदि पहले कहा जाता तो यह कहा जा सकता था कि समाजवादी या समाजद्रोही सरकार को बदनाम करने के लिये ऐसी बात कहा करते हैं, वैसे हमारा इन्तज़ाम बिल्कुल ठीक था। लेकिन आप अखबार देखिये ९० प्रतिशत का विश्वास है कि जनता के लिये दूसरी सड़क और दूसरा इन्तज़ाम था और उस ओर सरकार का कोई प्रबन्ध नहीं था और सरकारी अधिकारियों के लिये और माननीय मंत्रियों के लिये दूसरी ओर इन्तज़ाम था। खैर, यह सब बातें कमेटी के सामने जायेंगी। जो कुछ हुआ है इतना शर्मनाक हुआ है और शायद इतनी बड़ी कोई घटना इतिहास में दूसरी न मिलेगी। इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलता है सिर्फ एक शासक के लिये। एक ओर रोम जल रहा था और वहां का शासक बंशी बजा रहा था। लेकिन शायद इतिहास में जो मिसाल कुम्भ की हुई है कि सैकड़ों लोग मर रहे थे और लाशों के ढेर पड़े थे, लोगों के यहां मातम हो रहा था उस वक्त राजभवन में दावत हो रही थी, उसमें हमारे राज्यपाल महोदय और अन्य मंत्रीगण थे। अगर गलती हो और स्वीकार कर ली जाय तो मान सकता हूं। ऐसी बात नहीं है कि सफाई के लिये कहा जाय कि ८ घंटे तक इस बात का ही नहीं लगा। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि उनको ८ घंटे तक पता ही नहीं लगा। यह उन्होंने कहा कि केवल इतना मालूम हुआ था कि ३ औरतें गायब हो गई थीं और मालूम हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है और उसमें कुछ बात हो गई है। लेकिन माननीय चन्द्र भानु गुप्त अपना भाषण देते हैं और कहते हैं कि मैं और माननीय

मुख्य मंत्री जी कुछ घंटों के बाद वहां देखने के लिये गये थे। मेरे लिये और जनता के लिये जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय हैं वैसे ही चन्द्रभानु गुप्त भी माननीय हैं, लेकिन दोनों की बातों में कितना अन्तर है और जनता के लिये यह मुश्किल हो जाता है कि मालूम कर सके कि कौन सी बात सत्य है ? ऐसी बातें हैं जो अशोभनीय हैं। अगर आप ८ तारीख का अखबार पढ़ें तो मालूम होगा कि राजभवन में केवल दावत ही नहीं हुई थी बल्कि ३ तारीख को राज्यपाल और श्रीमती राज्यपाल एक आयोजन में, जहां गाने-बजाने की व्यवस्था की गई थी, हिस्सा लेने के लिये गये थे। मान लीजिये, यह सब होता ही रहता है, लेकिन अखबार में और ढिंढोरा पिटवाने से क्या फायदा। किसी के घर में मातम हो और दूसरा जश्न मना रहा हो। यह भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परम्परा के विरुद्ध है। यह गलत तरीका है, आप परवाह न कीजिये, लेकिन मैं कहता हूं कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विपरीत है। हमारे यहां तो यहां तक होता है कि यदि गांव के एक के यहां कोई मर जाता तो दूसरा भी मातम मनाता है। इसलिये मैं कहता हूं कि जो कुछ प्रशंसा की बात आप कहते हैं वह प्रशंसा की बात नहीं है और वास्तव में वह दुख करने की बात है और हमें चाहिये कि भविष्य में ऐसी घटना न हो और इसकी जांच की जाय। साथ ही साथ माननीय राज्यपाल जी ने कहा है कि इस प्रदेश के अन्दर सामान्य व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए सर्वतोन्मुखी उन्नति हुई है, और इसके लिए आपने आशा प्रकट की है कि सब को संतोष होगा। मैं चाहता हूं कि ज़रा इस पर विचार किया जाय। आज हमारे सूबे के अन्दर वास्तव में क्या चीज़ हो रही है। बेकारी हमारे सूबे में बढ़ रही है। हमारी जनता की क्रयशक्ति घट रही है। गन्ना उत्पादकों की हड़ताल चल रही है। बनारस के अन्दर काटन मिल के मज़दूरों में हाहाकार मचा हुआ है। कानपुर के अन्दर काकोमी मिल बन्द हो गई है। देहातों के किसान इस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपने आबपाशी की दर बढ़ा दी है। अध्यापकों को अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि कानपुर के अध्यापकों को चार महीने की तनख्वाह अब तक नहीं मिली है। आप मज़दूरों की दशा को देखिए, किसानों की दशा को देखिए, मध्यम वर्ग की दशा को देखिए। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप कहते हैं सबको संतोष है। मैं तो कहता हूं कि सूबे की दशा खराब होती जा रही है। हां, आप को संतोष हो सकता है क्योंकि आपका दृष्टिकोण दूसरा है, आप की दशा दूसरी तरह की है। परन्तु जनता को संतोष नहीं है क्योंकि वह भयावह स्थिति से गुज़र रही है। आप जगह जगह दफा १४४ लगा कर बाढ़ को रोक रहे हैं। कानपुर में शायद साल में ग्यारह महीने से ज्यादा दफा १४४ लगी रहती है। आप के अधिकारी आपको इत्तिला ठीक नहीं देते। मैं तो इस भवन में हमेशा कहा करता हूं कि आप के अधिकारी गलत इत्तिला देते हैं, परन्तु आप विश्वास नहीं करते। लेकिन आज तो मुख्य मंत्री डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि कुम्भ के मेले में ४०० आदमी शहीद हो गए उसकी इत्तिला हमको नहीं मिली। इसी लिए मैं कहता हूं कि राज्यपाल ने जो सूबे की दशा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं उसका अध्ययन उन्होंने नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। खैर, जो कुछ है वह तो है ही।

माननीय राज्यपाल जी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि भगवान शक्ति प्रदान करें। मैं यह कह सकता हूं कि ईश्वर हमारे राज्यपाल जी को सद्बुद्धि दे जिससे वह आयन्दा सद्बुद्धि से काम करें। या तो ईश्वर राज्यपाल जी को सद्बुद्धि दे या मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा राज्यपाल आकर इस जगह को सशोभित करे।

चेयरमैन--आर्डर, आर्डर।

महाराजकुमार डाक्टर विजय आफ विजयानगरम (नाम निर्देशित)--Mr. Chairman, Sir, I would like to congratulate the Governor on his very well written address—the second one of his term of office. There have been many references to the great tragedy of Kumbh, at the Kumbh Mela. I, for one, am very glad to know that a Committee has been appointed for the purpose of going into this. But if this Committee

[महाराज कुमार डाक्टर विजय आफ विजयानगरम]
has been appointed for the purpose of washing dirty linen in public it would indeed make things much worse. I do hope that the terms of reference given to the Committee are that they should try to find out and advise our Government as to what they should do on future occasions. But if on the contrary if they try to probe into matters and bring forth a report damaging to this Government it will be adding insult to injury because I think Government did all that was possible to cope with a situation that was unimaginable. Forty lakhs of people in a small area, you know what it is. It was an unprecedented thing that had occurred in the Kumbh Mela. Can you imagine forty lakhs of people going and collecting together in a small area and if a tragedy like that had happened I would only call it an act of God and not due to mishandling of human beings. After all no one expected such a congregation and the things that happened were of a nature that no man could possibly cope with. So, if the committee is going to sit and is going to probe into the matter and bring out a report damaging and saying that the police were not there or they were not doing their best I think it would do very great harm instead of good. If, on the contrary they suggest ways and means by which in the years to come we should have a better scheme of management it shall be to our benefit and that would be useful but no earthly purpose would be served if they go in and wash dirty linen.

In the Governor's address, Sir, in a Welfare State, I would like to see him also take up the question of encouraging sports. I am sorry that this item is missing and I would very much like to see in future that something is done to encourage physical fitness and also to waive entertainment tax. Entertainment Tax, Sir, is a good thing so far as Cinemas, Theatres and all such other things are concerned. But Entertainment Tax should not be levied where there is sport which encourages physical fitness, which makes one mentally alert. It makes one get up in the morning physically fit and ready to attend to daily work. These are things that should be encouraged. I wish that they had formed part of the Governor's address.

There is reference to the Police who have done admirable work in bringing forth many improvements in rounding up of dacoits. I would like to say that the position of the police in the present set up is that of *Dhobi-ka-kutta.* That position is unfortunate. He works under very difficult circumstances. He has to play his role between the public and the Government. I offer my congratulations to them for the job that they have done when the riots took place here in November and in tackling the dacoits and the way they have rounded them up.

There is reference to prisoners and the good thing that they have done. I think that is a very healthly improvement and I hope that the progress that has been made will be kept up.

There is also reference to the Rihand Dam in the Governor's address. If I may be permitted to say I will submit that the eastern districts have received step-motherly treatment from the Government.

Many of the projects that have already been put through mostly belong to the western districts. The Rihand Dam is, at present, what you call a sort of white elephant because even after spending 80 or 90 lakhs of rupees on that Dam no progress has been made at all. So in saying that eastern districts have received step-motherly treatment from Government I am justified.

Refugee problem is another item in the Rajyapal's address. This has been tackled to some extent but I think still there is scope for improvement. There are thousands and lakhs of refugees still homeless and I am sure that with the able guidance of our Rajyapal and his Cabinet we should soon find that every refugee will have a roof to live under.

I will not take more than another minute of the House, as I know there are many members who would like to speak on the Governor's address. I would come to the harm done by malaria. Malaria has been tackled to some extent. But in Lucknow we find that the malaria pest and the mosquito pest is ever on the increase and it would be a good idea if our Government would tackle that problem and some DDT were spread over the city of Lucknow, because I really think this is a great menace.

With these few observation, Sir, I would like to join in the prayer of the Rajyapal that may all prosperity attend us in this State of Uttar Pradesh.

*प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष जी, कुम्भ की दुर्घटना के बाद कुम्भ की सुव्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ कहना गलत सी बात होगी। जांच कमेटी ही यह बता सकती है कि इतना प्रबन्ध करने के बाद भी व्यवस्था में क्या गलतियां रह गईं, जिन गलतियों की वजह से हमारे देश के इतने नागरिकों को इतना कष्ट उठाना पड़ा, अपनी जान की भी आहुति देनी पड़ी। व्यवस्था की कमियों के सम्बन्ध में कुछ न कह कर दो-तीन बातों की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना निहायत जरूरी समझता हूं। मुख्य मंत्री जी का यह कहना है कि उन्हें उस घटना का पता सात-आठ घन्टे के बाद चला, मैंने जब यह बात अखबारों में पढ़ी तो अचरज में रह गया। यदि मध्य प्रदेश या पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्रियों को इस घटना का पता देर में चलता तो आश्चर्य की बात न होती, पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, जिनका यह कर्त्तव्य था कि वह वहां सुव्यवस्था कायम रखते, उन्हें दुर्घटना का पता आठ घन्टे के बाद चले इससे अधिक दुर्व्यवस्था का और क्या प्रमाण हो सकता है। इस बात ने एक अजीब विकट परिस्थिति पैदा कर दी। मुख्य मंत्री का यह कर्त्तव्य था कि वह राज्यपाल को इस बात का मशविरा देते कि इस दुर्घटना के बाद टी पार्टी की योजना को खत्म कर दिया जाय, परन्तु चूंकि मुख्य मंत्रीको इस दुर्घटना का पताही नहीं था, इसलिये उन्होंने राज्यपाल के प्रति जो उनका कर्त्तव्य था उसका पालन नहीं किया और इसीलिये आज देश के जितने प्रमुख अधिकारी और नेता लोग उस पार्टी में मौजूद थे उन्हें जनता के सामने शरमिन्दा होना पड़ रहा है और अखबार पुरानी बातें दोहराते हैं कि जिस समय रोम जल रहा था उस समय नीरो नाच रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति कभी भी अपने सम्बन्ध में यह बातें कहलाना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि मुख्य मंत्रीने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया और राज्यपाल को मशविरा ठीक समय पर नहीं दिया इसी कारण आज हम सबको शर्मिन्दा होना पड़ रहा है। मुझे इस सम्बन्ध में एक बात साधु और नागाओं के बारे में भी कहनी है। नागा और साधु कुम्भ के अवसर पर जाते हैं और वह सदा ही कुछ न कुछ समस्या पैदा कर दिया करते हैं। इस समय भी उन्होंने समस्या पैदा की। सरकार के लिये उस बात के प्रबन्ध करने में जरा हम कठिनाई पाते हैं क्योंकि जनमत का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल]

कुम्भ के अवसर पर वह भी अपने धार्मिक कर्त्तव्यों का पालन करना चाहते हैं और उनके लिये भी यह जरूरी है कि वह साधुओं और नागाओं के संबंध में अपने विचारों और अपनी श्रद्धा में कुछ तब्दीली करें और सरकार को इस बात का मौका दें कि साधुओं और नागाओं के स्नान के संबन्ध में वह इस प्रकार के नियम बना सके कि जिन नियमों के द्वारा जनता की पूरी पूरी रक्षा हो सके। अखबारों के पढ़ने से तो इस बात की भी शिकायत दिखाई देती है कि कुछ प्रतिष्ठित पुरुष वहां पहुंच गये और हमारे कर्मचारियों ने जरूरत से ज्यादा उनकी रक्षा की ओर ध्यान दिया, उनकी सुविधा की ओर ध्यान दिया और जनता की सुविधा की ओर ध्यान नहीं दिया, परन्तु मैं उन प्रतिष्ठित पुरुषों को दोषी नहीं ठहराता। उनका भी कर्त्तव्य है कि जहां जनता हो वहां वह जायें और उनके लिये कुछ समय यह आवश्यक भी होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने कर्मचारियों को इस बात के लिये आगाह करे कि व्यवस्था के समय केवल दो चार बड़े आदमियों की ओर ही ध्यान न रक्खा जाय। जनता के हितों की तथा जनता की जान की रक्षा का ध्यान उससे कहीं ज्यादा जरूरी है।

सवाल केवल इस कुंभ का ही नहीं है बल्कि यह एक व्यापक सवाल है। इस देश के अंदर जहां किसी जनसमूह में दो-चार आदमी पहुंच गये, सारे दूसरे कर्मचारी उनकी तरफ चल जाते हैं और सब प्रबंध बिगड़ जाता है, यह मनोवृत्ति जो हमारे कर्मचारियों में पायी जाती है उस मनोवृत्ति को दूर करना हमारे लिये निहायत जरूरी है।

इस संबोधन में आंतरिक शान्ति का काफी ढोल पीटा गया है, लेकिन गांवों के रहने वाले जितने लोगों से मैं संपर्क में आया हूं वह सब इस बात की शिकायत करते हैं कि आज गांवों में जान-माल की उतनी रक्षा भी नहीं होती जितनी की पहले होती थी। डकैतियां, धांधलियां, मारकाट बढ़ती चली जा रही है और इस बात की शिकायत है कि उसकी पूरी पूरी रिपोर्ट भी पुलिस के अफसर नहीं लिखते ताकि वह सरकार को बता सकें कि देश में बदअमनी बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं कि आंखें मूंद लेने से काम नहीं चलेगा, वास्तविकता को हमें देखना होगा। यदि हम वास्तव में इस देश में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो हमें और सब काम करने के साथ-साथ अपनी ग्रामीण जनता की जान और माल की रक्षा भी आज जिस तरह से हो रही है उससे कहीं अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। राज्यपाल जी ने अपने संबोधन में कहा है कि जनता इस कार्य में सरकार का साथ देने के लिये तैयार है। यह बड़ी खुशी की बात है। जनता की इस भावना से हमें पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिये।

संबोधन को पढ़ने से इस बात का पता चलता है कि सरकार को इस बात का तो ज्ञान है कि इस देश में बेकारी बढ़ रही है। शिक्षित भी बेकार हैं और मजदूरों में भी अधिक से अधिक मुसीबत बढ़ती चली जाती है लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिये सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मजदूरों की मुसीबत के ऊपर तो इस संबोधन में चार आंसू भी बहाये गये हैं, लेकिन शिक्षितों की बेकारी के संबंध में तो चार आंसू भी बहाये इसमें दिखाई नहीं देते। आप बड़ी-बड़ी योजनायें भले ही बना लें, लेकिन वह योजनायें आपकी निरर्थक हैं, आपके निर्माण कार्य निरर्थक हैं अगर उनसे देश में मंदी बढ़ती चली जाती है, अगर देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। इस भवन के सामने भी और इस भवन के बाहर भी कई बार यह बात कही जा चुकी है कि यदि, हम देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो हमको बेकारी, वितरण, और पैदावार तीनों की योजनाओं को एक साथ लेना होगा केवल पैदावार की तरफ ध्यान दिया जाय और बेकारी और वितरण की ओर ध्यान न दिया जाय तो इससे देश का कल्याण नहीं होने वाला है। आप कहते हैं कि पैदावार बढ़ रही है। मगर वितरण ठीक नहीं है, मन्दी बढ़ गई है। इसका पता आपको चल सकता है, अगर आप व्यापारियों से पूछें कि उनकी क्या हालत है। आपको बेकारी, वितरण और

सदाचार को साथ-साथ लेना होगा। अगर आप देश में कल्याणकारी राज्य चाहते हैं तो आपको ऐसा एक जनतान्त्रिक कार्य करना होगा कि सारी चीजें कम्पीटीशन पर आश्रित न हों। यदि हम कांग्रेस के मैनीफैस्टों का अध्यन करते हैं, तो उसमें कोआपरेशन के ऊपर ध्यान दिया गया है, परन्तु यदि हम सरकार के कार्यों को देखते हैं तो हमें उसके विपरीत दिखायी पड़ता है। देश में कोआपरेशन की भावना को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हमें खेती की तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।

सम्बोधन में कहा गया है कि हम न्याय व्यवस्था में तब्दीली कर रहे हैं। यह आश्वासन दिया गया है कि न्याय और शासन विभागों को दो अलग-अलग हिस्सों में बांट देंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स आफ स्टेट पालिसी में एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग अलग किया गया है। कांग्रेस सरकार बहुत दिनों से इसको अलग करने के लिये जुटी हुई है। यू० पी० के एडवोकेट जनरल पंडित कन्हैया लाल मिश्र की अध्यक्षता में जो मीटिंग बनारस में हुई थी उसमें बहुत जोर दिया गया था कि नीचे के जो न्यायालय हों उन पर हाई कोर्ट का पूरा कन्ट्रोल हो, मगर सरकार का कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है।

शिक्षा की भी एक विचित्र हालत है। प्रारम्भिक शिक्षा के लिये यह कहा गया कि पिछले ६ सालों में हमने इतने अधिक स्कूल खोले हैं, मगर यह नहीं बताया गया कि हमने कितने प्रारम्भिक स्कूल खोलने के बजाय बन्द कर दिये हैं। एक बार मैंने डाक्टर प्यारे लाल श्रीवास्तव से पूछा कि शिक्षा इनफिनिटी की तरफ जा रही है या जीरो की तरफ जा रही है मगर अब मुझे पता चलता है कि शिक्षा जीरो से भी नीचे गिर रही है। हमें अफसोस है कि अभी तक इसके लिये कोई कमेटी मुकर्रर नहीं की गयी है। मैं आज देखता हूं कि शिक्षा खेल का केन्द्र बन गया है जिस तरफ चाहते हैं, प्रारम्भिक शिक्षा के साथ खेल रहे हैं। प्रारम्भिक शिक्षा यह नहीं है कि बच्चों को केवल मजदूरी के लिये नागरिक बनाया जाय बल्कि हमको वह शिक्षा देना है कि हमारे बच्चे एक अच्छे नागरिक बन सकें।

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दो कमेटियों की रिपोर्टें छप गयी हैं। केन्द्रीय सरकार ने मुदालियर कमेटी मुकर्रर की और हमारी सरकार ने नरेन्द्र देव कमेटी मुकर्रर की थी। दोनों रिपोर्ट्स छप गयी है। अब वक्त है कि हम इन दोनों के मशविरों पर अच्छी तरह से गौर करें और एक अच्छा प्रबन्ध सेकेन्डरी स्कूलस में कर दें। इस सम्बोधन में एक बात का जिक्र बहुत आया है और वह यह है कि हम सेकेन्डरी स्कूलों को मल्टी-पर्पज स्कूलों में तब्दील करने जा रहे हैं और बाकी सिफारिशों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि सरकार एक ही बात पर डटी रही और दूसरी बातों की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया तो यह सरकार देश के अन्दर माध्यमिक शिक्षा को अच्छा नहीं कर सकती। नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि इस समय जितने सकन्डरी स्कूल्स हैं उनमें से अधिक सेकेण्डरी स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स चला रहे हैं और इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्यूनिसिपल बोर्ड्स की सेकेन्डरी स्कूलों में ३०,३५ प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। लेकिन हम सुन रहे हैं कि सरकार ने आदेश दे दिये हैं कि जून सन् १९५४ से इन स्कूल्स को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? एक कलम से आप ५० प्रतिशत शिक्षा को खत्म करते हैं और फिर इसके बाद यह दावा किया जाता है कि हमारी शिक्षा गतिवादी है और हम कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने से यह भी पता चलता है कि सरकार ने जो बैटर मैनेजमेंट कमेटी बनायी थी उसकी सिफारिशों के अनुसार सरकार ने जो आदेश सेकेन्डरी स्कूलों के मैनेजर्स को पालन के लिये दिये थे उनका पालन वे मैनेजर्स ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुःख की बात क्या हो सकती है। अगर हम माध्यमिक शिक्षा को ठीक करना चाहते हैं तो हमारे लिये यह जरूरी है कि हम यह निश्चय करें कि हम आर्ट्स और साइन्स को को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे विद्यार्थियों में जनतान्त्रिक नागरिकता का

[प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल]

ज्ञान पैदा हो ताकि वे सच्चे नागरिक के कर्तव्य का पालन कर सकें। जब हम उन्हें आर्टस और क्रैफ्टस की तालीम देते हैं तो उस समय इस बात का ध्यान रखें कि क्या हम अपने विद्यार्थियों को जनतान्त्रिक नागरिकता की शिक्षा दे रहे हैं और मानवता के जो सामान्य पाठ हैं उनको पढ़ा रहे हैं या नहीं।

इस बात की अधिक आवश्यकता है कि मैनेजिंग कमेटियों में अध्यापकों को भी रखा जाय। कम से कम एक कमेटी में तीन या चार अध्यापक जरूर होने चाहिए और जब हम सकन्डरी स्कूलों में कहीं नियुक्ति करते हैं तो टीचर्स की जो नियुक्ति हो वह एक सेलेक्शन कमेटी के जरिये हो और उस कमेटी में शिक्षा को जानने वाले व्यक्ति हों। इस बात की भी जरूरत है कि बेटर मैनेजमेंट कमेटी ने जो नियम बनाये हैं ट्यूशन और टाइम के बारे में, उन तमाम नियमों का सरकार पालन करवाये। एजुकेशन कोड के जरिये से यह निश्चय किया जाय कि अध्यापकों को क्या वेतन मिलेगा और इस वेतन को देने के लिये मैनेजिंग कमेटियों को बाध्य किया जाय। जब तक हम यह करने के लिये तैयार नहीं हैं तब तक हम माध्यमिक शिक्षा को ऊंचा नहीं उठा सकते। मैं जानता हूं कि आज सेकन्डरी स्कूलों के पास काफी रुपया नहीं है कि वे इन तमाम बातों को कर सकें। इसलिये सरकार का यह कर्तव्य है कि वह माध्यमिक शिक्षा का ठीक प्रबन्ध करने के लिये और माध्यमिक शिक्षा को सुचारुरूप से चलाने के लिये सेकेन्डरी स्कूलों को उचित सहायता भी दें। जब तक हम यह सब बातें नहीं करेंगे तब तक माध्यमिक शिक्षा को ठीक नहीं कर सकेंगे और जब तक माध्यमिक शिक्षा को ठीक नहीं कर सकेंगे तब तक यूनिवर्सिटी शिक्षा को भी ठीक नहीं कर सकेंगे। योजना कमीशन ने भी कहा है कि इस माध्यमिक शिक्षा के द्वारा हमें ग्रामीण जनता में एक जनतान्त्रिक नेतृत्व पैदा करना है। हम जब तक माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं करते तब तक इस कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते। इस कर्तव्य के पालन के लिये यह जरूरी है कि हम माध्यमिक शिक्षा की ओर पूरा-पूरा ध्यान दें।

***डाक्टर ईश्वरी प्रसाद** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर अब तक काफी विवाद हो चुका है और मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैंने राज्यपाल महोदय का सम्बोधन बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ पढ़ा, लेकिन मुझे यह सम्बोधन पिछले सम्बोधन से दुर्बल मालूम हुआ। हमारे राज्यपाल महोदय, एक उच्च कोटि के कलाकार, उपन्यासकार, इतिहास और कानून के बहुत बड़े पंडित हैं। वह शब्दों के सही चमत्कार को समझते हैं जिसके अन्दर एक ग्रेस और ब्यूटी छिपी होती है। सम्बोधन के प्रति मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें उस योजना का कहीं भी वर्णन नहीं है जिस पर हमारे देश की स्त्रियों और पुरुषों का भविष्य निर्भर है, वह योजना इस भाषण में नहीं है। अगर यह योजना इसमें होती तो हम समझते कि राज्यपाल महोदय उस गम्भीर और दुखद परिस्थिति से प्रभावित हैं जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं। सम्बोधन के देखने से ऐसा मालूम होता है कि शासन के किसी सेक्रेटरी ने तैयार किया है, मैं आशा करता हूं कि भविष्य में यह खराबी दूर हो जायगी।

सम्बोधन में जो बातें कही गयी हैं उसमें कुम्भ मेले की भी एक दुर्घटना है। जैसा कि हमारे मित्र प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी ने कहा कि इस दुर्घटना से हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को हार्दिक पीड़ा है। जिन व्यक्तियों ने इस दुर्घटना को अपनी आंखों से देखा है और विशेष कर प्रयाग निवासी जानते हैं कि इससे लोगों को कितना दुख हुआ है। महाराजकुमार विजयनगरम् साहब ने कहा कि वह तो ऐक्ट आफ गाड है।

(इस समय १२ बजकर ४८ मिनट पर डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मैं समझता हूं कि शासन के लिये यह बात उचित नहीं है। सरकार के लिये यह बात शोभा नहीं देती कि इस प्रकार की एक महान दुर्घटना हो जाय जिसमें हजारों मनुष्यों के प्राण चले जायं, उसको एक्ट आफ गाड समझा जाय। चंगेज खां अपने को स्टार आफ गाड कहता था, लेकिन इतिहास इस बात को नहीं मानता है। मैं समझता हूं कि सरकार के लिये यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। शासन में किसी प्रकार की गलती जरूर थी जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। इसमें जो गलती थी उसका मैं इस समय वर्णन नहीं करना चाहता हूं। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेले का एडवरटाईजमेंट बहुत किया गया और बार-बार समाचार पत्रों में यह लिखा गया कि ५०-६० लाख व्यक्ति इस मेले में इक्ट्ठे होंगे, तो इससे यह मालूम होता है कि कर्मचारियों को इस बात का अनुमान था कि इतने व्यक्ति आयेंगे। जब उन लोगों को इस बात का अनुमान था कि इतने व्यक्ति आयेंगे तो उनका ट्राफिक कन्ट्रोल इस प्रकार का होना चाहिए था जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न होती। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और बहुत अदब के साथ सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां की व्यवस्था में कमी जरूर थी। प्रयाग टाउन बार एसोसियेशन ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था और राज्यपाल महोदय को शाम के वक्त पार्टी नहीं देनी चाहिए थी। यह सब बातें ऐसी हैं जो कि रोक दी जा सकती थीं। आज हमारा राज्य रिपब्लिक है उसमें वेरी इम्पार्टेन्ट परसन का लेबिल किसी के माथे पर लगाना जरूरी नहीं है, इस राज्य में प्रत्येक मनुष्य अपनी जगह पर इम्पार्टेन्ट है।

(इस समय १२ बजकर ५० मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

आज अध्यापक अपनी जगह पर इम्पार्टेन्ट हैं, एक किसान अपने स्थान पर म्पार्टेन्ट है, हर एक जो इस देश का नागरिक है वह अपने स्थान पर अपना महत्व रखता है, इसलिये इस तरह का एक खास फर्क कर देना मैं समझता हूं कि अनुचित है। इसके अलावा यह भी हुआ कि जिस समय यह दुर्घटना हुई, उस समय वहां पर पुलिस बहुत ही कम मौजूद थी। मैं अपने घर पर था और दस बजे ही मुझे मालूम हो गया कि इस तरह की दुर्घटना हुई है। मैं फौरन घर छोड़कर दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। मुझे मृत व्यक्तियों की लाशें तो नहीं दिखायी दीं, परन्तु अधिक ढेरों में कपड़े, जूते, होल्डाल्स और बर्तन दिखायी दिये और एक आध पुलिसमैन वहां दिखायी दे रहा था। इसके अलावा मैंने यह भी सुना है कि जहां पर प्रतिष्ठित व्यक्ति स्नान करने गये हुए थे सारी पुलिस वहां पर एकत्रित थी और जनता की तरफ से उन्होंने अपना ध्यान हटा लिया। कुछ भी हुआ हो, परन्तु यह सब बातें अब जांच कमेटी के सम्मुख रखी गयी हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि जांच कमेटी दोनों ही बातों की जांच करेगी। महाराज कुमार साहब ने अपने भाषण में यह फरमाया कि यह कहना कि सरकार की और सरकारी कर्मचारियों की गलती थी, इससे कोई लाभ न होगा और अब कमेटी जांच के लिये बिठायी गई है और वह इस बात को बतलायेगी कि किसकी गलती थी और किस तरह से यह दुर्घटना हुई है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि भविष्य के लिये उपायों को सोचा जाय कि ऐसे अवसरों पर इस प्रकार की दुर्घटनायें न होने पायें। लेकिन जांच कमेटी के बारे में आपको मालूम होगा कि जनता की क्या विचारधारा है, जनता उस जांच कमेटी से सन्तुष्ट नहीं है और मैं सरकार से अब भी प्रार्थना करूंगा कि जनता को सन्तुष्ट करने के लिये इस जांच कमेटी में वह किसी गैर सरकारी सदस्य को भी नियुक्ति करे और यह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसकी सच्चाई और ईमानदारी के विषय में किसी को भी सन्देह नहीं है, इस कमेटी में नियुक्त किया जाय और किसी किसी समाचार-पत्र में तो पंडित हृदय नाथ कुंजरू का नाम भी रखा गया है। अब विशेष व्यक्ति कौन है, यह तो मैं हीं कह सकता, गवर्नमेंट स्वयं ही इस के ऊपर निर्णय करेगी, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि सरकार इसके सम्बन्ध में, कुछ करे क्योंकि अब भी काफी समय है और वह इस बात की घोषणा करे कि दो या एक सम्मानित

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

व्यक्ति, जो गैर सरकारी हों, उनको इस कमेटी में रक्खा जाय जिससे कि जांच सफल हो सके। इसके अतिरिक्त जो कमेटी के सेक्रेटरी का ऐलान निकला है उसमें उन्होंने कहा है कि लोग अपना वर्णन इस घटना के सम्बन्ध में दें और वह दस दिन के अन्दर पहुंच जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उनको बुलाया भी जायगा। कुम्भ का मेला एक भारतीय मेला है, उसमें मद्रास, तीतीकोरन, बम्बई और दूर दूर के लोग आये हैं तो यह किस तरह से सम्भव हो सकता है कि दस दिन के अन्दर वह घटना वर्णन भेज सकें। बहुत से सम्मानित व्यक्ति ऐसे हैं जोकि घटना स्थल पर उपस्थित थे, तो उन्हें भी अपनी गवाही देनी चाहिए और उनके आने जाने के लिये खर्चा भी सरकार को देना चाहिए। श्री हाफिज जी ने इसके लिये अपनी समवेदना प्रकट की है और मैं उनकी बात का हृदय से समर्थन करता हूं और इसमें मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि इस सदन की ओर से उन लोगों के पास संवेदना भेजी जाय।

कुम्भ मेले पर राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में अनेक बातें हैं और जहां उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वहां राज्यपाल महोदय ने सरकार के कार्यों का भी वर्णन किया है और इसमें सन्देह नहीं कि बहुत सी बातें जो उन्होंने कही हैं वे जनता के लिए लाभकारी हैं। उन्होंने जैसे कई बातें बतलाई हैं, भूदान यज्ञ के सम्बन्ध में, गन्ने के सम्बन्ध में, पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने की चेष्टा के सम्बन्ध में, कृषि, उद्योग, शिक्षा इत्यादि के सम्बन्ध में भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। मैं समझता हूं कि ये सब बातें जनता के लिये सन्तोषजनक होंगी, परन्तु सम्बोधन में जो चित्र खींचा गया है वह मुझे अतिरंजित प्रतीत होता है और जैसा कि मेरे किसी एक मित्र ने कहा कि जो आश्वासन दिये गये हैं वे सभी ठीक हैं और उनमें कोई त्रुटियां नहीं हैं, ऐसा नहीं है। जो त्रुटियां हैं, मैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

यूनिवर्सिटी एजूकेशन की इसमें चर्चा है। आगरा यूनिवर्सिटी बिल पास किया गया है, मगर हमें अपने शिक्षा के स्तर को हर साल बढ़ाना है और हमको यह भी आशा है कि सरकार विश्वविद्यालयों के मामले में ढिलाई नहीं करेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में मूथम कमेटी की रिपोर्ट सन् १९५३ में प्रकाशित हुई और अब तक एक कानून गवर्नमेंट को उसके लिये ले आना चाहिए था, मगर वह नहीं लाई। वह इसके लिये एक बिल शीघ्र ही लाये और उसको दोनों सदनों में प्रस्तुत करे और मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें शीघ्र ही विचार करना चाहिए। इस बिल के लिये अब देर नहीं होनी चाहिए और इस पर शीघ्र ही विचार होना चाहिये। इसमें देर करना ठीक नहीं है क्योंकि इससे शिक्षा का हर्ज होगा और शिक्षा के सुधार के लिये यह आवश्यक है कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र यह बिल सदनों के समक्ष लाये।

प्राइमरी और सेकेन्डरी शिक्षा के सम्बन्ध में, मेरे मित्र प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी ने बहुत कुछ कहा है। जो योजना इस समय सरकार के सामने चल रही है उसके लिये मैं समझता हूं कि ठीक तरह से विचार होना चाहिए। प्राइमरी शिक्षा के लिये स्कूलों में ५ बीघे जमीन में ३ घंटे रोज काम की व्यवस्था भी रखी गयी है। मैं के सामने तीव्र आलोचना तो नहीं करूंगा, परन्तु यह जरूर कहूंगा कि जो योजना शिक्षा म्बन्ध में गवर्नमेंट ने रखी है तो उसको यह अच्छी तरह से देखना चाहिए कि वह ठीक से कार्यान्वित होती है या नहीं। इसको हमें पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए। र मुकुट बिहारी लाल ने भी कहा है कि सरकार ने प्राइमरी शिक्षा के लिये कोई मेटी नियुक्त नहीं की है। सरकार को प्राइमरी शिक्षा के लिये भी एक कमेटी या त करनी चाहिए और इसको भी उन्हें काफी महत्व देना चाहिए। इसी तरह से गों को भी यह प्रयत्न करना चाहिए कि सरकार की शिक्षा योजना सफल हो। बिना री एज्यूकेशन की उन्नति के हायर एज्यूकेशन में उन्नति नहीं हो सकती क्योंकि री एज्यूकेशन ही हायर एज्यूकेशन में जाने के लिये एक सीढ़ी है।

अगर आपकी प्राइमरी और सेकेन्डरी एजूकेशन खराब होती है तो यूनिवर्सिटी एजूकेशन ठीक नहीं हो सकती है। आप समझ लीजिए अगर यूनिवर्सिटी की शिक्षा खराब होती है तो सारा शासन खराब हो जायगा। मैं बराबर देखता हूं और बहैसियत परीक्षक के कहना चाहता हूं कि आपकी सर्विसेज का स्तर बराबर नीचे होता जायेगा। अगर शिक्षा का प्रबन्ध समुचित नहीं किया गया तो सर्विसेज की हालत और खराब होती जायगी। आजकल जो प्रबन्ध हो रहा है वह सन्तोषजनक नहीं है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

राज्यपाल के सम्बोधन में ला एन्ड आर्डर के बारे में सन्तोष प्रकट किया गया है। आगरा जिले में जहां का मैं रहने वाला हूं वहां की हालत आप देखिए, रोज डकैतियां होती हैं, कत्ल होते हैं, चोरी होती है और जान माल की रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। देहातों में तो अराजकता फैली हुई है, जिस गांव में आप जायं आप देखेंगे कि जो वहां पर शैतान आदमी होगा उसी का राज्य है और वह जो चाहता है करता है। अभी आपने सुना होगा कि डाक्टर हुक्कू लखनऊ के थे उनका कत्ल हो गया। अभी लखीमपुर खीरी में बैन्क में १ लाख ९० हजार लूट लिये गये। यह सुरक्षा का प्रबन्ध है, इसको कोई उचित नहीं कह सकता। इस प्रकार की बातें हमको रोकनी हैं। सिर्फ दमन से काम नहीं चलेगा। हमको लोगों की मनोवृत्ति बदलना है। लोगों के मन में कानून के प्रति आदर उत्पन्न करना है।

न्याय व्यवस्था के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है। मैं आशा करता हूं कि जो सुधार होने वाले हैं वह ऐसे हैं जिनसे स्वतन्त्रता की रक्षा होगी। सुना है कि बिल का राइट छीन लिया जायगा। मेरा विश्वास है कि उस पर हमारी स्वतन्त्रता निर्भर है। उसको छीन लेने से देश का कल्याण कैसे होगा। प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी ने कहा कि सेपरेशन आफ एक्जीक्यूटिव एन्ड जूडीशियरी जरूरी है। सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए।

ग्रेजुएट में अनइम्पलायमेंट की समस्या है, सरकार उससे अनभिज्ञ नहीं है। सरकार को उसका भी प्रबन्ध करना चाहिए। अचल सम्पत्ति के बारे में कुछ किया जा रहा है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि पुलिस राज्य के बजाय कल्याणकारी राज्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं कह सकता है। बेरोजगारी की समस्या है, न्याय व्यवस्था की आवश्यकता है, जनता का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। अब इस बात की आवश्यकता है कि मन्त्रिमंडल इस बात पर विचार करे और ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाय जिससे समानता और सादगी पैदा हो, जिससे गण राज्य सफल हो और जो सहयोग हम लोग दे सकते हैं उसके लिये हम लोग सदैव तैयार रहेंगे।

चेयरमैन—कौंसिल २ बजकर ५ मिनट के लिये स्थगित की गयी।

(कौंसिल १ बजकर ४ मिनट पर स्थगित हो गयी और २ बजकर ८ मिनट पर डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं भी उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव पर इस भवन में जो वाद-विवाद हुआ, वह उस दुर्घटना की शुरुआत से हुआ जो इलाहाबाद में कुम्भ के मेले पर हुई। राज्यपाल महोदय ने भी अपने सम्बोधन में आरम्भ में उसी दुर्घटना का उल्लेख किया। इस सदन में मैंने उस कुम्भ दुर्घटना के सम्बन्ध में बड़े ध्यान-पूर्वक वाद-विवाद सुना। जिस दिन यह दुर्घटना हुई थी, खुशकिस्मती से कहिए या बद-किस्मती से उस दिन मैं भी कुम्भ में मौजूद था। बहुत से माननीय सदस्यों ने उस दुर्घटना का कारण सरकार की बदइन्तजामी बताया है और बहुत सी दूसरी बातें बतलाई

[श्री प्रतापचन्द्र आजाद]

गई हैं। मैंने डाक्टर ईश्वरी प्रसाद और प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल के भाषण सुना। उन्होंने उस दुर्घटना की सारी जिम्मेदारी सरकार पर थोपी है और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की है कि यदि सरकार की ओर से कोई कमी न होती तो इस प्रकार की दुर्घटना कभी न होती। यही इसका मूल कारण बताया गया है। जहां तक प्रबन्ध का सम्बन्ध है, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने स्वयं इलाहाबाद के लोगों को प्रशंसा करते हुये सुना। उन लोगों का कहना यह था कि इलाहाबाद की तारीख में आजतक किसी भी कुम्भ के मेले में इतना अच्छा और इतना ठीक प्रबन्ध नहीं हुआ। उनका यह कहना था कि इस मर्तबा कुम्भ के मेले में जितना अच्छा प्रबन्ध सफाई का है और दूसरी चीजों का है उतना अच्छा प्रबन्ध किसी कुम्भ पर नहीं हुआ था। एक ही स्थान पर ४ या ५ पुल आर्जी तौर पर बनाए गये थे। इस प्रकार के पुल इससे पहले जितने भी कुम्भ के मेले हुये थे, उनमें किसी में भी शायद एक भी पुल नहीं बना था। इस प्रकार से जहां तक सफाई का सम्बन्ध था और स्वास्थ्य का सम्बन्ध था, वहां के लोगों को मैंने कहते सुना कि सड़कों पर कदम कदम पर पेशाब घर बनाये गये हैं। इनका इतने बड़े पैमाने पर कभी भी प्रबन्ध नहीं हुआ था। जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जाता है, खास तौर से मिलिट्री के प्रबन्ध को मैंने देखा। पुल पर मैंने देखा कि मिलिट्री के सिपाही अपनी वर्दी को उतार कर लोगों से कहते थे कि ज्यादा लोग पुल पर से न गुजरें। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि बदइन्तजामी क्या थी। अगर उसके अन्दर अच्छा इन्तजाम होना चाहिए था तो क्या होना चाहिए था। एक बात अवश्य थी कि जो दुर्घटना का कारण था, जिसके सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता था कि भवन के सदस्यों और सरकार दोनों को ध्यान देना चाहिए। मैं दुर्घटना का मूल कारण समझता हूं कुम्भ के अन्दर साधुओं और नागाओं का जमघट। दुर्घटना उस समय हुई जब कि नागाओं और साधुओं का जलूस पुल पर से गुजरने वाला था। पांच छः हजार नागाओं का एक जलूस पुल पर से गुजरने वाला था इसलिये जो लोग पुल पर से गुजरते थे उन लोगों को रोक दिया गया ताकि जलूस निकल जाये, लेकिन इससे जनता का जमाव बढ़ गया। अगर वहां के प्रबन्ध करने वाले चलते हुये लोगों को न रोकते तो सारी भीड़ पार हो जाती, लेकिन रोकने से हजारों लोग पुल के एक तरफ जमा हो गये। जिस समय हजारों लोगों की भीड़ आगे बढ़ी तो उसके लिये रास्ता न था। जलूस के साथ लोग दबते हुये और कुचलते हुये चले गये। एक बात अखबार में आपने भी और देखी होगी। अखबार में यह था कि जिस समय नागाओं का जलूस और साधुओं का जलूस पुल पर से गुजर रहा था, उस समय हजारों महिलायें और औरतें वहां पर मौजूद थीं। वे उन नागाओं की पैरों की धूल को सर पर लगाना चाहती थीं, जिस समय वे अपने माथे पर धूल लगाने के लिये कोशिश करती थीं उस समय उनके लिये इतना समय नहीं था कि वे झुकने के बाद उठ कर चल सकें। जो औरतें झुकीं वे झुकी ही रह गयीं। जो आदमी उस भीड़ के अन्दर आये वे दब गये। इस दुर्घटना का असल सबब जो था वह यह था कि कुम्भ के अन्दर सारा आधिपत्य जमा रखा था साधुओं और नागाओं ने। उनको चेक करने वाला कोई न था। ऐसा मालूम होता था कि सारा का सारा मेला उनके अधिकार में है। हमारे भारतवर्ष में साधुओं में बड़ी श्रद्धा रही है, लेकिन आज कल के लोग यह नहीं समझते कि जिन लोगों में श्रद्धा रही है उन लोगों का अभाव है, लेकिन आजकल भी उन लोगों पर उनका उतना ही विश्वास है। डाक्टर साहब ने कहा है कि जहां पर वेरी इम्पार्टेन्ट परसन थे, वहीं पर इन्तजाम था, मैं इत्तिफाक नहीं करता हूं। जहां तक वेरी इम्पार्टेन्ट परसन्स का काम था, मैं मानता हूं कि वह वहां पर थे, लेकिन इसके अन्दर कोई बुराई की बात तो दिखायी नहीं पड़ती है। अगर किसी स्टेट का राज्यपाल या देश का प्रधान या प्रधान मन्त्री वहां आता है और उसके कैम्प के सामने वेरी इम्पार्टेन्ट परसन लिख कर लगा दिया जाय, तो मेरी समझ

में इसमें कोई बुराई तो नहीं दिखायी पड़ती है । हां, अगर कोई गैर इम्पार्टेन्ट परसन है और उसके कैम्प में वेरी इम्पार्टेन्ट परसन लिख कर लगा दिया जाता है तो इसमें खराबी हो सकती है । इसलिये मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि वहां पर अगर वेरी इम्पार्टेन्ट परसन्स के कैम्प थे तो उसकी वजह से इन्तजाम में खराबी हुई है । मैंने स्वयं देखा है कि जिस समय हिन्दोस्तान के राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद नहाने आये तो वहां न पुलिस का जमाव था और न ऐसी कोई चीज थी । इसलिये यह कहना कि इस वजह से कोई खराबी हो गयी थी या इन्तजाम में कमी हो गयी थी, यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । जो मूल कारण था वह वही नागा और साधुओं का था ।

दूसरी बात जो राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में है और जो महत्वपूर्ण है वह शिक्षा के सम्बन्ध में है । शिक्षा के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने उन सारी योजनाओं की ओर संकेत किया है । प्राइमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में, और यूनिवर्सिटी के एजूकेसन के सम्बन्ध में प्रोफेसर साहब ने एक बड़ी महत्व पूर्ण बात उठायी है । उन्होंने यह कहा कि शिक्षा के सम्बन्ध में जहां तक राज्यपाल महोदय ने इतना महत्व दिया है, वहां यह अक्सर देखा गया है कि जो मैनेजिंग कमेटियां हैं उनके अन्दर आपाधापी अब भी होती चली जाती है, उनके अन्दर धांधलेबाजी अब भी होती जा रही है और उन मैनेजिंग कमेटियों के अन्दर जो खराबियां हैं, सरकार उनको अभी तक दूर नहीं कर सकी है । यहां पर दो बातें हमारे गौर करने के लिये हैं। एक ओर हम यह कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जो अपना इन्तजाम है उसमें सरकार को कम से कम दखल देना चाहिए । उसके अन्दर जो फ्रीडम है वह बरकरार रहनी चाहिए और दूसरी ओर हम यह भी शिकायत करते हैं कि मैनेजिंग कमेटियों के अन्दर जो खराबियां हैं जैसे कि किसी अध्यापक को बरखास्त कर देना या जिस तरह का बर्ताव करना चाहें उस तरह का बर्ताव करना वह बराबर जारी है और सरकार उसके लिये कोई इलाज नहीं करती है । तो यह दोनों बातें कहां तक एक दूसरे से मिलती हैं। हां, मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, मैंने देखा कि हमारे यहां कालेज में एक इन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर की गयी और उस कमेटी ने ६ महीने बाद अपनी रिपोर्ट दे दी । लेकिन सन् ३९ की रिपोर्ट ५४ तक लागू नहीं हो सकी । जैसे ही रिपोर्ट दी गयी वैसे ही एक मुकदमा हाई कोर्ट में दायर हो गया और हाई कोर्ट ने इन्जेक्शन दे दिया, इसी तरह से दूसरा मुकदमा दायर कर दिया तो इस प्रकार के कानूनी बन्धन हैं ।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--पास नैसेसरी लाज ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस प्रकार से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सरकार करना चाहती है, लेकिन कानूनी दिक्कतों की वजह से, कानूनी रुकावटों की वजह से या कानूनी अड़चनों की वजह से नहीं हो सकती हैं। इसी प्रकार से जहां तक कि प्राइमरी एजूकेशन का सम्बन्ध है और जहां तक कि जूनियर स्कूलों का सम्बन्ध है, मैं यह समझता हूं कि भवन के सभी सदस्य इस बात को मानेंगे कि आज से दो साल पहले जितने प्राइमरी स्कूल थे, आज से दो साल पहले जितने जूनियर स्कूल्स थे वह आज कई गुना ज्यादा हो गये हैं। मुझे खुद अपने जिले की याद है कि जितने प्राइमरी और जूनियर स्कूल सन् ४८ में थे, आज जूनियर स्कूलों की तादाद वहां तिगुनी हो गयी है और प्राइमरी स्कूलों की तादाद ६ गुनी हो गयी है । यह तो हम नहीं कह सकते कि शिक्षा की ओर जो सम्बोधन में संकेत किया गया है, वह वैसा नहीं है । हां, यह हो सकता है कि हम किस प्रकार की शिक्षा से अपने देश को कल्याणकारी बना सकते हैं और किस प्रकार हम उस शिक्षा के ढांचे को बदल सकते हैं । यह तो एक दूसरी ही बात है । मैं तो समझता हूं कि इस भवन के अन्दर पढ़े लिखे सदस्यगण, प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स और योग्य व्यक्ति मौजूद हैं और ज्यादातर स्कूलों का और कालेजों का संचालन इन्हीं के द्वारा होता है । प्राइवेट कालेजों और प्राइवेट स्कूलों में जहां तक उनके प्रबन्ध का सम्बन्ध है वह ज्यादातर कमेटियों के द्वारा होता है। उन कमेटियों में आमतौर पर इस

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

भवन के सदस्य रहते हैं। इसलिये उनको सोचने का पूरा मौका है कि किस प्रकार इस शिक्षा के ढांचे को तब्दील किया जाय और इस प्रकार सरकार के सामने इस सम्बन्ध में सिफारिश करने का और सरकार के सामने इस प्रकार की योजना रखने का प्रयोजन किया जाय।

अन्त में मैं केवल एक बात कहने के बाद अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और वह यह है कि राज्यपाल के सम्बोधन में भूदान यज्ञ की ओर जो संकेत किया गया है, वह एक बड़े सन्तोष और आशा की बात है और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार विनोबा जी ने भूदान यज्ञ के द्वारा भूमि के बटवारे की ओर हमारे प्रदेश और हमारे देश के लोगों का ध्यान आर्कषित किया है, उसी भीति और उसी योजना को अपना कर निकट भविष्य में सरकार भी कोई ऐसा प्लान बनायेगी, कोई ऐसी योजना बनायेगी कि जिससे भूमि का बटवारा ठीक और उचित से उचित ढंग से और सुचारु रूप से होसके।

श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--सम्बोधन में इसका जिक्र नहीं है।

*श्री शिव सुमरन लाल जौहरी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)---उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह वास्तव में धन्यवाद का मुस्तहक है। उन्होंने काफी मेहनत की है और बहुत सी बातें, बहुत सी इन्फार्मेशन्स इकट्ठा करके इस भवन के सामने रक्खी हैं और इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो वाकई में बधाई की पात्र हैं और उन पर जितना गौरव किया जाय कम है। लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वे रस्मीतौर पर रक्खी गयी हैं। कब्ल इसके कि मैं उन बातों पर कुछ कहूं, मैं कुम्भ मेले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुंभ मेले के सिलसिले में बहुत से भाषण हुये और उसमें बहुत से लोगों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाईज किया और उसको बहुत ही गैर जिम्मेदार बतलाया। यह ठीक है कि कुंभ मेले का इन्सीडेन्ट एक कलंक है, लेकिन यह कलंक है हमारी स्त्री जाति के ऊपर, हमारे हिन्दू स्त्री समुदाय के ऊपर जो नागाओं के नग्न दर्शन के लिये पागल हैं। यह हमारी सोसाईटी में सेन्स आफ रिस्पांसिबिलिटी का अभाव है, वह इस बात को सूचित करता है और इस बात को भी सूचित करता है कि हमारे देश का राजनैतिक दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है। हम हर बात को राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि सरकार हो, तब भी, न हो तब भी, सरकार पर कुछ न कुछ आक्षेप जरूर लगा दिया जाय। ४० लाख आदमी जिस मेले में जमा हों, प्रेसीडेंन्ट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर उसमें न जायें या अगर जायें तो साधारण व्यक्ति की तरह छोड़ दिये जायं, ऐसा महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद तो कम से कम हमें नहीं सोचना चाहिये? आप क्या समझते हैं कि मेले में जो दुर्घटना हुई वह इसलिये कि बड़े बड़े लोग जो गये उनकी वजह से यह इन्सीडेन्ट हुआ। नागाओं की वजह से जैसा आजाद साहब ने कहा है, असल में यह बात हुई है। फौजी कन्ट्रोल रखने की जो बात कही गई है वह भी मैं कह सकता हूं कि सही नहीं कही जा सकती कि वह इतने बड़े मजमे को कन्ट्रोल कर लेती। यहां सवाल तो अन्धविश्वास का है और इसको कोई कन्ट्रोल नहीं कर सकता। इसके अलावा कहा जाता है कि नागाओं ने भाले वगैरह तक माताओं को दिखाये हैं, उसके ऊपर भी हमारे यहां की माताओं और बहनों का अन्धविश्वास उनकी पूजा में है। शहरों में भी तो बलवे फसाद होते रहते हैं और बलवे और फसाद के बाद इन्तजाम किया जाता है। आप यहां की बात छोड़ दीजिए। आई० एन० टी० यू० सी० का उद्घाटन पं० जवाहरलाल ने महाराष्ट्र में किया था, वहां एक लाख

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

का मजमा था, महाराष्ट्र के वालेन्टियरों के पास बड़े अच्छे साधन थे, लेकिन तब भी एक लाख आदमियों ने घेरे को तोड़कर, उसके अन्दर प्रवेश कर लिया। यह हमारी सेन्स आफ रेस्पान्सिबिल्टी है। मुझे खेद है कि यहां पर किसी ने यह सजेशन नहीं दिया कि मौजूदा भारतवर्ष में अब नागाओं की जरूरत नहीं है और उन्हें रोकने के लिए एक लेजिस्लेशन पास होना चाहिये।

हमारे देश में अनइम्प्लायमेंट का मसला बहुत अहम है और यह जरूर है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में उसका कुछ संकेत किया है। काटेज इंडस्ट्री की तरफ तवज्जह उसमें दिलाई गई है। दूसरी तरफ यह कहा गया है कि ३,००० टीचर्स हम रख रहे हैं ताकि अनइम्प्लायमेंट दूर हो। हजारों पटवारी बेकार बैठे हैं इसका कोई ध्यान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह से बैलेन्स आफ अनइम्प्लायमेंट लाया जा सकता है कि हमारी सरकार यह कह दे कि १००, ५० लोगों को नौकर रख कर वह बेकारी को सात्म कर सकती है। हमें पहले यह जानना है कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से बेकारी फैली हुई है और किस तरह से यह दूर हो सकती है। जब तक इसका कोई उचित हिसाब न रखा जाय कि साल के शुरू में कितने आदमी अनइम्प्लायड हैं और साल भर में कितने लोगों को सर्विस दी गई तब इसके संबंध में कुछ कहा और माना जा सकता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि केवल कुछ आंकड़े पेश कर देने से अनइम्प्लायमेंट दूर नहीं किया जा सकता है। १,००० में १०० को नौकरी मिल जाने से कोई फायदा न होगा। देखना यह है कि हमारी पैदावार में क्या क्या तब्दीली हो गई है, उसी हिसाब से उसके वितरण में भी तब्दीली होनी चाहिये और साथ ही साथ हमारे समाज के स्ट्रक्चर में भी तब्दीली होनी चाहिये, मगर इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। जब तक समाज तब्दील नहीं होता तब तक हम अपनी इकोनामिक हालत को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन इसके इन्तजार में समय नहीं खोना चाहिये, बल्कि उस आर्थिक समस्या को अभी से ठीक करना है। हमें अफसोस है कि सरकार ने इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया है। हम चाहते हैं कि इसके लिये बेसिक डाटा इकट्ठा किया जाय।

एक बात का राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में यह जिक्र किया है कि ५०० मील लम्बी पक्की सड़क अब तक बन चुकी है और अगले साल तक ९० मील पक्की सड़क और बन जायेगी। इसके अतिरिक्त हाउसिंग और रिफ्यूजीज के बारे में भी उन्होंने कहा। अगर आदमी को तन्दुरुस्त कहें तो हम ऐसे आदमी को तन्दुरुस्त नहीं कह सकते हैं जिसका खून एक जगह पर ज्यादा जमा हो जाय और बाकी जगहों पर कम हो जाय। जब सब जगहों पर बराबर खून पहुंचेगा तभी हम उस आदमी को तन्दुरुस्त कह सकते हैं। ५०० मील लम्बी सड़कें बनी होंगी। ठीक है ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि पीलीभीत का जिला एक बार्डर का जिला है। आपको मालूम है कि पीलीभीत और नैनीताल जिले के बार्डर से नैपाल मिला हुआ है। इस चीज को देखने के लिये एक दफे हमारे सी० इन० सी० और डिफेन्स मिनिस्टर भी यहां आये हैं और उन्होंने यहां का निरीक्षण किया है। अगर हमारे फाइव ईयर प्लान का मतलब यह है कि किसी जगह पर ज्यादा काम हो जाय और किसी जगह पर कुछ भी काम न हो तो कम से कम मैं इसको ठीक नहीं समझता। पीलीभीत जिले में तीन तहसीलें हैं लेकिन ये तीनों तहसीलें आपस में किसी भी सड़क से नहीं मिली हुई हैं और न ये तीनों तहसीलें किसी सड़क से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ठीक मिली हुई हैं। इस वक्त हमारा जिला चार जिलों शाहजहांपुर, खेरी, बरेली और नैनीताल से मिला हुआ है। अगर १२ मील की सड़क जहानाबाद से आगे बना दी जाय तो जो ५०, ६० मील का चक्कर नैनीताल जाने के लिये पड़ता है वह कम हो जायेगा। इस तरह से २० मील सड़क भीषमपुर से बरेली के लिये बनायी जाय तो ५० मील का चक्कर उस तरफ भी बच जाता है। इस वक्त पीलीभीत से खेरी को मिलाने के लिये कोई सड़क नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां भी सड़क बनायी जाय।

[श्री शिव सुमरन लाल जौहरी]

जहां तक रिफ्यूजीज के लिये हाउसिंग का सवाल है तो यह ठीक है कि इनके लिये काफी मकानात बन चुके हैं, लेकिन पीलीभीत जो एक छोटा और इम्पार्टेंट जिला है, वहां हम उनके लिये ८ एकड़ जमीन लेना चाहते हैं जो कि सरकारी नजूल की जमीन है, लेकिन वह सरकार से मिल ही नहीं रही है जब कि उस जमीन के कम्पटीटिव रेट देने के लिये तैयार हैं। लेकिन वह जमीन नहीं दी जाती है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाय।

लेबर के सिलसिले में भी राज्यपाल महोदय ने कहा है कि इनके लिये अच्छी सुविधायें की गयी हैं। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि एक थोड़े से समय में सरकार ने लेबर की हालत को सुधारने के लिये कुछ काम किया है। मैं भी सरकार की सराहना करता हूं। लेकिन मैं इसको प्रारम्भ मानता हूं, अन्त नहीं मानता। अगर चार साल पहले कोई सुविधा दी गयी है तो वह आगे के लिये काफी नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता इसलिये हमें और सुविधायें देनी होंगी। जिस दिन राज्यपाल महोदय अपना भाषण दे रहे थे, उसके ठीक दो दिन पहले से पदरौना में लेबरर हड़ताल कर रहे थे और हड़ताल का कारण यह था कि उनको ८ महीने से वेजेज नहीं दिये गये थे, तो क्या यह बात मुनासिब है। दो साल पहले लेबर को जो लेजिस्लेशन से फायदा पहुंचा है उससे आगे की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। इसके साथ एक और भी सवाल आता है, वह यह है कि कोई मिल मालिक हाई कोर्ट में रिट मूव करता है तो देखा यह गया है कि ६, ६ साल तक उसका फैसला ही नहीं होता। अभी एक मुकद्मे का फैसला ६ साल बाद हुआ है, वह उनके हक में हुआ है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि क्या एक मजदूर ६ साल तक अपनी मजदूरी के लिये ठहर सकता है? मेरी राय में यह नहीं हो सकता। सन् ५२ और ५३ में काफी रिट्स मजदूरों और मिल मालिकों की तरफ से मूव हुये हैं। सरकार को इसका इन्तजाम करना चाहिए ताकि जल्दी से फैसला हो जाय। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से इन्कम टैक्स के मुकद्मों के लिये हाई कोर्ट में एक स्पेशल बेन्च है, उसी तरह से लेबरर्स के झगड़ों के लिये भी एक स्पेशल बेंच हो जाय, तो ठीक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये सरकार का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में इस बात का जिक्र किया है कि पांच जिलों में सरकार ने मलेरिया का प्रबंध किया है और इसके लिये काफी कोशिश की जा रही है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक लाख रुपये की डी० डी० टी० आई, पहले वह कार्डबोर्ड के डिब्बों में थी, स्टेशन पर वह डिब्बे फट गये तो उनको टीन के डिब्बों में भरा गया। एक मलेरिया आफिसर भी है और उसके लिए एक जीप भी है। वह आफिसर इधर उधर घूमता है, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं होता है। मैं इस चीज को मानता हूं कि काफी डेवलपमेन्ट हो रहा है, लेकिन जहां तक प्रेक्टिकल बात का सम्बंध है उसमें कोई खास बात नजर नहीं आती है। डी० डी० टी० का जितना प्रयोग करना चाहिए था, उतना नहीं हो रहा है। आफिसर सिवाय भत्ता बनाने के और कोई खास काम नहीं करता है। सरकार को इस ओर काफी ध्यान देना चाहिए।

एक बात अब मैं मजदूरों के क्वाटर्स के बारे में कहना चाहता हूं। १५ सौ में से सिर्फ ६०० ही बन पाये हैं, लेकिन अगर उनकी तफसील आप को दी जाय तो आप को मालूम होगा कि उसमें असलियत क्या है। मान लीजिये कि मैंने अपने जीवन में ५० हजार रुपया पैदा किया है और जब मैं उसकी तफसील देता हूं कि २० साल में मैंने ५० हजार रुपया पैदा किया है और २५० रुपया महीना मैंने खर्च किया है। इन मकानों के बनने की मुद्दत ३ साल थी। तीन साल में सिर्फ ६०० ही मकान बन पाये हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वाकई में इरादे तो अच्छे हैं और अगर उनको अच्छी तरह से कार्यरूप में परिणित किया जाय तो स्टेट के लोगों को बहुत सुविधायें हो सकती हैं।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के संबंध में जो सुबह से बातें कही गई हैं उनमें सब से अहम बात कुम्भ के मेले की दुर्घटना है। इस पर काफी लोगों ने जिन्होंने अपनी आखों से देखा है या जिन्होंने दूर से ही पढ़ा है काफी प्रकाश डाला है। जैसा कि माननीय सदन के नेता ने कहा कि इस दुर्घटना से हर एक को दुख पहुंचा है। सरकार के बड़े-बड़े आफिसरों और बड़े-बड़े अधिकारियों से मिलने से पता चलता है कि दरअसल में इस दुर्घटना से हर एक को बहुत ही दुख है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम वहां के शासन व्यवस्था के हर एक अंक पर प्रकाश डालें। सरकार की तरफ से यह बात कही गई कि कर्मचारियों से जितना अच्छा इन्तजाम हो सकता था वह किया गया।

उस दुर्घटना को पहले कुछ लोगों ने सारे प्रान्त भर में सुना लेकिन जब वह दुर्घटना होती है तो उसका जो विवरण हमें पढ़ने को मिलता है उसमें एक खास बात देखने में आती है कि जहां एक हजार आदमियों की लाशें पिस गई वहां पर पुलिस का एक आदमी भी जख्मी नहीं हुआ या पुलिस के किसी आदमी को चोट लगने की खबर तक नहीं मिली। यह बात कोई खुशी की नहीं है कि पुलिस के आदमी भी जख्मी हों या मर जायं और किसी भी माने में यह उन्नति की बात नहीं हो सकती, लेकिन यह ख्याल करने की बात है कि जिस घटना के अंदर एक हजार आदमियों की लाशें पिस जायं और जहां पर कि पुलिस सिर्फ इस बात के लिये तैनात हो कि वह लोगों को मुसीबत में पड़ने से बचाये वहां पर हमारे सामने दस बीस पुलिस वालों को चोट लगने तक की खबर न आये तो इससे साफ जाहिर होता है कि या तो पुलिस वहां पर मौजूद थी ही नहीं और अगर मौजूद थी तो वह दूर से खड़े खड़े आंसू बहाती रही और उसने खुशी से इस बात को देखा कि लोग वहां पर तड़प तड़प कर मरते रहे जिनमें बुड्ढे और बच्चे अधिकतर थे और उन्होंने इस बात को गवारा नहीं किया कि वे उनको जा कर बचावें। अमृत बाजार पत्रिका के एक स्टाफ रिपोर्टर, जो कि इस दुर्घटना में खुद फंस गया था और जिसको अपनी जान बचाने में डेढ़ घंटा लगातार कोशिश करनी पड़ी उसने अपना विवरण इस प्रकार दिया है :—

वह कहता है कि सब औरतों और बच्चों ने मेरे पैर छुए कि किसी तरह से इस दर्दनाक घटना से मुझे बचायें, मैंने इस दर्दनाक दुर्घटना से बचाने के लिये बड़ी कोशिशें की और एक औरत का जिसके पास से उसका बच्चा गिर गया था, बच्चा उठा कर उसकी गोद में दे दिया और दूसरी औरत को किसी तरह से उठा कर मैंने ऊपर उठाया, लेकिन अंत में मुझे इतने अधिक धक्के लगे कि मैं कुछ भी न कर सका और उन दोनों औरतों और बच्चे को मैंने आदमियों के पैरों के तले रोंदते हुए देखा। अगरचे अखबारों में इतने विवरण निकले जिनको हम सबने पढ़ा, लेकिन हमने यह नहीं देखा कि पुलिस के किसी अधिकारी द्वारा, डी० आई० जी०, आई० जी० या किसी बड़े से बड़े आफिसर द्वारा कोई ऐसा वर्णन अखबारों में निकला हो जिसमें कि उन्होंने किसी की जान बचाने की कोशिश की हो। ऐसे व्यक्ति ने जो कि स्टाफ रिपोर्टर था उसने इस तरह की चेष्टा की और उसके बाद उसको इतनी मुश्किलें आईं कि उसकी अपनी जान भी चली जाती तो इस तरह के दृष्टांत कि जिसमें किसी प्रकार की चेष्टा पुलिस के आदमियों द्वारा की गई हो, हमें पढ़ने को नहीं मिली। ऐसे मौके पर पुलिस को चाहिये था कि लोगों की जान बचाये पर कोई भी इस तरह की चेष्टा उन लोगों ने नहीं की। जो बात अखबारों में दी गई है उससे तो मुझे कम से कम यह विचार करने का मौका मिलता है कि या तो पुलिस वहां पर थी ही नहीं और यदि थी तो वह वहां से एकदम दूर हट गई। इस तरह से दूर हट कर उसने इस दृश्य को देखना कबूल किया। सरकारी विज्ञप्ति के अन्दर यह बात भी कही गई है कि जिस समय यह घटना हुई है, उस समय किसी दूसरी तरफ कोई ऐसा हंगामा मचा हुआ था, जिससे कि पुलिस को उस तरफ करना पड़ा। वह हंगामा क्या था यह तो उस विज्ञप्ति में स्पष्ट नहीं किया गया है लेकिन अखबारों के अन्दर उस बात को स्पष्ट किया गया है कि वह कोई खतरे की बात नहीं थी बल्कि वेरी इम्पार्टेंट इम्पार्टेंट परस

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]
वहां पर स्नान करने के लिये गये और उनके लिये ही पुलिस को भेजना पड़ा। सरकारी विज्ञप्ति द्वारा इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया था लेकिन इस बात के स्पष्टीकरण में अखबार रंगे हुये हैं। फिर इन सब बातों के बाद गवर्नर महोदय ने प्रेसीडेन्ट महोदय के लिये दावत दी तो यह हम लोगों के ऊपर और भी कालिख लगाती है और मैं समझता हूं कि यह ऐसी कालिख है जो सरकार की तरफ से मिटाये नहीं मिट सकती हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुख की बात है कि हमारे मुख्य मंत्री जी को इसका कुछ भी पता न लगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उनको पता लगता तो इतनी गम्भीर समस्या न होने पाती। मुख्य मंत्री को इसका पता लगा या न लगा इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन जो वाकया हुआ है वह अपनी एक गम्भीरता रखता है। हम इतना तो अवश्य ही मानते हैं कि भारतवर्ष के किसी मेले में भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जहां इतनी बड़ी घटना घट जाय और उस स्थान पर हमारे सर्वोच्च और बड़े से बड़े अधिकारी मौजूद हों और जिसमें पूरी चेष्टा के साथ इन्तजाम किया जा रहा हो और इतनी बड़ी घटना का पता इतने ज्यादा समय तक भी न लगता तो यह सरकारी अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा भारी लांछन है। अब यह देखना है कि वह इस लांछन को किस तरह से धो सकते हैं। अभी डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने बताया कि साढे नौ बजे यह घटना हुई और १० बजे ही उनको इसका पता अपने घर पर ही लग गया। मेरा निवेदन यह है कि जो वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था और जिस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस घटना का पता लगा होगा कि इस तरह की चीज हो गई है तो उसे पार्टी का भी जरूर पता होगा कि गवर्नमेंट हाउस में इस तरह की कोई एक पार्टी होने जा रही है। तो क्या सरकार को आलोचना से बचाने के लिये उसका यह कर्त्तव्य नहीं था कि वह गवर्नर महोदय को खबर दे देता कि इस तरह की दुर्घटना हो गई है और इस बात को देखते हुए क्या आप इस पार्टी को रखना मुनासिब समझते हैं या इसे मुनासिब नहीं समझते हैं। अगर उसने इतना किया होता तो हमारे राज्यपाल महोदय और हमारे मुख्य मंत्री ने कभी वैसी बात नहीं की होती और उसके इस भूल के कारण ही राज्यपाल को और मुख्य मंत्री जी को जो आज सारे दुनियां के सामने जो नीचा देखना पड़ रहा है, वह न देखना पड़ता। तो चाहे जो भी अधिकारी इस बात के लिये जिम्मेदार है, उसको जरूर इस बात के लिये दंड मिलना चाहिये। साथ ही साथ हमारी सरकार को यह भी देखना चाहिये कि अगर ऐसी चीजें होती हैं और उनको खबर भी नहीं मिलती है, तो भविष्य में कभी ऐसा नहीं होना चाहिये और इस बात के लिये वे अभी से पूर्व निश्चय कर लें।

इसके बाद मैं अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बोधन की कुछ बातों के बारे में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने सरकार के सभी विभागों के कार्यक्रम और कार्यकलाप पर कुछ न कुछ प्रकाश डाला है। मैं तो शिक्षा के सम्बन्ध में यहां जो कुछ कहा गया है, उसको ही सबसे पहले आपके सामने रक्खूंगा। यहां पर मेरे पास पिछले तीन सालों के राज्यपाल महोदयों के सम्बोधन उपस्थित हैं। इस साल का, इससे पिछले साल का और इससे भी पिछले साल का। शिक्षा के बारे में सन् ५२ में जो सम्बोधन में कहा गया था, तो उसमें लिखा हुआ था, "नियोजित तथा उद्देश्यमूलक शिक्षा वह आधार शिला है जिस पर अन्ततः हमारा सम्पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक ढांचा अनिवार्यतः स्थित होना चाहिये।" इसके बाद वे माध्यमिक शिक्षा की बात कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि "राज्य में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के विषय में रिपोर्ट तैयार करने के हेतु आचार्य नरेन्द्र देव के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई है और मुझे आशा है कि उसकी सिफारिशें हमारे लिये अपनी शिक्षा प्रणाली को सम्यक् रूप से सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी।" इसके बाद मैं पिछले साल के सम्बोधन को पढ़ता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि :

"My Government is giving due consideration to the reorientation of the present system of education. Academic and liberal education has its undoubted merits."

तो इस प्रकार जो मैं देखता हूं तो वह यह है कि एक वाक्य में लिखा हुआ है कि सरकार इस शिक्षा को पूर्णतया बदलने के लिये और शिक्षा पद्धति के समुचित ढांचे को बदलने की ओर ध्यान दे रही है। तो आपके समक्ष, सदन के सदस्यों और सरकार से मुझे कहना है कि आज तीन साल हो गये हैं और बराबर सरकार गवर्नर एड्रेस द्वारा जनता के सामने यह बात रख रही है कि हम इस शिक्षा की पद्धति को बदलना और उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन देखने में यह आया कि शिक्षा प्रणाली ज्यों की त्यों चल रही है बल्कि उसमें बराबर अवनति होती जा रही है और सरकार की तरफ से कोई भी कदम इसके लिये नहीं उठ रहा है। मैं कहता हूं कि अगर पूर्णतया नहीं तो सरकार कम से कम उसमें थोड़ी सी उन्नति तो करे।

आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी सन् ५२ में मुकर्रर की गई थी और इस उद्देश्य से मुकर्रर की गई थी कि जून से पहले बल्कि मार्च सन् ५२ से पहले रिपोर्ट मिल जायेगी। वह रिपोर्ट जून सन् १९५३ को मिली और आज तक मुझे नहीं मालूम कि सरकार क्या करने जा रही है। बराबर यहां कहा गया है कि जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी सरकार फौरन ही कार्यवाही करेगी। आज काफी दिन हो गये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, १८ महीने का अर्सा हो गया मैं नहीं जानता कि सरकार इस संबंध में क्या कर रही है। कभी उस रिपोर्ट को एज्युकेशन बोर्ड के सामने रखा जाता है और कभी उस पर खामोशी छा जाती है। आज बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनके लिये हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं तो कह दिया जाता है कि उस कमेटी की रिपोर्ट पर काम करने से यह सब दिक्कतें दूर हो जायेंगी। आज हम देखते हैं कि अध्यापकों को न तो वेतन ही मिल पाता है और न भत्ता, वह गरीब हैं और मुसीबत में हैं लेकिन यह बातें दरकिनार रही अध्यापकों का जो वेतन है वह तो मिलता नहीं वक्त से, दूसरी ओर उनकी नौकरी की कोई हिफाजत नहीं। जिस दिन चाहे जो चाहे वह निकाल सकता है। मैं अपनी कान्स्टीटुएन्सी में दौरे पर गया था। मुझे ऐसे उदाहरण मिले जिसमें ३ अध्यापकों को कह दिया गया कि वे कल से न आयें। मैनेजर ने प्रिंसपल साहब से कह दिया कि यह कह दो। तो इस तरह से उनको २४ घंटे का नोटिस भी नहीं मिलता है। यह दशा पहले नहीं थी। आज हमको दिलासा दिया जाता है कि हम शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने जा रहे हैं तो आखिर बदलने की सूरत कब आयेगी। जो बातें हमसे कही जाती हैं उनके लिये मैं सरकार से यह कहता हूं कि इस संबंध में जो कुछ करना है उसे जल्दी से करना चाहिये। पूरी तरह से न कर सकते हों तो आंशिक रूप से शुरुआत कर देनी चाहिये। एक बात जो बड़े जोर से आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में कही गई तो अभी थोड़े दिन पहले आगरा यूनीवर्सिटी संशोधन विधेयक उपस्थित किया गया था और पास भी हो गया था और कहा कि जो बुराइयां वहां चल रही हैं वह इससे दूर हो जायेंगी और यह भी कहा गया था कि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के बारे में एक विधेयक आने वाला है तो मैं आप की इजाजत से सदन के सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय आगरा यूनीवर्सिटी संशोधन विधेयक चल रहा था उस समय माननीय मंत्री जी ने बराबर इस बात को कहा कि इस यूनीवर्सिटी के अन्दर गुट बन गये हैं। पैसा कमाते हैं और शिक्षा की परवाह नहीं करते हैं और यह भी कहा था कि विश्वविद्यालय को जो चलाने वाला संचालक होता है वह अच्छाई और बुराई को रखने वाला होता है और वाईस-चान्सलर पर भी उत्तरदायित्व होता है। इस बात के कहने का मतलब यह था कि विश्व-विद्यालय के वाईस चान्सलर की कमजोरी के कारण और अधिकारियों की कमजोरी के कारण आगरा यूनीवर्सिटी की यह हालत हुई है। लेकिन जब वह संशोधन विधेयक पास हो जाता है तो मैं देखता हूं कि ट्रान्जेशिनल पीरियड में नामीनेशन का जब वक्त आता है तो जिसके लिये यह शक किया गया था और बुराई के लिये जो व्यक्ति जिम्मेदार था वही आदमी फिर नियुक्त कर दिया जाता है। इस बात के लिये माननीय कुंवर गुरु नारायण जी ने पहले ही यह कहा था कि जिस कारण से यह गुट बुराई कर रहा है वही फिर न आ जाय तो उस वक्त सरकार की ओर से यह आवाज आई थी कि विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा न होगा, लेकिन जब ३१ दिसम्बर आता है और नामीनेशन एनाउन्स होता है तो जिस बात का डर था, वही होता है।

[श्री कन्हैयालाल गुप्त]

आप जिस बात को कहते हैं, जिस बात के लिए आप यहां पर बार बार आलोचना करते हैं खुद करते हैं, और फिर जिस बात को लेकर आप सोचते हैं, यूनीवर्सिटी में सुधार होना जिसके लिए महीनों, हफ्तों लगाकर आप यहां पर बिल लाते हैं और फिर जब आप को मौका होता है तो आप उसी काम को करते हैं जिसकी आप बुराई कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। इस बात को देख कर अवश्य ताज्जुब होता है। कहा गया है कि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के लिए भी एक बिल आएगा। मैं तो कहूंगा कि जो कुछ आगरा यूनीवर्सिटी के लिए किया गया है, सिद्धान्ततः बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जब कार्यरूप में परिणित करने का अवसर आया तो बिल्कुल उसके विपरीत किया गया। दूसरी बात मैं कहूंगा कि यदि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के लिए भी आप कुछ करने जा रहे हैं तो उसके लिए बिल लाने में हजारों लाखों रुपए हमारे प्रान्त के जो खर्च होंगे, तो उस तरह का बिल न लाइएगा कि जिसको जब इक्जीक्यूट करने का मौका आये तो बिल्कुल बिल के विपरीत करें। इस तरह से काम कीजिए जिससे उसके अन्दर सामन्जस्य हो। इन शब्दों के साथ मैं आखिरी वाक्य कह कर अपनी जगह पर बैठूंगा और वह यह कि मैं सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि सरकार न केवल शिक्षा पर ध्यान दे बल्कि शिक्षा के आधार उस शिक्षक पर भी ध्यान दे जो शिक्षा को चलाता है। प्राइमरी शिक्षा के विषय में भी यही बात है। माध्यमिक तथा यूनिवर्सिटी शिक्षा के विषय में भी यही बात है। अन्त में मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि प्राइमरी शिक्षा की जांच के लिए भी एक कमेटी नियुक्त करे।

श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)——सभापति महोदय, राज्यपाल जी के भाषण के विषय में जो कुछ कहा गया है उसके विषय में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। सरकारी कार्यों का उन्होंने दिग्दर्शन कराया है। उसमें बहुत से कार्य प्रशंसनीय हैं। उसमें सबसे अधिक प्रशंसनीय कार्य काशी के संस्कृत कालेज को विश्व-विद्यालय के रूप में परिणित करने की सूचना देना है। इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। परन्तु वह दोषज्ञ भी हैं। दोषज्ञ का अर्थ होता है पंडित, विचारवान। वह विचारवान हैं। उनको चाहिए था कि दोषों की तरफ भी ध्यान देते। हमारी जनता को क्या कष्ट हो रहा है इसका भी उल्लेख करना आवश्यक था। परन्तु इस विषय पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इसका क्या कारण है यह मैं नहीं कह सकता।

दूसरी बात यह है कि कुम्भ के मेले में जो दुर्घटना हुई है, उसमें अपराध किसका है इसका अन्वेषण हो रहा है। परन्तु मैं तो कहूंगा कि कोई भी अपराधी उसमें नहीं है। अपराधी वह कहा जाता है जो जान बूझ कर कोई अत्याचार करे और भूल से यदि कोई कार्य हो जाय तो वह अपराध नहीं कहा जा सकता। हमारे यहां तो कहा गया है :—

अवश्यं भाविभवानां प्रतिकारो भवेद्यति।
तदा दुःखैर्न लिप्येन नलराम युधिष्ठरः ॥

जो अवश्यम्भावी है उसे कोई रोक नहीं सकता। एक पुष्प के धक्के से भी आदमी की मृत्यु हो जाती है।

न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्।
यं हि रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संयोजयन्तितम् ॥

कोई ईश्वर या भाग्य लाठी लेकर किसी की रक्षा नहीं करता। जब नाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह नहीं कहा जा सकता कि जो अधिकारी हैं उन्होंने जानबूझ कर ऐसा प्रबंध किया जिससे यह दुर्घटना हो गई। हां, भविष्य के लिए जानकारी रखने के लिए भले ही आप जांच करें जिससे ऐसी घटना फिर न घटे। परन्तु इसके लिए किसी को अपराधी ठहराना उचित न होगा।

दूसरी बात यह है कि नागाओं का एक प्रदर्शन निकला स्नान करने के लिये तो उस समय उनके हाथ में लाठी और भाले इत्यादि हथियार थे और चीजें को लेकर स्नान केलिये जाना ऐसा शास्त्र या व्यवहार में कहीं भी नहीं है। उनको भगवान का नाम लेते हुये जाना चाहिये।

नागा ही इस घटना के प्रधान कारण हैं। जब जब कुम्भ का मेला हुआ है तो सबसे पहले प्रातःकाल नागा ही स्नान करते हैं। जब वे लोग स्नान कर लेते हैं तो दूसरे लोग स्नान करते हैं। यह त्रुटि इस साल हुई। आगे के लिये मैं समझता हूं कि किसी को अस्त्र शस्त्र लेकर वहां जाने नहीं देना चाहिये। यह जो कुछ हुआ वह दैव संयोग से हुआ है जिससे अनेक बच्चे और स्त्रियां मर गईं। कोई नहीं चाहता था कि मरें, लेकिन वे मर गये। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह भी कहा जाता है कि उसी समय राजभवन में दावत हुई। जो सूचना देने वाले थे, उन्होंने सूचना देना उस समय उचित न समझा। इसलिये सूचना कुछ देर से दी। गवर्नर साहब के ऊपर जो आक्षेप लगाया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। वस्तुतः में उनको इस दुर्घटना का ज्ञान न था। जिन्होंने उनको इस दुर्घटना का ज्ञान नहीं कराया वे इसके लिये अपराधी हैं। मैंने देखा कि वहां पर पुलिस भी बहुत कम थी और सूचना का स्थान ऊंचा होना चाहिये ऐसा स्थान भी कहीं पर नहीं बना हुआ था और यह सबसे पहले आवश्यक था कि सूचना का स्थान ऐसा हो ताकि वहां से सारा समाचार प्रसारित किया जा सके। वहां पर चिल्ला कर कुछ नहीं कहा जा सकता था, इसके लिये भी उनको प्रबन्ध करना चाहिये था। बुद्धि भ्रम से यह सब कुछ हुआ।

श्री सरदार सन्तोष सिंह (नाम निर्देशित)—मैंने श्री राज्यपाल के ऐड्रेस को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है। मैंने देखा है कि उन्होंने हर एक प्रश्न पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। हमने किस किस तरह से तरक्की की है इस पर भी उन्होंने रोशनी डाली है। ज्यादा जोर इर्रीगेशन पर दिया गया है और एज्युकेशन के बारे में भी कुछ कहा गया है।

यह मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर, इर्रीगेशन और पावर तीनों एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं। उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट अच्छी तरह से ख्याल करती है। बहुत से लोगों ने देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा कि यह तरक्की हो रही है, लेकिन मेरे अपने जिले पीलीभीत और नैनीताल में कोलोनाईजेशन की स्कीम बनाकर जो तरक्की सरकार ने की है, जिस तरह से खेती बाड़ी में तरक्की करने के लिये बतलाया है, वह बहुत ही तारीफ के काबिल है और जो लोग यहां पर एतराज करते हैं उन्होंने शायद दूर से ही सुना होगा। मैंने कोलोनाईजेशन स्कीम को अच्छी तरह से देखा है और उसमें बहुत ही काफी तरक्की हुई है। अगर इसी तरह से यह तरक्की कायम रही और गवर्नमेंट की कोशिश जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब कि हमारे मुल्क से गरीबी दूर हो जायगी और बेकारी का सवाल तकरीबन खत्म हो जायगा।

हमारे यहां बेकारी को दूर करने के लिये इन्डस्ट्रियल एजूकेशन की जरूरत है। उसके लिये गवर्नमेंट ने कोशिश की है और इन्डस्ट्रियल एजूकेशन लड़कों को पढ़ायी जायगी, लेकिन मुझे यह कहना है कि यह बाकायदा होना चाहिए। यह सोच लेना चाहिए कि हमको कैसे इसको चलाना है। ऐसा न हो कि आज हम शुरू कर दें और फिर कल इसको छोड़ना पड़े, क्योंकि इसमें बीच में बहुत सी दिक्कतें पैदा होंगी। राज्यपाल महोदय ने इन्डस्ट्री की तरफ कम ख्यालात का इजहार किया है। मैंने देखा है कि मिर्जापुर सीमेंट फैक्ट्री का तीन साल से जिक्र होता चला आया है, लेकिन मैं देखता हूं कि वहां रुपया गवर्नमेंट का बहुत जाया हो रहा है और कुछ काम ठीक नहीं चल रहा है। या तो जो काम वहां करते हैं, वह ठीक मशीनरी का काम नहीं जानते या कोई और बात है। अगर पूरी मशीनरी होती तो मैं खुद उसको इरेक्ट कर देता। अब ऐसा ख्याल है कि यह फैक्ट्री थोड़े दिनों में इरेक्ट हो जायगी और इस प्रदेश को इससे बहुत लाभ होगा। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी काटेज इन्डस्ट्री शुगर केन और शुगर की है। दुनियां में जितना गन्ना पैदा होता है उसका एक बटे छः हमारे प्रदेश में पैदा होता है, लेकिन जो हम शुगर बनाते हैं वह दूसरे मुल्कों से बहुत कम है। जावा और क्यूबा में कहीं ज्यादा शुगर पैदा की जाती है। इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट वहां खुद बखुद काम करती है और हर तरह की हेल्प करती है। यहां काटेज इन्डस्ट्री को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई मदद नहीं मिलती है और गवर्नमेंट ने कभी यह ख्याल नहीं किया कि इस

[श्री सरदार सन्तोष सिंह]

इन्डस्ट्री को तरक्की दी जाय। एक सिरमौर स्टेट है, पहले वह पंजाब में थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में है। पहले गवर्नमेंट ने वहां अपना एक छोटा सा कारखाना खोला था। अब वह फैक्ट्री इस वक्त बड़ी-बड़ी फैक्टरियों के पार्ट्स बना रही है। वहां पर कोल्हू, गन्ना पेरने वाले और तेल निकालने वाले और गांव के लोगों के इस्तेमाल में आने वाली दूसरी चीजें बनायी जा रही हैं और गांव के आदमियों को बिना मुनाफा लिये बहुत ही कम कीमत पर दी जा रही हैं। हर तरह से गांव के लोगों को सहूलियत दी जा रही है। लेकिन हमारे प्रदेश में हमारे कहने पर भी कोई ध्यान काटेज इन्डस्ट्री की तरफ नहीं दिया जाता। यहां साल भर में एक मीटिंग भी बुलायी नहीं जाती कि जिसमें हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। श्रीमान् जी, मैं आपके द्वारा सरकार से अर्ज करूंगा कि सरकार अगर काटेज इन्डस्ट्रीज को अपनाये और तरक्की दे तो बेकारी को दूर कर सकेगी क्योंकि अपने हर पढ़े लिखे आदमी को हम नौकरी नहीं दे सकते, उनको तो काटेज इन्डस्ट्री या किसी दूसरी इन्डस्ट्री की तरफ झुकना चाहिए। इसलिये मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि वह इस बात की तरफ जरूर ध्यान दे।

इसके बाद इन्डस्ट्रियल एजूकेशन की बाबत मैं यह कहना चाहता हूं कि इन स्कूलों को यूनिवर्सिटियों के अन्डर करना चाहिए। अगर हमें देहातों में स्कूल खोलने हैं तो वहां भी हमें इन्डस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एजूकेशन दिलानी चाहिए ताकि वह इस बात को भी समझते रहें कि वाकई में इन्डस्ट्री या एग्रीकल्चर क्या चीज है। मैं समझता हूं कि हमारे सारे इन्डस्ट्रियल कालेज, रुड़की यूनिवर्सिटी के अन्डर होने चाहिए और इसी तरह से एग्रीकल्चर कालेजेज के लिये भी होना चाहिए। इसलिये यह मेरी तरफ से सुझाव है और मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इसका ख्याल करेगी और मैं राज्यपाल जी को इस एड्रेस के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जिसकी तरफ उन्हें हमारा ध्यान दिलाना चाहिए था।

*श्री राम किशोर शर्मा (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय ने अपना सम्बोधन दोनों सदनों के सदस्यों को दिया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। कुम्भ के मेले में जो दुर्घटना हुई उसका दुःख हम सभी को है। मैं भी उस समय करीब ५० गज की दूरी पर खड़ा हुआ था। भीड़ ज्यादा होने के कारण आगे नहीं बढ़ सकता था। इन्तजाम सब जगह बहुत अच्छा था, शायद सब लोग इस बात से सहमत हैं कि इन्तजाम में कोई कोर कसर बाकी नहीं थी। यह दुर्घटना होगी इसका भी किसी को अनुमान न था। यह दुर्घटना गवर्नमेंट की कमजोरी से हुई यह कहना भी एक झूठ है। यह कहा जा सकता है कि कर्मचारियों की टेलिस्कोपिक फैकल्टी बहुत कम थी, जिससे कि वे इस बात को मालूम नहीं कर सके कि इस प्रकार की दुर्घटना भी हो सकती है। जब कि दोनों तरफ से भीड़ बढ़ रही थी, उस वक्त मेरा भी ख्याल यह हुआ कि शायद यह भीड़ एक डेथ ट्रेप को बना रही है और देखते देखते ही वह दुर्घटना हो गयी कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और मरने लगे। एक कलंक तो लग ही गया, लेकिन जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि भाग्य में ऐसा ही बदा था कि ऐसा होना है और कोई भी इसके लिये अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि कोई भी इसका फोरकास्ट नहीं कर सकता था। यह भी एक कलंक हमारे ऊपर लगा कि बड़े-बड़े प्रान्त के और देश के नेता लोग वहां थे और उनको इस बात की सूचना कर्मचारियों ने नहीं दी। इस बात का हमको दुःख है और इसकी जांच की जा रही है तथा अपराधियों को दन्ड भी दिया जायेगा।

राज्यपाल महोदय ने जो जो चीजें हो चुकी हैं उनकी सूची पूरी तरह से दे दी है और आगे जो होने वाला है उसके लिये भी काफी जिक्र किया है कि देश में सुख हो, उन्नति हो, बेकारी दूर हो जाय इसकी ओर गवर्नमेंट प्रयत्न जरूर कर रही है। मगर

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मुझे दुख है कि इस सम्बोधन में अध्यापक वर्ग जो बहुत गरीब है, जो दिन पर दिन गिर रहा है, जिसको वेतन कई कई महीने नहीं मिलता है, जिसका कोई स्टेटस नहीं है, कैलस डिसरिगार्ड है, उसका जिक्र सम्बोधन में नहीं है । मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि टीचर्स का मसला फार दी स्टेट्स नहीं दूर किया जायगा तो हमारा देश कोई उन्नति नहीं कर सकेगा । अध्यापक वर्ग उनको शिक्षा देता है जो आगे नेता होने वाले हैं। अगर वे उनको अच्छी शिक्षा न दे सके तो वह आगे चलकर अच्छे नेता न बन सकेंगे । प्राइमरी शिक्षा को आप देखें कि विद्यार्थियों की क्या हालत है, उनके लिये कोई स्कूल नहीं हैं, अध्यापक वर्ग उनको पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा देता है । किसी आदमी ने एक पंडित जी से पूछा कि तुम्हारी गाय क्या देती है, तो पंडित जी ने कहा कि वह हग देती है और मूत देती है। फिर उसने पंडित जी से पूछा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बांध देता हूं और खोल देता हूं। ठीक वही हाल आज टीचर्स का है । इसकी ओर आज खास सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है । आप देखें कि आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट आई, गवर्नमेंट ने उस पर क्या ऐक्सन लिया, कोई पता नहीं । केवल विश्वास दिलाने से कोई नतीजा नहीं निकल सकता है । आज अध्यापक वर्ग डिस्सैटिस्फाइड है, उसकी एफीसिएन्सी दिन ब दिन गिर रही है ।

राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा है कि फाइव इयर प्लान की वजह से जनता में उत्साह पैदा हो गया है । मैं जहां तक जानता हूं जनता में कोई उत्साह नहीं है । गरीबी और बेकारी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसी कोई सूरत नहीं निकाली जा रही है कि जिससे गरीबी और बेकारी दूर हो सके । जिन स्कूलों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्यूनिसिपल बोर्ड फाइनेन्स कर रहे हैं, उनको वह बन्द कर दें, ऐसा सरकार द्वारा आदेश हुआ है, लेकिन ऐसे स्कूल और कालेज अगले साल से कैसे चलेंगे, इसका कुछ पता नहीं है । मैं आपके जरिये सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस चीज को जल्द से जल्द रिमूव करने की कोशिश करे। मुख्य मन्त्री जी बरेली गये थे, तो मैंने इस चीज को उनसे कहा था कि सरकार उसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेगी । मगर आजतक कुछ नहीं हो पाया है । एक सरकारी आदेश द्वारा यह कहा गया है कि डिगरी कालेजेज की ग्रान्ट्स में १५ फीसदी कट कर दिया जायगा । मैं पूछना चाहता हूं कि इतना कट कर देने से कैसे काम चलेगा । मैं बरेली कालेज का हाल जानता हूं, वहां ४८ हजार की डेफीसिन्यसी है, १५, १६ हजार और कम कर देने से उस कालेज का काम कैसे चलेगा ।

मेरे ख्याल में जितना रुपया सरकार पी० डब्ल्यू० डी०, कैनाल डिपार्टमेंट, फारेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरे अन्य डिपार्टमेंट्स पर खर्च करती है, उससे कोई खास उन्नति नहीं दिखायी देती है । इसलिये यह ज्यादा अच्छा होगा कि यदि सरकार अगले बजट में ज्यादा से ज्यादा रुपया अध्यापकों के लिये, हमारी स्कूलों के लिये और विद्यार्थियों के लिये रखे । एक बात यह अभी तक समझ में नहीं आई कि जब सरकारी संस्थाओं में एक मामूली इन्स्पेक्टर और मामूली क्लर्क को ज्यादा वेतन दिया जाता है तो उसी की क्वालिटी के एक टीचर को उतना वेतन क्यों नहीं दिया जाता । जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर को ऊंचा ग्रेड दिया जाता है तो आगरा यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जो कि उसी क्वालिटी के होते हैं, उनको उतना वेतन क्यों नहीं दिया जाता। इसका जवाब जरूर सरकार को देना होगा । मैं सरकार से अन्त में यही प्रार्थना करूंगा कि अध्यापकों की हालत को जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश की जाय । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के लिये रखा गया है वह स्वीकार किया जाय ।

श्री मानपाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष जी, कुम्भ की दुर्घटना के सम्बन्ध में लगभग सभी सज्जनों ने कुछ न कुछ कहा है और यह बात भी सही है कि अखबारों में के जरिये तमाम देश भर में वहां के सुप्रबन्ध की ख्याति भी

[श्री मानपाल गुप्त]

हुई है कि प्रबन्ध बहुत सुन्दर है । लेकिन अब दुर्घटना होने के बाद उसमें दोष निकाले जाते हैं और दूसरों के सिरों पर मढ़े जाते हैं । मैं समझता हूं कि जो सज्जन आज इस तरह का दोष मढ़ते हैं वे भी वहां पर मौजूद थे और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उस समय अगर कोई त्रुटि उनकी नजर में आई थी तो जन हित के नाम पर उनको वह त्रुटि बतलानी चाहिए थी । पर ऐसा किसी ने संकेत भी नहीं किया था । अब उसके बाद जब कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो उसको इस तरह कह कर के दोषारोपण करना उचित नहीं है । यह जरूर हो सकता है कि वहां पर किस तरह से यह परिस्थिति पैदा हुई है उसका पता लगाया जाय । लेकिन यह बात भी पायी जाती है कि लाउड स्पीकर से जब यह घोषणा की जाती रही है कि उधर मत जाओ फिर भी लोग जाते हैं तो कुप्रबन्ध हो जाना स्वाभाविक है। तब सहसा ऐसी बातें हो जाया करती हैं ।

यहां पर राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के विषय में कुछ बातें कही गयी हैं । माननीय डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने आगरा जिले की बात कही थी और उसमें सत्य भी है कि वहां पर दिन दहाड़े बदमाश लोग आदमियों को उठा ले जाया करते हैं, तो इन चीजों का कुछ न कुछ प्रबन्ध करना जरूरी है । सरकार से मैं भी दो तीन बार पहले संकेत कर चुका हूं । एक तो वहां जमुना खादर के लिये सड़क की बहुत जरूरत है । जिस इलाके में अर्थात् खैरागढ़ व बाह तहसीलों में है, वहां सुरक्षा के लिये कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है । वहां पर एक पुलिस का दस्ता जरूर रहता है मगर वह काफी नहीं है । इसलिये मैं आपके द्वारा प्रदेशीय सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वहां सुरक्षा के लिये आगरा बाह रेलवे लाइन फिर से चालू हो जाये जहां पुलिस स्टेशन हों वहां के डाकखानों में टेलीफोन लगा दिये जायं । आगरा से बाह के लिये रेलवे लाइन के लिये लिखा गया था लेकिन कहा गया कि इसके द्वारा नुकसान होता है । अगर वहां पर आदमियों के जान और माल की हिफाजत करना चाहते हैं तो सरकार को यह नुकसान भी अवश्य उठाना चाहिए ।

जनता में बेकारी के विषय में भी लगभग बहुत से मेम्बरों ने कहा है । मैं समझता हूं कि बेकारी मशीनों और यन्त्रों के जरिये दूर नहीं की जा सकती है । इसके द्वारा वह बढ़ेगी, घटेगी नहीं । आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि आन्ध्र देश में बुनकरों ने एक कोआपरेटिव प्रोडक्शन मिल बनाया है । हमारी सरकार को भी इस तरह से कोआपरेटिव बेसिस पर एक मिल बनाना चाहिए । हमारे यहां जो सूत मिलने की व्यवस्था है वह भी कुछ ठीक नहीं है। जिसको बारीक सूत मिलना चाहिए उसको दरी-वाला मोटा सूत मिल जाता है और जिसको मोटा सूत मिलना चाहिए, उसको बारीक सूत मिल जाता है । इसका कोआपरेटिव बेसिस पर प्रबन्ध होना चाहिए जिससे बुनकरों को सुविधा मिल सके और वह अपने काम में अधिक समय दे सकें । सूत न मिलने के कारण जो जुलाहे और कोली होते हैं वह अपना काम छोड़ कर दूसरे काम में लग जाते हैं, अगर उनको इसमें सुविधा मिलेगी तो वह इस पर काफी ध्यान देंगे और इसमें हर प्रकार की तरक्की भी कर सकेंगे ।

कृषि के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। कृषि की सबसे बड़ी जान पशु है, गऊ है । न्यूजीलैन्ड और डेनमार्क की किताबों को देखने से पता चलता है कि वहां पर चरागाह के लिये किस प्रकार का प्रबन्ध किया जाता है । अगर कुछ दिन एक हिस्से में पशु चरते हैं तो थोड़े दिन बाद दूसरे हिस्से में चले जाते हैं ताकि वहां पर फिर से घास पैदा हो जाय । इस तरह से उनको काफी सुविधा हो जाती है । हमारी सरकार को चरागाह की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि कृषि की उन्नति हो सके । सम्बोधन में इस बात का संकेत किया गया है कि अन्न की पैदावार बढ़े ताकि हमको दूसरे देशों से अन्न न मंगाना पड़े । हमको इस ओर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

नये-नये पेड़ लगाने के लिये भी काफी व्यवस्था की जा रही है और बहुत से पेड़ लगाये भी गये हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे यह भी कहना पड़ता है कि आगरा में जहां पर बहुत बड़ा जंगल था और बादशाह वहां पर शिकार खेलने आया करते थे, वहां पर अब रेगिस्तान है। मैं समझता हूं कि वहां पर लोगों को अधिकार दे दिया जाय कि प्रत्येक मनुष्य एक साल में पांच पेड़ लगाये। पांच पेड़ों की एक आदमी अच्छी तरह से परवरिश कर सकता है। इसलिये ऐसे वृक्षों के सम्बन्ध में, सड़कों पर या जहां कहीं हों, उन लोगों को अधिकार दिया जाय कि ऐसे वृक्ष उनकी लकड़ी, फल वगैरह उन्हीं के होंगे, तो आदमी इस उद्देश्य से कि उनको इससे नफा होगा, संभव है कि वह इस कार्य को ठीक तरह से कर सकें।

शिक्षा के बारे में मेरी अपनी धारणा यह है कि यह कहा जाता है कि शिक्षा के ऊपर कुछ धन नहीं दिया जाता है, लेकिन सरकार की ओर से यह हो रहा है और इसके लिये अधिक से अधिक धन दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरफ हम बह रहे हैं, उसमें अमेरिका ४० अरब रुपया १८ करोड़ की आबादी पर शिक्षा के लिये खर्च करता है। तो इस हिसाब से भारतवर्ष को ८० अरब रुपया शिक्षा के ऊपर खर्च करना होगा और अगर खर्च न कर सके तो आये दिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिये इस पर विचार किया जावे कि शिक्षा की पद्धति हमारे यहां क्या हो। पहले देश के जितने विद्वान हैं वह इस चीज को विचार लें कि आया हमारे देश के लिये पुराने ढंग की शिक्षा उपयुक्त है, जिसमें किसी तरह का खर्चा और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, तो इस सम्बन्ध में मैंने अपने विचार शिक्षा मन्त्री के पास और दूसरे सज्जनों के पास भेजे हैं। लेकिन उस पर क्या हो रहा है और उसका क्या होगा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन ज्यादा अच्छा तो यही है कि रोज रोज हम इस बात पर विचार करते हैं कि देश में किस तरह की शिक्षा हो। कम से कम शिक्षा इस तरह की न हो कि हम दूसरे देशों की तरह से शिक्षा के ऊपर इतना अधिक धन खर्च कर सकें। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन सब बातों पर विचार करके ही इस पर काम किया जाय और शिक्षा का सुधार अपने पुराने ढंग से ही हो जिसमें कि अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता भी न पड़े। हां, कहीं तो पैसों से किसी का मान आदर किया जाता है और कहीं किसी और प्रकार से मान आदर किया जाता है। आज भारतवर्ष में महात्मा जी का इतना मान और आदर था, लेकिन कहीं उनको कोई पैसा देने की बात नहीं थी। इस धन से हम अपनी पुरानी पद्धति की ओर जायं, तो हम शिक्षा के विषय में उद्धार कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय श्री ज्योति प्रसाद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री ज्योति प्रसाद जी के महामान्य राज्यपाल महोदय के प्रति आभार प्रकट करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैंने सम्बोधन को ध्यानपूर्वक सुना और गौर से पढ़ा भी और उससे मुझे पूरा सन्तोष हुआ है यद्यपि सदन के अन्दर कई तरह के मतभेद प्रकट किये गये। सदन के अन्दर जो बातें कही गयी हैं और जिनसे मतभेद जाहिर होता है, उसको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो सम्बोधन में यह है कि उन गरीब लोगों और समाज की दशा सुलझे और दूसरे लोगों को ऊपर उठाया जाय। इन दो दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न लोगों ने विचार किया है। पहले जिस चीज को मैं यहां पर लेता हूं वह इस मतभेद पर है कि शासन व्यवस्था में उन्नति नहीं हुई है और देश के अन्दर गरीबी की समस्या बढ़ी। मुझे इस सदन के सामने यह निवेदन करना है कि अगर गौर से देखा जाय, तो देश की व्यवस्था जैसी की गयी है उसमें किसानों की संख्या जो चौथाई है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किसानों की हालत पहले से सुधरी है।

वह देखने में सुधरा नहीं मालूम होता है, मगर उनका रहन-सहन काफी ऊंचा होता जा रहा है और उनकी माली हालत अब पहिले से अच्छी है। मैं किसानों के अन्दर

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ]

रहता हूं इसलिये उनको जानता हूं। एक चौथाई लोग वास्तव में जो व्यापारी वर्ग के हैं और देश के अन्दर दूसरे लोग हैं, जिनकी हालत अच्छी नहीं हो सकती है और जिनकी माली हालत मुमकिन है कि पहले से खराब हो। इसलिये यदि हम अच्छी तरह से सोच समझ कर इस चीज का निरीक्षण करें तो हमें पता चलेगा कि अधिकांश लोग आज ऊंचे ढंग से हैं और उनकी माली हालत सुधरी हुई है।

एक बेकारी का प्रश्न यहां बतलाया गया है। बेकारी का जो एक तबका मैं देख रहा हूं वह है शिक्षित समुदाय का और यह बेकारी कैसे दूर होगी, इसके ऊपर भी काफी चर्चा राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में किया है, लेकिन इससे मुझे पूरा सन्तोष नहीं है और यह तो समुद्र में एक बूंद पानी की तरह है। शिक्षा और बेकारी की समस्या को हल करने के लिये बहुत से लोगों ने यहां पर कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना होगा और जो आज शिक्षा संस्थायें हैं, उनकी मनोवृति और विचारधारा में भी परिवर्तन करना होगा। मैं कहता हूं कि दो प्रकार की शिक्षा संस्थायें हैं एक तो प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। प्रत्यक्ष में विश्वविद्यालय आते हैं मगर परोक्ष में स्कूल और डिग्री कालेजेज आते हैं। तो उनको भी अपनी मनोवृति को बदलना होगा और शिक्षा के ढंग में तब्दीली करनी होगी। अध्यापक लोगों को भी अपनी मनोवृत्ति को बदलना होगा। इसके अलावा कुछ संस्थायें ऐसी भी हैं जिनपर कि हमारे विद्यार्थी ज्यादा ध्यान देते हैं और वे हमारे देश के बड़े और महान लोग हैं और उन्हीं के आदर्श पर विद्यार्थी चलना चाहते हैं। वे इस बात को देखते हैं कि इन लोगों के रहन-सहन, खान-पान का तरीका कैसा है, उनके बोल चाल और जीवन व्यतीत करने का ढंग कैसा है और उन्हीं का निरीक्षण वे करना चाहते हैं। यह भी परोक्ष शिक्षा संस्थायें हैं, तो आज हमें इसको भी बदलना होगा। इसके लिये हमारे सदन के माननीय सदस्यों को भी अपने रहन-सहन का ढंग ठीक करना चाहिए। आपको भी इसमें तब्दीली करनी चाहिए ताकि नौजवान लोग उसी का अनुशरण कर सकें। बेकारी की समस्या जैसा कि मेरा ख्याल है एक तो अतीत की है और एक कल्पित है। मैं इसके लिये एक बात कहूंगा कि हाल ही में मैं अपने एक किसान मित्र के घर गया था तो वहां उसके पढ़े-लिखे ६ ग्रेजुएट लड़के थे और उसके घर में २४ बैल बंधे हुये थे, तो मैंने उससे पूछा की घर में तुम्हारा काम करने के लिये कितने आदमी है, तो उसने कहा कि कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि फिर तुम क्या करते हो, तो इसका जवाब उसके पास नहीं था। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकारी नौकरी में जो लोग लिये जाते हैं तो सरकार को यह देखना चाहिए कि जो लोग उसके लिये योग्य हैं वह उन्हीं को ले। जिन लोगों के पास जमीन है, साधन है और व्यापार करने के लिये बहुत सा रुपया पैसा है, वे अपने उस कार्य को करें। इस बात की तरफ सरकार को अवश्य तवज्जह देना चाहिए और इस तरह करने से बेकारी की समस्या बहुत अंशों में हल भी हो सकती है।

अब थोड़ी सी चरचा मैं कुम्भ मेले की करना चाहता हूं। यद्यपि मैंने २० आदमियों से जो कि वहां गये थे और जिनसे मैंने पूछा था, पता लगाया तो उन्होंने कुम्भ के मेले के इन्तजाम की भूरि-भूरि प्रसंशा की है। साथ ही जो दुर्घटना वहां घटित हुई है उससे हमारे देश के लोगों को ही नहीं बल्कि संसार के लोगों को भी दुख है। लेकिन जो दो बड़े व्यक्तियों के ऊपर लांछन लगाये गये हैं वह उचित नहीं है।

मुझे आश्चर्य हुआ पिछले भाषणों को सुन करके, वह इसलिये कि जो घटना हुई उसको सुन करक आज हम दुखी है, देश विदेश दुखी है तो ऐसी घटना सुनकर [illegible] अन्य लोग दावत, नाच, रंग, और आमोद-प्रमोद [illegible] नहीं मौजूद थे बल्कि उसमें राष्ट्रपति और पं० जवाहर लाल नेहरू भी मौजूद थे, तो क्या यह सब सारे आदमी इतने हृदय हीन हैं, संगदिल हैं,

कर्तव्यहीन हैं और मनुष्यता से दूर हैं, ऐसा उनके भाषणों से प्रतीत होता है। एक भाई ने यह भी कहा कि गुप्ता जी ने वक्तव्य में यह भी कहा कि घटना के एक घंटे के बाद मैं मुख्य मन्त्री जी के साथ उस स्थान पर गया था और ५ घन्टे बाद दावत हुई। मेरी समझ में नहीं आया कि उस भाई ने गुप्ता जी की बात सुनी है उनके मुंह से या उन्होंने यह कहा है कि सूचना मिलने के घंटे भर बाद हम गये थे तो इन दोनों बातों के अन्दर अन्तर है।

अब सदन के माननीय सदस्यों के सामने यह प्रश्न है कि हम सोचें कि पंडित जवाहर लाल नेहरू, राष्ट्रपति, मुख्य मन्त्री तथा राज्य पाल जी यह तमाम उस कटघरे में हैं जो मनुष्य श्रेणी के नीचे हैं। यह संभव है और यह सत्य हो सकता है और कयास में आ सकता है कि सूचना न मिली हो। हां, यह मानी हुई बात है कि भूल हो सकती ह और यह निश्चित है कि सूचना न मिली हो। अब दो चीजें हैं उसके लिये समिति बैठाई गयी है, वह छान बीन करेगी जिसने सूचना न दी होगी उसका भयानक अपराध है इसलिये छानबीन हो रही है और उसके लिये इस समय मौका नहीं है। अतः मैं माननीय सदस्यों से उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा नम्र निवेदन करूंगा कि पार्टी के प्रचार क लिये एक तरीका होना चाहिए और ऐसे तरीके नहीं अपनाने चाहिए जो आज मैंने इस सदन में सुने हैं। किसी आदमी को आगे बढ़ने से रोकने के लिये दो तरीके हैं। एक तो उसके आगे दौड़कर उसको पीछे कर देना और दूसरा तरीका यह है कि उसको पीछे से खींच लेना और खुद आगे निकल जाना और एक तरीका तीसरा है कि आगे जाने वालों को गढ़े में ढकेल देना, जहां खतरा हो कि वह चोट खा जाय, तो यह तरीका शोभनीय नहीं ह। मुझे दुख है कि इस तरह से आक्षेप किये गये हैं।

शासन व्यवस्था पर इसके बाद मैं विचार करूंगा और इस बात का निवेदन करूंगा कि सदन उसे सोचे। राज्यपाल ने बीते वर्ष का सिंहावलोकन किया है और आने वाले वर्ष में क्या काम होने जा रहा है उसकी भी चर्चा उन्होंने की है। यह भी मानी हुई बात है कि देश में बहुत कमी है। राज्य में अनेकों त्रुटियां हैं। एक साल के अन्दर इन कमियों को दूर करना संभव नहीं हो सकता है। इसके लिये समय चाहिए। प्रयत्न कितना अधिक सरकार कर रही है यह ईमानदारी के साथ हम और आप सोच सकते हैं। सफलता जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। परन्तु सफलता न मिलने का मुख्य कारण क्या है यह भी हमको सोचना है। उसका मुख्य कारण मेरी समझ में यह है कि कोई भी देश जो आजाद हुआ हो उस देश के तमाम सारे लोगों का एक कर्तव्य होता है और वह यह कि देश के तमाम सारे लोग, जो कार्यक्रम निश्चित किया जाता है, तन से, मन से उस कार्यक्रम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद आ रहा है, भाई गोविंद सहाय जी यहां मौजूद नहीं हैं। दो साल पहले वह विदेश गये थे। वहां से वापस आने पर उस देश के किसी नौजवान का जिक्र करते हुये उन्होंने बताया था कि वह नौजवान जब मुझसे मिला तो उसके पैर में जूता नहीं था, वह काफी पढ़ा लिखा भी था, उस से उन्होंने पूछा कि तुम्हारी कैसी सरकार है जिस ने तुम्हारे लिए जूते तक का प्रबंध नहीं किया। उस नौजवान ने जवाब दिया कि तुम कैसे गए गुजरे आदमी हो जो ऐसा प्रश्न हमसे कर रहे हो जब कि हमारी सरकार देश के महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त है। उसको इस बात की फुर्सत भी नहीं है कि इस बात को सोचे कि हमारे पैर में जूता है या नहीं। हम और आप इस चीज को बखूबी शायद नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिये यह अव्यवस्था है और शासन सफल नहीं हो रहा है। क्या आये दिन जो हड़तालें हो रही हैं उसमें कटु सत्य नहीं है कि पार्टियों का बड़ा हाथ होता ह। क्या यह पार्टियां इस बात का प्रयत्न नहीं कर रही हैं कि जनता में सरकार के प्रति असंतोष की भावना पैदा हो और सरकार असफल हो और हमको कहने का मौका मिले कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या किसी आजाद देश के लिये यह शुभ चिन्ह ह। क्या सफलता का यही मार्ग है जो हमारे देश की विभिन्न पार्टियों के लोग कर रहे हैं। मैं जानता

[श्री विश्वनाथ]

हूं और अपने जिले को देख कर थोड़ा सा तजुर्बा भी है । मेरे जिले में सोशलिस्ट पार्टी ने एक बहुत बड़ा असन्तोष फैलाया, उसका नतीजा यह हुआ कि सारे लोग समाजवादी तो नहीं बने परन्तु कम्युनिस्ट बन गये ! उनका आज मुकाबिला करना पड़ रहा है । मैं कम्युनिस्ट भाइयों से तो नहीं परन्तु दूसरे दल वालों से, खास तौर से सोशलिस्ट भाइयों से जो कम्युनिस्टों को पसन्द नहीं करते यह निवेदन करूंगा कि प्रचार का यह तरीका उनके लिये खतरनाक है, कांग्रेस के लिये खतरनाक है और देश के लिये खतरनाक है। इस लिए हम समय रहते सतर्क हो जायें और इस बात पर विचार करें कि कौन सा मार्ग है जिससे देश और राज्य का कल्याण होगा ।

डाक्टर प्यारे लाल श्रीवास्तव (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—Sir, with your permission I rise to support the motion of thanks to Sri Rajyapal which has been so ably moved and supported by several members of this House. It is a record—Sri Rajyapal's address is a record—of work that has been done by this Government during the last year for the benefit of the people in the various spheres of our national life. The Government deserves our congratulations for doing all it could to convert this police State into a welfare State and is entitled to our fullest support and co-operation in the various schemes which it has undertaken and which it proposes to undertake in future. Sri Rajyapal has also invited the people of the State as well as the members of this legislature to offer responsible criticisms and constructive suggestions. Taking advantage of that very kind invitation I would like to make a few observations on the floor of this House.

Sir, the one lesson which we have all learnt from the life of Mahatma Gandhi is the lesson that we must accept our mistakes whenever we feel that these mistakes have been committed. My advice to the Government is that in the matter of the Kumbh Mela tragedy we should all be prepared to accept our mistakes and shortcomings whenever we feel convinced that these mistakes have been committed. It is only by doing such things that the Government can keep this controversial question above party politics. There is no denying the fact that the State Government as well as the Central Government did all that lay in their power to make the travel of the pilgrims comfortable, as also to make their stay at Allahabad convenient and comfortable, and yet as luck would have it we must admit that the arrangements made by our Government not only failed but actually collapsed. I was at a distance of 50 yards from the Bund at about 11.30 on the 3rd Feburary when volunteers as well as loud speakers persuaded me and other pilgrims to desist from going further as great calamity and catastrophe had taken place below the Bund. In obedience to that call most of us returned disappointed from the mela area. I am talking to you, Sir, of the time 11.30. There was a good announcement going on. As a citizen of Allahabad and member of this Council I felt deeply grieved and distressed and had no heart to attend the party in the afternoon though I had accepted the invitation. I hope this would not mean any disrespect to the distinguished guests who had been invited to that party. What the facts about the information are, I am not in a position to say, but while lying distressed at my house I had hoped that

the party which was going on in the Government House would convert itself into mourning party and pass a condolence resolution under the distinguished chairmanship of Dr. Rajendra Prasad, the President of the Republic. This is an omission which we deeply regret and deplore.

इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

A condolence resolution should have been passed by the members present on the lawns of the Government House that afternoon. The second omission to which I would draw the kind attention of the Government is that a lot of delay has already taken place in the appointment of the Enquiry Committee. This is a matter in which all red-tapism should have been brushed aside. The Committee should have been appointed within 24 hours of the happening, and it should have started functioning within 48 hours of the happening so that the large number of pilgrims who had assembled at the Kumbh would have come forward to give their evidence as eye-witnesses. When the whole mela area has been cleared off and all the outside pilgrims have moved out, what is the use of inviting them to come and appear before the Committee as eyewitnesses. This is my submission. Even now it is not too late to see to it that before the Kumbh Mela finishes, the Committee starts functioning. Even now there is a large number of pilgrims still staying on and a large number of pilgrims is expected to be present on the 17th, the next bathing day. I hope the Committee will have made a good progress in its work by that time. It is not for me, Sir, to anticipate the findings of the Committee and to say where the mistakes have been committed. Mistakes have undoubtedly been committed. I had hoped that the arrangements made under the distinguished leadership of our Premier and of the Prime Minister of India, would prove success but unfortunately they failed. The Committee will undoubtedly find out the reasons for the failure of these arrangements, but one thing, i.e., one obvious defect, appears to me such as I would like to bring to the notice of the Government as well as the members of the Committee. One fails to understand why the entire area below the Bund lying between the Ganga and the Yumna had not been cleared of ponds and ditches. These ponds and ditches actually proved the graveyard of a large number of our pilgrims. Had these ponds and ditches been filled up many precious lives would have been saved.

Now, coming Sir, to the subject of education, I would like the Government to very seriously consider the demand that has been made today by several distinguished members of this House, particularly by Dr. Ishwari Prasad, Professor Mukut Behari Lal and Sri Kanhaya Lal Gupta for the appointment of a Committee to decide the content and scheme of primary education. I made an appeal to the Government to consider the advisability of the appointment of this Committee about a year ago. The Government has paid no attention to my request. The same demand has been pressed today by much bigger and abler people than myself and I hope the Government will very kindly agree to the immediate ap-

[डाक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव]

pointment of a Committee to decide the syllabus and scheme of primary education. My humble submission is that the primary education is the basis and foundation of all education. Unless you improve the primary education, you will not be able to build a good structure of secondary education or even of University Education. The present state of primary education is far from satisfactory. The standard of primary education has gone down considerably and I am not satisfied with the standard which obtains in our primary schools today. Therefore the appointment of a Committee of experts to undertake the task of advising the Government on the content and scheme of primary education is immediately needed.

As regards the secondary education, as has been pointed out by several speakers in this House, it is now time for the Government to announce its decision with regard to the two reports which have been made public on the subject of secondary education during the last several months, I mean the reports of the Acharya Narendra Dev Committee and the Mudaliar Committee. I hope the Government will find it possible to come to certain decisions with regard to those reports and implement them. The only reference in Sri Rajyapal's address to the secondary education is the conversion of higher secondary schools into multi-purpose schools. I am very happy about that reform and in my humble opinion the sooner the Government does it, the better it is. I as president of the Kayastha Pathshala, will convert immediately one of our schools into a multi-purpose school the moment the Government passes the necessary legislation in that respect. We are all eagerly looking forward to that reform and I hope the Government will take early steps to proceed forward with the necessary legislation. With regard to the conditions of service of the teachers, a good deal has already been said by Professor Mukut Behari Lal and Sri Kanahaya Lal Gupta. A large number of teachers is sitting on the streets of Calcutta. I hope the Government will take a lesson from the agitation being carried on in other provinces and try to ameliorate the condition of our teachers. Dr. Radha Krishnan, our Vive-President said the other day that the conditions of service of teachers required great improvement. Even on to say that their conditions of service and emoluments should be practically the same as the Indian Administrative Service Officers' enrolments and conditions are. I do not know whether the Government has paid any attention to what Dr. Radha Krishnan has said on the question of improvement of the lot of teachers. The Central Advisory Committee on Education has also made certain recommendations with regard to the raising of the standard of teachers. Sir, I heard the other day that the Government has cut down 15 per cent. from the grants to the Degree Colleges and 8 per cent. from the grants to the Intermediate and High School Institutions. I hope these grants will soon be restored and a false economy will not be practised by the Government in making our inefficient institutions still more inefficient by withholding the usual grants to these institutions.

One word more, Sir, with regard to the controls. Sri Rajyapal's address says that the Government is following a policy of gradual decontrol. I would like the Government to consider whether the time has not come to amend the Act concerning rent control. We want that more houses should be built and the old and wretched houses should be demolished and they should be replaced by fine buildings. Government might as well consider whether this Act also needs some amendment.

Then, as has been rightly said, there is no mention in the address with regard to the relief from any taxation. The one tax which is falling very heavily on our students is the duty on electricity. There is a great agitation going on in the University of Allahabad with regard to this heavy duty on electricity. It is not possible for the University to meet that duty. That duty has got to be met by the students themselves and they are most reluctant to pay it. So these are some of the suggestions which I would place before the Government for its very kind and sympathetic consideration, and I hope it will take our criticism in the spirit in which it has been made. With these observations, Sir, I support the motion of thanks to the Governor which has been so ably moved by my friend, Sri Jyoti Prasad Gupta.

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र)---माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने जो संबोधन दोनों सदनों को दिया है मैं उसके समर्थन के लिये और उनके धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक देश की प्रगति का सवाल है हमारा यह प्रदेश किसी भी देश से प्रगति में कम नहीं रहा है। पंच वर्षीय प्लान जो चल रहा है, मुझे खुशी है कि इस सिलसिले में भी हमारे प्रदेश ने और दूसरे प्रदशों से कहीं अधिक उन्नति का कार्य किया है और इस अर्से में, ढाई या तीन साल के अर्से में जो पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया है उसमें भी हमारे प्रदेश ने दूसरे प्रदेशों से कहीं अधिक काम किया है। देश क स्वतंत्र होने के बाद हमारे सामने जो सबसे प्रमुख समस्या थी वह खाने की थी। इसी को ध्यान में रख कर यह उचित समझा गया कि एग्रीकल्चर और इरीगेशन के कार्य को प्राथमिकता दी जाय और इस कार्य की तरफ हमारे स्टेट ने अधिक से अधिक कार्य किया है।

हमारे प्रदेश में जो स्कीमें हैं उन्हें आप देखें, सैकड़ों मील लम्बी नहरें बन चुकी हैं, हजारों की संख्या में ट्यूबवेल्स बन गये हैं, बांध बड़े बड़े बांधे गए, उनसे हमारी खाद्य समस्या का हल होता है। हमारे प्रदेश ने दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में काफी उन्नति की है। खाद्य समस्या में आज वह आत्मनिर्भर है। देश का विभाजन हो जाने से कई प्रदेश जहां काफी खाद्य का उत्पादन होता था हमारे बीच से निकल गये। जो दूसरे प्रदेशों को काफी सहायता देते थे, उनके निकल जाने से खाद्य की समस्या अंग्रेजों की राज्य से अधिक जटिल हो गई थी। उस पर काबू पाना कोई आसान काम न था। क्या खाद्य समस्या का हाल हमारे प्रदेश के लिये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है।

कपड़े के मामले में भी हमारा प्रदेश स्वावलम्बी हो गया है। आज हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों को काफी मात्रा में कपड़ा भेजता रहता है, इतना ही नहीं हमारे प्रदेश से काफी कपड़ा बाहर एक्सपोर्ट होता है। यह भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यह कहना कि कोई उन्नति नहीं हुई मुनासिब नहीं है बल्कि निर्मूल है।

[श्री प्रेम चन्द्र शर्मा]

जहां तक कुम्भ का मामला है लोगों न इन्तजाम की काफी प्रशंसा की है। जो आई विटनेस हैं ख्वाह उनको कुछ चोट पहुंची हो मगर उन्होंने भी कहा है कि इंतजाम बहुत ही सराहनीय था। सेनिटेशन आज तक कभी इतना अच्छा नहीं हो सका था। डी० डी० टी० बहुत काफी छिड़की गयी थी। कहीं भी सिग्रेट का एक टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ नहीं मिलता था। पुलिस और दूसरे इंतजाम भी काफी अच्छे रहे। लेकिन यह पहले से अनुमान नहीं किया जा सकता था कि कोई इस तरह की दुर्घटना होने वाली है ५० लाख के मेले में। जहां कुंभ मेले में सैकड़ों के डूबने की दुर्घटनायें होती थीं वहां अगर एक आध हो भी गई हो तो वह नेगलेक्ट करने के बराबर है क्योंकि लाइफ बोट्स का बहुत ही अच्छा प्रबंध था। बस यही कहा जा सकता है कि होने वाली चीज टाले नहीं टाली जा सकती। इतनी जानें जानी थीं वह चली गयीं, उनको कोई रोक नहीं सकता था। ऐसी दुर्घटना को लेकर अगर कोई पार्टी अपने पार्टी प्रोपेगेंडा के लिये प्रचार करे, उसे पार्टी स्टन्ट बना ले तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य देश का, सरकार और जनता का क्या हो सकता है। जो लोग वहां पर प्रत्यक्ष दर्शी थे उनमें एक हमारे माननीय सदस्य प्रोफेसर राम किशोर शर्मा भी थे। उन्होंने अभी कहा है कि मैं इस दुर्घटना से ५० कदम की दूरी पर था। उन्होंने कहा है कि मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई इंतजाम की कमी नहीं थी और न कोई जानकारी ही थी कि इस तरह की दुर्घटना होने वाली है। बल्कि लाउड स्पीकर से बार बार कह रहे थे कि संगम पर बड़ी भारी भीड़ है वहां पर न जाओ लेकिन लोग गए थे। वहां पर उस वक्त अगर कितनी ही पुलिस क्यों न होती लेकिन इंतजाम करना बड़ा कठिन हो गया था। यह कहना कि वहां पर बड़े बड़े नेता पहुंच गए थे जिसकी वजह से पुलिस उस तरफ चली गयी, मैं कहता हूं कि असलियत से अपने को दूर रखना है। हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तुरन्त ही जो वक्तव्य दिया था उसमें बतलाया कि केवल तीन पुलिस के आदमी मेरे साथ थे। जब प्राइम मिनिस्टर के साथ केवल तीन आदमी थे तो क्या आप कह सकते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों के साथ हजारों पुलिस रही होगी। इस तरह से कहना अपने आपको असलियत से दूर रखना है। जहां तक सुरक्षा के संबंध में कहा जाता है कि प्रजातन्त्र का युग है, उसमें मिनिस्टर्स, गवर्नर और राष्ट्रपति को भी वहां पर भीड़ में घूमना चाहिये। मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक ठीक है कि राष्ट्रपति को वहां भीड़ में घूमना चाहिये था। यह अक्लमंदी इस प्रदेश की कहां तक ठीक होगी अगर वहां सुरक्षा का प्रबन्ध न कर सके क्योंकि इस देश में ऐसे भी एलीमेंट है जिन्होंने गांधी जी की जान ली है। तो क्या हम अपने राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का भी प्रबन्ध न करें! इस तरह से प्रजातन्त्र की दुहाई देना ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि कहने वाले खुद इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब विरोधी दल के सदस्य अपनी पार्टी की मीटिंग में जाते हैं तो उनको मालायें पहनायी जाती हैं और उनको जनता से ऊंचे मंच पर बैठाया जाता है। यह सब बातें ध्यान में होते हुए इस तरह से सरकार को क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है।

जहां तक प्रशासन का सवाल है बड़े बड़े प्रयोग इस देश में किए जा रहे हैं। अभी कर्मनाशा नदी पर गवर्नमेंट की तरफ से एक बांध बनाया जा रहा है और वहां पर हजारों कैदी काम कर रहे हैं। वे बड़ी स्वच्छंदता से काम कर रहे हैं और जो काम वे करते हैं उस के एवज में उनको पैसा मिलता है। वे उस पैसे को अपने घर भी भेजते हैं और दूसरा उपयोग भी करते हैं। कोई प्रतिबन्ध के न होते हुए भी कोई कैदी भागा नहीं है। यह कितना बड़ा एक्सपेरीमेंट हो रहा है जो दुनियां के लिये एक नया प्रयोग है। इस तरीके से काम इस प्रदेश में हो रहे हैं लेकिन आप उनको नजरअन्दाज करके नुक्स को देखते हैं। इससे सरकार को कोई सहायता नहीं मिलती है।

जहां तक महामहिम राज्यपाल महोदय ने सब लोगों से कोआपरेशन और देश में जो निर्माण की स्कीमें हो रही हैं उनके लिये सहयोग देने की अपील की है मैं समझता हूं कि सभी वर्ग और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ऐसी ही स्प्रिट होनी होनी चाहिये जिस स्प्रिट में राज्यपाल महोदय ने संबोधन करते हुए कहा है। इन शब्दों के साथ मैं उस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो माननीय ज्योति प्रसाद जी ने राज्यपाल महोदय के संबोधन के प्रति प्रस्तुत किया है।

श्री अम्बिका प्रसाद वाजपेयी (नाम निर्देशित)--अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के संबोधन के संबंध में इस सदन में बहुत सी बात कही गयीं हैं। परन्तु कुंभ दुर्घटना के कारण उसी को महत्व दिया गया है और एसा स्वाभाविक भी है। कुंभ के संबंध में कोई यह बात नहीं कह सकता कि जानबूझ कर हमारे अधिकारियों ने वह दुर्घटना करवाई है। परन्तु असावधानी के कारण यह दुर्घटना हुई है इसमें संदेह नहीं है। यह कहा जाय कि नहीं साहब हर प्रकार का प्रबंध था दुर्घटना अपने आप ही हो गई, तो यह बात समझ में आने के योग्य नहीं है। इस में जो सबसे बड़ी आपत्ति की जा रही है वह यह है कि इसी दुर्घटना के बाद गवर्नमेंट हाउस में पार्टी हुई। वास्तव में हमारे शासक स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जिस प्रकार से जनता से घुलमिल कर रहते थे उस प्रकार से अब के घुलमिल कर नहीं रहते हैं। यदि वह पहले की ही तरह से जनता से मिल जुल कर रहते तो इस प्रकार की दुर्घटना न हुई होती। बड़े आश्चर्य की बात है कि ८ घंटे तक माननीय मुख्य मंत्री जी को यह सूचना नहीं मिली। अंग्रेजों का जमाना होता तो हम सब उनकी निन्दा करते। वास्तव में आजकल के अधिकारी विदशी बनते चले जा रहे हैं। अगर माननीय मुख्य मंत्री को अधिकारियों ने सूचना नहीं दी थी तो दूसरों से उन्हें सूचना मिल सकती थी। अपने किसी चपरासी या दूसरे नौकर के जरिये से वह यह हाल मालूम कर सकते थे। उस समय लोगों ने देखा कि पार्टी में विघ्न डालना ठीक नहीं है। गुजराती ब्राह्मणों में इस प्रकार का नियम है कि जब कोई इस प्रकार की शोक सूचना आती है तो लिफाफे पर लिख दिया जाता है कि स्नान करो। सब काम से निपट कर वह लिफाफ खोला जाता है और तब स्नान किया जाता है। इसी प्रकार वहां भी लोगों ने समझा कि पार्टी हो रही है इसमें विघ्न डालना ठीक नहीं है। पर पार्टी होने के बाद भी जैसा डाक्टर प्यारे लाल जी ने कहा कि शोक प्रस्ताव पार्टी में नहीं हुआ जो होना चाहिये था। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं हमको जनता को उसी दृष्टि से देखना चाहिये। हम यह बात कहते हैं कि यह दुर्घटना जानबूझ कर नहीं हुई पर यह मानना ही पड़ेगा कि यह दुर्घटना असावधानी के कारण हो गई, यह बात छिपाई नहीं जा सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसका उत्तरदायित्व किस पर है। पाकिस्तान में दो सौ आदमियों के मरने पर पार्टी बन्द कर दी गयी और हमारे यहां दुर्घटना के ८ घंटे के बाद पार्टी हुई यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है। इसके कारण हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे दश में भी बड़ी बदनामी हुई।

राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के संबंध में अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा का प्रसार काफी हो रहा है। कलकत्ता में सेकेंडरी एज्युकेशन के शिक्षकों ने हड़ताल की है।

जब हड़ताल होती है तो कहा जाता है कि विरोधी दल के लोग इस प्रकार की हड़तालें करते हैं। हड़ताल तो वह लोग करते हैं जिनके पेट में दाना नहीं पड़ता है जिसके पेट में दाना पड़ेगा वह हड़ताल करने पर भी राजी नहीं होगा। मिनिस्टरों से कहा जाय कि वह हड़ताल करें तो वह कभी भी करने के लिये तैयार नहीं होंगे

[श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी]

क्योंकि उनके पेट में दाना पड़ जाता है। मैं समझता हूं कि इस तरह से दूसरी पार्टी को दोष देना ठीक नहीं है। जब तक अध्यापकों को उचित वेतन नहीं मिलेगा, उनकी कठिनाइयां दूर नहीं हो जायेंगी तब तक अन्य उपाय व्यर्थ होने पर वह हड़ताल करेंगे ही। इन बातों में कोई तत्व नहीं है कि शिक्षक भड़काने से हड़ताल करते हैं तत्व तो इस बात में है कि शिक्षकों को यथष्ट वेतन दिया जाय, समय पर उनको वेतन मिले, उनकी कठिनाइयां दूर हों, तब कहीं जा कर वह अच्छा काम करेंगे और देश की उन्नति में हाथ बटायेंगे। भूखे भजन न होय गोपाला, यह ले कंठी यह लो माला। आप सिच्युएशन को फेस नहीं करते है और खाली कह देते हैं कि दूसरी पार्टी वाले जनता को भ्रम में डालते हैं। मैं तो कहता हूं कि इसको भरमाना नहीं कहते, भरमाना तो तब होता है जब आदमी के अपने दिमाग में भ्रम पैदा होता है। कोई जान बूझ कर हड़ताल नहीं करता है, जब लाचारी होती है तब जाकर आदमी को हड़ताल की शरण लेनी पड़ती है। ऐसी सूरत में यह कहना कि आप अपोजिट पार्टी भड़काती है, निर्मूल है। हां, भड़काती उस समय जरूर है जब उसके पास भड़काने के लिये मसाला होता है, जब उसमें कोई तत्व होता है और जब मसाला होता है तभी उसको दियासलाई दिखा कर भड़काया जा सकता है। अगर उसमें कोई तत्व नहीं है तो फिर भड़काने की बात पैदा हो ही नहीं सकती। भखा या अभावग्रस्त ही हड़ताल करता है। जिनका पेट भरा रहता है वे हड़ताल नहीं करते। यह बात नहीं भूलनी चाहिये।

इसी तरह से श्रमदान के बारे में भी ढोल पीटा जा रहा । लेकिन उसका कुछ फल नहीं होता। फल सिर्फ इतना होता है कि कोई अधिकारी कहीं जा कर फावड़ा अपने हाथ में ले लेता है और उधर से उसकी फोटो खिंच जाती है। यही साधन हैं जो कि आजकल इस विषय में अपनाये जाते है। पहले जब कभी कोई भिखारी पैसा मांगता था तो हम उसको कहते थे कि जाओ मजदूरी करो और डलिया ढोओ। लेकिन अब तो डलिया ढोने का काम हमारे मंत्री करते हैं, तो वे बचारे क्या करेंगे। इसलिये उनको पैसा देना ही पड़ता है, तो आजकल हमारे देश की यह स्थिति हो गई है कि मजदूरों को भी काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से बेकारी और जोर पकड़ती जा रही है। कहा जाता है कि इतनी सड़कें बनाई गई, इतना काम हुआ, लेकिन उससे क्या होता है। सड़कें बनाने वाले तो सड़क बनायंगे और अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि श्रमदान से कितनी सड़कें बनी, उनमें आधी से ज्यादा सड़क मजदूरों द्वारा बनाई गई, तो हमें यह सब बातें सोचनी चाहिये और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिसमें लोगों को कुछ कहने का मौका मिले।

दूसरी बात मैं शिक्षा के विषय में और बेकारी के विषय में कहूंगा। बेकारी की समस्या आज दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और उसके लिये आपका, प्रयत्न रहा है कि बड़े भारी पैमाने में कहीं हैन्डीक्रेफ्ट की व्यवस्था की गई, कहीं काटेज इंडस्ट्रीज चलाई गई परन्तु इससे भी कहीं बेकारी दूर होती है। बेकारी ऐसी कोई चीज नहीं है जो काटेज इंडस्ट्रीज से दूर हो जाय। आज जो पढ़े लिखे लोग है उनको नौकरी नहीं मिलती और उनके लिये कहा जाता है कि वे जाकर व्यापार करें, उनको नौकरी नहीं करनी चाहिये, लेकिन व्यापार के लिये भी बड़ी भारी पूंजी की आवश्यता होती है तो वह कहां से आये। इसके सिवा बिना व्यापार की शिक्षा पाये व्यापार करने में घाटा ही होता है। इस लिये व्यापार खोलने से कोई हल नहीं होगा, उसमें भी पहले धन का सवाल आता है। इसी तरह से बहुत सी बातें बेकारी को दूर करने के लिये कही गयी हैं खेती करने से बेकारी दूर नहीं होगी और न काटेज इंडस्ट्री बढ़ाने से ही बकारी दूर

होगी तथा शिक्षा में सुधार करने से ही बेकारी दूर नहीं हो सकती। इन सबकी साथ साथ व्यवस्था करने से सब कामों का मिलकर एक साथ प्रभाव पड़ने से क्युमुलेटिव एफेक्ट होने से बेकारी दूर हो जायेगी जब ऐसा होगा तभी व्यापार भी ठीक होगा। लोग अपने कारोबार में लगे रहेंगे, जब पैसा आयेगा तभी बेकारी भी दूर होगी परन्तु यहां बकारी को दूर करने के लिये कोई खास आसार नहीं दिखलाई देते। इन सब बातों से कुछ फल नहीं निकलने का। पसा होने के बाद ही इन सब चीजों को करने से सुविधायें अवश्य प्राप्त हो सकती ह। यह ऐसी बात है कि जिसके विषय में कोई मतभेद नहीं हो सकता है। यह विचार करना कि यह समस्या चुटकी बजाने से ही या छूमंतर से सुधर जायगी, तो इस तरह की बातें करने से कोई फल नहीं ह और इसमें कोई तत्व नहीं है।

चेयरमैन--कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ४ बजकर २५ मिनट पर, १३ फरवरी, १९५४, को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ,
१२ फरवरी, १९५४।

कृष्ण बहादुर सक्सेना,
सेक्रटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०--२२७ एल० सी०--१९५४--८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

१३ फरवरी, १९५४

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में हुई

उपस्थित सदस्य (५५)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विश्वनाथ, श्री
वीरभानु भाटिया, डाक्टर
वेणी प्रसाद टंडन, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे--

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री)
श्री चन्द्र भानु गुप्त (स्वास्थ्य व रसद मन्त्री)
श्री कन्हैया लाल मिश्र, ऐडवोकेट जेनरल भी उपस्थित थे ।

श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के संबोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करती हूं। यह प्रथा है और ठीक भी है कि राज्यपाल जी पिछले वर्ष की अपने प्रदेश की प्रगति और उन्नति का व्योरा इस सदन के सामने रखें। हमारी कांग्रेस सरकार ने जब से शासन अपने हाथ में लिया तो अपना लक्ष्य अपने प्रान्त की जनता की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक उन्नति को जल्द से जल्द प्राप्त कर देने में रक्खा था। हमें अभी स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए केवल ४ वर्ष व्यतीत हुए हैं। तो देखना यह कि इस अल्पकाल में हम अपने इस लक्ष्य में कहां तक पहुंच पाये हैं। यदि हम आज उत्तर प्रदेश की ओर देखें तो हम को यह विदित होगा कि इन ४ वर्षों में इसकी स्थिति में जमीन और आसमान का अन्तर हो गया है। जब हमारी सरकार ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली तो उस समय हमारे यहां अनाज की कमी की समस्या थी। अपने देश के लिये खाना पानी पूर्ण करने के लिये इस समस्या को हल करना था। इस समस्या को हटाने के लिये सिचाई की योजना आवश्यक थी और उस योजना के अन्तर्गत सरकार ने जो नहरें बनाई हैं, जो सैकड़ों ट्यूबवेल और कुएं पूर्वी जिले में बनवाये गए हैं और बहुत से बांध बन गए हैं और बनने जा रहे हैं जिससे देश की लाखों एकड़ जमीन को अधिक सिंचाई की संभावना है। उस से हमारे देश में अनाज की उत्पत्ति दुगुनी और तिगुनी के बराबर हो गयी हैं, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। एक बात हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश अनाज के मामले में सेल्फ सफीशियेंट बन गया है।

इसी प्रकार हमारे यहां जो पंचायत राज्य ऐक्ट पास हुआ था उसके नियमों के अनुसार हमारे यहां लगभग ३६ हजार गांवों में ग्राम पंचायतें और पंचायती अदालतें स्थापित कर ली गयी हैं। इन पंचायतों को वही सब स्वशासन के अधिकार प्राप्त हैं जो शहर की नगरपालिकाओं को हैं। अदालती पंचायतों से भी हमारे गांव वालों को काफी लाभ हुआ है। उनका जो समय अदालतों में नष्ट होता था और धन का खर्चा होता था तथा छोटे छोटे मुकद्दमों को लेकर वे शहरों में आते थे और वकील लोग इनका खून चूसते थे इन सबसे उनको नजात मिल गयी है। वे अपने फैसले स्वयं अपने आप करते हैं। यदि वह इन संस्थाओं को सुचारु रूप से चलायें और लोकहित के कार्यों में उनको सफलता प्राप्त हो, तो इससे गांवों की ही नहीं बल्कि सारे देश की उन्नति हो सकती है क्योंकि हमारा अधिकतर देश गांवों में ही बसा है।

शिक्षा में भी कुछ दोष के होते हुए भी काफी उन्नति हुई है। जगह जगह गांवों में अनिवार्य शिक्षा के स्कूल्स खुले हुए हैं। हमारे यहां जो बड़े-बड़े माननीय सदस्य विश्वविद्यालयों के नेता हैं यद्यपि वह शिक्षा प्रणाली को बिलकुल ठीक नहीं समझते हैं फिर भी जो उन्होंने उसमें दोष बतलाये हैं वे भी बहुत जल्दी दूर किये जा सकते हैं। फिर भी हमने शिक्षा में उन्नति की है। परन्तु अपने भाई गुरु नारायण जी की इस बात से सहमत हूं कि जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी दशा को सुधारने के लिये बावजूद बहुत दफे चेतावनी देने के भी गवर्नर महोदय ने अपने संबोधन में कोई योजना नहीं रखी है।

कर बहुत अधिक है, जिससे यह समाज दबा चला जा रहा है। अभी पिछले साल से हमारी म्युनिसिपैलिटी ने हाउस टैक्स और वाटर रेट भी बहुत अधिक कर दिया है जिसके कारण लोग बहुत परेशान हैं और यही कारण है कि लोग अब नया मकान बनाने का बहुत कम साहस करते हैं।

इसके अतिरिक्त स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिये भी मैंने इस संबोधन में कोई योजना नहीं देखी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम होता है

कि प्रत्येक विभाग का तो एक मिनिस्टर है लेकिन स्त्रियों के विभाग का कोई मिनिस्टर नहीं है। वह एक लावारिस की तरह है और उसके संबंध में कोई बात ठीक से नहीं विचार की जाती है।

हमारे राज्यपाल महोदय के संबंध में जो सबसे प्रथम बात रखी गयी है वह कुम्भ मेले की एक महान दुर्घटना है। आज प्रत्येक मनुष्य चाहे वह मिनिस्टर हो, कर्मचारी हो, सदस्य हो या जनता हो सबको इस महान दुर्घटना का दुख है और इसके बारे में अधिक बात नहीं कही जा सकती है। कुम्भ हमारे देश का एक महान पर्व है और सारे देश के कोने कोने से लोग एक बड़ी संख्या में आकर इकट्ठा होते हैं। इसमें तकलीफ और रक्षा का कोई सवाल ही नहीं उठता है और उन लोगों के हृदय में इतनी अधिक श्रद्धा और भक्ति होती है कि वह गंगा स्नान के लिये हर प्रकार की तकलीफ को सहने के लिये तैयार रहते हैं। मैंने खुद देखा कि मैदान में सड़क के किनारे पानी बरसते में वह लोग पड़े रहते हैं। सर्दी की उनको कोई परवाह नहीं होती है। उनके अन्दर तो सिर्फ एक गंगा स्नान की लगन होती है। इसमें कोई शक नहीं कि कुम्भ मेले में सरकार की ओर से जो प्रबन्ध किया गया था वह बहुत ही सुन्दर था और जिस व्यक्ति ने भी उसको देखा है वह उसकी प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकता है। वहां का प्रबन्ध बहुत ही अच्छा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं वहां पर पहली तारीख से पांच तारीख तक रही थी। अगर यह दुर्घटना न घटी होती तो सरकार की आज सब ओर से तारीफ होती, क्योंकि प्रबन्ध काफी अच्छा था। लेकिन होनहार बलवान होती है जैसा तुलसीदास जी ने कहा है कि 'हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस विधि हाथ।' परन्तु इतने अच्छे प्रबन्ध के भाग में अपजस बदा था।

अगर यह दुर्घटना न घटी होती तो अध्यक्ष महोदय, सरकार के प्रबन्ध में कोई खराबी नहीं थी। मेरी बुद्धि से दो त्रुटियां हो जाने के कारण यह महान हत्याकांड हुआ। इस मेले के संबंध में मेरा भी अपना निजी अनुभव है और वह यह कि बृटिश हुकूमत के समय में मेरे पति सेनेटरी कमिश्नर थे और उनके ही हाथों में इस मेले का प्रबन्ध रहता था और वह प्रबन्ध इस तरह का होता था कि जो बड़े बड़े जत्थे या साधुओं के अखाड़े होते थे उनको तारों की छावों नहलाया जाता था और पब्लिक को नहाने की तब तक इजाजत नहीं दी जाती थी जब तक कि वह अखाड़े और जत्थे नहा कर अपने अपने कैम्पों में न चले जाते थे। दूसरी बात यह होती थी कि उनके लिये मार्ग दूसरा होता था यानी जिस मार्ग से पब्लिक गुजरती थी उस मार्ग से इन जत्थों को नहीं निकलने दिया जाता था। इसलिये इस दुर्घटना का कारण यह हुआ कि इसमें एक दो त्रुटियां हुईं। एक तो यह कि जो मार्ग इन जत्थों के निकलने का निर्धारित किया गया था, उसका कोई प्रबन्ध नहीं था और वह भी उसी मार्ग से निकले जिस मार्ग से आम पब्लिक निकली। होना तो यह चाहिये था कि पहिले यह लोग नहा कर निकल जाते, तब पब्लिक को आज्ञा नहाने के लिये दी जाती, लेकिन वहां पहिले से ही काफी पब्लिक जमा थी और उन्होंने अपने अन्ध विश्वास के कारण उन नागाओं के पैर छुए और जैसे ही वे पैर छूने के लिये नीचे झुके फिर वह उठ न सके, न कोई उनको संभाल सका, इसी कारण यह हत्याकांड हुआ।

इसके बाद दूसरी बात इसके होने की यह भी हो सकती है कि कुंभ के पिछले दो स्नान निर्विघ्न और शांतिपूर्वक गुजरे हैं। इस प्रकार से जो वहां के लिये कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, वह संतुष्ट हो गए और उनको किसी प्रकार का खतरा नहीं रह गया और वह किसी प्रकार से यह अनुमान नहीं लगा सके कि तीसरे नहान के समय में ऐसी दुर्घटना हो सकती है। इसलिये वह निश्चित हो गए और इसमें उनकी गफलत को ही दोष दिया जा सकता है परन्तु उनके प्रबन्ध में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। यह तो निश्चित है कि हर एक इंसान से गलती होती है और फिर

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

कौन ऐसा होगा जो यह चाहेगा कि हमारी हजारों निरपराध स्त्री-बच्चे इस प्रकार निर्दयता से हत्या के शिकार हों। अब दूसरी बात यह आती है कि आठ घंटे तक हमारी सरकार को उन लोगों ने इत्तिला नहीं दी, उसका क्या कारण हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह तो आप जानते हैं कि हमारा देश सैकड़ों वर्षों से हुकूमत परस्त देश रहा है और जो अधिकारी या कर्मचारी वहां काम कर रहे थे, उनको अपने कार्य की कुशलता पर गर्व था और वह यह आशा लगाये बैठे थे कि हमारी सफलता को देखकर सरकार हमारी प्रशंसा करेगी और उसके लिये उन्होंने पूर्ण रूप से कोशिश की थी तथा उनको पूर्ण आशा थी कि उनको इस मौके पर सफलता मिलेगी लेकिन अचानक इस कांड के हो जाने से वे हतबुद्ध हो गए और उनकी समझ में नहीं आ सका कि उनका क्या कर्त्तव्य है। वह अपनी सुध-बुध खो बैठे और यही कारण था कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन पूरी तरह से नहीं कर पाये। अपनी इस गलती के ही कारण उन्होंने सरकार को सबसे बड़ी समस्या में डाल दिया। इसके साथ ही जो गवर्नर महोदय की बात इस कांड के साथ साथ आती है तो इस हत्याकांड के पूर्व ही इलाहाबाद के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति इस दावत के विरुद्ध थे। उनका यह विचार था कि यदि आज ऐसे बड़े पर्व के दिन यह दावत न की जाती तो बहुत अच्छा होता। इस दावत से वहां के लोगों और विशेषकर स्त्रियों को बहुत असुविधा हुई। कारण यह कि इस दावत में राष्ट्रपति महोदय आने वाले थे इस कारण वह उसमें भी जाने के इच्छुक थे और गंगा-स्नान भी जरूरी था। इस कारण लोगों का मत था कि यदि आज दावत न की जाती तो अच्छा होता। खैर जो हो गया सो हुआ। टुअर इज ह्यूमन। भूल चूक मनुष्य से ही होती है। इस कारण अपने विपक्षी भाइयों से यह प्रार्थना है कि वह इस राष्ट्रीय दुखद घटना को पोलिटिकल कैपिटल न बनायें। यह लोग सब सभ्य व पढ़े लिखे थे। वैसी दुर्घटना ख्याल करते हुए हर एक इंसान का दिल दुखी हो जाता है। अभी हाल में आस्ट्रेलिया में इंगलैन्ड की क्वीन एलिजाबेथ गयी थीं तो वहां पर केवल एक लाख आदमी उनके दर्शन के लिये इकट्ठा हुए थे उसमें भी स्टैम्पीड के कारण एक हजार आदमी घायल हो गए। हमारे इस कुंभ मेले में तो सात लाख आदमी जमा थे। और वे भी सब अन्धविश्वासी थे और वे नागाओं के पैरों की धूल लेने झुक पड़े और फिर किसी के संभाले न संभले। फिर भी उनकी जांच करने के लिये एक कमेटी बनाई जा रही है और उसमें जो भी बात होगी वह सब आप लोगों के सामने आयेगी तो यहां इस बात के लिये इतना जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों को यह भी देखना चाहिये कि जब कभी पहले हमारे यहां कुंभ का मेला हुआ करता था तो उसमें हजारों आदमी हैजे से मर जाया करते थे। लेकिन आज जब कि वहां लाखों की तादाद थी और उसमें से एक भी आदमी हैजे से नहीं मरा है तो इस बात के लिये क्रेडिट हमारी सरकार को मिलना चाहिये और हमारी सरकार के कर्मचारियों को भी इस बात के लिये क्रेडिट मिलना चाहिये। वहां जो प्रबन्ध किया गया है उसको हर तरफ से सफल बनाने की कोशिश की गई और पूर्णरूप से हर प्रकार के प्रयत्न किये गए जिसके बावजूद भी हमारी सरकार को पूर्ण सफलता नहीं मिली। तो इसके कारण भी हम यह कह सकते हैं कि जाको मारे साइयां कोन बचावे तोय। इन शब्दों के साथ मैं इस संबोधन के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

***श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)**--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय का जो संबोधन है, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं जानबूझ कर कुंभ की दुर्घटना की व्याख्या गवर्नर महोदय के संबोधन में चलाना

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरा यकीन है कि कोई भी हुकूमत जानबूझ कर एक तरफ तो अच्छा इंतजाम और दूसरी तरफ ऐसी घटना को कराने की कोशिश नहीं करेगी जैसा कि इस कुंभ के मेले में हुई। घटना हुई और उसके लिये सभी को अफसोस है लेकिन फिर भी कोई डाक्टर अपने मरीज को अच्छी दवा देते हुए भी उसे उसकी तकलीफ से बचा नहीं पाता है और उसकी तकलीफ बढ़ जाती है तो डाक्टर उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। इसी तरह से मैं समझता हूं कि एक सिक्यूलर स्टेट में राष्ट्र के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनका इसमें इस तरह से जाना कहां तक ठीक है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। फिर भी उनको वहां एक हिन्दू नागरिक की तरह जाना था, वहां उनको एक आम आदमी की हैसियत से जाना चाहिये था। मैंने वी० आई० पी० का लफ्ज पहले नहीं सुना था और कल ही मुझे यह मालूम हुआ कि वेरी इंपार्टेंट परसन को वी० आई० पी० कहते हैं। फिर भी कुंभ के अवसर पर उनका इस तरह से पहुंच जाने के मतलब हैं कि कुछ सर्विसेज का ध्यान उनकी तरफ हो और यह स्वाभाविक भी है, फिर भी मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह से पार्टी का होना, मुझे यकीन है कि गवर्नर महोदय को अगर यह पता होता तो कोई भी गवर्नर, फिर हमारे गवर्नर, सुना है कि कवि हैं, उनको पता होता तो शायद खाना भी नहीं खाते। अगर उन्होंने खाया है तो किसकी गलती है इस बात पर ज्यादा कहने से कोई खास मतलब हल नहीं होता है। मैं जो बातें गवर्नर साहब ने अपने संबोधन में कही हैं उन पर कहूंगा।

गवर्नर महोदय के संबोधन के पढ़ने से यह मालूम होता है कि इस प्रदेश में चारों ओर सुख समृद्धि और भाईचारे की लहर दौड़ रही है और सूबे में काफी तरक्की दिखाई दे रही है। अगर यह बात सही है तो मैं कहता हूं कि चाहे विरोधी पक्ष के लोग हों या पार्टी के लोग हों हर एक को मुबारकबाद देना चाहिये। मगर जब मैं सदन के बाहर जाता हूं और लोगों के चेहरे देखता हूं मुख्तलिफ तबकों के लोगों से बात करता हूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि आज की दुनिया दो बन गई हैं। एक तो दुनिया वह है जिनमें लोगों का ख्याल है कि हम जन्नत की तरफ जा रहे हैं और दूसरी दुनियां वह है जिनमें लोगों का ख्याल है और वह समझ रहे हैं कि हम परेशानी, बेबसी, तकलीफ, बेरोजगारी और मायूसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यह इस बात से पता चलता है और मुझे यकीन है अगर शासन के अन्दर काम करने वालों से सीक्रेटली पूछा जाय कि सरकार की कार्य प्रणाली जिससे शासन हो रहा है उसके बारे में उनकी क्या राय है, तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं और मेरा ख्याल है कि ८५ फीसदी गवर्नमेंट सर्वेन्ट मौजूदा व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और उनका ख्याल है कि यह शासन शोषण करता जा रहा है। इसी तरह से हर तबके को मैं देखता हूं। चाहे किसान हो या मजदूर हो या मध्यम वर्ग हो, सभी लोग मौजूदा हालत में अपने को परेशान पाते हैं। जब उत्पादन बढ़ता है तो खरीदने की शक्ति गिर जाती है। रोजगार बढ़ता है तो दिवाले निकलते हैं। आप अगर बृटिश काल के १०० साल के आंकड़े लीजिए, ऐसी बात कभी नहीं हुई। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो पैदा होता है उसके लिये बाजार नहीं मिल रहा है। उद्योग धंधों की भी यही हालत है। मुरादाबाद के धंधे को लीजिए, बरतन का काम ठप हो गया है, और अलीगढ़ के तालों का काम खत्म हो गया है। पूंजीपति जो है वह अपना सरमाया सतह पर लाता नहीं है। रोजगार बन्द करने की तरकीबें निकालता है और फैक्ट्रीज को बन्द करता जाता है। तो मैं अगर किसी सरकार को जांचता हूं तो दो बातों से जांचता हूं एक तो यह कि जो उसने आबजेक्टिव सामाजिक ध्येय को हासिल करने के लिये रखा है उस कार्य में सरकार कितना कार्य कर रही है और लोगों के सुधार में कितना कामयाब हो रही है। दूसरा यह कि जो सोशल आब्जेक्टिव रखा है उसमें सरकार कितना लगाव रखती है और लोग कितना उसके लगाव में हैं और जितना जोश होना चाहिये वह महसूस करते हैं या नहीं और काम करने की ताकत पैदा हो रही है, हमारे दिमाग

[श्री गोविन्द सहाय]

ठीक हो रहे हैं और अखलाक ठीक हो रहा है या नहीं। जब मैं इस नजर से देखता हूं तो हमारे सामने सवाल यह आता है कि इस स्टेट में जो सोशल आब्जेक्टिव हमने और आपने किया है वह क्या है। अभी ३ साल पहले गवर्नर महोदय ने भी कहा था कि हम कोआपरेटिव कामनवेल्थ बनाना चाहते हैं और उसके बाद वेलफेयर स्टेट कहा था। तो इन दोनों के माने मुख्तलिफ हैं। ३ साल पहले इस सूबे के चीफ मिनिस्टर पं० गोविन्द वल्लभ पंत जी ने कहा था कि 'यू० पी० इज फुल फ्लेज्ड वेल फेयर स्टेट' और आज गवर्नर महोदय का कथन है कि हम वेलफेयर स्टेट की ओर जा रहे हैं इसके तो साफ माने हैं कि जो पार्टी इन पावर है उसके नेताओं को खुद नहीं मालूम है कि वेलफेयर स्टेट होती क्या है। वेलफेयर स्टेट सेवा समिति की स्टेट नहीं होती है जहां चारों तरफ मायूसी नजर आ रही हो और तालीम में तब्दीली की जा रही हो। वेलफेयर स्टेट शब्द ऐसा है जिसके मानी के लिये हमको और आपको हक नहीं है कि जिस तरह से चाहें पेश करें।

वेलफेयर स्टेट के पोलीटिकल डिक्शनरी में जो माने हैं, जहां से यह शब्द निकला है उसके माने हैं, वह स्टेट जो फुल इम्प्लायमेंट की तरफ चल रही हो। लोगों को सही शिक्षा, उनके जीवन में ओल्ड एज पेंशन, सुरक्षा आदि चीजों की तरफ बढ़ रही हो वही स्टेट वेलफेयर स्टेट कही जा सकती है। इस आले से जब मैं नापता हूं तो क्या पाता हूं। सन् १९५० में जितना इम्प्लायमेंट था, ५१ में उससे कम हुआ, ५२ में उससे कम हुआ ५३ और ५४ में उससे भी कम हुआ है। स्टेट की पालिसी होनी चाहिये "to move towards full employment" लेकिन हमारी स्टेट की जो पालिसी है, इस वक्त वह रिट्रेंच करने की है। इंडस्ट्रीज की पालिसी रिट्रेन्च करने की है। स्टेट की पालिसी है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको किफायतशारी करना है इसके माने हैं कि हम मुहकमा को तोड़ेंगे।

अब दूसरे आब्जेक्टिव को लीजिए। किसी सोशल आब्जेक्टिव को हासिल करने के लिये आपने क्या किया। आपने शिक्षा के लिये क्या किया, आपने ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये क्या किया, आपने सुरक्षा के लिये क्या किया। क्या आपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को उसके अनुकूल ढालने की कोशिश की है। जब तक सोशल आब्जेक्टिव के अनुकूल सारे सोशल इंस्टीट्यूशन्स नहीं बन जाते तब तक कुछ नहीं हो सकता। २६ जनवरी को जितने आंकड़े निकले हैं उनसे मालूम होता है कि सारे हिन्दोस्तान की पैदावार में १३ फीसदी की वृद्धि हुई है। मैं मान सकता हूं कि वृद्धि हुई है लेकिन परचेजिंग कैपेसिटी में ३५ से ४० फीसदी तक कमी हुई है। जनता की खरीदने की ताकत घटी है। उसकी खरीदने की ताकत बढ़नी चाहिये थी। आपने अपना सोशल आब्जेक्टिव जो कहा है उसके अनुकूल किसी चीज को नहीं बदला है। आप पुरानी ब्यूरोक्रेसी की मदद से जो वेलफेयर स्टेट के लिये नहीं बनी थी, काम कर रहे हैं। मुझे गवर्नर महोदय के ऐड्रेस में यह सुन कर ताज्जुब हुआ कि पुरानी सर्विसेज को वेलफेयर स्टेट की तरफ ले जाने के लिये डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई है। मैं कहता हूं उस कमेटी से ब्यूरोक्रेसी ज्यादा स्ट्रेंथेन होगी। आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने के नाम पर उसे ज्यादा रिजिड और सेंट्रलाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने अनइम्प्लायमेंट को दूर करने के लिये जो तरीके बरते हैं उनसे बेकारी बढ़ी है, तिजारत जाया हुई है और पैदावार को कोई खास प्रोत्साहन नहीं मिला है। इसमें नियत की बात नहीं है। मैं मानता हूं कि जो लोग उधर बैठे हैं क्या उनकी यह नियत हो सकती है कि वह लोगों में अनपापुलर हों। नियत अच्छी होते हुए भी कोई बेसिक बात आपके तरीकों में ऐसी खामी की है जिससे जो कदम आप उठाते हैं वह कदम अच्छे नतीजे दिखलाने के बजाय बुरे नतीजे दिखलाते हैं। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि कुंभ की ट्रैजिडी में भी नियत का सवाल नहीं है। एक जमाना आता है इंसानों की प्रगति में जब कि वह

जितने भी अच्छे काम करते हैं, हवा और वक्त खराब होने से वह उलटे पड़ जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि यह सूबा प्रगति करे और उसमें जो कुछ सहयोग दिया जा सकता हो, वह दें। मगर मैं पूछता हूं पब्लिक किस बात में सहयोग दे सकती है। पब्लिक बिजनेस करना चाहे तो उसे कोई ओपनिंग नहीं। कल्चरल ऐक्टिविटीज में जाना चाहे तो उसे कोई प्रोत्साहन नहीं। आज जो कवि हैं, फिलास्फर्स हैं, पेंटर्स हैं उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं। जब यह बात कही जाती है कि पब्लिक सहयोग करे तो जरूरत होती है कि उसके लिये ओपनिंग्स खोली जायें। चर्चा फाइव इयर प्लान की भी की गई है। सही बात है कि आज कल कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, जिसकी कोई योजना न हो। मैं इस बात के लिये मुबारकबाद देता हूं कि हमारी सरकार के पास योजना है। मगर योजना के लिये कुछ प्रारंभिक बातें हुआ करती हैं। स्टेट का ऊपर से हुक्म होता है कि श्रमदान करो। सही माने में श्रमदान जो है वह स्वभाव के अनुकूल है और श्रमदान अच्छी चीज है। श्रमदान का अर्थ है, श्रम का दान। श्रमदान का मतलब है कि लोगों में श्रम करने के लिये उत्साह पैदा हो जाय लेकिन आप ऊपर से डाइरेक्शन दे दें और उससे काम हो जाय तो वह श्रमदान नहीं कहलता है। वह तो फोर्स्ड लेबर होगा। वेलफेयर स्टेट फर्स्ट क्लास के स्टेट के लोगों से काम करा लेता है। बृटिश सरकार ने इस स्टेट से वार फंड में ५० लाख रुपया रेज किया था। इस तरीके से लोगों को आप ऊपर से नहीं उठा सकते हैं। मैंने भी कुछ प्लानिंग पढ़ा है उसमें बहुत सी चीजें हैं। प्लानिंग के लिये आपने कुछ नहीं किया है। तीन साल के अन्दर में यह कहा जाता है कि जरा सा और बढ़ा देने से माडल बन जायेगा। आपने लोगों को न स्टेटिस्टिकल माइंडेड बनाया है, न आप लोगों को प्लानिंग माइंडेड बनाते हैं। न आपने अपनी तालीम को जूडिशियरी के मुताबिक बनाया है आपने उसको मारकिस्ट के अनुसार बनाया है, न आपने गांधी जी की विचारधारा के अनुकूल काम किया है। आपने मार्क्स के विचारधारा के अनुकूल भी काम नहीं किया है। अगर आप लोग गांधी जी की विचारधारा के अनुकूल भी काम करेंगे तो मुझे तसल्ली होगी। गांधी जी ने दुनिया को बतलाया है कि नीचे से काम करने की भावना जागृत करो। डिसेन्ट्रलाइ-जेशन करो लेकिन आज तो सारी हिदायत लखनऊ से जाती है और यहीं से निकलती है। श्रमदान तब होता है जब आप लखनऊ से कहते हैं लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, लोगों में काम से मुहब्बत पैदा नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि आप जो स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, वह ठीक नहीं है। पहले आप का यह निश्चय था कि खूब तालीम बढ़ाओ लेकिन अब सबके सब कहते हैं कि तालीम के ऊपर ज्यादा खर्च न करो। जब तक आपकी प्लानिंग ठीक नहीं होगी तब तक आप ऐसे ही करते चले जायेंगे और करते रहेंगे। छः साल के अन्दर जो तजुर्बा होता है तो उसमें बहुत रुपया सर्फ होता है और लाखों रुपया उसमें चला जाता है। आप दुनियां के ख्यालात से शिक्षा ले सकते हैं। अगर आप दूसरे मुल्कों से शिक्षा नहीं ले सकते हैं और उससे आपको गुरेज है तो आप गांधी जी से शिक्षा ले सकते हैं। शेखचिल्ली वाली बात कहूं तो ठीक नहीं है कि सीमेन्ट और लकड़ी हो तो सारा काम हो सकता है। मुझे यकीन है कि आपकी जो यह नीति है वह अच्छी नहीं है। दो एक चीजें और हैं, जिनका जिक्र मैं दो एक मिनट में कर दूंगा। लालेस के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि समाज के लोगों का दिमाग कानून के बरतने की तरफ नहीं गया है। आज सारी सिविलियन पापुलेशन जो है वह आपके कानून को तोड़ती है, जो कि एक खतरनाक बात है। लोगों का दिमाग क्रिमिनल हो गया है इसलिये वे चोरी, डकैती तथा दूसरे किस्म के और जरायम करते हैं इससे आप समझ लीजिए कि आप सोसाइटी को किस तरफ ले जा रहे हैं। विद्यार्थियों के अन्दर झगड़ा किया गया, उनमें एक झगड़ा पैदा किया गया और कहा गया कि पोलिटिकल पार्टीज ने एक्सप्लायट किया। मैं समझता हूं कि जो पोलिटिकल पार्टी आज सब से बड़ी है वह इसकी जिम्मेदार हो सकती है।

[श्री गोविन्द सहाय]

लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ है उसकी अगर इनक्वायरी की जाय तो उस झगड़े के जिम्मेदार कई मेम्बर ऐसे मिलेंगे, जो आज गवर्नमेंट में शामिल हैं। वही समझौता हुआ जो लड़के चाहते थे, जो लड़के मांग करते थे, लेकिन इतने लोगों को बेकार परेशान किया गया। तो यह सब पोलिटिक्स कौन करता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ मेम्बर उस झगड़े के ऐसे हैं, जो गवर्नमेंट में हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोगों को आपकी नियत पर शक नहीं होना चाहिये। अगर स्टेट के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात अखबारों में छपती है तो वह इस तेजी से फैलती है जैसे रुई में आग फैलती है। इससे मालूम होता है कि लोग आपकी मौजूदा हालत, मौजूदा नीति के खिलाफ हैं। अभी म्यूनिसिपल बोर्ड के एलेक्शन हुये हैं। मैं जानता हूं कि जिस जिस जिले में कोई गवर्नमेंट का मेम्बर था वहां कांग्रेस को जरूर हराया गया है। बड़ौत, सहारनपुर, नगीना, बरेली, बहराइच, जितनी भी जगह गवर्नमेंट के मेम्बर खड़े थे उनकी डिफीट हुई है। इससे मालूम होता है कि आज लोग आपके खिलाफ हैं। लोग कांग्रेस को हराना चाहते हैं। जिस तरह आप मुल्क की तरक्की चाहते हैं मैं भी उसी तरह से मुल्क की तरक्की चाहता हूं, आज मुझे भी मुल्क से प्यार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुल्क की हालत गिरती चली जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही है, तो अब इसके लिये हम क्या कहें, सिवाय इसके कि जबान से कहने की ताकत है, जिसको इस्तेमाल कर लेते हैं। दुनिया की तवारीख में किसी पार्टी का इतना ऊंचा इतिहास नहीं रहा है जितना आपको मिला है, इतना प्यार और मुहब्बत किसी पार्टी को नहीं मिला है जितना आपको मिला है और इसके साथ ही साथ इतनी जल्दी विनाश, इतना क्रोध और गुस्सा भी किसी को नहीं मिला है जितना कि आप के खिलाफ आज है। आज वाकयात सिखा रहे हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुबारकबाद है लेकिन अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं उन वाकयात से, तो उसका नतीजा कुछ सही न होगा।

*श्रीमती महादेवी वर्मा (नाम निर्देशित)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषाद के वातावरण में आज हम माननीय राज्यपाल के सम्बोधन पर विचार कर रहे हैं उसमें हमारी श्रद्धांजलि भी शामिल है। किसी गंभीर शोक के अवसर पर कुछ कहना बड़ा कठिन है। माननीय राज्यपाल के संबोधन का आरम्भ ही दुर्घटना से हुआ है और जहां दुर्घटना हुई है उसी शहर से मैं आ रही हूं। इसलिये मेरा हृदय भी दुःख से भरा हुआ है। जब कोई महान हानि हो जाती है तो मनुष्य अपनी भूलों को बढ़ा-बढ़ा कर देखता है और सोचता है कि ऐसा करता तो ऐसा न होता। यहां मैंने देखा कि यह मनुष्य का स्वभाव ही बदल गया है। हम मौखिक सफाई देना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि इस धर्मनिर्पेक्ष राज्य में बारबार ईश्वर बुलाया जाता है, अभियोग में भी बुलाया जाता है और सफाई के लिये भी बुलाया जाता है। मैं ईश्वरवादी हूं लेकिन ईश्वर को अपनी बात कहने के लिये बुलाऊंगी नहीं, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि कर्तव्य कर्म हमारे दक्षिण हाथ में है और जय हमारे बायें हाथ में है। प्रयाग का महान इतिहास है। यहां गंगा-यमुना की धारा है। यहां सम्राट आये हैं, यहां वे अपना सब कुछ दान कर चुके हैं। यहां ज्ञानी और विद्वान आए हैं, जो विचार और ज्ञान का प्रसार कर चुके हैं। इस स्थल ने हमारे देश की सांस्कृतिक एकता को बनाये रखने में बड़ा कार्य किया है। प्रयाग के लिये अतिथियों का आगमन कुछ अस्वाभाविक नहीं है, नया नहीं है। प्रतिवर्ष वहां देश के कोने कोने से यात्री आते हैं और अतिथि आते हैं। उनकी भाषा, वेश-भूषा भिन्न होती है, परन्तु एक आस्था उन्हें एक दूसरे से बांध रखती है और उसी आस्था विशेष के बल पर ही यह मेला निरंतर संपन्न होता है और उसका कारण देश की एकता ही है। आज हम स्वतंत्र हो गए हैं और हमने अपनी स्वतंत्रता का परिचय भी इस मेले से देना चाहा,

* सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जो सांस्कृतिक था, जो धर्म का था। हमारे अधिकारियों ने अपनी धर्म निरपेक्षिता को छोड़ दिया, अपनी कर्त्तव्य सापेक्षिता को छोड़ दिया और इसका परिणाम जो हुआ वह आपके सामने है। जिन व्यक्तियों ने वह घटना देखी जहां माताओं की गोद से उनके बच्चे गिर गए और उनके पैरों में पिस गये, जहां पतियों ने अपने नव वधू को अपने सामने ही कुचले जाते देखा, जहां माता, पिता को तीर्थ कराने लाने वाले लड़के के अपने ही, प्रहारों से उन्हें प्राण त्यागते देखा, वह बहुत दिनों तक नहीं भूलेंगे और मैं तो आज भी भूल नहीं पाती हूं बार बार स्मृति में वह डाली आ जाती है जिसमें छोटे छोटे बच्चों की लाशें चुनकर रक्खी गयीं थीं। आज वहां अनेक व्यक्ति बिना घरबार के पड़े हुए हैं। अनाथ बच्चों के लिये इस संबोधन में कुछ नहीं कहा गया कि उनका क्या होगा। उसके लिये प्रबन्ध तो होना ही चाहिये था केवल खेद प्रकट करना, दुःख प्रकट करना काफी नहीं है। जैसे अभियोग कठोर हो सकता है वैसे सफाई भी निष्ठुर हो सकती है। यह तो हमारी त्रुटि है, दोनों ओर की त्रुटि है और मैं समझती हूं कि इस त्रुटि का निवारण हो सकता था। समाज हम व्यक्ति के कष्टों की सामूहिक सहानुभूति के लिये बना रहे हैं, राज्य हम शासन में सामूहिक कष्टों के निवारण के लिये बना रहे हैं। इसलिये राज्य के पास एक गहरी सहानुभूति होनी चाहिये और एक विस्तृत विवेक होना चाहिये। गहरी सहानुभूति में शब्दों का उतना महत्व नहीं है। फेन जल के ऊपर रहता है, मोती जल के तल में रहता है। जो हृदय की सहानुभूति है उसे इतने शब्दों की सफाई नहीं चाहिये, उसे कार्य में भी होना चाहिये और कार्य में हम उस सफाई के साथ नहीं आते यह हम सब जानते हैं।

जब से कुम्भ की तैयारी हो रही थी उस प्रबंध को मैंने निकट से देखा था और मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस तीर्थ स्थान में आने के लिये हमारे यहां नंगे पैर विधान है और मैं समझती हूं कि प्रत्येक धर्म में ऐसा है, प्रत्येक मत में ऐसा है वहां यह प्रयत्न क्यों किया जा रहा है कि विशेष व्यक्तियों के लिये विशेष शिविर हैं उनमें ऐसी चीजें जैसे श्रृंगार की मेजें, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबिल लगायी जा रही हैं। इनकी क्या आवश्यकता है। इस प्रबन्ध में अधिकारी लगे हुये थे और अधिकारियों ने समझा कि यदि हम उनको स्नान करा देंगे तो हमारा कर्तव्य समाप्त हो जायगा। यह तो वही अधिकारी हैं जो बहुत दिनों तक हमारी दासता के प्रतीक रह चुके हैं। अभी तक कर्तव्य का वह दर्शन, जिसमें देश के लिये व्यक्ति अपने स्थल पर खड़ा होकर प्राण देता है उन्हें नहीं आया। किसी भी कष्ट के अवसर पर मैं तो नहीं समझती हूं कि किसी ने भी किसी अधिकारी व्यक्ति को उनके स्थान पर पाया हो और जो यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से आप किसी अधिकारी को बता सकते कि वह अस्पताल में पड़ा है, उसे चोट लगी है या वह मर गया है। यह कैसे सम्भव हुआ?

जहां इतनी भयानक दुर्घटना हुई है वहां पर पुलिस का कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि उस घटना के स्थल पर वह नहीं थे इस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सुन्दर प्रबंध था। जब झूंसी के पास घास की कुटियों में आग लगी थी उस समय आग बुझाने वाले उसके पार थे उन के पास पानी नहीं था। कई सौ कुटियां जल गईं परन्तु बुझाई न जा सकीं। उस घटना के पश्चात् क्या अधिकारी वर्ग न समझ सका कि उसका प्रबंध लाख के महल की तरह ढह सकता है। इलाहाबाद में मैं रहती हूं। ६ वर्ष पर अर्ध कुम्भ वहां पर होता है। भीड़ ३० लाख से अधिक न थी, गंगा का विस्तार ऐसा है कि हम इतने व्यक्तियों को कुशलतापूर्वक स्नान करवा देते। जिन्होंने उस बांध को देखा है वहां की क्या दशा थी इस ओर के व्यक्ति उस ओर नहीं देख सकते थे उधर पहुंच जाने के बाद इधर क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम हो सकता था। वहां किसी ने किसी को यह नहीं बताया कि किस ओर किसको जाना है। मैंने स्वयं यह बात जाकर विशेष व्यक्तियों से कही मगर कोई ध्यान तब भी न दिया गया, क्या कारण था उसको मैं इस वाद-विवाद में नहीं ला सकती। जिनकी इतनी हानि हुई है उनके लिये हम क्या कर सकते हैं, यह चीज अवश्य विचार करने योग्य

[श्रीमती महादेवी वर्मा]

हैं । कितने भी गहरे विचार हम प्रकट करें केवल विचार प्रकट करने से वे सन्तुष्ट नहीं किये जा सकते । आज भी कितने ही बच्चे अनाथ पड़े हैं, वृद्ध व्यक्ति बहुत से हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं रह गया है, बहुत से ऐसे व्यक्ति पड़े हुये हैं जिनके पास कोई घरबार नहीं है, अतः वाद-विवाद में हम अधिक न पड़कर अगर हम अपनी नैतिक बुद्धि से पूछें कि हमें क्या करना चाहिए तो बहुत से मार्ग निकल सकते हैं, जिनसे उनको सन्तोष हो सकता है और अब वही मार्ग हमको अपनाना चाहिए, यह वाद-विवाद तो चलते ही रहेंगे कि सरकार ने यह किया और यह नहीं किया । मेरा अपना विचार यह है कि अगर विशेष व्यक्ति न होते तो अधिकारियों का अधिक ध्यान जनता की सेवाओं की ओर जाता । अधिकारी लोग विशेष व्यक्तियों की साया को ही अपना सब कुछ मानते हैं । इसके अतिरिक्त अब हमको यह देखना है कि अब हम ऐसा मार्ग निकालें, जिससे आगे चलकर हम कोई ऐसी घटना को घटने से रोक सकें ।

हमारे राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है, जो कहना आवश्यक था । कलाकारों के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहा गया है, कि जिससे मालूम होता है कि राज्यपाल महोदय ने उसे स्वयं नहीं लिखा है, वे स्वयं एक उच्च श्रेणी के लेखक हैं । मैं तो उसे पढ़कर इस परिणाम पर पहुंची कि वह उनका लेख नहीं हो सकता, किसी ने उनको पढ़ने के लिये दे दिया था । जब तक हमारा नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होता, तब तक हम कुछ करने में असमर्थ हैं । आप विचार करें कि आज भी उन व्यक्तियों से जिनके पास कुछ नहीं रह गया है आप वहां जाकर देखें कि रेल का एक-एक कर्मचारी उनसे क्या लेता है ।

हर व्यक्ति उनको लूटना चाहता है, उनसे व्यापार करना चाहता है और वे नहीं जानते कि किस तरह से कहां लौटा जाय । जो रोते हैं अपने सम्बन्धियों के लिये रोते हैं और वे इसलिये भी और रोते हैं कि किस तरह से प्रयाग से जायं । इस जीवन की स्थिति में जहां हमारा सामाजिक स्तर इतना नीचा है और जहां नैतिक स्तर इससे भी अधिक नीचे है, हमें यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने बुद्धि जीवों को शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं । उनके लिये हमारी क्या योजना है । केवल कागजों में लिखी हुई योजना से हम सफलता तक नहीं पहुंच सकते हैं । उसके पीछे विश्वास भी चाहिए और उसको क्रम में लाने की क्षमता भी चाहिए । इसके लिये केवल एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता । हम सब को उस योजना में सहयोग देना चाहिए और जब सरकार उस योजना को कार्यान्वित करे, तभी यह संभव है । इससे हमारी समस्या दूर हो सकती है । जो कुछ हो चुका है वह हो चुका । परन्तु कर्तव्य का क्षेत्र इतना सीमित नहीं है, वह व्यापक है । मनुष्य मरता है लेकिन मनुष्यता नहीं मरती है । जो मनुष्यता के आदर्श हैं उनके लिये हमें प्राण देना है । अगर हमें मनुष्यता के लिये कुछ करना है तो हमें महान त्याग करना है और मौखिक सहानुभूति को छोड़कर तथा कागजी योजना को छोड़कर जो कुछ करना है उसको पहले अपने हृदय में उतारना होगा । अगर ऐसा कर सकेंगे तो जो कागज में योजना है वह जीवन में आ सकेगी और अगर वह जीवन में नहीं आयेगी तो जीवन में रस नहीं आयेगा । त्रुटियां खोजना सरल है लेकिन उनका निवारण करना कठिन है । होता यह है कि व्यक्तिगत में जो त्रुटियां देख पाते हैं हम उससे आगे नहीं देखते हैं । जो महान शक्तियां हैं वे कल्याण का स्तर खोल दें और जनता के साथ चलें, जहां तक एक स्थल पर प्रेम हो सके । वे भी समाज के मनुष्य हैं । विचारों में अन्तर होता है लेकिन जीवन का गन्तव्य सब का एक होता है और उस गंतव्य में सबका एक मार्ग होता है ; अगर उस मार्ग में कांटे होंगे तो सबके लिये होंगे और अगर फूल होंगे तो सबके लिये फूल होंगे । राज-पथ तो बना हुआ होता है लेकिन जीवन-पथ अपने पैरों से बनाना होगा । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं ।

*श्री निजामुद्दीन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, उस प्रस्ताव का, जो श्री ज्योति प्रसाद जी ने राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के सिलसिले में रखा है, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्य पाल महोदय ने अपने इस छोटे से सम्बोधन में सरकार की नीति को और जो कार्य सरकार कर रही है या करने वाली है, इस प्रान्त की उन्नति के लिये, उसको रखा है। राज्यपाल महोदय ने सबसे पहिले अपने सम्बोधन में उस दुर्घटना का वर्णन किया है, जो कुम्भ मेले के सिलसिले में अमावस्या के दिन हुई है। मैं तो यह समझता था कि ऐसी दुर्घटना के ऊपर इन्सान जितना कम बोले उतना अच्छा है। मैं तो समझता हूं कि ऐसी दुर्घटना को दिमाग में बार बार लाने से दुःख ही होता है इसलिये ऐसी बात को दोबारा याद करना अच्छा नहीं मालूम होता है। इस सदन के हर एक सदस्य ने इस पर कुछ न कुछ कहा है। मैं भी इलाहाबाद का रहने वाला हूं और मैंने भी उस मेले को बहुत नजदीक से देखा है। इसमें कोई शक नहीं कि मेले में प्रबन्ध बहुत ही अच्छा था। मैं भी चार-पांच दफा संगम और झूंसी की तरफ़ देखने के लिये गया था और जो कुछ वहां का इन्तजाम मैंने अपनी आंखों से देखा वह काबिले तारीफ है। यह भी अन्दाज था कि इतने आदमी आयेंगे और उनके लिये इन्तजाम भी काफी अच्छा था। मैंने इस दुर्घटना के ऊपर बहुत गौर किया और आखीर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह दुर्घटना गलतफहमी पर मबनी थी और वह गलतफहमी यह थी कि संक्रांति के दिन जो यात्री नहाने के लिये आये वह इतने कम थे और यह उम्मीद की जाती थी कि जो यहां पर इन्तजाम किया है वह काफी होगा। १४ तारीख से २० तारीख तक यात्रियों की संख्या बहुत ही कम थी, जिसको देख कर यह नहीं कहा जा सकता था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जायेगी। लेकिन ३१ तारीख से लेकर २ तारीख तक मैंने देखा कि लोगों का मजमा इतना अधिक हो गया कि वहां पर आसानी के साथ चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। मैं २ तारीख को वहां देखने के लिये गया लेकिन भीड़ के कारण आगे नहीं जा सका। दूसरी तरफ इतनी ज्यादा संख्या लोगों की आगई, जिसका ख्याल किसी को भी नहीं था दूसरी को इलाहाबाद में भीड़ का यह आलम था कि मिन्टो पार्क तक जहां पर मोटर वगैरह खड़ी होती हैं, जाना मुश्किल था। इतनी भीड़ होने पर भी लोग संगम की ओर बढ़े चले जा रहे थे और वह किसी भी खतरे का ख्याल नहीं कर रहे थे। मजमा बहुत ज्यादा था उसमें बुजुर्ग लोग और कमजोर भी थे। इतनी भीड़ को देखते हुये अगर वहां पर कोई वाकया हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि खुदा को यही मन्जूर था। मैं अपने बुजुर्ग डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी की इस बात से इत्तिफाक नहीं करता हूं कि कि जैसा कल उन्होंने कहा कि यह ऐक्ट आफ गाड नहीं था। वह मेरे बुजुर्ग हैं लाखों लोग जिनकी कद्र करते हैं तथा मैं भी उनकी कद्र करता हूं मगर मैं उनकी इस बात से इत्तिफाक नहीं करता हूं और उसके कारण मैं तो यह समझता हूं कि जितना भी दुनिया में ऐक्ट होता है वह सब ईश्वर की तरफ से होता है। आमतौर पर यह कहा गया है कि इन्सान तजवीज करता है लेकिन उसकी सफलता हमेशा ही ईश्वर के हाथ में होती है। इसके लिये एक शायर ने कहा है कि--"लाख तदबीर करो तो क्या होता है, वही होता है जो मन्जूरे खुदा होता है।" इसलिये इन्सान अपनी तरफ से लाखों तदबीरें करता है मगर जो कुछ होता है वह ईश्वर की तरफ से होता है और यह मानी हुई बात है कि इन्सान को जो सफलता मिलती है वह सब उसी की देन होती है। अगर इन्सान अपनी कुव्वत पर भरोसा करता है तो भी वह ईश्वर को हमेशा बड़ा समझ कर ही करता है। हो सकता है कि यह प्रबन्धकर्ताओं की गलती हो और उनकी गलती की वजह से यह दुर्घटना हुई हो, क्योंकि यह चीज केवल दो तीन मिनट तक ही रही और इस समय के अन्दर ही सब कुछ हो गया। कौन जानता था कि साढ़े नौ बजे ही नागाओं का जुलूस निकलेगा और उसके अन्दर इतने आदमी सिर्फ दो मिनट के अन्दर ही मर जायेंगे, इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि यह सब कुछ खुदा की ही तरफ से मन्जूर था।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री निजामुद्दीन]

यह भी अपने इम्कान की बात है कि जो संख्या वहां थी वह क्या सब इस बात को कबूल नहीं करते हैं और कहते हैं कि अगर इस तरह से इन्तजाम होता तो शायद यह चीज न होने पाती। लेकिन वह चीज तो ऐसी खतरनाक थी कि उसमें इस तरह का हादसा हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक था परन्तु फिर भी मैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी से सहमत हूं कि जो होना था, हो गया, अब हम उनके बारे में सोचें कि उनके लिये क्या किया जाय और आगे के लिये ऐसा इन्तजाम करें कि जो यह चीज फिर न होने पाये। इस समय इसके लिये कोई न कोई तरीका होना चाहिए कि जो इस समय मुसीबत में पड़ गये हैं, व किसी का खामिन्द मर गया है, तो किसी की बीबी मर गयी है, कई लावारिस हो गये हैं और परवरिश के लिये उनके पास कुछ नहीं रह गया है और बाज बाज खानदानों में अगर आठ आदमी थे तो उसमें से सात मर गये हैं उनके बारे में कुछ न कुछ सोच विचार होना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि यह बहुत ही काबिले अफसोस बात हुई है और मुझे इसका बड़ा दुःख है।

अब यह कहा गया कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह नहीं कहा कि हमारे प्रान्त में अनइम्पलायमेंट बढ़ती चली जा रही है और उसका कोई तजकिरा उन्होंने अपने भाषण में नहीं किया। मैं समझता हूं कि अगर सम्बोधन को गौर से पढ़ा जाय तो उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं, जिनसे इस बात का पता चलता है कि राज्यपाल महोदय ने इस बात का भी तजकिरा किया है। मिसाल के तौर पर मैं दो-चार बातें तजवीज करूंगा, एक तो भूमि दान यज्ञ ऐक्ट हम लोगों ने यहां पास किया उससे हर तरह की फैसिलिटी दी गयी है। कई लाख आदमी बेकार हैं और उनको जमीनें मिलेंगी और उससे वे अपने काम में लग सकेंगे, तो यह भी एक कदम अनइम्प्लायमेंट को दूर करने का है। दूसरे कोलोनाइजेशन स्कीम है, इसका भी तजकिरा इसमें है। गवर्नमेंट ने उन लोगों को जो एक एक्स-सर्विस मैन हैं या जो पोलिटिकल सफरर्स हैं या जो लैन्ड लेस हैं, ऐसे लोगों के लिये जो ऐग्रीकल्चरल ग्रेजुएट हैं, उनके लिये जमीन दी है ताकि वे लोग इसमें अपने आप को लगायें और इस तरह स अनइम्पलायमेंट दूर हो।

तीसरी बात प्राइमरी और रूरल एजुकेशन के बारे में है। इसमें भी तीन हजार टीचर्स रखे जा रहे हैं और इसका मकसद यह है कि इसमें ऐसी तालीम दी जाय कि जबकि बच्चे वहां से पढ़कर निकलें तो वह अपने पैरेन्ट्स के आक्युपेशन को अच्छी तरह से कर सकें। वे खेती भी अच्छी तरह से कर सकें और दूसरे मैनुअल वर्क भी कर सकें।

चौथी बात जो है उसकी तरफ मेरे बहुत से लायक दोस्तों ने नजर नहीं डाली है। वह बात यह है कि गवर्नमेंट की मन्शा यह है कि वह एजुकेशन के सिस्टम को इस तरह से मोल्ड करे और इस तरह से बनाये, जिससे कि जो एजुकेशन दी जाय जो और लड़के भी वहां से निकलें वे बेकार न हों बल्कि कारामद हों और उनको इस किस्म की शिक्षा दी जाय कि वहां से निकलने के बाद वे किसी न किसी काम में जरूर लग जायें। यह कहा गया है कि गवर्नमेंट ने इससे पहले भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा था मगर अभी तक वह कुछ भी नहीं कर रही है। तो मैं कहता हूं कि यह बड़ी भारी स्कीम है और इसको बहुत कुछ सोचना और समझना है और सोच कर ही यह तय करना है कि बच्चों को स्कूलों में किस तरह से एजुकेशन देना है, जिससे कि वे वहां से निकल कर कारामद हो सकें। तो यह जल्दी का काम नहीं है और इसके लिये बड़ी भारी स्कीम और बहुत समय चाहिए।

पांचवीं बात काटेज इन्डस्ट्रीज के बारे में है और इसके मुताल्लिक मेरे लायक दोस्त श्री गोविंद सहाय जी ने बहुत कुछ कहा है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने यह काम बड़े जोरों से चलाया है और जो बेकारी आज फैलती जा रही है, उसका एक हल यह भी है। मैं समझता हूं कि और भी बहुत सी बातें राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कही हैं, लेकिन मैं उन सब बातों की ओर अब नहीं जाऊंगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री ज्योति प्रसाद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नरोत्तम दास टण्डन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के बारे में जो मेरे विचार हैं, वह मैं आपके सामने उपस्थित करता हूं। राज्यपाल महोदय ने सबसे पहले जो कुम्भ में दुर्घटना हुई है, उसका जिक्र किया है और उसमें बहुत सी चीजें उन्होंने नहीं कहीं हैं, जिनको कि उन्हें कहना चाहिए था। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि उस अवसर पर कितने लोग मरे, कितने बच्चे मरे, कितनी औरतें मरीं। उन लोगों के साथ जिनके परिवार वहां समाप्त हो गये हैं, राज्यपाल महोदय ने क्या करने का विचार किया है और उनको किस तरह की सुविधायें दी जायेंगी और किस तरह से उनका जीवन अब व्यतीत होगा। हमारी समझ से इन सब बातों के बारे में भी सम्बोधन में अवश्य वर्णन होना चाहिए था। मेरा जो इस दुर्घटना के बारे में विचार है यह वह है कि शुरू में तो इन्तजाम ठीक था मगर जिस दिन के लिये यह सारा इन्तजाम किया गया था, उसी दिन वहां कोई भी इन्तजाम नहीं था। चूंकि मैं भी इलाहाबाद का निवासी हूं इसलिये मैं वहां करीब करीब दूसरे या तीसरे दिन आया जाया करता था इसलिये मैंने वहां का इन्तजाम भी देखा था। ३ तारीख को वी० आई० पी० कैम्प में जितने कर्मचारी थे वे सभी लगे हुये थे और वहां का इन्तजाम देख रहे थे। मगर बांध के पास जहां कि यह दुर्घटना हुई, वहां पर कहा जाता है कि एक भी पुलिस वाला नहीं था। इसमें सन्देह नहीं कि प्रारम्भ में वहां पर जितनी लाशें थीं वह सब स्वयंसेवकों द्वारा हटाई गयीं बाद में जब पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे तो उन लोगों को बचाने के बजाय स्वयं वहां पर डन्डेबाजी करने लगे और इससे काफी आदमी कुचल कर मर गये। अगर वहां पर पुलिस होती तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना न होती और अगर वहां होती तो शायद मरने से भी अपने को नहीं बचा पाती। इससे यह साबित होता है कि वहां पर कोई पुलिस के आदमी नहीं थे और वहां का इन्तजाम कार्यकर्ताओं ने स्वयं-सेवकों पर छोड़ दिया था। दूसरी बात यह है कि जो इन्क्वायरी कमेटी बनाई गयी थी उसमें कोई गैर सरकारी मनुष्य नहीं रखा गया है। दो आदमी गवर्नमेंट पेन्शनर हैं और तीसरा सेवक है। इलाहाबाद के सिटिजेन्स ने एक कमेटी बनाई है और यह मांगें की हैं कि कमेटी ऐसी बनाई जाय जिसमें ऐसे आदमी रखे जांय, जो किसी पार्टी के न समझे जाते हों और उन्होंने ९ आदमियों के नाम दिये थे। जैसे पं० हृदय नाथ कुंजरू, श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री गोपी नाथ कुंजरू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री आर० एन० बसु, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार आदि आदि। इनमें से कोई भी चार आदमी ले लिये जांय, जिससे जनता को पूर्ण विश्वास हो जाय और उस कमेटी की जांच जनता सब ठीक समझेगी। मैं समझता हूं कि जिस कमेटी का निर्वाचन हुआ है वह देर से हुआ है उसे तो २४ घंटे के अन्दर हो जाना चाहिए था। सिटिजन्स कमेटी का सेक्रेटरी होने के नाते जब मैंने देखा कि देर हो रही है तो मैंने चीफ मिनिस्टर यू० पी० को फोन किया कि आप एक कमेटी बना दें। नहीं तो इलाहाबाद के सिटिजन्स खुद एक कमेटी बनाकर जांच शुरू कर देंगे क्योंकि जो यात्री आये हुये हैं वह बसन्त नहाकर वापस चले जायेंगे और उसके बाद इन्क्वायरी ठीक नहीं हो पायेगी। हमको

[श्री नरोत्तम दास टण्डन]

हर्ष है कि हमारी इस बात को मुख्य मन्त्री जी ने स्वीकार कर लिया और एक कमेटी का निर्वाचन कर दिया, परन्तु पेनल में उन आदमियों को रखा जो जनता के विश्वासपात्र नहीं हैं।

दूसरी बात कुम्भ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ७५ वायरलेस सेट लगे हुये थे। गवर्नमेंट हाउस और आनन्द भवन में भी थे तो मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरह से सूचना इन लोगों को नहीं मिल पाई, जिससे कि वहां पर शाम को दावत हुई और रात में गाना और खाना भी हुआ।

इसके बाद राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में यह चन्द बातें नहीं कहीं हैं जैसे और चीजों पर से कन्ट्रोल उठा लिया गया है, परन्तु मकानों पर से कन्ट्रोल नहीं उठाया गया है। उसका भी जिक्र होना चाहिए था कि कब उठाया जायेगा। आज हम देखते हैं कि दिनों दिन टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों की खरीदने की ताकत कम होती जा रही है। इलेक्ट्रिक टैक्स के बारे में लोगों में बड़ा असन्तोष है और मैं आशा करता हूं कि बजट में राज्य पाल महोदय इस बात पर भी विचार करेंगे कि इसके अलावा जिधर मैं देखता हूं उधर कोई तरक्की मुझे नहीं दिखायी दे रही है बल्कि हर तरफ असन्तोष ही दिखायी देता है। जैसे लेबर को देखिए, मिडिल क्लास को देखिए, इन्डस्ट्रीज को देखिए सब बहुत ज्यादा असन्तुष्ट हैं। इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं त्रुटि अवश्य है नहीं तो सभी लोगों में असन्तोष न फैला होता। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री एम० जे० मुकर्जी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब चेयरमैन साहब, मैं इस वक्त उस प्रस्ताव का, जो कि राज्यपाल जी को धन्यवाद देने के लिये पेश किया गया है, स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके सिलसिले में दो चार बातें कहना चाहता हूं, पहली बात तो यह है कि जो कहा गया है कि राज्यपाल जी का जो भाषण था वह सिर्फ सेक्रेटेरियेट का बनाया हुआ था, उनकी तरफ से नहीं था। हम सब यह जानते हैं कि राज्यपाल का भाषण किस मतलब से होता है और वह सम्बोधन किस तरह से दिया जाता है। इस सम्बोधन का मकसद यह होता है कि जो कुछ सरकार जनता की भलाई के लिये कर रही है उससे जनता को आगाह किया जाय। यह भी कहा गया है कि बहुत रोजी पिक्चर इस सम्बोधन में दी गयी है। चाहे वह रोजी हो या न हो लेकिन जो कुछ भी सरकार ने काम किया है दो वर्षों में उसका इजहार करना जरूरी था और इसलिये जो कुछ बातें कही गयी हैं वह वही हैं जो सरकार जनता की सेवा में कर सकी है और जनता की भलाई के लिये करने की चेष्टा कर रही है। इसलिए मैं यह नहीं समझता कि जो कुछ कहा गया है वह बड़ाई के लिये कहा गया है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट जनता को खुशहाल बनाने के लिये अपने भरसक जो कुछ कर रही है उन्हीं कार्यवाहियों का जिक्र इस सम्बोधन में किया गया है। पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया गया है। इस योजना के सिलसिले में जो जो काम सरकार कर रही है उनका उसमें जिक्र किया गया है। यह ठीक है कि अब तक पूरे तरीके से कामयाबी नहीं हुई है लेकिन फिर भी जो कुछ किया गया है अगर हम उसको देखें तो दो वर्षों में सरकार ने बहुत कुछ करने की चेष्टा की है श्रमदान का जिक्र किया गया है। श्रमदान अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम शर्म का दान तो कर ही दिया। यानी जिस बात से हमारे मिडिल क्लासेज शर्माते थे उसका दान हो चुका और वह चीज खत्म हो गयी। अब वह डिगनिटी आफ लेबर को पहचानने के लिये लगे हैं। किसी समय यह कहा जाता था कि पेन इज माईटियर दैन दि सोर्ड, अब हम यह कह सकते हैं कि हमारी स्पेड इज माइटियर दैन दि पेन। अगर हम जनता में यही उत्साह पैदा कर दें तो इससे हमारे देश की बड़ी उन्नति हो सकती है।

लेबर के बारे में भी कहा गया है। लेबर का सवाल बहुत ही मुश्किल है । एक तरफ तो वह यह चिल्लाते हैं कि हमको दाम नहीं मिलते अगर यह हकीकत है कि उनको दाम नहीं मिलते और जो कुछ उनको मिलना चाहिए वह नहीं मिलता तो हमारी सरकार का जरूर यह फर्ज है कि वह उनको दिलायें । लेकिन मैं इसके साथ ही साथ आपके द्वारा सबसे यह कहूंगा कि लेबर को यह भी कोशिश करना चाहिए कि वह अपने काम को पूरी तौर से करे । जब वह अपने काम को पूरे तौर से नहीं करते हैं तो किस तरह से पैसा पैदा हो, जिससे उनको काफी वेतन दिये जांय । हम सब जानते हैं कि लेबरर्स इस वक्त अपना काम पूरे तौर से नहीं कर रहे हैं । जहां तक हो सकता है उसको टालने की कोशिश करते हैं । इस लेबर में मैं उन किसानों को ही नहीं शामिल करता हूं बल्कि उसमें वे भी हैं जो दफ्तरों में काम करते हैं। वे भी जब तक अपना काम दिल लगा कर नहीं करेंगे और यह सोच कर नहीं करेंगे कि यह हमारा देश है, इसलिये करूं, ऐसा जब तक नहीं होगा, तब तक हम सफल नहीं होंगे।

शिक्षा की ठीक तरह से प्लानिंग नहीं हुई । राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको रिआर्गेनाईज करें । मैं प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी की बातों से सहमत हूं । प्राइमरी एजुकेशन को ठीक करने के लिये एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है। हमारी प्राइमरी एजुकेशन जिसमें थ्री आर (3 R's) का जिक्र था, उस को ३ थ्री एच० से बदल दें तो ठीक है । इस बिना पर हम उनकी तालीम को बनायें तो मेरा पूरा विश्वास है कि इससे हमारी सेकेन्डरी और प्राइमरी स्कूलों की तालीम अच्छी होती चली जायगी ।

थोड़ा सा मैं कुम्भ मेले का जिक्र करूंगा । यह दर्दनाक बात हुई । इससे हम सबको जरूर अफसोस और दुःख भी है । मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से पूरी तौर से अपने भाइयों के ऊपर जिन पर दुःख पड़ा सहानुभूति प्रकट करता हूं । मैं इतना जरूर कहूंगा कि इल्जाम जो लगाया जाता है चाहे वह किसी पर लगाया जाये, वह ठीक नहीं है । सभी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी महसूस करके पूरी तौर से कोशिश की कि जहां तक हो सके यह कुम्भ का मेला बहुत कामयाब हो । यह मेला बहुत धार्मिक मेला था और यह बहुत सालों के बाद हुआ, इसलिये इसमें बहुत से लोगों की आने की उम्मीद थी । जो कुछ हो गया, उस पर हम अफसोस जाहिर कर सकते हैं और सरकार से दरख्वास्त कर सकते हैं कि जिनके ऊपर मुसीबत आयी है उनका इन्तजाम कुछ न कुछ अवश्य किया जाये । इसको हम जरा संजीदगी से सोचें कि इस वाक्यात को एक पोलिटिकल स्टेट करना कहां तक हमारे लिये लाजिमी है । इस बात को समझिये कि ४० लाख आबादी में से ३०० या ४०० आदमी गुजर गये, लेकिन परसेन्टेज देखिए तो वह ·०००४ पड़ता है । यह सिर्फ हमारे ही मुल्क की दुर्दशा नहीं है बल्कि ऐसी ही दशा हमने बाहर के मुल्कों में भी होते सुनी है । आस्ट्रेलिया का हमने जिक्र सुना कि वहां पर एक लाख की भीड़ थी, लेकिन वहां पर बहुत अधिक आदमी मरे। क्या हम परमात्मा को धन्यवाद न दें कि ४० लाख में से इतनी कम मृत्यु हुई । जरा फैक्ट्स को देखिए तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर की कृपा से ज्यादा रंजिश की गुन्जाइश नहीं है। मैं इस वक्त मजाक नहीं कर रहा हूं । मैं बड़ी संजीदगी के साथ बात कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय मैं आपके जरिये से यह भी बता रहा हूं कि पुलिस के ऊपर जो इल्जामात लगाये गये हैं कि उन लोगों को चोट नहीं लगी तो इससे मालूम होता है कि उनको भी मरना चाहिए था, तब लोगों को मालूम होता कि उन्होंने ने भी काम किया । क्या पुलिस के दिल में दिल नहीं है । क्या वे इन्सान नहीं हैं। क्या आप इस बात का यकीन कर सकते हैं कि पुलिस इतनी हमारी खराब है कि वह जानवरों की तरह से देखती रही और उसने किसी को नहीं बचाया। हां, बेशक यह था कि वहां पर प्रेस रिपोर्टर्स नहीं थे। लेकिन जहां तक हमको मालूम है कि पुलिस ने बहुत ज्यादा काम किया है। हमारे होम मिनिस्टर ने कल बताया कि हमारे पास बहुत कम सिपाही थे।

[श्री एम० जे० मुकर्जी]

यह वी० आई० पी० क्लासीफिकेशन नहीं है। यह क्लास एक दूसरी सोसाइटी की नहीं बन रही है। यह तो हर एक को करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार क्यों न हो। मैं इस बात को भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो यह इल्जाम लगाते हैं कि मिनिस्टर साहब को मालूम था, फिर भी वह पार्टी में गये। मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब की बात को मानता हूं जो यह कहते हैं कि उनको खबर नहीं मिली। होम मिनिस्टर साहब की भी बात मैं मानता हूं कि उनको भी देर से खबर मिली। हां, तफतीश की जा रही है और जिसने खबर नहीं दी उसको सजा दी जायगी। मैं यही अर्ज करूंगा कि जो कुछ हुआ सो हुआ लेकिन अब जो कुछ भी हम करेंगे उसके ऊपर हमें जरूर विचार करना है। इतना कह कर मैं संबोधन का स्वागत करता हूं।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, हम गवर्नर के संबोधन पर एक ऐसे अवसर पर विचार कर रहे हैं जब कि सारा देश शोक सन्तप्त है और इस वातावरण में हमारा भी दिल दुःख के साथ उन सन्तप्त परिवारों की तरफ खिचा जा रहा है, जिनके परिवार के लोग कुंभ मेले के अवसर पर दुर्घटनाग्रस्त हुए। गवर्नर महोदय ने अपने संबोधन में उस घटना का जिक्र किया और उसके संबंध में हमदर्दी भी जाहिर की, लेकिन उस घटना के संबंध में जो सबसे आवश्यक बात थी हमदर्दी की कि उन परिवारों के लिये हम क्या करेंगे वह चीज कहीं भी संबोधन में नहीं दिखाई पड़ती है। आज हम यह देखते हैं कि हमारे उधर के बैठे साथी जब खड़े होते हैं तो वह ऐसा कहते हैं कि यह कुछ ईश्वर की बात है या यह कहते हैं कि मौका पोलिटिकल अपोजीशन का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं उनके इस ख्याल से इत्तिफाक करता हूं कि इस घटना को राजनैतिक विरोध का कारण नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि इसको केवल ईश्वर का ऐक्ट मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह भी आवश्यक मालूम नहीं होता है कि केवल गवर्नमेंट की तारीफ ही तारीफ में और उसकी चापलूसी में ही गवर्नमेंट का ऐक्ट जो है, वह दबा दिया जाय।

(इस समय १२ बज कर ३० मिनट पर डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि जेम्स फर्स्ट का वह कथन कि जो यह कहा करता था कि जनता को राजा के किसी भी बुरे कार्य को देखने का हक नहीं है। वह अधिक से अधिक यही कर सकती है, जनता यही कर सकती है कि वह ईश्वर की पूजा करे और यह मनाये कि वह राजा को सद्‌बुद्धि दे। उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर जो लोग कि ऐसा सोचते हैं वह कम से कम प्रयाग के संगम पर जा कर यही करते तो अच्छा होता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दुर्घटना से क्या निष्कर्ष निकला, इसको आपको देखना होगा।

अभी महादेवी जी ने इस सदन के सामने बताया कि उनके भावुक हृदय ने इस बात को कबूल नहीं किया और उन्होंने कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से इस समारोह को बन्द करने की चर्चा की, जो कि उस दिन गवर्नमेंट हाउस में होने जा रहा था। वह विशिष्ट व्यक्ति कौन थे इस बात पर महादेवी जी ने पूरा प्रकाश नहीं डाला, लेकिन महादेवी जी की इस बात को सुनने के बाद हमें तो यह मालूम हुआ कि वह कहावत कि--"जब रोम जल रहा था तो नीरो फेडल कर रहा था," अपनी जगह पर सच्ची दिखाई पड़ने लगी। महादेवी जी की उस समय की भावना क्या रही होगी, वह मैं नहीं

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

कह सकता। जो उनकी भावनाओं से परिचित हैं, जो जानते हैं कि उनकी अनुभूतियां कितनी गहरी हैं, वही जान सकते हैं कि उस समय उनकी क्या दशा रही होगी और जब उन्होंने उस दशा में वह बात कही होगी तो कितनी मार्मिक दशा में कही होगी और बावजूद इसके उस गवर्नमेंट हाउस में नाच गाना हुआ, पार्टियां हुई, जिससे कि हमारा और हमारे देश का सिर नीचा ही हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह कहते हैं कि हमें आठ घंटे तक खबर ही नहीं हुई इस घटना की, तो उसे सुन कर मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। जब मैं देखता हूं कि हमारे माननीय खाद्य मंत्री जी ने इस बात का वक्तव्य दिया कि घंटे भर बाद ही उनको यह पता चला है और उसके बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो मुझे आश्चर्य होता है। हमें यह देखकर उपाध्यक्ष महोदय और भी तकलीफ होती है जब हमें इस बात का बयान दिखाई देता है कि लोअर हाउस में गृह मंत्री महोदय का कि वह पुलिस कैंप में पड़े हुए थे, लेकिन तीन बजे तक उन्हें घटना की कोई खबर नहीं मिली और उसके बाद वह लखनऊ चले आये और वहां पर उन्हें घटना का पता चला। जिस समय यह घटना हुई, प्रायः सारा देश हिल गया। करीब चार-पांच बजे हमें बनारस में इस घटना का पता चल गया, अखबारों के अंक पर अंक निकलना शुरू हो गये, लेकिन उस दुर्ग में बैठे हुए हमारे अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं मिली। क्या यह ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये यह सब से बड़े कलंक की बात नहीं है? अध्यक्ष महोदय, मै मेला अफसर की बात नहीं कहना चाहता। श्री जमुनाप्रसाद त्रिपाठी को लोग अच्छी तरह जानते हैं और किस प्रकार वह कार्य करते है, इस बात को भी जानते हैं। सारा बनारस इस बात को जानता है और वह मेरे ऊपर खुद भी बीत चुकी है। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि जमुना प्रसाद त्रिपाठी वह हैं कि जिन्होंने एक प्रदर्शन के मौके पर मेरे जैसे आदमी का गला दबा कर जान लेने की कोशिश की थी....।

डिप्टी चेयरमैन--किसी व्यक्ति विशेष का नाम आप नहीं ले सकते।

श्री प्रभुनारायण सिंह--चूंकि इस समय उस मेले के इंतजाम की बहुत तारीफ हुई, जिनका वहां इंतजाम था, उनकी बहुत तारीफ हुई और साथ ही साथ हाउस में उनका नाम लेकर भी तारीफ की गई, इसलिये मुझे उनका नाम लेकर कहना पड़ा। मैं इस अवसर पर अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि गवर्नमेंट समझती है कि उसकी जिम्मेदारी इसमें बहुत ही कम है, यदि गवर्नमेंट समझती है कि जनता को इस बात का विश्वास है कि जो घटना घटी उसकी जिम्मेदारी किसी के सिर पर है तो आज गवर्नमेंट को हिम्मत के साथ चाहिये कि वह एक ऐसी कमेटी का निर्माण करे, जिसमें कि जनता के सच्चे प्रतिनिधि हों, जिन पर कि जनता का विश्वास हो। आज जो कमेटी बनाई गई है वह कमेटी उस तरीके से है, जिस तरीके से सन् १८९९ में हाउस हान्स मेमोरियल ने जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उन १४ केसेज को बयान किया, जो जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग करने के थे। जिनमें एक केस यह भी था कि एक कलेक्टर ने एक चपरासी को मार दिया था और मैजिस्ट्रेट ने यह कह कर कि यह केस बिल्कुल गलत है अपनी अदालत से खारिज कर दिया, इसलिये कि कलेक्टर का खत उसके पास आया था कि मैंने गुस्से में उस चपरासी को मार दिया था। इस कमेटी की नियुक्ति बिल्कुल वैसी ही है। इसलिये कि जिस इंतजाम पर इतना बड़ा लांछन है उसी की ओर से जांच कमेटी बनाई जाय, जिस पर जनता का विश्वास नहीं है। इससे अधिक दुर्भाग्य जनता के लिये और क्या हो सकता है।

इसके अलावा आप सोचें कि पत्रकारों पर दोष लगाकर उन पर बुरी तरह से छींटे कसना ही क्या अब आपकी मानवता रह गई है। लीडर जैसा कन्जरवेटिव पत्र जो अपनी चीजों को बहुत सोच-समझ कर छापता है, उसने भी जो दुर्घटना का वर्णन किया, उसमें भी मृत्यु की संख्या १,००० से ऊपर बताया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

पत्रकारों पर आक्षेप या उन पर बौखलाने से काम नहीं चलेगा। आप बराबर कहते है कि सूचना नहीं थी। महादेवी वर्मा ने इस सदन मे कहा है कि हमने विशिष्ट लोगो से कहा, मगर वह पार्टी न रुक सकी। मै आपसे फिर कहता हूं और यकीन दिलाता हूं कि गवर्नमेंट की कमेटी इसका फैसला नहीं कर सकती। आज वह गड्ढा पाटा जा रहा है, जिस पर सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, आज उसमें रोलर चलाया जा रहा है, इसके साथ साथ यह बात कही जाती है कि वेरी इंपार्टेंट परसन्स के कैम्प थे और हर जमाने मे रखे जायेंगे, इस संबंध में मै यह कहना चाहता हूं कि प्रयाग वह स्थान है जहां अशोक जैसे सम्राट ने अपना सब कुछ दान कर दिया था वहां जिसे जाना हो, वह जनता की हैसियत में जायं, वर्गो मे बांटना अब जनता बरदाश्त नहीं कर सकती। आज गृह मंत्री ने नीचे के सदन में कहा है कि उन्हें राष्ट्र के रत्नो की रक्षा करनी होगी, मैं भी इससे इन्कार नहीं करता कि रक्षा होनी चाहिये, मगर मै यह कहता हूं कि वह टेंडेंसी खत्म होनी चाहिये कि जो राजा महाराजाओं की तरह से मिनिस्टर लोग बना रहे है यानी जब तक हजारों के मजमें को हटा कर घाट न साफ किये जाये तब तक मिनिस्टर लोग स्नान नहीं कर सकते। यह तरीका अब बदलना होगा यदि जमींदार क्लास खत्म किया गया, राजा रजवाड़े खत्म किये गए तो मिनिस्टरों और इंपार्टेंट परसन्स वाली मनोवृत्ति को खत्म होना पड़ेगा और इसके लिये उन्हें भी सोचना होगा, विचारना होगा और गौर करना होगा कि आखिरश इस तरीके का सिलसिला कहां तक चल सकता है। इस समारोह को हम ने देखा। खास खास व्यक्तियों के पीछे सारी शक्ति लगी हुई थी। आप भले ही इस बात को बारबार दोहरायें कि हमारे पीछे वहां पर बहुत कम पुलिस थी, लेकिन हम कहना चाहते है कि उसका सारा ध्यान आपकी तरफ था। आपने कहा था कि हमने लाखों और करोड़ों जनता के लिये इंतजाम किया था लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मै कहना चाहता हूं कि जो लाखों रुपया वहां पर खर्च हुआ था वह किसका खर्च हुआ था। वह रुपया उन किसानों का खर्च हुआ था, जिनपर आप ने टैक्स लगाया था। लेकिन आपने उनके लिये कोई इंतजाम नहीं किया। बल्कि वेरी इंपार्टेंट परसन्स के लिये आपने कैम्प बनाये और जितने बड़े बड़े लोग गए है वे उनमें ठहरे थे। यदि आपने कोई कुटिया बनाई या कोई कैम्प लगाया तो सब ने उनकी शक्ल देखी होगी कि उनमें सारे आफिसर्स ठहरे हुए थे। यदि आपने सोचा होता कि जिन गरीब किसानों का यह लाखों रुपया खर्च हो रहा है उनके लिये भी कुछ कुटियां बना दी जायं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वे अपनी गठरी लिये हुए बालू में बैठे रहे। आपको वहां पर चाहिये था कि भीड़ को धीरे धीरे छोड़ते। आप कहते है कि हमने तो बहुत अच्छा इंतजाम किया था, लेकिन ऐसी घटना हो गयी, जोकि न होनी चाहिये थी। हम यह कहते है कि आपने इतना उचित इंतजाम किया कि, जिसमें हजारों आदमियों की जानें गयीं, सारा भारतवर्ष हिल गया और सारे भारतवासियों के परिवार इस चिन्ता में पड़ गए कि हमारे परिवार वाले सुरक्षित है या नहीं। यह भी दुःख की बात है कि आपको ८ घंटे के बाद सूचना मिली तो क्या यह बात आपके ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये कलंक की नहीं है। आप कहते हैं कि हमने सब कुछ किया था, लेकिन यह हमारे बस के बाहर की बात हो गयी। इसकी जिम्मेदारी कौन बरदाश्त करेगा? यह सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर जायेगी।

इस मौके पर मै यह कहना चाहता हूं कि इन सब संतप्त परिवारों, इन अनाथ बच्चों और इन अनाथ स्त्रियों के लिये, जिनके घर के घर तबाह हो गए हैं और जिन को देखने के लिये कोई नहीं रह गया है, उनके लिये आप के दिल में हमदर्दी होनी चाहिये। सरकार की तरफ से इनका बन्दोबस्त होना चाहिये। इस सिलसिले में जो गड्ढा पाटा जा रहा है उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। इंक्वायरी भी फेयर तरीके से हो और उसमें जनता का विश्वास हो। इसमें जरूरत है कि वह कमेटी

एसी हो, जिसके नुमाइंदे जनता, सूबे और देश के विश्वासपात्र हों। इसमें देश की जनता का विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि यह सारे देश का मसला है। सारा देश कुम्भ की दुर्घटना से आज शोकाकुल है।

इसके साथ ही साथ राज्यपाल के सम्बोधन में उन बातों की चर्चा नहीं है जो आज सूबे के ऊपर बीत रही हैं। आज हजारों और लाखों किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिए। वे चाहते हैं कि जो एक रुपया पांच या सात आना उनको फी मन पर मिल रहा है वह एक रुपया बारह आना होना चाहिए। आज २६६ व्यक्ति पी० एस० पी० और किसान पंचायत के, जेलों में बन्द कर दिए गए हैं। इनमें ४ मेम्बर असेम्बली के, जेलों के अन्दर किसानों की आवाज को लेकर गए हुए हैं। सरकार कहती है कि हम किसानों के हमदर्द हैं लेकिन कभी नहीं सोचा है कि सन् ४७-४८ में गन्ने की कीमत २ रुपए मन थी लेकिन आज एक रुपए पांच आने या एक रुपये सात आने मन है। क्या कभी सरकार ने सोचा है कि जब सन् ५२-५३ में सन् ५१-५२ के मुकाबिले में गन्ने की कीमत गिरायी गयी थी तो उस समय मिल मालिकों ने वादा किया था कि हम चीनी २७ रुपये मन से ज्यादा नहीं बेचेंगे लेकिन ३३ रुपए मन तक चीनी बिकी है। इस ६ रुपए मन के हिसाब से जो करोड़ों रुपया मिल मालिकों के घर गया है, क्या सरकार ने इस बात को भी सोचा ? क्या सरकार ने कभी सोचा है कि जो २० करोड़ मन गन्ना किसानों ने मिल मालिकों को दिया है उससे किसानों को १० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है ? अगर मिल मालिकों ने २० करोड़ रुपए का मुनाफा कन्ज्यूमर्स से किया, तो उसमें से कितना हिस्सा किसानों को मिला है ? सरकार को तो हिस्सा मिला, लेकिन किसानों को इससे एक पैसा भी नहीं मिला। सन् ४७-४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन था उस इ-लेक्शन में लाखों रुपया चन्दा जनता से लिया लेकिन किसानों को उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ५१-५२ में गन्ने की कीमत एक रुपया १२ आने थी वह ५२-५३ में एक रुपया पांच आने कर दी गयी। चुनाव के समय मिल मालिकों से भी चन्दा लिया गया था। उस समय श्री चन्द्र भानु गुप्त ने कहा कि जब हम और सब से चन्दा ले रहे हैं तो मिल मालिकों से क्यों न चन्दा लिया जाय। इसका नतीजा यह हुआ कि इसके बाद गन्ने की कीमत और कम कर दी गई।

इसी के साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से इस बात की भी बहुत चर्चा की गयी कि उत्पादन बढ़ाओ आप देखेंगे कि ५०-५१ में जब गन्ने की कीमत एक रुपए १२ आने थी तो उस समय गन्ना ११ हजार १५ सौ टन क्रश किया गया, लेकिन फिर उसकी कीमत एक रुपया १० आने कर दी गई। उत्पादन के बढ़ाने के साथ-साथ आपको किसानों का भी ख्याल रखना चाहिये। अधिक से अधिक गन्ना लेने के साथ ही साथ आप को उत्पादन के उद्देश्यों का भी पालन करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कल हमारे सूबे में मजदूरों की हालत भी बहुत गिरी हुई है, उसकी ओर राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कोई इशारा नहीं किया है। अभी हमारे एक सरकारी सदस्य महोदय ने यह बात कही कि मजदूर मेहनत कम करता है। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि आज हमारी सरकार कितनी निकम्मी है कि चार चार महीने तक मजदूरों को वेतन नहीं मिलता है और उनके प्राविडेंट फंड का मुकद्दमा भी कई कई साल तक तय नहीं होता है। आज मजदूरों की तरफदारी करने वाला कोई नहीं है ऐसी हालत में मजदूरों पर दोषारोपण करना कुछ ठीक नहीं मालूम होता है। सम्बोधन में मजदूरों के कष्ट को दूर करने के लिये कोई बात नहीं कही गई है। मध्यम वर्ग की आज जो गिरी हुई दशा है उसका भी जिक्र नहीं किया गया है। गरीबों की हालत को सुधारने के लिये भी कुछ नहीं किया गया है।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के संबोधन में जो त्रुटियां हैं उन पर सरकार को बहुत गौर से देखना चाहिये और विचार करना चाहिए। जिस पालिसी को लेकर आज गवर्नर महोदय ने चर्चा की ह उसमें जो खामियां हैं उस पर सरकार को गौर करना चाहिए। यह सरकार अपने को जनता की सरकार कहती हैं तो कम से कम उसको इन नसीहतों पर भी अमल करना चाहिये ताकि गरीबों की हालत सुधर जाय। बनारस काटन मिल और कानपुर के मिलों की हालत की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कितने दिनों से मिल मालिकों से समझौते की बात हो रही है। मैं आपसे यह कहता हूं कि आपको इस बात पर सोचना होगा और विचार करना होगा और कोई ऐसी पालिसी निकालनी होगी, जिससे जनता की तरक्की हो सके और गरीबों को राहत मिल सके। कम से कम, अगर आप उनको पूरी राहत न दे सकें तो आप से उनको न्याय तो मिल सके।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय, संविधान के अनुसार, प्रत्येक सत्र के शुरू में, इस राज्य के मुखिया की हैसियत से, वधानिक मुखिया की हैसियत से, दोनों सदनों के सामने अपना भाषण देते हैं। उसमें, जो कार्य किये गए और जो किए जायेंगे उनका व्योरा भी पेश करते हैं और इसके संबंध में जो प्रस्ताव होता है वह मंत्रिमंडल के ऊपर विश्वास के प्रस्ताव के समान होता ह। इसलिये अगर यह प्रस्ताव पास होता ह तो मंत्रिमंडल पर विश्वास है और यदि यह प्रस्ताव अस्वीकार हुआ या फल हुआ तो मंत्रिमंडल पर अविश्वास है। इसलिय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि श्री राजा राम जी ने गवर्नर महोदय के ऊपर जो व्यक्तिगत बातें कहीं वह अनुचित थी इसलिये मैं यह चाहूंगा कि पहिले उनकी इस बात पर अपना असंतोष प्रकट कर लूं।

इसके बाद कुंभ के विषय पर यहां पर काफी चर्चा हुई है और उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि वह बहुत ही दुखद घटना हुई है और उससे सब को इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनियां में जो काम होता है उसमें भगवान का बड़ा हाथ होता ह परन्तु उनसे हमको सबक तो लेना ही है। इस घटना से कम से कम हमारे मंत्रिमंडल को और हमारी सरकार को अपनी गलतियां अन्दर से देखने का मौका मिला है। यदि यह बात हैं और वह ठीक है और यदि हम इस को देखते नहीं हैं तो घटना दुखद तो ह ही यह और भी दुखद बन जायगी। मैं यह तो कहता नहीं हूं कि जांच समिति ठीक है या नहीं और ना ही इसके विषय में मुझे कुछ कहना ही है। किन्तु यह जरूर कहना है कि इतनी बड़ी घटना, जिसका हिन्दुस्तान के गांव गांव और कोने कोने में बहुत जल्द लोगों को पता चल गया, उसका अधिकारियों को आठ घंटे तक भी पता न लग सका। मैं तो स्वयं एक देहात में था और अगले दिन सबेरे ही मुझे इसका पता चल गया कि वहां पर इस प्रकार की दुर्घटना हुई है। इसके अलावा रेडियो से लोगों को पता लग गया, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि इतनी बड़ी दुर्घटना का पता वहां के अधिकारियों को इतनी देर के बाद लगा और कम से कम उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। इसके लिये किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी और किस अधिकारी की वजह से से यह हुआ यह मालूम होते ही उसको दंड मिलना चाहिये और इसके लिये यही उचित है।

इसी तरह से मैं कहता हूं कि कुंभ के अन्दर जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जाते हैं उनको चाहिये कि वे अपनी हैसियत से जावें और सरकारी हैसियत से न जावें और अगर सरकारी हैसियत से जाते हैं तो उसमें यह देखने की बात है कि उनके ऊपर जो, व्यय होता है उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिये, यद्यपि मैं इस बात को नहीं जानता क्योंकि मैं वहां नहीं गया था, परन्तु यदि यह बात सत्य है कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों के ऊपर वहां व्यय हुआ है तो यह हमारे लिये ही दुःख की बात नहीं है वरन जिनके

ऊपर यह व्यय हुआ है उनके लिये भी यह अच्छा नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे सार्वजनिक स्थानों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिये वही व्यवस्था होनी चाहिये, जो कि सबके लिये होती है। अर्थात् वही मामूली से मामूली व्यवस्था जो औरों के लिये होती है, उनके लिये भी होनी चाहिये। यह भी सही है कि गांवों के लोग इतनी दूर से वहां गए और अगर उनके लिये वहां ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का कोई तम्बू या दूसर प्रकार का प्रबन्ध नहीं होता है तो यह बहुत बड़ी कमी है और आगे इस कमी का अवश्य ही ध्यान रक्खा जायगा। महोदय, श्री गोविन्द सहाय जी ने जो भाषण दिया है, मैं समझता हूं कि वह बहुत स्पष्ट नहीं था। उनको अफसोस है कि वेलफेयर स्टेट और कोआपरेटिव कामनवेल्थ में अन्तर उनको दिखलाई दिया, लेकिन उनमें कोई अन्तर नहीं है और जब हम कहते हैं कि हमारा उद्देश्य कोआपरेटिव कामनवेल्थ की कल्पना है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमने उसको पा लिया, लेकिन उसको पाने के लिये हमारा बराबर प्रयत्न है। यह वेलफेयर स्टेट हो इसके लिये प्रयत्न चल रहा है और इसमें बहुत सी नाकामयाबियां भी हुई हैं और हमें अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन जो कुछ भी हमने अब तक किया है वह बहुत शानदार है। मुझे नहीं मालूम कि श्री गोविन्द सहाय जी २६ जनवरी के दिन या उसके आस पास देहातों में गये या नहीं, लेकिन मैं गया था और मैंने अब की गांव वालों में अत्यधिक जोश देखा था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)--उन्होंने फरमाया कि वे भी गए थे।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार--लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा होगा, मैं जहां गया था वहां बड़ा जोश था और अपने आप बिना किसी सरकारी अफसर या उनके दबाव के उन लोगों ने खुद रास्ते को साफ किया और गांव की सड़कों को बनाया। जब तक किसी के अन्दर जोश नहीं होता है, तब तक वह इस तरह का काम अपने आप नहीं करता है इसलिये कम से कम श्रमदान सप्ताह में जो भी काम लोगों ने किया, वह उसी जोश के कारण किया और वह ऐसी चीज है, जिससे पता लगता है कि सरकार के कामों की आज उनके दिलों में इज्जत है और वे उसकी प्रशंसा करते हैं।

इसी तरह से यदि आज आप गांव वालों को समझें तो वे पहले से अधिक प्लानिंग की भावना के हो गए हैं और इसीलिए बहुत से गांव वालों ने अपने गांवों को सुधार लिया है और उनको उन्होंने साफ किया है और वहां सड़कें भी बनाई हैं। आज कच्ची झोपड़ियों को गांव वालों ने बदल दिया है और उनको पक्का बना दिया है और इसी तरह से बहुत से काम उन्होंने किए हैं, मगर हम चाहते हैं कि उनको पूर्ण संतोष हो। यों तो असंतोष सभी में होता है और मैं यह बात मानता हूं कि असंतोष होना कोई बुरी बात नहीं है। यदि हमें असन्तोष रहेगा तभी हमें और कार्य करने की प्रेरणा भी रहेगी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक आदमी के चार बच्चे थे और वे बीमार रहते थे और उनको भूख भी नहीं लगती थी। एक दिन एक साधु वहां आया और उसने उन लोगों को बतलाया कि तुम सबेर उठा करो, सवेरे घूमने जाया करो और रोज स्नान किया करो। तो कुछ दिनों के बाद उनकी भूख बढ़ने लगी, तो जब भूख उनको लगती थी तो वे अपने पिता के पास जाते थे और कहते थे कि हमें खाना दो, रोटी दो, हमें भूख लगी है, मगर उसके पास इतना खाना न था, तो वे परेशान रहने लगे और असंतुष्ट हो गए। जब उनको असंतोष हुआ तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छे तो हम बीमार ही थे। इस तरह से असंतोष तो आदमी को हर हालत में रहता ही है। हमें असंतोष को नहीं, अपने काम को देखना है। हमारी इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिये।

[श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार]

काश्तकार के संबंध में यह शिकायत है कि आज उसको गन्ने की कीमत कम मिलती है, उपभोक्ताओं की दृष्टि से गल्ले की ऊंची दरें उचित नहीं हैं। ऊंचे आयात के दर बढ़ाकर आज मिल मालिकों और काश्तकारों को बहुत अर्से तक सरकार ने गन्ने की ऊंची कीमत दी है। यदि आयात कर बन्द हो जाय और जो उपभोक्ता हैं उनका ध्यान रखा जाय तो गन्ने की कीमत इससे कम हो जायगी। इसके बावजूद भी यह निश्चित किया गया है कि मिल मालिकों के प्राफिट में काश्तकार का भी हिस्सा रहेगा।

इसके बाद असंतोष का कोई कारण नहीं होना चाहिये। किन्तु फिर भी एक दो सजेशंन में देना चाहता हूं जैसे इसमें चकबन्दी की कोई चर्चा नहीं है, दूसरी बात यह है कि अदालतें जो हैं वह ठीक समय पर नहीं होती ह। कोई न कोई रिकार्ड होना चाहिये कि अदालत कब बैठी और कब उठ गई और यदि यह हो जाय तो ठीक ह। अदालत ४ और ५ के बीच में जरूर उठ जानी चाहिये। छोटे कर्मचारियों को रात में ९ बजे तक बैठना पड़े यह कोई मनुष्यता नहीं है।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा। हमारे सूबे में जो बड़े से बड़ा वेतन है और जो छोटा से छोटा वेतन है उसमें बहुत बड़ा अन्तर है जो बचत की योजना बन रही है उसमें ऐसा किया जाय कि यह अन्तर कम से कम हो और वलफेयर स्टेट के अन्दर ऐसा होता है कि जो बड़े से बड़े की आमदनी होती है और जो छोटे से छोटे की आमदनी होती है उसमें अनुपात बहुत कम होता है। इसलिये जो बचत की योजना रखी जाय, उसमें यह कर दिया जाय कि दोनों की आमदनी में अन्तर कम हो।

डिप्टी चेयरमैन—कौंसिल २ बज कर ५ मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल एक बज कर २ मिनट पर स्थगित हो गई और २ बज कर ५ मिनट पर डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

***श्री बालक राम वैश्य** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने विचार इस सदन में माननीय राज्यपाल के संबोधन पर प्रकट करना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिस पर दुःख हुआ। कहा यह गया कि यह संबोधन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सरकारी अफसर द्वारा लिखा गया है जिसको राज्यपाल ने पढ़ लिया। राज्यपाल की योग्यता के बारे में जहां तक मैं समझता हूं इस प्रदेश में ही नहीं सारे भारतवर्ष में उनकी योग्यता का प्रभाव है। सभी उनकी योग्यता पर गर्व करते हैं। उनके बारे में ऐसी आलोचना करना एक बहुत ही अनुचित बात है। यह तो ऐसा ही है जैसे सूरज पर धूल फेंकने वाले के मुंह पर धूल आती है और उसकी आंख की किरकिरी बनकर रह जाती है। इसलिये ऐसी बातों की जब हम आलोचना करें तो यह जरूर सोचें कि हमारी बातें सदन के स्तर के अनुरूप हों। ऐसी बातें न कहना चाहिये जो सदन के स्तर से नीचे गिनी जाय। इसलिये मैं अपने मित्रों से यह अनुरोध करूंगा कि जब वह आलोचना करें तो विचारपूर्वक करें।

दूसरी बात जिस पर सदन के समक्ष इतना वादविवाद हुआ, वह है कुम्भ मेले के सिलसिले में हुई भयंकर दुर्घटना। इससे पहले प्रयाग में या किसी स्थान पर इतना बड़ा जनसमुदाय इकट्ठा नहीं हुआ था। जहां तक हम सोच सकते हैं या कोई भी सोच सकता है उससे अधिक संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए। ऐसी स्थिति में प्रबंधकों को एक कठिनाई वहां पर अवश्य हुई। एक ओर धार्मिक विचारों

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

की रक्षा दूसरी ओर जनता को कुशलता से रखना। जिस समय नागा साधुओं का जुलूस निकला उस समय एक अपार जनसमुदाय उनके दर्शन करने और उनकी पग-धूलि लेने के लिये आगे बढ़ा। परन्तु नागा साधुओं ने उसका विरोध किया और अपने भालों से उन्होंने जनता को रोका जिससे जनता भयभीत हो गई। जहां तक मुझे पता लगा है, समाचार पत्रों और अपने कुछ मित्रों से, उससे मुझे अनुभव हुआ कि जब जनसमुदाय उनके हमले से त्रस्त होकर तितर-बितर हो रहा था, एक ओर भाग रहा था और दूसरी ओर नहाने जाने वालों की संख्या आगे बढ़ रही थी, तो बीच के लोग जो थे दोनों तरफ की भीड़ और दबाव से दबे और उसमें इतनी बड़ी जनसंख्या का संहार हुआ। यह दुखद घटना हुई लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति हो गयी थी जो उस समय वहां के प्रबन्धकों के काबू के बाहर हो गयी। मुझे भी इसका कुछ अनुभव है क्योंकि ऐसे कार्यों में काम करने का, जहां पर कि मैंने वालंटियर इंचार्ज की हैसियत से काम किया। लखनऊ में जहां पर बहुत थोड़ी संख्या में इक्जिबिशन वगैरह में मनुष्य होते हैं लेकिन तो भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि वह काबू के बाहर की चीज हो जाती है। उस समय कितनी ही संख्या में वालेंटियर हों और सैनिक हों और पुलिस के लोग हों उस जनसमुदाय के प्रेसर को रोक नहीं पाते हैं। वहां पर भी यही हुआ। अगर प्रबंध में त्रुटि नहीं होती तो यह बात न होती, यह अवश्य हम कह सकते हैं। लेकिन डेलीबेरेटली यह हुआ है प्रबंधकों की तरफ से, तो इसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। क्योंकि कोई भी सरकारी अफसर और कोई भी सरकार अपनी बदनामी नहीं चाहती। प्रबन्ध जो वहां पर किया गया वह जनता के हित के लिये किया गया और सकुशल उनको अपने घरों में लौट जाने के लिये, परन्तु उसका परिणाम दुखप्रद हो गया। मैं जहां तक समझता हूं कि परिस्थिति कभी कभी काबू के बाहर हो जाती है। हमारे जितने राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं, उनको इसका अनुभव होगा। उन्होंने भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम किया है। जनसमुदाय का काम किया है। आज उनको यहां ऐसा समय मिल गया कि वे इतनी कड़ी आलोचना करने के लिये उद्यत हुए। यदि वे भी ठंडे दिल से सोचने लगें और वे अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें तो वे भी उक्त घटना के अलावा, उस मेले की सराहना करते होंगे। परन्तु हृदय और प्लेटफार्म में बड़ा अन्तर होता है। किसी कारण से वशीभूत होकर मैं बोलने की कोशिश करता हूं और बहुत कम बोलता हूं, मगर जब बोलता हूं तो हृदय से बोलने की कोशिश करता हूं।

श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या आप हृदय से बोलते हैं?

श्री बालक राम वैश्य--मैं जब बोलता हूं तो हृदय से बोलने की कोशिश करता हूं। आपकी तरह हर वक्त खड़ा होकर जो समझ में आये, बकना हमारा काम नहीं है। आप समझ लीजिए कि मैं हृदय से बोल रहा हूं।

इसके बाद एक दुखद घटना अपने प्रदेश में विद्यार्थी आन्दोलन की हुई। उसमें क्या हमारे मित्र बतला सकते हैं कि उन्होंने अपने विचार प्रगट करने के लिये उसमें हिस्सा लिया तो क्या केवल इसलिये नहीं लिया कि सरकार को दोषी ठहराया जाय और उसको बदनाम किया जाय। जब भी समय मिलता है तो पब्लिक प्लेटफार्म का दुरुपयोग करके उनकी मंशा यही होती है कि जनता में भ्रम फैलावें और जनता को गुमराह करें। मैं समझता हूं कि ऐसी नीति न तो जनता का हित करने वाली होगी न देश का हित करने वाली होगी। मेरे मित्रगण आलोचना करें, अपोजीशन का यह कार्य है, परन्तु रचनात्मक आलोचना होनी चाहिये जिससे वह सरकार के स्तर को ऊंचा कर सकें, जनता में अच्छा प्रभाव डाल सकें और उसमें ऐसी बातें पैदा कर सकें जिससे कटुता और विषमता न बढ़े। आलोचना आलोचना के लिये ही होती है और उसके पीछे कोई ध्येय नहीं होता है। चूंकि भावनायें ऐसी हो गई हैं कि जब आदमी अपने को निर्बल पाता है तब उसकी इच्छा केवल बुरी बातें कहने की होती

[श्री बालक राम वैश्य]

है क्योंकि वह रचनात्मक बातें कह ही नहीं सकता है। इसलिये कि वह अपने को निर्बल पाता है। बलशाली होने का चिन्ह यही है कि जो शब्द निकलें वह गम्भीर होने चाहिये, उसके पीछे ऐसी भावना होनी चाहिये कि हम जो शब्द कह रहे हैं उसके पीछे देश के हित की भावना है। केवल वह यही बात सोचता रहे कि जो कार्य हम करेंगे या जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें कोई कार्य ऐसा तो नहीं है जिससे कि देशवासियों का अहित हो। इतना विचार करके जो भी कार्य किया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस कार्य से देश का हित ही होगा। इसलिये अपने भाइयों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आलोचना करते वक्त वह रचनात्मक आलोचना करने की कोशिश करें।

श्री राजाराम शास्त्री--ऐड्रेस पर भी बोलिये।

श्री बालक राम वैश्य--हां, ऐड्रेस पर ही बोलता हूं। इस सम्बोधन में गवर्नमेंट ने जो कार्य पिछले दो सालों में किया या जो कार्य आगे होने वाले हैं उनका जिक्र किया गया है। पिछले समय में जो जो कार्य किये गये हैं उसमें उल्लेखनीय भूदान यज्ञ अधिनियम, आगरा यूनीवर्सिटी संशोधित अधिनियम और गन्ना अधिनियम हैं।

उन थोड़ी सी चीजों से यह आप साफ समझ सकते हैं कि हम आगे प्रगति की ओर चल रहे हैं और आगे जो कार्य आपके सामने सम्बोधन में रक्खे गये हैं उनसे भी आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहती है।

अब सबसे बड़ी बात जो कही गयी, वह यह कि जनता में काफ़ी असन्तोष है। पहले जनता जब गुलाम थी, उस समय जनता यह समझती नहीं थी कि उसके क्या अधिकार हैं, उस समय उसमें चेतना नहीं थी। उनके क्या अधिकार हैं, इससे वह अनभिज्ञ थी। इसी कारण उसमें असन्तोष की मात्रा नहीं थी। असन्तोष उस समय नहीं था इस समय असन्तोष आया है। जितनी चेतना आगे बढ़ती चली जायेगी, जितनी जागृति आती जायगी उतनी ही असन्तोष की मात्रा बढ़ती जायेगी। एक छोटा बच्चा होता है, पहले केवल दूध पीता है और चीजों का स्वाद वह नहीं पसन्द करता है। धीरे-धीरे उसको और चीजें पसन्द आने लगती हैं। कुछ दिन वह केवल आलू की तरकारी खाता है और फिर धीरे धीरे जैसे उसका विकास होता जाता है उसका उसमें असन्तोष बढ़ता जाता है। यही हाल देश में अपनी जनता का है। थोड़ा समय हुआ हमें स्वतंत्र हुये। अब उनमें जैसे जैसे चेतना बढ़ती जायेगी, उसी तरह असन्तोष भी बढ़ता जायेगा।

क्या हमारे माननीय सदस्य यह हृदय पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि जो परिस्थिति गांव की, जो परिस्थिति मजदूरों की या जो परिस्थिति देश की सन् १९४७ के पहले थी, वही आज भी है। क्या इसमें उन्नति नहीं हुई है। क्या नई-नई योजनायें जो आयीं, उन्होंने आबपाशी में मदद नहीं की। क्या अन्न की उतनी ही परेशानी है, जितनी पहले थी। क्या अन्न की कमी कम नहीं हुई। क्या वस्त्र की कमी कम नहीं हुई। हर चीज में आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय होता जाता है, वैसे वैसे वह कमियां पूरी होती जाती हैं। मैं नहीं समझता हूं कि फिर भी एक तरफ से यही बात सामने आ रही है कि हमारा देश तो गिरता जा रहा है, हमारा देश नीचे जा रहा है, तकलीफें बढ़ती जाती हैं। तकलीफें, मेरी समझ में तो बढ़ नहीं रही हैं, बढ़ायी जा रही हैं। असन्तोष उतना है नहीं वास्तविक जितना पैदा किया जा रहा है विरोधी दल के नेताओं द्वारा, उनकी स्पीचेज द्वारा और उनके कार्यों द्वारा। असंतोष बढ़ाया ही जा रहा है, घटाया नहीं जा रहा है। इसलिये असंतोष का कारण एक तो उनमें चेतना होना और दूसरे किसी एक विशेष वर्ग द्वारा उनको उकसाया जाना है। मैं तो यही दो कारण इस असंतोष का समझता हूं। चेतना द्वारा जो असंतोष होता है वह प्रगति की ओर से ले जाता है, मगर जो असंतोष विरोधी दलों द्वारा पैदा किया जाता है वह देश को नीचे की ओर ले जाया करता है।

एक सदस्य--ऐसा ही अंग्रेज कहा करते थे।

श्री बालक राम वैश्य--इसलिये मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य जो ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे देश में असंतोष फैले, बढ़े, उन कार्यों को कम कर दें तो फिर जो असंतोष जनता से पैदा होगा वह देश को प्रगति की ओर ले जायगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि वह देश की प्रगति में बाधक न हों। इन शब्दों के द्वारा मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसे श्री ज्योति प्रसाद जी ने उपस्थित किया है।

*श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के सम्बन्ध में जो इस सदन के सामने उपस्थित हुआ है, उसके समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ विचार आपकी आज्ञा से उपस्थित करूंगा। कुम्भ के सम्बन्ध में यहां पर काफी चर्चा हुई है। हम सभी उससे पीड़ित हैं। वह घटना कितनी महान दुखद थी, यह सब को ज्ञात है। मेरे विचार में इस पर अधिक टीका टिप्पणी से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ऐसा कहने से एक घायल के घाव में ठेस पहुंचाना है, इसलिये इस पर ज्यादा न कहा जाय तो अच्छा है। जैसा कि विदित है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, वह अच्छी तरह से अपना काम पूरा करेगी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह ५ टाउन्स में कारपोरेशन बनाने की है। पांच नगरों में कारपोरेशन बनने की बात चल रही है। मैं नहीं जानता कि इन कारपोरेशन की रूप-रेखा क्या होगी, परन्तु एक बात सरकार के सामने उपस्थित करना चाहता हूं कि कारपोरेशन बनने चाहिये, लेकिन उनके बनते समय यह ख्याल रखना आवश्यक है कि कौन से नगर हैं जो उसके खर्च को बर्दाश्त कर सकते हैं इसलिये मेरी राय है कि पांच नगरों के बजाय एक-दो नगरों से अगर कारपोरेशन बनने का काम किया जाय और यदि उसमें सफलता प्राप्त हो जाय, तो अन्य नगरों में भी आप कारपोरेशन बना सकते हैं।

इसके अतिरिक्त डकैतियों के सम्बन्ध में कहा गया है। मुझे मालूम है कि बहुत से डकैत पकड़े जा चुके हैं और डकैतों के पकड़ने का कार्य सरकार ने काफी किया है। फिर भी मैं एक ऐसे जिले से सम्बन्ध रखता हूं जहां अब भी डकैतों का बहुत बड़ा अड्डा है। मेरा मतलब आगरा जिले से है। वहां पर मानसिंह का गिरोह इतना भयंकर बना हुआ है जिससे काफी भय जनता में फैला हुआ है, केवल आगरा में ही नहीं बल्कि उसके समीप के जिलों को बहुत बड़ा कष्ट पहुंच रहा है।

शिक्षा के संबंध में इस सदन के काफ़ी सदस्यों ने प्रकाश डाला है, मैं उनसे सहमत हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। प्रारम्भिक शिक्षा ही असली बुनियाद है। आप चाहे कितनी खूबसूरत इमारत बना दें, वह ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकती है अगर उसकी बुनियाद कमजोर है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्रारम्भिक शिक्षा के संबंध में एक कमेटी की नियुक्ति जल्दी ही होनी चाहिये। सरकार की ओर से बेरोज़गारी को दूर करने की बहुत बड़ी कोशिश है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शिक्षित वर्ग अनइम्प्लायमेंट की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है, इसलिए एजुकेटेड यूथ्स की बेरोज़गारी को दूर करने में हमें प्रयत्नशील होना चाहिये।

हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्टरी थोड़े दिनों बाद अपना कार्य आरम्भ कर देगी और उसमें २ लाख टन प्रतिवर्ष तैयार होगा। क्या ही अच्छा हो कि इस तरह कुछ और बड़ी बड़ी फैक्टरियां यहां और स्थापित की जायं। संबोधन में मकानों की समस्या को हल करने की ओर भी संकेत किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि चीनी मिलों के मजदूरों के सहायतार्थ और अन्य मिल मजदूरों के सहायतार्थ सरकार ने १५ सौ और ६ हज़ार मकान बनाये हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्या उस समय तक हल नहीं हो सकती जब तक मिडिल क्लास के लोगों के लिये मकान न बनायें जायं क्योंकि बहुत से सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास इतने साधन नहीं हैं और जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे अपने मकान बना सकें।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—लखनऊ में सरकार बनाने जा रही है।

श्री निर्मलचन्द चतुर्वेदी—मुझे वित्त मंत्री से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि मिडिल क्लास के लोगों के लिये मकान बनाने सरकार ने प्रारम्भ कर दिये हैं। देवनागरी लिपि के सुधार के सम्बन्ध में जो कान्फ्रेंस सरकार ने आयोजित की थी उसकी जितनी सिफारिशें हैं वे जितनी शीघ्र लागू की जायं उतना ही अच्छा होगा। इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का फिर से समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णचन्द्र जोशी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो कि राज्यपाल को धन्यवाद देने के लिये पेश किया गया है। राज्यपाल महोदय जब कभी सदन के सामने प्रथा के अनुसार अपना संशोधन देते हैं तो इस आशय से देते हैं कि वे जनता के सामने और हम लोगों के सामने अपने वे काम रखें जो उन्होंने गत वर्ष कर लिये हैं और वे काम भी रखें जो आयन्दा साल करने का विचार उनकी सरकार रखती है। इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, और इस ध्येय को अपने सामने रखते हैं जिस ध्येय से हम स्टेट को चला रहे हैं यानी वेलफेयर स्टेट के ध्येय से, तो यह कहने में किसी को संकोच नहीं होगा कि जो कुछ आज तक परिस्थितियां रही हैं और इन परिस्थितियों के बस में होकर इस सरकार ने जो कुछ किया है और इसी सरकार ने नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की सरकार ने किया है वह कोई मामूली काम नहीं था। हम बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुज़रे हैं और इस सरकार ने अपने हाथ में ऐसे बोझ उठाये थे जिनको करना लोग असम्भव भी समझते थे। हमारे पास अन्न की कमी थी, हमारे पास खाना नहीं था और न रहने की जगह थी। सदियों की गुलामी हमारे ऊपर थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो कुछ कर सकते थे, वह किया है। हमने अभी तक वेलफेयर स्टेट को पूर्णतः क़ायम कर लिया है, यह कोई नहीं कह सकता है। लेकिन जिस ढंग से एक वेलफेयर स्टेट के लिये काम कर सकते हैं वह किया गया है। अब देखना यह है कि इस ध्येय की ओर सरकार अग्रसर हुई या नहीं। हमें यह देखना होगा कि जनता की खुशहाली बढ़ी है या नहीं। हमें यह भी देखना होगा कि जिस समय इस सरकार ने अपने हाथ में बागडोर ली थी उस समय जनता जितनी सुखी थी यदि उतनी आज नहीं है तो इसका क्या कारण है। हमें यह भी देखना होगा कि क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं और यदि जनता सुखी है और आगे के लिये भी आशा है तो यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि जिन परिस्थितियों में हम आगे बढ़ रहे हैं, वह काफ़ी है। यह कह सकते हैं कि किन्हीं विभागों में हम इतने आगे नहीं बढ़े हैं जितना कि बढ़ना चाहिए था, लेकिन देखना यह होगा कि हमने पहले जिस काम को प्रायर्टी दी वह ठीक दी या नहीं। क्योंकि सरकार के काम प्रायर्टी से होते हैं।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर सब से अधिक प्राथमिकता कृषि को दी गई है। इसी सिलसिले में हमें यह भी देखना है कि हम खाद्य की परिस्थिति पर भी काबू पा लें। इसके बारे में सरकार ने बहुत कुछ किया और आगे भी करने वाली है।

जहां तक मजदूरों का सवाल है उनकी हालत पहले के मुक़ाबले में अब अच्छी है। सरकार ने उनकी हालत को बहुत कुछ सुधार लिया है और आगे भी सुधारने की कोशिश कर रही है। हमारे यहां आजकल जो एजुकेशन का ढांचा है वह ठीक नहीं है और सरकार भी इस बात को मानती है कि वह इस वर्तमान शिक्षा-पद्धति से उन्नति नहीं कर रही है। उसको इसकी तरक्की करने के लिए और भी बातों को सोचना पड़ेगा। सरकार को शिक्षा की ओर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम जिन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, यही नौजवान होकर देश की हुकूमत को अपने हाथ में लेंगे, हमारे देश का भविष्य इन्हीं पर निर्भर है। इसलिए हमको इनकी तरक्क़ी के लिए जरूर सोचना चाहिए। आजकल शिक्षा की जो मशीनरी चल रही है वह ठीक नहीं है, सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा सरकार को अनइम्प्लायमेन्ट की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आज हमारे देश में बेकारी बहुत जोरों के साथ बढ़ रही है, ख़ास तौर से पहाड़ी इलाकों में। मैं पहाड़ी इलाके से आता हूं, वहां की हालत बहुत ही खराब है। सरकार उनके लिए काफ़ी कर रही है, जितना वह कर सकती है, वह कर रही है। यह ज़रूर है कि इसमें अभी समय लगेगा। सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं जानता हूं कि सरकार कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन जिस ढंग से वह कोशिश कर रही है शायद वह ढंग ठीक नहीं है और शिक्षितों की बेकारी दूर करने में सहायक न होगी। अभी तक हमारी शिक्षा में कोई इस प्रकार का सुधार नहीं हुआ है जिससे बेकारी दूर हो सके और शिक्षित समुदाय की बेकारी दूर करना निकट भविष्य का प्रश्न है, शिक्षा में सुधार कर इस बेकारी को जो मौजूदा शिक्षितों की समस्या हल नहीं कर सकते भले ही आगे शिक्षा प्राप्त करने वालों में बेकारी न फैलने देने में यह उपाय कारगर हो।

मज़दूरों के मकानों के बारे में भी सवाल उठाया गया। सरकार इसके लिए बहुत कुछ कर रही है। इर्रीगेशन के मामले में भी सरकार ने काफ़ी तरक्क़ी की है। यह मामला ऐसा है जिसमें काफ़ी समय लगेगा। बिजली की ओर भी सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है। एक चीज़ की ओर सरकार को सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है हमारे देश की बेकारी। काटेज इन्डस्ट्री की ओर सरकार को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे इन्डस्ट्री को लाभ हो और वह तरक्क़ी कर सके। परन्तु यह भी मौजूदा शिक्षित समुदाय में बेकारी दूर करने में शायद ही सहायक हो, क्योंकि मौजूदा शिक्षा प्रणाली की वजह से इन शिक्षितों की मनोवृत्ति इस ओर खींचना मुश्किल है, भले ही शिक्षा प्रणाली के सुधार से हम आगे आने वाले शिक्षितों की मनोवृत्ति को इस ओर मोड़ सकें। तथा आगे के लिये जितना एजुकेटेड अनइंप्लायमेंट हमारे सामने है वह दूर होगा लेकिन मौजूदा शिक्षितों के लिये देश में बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। यही नहीं कि हम काटेज इंडस्ट्रीज़ बढ़ाते चले जायं, बल्कि जो जो काम इस संबोधन में वर्णित किये गये हैं उनकी ओर भी हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि अगर इस संबोधन पर ठंडे दिल से विचार किया जाय तो यह पता चलता है कि हमारी सरकार को इन तमाम कार्यों में सफलता मिली है।

मुझे सिर्फ दो शब्द कुम्भ के मेले के विषय में कहने हैं, क्योंकि उसके बारे में सदन के अंदर बहुत कुछ भ्रम फैला हुआ है और यह तो मानी हुई बात है कि जो यह घटना हुई है यह दैवी प्रकोप है और कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसका हृदय इसके लिये दुख से प्रभावित न हुआ होगा। जहां तक कुम्भ मेले के इंतज़ाम का प्रश्न है, उसके बारे में मैं स्वयं भी कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं वहां पर मौजूद न था। लेकिन जो चीज़ अखबारों में देखने में आई है और जो मैंने लोगों के मुंह से सुना उससे मेरे हृदय में काफ़ी प्रसन्नता होती थी। जो कोई भी वहां गया और इस दुर्घटना के पहले वहां से लौट कर आया उसके मुंह से यही शब्द निकलते थे कि भाई ऐसा इंतज़ाम तो बहुत कम ही देखने में आता है, बड़ा सुन्दर प्रबंध किया गया है। परन्तु अचानक उस दिन क्या हो गया इस प्रश्न के विषय पर कमीशन विचार कर रहा है और उस पर जल्द ही विचार होने वाला है। इसलिये अच्छा तो यह होता कि सदन में इस पर अधिक बहस न होती और इस दुर्घटना के जो कारण हैं, उनको समझने की कोशिश की जाती कि असल में इसका कारण क्या है।

इसके बाद एक चीज इसमें जरूर दुख की है और जिससे हृदय में बड़ी टीस उठती है, वह यह कि आठ घंटे तक जब हमारे मुख्य मंत्री जी को इसकी खबर नहीं मिली तो आखिर यह बात सामने आती है कि इसका क्या कारण था। हम लोग मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य पर अविश्वास नहीं कर सकते और न हमें करना ही चाहिये क्योंकि वह हमारे सर्वमान्य नेता हैं और इस प्रान्त के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उनकी मानवता में किसी को अविश्वास नहीं है। फिर भी इन कारणों पर जाना नितांत आवश्यक है कि उनके पास इस दुर्घटना के संबंध में इतनी देर तक खबर क्यों नहीं पहुंची। अगर इसको हम मान लेते हैं

[श्री कृष्णचन्द्र जोशी]

कि उनकी बात सही है जिसके सन्देह करने का कोई कारण नहीं, तो निश्चित बात है कि कहीं न कहीं इंतज़ाम करने वालों की कोई गलती हुई जिसके कारण इतनी भी खबर उनके पास न जा सकी तब इसके लिये जांच होना और उस पर कार्यवाही होना कि जिसके कारण यह हुआ, आवश्यक है। इस सदन के अंदर कई बातें कही गई हैं जिनमें से बहुत सारी बातें उपयोगी हैं और कुछ बातें महज़ प्लेटफार्म पर यूज़ करने वाली कही गई हैं। हमें, उसकी जड़ में कौन सी ऐसी बात थी, उसको मालूम करना चाहिये न कि इधर उधर की फिज़ूल बातों को कह कर सदन का समय नष्ट करना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि जैसा हमारे मंत्रियों ने कहा कि उनके पीछे भी कुछ आदमी रहे होंगे और इतने आदमी उनके साथ रहना आवश्यक ही था। क्योंकि जब इस तरह के मेले होते हैं और उनमें जब इस प्रकार के गणमान्य लोग जाते हैं तो उनके लिये कुछ प्रबंध होना ऐसे मेलों में आवश्यक ही है। लेकिन इसके माने यह तो नहीं हैं कि सब अधिकारी उसी तरफ आकर्षित हो जायं और जनता की तरफ से ध्यान हटा दिया जाय, ऐसा तो नहीं होता। इसलिये इस बात पर गौर करना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि कुम्भ मेले में ऐसी घटना हो, जिसका असर सारे देश में पहुंचता हो, तो यह लज्जा की बात है। कुछ हमारे दोस्तों ने यह कहा कि इसके लिये जो कमीशन नियुक्त किया गया है उसमें अगर कुछ लोग बाहर के भी रक्खे जायं, जिन पर कि जनता विश्वास करती हो, तो अच्छा है लेकिन मैं तो कहता हूं कि जो कमीशन बैठ गया है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर कि जनता विश्वास न करती हो, तथापि चूंकि अपोजीशन की ओर से इस पर आपत्ति की गई है इसलिये यह बेहतर होगा कि एक आध आदमी ऐसे ले लिये जायं जिनका कि यहां पर नाम भी ले लिया गया है और जिन पर जनता विश्वास भी करती हो, तो उसमें हर्ज की कोई बात नहीं है। अगर इस तरह से जनता का फायदा होता है तो उसको करने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिये। इतना ही कह कर मैं, जो प्रस्ताव संबोधन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष जी, मैं आज के वादविवाद में केवल संगम की दुर्घटना के विषय में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जो अन्य बातें राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में हैं उसमें तो यह देखा ही जा रहा है कि कोई कंस्ट्रेक्टिव सुझाव दूसरी तरफ से नहीं दिये गये हैं। जो स्पीचेज़ इस सम्बन्ध में होनी चाहिये और गवर्नर महोदय के सम्बोधन पर जो विधान में लिखा गया है, तो उसमें एक तरफ तो गवर्नमेंट अपनी पालिसी व्यक्त करती है और मौका मिलता है तो दूसरी तरफ अपोजीशन अपने सुझावों को इस भवन के समक्ष रखती है। लेकिन यहां आज एक अजीब रवैया हो गया है और जो नुक्ताचीनी यहां पर की गई वह बिल्कुल हवाई नुक्ताचीनी है और पता चलता है कि जैसे वह इस जमीन में हैं ही नहीं। इस नुक्ताचीनी के अलावा कोई दूसरा सजेशन न तो समाजवादी पार्टी की तरफ से है और न दूसरी पार्टी की तरफ से दिया गया है। समाजवादी पार्टी का तो मुख्य अमेन्डमेंट यही है और जो भी आलटरनेटिव उन्होंने दिये हैं वे बिल्कुल भी कंस्ट्रेक्टिव नहीं हैं। मैं कोई ज्यादा समय इस भवन का नहीं लेना चाहता हूं और कुम्भ के अवसर पर जो दुर्घटना हुई है, उसके विषय में दो-चार बातें व्यक्त करना चाहता हूं।

मुझे याद है कि सन् २२ में जब कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी था, तब संगम के किनारे अधिकारियों की तरफ से यह कहा जाता था कि उसका रेता कमजोर हो गया है और उस समय संगम में नहाने से लोगों को रोक दिया गया था और उसके लिये यह कहा गया था कि वहां पर नहाना एकदम खतरे से खाली नहीं है। तब उस मुक़ाम पर उस समय मालवीय जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे और वहां पर घुड़सवारों की पलटन तैनात कर दी गई थी और उसमें वहां पर एक तख्ता रख दिया गया था तथा वहां भी लोगों को खड़ा कर दिया गया था जिससे कि वहां कोई स्नान न कर सके। वहां दो घंटे तक मालवीय जी बैठे रहे, मगर मालवीय जी के जो अगुवा थे उन्होंने कहा कि मैं तो स्नान करने के लिये वहीं जाता

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

हूं और बिना संगम में स्नान किये मैं भोजन नहीं कर सकता हूं जब कि मैं पिछले २४ घंटे से भूखा हूं। वह तख्ते के नीचे से निकल गये और इसी तरह से दूसरे लोग भी निकल गये और उन लोगों ने वहां स्नान किया। उस समय करीब तीन बजे का वक्त हो गया था, तो यह बात इसलिये मेरे ध्यान में आई कि यहां भी पहले से काफी इन्तज़ाम था। इन्तज़ाम था इस बात के लिये, फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, क्योंकि उस समय भी कहा गया था कि संगम खतरनाक है और इसमें नहाना मना है और जो कोई भी इसमें स्नान करेगा उसकी ज़िम्मेदारी सरकार अपने ऊपर नहीं लेती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में कोई डूब सकता है, मर सकता है। तो इस बात की ज़िम्मेदारी सरकार अपने ऊपर नहीं लेती है। उसके किनारे भी बहुत कमज़ोर हो गये थे। १०० वर्ष बाद यह कुम्भ आया था और ग्रह का योग इस प्रकार था जिससे लोग कुम्भ-स्नान में पुण्य लाभ समझते थे। इस समय भारतवर्ष के कोने कोने के लोग इस बात के इच्छुक थे कि हम संगम पर स्नान कर आवें। तो ऐसे मौके पर सारी ज़िम्मेदारी टाली भी जा सकती थी कि किनारे कमजोर हो गये हैं, स्नान करने का स्थान कम है, इसलिये रेल का आना-जाना भी बन्द किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने इस बात का इन्तज़ाम किया कि स्नान लोग संगम पर कर सकें। ३, ३ पुल बनाये गये और झूसी की ओर भी नहाने का इन्तज़ाम किया गया था। कमजोर तट को मज़बूत करने के लिये रेता डाला गया था और इन्जीनियर लोगों से जो इन्तज़ाम हो सकता था, वह सब किया गया था, जिससे कि ख्वाहिशमन्द लोग स्नान का पुण्यलाभ उठा सकें। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसकी भावना को पूरी करते हैं। मैं तो इस पर विश्वास करता हूं और मेरा विश्वास है कि सभी इसको मानते हैं कि श्रद्धा पर धर्म निर्भर है। हमारे देश में श्रद्धावान लोग जो संगम पर स्नान करने के लालायित हैं उनके लिये सरकार ने सच्चे हृदय से और प्रेम से इन्तज़ाम किया और अपनी सारी इन्जीनियरिंग स्किल और स्टाफ को लगा दिया और वहां सब प्रकार का इन्तज़ाम किया गया था। मैंने सुना कि दक्षिण से, समुद्रतट से गोतेखोर बुलाये गये थे जिससे यदि कोई डूब जाय तो उसको उसी समय निकाल लिया जाय और उसकी जान बचाई जा सके, सरकार ने सब प्रकार से इन्तज़ाम किया था कि दुर्घटना न हो। इन सब बैक ग्राउन्ड को छोड़ कर दुर्घटना का जिक्र करने के माने हैं कि वास्तविकता से दूर चले जाना है और स्तर को छोड़ देना है। इन सब बातों को छोड़ कर जिन लोगों ने कहा है कि सरकार का इन्तज़ाम खराब था, वहां हज़ारों आदमी मर गये और उन्होंने कहा कि वह नीरो के बराबर थे तो मैं समझता हूं कि वे झूठ कहते हैं और सरकार नीरो नहीं है बल्कि जो ऐसा कहते हैं वह नीरो हैं मैं तो समझता हूं कि दुर्घटना ऐसी चीज़ होती है कि सभी प्रकार के वाद-विवाद शान्त हो जाते हैं। मौत में तो सभी खामोश हो जाते हैं और तुच्छ बातें वोट को लेने के लिये और अपनी मेम्बरी और वोट के लाभों के कारण वह शिष्टाचार को भी भूल जाते हैं और इस प्रकार की दुर्घटना का भी वह दुरुपयोग करते हैं जो किसी को भी शोभा नहीं देता। जो आदमी इस प्रकार से बैक ग्राउन्ड को भूल कर और दुर्घटना से खुश होकर यह समझता है कि यह तो गाड गिवेन अपारचुनटी है, खुशी करता है, वह नीरो है। इसलिये मैं नम्र निवेदन करता हूं कि जो सरकार ने व्यवस्था की और संगम पर स्नान को सुविधा के जो प्रबन्ध किये और जिस प्रेम और सहृदयता से यह काम किया, उसको भुला देना सत्य को छोड़ देना है। इस समय, श्रीमान् जी, जो घटना घटी उसके विषय में माननीय सदस्य जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, या बहुत से यात्री जो वहां से आये हैं और इस घटना के निकट रहे हैं उनसे बातचीत करने से मुझे जो कुछ मालूम हुआ है उससे मैंने यह चित्र खींचा है कि बांध के इधर बहुत भारी भीड़ थी और उधर से नागाओं के जुलूस की वजह से रास्ता बंद हो गया था। उसी बीच में नागाओं ने हुल्लड़ किया जिससे कुछ लोग घबरा गए और घबरा कर बाहर निकलना चाहते थे। रास्ता बैरीकेटेड था, बांसों से घिरा हुआ था। उन्होंने बैरीकेड को तोड़ दिया और तोड़ कर उन खाइयों की ओर गए जो रास्तों से दूर थीं। उन खाइयों में वर्षा हो जाने के कारण कीचड़ हो गई थी। उस दलदल की तरफ जाने के कारण दुर्घटना हुई। मैं जो आप से निवेदन कर रहा हूं यह कोई मेरी पक्की राय नहीं है। लेकिन कोई भी रीजनेबुल आदमी जो अपने दिल में निष्कर्ष निकाल सकता है, वह इतना ही निकाल सकता है।

[श्री इन्द्र सिंह नयाल]

इस दुर्घटना के इमीडिएट काज़ दो थे। एक तो पीछे से भीड़ के धक्के का आना। जहां तक स्टैम्पीड का अनुभव है, जिन्होंने वालेंटियर का काम किया है वह इस बात को जान सकते हैं कि एक हजार की भीड़ में अगर दो आदमी भी पीछे से धक्का दें तो उसको रोकना बड़ा कठिन काम हो जाता है और फिर जहां लाखों की भीड़ हो और पीछे से धक्का आ रहा हो वह तो उसी तरह से होगा जैसे गेहूं के खेत में हवा एक लहर देती है और वह सारे खेत में फैल जाती है। यह कहा जा सकता है कि भीड़ रोकी जा सकती थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त ९ बजे जब यात्री नहाने जा रहे थे और उधर से नागाओं का जुलूस निकल रहा था उस समय जिस अधिकारी ने हुक्म दिया था कि भीड़ को रोका जाय और नागाओं को जुलूस निकल जाने दिया जाय तो क्या आप समझते हैं कि उसको यह फोरसी करना चाहिए था कि जनता नागाओं के पैर छूने के लिए दौड़ेगी और नागा अपने भाले बरछियों से जनता को भयभीत कर देंगे, जिससे जनता इधर-उधर भागेगी और इतनी बड़ी दुर्घटना हो जायगी। मैं समझता हूं कि यह फोरसी करना बिल्कुल असम्भव था। मैं समझता हूं कि जिस वक्त इन्क्वायरी कमेटी बैठेगी तो वह शायद ही किसी अधिकारी के खिलाफ नेगलीजेंस का जुर्म लगा सके। ऐसे हवा में बातें करने से काम नहीं चल सकता। आप डेफिनिट बात बतलाइए कि फ़लां लोग जुर्मवार हैं। लेकिन गोल बातों से तो साबित नहीं कर सकते कि चूंकि इतने आदमी मर गए हैं इसलिए अधिकारी जुर्मवार हैं। आखिर जो भी व्यक्ति इन बातों पर विचार करने बैठेगा वह ज़रूर यह नतीजा निकालना चाहेगा कि कौन सी बातें ऐसी हैं जिनके कारण हम यह समझते हैं कि फ़लां २ आदमी जुर्मवार हैं। आप अपने मन में भले ही किसी को जुर्मवार समझ लें, लेकिन मुल्क को नहीं समझा सकेंगे कि किसका जुर्म है। जहां तक दुर्घटना का सवाल है, श्रीमान् जी, उसमें स्टैम्पीड होने का कारण, नागाओं के भाले बरछी चलाने की बात कोई फोरसी नहीं कर सकता था और अगर वह फोरसी कर सकता था तो उसी हद तक वह पार्टीक्युलर अधिकारी दोष का भागी हो सकता है। यह एक ऐसा काज है कि किसी भी एक श्रृंखला को पकड़कर आप नहीं कह सकते हैं कि इसका काज यह है। वहां पर भीड़ हुई, क्योंकि सौ वर्ष के बाद यह पर्व आया था। नागाओं को नहाना था और उनके नहाने के लिये भी सुभीता होना था, लेकिन यह कौन जान सकता था कि इतनी भीड़ होगी और नागा लोग तलवार चमकायेंगे और लोग खड्डे की तरफ दौड़ेंगे। मैं समझता हूं कि कोई दूरदर्शी ही आदमी इसको जान सकता था, लेकिन यह एक आर्डिनरी आदमी के सोचने के बाहर की चीज है। इस दुर्घटना ने सारे समाज को हिलाया है। मैं यह जानता हूं कि जो लोग यहां पर नुक्ताचीनी करते हैं उनसे ज्यादा दुख उन लोगों को हुआ जो लोग कि उनके इन्तजाम में लगे हुये थे। वे इस बात को सोचते थे कि यहां पर जो लोग नहाने आयेंगे वे नहाकर सुख से लौट जायेंगे। क्या उन लोगों को कम दुख हुआ होगा।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि पुलिस का लाठी चार्ज हुआ। मैंने भी अपने एक मित्र से पूछा जोकि एक महीना वहां पर रहे। वे कह रहे थे कि मैं वहां से ५० गज की दूरी पर था। उन्होंने कहा कि वहां की सारी पुलिस इतनी ट्रेन्ड थी कि वे सभी के साथ नर्मी से पेश आते थे और बहिन भाई कह कर बोलते थे। भीड़ वहां पर इतनी बढ़ गई कि अगर लाठी चार्ज न होता तो हजारों और मरते। जो लोग कि नुक्ताचीनी करने की ख्वाहिश रखते हैं उनको मौका मिलता है कि लाठी चार्ज हुआ और अगर यही इसका कारण है तो यह गलत है। वहां पर ६,००० वालंटियर थे। जब अंग्रेजों का राज्य था तो उस समय जो लोग इलाहाबाद में पढ़ते थे तो उनको मौका मिलता था कि वे वालंटियर का काम करें। वहां पर कुम्भ के समय ६,००० वालंटियर थे और दो-तीन हजार पुलिस थी। आज विरोधी दल के लोग उन छोटी छोटी बातों को लेकर यदि यहां पर इसको इक्सप्लायट करना चाहें तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। जो कुछ बड़े-बड़े लोग वहां पर गये थे, तो उनका आदर करके हम अपना आदर करते हैं।

जनता को सुभीता देते हैं कि नहीं देते हैं इस दृष्टि से देखना चाहिये। जनन की दृष्टि से देखते हैं तो यह गलत बात है। यह शिष्टाचार के विरुद्ध बात है। यह तब तक नहीं होना चाहिये जब तक कि यह बिल्कुल शुद्ध न हो जाय।

तो मैं, श्रीमान् जी, आपसे जो निवेदन कर रहा था वह यह था कि यह दुर्घटना हुई, इससे महान दुख हुआ तो क्या श्रीमान् जी, आप यह सोचते हैं कि माननीय राजेन्द्र प्रसाद जी जो इतने देशभक्त हैं उनके हृदय में पैटरियाटिज्म नहीं है। मुंशी जी या पन्त जी के देशप्रेम में कोई शुबहा नहीं किया जा सकता है। उनको दुख हुआ। कहा जाता कि वह नीरो की तरह नाच रहे थे या उछल-कूद कर रहे थे तो ऐसा कहना कुछ ठीक नहीं मालूम होता है। आप अपना आत्मसंतोष करना चाहते हैं तो शराफत से कीजिये जैन्टिलमेनलीनेन्स की तरह कीजिये। मान लीजिये कि अगर वह फंक्शन था और उनको सूचना मिल ही गई थी तो वह एक सोशल फंक्शन था कोई खुशी की बात नहीं थी, इसलिये उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब बार-बार कहा गया कि हमको कुछ मालूम नहीं था तो फिर कौन सी बात है जिससे आपको असन्तोष है। आप सोच सकते हैं कि राजेन्द्र प्रसाद तथा पन्त जी और मुंशी जी की भावनायें आपसे कहीं ज्यादा उच्च हैं विशेष कर जब उनका इस इन्तजाम से सम्बन्ध था तो यह एक नामुकिन बात है कि उस घटना से उनको कोई सुख मिला हो तो यह जो प्रदर्शन किया जा रहा है वाक आउट करके या अमेन्डमेन्ट लाकर के और कहा जाता है कि वह तो नीरो की तरह नाच रहे थे, तो यह चीज बिल्कुल गलत है। इस किस्म की बात को बार-बार दोहराना यह एक ऐसी बात है जो खुद उनके हृदय की कमजोरी का प्रदर्शन करती है। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि इसको एक पोलिटिकल कैपिटल बनाना विरोधी पार्टी के लिये गलत चीज है। मैं इन शब्दों के साथ इस अमेन्डमेन्ट का, जो राजाराम शास्त्री ने पेश किया है, विरोध करता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---और मेरे अमेन्डमेन्ट के बारे में क्या ख्याल है?

श्री इन्द्र सिंह नयाल---वह अमेन्डमेन्ट तो गौर करने के काबिल ही नहीं है।

*श्री अब्दुल शकूर नजमी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)---जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, जो एड्रेस राज्यपाल ने दिया है उसके बारे में मेरी अर्ज बहुत ही मुख्तसर है। मेरे दिमाग में एक हल्का सा नक्शा है, जो मैं पेश करना चाहता हूं। इस एड्रेस को एक हाल के वाकये से शुरू किया गया है, उसके बाद दो चार बातों की तरफ भी ख्यालात राज्यपाल ने जाहिर किये हैं। विरोधी दल ने जो राय अपनी जाहिर की है उसके लिये मैं समझता हूं कि यह चीज तो उनके लिये उस प्लेटफार्म पर ठीक थी, जब चुनाव का वक्त होता।

मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं कि कुम्भ के पवित्र मेले का जो दर्दनाक वाकया जिस तरह से पेश किया गया वह काफी सोचने की बात है। इसलिये कि अखबारात में मैंने पढ़ा और दूसरे जरियों से यह मालूम हुआ कि कुम्भ का जो दर्दनाक वाकया हुआ है वह अपनी जगह पर एक ही मिसाल है। मैं समझता हूं कि जम्हूरी देशों में कहीं भी जो राजसत्ता का प्रतीक होता है उसके एड्रेस पर इस तरह से वाक आउट कर देना नहीं मिल सकता। तो इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहूंगा, आपकी खिदमत में, आपकी इजाजत से कि इस बारे में कोई शक व शुबहा की चीज नहीं, दो राय भी कि नहीं जो कुछ हुआ, वह काफी दर्दनाक था। इस पर भी हाउसेज के अन्दर और बाहर यह सुनाई देना कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें किसकी गलती थी, ठीक नहीं है। उस समय खासकर जब कि एक कमेटी बन चुकी है उसने लोगों से कहा भी है गवाही देने के लिये और सब बात उसके जरिये से आपके सामने आ जायेगी। यह ठीक है कि वहां एक ऐसा दर्दनाक वाकया हुआ कि जिसमें भाई बहिन की पुकार पर ध्यान नहीं दे सका, बाप ने अपनी बेटी को लोगों के बीच में पिस कर मर जाते देखा, लोग एक दूसरे से बिछुड़ गये और पिस गये, उस भीड़ के बीच

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री अब्दुल शकूर नजमी]

में यह सब बातें हुईं, लेकिन इन सारी बातों को एक ऐसी दशा में हाउस के सामने रखना और उन सब बातो को भुला देना जोकि वाकये के पहले हुईं और लोगों की जबानों पर थीं, ठीक नहीं लगता ।

मैं खुद २९ जनवरी को और २ फरवरी को इलाहाबाद गया था तो जिस तरह से कि अगर दाल में नमक ज्यादा हो गया तो सरकार की गलती से, रिक्शा तांगा लड़ गया, तो सरकार की गलती से और कोई बात हो गई तो सरकार की गलती से और लोग सरकार को हर जगह हर बात में क्रिटिसाइज करने से नहीं चूकते, उसी तरह हर रेल के डिब्बे में, स्टेशन पर आते जाते हर जगह मेले के अन्दर और मेले के बाहर यही सुनाई पड़ता था कि वाकई में इन्तजाम बहुत अच्छा है । ऐसा इंतजाम पहले कभी देखने में नहीं आया । हर आम और खास की जबान पर यही एक बात थी । तो इन सारी बातों को बालाये ताक रख कर सिर्फ इस एक इंसीडेंट के लिये सरकार को हर तरह से क्रिटिसाईज करना सिवा इसके क्या समझा जाय कि ये भी एक सिद्धांत है और इसलिये ऐसा करना लाजिमी है, मेरी समझ में तो इसके सिवा और कोई बात आती नहीं । बहरहाल एक कमेटी बन चुकी है और वहां क्या हुआ यह सारी बात आपके सामने जल्द आ जायेगी । इसके बारे में और कुछ ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता ।

ऐड्रेस के बारे में जो यह कहा गया कि इसको पढ़ने से यह मालूम होता है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का सूबा है यह तरक्की की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है और वाकया यह है कि यह निश्चित तौर पर तनज्जुली की तरफ जा रहा है, उन्नति की तरफ नहीं जा रहा है। इसके बारे में मैं यह अर्ज करूंगा और अपनी याददाश्त के बल पर मैं आपके जरिये से इस हाउस के मेम्बर्स से अर्ज करूंगा कि अगर आप यहां की आबपाशी की जो हालत थी सन् ४६ में, उसको लीजिये तो आपको मालूम होगा कि यहां सन् ४६ में सिर्फ १८ हजार मील लम्बी नहरें थीं, लेकिन १९५३ में उससे दुगनी हो गई हैं । सन् ४८ में १८ या ऐसे ही कुछ ट्यूबवेल्स यहां इस सूबे में थे, जिनके मुकाबले में १९५३ तक उसके कई गुने ट्यूबवेल्स बन चुके हैं । पिछली लड़ाई में यू० पी० की हालत यह थी कि यू० पी० का सूबा हर साल दो लाख टन चावल बाहर से मंगाया करता था, लेकिन १९५३ में क्या हालत रही, इसको हमारे मेम्बरों ने देखा ही होगा । हमने दूसरों को काफी अनाज दिया । अगर यहां के लोगों ने ज्यादा अनाज पैदा नहीं किया इन चन्द सालों में तो यह अनाज कहां से आया ? राशन खत्म हुआ इससे भी हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हमारे यहां अनाज की ज्यादा पैदावार हुई, लोगों की हालत पहले से अच्छे स्तर पर पहुंची । लोगों ने अपने को पहले से ज्यादा खुशहाल पाया । हां, यह ठीक है कि बेकारी है और तेजी से फैल रही है ।

मैं इस चीज का मानने वाला हूं कि जहां बेकारी और नौजवानी एक जगह हो तो खामोश नहीं रह सकते । नौजवान चाहे कम्युनिज्म की तरफ जायं, या सुरैया या मधुबाला की तरफ देखें, यह लाजमी है कि उसको काम देना होगा । लेकिन यह चीज कहना कि बेकारी को दूर करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई यह साया से बात करना है । गवर्नर साहब के ऐड्रेस में यह बात जो कही गई है कि हमारे यहां कास्टइज्म और छूतपरस्ती फैल रही है , बहुत ही अहम चीज है । मेरा अपना ख्याल है कि जब तक यह चीज बुनियादी तौर से दूर न की जायगी, देश तरक्की नहीं कर सकता है और उस वक्त तक जो ख्वाहिशात यहां पेश की गई हैं उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है । चूंकि कुम्भ मेले का यहां पर काफी जिक्र हुआ है और जब से मेले की शुरुआत हुई मैंने इसकी हिस्ट्री जानना चाहा । तवारीख हमारी बताती है कि १२, १३ सौ साल पहले के नक्शे को आप देखें, महराज हर्षवर्धन के जमाने में यह मेला ५ साल के बाद होता था और उसमें महाराजा की तरफ से हीरे जवाहरात बांटे जाते थे जिससे नफरत लोगों में न पैदा हो। अकबर ने भी इसका नाम अल्लाह बाश रखा था

अल्लाह अरबी से और बाश संस्कृत से जिसके मानी थे एकता । कुम्भ से यह भी फायदा उठाया जाता था। इसलिए फूटपरस्ती और कास्टइज्म को हटाने के लिए हम सबको और हर पार्टी को कोशिश करना चाहिये। आउटसाइड का जो खतरा हमारे देश को है इस वजह से भी एकता की जरूरत है और जब तक यहां के लोगों के दिमाग में एकता के ख्यालात पैदा न किये जायंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इन चन्द अल्फाज के साथ में ऐड्रेस का स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने सदन के संमुख उपस्थित किया था उसके संबंध में सदन के सभी साथियों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। उन विचारों के संबंध में गवर्नमेन्ट की क्या राय है, वह लीडर आफ दि हाउस बताएंगे यह उनका काम है। लेकिन जो दो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनके संबंध में मैं कुछ अवश्य कहना चाहता हूं। एक संशोधन तो भाई गुरु नारायण जी का है, जिसमें उन्होंने कहा है "किन्तु खेद प्रकट करते. हैं कि उसमें निम्नलिखित बातों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चार बातें उसमें कही गई हैं। (१) मन्दी जो आरम्भ हो गई है, (२) जनता की क्रय शक्ति में कमी, (३) मध्यम वर्ग की दशा में अवनति और (४) कर-पीड़ित जनता को कोई कर निवारण।"

(इस समय ३ बजकर २० मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि सम्बोधन में हर चीज का तजकिरा हो, तो शायद वह इतनी बड़ी किताब हो जाय कि उसके पढने के लिए दिन चाहिये, फिर भी वह कमियां पूरी न हो पायेंगी और नये संशोधन भी आ सकेंगे कि अमुक विषय की चर्चा सम्बोधन में नहीं की गई है। लेकिन जिन अधिक प्रश्नों की तरफ संशोधक महोदय ने ध्यान दिलाया है, उसका जिक्र पृष्ठ १४ में गवर्नर महोदय की तरफ से साफ तौर पर किया गया है।

"Special measures are also being initiated for the eradication of certain social evils and the disease of leprosy in the backward areas of Jaunsar-Bewar in Dehra Dun and Rawain-Jaunswar in Tehri-Garhwal Districts."

आपकी जितनी चीजें हैं वे आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध रखती हैं क्रय शक्ति घट रही है या करों का बोझा है अथवा मन्दी आ रही है ये सब आर्थिक सवाल हैं जिनकी तरफ आपने ध्यान दिलाया है। सरकार की इनके सम्बन्ध में क्या नीति है और आप क्या चाहते हैं इन विषयों पर विचार करने के लिये तो बजट ही अच्छा अवसर होगा और उस वक्त ही करों के निवारण का सवाल उठ सकता है। जो कर लग चुके हैं उनके बारे में राज्यपाल से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह अपने सम्बोधन में उनके औचित्य अनौचित्य के सम्बन्ध में कोई सम्मति प्रकट करें अथवा यह कह सकें कि यह कर फौरन खत्म हो जायेंगे। यह आशा कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता है। सरकार ने अभी तक जो नीति लागू की है उसका समर्थन नीति सम्बोधन में होगा, लेकिन अगर आप उस नीति का विरोध चाहते हैं तो वह इसमें तो नहीं मिलेगा, उसके लिये दूसरे उपयोगी समय हैं। जब बजट प्रस्तुत होगा उस वक्त उन पर विचार किया जा सकता है तथा उस समय उनकी आलोचना भी हो सकती है। मैं कहूंगा कि जो प्रश्न संशोधन के अन्दर उठाये गये हैं उनका तजकिरा सम्बोधन के अन्दर है और मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा गवर्नर महोदय क्या कह सकते थे। वह तो स्पष्ट मानते हैं कि--

"The need for economic betterment of our people is not only urgent, but preemptory; and the demand for national solidarity and single-minded devotion to maintain the stability and develop the resources of the State is all the greater."

अर्थात हमें आर्थिक सुधार करने हैं और तुरन्त करने हैं इसलिये जहां तक इस संशोधन का

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

सम्बन्ध है, मैं समझता हूं, वह ठीक नहीं है और सर्वथा अनुपयुक्त है और न सम्बोधन पर विचार करते हुये इनकी चर्चा हो सकती है।

दूसरा संशोधन श्री राजाराम शास्त्री का है। यह संशोधन तो मेरी समझ में आया नहीं कि इसके माने क्या हैं।

श्री राजाराम शास्त्री—वह आपकी समझ में आ भी नहीं सकता।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—शास्त्री होने के नाते आपकी बुद्धि अवश्य तीव्र है। परन्तु उसका ठेका आपके पास नहीं है। आप कहते हैं कि किन्तु सदन को खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया है। इसमें उन्होंने सब से पहले ३ फरवरी वाली घटना का उल्लेख किया है। अध्यक्ष महोदय, संशोधन लिखते हुये शास्त्री भी शायद यह भूल गये कि सब से पहले राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में इसकी ही चर्चा की है। इसके अतिरिक्त और भी जो बातें दुर्घटना के विषय में कही हैं उनकी भी चर्चा वह संशोधन प्रस्तुत किये बिना ही कर सकते थे। संशोधक महोदय को कोई रुकावट नहीं थी कि वे उन बातों की आलोचना न कर सकते, परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है संशोधक महोदय का मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि उनके इस संशोधन की क्या जरूरत थी।

अब दूसरी घटना उन्होंने गन्ना उत्पादकों के सम्बन्ध में कही है और बतलाया है कि ढाई सौ से अधिक कार्यकर्त्ता इस आन्दोलन में गिरफ्तार हो गये हैं, क्योंकि सरकार की शक्ति शक्कर के मिल मालिकों के पक्ष में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई प्रोपेगेन्डा की जगह नहीं है। केन सप्लाई के सम्बन्ध में एक पार्टी अपना पृथक् प्रोपेगेन्डा करती है परन्तु पार्टी प्रोपेगेन्डा का यह स्थान नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश का हर एक आदमी उनकी राय से इत्तिफाक करता तब तो यह ठीक है। लेकिन स्वयं जो केन ग्रोअर्स का फेडरेशन है, उसी में मतभेद है दो मेम्बर कहते हैं कि स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, एक कहता है, स्ट्राइक चलनी चाहिये ऐसे मतभेद के होते हुये संशोधक महोदय इस बात की आशा करते हैं कि इन सब बातों का उल्लेख राज्यपाल के सम्बोधन में होना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि इन बातों का सम्बोधन में उल्लेख करने से कोई खास फायदा नहीं होता। जो बातें उल्लेख के काबिल थीं उनका उल्लेख किया गया है। अगर आप पार्टी प्रोपेगेन्डा के ख्याल से कहते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे मतभेद की बातों की चर्चा सम्बोधन में कोई जरूरी नहीं है।

इसके अलावा संशोधक महोदय ने अपने संशोधन में यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी और जनता की गिरती क्रय शक्ति अर्थात् बढ़ती हुई गरीबी, मजदूरों, अध्यापकों एवं मध्यम वर्ग की शोचनीय अवस्था की भी चर्चा सम्बोधन में नहीं है। सरकार ने हर क्लास की तरक्की की ओर ध्यान दिया है। अगर हर एक का अलग-अलग जिक्र किया जाय तो सम्बोधन क्या होता, एक पूरी किताब ही बन जाती, एकनामिक्स का ग्रन्थ बन जाता। गवर्नर महोदय ने अपने सम्बोधन में साफ तौर से कहा है कि हमको अपने देश की आर्थिक दशा को जरूर सुधारना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया भी है। हमारे संशोधक महोदय यह उम्मीद करते हैं कि हर चीज का अलग अलग जिक्र इसमें किया जाता जो सर्वथा नामुमकिन सी चीज है।

इसके अलावा संशोधन में दफा १४४ का भी जिक्र किया गया है। यह बातें पार्टी प्रोपेगेन्डा के लिए ठीक हैं सम्बोधन में इनका जिक्र करना किसी प्रकार से भी मुनासिब नहीं मालूम होता। कहां-कहां दफा १४४ लगी कहां-कहां पर श्रमिक आन्दोलन हुये कहां-कहां उपद्रव हुये इन सब बातों का विस्तारपूर्वक सम्बोधन में जिक्र करना केवल शास्त्री जी ही ठीक समझ सकते हैं।

इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुये टैक्सों के कारण जनता में असन्तोष और बेचैनी का बढ़ना इत्यादि की चर्चा भी संशोधन में उठाई गई है, सम्बोधन में इन टैक्सों का गवर्नर महोदय के लिए जिक्र करना कहां तक मुनासिब था यह शास्त्री जी

स्वयं ही विचार करें, यह प्रश्न तो ऐसे हैं जिन पर बजट के मौके पर ही विचार हो सकते हैं। अगर बिजली का या अन्य कोई कर बढ़ता है तो उस समय आप उसकी मुखालिफत कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन राज्यपाल के सम्बोधन में इस चर्चा की उम्मीद करना कदापि ठीक नहीं कि अमुक टैक्स से किसानों में यह बैचेनी फैली और अमुक टैक्स का यह परिणाम हुआ, यह सब चीजें तो बजट के प्रसंग ही में आ सकती हैं।

संशोधक महोदय ने यह भी कहा है कि प्रदेश में बढ़ती हुई चोरी, डकैती, लूटमार हत्या और हिंसात्मक कार्यों की ओर जनता का झुकाव हो रहा है, अगर इन सब अपराधों की गणना सम्बोधन में की जावे तो अच्छी खासी एक कानून की किताब बन सकती है, पीनल कोड में और भी अनेक दफायें हैं उनको शास्त्री भी शायद भूल गये और चोरी भी कितनी किस्म की होती हैं, डकैती और हत्या भी कई किस्म की होती है। राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में ऐसी बातों की चर्चा की आशा करना नितान्त बुद्धिशून्यता है।

सम्बोधन का उद्देश्य तो कान्स्टीटयूशन के अन्दर दिया हुआ है कि जब नया सेशन होता है या नया सेशन शुरू होगा तो जहां पर एक हाउस वहां पर उस हाउस को गवर्नर ऐड्रेस करेगा और जहां पर दो हाउसेज हैं, वहां पर दोनों हाउसेज को ऐड्रेस करेगा, इस सम्बोधन में उन्हीं बातों की चर्चा होगी जोकि हो चुकी है या जो होने जा रही हैं उसमें शब्द यह हैं कि "and inform the legislature of the causes of its summons"

इसलिये गवर्नर के ऐड्रेस के अन्दर यह बताना कि उसमें अमुक चीज नहीं दी गई है सर्वथा व्यर्थ है, इसलिये सम्बोधन में जिन-जिन बातों का तजकिरा किया जाता है हमको उसी हद के अन्दर रह कर, जिस नीति या कार्यक्रम का तजकिरा सम्बोधन में किया गया है उसके ही सम्बन्ध में अपने विचारों को प्रकट करना उचित है। सम्बोधन में हर चीज की डिटेल तो नहीं आ सकती है, फिर यह संशोधन मूव करना कि हमें खेद है कि गवर्नर महोदय ने अपने सम्बोधन में यह बात नहीं कही, वह बात नहीं कही, कुछ जंचता नहीं है। इसके अन्दर जितनी भी बातें कहीं गई हैं उसमें संक्षेप में सारी ही बातें आ जाती हैं और हर एक का संक्षेप में वर्णन कर दिया गया है।

मुझे इन संशोधनों के बारे में जो कुछ कहना था वह मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन जो भाषण हुये हैं और विपक्ष से जो बातें कही गयी हैं उनके सम्बन्ध में मुझे दो एक बातें कहनी हैं। मेरे एक मित्र ने ऐड्रेस के बारे में यह कहा कि ऐड्रेस तो ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी सेक्रेटरी ने लिख करके दिया है तो इस किस्म की बातें इस सदन के अन्दर कहना न मेम्बर साहब को ही शोभा देता है और न इस हाउस को ही शोभा देता है। अगर यह कहा गया कि वह साहित्य की कोई किताब लिखें तो हमारे गवर्नर महोदय स्वयं एक प्रवीण साहित्यकार हैं और अगर उनसे साहित्य लिखने के लिये कहा जाता है तो वह एक बहुत बड़ी सुन्दर किताब लिख सकते थे, लेकिन सम्बोधन तो सरकार के कार्यों की रिपोर्ट होती है कि क्या काम हुआ है और क्या करने का इरादा है तो फिर उसमें कला तथा कविता का स्थान कहां है, वह तो एक प्रकार से प्रोज ही रहेगा, इसलिये इसमें यह आशा करना कि उसके अन्दर कोई लच्छेदार चीज होगी अथवा कोई ज्ञान विज्ञान की चीज होगी तो यह अपनी आशा को बहुत आगे बढ़ाना होगा।

अब ज्यादातर तजकिरा कुम्भ मेले की दुर्घटना का हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक बहुत ही हृदय-विदारक दुर्घटना हुई है और जो कुछ इसके सम्बन्ध में कहना था वह मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर दलबन्दी की भावना से प्रेरित होकर विवाद को बढ़ाना उचित नहीं है। ऐसी दुर्घटनाओं के विषय में विवाद बहुत कम होना चाहिये, विशेषकर जबकि गवर्नमेन्ट ने जांच कमेटी भी मुकर्रर करदी है और उसके लिये जो आदमी मुकर्रर किये गये हैं, मैं समझता हूं कि वह नाम ऐसे हैं जिनसे सन्तोष होना चाहिये। अगर गवर्नमेन्ट कोई कमेटी बनाती है तो प्रायः यह शिकायत होती है कि उसमें कोई हाई कोर्ट का जज होना चाहिये, कोई जुडीशियल

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

माइन्ड का आदमी होना चाहिये, जो कमेटी सरकार ने बनाई है उसके अन्दर हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं जो जुडीशियल माइन्ड अप्लाई करेंगे और वह उसी तरह से शहादत वगैरह लेंगे जैसे कि एक जज को करना होता है। इसके अलावा एक रिटायर्ड आई० सी०एस० भी कमेटी में रक्खे गये हैं श्री पन्ना लाल जी को सबही जानते हैं कि उनका कांग्रेस से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है वह तो अंग्रेजी शासन में जो गवर्नर थे उनके ऐडवाइजरों में से थे और उनसे यह उम्मीद करना कि वह मौजूदा सरकार के दोष से बचाने की कोई बात करेंगे नामुमकिन है। मेरा तो विचार है कि उनके रहने से फायदा ही होगा और गवर्नमेन्ट ने अच्छा ही किया जो उनको इस कमेटी में रक्खा है। उनका पिछला अनुभव भी है कि किस तरह से मेलों का प्रबन्ध होता रहा है और इस तरह से वे आगे के लिये आवश्यक सुझाव भी दे सकते हैं जो कि बहुत ही फायदेमन्द हो सकते हैं।

मुझे ज्ञात हुआ है कि कुम्भ के मेले के अवसर पर एक बार पुलिस के इन्चार्ज ने यह जरूरी समझा कि जो बड़े बड़े साधुओं के अखाड़े मेले में आये थे उनकी जमानतें ले ली जायं मुझे नहीं मालूम है कि जमानत लेने की बात कहां तक सत्य है, लेकिन ऐसा हुआ है या नहीं। जो आई० सी० एस० अधिकारी उस कमेटी के अन्दर रखे गये हैं उनको इस बात का पता होगा और वे अपनी सलाह इसके बारे में दे सकेंगे, आगे के लिये इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमें काफी सावधान रहना चाहिये जिससे कि कोई ऐसी दुर्घटना फिर न हो। लेकिन मैं कहता हूं कि यह पार्टी की चीज नहीं है और न इस कमेटी से किसी पार्टी का कोई सम्बन्ध ही है और न किसी पार्टी विशेष के आदमी इस कमेटी के सदस्य बनाये गये हैं। इसमें एक तो श्री कमलाकान्त वर्मा रिटायर्ड चीफ जस्टिस आफ इलाहाबाद हाईकोर्ट हैं और दूसरे डाक्टर पन्नालाल, आई० सी० एस० हैं और तीसरे इसमें चीफ इन्जीनियर आफ ईरीगेशन हैं। इसमें कांग्रेस वर्कर्स कोई नहीं है और इनकी रिपोर्ट में कोई भी अविश्वास की बात आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने ये नाम छांट कर रखे हैं।

अगर आपको कोई प्रपोजल देना था तो आप कोई नाम और सजेस्ट कर सकते थे और यदि उसको रखना आवश्यक समझा जाता तो गवर्नमेंट उसे अवश्य मान लेती। इस तरह के प्रपोजल रखने का भी तरीका दूसरा होता है। इसमें पार्टी का तो सवाल ही नहीं है और इस तरह से पार्टी को इसमें लाना एक गलत चीज है। यह कमेटी इस मामले के कारणों की तहकीकात करेगी और जिन शहादतों की आवश्यकता होगी उनको भी लेगी तब आपको वह अपनी रिपोर्ट देगी। हममें कोई आई-विटनेस तो नहीं है जो घटना स्थल पर उस समय मौजूद हो, सम्भव है अपनी जानकारी के आधार पर डाक्टर साहब कुछ कह दें और श्री प्रभु नारायण जी कुछ कह दें और तीसरे साहब कुछ और कह दें। यह कमेटी सभी बातों का पता लगायेगी और उन कारणों को भी देखेगी जिसकी वजह से यह घटना हो गई और तभी हमें मालूम पड़ेगा कि आगे भविष्य में किस तरह से प्रबन्ध करना चाहिये जिससे कि इस प्रकार की घटना न होने पाये, इस तरह से इसमें पार्टी की बात लाने से दिक्कत और कठिनाई होती है।

श्रीमती महादेवी वर्मा जी की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा सन्तोष हुआ। उन्होंने यह बात कही है कि जो इसमें अनाथ रह गये हैं या जिनके परिवार इसमें मर गये हैं उनके लिये सरकार क्या सहायता देने जा रही है और उनके लिये क्या प्रबन्ध होगा। इसमें शक नहीं कि उनका यह प्रश्न अत्यन्त आवश्यक और उचित है और इस प्रपोजल को हमें देखना चाहिये कि जो असहाय लोग हैं या जो अनाथ बच्चे रह गये हैं उनकी सहायता के लिये गवर्नमेन्ट ने क्या सोचा है। मैं समझता हूं कि अगर इस किस्म का प्रपोजल अपोजिशन की तरफ से आता तो वह ज्यादा फायदेमन्द हो सकता था और उससे लोगों को फायदा भी होता।

श्री गोविन्द सहाय—वह चीज तो आ गई, अब गवर्नमेन्ट उसे अपने भाषण में साफ करे।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--वह तो गवर्नमेन्ट करेगी ही। लेकिन मैं अपनी तरफ से समझता हूं कि इस किस्म के प्रपोजल पर गवर्नमेन्ट अवश्य विचार करेगी। यह नहीं हो सकता है कि कोई अच्छे सुझाव गवर्नमेन्ट के सामने रखे जायें और वह उनको न माने। अगर उसमें कुछ कठिनाइयां या दिक्कतें हों तब तो दूसरी बात है, वर्ना गवर्नमेन्ट अच्छे प्रपोजल पर अवश्य विचार करेगी। यह तो एक अच्छा सुझाव है और इस किस्म का सुझाव कि गवर्नमेन्ट वहां के मुसीबतजदा लोगों को इम्दाद दे, मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट उनको जरूर इम्दाद देगी। गवर्नमेन्ट ने पहले भी पोलिटिकल सफररर्स को इम्दाद दी है। यह जो कांड हुआ उसमें यदि किसी को इम्दाद की जरूरत है तो गवर्नमेन्ट उनको अवश्य इम्दाद देगी और आगे के लिये ऐसा कार्य न होने पाये, इसकी भी भरसक चेष्टा करेगी। मैं अब सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस स्प्रिट से गवर्नमेन्ट ने जांच कमेटी का निर्माण किया है उसी स्प्रिट को सामने रखते हुये हमें उसकी मदद करना चाहिये। आपको इस समय इस कार्य में रुकावट डालने के बजाय सहयोग करना चाहिये और सभी को मिलकर इस दुर्घटना के कारणों की छानबीन में मदद देनी चाहिये। यही मेरी आप लोगों से अन्त में प्रार्थना है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब चेयरमैन साहब, मैंने, आज जो यहां इस पर बहस हुई, उसको सुना और यह पाया कि उस बहस में काफ़ी तादाद में जो तक़रीरें हुईं, वह उस वाकये के मुताल्लिक हुईं जो कुम्भ में हुआ। मैं ऐसा समझता था कि और जो पोलिटिकल कनवैन्शंस का तरीका रहा है और लेजिस्लेचर्स में इस्तेमाल होता आया है, उसकी निस्बत जो कुछ जानता हूं उसकी बिना पर मैं यह ख्याल करता था कि इस बात पर यह ऐवान इतनी बहस नहीं करेगा बतौर एक वाकये के उसको अफसोस के इजहार के साथ उसका हवाला देना या कुछ उसकी शिकायत कर देना हो सकता था और ऐसा हुआ, लेकिन जिस तफसील के साथ मैंने यहां तकरीरें सुनीं, वहां के वाकयात पर, जिस तरह से कमेन्ट्री की गई उस बात के मुताल्लिक़, जिसके लिये एक कमेटी मुक़र्रर हो गई है, मुनासिब नहीं था और लेजिस्लेचर्स बिलख्वाहिश उससे परहेज करता आया है कि जिस वक्त तक उस कमेटी की फाइंडिंग्स सामने न हों, उस वक्त तक हर एक इस बात से बचता था कि ऐसी बात न कही जाय, जो किसी के दिमाग़ पर असर डाल सकती हो, तो मेरा ख्याल था कि मेम्बरान को इस तरह की तवज्जह होगी और दौरान बहस २ या ३ दफ़ा मेरे दिल में यह बात आई कि मैं एक गुजारिश के साथ जनाब के जरिये से मेम्बरान को तवज्जह दिला दूं, मगर मैंने इसलिये जुर्रत नहीं की कि जिस जोश के साथ एक रवानी चल रही है वह शायद इसको बरदाश्त न करे कि उसकी राह में एक सेकेन्ड की रुकावट पैदा हो तो मैं खामोशी से सुनता रहा।

हां, यह बात सही है कि जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी में कोई कमी हो और उस कमी को कोई प्वाइन्ट आउट कर सकता था और लोगों ने कुछ प्वाइन्ट आउट भी किया है, पर दूसरी एक बात और थी जैसा कि मैंने कल इस ऐवान की बैठक शुरू होने के वक्त अर्ज किया था कि कितना तकलीफदेह वाकया है, जिससे हर इन्सान का दिल दुखी है और दुनियां का वह आदमी जिनको हिन्दुस्तान के आदमी और हिन्दुस्तान से कोई मुहब्बत नहीं है खास तौर पर उनके दिल भी दुखी हैं और उन्होंने इस नजर से देखा है तो मैं समझता नहीं हूं, मेरा दिल दुखी है और मुझमें इतनी जुर्रत और कूवत बाकी हो कि मैं इस तेजी के साथ इस मसले पर तक़रीर कर सकूं, जिस तरह से यहां हुई हैं, तकरीरें की गईं, उसमें बातें कही गईं, मुझसे यह तवक्को की जाय कि मैं उनका कुछ जवाब दूं तो मैं अर्ज करता हूं कि मैं लाजवाब नहीं हूं, मैं जवाब दे सकता हूं। मैं अपने दिमाग़ में कोई ऐसा फैसला भी रखता हूं कि क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन मैं आज नहीं कह सकता हूं कि क्या हुआ, क्यों हुआ। इसलिए कि मैंने जिन आदमियों के सुपुर्द किया है उस काम को, तो फिर कोई माने नहीं हैं कि मैं आज अपनी ज़बान से कोई बात कहूं और वह गवर्नमेंट का वज़न समझा जाय। जब एक चीज एक तहक़ीक़ात के सुपुर्द की गई तो उस वक्त तक किसी वजन

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

के माने क्या हैं। मैं कैसे कह सकता हूं कि फलां शख्स जिम्मेदार है, फलां नहीं है। हां, इधर उधर की बेकार बातें भी इसमें शामिल की गई हैं उनकी निस्बत में कुछ कह भी दूं, कहा भी है मेरे कुछ दोस्तों ने, उसके दोहराने की कोई जरूरत भी नहीं है। अभी थोड़ी देर हुई, मेरे दोस्त इन्द्र सिंह साहब ने कम से कम मेरे नजदीक एक बड़ी माकूल तक़रीर इस मसले पर की है और वहां की बातें बतलाई हैं। मैं तो यह समझता हूं बेहतर, कि मैं इसकी निस्बत कुछ न कहूं। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इधर उधर की कुछ बातें फिज़ूल क़िस्म की हैं जिसकी निस्बत मेरी भी राय यह है, उसकी निस्बत मैं कह भी सकता हूं। मगर बड़ी पेटेन्ट बात, सच्ची बात है, और वह यह है कि मेरे दोस्त जो मेरे सामने बैठे हैं स्याह शेरवानी और ऐनक लगाए हुये, उन्होंने तक़रीर फरमाई है उसमें ऐसी बातें सुनी हैं। यह तो हिन्दुस्तान का वाक़या है, मैं उनकी फ़ीलिंग्स से अपील करता हूं इन्सान, ह्यूमनबीइंग होने के नाते कि जिस घर में जनाब रहते हैं उस घर के बराबर में मौत हो जाये और आप को खबर हो जाये तो क्या आप बैठ कर गायेंगे, हो नहीं सकता। तो फिर मेरी निस्बत यह समझा जाये कि मैं इन्सान नहीं हूं। मैं भी इन्सान हूं, वह जजबात मुझमें भी हैं, मेरा दिल दुख सकता है। किसी ने कहा कि साहब खबर नहीं हुई उनको। अब उस पर कमेन्ट्री के क्या माने हैं। उस कमेन्ट्री के कोई माने नहीं हैं। उसका जवाब यही काफ़ी है। इब्राहीम के घर के पड़ोस में अगर मौत हो जाय तो वह खुशी न मनायगा, लेकिन मेरे दोस्त राजा राम जी मनायेंगे। मैं तो कह दूं कि झूठ, बिल्कुल गलत। मैं इस बात को नहीं मान सकता। किसी की लाइल्मी से ऐसा हो गया है। यह मुसीबत आई है इस मुल्क के ऊपर। तो मैं वाक़यात पर नहीं जाता हूं, मगर इस जजबात में एक ऐसा वाक़या हुआ है। चूंकि इस वक्त गवर्नमेंट मौजूद है और इसके इन्तजाम के अन्दर यह बात हुई है इसलिये यह इन ह्यूमन है। फिर क्या मैं अर्ज करूं, मुझे तो इसे सुन कर हैरत हुई। जो नक्शा कि इस वक्त हमारे सामने लाया गया है इसकी मुझे उम्मीद न थी कि इस क़िस्म की तक़रीरें होंगी। मैं इससे तवक्को नहीं करता हूं कि इस क़िस्म की तक़रीरें हों। एक साहब ने फरमाया है कि न डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का कसूर है, न पंडित जवाहर लाल नेहरू का कसूर है और न राज्यपाल महोदय का कसूर है। सिर्फ चीफ मिनिस्टर का कसूर है जो साहब चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के साथियों का जिक्र करते हैं तो मैं एक बात अर्ज करता हूं जिसका दुनिया जवाब नहीं देती है। अगर हमसे हुआ है तो हम कसूरवार हैं और न भी हुआ है तो हम कसूरवार हैं। इससे हम डरते नहीं हैं। तहक़ीक़ात हो और नतीजा निकले कि क्या हुआ। लेकिन जहां पर जिसकी जिम्मेदारी है उससे हुजूर का रत्ती भर भी कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूं कि चीफ मिनिस्टर जिसके कसूर होने का ऐलान किया गया, वह कसूरवार है, लेकिन उस सजा के मुस्तहक़ नहीं है जो सजा कि आप देना चाहते हैं। जिस नुक्ते से कसूरवार कहा जा रहा है उस लिहाज से वह उस सजा का मुस्तहक़ नहीं होगा। तो मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि हम फिर से अफसोस कर लें। जो कुछ हुआ और उनके साथ जो लोग रह गये हैं अपनी हमदर्दी का इजहार कर लें और जो कुछ हमसे हो सकता है उसको करने के लिये हम इरादा कर लें। कम से कम इस किस्से को खत्म कर लें कि क्या हुआ और कैसे हुआ।

जहां तक कमेटी का ताल्लुक़ है हमारे एक दोस्त ने कहा कि गैर सरकारी आदमी उसमें होना चाहिये। मालूम नहीं जैसा मेरे दोस्त ने कहा अगर इस मुल्क की खुशकिस्मती से वे दोस्त मिनिस्टर हो जायें और उनकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाय तो वे सरकारी रहेंगे या गैर सरकारी रहेंगे। उस कमेटी में एक चीफ जस्टिस हैं, श्री कमला कान्त and now he is not in the thumb of the Government इस मामले को सही जस्टिस प्वाइंट आफ व्यू से देखने के लिये उनको रखा गया है। उस कमेटी में डाक्टर पन्ना लाल भी हैं। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सूबा जानता है। अगर कोई दोस्त इधर उधर से यह बदगुमानी करे कि इनमें ये एक चीफ जस्टिस था और गवर्नमेंट में ऐडवाइजर था तो खुद कहने वाले की जाति पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा कोई आदमी

निकल नहीं सकता जिस पर भरोसा किया जाय। मेरे ऊपर क्या भरोसा। मैं अपने आप को यह समझूं कि अगर मैं कमेटी में शामिल किया जाता, तो सही बात होती और चूंकि मैं शामिल नहीं किया गया इसलिये सही काम करने वाले नहीं है, तो यह क्या है? डाक्टर पन्नालाल, और श्री कमलाकान्त बहुत ही काबिल भरोसा हस्तियां हैं। उनके सुपुर्द यह काम किया गया है। एक टेक्निकल आदमी भी उसमें है। वह चीफ इंजीनियर हैं। वह सरकारी मुलाजिम जरूर हैं। लेकिन वह तो टेक्निकल राय देने के लिये हैं:—

He is there to aid the committee in respectof those matters where they may require any technical consultation and help.

जिस क़िस्म की टेक्निकल जरूरत उनको होगी वह इंजीनियर उनको देगा। यह कहना कि वह कमेटी सन्तोषजनक नहीं है, यह चीज मेरी समझ में नहीं आती। कमेटी निहायत मुनासिब है। उसके सुपुर्द इंक्वायरी कर दी गई है। हमें खामोशी से इन्तज़ार करना चाहिये, बजाय इसके कि हमने तांगा लिया और सड़क पर घूम-घूम कर ऐलान करते फिरे और शेर बना बना कर कहने लगें और हमें याद दिलाया जाय कि जानते हो तुम्हें दुनियां क्या कहती है "जहां में तेरा फसाना क्या।" किस गवर्नमेंट को नहीं कहा। मैं तो उसके लिये बना हूं, खुशी से क़बूल करता हूं, गाली को तारीफ समझता हूं, अपनी खुशकिस्मती समझता हूं। मेरी कमियों पर लोग कहेंगे। मेरी कमियां पूरी होंगी, लेकिन जनाब का क्या: "जहां में तेरा फसाना क्या" "कहती है तुझको खल्क खुदा गायबाना क्या।" बहरहाल इन बातों का कुछ भी जिक्र नहीं है। यह कुम्भ के मेले का जो किस्सा था उस पर ज्यादा जोर दिया गया इसलिये मैंने इतना कहा। जो बातें कही गई हैं उनको मैंने बता दिया, लेकिन मैं थोड़ी देर और लूंगा। मैं सब बातों का जवाब देना नहीं चाहता। मौक़ा आ रहा है जब यह सब बातें फिर से दोहराई जायेंगी। मैं मुक़ाबला उन तकरीरों का, जो उस वक्त की जायेंगी और जो आज की जा रही हैं, करके दिखला दूंगा कि दोनों एक तरह की हैं। इसलिये मैं अभी कुछ ज्यादा बातों का जिक्र न करूंगा मौका आ रहा है, उस वक्त उन बातों को कहूंगा।

कुछ बातें ऐसी हैं जो इस वक्त चल रही हैं। कुछ दोस्तों ने फरमाया कि यह जो ऐड्रेस है उसमें काश्तकारों के गन्ने की क़ीमत के बढ़ाने-घटाने का कोई तजकिरा नहीं है। इसके साथ एक बड़े जोर का मिस्रा लगाया। एक शेर मुझे याद आती है। वह एक कता कहलाता है—और दोनों से मिलकर हम एक ही माने पर पहुंचते हैं उसी को मैं अर्ज करता हूं। एक शायर ने कहा था कि "किस्मत से किया हर एक को कस्साबे अज़ल ने" जो बांटने वाला है उसने हर एक की अलग-अलग तकदीर बनाई है और "जो शख्स कि जिस करे काबिल नजर आया, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, गम उनको दिया जिनको कि मुश्किल नजर आया"। आप साहब जिस तरह की ऐक्टिविटीज इस ऐड्रेस में चाहते हैं वह तो बड़ी मुश्किल सी चीज है। कोई भी उसको कम्पन्सेट नहीं कर सकता। यह तवक्को करना कि वह सब चीजें इस छोटे से ऐड्रेस में बयान हो जायं तो वह तो हो नहीं सकता था। हां, अगर एतराज करने वालों में से कभी कोई गवर्नर हो गया तो ऐसे कमबख्त गवर्नर का यहां बैठना मुश्किल हो जायगा। मैं तो तसलीम करता हूं कि जो बातें कही गई कि इस ऐड्रेस में नहीं हैं, वाकई इसमें नहीं हैं और इसके अलावा मैं आपको इन बातों से ज्यादा एक लम्बी चौड़ी लिस्ट उन बातों की दे सकता हूं कि जिनका बयान इस ऐड्रेस में नहीं किया गया है।

हां, एक बात की तरफ मैं जरूर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह कहा गया कि गन्ना पैदा करने वालों को उसमें हिस्सा मिले जो कि मिल को नफा हो। यह एक बात थी और इसमें मिल ओनर्स के रिप्रेज़ेन्टेटिव और काश्तकारों के संघ वगैरह जो हैं उनके रिप्रेज़ेन्टेटिव एक जगह इकट्ठे हो कर बैठे और उन्होंने एक फैसला किया। इसमें उन्होंने स्ट्राइक की धमकी दी इस बात पर कि अगर गन्ने की कीमतें न बढ़ाई गई और मुनाफे में से उनको हिस्सा न मिला तो हम स्ट्राइक करेंगे। लेकिन उसके डिटेल्स तय करने के लिये कि मुनाफा किस पर और किस तरह पर दिया जाय, यह मामला चीफ मिनिस्टर साहब के सुपुर्द कर दिया गया। अब इसकी इत्तिला उनको दी गई कि यह फैसला हो गया है और अब

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

स्ट्राइक नहीं होगी। लेकिन एक तरफ से यह कोशिश की गई कि नहीं साहब, जो कुछ भी हो हम तो स्ट्राइक करेंगे ही। मैं इत्तिफाक से उस रोज दिल्ली में था। दिल्ली से चल कर उसी शाम को मैं अपने यहां बिजनौर पहुंच गया। वहां मुझे मालूम हुआ कि स्ट्राइक हो रही है। वहां तो किसी तरह पर किस्सा खत्म हो गया, लेकिन यहां आ कर और दूसरी जगहों का हाल मालूम हुआ। एक जगह मैंने यह सुना और सुना किससे, काश्तकारों से कि साहब हमारी गाड़ी के सामने आ कर लेट जाते हैं और हमको आगे नहीं बढ़ने देते, है यह सही बात। अगर यह सही है तो जाहिर है इस बात से कि आप एक आदमी को उसकी मरजी के खिलाफ एक काम करने से रोकना चाहते हैं कि हम मरने के लिये तुम्हारी गाड़ी के सामने पड़े हैं और अगर आप यह काम करते हैं तो मेरे ऊपर गाड़ी चला कर मुझे मारते हुए चले जाइये। यह क्या है? इसी से समझा जा सकता है कि यह क्या है और अगर इन आदमियों को पकड़ पकड़ कर जेल में भेजा जाय तो आदमी यह करते हैं वहां मौके के ऊपर, तो यह सारी बातें सुननी पड़ती हैं। वह लोग जो चार-चार मील से अपनी गाड़ियों में गन्ना लाद कर मिल के गेट पर ला रहे हैं उनकी गाड़ियों को रास्ते में रोकना, उनको यह कहना कि यहां अपना गन्ना मत बेचो, उनकी गाड़ियों के सामने लेट जाना, उनको तंग करना, इसके क्या माने हैं? एक भाई साहब ने उसको वहां रोका, दूसरे भाई साहब सामने लेट गये। आखिर जिनकी जिम्मेदारी है गन्ना पहुंचाने को वह तो गन्ना पहुंचायेगा। जिसे पकड़ा जाना चाहिये था वह पकड़ा क्यों न जाय, वह तो पकड़ा जायेगा। अगर उसका जिक्र इस ऐड्रेस में हो तो दूसरे मुल्कों में इसकी क्या खबर पहुंचेगी कि भारतवर्ष में लोगों की मरजी के खिलाफ पिकेटिंग की गई थी। पिकेटिंग इस बात के खिलाफ जबर्दस्ती की जाय कि कोई शराब पीने जा रहा हो उसको रोक लिया जाय, ठीक है मगर जो गन्ना देने जा रहा है उसको रोका जाय, यह कहां तक मुनासिब बात है। कांग्रेस के जमाने में जो पेकेटिंग या सत्याग्रह हुई थी उसको अब पोलिटिकल एन्ड्स के वास्ते इस्तेमाल किया जावरहा है, यह कहां तक ठीक है और उस पर यहां पर हमें सिखाया जाय कि जो तुम कर रहे हो, वह गलत है और जो मैं कर रहा हूं वह ठीक है। तो हुजूर इसका फैसला बाहर हो रहा है और मैं मेम्बरान से माफी चाहता हूं कि उसको अगली बार कहूंगा कि आज क्यों नहीं कहा।

आप सुनें, सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग हो रही थी, मैं भी सुन रहा था जो मन में आता है, बक डालते हैं। trend of speeches is entirely different in this House than out side. मासेज के सामने तकरीर करना और चीज है और लेजिस्लेचर के सामने तकरीर करना दूसरी चीज है। वहां की तकरीरें दूसरे लहजे में होती हैं। मैंने जो सुना तो मैं हैरत में हो गया और मैं गला घोंट कर बैठ गया। खैर उसको छोड़िये। यहां इस हाउस में एक मिनिस्टर के लिये किसी मेम्बर ने यह कहा था कि एक मिनिस्टर यहां के आगरा भेजने वाले हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अगर नाम लेना होता तो पहले ले लेता। मुझको उनके खिलाफ कोई ऐक्शन भी लेना नहीं है। अगर कोई ऐक्शन लेना होता तो मैं फौरन उनको रोकता, लेकिन खैर, जिस समय उन्होंने यह जुम्ला कहा मैंने फौरन नोट कर लिया था। उन्होंने कुछ इस लहजे में कहा कि जैसे वह अमीनाबाद में तकरीर कर रहे हों।

श्री कुंवर गुरु नारायण--अपोजीशन की तरफ से नहीं कहा गया।

श्री प्रभु नारायण सिंह--मैं समझता हूं कि अभी वह स्टेज नहीं आई है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं समझता हूं कि इस किस्म की यहां तकरीर की जाय यह किस कदर गैर मुनासिब है, लेकिन खैर, गन्ने के मामले का कोई तजकिरा इसमें नहीं था।

दूसरी बात कही गई है कि अनइम्प्लायमेंट बढ़ रहा है। जो अनइम्प्लायमेंट है उसका भी इसमें कोई जिक्र नहीं है। खैर न हो, लेकिन बात यह सही है। अनइम्प्लायमेंट बढ़ रहा है और पहले से ज्यादा है। उसके लिये क्या करना है कितना उसके लिये हुआ है, उसकी निस्बत एक बात की ओर मैं मेम्बरान की तवज्जह दिलाऊंगा। इससे पहले मैं एक

बात अर्ज करना चाहता हूं कि जिनका विश्वास इसमें नहीं है उनको मैं कितना ही समझाने की कोशिश करूं लेकिन वह उनके दिलों में नहीं बैठ सकती है। बारिश हो या न हो लेकिन जिस जमीन में कुछ काबिलियत पैदा करने की होती है, वह तो होती ही है। मैं अनइम्प्लायमेंट के बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो अनइम्प्लायमेंट है और उसको दूर करने के लिये जिन साहबों ने तकरीरें की हैं उनको आज तक यह मालूम नहीं है कि अब से पहले भी कुछ इस सिलसिले में हुआ है या नहीं। इस स्टेट के अन्दर अनइम्प्लायमेंट को दूर करने वाली चीज एक तो फाइव इयर प्लान चल रहा है। उसको जिन साहबों ने पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि उसका एक मकसद जो है वह इसमें लिखा हुआ है। उसके अन्दर सभी स्कीम्स हैं जिनके ज़रिये से अनइम्प्लायमेंट दूर हो। अगर कोई साहब मुझको इस बात से कन्विन्स कर दें कि भाई इस प्लान के अन्दर कोई ऐसी भी स्कीम नहीं जिससे इम्प्लायमेंट बढ़ सकता है तो वह चीज मेरे लिये मानने के काबिल है। लेकिन मैं अपनी जगह पर यह समझता हूं कि जो स्कीमें उसके अन्दर हैं उनमें उनसे इम्प्लायमेंट बढ़ना लाज़िमी है। ये स्कीम्स अभी पूरी नहीं हुई हैं, यह सही है। इन में से थोड़ी कम्प्लीशन की तरफ हैं और अभी इस प्लान को पूरा होने में दो साल बाकी हैं।

मैं एक बात की निस्बत कह कर चलता हूं और वह यह है कि अगर मुझे कोई संशोधन पसन्द आया है तो वह कुंवर गुरु नारायण जी का है। यह मैं कोई मज़ाक के तौर पर या कोई बनावट से नहीं कह रहा हूं। उन्होंने इस तरफ तवज्जह दिलाई है। ये बातें ऐड्रेस में होतीं, यह दूसरी बात है लेकिन जिन बातों की तरफ उन्होंने तवज्जह दिलाई है वे कमियां हैं और हमें अपने आप को जांचना है कि उस मियार पर हम उतर सकते हैं या नहीं। संशोधन तो हाउस को मंज़ूर है नहीं और इससे कोई मुगालता न हो कि यह संशोधन मुझे भी मंज़ूर है। लेकिन संशोधन किस्म की बातें मुझे मंज़ूर हैं। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि फाइव इयर प्लान में जो स्कीमें हैं उनके ज़रिये से इम्प्लायमेंट बढ़ाना है। कहा गया है कि हमने माना कि जो कुछ इस ऐड्रेस में लिखा हुआ है वह हुआ है और हो रहा है लेकिन हम इसका कोई असर पब्लिक हालत पर नहीं पाते हैं, मैंने यही उनकी स्पीच से समझा है। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूंगा कि मैं भूखा हूं और भूख लग रही है और थोड़ा सा खाना कोई शख्स मुझे ला दे और मैं उसको खा लूं तो मेरी भूख उससे दूर नहीं होती है। तो उतने खाने से भूख खत्म नहीं हो जाती है। भूख तो तभी पूरी होती है जब पेट भर खाना मिलता है। जब तक उस आदमी को भरपेट खाना नहीं मिलेगा उस वक्त तक उसको इत्मिनान नहीं होगा। लोगों की आवाज़ उस वक्त तक नहीं बन्द हो सकती जब तक उनको भरपेट खाना नहीं मिलेगा। पब्लिक गरीब ज़रूर है और वह ज़रूरतमन्द भी है। आज तक सरकार ने यह दावा नहीं किया है कि उसने जो कुछ किया है वह पब्लिक के लिए काफी है और सबको उससे संतोष है। अगर सरकार इस बात का दावा करती तो एतराज़ का सवाल उठ सकता था। अगर मैं लखनऊ से बरेली मुकर्जी के घर जाना चाहता हूं तो मुझको वह सब स्टेशन पार करने होंगे जो रास्ते में पड़ते हैं, एक दम से तो पहुंच नहीं सकता हूं।

हुज़ूरवाला, एकनामिक कंस्ट्रक्शन एक दम से तो हो नहीं सकता है। उसकी तरफ बराबर ध्यान दिया जा रहा है और जल्द से जल्द करने की कोशिश की जा रही है। अभी वह हालत नहीं आई है जिससे हर एक को इत्मिनान हो सके। सरकार बराबर कोशिश कर रही है। श्रमदान के बारे में भी यहां पर कई लोगों ने कहा कि उसके बारे में लोग ऐसा कहते हैं, कहते होंगे। मैं जनाबवाला आप के ज़रिये से अपने दोस्त से यह कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में मैं कई जिलों में गया और अपनी आखों से देखा कि कई-कई हज़ार आदमी जिसमें एक भी सरकारी आदमी नहीं था सड़कें वगैरह बना रहे हैं। जब मेरी कार वहां से गुजरी तो वे सड़क के किनारे खड़े हो गये और मुझको दिखाया कि उन्होंने क्या-क्या काम किया है। मेरी उनसे बातचीत भी हुई कि उन्होंने कितना काम कर लिया और कितना और काम वे करने जा रहे हैं। वह चीज मैंने सिर्फ एक ही जगह नहीं देखी

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

बल्कि १० या १२ जगह यह चीज़ मैंने देखी है। उन लोगों के बड़े बड़े इरादे थे, वह भी मुझसे बयान किये। मैं बगैर इत्तिला किये हुए भी कई गांव में गया क्योंकि मेरी यह आदत है कि बगैर इत्तिला किये हुए चला जाता हूं। वहां पर भी मैंने देखा कि सड़कें बनी हुई हैं और लालटेनें जली हुई हैं। कहीं पर पंचायत घर बन रहा है और कहीं पर कुछ बन रहा है, यह चीज़ मैंने १०, १२ गावों से देखी। मैं एक जगह गया और मैंने वहां यह ज़ाहिर नहीं किया कि मैं आ रहा हूं। मैंनै अपनी कार गांव से बाहर रोकी और चुपके से देख कर चला आया। इसी तरह से मैं मेरठ के ज़िले में गया, बुलन्दशहर गया और बाराबंकी की तरफ भी गया। तो मैं यहां यह सुनूं कि बात यूं है और उसके खिलाफ मुझे यह बात दिखाई दे कि बात यूं है तो मैं कम से कम अपनी अकल और अपने दिमाग को बेकार नहीं समझ सकता। मैं तो समझता हूं कि श्रमदान के ज़रिये से काम हो रहा है और उसके करने से बहुत कुछ फायदा यहां के रहने वालों को पहुंचने वाला है।

एक बात का और भी यहां पर तजकिरा आ गया कि यह वेलफेयर स्टेट है या नहीं है तो इसके लिये जो हमारे यहां के मशहूर शायर हो गुजरे हैं, उन्होंने कहा है किः

मकदे में आ पड़ी है सुखन गुश्तराना बात,
मंजूर उनसे कता ताल्लुक नहीं मुझे।

तो यह चीज़ उन्होंने कही और जब मैंने सब तकरीरों को सुना तो उन तकरीरों में मैंने वेलफेयर स्टेट का भी तज़किरा सुना तो उसके मुताल्लिक मैंने यह जाना कि शायद किसी और सिलसिले में यह नाम लिया गया है। आप कहेंगे कि यह बहुत ही गलत किस्म का वकील होगा, किस तरह से मुवक्किलों की पैरवी करता होगा, जो यह भी नहीं जानता है कि वेलफेयर स्टेट है क्या चीज। मैं माने लेता हूं कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक बात को खूब अच्छी तरह से जानता हूं और इससे बेहतर शायद कहने वाले भी नहीं जानते होंगे कि वह है क्या? और वह यह है कि लोगों की बेहतरी और भलाई किस तरह से हो सकती है आगे हमें नहीं मालूम है कि वेलफेयर स्टेट के क्या फलसफा हैं, लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि लोगों की भलाई जिस काम से हो सकती हो, उसको ही करना और जिसमें लोगों की भलाई नहीं होती हो, उसको छोड़ देना और हमने स्टेट के लिये यही काम किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया है।

एक रोज मैंने गुजारिश करते हुये अपनी तकरीर में अर्ज किया था कि एक मकान है और अगर इत्तिफाक ऐसा हो कि उस मकान में सफाखाना खोल दिया जाय और उसमें सफाखाने के लिये कुर्सी और तमाम एक्विपमेंट माडर्न तरीके का रखा गया हो, लेकिन उसमें दवाइयां न रखी गई हों तो जब तक वह चीजें उसमें न रखी जायं उस वक्त तक उसको किस नाम से पुकारा जायेगा, क्या उसका नाम जेलखाना होगा या क्या होगा, यह विचारने की बात है। इसलिये यह अल्फाज़ वेलफेयर स्टेट के हमारे ऊपर तो आयद होते ही कहां हैं। हम भी अपने यहां वही काम करते चले जा रहे हैं, जिनसे लोगों को फायदा पहुंचता है। मैं यह भी माने लेता हूं कि जो काम हो रहा है वह बहुत थोड़ा हो रहा है और उसको बहुत ज्यादा करना है ताकि जितनी दुख और तकलीफें हैं वह सब दूर हो जायं तो इससे कौन इन्कार करता है, इनसे तो कोई इन्कार कर ही नहीं सकता है, लेकिन मैं हकीकतों को छिपाऊं और उन पर परदा डालूं ताकि मेरे दोस्तों की बदनामी हो और मैं नेक नाम होऊं, तो मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं। मैं यह अर्ज करूं कि होना तो यह चाहिये कि दूध का दूध और पानी का पानी, सच्ची बात को ज़बान में लाइये। एक साहब की ज़बान से बगैर किसी इन्टेन्शन के सच्ची बात निकल ही गयी, हालां कि मुझे तवक्को नहीं थी कि इस तरह की बात उनकी ज़बान पर आयेगी। जो गुफ्तगू हुई उसके अन्दर उनके मुंह से जो बात सही थी, निकल गई। उनको खुद को कुछ मालूम नहीं है क्योंकि वह उस लाइट में उसे नहीं लाना चाहते थे, लेकिन बगैर किसी इरादे के वह सच्ची बात कहने के लिये तैयार हो गया।

अगर उनसे यह कहा जाता कि सच्ची बात कहो तो शायद वह कभी नहीं कहते। लेकिन वह उनके मुंह से निकल गया और खुद बखुद आ गया। तो साहब यह चीज है। जो वेलफेयर स्टेट है तो हम उसमें सिर्फ यह देखते हैं कि उसमें आदमियों की भलाई, बेहतरी, उनके खाने-पीने, उनके पढ़ने-लिखने और उनके जो दूसरे भलाई के काम हैं वे हो रही हैं या नहीं और वे बातें हम कर रहे हैं या नहीं और यदि हम ये सब बातें उनके लिये कर रहे हैं तो ठीक है। मैं आप लोगों को यह तो नहीं बतला सकता कि इर्रीगेशन में यह बात हुई और दूसरी चीजें इस तरह से हुई, मगर यह एक खुलासा बात है जो मैंने आपसे कह दी।

सन्तोष की जहां तक बात है, तो आपका कहना है कि लोगों को सन्तोष नहीं है, तो मैं अपने नजदीक यह समझता हूं कि आप उसको एप्रीसियेट करें या नहीं लेकिन हम यह जानते हैं कि जिन चीजों का एप्रीसियेसन नहीं होता, हम उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। मैं कोई चीज बनाऊं और दूसरा बिगाड़े या दूसरा कोई चीज बनाये और मैं बिगाड़ूं तो इस किस्म की जद्दोजहद यहां बैठकर नहीं करनी चाहिये और ऐसे काम करने के लिये इस देश के लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये। कोई साहब यहां मेम्बर हो कर आ गये और वे मुझे इस तरह से कहने लगें और मैं उनको कहने लगूं तो यह बात ठीक नहीं है। हमें तो सब बातों को सामने रखकर यह देखना है कि कैसे इस स्टेट की भलाई हो और मैं कोई ऐसी बात करना मुनासिब नहीं समझता हूं जिससे कि यहां के लोगों को किसी तरह से नुकसान हो। काम आज हो रहा है और ईमानदारी से हो रहा है, मगर लोगों में इस तरह की राय पैदा करना है कि काम नहीं हो रहा है यह दूसरी बात है। इस तरह की बात कहना और ऐसी कोशिश करना ठीक भी नहीं है।

एक बात मुझे याद आ गई और मैं यह बात कहकर अपनी स्पीच खत्म कर दूंगा। चूंकि बीच में मुझे यह बात याद आ गई इसलिये कह देना जरूरी समझता हूं। कल तकरीर में कहा गया कि पब्लिक की इस तरह की भावना हो गई है कि वह समझती है कि सरकार को उनकी भलाई का ख्याल नहीं है और ये बातें पब्लिक उनसे कहती है। तो हमारे खिलाफ बहुत सी बातें उनसे कही जाती हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी हमसे कही जाती हैं और इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ तो बातें होती रहती हैं। एक काश्तकार से बातचीत करते वक्त उसने बतलाया कि इन सोशलिस्टों ने तो नाक में दम कर रखा है। मैं आपकी बुराई सुन आता हूं और आप मेरी बुराई सुन आते हैं। मैं भी वहां जाता हूं और आप भी वहां जाते हैं। आपका यह सोचना कि मैं नहीं जाता हूं, ठीक नहीं है। आप लोग तो यह सोचते हैं कि मिनिस्टर साहब तो अपनी कोठी के अन्दर बन्द हैं उन्हें बाहर की क्या बात पता हो सकती है। मगर यह बात नहीं है और वे भी इधर, उधर जाते हैं। हम भी गांव की झोपड़ियां में रहने वाले हैं और हम उनकी बात जानते हैं और वे हमारी बात जानते हैं। तो इसमें यह बात कि गवर्नर के ऐड्रेस में यह लिखा हुआ है और इसमें तफसील से नहीं है तो ये सब बेकार की चीजें हैं। इस तरह से जब वे दूसरों की खबर रखते हैं तो उनको यह बात माननी पड़ेगी कि उनकी भी बातें मालूम हो जाती हैं।

मैं आखिर में फिर एक दफा उन जख्मी हो जाने वालों को, तकलीफ पहुंचने वालों को और उन मुसीबतजदा लोगों के प्रति अफसोस जाहिर करता हूं और उनके प्रति दिली हमदर्दी रखते हुये यह बात कहता हूं कि जो कुछ भी हमसे उनके लिये हो सकेगा, हम उसे करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी गुजारिश खत्म करता हूं।

चेयरमैन--भवन के सामने श्री ज्योति प्रसाद गुप्त का प्रस्ताव है जो इस प्रकार है--"उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं, श्री राज्यपाल के संबोधन के लिए, जो उन्होंने राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।" इस पर श्री कुंवर गुरु नारायण और श्री राजाराम शास्त्री के संशोधन के प्रस्ताव हैं। मैं संशोधनों को पहले वोट पर रखूंगा।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

[चेयरमैन]

"किन्तु खेद प्रकट करते हैं कि उसमें निम्नलिखित बातों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :—

(१) मन्दी जो आरम्भ हो गई है।
(२) जनता की क्रय शक्ति मे कमी,
(३) मध्यम वर्ग की दशा में अवनति, और
(४) कर पीडित जनता को कोई कर-निवारण।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु सदन को खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया है :—

(१) गत ३ फरवरी के कुम्भ के महान् पर्व के अवसर पर जो हृदय विदारक दुर्घटना ई, जिसमें एक हजार से अधिक व्यक्तियों की जानें गयीं, उस अवसर पर राज भवन में दावत दी गई और गाने बजाने का समारोह किया गया, उसका जिक्र तक न किया जाना और न इस बात का उल्लेख किया जाना कि उक्त दुर्घटना क्यों हुई।

(२) गन्ना उत्पादकों की हड़ताल के समय २५० से अधिक समाजवादी कार्यकर्त्ताओं एवं किसानों की गिरफ्तारी और सरकारी शक्ति का शक्कर मिल मालिकों के पक्ष में उपयोग करना।

(३) उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी और जनता की गिरती क्रय शक्ति अर्थात् बढ़ती हुई गरीबी, मजदूरों, अध्यापकों एवं मध्यम वर्ग की शोचनीय अवस्था।

(४) प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दफा १४४ लगा कर बढ़ते हुये किसानों, मजदूरों एवं आम जनता के आन्दोलनों को पशुबल द्वारा दमन करना।

(५) प्रदेश की जनता पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुये टैक्सों के कारण जनता में असन्तोष और बेचैनी का बढ़ना।

(६) प्रदेश में बढ़ती हुई चोरी, डकैती, लूटमार, हत्या और हिंसात्मक कार्यों की ओर जनता का झुकाव इन बातों का सम्बोधन में कोई जिक्र तक नहीं किया गया।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने राज्य के विधान मंडल के ोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चेयरमैन—जैसी कि प्रथा है यह प्रस्ताव आपके चेयरमैन राज्यपाल के पास भेज देंगे।

चेयरमैन—परसों सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स पर बहस होगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं जनाब की इजाजत से अर्ज कर देना चाहता हूं कि एक एजेन्डा बिजनेस का मेम्बर साहबान के पास भेज दिया गया है और जो बिजनेस उसमें लिखा हुआ है और शायद तारीखें भी लिखी हैं, वही बिजनेस है।

चेयरमैन—कौंसिल सोमवार को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ४ बजकर ३५ मिनट पर, सोमवार, १५ फरवरी, १९५४ को ेदन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई)।

लखनऊ :
१३ फरवरी, १९५४

कृष्ण बहादुर सक्सेना,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल, उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—२२६ एल० सी०—१९५४—८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

१५ फरवरी, १९५४

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५०)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तेलू राम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
मानपाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्व नाथ, श्री
वेणी प्रसाद टन्डन, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे :—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)।

श्री गिरधारी लाल (निर्माण मंत्री)।

श्री कमला पति त्रिपाठी (सूचना व सिंचाई मंत्री)।

प्रश्नोत्तर

१—७—श्री सरदार संतोष सिंह (नाम निर्देशित)—स्थगित ।

सरकारी कर्मचारियों की मुअत्तली

८—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों के मुअत्तल करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने मुअत्तली की कोई अवधि नहीं रक्खी है ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

(घ) यदि कोई अवधि रक्खी गई है तो वह क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)—(क) सरकारी कर्मचारियों को मुअत्तल करने के बारे में सरकार की नीति सम्बन्धित नियमों में इस प्रकार से दी गई है :—

साधारणतया किसी सरकारी कर्मचारी का निलंबित (मुअत्तल) करने की कोई कार्यवाही न की जानी चाहिए जब तक कि सरकारी कर्मचारी पर लगाये गये आरोप ऐसे गम्भीर न हों कि यदि वे प्रमाणित हो जायं तो सामान्यतः वह बरखास्त, पदावनत हो सकता है या हटाया जा सकता है । उस दशा में जब निलंबित (मुअत्तल) करना आवश्यक हो यथासम्भव निलंबन (मुअत्तल) की कार्यवाही दोषोरोपण तथा दोषारोपित सरकारी कर्मचारी को इसकी सूचना देने के तुरन्त बाद ही की जानी चाहिए

(ख)—जी हां ।

(ग)—मुअत्तली की कोई नियमित अवधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है । सरकारी आदेशों के अनुसार साधारणतया मुअत्तली के बाद विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने में चार-पांच महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए । परन्तु किसी मामले की विशेष स्थितियों में कार्यवाही पूरी करने में कुछ ज्यादा समय भी लग सकता है, जिसके कारण मुअत्तली का समय भी बढ़ सकता है ।

(घ)—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि बहुत से कर्मचारी बिना चार्ज शीट लगे हुए ही मुअत्तल हो जाते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह हो सकता है । कहीं पर पहले भी मुअत्तली कर देते हैं ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी को यह भी मालूम है कि कितने ही विभागों में कर्मचारियों को मुअत्तल हुए चार-पांच साल हो गए हैं किन्तु अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जरूर कोई ऐसा केस होगा जिसमें २, ३ साल हो गए हों ।

९—१७—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—स्थगित ।

१८—१९—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ८४—८५ के रूप में रक्खे गए ।)

२०—२९—श्री कृष्ण चन्द्र जोशी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित ।

मथुरा जिले में नहरों द्वारा सिंचाई का रकबा

३०—श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—मथुरा जिले की प्रत्येक तहसील में १९५० ई० से पूर्व नहरों से कितने रकबे की सिंचाई होती थी और अब १९५३ में कितने रकबे की सिंचाई होती है?

श्री कमला पति त्रिपाठी (सिंचाई मंत्री)—मथुरा जिले में १९४९-५० में नहरों से कुल २,५३,४१२ एकड़ भूमि और सन् १९५२-५३ में ३,४२,५११ एकड़ भूमि सींची गई। प्रत्येक तहसील में सिंचित भूमि के आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

तहसील	१९४९-५०			१९५२-५३		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
छाता	२७,२८०	३२,७८२	६०,०६२	३५,४३६	७२,५९३	१,०८,०२९
सादाबाद	१५,७९७	४२,६४४	५८,४४१	१५,१७५	४६,९६२	६२,१३७
माट	२२,१९०	४७,४८९	६९,६७९	२३,८०६	५५,६३५	७९,४४१
मथुरा	२२,७२८	४२,५०२	६५,२३०	३१,८३५	६१,०६९	९२,९०४
योग ...	८७,९९५	१,६५,४१७	२,५३,४१२	१,०६,२५२	२,३६,२५९	३,४२,५११

३१—३३—श्री नरोत्तम दास टन्डन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

३४—३७—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—स्थगित।

बनारस जिले की चकिया तहसील में सिंचाई

३८—श्री राम नन्दन सिंह (संविधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सिंचाई मंत्री को यह ज्ञात है कि कर्मनाशा की नहर से चकिया तहसील, जिला बनारस को १९१६ ई० से ही पानी दिया जा रहा है?

श्री कमला पति त्रिपाठी—सन् १९१६ ई० में लेफ्ट कर्मनाशा केनाल तथा १९१७ में राइट कर्मनाशा केनाल चालू की गई।

३९—श्री राम नन्दन सिंह—क्या यह ठीक है कि सन् १९१६ ई० से १९२० तक, क्रमशः ७ १।२ आना, १० आना, १५ आना, २० आना, प्रति बीघा नेहर रेट वसूल किया गया?

श्री कमला पति त्रिपाठी—इन नहरों के चालू होने के प्रथम वर्ष में बनारस स्टेट सरकार ने कोई नेहर रेट नहीं लगाया, पर द्वितीय वर्ष में १० आना प्रति बीघा के हिसाब से नेहर रेट लगाया गया। तदुपरांत १० आने प्रतिवर्ष नेहर रेट में वृद्धि की गई।

४०—श्री राम नन्दन सिंह—क्या यह ठीक है कि १९२१ ई० में २॥) फी बीघा नेहर रेट वसूल किया गया?

श्री कमला पति त्रिपाठी—सन् १९२१ में नेहर रेट २॥) फी बीघा था?

४१--श्री राम नन्दन सिंह--क्या यह भी ठीक है कि उपर्युक्त नेहर रेट वसूल किये जाने के कारण किसानों का भारी आन्दोलन चकिया में हुआ था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस सम्बन्ध में कार्यालय में कोई पत्र उपलब्ध नहीं है ?

४२--श्री राम नन्दन सिंह--क्या यह ठीक है कि सन् १९२२ ई० से १९२९ तक नहर रेट १ रुपया फी बीघा लिया गया ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--लतीफशाह बन्ध में जल की कमी के कारण पूरे क्षेत्र को पानी पूरा नहीं पड़ता था। इस कारण मैसौरा बन्ध योजना बनाई गई, जो १९२८ ई० में बन कर तैयार हो गई। इस बन्ध के निर्माण काल में अर्थात् १९२२ से लेकर १९२८ तक बनारस राज्य ने १ रु० फी बीघा नेहर रेट वसूल किया, किन्तु बन्ध बनने पर २ रुपया आठ आना फी बीघा रेट कर दिया गया।

४३--श्री राम नन्दन सिंह--क्या सिंचाई मंत्री को यह ज्ञात है कि २६ जुलाई, १९३९ ई० को काशी राज्य की सरकार और चकिया के किसानों के प्रतिनिधियों के बीच श्री प्रकाश (गवर्नर मद्रास) की मध्यस्थता में कोई संधि नेहर रेट के विषय में हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी संधि हुई होगी पर पुराने सरकारी रिकार्ड में किसी ऐसी संधि होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

४४--श्री राम नन्दन सिंह--यदि हां, तो क्या सरकार उसे सदन के सम्मुख उपस्थित करने की कृपा करेगी ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--यह प्रश्न नहीं उठता।

४५--श्री राम नन्दन सिंह--क्या उस संधि के अनुसार कार्य किया गया ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--यह प्रश्न नहीं उठता।

४६--श्री राम नन्दन सिंह--यदि हां, तो कितने दिनों तक ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--यह प्रश्न नहीं उठता।

४७--श्री राम नन्दन सिंह--क्या यह ठीक है कि काशी राज्य के शासन परिषद् ने अन्त में उस संधि को भंग कर दिया ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--इसको कोई सूचना सरकार को नहीं है।

४८--श्री राम नन्दन सिंह--क्या यह ठीक है कि सन् १९१६ ई० से १९४० ई० तक नेहर रेट के विषय में चकिया के किसानों और काशी राज्य की सरकार के बीच, जो संघर्ष रहा उसका अन्त १८ अप्रैल, सन् १९४० ई० की विज्ञप्ति द्वारा शासन परिषद् ने कर दिया है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--बनारस स्टेट विज्ञप्ति संख्या ३४८६, दिनांक १८ अप्रैल, १९४० के अनुसार कर्मनाशा की नहरों पर पहले ५ मील तक २ रु० ६ पाई फी बीघा और उसके नीचे १ रुपया ३ पाई फी बीघा नेहर रेट कायम किया गया। बाद को जब नेहर भर पर जगह पानी अच्छी तरह मिलने लगा तो नेहर रेट पूरी नेहर पर २ रुपया ६ पाई फी बीघा कर दिया गया। बाद में हिसाब लगाने की सुविधा की दृष्टि से सन् १९४७ ई० में यह रेट २ रुपये ३ आना फी बीघा कर दिया गया।

४९--श्री राम नन्दन सिंह--क्या प्रश्न संख्या ४२ में लिखित नहर रेट चकिया में १३६१ फसली तक लिया गया ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--जी नहीं। प्रश्न संख्या ४२ में लिखित नहर रेट सन् १९२८ ई० तक ही लागू रहे।

५०--श्री राम नन्दन सिंह--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी १३६२ फसली में नहर रेट चकिया में प्रति बीघा किस हिसाब से लेने का निश्चय किया गया है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--चकिया में १३६२ फसली में जो सिंचाई दरें लगाई जायंगी वे इस प्रकार हैं--

नाम फसल	प्रति एकड़		
	रु०	आ०	पा०
चावल	५	४	०
चावल	२	१०	०
गन्ना	७	८	०
रवी की फसल	४	८	०

५१--श्री राम नन्दन सिंह--उपर्युक्त दर पिछले २६ जुलाई, १९३९ ई० की संधि और १८ अप्रैल, १९४० ई० की विज्ञप्ति में बताई गई दरों से क्रमशः कितन सैकड़ा अधिक है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--जो दरें १ अप्रैल, १९५३ के पूर्व लगाई गईं उन दरों से उपर्युक्त दरें लगभग ५० प्रतिशत अधिक हैं।

५२--श्री राम नन्दन सिंह--क्या सिंचाई मंत्री को यह ज्ञात है कि जिला कांग्रेस कमेटी, बनारस ने सरकार से चकिया के नहर रेट की समस्या पर पुनः विचार करने के लिये सिफारिश की है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--जी हां।

५३--श्री राम नन्दन सिंह--यदि हां तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--जो दरें प्रश्न संख्या ५० के उत्तर में बताई गई हैं वे चकिया की सिंचाई दरों की समस्या पर पुनः विचार कर निर्धारित की हैं।

५४--६५--श्री राम नन्दन सिंह--स्थगित।

६६--श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन--स्थगित।

सन् १९५३-५४ ई० को पूरक अनुदानों (दूसरी किस्म) के लिये मांगें

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा पूरक अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत है उसके संबंध में मैं अपना विचार रखना चाहता हूं। श्रीमान् अब हमारा डिफीसीट लगभग ७ करोड़ रुपया का हो जाता है इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि हमारा आने वाला बजट भी डिफीसिट होगा इसी से हम को यह संकेत मिलता है। जो दो वर्ष के अन्दर कर लगाये गये हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है। एक तरफ तो हम यह देखते हैं कि नई स्कीम और नई योजना के लिए सरकार को रुपये की जरूरत होती है, जिसके लिए वह नये नये टैक्स लगाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनता की क्रयशक्ति इतनी गिर गई है कि वह करों का बोझ उठा नहीं पा रही है तो हमारे हृदय में ऐसी भावना होती है कि हम सरकार से निवेदन करें कि उसकी जो टैक्सेशन की नीति है उसको नई रोशनी से रिव्यू करें और जहां तक वह इसमें सहूलियतें पैदा कर सकती है, करे।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

आज जहां तक करों का संबंध है यूं तो आमतौर से इन दो वर्षों के अन्दर बहुत काफी कर लगाये गये लेकिन फिर भी अगर हुकूमत कुछ सहूलियत जो कुछ भी वह लोगों को दे सकती है जिनके लिये आज सहूलियत देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है तो अच्छा हो। आज एक बड़ा भारी आंदोलन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का चल रहा है। २५ प्रतिशत एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ा दी गई है इस ड्यूटी के संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं और उनके जरिये से उनकी हुकूमत से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कर के संबंध में वह फिर विचार करें। मैं जब एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कर को हटाने के लिये कहता हूं तो इसलिये कहता हूं कि इस कर का जो भार पड़ता है वह ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर पड़ता है और मध्यमवर्ग की श्रेणी के लोगों के लिये आज हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है। हमारे पास उनको आराम देने के लिये कोई तरीका नहीं है। इसलिये एलेक्ट्रिसिटी तो आज कोई लक्जरी की चीज नहीं कही जा सकती है। वह एक प्रकार से हमारे मध्यम वर्ग के लोगों के बीच में नेसेसिटी हो गई है और जब मध्यम वर्ग के लोगों की हालत इतनी खराब है तब फिर उनसे यह आशा करना कि वह इस कर के भार को उठा सकेंगे यह बहुत ही बड़ा अन्याय उनके प्रति होगा। मैं यह भी समझता हूं कि मध्यम वर्ग के लो: इस वक्त इस प्रकार की सहूलियत को डिजर्व करते हैं। अगर आप अपनी और स्कीमों को तुरन्त नहीं रोकना चाहते हैं या अपनी स्कीमों के कारण तुरन्त इस वक्त इस वर्ग को कोई सहूलियत नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इस कर को हटा करके आप मध्यम वर्ग के लोगों के साथ उनका दुःख बटा सकते हैं एलेक्ट्रिसिटी का आंदोलन हमारे इस शहर में नहीं है बल्कि सारे प्रान्त में चल रहा है और उसका मुख्य कारण यह है कि आज जो इस श्रेणी के लोग हैं वह बहुत ही हार्डप्रैस्ड हैं और इसका एक परिणाम और होगा कि इसके कारण जो एजीटेशन चलेगा वह आप की प्रोग्रेस में काफी बाधक होगा तथा इसके साथ ही साथ आप इंडस्ट्रीज के अन्दर और छोटे छोटे उद्योग धंधों के अन्दर जो तरक्की करना चाहते हैं वह भी इसके कारण रुक सकती है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं किसी राजनैतिक या पोलिटिकल दृष्टिकोण से इस बात को नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं महसूस करता हूं कि आज जिस श्रेणी के ऊपर आफत है अगर आप और कोई सहूलियत न दे सकें तो कम से कम जो आपने हाल ही में इस टैक्स का बोझ रक्खा है उसको तो हटा लें। यह भी एक बहुत बड़ी सहूलियत इस क्लास के लोगों के लिये होगी। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि आज हमारी जो कास्ट आफ लिविंग है वह इतनी बढ़ गई है कि उसकी तरफ सरकार को खास तौर से ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि हर एक चीज और हर एक प्राब्लम जो हमारे सामने पेश आते हैं वह हुकूमत के भी इल्म में हैं और कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर हुकूमत गौर नहीं करती है लेकिन फिर भी जहां तक कास्ट आफ लिविंग का सम्बन्ध है, मैं यह चाहूंगा और मैं यह सजेशन देना चाहता हूं कि कोई आप परमानेन्ट परसनल ऐसा एप्वाइन्ट कर दें जो कि इस सम्बन्ध में आपको बराबर सुझाव देता रहे कि किस तरह से कास्ट आफ लिविंग कम की जा सकती है।

कास्ट आफ लिविंग के साथ ही साथ जो सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने प्रस्तुत होता है वह अनइम्प्लायमेन्ट का। अनइम्प्लायमेन्ट के लिये जो यह कहा जाता है और सही भी है कि फाइव इयर प्लान हमारी इसके लिये है और यह फाइव इयर प्लान हमने इसीलिये बनाई है कि कास्ट आफ लिविंग कम की जावे या अनइम्प्लायमेंन्ट हमारा कम हो लेकिन मैं समझता हूं कि यह ज्यादा सही होता अगर अभी से इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाय। यह बेरोजगारी की समस्या बड़ा भारी सर दर्द पैदा कर देगी। मैं यह चाहूंगा कि एक कमेटी इसके विचार करने के लिये बनाई जाय कि जो सरकार के वेज और मीन्स को डिवाइस करे कि किस तरह से वे छोटी-छोटी जगहों में अनइम्प्लाय-

लायमेंट को दूर कर सकती है। इसके साथ ही साथ कोई हमारे पास स्टैटिक्स होने चाहिये कि कितना आज अनइम्प्लायमेन्ट है और किस किस प्रकार का है। इस सम्बन्ध में भी सरकार को विचार करना चाहिये। इसमें एक प्राविजन ४ लाख रुपये का किया गया है फेमीन रिलीफ के लिये और वह भी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिये है। इस चीज का मैं स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि पूर्वी जिलों की हालत बहुत खराब है और वहां इर्रीगेशन फैसीलिटीज की बहुत जरूरत है और यह जरूरी है कि इससे हम वहां के लोगों को सुविधा पहुंचायें और अगर इससे ज्यादा रुपया भी वहां के लिये दिया जाय तो मैं इसमें भी कोई हानि नहीं समझता हूं। एक चीज इसमें जो रखी गई है वह मेजर आईटम आफ कैपिटल एक्सपेन्डीचर की है और वह रेहेन्ड डैम के लिये ६ लाख रुपये का एक्सपेन्डीचर है। पहले भी इसके लिये रुपया रखा गया था और यह एक ऐसा आईटम है कि अगर इसको माननीय मंत्री जी समझते तो इसे बजट के लिये रख सकते थे। हम लोगों को तो नहीं मालूम कि रेहेन्ड डैम की जो वर्किंग आपकी हो रही है और जो आपका एग्रीमेंट अमेरिकन फर्म से है वह कैसा है। हाउस के मेम्बरों को इस बात की कोई इत्तिला नहीं है कि कब तक इसको पूरा होना है। तो मेरा कहना है कि यह कैपिटल एक्सपेन्डीचर का मेजर आईटम है और इसको सप्लीमेन्टरी बजट के अन्दर लाना मुनासिब नहीं है।

इसके साथ ही साथ मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रखूंगा कि जहां तक हो सके हम सप्लीमेंटरी बजट को डिसकरेज करें और दो सप्लीमेंटरी बजट एक साल में नहीं आने चाहिये। सप्लीमेन्टरी बजट से यह होता है कि स्टेट की रियल फाइनेंशियल पोजीशन हमारे सामने नहीं आती है और यह पता नहीं चलता है कि हमारी स्टेट की क्या फाइनेन्शियल हालत है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जहां तक हो सके इस प्रथा को सप्लीमेंटरी बजटों को, लाना कम करें। इस बजट में कोई खास चीज नहीं है जिस पर कि कुछ कहा जा सके और जो भी बातें इस पर कही जा सकती थीं वे मैंने माननीय मंत्री जी के सामने निवेदन कर दी हैं। इस चीज पर हुकूमत अवश्य ध्यान देगी कि जहां तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का सम्बन्ध है वह उसको कम करे और यह आईटम एक ऐसी चीज है जिसको रिवाइज करने की जरूरत है क्योंकि यह सभी लोगों पर एफेक्ट करता है। यही मुझे कहना था और मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय अध्यक्ष महोदय जो सप्लीमेन्टरी बजट हाउस के सामने पेश हुआ है और जिसके सम्बन्ध में अभी कुंवर साहब ने भाषण दिया मैं तो यह समझता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट का बार बार आना यह किसी भी सरकार की जिन्दगी की निशानी है। मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता हूं कि साल में एक बजट पास हो गया और उससे सरकार के हाथ पैर बंध गये और उसके बाद बीच में कोई नया ख्याल या कोई नई चीज सरकार के दिमाग में पैदा हो तो सरकार उस वक्त तक उसे बन्द ही रखे उसको कार्य में परिणत न करे या उसे अमली जामा न पहनाये जब तक कि दूसरे साल का बजट नहीं आता और वह पास नहीं हो जाता। इसलिये यह नुक्ताचीनी करना या यह बताना कि साल में दो बार सप्लीमेन्ट्री बजट आते हैं, व्यर्थ है। मैं समझता हूं कि सरकार जितनी ऐक्टिव होगी उतने ही ज्यादा डिमान्ड और सप्लीमेन्ट्री बजट हाउस के सामने आयेंगे।

दूसरी बात जहां तक डेफिसिट के बारे में कुंवर साहब ने कही है यह ठीक है कि deficit ज्यादा न होना चाहिए लेकिन कोई ज्यादा बचत हो उससे भी मैं इत्तिफाक नहीं करता। मैं समझता हूं कि ज्यादा बचत से डेफिसिट अच्छा है, जिसके अन्दर सरकार नये नये काम रखे और इस बात की कोशिश करे चाहे रुपया का घाटा पड़ जाय लेकिन जो योजनायें प्रदेश को कल्याणकारी बनाने के लिये उचित हैं और जिनमें हमरा लाभ है अगर इस भावना से डेफिसिट बजट हमारे सामने आता है, तो बचत के बजट से यह डेफिसिट बजट अच्छा है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह दोनों एतराज निरर्थक हैं।

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

एक बात पर मुझे आश्चर्य होता है जब में सुनता हूं कि साहब कर का बोझ बढ़ता जा रहा है और मिडिल क्लास की हालत सुधरती नहीं। एक समय में एक चीज रखी जाय तो मेरी समझ में आ सकती है। लेकिन यह बात कि बोझ बढ़ रहा है और ज्यादा कर न लगाया जाये लेकिन इसके साथ यह कि एलेक्ट्रिसिटी नेसेसटी हो गयी है, लक्जरी नहीं है, देश के अन्दर डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार की बातें एक तरफ कही जा रही हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कर बढ़ाया जा रहा है, दोनों बातें किसी प्रकार से किसी के समझ में नहीं आ सकती हैं। हां, कोई ऐसी योजना मेम्बर साहब ने सोची हो कि बगैर किसी प्रकार का कर लगाये हुये सारी चीजें मुहैया हो जायं और मिडिल क्लास की हालत सुधर जाय और डेवलपमेंट के साधन प्राप्त हो जायं, इन्डस्ट्री के लिये साधन प्राप्त हो जायं तो मैं समझता हूं कि इससे बहतर कोई बात नहीं हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सारी बातें एक तरफा हैं और इनमें कोई लाजिक नहीं है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--लाजिक नहीं है, लेकिन एकोनामिक्स है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--हां, यह हो सकता है कि बहुत से ज्यादा कर न लगाये जायं दूसरी बात यह है कि अगर हमको प्रदेश के लिये अच्छे अच्छे और बेहतर से बेहतर काम करने हैं तो थोड़े बहुत कर लगाने की आवश्यकता है और लगाने पड़ेंगे; लेकिन जहां तक इलेक्ट्रिक ड्यूटी का सम्बन्ध है, मैं ज्यादा अर्ज करना नहीं चाहता किन्तु यह कहना चाहता हूं कि कुंवर साहब ने यह जो फरमाया है मैं उनकी बात से इत्तिफाक करता हूं कि एलेक्ट्रिकसिटी जो है वह लोगों के लिये लक्जरी नहीं है बल्कि नैसेसिटी बन गयी है और शहर के लोगों के लिये ही नहीं बल्कि देहात के लोगों के लिये भी बनती जा रही है तो इसलिये मैं आज इसलिये इस बात को ध्यान में रखता हूं कि बिजली की हमारे प्रदेश में लोगों को आवश्यकता है। तो हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि हम इसको किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं इसलिये यह आवश्यक है कि इस जरूरत को पूरा करने के लिये साधन ढूंढ़ने पड़ेंगे और उसके लिये हमको रुपया लगाना पड़ेगा। चाहे वह रुपया कर लगा कर लाना पड़े, चाहे वह रुपया सरकार किसी दूसरी मद से लाये, बहरहाल यह तो सरकार ही बेहतर जान सकती है और इसका उत्तर हमारे माननीय वित्त मन्त्री ही मुनासिब दे सकते हैं। लेकिन इस जरूरत को पूरी करने के लिये कहीं न कहीं से रुपया एकत्रित करना पड़ेगा। यह बात तो मैंने एलेक्ट्रिसिटी के सम्बन्ध में बतलाई।

अब एक-दो बातें जो इस सप्लीमेंट्री बजट में हैं उनके सम्बन्ध में भी मैं अर्ज करना चाहता हूं। इसमें सबसे आवश्यक दो-तीन मदें रखी गया हैं। एक तो है मालगुजारी या कृषि आय कर से वसूल करने के सम्बन्ध में। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जमीन्दारी एबालिशन के बाद दिन प्रतिदिन इस बात की आवश्यकता प्रतीत हो रही है कि किस प्रकार से कृषि आय कर या मालगुजारी हमारे प्रदेश में वसूल की जा रही है उससे बेहतर ढंग जो कुछ भी अमल में लाए जा सकते हैं वह लाये जायें और वसूल करने के ढंग में ज्यादा से ज्यादा सहूलियत की जाय। इसीलिये सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट में ४३-४४ हजार रुपये की मांग की गयी है। किन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि मैं देखता हूं कि देहातों के अन्दर जब से जमीन्दारी का खात्मा हुआ है और जब से पंचायतें कायम हुई हैं कुछ बेतरतीबी सी पायी जाती है। वह यह कि काम में यूनिफार्मिटी नहीं मालूम पड़ती। लेखपालों का क्षेत्र अलग सा है, पंचायत के सेक्रेटरियों का क्षेत्र अलग सा है, अमीन का क्षेत्र अलग है। इससे ऐसा जाहिर होता है कि सरकार का रुपया भी अधिक खर्च होता है और जो एफीसियेंसी सरकार चाहती है वह नहीं मिल पाती है। इसलिये मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री

जी के लिये यह है कि बेहतर यह होता कि सारी की सारी चीजें एक जगह इकट्ठी होतीं। सारे के सारे लोगों को जिनको अगर देखा जाय तो एक ही काम सुपुर्द है, एक ही उद्देश्य के लिये है लेकिन उनके पद अलग अलग बंटे हुये हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार के लिये रुपये की भी बचत हो और काम के अन्दर एफीसियेन्सी भी आ जाय अगर इन चार-पांच पदों को एक कर दिया जाय और इनका एक ही पद बना दिया जाय जो इनके कामों को देखें और ठीक ढंग से सब काम कर सकें।

दूसरी डिमान्ड जो सप्लीमेंट्री बजट के अन्दर रखी गयी है वह है पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में एक्स्टेन्शन ब्लाक्स और पेड़ों का लगाना। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जहां तक पेड़ों का सम्बन्ध है, और जिसकी ओर सरकार का ध्यान गया है, बड़ा आवश्यक है। देहातों के भीतर जो पेड़ लगाये जा रहे हैं उनका लगाया जाना भी बहुत आवश्यक है। किन्तु इसके सम्बन्ध में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि हम अक्सर यह देखते हैं कि एक ओर पेड़ लगाये जा रहे हैं और दूसरी ओर वह साल दो साल में पूरी हिफाजत न होने के कारण खुश्क हो जाते हैं टूट जाते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा सरकार के लिये यह सुझाव है कि इन पेड़ों को लगाने के सम्बन्ध में अगर सरकार यह नीति अपनाये कि देहातों के अन्दर जो प्राइमरी स्कूल्स या जूनियर स्कूल्स हैं, पेड़ लगाने की योजना उनको सुपुर्द कर दी जाय और प्राइमरी स्कूल में जितनी जमीन है, जूनियर स्कूलों में जितनी जमीन है उस में पेड़ लगाये जायें, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसा करने से वहां के बच्चे और अध्यापक पेड़ों को सींचने का प्रबन्ध भी करते रहेंगे और उनकी देख भाल भी होती रहेगी।

इस प्रकार से वे पेड़ सर सब्ज हो सकेंगे। दूसरी बात यह है कि ग्राम पञ्चायतों के जो प्रधान हैं और लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं तो पेड़ लगाने की जिम्मदारी उनके ऊपर भी दी जाय, जिससे पेड़ों की हिफाजत हो सके और जिससे सारे पेड़ हरे भरे रह सकें।

नेशनल एक्सटेन्शन ब्लाक के बारे में सप्लीमेंट्री बजट में काफी मांग की गयी है। हमारे प्रदेश में नेशनल ब्लाक्स बने हैं और उस पर साढ़े सात लाख रुपया खर्च होने की योजना है। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात अर्ज करनी है। मैंने जब सप्लीमेंट्री बजट को उठा कर देखा तो इसमें ज्यादातर डिमान्ड की गयी है अफसरों के डी० ए० और टी० ए० के बारे में। मैं यह चाहता हूं कि जिस प्रकार पंचवर्षीय योजना से दिलचस्पी देहात के लोगों में पैदा करने का सरकार का उद्देश्य है और सरकार यह चाहती है कि देहात के अन्दर लोग श्रमदान से सड़कों वगैरह को बनायें, नहरें बनायें और स्कूल्स बनायें, लेकिन उसका पैसा न लें तो यह बहुत ही अच्छा काम है। साथ ही साथ में यह भी चाहता हूं कि यह भावना और यह स्पिरिट उन सरकारी कर्मचारियों के अन्दर भी पैदा हो और उनके अन्दर प्रेरणा दी जाय कि एक्सटेन्शन ब्लाक के अन्दर जहां पर दौरा हो वे उसके अन्दर एलाउन्स न लें। क्योंकि वह नेशनल ब्लाक ४-६ मील एरिया के अन्दर होता है इसलिये वे चार छः मील के अन्दर बगैर एलाउन्स लिये हुए ही जायं और वहां का डी० ए०, टी० ए० चार्ज न करें। इस तरह से यह योजना कामयाब हो सकती है। जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि मैंने देखा है कि इस डिमान्ड में लिखा हुआ है कि पोस्टेज के लिये और पत्र-व्यवहार के लिये जिससे काम जल्दी हो सके और हर काम में एफीसियेन्सी हो सके, रुपया मन्जूर हुआ है। हम सब जानते हैं कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में जहां तक हो सके एफीसियेन्सी हो तो यह अच्छा है।

इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। हम यह देखते हैं कि बावजूद इन सारी चीजों के जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

एफीसियेन्सी आनी चाहिए वह नहीं आयी है। फाइल का सिस्टम जो है इसको हम देखते हैं तो मालूम होता है कि एक-एक फाइल को तीन-चार साल हो जाते हैं लेकिन उस फाइल का कोई सुनने वाला नहीं होता है। मुझे एक केस के बारे में मालूम है अध्यक्ष महोदय, अपने जिले का एक एग्रीकल्चर का इम्प्लाई सन् १९४५ में सस्पेंड किया गया। और उस पर चार्जेज लगाये गये। आज सन् १९५४ हो गया लेकिन अभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि वह सस्पेन्ड है या बरखास्त हो गया है या क्या हुआ है। इस प्रकार से ६-७ साल हो जायं और फाइल दबी रहे यह मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफीसियेन्सी नहीं है और इस पर मैं माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसमें सुधार होना चाहिए।

इसी प्रकार से शिक्षा के सम्बन्ध में काफी रकम की मांग की गयी है और खासतौर से लोकल बाडीज को देने के लिये कई लाख रुपये मांगे गये हैं यह तो बड़े संतोष की बात है कि सरकार ने यह भी जाहिर किया है कि दो-तीन मील में एक प्राइमरी स्कूल खोलना चाहिए और उस का डाईरेक्ट सम्बन्ध सरकार से न रह कर लोकल बाडीज से रखा जायगा। इसी प्रकार से जो यूनिवर्सिटीज की शिक्षा है उनके सम्बन्ध में भी डिमांड रखी गयी है। और यह एक बहुत सुन्दर बात है, किन्तु शिक्षा के सम्बन्ध में भी मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है वह असल में हम लोगों के लिये आदर्श होना चाहिए। इसलिये कि शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु हो सकती है, जिससे हम सब लोग अच्छी बातें सीख सकते हैं। हमारे अन्दर एफीसियेन्सी, नैतिकता आ सकती है। हम यह देखते हैं कि जो बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड एन्टरमीडियेट एजूकेशन है उसके अन्दर भी एफीसियेन्सी नहीं है। मैंने स्वयं इस बात का अनुभव किया है। एक बहुत सही आवश्यक लेटर मैंने बोर्ड को भेजा मगर एक साल तक उसका उत्तर नहीं आया और वह इतना आवश्यक पत्र था, जिसके कारण मैं समझता हूं कि स्कूलों को ही नहीं बल्कि डिपार्टमेंट को भी नुकसान हो सकता है। इस तरह से मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग में एफीसियेन्सी नहीं है।

चेयरमैन--मैं माननीय सदस्य का इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री डिमान्ड पर जो बहस होती है उसमें और वार्षिक बजट पर जो जेनरल डिस्कशन होता है उसमें फर्क होता है। सरकार के विभागों की नीति और उनकी एफीशियेन्सी की बात बजट के जेनरल डिस्कशन के समय की जा सकती है। इस वक्त जो डिमान्ड्स हैं उन्हीं पर आप अपने को महदूद रखिये।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि शिक्षा के सम्बन्ध में जो डिमान्ड रखी गयी है प्राइमरी स्कूलों के लिये और टेक्नीकल शिक्षा के लिये वह निहायत मुनासिब है। उसी के साथ साथ मैं एक बात और आखिर में अर्ज करना चाहता हूं और वह स्वास्थ्य के सम्बन्ध में है। इस सप्लीमेंट्री डिमान्ड में फीरोजपुर और कई स्थानों पर टी० बी० क्लीनिक खोलने का जिक्र किया गया है। हमारे प्रदेश में टी० बी० क्लीनिक की प्रत्येक शहर में आवश्यकता है और टी० बी० क्लीनिक से ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में टी० बी० के कई सैनीटोरियम की भी आवश्यकता है और यह बहुत ही अच्छा है कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि वह बड़े शहरों में टी० बी० क्लीनिक्स खोल रही है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जो टी० बी० क्लीनिक आल रेडी खुले हुये हैं, बड़े-बड़े शहरों में, उन टी० बी० क्लीनिक के इम्प्रूवमेंट के लिये भी अभी बहुत कुछ आवश्यकता है। बहुत से टी० बी० क्लीनिक ऐसे हैं जहां पर कि जो डाक्टर रखे गये हैं उनको वेतन नहीं मिलता है बल्कि आनरेरियम दिया जाता है, सौ रुपये या पचास रुपये महीने का और वहां जो बेड्स हैं वह भी ऐसे हैं

कि जो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल से लाकर या किसी दूसरी बड़ी जगह से लाकर रख लिये गये हैं। मैं बरेली के सम्बन्ध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक टी० बी० क्लीनिक बरेली में भी है और शायद बहुत बड़ा क्लीनिक है, जिसमें हजारों की संख्या में सालाना मरीज आते हैं। चूंकि नैनीताल के करीब होने के कारण बरेली की जलवायु अच्छी है, लेकिन मैं देखता हूं कि इस टी० बी० क्लीनिक में, जो डाक्टर पहले थे और उनको जो आनरेरियम पहले दिया जाता था वही आज भी दिया जाता है और जितने बेड आज से पांच साल पहले थे उतने ही बेड आज वहां मौजूद हैं। तो मैं इस सम्बन्ध में सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो खास खास टी० बी० क्लीनिक्स हैं जहां पर कि काफी मरीजों की संख्या है और जहां की जलवायु अच्छी है, जहां पर टी० बी० को दूर करने के काफी साधन हैं, मैं यह चाहता हूं कि उन टी० बी० क्लीनिक्स को इम्प्रूव किया जाय, उनमें योग्य डाक्टर रक्खे जायं, और उनमें जो बेड्स की कमी है, उनको और ज्यादा बढ़ा कर, उसे पूरा किया जाय। इससे हमारे प्रदेश को बड़ा लाभ होगा।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पूरक अनुदान के सम्बन्ध में मांगें हमारे सामने प्रस्तुत हैं उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि खर्च करने के बाद सरकार हमारे सामने केवल उसको एक फेट एकम्प्ली के रूप में रखना चाहती है। सरकार खर्च करने के बाद केवल लेजिस्लेचर में अपने बहुमत के आधार पर उसे पास कराना चाहती है। यह कोई अच्छा कन्वेंशन नहीं कि एक ही साल के अन्दर दो दो बार सप्लीमेंट्री डिमान्ड के रूप में हमारे सामने काफी बड़ी रकम के रूप में पूरक अनुदान आये। हम इस बात को महसूस करते हैं और कुंवर साहब की इस राय से इत्तिफाक करते हैं कि यदि यही सिलसिला है तो इसका मतलब यही मालूम होता है कि आगे आने वाला जो बजट होगा वह एक डेफिसिट बजट के रूप में होगा और इसका मतलब होगा जनता के ऊपर टैक्सेशन का बोझ और बढ़ना। इसलिये इस मौके पर हम इस बात को कहना चाहते हैं कि सरकार का ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि आज जो प्रदेश की स्थिति है और इस स्थिति में जो टैक्सेशन के आधार पर अपनी योजनाओं को चलाने का सवाल है, ऐसी हालत में इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जनता पर यह बोझ और न बढ़ने पाये, उस सीमा के अन्दर खर्च की व्यवस्था होनी चाहिए।

इसमें एक मद रेहेन्ड बांध के संबंध में है। रेहन्द बांध का कार्य १९४७ में शुरू किया गया था लेकिन बीच में थोड़े समय के लिये यह काम स्थगित कर देना पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश का लाखों रुपया इस कार्य के स्थगित होने के कारण बरबाद हुआ। आज फिर रेहन्द बांध का कार्य शुरू हुआ है। जहां तक रेहन्द बांध के काम का सवाल है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि वह हमारे सूबे का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सेन्टर का वह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस सिलसिले में सूबे ने भी कुछ खर्च किया। इस बजट में १०, १२ लाख रुपया उसके लिये रखा गया है। सेन्टर से सहायता न मिलने की वजह से ६ लाख रुपये की मांग की गयी है। हमें इसे मन्जूर करने में कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सेन्टर से जो लिखा-पढ़ी चल रही है उससे कोई सरटेन्टी नहीं मालूम पड़ रही है कि सेन्टर किस कदर इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि रेहेन्ड डेम में ६ लाख रुपये देने का जो प्रश्न है वह ले लिया जाय लेकिन हम सेन्टर से बातचीत करके कोई आखिरी फैसला जल्द से जल्द कर लें कि वह क्या मदद देना चाहता है और जल्दी ही इस काम में हम लग जायें क्योंकि हमारे प्रदेश की जो परिस्थिति है और उसमें हमारी हालत जितनी गिरी हुई है वह किसी से छिपी नहीं है और उस हालत में हम इससे ज्यादा रुपया किसी

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

स्कीम पर खर्च नहीं कर सकते । सिंचाई योजना के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट और उसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में बहुत सी मदें इस सप्लीमेंट्री ग्रान्ट में हैं और काफी रकमें खर्च भी की जा चुकी हैं। हम ऐसा भी महसूस करते हैं कि आज जो छोटी-छोटी स्कीमें सिंचाई के सम्बन्ध में चल रही हैं या और दूसरी हैं, उनका होना जरूरी है । सिंचाई का इन्तजाम होना भी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का चलाना भी जरूरी है । ५२ लाख ८३ हजार ७ सौ रुपया के करीब जो इसमें रखा गया है, मैं कहना चाहता हूं कि वह बहुत काफी हैं । इसके अलावा हमें मालूम है कि सरकार की तरफ से श्रमदान की भी मांग होती है, सेन्टर से छोटी-छोटी ग्रान्ट्स का रुपया मिलता है, तब भी सरकार इतने बड़े पूरक अनुदान को लेकर हमारे सामने आई है । हम यह भी महसूस करते हैं कि जितनी मदद किसानों को मिलनी चाहिए वह सरकार की तरफ से नहीं मिलती है । सरकार ने जितने कानून बनाये हैं, सिंचाई के जो साधन हैं। वह सब आम किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। बनारस में पूर्वी भदोही में एक ताल है, जिसमें १०,००० बीघे की सिंचाई होती थी, सन् ५० में जब से पट्टे हो गये, तब से उस पर कब्जा हो रहा है, इसलिये अब वहां सिंचाई होना मुश्किल है । अगर सरकार उसकी सतह में जाय तो पता चलेगा कि १०,००० बीघे के छिन जाने के बाद सरकार को लाखों रुपया खर्च करके वहां सिंचाई का साधन दूसरा बनाना पड़ेगा और इतना खर्चा करने के बाद भी वह साधन वहां उपलब्ध न हो पायेंगे, जो इस समय तक थे और ऐसी हालत में भी आज कानून के अन्दर इस तरह की दिक्कतों का होना और उन सिंचाई के साधनों को न पैदा करना तथा इसके साथ ही साथ योजना व एकीकरण के छोटे-छोटे सिंचाई के साधनों, कृषि के नाम पर और कृषि सुधार के दूसरे नामों पर करीब-करीब ५०--५२ लाख रुपया सप्लीमेंट्री के रूप में हमारे सामने आना और उसी के साथ ही साथ योजना के अन्दर यह नहीं देखना कि कम पैसे में अधिक से अधिक काम किया जा सकता है । हमें इसी तरह की चीजों को देखने से यह भी मालूम होता है कि जो योजना बनायी जाती है और उनके लिये जो डिमाण्ड होती है उससे जो कार्य होना चाहिए वह अपेक्षित कार्य नहीं होता है । अध्यक्ष महोदय, मैंने पर्टिकुलरली एक इन्स्टान्स नेता सदन के सामने रखा है । आज २५ गांवों की सिंचाई बरबाद होने जा रही है। वे छोटे सिंचाई के साधन किसानों के हाथों से छिनने जा रहे हैं।

इसी के साथ ही साथ इन मांगों के अन्दर एक मांग जेल के सम्बन्ध में भी है हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम सरकार जब किसी मांग को लेकर सदन के सामने आती है और सदन से चाहती है कि किसी बात के सिलसिले में उसकी स्वीकृति हो तो कम से कम उस मौके पर सरकार एक ईमानदारी की बात करती है । सरकार ने उसमें कहा है कि चूंकि कैदियों की संख्या सूबे में बढ़ गयी है और खाने-पीने का खर्चा बढ़ गया है इसलिये इस चालू वर्ष में इतनी कमी है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--खाने का खर्चा बढ़ने का आप क्या मतलब समझे ?

श्री प्रभु नारायण सिंह--इसके माने यह हैं कि कैदियों की तादाद बढ़ गयी हैं और साथ ही खाने-पीने की चीजों के दाम भी बढ़ गये हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि भोजन की विभिन्न वस्तुओं के दाम बढ़ जाने और जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ जाने के कारण "भोजन व्यय के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि वास्तविक आवश्यकताओं से कम पड़ गयी है" अगर नेता सदन इस वास्तविकता को देखें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि असली बात क्या है । अगर यह बात नहीं है तो वे यह भी मालूम कर सकते हैं कि कहां पर उनके डिपार्टमेंट वालों ने गलती की है । खाने की चीजों के दाम तो बढ़ ही गये हैं। लेकिन साथ ही साथ अपराध भी बढ़ गये हैं। हमेशा कहा जाता है

कि आज सूबे में अपराध कम हो रहे हैं और खाने की चीजों के दाम गिर रहे हैं लेकिन जब हमारे सामने आप मांगे रखते हैं तो कहते हैं कि खाने की चीजों के दाम बढ़ गये हैं और अपराधियों की संख्या भी बढ़ गयी है इसलिये हमें इस रुपये की जरूरत है । हमें खुशी है कि ऐसे मौके पर सरकार की तरफ से इन बातों की स्वीकृति होती है ।

साथ ही साथ इसमें एक ऐसी मांग है जिसके सम्बन्ध में हमें अपनी तरफ से समर्थता देने में निहायत खुशी है । वह खास तौर से पिछड़ी हुई और अनूसूचित जातियों के वजीफे के सम्बन्ध में है । उनको मदद पहुंचने के सम्बन्ध में जो बातें हैं मैं उनका समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स के रूप में बार-बार काफी बड़ी रकमों के सिलसिले में मांगें लेकर सदनों के सामने आना ठीक नहीं है । इसका आने वाले मूल बजट पर भी असर पड़ता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि आगे से सरकार इसमें सोच समझ कर चले ताकि बजट के अतिरिक्त सरकार को ८-९ करोड़ रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स न रखनी पड़े ।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---जनाब चेयरमैन साहब, जिस वक्त इलेक्ट्रिसिटी ग्रान्ट पर कुंवर साहब बोल रहे थे और टैक्सेशन और इन्क्रीज रेट पर बहस जारी थी, उस वक्त एक ख्याल मेरे दिमाग में आया और वह किसी बुजुर्ग का कलाम है । मैं उसको आप लोगों के सामने रखता हूं :---

हो ख्वाहिशें महदूद तो ईजा नहीं होती ।
अरमां जो हो कम तो जर की तमन्ना नहीं होती ।।
काज को किसी चीज की हाजत नहीं होती ।
मोमिन पर तसल्लुद दुनिया नहीं होती ।

जिस वक्त आप फरमा रहे थे तो मेरे दिल में एक बात आई कि आज ताकत के खिलाफ दुनिया हो रही है । वह ताकत जिससे देश मजबूत हुआ करता है, जिससे इन्डस्ट्री बढ़ा करती है, आज उस ताकत के खिलाफ दुनिया हो रही है । आज मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह कौन से जरिये हैं जिनको इस्तेमाल करने से हमारे मुल्क की तरक्की हो सकती है । आज जिस मुल्क में टैक्स का रिवाज नहीं है वह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है और न आगे बढ़ ही सकता है । आज दुनिया में कोई शख्स टैक्स देने के लिये तैयार नहीं है । गवर्नमेंट टैक्स को उस वक्त जारी करती है जब वह बिल्कुल मजबूर हो जाया करती है । टैक्स दरअसल परेशान देह और जानकनी पैदा करने वाली चीज है लेकिन सरकार भी उसको मजबूर होकर ही लगाया करती है । मैं सदन के सामने एक बात यह रखना चाहता हूं कि आज सन् ४७ से फतेहपुर में बिजली लाने की बात चल रही है लेकिन अभी तक वहां पर बिजली नहीं आई है । मैं अपने लीडर आफ दि हाउस का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं । वहां पर हर फरदोबशर की जबान पर यह आवाज है कि बिजली आवे, बिजली आवे । इसी वजह से यहां पर कोई इन्डस्ट्री नहीं है । वहां के लोग अन्धेरे से उजाले में आना चाहते हैं । सरकार की नुक्ताचीनी होती है । रामतीर्थ ने कहा है---

"The myriad forces of India have now resulted in pressure being nullified by being pitched one against the other. What is the reason behind? Because each party concentrates on its own object and goes on harping and finding fault with its neighbour."

तो मैं अब अपोजीशन से यह इस्तदुआ करूंगा कि जिस वक्त इस इनर्जी से और इस एलेक्ट्रिसिटी की इन्क्रीज से हमारे हिन्दुस्तान को या हमारे देश या देश के टुकड़े अपने

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]
सूबे को फायदा पहुंचता हो तो जरा तामूल के साथ इसकी मुखालिफत हो। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स की ताईद करता हूं।

*श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरक बजट के सम्बन्ध में मैं चन्द बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह तो सच है कि चाहे कितनी ही समझ-बूझ से काम किया जाय, इस बात का तखमीना लगाना मुश्किल होता है कि पूरे साल के अन्दर कितना खर्चा होगा। लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बात का ध्यान अवश्य होना चाहिए कि सभी पूरक अनुदान कम से कम तादाद में पेश किये जा सकें। अब की बार मैंने देखा कि इस साल से आपकी प्रथा दूसरे ही रूप से शुरू हो रही है और वह यह है कि पहले हम देखते थे कि जैसे ही बजट पेश होता था उसके बाद साल भर मे एक पूरक बजट हमारे सामने आता था और अब की बार यह प्रथा है कि साल भर में दो-दो पूरक बजट हमारे सामने पेश होते हैं। मेरा तो ऐसा विचार है कि अगर इसी तरीके से हम कोशिश करते रहे तो हो सकता है कि हमारी प्रवृत्ति इस प्रकार की हो जाय कि साल भर के अन्दर दो-चार बार पूरक बजट हमारे सामने आये। इसका नतीजा यह होता है कि जब पहले बजट पेश होता है तब तो उसकी एक ही शक्ल होती है, लेकिन साल भर के बाद दो, तीन पूरक बजट जब सामने आते हैं तो कई चीजों के रूप में उसकी कई शकल हो जाती है। इसके साथ ही साथ, जो असली पिक्चर होती है उसका दूसरा ही रूप हमारे सामने पेश किया जाता है। मैं तो यह नहीं कहता हूं कि पूरक बजट आवश्यक नहीं है, लेकिन कोशिश जो होनी चाहिये वह यह कि जो नया तरीका आपने निकाला है वह न होना चाहिए। यह न होना चाहिए कि शुरू में बजट किसी तरह का पास कर दिया जाय और फिर दूसरे तरीकों से उसको दो, तीन बार यहां लाया जाय तो यह मुनासिब तरीका नहीं है।

हां, मुझे भी यह देख कर आश्चर्य हुआ कि जैसे मेरे भाई श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा कि जेलों के अनुदान में आपने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और अगर ध्यान से इसको पढ़ा जाय तो यह देखने में आता है कि हर लाइन में आपने यह बात लिखी हुई है कि जेल में कैदियों की संख्या बढ़ गयी है। शुरू में आपको अन्दाजा नहीं रहता है। आप कहते तो अच्छा हैं और जो रिपोर्ट हमारे सामने पेश की जाती हैं उनमें यह बात कही जाती है कि अपराध कम होते चले जा रहे हैं और यही असर सरकार बार बार हमारे ऊपर डालती है कि जो व्यवस्था हो रही है वह हमारे समाज के लिये अच्छी है, अपराध बहुत कम हो रहे हैं और रिपोर्टें पुकार-पुकार कर कहती हैं कि चोरी, डकैती, बदमाशी सब चीजें कम होती जाती हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि आपकी यह रिपोर्ट वास्तविकता को कभी छिपा नहीं सकती हैं। यह तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जबकि आप कहते हैं कि जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जब आप व्याख्यान देते हैं और हमारे सामने बात को रखते हैं तो उस समय यह आभास होता है कि सचमुच हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है। लेकिन वास्तव में बात यह है कि हमारी सरकार वास्तविकता से बहुत दूर रहना चाहती है। यह तो इस बात को स्पष्ट करता है कि आखिर जब अपराध बढ़ रहे होंगे तभी कैदी भी अधिक संख्या में जेलों में आते होंगे। आप जब कोई भाषण करते हैं तो सचमुच यह मालूम होता है कि हमारी सरकार अपराधों की संख्या में बहुत कमी कर ले गई है और हमारे समाज की हालत अच्छी होती चली जाती है, लेकिन जब आप यह रिपोर्ट पेश करते हैं कि जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो यह तो आप मानेंगे ही कि यह

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

आदमियों की ख्वाहिश नहीं होती है कि वह किसी तरह से जेल जाय। अध्यक्ष जी, मैं इसको और साफ तौर पर इसलिये कह रहा हूं कि कहीं लोगों को मेरे ऊपर शक न हो जाय, लेकिन वह ऐसी बात नहीं है। जब आपके कैदियों की संख्या बढ़ती चली जाती है तो आपको उसके कारणों पर भी विचार करना चाहिये और अगर आप इस पर विचार करेंगे, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे जैसा कि आप कहते हैं कि आज लोगों की हालत अच्छी है, समाज की हालत अच्छी है, वह दरअसल में अच्छी नहीं है।

मुझे जेल में अभी खुद कैदी की हैसियत से रहने का मौका मिला और जेल का अक्सर मुआयना भी करना पड़ता है, तो सचमुच में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ अब की दफा जबकि मैंने जेल का मुआयना किया। हमारे जेलों की आज क्या हालत हो गई है और मेरी तो यह ख्वाहिश है कि कभी जेल को विजिट करने के लिये सरकार के माननीय मंत्री जी खुद जायें और यह बात भी न हो कि वहां जायें और जल्दी ही लौट आयें। मैं तो कहता हूं कि आप दो–तीन घंटे जेल में रहिये और वहां कैदियों से बातचीत कीजिए तो आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि जेल में आज किस कदर कैदी भर दिये जाते हैं और साल साल भर कैदियों को हो जाते हैं और आप उनके टिकट देखिए तो उसमें पता चलेगा कि कितनी बार ही उनकी अदालत में पेशी हो चुकी है, मगर यदि आप उनसे खुद पूछिए कि कितनी बार तुम्हारी पेशी हुई है तो वे जवाब देते हैं कि उनकी पेशी एक बार भी नहीं हुई। वे जेल के बाहर एक दिन भी नहीं गए, मगर उनके टिकट पर यह लिखा हुआ है कितनी ही बार उनकी पेशी हुई है। मैंने जब यह बात उनसे पूछी तो उन्होंने बतलाया कि यह वहीं से लिख करके आ जाता है और उसमें फलां तारीख पड़ जाती है। आप उनसे पूछिए तो पता चलता है कि जेल में वे उसी तरह से बन्द कर दिये जाते हैं और अदालत में मुकद्दमा नहीं चलता है और उनको इस तरह से पड़े हुए ६ महीने और ९ महीने तक हो जाते हैं। यदि आप खुद जेल में जायें और उनसे बातचीत करें तो ये सब बातें जानकर आपको आश्चर्य होगा और उससे आपको पता लगेगा कि आपके जेलों का क्या इंतजाम आज है। यदि आप जेलखानों में जाकर इन सब बातों का पता लगायें तो मेरा ख्याल है कि शायद जेलों में जाने वाले की तादाद में कमी हो सकती है।

एक बात यह भी मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि २० हजार रुपया कम्बलों के लिये हैं। यदि मैं खुद भी जेल में न गया होता तो मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था और मैं माननीय मंत्री जी के इस कहने पर विश्वास नहीं करूंगा कि जेल में एक नया कम्बल दिया जा रहा है। मैंने तो खुद भी वहां कई कैदियों के कम्बल देखे हैं और जो मैंने देखा वह यह है कि पता नहीं उन कम्बलों को कितने सालों से नहीं बदला गया है और वे बिल्कुल चिथड़े हो गए हैं और जब उनसे यह बात पूछी तो उन्होंने बतलाया कि हुकूमत का आर्डर नहीं है कि उनको बदला जाय। आप भी किसी जमाने में जेलों में रहा करते थे और उस समय यदि जरा भी कम्बल खराब होता तो हम लोग किस कदर उस बात के लिये लड़ते थे। आज आप फिर उन इंसानों के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। कैदियों की जेलों में कपड़ों और कम्बलों की हालत बहुत खराब है वह ठीक होनी चाहिये और आपको इसे देखना चाहिये। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब उधर से सरकार की प्रशंसा होती है और वे लोग इस तरह से बजट पास करते हैं। मेरे पास कोई तरकीब नहीं है वर्ना मैं चाहता हूं कि आपको किसी तरह से जेल भेजा जाय। अगर मेरे पास कोई तरकीब होती और माननीय सदस्यों को अगर किसी वजह से जेलखाना जाना पड़ता तो, जो आंकड़े यहां पेश किये जाते हैं, उनको पता चल जाता कि कहां तक सही है और वहां की हालत कितनी खराब है। मेरा यह भी ख्याल है कि श्री प्रभु नारायण जी ने जो कहा कि जेल में कैदियों की तादाद बढ़ गई और उनके खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ गई, तो शायद माननीय मंत्री जी कहें कि क्या हमारे

[श्री राज राम शास्त्री]

राज्य में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए, बिना हमसे पूछे बढ़ गए और बिना गवर्नमेंट के आर्डर के दाम बढ़ गए। लेकिन किसी बिना पर इस बात को लिखा गया और हमारे सामने किताब में लिखा हुआ है कि भोजन की विभिन्न वस्तुओं के दाम बढ़ जाने की वजह से ऐसा हुआ और वैसा हुआ। अगर आप हिन्दी न समझते हों तो मैं अंग्रेजी में पढ़ कर के बताता हूं। "due to increase in food articles." इसके साफ माने हैं कि गल्ले की कीमत बढ़ गई इसलिये खर्चा बढ़ गया। हमेशा असली बात को छिपाया नहीं जा सकता, कभी न कभी वह सामने आ ही जाती है।

हां, एक चीज देख कर मुझे खुशी है, वह यह कि शिक्षा विभाग के अन्दर आपने महसूस किया कि जिला बोर्ड के अध्यापकों के लिये आपने किसी जमाने में प्राइमरी शिक्षा के बढ़ाने के लिये देहातों में बहुत से स्कूल खोल दिये थे, और अब उनका इंतजाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में दे दिया गया, तो उन अध्यापकों के लिये आपने यह प्राविजन किया कि उनको प्राविडेंट फंड दिया जाय। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट का ध्यान इस बात की तरफ गया कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापक हैं उन के लिये प्राविडेंट फंड की व्यवस्था की गई। यह ठीक हक है, अगर सरकार की समझ में कोई बात जल्दी न आये और थोड़े दिनों के बाद वह कोई उचित कार्य करे तो यह प्रशंसा की बात है और ठीक बात है। लेकिन इस मौके पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जितनी खुशी अध्यापकों को प्राविडेंट फंड के मिलने की होगी तो दूसरी ओर मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि आज तीन-चार महीने गुजर गये, प्राइमरी शिक्षा के अध्यापकों को, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और आपको मालूम है कि इसी वजह से करीब ६ सौ अध्यापक जेलखाने गए थे और प्रदेश में एक तूफान उठ गया था। लेकिन आश्चर्य की बात है, मैं दूसरी जगह की क्या कहूं, मैं अपने कानपुर के जिले की बात कहता हूं। आप वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देखिए और पता लगाइए कि कितने महीनों से उनको तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, तो यह अफसोस की बात मालूम होती है। जब हम एसी कोई बात बताते हैं तो यह कह दिया जाता है कि इससे यह राजनैतिक फायदा उठाते हैं। अगर हम यह कह दें कि बहुत से आदमी मर गये हैं तो यह कहा जाता है कि राज-नैतिक फायदा उठा रहे हैं, अगर हम यह कहें कि चार-चार महीने से तनख्वाहें नहीं मिलीं, तो भी कहा जाता है कि राजनैतिक फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिला बोर्ड के अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिलती है तो उनको तकलीफ होती है और वह परेशान हो जाते हैं और अगर वह कोई गड़बड़ कर दें तो आप कहते हैं कि बहकाने में आ गये हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई मुसीबत हैं और परेशानी हैं और उधर वाले इसे कहते नहीं हैं और जब इधर वाले उस ओर ध्यान दिलाते हैं, तो कम से कम उसकी उपेक्षा करना शोभा की बात नहीं है और मुनासिब नहीं है।

आज हमारा कहना यह है कि अगर आप ने कुछ दिन तक ध्यान न दिया तो इस तरह से असंतोष फैलेगा। जिस आदमी को तीन-चार महीने से तनख्वाह न मिल पाई हो उसके लिये अगर बजट में यह दिखला दें कि तुम्हारे लिये हमने प्राविडेंट फंड की योजना बना दी है तो उसे कोई बहुत खुशी नहीं मालूम होगी। अगर आप प्राविडेंट फंड के साथ असली तनख्वाह बांटने की व्यवस्था करें तो उसके साथ आपकी मेहरबानी होगी। इसके साथ बात लौट फेर कर फिर वही आ जाती है। जब कभी कहा गया कि बिजली पर जो आपने टैक्स लगाया है उससे सूबे में बड़ा असंतोष है, उस पर यह जवाब सुनने को मिलता है कि हम इनर्जी के खिलाफ हैं। पता नहीं इसका क्या मतलब हुआ। कहा गया देश को अन्धकार से प्रकाश की ओर सरकार लिये जा रही है और हम अगर कहते हैं कि बिजली पर टैक्स न लगाइए तो इसके

माने यह लगाये जाते हैं कि हम प्रकाश की ओर से अंधकार की ओर ले जाना चाहते हैं। यह अजब दलील है। यह तो सही बात है कि दुनिया की कोई भी सरकार बिना टैक्स के नहीं चल सकती है। हम बराबर आप से कहा करते हैं कि सारी दलील राजनीति की, अर्थशास्त्र की यहां पड़ जाती है कि टैक्स का बोझ कहां पर पड़ना चाहिये, किस पर पड़ना चाहिये। किसने आप से कहा है कि टैक्स न लगाइए। बहस इस बात पर चला करती है कि दौलत आपके सामने देश में रखी हुई है। आपको रुपया चाहिए, रुपया कहां मिल सकता है, तो कहा जाता है कि जहां रुपया है वहां से रुपया लीजिए, जहां रुपया नहीं है वहां से अगर आप उसकी खाल खींचेंगे तो कोई फायदा न होगा। यह दलील पैदा करें। हमको देश की तरक्की करना है, बिना टैक्स के कोई सरकार चला नहीं करती, इसलिये टैक्स लगाया जाता है। इसके माने यह हैं कि जो भी और जिस पर भी टैक्स सरकार लगा दे उसका आंख मूंद कर हम समर्थन करते चले जायें। क्योंकि बिना टैक्स के सरकार चलती नहीं है। हम यह कहते हैं कि टैक्स का बोझ मामूली घरों में रहने वालों या छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल करने वालों पर न हो।

श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि टैक्सेशन का क्या प्रश्न है "There is no question of taxation in the supplementary budget"।

श्री राजा राम शास्त्री--मैं सिर्फ इतनी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो नई ड्यूटी लगाई है उससे प्रान्त में बड़ा असंतोष है और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस असंतोष की तरफ अपना ध्यान दे क्योंकि आज भी अखबार में मैंने देखा कि सारे सूबे में ४, ५ घंटे तक अन्धकार रहेगा, लोग बिजली का इस्तेमाल बन्द रखेंगे, इसलिये इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर जनता में असंतोष बढ़ता है तो इन बातों की तरफ आपका ध्यान निश्चित रूप से जाना चाहिये। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस चीज पर बहस हो चुकी है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज जिस वक्त मैं इसमें दिए हुए जनस्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को पढ़ रहा था, इसमें कम्पेरिजन की लिस्ट दी गई है। मुकाबिला किया गया है, कुंभ के मेले में इंतजामात का। इसमें यह ब्योरा दिया गया है। अखबारों में भी मैंने पढ़ा, असेम्बली में भी भाषण सुना। उनमें यह दलील दी गई कि जितने यात्री अब की बार कुंभ में आए उतने यात्री इससे पहले कभी नहीं आये थे। अब की बार चूंकि एकाएक ५० लाख आ गए इसलिये इंतजाम में कुछ गड़बड़ी हो गई। हमारे सामने जो पुस्तक पेश की गई है, उसमें कहा गया है कि सन् १९४२ ई० में बारह लाख की भीड़ हुई थी और अर्ध कुंभ के मेले में ३० लाख की भीड़ हुई और सन् १९५४ ई० में जो मेला हुआ उसमें ५० लाख की भीड़ हुई।

आप देखिए कि १२ लाख की भीड़ का इंतजाम करने के लिये पुलिस के १,२६५ आदमी थे और ३० लाख का भीड़ का प्रबन्ध १,५०० पुलिस के लोगों ने किया। ५० लाख भीड़ का इंतजाम करने के लिये साढ़े तीन हजार पुलिस के लोग गए थे और इसके अलावा जनसेवक भी थे। स्वास्थ्य विभाग के ८ हजार कर्मचारी लगाये गए थे। एक बार माननीय शिक्षा मंत्री जी भाषण कर रहे थे तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि क्वान्टिटी बढ़ जाने से यह नहीं समझना चाहिये कि क्वालिटी अच्छी होगी। आप कर्मचारियों की तादाद बढ़ा दें और समझ लें कि इससे इंतजाम अच्छा होगा, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब ३० लाख भीड़ का इंतजाम १,५०० आदमियों ने किया तो ऐसी चीज सुनने में नहीं आई।

श्री कमलापति त्रिपाठी--किस कुम्भ की बात कर रहे हैं?

श्री राजा राम शास्त्री—सन् १९५४ की बात कर रहा हूं। सन् १९५४ में जब कुम्भ का मेला लगा तो उसके इंतजाम के लिये ३,४०० पुलिस के सिपाही थे। कर्मचारियों की तादाद बढ़ी और इसके साथ-साथ मैं आपका यह कहना कि कभी भी १० या १२ लाख से ज्यादा की भीड़ नहीं हुई, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले भी लोग आते रहे हैं और कर्मचारी भी आते रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट का पहले का तखमीना था, तो इस पर १५ लाख खर्च हो गया, लेकिन जो ४१ लाख पेश किया गया है उसमें २६ लाख की कमी है। रुपया भी काफी रहा है और दिल दिमाग भी दुरुस्त रहा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जो त्रुटि रही है उसकी अच्छी तरह से व्यवस्था होनी चाहिये और दूसरी सब चीजों की तरह इस पर भी अध्ययन होना चाहिये। मैं भी मानता हूं कि व्यक्ति विशेष पर संकेत करने से कुछ लाभ नहीं है लेकिन हम जिस तरह से और चीजों का वैज्ञानिक तौर से अध्ययन करते हैं उसी तौर से जहां लाखों जन-समुदाय इकट्ठा होता है, तो उसका भी अध्ययन होना चाहिये कि आखिर जब यह भीड़ इकट्ठी होती है तो उसकी मनोवृति कैसी होती है? अगर किसी वक्त भीड़ बिगड़ जाती है तो उसको कैसे काबू में लाया जा सकता है? अगर इसका अध्ययन किया जाय तो बहुत ही अच्छा है। मेरा विश्वास है अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि थोड़ी सी नातजुर्बेकारी के कारण नुकसान हो गया। लाखों की भीड़ जब पीछे से ढकेलती आ रही है और आगे कोई आउट लेट नहीं है तो पीछे धक्का बढ़ता चला जायेगा और एक दम प्रेसर बढ़ जायेगा, इससे बीच के आदमी कुचल जायेंगे। जहां हम हाथ में डंडा रखते हैं तो इसके साथ ही सोचने का भी ध्यान रखें, तो ऐसी बात नहीं हो सकती है।

मैं सिर्फ इतना ही इसलिये कहना चाहता हूं कि इन बातों की तरफ यह जो प्रवृति हमारे दिमागों में आई कि सारी घटना इसलिये हुई कि भगवान की मर्जी थी इसलिये ऐसा हो गया तो इसको मैं कुछ ज्यादा ठीक नहीं समझता हूं। आमतौर पर यह होता है कि अच्छे काम भगवान को सौंपे जाते हैं और बुरे काम खुद लिये जाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जितना अच्छा इंतजाम था वह सब सरकार ने लिये और जितनी मौते हुईं उसके लिये भगवान जिम्मेदार ठहरा दिया गया। हमारा विश्वास है कि अगर हम अपना अध्ययन ठीक कर लें, अच्छी व्यवस्था कर लें, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम भगवान की बात कह कर बच जायं। व्यवस्था में सुधार हो सकता है और उन्नति हो सकती है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस हमारे बीच में नहीं है। पुलिस हमारे बीच में है, हमारे ही समाज से है। उनमें कितने ही अशिक्षित हैं और कितने ही शिक्षित हैं। तो जहां हम पुलिस के इंतजाम की प्रशंसा करते हैं, वहां पर हमारा विश्वास है कि उसके अन्दर इस बात की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है कि किस मौके पर वह जनता के साथ कैसा व्यवहार करे। रोजमर्रा हमारा सार्वजनिक जीवन में जनता से ताल्लुक पड़ता है और पुलिस के व्यवहार को भी मैं देखता हूं। मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि जो उनकी मनोवृत्ति में सुधार होना चाहिये था वह नहीं हुआ। जरा सी कोई बात आई कि फौरन लाठी और गोली चलाई जाती है। जो चीज समझा कर हो सकती है उसके लिये लाठी की आवश्यकता नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जहां तक यह सब चीजें आती हैं वहां इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

आखिर में मैं यही कहूंगा कि आज मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि कास्ट आफ लिविंग कानपुर में बढ़ गई है। मेरा कहना है कि गवर्नमेंट को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिये कि क्या ऐसी बात की जाय जिससे कि कीमतें नीचे लाई जा सकें। जिस तरह हम बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं, उसी तरह से अगर गवर्नमेंट ताकत इस पर लगा दे कि कीमतें बढ़ने न पायेंगी, तो मैं समझता हूं कि कास्ट आफ लिविंग

कभी न बढ़ेगी। जब कास्ट आफ लिविंग बढ़ रही है, तो हमारा बजट भी बढ़ता जा रहा है। इसलिये मेरा कहना है और मेरा विश्वास है कि मूल चीज यह है कि वितरण ठीक किया जाय और चीजें सस्ती की जायं। अगर यह हुआ तो किसी को भी आपके बजट पर एतराज न होगा और फिर आप चाहे जो कुछ मांगिए।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेंटरी बजट हमारे सामने आया है उसको मैंने बहुत विचार से पढ़ा है। जिन मदों के लिये यह जो नया व्यय सरकार ने स्वीकार किया है उन सबको देखने से पता चलता है कि वह सभी अत्यावश्यक थे और उनकी जरूरत को सामने रखते हुए सरकार ने ज्यादा रुपयों को खर्च करना जरूरी समझा।

परन्तु एक चीज मेरे ध्यान में आई और मैंने यह देखा कि जितनी भी ग्रांट इसके अन्दर हैं, करीब करीब ५२ हैं, उनमें से अधिकांश में जो रुपया तखमीना हुआ है या जो व्यय हुआ है, अधिकतर जो उस मुहकमे को पहले ग्रान्ट मंजूर हुई थी, उसी में से उसकी पूर्ति हुई है। शायद ८० फीसदी ऐसी मदें हैं। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। जहां तक मैंने सोचा है और वह यह कि एक तो यह कि बजट बनाते समय हमने जो तखमीना किया वह तखमीना ओवर एस्टीमेटेड था। जहां दस हजार के खर्च की आशा थी उसका तखमीना हमने १२ हजार किया जिसका नतीजा यह हुआ कि वह काम दस हजार के अन्दर हो गया और दो हजार हमारे पास बच गया या दूसरा कारण यह हो सकता है कि हमने जो काम बजट के अन्दर करना तजबीज किया था, वह पूरा नहीं हो सका और उसका बचा हुआ रुपया हमने इन नये कामों में लगा दिया। कोई भी कारण हो, चाहे ओवर ऐस्टीमेट हो, बजट में चाहे जो काम हमने बजट के द्वारा करना निश्चित किया था, वह न पूरा हुआ हो, लेकिन यह दोनों ही चीजें, मैं समझता हूं कुछ अच्छी नहीं हैं और मेरी यह गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि इनमें से जो भी कारण हो, उसका अनुसंधान करे और उसके बाद जो अगला बजट आये उसमें इस बात का ध्यान रक्खा जाय कि उसके अन्दर ओवर एस्टीमेट न हो और जो भी काम उसके अन्दर रक्खे जायं उनको साल भर के अंदर पूरा किया जाय।

एक चीज मुझे और इस बजट के अन्दर स्ट्राइक हुई और उसको भी मैं सिद्धांत के रूप में ही चर्चा करूंगा। वह यह है कि गवर्नमेंट ने एक्सपेरीमेंटल तरीके से एक मशीन (Rex Recorder) खरीदी है जिससे कि स्टैनोग्राफर्स का काम लिया जायगा और उसके इस्तेमाल के बाद स्टैनोग्राफर्स की जरूरत नहीं रहेगी। एक्सपेरीमेंट के लिये अभी केवल एक ही मशीन खरीदी गयी है और उसके लिये कुछ ज्यादा रुपया भी नहीं मांगा गया है, सिर्फ २१ सौ रुपया है, जो ग्रान्ट नम्बर १२ में दिया हुआ है। इस मशीन के खरीदने का कारण यह बतलाया गया है कि स्टैनोग्राफर्स की कमी की जाय और यदि इन मशीनों का इस्तेमाल ठीक हो तो उन्हें काम में लाया जाय और जो काम स्टेनोग्राफर्स करते आये हैं अब तक वह उस मशीन द्वारा लिया जाय। मैं समझता हूं कि यह चीज उसूलन गलत है। आज जहां हमारे देश में अनइम्प्लायमेंट इतना बढ़ रहा है और रिट्रेंचमेंट होने जा रहा है वहां ऐसी मशीनों को प्रयोग करके और हजारों आदमियों को आजकल जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको एक तरह से अन-इम्प्लायड की लिस्ट में ले आना, मैं समझता हूं कुछ अच्छा नहीं है और यह विचार भी अच्छा नहीं है। मशीनें ऐसे काम के लिये तो फायदेमंद हो सकती हैं कि जहां लेबर को बचाना हो या जहां उनके इस्तेमाल से लेबर को कुछ सहूलियत मिल जाती हो, लेकिन मशीनों का इस तरह से इस्तेमाल करना कि जिसके कारण काम में लगे हुए लोगों को बेरोजगार हो जाना पड़े, उसूलन गलत है और कम से कम अपने देश के लिये जहां बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है और उसको दूर करने के लिये साधन हम रोज खोजते हैं, तथा नये-नये छोटे-छोटे उद्योग-धंधे बढ़ रहे हैं ताकि बेकार

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

आदमी सब काम करने लगें, वहां इस तरह से मशीनों का प्रयोग करना, मैं सिद्धांत रूप से गलत समझता हूं।

मेरे चन्द दोस्तों ने यहां पर बजट के संबंध में बहुत सी बातें ऐसी कही हैं जिनका कोई खास संबंध उन मदों से नहीं है जो इस वक्त यहां पेश है। उनके संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं पर तु दो-एक बातें ऐसी कही गई हैं जिनसे मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि शायद उन महोदय ने जो इस बजट के अन्दर लिखा हुआ है, उसको नहीं पढ़ा। कुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने सन् ४२ में जो पुलिस वहां लगी थी उसका मुकाबिला इस बार के कुंभ मेले की पुलिस से किया है लेकिन वह इसको भूल गये कि उस जमाने में कितनी भूमि के अन्दर वह मेला लगा था। जहां उस समय ८० एकड़ जमीन में मेला लगा वहां उस बार ३०० एकड़ भूमि में वह मेला लगा था और गंगा के दोनों तरफ लगा था तो पुलिस की तुलना करते समय उन्हें इस पर विचार कर लेना चाहिये था। केवल कटाक्ष के वास्ते ऐसी फीगर्स का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। कुंभ के मेले पर तीन दिन तक काफी बातचीत हो चुकी है और इस समय कोई बात उस पर कहना मैं समझता हूं सदन का समय फजूल नष्ट करना है।

श्रीमान् जी, आपकी आज्ञा से एक और बात की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह इंडस्ट्रीज से संबंधित है। मुझे प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट ने और इस बार काफी ध्यान दिया है और नई नई स्कीमें जारी करने के लिए हमारे सामने पूरक अनुदान रखा है। इस संबंध में केन्द्रीय गवर्नमेंट ने जो सेस मिलों के कपड़े पर लगाया है उसमें से ३७,७३,००० रुपया हमारी गवर्नमेंट को खर्च करने के लिये मिला है उसको खर्च करने के लिये जिस प्रकार से योजनायें बनाई गई हैं उनके संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं बिक्री की योजनायें, होल सेल्स, डिपोज, पब्लीसिटी, प्रोपोगेंडा वगैरह ५ बातों का उसके अन्दर तजकिरा है। मैं समझता हूं कि हैन्डलूम इंडस्ट्री को प्रगति देने के जो साधन हो सकते हैं उनमें मार्केटिंग का प्रबन्ध उनके लिये होना अत्यावश्यक है। उत्पादन की कठिनाइयां हैं परन्तु वह इतनी नहीं हैं और यदि बिक्री का प्रबन्ध ठीक हो तो और कठिनाइयां भी उनकी कुछ हलकी हो सकती हैं। बिक्री न होने का कारण एक तो मिलों की प्रतियोगिता है। मिल का कपड़ा सस्ता है, इस वास्ते हैन्डलूम के कपड़े को खरीदने को लोग तैयार नहीं होते, अतएव हैन्डलूम के कपड़े को सस्ता करने के उपाय सोचना आवश्यक है।

इसके लिये दो तरीके गवर्नमेंट ने निकाले हैं और वे ये हैं। एक तो यह कि जैसा खादी पर ३ आना रुपया रिबेट मिलता है उसी तरह हाथ करघे के माल पर भी ३ पैसे से लेकर ६ पैसे तक रिबेट कर देने की योजना बनाई गई है। लेकिन एक बड़ी कठिनाई इसके अन्दर यह पड़ेगी कि यह रिबेट किसके द्वारा दिया जाय। खादी के उत्पादन का जहां तक संबंध है वह तो एक संस्था द्वारा होता है जो उसका उत्पादन करती है और उसी के जरिये से उसका मार्केटिंग होता है। इसलिये खादी पर रिबेट मिल सकता है और इसका प्रबन्ध हो सकता है तथा हिसाब भी ठीक रखा जा सकता है। लेकिन जहां तक हैन्डलूम का संबंध है उसके अनेकों व्यापारी अनेकों जगहों पर हैं जो हैन्डलूम का कपड़ा बनवाते हैं और उसको बेचते हैं। यह मैनुफैक्चरर्स और डीलर्स प्रायः जुलाहों को सूत देकर कपड़ा बुनवाते हैं। इस तरह से हजारों डीलर्स हमारे यहां हैं, उनके लिये कोई तरीका समझ में नहीं आता जिस से उनको रिबेट दिया जा सकता है। लेकिन अगर उनको रिबेट नहीं दिया जायगा तो जो हमारी मंशा है कि हैन्डलूम का कपड़ा सस्ता हो तो वह पूरी नहीं हो सकती है। कोआपरेटिव सोसाइटीज उनके लिये जरूर बनाई जा सकती हैं। लेकिन जैसा स्वयं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर केवल एक लाख बुनकर हैं। इसके अलावा नई कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाने में काफी समय चाहिये। इसलिये गवर्नमेंट

के सामने इन डीलर्स के मुत्ताबिक में एक सुझाव रखना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार लाइसेंसिंग की प्रथा जारी कर दे। इस तरह से जो डीलर्स हैं उनको रिबेट दिया जा सकता है, वरना जो फायदा सरकार हैन्डलूम इंडस्ट्री को पहुंचाना चाहती है वह फायदा अनेक बुनकरों को मौजूदा स्कीम के अन्दर नहीं पहुंच सकता है। मैं समझता हूं कि जहां तक इस सबसीडी का ताल्लुक है इससे कुछ स्थायी फायदा नहीं होगा। यह तो सेलस के अन्दर रिबेट मिलेगा और वह रिबेट सदा के लिये नहीं मिल सकता। हैन्डलूम इंडस्ट्री तभी जिन्दा रह सकती है जब उसमें जो उत्पादन पर खर्चा होता है वह कम हो। इसका तरीका केवल यह हो सकता है कि जो सारा मैटिरियल इस्तेमाल होता है उसकी कीमत को कम करने की कोशिश की जाय और उसका तरीका यह है कि आज जो सूत मिलों से आता है उस सूत के मूल्य को कम करने का प्रबन्ध किया जाय; एक बन्डल पर यू० पी० में ट्रांजिट में औसतन १४ आना खर्च होता है वह इस योजना द्वारा अवश्य कम हो जायगा, परन्तु इससे कोई स्थायी लाभ इस उद्योग को नहीं पहुंच सकेगा। सरकारी योजना में यह इंतजाम किया गया है कि यार्न की कीमत को कम करने के लिये सब्सडाइज किया जाय, लेकिन बड़ी कठिनाई यह है कि मिलों के मुकाबिले में जो मिलें खुद सूत भी बनाती हैं और कपड़ा भी तैयार करती हैं उनको यह सुविधा होती है कि वे अच्छा से अच्छा सूत अपने यहां इस्तेमाल करते हैं और जो खराब सूत रह जाता है या जिसको उनके मिल में इस्तेमाल होने में कठिनाई होती है उसको वे मार्केट के अन्दर भेजते हैं। इसलिये हैन्डलूम को जो सूत मिलता है वह प्रायः उम्दा किस्म का सूत नहीं होता।

उसके लिये मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वह सूत के सेलस डिपो खोले और इस तरह का इन्तजाम करे कि हैन्डलूम वर्कर्स को सूत आसानी से मिल सके ताकि वह अपना काम आसानी से चला सकें। मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सरकार के काफी विस्तृत साधन हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक उससे हो सकेगा सरकार हैन्डलूम इन्डस्ट्री को तरक्की देने के लिये उपयुक्त साधनों को प्रयुक्त करने की पूरी कोशिश करेगी। सस्ते और अच्छे सूत की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेश में एक सूत की मिल बनाने का प्रबन्ध शीघ्र किया जाय जो केवल सूत बनावे कपड़ा नहीं। अध्यक्ष महोदय, सेल्स डिपोज खोलने के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं यह बात तो निहायत अच्छी है कि सरकार बिक्री का कुछ भार अपने ऊपर ले, परन्तु उसे ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे बीवर को अधिक से अधिक फायदा हो। रिपोर्ट में लिखा है :—

"However, in view of the limits prescribed by the Board, it is proposed to set up 75 depots in the first year at a total cost of Rs. 3 lakhs."

अर्थात् ७५ डिपो बनेंगे और हर डिपो पर चार हजार रुपया खर्च होगा। मेरी गुजारिश यह है कि इससे आप मार्केटिंग की हालत को सन्तोषजनक नहीं कर सकेंगे। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो हैन्डलूम के माल के बिक्री के ऊपर काफी रुपया खर्च करना पड़ेगा और इन छोटे २ डिपोज से काम नहीं चल सकेगा। एक बहुत बड़ा बिक्री केन्द्र बनाना चाहिए। उस पर रुपया तो जरूर लग जायगा, लेकिन उससे काफी फायदा भी होगा और यह पुराना उद्योग जीवित रह सकेगा। एक बात अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से और कहना चाहता हूं वह यह है कि हैन्डलूम इन्डस्ट्री की जिन्दगी रखने के लिये यह जरूरी है कि उसको मिल के मुकाबिले से बचाया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है कि जो कपड़े हैन्डलूम बनाये वह मिल न बनाये। इस अभिप्राय से मद्रास की सरकार ने गवर्नमेंट

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

आफ इंडिया के सामने एक स्कीम रखी थी कि मिल धोती और सारी न बनायें और वह माल केवल हैन्डलूम को बनाने की इजाजत दी जाय।

लेकिन इस प्रतिबन्ध से हमारे इस प्रदेश को अधिक फायदा नहीं पहुंचता है, क्योंकि हमारे यहां साड़ियां, धोतियां बहुत सी किस्म की पहनी जाती हैं और वे हैन्डलूम के अन्दर बहुत ही कम बनती हैं और ज्यादातर मिलों में बनती हैं। मैं तो यह समझता हूं कि यदि हमारी गवर्नमेंट मिलों के कम्पटीशन से हैंन्डलूम को बचाना चाहती है तो उसके लिये केवल एक तरीका है और वह यह है कि २५ काउन्ट से नीचे के सूत को मिलों के अन्दर न इस्तेमाल करने दिया जाय। हमारी सरकार को इस सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया से अनुरोध करना चाहिए। यह सुझाव पहले भी हमारी गवर्नमेंट के सामने आया है। जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी जिसके प्रेसीडेन्ट पं० जवाहर लाल जी थे, उस कमेटी ने भी यह तजवीज किया था कि हैन्डलूम की इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन देने का सिवाय इसके और कोई तरीका नहीं है कि एक लाइन आफ डिमारकेशन बना दी जाय और वह इस तरह से कि जिस किस्म का कपड़ा हैन्डलूम के अन्दर बनता है, उस किस्म का कपड़ा मिल वाले न बनावें और वह तभी हो सकता है जब यह तजवीज किया जाय या इस तरह का आदेश दिया जाय कि फलाने नम्बर तक का सूत केवल हैन्डलूम में काम आयेगा और मिल वाले उस सूत का प्रयोग न कर सकेंगे। हालांकि हैन्डलूम उस सूत को भी इस्तेमाल कर सकेंगी जिसको कि मिल वाले इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि इसके सिवा और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है जिससे कि हैन्डलूम इन्डस्ट्री को जीवित रखा जा सके। यह एक ऐसी इन्डस्ट्री है जिसमें हमारे प्रदेश में बहुत काफी तादाद में लोग लगे हुये हैं हमारे प्रदेश में हर जिले के अन्दर यह इन्डस्ट्री चलती है लेकिन आज उनकी हालत यह है कि मिलों की वजह से जो किम्पटीशन चलता है उससे अनेक करघे बेकार हो गये हैं और जो चलते हैं उनको भी इतना काम नहीं मिलता है कि जिससे वह ७-८ घंटे काम करके जीविका प्राप्त कर सकें। मैं अपने जिले की बात बतलाता हूं कि मेरे जिले में ऐसे गांव भी हैं जहां पांच-पांच सौ घर बुनकरों के हैं। मुझको पिछले महीने में वहां जाने का मौका मिला और मैंने वहां जाकर देखा कि उनमें से शायद २० या २५ प्रतिशत आदमी कुल ऐसे थे जिनके पास काम था। इसी तरीके से मैंने कम्बल की इन्डस्ट्री भी देखी। मेरे जिले में दो जगह ऐसी हैं जहां कम्बल की इन्डस्ट्री निहायत अच्छी चलती थी और उनमें से एक जगह का कम्बल तो निहायत ही मशहूर है। मैंने स्वयं वहां देखा कि जहां पहिले सैकड़ों आदमी कम्बल बुनने में लगे हुये रहते थे वहां अब कुछ पांच फैमिली ऐसी हैं जो कम्बल बुनने का काम करती हैं और बाकी लोग तो दूसरे कामों में या कपड़ा वगैरह बुनने के काम में लग गये हैं। इसलिये मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह हैंन्डलूम उद्योग को जिन्दा रखने के लिये मीलों के किम्पटीशन से उसको बचाने की कोशिश करे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे जिससे बुनकरों को प्रोत्साहन मिल सके। हमारे यहां हैन्डलूम बोर्ड हमारी गवर्नमेंट ने बना रखा है और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी बनाया है जिसके अन्दर नई स्कीमें सामने आती हैं, लेकिन अगर उन योजनाओं को आगे बढ़ाने में देर होगी तो उसका नतीजा यह होगा कि लाखों आदमी बेकार हो जायेंगे या दूसरे कामों में लग जायेंगे और जब आदमी एक काम से छूट जाता है तो फिर उस काम में वापिस लौटना मुश्किल हो जाता है। यह इतनी बड़ी तादाद जो कि आज इस काम में लगी हुई है अगर वह बेकार हो गयी तो इससे बहुत बड़ा नुकसान इस प्रदेश का हो सकता है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मुझे सिर्फ हैन्डलूम उद्योग के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना था और वह मैं निवेदन कर चुका हूं। इन शब्दों के साथ में इस पूरक अनुदान का समर्थन करता हूं।

चेयरमैन—अब कौंसिल दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १२ बज कर ५५ मिनट पर स्थगित हो गई और २ बज कर ५ मिनट पर डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, पूरक अनुदान के सम्बन्ध में मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा। ग्रान्ट संख्या ४१ जिसमें पिछड़े हुये और अनिश्चित जातियों, शेडूल एेन्ड बैकवर्ड क्लासेज के लिये, सात लाख रुपये का आयोजन किया गया है। यह आयोजन उन विद्यार्थियों के लिये है जोकि स्कूलों में, कालेजों में और विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाते हैं। वहां उन विद्यार्थियों को बिना फीस के शिक्षा दी जाती है। जो फीस वहां होती है उन विद्यार्थियों के लिये जोकि कालेजों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको सरकार पूरा करती है। मैंने जब इस अनुदान को देखा तो मुझे इसमें एक भूल मालूम हुई और उसको मैं आपके द्वारा सरकार को बतलाना चाहता हूं। इसमें उन विद्यार्थियों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है जो कि विशेष प्रकार के स्कूलों में या स्पेशल स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह वह स्कूल्स हैं जिनमें हैन्डीक्राफ्ट की शिक्षा दी जाती है या जहां माउन्टेसरी स्कूलों की शिक्षा प्राप्त होती है, तो उनके लिये कोई ग्रान्ट इसमें नहीं दी गयी है और इस तरह से जो विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं, वे इस सहायता से वंचित रह जाते हैं इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सरकार इनको भी किसी तरह से यह सुविधा पहुंचाये और इस बात का ध्यान रखे।

दूसरा अनुदान नं० ३० है जिसमें स्टैटिक्स क्लेक्शन के सम्बन्ध में २४ हजार रुपये का आयोजन किया गया है। इसमें अनुदान की डिटेल पढ़ने से पता लगता है कि यह अनुदान रजिस्ट्रेशन आफ डेथ्स एेन्ड बर्थ्स के आंकड़े एकत्रित करने के लिये रक्खे गये हैं। यह तो बहुत ही आवश्यक चीज है और इसके विषय में कोई दो राय नहीं हो सकती है। परन्तु इसके साथ ही साथ मेरा यह सुझाव है कि जहां पर डेथ्स एेन्ड बर्थ्स रजिस्ट्रेशन के स्टैटिक्स के रखने की जरूरत है उससे भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि अनएम्प्लाइड परसन्स की स्टैटिक्स भी रखी जाय और मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा अपनी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं ताकि भविष्य में शीघ्र से शीघ्र अनएम्प्लायमेंट की स्टैटिक्स भी सरकार रखे। बस मुझे यही दो सुझाव आपके सामने रखने थे।

श्री मान पाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरक बजट द्वारा जो अनुदानों की मांग आज हमारे सामने है, उसको मैं आवश्यक और उचित जानकर स्वागत करता हूं, लेकिन आपके द्वारा दो, तीन सुझाव मुझे रखने हैं। जरूरत ईजाद की मां है। जहां आदमियों की कमी है, वहां पर मशीनों को बना कर उनका प्रयोग इसलिये किया कि काम सहूलियत से चलता रहे। लेकिन हमारे यहां यह बिल्कुल उल्टी बात है। यहां मशीनों के अधिक होने से बेकारी बढ़ रही है अतः मैं इसके लिये सरकार का ध्यान ग्रान्ट नं० १२ की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें २१ सौ रुपया एक रेक्स रिकार्डर डिक्टेटिंग एन्ड ट्रान्स्क्राइबिंग मशीन के लिये रखा गया है। तो मेरा कहना यह है कि एक तरफ तो यह हम देख रहे हैं कि बेकारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ हम इतना रुपया मशीनों के ऊपर खर्च करते हैं जो कि बाहर विदेशों को चला जाता है और इस तरह से अपने यहां के लोगों को और भी बेकारी की ओर अग्रसर करते हैं तो क्या यह मुनासिब है? यदि नहीं, तो मेरा निवेदन यह है कि अगर हम इस तरह से मशीनों का प्रयोग यथाशक्ति न करें तो हम अपने यहां की बेकारी को दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि अगर वह ऐसा न करे अर्थात् स्टेनोग्राफर्स को न हटावे तो ज्यादा

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री मान पाल गुप्त]

अच्छा है। आज हर विभाग में मशीनों का प्रयोग बराबर बढ़ता चला जा रहा है, मैंने इसके सम्बन्ध में पहिले भी कहा था और आज फिर उसे दोहराना चाहता हूं।

इसके बाद हैन्डलूम इन्डस्ट्री के लिये सरकार ने काफी प्रबन्ध किया है जिसके लिये मैं माननीय वित्त मन्त्री जी तथा अपनी सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन जहां तक मिलों की बात है, हमारे माननीय सदस्य श्री ज्योति प्रसाद जी ने इस विषय में काफी कहा है पर मैं उसमें कुछ संशोधन करना चाहता हूं। माननीय श्री ज्योति प्रसाद जी का कहना है कि २० काउन्ट तक का सूत बुनकारों को मिले, इससे ऊपर का सूत मिल वालों के लिये दिया जावे, पर मेरी राय है कि बुनकारों को २५ काउन्ट तक का सूत तो जरूर ही मिले पर यदि वे इससे ऊंचे काउन्ट का बुनें तो उन्हें वह भी अवश्य मिल सके लेकिन मिल वालों को २५ से नीचे का सूत न मिले, यह बुनकरों के लिये सुरक्षित रहे। जैसे रेल में डिब्बे स्त्रियों के लिये रिजर्व होते हैं लेकिन वे पुरुषों के डिब्बे में भी बैठ सकती हैं। इसी तरह से परिगणित जातियों के लिये भी है। इस तरह से यह होवे। अर्थात् जो कारीगर बढ़िया सूत को बुन सके, उनको बढ़िया सूत मिल सके। यह मैं नहीं कहता कि मिलों के लिये अच्छा सूत न दिया जाय लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि गाढ़ों और करघों पर काम करने वालों को भी काफ़ी तादाद में व हर प्रकार का सूत मिले, तो हमारे देश की कारीगरी पनप सकती है। मैं अपने जिले की व कासगंज की बाबत कहता हूं। हमारे यहां १ हजार के करीब करघे हैं, वहां सूत नहीं मिलता जैसा कि मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी गोटा और बारीक दिया जाता है वह गलत तौर पर दिया जाता है। मेरा यह भी कहना है कि उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हीं की सूत की दूकानें हो जहां उनको सूत मिल सके और कपड़ा भी वे वहीं लाकर दे देवें जिसमें वे कपड़े के बुनने में काफी समय लगाकर बने और वे काफी तादाद में बना सकें। अगर इस प्रकार से यह काम किया जाय तो मेरा विचार है कि इससे अधिक लाभ होगा और ज्यादा आदमी काम में लग सकेंगे। अगर इस प्रकार से यह काम किया जाय तो मेरा विचार है कि इससे अधिक लाभ होगा और ज्यादा आदमी काम में लग सकेंगे। इसी प्रकार से आप हर गांव को देखें, जो बेचारी बेवा हो जाती थीं और पीस कूट-कर, अपना पेट पाल लेती थीं, उनको चक्कियों के मशीनों द्वारा चलने के कारण कोई धन्धा नहीं मिल रहा है और वे बेकार हो गयी हैं। इसी प्रकार से धुनने की व कातने की भी मशीन लगी हुई है, तो धुनने वालों, बुनकरों और कत्तियों का भी काम खत्म हो गया है और रूई धुनने वाला भी मुश्किल से मिलता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि अधिक प्रोत्साहन मशीन को न दिया जाय, क्योंकि हमारे देश में आदमियों की कमी नहीं है। हाल ही में आंध्र में एक हैन्डलूम बीवर्स कोआपरेटिव यार्न प्रोड्यूसिंग मिल खोली गयी है। यदि ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हो जाये तो बुनकरों को पर्याप्त मात्रा में और मन चाहा सूत मिल सकेगा, लाखों बुनकरों को रोटी मिल सकेगी और देश की भी उन्नति हो सकेगी। मेरी यह भी इच्छा है कि जहां पर ५,००० गांठें व करघे हैं, तो वहां सरकार एक कलेन्डर मशीन की सहायता कर दे तो कपड़े का फिनिश बढ़िया हो सकेगा। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं।

श्री वेणी प्रसाद टण्डन (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पूरक अनुदानों के सिलसिले में आपके द्वारा कुछ विशेष बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहिले मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि इस सप्लीमेंट्री ग्रान्ट के ४३ आईटम के रेवेन्यू ग्रान्ट में १५ आईटम जिसमें खर्च बढ़ रहा है, उनके लिये सिर्फ टोकेन भाग के तरीके से मांग की गयी है और यह बड़ी

प्रसन्नता की बात है कि १९५३-५४ के बजट की स्वीकृति के बाद कुछ बचत करने की ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है ।

बचत के तरीके से कुछ खर्च जिनके बारे में पहिले से कुछ मालूम नहीं रहता, पूरे किये जाते हैं । फिर भी हमारे सामने इस वर्ष में दो पूरक अनुदानों के लिये ९ करोड़ ४४ लाख रुपये का अनुदान आया है और उसमें खर्च विशेष कर कैपिटल एकाउन्ट और ऋणों का है, जो पंचवर्षीय योजना इत्यादि के सिलसिले में सरकार को करना पड़ रहा है। फिर भी इस समय जो अनुदान सदन के सामने हैं उसमें जो अतिरिक्त (विविध व्यय) अनुदान के नाम से १ करोड़ ५३ लाख ७८ हजार रुपये की मांग बतलाई गयी है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक करोड़ ५३ लाख में जो खास खर्च मांगा गया है वह जमीन्दारी उन्मूलन फन्ड के सिलसिले में है । इस वर्ष जब बजट में १० करोड़ ८० लाख रुपये की आमदनी बतलाई गयी थी और करीब आठ करोड़ ४३ हजार रुपये का खर्च अनुमान किया गया था, उसके खिलाफ सिर्फ ४ करोड़ १६ लाख रुपये का खर्च बतलाया जा रहा है । इस तरीके से ४ करोड़ रुपया अधिक बचत हो रही है और इस वर्ष के बजट में सिर्फ दो करोड़ ३७ लाख रुपये की बचत बतलाई गई थी । इसका मतलब यह हुआ कि करीब ७ करोड़ की आमदनी वृद्धि हुई । निश्चय यह हुआ था कि जैसा कि बजट में रखा गया था कि दो करोड़ पचहत्तर लाख रुपये की जो बचत होगी खर्च काटने के बाद, वह सब जमीन्दारी विनाश कोष में दे दी जायगी । जब ७ करोड़ रुपया बच रहा है तब सिर्फ तीन करोड़ ९५ लाख रुपया जमींदारी उन्मूलन फन्ड में देने का निश्चय किया गया है और सवा तीन करोड़ रुपया इर्रीगेशन तथा बिजली विकास फन्ड में देने के लिये कहा गया है । यह मेरी समझ में नहीं आता कि इर्रीगेशन फन्ड में इसको क्यों पूरा किया जा रहा है । इर्रीगेशन रेट्स जब बढ़ाये गये हैं और आमदनी जब अनुमान के मुताबिक नहीं हुई तो उसको जमींदारी उन्मूलन फन्ड से क्यों मिलाया जा रहा है । चाहिए यह था मेरी सम्मति में कि इस कुल ७ करोड़ रुपये को जमींदारी उन्मूलन फन्ड में दे दिया जाता और जिन जमींदारों को बहुत कम मुआविजा दिया गया है उनको पूरा मुआविजा देकर गवर्नमेंट जितनी जिम्मेदारी हलकी कर सके उतनी करे ।

दूसरी अनुदान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ग्रान्ट की है जो बीस लाख रुपये की है । यह आपको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों की मांग ने पारसाल किस तरह से एक आन्दोलन का रूप ले लिया था । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पाठशालाओं की इमारतों की जो हालत है वह सबको मालूम है । मेरा विचार है कि प्राइमरी एजूकेशन को चालू रखने के लिये सहायता गवर्नमेंट दे रही है, उस खर्च की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने ऊपर ले लेती । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुये जो नया भार वेतन खर्च का उनके ऊपर लादा गया है, उसे वह उठा नहीं सकते । नए-नए टैक्सों, पंचायत टैक्स इत्यादि के कारण भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आय का विभाजन हो रहा है । डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिये शिक्षा का खर्च बोर्डों पर बहुत भार हो रहा है । मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार करे और प्राइमरी एजूकेशन जो कि जिले में दी जा रही है जिसकी जिम्मेदारी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर रखी है उसको पूरी अपने ऊपर ले ले ।

अखबारों के जरिये से मालूम हुआ है कि कुछ स्कूलों की पुस्तकों के प्रकाशन का काम सरकार अपने हाथ में ले रही है । क्या यह काम अच्छा है, या शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी को सरकार अपने ऊपर ले ले इन दोनों कामों में कौन सा काम अधिक अच्छा है ?

[श्री वेणी प्रसाद टंडन]

उद्योग के सिलसिले में भी मुझे दो शब्द कहने हैं। जैसा कि बाबू ज्योति प्रसाद जी ने सुबह अपने वक्तव्य में बहुत से सुझाव रखे हैं, वे विचारणीय हैं। हमारे कुटीर उद्योगों की स्थिति बहुत शोचनीय है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे कुटीर उद्योग बढ़ रहे हैं। मगर असलियत यह है कि कोई विशेष तरक्की नहीं हो रही है।

इस सिलसिले में आप उद्योग अनुदान में देखेंगे कि मऊ में एक फिनिशिंग मशीन लगाने के लिये ३७ हजार १५८ रुपया मांगा गया है। शायद पारसाल भी सप्लीमेंट्री बजट के वक्त इसी किस्म की मांग आयी थी और स्वीकृति दी गयी। हमें मालूम होता है कि आज तक इसका काम पूरा नहीं हुआ। काटेज इण्डस्ट्री जो मऊ में है सरकार उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ चला रही है, लेकिन अभी तक मालूम होता है उसका इक्विपमेंट पूरी तौर से नहीं हो सका है। फिनिशिंग का काम अवश्य ऐसा है जिसके कारण हमारी काटेज इण्डस्ट्री सबसे ज्यादा नुकसान उठाती है। हमारी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं होती है और इसके कारण खरीदार उसको नहीं लेना चाहते इस काटेज इण्डस्ट्री के लिये २० हजार या २४ हजार की नई मांग हर साल आ जाती है। इससे मालूम होता है कि वहां इण्डस्ट्री मशीनों की कमी होने के कारण पूरी तौर से चालू नहीं हो सकी। इसका मतलब यह होता है कि हमारा प्रयास इस सिलसिले में जो होता है, वह इस कदर टुकड़े टुकड़े में होता है कि जिसकी वजह से हमारे उद्योग-धंधे में तरक्की होना कभी-कभी नामुमकिन हो जाता है और नुकसान भी होता है। अकसर इण्डस्ट्रीज में होता यह है कि पैसा फौरन चाहिए वरना वह नुकसान उठाती है। हमारे यहां बजट का सिस्टम है। क्या सरकार कोई तब्दीली करना सोच रही है? अगर नहीं सोच रही है तो मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। जब इण्डस्ट्री सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है तो इण्डस्ट्री के लिये कुछ पैसा बजट सिस्टम के अलावा इस तरह से रहना चाहिए, मैनेजर के हाथ में कि वह आवश्यकता पड़ने पर अपने मर्जी से खर्च कर सके ताकि जो जरूरत हो उसको फौरन पूरा किया जा सके। हैंडलूम करघा उद्योग के लिये जो ३७ लाख या ३६ लाख रुपया सहायता देने को है इससे हमारा काम पूरा नहीं हो जायेगा। मेरे ख्याल से यह काम इतने रुपये से पूरा होने वाला नहीं है। समय कम है इसलिये मैं विस्तार में नहीं कहूंगा। एक और विषय है यानी माघ मेले के सिलसिले में मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। दुर्घटना का जिक्र मैं नहीं करता हूं। जो होना था इत्तफाक से हो गया। मुझे मालूम हुआ है कि हमारे पुलिस के कुछ कान्स्टेबिल जो वहां भेजे गये उनको भत्ता भी नहीं दिया गया। उनके भत्ते को बचाने के लिये कोई न कोई रास्ता निकाला गया। इसके लिये उनका टेम्पोरेरी ट्रान्सफर करके उनको इलाहाबाद भेजा गया। जबकि हम माघ मेले का पूरक अनुदान करीब १२ लाख रुपया दे रहे हैं, उन गरीब पुलिस वालों को जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, उनका ६ आना भत्ता क्यों बचाने के लिये कोशिश की गयी।

श्री कुंवर गुरु नारायण—वे इसके मुस्तहक नहीं हैं।

श्री वेणी प्रसाद टण्डन—मैं ऐसा नहीं कहता। उन बेचारे सिपाहियों को ६ आना रोज का भत्ता मिलता है, इस ओर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की बचत से नौकर असन्तुष्ट होते हैं। इस सिलसिले में एक दूसरी बात और यह है कि वालन्टियर आर्गेनाईजेशन यानी स्वयं सेवक संगठनों के अनुदान देने के लिये २० हजार रुपया दिलाया गया है। अब मेला खत्म हो रहा है, लेकिन किसी वालण्टियर अर्गेनाईजेशन को एक पैसा अभी तक नहीं मिला है।

और इसका नतीजा यह हुआ कि जितनी संस्थायें वहां काम कर रही थीं उन लोगों को पब्लिक सब्सक्रिप्शन यानी चन्दा के ऊपर जो कुछ सहायता मिल सकी उनकी उतनी ही लिमिटेड रिसोर्सेज के अन्दर काम करना पड़ा। कुम्भ के अवसर पर तमाम संगठनों से मुझे मालूम है कि करीब २० हजार वालेन्टियर्स मांगे गये थे जिसके लिये यहां अनुदान सिर्फ २० हजार रुपये का रखा गया लेकिन भत्ते को अगर देखिए तो सब विभागों के अधिकारियों और कर्मचारी के वास्ते ३ १/२ लाख रुपया है। इतनी छोटी सी रकम उन संस्थाओं के लिए जो स्वयं सेवकों के रूप में सेवा करने गयी और वह भी आज तक उनको नहीं दी गयी तो इससे क्या मालूम होता है। अधिकारियों से जब यह बात कही गयी तो उत्तर मिला कि मेला खत्म होने के बाद जिसका जैसा काम होगा उसको वैसा दिया जायगा, यह बहाना बतलाया गया। मैं इसको बहाना कहता हूं। उसका नतीजा यह हुआ कि सब संस्थाओं को बड़ी निराशा हुई। मुझे मालूम है कि पिछले कुम्भ में कुछ प्रमुख सार्वजनिक संस्थाओं को १० हजार रुपया तक सहायता मिली थी। मेरा कहना है कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और इन सार्वजनिक संस्थाओं को सहायता देने में जरा दरिया दिली से काम लेना चाहिए था। अगर इनको जिन्दा रखना है तो सरकार को जरा लिबरल तरीके से अनुदान देना चाहिए।

अब मैं एक बात अपने वित्त मन्त्री से, जो पावर के भी मिनिस्टर हैं उनके डिपार्टमेंट के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत यानी कैपिटल आउट-लेट में इस्टर्न एरिया पावर प्राजेक्ट पूर्वीय क्षेत्रीय विद्युत शक्ति के लिये ५६ लाख रुपया पूरक अनुदान के रूप में मांगा गया है। मेमोरेन्डम के पढ़ने से मालूम हुआ है कि १९५२ में साढ़े चार करोड़ का इस्टीमेट था और आज वह ६ करोड़ ७७ लाख तक पहुंच गया है और यह कहा जाता है कि ६० लाख रुपया इस वर्ष में चाहिए और बाकी रुपया अगले वर्ष के बजट में मांगेंगे। मेरा कहना है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स जिनका कि बजट साढ़े चार करोड़ से बढ़ कर सात करोड़ तक पहुंच जाय इसका क्या कारण है? कहा गया है कि ट्रान्समीशन लाईन का खर्च नहीं जोड़ा गया था इसलिये यह गलती हो गयी। तो इसलिये हमको भी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना पड़ता है और सरकारी अहलकारों पर भी टिप्पणियां होती हैं। सीतापुर बिजली कम्पनी को गवर्नमेंट ने एक्वायर करने के लिए साढ़े तीन लाख रुपये का अनुदान मांगा है जो उचित मालूम होता है। एक और कम्पनी का मामला १५ वर्ष से पड़ा हुआ है। उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में मैं अलग बातें करूंगा। मेरा कहना यह है कि १२, १२ या १५, १५ वर्ष तक इस तरह के मामले पड़े रहना कहां तक ठीक है। जिस कम्पनी को एक्वायर करने का विचार हो उसको फौरन एक्वायर कर लिया जाय और यदि नहीं करना रहता है तो वैसे काम करने से नोटिस देकर असन्तोष क्यों जनता में पैदा करने का अवसर दिया जाता है।

*श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस डिबेट में ज्यादा दिलचस्पी लेने का नहीं था और इसकी वजह एक यह भी है कि मैं यह समझता हूं कि रोजाना उन्हीं सब बातों को दोहराना कोई ज्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन जब सरकार के खिलाफ कोई बात कहने का मौका होता है तो उसमें उन्हीं बातों पर ज्यादा जोर दिया जाता है जिनके बारे में इधर के लोग ज्यादा महसूस करते हैं। मामूली तरीके से किसी सरकार के लिये यह अच्छी बात नहीं है कि वह कई दफा सप्लीमेंट्री बजट पेश करें। इससे इस बात का पता चलता है कि उसका बजट जो वह बनाते हैं या तो वह पूरा नहीं उतरता है या जिन खर्चों के बारे में उनका कोई ख्याल नहीं था वह उनको करने पड़ते हैं

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]

और इससे यह पता चलता है उनका ग्रिप मजबूत नहीं है, काम का नहीं है। लेकिन फिर भी जो रुपया मांगा गया है उसमें से कितनी ही ऐसी मदें हैं कि जिनको मन्जूर होने में किसी को गुरेज न होना चाहिए जैसे कि बैकवर्ड क्लासेज की मदद के लिये, मेडिसिन के लिये या इर्रीगेशन के लिये। यह ऐसे खर्चे हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये आम लोगों के फायदे के लिये खर्च किया जा रहा है। मुझे इसमें कोई एतराज न होता कि अगर आप कुछ और रुपया मांगते उन एक्टिविटीज के लिये जिनसे कुछ और ज्यादा फायदा हो सकता था।

मुझे इन्तहाई खुशी होती कि अगर सरकार कुछ रुपया कल्चरल एक्टीविटीज के लिये मांगती। सूबे की तरक्की सिर्फ नहरें बनाने, सड़कें बनाने या बड़े-बड़े प्रोजेक्ट तैयार कर लेने से ही नहीं होती है, इससे ज्यादा होती है कि वह स्टेट कैसे आदमी पैदा करती है और अच्छे आदमी पैदा करने के लिये सूबे की कल्चरल एक्टीविटीज को बढ़ाना लाजिमी है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने इन एक्टीविटीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है, इसीलिये इंगलिस्तान के बड़े संकट के जमाने में सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा था कि कल्चरल एक्टीविटीज के खर्च के लिये हम एक करोड़ स्टर्लिंग जरूर खर्च करेंगे, क्योंकि वह, उससे क्या लाभ हैं, यह जानते थे। मुझे अफसोस है कि हमारे सब सप्लीमेंट्री बजट में इस तरह की कोई नयी मांग नहीं की गयी है। अगर काश होती तो मैं लीडर आफ दि हाउस को यकीन दिलाता हूं कि इस मोहल्ले कुफ्रान से उनको उस सिलसिले में मदद ही मिलती और हम उनकी उस मांग को बड़ी खुशी से स्वीकार करते। आज इस सूबे के अन्दर जो लोग कल्चरल एक्टीविटीज को बढ़ाते हैं जैसे आर्टिस्ट, चित्रकार, कवि, लेखक सब तबाही की तरफ जा रहे हैं और मैं इशारतन कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज की गयी कि जिसमें इन लोगों को कोई प्रोत्साहन मिले तो इससे सूबे की एखलाकी जिन्दगी और सांस्कृतिक जिन्दगी को बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं यह इशारतन इसलिये कह रहा हूं कि जब मैं इस बजट में देखता हूं कि इसमें इन्टेक्चुअल, मारेल और मैटीरियल चीजों का जिक्र तो होता है, लेकिन कल्चरल एक्टीविटीज की तरफ सरकार का कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। साथ ही इस बजट को पढ़ने से मुझे एक-दो बातों पर ताज्जुब भी हुआ और वह इसलिये कि सरकार को जब पैसा मांगना होता है तो हकीकत की बात उसके मुंह से निकल जाती है, जैसे इसमें लिखा है कि जेल में कैदियों के बढ़ने की वजह से, अनाज की कीमत बढ़ जाने की वजह से, याने इस बात को तसलीम किया है कि जेल में कैदी बढ़ गये हैं और कैदी जभी बढ़ते हैं जबकि क्राइम बढ़ता है। अगर कहा जाता है कि क्राइम बढ़ रहे हैं तो जवाब दिया जाता है कि नहीं साहब, क्राइम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जब पैसा मांगना होता है तो हकीकत निकल ही जाती है। खैर, मुझे खुशी है कि सही बात निकली तो, चाहे किसी बहाने से निकली हो। तो जो जनरल कन्डीशन्स हैं वह कहीं न कहीं सारे बजट को देखने से मिल ही जाती है।

मैं आज ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि, मेरा इरादा बजट के सिलसिले में काफी कहने का है और वह उसी समय पर कहूंगा, इसलिये कि लीडर आफ दि हाउस के कहने के मुताबिक ठीक मौके पर, ठीक वक्त पर, ठीक बात कहना ठीक होता है, वह भी हो जायेगा। अब मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ इतना कहना जरूर चाहूंगा कि जितना रुपया खर्च किया जा चुका है, उसके मुताल्लिक अब मैं क्या कहूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां तक एक्स्प्लेनेशन देने का ताल्लुक है, यह सरकार उसके देने में काफी माहिर है और वह देती ही रहती है। लेकिन जो खर्चा आपने कम लिया है मैं उन मांगों के सिलसिले में भी आपके साथ हूं। कुछ बातें सदन में कही गयी हैं, मैं समझता हूं कि उनकी तरफ सरकार को तवज्जह के साथ सोचना चाहिए।

एक मसला काटेज इण्डस्ट्रीज का है । आज काटेज इन्डस्ट्रीज का मसला बहुत बड़ा मसला बन गया है । काटेज इण्डस्ट्रीज को कांग्रेस और खास कर महात्मा गांधी के साथ बहुत वाबस्ता रहा है । दूसरे लोगों ने भी काटेज इन्डस्ट्रीज को अपनी इन्डस्ट्रीज का एक जुज बनाया है । मैं समझता हूं कि हमारी पालिसी काटेज इन्डस्ट्रीज की तरफ से बहुत ढीली हो रही है । कहना कुछ होता है और अमल कुछ और ही होता है जिसका नतीजा आज यह हम देख रहे हैं कि काटेज इन्डस्ट्रीज एक के बाद एक जाया होती चली जा रही है । हमने यह भी महसूस किया है कि लड़कों से छोटी-छोटी काटेज खोलाये गये, लेकिन उन लड़कों ने आज ९९ फीसदी लड़के वक्त पर किस्तें तक नहीं दे पा रहे हैं । वजह यह है कि जब तक बाजार में इयर मार्क न होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है और उनका सामान नहीं बिक सकता है कि वह सरकार का रुपया किस्तों में अदा कर सकें । इसलिये काटेज इन्डस्ट्रीज को तरक्की देने के लिये, उसका माल खरीदने के लिये, पब्लिक में देश प्रेम की भावना पैदा करना होगा । यह बहुत गम्भीरता से सोचने का सवाल है । काटेज इण्डस्ट्रीज से मुल्क की बेरोजगारी बहुत हद तक दूर की जा सकेगी । कुछ बातें इस सदन में कही जाती हैं जिनमें कुछ गलतफहमी पैदा हो जाती है । कल की स्पीच लीडर आफ दि हाउस की सुनकर जुर्रत नहीं होती है कि कुछ कहूं इसलिये कि उनकी नजर में इस मोहल्ले कुफ्रान से सदाकत की बात कभी नहीं आ सकती । लेकिन चूंकि कल उन्हें एक सदाकत की बात मिली तो उस पर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ । मैं उस कमजोर दिमाग की क्या तारीफ करूं कि जिसे कुछ महसूस ही नहीं होता है । मैं समझता हूं कि जो वाजिब चीज होती है वह हमेशा हुजूर के सामने रखी जाती है, आप उसे सुनें या न सुनें । एक चीज कही जाती है तो उसकी बड़ी शेप होती है और लीडर आफ दि हाउस उसे एक ताज्जुब की बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि आप सुनें या न सुनें, सुनने के लिए तो यहां से बाहर बहुत से लोग हैं, जो सुनते रहते हैं। मैं फिर आप से कहता हूं कि मैं उन तमाम अच्छी बातों का जो आपकी ओर से पेश होंगी, स्वागत हमेशा करूंगा और मदद करूंगा और जो अच्छी नहीं होती हैं उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है और हमेशा की जायेगी ।

*श्री अब्दुल शकूर नजमी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मुझे आपकी इजाजत से पूरक अनुदानों के मुताल्लिक यह कहना है कि हमें उसूली और बुनियादी तौर पर यह देखना चाहिये कि इन अनुदानों की जरूरत है नहीं, आया जो खर्च किया जा चुका है, वह ठीक तौर पर खर्च हुआ है या नहीं, जिनकी मांग की गयी है उनसे वक्त की जरूरत को पूरा किया गया है या नहीं। अगर यह बात अपनी जगह पर सही है कि जो मुतालबात सर्फ हो चुके हैं वह अपनी जगह पर सही हैं तो बात साफ हो जाती है कि वह एखराजात मुनासिब हैं और जो मांग आइन्दा के लिये की गयी है वह भी अपनी जगह पर जरूरी तौर पर मुनासिब है। इसलिए इस बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं। कि इसमें छोटी-छोटी बातें हैं। अगर आप देखें तो करीब ढाई तीन लाख रुपया सोशल काम के लिय रखा गया है। लेकिन इसके बारे में नहीं कहा गया है कि यह अच्छा काम है या बुरा है।

तीसरी चीज यह है कि अनुदान संख्या ४३ में ५२,८३,७०० रुपए की रकम रखी गयी है जिसमें इशारा किया गया है कि इतनी नहरें, पुल, पुलियां और इतनी सड़कें बननी हैं। हो सकता है कि लोगों को इन चीजों की अहमियत न हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन चीजों को निकाल दिया जाय जोकि खेती के काम को बढ़ाते हैं, तो फिर जैसा मैंने कल कहा था कि पिछली बड़ी लड़ाई से पहले दो लाख टन चावल वर्मा से मंगाना पड़ा था और इसी तरह से सन् ५१--५२ तक कितना टन गेहूं, चावल और चना हमें बाहर से मंगाना पड़ा, लेकिन सन् ५३ से मंगाने के बजाय हमारे

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री अब्दुल शकूर नजमी]

सूबे ने खुद बाहर गल्ला भेजना शुरू कर दिया। यह कैसे हुआ? अगर आप इस चीज को कहें कि खेती बाड़ी के कोई माने नहीं हैं और शिक्षा के माने नहीं हैं तो जिसको आप एक वेलफेयर स्टेट कहते हैं, वह एक जंगल हो सकता है या हिमालय पहाड़ हो सकता है। जो अनुदान पेश किये गए हैं वे अपनी जगह पर सही हैं।

कुम्भ मेले के बारे में बहुत कहा जा चुका है और उसके लिए एक कमेटी भी बन चुकी है जिसके चेयरमैन हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जज हैं। लेकिन यह बात बारबार यहां कही जाती है कि पुलिस पर वहां बहुत ज्यादा खर्च किया गया है। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि वहां पर ८० एकड़ जमीन जो पानी के अन्दर डूब गयी थी, उसको ठीक करने में काफी खर्च हुआ है। फिर झूंसी का इलाका ठीक किया गया। लेकिन यहां पर तो केवल पोलिटिकल स्टन्ट से बात की जा रही है। यह सिर्फ पोलिटिकल स्टन्ट ही हो सकता है। जो अच्छा काम किया गया है वह नहीं कहा जा रहा है। जो वहां पर आने-जाने के मार्ग इत्यादि बनाये थे उनको बैक ग्राउन्ड में डालकर उस चीज को जानबूझ कर स्टन्ट के तौर पर कहा जा रहा है। वहां पर नुकसान जरूर हुआ है और सभी को उससे हमदर्दी है। जिसकी भूल से यह हुआ है, उसके लिये कमेटी बनी हुई है।

जेल का जो अनुदान यहां पर रखा गया है उसके बारे में भी यहां पर काफी कहा गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल कैदी बढ़ने की वजह से यह खर्चा नहीं बढ़ा है बल्कि ३ लाख के करीब रुपए से वहां पर कैदियों के लिये कम्बल और बर्तन इत्यादि खरीदे गए, क्योंकि पुराना सामान खराब हो गया था। लेकिन यह जिम्मेदारी डाली गयी कि चूंकि क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इसलिये यह खर्चा बढ़ा है। बहरहाल मैं अर्ज करूंगा कि जो अनुदान रखे गए हैं वे अच्छे हैं, इसलिये वे मंजूर होने चाहिए।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, इन सप्लीमेंटरी की बाबत जो सुबह से कहा गया है उनमें कुछ बातें ऐसी थीं जिनका ताल्लुक एक बजट से हो सकता है, लेकिन खास सप्लीमेंटरी से नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने पिछली दफा भी जब सप्लीमेंटरी पेश हुए थे, उस वक्त भी, अपनी आखिर गुजारिश में यह अर्ज कर दिया था कि मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। जिनका ताल्लुक इस सप्लीमेंटरी से है जो कि आज हाउस के सामने हैं उनकी निस्बत कुछ बातें ऐसी कही गयी हैं तो मैं उनके बारे में भी इस वक्त तामुल करता हूं, क्योंकि अगला बजट चन्द रोज में पेश होने वाला है।

यह बात मैं अपने तजुर्बे पर कह सकता हूं, लेकिन रसमन मैं यह नहीं कह सकता हूं कि जो बजट सामने आने वाला है उसमें क्या है और क्या नहीं है?

यहां पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भी जिक्र किया गया। कुछ मेम्बरान ने यह फरमाया कि इसका बोझ मिडिल क्लास पर पड़ रहा है और वह इतना ज्यादा है कि वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह एक आवाज पब्लिक की जानिब से भी उठी है।

(इस समय २ बज कर ४८ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

यह बात सही है कि उस टैक्स का भार उन लोगों पर पड़ता है जो लोग अपने घरेलू काम के लिये बिजली को खर्च करते हैं, इंडस्ट्रीज पर अगर उसका कोई भार पड़ता है तो वह कन्ज्यूमर पर ही पड़ता है। इस वक्त में यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें कहां तक कटौती हो सकती है, इस बात की इसमें कहां तक गुंजाइश है।

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जिन साहब ने यह फरमाया है, उनकी खिदमात में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं हालांकि मैं इस बहस में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि मान लीजिए कि अगर वह उन पर न डाला जाय तो वह रुपया, जो उससे स्टेट को मिलता है किसी और जरिये से मिले, यह सब बातें हम और आप मिल कर तय कर लें। यह बात उनके और मेरे दरमियान तय हो जाय कि स्टेट को उतना रुपया दूसरे तरीके से दिलवा देंगे तो मुझे किसी बात में कोई एतराज नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि हम उसको उठा दें और कोई दूसरी जगह ऐसी तजवीज कर लें कि उतना रुपया स्टेट को खर्च के लिये मिल जायेगा। अगर यह बात हो तो जिस वक्त खर्चे का सवाल हमारे सामने आये तो मेरे दोस्त और हरएक मेम्बर यह कहें कि यह खर्चा जरूरी था, यह जरूर होना चाहिये। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। जिस वक्त स्टेट को रुपये की जरूरत हो, तो उस वक्त मैं आपकी इमदाद चाहता हूं।

जिस मुहकमे का जो जो खर्चा है, जो जो मुहकमे हैं और उनकी जो जो जरूरतें हैं उन सब पर बहस सुन ली जाये और जितनी मुस्तकिल तौर से रिकार्डेड बहसें है, उन सब को निकाल कर देख लिया जाय यह तो है ख्याल की बात । अब अगर दूसरे ख्याल से देखा जाय तो स्टेट को डेवलप भी करना है और उसके लिये मुख्तलिफ किस्म के खर्चे करना है और जो खर्चा हम कर रहे हैं उनको कम बतलाया जाता है कि तुमने कम चीजें हाथ में ले रक्खी हैं और जो खर्चा है उसको साल ब साल बढ़ाया जाय ताकि स्टेट में तरक्की होती रहे तो फिर मेरे और कुंवर साहब के दरमियान इस बात का फैसला हो जाय कि इस मामले में क्या हो? मैंने यह बात किसी दलील के लिहाज से या बहस को दिलचस्प बनाने के ख्याल से या मजाक के लिहाज से अर्ज नही की है, बल्कि में सीरियसली इसको अर्ज कर रहा हूं। हमें इस बात की जरूरत है आखिर किया क्या जाय जिससे कि स्टेट की तरक्की हो और डेवलप भी करना है, स्कीमें जरूर बनानी हैं और उसके लिये खर्चा भी करना है और उसकी तरक्की भी हो, तो मैं समझता हूं कि मेरे नजदीक इस खर्च को घटाना, इसको न करना और उन जरूरतों को हाथ में न लेना जो जरूरतें कही जाती है, एक गुनाह है मैं तो एक फाइनेन्स मिनिस्टर होने के लिहाज से अगर इस चीज को देखूं कि खर्चा घट रहा है तो मेरे दिमाग में इससे आराम मिलना चाहिये। किसी भी काम में खर्चा कम हो और बगैर खर्चा किये ही मुल्क की तरक्की भी होती रहे, तो मेरे लिये वह तो एक अमन की बात है। अगर इस ऐवान का कोई मेम्बर यह समझे कि उसके लिये सिर्फ यह कह देना काफी है कि फलां टैक्स को मौकूफ कर दो, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। आप रुपये के देने के वाले हैं और मैं आपसे लेता हूं। और आप उसे देने से भी इंकार नहीं कर सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि कोई लेजिस्लेचर किसी गवर्नमेंट से, जो कि उसने बनाई हो, यह नहीं कह सकता है कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि तुम पैसा कहां से लाओ और यह काम भी आपको करना है कि फलां टैक्स जो लागू किया गया है वह कायम नहीं रहना चाहिये, तो मैं कुंवर साहब से अर्ज करता हूं कि मुझे यह बात मंजूर है कि वह अपनी सलाह दें और मैं उनके साथ इस बात पर गौर करने के लिये तैयार हूं कि साहब ऐसा होना चाहिये, तो हटा दो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वह कोई तरीका तो आकर मुझे बतायें कि किस तरह से यह सब काम होना है।

अब जहां तक बिजली की कास्ट का ताल्लुक है, बिजली की बाबत यहां बहुत कुछ कहा गया है और यहां मेम्बरों ने यह इरशादे ख्याल फरमाया कि बिजली कोई लक्जरी की चीज नहीं है, आजकल वह चीज तमाम जिन्दगी की जरूरतों के अन्दर शामिल है और इस लिहाज से अगर उसको देखा जाय तो तकरीबन जितने डेवलपमेंट हैं उनके लिये बिजली की जरूरत है तो इस बिजली को कायम रखना और उसको आगे बढ़ाना जिससे कि हमारे यहां की इंडस्ट्रीज को तरक्की करने में मदद मिल सके, यहां के ऐग्रीकल्चर को तरक्की करने में मदद मिल सके और दूसरी दूसरी चीजों को

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]
तरक्की देने के लिये बिजली पैदा करना जरूरी है, तो इस रूपये को कहां से लिया जाय ?

जब बिजली का टैक्स बढ़ा था, उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था और जो बजट बने हैं उन बजटों के अन्दर मुलाहिजा किया जाता है कि एक डेवलपमेंट फन्ड कायम किया जाय और उसमें इर्रीगेशन के जो रिट्स थे या बिजली के टैक्स से जो आता था और उसके अन्दर इस तरह से जितना रुपया आता जाता था, वह सब इन डेवलपमेंट के लिये खर्च होता जाय। यह बात उसमें थी। तो मैं इस मामले में इतना सख्त नहीं हूं बल्कि जो खतरा मेरे दोस्त कुंवर साहब को है और जो उन्होंने फरमाया था और फिर किसी दूसरे साहब ने भी फरमाया, तो मैं इस बात को समझाने के लिये तैयार हूं कि मुझे किसी भी टैक्स के बढ़ने में किसी किस्म का एतराज नहीं है। हां, मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि हम और आप मिल करके यह तय कर दें कि इतनी जिम्मेदारी का जो काम है वह किस तरह से होगा ।

एक खतरा यह जाहिर किया गया है कि इस वक्त जो मागें आई हैं तो उनसे यह मालूम होता है कि आगे जो बजट आयेगा वह डेफिसिट बजट होगा और पिछला बजट जो था वह भी डेफिसिट बजट था, यह बात फरमाई गई थी। जहां तक अगला बजट आयेगा, वह कैसा होगा, इसके लिये मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो बजट पहले आया था और जो चल रहा है और उसके पहले भी जो आया था, वे डेफिसिट नहीं थे। मुझे कुंवर साहब की यह बात सुनकर ताज्जुब हुआ और इस साल की जो बजट की स्पीच है वह मेरे पास है। मैंने उस वक्त यह बतला दिया था कि इसमें जिस कदर रेवेन्यू होने वाला था, उससे ज्यादा खर्चा प्रोवाइडेड था लेकिन मैंने कह दिया था कि जितना खर्चा ज्यादा है, बेशक, वह रिजर्व फंड से मिलता जायेगा । "In that case it does not become a deficit budget" तब यह डेफिसिट बजट नहीं हो सकता है। इस साल और पिछले साल का बजट डेफिसिट नहीं था और अब देखना है कि आगे क्या होगा और उसके लिये अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

इसके बाद एक खतरा अनइम्प्लायमेंट के बारे में था और यह कहा गया कि उसके लिये एक कमेटी बनाई जाय। मैं इस वक्त इतना कह सकता हूं कि अनइम्प्लायमेंट है, कितना है तो इसमें एक फैक्टर शामिल है और वह इस पूरे देश के अन्दर ही है, इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में स्टेटिक्स की बहुत कमी है। किसी चीज के ऊपर नतीजा निकालने के लिये जितना डाटा चाहिये उतना यहां मिलता नहीं है। फिर भी जो मिलता है वह इनएडीक्वेट होता है, नाकाफी होता है जिसके बिना पर ठीक नतीजा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जहां तक इस स्टेट का ताल्लुक है, इस स्टेट में मुख्तलिफ किस्म की फीगर्स हैं। इकोनामिक्स एंड स्टेटिक्स डिपार्टमेंट यहां है और वह सब फीगर्स रखता है। अनइम्प्लायमेंट की भी फीगर्स है और मेरे पास भी हैं लेकिन मैं इस वक्त उनको जाहिर नहीं करना चाहता हूं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अनइम्प्लायमेंट की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह है या नहीं, तो मैं यह अर्ज करता हूं कि गवर्नमेंट की काफी तवज्जह इस ओर है और गवर्नमेंट हर तरह से इसको मीट करने की कोशिश करेगी। अनइम्प्लायमेंट के मुताल्लिक मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अनइम्प्लायमेंट एक खतरनाक चीज है। अगर किसी मुल्क की हिस्ट्री देखी जाय और जो सब से बड़ा मुल्क व मालदार समझा जाता है, वह गालिबन अमेरिका है । वहां पर भी अनइम्प्लायमेंट था और १० साल पहले भी वह एडवान्स कन्ट्री समझा जाता था। तो अनइम्प्लायमेंट को देख कर किसी मुल्क को मायूस हो

जाना, किसी मुल्क की किस्मत का हल नहीं हो सकता। हां, यह बात है कि बीमारी है और उसके इलाज की जरूरत है और हमको इलाज की फिक्र होनी चाहिये। हम अपने यहां अनइम्प्लायमेंट को किस तरह से दूर करें, क्या तरीका मोहय्या करें जिससे वह दूर हो। उसकी निस्बत में अर्ज करूं कि सरकार को फिक्र है।

काटेज इंडस्ट्रीज का जिक्र आया। काटेज इंडस्ट्रीज के मुताल्लिक यह कहा जा रहा है कि वह तबाह हो रही है और कल हमारे कानों में यह आवाज आई, मैं कल के लिये माफी चाहूंगा कि पिछली बातों का हवाला नहीं देना चाहिये, लेकिन यहां पर पिछली बातों का हवाला दिया गया था और तजकिरा किया गया था, इसलिये मैंने कहा कि मैंने कल सुना कि बृटिश राज्य से भी ज्यादा तबाह हम हैं, यह मैं नहीं कहने जा रहा हूं कि बृटिश के जमाने के मुकाबिले में कितनी ज्यादा तबाह हालत है और कितनी नहीं, लेकिन हालत तबाह है। मैं हर इंडस्ट्री के लिये यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसलिये कि मेरे दिमाग में यह है और मेरी मालूमात है कि कितनी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिससे माल तैयार होकर फौरन जाता है, जो पहल किसी भी वक्त में नहीं जाता था ऐसा भी है कि आज कुछ एडवर्स हालत में है और जेनरलाइजेशन जैसा हुआ, मैं उससे मुत्तफिक नहीं। जो इंडस्ट्रीज हैं और जिनकी हालत खराब है उनकी हालत दुरुस्त करने की पूरी कोशिश होनी चाहिये, और इस सिलसिले में जो कुछ होगा मैं बजट के वक्त उसका तजकिरा करूंगा।

जहां तक रेहन्ड डैम की बाबत कहा गया है, कुंवर साहब का यह ख्याल था कि जिस तरह से आज ६ लाख रुपया खर्च करने के लिये मांगा जा रहा है, बेहतर यह होता कि अगले बजट में उसको रख दिया जाता। एक बात कहनी पड़ती है। रेहन्ड डैम में रुपया आगे रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जिनको इस साल पूरा करना है और उस समय काम के बाद फिर उसमें रुपये खर्च करने की जरूरत पड़ेगी ताकि आइंदा काम कर सकें, इसलिये यह रुपया रखा गया है। एक हमारे दोस्त ने ईस्टर्न एरिया प्रोजेक्ट की निस्बत फरमाया कि इस तरह से नहीं रखना चाहिये कि ५० परसेंट एस्टीमेट गलत हो जाय। मेरी समझ में आया कि ईस्टर्न एरिया प्रोजेक्ट क्या है, शायद उनको मालूमात नहीं है, इसलिये यह ख्याल हुआ और सिर्फ इस फीगर्स से, जो इसमें हैं, उसके बारे में उन्होंने फरमाया। उसके बाद एक और बड़ी चीज. का नाम इस माने में हो गया कि उसमें और शामिल हो गया। उसकी तरतीब जरा मैं आपके लिये सुना दूं। गोरखपुर में एक पायलेट प्रोजेक्ट के मातहत गवर्नमेंट ने पावर स्टेशन डिजल का बनाया और उसके साथ ही साथ १०० ट्यूबवेल्स लगवाये। उस पावर स्टेशन को स्टीम स्टेशन में कन्वर्ट करने के लिये और वहां १० हजार का जेनरेटर कायम करने के लिये एक नया स्टीम स्टेशन बनाना तय किया गया। इसी तरह से एक मऊ में हुआ आजमगढ़ के जिले में और एक सुहावल पावर स्टेशन है, फैजाबाद में। उसको १० हजार का बढ़ाने का विचार है। यह भी तय हुआ कि एक पावर स्टेशन मैनपुरी के जिले में बढ़ाया जाय और यह इस सिलसिले में है जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के यहां से स्कीम्स वक्तन फवक्तन आती रहती हैं उनकी जो स्कीम्स चल रही हैं और जो वहां पावर की जरूरत है, उस पावर की जरूरत को पूरा करने के लिये जहां इंटेरिम अरेंजमेंट की जरूरत महसूस हुई, वहां वह पावर स्टेशन बना दिया। मगर यह सात परसेंट इसलिये नहीं है। हमने तो पहले अपनी गुंजाइश के मुताबिक एक काम तजबीज किया और फिर उसके बाद हमारे सामने एक मौका आया कि यहां से हमको इस काम के लिये रुपया भी मिल सकता है। हमने इस रुपय को हासिल करने की कोशिश

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

की कि उससे अपने यहां उस एरिया को हासिल करके, उस स्कीम को बढ़ा दें, इसलिये ईस्टर्न एरिया पावर प्रोजेक्ट पहले से बढ़ गया। इसमें एक बात कहने की यह जरूर मिल गई, वह सही है, उसमें जो एक स्कीम थी, उसके साथ जो ट्रांसमिशन लाइन होना चाहिये, वह उसमें नहीं था। मगर ४ करोड़ सारी ट्रांसमीशन लाइन का खर्च नहीं है। वह महज मुगालता है।

एक बात कही गई जिसका ताल्लुक बिजली कम्पनी से है जिसका १५, १६, १७ वर्ष से किस्सा चल रहा है। उसमें इस गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है। खुद १५, १६ वर्ष के लफ्ज से मालूम होता है कि कब से वह किस्सा शुरू हुआ। वह मामला हाईकोर्ट के पास गया। हाईकोर्ट से उसका लिक्वीडेशन हुआ। एक लिक्वीडेटर मुकर्रर हुआ जो उस काम को चलाता है। तलाश उस लिक्वीडेटर को इस बात की है कि कोई उसको खरीद ले। उसमें गवर्नमेंट किस तरह से कुसूरवार होती है। गवर्नमेंट के लिये यह लाजमी नहीं है कि कोई कम्पनी लिक्वीडेशन में आ जाये तो वह उसको खरीद ही ले। हो सकता है कि हम उसको न खरीदें या खरीद लें। चूंकि उन्होंने उस कम्पनी का नाम नहीं लिया इसलिये मैं भी नहीं ले रहा हूं। जहां तक सीतापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई का मामला है, वह मामला भी हमसे पहले का है। इस मौजूदा गवर्नमेंट के आने से पहले का मामला है। पिछली हिस्ट्री बयान करके वक्त जाया करना पड़ता है। इसलिये कि जो गुनाह हम करें उनके लिये तो सजा भुगतें हीं और जो नहीं करते उनके लिये भी सजावार ठहराये जाते हैं। सीतापुर का किस्सा मेम्बरान सुन लें, जनाब के जरिये से अर्ज करता हूं।

तो मैं कहूंगा कि वहां सीतापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी थी और वह बिजली सप्लाई करती थी, बृटिश सरकार के समय में, यानी १९४२ में। उस कम्पनी की हालत बहुत खराब थी। गवर्नमेंट ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो उस कम्पनी का जो एसेट है उसको या म्युनिसिपैलिटी खरीदे या और कोई खरीदे। उस समय यह हुआ कि गवर्नमेंट इसको चलाने का इंतजाम करे चुनांचे गवर्नमेंट ने एक आदमी को, जो यहीं के एक साहब हैं जो इसी का काम करते हैं, उन्हीं को, इसका काम दिया। उस एसेट का वैल्युएशन होना शुरु हुआ और उसमें इख्तलाफात भी हुए। उसका फैसला हाईकोर्ट में हुआ कि जितनी रकम दी गयी है वह मय सूद के उनको दी जाय। जहां तक सीतापुर का ताल्लुक है वहां हाइड्रोइलेक्ट्रिक के द्वारा बिजली पहुंच गयी है और वहां पर सप्लाई हो रही है। आगे क्या होगा, इसको कहने की जरूरत नहीं है। जो थोड़ा-बहुत किस्सा था उसको मैंने अर्ज कर दिया।

श्री कुंवर गुरु नारायण--फतेहपुर के संबंध में भी कुछ कहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--फतेहपुर की निस्बत में कहना चाहता हूं कि और सब जगह के लिये इंतजाम किया जायगा। तकरीरों में जो सजेशन्स दिये गए हैं उसकी निस्बत सोचा जायगा। जो-जो बातें कही गयीं हैं, उनके बारे में भी सोचा जायगा।

एक स्कूल की तालीम के बारे में भी जिक्र हुआ कि उसका इंतजाम नहीं है, लेकिन इस वक्त तो इंतजाम उनके लिये करना है जिनके ऊपर खर्च हो रहा है और यह रकम उससे ताल्लुक रखती है। गवर्नमेंट का ताल्लुक तो हर चीज से है और गवर्नमेंट को दिलचस्पी बहुत है, हमदर्दी बहुत है और मुझको भी हमदर्दी है कि उसको जहां तक बढ़ाया जा सके बढ़ाया जाय। तमाम बातों का जिक्र करना इस वक्त जरूरी नहीं है। मैं एक बात अर्ज करता हूं मेरे दोस्त राजाराम शास्त्री उठ गए। मैंने कभी भी यह जनरेलाइजेशन नहीं किया है और जो तकरीरें हैं

उनको पढ़ा जा सकता है। जो साहब उस तरफ के हैं, वे किसी मतलब से क्यों नहीं कहते हैं मैं कभी भी किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगाता हूं।

श्री राजाराम शास्त्री--और लोग कहते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कल की स्पीच का इम्प्रेशन गलत हो सकता है कल की स्पीच में अगर कोई इंम्प्रेशन हो सकता है तो यह हो सकता है कि मैंने किसी खास साहब के मुत्तालिक कुछ कहा हो। मेरा इशारा पार्टीकुलर साहब की तरफ था न कि अपोजीशन में बैठने वाले सब लोगों की तरफ था। मैं ऐसी बदगुमानी अपने अपोजीशन में बैठने वाले साहबान की तरफ से नहीं रखता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--तो यह हो सकता है कि उधर के बैठने वाले हों।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह भी नहीं है। न इधर वालों की तरफ है और न उधर वालों की तरफ है। इन लफ्जों के साथ मैं खत्म करता हूं।

चेयरमैन--कल रामपुर ठेकेदारी बिल लिया जायगा।

कल ११ बजे तक के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ३ बजकर १५ मिनट पर १६ फरवरी, १९५४ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

कृष्ण बहादुर सक्सेना,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१५ फरवरी, १९५४।

पी० एस० यू० पी०--२२८ एल० सी०--१९५४--८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

१६ फरवरी, १९५४

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल की बैठक, कौन्सिल हाल, विधान-भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे, चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (४८)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रतापचन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
मानपाल गुप्त, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामलगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्व नाथ, श्री
वेणी प्रसाद टंडन, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य-प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे :—

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह मंत्री)
श्री चरण सिंह (माल मंत्री)

प्रश्नोत्तर

पटवारियों के त्याग-पत्र

१—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा पटवारियों के त्याग-पत्र देने के पश्चात् कोई आदेश इस प्रकार का निकला था जिस में पटवारियों को अपने त्याग-पत्र वापिस लेने की अन्तिम तिथि नियत की गई थी?

(ख) यदि हां, तो वह तिथि कौन सी थी?

श्री चरण सिंह (माल मन्त्री)—(क) व (ख) पटवारियों ने स्वयं अपने त्याग-पत्र में चार्ज छोड़ने की तिथि ४ मार्च, १९५३ नियत की थी। इस तिथि के समाप्त होने पर सरकार ने यह घोषित किया कि जिन पटवारियों ने ४ मार्च, १९५३ तक अपने त्याग-पत्र वापिस ले लिये हैं, उनको लेखपाल की जगह पर नियुक्त किया जायगा, परन्तु शर्त यह है कि उनका काम अच्छा रहा हो तथा वे ईमानदार और कार्यकुशल रहे हों तथा जो अवस्था में ५७।। वर्ष से अधिक न हों।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो सरकार ने घोषणा की थी उसमें स्पष्ट किया गया था कि उन पटवारियों को नहीं लिया जायेगा जिनके अमालतामे खराब हों या जिनकी उम्र साढ़े सत्तावन साल से ज्यादा हो?

श्री चरण सिंह—जी हां, ऐसी घोषणा की गयी थी।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार ने उस घोषणा में, जो ४ मार्च, १९५३ तक इस्तीफे वापस लेने की थी, उस में स्पष्ट किया था कि जिन लोगों के अमालनामे खराब हैं तथा जिनकी उम्र साढ़े सत्तावन साल से ज्यादा है उनको नहीं लिया जायेगा?

श्री चरण सिंह—मैं नहीं समझता कि घोषणा से मेरे मित्र का क्या मतलब है। जो सर्क्युलर गया था उसमें साफ कहा गया था।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या घोषणा करने के बाद कोई लेटर भेजा गया था?

श्री चरण सिंह—यहां से जो खत गया है उसमें यह बात लिखी गयी है। मुमकिन हो कि साढ़े सत्तावन साल वाली बात की ओर आपका इशारा हो तो उसके बारे में दोबारा खत गया था। घोषणा बाकायदा कोई गजट नहीं हुई थी।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो १,१४१ पटवारी वापस नहीं लिये गए हैं उनमें से हरएक के अमालनामें खराब थे और हर एक की उम्र साढ़े सत्तावन साल से ज्यादा थी या और कोई भी कारण थे?

श्री चरण सिंह—तीसरा कारण यह था कि जिनको लीडरी का शौक हो गया था उनको भी वापस नहीं लिया गया।

श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—जो पटवारी अभी तक नहीं लिये गए हैं तो क्या कुछ संभावना इस बात की है कि इनमें से कुछ अब भी लिये जायेंगे?

श्री चरण सिंह—लेखपाल की जगह नियुक्त होने की कोई संभावना नहीं है।

श्री वंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या यह सत्य नहीं है कि जो पटवारी नहीं लिये गए हैं उन पर ब्राइबरी और फोरजरी आफ डाक्युमेंट्स के चार्जेज थे ?

श्री चरण सिंह--जो १,१४१ पटवारी नहीं लिये गये उनमें से या तो साढ़े सत्तावन साल से अधिक आयु के थे या कैरेक्टर रोल में खराब इंट्रीज थीं या उन्होंने प्रामीनेंट पार्ट इसमें लिया था। तीनों में से कोई न कोई खराबी उनमें थी जिसकी वजह से वह नहीं लिये गए।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिन्होंने इस एजिटेशन में प्रामीनेंट पार्ट लिया था उनको क्यों डिस्क्वालिफाई किया गया जब कि वे अपने लिये कुछ मांग रहे थे और क्यों फिर उनको सर्विस में नहीं लिया गया ?

चेयरमैन--यह तो राय की बात है।

२--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त तिथि तक कितने पटवारियों ने अपने त्याग-पत्र वापिस लिये ?

(ख) क्या सरकार यह भी बतायेगी कि त्याग-पत्र वापिस लेने वाले कितने पटवारी दोबारा नियुक्त किये गए और कितने नहीं ?

श्री चरण सिंह--(क) ४ मार्च, १९५३ तक ३,८८३ पटवारियों ने अपने त्याग-पत्र वापस लिये।

(ख) उनमें से २,७४२ पटवारी दोबारा नियुक्त किये गए और १,१४१ नहीं किये गए।

३--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली, तहसील बरेली के तीन पटवारियों ने कोई प्रार्थना-पत्र दिया है कि उन्होंने सरकार की नियत तारीख के भीतर अपने त्याग-पत्र वापिस ले लिये थे किन्तु उन्हें बहाल नहीं किया गया ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्हें किस कारण बहाल नहीं किया गया ?

श्री चरण सिंह--(क) जी हां।

(ख) उन्हें इस कारण बहाल नहीं किया गया कि उनके अमालनामे खराब थे।

लखनऊ तथा कानपुर के १९५३ के विद्यार्थी आन्दोलन में क्षति

४--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ तथा कानपुर में सितम्बर व नवम्बर, १९५३ के विद्यार्थी आन्दोलन में सरकार का कुल कितने रुपये का नुकसान हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह मन्त्री)--विद्यार्थी आन्दोलन के फलस्वरूप लखनऊ तथा कानपुर में सरकारी सम्पत्ति की क्षति ३१ अक्तूबर, १९५३ तथा ९ नवम्बर, १९५३ के बीच हुई अनुमानित क्षति इस प्रकार है--

			रु०
लखनऊ	..	..	१,०१,१२१
कानपुर	..	..	५,४९०

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उनके पास कोई ऐसा ब्योरा है जिससे यह मालूम हो सके कि हर डिपार्टमेंट में कितना नुकसान हुआ है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, उसी ब्योरे का ही तो डिटेल दिया गया है।

५--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त आन्दोलन में किन-किन सरकारी इमारतों तथा सरकारी वस्तुओं को क्षति पहुंचाई गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सूचना साथ में नत्थी* नक्शे में देखी जा सकती है।

६--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस आन्दोलन में विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों अथवा किसी राजनैतिक दल का भी हाथ था?

(ख) यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर हां में है, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन व्यक्तियों या राजनैतिक दलों ने इसमें भाग लिया?

७--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यह आन्दोलन पूर्व आयोजित था?

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या थी और किसने बनाई थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न संख्या ६ तथा ७ के बारे में मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस बयान की ओर दिलाता हूं जो कि मैंने हाउस में २३ दिसम्बर, १९५३, को दिया था।

अलीगढ़ में मुस्लिम कनवेन्शन की स्थापना

८--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार को मालूम है कि अलीगढ़ में मुस्लिम कनवेंशन नाम की संस्था स्थापित हुई है और हाल ही में उसका कनवेंशन हुआ है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि इस कनवेंशन में साम्प्रदायिक भावनाओं को फैलाने और पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया है?

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस कनवेंशन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है या करने का इरादा रखती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(क) गत ३० अक्तूबर से १ नवम्बर तक अलीगढ़ में अखिल भारतीय मुस्लिम कनवेंशन हुआ जिसके फलस्वरूप अखिल भारतीय मुस्लिम जमात नाम की एक नई संस्था स्थापित हुई है।

(ख) तथा (ग) कनवेन्शन के अध्यक्ष पश्चिमी बंगाल के श्री बद्रुदुजा तथा हमारे प्रदेश के श्री इसहाक इल्मी ने साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले भाषण दिये। श्री बद्रुदुजा के लिखित भाषण को बंगाल सरकार ने जब्त कर लिया है और यह भी पता चला है कि बंगाल सरकार ने उनको नजरबन्द कर लिया है। प्रादेशिक सरकार ने भी श्री इसहाक इल्मी के लिखित भाषण को जब्त कर लिया है तथा उनके विरुद्ध दफा १२४-ए तथा १५३-ए आई० पी० सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। यह मुकद्दमा न्यायालय में इस समय विचाराधीन है।

---

* देखिए नत्थी "क" पृष्ठ १६७ पर)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कनवेंशन में जो मुस्लिम जमात नाम की संस्था कायम की गयी है उसको गैर कानूनी क्यों नहीं करार दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--महज किसी संस्था के नाम को तो गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता है, जब तक उसकी कोई कार्यवाही ऐसा न हो जिसको गैर कानूनी करार दिया जाय। अभी तो वह दो महीने का बच्चा ही है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि उस कनवेन्शन में शरीक होने वाले बहुत से नेता और दूसरे शहरों में इस प्रकार की जमात कायम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, उसका नाम ही आल इंडिया कान्फ्रेंस है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उस जमात के मुतालिक सरकार का क्या रुख है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय तो उसकी कार्यवाही देखी जा रही है।

९--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या यह ठीक है कि इस कनवेंशन ने कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया है जिसमें साम्प्रदायिकता के आधार पर सरकारी नौकरियों की मांग की गई है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(क) जी हां।

(ख) कुछ नहीं। मुस्लिम कनवेन्शन ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं भेजा है।

१०--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या यह ठीक है कि इस कनवेन्शन में अधिकतर पुराने मुस्लिम लीग के नेता सम्मिलित थे और वही इस कनवेन्शन का नेतृत्व कर रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

त्याग-पत्र देने वाले पटवारियों का काम में न लगाया जाना

११--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्याग-पत्र देने वाले पटवारियों को किसी काम में लगाने का सुझाव सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो वह सुझाव या योजना क्या है ?

श्री चरण सिंह--(क) व (ख) त्याग-पत्र दिये हुए पटवारियों को कोई दूसरी सरकारी नौकरी, जिसके लिये वे दीक्षा तथा आयु संबंधित योग्यता रखते हों, प्राप्त करने के लिए मनाही नहीं है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि सरकार की तरफ से यह घोषणा हुई है कि हर गांव सभा में एक लेखपाल रखा जायगा तो उन लेखपालों में यह पटवारी रखे जायेंगे या नहीं ?

श्री चरण सिंह--लेखपालों की जगह भरी हुई हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार की ओर से यह घोषणा हुई है कि हर गांव-सभा में एक लेखपाल रखा जायगा जिनकी तादाद ६० या ६५ हजार होगी ?

श्री चरण सिंह--ऐसी कोई घोषणा सरकार की ओर से नहीं हुई है, हर गांव-सभा में लेखपाल और पंचायत राज्य सेक्रेटरी का काम एक ही आदमी करेगा। किसी और प्रकार की घोषणा नहीं हुई है।

१२—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या माल मंत्री यह बतायेंगे कि पटवारियों की एसोसियेशन या पटवारियों के कुछ समुदाय ने त्याग-पत्र देने पर सरकार के सामने क्षमा याचना की है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको माफी देने पर ध्यान दिया है?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनको फिर से काम में लगाने के लिये उपाय सोच रही है?

श्री चरण सिंह—(क), (ख) व (ग) उनका यह पत्र बहुत देर में आया था और तब तक प्रायः लेखपालों की सभी जगहें भर गई थीं। माननीय सदस्य प्रश्न संख्या ११ का उत्तर देखें।

१३—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—[वापस लिया गया।]

लैण्ड (इविक्शन ऐंड रेंट रिकवरी) ऐक्ट, १९५३ के अधीन बेदखलियां

१४—श्री कुंवर गुरु नारायण—(क) क्या सरकार उन लोगों की संख्या बताने की कृपा करेगी जिनको उत्तर प्रदेश सरकार के लैन्ड (इविक्शन ऐंड रेंट रिकवरी) ऐक्ट, १९५३ के अधीन जमीनों से बेदखल कर दिया गया?

(ख) ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जमीनें खाली नहीं की हैं और जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है?

14. **Sri Kunwar Guru Narain**: (*a*) Will the Government be pleased to state the number of people evicted from the land under the U. P. Government Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1953?

(*b*) In how many cases proceedings have been taken against those who failed to vacate the land?

श्री चरण सिंह—चूंकि इस अधिनियम को १५ फरवरी, १९५४ से लागू करने के लिये विज्ञप्ति जारी की गई है, इसलिये बेदखली के संबंध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

Sri Charan Singh: As the Act has been notified to come into force on February 15, 1954, no action has been taken for eviction as yet.

१५—श्री कुंवर गुरु नारायण—क्या ऐसी कोई जमीन जिससे बिला अख्तियार कब्जादारों को बेदखल किया गया हो, शरणार्थियों को दी गई है?

15. **Sri Kunwar Guru Narain**: Was any land from which unauthorised occupants have been evicted, given to the refugees?

श्री चरण सिंह—यह प्रश्न नहीं उठता है।

Sri Charan Singh: Does not arise.

१६—श्री कुंवर गुरु नारायण—क्या ऐसे लोगों को कोई और दूसरी जमीन दी गयी थी जिन्हें बेदखल कर दिया गया है?

16. **Sri Kunwar Guru Narain**: Was any alternative land accommodation provided to those who have been evicted under this Act?

श्री चरण सिंह—यह प्रश्न नहीं उठता है।

Sri Charan Singh: Does not arise.

नजरबन्दों का चुनाव लड़ने के लिये जमानत पर छोड़ा जाना

१७—श्री कुंवर गुरु नारायण—(क) क्या सरकार उन नजरबन्द लोगों की संख्या बताने की कृपा करेगी जोकि स्थानीय संस्थाओं का एलेक्शन लड़ने के लिये जमानत पर छोड़े दिये गए थे?

(ख) कितने नजरबन्द लोगों ने जमानत पर छोड़े जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था और कितनों को आज्ञा नहीं दी गई थी?

17. **Sri Kunwar Guru Narain** : (*a*) Will the Government be pleased to state the number of detenus who were released on parole for purposes of contesting elections to Local Bodies ?

(*b*) How many detenus applied for permission to be released on parole and how many were refused permission ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) २।

(ख) केवल २ ने प्रार्थना-पत्र दिए। इस प्रकार का कोई भी प्रार्थना-पत्र अस्वीकार नहीं हुआ।

Doctor Sampurnanand : (*a*) Two.

(*b*) Only two applied for release on parole. No one was refused permission.

चकिया टाउन में १६४२-४३ में राजनारायण पांडे के नाम भूमि का पट्टा

१८—श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि काशी राज्य की सरकार ने चकिया टाउन में १९४२-४३ में राज नारायण पांडे वगैरह के नाम से कुछ भूमि का पट्टा दिया था?

श्री चरण सिंह—जी हां।

१९—श्री राम नन्दन सिंह—क्या माल मंत्री को यह भी ज्ञात है कि प्लाट बी० में १० लगायत १७ नं० के पट्टे बाद में मंसूख करा दिये गए?

श्री चरण सिंह—जी हां।

२०—श्री राम नन्दन सिंह—क्या यह सच है कि उन पट्टों को रद्द करने की कार्यवाही तहसीलदार, चकिया के तारीख ५-४-१९४३ की रिपोर्ट के अनुसार की गई?

श्री चरण सिंह—इस संबंध में तहसीलदार, चकिया की कोई रिपोर्ट नहीं पाई जाती। उनकी १५ अप्रैल, १९४३ की रिपोर्ट से ऐसा ज्ञात होता है कि पट्टा रद्द करने के संबंध में अलग से कार्यवाही हुई।

२१—श्री राम नन्दन सिंह—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह रिपोर्ट क्या है?

श्री चरण सिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

२२—श्री राम नन्दन सिंह—क्या यह सच है कि जो पट्टे मंसूख किए गए उनकी भूमि आदित्य पुस्तकालय' चकिया की सेवा में है और इसलिये वे पट्टे मंसूख किये गए हैं?

श्री चरण सिंह—यह भूमि परती पड़ी हुई है और पुस्तकालय की सीमा में है। चूंकि जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता कि पट्टे क्यों मंसूख किए गए?

मालगुजारी की वसूली के लिये नया विभाग

२३—श्री राम नन्दन सिंह—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप बढ़ी हुई मालगुजारी की वसूली के लिये कोई नया विभाग खोला गया है ?

श्री चरण सिंह—जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् मालगुजारी की वसूली के लिये एक नई योजना बनाई गई जिसके अन्तर्गत वसूली फसली अमीनों द्वारा की जाती थी यह योजना एक साल चली।

२४—श्री राम नन्दन सिंह—क्या वह विभाग निकट भविष्य में स्थायी होने जा रहा है ?

श्री चरण सिंह—यह योजना अब सम्मिलित संग्रह योजना (nlegrated Collection Scheme) में परिणित कर दी गई है। सम्मिलित संग्रह योजना में लगभग सभी जमीन तथा नायब तहसीलदार बारह मासी होंगे। केवल जरूरत पड़ने पर जब रबी और खरीफ में वसूली का काम जोरों पर होता है तो कुछ फसली अमीन भी रखे जा सकते हैं। इस योजना को अभी स्थायी करने का कोई विचार नहीं है।

२५—श्री राम नन्दन सिंह—क्या यह ठीक है कि मालगुजारी संग्रह विभाग के स्थायी कर्मचारियों और उक्त नये विभाग के अस्थायी समान कर्मचारियों के कार्यों में कोई अन्तर है ?

श्री चरण सिंह—जमींदारी उन्मूलन के पहले मालगुजारी की वसूली का काम जमीनों द्वारा नहीं होता था अतएव सम्मलित संग्रह योजना के कर्मचारियों तथा जमींदारी उन्मूलन के पहिले मालगुजारी वसूली के कर्मचारियों के कामों में अन्तर का प्रश्न नहीं उठता।

२६—श्री राम नन्दन सिंह—यदि हां, तो क्या ?

श्री चरण सिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

२७—श्री राम नन्दन सिंह—यदि नहीं तो क्या उनको वेतन, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता और निवास स्थान का भत्ता बराबर-बराबर दिया जाता है ?

श्री चरण सिंह—केवल वसूली के नायब तहसीलदारों और मुस्तकिल नायब तहसीलदारों के यात्रा भत्ता में अन्तर है। मुस्तकिल नायब तहसीलदारों को यात्रा व्यय मीलों के हिसाब से नियमानुकूल दिया जाता है, पर वसूली के नायब तहसीलदारों को १५ रु० नियत मासिक यात्रा-भत्ता मिलता है।

२८—३४—श्री राम नन्दन सिंह—स्थगित।

३५-३६—श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

प्रतापगढ़ में बन्दूकों और रिवाल्वरों के लिए दरख्वास्तें

३७—श्री लाल सुरेश सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ के मौजूदा जिलाधीश के चार्ज लेने के समय से ३१ दिसम्बर, १९५३ तक बंदूकों और रिवाल्वरों की कितनी दरख्वास्तें उनको दी गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१७९।

३८—श्री लाल सुरेश सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश प्रतापगढ़, ने इनमें से कितनी दरख्वास्तों को मंजूर किया, कितनी दरख्वास्तों को नामंजूर किया और कितनी दरख्वास्तें अभी विचाराधीन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिलाधीश ने इनमें से ३३ दरख्वास्तों को मंजूर किया, ३१ को नामंजूर किया और ११५ अभी विचाराधीन हैं।

नोट—प्रश्न संख्या ३७—४५ श्री पन्नालाल गुप्त द्वारा पूछे गये।

३९--श्री लाल सुरेश सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन विचाराधीन दरख्वास्तों में कितनी ऐसी हैं जिन पर नीचेके अधिकारियों की रिपोर्ट आ चुकी है और वे केवल जिलाधीश के अंतिम हुक्म के लिये दफ्तर में पड़ी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--३६।

४०--श्री लाल सुरेश सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार इन आंकड़ों को देखने के बाद यह बतायेगी कि उसकी "अधिक लाइसेन्स देने" की घोषणा को संतोषजनक रूपसे अमल में लाया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

४१--श्री लाल सुरेश सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि कुंवर राजेन्द्रबहादुर सिंह, काला कांकर की बंदूक के लाइसेन्स की दरख्वास्त प्रतापगढ़ के जिलाधीश के यहां एक वर्ष से अधिक समय से विचराधीन पड़ी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, उनके पास इस तरह का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया।

४२--श्री लाल सुरेश सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह ठीक है कि श्री प्रभाकर सिंह, प्रिंसिपल, हनुमत इंटरमीडिएट कालेज, कालाकांकर, प्रतापगढ़ ने प्रतापगढ़ के जिलाधीश के पास पिस्तौल के लाइसेन्स के लिये दरख्वास्त दी थी, जिस पर पुलिस स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य ने उन्हें लाइसेन्स देने की शिफारिश की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्री सुरेश सिंह के सिफारिश के साथ श्री प्रभाकर सिंह की एक दरख्वास्त आयी थी।

४३--श्री लाल सुरेश सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री प्रभाकर सिंह को लाइसेन्स क्यों नहीं दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्री प्रभाकर सिंह के पास दोनली कारतूसी बन्दूक का लाइसेन्स है और वह उनकी सुरक्षा के लिये पर्याप्त समझी गई। इस कारण उनका पिस्तौल के लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया गया।

४४--श्री लाल सुरेश सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने ऐसा कोई आदेश जिलाधीशों को दे रखा है कि जिन व्यक्तियों के पास बंदूक का लाइसेन्स है उन्हें पिस्तौल का लाइसेन्स न दिया जाया करे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

४५--श्री लाल सुरेश सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ में किन-किन लोगों के पास पिस्तौल तथा रिवाल्वर के लाइसेन्स इस समय हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नामों की सूची लम्बी है। यदि सदस्य महोदय किसी व्यक्ति विशेष का नाम देखना चाहें तो मेरे कार्यालय में आकर देख लें।

विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges) का निर्वाचन

चेयरमैन--मुझे यह घोषणा करनी है कि सदन की विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges) के लिये ९ नाम श्री जगन्नाथ आचार्य द्वारा प्रस्तावित व श्री पन्ना लाल गुप्त द्वारा अनुमोदित किये गये हैं। क्योंकि केवल ये ही सदस्य नामनिर्देशित किये गये हैं, इस लिये मैं इनको विशेषाधिकार समिति पर निर्वाचित घोषित करता हूं:--

(१) डाक्टर बृजेन्द्र स्वरूप।
(२) डाक्टर ईश्वरी प्रसाद।
(३) डाक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव।
(४) श्री राजा राम शास्त्री।
(५) श्री रुक्नुद्दीन खां।

(६) श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल।
(७) श्री राम लगन सिंह।
(८) श्री प्रताप चन्द्र आजाद।
(९) श्री ज्योति प्रसाद गुप्त।

सदन समिति (House Committee) का निर्वाचन

चेयरमैन--सदन की सदन समिति (House Committee) के लिये ये १० नाम श्री जगन्नाथ आचार्य द्वारा प्रस्तावित व श्री वंशीधर शुक्ल द्वारा अनुमोदित किये गये हैं। क्योंकि ये ही १० सदस्य नाम निर्देशित किये गये हैं इसलिये मैं इनको सदन समिति पर निर्वाचित घोषित करता हूं :--

(१) श्री परमात्मानन्द सिंह।
(२) श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार।
(३) श्री प्रभु नारायण सिंह।
(४) श्री गोविन्द सहाय।
(५) श्री पन्ना लाल गुप्त।
(६) श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरि प्रसाद।
(७) श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल।
(८) श्री अब्दुल शकूर नज्मी।
(९) श्री शिव सुमरन लाल जौहरी।
(१०) श्री बद्री प्रसाद कक्कड़।

सन् १९५३ ई० का रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक

*श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५३ ई० के रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि गवर्नमेंट का इरादा यह है कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून, जो कि मैदानी इलाके के अधिकतर हिस्से में लागू हो चुका है, तो इसी प्रकार का एक कानून उन हिस्सों में जहां कि यह कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया है और कहीं पर वे इलाके जो कि अबतक देशी रियासत में शामिल थे या जैसे कि दूधी का इलाका जहां कि खेती पर कब्जे की आराजी का कानून मैदानी इलाकों की भूमि-व्यवस्था से भिन्न है, तो उन सब जगहों पर भूमि व्यवस्था के अधिनियम को लागू करने का हमारा विचार है और आज यह पूरा भी होता जा रहा है। बहुत सी रियासतों और बुन्देलखंड, की छोटी २ रियासतों में यह ऐक्ट नाफिज किया जा चुका है, एक नोटिफिकेशन के जरिये से। इसी तरह से बनारस के कुछ हिस्सों में भी यह लागू किया जा चुका है। दूधी राबर्टसगंज जो कि बनारस का रियासत थी, उस इलाके में जहां कि मध्यवर्ती भी मौजूद हैं वहां भी यह लागू किया जा चुका है। रामपुर रियासत में भी गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिये से इस ऐक्ट को नाफिज करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के पहले वहां के बारे में यह मालूम हुआ कि जब तक वहां पट्टेदारी और ठेकेदारी की, जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, वह खत्म नहीं कर दी जायेगी, तब तक इस ऐक्ट को वहां लागू नहीं किया जा सकता है। तो उस पट्टेदारी और ठेकेदारी के सिस्टम को खत्म करने के लिये ही गवर्नमेंट की तरफ से यह एक छोटा सा बिल विधान मंडल के सामने पेश किया गया है। वहां दो प्रकार के इलाके हैं, एक तो जदीद है और एक कदीम है। इलाके कदीम में कब्जा आराजी रामपुर रियासत ऐक्ट सन् १९३७ के पास होने से पहले जो था तो उसमें ठेकेदारी की आराजी पर कितना दिया जायेगा, तो उसके लिये एक नोटिफिकेशन रामपुर की स्टेट की तरफ से अक्तूबर

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

१९, सन् १९३५ में जारी हुआ था। उसके मातहत उस वक्त की सरकार ने एक स्कीम छ साला यानी ३० साल के लिये चलाई। ३४ गांव जो गैरआबाद हो चले थे या हो रहे थे तो रामपुर रियासत की मंशा थी कि वह गांव ऐसे लोगों को दिये जायं जो इस बात के लिये तैयार हों जो इन गांवों को आबाद करें और जमीन तोड़ें। ३४ गांव देने चाहिये थे लेकिन ३३ गांव ठेकेदारों ने लिये और उसमें यह शर्त थी कि ५ साल के अन्दर अगर वह जमीन को जेरे काश्त कर लेते हैं तो उनको जमीन्दारी के हकूक दे दिये जायंगे। अगर नहीं किया तो गवर्नमेंट को अख्तियार था कि उनकी ठेकेदारी को मंसूख कर दे। उस स्कीम के अन्दर १९ गांव में ठेकेदारों ने जमींदारी के हक हासिल कर लिये, लेकिन १४ गांव ऐसे थे वह ठेकेदारों के पास ही चले आ रहे थे और ५ साल में उन्होंने अधिक जमीन रिक्लेम नहीं की थी। इस स्कीम को इसलिये रखा गया था कि हर १० साल के बाद जितने पट्टे दिये गयेथे उसकी मालगुजारी तशखीस करने का हक होगा गवर्नमेंट को यानी पट्टे देने के १०साल बाद और २० साल बाद और ३० साल बाद और जो मालगुजारी असेस की जायेगी वह बीच में घटाई-बढ़ाई नहीं जा सकती। इसलियें उसका नाम छ साला स्कीम रखा गया जो रामपूर कब्जा आराजी ऐक्ट था उसके चैप्टर १३ के मातहत ठेके दिये जा सकते थे। तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से २ नोटीफिकेशन एक २८ मई सन् १९३८ और दूसरा १२ मार्च, सन् १९४९ को जारी किये गये। २८ मई, १९३८ के मातहत १० साला स्कीम जारी हुई कि १० साल के अन्दर जिन गांवों में ठेकेदार आराजी ले लें और उसको जेरे काश्त कर ले तो ५ साल के लिये और रिन्यू किया जा सकता है। एक तरह से वह स्कीम १५ साला हुई। १२ मार्च १९४९ के नोटीफिकेशन के मातहत कुछ गांव दिये गये वह २० साला स्कीम थी उसमें यह था कि १० साल के लिये रिक्लेम किया और उसके बाद १० साल के लिये और रिक्लेम किया जा सकता है तो दोनों स्कीमों के अन्दर १०४ गांव ठेकेदारों को पट्टे पर दिये गये। ३९ गांव २० साल की स्कीम में थे और ६५ गांव १० साला स्कीम में थे और १० गांव ऐसे थे जिनमें ठेकेदारों को जमींन्दारी के हकूक हासिल नहीं हुये थे इस तरह से १४ और १०४ यानी ११८ हुये। लेकिन रामपुर स्टेट १ जुलाई सन् १९४९ को यूनियन में मर्ज हुई और चीफ कमिश्नर भेज दिया गया था और फिर यह स्टेट ३० नवम्बर, १९४९ को यू०पी० में मर्ज हुई और उस बीच में गालिबन कुछ पट्टे दिये गये और कुछ पट्टे ऐसे थे जिनकी मियाद गुजर गई थी और उन पुराने पट्टों के लिये वहां से यह शिफारिश आई थी कि स्कीम के मातहत उनको ५ साल का रिन्यूअल और दे दिया जाय लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं दिया और इयरली बेसिस पर गांव रहने दिये और बहुत से गांव ऐसे हैं जो ४ साल से इयरली बेसिस पर चल रहे हैं, २० ऐसे हैं जो ३ साल से हैं और ५५ ऐसे हैं जो २ साल से हैं, और ३९ ऐसे हैं जो १ साल से हैं।

इस तरीके से कुल गांव २९० होते हैं और १७० गांव ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने फोल्ड ओवर करने की इजाजत दे दी है। लेकिन दो गांव जो हैं वह इन स्कीमों से अलाहिदा अलाहिदा पड़ते हैं। एक गांव का नाम है गालिबन बेगमाबाद जो कि एक गौशाला को दिया हुआ है और लामियाद पट्टा है और दूसरा गांव भी उसी तहसील में है वह बीस साल के पट्टे में दिया गया है। इस तरीके से २९० गांव हैं जो ठेकेदारी या पट्टेदारी में हैं। गवर्नमेंट को यह कानूनी मश्विरा मिला कि जब तक इनके हुकूक न ले लिए जायें तब तक जमींदारी एबालीशन ऐक्ट को वहां इन्फोर्स नहीं किया जा सकता इसलिए हुकूक लेने के लिए यह छोटा सा बिल आया है। मैं समझता हूं कि मेरे माननीय दोस्तों ने इसको पढ़ लिया होगा। इस पर अधिक बहस की भी आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। कुछ संशोधन माननीय प्रभु नारायण सिंह ने पेश किये हैं। अच्छा ही हुआ जो उन्होंने यह संशोधन पेश कर दिए, कुछ और चर्चा हो जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं यह बिल पेश करता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि जमींदारी एबालिशन और उससे संबंधित जितनी भी समस्यायें हैं उनको अब तो भूल जाऊं। लेकिन मैं आजिज आ गया हूं माननीय राजस्व मंत्री से कि वह किसी न किसी फ़ार्म में जमींदारी एबालीशन को जरूर ले आते हैं।

श्री चरण सिंह--३० जून सन् ५५ तक और इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में भी गंगा नहा जाऊंगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण--जहां देखिए काश्तकारी का विनाश, जमींदारी का विनाश, ठेकेदारी और पटदारी का विनाश। तो मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मंत्री जी के जरिए उनकी हुकूमत और उनकी पार्टी से कि अगर विनाश का शब्द हटाकर वह केवल निर्माण का ही शब्द इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा हो। जहां तक इस विधेयक का संबंध है यह सही है कि इसमें कोई ऐसी डिस्प्यूटेड चीज नहीं है जिसके ऊपर कुछ कहा जा सके। लेकिन यह एक चीज जरूर है कि इस समय गवर्नमेंट ऐंक्शस हैं कि उसको जितना अधिक से अधिक रुपया मिल सके विनाश करके उसको प्राप्त कर लिया जाए। मैंने इस विधेयक को पढ़ कर यह मालूम किया कि इससे किसी टेनेन्ट को कोई लाभ नहीं है या जिनका विनाश किया जा रहा है उनको संतोषप्रद मुआविजा देने की कोई गुंजाइश नहीं है। हां, इस विनाश के बाद अगर किसी को कुछ फायदा होगा तो वह गवर्नमेंट को होगा। और फिर दसगुने और बारह गुने की मांग होगी और हुकूमत को पैसा मिलेगा। जैसा कि बिल में दिया हुआ है लीगल एक्स्पर्ट ने माननीय मंत्री जी को यह मशविरा दिया है कि कब्ल इसके कि वह इन ठेकेदारों और पट्टेदारों को हटायें यह ज्यादा अच्छा होगा कि वह इस विधेयक को दोनों भवनों से स्वीकृत करालें। एक चीज मैं और इस समय कहना चाहता हूं। जब यह विधेयक शायद लोअर हाउस में पेश हुआ था उस वक्त माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि यह जो एबालिश कर रहे हैं तो यह उन्हीं लीजेज को एफेक्ट करेगा जो मर्जर के बाद की हैं, पहले की नहीं हैं। यह चीज प्रेस में निकली थी। अगर यह सही है तो निहायत गलत चीज है। अगर इस को एफेक्ट करना है तो पहले और बाद दोनों को एफेक्ट करना चाहिए। लेकिन यह सब होते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि रामपुर स्टेट ने कुछ कमिटमेन्ट्स किए थे। और वह स्टेट मर्ज हुई, हमारी इंडियन यूनियन में, यू० पी० में, तो वह स्वाभाविक सी चीज होती है कि अगर एक हुकूमत कोई कमिटमेंट करती है तो जो दूसरी हुकूमत आती है तो बहुत सी लाइबिलिटीज हुकूमत अपने हाथों में ले लेती है तो उसका उत्तरदायित्व भी होता है कि कमिटमेंट की इज्जत करे और उसको निभाने की कोशिश करे। इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि अगर यह सहूलियत के साथ ड्रास्टिकली खतम नहीं किया जाता तथा सहूलियत के साथ हम इस चीज को करते तो ज्यादा अच्छा होता और हम कम से कम दूसरों के सामने एक उदाहरण रख सकते थे। जो लाइबिलिटीज गवर्नमेंट की हैं उनको हमें पूरा करना पड़ता है। बंगाल में चन्द्रनगर कालोनी जिस समय इंडियन यूनियन में आई तो उस समय ऐंशोरेन्स दिया गया और जो कमिटमेंट दिया गया है उसके अनुसार हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम उनका आनर करें। एक चीज जो विधेयक में आई है, इसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि जो लीज दी गई हैं वह ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के मातहत हुई हैं, इस को एक वकील अच्छी तरह से बतला सकता है कि ऐसा न हो कि हमें यह ऐक्ट ही इसके मुताबिक बदलना पड़े। आप इनवैलिडेट करना चाहते हैं। लेकिन जब ला कोर्ट में मामला जाय तो वह अलट्रा वायर डिक्लेयर कर दिया जाय। माननीय मंत्री जी ने लीगल इक्सपर्ट की ओपिनियन हासिल की होगी लेकिन फिर भी मैंने आवश्यक समझा कि मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूं। इसके साथ ही साथ इसमें एक चीज रखी गयी है। जिस समय सेक्सन ४ में जो लास्ट प्राविजो है बिल का, उसमें यह लिखा हुआ है उसको मैं श्रीमान् की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं--

"Provided that where the total area of such land held by the lessee and his family exceeds 30 acres, the excess area shall become and be deemed to be vacant land and the lessee shall be liable to ejectment from such excess area."

इसको मैं उसूली प्रश्न के तरीक़े से देखता हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध था, जिस समय माननीय मंत्री जी ने जमींदारी एबालीशन ऐक्ट चालू किया तो उस समय बहुत

सी ऐसी जमींदारी थी कि उसको उन्होंने जिनके पास इक्जिस्टिंग ज्यादा लैंड थी तो वहां उनको छोड़ दिया और उसकी एक लिमिट मुक़र्रर कर दी, लेकिन इसमें यह करते हैं कि जिसके पास ३० एकड़ जमीन है और उससे ज्यादा किसी के पास जमीन होती है तो वह उससे इजेक्ट हो जायेगा।

एक उसूल की चीज़ मैंने कही। अगर हम उत्तर प्रदेश में यह उसूल रखते हैं और यह चीज़ अपनाई भी है कि जो किसानों के फार्म्स हैं वह क़ायम रहेंगे तो फिर हम इसी चीज़ को वहां पर क्यों नहीं क़ायम रहने देते। यह वसूल की चीज़ है जिसको मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी की तरफ से यह जवाब हो सकता है है कि यहां जमींदार आनर आफ दि लैन्ड था और वहां वह लेसी है। तो इसके लिये मेरा कहना है कि प्रश्न ओनर और लेसी का नहीं है बल्कि एक उसूल का है। जब हम यह मानते हैं कि लोग अपने पास हजार दो हजार एकड़ जमीन रख सकते हैं और आगे ३० एकड़ से ज्यादा नहीं रखेंगे तो यही उसूल सब जगह पर होना चाहिये। इसलिये मेरा कहना है कि इस उसूल के मातहत यह जो डिफरेन्स है यह नहीं होना चाहये। जहां तक कि इस बिल का सम्बन्ध है एम्स एंड आब्जेक्ट्स में साफ कह दिया गया है कि जमींदारी एबालिशन को लागू करने के लिये यह लाया गया है और इसके अतिरिक्त कोई मंशा नहीं है। तो यह सही है। जो चीज़ मैंने इस विधेयक में देखी, जिसको मैं समझता था कि यह माननीय मंत्री जी के सामने पेश करना जरूरी था, वह मैंने कहा। मैं यही चन्द शब्द इस विधेयक के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

*श्री प्रताप चन्द्र आजाद---माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस छोटे से बिल को पेश करके माननीय मंत्री जी ने रामपुर ज़िले की जनता के साथ बहुत उपकार किया है। मुझे इस ठेकेदारी और पट्टेदारी के सम्बन्ध में बहुत कुछ मालूम है और अनुभव है इसलिये कि मेरे जिले की और रामपुर की बाउन्ड्री एक है और मैं जानता हूं कि इस प्रथा ने जो ठेकेदारी और पट्टेदारी की रामपुर में थी उससे किसानों को कितना नुक़सान पहुंचा है और यदि वास्तव में देखा जाय तो यह ठेकेदारी और पट्टेदारी की प्रथा जमींदारी की प्रथा से कई सौ गुना बुरी थी। अभी माननीय सदस्य ने बतलाया कि इस बिल से काश्तकारों को कोई फायदा नहीं दिखाई देता बल्कि हो सकता है कि सरकार को कुछ फायदा हो। मैं तो यह समझता हूं कि इस बिल से काश्तकारों को सबसे ज्यादा फायदा है और जितना फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को जमींदारी एबालिश से हुआ उससे कहीं ज्यादा फायदा इस बिल से रामपुर के किसानों को होगा। अगर रामपुर के किसानों की हालत देखिये तो आपको यह मिलेगा कि गांव के गांव उजड़ गये हैं। उजड़े हुये गांव में किसानों से ठेकेदारों ने भूमि हासिल करने के लिये तरह तरह के अत्याचार किये और इस तरह से गांव के गांव उजड़ गये।

एक मिसाल तो मुझे स्वयं मालूम है। रामपुर की मिलक तहसील में एक भरा पूरा गांव उजड़ कर बरेली के ज़िले में बस गया। आज भी वह गांव, हालां कि पूरे तौर से नहीं तो भी उसका अधिकांश बरेली जिले के हेमराज गांव के पास आपको मिल जायगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि रामपुर के ठेकेदारों और पट्टेदारों के जो जुल्म थे वह यहां के ज़मींदारों से भी कहीं ज्यादा थे। यहां उत्तर प्रदेश में तो ऐसा भी था कि यहां कुछ क़ानून थे, यहां एक गवर्नमेंट थी और हर एक काम उनको यहां के क़ानून के मुताबिक, क़ायदे के मुताबिक करना पड़ता था, लेकिन रामपुर की तो एक अजीब हालत थी। असल में देखा जाय तो वहां पर न कोई क़ानून था, न कोई फायदा था, वहां कोई चीज़ ही नहीं थी। वहां तो एक आपा झापी थी, सब काम मनमाने ढंग पर हुआ करता था। कुछ लोग एक दल

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

के होते थे और उनका ही सारा आधिपत्य हुआ करता था, सारी सत्ता उन्हीं के हाथ में हुआ करती थी, उनसे कोई यह पूछने वाला नहीं होता था कि तुम स्याह कर रहे हो या सफेद कर रहे हो। उनका कोई जवाब लेने वाला नहीं होता था। जिस प्रकार से जैसा वह करते थे वैसा ही हो जाया करता था। ठेकेदारों के संबंध में यह था कि कहीं पर नकदी में जमीन थी और कहीं पर बटाई में। लेकिन जब से वार शुरू हुई और गल्ले की निगरानी शुरू हुई, ज्यादातर ज़मीनें वहां के ठेकेदारों ने बटाई पर कर दीं जिसका क़ायदा यह था कि एक तिहाई अनाज ठेकेदार ले लेता था और दो तिहाई काश्तकार को मिल जाता था। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि ठेकेदार दो तिहाई अनाज ले लेता था और काश्तकार को केवल एक तिहाई अनाज ही मिलता था। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया कि अगर फसल अच्छी हुई, तो खड़ी हुई फसल को वह प्रधान की मदद से कटवा ले जाया करता था। वहां पर प्रधान शायद हमारे यहां के प्रधान का बिगड़ा हुआ रूप है, वह गांव का मालिक होता है और उसी का शासन सारे गांव पर चलता है। वह सारे गांववालों को जिस प्रकार से तंग करना चाहता था, करता था। शासन का सहारा उसे था और इन ठेकेदारों से मिल कर वह काफ़ी शक्तिशाली हो जाया करता था और फिर जिस तरह से चाहता था वह गांव वालों से बर्ताव करता था, लोगों को तंग करके वह गांव छोड़ने पर मजबूर भी कर देता था। तो यह तमाम बातें थी। एक ही बात में नहीं, जहां बेगार का सवाल था, नज़राने का सवाल था, कहीं भी ये ठेकेदार पीछे नहीं रहते थे। देहातों में जहां ठेकेदार रहते थे वह जगह डेरा कहलाती थी और देहात में ठेकेदार एक बड़ा आदमी समझा जाता था। तो अगर आप जांच करके देखिये तो आपको पता चलेगा कि शायद किसी गांव में किसी ठेकेदार ने अपना डेरा मज़दूर लगा कर बनवाया हो, नहीं तो ९० फीसदी डेरे इन काश्तकारों की बेगार में पकड़ कर बनवाये गये, और यही नहीं माननीय मंत्री जी को शायद मालूम होगा कि वहां ठेकेदार गांव वालों को रुपया कर्ज़ देता था और जब वह देखता था कि फलां काश्तकार हमारा कर्ज़ा चुकाने के नाकाबिल है तो वह उसकी ज़मीन का इस्तीफा लिखवा लिया करता था और ज़मीन अपने फैवर में कर लिया करता था, अपने लिये रख लिया करता था, और इस प्रकार का ठेकेदारी और पट्टेदारी का रूप रामपुर के अंदर था। मैं यह समझता हूं कि इस रूप को खत्म करके सरकार रामपुर के किसानों के साथ एक बड़ा उपकार कर रही है।

मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है कि एक तरफ तो हमारा जिला था जहां भूमि सुधार और जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की व्यवस्था लागू थी, जहां के किसान अपनी भूमि के स्वयं स्वामी थे और उसके साथ ही साथ हमारे जिला के करीब ही हम यह देखते थे कि आज भी रामपुर के किसानों की वहीं हालत थी जो किसी जमाने में हमारे किसानों की हालत थी जिसे देख कर हमें बड़ा दुख होता था। मैं समझता हूं कि सरकार ने उनके साथ बड़ा उपकार किया है। जहां तक ३० एकड़ के बारे में कुंवर साहब ने बात कही है मैं यह समझता हूं कि यह जो ३० एकड़ जमीन ठेकेदारों को छोड़ी गई है वह सरकार की तरफ से बड़ी ज्यादती की गई है इसलिए कि रामपुर के अन्दर जो भी ठेकेदारी मिलेगी वह ऐसी नहीं है कि उनके बाप-दादा के वक्त से चली आ रही हो, उनके बाप-दादों के पास बिलकुल जमीन नहीं थी और वह लोग ज्यादातर रामपुर शहर के रहने वाले होते थे और रामपुर के नवाब की मेहरबानी से उनको ठेके मिलते थे और वह किसानों से जबरदस्ती इस्तीफे दिलाते थे। मैं समझता हूं कि इन्साफ की नजर से एक भी एकड़ जमीन ठेकेदारों के पास नहीं रहनी चाहिये लेकिन ३० एकड़ जमीन छोड़ी गई है वह किस नजर से यह जमीन छोड़ी गई है। जहां तक जमींदारों का संबंध था उसके संबंध में तो यह कहा जा सकता कि जमींदारों की वह मिल्कियत थी और चूंकि जमींदारों की सम्पति थी इसलिए उनको कुछ कम्पेन्सेशन की शक्ल में मुआविजा दिया गया और वह इसलिए कि हमारे संविधान के अन्दर उसके लिए प्राविजन था। लेकिन ठेकेदारी या पट्टेदारी कोई मिल्कियत नहीं है

है इसलिए किस प्रकार से कम्पेन्सेशन का सवाल उठता है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। उसमें मुआविजा का क्या सवाल होता है, मैंने सारे ऐक्ट को पढ़ा है और देखा है। इतने दिनों जो रियायत और सहूलियत और जायज या नाजायज तौर पर ठेकेदारों ने फायदा उठाया है वह फायदा उठाया है वह किसके लिए उठाया है मगर ठेकेदारों ने कोई रुपया इस पर खर्च नहीं किया है इसलिये कम्पेन्सेशन का क्या तात्पर्य है। मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय सस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, जो हमारे सामने प्रस्तुत है, उसके लाने का उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट और भूमि सुधार अधिनियम जो सारे सूबे के मैदानी इलाके में लागू है उस पर भी लागू हो, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि जैसे बनारस जिले में कसौरा के इलाके में इस अधिनियम को लागू किया गया है, उसी तरीके से सूबे के और उन हिस्सों में जितने पुराने राज्य सूबे में मिले हैं उसमें लागू किया जाय इसलिए यह विधेयक सामने लाया गया है। अब इस विधेयक को जहां तक लागू करने का सवाल है वह इस विधेयक के पास होने के बाद ही लागू होगा। जहां तक इसके उद्देश्यों का सवाल है मैं माननीय माल मंत्री जी के विचारों से पूरी सहानुभूति रखता हूं और इस मौके पर अध्यक्ष महोदय मैं उन को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि जिन जिन स्थानों पर अभी तक जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं हुआ है वहां पर किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। बनारस में ही चकिया और भदोही के इलाकों में जहां पर पूरे तौर से इस कानून को लागू होना चाहिए था वह कानून लागू नहीं हुआ है। जो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था का अनुपूरक विधेयक पास किया गया था उस की दफा ४ चकिया और भदोही में लागू नहीं की गयी और मैंने बार बार माननीय माल मंत्री जी के सामने इस बात को रखा कि वहां के किसान हजारों बीघा जमीन से बेदखल किये गये हैं, क्योंकि यह कानून अभी वहां लागू नहीं किया गया है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि जो पुरानी रियासतों के किसान थे उन किसानों पर अधिक तबाही और बरबादी हुई है बनिस्बत सूबे के अन्य किसानों के और ऐसी हालत में हमारा ध्यान इन किसानों पर जाना बहुत ही जरूरी है। जो आज सूबे के किसानों को हक मिले हुये हैं इतने भी हक उन को नहीं है। इस मौके पर उदाहरण के तौर पर यह भी कहना चाहूंगा क्योंकि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम सारे सूबे में एक साथ लागू नहीं किया गया। इसके कारण इस का जो फायदा है वह सूबे के हर किसान को मिलना चाहिए और सूबे के गांव में बसने वाले हर किसान को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। अभी १४ तारीख को मैं बनारस गया था और माननीय माल मंत्री जी को याद दिलाता हूं कि भदोही के इलाके में कुछ ऐसा इलाका है जहां पर आज जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम पूर्ण अवस्था में लागू नहीं है और इस के कारण पूर्वी भदोही में महेन्द्र ताल, जिससे १० हजार बीघे की सिंचाई होती ह, उसका पट्टा होने के कारण किसानों के हाथ से छिनने जा रहा है। समय समय पर जो पुरानी रियासतों के किसानों के कष्ट हैं वे माननीय माल मंत्री जी के सामने आते हैं। यह विधेयक इस कारण रखा गया है कि सूबे के हर कोने में जमींदारी विनाश की जाय। हम उन का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि सूबे के अन्य इलाकों में जहां पर ऐसी सुविधायें नहीं हैं वहां भी ऐसी सुविधायें जरूर लागू करेंगे। हमारे सूबे के किसानों से ज्यादा हमारी रियासतों के किसानों से पैसा भी लिया था और शोषण भी किया गया। यह अधिनियम हमारे सामने है तो हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी सरकार के दिमाग में मुआविजा न मालूम किस तरह से बैठ गया है कि बिना मुआविजा के कोई बात सोची ही नहीं जा सकती। अभी कांग्रेस पार्टी के

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

एक माननीय सदस्य श्री प्रताप चन्द्र आजाद ने भी यही कहा, क्योंकि कभी कभी वे भी ऐसे मौके पर खुले दिल से ऐसी बातें कह जाते हैं उन्होंने माननीय माल मंत्री जी को सम्बोधित करते हुये कहा है कि हमें यह बात समझ में नहीं आती है कि क्यों ठेकेदारों को मुआविजा दिया जा रहा है। जमींदारी विनाश के बारे में तो यह हो सकता है, क्योंकि उस में मिल्कियत की बात थी और चूंकि संविधान के अन्दर भी इस बात का जिक्र है गो कि जो पार्टी इस वक्त सेन्टर और सूबे में हुकूमत में है उसी ने संविधान में यह क्लाज रखा है फिर भी हम इस बात को महसूस करते हैं कि जमींदारों ने अपने सूबे के किसानों का इतना शोषण किया और इतना कमाया कि उन को मुआविजा देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो मुआविजे की सूरत है वह हमारी जान नहीं छोड़ेगी। यह जो मुआविजे की शक्ल में ठेकेदारों को रुपया दिया जायगा यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे उन मित्रों के साथ हमारी सरकार को बहुत हमदर्दी बाकी है। हमारे कुंवर साहब ने खुद अभी कहा कि उन के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन न छोड़ी जाय। कुंवर साहब का तो यह कहना है कि सूबे में भी जिन के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है उन से ले ली जाय। इस के साथ ही साथ उन्होंने उन कम्प्रोमाइज का भी हवाला दिया जो और राज्यों के साथ हुआ है। लेकिन उन्होंने इस बात का लिहाज नहीं किया कि जिस वातावरण और जिस दृष्टिकोण से वह शासन का कार्य किया करते थे उस दृष्टिकोण और आज के दृष्टिकोण में बहुत अन्तर है। हालांकि वह बहुत कुछ भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उन के दिमाग में वेस्टेड इन्ट्रेस्ट की बात आ ही जाती है। समय समय पर वह इस बात को याद ही कर लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस कानून में यह बात रखी गई है कि ३० एकड़ से ऊपर ठेकेदार या पट्टेदार जो जमीन जोते होंगे उनसे वह ले ली जायगी। मैं इस बात को मानता हूं कि ३० एकड़ से अधिक उन के पास जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि थोड़ी सी हमदर्दी और दोस्ती अभी हमारी सरकार को उन के साथ जरूर है। इस बिल के जरिये से यह बात समझ में नहीं आती है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस को अपने भाषण में बतला देंगे कि हमारे रामपुर के ठेकेदारों ने जो बन्दोबस्त जमीन का और लोगों के साथ किया है और वह जमीन हजारों एकड़ की तादाद में है उस के संबंध में इस बिल में कोई फैसला नहीं किया गया है। ३० एकड़ से ऊपर की जमीन जो खुदकाश्त की शक्ल में होगी वह तो निकाल ली जायगी, लेकिन ऐसी जमीन जो दूसरे के साथ बन्दोबस्त कर दी गई होगी उसके लिए क्या फैसला होगा और उस की क्या शक्ल होगी। यह बात इस विधेयक के जरिये से स्पष्ट नहीं होती है, माननीय मंत्री जी इस बात पर रोशनी डालेंगे। छोटे-छोटे खेतीहर और मजदूरों को इस बिल में अपनी जगह पर अहमियत देना है। अन्त में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जहां तक ठेकेदारी और पट्टेदारी के खात्मे के सिलसिले में यह विधेयक हमारे सामने है हमारे माननीय माल मंत्री की यह मंशा है कि सूबे के हर हिस्से में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम एक तरफ से लागू हो।

इस शक्ल में इस विधेयक को इन चीजों के साथ हम स्वीकार ही करेंगे लेकिन इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं माननीय माल मंत्री जी से यह कहूंगा कि वे इस मामले में थोड़ा आगे बढ़े और जिन जगहों पर आज वह हक किसानों को नहीं मिला है तथा आप उनको वे हक देने की स्थिति में हैं और किन्हीं कारणों से नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें वह आगे बढ़कर के राज्य के उन हिस्सों में जहां पर वह कानून लागू नहीं हुआ है और जिन इलाकों पर भूमि व्यवस्था अनुपूरक विधेयक की दफा ४ लागू नहीं हुई है और जहां पर इन्दराज का वह सिलसिला नहीं उठा है और ठीक नहीं है उनको ठीक किया जाय ताकि उनको इससे काफी

रिलीफ मिल सके। मेरी समझ में यह बातें नहीं आती हैं कि मंत्री जी से बारबार कहने पर भी और डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज की रिकमेंडेशन के बावजूद भी वह लागू नहीं हुई हैं।

श्री चरण सिंह--मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। मेरे मित्र जिन बातों का तजकिरा कर रहे हैं उनका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह–अध्यक्ष महोदय, जो लागू करने की बात है तथा उद्देश्य में जो बातें लिखी हुई हैं कि राज्य के उस हिस्से पर जहां पर कि कोई रियासत रही हो और रियासत के ऊपर जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं हो सकता था जब तक कि पट्टेदारी और ठेकेदारी का खात्मा न किया जाय। इसलिये मेरा निवेदन इतना ही है कि जो इसमें मंशा है वह बहुत अच्छी है, लेकिन जहां आप लागू करने की शक्ल में हैं, वहां पर यह लागू किया जाय। एक तरफ तो आप इस मंशा से आते हैं कि हम इस अधिनियम को लागू करना चाहते हैं फलां इलाके में, लेकिन जहां आप लागू करने की शक्ल में हों वहां लागू न करें तो यह एक प्रकार से आपके कहने और आपके कार्य करने में बहुत बड़ा कन्ट्राडिक्शन है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसका कोई हल अवश्य निकालेंगे। इन शब्दों के साथ जो विधेयक आज हमारे सामने है उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन हम यह चाहेंगे कि जो जो बातें हमने कही हैं उन पर ध्यान रखते हुये हमारे माल मंत्री जी शीघ्र ही गौर करेंगे।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में अब तक केवल तीन तकरीरें हुई हैं जिनमें से एक तो स्वागत में एक पूर्ण रूप से विरोध में और एक स्वागत में लेकिन कुछ थोड़ी सी नुक्ताचीनी के साथ। इससे मालूम होता है कि सदन को करीब यह विधेयक स्वीकार ही है। अब जो पांच सात बातें कही गयी हैं, उनका मैं क्रमानुसार जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले तो माननीय कुंवर गुरु नारायण जी ने यह बात कही कि इसमें विनाश शब्द आ गया है तो गवर्नमेन्ट की तरफ से जो इस प्रकार के विधेयक लाने की वजह से कुंवर साहब को तकलीफ हुई है, या हुई होगी मैं उसकी माफी चाहता हूं। हमारा सूबा एक बहुत बड़ा सूबा है और उसमें तरह तरह की भूमि व्यवस्था कायम हुई है और अगर एक ही तरह का कानून पहले से कायम हुआ होता तो सारे इलाकों में यह एक ही कानून के जये से खत्म हो जाता। लेकिन यहां के इलाकों की व्यवस्था अलग अलग है, उनकी हालत अलग अलग है, उनका इतिहास अलग अलग है और वहां के लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी और अलग अलग हक होने की वजह से ही विधान मंडल में इस प्रकार के विधेयक लाये जाते हैं। जमीन्दारी खात्मे का कानून लागू हो जाने के बाद जो समस्यायें तह तरह की गवर्नमेन्ट के सामने आती जा रही हैं तो उससे भी मालूम होता है कि यह कितना जबरदस्त काम है और मुझ जैसे आदमी को भी जो कि शुरू से ही इस काम में हाथ डाले रहा कभी इस बात का अहसास नहीं था कि यह इतना बड़ा काम निकलेगा। जमींदारी खत्म होने की बातचीत चल रही थी तो कुंवर साहब को जो उस समय ख्याल आते थे और उनके लीडर साहब के जो लेख निकलते थे और जो तकरीरें होतीं और जो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में तो इस तरह से बड़ा नुकसान हो जायेगा, बड़ी बदगुमानी हो जायेगी, अशान्ति हो जायेगी, कम्युनिज्म फैल जायेगा और काश्तकारों के साथ इस तरह से बड़ा भारी अन्याय होगा और रोजाना लोगों को जेलखाने में जाना पड़ेगा तो इस तरह की एक काली तस्वीर जो खींची जा सकती थी और जितनी काली स्याही उस पर लगाई जा सकती थी वह उन्होंने लगाई और इस तरह की तस्वीर खींची। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं उस काम में फंसा हुआ था और मुझे अच्छी ही तस्वीर दिखाई दी और उस समय मैंने उसका वह रुख न देखा हो, लेकिन अब तो इस सदन के माननीय सदस्य एक हद तक पूर्ण रूप से मुझसे सहमत होंगे कि जो आशंका हमारे दोस्तों को थी कि उन्मूलन के बाद बदगुमानी और अशान्ति होगी तो उन सभी लोगों ने आज देखा होगा कि उन काश्तकारों के साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ या उनको कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। यह एक

[श्री चरण सिंह]

इन्कलाब होगया। इन्कलाब लफ्ज इस तरह का है कि अगर जब तक उसके साथ थोड़ा सा खून न बहाया जाय वह पूरा नहीं होता। लेकिन यहां बिना खून बहाये ही इन्कलाब हो गया और उसके जो असरात हमारी स्टेट पर पड़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे यह चीज खुलती जा रही है आपकी जो आशंका थी कि जमींदारी विनाश के बाद सैकड़ों और हजारों लोगों पर इसका बुरा असर पड़ेगा वह गलत साबित हो गया। हमारे समाज का काम ठीक चल रहा है और उसको मिटाने के बाद हमने एक नई व्यवस्था समाज की कायम की है। इस नई व्यवस्था को कायम करने के मामले में मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह कठिन न सही लेकिन जितनी समस्यायें गवर्नमेन्ट के सामने आई हैं उन सब में यह महत्वपूर्ण और समाज के लिये उचित थी और सिर्फ एक राज आज्ञा द्वारा यह समस्या नहीं हटाई जा सकती थी और यह बात कायदे के साथ ही हो सकती थी। इसी तरह से हमने इसको लागू किया। जमींदारी कानून लागू हुये करीब डेढ़ वर्ष हो चुके हैं और अभीतक यह उन्मूलन का शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जिसके लिये कुंवर गुरु नारायण जी को आपत्ति है तो मैं भी चाहता हूं कि इस शब्द से जल्दी ही छुटकारा मिले और यह चीज मेरी जानकारी में है मगर जब तक यह चीज ठीक तरह से सब जगह न हो जाय और जो नक्शा हमारे सामने है वह पूरा न हो जाय और जितनी कोशिश और हमारी मेहनत इसके लिये है उसमें हमें सफलता न मिल जाय तब तक और शायद जून सन् ५५ तक उन्मूलन का शब्द कुंवर साहब के कानों को सुनना पड़ेगा।

दूसरी बात जो उन्होंने उठाई वह यह है कि पहले जो गवर्नमेन्ट वादा कर लेती है, कमिटमट कर लेती है उसे गवर्नमेन्ट को पूरा करना चाहिये। यह गवर्नमेन्ट के आनर की बात है। आम तौर पर गवर्नमेन्ट इस तरह की बातों का आनर करती है, लेकिन जहां पब्लिक इन्टरेस्ट भी होता है और जहां सरकार का ताल्लुक पब्लिक पालिसी से होता है और वही पहले गवर्नमेन्ट की पालिसी की बुनियाद है और अगर इसके साथ आप यह सोचते हैं कि जो पहले गवर्नमेन्ट ने किया वह उचित है और उसमें अन्तर नहीं होना चाहिये तो यह कैसे हो सकता है। एक गवर्नमेन्ट का और दूसरी गवर्नमेन्ट में से कोई अन्तर न हो यह कैसे हो सकता है। इसी तरह से पहले गवर्नमेन्ट के जमाने में बड़ी बड़ी रियासतें थीं और अगर हम लोग उस चीज को नहीं मानते हैं तो यह हमारी पालिसी है और वे लोग उसे मानते थे तो उनके जमाने में यह चीज ठीक थी। तो अंग्रेजी गवर्नमेन्ट के जमाने में जमींदारी थी और उस गवर्नमेन्ट ने उसको रिज्यूम की तो यह गवर्नमेन्ट भी उसको रिज्यूम करे तो यह क्या कोई हक बजानिब बात होती या उसूलन यह बात होती। लेकिन बहुत सी मसलहतों के मातहत हमने यह नहीं किया। इसलिये यह कोई दलील नहीं है और यह भी कहा जा सकता था कि जमीन्दारी भी खत्म नहीं होनी चाहिये।

तीसरी बात ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के लिये कही गई है कि जो पट्टे हैं उनको कैसे लिया जायेगा। तो मैं दफा ११७ को पढ़ता हूं उसमें वह साफ है।

"117. None of the provisions of this Chapter apply to leases for agricultural purposes except in so far as the Provincial Government may by notification published in the official *Gazette* declare all or any such provisions to be so applicable in the case of all or any of such leases, together with, or subject to, those of the local law, if any, for the time being in force.

Such notification shall not take effect until the expiry of six months from the date of its publication."

तो हमारी स्टेट में यह दिया हुआ है कि जो टर्म्स होंगे उसके अनुसार दिये जायेंगे और उसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं होगी।

चौथी बात यह है कि ३० एकड़ की लिमिट क्यों रखी गई है। तो मैं यह कहता हूं कि जमींदार

जो थे वह प्रोप्राइटर्स थे और ठेकेदार प्रोप्राईटर नहीं हैं उनके लिये पर्सनल कल्टी-वेशन में लिमिट दी हुई है और अगर इस प्रदेश में सब जमीन्दारों की तरफ से कुंवर गुरु नारायण जी दरख्वास्त दिला दें कि हमारी ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है वह ले ली जाय तो मेरे लिये बड़ा अच्छा होगा। इसलिए यह बात इसमें रखी गई है और कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई आपत्ति हो। एक बात श्री प्रताप चन्द आजाद और प्रभु नारायण जी ने कही है कम्पेनसेशन नहीं देना चाहिये था। तो मैं बता दूं कि कान्सटीट्यूशन में दिया हुआ है और यह उसूल मान लिया गया है कि कम्पेनसेशन दिया जायेगा तो जब तक कान्सटीट्यूशन नहीं बदला जाता है तब तक तो इस में बहस की भी कोई जरूरत नहीं है। अब एक दलील इस प्रकार है कि श्री प्रभु नारायण जी कौंसिल के बाहर जा रहे हों और उनकी वास्कट कोई छीन ले और कहे कि कोई मुआविजा की आवश्यकता नहीं है तो आप कहेंगे कि कीमत जरूर मिलनी चाहिये नहीं तो यह राबरी हो जायेगी। तो सरकार के लिये संभव नहीं है कि कम्पेनसेशन न दिया जाय यह बात दूसरी है कि कम हो या ज्यादा इसलिये जो अधिकार पहले से है और जनहित के लिये बनाया गया है इसलिये कम्पेनसेशन देना चाहिये इन दी इन्ट्रेस्ट आफ दी सोसाइटी। इस तरह से आप कहें कि मकान ले लो, कारखाने ले लो, वस्केट ले लो, बैंक बैलेन्स ले लो और एक एक पाई आपस में बांट दो तो मैं समझता हूं कि कोई भी इसको न चाहेगा।

पांचवी बात यह कही गई ठेकेदारों के काश्तकारों का क्या होगा। तो इससे तो इस समय कोई मतलब नहीं है। रामपुर स्टेट के ठेकेदार थे वह लोग और अब सरकार के ठेकेदार हैं, इसलिये उनको मुआविजा दिया जा रहा है और काश्तकार जो हैं वह भी सरकार के सीधे काश्तकार हैं और जब जमीन्दारी उन्मूलन ऐक्ट लागू होगा तो जैसे और जगह अधिकार काश्तकारों को हैं उसी प्रकार उनको भी दिया जायेगा। एक बात माननीय प्रभु नारायण जी ने यह कही कि सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है।

यानी मतलब यह है कि कह तो यह रहे हैं कि हम इस वजह से लागू नहीं कर पाये क्योंकि रामपुर में ठेकेदारी और पट्टेदारी थी, लेकिन जहां ठेकेदारी और पट्टेदारी नहीं है वहां क्यों नहीं लागू किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रभु नारायण सिंह जी के साथ पूरी सहानुभूति है। उन के ऐसा कहने की वजह यह है कि आखिर अगर वह यह न कहें तो फिर कहें क्या। जिस आदमी को कुछ कहना है और कहने की गुंजाइश हो नहीं तो फिर वह पटरी से उतर जाता है। इसी लिए उन्होंने कहा कि रामपुर न सही तो बनारस ही सही। रामपुर से इस कानून का वास्ता है बनारस से क्या वास्ता है। मैं क्रेडिट देता हूं प्रभु नारायण जी को कि वह अपने दिल में जानते हैं, वह यह समझते हैं अपने दिल में कि गवर्नमेन्ट की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। लैंड रिफार्म ऐक्ट लागू नहीं किया जा सका तो वह किसी कथनी और करनी या नीयत में कमी होने के कारण नहीं, बल्कि कुछ और कठिनाइयां होंगी, यह वह जानते हैं। लेकिन बहस के लिए उनको कुछ कहना तो है ही, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा इन शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित करता हूं।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५३ ई० के रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २--१०

परिभाषाएं

२--जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में।

(१) 'अबवाब' का तात्पर्य अबवाब, मालिकाना या चौकीदारी से है,

(२) 'कलेक्टर' के अन्तर्गत परगने का इन्चार्ज प्रथम श्रेणी का असिस्टेन्ट कलेक्टर (Assistant Collector of the first class in charge of a Sub-division) तथा अन्य कोई प्रथम श्रेणी का असिस्टेन्ट कलेक्टर भी है, जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के सब या किसी कार्य के सम्पादन का अधिकार दिया हो,

(३) 'डिग्री' का वही अर्थ है जो 'decree' को कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है।

(४) 'मौरूसी दर' का तात्पर्य कानून कब्जा आराजी, रियासत रामपुर, १९३७ की धारा ५४ के अन्तर्गत स्वीकृत दर से है,

(५) 'भूमि' का तात्पर्य उस भूमि से है जो कृषि, उद्यानकरण या पशु-पालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये किसी के अधिकार या अध्यासन में (held or occupied) हों,

(६) 'पट्टा' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा रामपुर स्टेट गजट दिनांक १९ अक्तूबर, १९३५ में प्रकाशित विज्ञप्ति के अथवा कब्जा आराजी रियासत रामपुर ऐक्ट, १९३७ के अध्याय १३ के अथवा रामपुर स्टेट गजट, दिनांक २८ मई, १९३८ तथा १२ मार्च, १९४९ की प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पठित उक्त अध्याय के अधीन तथा अनुसार स्वीकृत ठेका, पट्टा अथवा अनुदान से है,

(७) 'पट्टेदार' के अन्तर्गत ठेकेदार, पट्टेदार, मुस्ताजिर और अनुदान गृहीता (grantee) भी है, इन्हें चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो।

(८) 'विधिक प्रतिनिधि' का वही अर्थ है जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "legal representative" को दिया गया है।

(९) 'नियत (prescribed)' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है।

(१०) 'पिछला कृषि वर्ष (previous agricultural year)' का तात्पर्य उस कृषि वर्ष से है, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो, जिसमें अवसान (determination) होने का दिनांक पड़ता हो,

(११) 'रामपुर' का वही अर्थ है, जो उसे रामपुर ऐडमिनिस्ट्रेशन आर्डर, १९४९ में दिया गया है।

(१२) 'लगान' के अन्तर्गत रामपुर स्टेट गजट, दिनांक १९ अक्क्टूबर, १९३५ में प्रकाशित बन्दोबस्त, सिसाला, योजना के तथा कानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ के अध्याय १३ के अधीन रामपुर स्टेट गजट में प्रकाशित दिनांक २८ मई, १९३८ और १२ मार्च, १९४९ की विज्ञप्तियों के उपबन्धों के अधीन पट्टेदार द्वारा देय जमा, मालगुजारी और जरे ठेका भी है।

(१३) 'राज्य सरकार का तात्पर्य—

(क) जहां तक दिनांक १ दिसम्बर, १९४९ के पूर्व की गई किसी बात का सम्बन्ध है, रामपुर (एडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ के पैरा ३ के अधीन नियुक्त रामपुर के चीफ कमिश्नर से है अथवा यथास्थित हिज हाइनेस नवाब रामपुर, सरकार रामपुर, रामपुर दरबार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से है, जिसे सम्बद्ध दिनांक पर रामपुर के कार्यपालिका शासन (executive Government) के सम्पादन अथवा प्रशासन का अधिकार प्राप्त रहा हो, और

(ख) जहां तक उक्त दिनांक के पश्चात् की गई किसी बात का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

(१४) शब्द और पद।

(क) 'ठेकेदार', 'पट्टेदार', 'लगान', 'सायर', 'असामी', 'गैर दखीलकार', का वही अर्थ होगा जो इन्हें कानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ में दिया गया है और

(ख) 'बन्दोबस्त सिशाला योजना' का वही अर्थ होगा जो उसे रामपुर स्टेट गजट में तत्पश्चात प्रकाशित दिनांक ६ अगस्त १९३८ तथा ५ नवम्बर, १९३८ की विज्ञप्तियों से संशोधित रामपुर स्टेट गजट की १९ अक्तूबर १९३५ की विज्ञप्ति में दिया गया है।

पट्टों का अवसान (Determination)

३—किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लेख्य (law, contract or other document) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे दिनांक से जिसे निर्दिष्ट किया जायेगा। (जो आगे चल कर अवसान का दिनांक कहा गया है) किसी पट्टे का अवसान कर दे।

पट्टों के अवसान के परिणाम

४—जब कभी धारा ३ के अधीन और अनुसार किसी पट्टे का अवसान किया जाय तो निम्नलिखित परिणाम होंगे, यथाः—

(क) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था यहां आगे चलकर की गयी है, पट्टे के अन्तर्गत पट्टेदार के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे मानो कि पट्टे की अवधि उसी समय समाप्त हो गई हो;

(ख) जब पट्टे की शर्तों के अधीन या अनुसार किसी पट्टेदार ने पट्टे के अन्तर्गत भूमि को खुदकाश्त में ले लिया हो तो पट्टेदार—

(१) कानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ की धारा १४ के खंड (हे) से (काफ) तक में वर्णित भूमि से भिन्न भूमि का आसामी गैर-दखीलकार हो जायगा और उसे अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रवृत्त (applicable) दर से आकलित लगान के बराबर लगान देना पड़ेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पट्टेदार और उसके परिवार के पास ऐसी कुल भूमि का क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक हो तो वह अधिक क्षेत्र रिक्त भूमि हो जायेगी और उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण---इस खंड के प्रयोजनों के लिये व्यक्ति के परिवार का तात्पर्य यदि परिवार के लोग संयुक्त रूप से रहते हों, तो स्वयंमेव व्यक्ति उसके अल्पवयस्क बच्चों, उसकी पत्नी अथवा उसके पति से, जैसी भी दशा हो, है और यदि व्यक्ति स्वयं ही अल्पवयस्क हो तो उसके माता और पिता से है।

(२) खंड (१) में अभिदिष्ट भूमि से भिन्न भूमि के सम्बन्ध में आगमहीन (without title) अध्यासी व्यक्ति समझा जायगा और वह ऐसे व्यक्तियों के लिये समय विशेष पर प्रवृत विधि के अनुसार उस भूमि से बेदखल किया जा सकेगा।

(ग) पट्टेदार अवसान के दिनांक से पूर्व की अवधि के लिये पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के बारे में लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों के वसूल करने का अधिकार बना रहेगा,

(घ) ऐसी किसी भी भूमि के सम्बन्ध में अवसान के दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये देय सभी लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियां, जो उक्त अवसान के न होने पर पट्टेदार को देय होती, राज्य सरकार को देय होंगी और उक्त अवसान के पूर्व अथवा पश्चात् की हुई उक्त धनराशि की कोई भी अदायगी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उसे देने का दायित्व हो वैध भुगतान न होगी, यद्यपि ऐसे व्यक्ति के पट्टेदार से उसे वसूल करने के अधिकार पर इससे कोई प्रभाव न पड़ेगा,

(ङ) यदि उक्त अवसान हुये (determined) पट्टे से भिन्न अवसान के दिनांक से पूर्व निष्पन्न हुए किसी अनुबन्ध अथवा संविदा (agreement or contract) के अधीन उक्त दिनांक के पश्चात् की किसी भी अवधि के लिये कोई लगान, अबवाब या अन्य धनराशियां पट्टेदार को दी गई हों अथवा उसने संधित (compounded) या वसूल की हों, तो वह अनुबन्ध अथवा संविदा के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार से वसूल की जा सकती हैं और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुए इस अधिनियम के अधीन पटटेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूली की जा सकती हैं,

(च) अवसान के दिनांक से पूर्व की अवधि के लिये पट्टेदार द्वारा देय लगान, अबवाब, तकाबी या अन्य देय धनराशियों की सभी बकाया पट्टेदार से वसूल की जाती रहेंगी और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुए इस अधिनियम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूल की जा सकती हैं,

(छ) अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रभाव–शाली प्रत्येक बन्धक, शिकमी पट्टा अथवा पट्टेदारी के अधिकार के अन्य हस्तान्तरण (transfer) का अवसान हो जायगा और ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ की उपधारा (२) के उपबन्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रतिकर के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो कि पट्टे के अन्तर्गत भूमि किसी ऐसे अधिनियम के अधीन हस्तगत की गई थी, जिसमें अनैच्छिक हस्तगतीकरण (compulsory acquisition) की व्यवस्था की गई हो,

(ज) पट्टे के अन्तर्गत भूमि में चराने अथवा भूमि से उपज एकत्रित करने का, पट्टेदार तथा अन्य किसी व्यक्ति के बीच ३० जून, १९४९ के पश्चात् हुआ कोई भी अनुबन्ध अथवा अन्य संविदा अवसान के दिनांक से प्रभावहीन (void) हो जायगा,

(झ) पट्टे के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर स्थित सभी इमारतें जिन पर पट्टेदार का अधिकार हो पट्टे की अवशिष्ट अवधि के लिए नियत की जाने वाली शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन उसी के अधिकार में रहेंगी और इसके अतिरिक्त उक्त अवधि समाप्त होने पर यदि पट्टे में भिन्न अभिप्राय व्यक्त न हो (और ऐसी दशा में अभिप्राय ही प्रभावशाली रहेगा) राज्य में निहित हो जायगी।

५—१ जुलाई, १९४९ को या इसके पश्चात् पट्टेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में किये गये किसी भी अनुबन्ध अथवा संविदा के, या की गयी किसी भी बात के, अथवा किसी ऐसी बात के लिये जिसके किये जाने की अनुज्ञा दी गयी हो, होते हुए भी, उक्त भूमि के लिए देय लगान— देय लगान

(क) अवसान के दिनांक पर वह धनराशि समझी जायगी जो १ जुलाई, १९४९ को देय लगान के बराबर हो और किसी न्यायालय की डिक्री अथवा आज्ञा से दी गई किसी छूट अथवा कमी से भिन्न किसी छूट अथवा कमी पर तब तक विचार न किया जायगा, जब तक कि राज्य सरकार उसे पुष्ट न कर दे, और

(ख) अवसान के दिनांक के पश्चात् भविष्य में वह धनराशि होगी जो खंड (क) के अधीन तदर्थ देय मानी गई हो, किन्तु इससे उस पर प्रवृत किसी भी विधि के अनुसार भविष्य में उसमें बढ़ती अथवा कमी करने में बाधा न होगी।

कलेक्टर पटटे की भूमि को अधिकार में ले लेगा।

६--धारा ३ के अधीन पट्टे के अवसान होने पर कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिए यह वैध होगा कि--

(क) वह पट्टे के अन्तर्गत भूमि पर कब्जा कर ले और उसे अपने अवधान (charge) में ले ले और ऐसी कार्यवाही करे या करवाये और ऐसा बल प्रयोग करे या करवाए जो कलेक्टर अथवा उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी की राय में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो,

(ख) वह उस पट्टे के अन्तर्गत जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो गया हो, किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में दाखिल हो और उनका भू-मापन (survey) करे अथवा ऐसी माप करे जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो,

(ग) किसी व्यक्ति से उस प्राधिकारी (authority) के समक्ष जिसे निर्दिष्ट किया जाये, पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पुस्तकें, लेखे अथवा अन्य लेख्य प्रस्तुत कराये और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसी अन्य सूचना दिलवाए, जो निर्दिष्ट की गई हो या मांगी गयी हो, और

(घ) यदि आदेशानुसार पुस्तकें, लेखे तथा अन्य लेख्य न प्रस्तुत किए जायं तो वह किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में जाये और उन्हें अपने अधिकार में ले (seize) और उक्त पुस्तकों, लेखों और अन्य लेख्यों को कब्जे में ले ले।

पटटेदार को पट्टे के अवसान के उपलक्ष में प्रतिकर पाने का अधिकार होगा।

७--(१) उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में की गयी है, किसी पट्टेदार को, जिसके पट्टे का अवसान धारा ३ के अधीन कर दिया गया हो, ऐसे अवसान द्वारा उत्पन्न क्षति या हानि के लिए किसी भी प्रतिकर के लिये दावा करने अथवा उसे पाने का अधिकार न होगा।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट पट्टेदार को ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसे ऐसा प्रतिकर दिया जायगा, जिसकी व्यवस्था यहां पर आगे चल कर की गयी है।

प्रतिकर का विवरण।

८--इस अधिनियम के अधीन पट्टे के अवसान के कारण हानि या क्षति के प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजन के लिये कलेक्टर प्रतिकर का विवरण तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे--

(क) पट्टेदार अथवा पट्टेदारों के नाम और धारा ९ और १० के उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची और पक्की निकासी (gross income and net income),

(ख) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पिछले कृषि वर्ष में पट्टेदार द्वारा देय लगान,

(ग) धारा ४ के खंड (च) में अभिदिष्ट लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों के बकाया जो पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा राज्य सरकार को देय हों, और

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

९--धारा ८ के प्रयोजनों के निमित्त पट्टे के अन्तर्गत भूमि के संबंध में पट्टेदार की कच्ची निकासी में निम्नलिखित होंगे-- कच्ची निकासी।

(क) भूमि के उपयोग और अध्यासन (use and occupation) के संबंध में काश्तकार अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा उनकी ओर से अवसान के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर देय लगान, जिसके अन्तर्गत अबवाब तथा अन्य देय धनराशियां भी हैं --

(१) नकदी में, और

(२) यदि लगान जिन्सी में देय हो अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः जिन्सी में देय हो तो उसमें प्रवृत्त होने वाली विधि के उपबन्धों के अनुसार आकलित लगान,

(३) यदि लगान देय हो किन्तु अवधारित न किया गया हो तो मौरूसी दर से अवधारित लगान,

(ख) पट्टेदार की खुदकाश्त के अन्तर्गत भूमि के लिये मौरूसी दर से आकलित लगान की धनराशि, और

(ग) सायर जिसकी धनराशि--

(१) यदि पट्टा दस वर्ष तक या उससे अधिक समय तक रहा हो तो अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दस वर्ष की अवधि की समस्त आय के जोड़ के दशमांश के बराबर होगी, और

(२) यदि पट्टा दस वर्ष से कम रहा हो तो ऐसी अवधि के वार्षिक औसत के बराबर होगी।

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सायर के अन्तर्गत तौलाई, तहबाजारी, नखासा, महसूल जवाब और खनिजों से होने वाली आय नहीं है।

१०--धारा ८ के प्रयोजनों के लिये उस पट्टे के अन्तर्गत भूमि के संबंध में जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो चुका है, पट्टेदार की पक्की निकासी कच्ची निकासी से निम्नलिखित की कटौती करके आकलित की जायगी-- पक्की निकासी

(१) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के संबंध में लगान, अबवाब अथवा अन्य देय के रूप में पट्टेदार द्वारा पिछले कृषि वर्ष में देय धनराशि,

(२) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के संबंध में पिछले कृषि वर्ष के लिये पट्टेदार द्वारा प्रदत्त अथवा दिये जाने वाले कृषि आयकर की, यदि कोई हो, धनराशि,

(३) प्रबन्ध का खर्च तथा लगान का न वसूल होने वाला बकाया जो धारा ९-क उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची निकासी और पट्टेदार द्वारा देय लगान के अन्तर का २५ प्रतिशत समझा जायेगा।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड २ से १० तक विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खण्ड ११

देय प्रतिकर की धनराशि।

११—पट्टेदार को प्रतिकर के रूप में देय धनराशि निम्नलिखित सूत्रों (formulae) के अनुसार अवधारित की जायगी—

प० नि० × अ ० अ०—प्रतिकर

"प० नि०" का तात्पर्य धारा १० के अधीन अवधारित पक्की निकासी से है, और

"अ० अ०" का तात्पर्य पट्टे की अवशिष्ट अवधि से है जो उस कृषि वर्ष के आरम्भ से पूरे-पूरे वर्षों में आकलित की जायगी जिसमें अवसान कार्यान्वित हुआ हो, और वर्ष के अंश यों ही छोड़ दिये जायगें।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अ० अ० किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक न होगी,

और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब किसी पट्टे में प्रदत्त मूल अवधि (term originally granted) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व समाप्त हो गई हो और पट्टेदार

(क) वर्ष प्रतिवर्ष भूमि को अपने पास रखता रहे तो अ० अ० एक वर्ष के बराबर रहेगी, या

(ख) उस पट्टे के अधीन या अनुसार किसी नई अवधि के लिए भूमि को अपने पास रखें तो अ० अ० ऐसी अवधि के बने हुये पूरे-पूरे वर्षों के बराबर रहेगी, किन्तु वह अवधि अधिक से अधिक पांच वर्ष की होगी।

श्री कुंवर गुरुनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय संशोधन एक और दो दोनों एक साथ ही लिए जा सकते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिबंधात्मक वाक्य की पहली पंक्ति में शब्द 'पांच' के स्थान पर शब्द 'आठ' रख दिया जाय। और खंड ११ के उपखंड (ख) की अंतिम पंक्ति में शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "आठ" रख दिया जाय।

श्रीमान् जहां तक इस संशोधन का संबंध है यह जो कम्पेनसेशन का एमाउन्ट देने के लिए निश्चय किया गया है उसके संबंध में मैं यह चाहता हूं कि बजाय फाइव टाइम्स के एट टाइम्स कर दिया जाये। रामपुर में जो लीजेज हैं वह ५ वर्ष या दस वर्ष तक की हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो तीस वर्ष तक के लिए हैं इस लिए यह मुमकिन हो सकता है कि कुछ लीजेज पांच वर्ष में एक्स्पायर हो जायें। लेकिन जो कम्पेनसेशन प्रोवाइड करने का एथेक्स है वह डिमान्ड करता है कि हम जो कम्पेनसेशन दें वह ऐसा हो जो पूरे लास को कम्पेनसेट कर दे। इसलिये यह जो ५ वर्ष रखा गया है इसके बजाय अगर आठ का शब्द हो तो कम से कम एक संतोषप्रद चीज हो सकती है।

अभी हमारे मित्र श्री प्रभु नारायण सिंह जी कह रहे थे कि कम्पेनसेशन देने की कोई बात नहीं और कम्पेनसेशन देना ही नहीं चाहिये। मैं समझता हूं कि यह उन्होंने अपना विचार प्रकट किया कि शायद उनकी हुकूमत हो जाय तो न्याय और अन्याय में फर्क ही नहीं होगा। क्या न्याय होगा और क्या अन्याय होगा और क्या उनकी परिभाषा होगी यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह तो ऐसा उसूल है कि हम किसी से कोई चीज लें तो उसको उसके एवज में कोई चीज दें। लेकिन आप के राज्य में हर शख्स किसी की चीज छीन सकता है। एक राइट चीज होती है और इसके द्वारा मुवाविजा दिया जाता है। मुवाविजा देना कान्सटीट्यूशन में प्रावाइड है। मैं तो यह कहता हूं कि जितना मुवाविजा देना चाहिये उतना नहीं दिया जा रहा है। यह बिल्कुल उसूली चीज है कि बिला उचित कीमत दिये हुये किसी को

चीज़ कोई छीनता है तो यह ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि किस आवेग में आकर उन्होंने यह कहा। जब आप कम्पेनसेशन दे रहे हैं तो आप को उसे पूरा फायदा देना चाहिये। आप बजाय ५ गुना के आठ गुना कर दें तो उनको संतोषजनक मुआविजा मिल सकता है।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय मैं कुंवर साहब को इस बात के लिये मुबारकबाद देता हूं कि एक गलत बात को वे किस तरह से पेश करते हैं। अगर कोई इस मामले को सुनता है और आपकी तकरीर को सुनकर चला जाय तो यही कहेगा कि बड़ी माकूल बात कही गयी। पहली बात तो यह है कि जहां पर इसकी मुद्दत दी गयी है वहां पर १७० गांव ऐसे हैं जो होल्ड ओवर कर रहे हैं।

जब गवर्नमेंट चाहे उनको ले सकती है। अगर जून में भी चाहे तो ६ महीने का नोटिस देकर ले सकती है। फिर बचे १२० गांव। कुल २९० गांव हैं। ११४ गांव ऐसे हैं कि जिन्होंने ५ साल के अन्दर आधा रकबा रिक्लेम नहीं किया है। आज गवर्नमेंट चाहे तो उसको ले सकती है और रिक्लेम कर सकती है। गवर्नमेंट को अधिकार है कि जब गवर्नमेंट चाहे उसको रिज्यूम कर सकती है। १९ अक्टूबर सन् १९३५ के नोटीफिकेशन में दिया हुआ है कि उनको ऐसा मैटर आफ राइट नहीं है। यू० पी० गवर्नमेंट इसे रिक्लेम कर सकती है। १०६ गांव में से ३९ गांव ऐसे हैं जिनकी मुद्दत ५ साल बची है। ६५ गांव जो हैं उनमें से ४१ गांव का टाइम एक्सपायर हो गया है। १० गांव ऐसे हैं जिनकी मुद्दत १ साल की बाकी है। २ गांव ऐसे हैं जिनको ५ साल दिया गया है। २ गांव को १० साल का समय है। २९ गांव ऐसे हैं जिनको कुछ समय दिया गया है। कुल २८२ गांव हैं। २ गांव गौशाला के रह जाते हैं। इन गांवों को लेकर हम गौशाला को ही दे देंगे। सिर्फ एक लीज ऐसा है जो २० साल का है। ५ साल से ज्यादा किसी की मुद्दत बाकी नहीं है। यह उदारता कहनी चाहिये। गवर्नमेंट तो गलती करती नहीं क्योंकि यह फैक्ट्स की बात है। बात सोचनी यह है कि ८ गुना पक्की आय का हम प्रोप्राइटर को दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि ठेकेदार को भी आठ गुना दे दिया जाय। ठेके का यह जो पांच गुना है उसी के लिये गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहिये। ठेकेदार तो जमींदार के लैसी हैं उनको आठ गुना किस तरह से मिल सकता है लेकिन अध्यक्ष महोदय, दलील और मन्तक का सवाल हो तो उसका जवाब भी दिया जाय। लिहाज़ा मैं मजबूर हूं कि मैं इस तरमीम को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने यह कहा कि मैं किसी गलत चीज़ को कितने सही तरीके से पुटअप करता हूं। जब वे ऐसा कहते हैं तो वह यह भूल जाते हैं कि उनके पास सब तरह की इन्फारमेशन है, फाइलें हैं, आंकड़े हैं, पूरा सेक्रेटेरियट है, लेकिन मेरे पास तो कोई चीज है नहीं। अगर इस बिल को कोई पढ़े तो वह यही नतीजा निकाल सकता है कि लीज ५ वर्ष में खत्म होती है या १० वर्ष में। मैंने जब यह विधेयक पढ़ा तब मैंने यह सोचा और मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक साहब से पूछा तो मालूम हुआ कि १०, २० और ३० वर्ष के लिये लीजेज हैं, इसलिये मैंने यह ठीक समझा कि जो बेनीफिट होता है उसको दिया जाय इसलिये मैं यह संशोधन लाया। माननीय मंत्री जी ने जब यह बात साफ कर दी है तो मैं अपना अमेन्डमेंट वापस लेता हूं।

चेयरमैन--क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिये जायं?

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये)।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ११ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खंड १२ और १३

१२--धारा ८ के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर का विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति संबंधित पट्टेदार के पास भेजी जायगी। विवरण का प्रारम्भिक प्रकाशन।

डिस्ट्रिक्ट जज को अभिदेश।

१३—(१) कोई भी स्वत्व रखने वाला व्यक्ति अथवा राज्य सरकार ऐसे विवरण के संबंध में प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर नियत रीति से आपत्ति कर सकता है और कलेक्टर ऐसी आपत्ति को निर्धारण के लिये डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदिष्ट करेगा।

(२) ऐसे अभिदेश के संबंध में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को निम्नलिखित भेजेगा—

(क) उन व्यक्तियों के नाम जिनके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह उस पट्टे में स्वत्व रखते हैं,

(ख) धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि, और

(ग) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

(३) कलेक्टर ऐसे अभिदेश के साथ विचाराधीन पट्टे की प्रति भी भेजेगा (Farward)।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १२ और १३ विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खंड-१४

डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अभिदेश का निस्तारण।

१४—(१) डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति से ऐसी आपत्ति का निस्तारण करेगा और वह धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि को पुष्ट कर सकता है (confirm), बदल सकता है अथवा बढ़ा घटा सकता है।

(२) उपधारा (१) के के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जांच का क्षेत्र (scope) आपत्ति द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के स्वत्व पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय एक डिक्री होगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय। श्रीमान्, यह संशोधन जो मैंने रखा है वह सम्बन्ध रखता है डिसपोजल आफ दी रिफरेन्स बाई दि डिस्ट्रिक्ट जज (Disposal of the reference by the District Judge) से जो क्लाज ऐक्ट में दिया हुआ है उसे मैं पढ़ता हूं..

"The scope of enquiry by the District Judge under sub-section (1) shall be restricted to a consideratien of the interest of the persons affected by the objection."

मेरा निवेदन यह है कि इसमें लिमिट नहीं करना चाहिये स्कोप आफ दि इनक्वायरी को जब आप एक इनक्वायरी डिस्ट्रिक्ट जज के सुपुर्द करते हैं तो आप यह तमाशा करते हैं कि अन्डर दि ऐक्ट वह हद इन्टरेस्ट को कन्सीडर करके ही इनक्वायरी करे। लेकिन यह जो क्लाज २ है १४ का इससे यह होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज की इनक्वायरी का स्कोप लिमिट कर दिया जायगा। तो यह हो सकता है कि कोई शख्स जो एफेक्टेड हो वह डिस्ट्रिक्ट जज के सामने कोई बात लाना चाहे लेकिन गवर्नमेंट खुद दरख्वास्त दे दे कि यह फैक्टस् नहीं आ सकते हैं तो फिर क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट जज को जब राइट हर चीज के डिसाइड करने का है तो उसके स्कोप को लिमिट कर देना एक गलत चीज होगी। इसलिये मैंने इस अमेन्डमेंट को रखा। आशा है कि आप इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्लाज १४ जो कुंवर साहब निकलवाना चाहते हैं वह यह है कि—

Section 14 (2) of the Bill

"(2) The scope of enquiry by the District Judge under sub-section (1) shall be restricted to a consideration of the interest of the persons affected by the objections."

और क्लाज १३ (१) यह है कि:—

"(1) Any person interested or the State Government may, in the manner prescribed, file an objection upon such statement within a period of one month from the date of its publication and the Collector shall refer the objection to the District Judge for determination." Section 13 (1) of the Bill

तो जो भी आदमी इंटरेस्टेड है या स्टेट गवर्नमेंट खुद यह एतराज कलेक्टर के सामने कर सकती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो स्कोप आफ इनक्वायरी होगा वह उसी आदमी के इन्टरेस्ट तक सीमित रहेगा जिसने कि एतराज किया है? तो इसके निकल जाने के मानें यह होंगे कि अगर एक आदमी ने एतराज कर दिया तो फिर सब चीज खुल गई। दुनियां में कहीं ऐसा होता है कि हम रामपुर की पट्टेदारी को खत्म करने के लिये बिल पेश कर रहे हैं और उससे जौनसार-बावर की पट्टेदारी को खत्म कर सकते हैं। तो जो चीज अदालत के सामने हो उसी पर विचार होना चाहिये। अगर हम इसको निकाल देते हैं तो इसके माने यह होंगे कि एक आदमी ने एतराज किया और डिस्ट्रिक्ट जज दस आदमियों के हिसाब किताब को उलट ले, तो इससे कोई फायदा न होगा। जो आदमी एतराज करता है डिस्ट्रिक्ट जज उसी के मामले को देखेगा और किसी दूसरे के नहीं। मैं समझता हूं कि माननीय कुंवर साहब आज माकूल मूड में हैं और इसलिय वह इस अमेंडमेंट को भी वापस ले लेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि बिल्कुल माकूल मूड में हूं इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का यह तरीका नहीं समझ सका कि डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अगर कोई शख्स जौनसार-बावर के बारे में कोई बात लाये तो वह उसे क्यों सुनने लगे। मैं तो यह समझता हूं कि मंत्री जी शायद डिस्ट्रिक्ट जज को इतना बड़ा बेवकूफ समझते हैं कि उसे कोई इनक्वायरी करना ही नहीं आता है। तो अगर आप अदालत के ऊपर कोई कान्फीडेंस नहीं रखते हैं और उसे अपनी इनक्वायरी के पूरे राइट्स नहीं देते हैं तो यह कहां का तरीका है और मैं समझता हूं कि यह माकूल बात नहीं है जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं। यह जरूरी है डिस्ट्रिक्ट जज के लिये या उस अदालत के लिये कि उसको पूरा स्कोप होना चाहिये अपनी इनक्वायरी करने के लिये और उसके रास्ते में किसी भी प्रकार का इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिये। अगर आप कोई इंटरफियरेंस लगाते हैं या रखते हैं तो यह आप गलत काम कर रहे हैं।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १४ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १४ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खण्ड १५

विवरण का अंतिम प्रकाशन।

१५—(१) यदि धारा १२ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर विवरण के संबंध में कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गई हो अथवा, यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होकर अंतिम रूपसे निस्तारित हो चुकी हो, तो विवरण तदनुसार संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत (amended, altered or modified) कर दिया जायगा और कलेक्टर उस विवरण पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मोहर लगायेगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किया और मोहर लगाया हुआ विवरण अंतिम होगा।

(३) अंतिम विवरण की एक प्रति संबंधित पट्टेदार को बिना मूल्य दी जायगी।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड १५ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खन्ड १६

प्रतिकर का भुगतान।

१६--(१) धारा १५ में अभिदिष्ट अन्तिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर नकदी में दिया जायगा।

(२) प्रतिकर उस पट्टेदार को दिया जायगा जिसका नाम अन्तिम प्रतिकर विवरण में दर्ज हो और यदि प्रतिकर दिये जाने से पहले पट्टेदार की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representative) को दिया जायगा।

(३) धारा १५ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर पर राज्य सरकार ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से अवसान के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ब्याज देगी।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'में' और शब्द 'दिया' के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं

"प्रतिकर विवरण के अंतिम प्रकाशन के ९० दिन के अंदर"।

श्रीमन्, यह जो संशोधन मैंने रक्खा है उसका तात्पर्य यह है कि मैं यह चाहता हूं कि जो कम्पेनसेशन दिया जाय वह जब प्रकाशित हो जाय प्रतिकर का विवरण, तो उसके ९० दिन के अंदर उसका कम्पेनसेशन मिल जाना चाहिये।

इसका मुख्य कारण यह है और यह बात सभी जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट होती है, उसकी मशीनरी होती है, वह हमेशा बड़ी स्लो और बहुत धीरे से चला करती है। मुझे जमींदारी अबालिशन के सम्बन्ध में यह कहना है कि इसका जो मुआविजा है उसमें भी हम देखते हैं कि कितने धीरे-धीरे उसकी प्रगति होती है। जिनको इन्टरिम कम्पेनसेशन मिलता है उसमें काफी समय लग जाता है और इसी तरह से मुझे अन्देशा है कि सरकारी मशीनरी बहुत धीरे धीरे काम करती रहेगी। इसलिये मेरे संशोधन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मानने में माननीय मंत्री जी को एतराज हो। हम सिर्फ टाइम लिमिट चाहते हैं कि ९० दिन के अन्दर कम्पेनसेसन दे दिया जाय।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट के कानून में ऐसी हिदायत रखना बहुत ही नामौजूं और गैरजरूरी है इसलिये कि अगर ९० दिन के अन्दर कम्पेनसेशन न दे पायें तो फिर कम्पेनसेशन मर जायेगा। अगर कुंवर साहब को ऐसा मानने में कोई एतराज न हो तो मैं मान सकता हूं। जहां तक इसमें कम्पेनसेशन का सवाल है, वह बहुत थोड़ा है और मैं चाहता हूं कि जल्द ही उसे नकद दे दिया जाय। क्योंकि देर करने में रुपये का सूद देना पड़ेगा। मैंने नकद रुपया देने की व्यवस्था की है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "में" और शब्द "दिया" के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"प्रतिकर विवरण के अंतिम प्रकाशन के ९० दिन के अन्दर।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड १६ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खन्ड १७-१८

राज्य सरकार की दायित्व से मुक्ति

१७--इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर की अदायगी से, उस व्यक्ति के प्रति जिसका इस संबंध में साधिकार दावा (rightful claim) हो, राज्य सरकार की सभी दायित्व से पूर्ण मुक्ति होगी, किन्तु यह अदायगी उक्त प्रतिकर के संबंध में

किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के उस अधिकार पर जिसका वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे उक्त प्रकार अदायगी की गयी हो, विधि की उचित प्रसर (due process of law) के आधार पर अधिकारी हो, विपरीत प्रभाव न डालेगी।

नियम के बनाने का अधिकार।

१८--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को न बाधित करते हुये ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी--

(क) धारा ४ के खंड (घ), (ङ) और (च) में वर्णित लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों को आकलित करने की रीति,

(ख) धारा ४ के खंड (ख) में अभिदिष्ट तथा पट्टेदार द्वारा अपनी खुदकाश्त में लाई हुई भूमि का निर्धारण तथा उसकी व्यवस्था,

(ग) धारा ६ के अधीन भूमियों को अधिकार में लिये जाने से सम्बद्ध विषय,

(घ) आकार और रीति जिसके अनुसार धारा ८ के अधीन प्रतिकर विवरण तैयार किया जायगा,

(ङ) रीति जिसके अनुसार कलेक्टर धारा १३ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज के पास आपत्तियां अभिदिष्ट करेंगे,

(च) उन क्षेत्रों में जहां ऐसी दरें पहले से अवधारित नहीं हों मौरूसी दरों के निर्धारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत,

(छ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन वे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जायं जिनके विषय में यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है,

(ज) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों का इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों और कार्यवाहियों में लागू होना,

(झ) इस अधिनियम के अधीन उन प्रार्थना-पत्रों के संबंध में दिये जाने वाले शुल्क जिनके विषय में यहां पर विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है,

(ञ) इस अधिनियम के अधीन अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ट) किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से किसी दूसरे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के यहां कार्यवाहियों का संक्रमण,

(ठ) इस अधिनिम के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अन्य कार्यवाहियों में उन दशाओं में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिनके लिये यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, और

(ड) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं अथवा नियत किये जा सकते हैं।

(३) उपधारा (१) व (२) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा निर्मित नियम विधान मंडल में यथाशीघ्र सदस्यों के सूचनार्थ मेज पर रखे जायंगे।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड १७ और १८ विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

प्रस्तावना व खण्ड १

रामपुर में भूमि सुधारों के प्रचलन को सुकर बनाने के हेतु वहां ठेकेदारी तथा पट्टेदारी की प्रणालियों के विनाश की तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार तथा प्रारम्भ ।

१--(१) यह अधिनियम रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ कहलाएगा ।

(२) इसका प्रसार सारे रामपुर में होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे तथा रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खंड एक इस बिल के भाग बने रहें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५३ ई० के रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५३ ई० के रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

चेयरमैन--कौंसिल परसों ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है । उस दिन नान-आफिशियल डे (non-official day) होगा ।

(कौंसिल १२ बज कर ४० मिनट पर १८ फरवरी, १९५४ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई) ।

लखनऊ :

१६ फरवरी, १९५४

कृष्ण बहादुर सक्सेना,

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

प्रश्न संख्या ५ के उत्तर से सम्बन्धित

इस आन्दोलन में प्रान्त में निम्नलिखित सरकारी इमारतों तथा वस्तुओं को क्षति पहुंची :—

इमारतें—डाकखाना, रेलवे स्टेशन, पुलिस चौकी, बस स्टेशन, कचेहरी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इन्सपेक्शन हाउस, सरकारी स्कूल तथा कानपुर का एक पावर हाउस।

वस्तुयें—डाकखाने के रिकार्ड तथा फर्नीचर इत्यादि, लेटरबक्स, टेलीफोन तथा टेलीग्राफ के तार, टेलीफोन जंक्शन बाक्स, रेलवे गाड़ी, रेलवे स्टेशन के सिगनल के तार तथा लैम्प्स, बस स्टैंड, केनाल गेट, इलाहाबाद के सरकारी स्कूल के लेबोरेटरी का सामान, लखनऊ के जेल डिपो की कुछ सामग्री तथा बाराबंकी के एक तहसील का रेनगाज।

पी० एस० यू० पी०—२२६ एल० सी०—१६५३—८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

१८ फरवरी, १९५४

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५५)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभुनारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
मानपाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
व्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:

श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री)।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह मंत्री)।

श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)।

प्रश्नोत्तर

१—४—श्री कृष्णचन्द्र जोशी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

उत्तर प्रदेश के स्थानीय बोर्डों में सफल उम्मीदवारों की सूची

५—श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—उत्तर प्रदेश के स्थानीय बोर्डों, जिसमें टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया कमेटियां भी शामिल हैं, के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी :—

(क) उम्मीदवारों की संख्या (स्वतंत्र और पार्टी के आधार पर) जिन्होंने चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा ?

(ख) उम्मीदवारों की सूची (पार्टी के आधार पर) जो चैयरमैनी के एलेक्शन में कामयाब हुये ?

(ग) उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने स्वतंत्र रूप अथवा पार्टी के आधार पर मेम्बरी के लिये एलेक्शन लड़ा और कामयाब उम्मीदवारों की पार्टी के आधार पर सूची ?

(घ) वोटों की संख्या जो प्रत्येक उम्मीदवारों को मिले ,इनवेलिड वोटों की संख्या और वोटों का प्रतिशत जो प्रत्येक पार्टी और स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिला ?

5. **Sri Kunwar Guru Narain** (Legislative Assembly Constituency): Will the Government be pleased to place on the table of the House the following information concerning the recent elections to Local Bodies including Town Area and Notified Area Committees in Uttar Pradesh :

(*a*) The number of candidates (Independent and party-wise) who contested the Chairmenship ?

(*b*) The list of candidates (party-wise) who were successful in the election of the chairmen ?

(*c*) Number of candidates who contested as independent and on party lines for membership and the list of successful candidates party-wise?

(*d*) The number of votes polled by each candidate, the number of invalid votes, and the percentage of votes polled by each party and independent candidates ?

श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)—(क) इस सम्बन्ध में जो जानकारी सरकार को है वह विवरण* संख्या १ में दी है जो माननीय सदस्यों की मेज पर रक्खी है।

(ख) सफल अध्यक्षों की विवरण † संख्या २ में जो माननीय सदस्यों की मेज पर रक्खा है अपेक्षित सूची दी है, इस सम्बन्ध में सरकार को जो कुछ जानकारी है, उस पर आधारित है।

(ग)व(घ) यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और इसके इकट्ठा करने के लिये अत्यधिक समय तथा परिश्रम की आवश्यकता होगी।

Sri Mohan Lal Gautam (Minister for Local-Self-Government): (*a*) Information available to Government in this connection is contained in Statement I ‡ which is placed on the table of the honourable members.

*विवरण संख्या १ के लिये देखिये नत्थी "क" पृष्ठ २१८ पर।

†विवरण संख्या २ के लिये देखिये नत्थी "ख" पृष्ठ २१९ पर।

‡for Statement I See Appendix 'A' on page 234

(*b*) Statement II † placed on the table of the honourable members gives the required list based on the information available to Government in this connection.

(*c*) and (*d*) This information is not readily available with Government and the time and labour involved in collecting the requisite details would be enormous.

श्री कुंवर गुरु नारायण--क्या माननीय मंत्री जी अगर इसमें समय की कमी है, तो कुछ समय लेकर इस स्टेटिक्स को, जो इस में डिमान्ड किया गया है, मेम्बरों के पास भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम--जैसा मैंने कहा कि इसमें समय भी लगेगा और काफी परिश्रम भी होगा। उसके अलावा एक दिक्कत यह भी है कि जो भी सूचना होगी वह रोज बदलती रहती है क्योंकि कुछ मेम्बर जो आज किसी टिकट पर हैं तो वे फिर दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। इसलिये इस सूचना को इकट्ठा करने से कोई फायदा भी नहीं होगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण--जो मेरे सवाल का (डी) पार्ट है उसमें मैंने दि नम्बर आफ वोट्स पोल्ड बाइ ईच केन्डीडेट मांगा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि पब्लिक ओपीनियन किस प्रकार का है उसका अन्दाजा हमको मिल जायेगा। इसमें पार्टी चेन्ज का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ वोट की संख्या चाहते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम--जो पार्टी के मेम्बरों की बात कही गयी थी उसका उत्तर 'ग' और 'घ' को मिलाकर दिया था। 'ग' में सवाल पूछा गया था कि पार्टी लेविल पर कितने आदमी खड़े हुये थे, उसकी सूचना तो दी गयी है। जहां तक 'घ' का सम्बन्ध है यह हर एक जगह मौजूद तो है लेकिन इसको इकट्ठा करने में बहुत बड़ा परिश्रम होगा। इसमें जितना खर्च और परिश्रम होगा उससे कोई फायदा नहीं होगा।

६--१२--श्री नरोत्तम दास टंडन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित।

१३--श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित।

म्युनिसिपल बोर्ड, वृन्दावन के लिये वाटर स्टोरेज टैन्क

१४--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--

(क) क्या यह ठीक है कि सरकार ने म्युनिसिपल बोर्ड, वृन्दाबन, की पानी की मात्रा बढ़ाने के लिये एक वाटर स्टोरेज टैंक बनाने के वास्ते कोई आर्थिक सहायता दी थी ?

(ख) यदि हां, तो वह कितनी रकम थी और वह बोर्ड को कब दी गई थी ?

14. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (Teachers Constituency) (*absent*): (*a*) Is it a fact that the Government had given a grant to the Municipal Board, Vrindaban, for the construction of a Water Storage Tank for augmentation of their water supply ?

(*b*) If so, what was the sum and when was it granted to the Board ?

श्री मोहन लाल गौतम--(क) जी हां।

(ख) १,०७,८०० रुपये का ऋण वित्तीय वर्ष १९५१--५२ में बोर्ड को दिया गया था।

Sri Mohan Lal Gautam : (*a*) Yes.

(*b*) Rs. 1,07,800 was loaned to the Board during 1951-52.

---

†for Statement II See Appendix 'B' on page 235

प्रश्न संख्या १४ से १९ तक श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी द्वारा पूछे गये।

१५--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)--क्या यह ठीक है कि स्टोरेज टैंक अभी तक नहीं बनाया गया है जिसके कारण नगर की जनता को बड़ा कष्ट हो रहा है ?

15. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*) : Is it a fact that the Storage Tank has not been built yet and the public of the town are experiencing a great hardship ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां स्टोरेज टैंक अभी बना नहीं है । सम्भवतः जनता को इसके कारण असुविधा हो ।

Sri Mohan Lal Gautam : Yes, the storage tank has not yet been built. It is possible that the public may be experiencing inconvenience on that account.

१६--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)--क्या यह ठीक है कि उक्त बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से वृन्दाबन के नागरिकों से बिना उनकी पानी की आवश्यकताओं को संतोषजनक पूरा किये हुये उनसे वाटर टैक्स वसूल कर रहा है ?

16. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*) : Is it a fact that the Board are realizing water tax from the citizens of Vrindaban without meeting their water supply requirements satisfactorily.

श्री मोहन लाल गौतम--बोर्ड उन्हीं स्थानों के नागरिकों से जल-कर वसूल करता है जहां जल वितरण की सुविधा उपलब्ध है ।

Sri Mohan Lal Gautam : The Board is realising water tax from the citizens in those localities only where the water supply arrangement exists.

१७--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)--क्या कारण है जिनकी वजह से उक्त बोर्ड स्टोरेज टैंक नहीं बना सका है ?

17. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*) : What are the reasons that the Board has not been able to construct the Storage Tank?

श्री मोहन लाल गौतम--इस टैंक को बनाने के लिये बोर्ड ने श्री गोविन्द देव जी के मन्दिर के निकट एक स्थान पसन्द किया था परन्तु पुरातत्व विभाग (Archaeological Department) ने इस स्थान पर उक्त जलाशय (tank) बनाने पर आपत्ति की और इस वाद-विवाद के कारण कार्य की प्रगति रुक गई । अब यह निश्चय किया गया है कि बोर्ड कोई अन्य स्थान ढूंढ़ें ।

Sri Mohan Lal Gautam : The Board selected a site adjacent to Sri Govind Deo Ji's temple for the construction of the Tank but the Archaeological Department objected to the construction of the tank on this site. The work was held up due to this controversy. It has now been decided that the Board should select some other site.

१८--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)--(क) जो रकम सरकार ने सहायतार्थ दी है, वह अब किसके पास जमा है ?

(ख) अब कितना रुपया बचा हुआ है ?

(ग) क्या उस पर कोई सूद आ रहा है ?

(घ) यदि हां, तो किस दर से और सूद का कितना रुपया जमा हुआ है ?

18. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*): (*a*) With whom is the money, granted by the Government deposited at present ?

(*b*) What is the amount of the present balance ?

(*c*) Is it bearing any interest?

(*d*) If so, at what rate and how much amount has been added as interest?

श्री मोहन लाल गौतम--(क) यह रुपया बोर्ड ने इम्पीरियल बैंक की मथुरा शाखा से अपने हिसाब में ले लिया था और इसमें से ३४,२४२ रु० ७ आ० योजना पर व्यय किया गया।

(ख) पिछले बोर्ड ने कार्यभार देते समय १,६७७ रु० १५ आ० ११ पा० नकद तथा ३९,००० रु० रिजर्व में छोड़े थे।

(ग) इम्पीरियल बैंक चालू हिसाब (current account) पर कोई सूद नहीं देता।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

Sri Mohan Lal Gautem: (*a*) The money was drawn by the Board by transfer credit in its accounts with the Imperial Bank at Mathura. An expenditure of Rs. 34,242-7 as. has been incurred on the scheme.

(*b*) The outgoing Board left a cash balance of Rs. 1,677-15-11 and a reserve balance of Rs. 39,000.

(*c*) No interest is allowed on current account by the Imperial Bank.

(*d*) The question does not arise.

१९--श्री कन्हैयालाल गुप्त (अनुपस्थित)--इस स्टोरेज टैंक के तामीर के लिये क्या कोई समय निश्चित किया गया है?

19. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*): Is there a time limit fixed for the construction of this Storage Tank?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नहीं। परन्तु सरकार तथा बोर्ड दोनों उत्सुक हैं कि यह शीघ्र बन जाय।

Sri Mohan Lal Gautam: No. But both Government and the Board are keen that it should be constructed early.

सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) विधेयक, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १७ फरवरी, १९५४, को पारित हुआ और यहां आज प्राप्त हुआ, मेज पर रखता हूं।

सन् १९५४ ई० का कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से सन् १९५४ ई० का कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १५ फरवरी, १९५४, को पारित हुआ और यहां १७ फरवरी, १९५४, को प्राप्त हुआ, मेज पर रखता हूं।

संकल्प कि कानपुर में शिशु-गृहों का निर्माण किया जाय

श्री प्रभुनारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--श्रीमान्, हम यह चाहते हैं कि इन प्रस्तावों के लिए टाइम मुकर्रर कर दिया जाय कि एक प्रस्ताव इतने घंटे में खत्म हो जाना चाहिए।

चेयरमैन--यह नियम के विरुद्ध है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है।

श्रीमती तारा अग्रवाल (नाम निर्देशित)--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न-लिखित प्रस्ताव पेश करती हूं--

"यह परिषद् सरकार से सिफारिश करती है कि वह कानपुर में उपयुक्त स्थानों पर सुशिक्षित नर्सों, खेलकूद के सामान एवं खाद्य-सामग्री युक्त शिशु गृहों का निर्माण करें जहां मध्य वर्ग की महिलायें उस समय तक के लिये जब तक वह दफ्तरों या अन्य स्थानों पर कार्य करती रहें, अपने बच्चों को छोड़ सकें।"

श्रीमान्, आज इस प्रस्ताव की इसलिए आवश्यकता हुई कि आज समय के परिवर्तन के साथ ही हमारी मध्यवर्ती स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय हो गई है। कल जिस बात की आवश्यकता नहीं थी, आज उन्हीं बातों की आवश्यकता हो गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार सेक्शन ३३ के अनुसार सब प्रदेश की सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने प्रदेश में मिल मालिकों से संगठित रूप में काम करने वाली मजदूर महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु गृहों का प्रबन्ध करे, बहुत सी जगहों पर उन संगठित मजदूर महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था है भी, लेकिन वह व्यवस्था किसी प्रकार से भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। उस व्यवस्था की ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि सरकार चाहे तो वह मिल मालिकों पर जोर डाल कर उन शिशु-गृहों की व्यवस्था पूर्ण रूप से अच्छी बना सकती है। मेरा प्रस्ताव उन महिलाओं के बच्चों के लिए है जो असंगठित रूप से कार्य करती हैं। वह महिलायें जो मकानों में मरम्मत आदि का काम करती हैं, गारा ढोती हैं और अपने बच्चों को चूने के ढेर में लिटा देती हैं जिसके कारण उनका स्वास्थ्य गिर जाता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को अफीम देकर घर पर सुला देती हैं और शाम को जाकर उनको उठाती हैं। ऐसी अवस्था में उन बच्चों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है और हमारे देश को स्वस्थ नागरिक मिलने के बजाय, अफीमची और दुर्बल नागरिक मिल रहे हैं। दूसरे वह मध्यवर्ती महिलायें जो टाइपिस्ट क्लर्क, डाक्टर, नर्स व किसी स्कूल में कार्य करती हैं या स्वयं शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाती हैं। क्योंकि उनको इसकी इसलिये आवश्यकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति आज ऐसी नहीं है कि वह स्वयं कार्य न करें और केवल अपने पति के ही धनोपार्जन से परिवार का पालन-पोषण करें। आज आर्थिक परेशानियों के कारण ही जो सम्मिलित परिवार हैं वह धीरे-धीरे मिटते जाते हैं और छोटे-छोटे परिवारों में विभाजित होते जाते हैं, इसलिये उनके परिवार में पति-पत्नी और दो-चार बच्चे रहते हैं। यदि पति की कमाई में गुजर हो जाय तो मातायें अपने बच्चों का लालन-पालन कर सकती हैं, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि इस तरह से अगर पत्नी यह देखती है कि पति की कमाई से गुजारा होना असम्भव है तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को भी स्वयं धनोपार्जन के लिये कहीं न कहीं कार्य करना पड़ता है, लेकिन परेशानी उनके सामने आती है बच्चों के रखरखाव की। यदि वह नौकर या आया रखने की सामर्थ्य रक्खें तो स्वयं उनको नौकरी करने की क्या आवश्यकता है और यदि वह बच्चों को साथ ले जायं तब भी उनके लिये कार्य करना असम्भव है कि गोद में बच्चा रहे और स्वयं कार्य कर सकें। ऐसी परिस्थिति में इस बात की आवश्यकता है कि सरकार की तरफ से इस प्रकार के मुख्य-मुख्य शहरों में जहां इस प्रकार की कठिनाइयां हों और जहां कि महिलायें कार्य करती हों, उन शहरों में शिशु-गृह बनवाये जायं।

हो सकता है कि माननीय मंत्री जी इस बात की राय दें कि यह कार्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा या प्राइवेट संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है और वे इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन मैं इस तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं कि यदि इस प्रकार का प्रबन्ध कहीं हो भी तो जनता में इसके लिये विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता है और न वह मातायें इस प्रकार के प्रबन्ध में अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं, और यदि यह व्यवस्था

भी हो और मान लिया जाय कि वह मातायें अपने बच्चों को छोड़ने के लिये तैयार भी हो जायं, तो आप यह देखेंगे कि उसमें सुचारु रूप से व्यवस्था नहीं हो पायगी जिससे कि बच्चों का लालन-पालन अच्छी तरह से हो सके और वह स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वह स्वयं इस प्रकार के शिशु-गृहों के प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और इसके लिये वह स्वयं स्थानीय संस्थाओं के ऊपर भी कुछ इसका प्रभाव डाले। उसमें जब बच्चे रहेंगे तो उनके खेल-कूद की व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा और इसके साथ ही दिन भर रखने के लिये उनके भोजन की भी उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी तो इसके लिये यह हो सकता है कि उन माताओं से थोड़ी सी फीस ले करके यह व्यवस्था की जाय और यह सरकार के ऊपर है कि वह किस प्रकार की व्यवस्था कराये और इन शिशु-गृहों का निर्माण करे। मैं इस बात के लिये सदन से भी प्रार्थना करूंगी कि वह मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और एक्सपेरीमेन्ट के लिये पहले एक शिशु-गृह का निर्माण कानपुर में किया जाय जिससे कि हमारी मध्यम वर्ग की महिलाओं के बच्चों का कल्याण हो और उनको अपनी आजीविका कमाने में आसानी मिल सके। क्योंकि सरकार का इस ओर भी ध्यान होना चाहिये कि सरकार हमारे देश के बनने वाले नागरिक लड़खड़ाते पैरों से न खड़े होकर, स्वस्थ होकर अपने देश का भार सम्भालें।

चेयरमैन--श्री कुंवर गुरु नारायण इस पर अपना संशोधन पहले पेश कर दें।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन मूल प्रस्ताव में उपस्थित करना चाहता हूं :

> पहिली पंक्ति में शब्द "कानपुर" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्न-लिखित शब्द रख दिये जायं :--
>
> "उत्तर प्रदेश के मुख्य शहरों"

श्रीमन्, जो प्रस्ताव चिल्ड्रेन्स् होम के सम्बन्ध में श्रीमती तारा अग्रवाल जी ने रखा है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन मुझे इस बात का जरूर दुःख है कि उन्होंने थोड़ी सी संकीर्ण दृष्टि से काम किया कि केवल कानपुर के लिये ही यह प्रस्ताव रखा और उसमें प्रदेश की दूसरी जगहों के लिये इसको नहीं रखा। अगर कोई चीज अच्छी और उपयोगी है तो वह समस्त प्रान्त के लिये होनी चाहिये।

श्रीमन्, चिल्ड्रेन्स् होम या शिशु-गृह का आइडिया सबसे पहले रूस में पैदा हुआ। रेवोल्यूशन के बाद वहां पर जो वर्किंग क्लास की औरतें थीं जो कि फैक्टरीज में जाती थीं तो उनके बच्चों के पालन-पोषण के लिये वहां पर चिल्ड्रेन्स होम बनाए गये। चूंकि वहां की औरतें स्वस्थ और तन्दुरुस्त होती थीं और वे काम करने के लिये जाती थीं तो यह स्वाभाविक ही था कि उनके बच्चों के लिये उन स्थानों में इस प्रकार के शिशु-गृह रखे जायें। लेकिन वहां के चिल्ड्रेन्स होम जो थे वे उन्हीं स्त्रियों के बच्चों के लिये थे जो कि फैक्टरीज में काम करती थीं। चिल्ड्रेन्स होम के जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं, यह तो अच्छी चीज है और हमें इसे जरूर अपनाना चाहिये।

मुझे याद है कि जिस समय मिसेज इन्दरा गांधी रूस गईं तो वहां वे जिसकी मेहमान थीं उन्होंने उनसे पूछा कि उनके साथ उनके बच्चे नहीं हैं तो इसका उत्तर जो इन्होंने दिया वह यह था कि अगर मैं अपने बच्चों को अपने साथ लाती तो मुझे बहुत समय उनकी देखभाल में नष्ट करना पड़ता और मैं यहां अच्छी तरह से देख नहीं सकती थी। उनके इस उत्तर से वहां उनको कुछ चिल्ड्रेन्स होम अर्थात् शिशु-गृह दिखलाये गये और उनसे वे भी बहुत प्रभावित हुईं। यह तो रूस की दशा है लेकिन अगर हम और मुल्कों को देखते हैं और खासकर जर्मनी को देखते हैं तो पता चलता है कि जर्मनी में चिल्ड्रेन्स होम का होना एक गलत चीज समझते हैं और उनका कहना यह है और उनका ट्रेडिसन इस प्रकार का है कि बच्चों का पालन-पोषण तो जितना मां-बाप या पेरेन्ट्स कर सकते हैं उस प्रकार से कोई दूसरा उनका पालन-पोषण नहीं कर

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

सकता है। इसका एक कारण भी है और वह यह है कि जर्मनी में जो स्त्रियां हैं वे जोब्स (jobs) में या इस प्रकार के कामों में नहीं जाती हैं और वहां इस प्रकार के काम या फैक्टरीज के जितने काम हैं वे सब मनुष्यों के सुपुर्दगी में ही रहते हैं और उनका वह ट्रेडिशन है और वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि जहां लड़कों या स्त्रियों के संबंध की बात है, तो उनका कार्य फैक्ट्रीज में नहीं है और अगर उनका कोई स्थान है तो अपने बच्चों के साथ घरों में ही हैं। हिटलर के सामने एक मर्तबा स्त्रियों ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा कि उनको बाहर कार्य करने दिया जाय और उनको इस प्रकार के अधिकार दिये जायें, तो उसके जवाब में हिटलर ने कहा कि आपका कार्य घरों में है और आप अच्छे और तन्दुरुस्त बच्चे पैदा करें और उनका पालन-पोषण करें। तो यह वहां की विचारधारा है वहां की परम्परा है और यह वहां का ख्याल ह और यही ख्याल हमारे भारतवर्ष में भी अब तक रहा है। हमारे भारतवर्ष की स्त्रियां घरों के प्रबन्ध में रहती थीं और वे बाहर किसी प्रकार के काम म नहीं आती थीं, लेकिन अब हमारे सामने जो बात आ गयी है और जिस परिस्थिति को आज हम देखते हैं, उसे देखते हुए हमें यह विचार करना पड़ेगा कि हम इन शिशु-गृहों का प्रबन्ध करें। सभी लोगों को मालूम है कि आज हमारे प्रदेश के लोगों के सामने एक बड़ा भारी आर्थिक संकट है और कोई शख्श अकेला किसी जगह पर नौकरी करके अपना भरण-पोषण नहीं कर पाता है। तो इसका परिणाम यह होता है कि जो स्त्रियां हैं उनको भी पुरुषों की आमदनी को सप्लीमेंट करने के लिये काम करना पड़ता है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जब आज यह परिस्थिति बदल रही है, तो इस समय जो इस प्रकार का एक सुझाव श्रीमती तारा अग्रवाल जी ने इस भवन के सामने रखा है, वह उपयोगी ही होगा। मैं यह जरूर चाहूंगा कि यह केवल फैक्ट्रीज में काम करने वालों के लिये ही न हो बल्कि उन तमाम मध्यम श्रेणी के लिये भी हो जो स्टेनोग्राफर्स या टीचर्स या इसी तरह के वर्ग के हों, उनके लिये भी चिल्ड्रेन्स होम की व्यवस्था की जाय। यह सरकार के लिये संभव नहीं है कि सारा का सारा भार संभाल सके। जो फैक्ट्रीज में काम करती हैं उनके लिये यह प्रबंध किया जा सकता ह और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन्स हैं उन पर जोर दिया जाय कि इस प्रकार की व्यवस्था करें और उन चिल्ड्रेन्स होम्स में गवर्नमेंट भी थोड़ा भाग दे और मैं यह समझता हूं कि जो प्रस्ताव श्रीमती तारा अग्रवाल ने रखा है वह आवश्यक है, और मैं यह जरूर चाहूंगा कि वह कानपुर ही के लिये नहीं बल्कि समस्त प्रदेश के लिये यह चीज हो जाय और मैं आशा करता हूं कि मूवर साहब इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और सरकार भी इस पर विचार करेगी।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती तारा अग्रवाल जी के प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं:--

पहली पंक्ति में से शब्द "कानपुर" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं--

"उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के हेड क्वार्टरों" तथा प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित वाक्य और जोड़ दिये जायं:

"साथ ही पैदा हुए अनाथ या लावारिस बच्चों का पालन-पोषण भी हो सके"।

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव श्रीमती तारा अग्रवाल जी ने रखा है वह वास्तव में बड़ा सुन्दर प्रस्ताव है और उन्होंने हमारे प्रदेश की एक बड़ी अहम और जरूरी समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है किन्तु उसके साथ ही साथ उन्होंने प्रस्ताव में केवल कानपुर की समस्या को ही हल करने का प्रयत्न किया है और

सारे प्रदेश की समस्या को छोड़ दिया है। इसी तरह से कुंवर साहब ने जो संशोधन पेश किया है उसमें भी उन्होंने सारे प्रदेश को छोड़ दिया है केवल मुख्य-मुख्य शहरों की बात की है। मैंने जो संशोधन पेश किया है मैं यह चाहूंगा कि इस संशोधन के जरिए से तमाम प्रदेश में जहां भी जिले के हेडक्वार्टर्स हैं वहां एक चिल्ड्रेन्स होम खोला जाय।

हमारे सामने दो सब से बड़ी समस्यायें हैं। एक समस्या तो यह है जिसकी ओर श्रीमती तारा अग्रवाल जी ने संकेत किया कि जो महिलायें फैक्ट्रीज में काम करती हैं उनके बच्चे या तो दिन भर घर में पड़े रहते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है या किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप आती हैं। यह है कि हमारे प्रदेश में बहुत से मिडिल क्लास के बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनकी मातायें पैदा होते ही मर जाती हैं, जिनकी देख-रेख कर नेवाला कोई नहीं होता है। और पुरुष उनकी देख-रेख कर नहीं सकती। इसके साथ ही आजकल कुछ ऐसी प्रथा चल पड़ी है कि लावारिस बच्चे जिनको दूसरे शब्दों में इल्लीगल या नाजायज तौर से पैदा हुए बच्चे कहा जा सकता है, जिनको औरतें अक्सर सड़क पर छोड़ जाती हैं व किसी पार्क में डाल देती हैं या नदी के किनारे डाल जाती हैं। ऐसे बच्चों को जब पुलिस देखती है तो वह उनको ले जा कर अनाथालय में रख देती है। वहां उनका अच्छी प्रकार से लालन-पालन नहीं हो सकता। इसका परिणाम यह होता है कि देश के बहुत से होनहार बच्चे या तो मर जाते हैं और अगर नौजवान भी हुये तो बड़े दुबले-पतले और बिलकुल अस्वस्थ होते हैं। इस प्रकार इन दोनों समस्याओं की ओर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।

जहां तक श्रीमती तारा अग्रवाल जी ने फैक्ट्री की बात बताई है। मैं माननीय मंत्री जी के सामने सुझाव पेश करना चाहता हूं। फैक्ट्रियों के अन्दर ही नहीं बल्कि स्त्रियां विभिन्न विभागों में नौकर होती हैं। खास तौर से शिक्षा के विभाग में हमने देखा है कि प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में व हायर सेकेंडरी स्कूलों में बहुत सी स्त्रियां नौकर होती हैं। जब वह स्कूलों में जाती हैं तो वह अपने बच्चों को घर पर छोड़ जाती हैं और जब शाम को वापस आती हैं तो उनके बच्चों की कितनी बुरी हालत होती है, उसका वह स्त्रियां ही अन्दाज कर सकती हैं। इस प्रकार से और भी कई विभाग हैं जहां स्त्रियां काम करने जाती हैं और अपने बच्चों को घर पर छोड़ जाती हैं और उनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं होता है। इस संबंध में मैं सरकार के सामने सुझाव रखना चाहता हूं। जहां सरकार ने तमाम समस्याओं को हल करने के लिये कदम उठाये हैं वहां इस समस्या की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये क्योंकि यह कोई छोटी समस्या नहीं है। यह भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिये आसान ढंग यह है कि हर एक जिले में सरकार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कायम करे। इन डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में एक हिस्सा चिल्ड्रेन्स होम के नाम से एलाट कर दिया जाये और जिस स्थान की जैसी आवश्यकता हो उतनी नर्सें वहां रख दी जायं, बच्चों के खेलने और पालन-पोषण का सामान रख दिया जाय। इस प्रकार से हमारे प्रदेश की यह समस्या हल हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि प्रस्तावक महोदया और सरकार दोनों मेरे सुझावों को स्वीकार करेंगे।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती तारा अग्रवाल बहिन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं यह भी चाहती हूं कि कानपुर शहर में चिल्ड्रेन्स होम्स बनाये जायं ताकि जो मातायें लेबर क्लास की हैं उनके बच्चों का पालन-पोषण हो सके क्योंकि सभी बच्चे देश के धन हैं। इस तरह से वे सुशिक्षित हो जायेंगे और उनमें अच्छे

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

नागरिक बनने का भाव पैदा होगा जिसकी कि हमारे देश में बहुत अधिक आवश्यकता है। भाई प्रभु नारायण ने कहा कि सारे बड़े बड़े शहरों में चिल्डरेन्स होम्स बनाये जायें तो यह ठीक नहीं है। मुझको ऐसा लगता है कि तारा देवी जी के प्रस्ताव के माने वह ठीक नहीं समझे। उनकी मन्शा ऐसे चिल्ड्रेन्स होम से नहीं है जहां पूरे साल बच्चे रखे जायं, और उनका पालन-पोषण हो, अपितु उनका आशय creches से है जैसे कि यहां की नुमाइश में रखे गए थे। जहां स्त्रियां कुछ घंटों को जब तक नुमाइश में घूमती थीं बच्चों को इन creches में दे आती थीं और वापस जाते समय वहां से लेकर घर चली जाती थीं। यहां पर एक नुमाइश लगी थी तो वहां पर बच्चों को रखने के लिये एक स्थान बनाया गया था। वहां पर कुछ घंटों के लिये बच्चे रखे जाते थे। जैसा कि भाई प्रभु नारायण ने कहा है कि अगर उसके अनुसार काम किया गया तो सरकार के साथ बड़ा अन्याय होगा। यह तो केवल उन स्त्रियों के लिये चाहती हैं जो कि फैक्ट्रीज में काम करती हैं और उनको इस प्रकार की सुविधा की जरूरत है। कानपुर में इसलिये इसकी आवश्यकता है कि कानपुर एक व्यापारिक नगर है और वहां पर लेबर बहुत है। स्त्रियां भी वहां पर बहुत काम करती हैं। हमारे भारतवर्ष में हर एक शहर में इसकी आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है क्योंकि वहां न इतने मिल हैं न इतनी स्त्रियां हैं इसलिये हर एक शहर में इसके बनवाने की आवश्यकता नहीं है। कानपुर में विशेषकर इसके बनवाने की आवश्यकता है। इस शहर में बहुत ज्यादा व्यापार होता है। उनके अन्दर ऐसे क्रेशेज (creches) बनाये जाते हैं ताकि वहां जो औरतें लेबर में काम करती हैं वे अपने बच्चों को वहां पर छोड़ दें और जब वे घर वापिस आने लगें तो वे अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ जायं। मैं इन संशोधनों को जो आजाद साहब ने रखा है कि ऐसे बच्चों के लिये जिनकी मातायें जाहिर नहीं करना चाहतीं कि उनके हैं और सड़क पर फेंक जाती हैं, उनके पालने के लिये प्रबन्ध हो तो मैं आप से यह कहना चाहती हूं कि जो अनवांटेड चिल्ड्रेन हैं उनके लिये यदि चिल्ड्रेन्स होम्स बनाये जायें तो इसके माने ये हैं कि आप अपने देश में व्यभिचार को सुभीता देते हैं। इससे यह होगा कि उन व्यभिचार करने वाले व्यक्तियों को बड़ा सुभीता हो जायगा। हमारे मेडिकल कालेज में मुझे मालूम है कि इस प्रकार की खिड़कियां बनी हैं जहां पर ऐसे बच्चों को स्त्रियां छिपाकर छोड़ देती हैं। वहां मेरे पति के जमाने में यह होता था कि सारे ऐसे बच्चे बांट दिये जाते थे। जो बालक हीन होते थे वे आते थे और उनसे पूछा जाता था कि कौन कौन स्त्री बच्चों को गोद लेना चाहती हैं। उन बच्चों के लिये होम बनाना बिल्कुल गलत है। जो रेज्योल्यूशन तारा बहिन ने रखा है उसका मतलब ही आप लोगों ने नहीं समझा है। जो स्त्री रोटी तोड़ती है और जो बेचारी धन ही न हो और ऐसी हो कि अपने बच्चे का पालन-पोषण न कर सकती हो तो उनके लिये इंतजाम हो और उनके लिये ऐसे घर बनायें जायें जिससे कि वे इत्मीनान के साथ अपने बच्चों को वहां पर छोड़ जायं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

*श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, बहिन तारावती को मैं उनके इस प्रस्ताव के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही उपयोगी विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। एक तरफ से तो यह कहा गया कि श्रीमती तारावती ने इस प्रस्ताव में बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण से विचार किया है और इस तरह से इस व्यापक समस्या को कानपुर तक ही सीमित रखी है। दूसरी तरफ श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने कहा कि इस प्रश्न को पुरुषों ने नहीं समझा है क्योंकि यह तो सीमित रहता है उन महिलाओं के लिये, जो मिलों में या दफ्तरों में काम करती हैं। मेरा कहना यह है कि सही बात तो यह है कि उन्होंने स्वयं इस प्रस्ताव का मतलब नहीं समझा है। यह प्रस्ताव न तो फैक्ट्रियों में काम करने वाली मजदूरनियों के

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

लिए है और न इसकी सीमा किसी अनाथाश्रम का रूप धारण करती है। जैसा प्रताप चन्द्र आजाद के संशोधन से मालूम होता है व जहां तक पूरे बालकों की समस्या का ताल्लुक है कि उन्हें शिशु-गृहों में रखा जाय, वहां तक यह उचित नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं, शायद न भी समझा होऊं, इसका मतलब यह है कि जो महिलायें दफ्तरों में काम करती हैं तो जितने समय वह दफ्तरों में काम करती हैं उतने समय तक के लिये उनकी देखभाल होती रहे। यही इसका मतलब है और यह साफ तौर पर सीमित कर दिया गया है कि मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिये। इस तरह से न तो यह मजदूर वर्ग के लिये है, न और किसी के लिये है। अब सवाल यह है कि यह कानपुर तक ही क्यों सीमित किया गया है। मेरा अपना विचार यह है कि यह विचार नहीं है कि समस्या जो सारे सूबे में फैली है उसकी ओर ध्यान नहीं है, लेकिन जहां सदन में उपयोगी से उपयोगी बातें पेश की जाती हैं वहां यह भी ध्यान रखा जाता है कि आखिर यह सारा खर्च पूरा सरकार कैसे करेगी। बहिन तारावती को शायद यही भय रहा है कि हमारे सूबे में ५० या ५२ जिले हैं और अगर प्रत्येक जिले के लिये मांग पेश कर दिया तो फिर इसका बहुत भार सरकार पर पड़ जायगा। इसी तरह से अगर इस बात की होड़ लगा दी जाय कि प्रत्येक मुख्य शहर में या जिले के हेडक्वार्टर्स में ऐसे गृह हो जायं तो इसके लिये भी संशोधन किया गया है। मैं तो यह समझता हूं कि बहिन तारावती ने एक प्रैक्टिकल प्वाइंट आफ व्यू रखा। पहले एक जगह पर करके हम देखें और उसकी सफलता के बाद जैसे जैसे साधन बढ़ते जायं वैसे-वैसे व्यापक किया जाय।

फिर अगर वे जितनी दूर तक जा सकते हैं उसमें कोई हानि की बात नहीं। यह ऐसी समस्या है जिसकी ओर हमें और आपको ध्यान देना होगा। जहां तक बच्चों की समस्या है वह पुरानी समस्या है। पहले संयुक्त परिवार होता था। बाल-बच्चे की देखभाल घर के दूसरे लोग कर लिया करते थे। लेकिन आजकल की जो आर्थिक हालत है उसने प्राचीन प्रणाली को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है। आज कल तो पति-पत्नी केवल दो ही का परिवार होता है। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि केवल एक के काम करने से सब का भरण-पोषण संभव नहीं है। जो उच्च वर्ग है उसमें ऐसा संभव हो सकता है। जो नीचे का वर्ग है उसमें स्त्री-पुरुष दोनों ही काम करते हैं। केवल मध्यम वर्ग ऐसा है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है। उनमें रेस्पेक्ट की ऐसी भावना है जिसकी वजह से महिलायें बाहर काम नहीं कर पातीं। लेकिन हमारी पुरानी जो प्रथा थी कि महिलायें पर्दे में रहें, वह टूटती जाती हैं। अब तो ऐसी भावना फैल गयी है कि दोनों को परिश्रम करना अनिवार्य है। अब महिलायें दफ्तरों में काम करने लगी हैं। मेरा विश्वास है कि गवर्नमेंट चाहे इस तरफ ध्यान दे। असेम्बली और कौंसिल में महिलाओं को वोट मिला और उनकी तादाद २५-३० के करीब हो गई तो ऐसा हो सकता है कि जितनी देर वे यहां बैठें तब तक उनके बच्चों की देखभाल करना पड़े। यह समस्या ऐसी है कि महिलायें जहां भी जायेंगी वह इस समस्या को लेकर जायगी। यह समस्या विचार करने के काबिल है।

अब सवाल उठता है कि जैसा पहले लोगों का ख्याल था कि जिसने यह औलाद पैदा की उसका फर्ज है कि उसका भरण-पोषण करे। लेकिन आजकल जब हम कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं तो आजकल की सरकार का काम केवल पुलिस विभाग का काम नहीं है। औलाद पैदा चाहे जो कोई करे, चाहे जितनी करे उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है। सरकार को उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा, सरकार को उनमें नागरिकता की भावना पैदा करनी पड़ेगी। वे शिक्षित हों इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। ऐसी हालत में मेरा ख्याल है कि इस प्रस्ताव पर जरूर ध्यान दिया जाय।

[श्री राजा राम शास्त्री]

पता नहीं इस प्रस्ताव के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण हो सकता है क्योंकि मैं देखता हूं कि कितने ही प्रस्ताव ऐसे आते हैं जिनका समर्थन सारे हाउस की ओर से ही हो जाता है लेकिन तब भी सरकार अपनी कठिनाइयों को सामने रख कर प्रस्ताव को वापिस करा लेती है। इसलिये मुझे डर लगता है कि इस प्रस्ताव का दुर्भाग्य ऐसा ही न निकले और सरकार अपनी कठिनाइयों को सामने रख कर इसे वापस लौटा दे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बड़ा दुःख होगा। मुझे खुशी है कि श्रीमती तारावती ने अपने प्रस्ताव को कानपुर तक ही महदूद रखा है, इस तरह से सरकार को भी मौका है एक्सपेरीमेंट करने का। लेकिन जैसा कि यहां कहा गया है कि सारे खर्चे का भार सरकार पर ही लाद दिया जाय तो मेरा ख्याल है कि चीज ज्यादा अच्छी न होगी, मेरे ख्याल से यह योजना ऐसी बनाई जा सकती है कि ऐसे शिशु-गृह बनाये जायं जिनमें मध्यम वर्ग के बच्चे जा सकें और वहां उनकी देख-भाल की जा सके।

यहां पर अनाथ बच्चों का कोई सवाल नहीं है और न उन बच्चों का सवाल है जो नदी पर या झाड़ियों में फेंके जाते हैं, सवाल केवल उन बच्चों का है जिनके बाप एक जगह और मां दूसरी जगह कमाते हैं। अगर इसका कुछ खर्चा उन पर भी डाल दिया जाय तो वह खुशी से उसे बरदाश्त कर लेंगे और सरकार पर भी पूरा भार न रहेगा। ऐसे गार्जियंस को जिनको आज बच्चों के लिये नर्सेज का इंतजाम करना पड़ता है उनके भी खर्चे में कुछ बचत हो जायगी।

मैं अपना किस्सा बताऊं, मेरे यहां जब बच्चा पैदा हुआ और उनको प्रोफेसरी करना था और मुझे फुर्सत नहीं था कि मैं देख-भाल करता, नतीजा यह हुआ कि मुझे ३०-३५ रुपया माहवारी बच्चे की देख-भाल के लिये खर्च करना पड़ता था। अगर कोई ऐसा शिशु-गृह खोल दिया जाय तो ३०-३५ रुपया के बजाय थोड़े से रुपये बांध दिये जायं तो वह बड़ी खुशी से दे सकते हैं, साथ ही मुझे विश्वास है कि बहुत से धनवान व्यक्ति निकल आ सकते हैं जो धन से सहायता करें। अगर सरकार कुछ उत्साह दिखाये, तो उनकी तरफ से भी फंड आ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक ऐसी चीज होगी जिसका सभी स्वागत करेंगे। इस संबंध में जो संशोधन आये हैं वह बहुत अच्छे हैं। मगर मैं संशोधन पेश करने वालों से यह कहूंगा कि ऐसे संशोधन पेश न किये जायं जिनसे प्रस्ताव ही वापिस होने की संभावना हो या जिनकी वजह से प्रस्ताव ही वापिस ले लिया जाय। श्री प्रताप चन्द्र आजाद जी ने जो संशोधन रखा है वह बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं आप से अर्ज करूं कि चिल्ड्रेन्स ऐक्ट हमारे सूबे में बना हुआ है और यह समस्या अलग से गवर्नमेंट के सामने रखी जा सकती है। सनाथ बच्चों को और अनाथ बच्चों को एक साथ लाकर आप सारे मामले को खत्म कर देंगे। अनाथालय बहुत से खुले हुए हैं जिनमें बच्चों से भीख मंगाई जाती है। जो ऐसे अनाथालय बने हुए हैं उनकी देखभाल तो सरकार करेगी ताकि वे सुचारु-रूप से चल सकें और वह समस्या भी हल हो जायगी। इसलिये इस प्रस्ताव को इस वक्त और आगे न बढ़ाया जाय। ऐसे लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वे इस वक्त अपने जोश को रोकें। जो बातें यहां पर कही गयीं हैं उनसे डर जरूर लगता है लेकिन मैं समझता हूं कि आजकल का समाज ऐसा है जिसमें उत्तर-दायित्व की भावना बढ़ती जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद कोई साहब इस प्रस्ताव का विरोध इस तर्क से करें कि अगर शिशु-गृह बनने लगेंगे तो इससे लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगा और उसका नतीजा यह होगा कि आबादी और बढ़ेगी और जो भुखमरी है वह और ज्यादा हो जायगी। लेकिन मैं समझता हूं कि लोगों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती जा रही है। इसलिये

जिस सद्भावना से यह प्रस्ताव इस सदन में पेश किया गया है, मैं आशा करता हूं कि यह सदन इसे पूर्ण रूप से पास करे।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब चेयरमैन साहब, मैं भी इस प्रस्ताव के सिलसिले में कुछ इतना उत्साह रखता था और भावना भी रखता था और चाहता था कि मैं भी अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट पेश करूं। लेकिन मस्लहत समझ कर और अपने दोस्त की बात को मानकर, मैंने यह मुनासिब समझा कि जब्त को काम में लाऊं। मैं मूवर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके दिल में यह भावना पैदा हुई और भावना जरूरी थी क्योंकि स्त्रियों के दिलों में रहम और दया का भाव भी ज्यादा हुआ करते हैं। यह मौका ऐसा है जिस वक्त मैं अपने ख्यालात में एक जिद्दत देखता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि संगम है, इधर खुशी और उधर दुःख है। खुशी इस बात की है कि तारावती जी के दिल में ऐसी भावना पैदा हुई कि यह एक खास जरूरत है कि बच्चों का सुधार किया जाय क्योंकि बच्चों की हालत नागुफ्ताबेह हो रही है और दुःख यह कि हमारी प्राचीन सभ्यता यह थी कि हिन्दुस्तान का हर जगह में चिल्ड्रन्स होम्स रहा करते थे। आज पालिटिक्स की वजह से या परेशानी की वजह से औरतों ने अपना काम छोड़ दिया है। मेरा तो ऐसा ख्याल है और अनुमान है कि अगर कोई बच्चों पर निगरानी रखे तो " it is the mother only and none else " एक फिलरजीमैन ने एक औरत से पूछा कि बच्चों की देखभाल कौन उस्ताद कर सकता है तो उसने कहा कि "one good mother is equel to hundered and one good teachers" दरअसल आप भी अपने जमाने को जिस जमाने में हमारे और आप के नसोनुमां हैं, देखें कि बच्चों की क्या हालत है और किस तरह की तहजीब है। न छोटे को बड़े का ख्याल है और न बड़े को छोटे का ख्याल है। यहां तक तहजीब गायब है कि बच्चों को बहिन की तहजीब नहीं है। जो इस समाज की हालत है व स्कूलों तथा कालेजों की हालत है उसकी मुसीबत केवल हमें ही यहां नहीं उठानी पड़ती हैं बल्कि गवर्नमेंट को सब से ज्यादा उठानी पड़ती है। जिस देश के बच्चों की तबियत खराब होती है, वह देश कभी पनप नहीं सकता है। सब से पहली जरूरत हमारी, आपकी और सरकार की यह है कि बच्चों की तरबियत और देखभाल का अच्छी तरह से इंतजाम किया जाय।

आपके सामने जर्मनी के वाकयात पेश किये गए। अब मैं आपके सामने कैनाडा का हाल पेश करना चाहता हूं। जब वहां पर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके दूध के लिये १० डालर प्रति मास दिया जाता है। चाहे कोई बच्चा लड़का हो या लड़की, स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको स्टेट की तरफ से ६० डालर प्रतिमास दिया जाता है। लेकिन हमारे देश ने तो अभी आजादी पाई है, वह तो अभी आजादी की गोद में खेल रहा है। हमारे यहां बच्चों का पालन-पोषण अच्छी तरह से होना चाहिये इस बात की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन उसके लिये रकम की जरूरत है और जब तक रकम नहीं होती है काम नहीं हो सकता है।

"It is the money which is the king of all sources."

असल में बच्चों की तरबियत का बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिये।

"In childhood the man is most open to impressions, ready to be kindled by the first sperk which falls into him because ideas are caught readily and lost."

जो प्रस्ताव श्रीमती तारा जी ने पेश किया है, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों की देखभाल अपनी मां से अधिक कोई नहीं कर सकता है। हर बच्चे की देखभाल जरूरी है चाहे वह मुफलिस हो या गरीब हो। मैं इस बात को मानता हूं कि स्टेट

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]
को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये। श्री राजा राम जी ने फरमाया कि मैं संशोधन पेश करता।

"For the child, the childhood is the most important era of life because there he begins to kindle, begins to colour and mould according to the companion he keeps."

लेकिन इस बात को जान कर यह कहता हूं:

"At least in every headquarters of the district there should be a children's home which will be able to set an example to be followed by others."

आज आपकी, अपनी और खास कर गवर्नमेंट की मुश्किलों का ख्याल करके आज मैं भी जोश और खरोश के साथ इस ऐवान से इस्तेदुआ करता कि नहीं कानपुर में इस बात की आजमाइश की जाय।

मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त यह आजमाइश गवर्नमेंट और कानपुरवासी अपनी चैरिटी से, अपनी सखावत से और अपनी दिलावरी से करेंगे, मेरे ख्याल में उसका नतीजा निहायत ही उम्दा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चेयरमैन--जो कोई सदस्य इसके विरोध में कहना चाहते हों उन्हें मैं पहले मौका देना चाहता हूं।

(विरोध में बोलने के लिये कोई भी सदस्य खड़ा नहीं हुआ।)

*श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त खुशी है कि मौका न होते हुए भी कुछ समय आपने मुझे देने की कृपा की और इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज सदन के सम्मुख जो प्रस्ताव माननीय सदस्या श्रीमती तारा अग्रवाल जी ने रक्खा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी भाषण इस प्रस्ताव पर हो चुके हैं। जिसमें माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस प्रस्ताव के संबंध में रखे हैं। मैं समझती हूं कि यह प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है कि आज के युग में इसकी अत्यन्त आवश्यकता है और आज के प्रगति के युग में इस प्रकार की व्यवस्था नारी समाज के लिये होना नितान्त आवश्यक है। परन्तु इस प्रस्ताव को लेकर के नारी जाति के विषय में जिस प्रकार की चर्चा श्री राजा राम जी ने की है, उनको यह खतरा है कि यदि स्त्रियों को ज्यादा आजादी दी जायेगी या उनको ज्यादा आजाद किया गया और अधिक मौका असेम्बली और कौंसिल में उनको दिया गया, तो शायद इस बात के लिये कहीं उन्हीं का नम्बर न आ जाय कि उनको बच्चे संभालने पड़ें। लेकिन हम स्त्रियों का इस समय तक जो तरीका रहा है, उसका दुनिया में जो आदर्श रहा है, उनका जो त्याग है, वह अब तक जीवित है। मैं श्री राजा राम जी को नहीं, बल्कि सारे समाज को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आज स्त्री जाति को यह भी आवश्यकता महसूस हो रही है कि वह मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला कर उनका सहयोग दें।

आज जब कि बच्चों को अच्छी तरह से परवरिश नहीं मिल रही है और मर्द इतना नहीं कमा सकते हैं कि वह सारे परिवार का खर्चा पूरा कर सकें तो मैं समझती हूं कि उनको इस बात से खुशी होनी चाहिये कि स्त्रियों ने राजनीति में ही नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति को संभालने में भी उनकी सहायता की है। इसलिये इस प्रस्ताव में जो मांग की गई है, उसका समर्थन बड़े जोरों के साथ होना चाहिये और सरकार को भी इसको मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये और इसकी

*सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

व्यवस्था मध्यम श्रेणी के लिये ही नहीं बल्कि मजदूरों के लिये भी होनी चाहिये। मैं समझती हूं कि मजदूर महिलाओं के लिये तो इसकी और भी आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे देश में जो भिखमंगे हैं, या गरीब हैं, वह मजदूरों की ही श्रेणी के लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको मालूम नहीं होता है कि उनको किस तरह से रहना है, उनकी देख-भाल अच्छी तरह से नहीं होती है, मजदूर स्त्रियां अपने बच्चों को सड़कों पर छोड़ कर मजदूरी करने चली जाती हैं। इसमें शक नहीं है कि यह केवल मजदूरों का ही सवाल नहीं है बल्कि मध्यम वर्ग की महिलाओं के सामने भी यह समस्या आती है। हमारी यह बहिनें शिक्षित होती हैं और जब वह किसी प्रकार से भी अपनी आर्थिक स्थिति संभालना चाहती हैं तो उनके पास साधन नहीं होते हैं, उनके पास तरीका नहीं है कि वह कहीं अपने बच्चों को छोड़ सकें। कोई माता यह कभी नहीं चाहेगी कि उनके बच्चे गलत पथ पर जा करके गलत शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे ढंग से उनका पालन न हो। आज मातायें यह चाहती हैं कि इस प्रकार का शिशु-गृह का निर्माण हो और इस तरह से उनके बच्चे वहां रह कर अच्छे प्रकार का लालन-पालन पा सकें। जितनी सुविधा इस प्रस्ताव के द्वारा मांगी गई है सरकार उसके महत्व को समझती है और वह इस प्रकार के केन्द्र को खोलने में अपनी मदद जरूर देगी। यह प्रस्ताव जिसके लिये कहा जा रहा है कि सिर्फ कानपुर के लिये ही ऐसा क्यों रखा गया है तो उसका कारण यह है कि कानपुर में ही बहुत से अमीर व्यक्ति हैं और धनीमानी लोग हैं और वे सरकार का हाथ बंटाने में इसमें जरूर मदद देंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही केवल नहीं आयेगी और वहां खोलने से पहले हमको तजुर्बा और एक किस्म से अनुभव भी होगा और यदि कानपुर के अन्दर यह कामयाब रहा तो मेरा ख्याल है कि सरकार इसको प्रान्त के मुख्य मुख्य स्थानों में ही नहीं बल्कि जैसा कि एक प्रस्ताव द्वारा कहा गया है वह इसको मुख्य-मुख्य शहरों में करने के बाद तमाम जिलों में भी खोलेगी और इस प्रकार से भी सभी जगहों में इसकी व्यवस्था हो जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह मंत्री)---श्रीमान् महोदय, इस प्रस्ताव की भाषा देखने में तो बड़ी सरल दिखती है, परन्तु मैं ऐसा देखता हूं कि इसके समर्थकों का स्वयं प्रस्ताव को समझने में आपस में ही बड़ा गहरा मतभेद है। शिशु-गृह का अर्थ आर्फनेज क्रेसस (orphanaga creches) और चिल्ड्रेन्स होम लगाया जा रहा है और उनके लिये यह कहना बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा है कि दरअसल इसका क्या अर्थ है और इस तरह से इसके समर्थकों की व्याख्या भी इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो पाई है।

साधारणतौर पर मध्यम वर्ग का क्लास जो है उसको अंग्रेजी में मिडिल क्लास कहते हैं, परन्तु इसकी जो परिभाषा अपने भाषण में प्रस्ताविका महोदया ने बतलाई उससे तो निश्चय ही मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास से आगे जाता है और फिर उनके समर्थकों ने भी कहा कि "इविन दी लोवेस्ट स्ट्रेटा आफ सोसाइटी" ये सब भी इस मध्यम वर्ग में आते हैं, तो इससे यह शब्द और भी स्पष्ट नहीं है। फिर यहां पर रसन ट्रेडिसिन्स, जर्मन ट्रेडिसिन्स की बातें कही गई हैं और हमारे यहां की स्त्रियों के अधिकारों की बाबत कहा गया है लेकिन मैं इस समय इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता और इस समय भविष्य के लिये भी सोचना बेकार है। जब भी ऐसा जमाना आयेगा और जब स्त्रियां भी दोनों सदनों में रहेंगी तो उस समय मां सरकार होगी। लेकिन ये तो भविष्य की बातें हैं। इस समय तो हमें वर्तमान की बातें सोचनी चाहिये। मैं गवर्नमेन्ट की तरफ से यह नहीं कह रहा हूं कि श्रीमती तारा अग्रवाल इस प्रस्ताव को वापस ले लें। मैं भी इस बात को मानता हूं कि प्रस्ताव के भीतर जो भावना निहित है वह तो सुन्दर है, परन्तु मैं श्रीमती तारा अग्रवाल और दूसरे माननीय सदस्यों से कहता हूं कि केवल किसी भी प्रस्ताव को सुन्दर शब्दों में रख देने से और पारित कर देने से ही काम नहीं चल सकता है बल्कि हमें उसकी व्यावहारिकता और अव्यावहारिकता को सामने रखना चाहिये। यदि यह बात उनकी समझ में आ जाय और दूसरे माननीय

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

सदस्य भी यह सोच लें कि इस प्रस्ताव पर अमल हो सकता है या नहीं तो यह कुछ उचित भी कहा जा सकता है। परन्तु मेरा विश्वास है कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर अमल नहीं हो सकता है। जहां तक मजदूरों की बात है यह तो माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि उनके यहां फैक्टरीज ऐक्ट में यह नियम है कि जिन कारखानों में ५० स्त्रियां हैं उसके लिए एक क्रेस (creche) रखना पड़ता है। माननीय सदस्यों ने इस तरह से मजदूरों का जिक्र किया। इसमें मजदूरों को लाने की जरूरत नहीं थी। इस समय भी हमारे प्रदेश में ९ जगहों में क्रेस चल रहे हैं। बहुत से कारखानों में स्त्रियों की संख्या कम हैं लेकिन जहां जहां यह नियम है वहां उसका पालन कराया जा रहा है और ९ जगहों में क्रेस चल रहे हैं। मजदूरों की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

एक बात है कि क्रेस अच्छी तरह से, जैसे होने चाहिये या जितनी सुविधायें मिलनी चाहिये उतनी अच्छी प्रकार से नहीं चल रहे हैं, और उसके अनेक कारण हो सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों को ले लीजिये वह रुपये की कमी के कारण वैसा अस्पताल में इन्तजाम नहीं कर पाते जैसा कि होना चाहिये। इसी तरह से उनमें भी जैसा प्रबन्ध होना चाहिये वैसा नहीं है। मजदूरों के बच्चों की बात एक तरफ है। मिडिल क्लास की बात मैं कहता हूं। यह बात रही है कि आजकल की परिस्थिति ऐसी है और मध्यम वर्ग के परिवारों में ऐसी स्थिति आ गई है कि एक व्यक्ति धन उपार्जन कर के पूरे परिवार का भरणपोषण नहीं कर सकता। परन्तु एक बात की ओर हमको देखना चाहिये। कानपुर का उदाहरण ले लीजिये, कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो दफ्तरों में काम करती हैं। श्रीमती अग्रवाल जी ने भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया और जिन लोगों नें समर्थन किया है उन्होंने भी इसको शायद ठीक तरह से पढ़ा न हो, ऐसा मैं नहीं कहता ,लेकिन यह बात अवश्य है कि उन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि कितनी तादाद स्त्रियों की है जो दफ्तरों में काम करती है। २ या ३ जगह दफ्तरों में स्त्रियां काम कर रही हैं। जैसे टेलीग्राफ और टेलीफोन में और शिक्षा संस्थाओं में। कानपुर में अधिकतर शिक्षा संस्थाओं में स्त्रियां काम करती है और हम लखनऊ में ही देखें कि इस सेक्रेटेरियट में अधिक से अधिक स्त्रियां काम करती हैं। तो क्रेस के मानी क्या होते हैं इस ओर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अगर क्रेस खोले जायं तो जरूरी है कि सभी जगह पर क्रेस होना चाहिये जो उस स्थान पर हो जहां पर वह स्त्रियां काम करती हों और उसमें ट्रेन्ड नर्सेज हों और खेल-कूद का सामान भी हो और एक आदर्श चीज हो। तो इस तरह से यह बड़ी महंगी चीज है। अगर किसी दफ्तर में २ या ३ स्त्रियां काम करने वाली हैं तो वहां क्रेस खोलना संभव नहीं है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, फैक्टरीज में ५० स्त्रियों का नियम है। फैक्टरीज ऐक्ट में या इन्डस्ट्रीज के जो संबंधित इन्स्टीट्यूशंस हैं जहां मुनाफा होता है वहां पर यह रखा गया है कि अगर ५० स्त्रियों से कम की संख्या है तो क्रेस ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकता है।

एक सुझाव यह था कि जैसे शिक्षा संस्था है और वहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक है तो उस संस्था पर जोर दिया जाय कि जो वह क्रेस का प्रबन्ध करे। तो मैं बताता हूं कि शिक्षा संस्थाओं की हालत आज ऐसी है कि जो फीस आदि आती है उससे वह किसी प्रकार से अपना कहीं काम चला पाती है तो उस खर्च को बरदास्त नहीं कर सकती है। एक अच्छे क्रेस के लिये जरूरी है कि वह स्थान समीप में हो और उसमें ट्रेन्ड नर्सेस हों। इसका प्रबन्ध कैसे किया जाय यह सोचने की बात है।

दूसरी बात यह है। मान लीजिये कि एक शहर में एक क्रेस खोल दिया जाय, कानपुर में भी खोला जाय। आप ने शायद ध्यान नहीं दिया कि क्रेस का सिद्धान्त क्या है। क्रेस के माने यह है कि जो काम करने वाली महिला है उसके काम करने के पास स्थान होना चाहिये जिससे घंटा या आधा घंटे की छुट्टी में वह अपने बच्चे को देख भाल

और अगर दूध पीता बच्चा हो तो दूध पिलाया जाय। यह क्रेस का सिद्धान्त है। वह क्रेस ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को ८ या १० घंटे के लिये छोड़ दिया जाय या सुबह को भर्ती कर दिया जाय और शाम को ले लिया जाय। तो इस तरह से आप देखें कि क्रेस का सिद्धान्त क्या है। सिद्धान्त यह है कि काम करने वाली महिला के इतने निकट हो कि जैसे ही छुट्टी मिले वह अपने बच्चे को देख ले और यह भी होता है कि औरतों को और चाहे किसी काम के लिये छुट्टी न मिले लेकिन अपने बच्चे के लिये उसको छुट्टी अवश्य दी जाती है जिससे कि वह दूध पीते बच्चे को दूध पिला सके।

अब सोचने की बात है कि किसी शहर में एक या दो जगह क्रेस खोले गए। कानपुर शहर को ही ले लीजिए। वहां क्या सब लड़कियों के स्कूल एक ही मोहल्ले में हैं। ऐसा तो नहीं है। कोई शहर के एक कोने में हैं, तो कोई दूसरे कोने में हैं। इसलिए जो क्रेस एक मोहल्ले में खोला जायेगा वह दूसरे मोहल्ले की स्त्रियों के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि यह प्रस्ताव सिद्धान्त की दृष्टि से बहुत सुन्दर हो सकता है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से बहुत कठिन है। आगे चलकर जब हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की ऐसी हो जायेगी जो दफ्तरों में काम करेंगी, तो जरूर हमको इसके लिए प्रबंध करना पड़ेगा। लेकिन यह सोचकर कि भविष्य में बहुत बड़ी संख्या स्त्रियों की दफ्तर में काम करने वाली होगी अभी से क्रेस खोलना उपयुक्त न होगा। मैं गवर्नमेन्ट की ओर से इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता, लेकिन अव्यावहारिक होने के कारण अगर यह पास भी हुआ तो कागज पर ही रह जायेगा।

श्रीमती तारा अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रस्ताव को मैंने सदन के सामने पेश किया है उस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अच्छी अच्छी बातें बतलाईं और अपने संशोधन भी पेश किए। माननीय मंत्री जी ने व्यावहारिकरूप से जो कठिनाई बतलाई है उसको भी मैंने काफी ध्यानपूर्वक सुना है मैं, अध्यक्ष जी, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान कानपुर के उस एरिया की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं जिधर मैं समझती हूं कि इस प्रकार शिशु—गृह उपयुक्त हो सकता है। वैसे तो कानपुर मीलों तक फैला हुआ है, किन्तु सिविल लाइन से स्टेशन तक जाने में आप देखिए कि कितने कालिजेज, अस्पताल और आफिसेज आदि स्थान पड़ते हैं। यदि प्रयोग के लिए एक शिशु—गृह उस एरिया में बना दिया जाये तो मैं समझती हूं कि जिस प्रकार से फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार ५० संगठित मजदूर महिलाओं के लिये एक शिशु-गृह हो सकता है उसी प्रकार से कम से कम १०० महिलाओं के बच्चे आपको उस शिशु—गृह में रखने के लिए अवश्य मिल जायेंगे। जहां तक मजदूर महिलाओं के लिये कई माननीय सदस्यों ने कहा माननीय मंत्री जी ने उस संबंध में काफी स्पष्टीकरण कर दिया है मेरा भी इरादा अपने प्रस्ताव के द्वारा मजदूर वर्ग की स्त्रियों के लिए नहीं था, क्योंकि उनके लिए फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार शिशु—गृह का प्रबंध पहले से ही किया गया है लेकिन यह होते हुए माननीय मंत्री जी को यह देखना चाहिए कि चूंकि फैक्ट्री एक्ट मौजूद है और प्रादेशिक सरकार मिल मालिकों को इस प्रकार के शिशु—गृह निर्माण करने के लिए बाध्य करती है इसलिए मिल मालिक उस व्यय से बचने के लिए ऐसी औरतों को भरती करते हैं जो या तो वृद्ध होती है या कुमारी। इस प्रकार की महिलाओं को भरती करते हैं। जिस से उनको इस प्रकार के शिशु—गृह खोलने की आवश्यकता ही न पड़े। अभी राजा राम जी ने कहा है कि हो सकता है कि यहां असेम्बली में भी शिशु—गृह खोलने की आवश्यकता पड़े। लेकिन जिस प्रकार से मिलमालिक शिशु—गृह खोलने के व्यय से बच जाते हैं मैं समझती हूं असेम्बली में भी उसी तरह से शिशु गृह खोलने की आवश्यकता न पड़ेगी। भाई गुरु नारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है उस संशोधन को मैं इन्कार नहीं करती हूं लेकिन फिर भी एक प्रयोग के लिये कानपुर में शिशु-गृह खोलने की मेरी राय है। मैं समझती हूं कि इन संशोधनों से इस वक्त ऐसा न हो कि यदि इस वक्त मैं उन संशोधनों को स्वीकार कर लेती हूं तो जहां पर खुलने वाला है वहां पर नहीं खुलेगा। समस्त प्रदेश में धनाभाव के कारण सभी प्रस्ताव रद्द किये जा सकते हैं। इसलिये मैं इन संशोधनों को इस वक्त स्वीकार नहीं करती हूं।

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

दूसरा संशोधन श्री प्रताप चन्द्र आजाद जी ने पेश किया है उसमें उन्होंने समस्त जिलों के मुख्य मुख्य सेन्टरों में शिशु-गृह खुलवाने की मांग की है। तो मैं उनसे पूछती हूं कि बलिया, गोरखपुर ऐसी जगहें हैं जहां पर शिशु-गृह बिल्डिंग के रूप में खड़ा रहेगा क्योंकि वहां पर महिलायें काम करने नहीं जाती हैं। इसी तरह से बहुत से जिले होंगे जहां पर कि इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। अनाथ बच्चों के लिये लोगों को मालूम होगा कि बनारस में एक अनाथ आश्रम है जहां पालना बाहर रखा रहता है और महिलायें इस प्रकार के बच्चों को जो नाजायज होते हैं वहां पर पालने में डाल देती हैं और वे वहां पर पाले जाते हैं। दूसरे बच्चों का भी प्रबन्ध है। गवर्नमेन्ट ने एक आर्फनेज कमेटी बनायी है जिसके मेम्बर श्री बृजलाल जी है, और मैं हूं। उस कमेटी का उद्देश्य है कि इस प्रकार के बच्चों का पालन-पोषण किया जाय। शिशु-गृह के बारे में जो बात की गयी कि यह २४ घंटे कार्य नहीं करेगी। जैसा कि मैंने प्रस्ताव में बतलाया है कि जब महिलायें कार्य करने के लिये जायेंगी उस वक्त अपने बच्चों को छोड़ जायेंगी और वे जब वापस जायेंगी तो अपने बच्चों को लेती जायेंगी। इसमें हो सकता है कि बहुत सी संस्थायें और पूंजी-पति मदद करें। लेकिन जभी मदद करेंगे जब हमारी सरकार की ओर से इसकी व्यवस्था होगी और उसका नियंत्रण सरकार की ओर से होगा। जनता इस प्रकार से अपने बच्चों को छोड़ने में विश्वास नहीं करेगी, लेकिन जब यह सरकार की तरफ से होगा तो वह विश्वास करेगी। अगर आप फीस लगायेंगे तो सारा रुपया आ जायेगा। इस तरह से सरकार का भार कम हो जायेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देती हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव को मंजूर किया है। मैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि सबसे पहले कानपुर में शिशु गृह खोलने की व्यवस्था की जाय। उसको एक जगह पर देख लिया जाय तब सारे प्रदेश में शुरू करवाया जाय। कक्कड़ साहब ने थोड़े से शब्द कहे हैं पता नहीं चलता कि कभी वे महिलाओं के पक्ष में रहते हैं और कभी वे पुरुषों के पक्ष में रहते हैं। उनकी नीति दोनों साइड को खुश करने में रहती है। मैं उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहती हूं जो भारतवर्ष की महिलायें कहलाती हैं, पाश्चात्य देश की महिलाओं को छोड़ दीजिये। भारतवर्ष की नारी आज भी अपने कर्त्तव्य से हटी नहीं और न हटने में वह अपनी शोभा मानती है। पुरुष भले ही कर्तव्य से हट गये हों और अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गये हों। यदि ऐसा न होता तो घर की महिलाओं को आफिसेज में काम करने की आवश्यकता न होती। समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ, आवश्यकतायें बढ़ीं, महिलाओं ने आवश्यकतायें बतलाई तो आये दिन घर में क्लेश होने लगे और पुरुषों ने कहा कि हमारे पास साधन नहीं है तो विवश होकर अपने बच्चों के लालन-पालन के लिये उनको आफिस में काम करना पड़ता है, किन्तु इतना करने के बाद भी कोई महिला ऐसी न होगी जो अपने घर में भोजन बनाने से इंकार करे या पति से भोजन बनवाये। महिलायें बच्चों का लालन-पालन भी करती हैं, घर का कार्य भी करती हैं और आफिस भी जाती हैं, तो इस प्रकार से महिलाओं की ड्यूटी बढ़ जाती है। इसलिये इस प्रकार का कहना गलत है और माननीय सदस्य भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि महिलायें अपने कर्तव्य से न कभी हटी हैं और न कभी हटेंगी। इसके बाद मैं अपना आभार उन माननीय सदस्यों के लिये प्रगट करती हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं।

चेयरमैन--क्या सदन की अनुमति है कि दोनों संशोधन वापस लिये जायं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिये गये।)

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि यह परिषद् सरकार से सिफारिश करती है कि वह कानपुर में उपयुक्त स्थानों पर सुशिक्षित नर्सों, खेलकुद के सामान एवं खाद्य सामग्री युक्त शिशु-गृहों का

निर्माण करें जहां मध्यम वर्ग की महिलायें उस समय तक के लिये जब तक वह दफ्तरों या अन्य स्थानों पर कार्य करती रहें अपने बच्चों को छोड़ सकें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी भाषा में सम्मिलित किया जाय

श्रीमती शिवराजवती नेहरू--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव सदन के सामने पेश करती हूं कि--

"यह परिषद् सरकार से अनुरोध करती है कि हिन्दी भाषा को जीवित व जागृत बनाये रखने और उसके शब्द कोष में वृद्धि करने के लिये आजकल के प्रचलित शब्दों को जिनको कि सब शिक्षित व अशिक्षित आसानी से समझ सकते हैं ज्यों का त्यों सरकारी काम में प्रयोग होने वाली हिन्दी भाषा में सम्मिलित कर लिया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव इस कारण रख रही हूं कि मुझे हिन्दी भाषा से प्रेम है। मैं हृदय से चाहती हूं और इस बात को मानती हूं कि हिन्दी भाषा ही वास्तव में राष्ट्रीय भाषा बनाने योग्य है। कारण यह है कि इसका व्याकरण शुद्ध और लिपि इतनी सरल है कि किसी भी दूसरी भाषाओं के शब्द इसमें आसानी से लिखे जा सकते हैं और फिर आप उसको उसी रूप व आवाज से पढ़ सकते हैं जिस भाषा से यह लिये गये हों, इसमें यदि हिन्दी लिपि से अंग्रेजी शब्द लिखे जायं तो इसकी मात्रा और उनकी आवाज इतनी सही होती है कि शब्दों का बिल्कुल ठीक ठीक उच्चारण आसानी से हो सकता है। इसी प्रकार हिन्दी लिपि से उर्दू के शब्द भी आसानी से लिखे-पढ़े जा सकते हैं। दूसरे यह अधिकतर लोगों की बोलचाल की भाषा है। यह इतनी सरल है कि हिन्दुस्तान भर के सारे रहने वाले कोने कोने के मनुष्य इसको आसानी से समझ ही जाते हैं। परन्तु विदेशी भी इससे अपना काम चला लेते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह उस भाषा का वर्णन है जिससे अभी तक न किसी को कष्ट था न शिकायत, परन्तु इधर कुछ दिनों से हमारे प्रान्त के हिन्दी प्रेमियों के दिलों में कुछ ऐसी भावना पैदा हो गई है कि अकारण ही सब रोजमर्रा के बोल-चाल के साधारण शब्दों को संस्कृत में परिवर्तित कर दिया जाय। इससे उनका ख्याल है कि हिन्दी भाषा व उसके साहित्य की उन्नति होगी सम्भव है कि ऐसा हो, परन्तु साधारणतया तो यह देखने में आ रहा है, कि हिन्दी भाषा दिनों दिन इतनी क्लिष्ट होती चली जा रही है कि खास पढ़े-लिखे लोगों को भी उसको समझना कठिन हो रहा है तो बिचारे अपढ़ों की कौन कहे, जिसमें हमारे रोजमर्रा की सरल व आम भाषा जिसको हम सैकड़ों वर्ष से बोलते चले आ रहे हैं और जो हमारी रग-रग में पैवस्त हो गई, जिसको शहरी व देहाती सब भली प्रकार समझते हैं उन शब्दों को हटाकर उनकी जगह बड़े-बड़े कठिन व दुष्कर शब्द संस्कृत के रख दिये हैं जिनको न आम जनता समझ पाती है, न उच्चारण कर पाती है। आजकल जब कोई चिट्ठी किसी सरकारी मुहकमे से, म्युनिसिपैलिटी से, पुलिस के दफतर से व कचहरी से आती है तो अधिकतर लोगों को उसके माने समझने के लिये एक पंडित की आवश्यकता होती है जिसमें हमारी रोजमर्रा के हिन्दुस्तानी शब्दों में इतना बेकार व अकारण परिवर्तन होता है कि अक्ल हैरान हो जाती है कि मनुष्य हिन्दी पढ़ रहा है या संस्कृत।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ शब्द उदाहरणतः आपके सम्मुख रखूंगी जिससे यह स्पष्ट होगा कि यह अनुवाद जो हमारी ही हिन्दी भाषा का फिर से हिन्दी में किया गया उससे कुछ हिन्दी भाषा का साहित्य बढ़ा, कुछ कोष बढ़ाया, हिन्दी भाषा और भी क्लिस्ट और समझने में दुष्कार हो गई। यह शब्द अध्यक्ष महोदय कोई बाजारू शब्द नहीं है जोकि किसी ने विनोद कारण मनगढ़न्त शब्द बना लिये हों वरन यह प्रोफेसर रघुबीरा जी जो हिन्दी के ज्ञाता और धुरंधर पंडित हैं उनकी प्रमाणित डिक्शनरी के शब्द हैं।

अब देखिये अध्यक्ष महोदय, बैंक का अनुवाद किया गया है 'अधिकोष', चेक का अनुवाद किया गया है 'धनादेश'. अब अगर किसी को यह कहना हो कि चेक बैन्क में दे देना तो

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

हमको यह कहना होगा कि अधिकोष में धनादेश दे दीजिये तो कितना अच्छा लगेगा। इसी तरह से डिप्टी कलेक्टर का अनुवाद 'प्रतिसमार्हता' रेलवे का 'संयान' रेलवे इंजन का संयान यंत्र या अग्निरथ, रेलवे टिकट का 'संयान-पत्रक' किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब जरा गौर करें। रथ एक ऐसा शब्द है जिसका नाम लेते ही हमारे आखों के सामने महाभारत व कृष्ण-अर्जुन का चित्र खिच जाता है। रथ ऐसा शब्द है जिसमें चक्कर लगा है और जिसको घोड़ा चलाता है वह अग्नि का रथ कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने इन्जिन को अग्निरथ बना दिया। यदि आज किसी प्लेटफार्म पर जायं और किसी रेलवे कर्मचारी से पूछें कि संयानपत्रक चाहिये तो वह क्या समझेगा कि हम क्या खरीदना चाहते हैं, जिसका मतलब टिकट से है। आल इंडिया रेडियो को तो आप छोड़ दें जिसका नाम 'आकाश बाणी' रखा गया है, परन्तु रेडियो जो हमारे आपके घर रहता है उसका अनुवाद 'वितन्तुक' है। पेन्सिल इस्तेमाल सभी लोग करते हैं उसका अनुवाद 'अंकनी' है, मनीआर्डर का अनुवाद 'धनप्रेष' किया गया है, पुलिस का अनुवाद 'आरक्षि' है, आप सोचें कि इनको कौन समझ और याद कर सकता है। लायर जिसको वकील भी कहा जाता है, तो वकील ऐसा शब्द है जिसको सभी लोग जानते और समझते हैं उसका अनुवाद 'न्याय निपुण' किया गया है। इसी तरह से इंश्योरेन्स का अनुवाद 'आगोप' है। यद्यपि बीमा शब्द आम प्रचलित है और यह शब्द कोई अरबी-फारसी का भी नहीं है, हमारे हिन्दुस्तान का ही शब्द है, परन्तु उसको न रख कर आगोप माना गया है। आप्रेशन जो चीड़-फाड़ को कहा जाता है उसका अनुवाद 'शल्यकर्म' किया गया है। लाइसैन्स का अनुवाद है 'अनुज्ञा-पत्र' परमिट आम शब्द है और हमारी रोजमर्रा की बोल चाल में आता है। इवीडेन्स का अनुवाद 'साक्षी' है हालांकि गवाही शब्द अधिकतर इस्तेमाल होता है। खैर यह शब्द ऐसे हैं जिनको आसानी से लोग समझ सकते हैं। गवर्नमेन्ट फिशरी डिपार्टमेन्ट जो मछली डिपार्टमेन्ट के नाम से मशहूर है उसका अनुवाद 'राजकीय मत्स्य क्रय विक्रय विभाग' किया गया है, भला इस अनुवाद को कौन समझ सकेगा। आक्ट्राय जिसको चुंगी कहते हैं उसका अनुवाद 'द्वारादेय' किया गया है। लैन्टर्न का अनुवाद लालटेन न रख कर 'हस्त काच दीपका' किया गया है। इसी तरह से करेन्सी एक शब्द है जिसको सभी रेजगारी कहते हैं, परन्तु उसका अनुवाद 'चलार्थ' रखा गया है। लैटरबक्स का अनुवाद जिसको हम डाक का डिब्बा कहते हैं उसका अनुवाद 'पत्र-प्रेषालय मंजूषा' किया गया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर पेश करना चाहता हूं। यह वे अनुवाद हैं जिनका सम्बंध किसी प्राइवेट डिक्शनरी से है। सरकार की तरफ से जो अनुवाद किये गये हैं, मैं चाहूंगा कि केवल उन्हीं का जिक्र यहां किया जाय तो अच्छा होगा।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू--श्रीमन्, उस डिक्शनरी के शब्द जो कि सरकार की तरफ से बनी है उन शब्दों में से कुछ शब्दों का भी मैं अनुवाद बता चुकी हूं। रेलगाड़ी जो आम प्रचलित शब्द है उसका अनुवाद 'लौहपथगामिनी' किया गया है।

चेयरमैन--जो विधेयक यहां पेश किये जाते हैं उनसे सम्बंध रखते हुये जो शब्द हों उन्हीं का नमूना केवल यहां दिया जाय और यह मंत्री जी को भी स्वीकार होगा।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू--सेशन का शब्द बहुत दिनों से प्रचलित था लेकिन अब उसकी जगह पर सरकार ने 'सत्र' मंजूर किया है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास यहां से पत्र गया था जिसमें लिखा हुआ था कि कौंसिल सत्रावसान हो गयी। इसके माने मेरी समझ में नहीं आये और मैं यहां सेक्रेटरी साहब के पास आयी और पूछा कि इसके क्या माने हैं तो उन्होंने यह बतलाया कि कौंसिल प्रोरोग हो गयी है। इस किस्म के लफ्ज हमारी सरकार ने मंजूर किये हैं। इसी तरह से रेल गाड़ी का जो नाम रखा गया है वह लौहपथगामिनी रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, गुप्त काल हमारे साहित्य में संस्कृत साहित्य व कविता के लिये प्रसिद्ध है, उस समय जो महान कवि कालिदास हुये हैं उन्होंने अपनी कविता में स्त्रियों की

चाल की सुन्दरता का वर्णन करते हुये किसी को गजगामिनी व किसी को हंसगामिनी कहा है परन्तु जो हमारे आजकल के साहित्यकार हैं उन्होंने रेल गाड़ी की ऐसी कविता की कि उसको लौहपथगामिनी बना दिया। अब आप देखिए, अध्यक्ष महोदय कि वह स्पष्ट व साधारण शब्द जो हमारी हिन्दी भाषा में बहुत पूर्व काल से मौजूद हैं और जिनको हर शख्स भली प्रकार समझता है चाहे वह पढ़ा-लिखा हो, चाहे बेपढ़ा हो, वह भी समझ सकता है। उन को इस प्रकार बदल कर संस्कृत बना देना मेरी बुद्धि में हिन्दी भाषा के साथ अन्याय और उसकी उन्नति में बाधा डालना है। इससे न कोई इसका साहित्य ही सुन्दर होता है और न कोष ही बढ़ता है। अगर इस तरह से हिन्दी भाषा दिनो दिन कठिन व क्लिष्ट होती गयी जिसको आम जनता समझ न पाये तो कुछ दिनों बाद यह कुछ पंडितों की ही भाषा होकर रह जायेगी।

अभी कुछ दिन पहले यहां एक विराट सभा हिन्दी भाषा के सुधार के सम्बन्ध में बुलायी गयी थी जिसमें हमारे तमाम प्रान्तों के बड़े-बड़े मंत्री, बड़े-बड़े हिन्दी के विद्या विशारद और कितने ही हिन्दी के प्रोफेसर सम्मिलित थे। उसमें कुछ संशोधन हिन्दी लिपि की मात्राओं के सम्बन्ध में अवश्य हुये हैं। किन्तु हिन्दी भाषा को सरल बनाने की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस कारण हिन्दी की उन्नति करने व इसको राष्ट्र भाषा का पद दिलाने के लिये और उसकी उन्नति के लिये मेरा अपनी सरकार से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि वह ऐसे सभी शब्दों को जो रोजमर्रा बोलचाल में इस्तेमाल किये जाते हैं और जो हमारी सेकेन्ड नेचर बन गये हैं उनको इस्तेमाल करें। फिर चाहे वे शब्द अंग्रेजी के हों या चाहे हिन्दुस्तानी भाषा के हों, उनको संस्कृत में परिणत न करें और ज्यों का त्यों हिन्दी में रखे जायं क्योंकि इससे हिन्दी का कोष भी बढ़ेगा। फिर हमारी हिन्दी भाषा बिना किसी आपत्ति के सारे देश की राष्ट्र भाषा का पद ग्रहण कर लेगी। इन शब्दों के साथ साथ मैं अपने प्रस्ताव को इस सदन के सामने रखती हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

प्रस्ताव की तीसरी पंक्ति में शब्द "आजकल के" के पश्चात् और शब्द "प्रचलित" के पहिले शब्द "दूसरी मुख्य भारतीय भाषाओं में" रख दिये जायं।

अंतिम पंक्ति में शब्द "में" और शब्द "सम्मिलित" के बीच में शब्द "उसके अलंकृत करने के लिये" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमान्, अब मैं संशोधित प्रस्ताव को पढ़ता हूं—

"यह परिषद् सरकार से अनुरोध करती है कि हिन्दी भाषा को जीवित व जागृत बनाये रखने और उसके शब्द कोष में वृद्धि करने के लिये आजकल की दूसरी मुख्य भारतीय भाषाओं में, प्रचलित शब्दों को जिनको कि सब शिक्षित व अशिक्षित आसानी से समझ सकते हैं ज्यों का त्यों सरकारी काम में प्रयोग होने वाली हिन्दी भाषा में उसके अलंकृत करने के लिये सम्मिलित कर लिया जाय।"

श्रीमान्, यह संशोधन जिस वक्त मैंने भेजा था, उस समय केवल उर्दू के शब्दों का ही जिक्र मूल प्रस्ताव में था और फिर श्रीमती नेहरू जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैंने यह संशोधन पेश किया है। श्रीमती नेहरू जी का जो संशोधन है उसकी स्प्रिट में हमको जाने की आवश्यकता है।

भाषा किसी भी राज्य का प्राण हुआ करती है। भाषा के लिए हमको यह भी सोचना है कि जितने शब्द हों वह सरल हों। लेकिन आज इस समय जब हम यह देखते हैं कि भाषा की सारे प्रान्तों की मांग हो रही है, तो ऐसे वक्त में हमको यह विचार करना होगा कि हम उन प्रचलित शब्दों को लें जिससे हम हिन्दुस्तानी को आसानी के साथ अच्छा बनाने के लिए सम्मिलित कर सकें। हमारा देश शायद सबसे पहला देश है जिसने भाषा को क़ानून के जरिये से स्थापित किया है और देशों के नागरिकों ने भाषा को अपनी तरफ से डेवलप किया है। लेकिन हमारे

[श्री कुंवर गुरु नारायण]
देश में विधान ने यह निश्चय किया है कि हिन्दी हमारे देश की राष्ट्र भाषा होगी और उसको हमें प्रोत्साहन देना है। हमारे देश में बहुत से छोटे छोटे प्रान्त हैं अगर उन सब को मिलाने के लिए हमारे देश ने कोई सही क़दम नहीं उठाया, तो काम ठीक से नहीं चल सकेगा। अंग्रेज़ों के समय में जब उनकी हुकूमत यहां पर थी तो उन्होंने अंग्रेज़ी का प्रचार किया और वह इसलिए कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के काम में उसकी आवश्यकता रहती थी। इसके अलावा और जितनी भाषायें थीं उनकी ओर उनका विशेष ध्यान नहीं था। सन् २० में राष्ट्रीय अन्दोलन हुआ और लोगों के दिमागों में एक विचार पैदा हुआ कि अपने भारतवर्ष की भी राष्ट्र भाषा होनी चाहिए उस समय हृदय में यह ख्याल पैदा हुआ कि अपनी राष्ट्र भाषा का निर्माण करना चाहिए। महात्मा गांधी ने उस समय हिन्दुस्तानी को उचित समझा। हिन्दुस्तानी भाषा से उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि हिन्दी भाषा को लेकर, उसमें और भाषाओं के शब्दों का समावेश हो और वह भाषा इस प्रकार से हो जाय कि तमाम प्रदेश के लोग उसको आसानी के साथ समझ सकें। उसका नतीजा जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हिन्दी उर्दू आज ऐसी भाषा बन गई है कि न तो हिन्दी ही अपने स्थान पर ठीक से पनप पाई और न उर्दू ही अपने स्थान पर ठीक तरह से पनप सकी। और जो दूसरी भाषायें हैं, जैसे मरहाठी, टेलिगो, बंगाली और तामिल तो, उन्होंने अपनी भाषाओं में काफ़ी बड़े-बड़े साहित्य पैदा कर दिये हैं। आज आप देखेंगे कि बंगाली न्यूज पेपर का जितना सरक्यूलेशन है उतना शायद समस्त हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के पेपर को मिलाकर भी नहीं होगा। ऐसी हालत में यह जरूरी है कि हमें भी अपने देश में इसी तरह की भाषा को बनाना है।

यह भी निश्चित रूप से संकल्प कर दिया गया है कि हिन्दी ही हमारी राष्ट्र भाषा होगी और अब हमारा कर्त्तव्य यह है कि उसको डेवलप करने के लिये क्या तरीक़े हो सकते हैं, हम वह सोचें। इसलिये मैं यह जरूरी समझता हूं कि अगर यह मुमकिन हो सके कि हम सरल शब्दों को अंग्रेज़ी शब्दों के स्थान पर रख सकें तो वह हम रख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत से शब्द ऐसे हैं जो कि प्रचलित हो चुके हैं और चाहे वह किसी भी भाषा के हों, अगर उनको हम अपने स्थान पर वैसे ही अपनी भाषा में प्रयोग कर लें तो मैं समझता हूं कि इससे कोई हानि नहीं होगी और न हमारी भाषा का किसी प्रकार का डेवलपमेंट ही रुकेगा। इससे हमारी भाषा को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंच सकती है। मसलन आजकल जो बहुत प्रचलित शब्द हैं, जैसे सीमेंट शब्द है, रेल शब्द है और इसी तरह से बहुत से दूसरे शब्द हैं, जैसे साइकिल है, तो ऐसे शब्द अपनी भाषा में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि सारे देश में इन शब्दों का प्रचलन हो चुका है और लोग इन शब्दों को आसानी से समझ सकते हैं तो हमें फिर कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम अपनी भाषा को सरल बनाने के लिये अगर इस प्रकार के सरल और प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर लेंगे, तो उससे किसी प्रकार की हानि होगी। मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार से हमारा फायदा ही होगा।

जो आज सबसे बड़ा भय हमारे सामने है, वह यह है कि इसके कारण कहीं यह चीज उत्पन्न न हो कि अपनी भाषा अगर व्यापक न हुई तो देश के अन्दर यूनाइट करने के बजाय डिसइन्टीग्रेट न कर दें। यहां हमें याद रखना चाहिए कि देश में भाषावार प्रान्तों की मांग प्रारम्भ हो गई है। इसलिये यह आवश्यक है कि हम अन्य भाषाओं के जिन शब्दों को आसानी के साथ अपनी भाषा में स्थान दे सकते हैं, उनको हम अपनी भाषा में स्थान दें और तब मैं समझता हूं कि इसका यह नतीजा होगा कि हम अपनी भाषा को अच्छी तरह से डेवलप कर सकेंगे और हिन्दी अपना स्थान ऊंचा से ऊंचा रख सकेगी और हमारे देश की एकता क़ायम रहेगी। इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि यद्यपि हमने हिन्दी को राष्ट्र भाषा बना दिया है लेकिन हिन्दी के राष्ट्र भाषा बन जाने के बाद जितना हमें उसके ऊपर खर्च करना चाहिये, जितना हमें उसको बढ़ावा देने के लिये साधन जुटाने चाहिये, वह हम नहीं कर पा रहे हैं और उसका कारण यह भी हो सकता है कि हमने अंग्रेज़ी को १५ वर्षों तक के लिये अपने देश में स्थान दिया है तो उसमें कुछ न कुछ कमजोरी ही हो सकती है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि हुकूमतों का यह फर्ज है कि वह अपनी राष्ट्र भाषा को प्रोत्साहन देने के लिये, उसको डेवलप करने

के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न करे और उसके ऊपर अधिक से अधिक जितना खर्चा कर सकते हैं, उतना खर्चा करें। क्योंकि हमने अगर राष्ट्र भाषा बना दी और उसको पूरे हृदय से नहीं, बल्कि अधूरे हृदय से चलाते रहे तो फिर वह भाषा किसी भी तरह से पनप नहीं सकती है। तो मैं यह समझता हूं कि जो प्रस्ताव यह है अगर इसको पास कर लिया जाय, तो अच्छा ही होगा और इससे हमारी राष्ट्र भाषा को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फायदा ही होगा और किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इस पर भी ऐग्री नहीं करता हूं कि अगर हम इसको शुरू करें तो इसके अन्दर तमाम क़िस्म के शब्द इकट्ठा कर लें और तब इसको शुरू करें। इसमें तो हम बहुत ही प्रचलित और सरल शब्द लें। अंग्रेज़ी भाषा है और अंग्रेजी भाषा में हमारे यहां के शब्द हैं। जैसे शब्द घी (Ghee) उनके शब्दों के कोष्टों में पाया जाता है। उनके यहां वे घी को लिक्वीफाइड बटर कहते हैं और उन्होंने अपनी डिक्शनरी में भी ऐसे शब्दों को ले लिया है। इस प्रकार से जो शब्द सरलता और आसानी के साथ समझे जा सकते हैं हम उन्हें अपने यहां स्थान दे सकते हैं और हमें उन शब्दों को स्थान देना चाहिये। मेरा ख्याल है कि इससे हमारी भाषा डेवलप करेगी और हमारे देश को इससे फायदा भी होगा

सन् १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश एन्कम्बर्ड स्टेट्स (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—मैं आपकी आज्ञा से सन् १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश एन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूं। यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १५ फरवरी, १९५४ को पारित हुआ और यहां आज ११ बजकर १० मिनट पर प्राप्त हुआ।

चेयरमैन—कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[कौंसिल की बैठक १ बजे अवकाश के लिए स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निज़ामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी भाषा में सम्मिलित किया जाय

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्रीमती नेहरू ने पेश किया है मैं उसमें निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं,

तीसरी पंक्ति में शब्द 'प्रचलित' से पहले शब्द 'उर्दू तथा अंग्रेज़ी' तथा पंक्ति ४ में 'सरकारी काम के पश्चात्' तथा न्यायालय में, वाक्य और बढ़ा दिये जायं।

उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव आज भाषा के संबंध में पेश किया गया है मैं यह समझता हूं कि वह प्रस्ताव भाषा की एक बड़ी समस्या को हल करता है और संसार के अंदर कोई भी भाषा उस समय तक जिन्दा नहीं रह सकती है जब तक कि वह भाषा आम आदमियों की भाषा न हो या जब तक वह भाषा आम आदमियों के समझने और बोलने या लिखने की भाषा न बन जाय। पुराने इतिहास को रखने से हमें पता चलता है कि बहुत सी भाषायें केवल इसलिये समाप्त हो गई कि उन भाषाओं को लोगों ने सीमित करके रखा और दूसरी भाषा की बात जाने दीजिये हमारी जो प्राचीन भाषा संस्कृत थी उसके संबंध में ले लीजिये। आज संस्कृत भाषा का लोप क्यों हुआ उसके कई कारण हो सकते हैं, किन्तु एक कारण सबसे बड़ा यह भी था कि उसके लिये यह कहा गया कि यह तो ब्राह्मणों की भाषा है और उनके अतिरिक्त और कोई उस भाषा को बोल नहीं सकता और कोई लिख नहीं सकता। उसका नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मणों के अलावा और जो लोग थे उनको संस्कृत से अरुचि पैदा हुई, उन्होंने उस भाषा को नहीं अपनाया। नतीजा यह हुआ कि थोड़े दिनों के अन्दर वह भाषा दुनियां के दूसरे देशों में रही किन्तु भारतवर्ष से लोप हो गई। जिसको एक बार फिर ज़िन्दा करने की कोशिश की गई। इसी प्रकार की एक और भाषा है अरबी। अरबी का भी करीब क़रीब यही हाल हुआ। आज ईरान के अन्दर ९९ प्रतिशत से भी ज्यादा मुसलमान हैं। लेकिन वहां की भाषा अरबी नहीं है। वहां की भाषा फ़ारसी है। कारण कि वहां जो अरबी भाषा थी जिसको लेकर लोग ईरान

[श्री प्रतापचन्द्र आजाद]
में गए तो वहां पर यह समझा गया कि उस भाषा को बोलने के लिए वही अधिकारी हैं जो उस भाषा के मर्मज्ञ हैं या रिलीजस पेशवा हैं। इसलिए जिस भाषा को सीमित कर दिया जाता है या जिसके अन्दर ऐसे शब्द रख दिए जाते हैं जिनको थोड़े से लोग ही समझ सकें, सारा देश न समझ सके, वह भाषा जीवित नहीं रह सकती। हिन्दी हमारे देश की राष्ट्र भाषा है हम सब का कर्तव्य होना चाहिए कि उस भाषा को जीवित रखने के लिए, उसको उन्नतिशील बनाने के लिए उसको इतना आसान बनायें, इतना अच्छा बनायें, कि हर एक व्यक्ति समझ सके, हर आदमी उसको पढ़ सके, लिख सकें। यदि हम यह कोशिश करते हैं कि हिन्दी भाषा को कठिन कर दिया जाये, उसमें अधिक से अधिक संस्कृत के शब्द डाल दिए जायें तो हम हिन्दी भाषा की सेवा नहीं करते बल्कि हिन्दी भाषा का विरोध करते हैं।

इस कारण जो प्रस्ताव श्रीमती नेहरू ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करते हुये एक छोटा सा संशोधन रख रहा हूं। संशोधन यह है कि हिन्दी भाषा में अब तक जो उर्दू या अंग्रेजी के शब्द प्रचलित हैं, यानी जहां तक मैं समझता हूं हिन्दी भाषा के अन्दर केवल दो भाषाओं के ही शब्द प्रचिलित हैं, एक उर्दू और दूसरी अंग्रेजी, किसी दूसरी भाषा के शब्द या तो हैं नहीं और अगर हैं भी तो नहीं के बराबर। इन दो भाषाओं के जो शब्द प्रचलित हैं उनमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी भाषा में इस प्रकार से समा गए हैं जिनको यदि हम छोड़ दें या जिनकी एवज में दूसरे शब्द बनायें तो भाषा का कल्याण नहीं हो सकता। मसलन् अंग्रेजी शब्दों को ही ले लीजिए। मैं आप से अर्ज करूं इस सदन में जैसे "बिल पास हो गया" बहुत प्रयोग किया जाता है। "पास" अंग्रेजी शब्द है। परन्तु यह इतना सरल है, इतना आम फ़हम है जिसको देहात के, शहर के पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे सभी प्रकार के मनुष्य समझ सकते हैं। इसी प्रकार से 'बिल' या 'ऐक्ट' है। बिल या ऐक्ट को भी पढ़े लिखे और अपढ़ सभी समझ सकते हैं।

इसी प्रकार से उर्दू का एक शब्द क़ानून है। यह एक ऐसा शब्द है जिसको हर एक इन्सान समझता है, चाहे वह देहात का हो, चाहे वह शहर का हो। क़ानून शब्द के माने हर व्यक्ति समझता है। इसी प्रकार से मैंने न्यायालयों का जिक्र किया है। जहां तक न्यायालयों का संबंध है वहां पर बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनको प्रचलित रहने दिया जाय तो अच्छा है। मुक़द्दमा उर्दू भाषा का शब्द है लेकिन इसको हर एक आदमी समझता है। चाहे वह पढ़ा हो या गैर पढ़ा हो। इस प्रकार से जो ऐसे शब्द हैं और जो इस भाषा में खप गये हैं, जिसको हर एक व्यक्ति आसानी से समझ सकता है उन शब्दों को निकालकर उनकी जगह पर गूढ़ शब्द लाये जायं तो उनके समझने में बहुत बड़ा अर्सा लगेगा। हमारे लिये १५ वर्ष का समय है कि हम १५ वर्ष के अन्दर अन्दर इस भाषा को इस प्रकार बना लें जिससे पूर्णरूप से हिन्दी भाषा राष्ट्र भाषा हो सके। यदि हम यही करते रहे और हिन्दी भाषा को मुश्किल बनाते रहे और ऐसे शब्द चुन चुन कर लाते रहे जिनको न हम समझें और न दूसरे लोग समझें तो हमारी भाषा किस प्रकार से राष्ट्र भाषा बन सकती है।

जहां तक उर्दू का सम्बन्ध है वास्तव में उर्दू और हिन्दी में विशेष अन्तर नहीं है, केवल लिपि का अन्तर है। उर्दू के आसान शब्द हिन्दी में लाये जाये तो कोई कठिनाई नहीं होगी। आजकल हिन्दी और उर्दू का झगड़ा चल रहा है। यह बेकार की बात है। जब उर्दू और हिन्दी दोनों भारतवर्ष की भाषा है तो मैं आज तक नहीं समझा कि आजकल जो लोग उर्दू का डेपुटेशन ले जाते हैं, उसके क्या माने हैं। इसको मैं नहीं समझ पाया। अगर इसको खतम कर दिया जावे तो उर्दू हिन्दी का झगड़ा समाप्त हो जायेगा। मैंने जो संशोधन रखा है और हमारी जो भाषा है उसमें उर्दू और हिन्दी भाषा के शब्द रखे जायं और जो प्रचलित शब्द हैं उनकी जगह मुश्किल शब्द न लाये जावें। तो मुझे आशा है कि जो प्रस्ताविका महोदया हैं वे मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी।

श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)—श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने जो प्रस्ताव यहां पर उपस्थित किया है उसके बारे में मुझे केवल इतना ही कहना है कि स्त्रियों के नाम के आगे देवी शब्द लगाया जाता है लेकिन किसी पुरुष के नाम के आगे देव शब्द नहीं लगाया जाता

है। इस राष्ट्र में भी जितनी भारतीयता स्त्रियों में है उतनी भारतीयता पुरुषों में नहीं, इसलिये वे देवियां कही जाती हैं। देवियों की क्या भाषा है वे भूल गयी हैं। संस्कृत भाषा ही देवियों की भाषा है। परन्तु भूलकर इस तरफ जा रही हैं। आपने कहा है कि प्रचलित शब्दों को प्रयोग करना चाहिये। प्रचलित शब्द क्या हैं। जब तक यवन राज्य नहीं था तो उस समय कौन प्रचलित शब्द थे। इंगलिश राज नहीं था तो उस समय यहां पर क्या इंगलिश शब्द थे। इंगलिश राज्य के समय में ही इंगलिश शब्द प्रचलित हुये हैं। इंगलिश राज्य में इंगलिश शब्द प्रचलित हुये। देहातों में आप कहते हैं कि वहां भी इंगलिश शब्द समझ लिये जाते हैं तो उसके लिये मेरा कहना यह है कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो प्रचलित नहीं हैं, लेकिन फिर भी बोल दिये जाते हैं। जैसे इनफारमेशन। मैं तो इनफारमेशन का मतलब नहीं समझता हूं। जब यहां हिन्दी में बोलने वाले कोई ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है। तात्पर्य कहने का यह है कि इंगलिश और उर्दू शब्द जो प्रचलित हुये हैं वह अंग्रेजी और मुसलमानी राज्यों के आने के बाद हुये हैं। हिन्दी शब्दों को दबाया गया उस समय और उर्दू या अंग्रेजी के शब्द प्रचलित हुये। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश प्राकृत है और प्राकृत का अपभ्रंश हिन्दी यानी भारतीय भाषा है। फिर बंगाल में कोई शब्द बोले जाते हैं। मद्रास में कोई शब्द बोले जाते हैं और गुजरात में गोई शब्द बोले जाते हैं। इस तरह से अगर मद्रास के शब्द यहां जोड़ दिये जायं तो बड़ी कठिनाई होगी और अगर यहां के शब्द मद्रास में जोड़े जायं तो वहां भी बड़ी कठिनाई होगी। लेकिन अगर हम संस्कृत को लाते हैं तो हर एक देश के लोग समझ सकते हैं। संस्कृत का अभी उतना प्रयोग नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों को चाहिये कि हम लोग संस्कृत भाषा के शब्द ही भारतीय भाषा में जोड़ें। अन्त में मेरा निवेदन है कि श्रीमती शिवराजवती नेहरू अपने प्रस्ताव में यह न रखें कि प्रचलित शब्द उर्दू या अंग्रेजी के भारतीय भाषा में जोड़े जायं।

श्री जगन्नाथ आचार्य (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--जो प्रस्ताव श्रीमती शिव-राजवती नेहरू ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी श्री सभापति उपाध्याय जी ने संस्कृत के बारे में कुछ कहा। संस्कृत शब्द अब तो संज्ञा का रूप बन गया है, लेकिन वास्तव में वह एक प्रकार का विशेषण है। अभी यह भी एक विवादग्रस्त बात है कि सारे भारत में संस्कृत बोली जाती थी या नहीं। प्राचीन समय के ग्रन्थों को देखने से मालूम होगा कि उनमें संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा के शब्द भी जोड़े गये हैं। भाषा तो एक ही होती है, लेकिन उसका दो ढंग से प्रयोग किया जाता है शिष्ट जनों का तथा साधारण जनता का, तो श्रीमती शिवराजवती नेहरू का यह मन्तव्य नहीं है कि दूसरे शब्द उर्दू के या अंग्रेजी के हिन्दी भाषा में जोडे न जायं। उनका तो मतलब यह है कि जिन शब्दों को जनता जनार्दन अपना चुकी है उनको भारतीय भाषा में मिला लिया जाय। भाषा तो हर तरह से हिन्दी ही बनी रहती है। पहले संस्कृत ने राष्ट्रभाषा का रूप ले लिया। संस्कृत और प्राकृत भाषा में विद्रोह हमेशा हुआ है। पहले संस्कृत राष्ट्रभाषा थी लेकिन बाद में प्राकृत भाषा उस पर हावी हो गई। और आप इसीलिये देखें कि जिस वक्त भगवान बुद्ध, भगवान महावीर आदि ने उपदेश तो दिये वे उसी प्राकृत भाषा म दिये जो उस समय प्रचलित थी। उनका प्रचार जनता में इसीलिये अधिक हुआ। संस्कृत तो इने गिने लोगों की भाषा थी। अब सवाल यह है कि हिन्दी को किस तरह आगे बढ़ाया जाय। इसकी खास जिम्मेदारी हमारे प्रांत के ऊपर है। क्योंकि हिन्दी भाषा हमारे प्रांत ही की भाषा नहीं है तथा हमारे देश की राष्ट्र भाषा भी है। हमें यह देखकर आनंद हुआ कि हमारे गृह मंत्री महोदय, जो हिन्दी के प्रकांड विद्वान हैं, आज वही इस सदन में उपस्थित हैं। श्री रघुवीर जी के कोष को अभी सरकार ने प्रमाणित नहीं माना है। यह तो बहस का विषय है कि किस कोष को प्रमाणित माना जाय और किसको नहीं। कोष और व्याकरण इसीलिये बनाये जाते हैं कि भाषा विकसित हो। ये भाषा को कैद करने के लिए नहीं बनाये जाते। हिन्दी भाषा तो मैं समझता हूं कि आठवीं शताब्दी से किसी न किसी रूप में प्रचलित है। आज चलते २ इसने राष्ट्रभाषा का रूप ग्रहण कर लिया है। इसमें आगे चलकर हमें विकास करना है कि जिसमें सारे साहित्य का समावेश हो सके। इसके लिये किसी एक खास भाषा को रखना मुनासिब नहीं है। संस्कृत हमारी भाषा की जननी तो है ही, हमें अलबत्ता नये शब्दों को तो ढूंढ़ना ही पड़ेगा।

[श्री जगन्नाथ आचार्य]
इसके लिये हमें संस्कृत से कुछ न कुछ शब्दों को लेना पड़ेगा। लेकिन जो प्रचलित शब्द हैं उनको तो हमें लेना ही पड़ेगा। संत तुलसीदास ने रामचरित मानस का प्रचलित सरल हिन्दी भाषा में प्रचार किया। क्या उसमें ओज नहीं है। जो आम फहम भाषा है उसको तो हमें लेना ही पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमती शिवराजवती जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन--मुझे इस सम्बन्ध में यह अर्ज करना है कि यह बात सही है कि हमें प्रचलित शब्दों को अथवा जो दूसरी भाषाओं के आसान शब्द हैं उनको लेना चाहिए। किन्तु हमें विचार यह करना है कि हिन्दी सारे भारत की राष्ट्रभाषा होने जा रही है तो केन्द्रीय राज्य को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। भारत के सारे विद्वान इस बात का निर्णय करें कि देश की राष्ट्रभाषा में कौन २ शब्द आने चाहिए।

यह चीज़ हमारे इस सदन के, मेरी नाक़िस राय में, विचार के हद में नहीं आती है। रहा यह कि जिन शब्दों का उदाहरण दिया गया वे शब्द किसी एक विद्वान के निर्माण किये हुए हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि यहां राज्य परिषद में जिस साहित्य का प्रचार होता है उसमें जो शब्द गढ़ कर रखे जाते हैं वे किसी समिति द्वारा निश्चय होकर आते हैं, या किसी एक व्यक्ति के द्वारा। किन्तु इस संबंध में हमें विचार करना चाहिये कि वे शब्द ऐसे हों जो सब समझ सकें, उन्हीं को रखा जाय। इसमें कठिनाई यह है कि जैसे सीमेन्ट शब्द आम बोल चाल का है इसकी जगह दूसरा टेढ़ा मेढ़ा शब्द रख देने से लोगों के समझने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए कहा गया कि हम वही शब्द क्यों न ले लें। विद्वानों के देखने की यह भी एक बात है कि आम बोलचाल वाले शब्दों को कठिन शब्दों में बदल देने से क्या उत्तम होगा। मैं समझता हूं उससे कोई फायदा नहीं निकल सकता है। इसलिए कोई सरल मार्ग अपनाना ही सुगम होगा। इस संबंध में मैं यह मानता हूं कि जो प्रस्ताव श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने पेश किया है उस पर राज्य को ध्यान देना चाहिये, हमारे यहां प्रस्ताव लाने से कोई लाभ नहीं निकलेगा। इसलिए मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से यह है कि इस प्रस्ताव के संबंध में वह प्रान्त के विद्वानों की एक समिति मुक़र्रर कर, जो बताये कि जो शब्द सरकारी कार्य में प्रचलित होते हैं उनमें से कितने मुनासिब हैं और कितने नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमती शिवराजवती नेहरू के प्रस्ताव का उस रूप में कि जिसको मैंने बताया है समर्थन करता हूं।

*डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय श्रीमती शिवराजवती नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था मैं यहां पर उपस्थित न था, इस कारण मुझे नहीं मालूम कि किसने क्या कहा है। तब भी मैं इस संबंध में दो, चार बातें श्रीमान् जी के सामने उपस्थित करूंगा। प्रस्ताव का उद्देश्य तो साधारण है। उसमें लिखा हुआ है कि हिन्दी भाषा को जीवित व जागृत बनाये रखने और उसके शब्दकोष में वृद्धि करने के लिए आजकल के प्रचलित शब्दों को जिनको कि सब शिक्षित व अशिक्षित आसानी से समझ सकते हैं, ज्यों का त्यों सरकारी काम में प्रयोग होने वाली हिन्दी भाषा में सम्मिलित कर लिया जाय। मैं समझता हूं कि यह संकल्प सही है इसके संबंध में किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। राष्ट्र भाषा, राष्ट्र और राष्ट्र उन्नति के लिए आवश्यक है। हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, तो अब यह आश्यक हो गया है कि देश की एक राष्ट्र भाषा हो और सब लोग उसको मानें, राज्य का और शासन का काम उसी के द्वारा हो। इतना ही नहीं वह देश की भाषा हो और सभी हिन्दू, मुसलिम और ईसाई उसी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करें। तो श्रीमती नेहरू जी ने यह समझकर प्रस्ताव सदन के सामने रखा है कि आजकल की जो भाषा है वह क्लिष्ट होती जा रही है। यह बात वास्तव में सत्य भी है। यहां पर जो भाषा हमारे सामने आती है उस भाषा के बारे में हमारे इस सदन के सदस्य पंडित अम्बिका प्रसाद जी बाजपेयी जैसे विद्वान पुरुष ने एक बार आपत्ति की थी कि कौन अंग्रेजी शब्दों का इस प्रकार से अनुवाद कर रहा है जो हमारे सामने आते हैं। जो भाषा विधेयकों और प्रस्तावों की होती है, वह तो कभी कभी हमारी समझ में नहीं आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

आप से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है कि कभी कभी ऐसी भाषा आती है कि आप जैसे अनुभवी वकील भी उसको नहीं समझ सकते हैं कि इस भाषा का क्या मतलब है। मेरी अनुमति में सरकार का कर्त्तव्य है कि वह ऐसी भाषा अपने कार्यों में प्रयोग करे जिस को लोग आसानी से समझ सकें।

कुछ थोड़े से विधेयक हमारे सामने रखे हुये हैं जिनकी भाषा ऐसी है कि उसके लिये कुंजी या ग्लोसरी की आवश्यकता है। अभी मैंने उत्तर प्रदेश एन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक को देखा। आप जरा इस विधेयक के पृष्ठ पर देखिये कि कैसे वाक्य हैं जिनको एक दफे पढ़ने से कोई नहीं समझ सकता है। हमारा उद्देश्य यह रहता है कि भाषा के द्वारा विचार व्यक्त हों। सदन की कार्यवाहियां और शासन की कार्यवाहियां ऐसी भाषा में व्यक्त हों जो सरल हो और जिसको सब लोग समझ सकते हों। यह जरूर है कि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की भाषा और विद्वानों की भाषा इस तरह की होगी जिसमें बड़े-बड़े शब्द आयेंगे। यह बात हम इंगलैंड के विषय में भी नहीं कह सकते हैं कि जो भाषा बड़े बड़े प्रोफेसर लिखते हैं वही भाषा वहां का दुकानदार भी लिखता है, और जो भाषा गिलबर्ट लिखता है, वही भाषा एक दुकानदार भी समझ सकता है। किन्तु जो सरकारी कार्य में भाषा आती है उसको ऐसा होना चाहिये कि सभी लोग समझ सकें। अधिक शिक्षित तो समझ ही सकते हैं लेकिन जो अधिक शिक्षित न हों वे भी समझ सकें। इसलिये इसमें संशोधन की बहुत आवश्यकता है। श्रीमती नेहरू जी का कहना है कि इन प्रचलित शब्दों को हिन्दी भाषा में लिया जाय तो मैं कहना चाहता हूं कि इन शब्दों को लेने से किसी को विरोध नहीं होना चाहिए।

अभी पंडित सभापति जी ने कहा कि यवनों के आने से बहुत से शब्द हमारी भाषा में आ गये हैं जो कि हमारे यहां नहीं थे। लेकिन इस तरह से अंग्रेज भी आये और उनकी भाषा भी चली और उसके बहुत से शब्द प्रचलित यहां हो गये हैं। जो आजकल का हमारा विधान है वह अंग्रेजी से ही निकला है। कास्टिंग वोट, बैलेट और एप्रोप्रिएशन बिल कहां से आये हैं, ये तो हमारे देश में नहीं थे। इनके लिये शब्द बनाने पड़ेंगे और इनके लिये जो शब्द बनाये जायं वे सरल हों। बहुत से शब्द ऐसे हैं, जिनको प्रयोग करने से कोई हर्ज नहीं हो सकता है। बड़ी खुशी की बात है कि इस समय गृह मंत्री जी उपस्थित हैं जो हिन्दी के बड़े विद्वान हैं। वे इस बात को देखेंगे कि बहुत से सदस्यों को विधान सभा में और इस सदन में भी, जो सरकारी कागज आते हैं, उनको समझने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करना चाहिये। यह प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं है बल्कि यह सारे भारत का प्रश्न है क्योंकि १५ साल बाद केन्द्रीय सरकार का काम अंग्रेजी द्वारा नहीं होगा वह भी हिन्दी भाषा द्वारा होगा। अब केन्द्रीय शासन में किन शब्दों का प्रयोग होगा, हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस मामले में अभी केन्द्रीय सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है। मुझे पूर्ण आशा है कि जब १५ वर्ष बीत जायंगे तो केन्द्रीय सरकार अपना अंतिम निर्णय करेगी कि वह किन शब्दों का प्रयोग करे। उसको यह निश्चय करना होगा कि वह पालियामेंट में किन शब्दों का प्रयोग करे क्योंकि कास्टिंग वोट, बेलट और एप्रोप्रिएशन बिल जैसा शब्द जो विधान से संबंध रखने वाले हैं वे तो आयेंगे ही इसलिये केन्द्रीय सरकार निश्चय करेगी कि पालियामेंट में इन शब्दों का प्रयोग किया जायेगा। यह अभी निश्चय नहीं हुआ है इसलिये यह सम्भव है कि आप इसमें सब से पहले प्रवेश करें। हमारा प्रान्त हिन्दी भाषा का केन्द्र है यहां से भाषा की प्रगति पूर्ण रूप से होगी। मैं समझता हूं कि हम को ऐसा करना चाहिए जिस से भाषा सरल हो और उससे प्रचलित शब्दों का प्रयोग हो जिस को सब लोग समझ सकें। जो शब्द और भाषाओं में प्रचलित हों उनको हमें अपनी भाषा में प्रयोग करना चाहिए। हमारे राज्यपाल महोदय स्वयं एक विद्वान है। हिन्दी भाषा पर विचार करके ऐसे शब्द लाये जिससे काम में आसानी भी हो सके। लेकिन यह सभी जानते हैं कि अभी हमारे देश में हिन्दी भाषा की प्रगति वैसी नहीं हुई है जैसी अंग्रेजी की है। बहुत से ऐसे विषय हैं जिन के बारे में हम अपने विचार अंग्रेजी में अच्छी तरह से दूसरों के सामने रख सकते हैं लेकिन उन टैक्निकल शब्दों को हिन्दी में नहीं लिख सकते हैं। जैसे साइन्स, पोलिटिकल साइन्स, फिलासफी और एकनामिक आदि हैं। इन विषयों के जो टैक्निकल शब्द हैं उन का प्रयोग हम हिन्दी में नहीं कर

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

सकते हैं। हम संस्कृत के द्वारा बहुत कुछ इस में सहायता ले रहे हैं। हम को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिस से हमारी भाषा सुन्दर हो।

जहां तक पार्लियामेन्ट्री भाषा का संबंध है उस के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्लियामेन्ट्री पद्धति हम ने दूसरे देश से ली है यह हमारे देश में नहीं थी इसलिए हम को इस में उन शब्दों को लेना पड़ेगा जो पार्लियामेन्ट्री शासन की कार्यवाही के लिए उपयुक्त हों। ऐसा करने से हम को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। अंग्रेजी भाषा में भी यूरुप की और दूसरी भाषाओं के शब्द आते हैं। फ्रेन्च भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में होता है। रिप्राशमेन्ट फ्रेन्च भाषा का शब्द है जिस के मतलब मेलजोल होता है वह अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है। इसी तरह से और भी बहुत से शब्द हैं जैसे हरमानी यूनियन और एग्रीमेन्ट आदि। माननीय मंत्री जी स्वयं एक विद्वान हैं उनको चाहिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाय जिस से भाषा को सरल बनाया जा सके। हमारे यहां जो हिन्दी में बिल आते हैं उनमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको समझने में काफी देरी लगती है। यह जरूर है कि धीरे धीरे हम उन के आदी हो जायेंगे और एक जेनरेशन ऐसी होगी जो उन शब्दों की आदी हो जायगी। हम अपनी भाषा को सुन्दर और सरल बनाने के लिए दूसरी भाषा के प्रचलित शब्दों को ले सकते हैं ताकि हमको अपने विचारों को स्पष्ट करने में आसानी हो। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्रीमती नेहरू जी को धन्यबाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को इस सदन के सामने रखा। मैंने और मेम्बरों से सुना है कि उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया है, मैं उस समय सदन में नहीं था। मैं उनको फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा उपकार किया कि सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया। आजकल हमारी भाषा दिन पर दिन क्लिष्ट होती जा रही है इसलिए हम को इस को सुधारने की बहुत आवश्यकता है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस समय सदन के सामने पेश किया गया है उस के द्वारा श्रीमती नेहरू जी ने एक बहुत आवश्यक विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाया है। जहां तक उन के प्रस्ताव का संबंध है उसमें आजकल के प्रचलित स्थान पर दूसरी भाषा के प्रचलित शब्द रख दिये जायं तो इस प्रस्ताव का स्थान पूर्ण हो जाता है। मैं इस मौके पर यह बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्र की एकता के लिए किसी भी देश की भाषा बहुत कुछ जिम्मेदार होती है। इस एकता को लाने में, एकरूपता को लाने में और राष्ट्रीय भावनाओं को पैदा करने में भाषा का बहुत बड़ा स्थान होता है। इसलिये भाषा ऐसी होनी चाहिये कि देश के रहने वाले हर समुदाय के लोगों की अभिव्यक्ति उस भाषा के जरिये से हो सके। हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रान्त हैं और भिन्न भिन्न प्रान्तों की अपनी अपनी भाषायें हैं और इसके साथ ही साथ यह भले ही न कहा जाय कि भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं लेकिन मूलतः दो संस्कृतियां हमारी भारत संस्कृति के नाम से और मुसलमानों की संस्कृति के नाम से हमारे देश में रह जाती है और वह हिन्दुस्तान में आज भी मौजूद हैं लेकिन फिर भी यदि संस्कृति को रहन-सहन के आधार पर, खान-पान के आधार पर और रीति-रिवाज के आधार पर देखा जाय तो हम इस बात को देखेंगे कि आज कई सूबों के अन्दर भिन्न भिन्न तरीके से यह चीज प्रचलित है और वहां की भाषाओं के अधार पर और वहां की संस्कृति के आधार पर भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है और इस प्रकार जो भाषा के आधार पर प्रान्तों के बनाने का जोर है वह बहुत जोर पकड़ता जा रहा है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हमारी भाषा ऐसी है जिसके अन्दर इस प्रकार की अभिव्यक्ति की क्षमता है और जिसके अन्दर हर एक की भावनाओं का लगाव है, हरएक की संस्कृति का लगाव है और उसके जरिये से हम देश को पूर्ण रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

आज हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में देश के कोने-कोने से यह आवाज आ रही है, दक्षिण से हम देखते हैं कि हिन्दी का बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है और यहां तक कि देश में

इस बात की चेतना नहीं पैदा हो रही है कि आज हिन्दी को हम किस तरीके से सर्व-साधारण की भाषा और सारे देश की भाषा बना कर हरएक सूबे तक पहुंचा सकते हैं। यहां हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी को मान्यता दी गई है इसलिए इस बात की जिम्मेदारी बहुत अधिक हो जाती है कि जो प्रशासकीय भाषा है वह ऐसी हो जिसमें हिन्दुस्तान के लोगों के ख्याल से और हर समुदाय का ध्यान रख करके, वह प्रशासकीय भाषा बने। साहित्यिक भाषा और प्रशासकीय भाषा में भिन्नता होती है। साहित्यिक भाषा में साहित्य के लालित्य को बढ़ाने के लिए उसको अधिक से अधिक ओजस्विनी बनाने के लिये संस्कृत से जितने भी शब्द लिये जा सकें वह लिये जा सकते हैं। लेकिन जब हम प्रशासकीय रूप से अपनी भाषा को देखेंगे तो उसमें यह अवश्य हो जायगा कि जो शब्द आज देश में बहुत से ऐसे प्रचलित हो गये हैं जिनको जनसाधारण बगैर किसी दिक्कत के समझ सकते हैं यानी जिसको कि यू० पी० में लोग अच्छी तरह से समझ सकते है, उसी तरह से मद्रास में समझ सकते है, बंगाल में समझ सकते हैं, बिहार में समझ सकते हैं गुजरात में समझ सकते हैं यानी हर समुदाय चाहे वह गुजराती हो, मद्रासी हो, बंगाली हो, तेलगू जानने वाला हो, हर एक उसको उसी रूप में समझता है जो कि एक सूबे में प्रचलित है ऐसी हालत में ऐसे शब्दों को आपको अपनी भाषा में सम्मिलित करना होगा। आज हम इस बात को देखते हैं कि जो प्रशासकीय भाषा हमारे सामने आ रही है उसको देखने से कभी कभी परेशानी होती है और उसको ऐसे लोग भी जिनको कि हिन्दी पढने का मौका लगा और जिन्होंने कुछ ऊंची कक्षाओं तक हिन्दी को पढ़ा वह भी नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी जब विधेयक सामने आता है तो उसको वह अंग्रेजी से पहले मिला लेते हैं तब जा करके उनको यह आश्वासन होता है कि जो कुछ वह पढ़ रहे हैं उसका मतलब ठीक है। वरना उसके पहले यही अन्देशा होता है कि कहीं उसके समझने में वह गलती तो नहीं कर रहे हैं।

तो ऐसी हालत में उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रशासकीय भाषा आज बनती जा रही है उस प्रशासकीय भाषा के बनने से यह ख्याल होता है कि इस बात की कोशिश अब जोरों पर चल रही है। हम आम साधारण भाषा को प्रशासकीय न रहने दें और यह भी न हो कि वह केवल विद्वानों की भाषा हो जाय। इस माने में जो प्रस्ताव आज हमारे सामने है उसको देखते हुये मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव सरकार के सामने इस विषय का है उस पर सरकार की तरफ से अवश्य ध्यान दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है उसके लिये इस विषय पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं भाषा का विषय केन्द्रीय सरकार का है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार हिन्दी भाषा के लिये सदा ही अग्रेजी रही और इस बात को दृष्टि में रखते हुये हम कह सकते हैं कि हिन्दी भाषा का स्थल उत्तर प्रदेश है। ऐसी हालत में आज उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी हिन्दी भाषा को समृद्धिशाली बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में तथा उसको राष्ट्र भाषा के पद तक पहुंचाने में पूरी है। तो उत्तर प्रदेश की यह जिम्मेदारी है इसलिये जो यह प्रस्ताव सदन के सामने है उसकी अहमियत है और इसके साथ ही साथ हमें इस बात की खुशी है कि आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी जब कि यहां भाषा पर बहस चल रही है, इस सदन में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आप भाषा के सम्बन्ध में अपनी खास राय रखते हैं और इन्होंने भाषा के सम्बन्ध में बहुत मोड़ भी किये हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि वे इसकी जरूरत को समझ सकते हैं और जब कि इस भाषा पर यहां बहस चल रही है और वे यहां पर उपस्थित हैं तो वे इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि साहित्यिक और प्रशासकीय भाषा में फर्क अवश्य होना चाहिये। प्रशासकीय भाषा में और दूसरी भाषा के शब्दों को भी स्थान मिलना चाहिये और इसके साथ ही साथ प्रशासकीय भाषा जो बने तो उसके शब्द इस तरह से सरल हों कि सभी लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकें।

*श्री एम० जे० मुकर्जी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, आज के भाषणों को सुनकर मुझे बड़ी खुशी यह हुई कि मैं ही अकेला ऐसा शख्स नहीं हूं जो कि हिन्दी भाषा को अच्छी तरह से न जानता हो और न समझता हो। उर्दू पढ़कर शायद मेरी आदत ऐसी हो गयी है कि मैं ज्यादातर उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल करने की ही कोशिश करता हूं। लेकिन आप सभी को मालूम है कि आज हिन्दी भाषा की बहुत बड़ी जरूरत है और हमें इसे अवश्य बदलना चाहिये। जो हमारे सामने प्रस्ताव है वह बड़ी अहमियत का है और इस ओर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिये और इसको जहां तक हो सके हमें अमल करने की कोशिश करनी चाहिये। मैं जानता हूं कि किसी देश के लिये एक न एक भाषा अवश्य होनी चाहिये और वह जबान भी ऐसी होनी चाहिये जिसको कि सभी समझ सकें और उसका प्रयोग कर सकें। वह भाषा ऐसी हो जिसमें कि हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकें और इसके लिये यह भी जरूरी है कि वह भाषा ऐसी हो जिसको इस देश में सभी लोग समझ सकें चाहे वे बंगाल में रहते हों या ट्रावनकोर में रहते हों।

इसके लिये यह जरूरी है कि हम अपनी भाषा में ऐसे शब्द लायें जो कि सभी समझ सकें और इसके लिये कोई दो ख्याल नहीं हो सकते कि हमारी राष्ट्रीय भाषा एक हो और सामाजिक भाषा दूसरी हो। यहां कहा गया कि बिल जो आते हैं उनमें ऐसे शब्द होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। यह सच है खैर मेरी तो समझ में आते ही नहीं है, जब तक कि मैं अंग्रेजी में उनको नहीं देखता हूं और मिलाता नहीं हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि और लोगों की भी यही कठिनाई है और न सिर्फ इस वजह से बल्कि अपनी देश की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि अपनी भाषा को बदले।

(इस समय २ बजकर ४८ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

विशेषकर एक बात की ओर मैं आप के द्वारा सदन का ध्यायन दिलाता हूं कि जो बच्चे आजकल पढ़ते हैं उनकी समझ में भी वह भाषा नहीं आती है। मुझे याद है जब मैं आठवीं क्लास में था तो हिस्ट्री की किताब एक अंग्रेज विद्वान की लिखी हुई थी उसने अपने लिहाज से बहुत सरल लिखा था लेकिन हम बच्चों के लिये उसका तर्जुमा करना भी एक मुश्किल पैदा करता था और जिन बातों को हमें याद रखना चाहिये था वह भी हम भूल जाया करते थे। जब हम हिन्दी को बढ़ाना चाहते हैं तो यह उसी वक्त हो सकता है जब खास व आम दोनों उसको अपनी जबान में बोल सके और अपने ख्याल का इजहार कर सकें वरना हमारी जबान तरक्की न कर पायेगी। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बधाई देता हूं जो श्रीमती नेहरू जी ने हमारे सामने एक ऐसा उम्दा सवाल रखा और हमारा ध्यान इस ओर दिलाया जो कि न सिर्फ प्रदेश के लिये ही बल्कि सारे देश के लिये अच्छा होगा।

*श्री अब्दुल शकूर नजमी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय चेयरमैन साहब, श्रीमती नेहरू जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है और जिन मकसद की तरफ सदन का ध्यान दिलाया है उसके बारे में दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि यह भाषा का प्रश्न और उस पर जो वाद-विवाद यहां हो रहा है उसको अपनी असली जगह पर देखना चाहिये। यह चीज कि भाषा आम होनी चाहिये, सरल होनी चाहिये, मीठी होनी चाहिये या नहीं। तो भाषा किस तरह बनती है यह एक अलाहिदा सवाल है। मेरा अपना ख्याल यह है कि भाषा बनाने का काम कानून और विधान मंडल का नहीं है और उसके द्वारा न वह बनाई जा सकती है। भाषा बनती है वक्त के तकाजे के साथ और वक्त के तकाजे के साथ जबान बनी है, और बनती है। मिसाल के तौर पर मैं आप की खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आज कल फिल्म की एक जबान है वह मीठी सरल और आसान होती है और तजुर्बे की बात है वह आम जनता में मकबूलियत हासिल करती है।

*सदस्यों ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

दूसरी मिसाल है उर्दू की। सन् १८३० ई० में यह जबान बनाई गई और तवारीख गवाह है कि तरक्की करने का मौका नहीं दिया गया और सन् १८५७ के इनक्लाब के बाद उस जबान की तरक्की हुई और जब तक वह एक लिटरेरी चीज रही, जनता में मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी, लेकिन १८५७ के बाद अवाम ने अपनी भावनाओं का इजहार करना शुरू किया और उस जबान में वह शब्द भी इस्तेमाल किये जो लोगों के आम शब्द थे। इसलिये वह जबान जिन्दा रही और कई एक किताबें लिखी गईं। संस्कृत जबान का तरजुमा जायसी ने किया और खड़ी बोली में कई एक किताबें लिखी गईं जो वाजिद अली की सौतुल मुबारक से कहीं अच्छी हैं, पढ़ने में मीठी भी लोगों को लगती है। जिन्होंने पढ़ा होगा वह जानते होंगे। यह किताबें ७०-७२ साल पहले की हैं। उस विचारधारा को तरक्की देने की जिम्मेदारी बाहर के लोगों की ज्यादा है। इसके लिए मेरी सरकार से अर्ज यह है कि वह यह देखे कि इस मामले में वह कितनी मदद कर सकती है। यह नहीं मुनासिब कहा जा सकता कि भाषा तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर छोड़ दी जाये। यह जिम्मेदारी उर्दू हिन्दी के लेखकों की है। जो किताबें कोर्स की तैयार होती हैं उसमें उर्दू के लेखकों को मौका दिया जाये कि वह नागरी लिपि में उर्दू लिखें। इसी प्रकार से हिन्दी के लेखक हिन्दी लिखें। इसी प्रकार से दूसरी चीज यह हो सकती है कि मादरी जबान में बच्चों को पढ़ने-लिखने का मौका दिया जाये। यह ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार का ध्यान दिलाया जा सकता है और उससे कुछ फायदा भी हो सकता है। लेकिन यह समझना कि भाषा किसी सदन या विधान मंडल के द्वारा बनेगी और वह बाहर के लोगों पर थोपी जा सकती है, बिल्कुल गलत है। जहां तक हिन्दी का सवाल है उसको तो राष्ट्र भाषा सभी लोगों ने मान लिया है। सवाल यह है कि सादी हिन्दी होना चाहिए जिसको हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, या वह हिन्दी होनी चाहिए जो बाहर का एक प्लेटफार्म फैला रहा है।

जहां तक साहित्य और अदब का ताल्लुक है वह तो दूसरी चीज है। मार्केट में जिस जबान में बात की जाती है सौदा सुलुफ खरीदते समय जिस जबान में हम बात करते हैं वह दूसरी जबान होती है लेकिन साहित्य और अदब की जबान बिल्कुल दूसरी होती है। इन तमाम चीजों के बाद श्रीमती जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसकी ताईद करता हूं।

श्री शांति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रान्त ऐसा प्रान्त है जिसकी मातृ भाषा हिन्दी है। केन्द्र की ओर से और भाषा परिषदों की ओर से भी यह निश्चित रूप से माना गया है कि हमारे प्रान्त की मातृ भाषा हिन्दी है। ऐसा होते हुये भी हमारे प्रान्त में ऐसे बहुत से प्रचलित शब्द हैं जो बहुत दिनों से दूसरी भाषाओं के होने के कारण और प्रयोग में बहुत अधिक आने के कारण अभी तक उनके हिन्दी के सामान्य शब्द नहीं मिल पा रहे हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि इन शब्दों के हिन्दी अनुवाद जल्द से जल्द ऐसे प्रकार से सामने आयें जिससे किसी को उनके समझने में विशेष कठिनाई न हो। आज कठिनाई है यह प्रत्यक्ष है और इससे भी प्रत्यक्ष है कि विधान सभा में और विधान परिषद् के कार्यक्रम हिन्दी भाषा में भी छपते हैं और अंग्रेजी भाषा में भी छपते हैं। यह कोई वैधानिक कार्यक्रम नहीं है। ऐसा इस लिए किया जाता है कि हिन्दी के इक्विवेलेन्ट शब्द इतने कठिन होते हैं कि पहले से प्रयोग में न होने के कारण समझ में नहीं आते हैं। साथ ही एक बात और है कि कोई ऐसी अथारिटी नहीं है जिसके द्वारा परिचालित हिन्दी के सामान्य शब्द सब को समान रूप से मान्य हों। अभी केन्द्र की ओर से कुछ प्रयत्न हो रहा है। डाक्टर रघुवीरा की बनाई हुई डिक्शनरी के शब्द जैसे १५०० वैज्ञानिक विषयों के शब्द रखे गये हैं और वह इस लिए रखे गए हैं कि भिन्न भिन्न प्रान्तों के लोग उनका परीक्षण करके केन्द्र के सामने पेश करें कि आया वह अपनाने के योग्य हैं या नहीं।

[श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल]

इसी तरह की और बातें हैं । मैं अपने प्रान्त में देखता हूं कि आज सौभाग्य से माननीय गृह मंत्री जी भी मौजूद हैं और हिन्दी भाषा के विशेषरूप से माने हुये विद्वानों में से एक हैं। इस माने में प्रान्त को विचार करना होगा कि हिन्दी मातृभाषा होते हुये भी उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो साधारण प्रयोग में नहीं आ रहे हैं । उनका अवश्य इक्विवेलेंट शब्द हिन्दी में जनता के सामने आना चाहिये जिससे कि सब लोग समझ सकें। स्टेशनों पर भी जो सरकारी रूप से शब्द आते हैं वे भी किसी प्रकार से हंसी का कारण बन जाते हैं। उसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही पड़ती है। मैं दो चार शब्द उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं । एक शब्द डिप्टी कलेक्टर है अगर इसका अनुवाद 'प्रतिसमाहर्ता' रहेगा तो बहुत दिन तक हम नहीं समझ सकेंगे। इसी प्रकार से रेलवे का टिकट एक शब्द है। टिकट शब्द को सभी लिखते हैं और समझते हैं। यह शब्द उर्दू में और हिन्दी में यानी दोनों भाषाओं में प्रचलित है। यदि इसका अनुवाद करेंगे। संयान पत्रक, तो ठीक नहीं होगा। रेडियो शब्द को सभी लोग समझते हैं और लिखते हैं अगर इसकी जगह पर 'अभितंतुक' कहेंगे तो स्वीकार करने में और समझने में दिक्कत होगी । और शब्द हैं उनको मैं यहां पर छोड़ देता हूं । मछलियों का बाजार की जगह पर यदि राजकीय मत्स्य क्रय विक्रय विभाग कहेंगे तो यह उचित नहीं है। मेरी सम्मति में यह अनुवाद ठीक नहीं है। इसी तरह से लालटेन को 'हस्त कान्त दीपिका' कहा जायेगा, तो ठीक नहीं है। ये शब्द ऐसे हैं जिनको ज्यों का त्यों स्वीकार करना ही ठीक है। हिन्दी और उर्दू के जो बोलचाल के शब्द हैं उनको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। केन्द्रीय सरकार में हिन्दी की डिक्शनरी बनाने का प्रयत्न हो रहा है। डाक्टर रघुबीर, हिन्दी की डिक्शनरी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है कि हमारी सरकार भी हिन्दी में एक डिक्शनरी बनवाने का प्रयत्न करेगी जिससे हमारी भाषा का महत्व बढ़ सके। हमारा प्रान्त हिन्दी भाषी प्रान्त है इसलिये हमारा कर्त्तव्य है कि हिन्दी के शब्द कोष को तैयार करायें जिसको सभी लोग मान सकें, एक सरलता कोष सरकार की ओर से बनवाने का प्रयत्न किया जाय तो श्रेयष्कर होगा। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमती शिवराजवती नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने श्रीमती शिवराजवती नेहरू के प्रस्ताव को गौर से पढ़ा और उनका भाषण भी सुना। इसके बाद सदन में कई माननीय सदस्यों के भी भाषण सुने। परन्तु जहां तक मैंने देखा प्रस्ताव की जो शब्दावली है उसमें और भाषण में बहुत सा अन्तर दिखाई पड़ता है। शिवराजवती के भाषण से जो उनकी भावना मालूम होती थी वह अच्छी है, कि ऐसे क्लिष्ट शब्द जो समझ में नहीं आते, उनका प्रयोग सरकारी भाषा में न किया जाय। लेकिन प्रस्ताव का जो रूप है उसमें यह लिखा है "जिन शब्दों को आसानी से समझ सकते हैं ज्यों का त्यों सरकारी काम में प्रयोग होने वाली हिन्दी भाषा में सम्मिलित कर लिया जाय।" इस तरह से दोनों में अन्तर मालूम होता है। जहां तक मैं समझता हूं, आज भी सरकारी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उनके लिये कोई सरकारी डिक्शनरी तो है नहीं, जहां इन शब्दों का बहिष्कार किया गया हो, यदि बहिष्कार किया गया होता तो दूसरा प्रश्न होता लेकिन ऐसा है नहीं। जिस भावना से यह प्रस्ताव किया गया है उस भावना को यह प्रस्ताव पूरा नहीं करता, जैसी इसकी शब्दावली है। मैं जहां तक समझता हूं यदि आज सरकार इन शब्दों को काम में लावे तो उसकी कोई भी रुकावट नहीं है यदि लोगों की भावना को पूरा करना है तो इस प्रस्ताव को अलग करके एक दूसरा ही प्रस्ताव लाना होगा जिसमें अनुरोध किया गया हो कि ज्यादातर ऐसे शब्दों को व्यवहार में लाया जाय जिनको आमतौर पर लोग समझते हों। परन्तु शब्द भंडार को यदि बढ़ाना है तो यह तभी हो सकता है जब नये नये शब्दों की खोज की जाय तथा उनका व्यवहार भी किया जाय। व्यवहार से ही शब्द परिचित होते हैं। यदि व्यवहार में शब्द न लाये जायेंगे तो परिचित कैसे होंगे। मैं समझता हूं कि जैसा प्रस्ताव की शब्दावली है वह भावना के प्रतिकल पड़ती है और अनावश्यक मालूम होती है। अतः मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—मुझे इस प्रस्ताव के बारे में अधिक नहीं कहना है। केवल मैं यह चाहता हूं कि जो प्रचलित शब्द हैं उनका उपयोग होना तो आवश्यक है ही। जैसे आल इंडिया रेडियो का प्रचलित शब्द आकाश वाणी है उसके प्रयोग करने में कोई हानि नहीं। इसी तरह से जब हम धीरे धीरे नये नये शब्द प्रयोग करने लगेंगे तो फिर हमें कोई मुश्किल न होगी। मुझे आशा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रस्ताव को अधिक महत्व न देंगें।

*श्री निजामुद्दीन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस पर बोलने का न था मगर जब मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं अपना फर्ज समझता हूं कि पहले मैं श्रीमती शिवराजवती नेहरू जी को बधाई दूं इसलिए कि वह इस प्रान्त की उन्नति के लिए बड़ा भारी काम इस प्रस्ताव के द्वारा करने जा रही हैं। यहां इस सूबे में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी पाये जाते हैं और यहां कुछ ऐसी परिस्थितियां इस लैंगवेज के सिलसिले में आने लगी थीं कि जिनकी वजह से बहुत डिस्सैटिस्फैक्शन लोगों में फैलने लगा था। जैसा कि बहुत से लोगों ने यहां कहा है, डा० ईश्वरी प्रसाद जी ने भी कहा है, कि कठिन शब्द इस्तेमाल करने से अक्सर बहुत से बड़े बड़े विद्वानों को भी समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो पहले से बिल्कुल हिन्दी नहीं जानते हैं उनको यह ख्याल होने लगता है कि अब जिस भाषा को वह बिलकुल नहीं समझ पाते हैं उस भाषा में अपने बच्चों को कैसे तालीम दिलायें उनको बड़ी परेशानी होती है और फिर जब वह देखते हैं कि वह भाषा अब इतनी सख्त होने जा रही है तो उनके दिल को बड़ा डिस्सैटिस्फैक्शन होता है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको अधिकार है जैसी भाषा चाहें रखें मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि सबकी फीलिंग्स का ख्याल रखना आपके लिए जरूरी है। एकता के ख्याल से भी यह जरूरी है कि किसी को भी यह ख्याल न हो कि किसी की भी लैंगवेज खत्म करने का ख्याल है, हालांकि ऐसा नहीं है।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस प्रस्ताव को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि हम सबको बहुत दूर तक ले जाता है। इसमें देश की तरक्की का राज छिपा हुआ है। अगर हम इसको ठीक तौर से कहें जैसा कि नजमी साहब ने कहा है कि उर्दू में अदीब वगैरह हैं बहुत से पढ़े-लिखे लोग उसे नहीं पाते हैं। मगर आम तौर से जो चीज रायज है जैसे किसी की स्पीच है बहुत से लोग उसका कुछ हिस्सा नहीं समझ पाते हैं और यही वजह है कि जब किसी बड़े विद्वान की स्पीच होती है तो बहुत लोग इस वजह से भी नहीं जाते हैं कि हम उसको नहीं समझ सकेंगे। इसलिये मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि हमको तंग ख्याली से काम नहीं लेना है, और शब्द वह इस्तेमाल किये जायं कि जिनको सभी लोग आसानी से समझ सकें। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमती शिवराजवती नेहरू जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव को श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने सदन के सामने रखा है उसको स्वीकार करने में गवर्नमेन्ट को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए नहीं कि उसको इस प्रस्ताव में कोई नई चीज मिलती हो बल्कि इसलिए कि इस प्रस्ताव में वही चीज दोहराई गई है जो हम बराबर कर रहे हैं। बहरहाल इस विचार से हम इसका विरोध करना नहीं चाहते हैं या यूं कहिये कि हम स्वीकार करते हैं।

जहां तक किसी समिति के निर्माण करने का सवाल है मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी संस्था साहित्य का निर्माण नहीं कर सकती है जब तक कि कोई डिक्टेटरशिप न कायम हो, इसलिए उसको सोचना नहीं है। यहां हमारा संबंध एक आम सरकारी भाषा से है जिसका प्रयोग सरकार को करना पड़ता है। आज जब यहां भाषण हो रहे थे, इस संबंध में, तो भाषण को सुनते समय मुझे डान क्यु जाट की याद आ गई। डान क्यु जाट का किस्सा है कि वह घोड़े पर सवार होकर जब निकलता था तो उसके रास्ते में जो उसके शत्रु नजर आते थे उनको हराता था। आज कई भाषणों में मुझे वही हवा सुनाई पड़ी। जिन

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

अपराधों की कल यहां चर्चा की गई उसमें यही कहा गया कि गवर्नमेन्ट दोषी है परन्तु भाषा का सुलझाव हिस्टीरिया की तरह हंसी के बल पर नहीं हो सकता है। जिस समय श्रीमती शिवराजवती नेहरू भाषण कर रही थीं उस समय मैंने प्वाइन्ट आफ आर्डर से सवाल उठाया था।

परन्तु मैंने देखा कि एक माननीय सदस्य ने फिर उसकी चर्चा की। मैं इसका कारण नहीं समझा। डाक्टर रघुबीरा की डिक्शनरी अच्छी है या बुरी है मैं इसकी चर्चा नहीं करता। परन्तु यह कहना चाहता हूं कि डाक्टर रघुबीरा के शब्द कोष से उत्तर प्रदेश सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कोष को माना है या इस कोष के अनुसार सरकार अपना कार्य करती है। फिर उसकी चर्चा करना अनावश्यक हो जाती है। अगर किसी कारण डाक्टर रघुबीरा के कोष से कोई शब्द उचित समझ कर सरकार ने लिया तो उसके बारे में कहना ठीक नहीं है। टिकट के बारे में कहा गया कि उसको हिन्दी में संयान पत्र कहा गया है, लेकिन उसको इस सरकार ने अभी इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन वह ठीक होगा तो सरकार जरूर उसको इस्तेमाल करेगी। अगर सरकार निश्चय करेगी कि आज से टिकट को संयान पत्र कहा जायेगा तो इस भाषा को टिकट देने वाले क्लर्क को सीखना पड़ेगा। अगर श्रीमती नेहरू जी उस क्लर्क से कहेंगी कि संयान पत्र दो तो उसको देना होगा। अगर वह क्लर्क कहता है कि मैं इसको नहीं समझ सकता तो उस क्लर्क को निकाल दिया जायेगा। इस स्थान पर कोई नहीं कह सकता है कि प्रचलित शब्दों का बहिष्कार किया, अंग्रेजी के शब्द स्टेशन, रेल और वारन्ट जैसे न जाने कितने शब्द हैं जो अभी मौजूद हैं। इस तरह से गवाही शब्द मौजूद है। इसी तरह से मसविदा और दस्तावेज जैसा शब्द मौजूद हैं। बहुत से फारसी के शब्द हैं जो कि हिन्दी में हैं। उर्दू शब्दों के बारे में भी किसी ने कहा था। मैं कह सकता हूं कि फारसी और अरबी के शब्द तो इसमें आते हैं, लेकिन उर्दू कोई भाषा नहीं है मेरी समझ में नहीं आता कि किसने इन शब्दों को निकाला है। जो शब्द व्यवहार में हैं, वे हैं।

हां, एक बात जरूरी है और वह यह है कि अगर यह कहा जाय कि ज्यों के त्यों रखे जायं तो इसका मैं ठीक मतलब नहीं समझा। जिस रूप में उस भाषा से आये हों उस रूप में आना कठिन है। हर भाषा की अपनी आत्मा होती है। जैसा कि किसी जमाने में हिन्दुस्तानी भाषा के आचार्य लोग कहते थे और उनमें से अगर कहीं हैं आज भी हैं तो वे कहते हैं कि उर्दू में "देश" शब्द नहीं लिखा जाता है बल्कि 'देस' शब्द लिखा जाता है। तो इस तरह से उर्दू में शब्द 'देस" लिखा जाता है, तो हर भाषा की अपनी रूह होती है। लैन्टर्न को देखिये वह ज्यों की त्यों नहीं लिखी जा सकती है क्योंकि लोग उसको लालटेन कहते हैं। इस तरह से अंग्रेजी में लैम्प कहा जाता है लेकिन लोग उसको लम्प कहते हैं। जैसे उर्दू के फे काफ और गैन हैं वे मुंह से कहने में अच्छे लगते हैं। मुझे सन्देह नहीं है कि सफी का सफी ही रहेगा और गरीब का गरीब रहेगा। लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि मजदूर का अब मजूर हो गया है। जब दूसरी भाषा के शब्द लिये जाते हैं तो उसका रूप बदल जाता है और यह प्राचीन काल से होता आया है। आज से कई सौ वर्ष पहले ग्रीस में केन्ड्रास शब्द सेन्टर के लिये कहा जाता था और केन्ड्रास का केन्द्र हमारे संस्कृत में हो गया। अभी तीन या चार दिन हुये कि मैंने अंग्रेजी का एक शब्द अनाकाटी देखा। मैंने इस शब्द को देखने के लिये चेम्बर की इंगलिश डिक्शनरी खोली तो उसमें लिखा हुआ था कि यह शब्द हिन्दुस्तानी भाषा से लिया गया है और इसका असली रूप अन्नाकुटी है। तो ज्यों का त्यों कहना कठिन है। जिस रूप में हमारी भाषा में चल सकते हैं उस रूप में चलेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम अपनी भाषा को जिद्दम से कठिन नहीं बनाना चाहते हैं और न कोई साहित्यकार ही ऐसा चाहता है और न यह सरकार ही जिद्दम से ऐसा करना चाहती है। कहा गया कि बैठक से काम चल सकता है और सत्र शब्द नहीं होना चाहिए, यह गलत बात है। बैठक शब्द हम दो जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेजी में शब्द सेशन और सिटिंग दो अलग अलग होते हैं। एक सेशन में कई सिटिंग हो सकती है इसलिए दोनों के लिए हम बैठक शब्द का ही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सत्र शब्द हमको लाना ही पड़ेगा। अगर

हमको दूसरे शब्द नहीं मिलते हैं तो हमको संस्कृत का शब्द लाना ही पड़ेगा। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत से शब्द अप्रचलित मालूम होते हैं। हम लोग जो हिन्दी जानने का दावा करते हैं उनको भी उन शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। लेकिन एक जमाना ऐसा आयेगा कि वही शब्द हमारे लिए आसान हो जायेंगे।

योरुप में जब लेटिन भाषा का प्रचार हुआ तो वहां के बड़े बड़े विद्वानों ने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई। लेकिन आज वही शब्द हैं जो बहुत सुन्दर मालूम होते हैं और जिनका काफी प्रचार भी हो गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत से शब्द जो आज अप्रचलित हैं वह धीरे धीरे प्रचलित हो जायेंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात समझिये या दुर्भाग्य की बात समझिये कि हम लोगों को इस ट्रांजेक्शनल पीरियड से गुजरना पड़ रहा है। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा थी। इस बीच के जमाने में हम लोग एक असमंजस में पड़ गये हैं कि आज जो शब्द हम हिन्दी के लाना चाहते हैं वह इस समय हमको अप्रचलित लगते हैं। हमको अभी स्वतंत्रता मिली है और हम एक बीच के मार्ग से गुजर रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा।

यह बात अवश्य है कि कानून की भाषा ऐसी होती है जिसको हर एक नहीं समझ सकता है। हम देखते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जहां पर कानून की भाषा को हर एक समझ सकता हो, लेकिन ला में उनका प्रयोग होता है। हम लोग खुद कानून की किताब के बहुत से शब्द नहीं समझ सकते हैं। बहुत से ग्रेजुएट ऐसे हैं जो ला की किताब के शब्द को नहीं समझ सकते हैं। उन शब्दों को अच्छी तरह से कानून का जानने वाला ही समझ सकता है। उदाहरण के लिए आप एप्रोप्रिएशन बिल को ही ले लीजिये। यह शब्द अंग्रेजी का है और आम जनता में प्रचलित नहीं है। संस्कृत में भी हमको इसकी जगह पर कोई ऐसा शब्द नहीं मिलता है जो आम जनता में प्रचलित हो। इसलिए हमको इसी शब्द को अपनाना पड़ा। बहुत से हमारे देश में जो देहात में रहते हैं वे इन शब्दों का दूसरा ही मतलब समझते हैं। जैसे 'बिल और पास' शब्द हैं। बिल के मतलब वह सांप का बिल ही समझते हैं। पास के मतलब वह लड़के का इम्तिहान में पास होना ही समझते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको प्रयोग करने में कोई पाप नहीं है। अपनी भाषा को प्रचलित करने में राष्ट्र अपना गौरव समझता है। बहुत से लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश की भाषा संस्कृत थी, लेकिन राजनैतिक कारणों से अब उसका रिवाज उठ गया है और सैकड़ों वर्षों से उसका कोई प्रयोग नहीं करता है।

आयरलैंड की एक पुरानी भाषा अर्स है, जिसको थोड़े से आदमी जानते थे। लेकिन उसी अर्स भाषा का वहां पर प्रचार किया गया। एक राष्ट्र के लिये यह गौरव की बात होती है, वह अपनी शान समझता है। आज बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हम को कठिन मालूम होते हैं लेकिन समय के साथ-साथ वे हमको आसान मालूम होने लगेंगे। हमारे देश पर जब पठानों ने हमला किया तो उन्होंने फारसी को राष्ट्र भाषा बनाया। उस समय सिर्फ काश्मीर की ही राष्ट्र भाषा संस्कृत रह गई थी। हमारे देश में संस्कृत भाषा काश्मीर से सब से बाद को हटी है। अभी थोड़े दिन हुये काश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से एक ओरियन्टल सीरीज निकली थी उसमें उन्होंने संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया था और वह शब्द पुराने जमाने के दस्तावेजों में से लिये गये थे, उन्होंने वह शब्द लिये जो पुराने जमाने में सरकारी मुकद्दमों में प्रयोग होते थे, अगर हमने उनमें से शब्द लिये हैं तो क्या बुरा किया है। हमने उन्हीं शब्दों को लिया है जो कि उस समय के हैं जब कि भारतवर्ष में संस्कृत राज भाषा थी, तो हमने कौन सा बुरा किया है। यह शब्द उस समय हमारे देश में प्रचलित थे जब कि इसकी सीमा बहुत बड़ी थी और उस बड़ी स्टेट के समय के पुराने शब्द अगर हमने लिये हैं तो क्या बुरा किया है।

इसके अलावा एक चीज को और ले लीजिये, जैसे कि कारपोरेशन शब्द है और मैं नहीं जानता कि कारपोरेशन शब्द के सही सही क्या अर्थ है, इस देश के शहरों के लोग या देहातों के लोग आम तौर से नहीं समझ सकते हैं और मेरा तो विचार है कि जो पढ़-लिखे लोग हैं वह भी इस को सही सही नहीं समझते होंगे। आज कई स्थानों में कारपोरेशन का काम होने जा रहा है, लेकिन मैं पूछता हूं कि आज हमारे यहां कितने आदमी ऐसे हैं जो कि म्युनिसिपैलिटी और कार-

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

पोरेशन में सही सहीं भेद बता सकते हैं लेकिन पुराने समय में भी कारपोरेशन हुआ करते थे और उस समय उनको दूसरे नामों से पुकारा जाता था। गुप्त साम्राज्य जिसको कि इतिहासकार गोल्डन एज भी कहते हैं उस जमाने में भी देश का काम होता था और उस समय के अर्थ शास्त्र, शाक नीति का संग्रह अब भी हमें देखने को मिला है, उस जमाने में भी म्युनिसिपैलिटियां हुआ करती थीं और उनकी बड़ी बड़ी आरगेनाइजेशन हुआ करती थीं, उनकी भी सब-कमेटियां होती थीं और उनके क्या क्या अधिकार होते थे, क्या क्या फंकशन होते थे, इन सब का रिकार्ड इस समय भी देखने को मिलता है, तो अगर हम उनमें से शब्दों को लेते हैं तो क्या बुरा करते हैं। चाहे वह कितना ही पुराना शब्द हो लेकिन वह उस जमाने का शब्द है जबकि इस देश में लोकल बाडीज भी हुआ करती थीं, कारपोरेशन्स हुआ करते थे और इस देश में अपना राज्य स्थापित था। अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अच्छा ही करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह तो हमारा संबंध अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जोड़ता है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिये कि जो हमारी संस्कृति समाप्त हो चुकी थी और जिसको हम लोग बिल्कुल ही भूल चुके हैं, उससे फिर सम्बन्ध स्थापित करने का हमें अवसर मिला है तो यदि अपनी पुरानी सभ्यता से हम अपना संबंध स्थापित करने जा रहे हैं तो कौन सा बुरा कर रहे हैं। हमारी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है और हमने उस समय में भी हजारों एक्सपेरीमेंट राजनैतिक मामलों में किये हैं तो अगर हम उनमें से शब्दों को लेकर उनका प्रयोग करते हैं तो इसमें कौन सी हर्ज की बात पैदा हो गई है। यदि हम अपना संबंध अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत की कौन सी बात है। हमें अवश्य ही अपनी भाषा के अन्दर ऐसे शब्द लाने होंगे। हम अपनी भाषा को क्लिष्ट नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी अपने व्यवहार के लिये हमें उन शब्दों को लाना होगा। जब हमारे सामने भाषा की समस्या आती है तो इसके अलावा और चारा ही क्या रह जाता है। इसके अतिरिक्त हमें इन्टरनेशनल तरीका भी अपनाना पड़ता है, हमें बाहरी मुल्कों से अपना संबंध स्थापित करना पड़ता है। अभी कुछ वर्ष पहले टर्की और हिन्दुस्तान में ट्रीटी का प्रस्ताव हुआ जो कि हिन्दी भाषा में भी लिखी गई और हमने उसको हिन्दी रूप दिया है, टर्की में और अंग्रेजी में उसको लिखा गया। जो हिन्दी में लिखा गया उस के लिये बहुत से प्राचीन शब्दों का आसरा लिया गया जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कोषों से शब्द मिले, उन्हीं के आधार पर ट्रीटी लिखी गई। अगर हमें अपनी भाषा में कुछ करना है तो शब्द कहीं न कहीं से लाये ही जायेंगे लेकिन उसमें यह शब्द मिलाना कि आना-जाना, खाना-पीना और गेहूं इस भाव का है, इस पेंसिल की कीमत यह है, इस किस्म के शब्द तो हम नहीं लेंगे। अगर हमारी भाषा क्लिष्ट होगी तो इसमें कौन सी विलक्षण बात पैदा हो जायेगी। आखिर वह भाषा हमारी अपनी ही है और हमारी पुरानी संस्कृति से हमारा संबंध स्थापित करती है।

आज से कुछ दिन पहले आचार्य नरेन्द्र देव कुछ लोगों के साथ श्याम गये जो कि भारतवर्ष से इस समय बाहर है और उन्होंने यह बताया कि वहां जिस राज भाषा का प्रयोग होता है उसके शब्द अधिकतर हमारी भाषा से ही लिये गये हैं और उसका एक कोष मेरे पास है। उदाहरण के लिये मिनिस्टर आफ ऐग्रीकल्चर को राजमंत्री क्षेत्राधिकार, मिनिस्टर आफ इन्डस्ट्री को राजमंत्री देशक्रम, मिनिस्टर आफ जस्टिस को राजमंत्री मुख्य धर्म और इसी तरह से सी० आई० डी० के लिये बड़ा सुन्दर नाम दिया है, शान्ति पाल, करेन्सी नोट के लिये दाम पत्र, बैंक के लिये दाम भंडार और इसी प्रकार के कई शब्द इसमें हैं, इन सब को मैं कहां तक पढूं, जिनको शौक हो वह इसे देख सकते हैं। तो ये शब्द ऐसे हैं जो कि इस समय भी प्रचलित हो रहे हैं। जो लोग बाहर रहते हैं और जो लोग हमसे अलग हैं, वे लोग संस्कृत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें भी ये शब्द मान्य हैं और जहां पर आवश्यकता समझी जायेगी हम इनमें परिवर्तन भी करेंगे। कुछ लोग जिनका कि शहरों से संबंध है उन्हें मालूम हो कि उत्तर प्रदेश ही उनमें मानूस नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ लखनऊ शहर है वहां दूसरी तरफ काशी भी है और कुछ शब्द जो कि लखनऊ में बोले जाते हैं वे काशी की तरफ नहीं बोले जाते। तो यदि

कोई शब्द यहां मानूस है, तो काशी में नहीं है और वहां कोई दूसरा शब्द उसके लिये व्यवहार में लाया जाता है। देहातों में आदमी कैसे शब्द बोलते हैं और उनका शब्दों का व्यवहार दूसरा ही होता है। हम लोग पब्लिक मीटिंग में जाते हैं लेकिन पूर्वी जिलों में हम दूसरी भाषा में व्याख्यान देते हैं और पश्चिमी जिलों में दूसरी भाषा में, क्योंकि वहां के लोगों की भाषा का व्यवहार भिन्न भिन्न है।

मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। आज कई वर्ष पहले की बात है जब कि कांग्रेस और सोसलिस्ट पार्टी एक थी। आचार्य जी का पूना में व्याख्यान हुआ तो उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा "कि आज की तवारीख से हमारा एक नया बाब शुरू होता है।" उनके कहने के मतलब में ये शब्द मानूस नहीं थे मगर वहां के लोगों ने "बाब" के अर्थ को गांधी जी समझा और उन्होंने समझा कि आज से गांधी जी के बदले किसी नये आदमी को हम 'बाप' कहेंगे। श्री बालकृष्ण शर्मा ने यह बात उनसे कही कि मैंने लोगों के मुंह से यह सुना और उन्होंने आपके कहने का यह मतलब लगाया। तो हमको देखना यह होगा कि जो शब्द भी हों और जिनको हमें अपनाना हो, वे ऐसे शब्द हों जो कि बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण सभी लोगों के लिये मानूस हों। और मेरे विचार से वे शब्द सिर्फ संस्कृत के ही शब्द हो सकते हैं। अगर हम ऐसे शब्दों को रखें जिनको कि सभी लोग न समझ सकें तो वह व्यर्थ की चीज होगी। यह बात उचित भी नहीं हो सकती। यदि हम ऐसे शब्दों को चुन लें जिससे कि सभी को सुविधा हो और जो कि संस्कृत के शब्द हों, तब तो हमारी राष्ट्र भाषा को मान्य हो सकते हैं और इस तरह से सरकारी कार्य भी चल सकता है। जो शब्द बराबर प्रयोग में आते हैं और जिनका हम किसी तरह से भी वहिष्कार नहीं कर सकते हैं तो उनको हम अवश्य अपनायेंगे। इस कार्य के लिये हम बराबर आगे बढ़ते चले जायें और मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं और मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया। ज्यों का त्यों से मेरा यह मतलब था कि जैसे आजकल शब्द बोले जाते हैं वैसे ही जबान फिर हमारी हो जाती है। मेरे कहने का मतलब यह था कि सरकारी कार्य में इतने कठिन शब्द न हों, और इस ओर ध्यान दिया जाय।

श्री कुंवर गुरुनारायण—मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं।

चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापस लिये जायं?

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये)।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि यह परिषद् सरकार से अनुरोध करती है कि हिन्दी भाषा को जीवित व जागृत बनाये रखने और उसके शब्द कोष में वृद्धि करने के लिये आजकल के प्रचलित शब्दों को जिनको कि सब शिक्षित व अशिक्षित आसानी से समझ सकते हैं, ज्यों का त्यों सरकारी काम में प्रयोग होने वाली हिन्दी भाषा में सम्मिलित कर लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

संकल्प कि सार्वजनिक स्थानों पर भूख हड़ताल को रोका जाय

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं—

"This House recommends to Government to take immediate steps either by means of legislation or an executive order to ban hunger strikes, token or otherwise, in public places undertaken for purposes other than personal and religous."

श्रीमन्, जिस समय मैंने यह निश्चय किया था कि मैं इस प्रस्ताव को इस सदन में रखूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से महसूस करता था और मैं यह जानता था और

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

यह मुमकिन हो सकता है कि जो विचार मैं इस प्रस्ताव के रूप में इस भवन के सामने रख रहा हूं वह गलत समझे जायं और एण्टी नेशनलिस्ट समझे जायं।

(इस समय ३ बजकर ४२ मिनट पर डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

लेकिन मैं ईमानदारी के साथ यह समझता हूं कि आज जो हमारे देश की स्थिति है और उस समय जब हमारा देश आजाद नहीं था, दोनों में बहुत बड़ा अन्तर हो गया है। जहां तक एथिक्स आफ फास्ट का संबंध है उसके ऊपर काफी लिटरेचर है बल्कि अपने ही देश में फास्ट की प्रथा का आइडिया शुरू हुआ था। स्त्रियां जो थीं वह फास्ट करती थीं अपने पुरुषों को सुधारने के लिये और बच्चे फास्ट करते थे किसी चीज को पाने के लिये। गांधी जी ने अपने आटोबाइग्राफी में लिखा है कि उनको फास्टिंग का आइडिया बच्चों से मिला और जब तक वह साउथ अफरीका में रहे उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, लेकिन भारत में आ करके उनको अनशन करने का अवसर मिला।

श्रीमन्, जहां तक महात्मा गांधी जी के फ़ास्ट का संबंध है वह एक दूसरे प्रकार का फास्ट हुआ करता था। अव्वल तो यह एक पिक्यूलियर बात थी कि वह फास्ट किसी ऐसे शख्स के प्रति नहीं करते थे जिसके लिए वह समझते थे कि उसका हृदय इतना कठोर है कि वह उसके हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकता। दूसरे उनके फास्ट में कोई पर्सनल आब्जेक्टिव नहीं होता था। तीसरी बात यह थी कि गांधी जी लोगों की मेन्टेलिटी चेन्ज करने की भावना से फास्ट किया करते थे। और यह ध्यान रखते थे कि किसी प्रकार से उस फास्ट का मिसयूज़ न हो सके। गांधी जी ने स्वयं यह ऐडमिट किया है कि फास्ट को पोलिटिकल वेपन हमें नहीं बनाना चाहिए। और कम से कम जब तक हर प्रकार के तरीके अपना न लें तब तक फास्ट न करना चाहिए।

आज मैं देखता हूं कि हमारे देशमें जो हंगर स्ट्राइक्स होते हैं वह महात्मा गांधी के नाम पर इतने ज्यादा होने लगे हैं कि उनका बहुत ही मिसयूज़ होना शुरू हो गया है। उसका परिणाम यह हो गया है कि हंगर स्ट्राइकर्स ने हमारे सामने एक समस्या पैदा कर दी है। हमें विचार करना है कि अगर यही तरीका रहा तो क्या होगा। जब गांधी जी ने लार्ड लिनिथगो से कारेसपांडेंस किया था और स्पष्ट लिख दिया था कि हम इस फास्ट के राइट को अपने लिए ही रिजर्व रखते हैं। और कोई दूसरा फ़ास्ट न करे। यह तो उनका विचार था। जो भी उनके अनुयायी थे, उनके लिए अपने जीवन काल में उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि उन में से कोई भी फास्ट न करे। लेकिन आज पोस्ट गांधियन एरा में हम देखते हैं कि मामूली मामूली चीज़ों में फास्ट करके फास्ट का मिसयूज़ किया जाता है। जितने भी गांधियन आइडियाज़ थे वह तो आज सब ओवर बोर्ड, ओवर थ्रो कर दिए गए हैं। बहुत चीप मामलों में फास्ट करके ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है जिससे देश के निर्माण का काम मुश्किल हो जाता है। गांधी जी के फास्ट में और आज के हंगर स्ट्राइकर्स में महान अन्तर है। गांधी जी जब फास्ट करते थे तो उस समय स्ट्राइक्स नहीं होती थी नार्मल कंडीशन्स प्रिवेल करती थी और गांधी जी के फास्ट के समय लोग गिर्जा घरों में, मस्जिदों में, और मंदिरों में प्रार्थना करते थे कि वह सकुशल अपने फास्ट में उत्तीर्ण हों। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि जब अनशन किया जाता है तो उस अनशन का परिणाम यह होता है कि स्ट्राइक होती है। कन्डीशन ऐबनार्मल हो जाती है। वह चीज़ जिस उद्देश्य से की जाती है, मैं समझता हूं कि उसका उद्देश्य पब्लिसिटी के लिये होता है। इस हालत में मैं समझता हूं कि परिस्थिति ऐसी आ गयी है कि हमको शान्तिपूर्वक हंगर स्ट्राइक के संबंध में कदम उठाना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा। बड़े बड़े नेता लोगों ने भी कहा है कि हंगर स्ट्राइक नहीं होनी चाहिये। समाजवादी नेता श्री जय प्रकाश नारायण जी भी फास्ट को इनकरेज नहीं करते हैं। मेरी तो यह इच्छा है कि इस प्रकार की चीज़ को रोकना चाहिये लेकिन कोई कदम ठोस आजतक नहीं उठाया गया। इसलिये मैंने उचित समझा कि मैं इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूं कि वह इस हंगर स्ट्राइक के संबंध

में प्रैक्टिकल स्टेप उठाये। अगर सरकार इस स्टेप को नहीं लेती है तो मेरा ख्याल है कि राज-नैतिक दल एक दूसरे से होड़ करेंगे और यह चीज़ बढ़ती जायेगी और इसका परिणाम यह होगा कि देश के निर्माण के काम का नुकसान होगा। इससे निर्माण के काम में रुकावट पड़ेगी और हमारा तमाम व्यय छोटी छोटी चीजों में होगा और हम अपना उत्थान नहीं कर सकेंगे। मैं यह समझता हूं कि यह जो कदम है यह बहुत हिम्मत का कदम होगा। मैंने इसीलिये इस प्रस्ताव को रखा। मैं समझता हूं कि आज कोई भी क्यों न इस प्रस्ताव को अनपापुलर कहे और अराष्ट्रीय कहे, लेकिन मैं समझता हूं कि देश का सबसे बड़ा कार्य इस तरह की चीज़ों को रोकने से होता है कि हम इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहन देते रहें।

जहां तक फास्ट का सम्बन्ध है अगर वह सेल्फ प्योरीफिकेशन के लिये पेनान्स के लिये किया जाता है तो स्टेट को कोई हक नहीं है कि उसको बैन करे लेकिन जिस समय हम पब्लिक प्लेसेज़ पर अनशन करते हैं और सूचना देकर जाते हैं तो उसका यह काम होता है कि जब यह रिलीजस नहीं है और राजनीति के लिये है तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उसको रोकें। फास्ट अन टू डेथ और सुसाइड करने में फर्क क्या होता है। इसको मैं जानना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इन दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। मैं तो समझता हूं कि यह स्टेट का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है कि वह इस बढ़ती हुई प्रगति को रोकें और उसके लिये उपाय करें। अब यह कहा जाता है कि हम किसको रोक सकते हैं अगर वह डिटरमिन्ड है कि हम नहीं खायेंगे और अनशन करके जान दे देंगे। कैसे हम उसको रोक सकते हैं, यह प्रश्न हो सकता है लेकिन इसका उत्तर आपके पास है। जब आपके प्रिजनर्स जेल में फास्ट करते हैं तो आपने उनके लिये कुछ कायदे बना दिये हैं। उन कायदों के अनुसार आप उनको फोर्सिबिली फीड करते हैं ताकि मृत्यु न होने पावे या फिर लांग टर्म इम्प्रिजनमेन्ट हो जाता है। केवल आपको धारा ३०९ आई० पी० सी० में कुछ व्यवस्था कर देना चाहिये कि जिस समय कोई हंगर स्ट्राइक पब्लिक प्लेस पर पोलिटिकल रीजन्स से करने का इरादा ज़ाहिर करे तो आप इसको गैर कानूनी करार दे सकते हैं। यह चीज़ जभी रोकी जा सकती है जब गवर्नमेंट इसके ऊपर निश्चित रूप से अपना विचार कर ले।

सब से पहली चीज़ यह है कि फास्ट आज कल करने का जो उद्देश्य होता है वह केवल पोलिटिकल मोटिव हासिल करने के लिये होता है। सब से पहले अखबारों में छाप दिया जाता है कि फलां साहब फलां तारीख से फास्ट कर रहे हैं। उसके बाद वह फास्ट करते हैं। फिर हेल्थ बुलेटिन्स निकलते हैं। फिर जहां यह चीज़ अखबारों में छपना शुरू हुई तो नतीजा यह होता है कि ईमानदारी के साथ भी अगर हम यह समझते हैं कि यह गलत फास्ट है लेकिन फिर भी यह स्वाभाविक होता है और हम यह सोचने लगते हैं कि यह मरने न पावे। इसका नतीजा यह होता है कि कन्डीशन्स खराब होती चली जाती हैं और इस तरह से हमारे देश की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है तो ऐसी हालत में अगर हम यह समझते हैं कि कोई चीज़ सही है तो उसे करना चाहिये। मुझे जरा भी यह कहने में हिचक नहीं है कि अगर हम लोगों ने और जो राजनैतिक दल हैं चाहे वह समाजवादी हो, कांग्रेसी हों या कम्युनिस्ट हों, कम्युनिस्टों की बात तो मैं कहता नहीं, क्योंकि वे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते लेकिन अगर आजकल के राजनैतिक दलों ने इस चीज़ का दुरुपयोग किया तो समाज कभी भी सुधर नहीं सकता है और हम निर्माण कार्य की तरफ देश को नहीं उठा सकते हैं। सब से बड़ी ज़रूरत की चीज़ यह सोचने की है कि हम किस तरह से अपने देश को ऊंचा उठावें और कौन से उपाय सोचें जिससे हमारे मुल्क को धब्बा न लगे। यह दलील पेश की जा सकती है और कहा जा सकता है कि अगर हुकूमत किसी चीज़ को नहीं मानती है तो हम वायलेन्स कर नहीं सकते तो फिर यही अहिन्सात्मक तरीका रह जाता है जो हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि कान्सटीट्यूशन ने इसके लिये रेमेडी हमको प्रोवाइड कर दी है। कोई भी पापुलर हुकूमत अनपापुलर काम करके ज्यादा दिन नहीं ठहर सकती है। कोई भी पापुलर हुकूमत अगर अनपापुलर काम करती है तो पांच वर्ष के बाद हमको मौका होता है कि हम उसके काम जनता के सामने इक्सपोज कर दें और जब चुनाव आवें तो उसको उठा कर फेंक दें।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

लेकिन अगर आज हमारे देश में इस प्रकार के साधनों का दुरुपयोग हुआ जैसे हंगर स्ट्राइक को ले लीजिये तो यह चीज हमारे देश के लिये बड़ी घातक होगी। इस प्रकार से आप ऐसे लोगों के हाथ में तलवार दे रहे हैं जो उसका उपयोग ही करना नहीं जानते। फिर इसका क्या परिणाम होगा। इसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ी जरूरत तो इस बात की है कि हम जो कार्य करें उसको सोच-समझ कर करें। थोड़े ही दिन स्वतंत्रता रहने के बाद जब कि हमारे देश में चारों ओर काले बादल मंडरा रहे हैं अगर मामूली चीजों में इस वैपन का इस्तेमाल किया गया और गांधी जी का गलत नाम लेकर इस्तेमाल किया गया तो देश का कल्याण नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि हुकूमत इस प्रस्ताव पर विचार करे। मैं समझता हूं कि देश के निर्माण के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसी चीजों को रोका जाय, जिनसे कि जो अच्छे काम होने वाले हैं उनमें रोड़ा लगता है।

जहां तक हुकूमत के गलत काम करने का ताल्लुक है वह हुकूमत ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। उसके लिये हमें आपको अधिकार है कि हम उस हुकूमत को बदल सकते हैं। इसीलिये वैधानिक तरीके से चुनाव रखा गया है। माननीय गृह मंत्री जी इस समय मौजूद हैं, मुझे आशा है कि वे इस पर विचार करेंगे। मैं सदन से भी प्रार्थना करूंगा कि जिस भावना से प्रेरित होकर मैंने यह प्रस्ताव रखा है सदन उस पर विचार करेगा। मेरी कोई यह मंशा नहीं है कि किसी प्रकार से अगर कोई तरीका हासिल है गवर्नमेंट से भिड़ने का जैसे अनशन इत्यादि उसमें कोई रोड़ा लगाऊं। लेकिन मैं यह तरीका गलत समझता हूं। महात्मा गांधी का नाम इन अनशनों के साथ लगाना मैं समझता हूं उनके नाम पर धब्बा लगाना है। गांधी जी सदैव दूसरों को मना किया करते थे फास्ट करने के लिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव माननीय श्री कुंवर गुरु नारायण जी ने पेश किया है मैं उसमें निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं--,

'तीसरी पंक्ति में से " स्थानों पर" के पश्चात् "अतिरिक्त" तक सब शब्द निकाल दिये जायं।'

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव कुंवर साहब ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यह समझता हूं कि वास्तव में जिन बातों की ओर कुंवर साहब ने इस भवन का ध्यान दिलाया है वे बातें ठीक हैं। आज हमारे प्रदेश के अन्दर अनशन करने की जो बीमारी बढ़ती जा रही है यह बीमारी गांधी जी के नाम पर बढ़ रही है। अगर किसी और नाम पर यह बीमारी बढ़ती तब कोई बात नहीं थी लेकिन उस महान् आत्मा के नाम पर यह अनशन करने की बीमारी हमारे प्रदेश में रोजाना बढ़ती जा रही है। और ऐसे अनशनों में ऐसी ऐसी बातें छिपी रहती हैं जिनके पीछे कोई सत्य या आदेश नहीं होता है। गांधी जी जो अनशन किया करते थे वह सच्चाई के साथ दूसरे मनुष्य का हृदय बदलने के लिये और अपनी आत्मा को प्यूरीफाई करने के लिये करते थे लेकिन आजकल इससे उल्टा अनशन किया जाता है और उनका मकसद तथा मतलब ही दूसरा होता है। हर व्यक्ति चाहे वह गांधी जी की फिलासफी को समझता हो या नहीं, या उसका अनशन में विश्वास हो या अविश्वास लेकिन जरा जरा सी और छोटी छोटी बातों में वे अनशन की धमकी देते हैं। यहां तक कि अगर नौकरी न मिलेगी तो वे अनशन कर देते हैं, अगर यूनिवर्सिटी में किसी का दाखिला न हुआ तो वह अनशन कर देता है, किसी को स्कालरशिप नहीं मिला तो वह अनशन कर देता है। इसी तरह से अगर किसी दिन दूकानदारों ने बाजार बन्द नहीं किया तो अनशन कर देते हैं। एक बात नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों के लिये और ऐसी बातों के लिये जिन को सुनकर हमें स्वयं लज्जा आती है लोग अनशन करते हैं। बजाय इसके कि अपनी आत्मा को वे प्यूरीफाइ करें वे एक प्रकार की घृणा लोगों में फैलाते हैं, और इस तरह इन बुरी बातों को देश के अन्दर प्रचलित करते हैं। इसलिये यह बड़ा ही आवश्यक है कि गांधी जी के नाम पर देश के अन्दर इस अनशन की फैलने वाली बीमारी को रोका जाय। गांधी जी ने और जय प्रकाश जी ने जो अनशन किये

थे वे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किये थे। उन्होंने अपने निवास स्थानों पर अनशन किये थे। गांधी जी ने अपने निवास स्थानों पर या जहां पर वे रहते थे वहां पर ही अनशन किये हैं। लेकिन आज जो अनशन किये जाते हैं वे कौंसिल हाउस के सामने, यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर, हजरतगंज में या दिल्ली के चांदनी चौक में किये जाते हैं। आप देखेंगे कि मंदिर, मस्जिद और दूकानों के सामने भी अनशन किया जाता है। इस तरह से अनशन एक मजाक हो गया है। जिस अनशन की इतनी अहमियत थी और जिसके लिये गांधी जी ने कहा था कि जब मेरी आत्मा के अन्दर से आवाज निकलती है तभी मैं अनशन करता हूं और यही समझ कर करता हूं कि अनशन का काम बड़ा कठिन है और भगवान से कहता हूं कि इसको रखने में वह मुझे सामर्थ्य दे। इतने उच्च आदर्श को लेकर गांधी जी अनशन करते थे लेकिन आज उसका इस तरह से लोग मजाक बनाकर करते हैं। आज जो मनुष्य जिस जगह चाहता है और जिस काम के लिए चाहता है अनशन करने लगता है। मैं देखता हूं कि अनशन करना एक मजाक सा हो गया है। जिस आदर्श को लेकर महात्मा गांधी करते थे वह भावनायें आजकल नहीं हैं। आज वह आदर्श और मर्यादा समाप्त हो गई हैं। अनशन अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करना चाहिए किसी काम को दबाव के जोर से करने के लिए नहीं करना चाहिए या किसी काम को नाजायज तरीके से मनवाने के लिए अनशन नहीं करना चाहिए। अनशन का यह तरीका बिलकुल गलत है कि हम अनशन करके किसी पर दबाव डालें, और अपनी किसी नाजायज बात को मनवाने के लिए करें। इसलिए जो प्रस्ताव कुंवर साहब ने रखा है वह निहायत मुनासिब है। मेरी राय में अनशन अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए अगर रिलीजस उद्देश्य से अनशन करना है तो आप अपने घर पर कर सकते हैं, वहां पर अपनी आत्मा को शुद्ध करके भगवान से प्रार्थना मांग सकते हैं, लेकिन किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठ कर या कौंसिल हाउस के सामने बैठ कर, म्युनिसिपल बोर्ड के सामने बैठ कर अनशन करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन पेश करता हूं और कुंवर साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रभू नारायण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव कुंवर साहब ने इस सदन के सामने रखा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने अपनी राय जाहिर करते हुए यह कहा कि अनशन और आत्म हत्या में कोई फर्क नहीं है। मुझे उनके इन विचारों को सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वे अनशन और आत्म हत्या में कोई अन्तर नहीं समझते हैं। अभी थोड़े दिन की बात है कि आन्ध्र प्रान्त बनाने के लिए रम्मलू ने अपनी जिन्दगी की कुर्बानी कर दी। आत्महत्या किसी संघर्ष के कारण की जाती है या मनुष्य जब अपनी जिन्दगी से बहुत ज्यादा उदासीन हो जाता है तो करता है लेकिन अनशन किसी उद्देश्य या किसी खास मकसद के लिए किया जाता है। किसी आदर्श को ले कर आदमी अपनी जिन्दगी को खतरे में डालता है। ऐसी हालत में आत्म हत्या और अनशन में बहुत बड़ा फर्क है। कुंवर साहब इस बात को भूल गये कि महात्मा गांधी ने जो अनशन किया वह अपनी व्यक्तिगत शुद्धि के लिए किया था और अपने हृदय के परिवर्तन के लिए किया था। लेकिन हमारे ऐसे लोगों ने उस में राजनीति की गन्दगी को देखा। हम ने यह महसूस किया कि महात्मा गांधी का अनशन किसी ऐसे अवसर पर हुआ जब मुल्क को उस की आवश्यकता थी। हमें वह दिन याद हैं कि सन् ४२ के आन्दोलन के बाद मुल्क में एक प्रकार की मुर्दनी छा गई थी। चारों तरफ लोगों के यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सा कदम उठाया जाय। उस समय महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में अनशन किया और इससे फिर मुल्क ने करवट ली और मुल्क में एक चेतनता आई और तमाम राजनैतिक झगड़े इस अनशन से पैदा हुये, गांधी जी का भी कहना अपनी जगह पर ठीक था वह सच्चे इन्सान थे और सच्ची बात करते थे लेकिन उन अनशनों का असर राजनैतिक तौर पर पड़ता था। परन्तु मेरे भाई जो अनशन की चर्चा करते हैं तो उसमें केवल क्यों गांधी जी की ही चर्चा करते है क्यों नहीं उन जेलों की बातें करते हैं जब कि जेलों में उनके ऊपर ज्यादतियां होती थीं और वह उनको मिटाने के लिये अनशन करते थे। वह इस बात को क्यों भूल जाते हैं। मैं इस बात को जरूर जानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय ने जो कि

[श्री प्रभू नारायण सिंह]

सदन में बैठे हुये हैं जेलों में बराबर अनशन की खिलाफत की और हमारे ऐसे लोग भी अनशन के कायल नहीं थे लेकिन जरूरत पड़ने पर और इस बात की बेबशी होने पर कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है हमें अनशन करना पड़ता था।

उपाध्यक्ष महोदय, हम देवलाली के अनशन को नहीं भूले हैं जिसमें श्री जय प्रकाश नारायण, श्री दामोदरदास सेठ और जो हमारे स्वशासन मंत्री हैं श्री मोहन लाल गौतम और दूसरे लोग थे और यह लोग देवलाली के कैम्प में भेजे गये थे तो वहां से अपनी मांगें पूरी करवाने के लिये इन्होंने अनशन किया था। वह समय बड़ा ही संकट का समय था और जब उस अनशन का विरोध हुआ तो उसके १७-१८ दिन के बाद हमारे कम्युनिस्ट भाईयों ने जिनकी संख्या ११७ के करीब थी अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन हमारे जय प्रकाश नारायण और दूसरे चन्द भाइयों ने अपना अनशन जारी रक्खा। इसलिये कि उनकी जो दिक्कतें थीं वह दुनिया को बताना था और बाद में उनकी बातें सुनी गई और वह पूरी हो गई। ऐसी हालत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर यह कहा जाता है कि इस बात की चर्चा उस समय होती थी जब कि मुल्क गुलाम था उस समय अनशन की बात हो सकती थी लेकिन आज अनशन नहीं हो सकता है तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जब तक मुल्क में बेबशी है, जबतक मुल्क में अत्याचार होता रहेगा, जबतक मुल्क में असमानता बनी रहेगी, जब तक जनता की आवाज नहीं सुनी जाती है, तो जिस तरीके से पहले अनशन हुआ करता था उसी तरीके से आज भी अनशन हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि अनशन हर मौके पर आसानी के साथ नहीं हो सकता है। मैं इस बात को मानता हूं कि अनशन को इस शक्ल में नहीं चलना चाहिये और इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती है कि यह उस जमाने की बात कही जा सकती है जब कि देश आजाद नहीं था तो बराबर अनशन होता था। मैं इस बात को मानता हूं कि हर छोटी छोटी बातों के लिये अनशन नहीं होना चाहिये लेकिन आज मैं इस बात को नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ ऐसे नेताओं को जिनको इस समय सरकार चलाने की जिम्मेदारी है वही इस बात को महसूस नहीं करते बल्कि और भी लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि जब मुल्क में लोकतंत्र हुकूमत कायम हो गई हो तो ऐसी हालत में केवल वोटों के जरिये से अपनी बातें जनता को कहने का हक होना चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव पांच साल के लिये हुये और इन पांच सालों के अन्दर चाहे कितनी ही मुसीबत जनता के सामने आयें वह केवल बैठ कर उसको सहती चली जाय इस बात को मैं अपनी जगह पर सही नहीं समझता हूं। मैं तो समझता हूं कि पांच साल के दरमियान भी जनता की अगर कोई आवाज नहीं सुनी जाती है तो वह अपनी मांग को पूरा कराने के लिये इसका सहारा ले सकती है यह नहीं कि चाहे उसके ऊपर कितनी ही मुसीबतें आयें फिर भी उसके लिये वह कोई कार्य न करे और केवल देखती जाय तो यह मुल्क के लिये कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि हमें हर मौके पर अनशन को केवल राजनैतिक हथियार नहीं बनाना चाहिये लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह भी जानना चाहता हूं कि वह यह बतायें कि जब हम ऐसी बेबसी में हों जिसको सुनने वाला कोई न हो, देश की हुकूमत का दरवाजा खटखटाया जाता है, सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने के लिये असेम्बली और कौंसिल में अपनी आवाज पेश की जाती है और फिर भी उसके ऊपर कोई गौर नहीं होता है तो फिर उसके बाद हमारे पास चारा ही क्या रह जाता है। सत्याग्रह करने के अलावा और कौन सा रास्ता रह जाता है। इसके साथ ही साथ यदि हम ऐसा रास्ता नहीं अपनाते हैं और हृदय परिवर्तन करने के लिये अनशन नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं है और अनशन पर कानून के जरिये से रोक लगाना और कानून के जरिये से इस पर पाबन्दी करना मैं समझता हूं कि अपनी जगह पर

यह बात उचित नहीं है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि अनशन के लिये जो रास्ता है वह सभी के लिये खुला होना चाहिये। इस तरह से हमारी एक आवाज होती है कि हमें सन्तोष नहीं है और हम उसको अनशन द्वारा ही दूसरो तक पहुचा सकते हैं। इस तरह से कानून के द्वारा प्रतिबन्ध लगाकर आपको अनशन बन्द नहीं करना चाहिये और अनशन अपनी जगह पर उचित ही है। जो अनशन करेगा वह इस तरह से आपके कानून की परवाह भी नहीं करेगा। जब अनैतिक आधार की कोई बात होती है तभी अनशन आदमी करता है आजकल की जिन्दगी में यह सारा सिलसिला अपनी जगह पर ठीक है। हम इस बात की कोशिश करते हैं और मैं प्रजा सोशलिस्ट का सदस्य होने के नाते उनके सम्बन्ध में कह सकता हूं कि जब वहुत किसी बात की उपेक्षा की जाती है तो हमें इस तरह का कार्य करना पड़ता है। मैं साफ तौर से आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि अनशन तभी कोई करता है जब कि वह बिल्कुल बेबस और लाचार हो जाता है। हम भी जब किसी बात के लिये बिल्कुल बेबस और लाचर कर दिये जाते हैं तभी अनशन करते हैं। ऐसी हालत में जो आज हमारे मुल्क की स्थिति है उस स्थिति को देखते हुये लाखों लोग जो इस तरह के हैं तो आजादी मिलने के बाद उनका यह हक नहीं छीनना चाहिये। विदेशों की हुकूमत की बात उनकी अपनी जगह पर है तो जब किसी बात के लिये आदमी बिल्कुल मजबूर हो जाता है तो वह अनशन या सत्याग्रह करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय दस गुने की बात चल रही थी उस समय हजारों किसानों ने इसके विरोध में यहां प्रदर्शन किया और कई तरह से दस गुने लगान का विरोध हुआ लेकिन जब इस बात की कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर ऐसी हालत में सत्याग्रह करना कौन सी बुरी बात है। यदि उसके बाद वह सत्याग्रह करता है तो इसमें आप क्यों रोक लगाते हैं। कानून के जरिये से ऐसी चीजें रुकेंगी नहीं और कानून के तोड़ने वाले उसको तोड़ेंगे ही। आप कानून के जरिये से किसी को ४,६ महीने की सजा दे देते हैं, वह ठीक है। मैं कुंवर साहब से कहना चाहता हूं कि यदि सुसाइड करना विधान में होता तो व्यक्तिगत अपने फैसले के अनुसार अपनी जिन्दगी का अन्त कर सकता था और यह कुछ उचित भी था लेकिन अनशन के हक छीनने की जहां तक बात है मैं कहता हूं कि अपनी जगह पर यह बिलकुल नामुनासिब और गैरवाजिब चीज है। कानून बनाकर अनशन को रोका नहीं जा सकता और न इस तरह से अनशन रुकेगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुंवर साहब ने जो संकल्प इस सदन के सामने उपस्थित किया है उस पर कुछ विचार हो चुका है और उन्होंने अपने भाषण में बतलाया कि अनशन क्या चीज है और अनशन से राष्ट्र और समाज को हानि होती है। उन्होंने यह भी बतलाया कि गांधी जी किस उद्देश्य से और किस समय अनशन करते थे, परन्तु श्री प्रभु नारायण जी का भाषण सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। कुंवर साहब ने कहा कि अनशन सरकार के आदेश या कानून द्वारा बन्द होना चाहिये परन्तु श्री प्रभु नारायण सिंह जी का कहना है कि बेबसी की हालत में ही लोग अनशन करते हैं और हमें इसे रहने देना चाहिये। उनका कहना है कि सरकार को कोई इस प्रकार का कानून नहीं पास करना चाहिये या कोई ऐसा आदेश नहीं देना चाहिये जिससे कि अनशन बन्द हों। उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि इसका निर्णय कौन करेगा कि यह बात बेबसी की है और यह नहीं है। जो लोग कानून तोड़ते हैं और बड़े बड़े लोग कानून का उल्लघंन करते हैं तो उसका परिणाम भी जनता पर बुरा पड़ता है और समाज में कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनशन सरकार या किसी संस्था के कार्य का विरोध करने की शक्ल है और विरोध करने की प्रथा हमारे देश में बहुत प्रचीन काल से प्रचलित है। अनशन को आप देखते हैं, अपने घरों में होता है जब पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है और पति डाटता है तो उस समय पत्नी खाना नहीं खाती है और पति उसको मनाता है तब वह खाना खाती है। इसी तरह से बच्चे भी खाना नहीं खाते हैं और जब मां बाप और यहां तक कि अध्यापक तक उसको समझाते हैं तब वह मानता है और खाना

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

खाता है। एक विदेशी यात्री १२ वीं सदी में भारत में आया था। कर्जे के कानून के संबंध में उसने देखा कि यहां एक विचित्र प्रथा चल रही है। जो कर्जा लेता था और नहीं देता था तो उसके चारों ओर कर्जा देने वाला एक लकीर खींच देता था और कर्जा लेने वाला उसके बाहर नहीं आते थे और यह प्रथा चलती थी और लोग मानते थे। इसी तरह से एक अफगानिस्तान का यात्री आया था, १३ वीं सदी में कि सरकार के अधिकारी लोग कर्जा नहीं देते थे और उसके लिये एक प्रथा चलती थी जब वह सरदार जो कर्जा लेता था बादशाह के महलों में जाता था तो उस समय कर्ज देने वला महल के दरवाजे पर आ जाता था और कहता था कि बादशाह की दोहाई है और इस तरह से चिल्ला कर कहता था कि लोगों को और बादशाह तक को मालूम हो जाता है कि सरदार ने कर्ज लिया है। और रुपया नहीं दे रहा है और बादशाह उस सरदार को मजबूर करते थे कि उसका रुपया दे। इब्नबतूता एक विदेशी यात्री भारत में आया था वह खुद कर्ज लेता था और व्यय अधिक करता था इस लिये वह कर्ज में डूबा रहता था तो इस तरह के विरोध प्राचीन काल से होते चले आयें हैं।

आपको माननीय अध्यक्ष महोदय याद होगा कि प्राचीन काल में जब कोई धरोहर किसी के पास रख देता था और जिसके पास धरोहर रखी हुई है वह बेईमानी करता था और उसको नहीं देना चाहता था तो धरोहर देने वाला उसके मकान के सामने जाकर बैठ जाता था और उस वक्त तक नहीं जाता था जब तक वह न मिल जाय। तो उस समय और लोग व और घरवाले कहते थे कि इसकी धरोहर वापस कर दो, परन्तु राजनैतिक मामलों में अनशन का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। हमारे देश में कुछ लोगों का मत था कि अनशन करना मोक्ष प्राप्ति का साधन है। फास्ट अन टू डेथ मोक्ष का साधन समझा जाता था। हमारे यहां प्रयाग में ऐसा किया जाता था कि लोग अक्षय बृक्ष से कूद कर प्राण गंवाते थे। अबुल फजल बदाऊनी ने लिखा है कि "बादशाह अकबर ने इस प्रथा का अन्त किया था।" इन मामलों में तो अनशन भारतवर्ष में प्राचीन काल से चले आ रहे थे, लेकिन राजनैतिक मामलों में मैंने कभी अनशन नहीं सुना था। ऐसे साधन का प्रयोग विदेशी शासन के विरोध में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया जैसा कि कुंवर साहब ने बताया कि उनका अनशन देश के हित के लिये था और सेलफ प्यूरीफिकेशन के लिये था। अपने ऊपर कष्ट लेकर दूसरे के दिल को पिघलाना। गांधी जी का अनशन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होता था साधारण स्थिति पर नहीं होता था। किन्तु आज ऐसी रिवाज चल पड़ी है कि साधारण बातों के लिये हो सकता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई शिक्षा संस्था अपनी यूनियन का विधान बनाती है तब अनशन होता है और इस तरह से अनशन का प्रयोग ऐसे मामलों में किया जाता है जिनमें न होना चाहिये जिनसे समाज को नुकसान पहुंचता है। शिक्षा संस्थायें भ्रष्ट होती हैं, विद्यार्थियों का दृष्टिकोण बिगड़ता है और हमारी भौतिक उन्नति के मार्ग में बड़ी भारी बाधा पड़ती है। कुंवर साहब कहते हैं कि सरकार या तो अपने आदेश के द्वारा या कानून के द्वारा इसको रोके मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं यद्यपि मैं जानता हूं कि व्यवहारिक दृष्टि से उस का परिणाम कुछ भी नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी में लड़कों ने अनशन किया सिनेट हाउस के सामने दरी बिछा कर दो तीन लड़के बैठ गए। रात को ११–१२ बजे के करीब डाक्टरों को बुलाया गया और इस बात की चेष्टा की गई कि उनको अस्पताल ले जायें और उनको जबरदस्ती फीड किया जाये लेकिन लड़कों को मालूम होते ही वहां दो हजार लड़के इकट्ठे हो गए और उन्होंने लड़कों को हटाना असम्भव कर दिया। कानून भी हमने बना रखा है और पहले से चला आता है। विश्वविद्यालय में यह कानून है कि जो लड़का किसी कारण वश अनशन करेगा वह विश्वविद्यालय का विद्यार्थी न समझा जायेगा। ऐसा नियम हमारी यूनिवर्सिटी का है परन्तु इस नियम को किस प्रकार लागू करें। कुंवर साहब ने बहुत ठीक कहा है कि इस से समाज की राष्ट्र की, हानि होती है।

प्रभुनारायण जी की बात मैं नहीं स्वीकार कर सकता कि अनशन हमारा अधिकार है हक है व बसी की हालत में अनशन करना चाहिए। इसका निर्णय कौन करेगा कि क्या बेबसी है और क्या बेबसी नहीं है। यहां तो यह देखा जाता है कि दस आदमी अनशन करने बैठ जाते हैं तो उन की तरफ जनता की सहानुभूति हो ही जाती है। अगर दस टीचर्स कौंसिल हाउस के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और गवर्नमेन्ट उनको जेल भेज देती हैं तो फिर बीस उन की जगह और आ जाते हैं। इसी प्रकार संख्या बढ़ती जाती है और हजारों तक पहुंच जाती है। परन्तु मैं समझता हूं कि यह कानून से नहीं रोका जा सकता और न आदेशों से ही रोका जा सकता है। हमने यूनिवर्सिटी में चेष्टा की कि कानून बनाकर आदेश से रोकें पर नहीं हो सका। इसका रिवाज बढ़ता ही जा रहा है। इस की जिम्मेदारी बहुत हदतक कांग्रेस पर भी है। क्योंकि आरम्भ उन्होंने किया था। और वह अब भी करते चले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आन्ध्र प्रान्त बनाने के लिए जो अनशन हुआ था वह शायद कांग्रेसी सदस्य द्वारा ही किया गया था। मेरा विचार यह है कि इस भावना को ही रोकना चाहिए। बेबसी की हालत में सरकार के अत्याचार और अनाचार की हालत में हम को क्या करना चाहिए। इसके लिए उपाय हैं। पाश्चात्य देशों में उन से काम लिया जाता है। पब्लिक मीटिंग के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा तथा अन्य कांस्टीट्यूशनल उपायों से हम सरकार के अत्याचार, अनाचार का विरोध कर सकते हैं। हां, बैलट बाक्स की सहायता तो हम को ५ वर्ष में ही मिलेगी। आज नहीं मिल सकती, परन्तु यदि पार्लियामेन्ट्री गवर्नमेन्ट से आप को काम लेना है तो आप ऐसी भावनाओं का प्रचार जनता में कीजिए उन को फैलाइये कि सरकार के अत्याचार, आनाचार का विरोध करने के लिए और साधन मौजूद हैं जिनका सरकार पर असर पड़ता है। कोई सरकार ऐसी खराब नहीं होगी, ऐसी अन्यायपूर्ण नहीं होगी, ऐसी नामाकूल नहीं होगी, ऐसी अनरीजनेबुल नहीं होगी जिस पर इन बातों का कोई असर न पड़े। मैं समझता हूं कि सरकार न्याय के मामले में, इन्साफ के मामले में और जनता के सार्वजनिक प्रश्नों के मामलों में अपनी अनाचारपूर्ण नीति अवश्य वापस लेगी। यदि हम पार्लियामेन्ट्री शासन इस देश में सफल करना चाहते हैं तो अनशन को बिलकुल बन्द कर देना चाहिये और यह कानून द्वारा नहीं क्योंकि कानून के द्वारा यह मामला बढ़ता ही चला जायेगा। हरएक पार्टी के आदमियों को निश्चय कर लेना चाहिये कि हम अनशन का प्रयोग नहीं करेंगे और इस भावना के विपरीत प्रचार करना चाहिये कि हम सरकार की नीति के विरोध में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। किसी प्रदेश में लीडर आफ दि अपोजीसन से किसी ने पूछा कि दाढी क्यों बढ़ाये हुये हो तो उसने कहा कि जब तक इस सरकार का नाश नहीं होगा तब तक दाढ़ी नहीं मुडाऊंगा। कुंवर साहब ने प्रस्ताव रखा है, यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। मैं उनकी भावना का स्वागत करता हूं, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखते हुये मालूम होता है कि सरकार इसको नहीं हल कर सकती है। सरकार ऐसे कर सकती है कि सरकार अपनी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में जिसमें इसका प्रभाव है और जो लोग कांग्रेस की बात को मानते हैं तो उन लोगों को यह करना चाहिये कि हम इस अनशन की नीति से काम करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जो उचित मार्ग है उस रीति के अनुसार काम करेंगे। जिससे समाज को किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती, उससे काम करेंगे। तब यह जो ध्येय है और जो हमारा वैधानिक लक्ष्य है वह पूर्ण हो सकेगा और देश का सार्वजनिक जीवन भी उत्तम बनेगा।

सबसे बड़ा प्रभाव इस अनशन का शिक्षा संस्थाओं पर पड़ा है। सदन के सदस्य भली भांति जानते हैं कि शिक्षा का किस प्रकार से ह्रास हो रहा है। अनुशासन हीनता किस प्रकार से फैल रही है। विद्यार्थी अनुशासन हीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों को जिस रास्ते पर हम चलायेंगे उसी रास्ते पर वे चलेंगे। देश के नेताओं का कर्त्तव्य है कि वे अपने वैधानिक लक्ष्य को पूरा करने में उन

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

साधनों से काम करेंगे जिससे कि उसकी पूर्ति हो सकती है और अनशन को डिस्करेज करें। राजनैतिक नेता इस बात को करेंगे तो अन्य लोग भी उसका अनुकरण करेंगे और समाज का कल्याण होगा।

*श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, अनशन को चाहे कानून के नजरिये से देखें और चाहे नैतिक नजरिये से, यह चीज गिरी हुई है। इसका उदाहरण प्रोफेसर साहब ने दिया है कि किसी के मकान पर अनशन करके कुछ रुपया वसूल करो, लेकिन प्रोफेसर साहब ने इसके ऊपर अच्छी तरह से नहीं सोचा। अगर कोई प्रोफेसर साहब के सामने अनशन करे और कहे कि हमको इतना रुपया दो नहीं तो हम अनशन करेंगे तो यह चीज ऐसी है कि कोई न्यायपूर्ण तरीके से कोई चीज हासिल नहीं कर सकता, तो अन्य तरीके से हासिल करता है। इसके व्यक्तिगत उदाहरण हैं। पठान लोग जो कर्ज देते हैं और एक रुपया में एक आना या दो आना सूद लेते हैं जिससे उनकी पूंजी दुगनी या तिगुनी हो जाती है तो वह यह सूद धरना देकर वसूल करते हैं लेकिन अगर कोर्ट में जायं तो इतना उनको कभी नहीं मिल सकता है तो जिन बातों के आधार पर प्रोफेसर साहब अनशन को नियमित और नैतिक सिद्ध करना चाहते हैं वह बिलकुल गलत है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मूलभूत सिद्धान्त गलत है और इससे अन्याय के साथ चीज हासिल हो सकती है। गांधी जी का नाम लेना इसमें बहुत अनुचित बात है। गांधी जी ने कहा है कि भगवान से जब मुझे प्रेरणा मिलती है तब मैं अनशन करता हूं। उनके निकट जो लोग रहते थे जैसे सुशीला नैयर इत्यादि वह इस बात से चिन्तित रहते थे कि न मालूम कब वह अनशन शुरू कर दें क्योंकि वह कभी यह नहीं कहते थे कि उन्हें कब से अनशन करना है। गांधी जी कहते थे कि जब प्रेरणा आयेगी तो मैं उसे करने से नहीं चूकूंगा। इसके साथ ही साथ महात्मा जी ने कहा है कि मेरे अनशन की नकल नहीं करना चाहिए। यह मैं अपनी निकली हुई प्रेरणा के कारण करता हूं जो दूसरों के लिये उपलब्ध नहीं है। तो जो इतना बड़ा व्यक्ति है उसी के शब्दों में अनशन बिलकुल अनैतिक या गलत है।

दूसरी बात यह है कि यह कहा जाता है कि जब जनता की आवाज कोई नहीं सुनता है तो हम अनशन करते हैं। मैं कहता हूं कि जनता की सरकार है। इस चीज को यदि विरोधी पार्टी भुला देती है तो इसके माने यह हैं कि वह संविधान समझे ही नहीं। आप दूसरे चुनाव में आ सकते हैं और सारी व्यवस्था को बदल सकते हैं। अगर जमींदार आते हैं तो फिर से वह जमींदारी शुरू कर सकते हैं। आपको फ्रीडम आफ स्पीच है। हर ५ साल बाद जनता से अपील की जाती है फिर यह कहना कि जनता की पुकार नहीं सुनी जाती है, गलत है। मैं समझता हूं कि उनको वहम है। अगर वह जनता की आवाज होती तो वह अनशन न करते। अनशन कानून के अनुसार अब भी जुर्म है। उसके लिये कोई नियम बनाना व्यर्थ है। आज अनशन दो तरह के किये जाते हैं। एक तो वह है जिसमें लोग छिप-छिप कर रात में खाते हैं और दूसरे वह है जो वास्तव में अनशन करते हैं। तो जो छिप कर खाते हैं उन्हें तो आप जब चाहे जेल में भेज सकते हैं, लेकिन जो मरने के लिये तैयार हैं उनको चाहे आप फांसी पर लटका दें या कोई सजा दें, तो भी आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके लिये अगर आप यह करें कि अगर कोई अनशन करे तो १० वर्ष की जेल करेंगे तो कर दीजिये। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा कानून बनाकर आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा तरीका हो सकता है कि जिससे रोक हो सकती है। जो उसके हमदर्द हैं जो उसको भड़कावा देते हैं उनके लिये नियम बना सकते हैं कि जो भी अनशनकारी को भड़कावा दे उसको जेल भेज सकते हैं। उस आदमी के लिये जो सच्चा

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

अनशन करता है उसके लिये जेल की व्यवस्था करना या फांसी की सजा देना भी बेकार होता है। यह राज्य की व्यवस्था के लिये प्रतिकूल है इसलिये इसको दूर करना ही ठीक है। जिन चीजों के खिलाफ अनशन किया जाय लोग उनको माने ही नहीं। अगर कोई कहे कि कानून तोड़ेंगे तो यह गलत चीज होगी। कानून अंग्रेजों का तोड़ा गया। अब तो आपका राज्य है। अगर इसके कानून को तोड़ेंगे तो इसके माने है कि आप कान्सी-ट्यूशन को ही नहीं समझ रहे हैं।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनशन को किसी हथियार के रूप में इस्तेमाल करना गलत समझता हूं। मुझे जनता के साथ संघर्ष करना पड़ा और मैं इस बात का आदी हो गया हूं कि जनता कोई संघर्ष करे और उससे अपनी तकलीफें दूर कराये। मैंने हमेशा इसी अस्त्र को जाना है। २० साल के जीवन में मैंने कोई अनशन नहीं किया और न मैंने करने के लिये कहा, न पसंद ही किया। लेकिन मेरा विश्वास है कि कुछ लोगों ने सचाई के साथ इस अस्त्र को इस्तेमाल करके एक बुराई की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। हमारा किसी बात में किसी से मतभेद क्यों न हो लेकिन उस बात की खिल्ली उड़ा दें तो यह तो मुनासिब नहीं मालूम होता। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो परम्परा से चली आती हैं। उसके अनुरूप लोग चल दिया करते हैं। जैसा प्रोफेसर साहब ने बतलाया कि अनशन का प्रयोग करना बहुत प्राचीन काल से देश में चला आ रहा है। बहस इस बात पर नहीं है। सवाल तो यह है कि राजनैतिक उद्देश्य के लिये जो लोग अनशन करते हैं उसको हम स्वीकार करें या न करें। मेरा तो यह विश्वास है कि केवल इसी मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हमने देखा है कि अगर उच्च आदर्श को लेकर सारे समाज के हित में अगर किसी महान् व्यक्ति ने इस अस्त्र को अपनाया तो सारे देश ने उसके सामने सिर झुकाया।

आयरलैन्ड में जहां एक तरफ देशभक्तों ने हथियार उठाया था वहां मैक्सनी ने अनशन किया था और ७४ दिन बाद शहीद हो गया। हमारे देश में भगतसिंह बम पिस्तौल में विश्वास करते थे, मगर जब जेल में गये और राज-बन्दियों की हालत को देखा तो उन्होंने भी अनशन के हथियार का प्रयोग किया। यतीन्द्रनाथ दास तक ने भी इस हथियार का इस्तेमाल किया और मैंने देखा कि चाहे कांग्रेसी हों या गैरकांग्रेसी सभी ने यह माना कि उन्होंने एक ऊंचे उद्देश्य के लिए यह काम किया। हमने अपने यहां आपस में फूट की बिना पर एक राज्य बनते हुये देखा है और हमने यह भी देखा है कि इसी हथियार की बिना पर एक विदेशी साम्राज्यशाही का नाश होकर अपने देश का राज्य स्थापित हुआ।

इसलिए यह कहना कि यह हथियार खिलवाड़ की चीज है और लोग मजाक के लिए इसको करते रहते हैं। यह बिलकुल गलत चीज है और ऐसा कहना कोई सेन्स नहीं रखता है। यह मैं मानता हूं कि सामूहिक रूप से हिन्दुस्तान की जनता खिलाफ हो जाती है, उस कार्य से, उस अनशन से, जो खिलवाड़ के लिये किया जाता है। लेकिन जिसका ऊंचा उद्देश्य होता है और जो अनशन उच्च आदर्शों को लेकर किया जाता है उसका न केवल देश की जनता बल्कि दुनियां के सभी लोग निर्णय देते हैं कि वह किस ऊंचे आदर्श को लेकर चलाया गया है तथा उन सबका सपोर्ट उन अनशन-कारियों की तरफ होता है। जो अनशन स्वतंत्रता के लिये किये जाते हैं वह बहुत बड़ी चीज होती है। दुनिया में कोई उसका मखौल नहीं उड़ा सकता। फिर इसके अलावा आप देखें कि जो कार्य या अनशन मखौल के लिये होते हैं वह भी किसी से छिपे नहीं रहते। सारा संसार उस पर भी अपना निर्णय दे देता है। क्या आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के आदर्शों के मानने वाले आज उनके आदर्शों का मखौल नहीं कर रहे हैं। यह मैं मानता हूं कि एक चीज अच्छे उद्देश्य और बुरी बात दोनों के लिये की जा सकती है। हम आपको बतायें कि हम और आप सभी खद्दर पहनते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत से बुरे लोग भी खद्दर का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से अगर आपका पूरा भाषण देखा जाय तो पता चलेगा कि वह पूरे का पूरा इस सब पर लागू होता है या नहीं तो फिर

[श्री राजाराम शास्त्री]

आपका क्या मतलब होगा। यह तो वही हुआ कि जब आप विरोधी दल में हैं तो आप कहें कि यह हथियार बहुत ठीक है क्योंकि इससे जनता की हमदर्दी से आपको समर्थन मिलेगा। जब शासक दल में बैठे, तब कहें कि अब वह जमाना चला गया और अब उसकी जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कि केवल अनशन का सवाल नहीं है। चाहे आप सत्याग्रह, चाहे अनशन, दोनों की बात को ले लीजिये, जो चीज आपके विरोध में इस्तेमाल की जायेगी वह आपको गलत और बुरी लगेगी। जब अनशन बुराई के लिये किया जाता है तब वह अनशन गलत होता है और जनता के दिमाग में भी उसके विरुद्ध ख्याल उत्पन्न हो जाते हैं जब कि वह अखबार में निकल जाता है। जनता उसको नहीं मानती, लेकिन अगर सच्चाई की बात है तो जनता के ख्यालात उसकी तरफ होने लगते हैं। खास तौर से आप कोई कानून इसके लिये बना दें तो मैं इसको नहीं मानता। आज हम यह समझें कि अगर मुल्क में कानून बना दिया जायेगा तो कोई आदमी अनशन नहीं कर सकता है यह गलत चीज है। आप बना दें तो जो कायर और कमजोर लोग होंगे वह उससे डर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे कि अगर वे समझते हैं कि कोई ठीक आदर्श है और उनका विश्वास होगा और वे समझते हैं कि हम जनता तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो कानून के होते हुये भी ऐसे व्यक्ति निकलेंगे जो इन चीजों को करने लगेंगे। फिर वही बात होगी कि आपने एक कानून बना दिया और उसको जब लागू करेंगे तो उसको हजारों आदमी तोड़ने लगेंगे और इसका कोई फायदा नहीं होगा। नाना प्रकार की चीजों का एक ही इलाज आपके हाथ में है कि कानून बना दिया जाय, जो कि ठीक नहीं है। अगर कोई अनशन करता है और हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो वहां पर आपसे गलती होती है और आप चाहते हैं कि लोग घर पर ही बैठे रहें। अनशन क्यों किया जाता है और वह चीज दूसरे तरीके से क्यों प्राप्त नहीं की जाती है यह सवाल आपकी तरफ से आता है। एक जमाना था जब हम किसी चीज को अच्छा या बुरा समझ कर करते थे और जनता से कहते थे कि हमारी बात सच्ची है, और उसके खिलाफ चलते थे। इस तरह से अपने विचारों का संघर्ष करते थे और जनता को उससे कायल करते थे कि हमारी बात सही है। आजकल अजीब जमाना है। अगर कोई कांग्रेस का सेवक किसी चीज को गलत समझता है तो वह गवर्नमेंट या कानून का सहारा लेना चाहता है और अपनी बातों का सहारा नहीं लेता। जनता इस बात का फैसला करती है कि जो अनशन कर रहा है उसकी बात सही है या सरकार की बात सही है। हमें इस बात का बड़ा अन्देशा है और उपाध्यक्ष जी, इस मौके पर मैं चाहता हूं कि इस तरफ आपका ध्यान दिलाऊं।

जब कभी कोई आन्दोलन होता है तो हर दफे यह बात बार-बार आती है। आज मजदूरों, विद्यार्थियों और किसानों का आन्दोलन होता है तो हमारे सामने यह सवाल आता है कि क्या ये राजबन्दी हैं या नहीं और इसकी सुनवाई का कोई तरीका है। उनकी सुनाई तो जरूर होनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि अगर यह चीज हमारे सामने है तो ठीक है हमें इसके लिये लोकमत को तैयार करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि इससे वह चीज नहीं रुकती है तो नहीं रोकना चाहिए। कानून के जरिये रोकना ठीक नहीं है। मैं इससे सहमत हूं। सरकारी पक्ष के लोगों का कहना है कि आज कानून टूट रहे हैं और देश के अन्दर अनुशासनहीनता आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि शिक्षा संस्थाओं के संचालक भी परेशान हैं। वहां पर लड़के अनशन कर रहे हैं। इस बात को तो जरूर देखते हैं कि लड़के अनशन कर रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को नहीं देखता है कि अगर किसी शिक्षा संस्था के लड़कों का जो विधान बना हुआ है वह बदल दिया जाता है और वे उसको बदलना नहीं चाहते हैं तो उस संस्था के संचालक नहीं सोचते हैं कि वह जमाना अब नहीं रहा है अब तो लोकतंत्र का जमाना है। विद्यार्थियों में अगर ताकत होगी तो वे अपनी ताकत के बल से विधान को बदल सकते हैं। अगर लोगों में ताक़त होगी तो वे जनता का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मुझे इतना जरूर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम

सरकार के पास पत्र भेजते हैं या डेपुटेशन लेकर जाते हैं तो इन चीजों का हमारी सरकार पर कम असर पड़ता है, लेकिन जब कोई अनशन या हड़ताल करता है या इसी तरह की कोई समस्या सरकार के सामने आ जाती है यानी सौ दो सौ आदमी गिरफ्तार किये जाते हैं और लाठी चार्ज किया जाता है, तो तब सरकार कहती है कि हम फौरन से यह कमीशन बैठाते हैं व उसके लिए हम जांच कमेटी बैठाते हैं। जब किसी सत्य बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं तो क्या वजह है कि सरकार न माने। अनशन होता है और बहुत सी बातें होती हैं तब जाकर हमारी सरकार किसी बात को मानने के लिए तैयार होती है। मैं समझता हूं कि यह तरीका गलत है कि आप इस चीज को जनता से कानून के जरिये से मनवाने की कोशिश करें। इसके लिए आप और दूसरे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जनता को और तरीकों से भी समझा सकते हैं। लेकिन हमारे यहां के अधिकारियों और शासक पार्टी को केवल यह कह कर नहीं टाल देना चाहिए कि कुछ लोगों के दिमाग में यह फतूर पैदा हो गया है कि अशान्ति पैदा करें। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन सब के लिए ऐसी धारणा रखना ठीक नहीं है। मैं आप से सच कहता हूं कि बहुत से लोग अपनी जान की बाजी लगा कर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं उनकी इन चीजों को मजाक नहीं समझना चाहिए। जैसा कि प्रभु नारायण जी ने कहा कि बेबसी की हालत में और परेशानी की हालत में जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो जनता इस प्रकार से आपका ध्यान दिलाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी सी बात कह कर कुंवर साहब के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं कानून के जरिये से इस अनशन के कार्य को रोकना ठीक नहीं समझता हूं। इसके लिए आप दूसरे तरीके अपना सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

डिप्टी चेयरमैन—अब सदन को स्थगित करने का वक्त हो गया है। इसलिए यह प्रस्ताव दूसरे नानआफिशियल डे के दिन जारी रक्खा जायगा।

सदन का कार्यक्रम

श्री राजाराम शास्त्री—इतना मालूम हो जाय कि कल क्या होगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कल पहले एप्रोप्रिएशन बिल लिया जायगा। उसके बाद अगर वक्त रह जायगा तो यह जो दो बिल असेम्बली से आ गये हैं, ले लिये जायंगे। एक तो इनकम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक और दूसरा कैटिल ट्रेसपास विधेयक है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम लोग किसी बिल के लिए कोई संशोधन पेश करना चाहते हैं तो हमको कोई मौका नहीं मिलेगा कि दे सकें, और न हम तैयार ही हो सकेंगे कि हम उस पर कुछ कह सकें।

श्री बद्री प्रसाद कक्कड़—Sir, I rise on a point of order. I think your honour has just announced that the House has been adjourned till tomorrow 11 a. m. Is it a fact ?

डिप्टी चेयरमैन—No, no. I was going to announce but in the mean time this question was put to me.

श्री कुंवर गुरु नारायण—नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल के लिए हम चाहते हैं कि एप्रोप्रिएशन बिल ही लिया जाय। इन बिलों को दूसरे दिन लिया जाय ताकि हमको संशोधन पेश करने का मौका मिल सके।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

डिप्टी चेयरमैन—कौंसिल कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कल सिर्फ एप्रोप्रिएशन बिल लिया जायगा।

(कौंसिल ५ बजकर २ मिनट पर, १९ फरवरी, १९५४ को, दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

कृष्ण बहादुर सक्सेना,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१८ फरवरी, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये पृष्ठ संख्या १७० पर)

चेयरमैन (प्रेसीडेन्ट) के पद के लिए चुनाव लड़ने वालों की पार्टी-स्थिति का विवरण।

लोकल बाडीज का प्रकार	कांग्रेस	जन संघ	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी	हिन्दू महा सभा	कम्युनिस्ट	स्वतंत्र	राम राज्य परिषद्	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	जोड़
नगरपालिका	१७६	३०	४३	३	..	१४५	..	१	३२८
टाउन एरिया	१८१	२३	६२	...	४	३३९	...	२	६११
नोटीफाइड एरिया	२४	३	५	...	१	५३	..	..	८६
जोड़ ..	३११	५६	११०	३	५	५३७	...	३	१०२५

नत्थी 'द'

(देखिये पृष्ठ संख्या १७० पर)

उम्मीदवारों की सूची (पार्टी के आधार पर) जो चेयरमैनी के एलेक्शन में कामयाब हुये।

नगरपालिका	अध्यक्ष का नाम	संबंधित पार्टी
१	२	३
१—फतेहपुर सीकरी	श्री रामजी लाल	कांग्रेस
२—अतरौली	श्री अब्दुल जलील खां	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
३—हाथरस	श्री दुर्गा प्रसाद	स्वतन्त्र
४—सिकन्दराराऊ	श्री सालिग राम	,,
५—अल्मोड़ा	श्री लक्ष्मी दत्त	कांग्रेस
६—आजमगढ़	श्री नागेश्वर प्रसाद	,,
७—मऊनाथ भंजन	श्री इश्तियाक आब्दी	स्वतंत्र
८—बहराइच	श्री बसन्त राय भंडारी	,,
९—बलिया	श्री नारायन राम	,,
१०—भदोही	श्री मदन लाल	कांग्रेस
११—रामनगर	श्री देवेन्द्र बहादुर	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
१२—नवाबगंज	श्री राम सिंह	,,
१३—बांदा	श्री छोटे लाल	,,
१४—बस्ती	श्री धर्म नाथ	स्वतंत्र
१५—आंवला	श्री दीना नाथ	कांग्रेस
१६—बरेली	श्री अब्दुल वाजिद	स्वतन्त्र
१७—बिजनौर	श्री एम० मजीद हुसेन	कांग्रेस
१८—चांदपुर	श्री अख्तर हुसेन खां	स्वतन्त्र
१९—धामपुर	श्री कुलमनी सिंह	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
२०—नगीना	श्री अहमद रजा	स्वतंत्र
२१—नजीबाबाद	श्री जगदीश प्रसाद	,,
२२—बदायूं	श्री अली मकसूद	,,
२३—सहसवान	श्री मीर खुरशीद अली	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
२४—उझियानी	श्री पुरुषोत्तम लाल भदवार	स्वतंत्र
२५—सिकन्दराबाद	श्री जतन स्वरूप	,,
२६—खुर्जा	श्री मुरारी लाल	,,
२७—डिबाई	श्री मनोहर लाल	,,
२८—बुलन्दशहर	श्री राजेश्वर दयाल	,,
२९—अनूपशहर	श्री नरेन्द्र नाथ गांगुली	जनसंघ
३०—देहरादून	श्री महन्त इन्द्रेश चरन दास	कांग्रेस
३१—मसूरी	श्री राम कृष्ण वर्मा	स्वतंत्र
३२—ऋषीकेश	श्री परशु राम	जन संघ
३३—देवरिया	श्री चन्द्रमा प्रकाश	कांग्रेस

नगरपालिका		अध्यक्ष का नाम		संबंधित पार्टी
१		२		३
३४--गौरा बरहज	..	श्री गजानन्द	..	कांग्रेस
३५--पडरौना	..	श्री बिन्देश्वरी प्रसाद	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
३६--एटा	..	श्री पुरुषोत्तम दास	..	जनसंघ
३७--गंज डुंडवारा	.	श्री फासिल इस्लाम	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
३८--जलेसर	..	श्री नेमी चन्द्र जैन	..	कांग्रेस
३९--कासगंज	..	श्री बनवारी लाल	..	जनसंघ
४०--सोरों	..	श्री रामनिवास	..	कांग्रेस
४१--औरैया	..	श्री अम्बिका प्रसाद	..	स्वतंत्र
४२--इटावा	..	श्री देवी दयाल दुबे	..	"
४३--फैजाबाद	..	श्री गुर दत्त सिंह	..	जनसंघ
४४--टांडा	..	श्री हयात मुहम्मद	..	कांग्रेस
४५--फर्रुखाबाद	..	श्री सारिन बृज नाथ सिंह		स्वतंत्र
४६--कायमगंज	..	श्री शिव पाल सिंह	..	जनसंघ
४७--कन्नौज	..	श्री सेठ चन्द्र गुप्त	..	स्वतंत्र
४८--बिन्दकी	..	श्री केदार नाथ	..	"
४९--फतेहपुर	..	श्री केशव शरन	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
५०--गाजीपुर	..	श्री पब्बर राम	..	स्वतंत्र
५१--बलरामपुर	..	श्री बल्देव प्रसाद	..	कांग्रेस
५२--गोंडा	..	श्री ईश्वर शरन	..	"
५३--गोरखपुर	..	श्री लक्ष्मी शंकर वर्मा	..	हिन्दू महासभा
५४--बिलग्राम	..	श्री श्रीनारायण	..	कांग्रेस
५५--हरदोई	..	श्री शारदा बख्श सिंह	..	जनसंघ
५६--पिहानी	..	श्री हामिद अली	..	कांग्रेस
५७--संडीला	..	श्री वजाहत अली	..	"
५८--शाहाबाद	..	श्री बसंत लाल	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
५९--बरखारी	..	श्री देवकी नन्दन	..	कांग्रेस
६०--हमीरपुर	..	श्री ख्वाजा मजहर उद्दीन	..	स्वतंत्र
६१--महोबा	..	श्री बैजनाथ	..	कांग्रेस
६२--राठ	..	श्री मूलचन्द शर्मा	..	"
६३--जालौन	..	श्री चतुर्भुज सिहल	..	"
६४--कालपी	..	श्री लल्लू राम	..	"
६५--कोंच	..	श्री गनेश प्रसाद	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
६६--ओरई	..	श्री बनवारी लाल	..	"
६७--जौनपुर	..	श्री मेहरोत्रा बल्देव जी	..	स्वतंत्र
६८--झांसी	..	श्री बिहारी लाल वशिष्ट		"
६९--ललितपुर	..	श्री व्रज नन्दन	..	"
७०--मऊरानीपुर	..	श्री कनकन हीरा लाल	..	कांग्रेस
७१--गोलागोकरन नाथ	..	श्री लक्ष्मी नारायण	..	"
७२--मैनपुरी	..	श्री हेम चन्द्र	..	कांग्रेस
७३--लखीमपुर	..	श्री लक्ष्मी नारायण आगा		स्वतंत्र

नगरपालिका		अध्यक्ष का नाम		सम्बन्धित पार्टी
१		२		३
७४—शिकोहाबाद	..	श्री मंशा राम	..	,,
७५—कोसी	..	श्री चेतराम	..	,,
७६—वृन्दाबन	..	श्री विशम्भर	..	जनसंघ
७७—मथुरा	..	श्री एल० पी० नागर	..	,,
७८—बरौत	..	श्री जगदीश प्रसाद जैन	..	स्वतंत्र
७९—गाजियाबाद	..	श्री रामानुज दयाल	..	कांग्रेस
८०—हापुड़	..	श्री ताराचन्द मोदी	..	स्वतंत्र
८१—मवाना	..	श्री कृष्ण चन्द्र कौशिक	.	,,
८२—मेरठ	..	श्री राम कृपाल सिंह	..	कांग्रेस
८३—पिलखाना	..	श्री प्रभु दयाल	..	,,
८४—चुनार	..	श्री दौलत सिंह	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
८५—मिर्जापुर	..	श्री भगवान दास	..	जनसंघ
८६—अमरोहा	..	श्री मुहम्मद यासीन	..	स्वतंत्र
८७—चन्दौसी	..	श्री चौधरी भगवती प्रसाद		,,
८८—हसनपुर	..	श्री युसुफ अली खां	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
८९—मुरादाबाद	..	श्री अब्दुल कादिर	..	स्वतंत्र
९०—सम्भल	..	श्री नवाबजादा महमूद हुसेन		,,
९१—कैराना	..	श्री रियाज़ अहमद	..	कांग्रेस
९२—मुज़फ्फरनगर	..	श्री ज्योती प्रसाद	..	स्वतंत्र
९३—शामली	..	श्री लेखचन्द	..	कांग्रेस
९४—काशीपुर	..	श्री राम निवास	..	स्वतंत्र
९५—नैनीताल	..	श्री मनोहर लाल	..	कांग्रेस
९६—हल्द्वानी—कम—काठगोदाम		श्री दया किशन पांडे	..	स्वतंत्र
९७—बेला प्रतापगढ़	..	श्री जयन्ती प्रसाद उपाध्याय		कांग्रेस
९८—बीसलपुर	..	श्री श्रीगोपाल	..	,,
९९—पीलीभीत	..	श्रीमती रानी चन्द्रावती	..	,,
१००—रायबरेली	..	श्री अमृत राय	..	,,
१०१—रामपुर	..	श्री एम० फरीदउद्दीन	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
१०२—देवबन्द	..	श्री मुहम्मद उस्मान	;	कांग्रेस
१०३—हरद्वार यूनियन	..	श्री पन्ना लाल	..	स्वतंत्र
१०४—मंगलोर	..	श्री सईद अहमद	..	कांग्रेस
१०५—रुड़की	..	श्री चन्द्र शेखर	..	स्वतंत्र
१०६—सहारनपुर	..	श्री जमशेद अली खां	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
१०७—तिलहर	..	श्री हिकमतुल्ला खां	..	कांग्रेस
१०८—शाहजहांपुर	..	श्री बिशन चन्द्र सेठ	..	स्वतंत्र
१०९—बिसवां	..	श्री मूल नारायण मेहरोत्रा		कांग्रेस
११०—खैराबाद	..	श्री मसरूर अहमद	..	,,
१११—सीतापुर	..	श्री श्याम किशोर	..	स्वतंत्र
११२—सुल्तानपुर	..	श्री गनपत सहाय	..	कांग्रेस
११३—उन्नाव	..	श्री कासिम हुसेन	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी

उम्मीदवारों की सूची (पार्टी के आधार पर) जो चेयरमैनी के एलेक्शन में कामयाब हुये

टाउन एरिया		चेयरमैन का नाम		सम्बन्धित पार्टी
१		२		३
		आगरा		
१—अछनेरा	..	श्री शिव प्रसाद	..	स्वतंत्र
२—बाह	..	श्री राजा राम	..	,,
३—एतमादपुर	..	श्री शिवनाथ सिंह	..	,,
४—फतेहाबाद	..	श्री बनवारी लाल	..	,,
५—जगनेर	..	श्री प्रभू लाल	..	,,
६—पिनहट	..	श्री नारायण स्वरूप	..	,,
७—शमशाबाद	..	श्री बालेश्वरनाथ	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
८—टूंडला	..	श्री भगवान स्वरूप	..	कांग्रेस
		अलीगढ़		
९—बिसवां	..	श्री विद्यास्वरूप	..	कांग्रेस
१०—विजयगढ़	..	श्री देवी सरन	..	स्वतंत्र
११—छर्रा	..	श्री सिया राम	..	कांग्रेस
१२—हरदुआगंज	..	श्री सती शंकर	..	स्वतंत्र
१३—हसायन	..	श्री सूरज पाल सिंह	..	,,
१४—जलाली	..	श्री सुखराम	..	,,
१५—कौढियागंज	..	श्री नाजिर अहमद	..	,,
१६—खैरि	..	श्री रमेश चन्द्र	..	,,
१७—मेंढू	..	श्री जमुना प्रसाद	..	कांग्रेस
१८—मुरसान	..	श्री राज बहादुर किशोरी रमन सिंह		स्वतंत्र
१९—पिलखाना	..	श्री रियाजुल हसन	..	,,
२०—पुरदिल नगर	..	श्री घनश्याम दास	..	कांग्रेस
२१—सासनी	..	श्री रमेश प्रसाद	..	स्वतंत्र
		इलाहाबाद		
२२—भारतगंज	..	श्री मनुद्दीन	..	स्वतंत्र
२३—झूंसी	..	श्री रमाकान्त	..	रिवेल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
२४—मऊ आयमा	..	श्री अब्दुल हकीम	..	कांग्रेस
२५—फूलपुर	..	श्री लालता प्रसाद	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
२६—सराय आकिल	..	श्री राज बहादुर लाल	..	स्वतंत्र
२७—सिरसा	..	श्री श्रीकृष्ण	..	,,

टाउन एरिया	चेयरमैन का नाम	सम्बन्धित पार्टी
१	२	३
	अलमोड़ा	
२८–पिथौरागढ़ ..	श्री खेम सिंह सौम्य ..	कांग्रेस
	आजमगढ़	
२९—आमिला ..	श्री नन्दन राम ..	कम्युनिस्ट
३०—अतरौली ..	श्री पलकधारी	कांग्रेस
३१—दोहरीघाट ..	श्री कालिका प्रसाद ..	स्वतंत्र
३२—कोपागंज ..	श्री हाजी मुहम्मद इदरीस	कांग्रेस
३३—मोहम्मदाबाद ..	श्री शाह हामिदुल्ला ..	स्वतंत्र
३४—निजामाबाद ..	श्री रनजीत प्रसाद गुप्त ..	कांग्रेस
३५—फूलपुर ..	श्री दौलत लाल ..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
३६—मुबारकपुर ..	श्री मुहम्मद अमीन ..	कांग्रेस
३७—सरायमीर ..	श्री लक्ष्मी नारायण ..	स्वतंत्र
	बलिया	
३८—बड़ागांव ..	श्री मदन मोहन ..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
३९—बांसडीह ..	श्री वीर विक्रम ..	कांग्रेस
४०—मनियर ..	श्री जवाहर सिंह ..	"
४१—रेवती ..	श्री रामानन्द ..	स्वतंत्र
४२—सहतवार ..	श्री सुखदेव सिंह ..	"
४३—सिकन्दरपुर ..	श्री गोविन्द प्रसाद ..	कांग्रेस
	बनारस	
४४—चकिया ..	श्री कन्हैया लाल ..	कांग्रेस
४५—गंगापुर ..	श्री नागेश्वर प्रसाद ..	"
४६—ज्ञानपुर ..	श्री नरोत्तम लाल ..	स्वतंत्र
४७—गोपीगंज ..	श्री राम नारायण सिंह ..	"
४८—शिवपुर ..	श्री श्याम सुन्दर शर्मा ..	कांग्रेस
	बांदा	
४९—अतर्रा ..	श्री जगन्नाथ सिंह ..	जन संघ
५०—नरैनी ..	श्री बद्री प्रसाद ..	स्वतंत्र
५१—राजापुर ..	श्री शिव नरेश ..	कांग्रेस
५२—सीतापुर ..	श्री गजराज सिंह ..	"

टाउन एरिया	चेयरमैन का नाम	सम्बन्धित पार्टी
१	२	३
	बाराबंकी	
५३—बाराबंकी ..	श्री मुहम्मद सितवत अली	कांग्रेस
५४—दरियाबाद ..	श्री राय दीना नाथ बली ..	स्वतंत्र
५५—देवा ..	श्री अब्दुल हई ..	,,
५६—फतेहपुर ..	श्री मुहम्मद सातुर ..	कांग्रेस
५७—रामनगर ..	श्री कृष्ण नारायण सिंह ..	,,
५८—सतरिख ..	श्री जमील ताहिर ..	,,
५९—टिकैतनगर	श्रीमती मुन्नी देवी ..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
६०—जैदपुर ..	श्री मुहम्मद उमर ..	स्वतंत्र
	बस्ती	
६१—मेंहदावल ..	श्री अयोध्या प्रसाद ..	जनसंघ
	बरेली	
६२—फरीदपुर ..	श्री राधेलाल ..	स्वतंत्र
६३—फतेहगंज ईस्ट ..	श्री रामभरोसे लाल ..	,,
६४—नवाबगंज ..	श्री अब्दुल अजीज ..	,,
६५—रिछा ..	श्री नजीर अहमद ..	,,
६६—सेंथल ..	श्री दबीर हुसेन ..	,,
६७—शाही ..	श्री हामिद रजा खां ..	,,
६८—शीशगढ़ ..	श्री नजीर अहमद ..	,,
६९—सिरौली ..	श्री जमीलुद्दीन ..	,,
	बिजनौर	
७०—अफजलगढ़ ..	श्री अल्ला बख्श ..	कांग्रेस
७१—हलदौर ..	श्री महेन्द्र कुमार सिंह ..	स्वतंत्र
७२—झालू ..	श्री बृज भूषण सरन ..	,,
७३—कीरतपुर ..	श्री मुहम्मद हिदायतुल्ला	कांग्रेस
७४—मंडावर ..	श्री रजन अली खां ..	,,
७५—सहनपुर ..	श्री अब्दुल हमीद ..	,,
७६—शिवहारा ..	श्री उस्मान अली खां ..	,,
७७—शेरकोट ..	श्री इसरार उल्ला ..	स्वतंत्र
	बदायूं	
७८—अलापुर ..	श्री राजा राम ..	कांग्रेस
७९—बिसौली ..	श्री महेन्द्र पाल ..	स्वतंत्र

टाउन एरिया	चेयरमैन का नाम	सम्बन्धित पार्टी
१	२	३
८०—दातागंज	.. श्री धर्मपाल	.. स्वतंत्र
८१—गावन	.. श्री करन सिंह	.. कांग्रेस
८२—गुन्नौर	.. श्री फारूक अली मुहम्मद	स्वतंत्र
८३—इस्लाम नगर	.. श्री वेद प्रकाश	.. "
८४—मुंडिया	.. श्री नरेन्द्र देव उर्फ नर देव	"
८५—उसेहत	.. श्री त्रिवेणी सहाय	.. कांग्रेस
	बुलन्दशहर	
८६—औरंगाबाद	.. श्री मुहम्मद महबूब अली	कांग्रेस
८७—बिलासपुर	.. श्री श्याम लाल	.. "
८८—छतारी	.. श्री देवी प्रसाद	.. "
८९—दादरी	.. श्री विशम्भर दयाल	.. स्वतंत्र
९०—डंकौर	.. श्री गिरधारी लाल	.. जनसंघ
९१—गुलावठी	.. श्री सुरवचन सिंह	.. स्वतंत्र
९२—जहांगीराबाद	.. श्री जमशेद अली खां	.. "
९३—जेवर	.. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	.. "
९४—काकोरी	.. श्री इस्माइल खां	.. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
९५—पहासू	.. श्री महोरी लाल	.. स्वतंत्र
९६—रघुपुरा	.. श्री गिरधर सिंह	.. जनसंघ
९७—शिकारपुर	.. श्री चौधरी रघुराज सिंह	स्वतंत्र
९८—सियाना	.. श्री विशम्भर सिंह	.. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
	देहरादून	
९९—चौहरपुर	.. श्री ब्रह्म दत्त	.. स्वतंत्र
	देवरिया	
१००—कैप्टनगंज	.. श्री राम सुन्दर	.. जनसंघ
१०१—लार	.. श्री मकसूद अहमद	.. कांग्रेस
१०२—रामपुर	.. श्री रामेश्वर सिंह	.. "
१०३—रुद्रपुर	.. श्री राजा राम	.. स्वतंत्र
	एटा	
१०४—अमनपुर	.. श्री मुंशी लाल	.. कांग्रेस
१०५—अलीगंज	.. श्री राज बहादुर	.. स्वतंत्र
१०६—आवागढ़	.. श्री दिगविजय पाल सिंह ..	कांग्रेस

टाउन एरिया		चेयरमैन का नाम		सम्बन्धित पार्टी
१		२		३
१०७—बिलराम	..	श्री मुस्तजब हुसैन	..	कांग्रेस
१०८—मोहनपुर	..	श्री छत्रसेन	..	,,
१०९—निधौली कलां	..	श्री छत्रपाल सिंह	..	,,
११०—पटियाली	..	श्री जगदीश चन्द्र	..	स्वतंत्र
१११—रामपुर	..	श्री नाथूराम	..	,,
११२—सहावर	..	श्री मुहम्मद सुहाब खां	..	,,
११३—साकित	..	श्री सिया राम	..	,,
		इटावा		
११४—भरथना	..	श्री भगवती सहाय	..	स्वतंत्र
११५—एकदिल	..	श्री बिश्वनाथ	..	,,
११६—जसवन्तनगर	..	श्री अब्दुल अजीज		,,
११७—लखना	..	श्री राजबहादुर सिंह	..	,,
११८—फाफूंद	..	श्री बसन्त लाल	..	कांग्रेस
		फैजाबाद		
११९—अकबरपुर	..	श्री सिराजुल हक	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
१२०—मदरसा	..	श्री सैयद नासिर हुसैन	..	,,
१२१—गोसाईगंज	..	श्री हरिहर प्रसाद	..	,,
१२२—जलालपुर	..	श्री मुहम्मद सलेह	..	कांग्रेस
		फर्रुखाबाद		
१२३—छिबरामऊ	..	श्री जगेश्वर दयाल	..	कांग्रेस
१२४—कमालगंज	..	श्री लक्ष्मी नारायण	..	स्वतंत्र
१२५—शमसाबाद	..	श्री अल्ताफ हुसेन	..	,,
१२६—तालग्राम	..	श्री बालक राम	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
१२७—तिरवागंज	..	श्री गोबर्धन लाल वैश्य	..	स्वतंत्र
		फतेहपुर		
१२८—खागा	..	श्री हबीबुल रहमान	..	कांग्रेस
१२९—किशनपुर	..	श्री बेनी माधव	..	स्वतंत्र
		गढ़वाल		
१३०—श्रीनगर	..	श्री भास्कर नन्द मैथानी		स्वतंत्र

टाउन एरिया		चेयरमैन का नाम		सम्बन्धित पार्टी
१		२		३
		गाजीपुर		
१३१—बहादुरगंज	..	श्री नाजिमुद्दीन	..	स्वतंत्र
१३२—मुहम्मदाबाद	..	श्री अब्बासी गुलाम रहमानी		प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
१३३—सैदपुर	..	श्री महेश नन्द	..	कांग्रेस
१३४—जमनिया	..	श्री मुहम्मद तौहीद खां	..	स्वतंत्र
		गोंडा		
१३५—कटरा	..	श्री बेनी राम	..	कांग्रेस
१३६—खरगूपुर	..	श्री श्यामलाल	..	स्वतंत्र
		गोरखपुर		
१३७—गोला	..	श्री शंकर लाल	..	जनसंघ
१३८—पिपरैच	..	श्री गुलाब चन्द	..	कांग्रेस
१३९—नौतनवा	..	श्री राज नारायण	..	,,
१४०—सिसवा बाजार	..	श्री नवल किशोर सिंह	..	,,
१४१—बड़हलगंज	..	श्री उमा दत्त दुबे	..	,,
		हरदोई		
१४२—बेनीगंज	..	श्री त्रियुगी नरायन	..	स्वतंत्र
१४३—माधोगंज	..	श्री प्रताप नारायन	..	,,
१४४—मल्लावां	..	श्री इकबाल शंकर	..	,,
१४५—पाली	..	श्री भोला नाथ	..	कांग्रेस
		हमीरपुर		
१४६—मौदहा	..	श्री श्याम लाल	..	स्वतन्त्र
१४७—सुमेरपुर	..	श्री रामेश्वर प्रसाद	..	,,
		जालौन		
१४८—माधो गढ़	..	श्री नन्द किशोर	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
१४९—कडौरा	..	श्री कल्लू	..	स्वतन्त्र
		जौनपुर		
१५०—केराकत	..	श्री रुद्र दत्त	..	कांग्रेस
१५१—मछलीशहर	..	श्री राम किशोर	..	स्वतन्त्र

टाउन एरिया	चेयरमैन का नाम	सम्बन्धित पार्टी
१	२	३
१५२—मडियाहूं ..	श्री मुहम्मद इदरीस ..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
१५३—जाफराबाद ..	श्री विष्णु सहाय ..	कांग्रेस
	झांसी	
१५४—बरुवा सागर ..	श्री दया राम ..	कांग्रेस
१५५—जिरगांव ..	श्री राव सूरत सिंह ..	"
१५६—एरिच ..	श्री भगवत नरायन ..	"
१५७—गुर सराय ..	श्री नन्द किशोर ..	"
१५८—महरौनी ..	श्री जानकी प्रसाद ..	स्वतंत्र
१५९—मोठ ..	श्री सूर सिंह ..	"
१६०—रानीपुर ..	श्री गुलजारी लाल ..	"
१६१—तालबेहट ..	श्री राम कुमार ..	"
	कानपुर	
१६२—बिल्हौर ..	श्री असगर खां ..	कांग्रेस
१६३—बिठूर ..	श्री राव रामचन्द्र ..	"
१६४—झींझक ..	श्री पन्ना लाल ..	स्वतन्त्र
१६५—पुखरायां ..	श्री श्रीराम ..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
	खेरी	
१६६—खेरी ..	श्री हाफिज इमाम अली ..	स्वतन्त्र
१६७—पलिया ..	श्री शारदा प्रसाद ..	कांग्रेस
	लखनऊ	
१६८—अमेठी ..	श्री शाकिर अली ..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
१६९—गोशाईगंज ..	श्री मेंड़ी लाल वर्मा ..	स्वतन्त्र
१७०—काकोरी ..	श्री वली हैदर खां ..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
१७१—मलिहाबाद ..	श्री अहमद वली खां ..	स्वतन्त्र
	मैनपुरी	
१७२—बेवर ..	श्री जगदीश स्वरूप ..	स्वतन्त्र
१७३—भोगांव ..	श्री चिरौंजी लाल ..	"
१७४—फरहा ..	श्री राम स्वरूप ..	"
१७५—जसराना ..	श्री नन्दन सिंह ..	कांग्रेस
१७६—कुरावली ..	श्री पोह पाल सिंह ..	"
१७७—करहल ..	श्री मदन कुमार ..	स्वतन्त्र
१७८—सिरसागंज ..	श्री श्रीपत लाल ..	कांग्रेस

टाउन एरिया		चेयरमैन का नाम		सम्बन्धित पार्टी
१		२		३
		मथुरा		
१७९—बलदेव	..	श्री कांति प्रसाद	..	जनसंघ
१८०—छत्ता	..	श्री टीकम सिंह	..	स्वतन्त्र
१८१—फराह	..	श्री मथुरा प्रसाद	..	,,
१८२—सोंख	..	श्री मंगा लाल	..	,,
१८३—गोकुल	..	श्री विद्या भान प्रकाश	..	,,
१८४—महाबन	..	श्री छेदा लाल	..	,,
१८५—गोबर्द्धन	..	श्री विद्यमान प्रकाश	..	,,
१८६—राधा कुंड	..	श्री पुन्नी लाल	..	,,
१८७—राया	..	श्री जगदीश लाल	..	,,
१८८—सादाबाद	..	श्री सूरज बली	..	कांग्रेस
१८९—शाहपऊ	..	श्री भानु प्रकाश	..	स्वतन्त्र
		मिर्जापुर		
१९०—कछवा	..	श्री ठाकुर प्रसाद	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
१९१—घोरवल	..	श्री बनारसी प्रसाद	..	कांग्रेस
१९२—राबर्ट्सगंज	..	श्री भोला नाथ	..	स्वतन्त्र
		मेरठ		
१९३—अब्दुलपुर	..	श्री फखरुद्दीन	..	स्वतन्त्र
१९४—अमीनगर सराय	..	श्री राजा राम	..	,,
१९५—बाबूगढ़	..	श्री जगन लाल	..	,,
१९६—बक्सर खेरा	..	श्री राम चन्द्र	..	,,
१९७—छपरौली	..	श्री जगमन्दर दास	..	,,
१९८—फरीद नगर	..	श्री मुस्तफा खां	..	,,
१९९—गढ़मुक्तेश्वर	..	श्री इखलाक अली खां	..	,,
२००—खेकरा	..	श्री तारा चन्द	..	,,
२०१—कंकरखेरा	..	श्री जुगल किशोर	..	,,
२०२—लांवढ़	..	श्री मंजूर हसन	..	,,
२०३—मोदी नगर	..	श्री गूजर मल मोदी	..	,,
२०४—परीक्षित गढ़	..	श्री रतन लाल गर्ग	..	,,
२०५—फलाउदा	..	श्री अजीमुद्दीन	..	,,
२०६—मुरादनगर	..	श्री हसन अली खां	..	,,
		मुरादाबाद		
२०७—बहजोई	..	एलेक्शन नहीं हुआ	..	..
२०८—बछरांव	..	श्री रईस उद्दीन	..	कांग्रेस

टाउन एरिया		चेयरमैन का नाम		सम्बन्धित पार्टी
१		२		३
२०९—बिलारी	..	श्री कस्तूर चन्द	..	कांग्रेस
२१०—धनौरा	..	श्री राधे लाल	..	,,
२११—कांथ	..	श्री बुध सिंह	..	स्वतंत्र
२१२—कुंडार्की	..	श्री काजी हबीब अहमद	..	,,
२१३—नगवां सादात	..	श्री इकबाल हुसेन	..	कांग्रेस
२१४—सिरसी	..	श्री वसीह रसूल	..	,,
२१५—ठाकुरद्वारा	..	श्री बशीर अहमद	..	स्वतंत्र
		मुजफ्फरनगर		
२१६—बुधाना	..	श्री लाल सिंह	..	कांग्रेस
२१७—चरथावल	..	श्री गज्जू खां	..	,,
२१८—जानसठ	..	श्री जगत प्रसाद	..	,,
२१९—जलालाबाद	..	श्री जाहिद हुसेन	..	स्वतंत्र
२२०—झिझाना	..	श्री श्याम लाल	..	कांग्रेस
२२१—मीरनपुर	..	श्री राजाराम शर्मा	..	,,
२२२—पुरकाजी	..	श्री सैयद मुरतजा	..	स्वतंत्र
२२३—शाहपुर	..	श्री अता इलाही खां	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
२२४—सिसौली	..	श्री घमंडी सिंह	..	कांग्रेस
२२५—थानाभवन	..	डा० शफी मुहम्मद	..	,,
		नैनीताल		
२२६—जसपुर	..	श्री अमीर हुसेन	..	स्वतंत्र
२२७—टनकपुर	..	श्री चन्डी प्रसाद	..	,,
		प्रतापगढ़		
२२८—प्रतापगढ़	..	श्री बास देव सिंह	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
२२९—कटरा मेदनीगंज	..	श्री जगन्नाथ प्रसाद	..	कांग्रेस
२३०—मानिकपुर	..	श्री हकीम अब्दुल सलाम	..	,,
		पीलीभीत		
२३१—बिससांडा	..	श्री शिव प्रसाद	..	जन संघ
२३२—नियोरियां हुसेनपुर	..	श्री रियाज अहमद	...	प्रजा सोशलिस्टपार्टी
२३३—पूरनपुर	..	श्री मोहन लाल आचार्य	..	कांग्रेस
		रायबरेली		
२३४—बछरावां	..	श्री शीतला प्रसाद ..	..	कांग्रेस
२३५—डलमऊ	..	श्री गोपीनाथ	..	स्वतंत्र

टाउन एरिया		चेयरमैन का नाम		सम्बन्धित पार्टी
१		२		३
२३६—जायस	..	श्री जमील अहमद	..	कांग्रेस
२३७—लालगंज	..	श्री रामेश्वरी प्रसाद	..	स्वतंत्र
२३८—महराजगंज	..	श्री लालता प्रसाद		,,
		रामपुर		
२३९—विलासपुर	..	श्री फैयाज खां	...	कांग्रेस
२४०—केमरी	...	श्री कल्लन	..	स्वतंत्र
२४१—मिलक	..	श्री नासिर रजा खां	..	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
२४२—शाहाबाद	...	श्री अमजदअली खां	..	कांग्रेस
२४३—स्वार	...	श्री कुंडा बख्श	..	,,
२४४—टांडा	..	श्री वजउल रहमान जमाली	..	,,
		सहारनपुर		
२४५—अम्बेहटा	...	श्री देवेन्द्र कुमार	..	स्वतंत्र
२४६—बेहट	..	श्री शाह मसूद	..	कांग्रेस
२४७—चिलखाना	...	श्री महेन्द्र कुमार	..	स्वतंत्र
२४८—झबरेहरा	..	श्री भरत सिंह	..	,,
२४९—नाकुर	..	श्री सवरार हुसेन खां	..	,,
२५०—ननौता	..	श्री शमीउल्ला खां	..	,,
२५१—रामपुर	..	श्री आशा राम	..	,,
२५२—सरसावा	...	श्री राम नाथ	...	कांग्रेस
२५३—तितरों	..	श्री मुहम्मद यासीन खां	..	,,
		शाहपुर		
२५४—जलालाबाद	..	श्री इसरार हुसैन खां	..	स्वतंत्र
२५५—कटरा	..	श्री राजाराम शर्मा	..	कांग्रेस
२५६—पुवायां	...	कुमार सुरेन्द्र सिंह	..	स्वतंत्र
		सीतारामपुर		
२५७—लहरपुर	..	श्री अब्दुल हाफिज	...	कांग्रेस
		टेहरी-गढ़वाल		
२५८—कीर्तिनगर	..	श्री जीतेन्द्र प्रसाद	...	स्वतंत्र
२५९—मुनी की रेती	..	श्री नारायन स्वामी	..	,,
२६०—उत्तर काशी	..	श्री स्वामी ब्रह्मस्वरूप	..	कांग्रेस

टाउन एरिया	चेयरमैन का नाम	सम्बन्धित पार्टी
१	२	३
	उन्नाव	
२६१—बांगरमऊ ..	श्री चौधरी सुरेन्द्र सिंह ..	स्वतंत्र
२६२—भगवन्त नगर ..	श्री गंगा प्रसाद ...	,,
२६३—मौरावां ...	रायबहादुर प्रयाग नारायण...	कांग्रेस
२६४—पुरवा ..	श्री सीतला शंकर ..	स्वतंत्र
२६५—सफीपुर ...	श्री शम्भू रतन ..	कांग्रेस

उम्मीदवारों की सूची (पार्टी के आधार पर) जो चेयरमैनी के एलेक्शन में कामयाब हुये ।

जिले का नाम	नोटी फाइड एरिया	अध्यक्ष	सम्बन्धित पार्टी
१	२	३	४
१—बहराइच	भिनगा ..	श्री क्षेमेन्द्र कान्त सिंह ..	कांग्रेस
	नानपारा ..	श्री अख्तर हुसेन ..	स्वतंत्र
२—बलिया	रसरा ..	श्री शिव शंकर ..	कांग्रेस
३—बनारस	मुगलसराय ..	श्री पारस नारायण तिवारी	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
४—बांदा	करवी ..	श्री दुर्गा प्रसाद ..	स्वतंत्र
५—बाराबंकी	रुदौली ..	श्री लतीफुल रहमान ..	कांग्रेस
६—बरेली	बहेड़ी ..	श्री अब्दुल कयूम ..	स्वतंत्र
७—बिजनौर	नेहटौर ..	श्री इकबाल हुसैन ..	,,
८—बदायूं	बिलसी ..	श्री ज्ञान चन्द ..	कांग्रेस
	ककराला ..	श्री मुबारक अली खां ..	,,
९—एटा	मरेहरा ..	श्री सूरजभान ..	कम्यूनिस्ट
१०—गढ़वाल	कोटद्वारा ..	श्री प्रताप सिंह चौहान ..	स्वतंत्र
	दुगड्डा ..	श्री किशन दयाल ..	कांग्रेस
	पौड़ी ..	श्री अवतार सिंह ..	स्वतंत्र
११—गोंडा	नवाबगंज ..	श्री गया प्रसाद आजाद ..	कांग्रेस
	उतरौला ..	श्री कैलाश नाथ ..	,,
	कर्नलगंज-कम-सिकरौरा	श्री बद्री प्रसाद ..	,,
१२—हरदोई	सांडी ..	श्री कन्हैयालाल ..	स्वतंत्र
१३—जौनपुर	शाहगंज ..	श्री छेदीलाल ..	,,
	बादशाहपुर ..	श्री जमुना प्रसाद ..	,,
१४—झांसी	समथर ..	श्री भगवान दास ..	,,
१५—खेरी	मुहम्मदी ..	श्री जगन्नाथ प्रसाद ..	कांग्रेस
१६—मेरठ	बागपत ..	श्री शौकत हामिद खां ..	स्वतंत्र
	सरधना ..	श्री अब्दुल वहीद ..	,,
१७—मिर्जापुर	अहरौरा ..	डा० बृज मोहन गुप्त	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
१८—मुजफ्फरनगर	कांधला ..	श्री अहमद अली ..	स्वतंत्र
	खतौली ..	श्री राजाराम ..	,,
१९—नैनीताल	रामनगर ..	श्री रेवाधर ..	,,
	भुवाली ..	श्री प्रेमलाल शाह ..	कांग्रेस
२०—सहारनपुर	गंगोह ..	श्री काजी मसूद अहमद ..	स्वतंत्र
२१—सीतापुर	मिसरिख-कम-नीमसार ..	श्री महन्तवासुदेवपीर ..	,,
२२—टेहरीगढ़वाल	टेहरी ..	श्री महाबीर प्रसाद ..	,,
	नरेन्द्रनगर ..	श्री किशोर सिंह ..	,,
	देवप्रयाग ..	श्री नारायण ..	,,

APPENDIX 'A'

(See *on page no.* 170)

STATEMENT I

Party position of contestants for Chairman/President (party-wise):

Class of Local Bodies		Congress	Jan Sangh	Praja Socialist Party	Hindu Maha Sabha	Communist	Independent	Ram Rajya Parishad	Revolutionary Socialist Party	Total
Municipalities	..	106	30	43	3	..	145	..	1	328
Town Areas	..	181	23	62	..	4	339	..	2	611
Notified Areas	..	24	3	5	..	1	53	..	..	86
Grand Total	..	311	56	110	3	5	537	..	3	1025

APPENDIX 'B'

(See *on page* 171)

List of candidates (party-wise) who were successful in the election of Presidents

	Municipal Board	Name of Presidents	Party affiliation
1.	Fatehpur Sikri	Sri Ramji Lal	Congress.
2.	Atrauli	Sri Abdul Jalil Khan	Praja Socialist Party.
3.	Hathras	Sri Durga Prasad	Independent.
4.	Sikandra Rao	Sri Salig Ram	Do.
5.	Almora	Sri Laxmi Datt	Congress.
6.	Azamgarh	Sri Nageshwar Prasad	Do.
7.	Mau Nath Bhanjan	Sri Ishtiaq Abidi	Independent.
8.	Bahraich	Sri Basant Rai Bhandari	Do.
9.	Ballia	Sri Narain Ram	Do.
10.	Bhadohi	Sri Madan Lal	Congress
11.	Ramnagar	Sri Devendra Bahadur	Praja Socialist Party.
12.	Nawabganj	Sri Ram Singh	Ditto.
13.	Banda	Sri Chhotey Lal	Ditto.
14.	Basti	Sri Dharam Nath	Independent.
15.	Aomla	Sri Dina Nath	Congress.
16.	Bareilly	Sri Abdul Wajid	Independent.
17.	Bijnor	Sri M. Majid Husain	Congress.
18.	Chandpur	Sri Akhtar Husain Khan	Independent.
19.	Dhampur	Sri Kulmani Singh	Praja Socialist Party.
20.	Nagina	Sri Ahmad Raza	Independent.
21.	Najibabad	Sri Jagdish Prasad	Do.
22.	Budaun	Sri Ali Maqsood	Do.
23.	Sahaswan	Sri Mir Khurshed Ali	Parja Socialist Party.
24.	Ujhiani	Sri Purshotam Lal Bhadwar	Independent.
25.	Sikandrabad	Sri Jatan Swarup	Do.
26.	Khurja	Sri Murari Lal	Do.
27.	Debai	Sri Manohar Lal	Do.
28.	Bulandshahr	Sri Rajeshwar Dayal	Do.
29.	Anupshahr	Sri Narendra Nath Ganguly	Jan Sangh.
30.	Dehra Dun	Sri Mahant Indresh Charan Das	Congress.
31.	Mussoorie	Sri Ram Krishna Verma	Independent.
32.	Rishi Kesh	Sri Parshu Ram	Jan Sangh.
33.	Deoria	Sri Chandrama Prakash	Congress.
34.	Gaura Barhaj	Sri Gajanand	Do.

Municipal Board	Name of Presidents	Party affiliation
35. Padrauna	Sri Bindeshwari Prasad	Praja Socialist Party.
36. Etah	Sri Prushottam Dass	Jan Sangh.
37. Ganj Dund-wara	Sri Fasiul Islam	Praja Socialist Party.
38. Jalesar	Sri Nemi Chandra Jain	Congress.
39. Kasgunj	Sri Banwari Lal	Jan Sangh.
40. Soron	Sri Ram Niwas	Congress.
41. Auraiya	Sri Ambika Prasad	Independent.
42. Etawah	Sri Devi Dayal Dube	Do.
43. Faizabad	Sri Guru Dutt Singh	Jan Sangh.
44. Tanda	Sri Hyat Mohammad	Congress.
45. Farrukhabad	Sri Sarin Brij Nath Singh	Independent.
46. Kaimgunj	Sri Shiv Pal Singh	Jan Sangh.
47. Kannauj	Sri Seth Chandra Gupta	Independent.
48. Bindki	Sri Kedar Nath	Do.
49. Fatehpur	Sri Kesho Sharan	Praja Socialist Party.
50. Ghazipur	Sri Pabbar Ram	Independent.
51. Balrampur	Sri Baldeo Prasad	Congress.
52. Gonda	Sri Ishwar Sharan	Do.
53. Gorakhpur	Sri Lakshmi Shanker Verma.	Hindu Mahasabha.
54. Bilgram	Sri Shri Narain	Congress.
55. Hardoi	Sri Sarda Bux Singh	Jan Sangh.
56. Pihani	Sri Hamid Ali	Congress.
57. Sandila	Sri Wajahat Ali	Do.
58. Shahabad	Sri Basant Lal	Praja Socialist Party.
59. Charkhari	Sri Devki Nandan	Congress.
60. Hamirpur	Sri Khwaja Mazhar Uddin.	Independent.
61. Mahoba	Sri Baij Nath	Congress.
62. Rath	Sri Mool Chand Sharma	Do.
63. Jalaun	Sri Chaturbhuj Singhal	Do.
64. Kalpi	Sri Lallu Ram	Do.
65. Konch	Sri Ganesh Prasad	Socialist.
66. Orai	Sri Banwari Lal	Praja Socialist Party.
67. Jaunpur	Sri Mahrotra Baldeo Jee	Independent.
68. Jhansi	Sri Behari Lal Vashist	Do.
69. Lalitpur	Sri Brij Nandan	Do.
70. Mau Ranipur	Sri Kankane Hira Lal	Congress.
71. Gola Gokaran Nath	Sri Laxmi Narain	Do.
72. Lakhimpur	Sri Laxmi Narain Aga	Independent.
73. Mainpuri	Sri Hem Chandra	Congress.
74. Shikohabad	Sri Mansa Ram	Independent.

Municipal Board	Name of Presidents	Party affiliation
75. Kosi	Sri Chet Ram	Independent.
76. Vrindaban	Sri Vishambhar	Jan Sangh.
77. Mathura	Sri L. P. Nagar	Do.
78. Baraut	Sri Jagdish Prasad Jain	Independent.
79. Ghaziabad	Sri Ramanuj Dayal	Congress.
80. Hapur	Sri Tara Chand Modi	Independent.
81. Mawana	S.i Krishna Chandra Kaushik.	Do.
82. Meerut	Sri Ram Kripal Singh	Congress.
83. Pilakhua	Sri Prabhu Dayal	Do.
84. Chunar	Sri Daulat Singh	Praja Socialist Party.
85. Mirzapur	Sri Bhagwan Dass	Jan Sangh.
86. Amroha	Sri Mohd. Yasin	Independent.
87. Chandausi	Ch. Bhagwati Prasad	Do.
88. Hasanpur	Sri Yusuf Ali Khan	Praja Socialist Party.
89. Moradabad	Sri Abdul Qadeer	Independent.
90. Sambhal	Sri Nawabzada Mahmood Husain.	Do.
91. Kairana	Sri Riaz Ahmad	Congress.
92. Muzaffarnagar	Sri Joti Prashad	Independent.
93. Shamli	Sri Salekh Chand	Congress.
94. Kashipur	Sri Ram Niwas	Independent.
95. Naini Tal	Sri Manohar Lal	Congress.
96. Haldwani-*cum*-Kathgodam	Sri Daya Kishan Pande	Independent.
97. Bela Pratapgarh	Sri Jayanti Prasad Upadhyaya.	Congress.
98. Bisalpur	Sri Shri Gopal	Do.
99. Pilibhit	Srimati Rani Chandrawati	Do.
100. Rae Bareli	Sri Amrit Rai	Do.
101. Rampur	Sri M. Fariduddin	Praja Socialist Party.
102. Deoband	Sri Mohammad Usman	Congress.
103. Hardwar Union	Sri Panna Lal	Independent.
104. Manglaur	Sri Said Ahmad	Congress.
105. Roorkee	Sri Chandra Shekar	Independent.
106. Saharanpur	Sri Jamshed Ali Khan	Praja Socialist Party.
107. Tilhar	Sri Hikmatullah Khan	Congress.
108. Shahjahanpur	Sri Bishan Chandra Seth	Independent.
109. Biswan	Sri Mool Narain Mehrotra	Congress.
110. Khairabad	Sri Masroor Ahmad	Do.
111. Sitapur	Sri Shyam Kishore	Independent.
112. Sultanpur	Sri Ganpat Sahai	Congress.
113. Unnao	Sri Qasim Husain	Praja Socialist Party.

List of candidates (party-wise) who were successful in the election of Chairmen.

Name of Districts	Name of Town Areas	Name of Chairmen	Party affiliations
1. Agra	Achhnera	Sri Sheo Prasad	Independent.
	Bah	Sri Raja Ram	Do.
	Etmadpur	Sri Sheo Nath Singh	Do.
	Fatehabad	Sri Banwari Lal	Do.
	Jagner	Sri Prabhoo Lal	Do.
	Pinahat	Sri Narain Swaroop	Do.
	Shamshabad	Sri Baleshwar Nath	Praja Socialist Party.
	Tundla	Sri Bhagwan Swaroop	Congress.
2. Aligarh	Beswan	Sri Vidaya Swaroop	Do.
	Bijaigarh	Sri Devi Saran	Independent.
	Chharra	Sri Sia Ram	Congress.
	Harduaganj	Sri Sati Shankar	Independent.
	Hasain	Sri Suraj Pal Singh	Do.
	Jalali	Sri Sukhram	Do.
	Kauriaganj	Sri Nazir Ahmad	Do.
	Khair	Sri Ramesh Chandra	Do.
	Mendu	Sri Jamuna Prasad	Congress.
	Mursan	Sri Raj Bahadur Kishori Raman Singh	Independent.
	Pilkhana	Sri Riazul Hasan	Do.
	Purdilnagar	Sri Ghanshyam Das	Congress.
	Sasni	Sri Ramesh Prasad	Independent.
3. Allahabad	Bharatganj	Sri Manuddin	Do.
	Jhusi	Sri Rama Kant	Revolutionary Socialist Party.
	Mau Aima	Sri Abdul Hakeem	Congress.
	Phulpur	Sri Lalta Prasad	Praja Socialist Party.
	Sarai Aqil	Sri Raj Bahadur Lal	Independent.
	Sirsa	Sri Shri Krishna	Do.
4. Almora	Pithoragarh	Sri Khem Singh Saumya	Congress.
5. Azamgarh	Amila	Sri Nandan Ram	Communist.
	Atrauli	Sri Palak Dhari	Congress.
	Dohrighat	Sri Kalika Prasad	Independent.
	Kopaganj	Sri Haji Mohd. Idris	Congress.
	Mohammadabad	Sri Shah Hameedullah	Independent.
	Nizamabad	Sri Ranjit Prasad Gupta	Congress.
	Phulpur	Sri Daulat Lal	Praja Socialist Party.
	Mubarakpur	Sri Mohd. Amin	Congress.
	Sarai Mir	Sri Lakshmi Narain	Independent.
6. Bahraich	..	..	..

Name of Districts	Name of Town Areas	Name of Chairmen	Party affiliations
7. Ballia	Baragaon	Sri Madan Mohan	Praja Socialist Party.
	Bansdih	Sri Vir Vikram	Congress.
	Maniar	Sri Jawahar Singh	Do.
	Reoti	Sri Rama Nand	Independent.
	Sahatwar	Sri Sukh Deo Singh	Do.
	Sikandarpur	Sri Govind Prasad	Congress.
8. Banaras	Chakia	Sri Kanhaiya Lal	Do.
	Gangapur	Sri Nageshwar Prasad	Do.
	Gianpur	Sri Narottam Lal	Independent.
	Gopiganj	Sri Ram Narain Singh	Do.
	Sheopur	Sri Shyam Sunder Sharma	Congress.
9. Banda	Atarra	Sri Jaggannath Singh	Jan Sangh.
	Naraini	Sri Badri Prasad	Independent.
	Rajapur	Sri Sheo Naresh	Congress.
	Sitapur	Sri Gajraj Singh	Do.
10. Bara Banki	Bara Banki	Sri Mohd. Sitwat Ali	Do.
	Daryabad	Sri Rai Dina Nath Bali	Independent.
	Dewa	Sri Abdul Hai	Do.
	Fatehpur	Sri Mohd. Satur	Congress.
	Ramnagar	Sri Krishna Narain Singh	Do.
	Satrikh	Sri Jamil Tahir	Do.
	Tikaitnagar	Srimati Munni Devi	Praja Socialist Party.
	Zaidpur	Sri Mohd. Umar	Independent.
11. Basti	Mehdawal	Sri Ayodhya Prasad	Jan Sangh.
12. Bareilly	Faridpur	Sri Radhey Lal	Independent.
	Fatehganj East	Sri Bharosey Lal	Do.
	Nawabganj	Sri Abdul Aziz	Do.
	Richa	Sri Nazir Ahmad	Do.
	Senthal	Sri Dabir Husain	Do.
	Shahi	Sri Hamid Raza Khan	Do.
	Shishgarh	Sri Nazir Ahmad	Do.
	Sirauli	Sri Jamaluddin	Do.
13. Bijnor	Afzalgarh	Sri Allah Bux	Congress.
	Haldaur	Sri Mahendra Kumar Singh	Independent.
	Jhalu	Sri Brij Bhushan Saran	Do.
	Kiratpur	Sri Mohd. Hidayat Ullah	Congress.
	Mandawar	Sri Rajab Ali Khan	Do.
	Sahanpur	Sri Abdul Hamid	Do.
	Seohara	Sri Usman Ali Khan	Do.
	Sherkot	Sri Israr Ullah	Independent.

Name of Districts	Name of Town Areas	Name of Chairmen	Party affiliations
14. Badaun	Alapur	Sri Raja Ram	Congress.
	Bisauli	Sri Mahendra Pal	Independent.
	Dataganj	Sri Dharam Pal	Do.
	Gawan	Sri Karam Singh	Congress.
	Gunnaur	Sri Farooq Ali Mohd.	Independent.
	Islamnagar	Sri Ved Prakash	Do.
	Mundia	Sri Narendra Deo *alias* Nar Deo	Do.
	Usehat	Sri Tribeni Sahai	Congress.
15. Bulandshahr	Aurangabad	Sri Mohd. Mahbub Ali	Do.
	Bilaspur	Sri Shyam Lal	Do.
	Chhatari	Sri Devi Prasad	Do.
	Dadri	Sri Bishambhar Dayal	Independent.
	Dankaur	Sri Girdhari Lal	Jan Sangh.
	Gulaothi	Sri Surbachan Singh	Independent.
	Jahangirabad	Sri Jamshed Ali Khan	Do.
	Jewar	Sri Mahendra Pratap Singh	Do.
	Kakori	Sri Ismail Khan	Praja Socialist Party.
	Pahasu	Sri Bahori Lal	Independent.
	Raghupura	Sri Girwar Singh	Jan Sangh.
	Shikarpur	Ch. Raghuraj Singh	Independent.
	Siana	Sir Bishambar Singh	Praja Socialist Party.
16. Dehra Dun	Caoharpur	Sri Brahm Dutta	Independent.
17. Deoria	Captainganj	Sri Ram Sundar	Jan Sangh.
	Lar	Sri Maqsood Ahmad	Congress.
	Rampur	Sri Rameshwar Singh	Do.
	Rudrapur	Sri Raja Ram	Independent.
18. Etah	Imanpur	Sri-Munshi Lal	Congress.
	Aliganj	Sri Raj Bahadur	Independent.
	Awagarh	Sri Digvijai Pal Singh	Congress.
	Bilram	Sri Mustjab Husain	Do.
	Mohanpur	Sri Chatter Sen	Do.
	Nidhauli Kalan	Sri Chhattar Pal Singh	Do.
	Patiali	Sri Jagdish Chandra	Independent.
	Rampur	Sri Nathu Ram	Do.
	Sahawar	Sri Mohd. Shuab Khan	Do.
	Sakit	Sri Sia Ram	Do.

Name of Districts	Name of Town Areas	Name of Chairmen	Party affiliations
19. Etawah	Bharthana	Sri Bhagwati Sahai	Independent.
	Ekdil	Sri Vishwanath	Do.
	Jaswantnagar	Sri Abdul Aziz	Do.
	Lakhna	Sri Raj Bahadur Singh	Do.
	Phaphund	Sri Basant Lal	Congress.
20. Faizabad	Akbarpur	Sri Sirajul Haq	Praja Socialist Party.
	Bhadarsa	Sri Nasir Husain	Do.
	Goshainganj	Sri Harihar Prasad	Do.
	Jalalpur	Sri Mohd. Saleh	Congress.
21. Farrukhabad	Chibramau	Sri Jageshwar Dayal	Do.
	Kamalganj	Sri Lakshmi Narain	Independent.
	Shamshabad	Sri Altaf Husain	Do.
	Talgram	Sri Balak Ram	Praja Socialist Party.
	Tirwaganj	Sri Goverdhan Lal Vaish	Independent.
22. Fatehpur	Khaga	Sri Habib-ul Rehman	Congress.
	Kishanpur	Sri Beni Madhawa	Independent.
23. Garhwal	Srinagar	Sri Bhaskar Nand Maithani	Do.
24. Ghazipur	Bahadurganj	Sri Nizamuddin	Independent.
	Muhammadabad	Sri Abbasi Gulam Rahmani	Praja Socialist Party.
	Saidpur	Sri Maheshanand	Congress.
	Zamania	Sri Mohd. Tauhid Khan	Independent.
25. Gonda	Katra	Sri Beni Ram	Congress.
	Kharugpur	Sri Shyam Lal	Independent,
26. Gorakhpur	Gola	Sri Shanker Lal	Jan Sangh.
	Pipraich	Sri Gulab Chand	Congress.
	Nautanwa	Sri Raj Narain	Do.
	Siswabazar	Sri Nawal Kishore Singh	Do.
	Barhalganj	Sri Uma Dutt Dubey	Do.
27. Hardoi	Beniganj	Sri Trijugi Narain	Independent.
	Madhoganj	Sri Pratap Narain	Do.
	Mallawan	Sri Iqbal Shankar	Do.
	Pali	Sri Bhola Nath	Congress.
28. Hamirpur	Maudaha	Sri Shyam Lal	Independent
	Sumerpur	Sri Rameshwar Prasad	Do.
29. Jalaun	Madhogarh	Sri Nand Kishore	Praja Socialist Party.
	Kadaura	Sri Kallu	Independent.

Name of Districts	Name of Town Areas	Name of Chairmen	Party affiliations
30. Jaunpur	Kerakat	Sri Rudra Dutt	Congress.
	Machhlishahr	Sri Ram Kishore	Independent.
	Mariahun	Sri Mohd. Idris	Praja Socialist Party.
	Zafrabad	Sri Vishnu Sahai	Congress.
31. Jhansi	Barwasagar	Sri Daya Ram	Do.
	Chirgaon	Sri Rao Murat Singh	Do.
	Erich	Sri Bhagwat Narain	Do.
	Gursarai	Sri Nand Kishore	Do.
	Mahroni	Sri Janki Prasad	Independent.
	Moth	Sri Suragh Singh	Do.
	Ranipur	Sri Gulzari Lal	Independent.
	Talbehat	Sri Ram Kumar	Do.
32. Kanpur	Bilhaur	Sri Asghar Khan	Congress.
	Bihtoor	Sri Rao Ram Chandra	Do.
	Jhinjhak	Sri Panna Lal	Independent.
	Pokhrayan	Sri Shri Ram	Praja Socialist Party.
33. Kheri	Kheri	Sri Hafiz Imam Ali	Independent.
	Palia	Sri Sharda Prasad	Congress.
34. Lucknow	Amethi	Sri Shakir Ali	Praja Socialist Party.
	Goshainganj	Sri Mendi Lal Verma	Independent.
	Kakori	Sri Wali Hyder Khan	Praja Socialist Party.
	Malihabad	Sri Ahmad Wali Khan	Independent.
35. Mainpuri	Bewar	Sri Jagdish Swaroop	Do.
	Bhongaon	Sri Chirenji Lal	Do.
	Pharha	Sri Ram Swaroop	Do.
	Jasrana	Sri Nandan Singh	Congress.
	Kuraoli	Sri Pokhpal Singh	Do.
	Karhal	Sri Madan Kumar	Independent.
	Sirsaganj	Sri Sri Pat Lal	Congress.
36. Mathura	Baldeo	Sri Kanti Prasad	Jan Sangh.
	Chhata	Sri Tikam Singh	Independent.
	Farah	Sri Mathura Prasad	Do.
	Sonkh	Sri Manga Lal	Do.
	Gokul	Sri Vidya Bhan Prakash	Do.
	Mahaban	Sri Cheda Lal	Do.
	Gobardhan	Sri Vidyaman Prakash	Do.
	Radhakund	Sri Punni Lal	Do.
	Raya	Sri Jagdish Lal	Do.
	Sadabad	Sri Suraj Bali	Congress.
	Shapau	Sri Bhanu Prakash	Independent.

Name of Districts	Name of Town Areas	Name of Chairmen	Party affiliations
37. Mirzapur	Kachwa	Sri Thakur Prasad	Praja Socialist Party.
	Ghorawal	Sri Banarsi Prasad	Congress.
	Robertsganj	Sri Bhola Nath	Independent.
38. Meerut	Abdullapur	Sri Fakhruddin	Do.
	Aminagar Sarai	Sri Raja Ram	Do.
	Babugarh	Sri Jagan Lal	Do.
	Baksarkhera	Sri Ram Chandra	Do.
	Chaprauli	Sri Jagmandar Das	Do.
	Faridnagar	Sri Mustafa Khan	Do.
	Garhmukteswar	Sri Ikhlaq Ali Khan	Do.
	Khekra	Sri Tara Chand	Do.
	Kankarkhera	Sri Jugul Kishore	Do.
	Lawar	Sri Manzoor Hasan	Do.
	Modinagar	Sri Gujar Mal Modi	Do.
	Parichhatgarh	Sri Ratan Lal Garg	Do.
	Phalenda	Sri Azimuddin	Do.
	Muradnagar	Sri Hasan Ali Khan	Do.
39. Moradabad.	Bahjoi	...	..
	Bachraon	Sri Raisuddin	Congress.
	Bilari	Sri Kastur Chand	Do.
	Dhanaura	Sri Radhey Lal	Do.
	Kanth	Sri Budh Singh	Independent.
	Kundarki	Sri Qazi Habib Ahmad	Do.
	Magawan Sadat	Sri Iqbal Hussain	Congress.
	Sirsi	Sri Wasih Rasul	Do.
	Thakurdwara	Sri Bashir Ahmad	Independent.
40. Muzaffarnagar.	Budhana	Sri Lal Singh	Congress.
	Chartawal	Sri Gajju Khan	Do.
	Jansath	Sri Jagat Prasad	Do.
	Jalalabad	Sri Zahid Husain	Independent.
	Jhinjhana	Sri Shyam Lal	Congress.
	Miranpur	Sri Raja Ram Sharma	Do.
	Pur Qazi	Sri Syed Murtaza	Independent.
	Shahpur	Sri Ata Ilahi Khan	Praja Socialist Party.
	Sisauli	Sri Ghamandi Singh	Congress.
	Thanabhawan	Sri Shafi Mohammad	Do.
41. Naini Tal	Jaspur	Sri Amir Husain	Independent.
	Tanakpur	Sri Chandi Prasad	Do.
42. Pratapgarh.	Pratapgarh	Sri Bas Deo Singh	Praja Socialist Party.
	Katra Medniganj.	Sri Jagannath Prasad	Congress.
	Manikpur	Sri Hakim Abdul Salam	Do.

Name of Districts	Name of Notified Areas	Name of Chairmen	Party affiliations
43. Pilibhit	Bilsanda	Sri Shiva Prasad	Jan Sangh.
	Husainpur	Sri Riaz Ahmad	Praja Socialist Party.
	Puranpur Neoria	Sri Mohan Lal Acharya	Congress.
44. Rae Bareli.	Bachrawan	Sri Sitla Prasad	Do.
	Dalmau	Sri Gopinath	Independent.
	Jais	Sri Zamal Ahmad	Congress.
	Lalganj	Sri Rameshwari Prasad	Independent.
	Maharajganj	Sri Lalta Prasad	Do.
45. Rampur	Bilaspur	Sri Fyaz Khan	Congress.
	Kemri	Sri Kallan	Independent.
	Milak	Sri Nasir Raza Khan	Praja Socialist Party.
	Shahabad	Sri Amjad Ali Khan	Congress.
	Suar	Sri Khuda Bux	Do.
	Tanda	Sri Wajaul Rahman Jamati	Do.
46. Saharanpur.	Ambehta	Sri Davendra Kumar	Independent.
	Behat	Sri Shah Masood	Congress.
	Chilkhana	Sri Mahendra Kumar	Independent.
	Jhabrara	Sri Bharat Singh	Do.
	Nakur	Sri Ibrar Husain Khan	Independent.
	Nanauta	Sri Samiullah Khan	Do.
	Ramsur	Sri Asa Ram	Do.
	Sarsawa	Sri Ram Nath	Congress.
	Titron	Sri Mohd. Yasin Khan	Do.
47. Shahjahanpur	Jalalabad	Sri Israr Husain Khan	Independent.
	Katra	Sri Raja Ram Sharma	Congress.
	Pawayan	Kr. Surendra Singh	Independent.
48. Sitapur	Laharpur	Sri Abdul Hafiz	Congress.
49. Sultanpur	..	..	..
50. Theri-Garhwal	Kirti Nagar	Sri Jitendra Prasad	Independent.
	Muni-ki-Reti	Sri Narain Swami	Do.
	Uttaar Kashi	Swami Brahm-Swaroopanand	Congress.
51. Unnao	Bangarmau	Ch. Surendra Singh	Independent.
	Bhagwantnagar	Sri Ganga Prasad	Do.
	Maurawan	Rai Bahadur Prayag Narain.	Congress.
	Purwa	Sri Sitla Shankar	Independent
	Safipur	Sri Shamboo Ratan	Congress.

List of candidates (party-wise) who were successful in the election of Presidents

Name of Districts	Name of Notified Areas	Name of Presidents	Party affiliations
1. Bahraich	Bhinga	Sri Kshamendra Kant Singh	Congress.
	Nanpara	Sri Akhtar Husain	Independent.
2. Ballia	Rasra	Sri Sheo Shankar	Congress.
3. Banaras	Mughal Sarai	Sri Paras Nath Tewari	Praja Socialist Party.
4. Banda	Karwi	Sri Durga Prasad	Independent.
5. Bara Banki	Rudauli	Sri Latiful Rehman	Congress.
6. Bareilly	Baheri	Sri Abdul Qayum	Independent.
7. Bijnor	Nehtaur	Sri Iqbal Husain	Do.
8. Budaun	Bilsi	Sri Gayan Chand	Congress.
	Kakrala	Sri Mubarik Ali Khan	Do.
9. Etah	Marehra	Sri Suraj Bhan	Communist.
10. Garhwal	Kotdwara	Sri Pratap Singh Chauhan	Independent.
	Dogadda	Sri Kishan Dayal	Congress.
	Pauri	Sri Autar Singh	Independent.
11. Gonda	Nawabganj	Sri Gaya Prasad Azad	Congress.
	Utraula	Sri Kailash Nath	Do.
	Colonelganj-*cum*-Sikraura	Sri Badri Prasad	Do.
12. Hardoi	Sandi	Sri Kanhaiya Lal	Independent.
13. Jaunpur	Shahganj	Sri Chhedi Lal	Do.
	Badshahpur	Sri Jamuna Prasad	Do.
14. Jhansi	Samthar	Sri Bhagwan Das	Do.
15. Kheri	Muhamdi	Sri Jagannath Prasad	Congress.
16. Meerut	Baghpat	Sri Shaukat Hamid Khan	Independent.
	Sardhana	Sri Abdul Waheed	Do.
17. Mirzapur	Ahraura	Dr. Brij Mohan Gupta	Praja Socialist Party.
18. Muaffarnagar	Kandhla	Sri Ahmad Ali	Independent.
	Khatauli	Sri Raja Ram	Do.
19. Naini Tal	Ram Nagar	Sri Rewa Dhar	Do.
	Bhowali	Sri Prem Lal Shah	Congress.
20. Saharanpur	Gangoh	Sri Qazi Masood Ahmad	Independent.
21. Sitapur	Misrikh-*cum*-Nimsar	Sri Mahant Basudeo Gir	Do.
22. Tehri-Garhwal	Tehri	Sri Mahabir Prasad	Do.
	Narendranagar	Sri Kishore Singh	Do.
	Deo Prayag	Sri Sri Narain	Do.

पी० एस० यू० पी०—२३३ एल० सी०—१९५४—८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

१९ फरवरी, १९५४

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) की सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५४)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
मान पाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
विश्व नाथ, श्री
वेणी प्रसाद टंडन, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे :

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)।
श्री चन्द्र भानु गुप्त (स्वास्थ्य व रसद मंत्री)।
श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री)।

प्रश्नोत्तर

(१५ फरवरी, १९५४ के लिये निर्धारित प्रश्न जो स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री की इच्छानुसार १६ फरवरी, १९५४ के लिये स्थगित कर दिये गये थे)

यूनानी रसायन शाला, लखनऊ का आय-व्यय

१—श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—सरकार ने मेरे प्रश्न संख्या ३—४ का जो राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी रसायनशाला, लखनऊ के आय-व्यय के संबंध में थे, गत १७ अप्रैल, १९५३ को उत्तर दिया था कि अभी सामग्री एकत्र की जा रही है, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सामग्री कितने वर्ष में एकत्र हो जायगी?

श्री चन्द्र भानु गुप्त (स्वास्थ्य व रसद मंत्री)—उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर तालिका* में संलग्न है।

श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन—पहले सवाल के संबंध में बतलाया गया कि कितना लाभ हुआ है तो क्या सरकार यह कृपा करके बतलायेगी कि औषधियों के मूल्य पर, किस अनुपात से लाभ लिया जाता है?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—अनुपात इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन जैसा कि जवाब में बताया गया है कि जितनी दवाइयां पहले हर अस्पताल में दी जाती थीं और अब हम अस्पतालों में दे रहे हैं उसके अनुपात से जितनी अधिक दवाइयां हम दे सकें वे दी जायेंगी और उसी का मुनाफा इसके उत्तर में दिया गया है।

श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन—क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर रही है कि सर्वसाधारण को लखनऊ के इस औषधालय से औषधियां प्राप्त हो सकें?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—हां, यदि फार्मेसी लम्बे पैमाने पर हो जायेगी, उसकी इमारत ठीक बन जायगी और बिजली इत्यादि लग जायेगी तो कदाचित यह संभव हो कि आम आदमी को इस फार्मेसी की बनी हुई दवाइयां दे सकें। अभी स्वयं सरकार अपने अस्पतालों में जो दवाइयां यहां पर तैयार होती हैं उनको इस्तेमाल करती है। अभी उन्हीं के लिये बनाने की योजना है।

श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि सन् ५४ के बजट में जो हमारे नए सफेखाने खुलेंगे उनके लिये भी अनुदान रखा गया है?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—जब कल बजट आपके सामने आयेगा तब जानकारी हो जाएगी। बजट के संबंध में पहले से बातें नहीं बतलाई जा सकती हैं।

२—श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन—(क) क्या सरकार को मालूम है कि राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी रसायनशाला, लखनऊ का सामान और कभी-कभी औषधि भी मैदान में पड़ी रहती है, जिससे बड़ी हानि हो रही है?

(ख) क्या सरकार वहां शेड बनवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—(क) जी हां, स्थानाभाव के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है परन्तु इसके लिये उचित प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

---

*देखिए नत्थी "क" २६१ पृष्ठ पर।

३—श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन—(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि उक्त रसायनशाला का वर्तमान भवन असुविधाजनक, अनुपयुक्त, अपर्याप्त, जीर्ण तथा अवैज्ञानिक है ?

(ख) क्या सरकार उसके लिये एक उचित भवन निर्माण कराने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—(क) जी हां।

(ख) जिस इमारत में फार्मेसी है उसको खरीदकर सरकार पुनः निर्माण कराने का विचार कर रही है।

४—श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी मशीनें कितने वर्ष से, कितने मूल्य की उक्त रसायन शाला में बेकार पड़ी हैं ?

(ख) क्या उनकी फिटिंग अभी तक नहीं हुई है ?

(ग) यदि मशीनों की फिटिंग नहीं हुई है, तो क्यों ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—(क), (ख) तथा (ग) लगभग २०,००० रुपये की मशीनें जो सन् १९५० में क्रय की गयीं, अभी तक स्थानाभाव के कारण नहीं लग सकीं।

५—श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन—(क) क्या सरकार को मालूम है कि आजकल मामूली रसायन शालाओं में कुटाई, पिसाई, रगड़ाई, टिकिया, गोली बनाने आदि के कार्य आधुनिक मशीनों तथा बिजली द्वारा किये जाते हैं, किन्तु राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी रसायनशाला, लखनऊ में अभी तक इस कार्य के लिये बिजली नहीं दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—(क) तथा (ख) सरकार को दूसरे रसायनशालाओं में मशीनों और बिजली द्वारा कार्य किये जाने की सूचना नहीं है। सरकारी रसायनशाला की इमारत के ठीक न होने के कारण उसमें अभी मशीनों के चलाने के लिये बिजली नहीं लग सकी है। इमारत खरीद लेने पर व उसके मरम्मत हो जाने के पश्चात् इसके शीघ्र प्रबंध हो जाने की आशा है।

६—११—डाक्टर वीरभानु भाटिया (नाम निर्देशित) (अनुपस्थित)—स्थगित।

मेडिकल रिसर्च के लिये वार्षिक अनुदान

*१२—डाक्टर वीर भानु भाटिया (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मेडिकल रिसर्च के लिये वार्षिक कुल कितना अनुदान रक्खा गया है ?

12—**Doctor Bir Bhan Bhatia** (*absent*). Will the Government be pleased to state the total amount of annual grant for medical research ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—मेडिकल रिसर्च के लिये २५,४६० रु० का वार्षिक अनुदान रखा गया, जिसमें से १६,५०० रु० किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ और ८,९६० रु० सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में प्रतिवर्ष व्यय किया जाता है।

Sri Chandra Bhanu Gupta: The total amount of annual grant for medical research is Rs. 25,460, out of this a sum of Rs. 16,500 is paid annually to the King George Medical College, Lucknow and a sum of Rs. 8,960 is spent at the Sarojini Naidu Medical College, Agra.

*प्रश्न संख्या १२ श्री वेणी प्रसाद टंडन—द्वारा पूछा गया।

१३—१४—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

श्री शफ़ायत उल्ला खां का शिकायती-पत्र

१५—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या यह ठीक है कि कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र पीलीभीत निवासी श्री शफाअत उल्ला खां ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, फूड तथा सिविल सप्लाइज तथा जिलाधीश, पीलीभीत के पास अगस्त, १९५० में भेजा था?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—जी हां, अगस्त सन् १९५० ई० में पीलीभीत, निवासी श्री शफाअत उल्ला खां ने एक शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री के नाम भेजा था और उसकी एक प्रति जिलाधीश, पीलीभीत के पास भेजी थी।

१६—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—(क) क्या यह सच है कि उक्त प्रार्थना-पत्र में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें थीं और वह जिक्र था कि किसी व्यक्ति विशेष ने टीन सीमेंट पाइप और सरिया के परमिट प्राप्त करके उस सामान को ब्लेक में बेच लिया?

(ख) यदि हां तो उस व्यक्ति का नाम क्या है?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—(क) जी हां।

(ख) श्री शिव कुमार शर्मा शास्त्री।

१७—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या सरकार उक्त प्रार्थना-पत्र की एक नकल मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—एक प्रति* मेज पर रखी जाती है।

१८—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्र में लिखी बातों की कोई जांच की गई? यदि हां, तो जांच का फल क्या हुआ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—जी हां। प्रार्थना-पत्र में लिखी हुई शिकायतों की जांच की गई। जांच के फलस्वरूप नीचे लिखी बातों का पता लगा:—

(१) पहली शिकायत थी कि श्री शिव कुमार शर्मा अपने को राजनैतिक पीड़ित बताते हैं किन्तु वास्तव में वे राजनैतिक पीड़ित नहीं हैं। जांच से यह ज्ञात हुआ कि यह शिकायत सही है और श्री शिव कुमार शर्मा राजनीतिक पीड़ित नहीं हैं।

(२) दूसरी शिकायत यह थी कि उपरोक्त व्यक्ति ने कपड़े के दो लाइसेंस प्राप्त कर लिये हैं। यह सही था कि एक लाइसेंस श्री शिव कुमार शर्मा के पिता श्री दयाशंकर के नाम व्यापार में होने के कारण दिया गया था और दूसरा लाइसेंस दया शंकर शिवकुमार के नाम में राजनैतिक पीड़ित होने के आधार पर जून सन् १९५० ई० में प्राप्त हुआ था। किन्तु दूसरे लाइसेंस को उन्होंने स्वयं १० सितम्बर, १९४९ ई० को परित्याग कर दिया।

(३) तीसरी शिकायत यह थी कि उपरोक्त व्यक्ति का २५ हार्स पावर बिजली का कनेक्शन चूना और रोड़ा मिल के वास्ते दिया गया था लेकिन इससे आटे और चावल की चक्कियां चलाई जा रही थीं। जांच करने पर यह मालूम हुआ कि उस व्यक्ति को अपनी बिजली से सुर्खी मिल के अतिरिक्त, आटे की चक्की, धान मशीन और आटा मशीन चलाने की भी स्वीकृति थी।

(४) चौथी शिकायत गृह निर्माण संबंधी नियंत्रित वस्तुओं की प्राप्ति और उसके दुरुपयोग के सम्बंध में थी। उपरोक्त व्यक्ति ने ५० बोरी सीमेंट और ३७५

*देखिए नत्थी "ख" पृष्ठ २६२ पर)

फीट पाइप के परमिट सीमेंट एडवाइजर, कानपुर तथा प्रान्तीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कानपुर से १९४९–५० में प्राप्त किए थे किन्तु परमिटों की अवधि समाप्त हो जाने के कारण वे इस पर माल खरीद न सके। शिकायत में यह भी बताया गया था कि ४ टन सरिया और ४ टन टिन भी प्राप्त किया और उसका दुरुपयोग किया।

सरिया का कोई परमिट प्राप्त नहीं किया गया था और टिन का दो टन चार हंडरवेट का परमिट प्राप्त किया गया था किन्तु इसके दुरुपयोग का कोई प्रमाण नहीं मिला।

(५) पांचवीं शिकायत यह थी कि उपरोक्त व्यक्ति ने तीन मकान रहने के लिये और ९ स्थान व्यापार के लिये प्राप्त कर लिये थे। जांच से यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त व्यक्ति के पास एक रहने के लिये मकान और एक दूकान कंट्रोल से पूर्व से चलते आ रहे हैं, इसके अलावा तीन दूकानें उस व्यक्ति ने आटा की चक्कियों को चलाने के लिय प्राप्त किए हैं जिसमें से दो दूकानें श्री बांकेलाल, प्रधान, जिला कांग्रेस कमेटी, पीलीभीत के नाम ऐलाट की गई थीं। अन्य दूकानें उन्होंने मालिक मकान से एलाटमेंट बिना ही प्राप्त कर ली थीं।

चूंकि जांच में कोई ऐसी बात प्राप्त नहीं हुई जिसके कारण श्री शिवकुमार शर्मा पर मुकद्दमा चलाया जाता या प्राप्त की हुई सुविधा रद्द की जाती, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही संभव न हो सकी।

१९—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय आयरन तथा स्टील कंट्रोलर के कार्यालय से पिछले पांच वर्षों में प्रश्न १६ में वर्णित व्यक्ति के नाम कितने परमिट पाइप, टीन तथा सरिया के जारी हुए और कितनी कितनी quantity के जारी हुए और किन किन तारीखों में जारी हुए?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—प्रान्तीय नियंत्रक के कार्यलय से पिछले पांच वर्षों में श्री शिव कुमार शर्मा के नाम टीन और पाइप के जो परमिट जारी हुए उनकी सूची* इस प्रकार है।

२०—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन वर्षों में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर के कार्यालय से उक्त व्यक्ति के नाम सीमेंट, टीन, सरिया तथा पाइप के कितने परमिट किन–किन तारीखों में कितनी–कितनी quantity के जारी हुए?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—पीलीभीत सप्लाई अफसर के कार्यालय से कोई परमिट जारी नहीं हुए।

२१—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर पीलीभीत ने उक्त व्यक्ति द्वारा परमिट से प्राप्त पाइप seize किया था? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि:

(१) कितने फुट पाइप seize किया गया था?

(२) किन कारणों से seize किया गया था?

(३) श्री शिव कुमार शर्मा शास्त्री अथवा पंडित दयाशंकर का उक्त पाइप का परमिट किस कार्यालय से किन हालात में जारी किया गया था?

---

*सूची के लिए देखिए नत्थी "ग" पृष्ट २६५ पर)

(४) उपरोक्त seized pipe का फिर क्या हुआ ?

(५) (क) क्या कोई कार्यवाही इस संबंध में की गई ?

(ख) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--जी हां।

(१) ४९० फीट पाइप पकड़ा गया था।

(२) जांच से यह ज्ञात हुआ कि परमिट प्राप्त किए व्यक्ति को इस पाइप की आवश्यकता नहीं थी।

(३) यह पाइप का परमिट श्री दयाशंकर के नाम जारी हुआ था। परमिट प्रान्तीय नियंत्रक के कार्यालय से जारी किया गया था। प्रान्तीय नियंत्रक ने यह परमिट उद्योग विभाग के विशेषज्ञ अधिकारी श्री विघम के सिफारिश पर खेती की सिचाई के लिये जारी किया था।

(४) उपरोक्त पाइप का परमिटों द्वारा जिलाधीश ने जिन लोगों को आवश्यकता थी, उन्हें बांट दिया।

(५) (क) जो कार्यवाही की गई वह बता दी गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

अरुन कुमारी चन्दोला की सर तेज बहादुर सप्रू हास्पिटल, इलाहाबाद में मृत्यु

२२--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या यह ठीक है कि अरुन कुमारी चन्दोला नाम की एक मरीज बच्ची सर तेज बहादुर सप्रू हास्पिटल, इलाहाबाद में ३० दिसम्बर सन् १९५२ को आपरेशन के समय मर गई ?

22. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** : (Teachers Constituency). Is it a fact that a child patient named Aruna Kumari Chandola died during the course of operation on 30th December. 1952, in Sir Tej Bahadur Sapru Hospital, Allahabad ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--जी हां ।

Sri Chandra Bhanu Gupta : Yes.

२३--श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या यह ठीक है कि बच्ची के वालदन ने इस बात की सरकार से शिकायत की और मुक्य मंत्री और गवर्नर को भी चिट्ठयां लिखीं कि अस्पताल के अफसरों की लापरवाही के कारण बच्ची की मौत हो गई ?

23. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** : Is it a fact that the parents of the child complained to the Government and addressed letters to the Chief Minister and the Governor saying that the death had been caused due to negligence by the officers of the Hospital ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--जी हां।

Sri Chandra Bhanu Gupta : Yes.

२४--श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार को ज्ञात है कि अमृत पत्रिका ने जनवरी, १९५३ में अपने कुछ अंकों में इस मामले को प्रकाशित किया था ?

24. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**: Are the Government aware that the matter also appeared in some of the issues of *Amrita Bazar Patrika*, in the month of January, 1953 ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--जी हां।

Sri Chandra Bhanu Gupta: Yes.

२५--श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या यह ठीक है कि सरकार ने बच्ची के वाल्देन से यह वादा किया था कि इस मामले की आवश्यक जांच की जायेगी ?

25. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**: Is it a fact that the Government had promised to the parents that necessary enquiries would be conducted into the matter ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--लड़की की माता को यह लिखा गया था कि जांच की जा रही है और नतीजा बाद में सूचित किया जायगा ?

Sri Chandra Bhanu Gupta: The mother of the girl was informed that the case was being enquired into and that the result would be duly intimated.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार समझती है कि जो जांच की गई वह ठीक वक्त से की गई, उस में देरी नहीं हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जांच में देरी नहीं हुई, जब सरकार के पास इतला आई और कुछ अखबारों में भी शिकायतें निकलीं तो जाचं तुरन्त ही की गई !

श्री कन्हैया लाल गुप्त--लेकिन यह जो स्मृति-पत्र भेजा गया वह उनके वालदेन को नवम्बर में मिला, काफी देर में मिला इसलिए उनका ऐसा ख्याल करना स्वाभाविक था ।

श्री चन्द्र भानु गुप्त--जांच तो उसी समय हुई, लेकिन उत्तर अवश्य देर में भेजा गया।

२६--श्री कन्हैया लाल गुप्त--(क) क्या इस मामले में आवश्यक जांच वास्तव में की गई थी ।

(ख)--यदि हां, तो क्या बच्ची के वालदेन को इस जांच के नतीजे से वास्तव में सूचित किया गया था ।

26. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**: (a) Were the necessary enquiries actually made in the matter ?

(*b*) If so, were the parents of the child actually informed about the result thereof ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--(क) जी हां ।

(ख) लड़की की माता को नतीजे की सूचना भेजी गई ।

Sri Chandra Bhanu Gupta: (*a*) Yes.

(*b*) Intimation was sent to the mother of the girl.

२७--श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार नतीजे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

27. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**: Will the Government be pleased to place a copy of the result on the table of the House ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--स्मृति-पत्र सं० ९१७०-अ-५--६१३-५३, दिनांक २७, नवम्बर १९५३, जिसमें नतीजा दिया हुआ है, की एक प्रति* मेज पर रखी है ।

---

* देखिये नत्थी "घ" पृष्ठ २६६ पर

*Sri Chandra Bhanu Gupta: A copy of Office Memorandum no. 9170-A/V—613-53, dated November 27, 1953 which contains the conclusions arrived at is laid at the table.

१६ फरवरी, १९५४ के लिए निर्धारित प्रश्न

१—४-श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार--विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) स्थगित

पेनल आफ ऐक्टिंग चेयरमैन के सदस्यों की घोषणा

चेयरमैन—सदन के नियम १४ के अन्तर्गत, इस सदन के लिये मैं निम्नलिखित सदस्यों को इस सत्र के लिये पैनल आफ ऐक्टिंग चेयरमैन पर नियुक्त करता हूं।

१—डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप ।
२—श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल।
३—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त ।
४—श्री कुंवर गुरु नारायण ।

सन् १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौन्सिल—मैं श्रीमान जी की आज्ञा से सन् १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १५ फरवरी, १९५४, को पारित हुआ और यहां आज प्राप्त हुआ, को मेज पर रखता हूं।

सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग १९५३-५४ का द्वितीय पूरक विधेयक

श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)—Sir, I beg to move that the Uttar Pradesh Appropriation (Second Supplementary 1953-54) Bill, 1954, as passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly be taken into consideration.

जो यहां सप्लीमेंटरी बिल पास हो चुका है और जिसके ऊपर इस ऐवान में बहस भी हो चुकी है, उसमें कुछ रकम रह गई है, जो कि इस बिल में दी गई है और उन्हीं को इस हाउस से मांगा जा रहा है। मैं समझता हूं कि मुझे इस बिल की बाबत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है और मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है इसलिये इसको पास किया जाये। मैं यह नहीं चाहता हूं कि कोई इस पर बोले नहीं, लेकिन इस बिल के मुतालिक पहले ही काफ़ी अर्ज किया जा चुका है और इस पर किसी तरह की बहस की गुंजाइश नहीं है।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय एप्रोप्रिएशन बिल के सम्बन्ध में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है? इसमें केवल तीन ग्रान्ट्स हैं, एक तो फारेस्ट दूसरा चार्जेज आन एकाउन्ट आफ जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा जेल। इनके सम्बन्ध में मुझे केवल दो एक बातें कहनी हैं। एक तो ग्रान्ट नम्बर १२ में गवर्नमेंट ने यह रखा है कि आफिसरों के पास जो स्टेनोग्राफर होते हैं, उन आफिसरों के पास काम करने के लिये दो स्टेनोग्राफर के बजाय उन्होंने यह प्रोवाइड किया है कि रेक्स रिकार्डर डिक्टेटिंग ऐंड ट्रान्सक्राइबिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाय और यह मशीन २७ सौ रुपये की आयगी और उसकी निस्बत यह ख्याल है कि इस तरह से बजाय दो स्टेनोग्राफर रखने के वह अफिसर अपना काम एक ही स्टेनोग्राफर से आसानी के साथ निकाल सकेंगे। मेरा ख्याल यह है कि यह जो इकनामी गवर्नमेंट करना चाहती है, उससे वाकई कोई इकोनामी तो होगी नहीं चूंकि दोनों स्टेनोग्राफर तो रहेंगे ही और यह

*See Appendix 'A on page 267

एक ऐडिशनल खर्चा बढ़ जायेगा। जो मशीन आपने मंगा रखी है और जो फीगर इसके लिये रखी हुई है तो वह बाद में बढ़ जायेगी क्योंकि इसको रखने का परिणाम यह होगा कि हर एक आफिसर्स के पास इन मशीनों का इस्तेमाल होना शुरू हो जायगा। तो मैं समझता हूं कि यह जो फीगर इसमें रखी हुई है और आप जो यह मशीन परचेज करने का प्रबन्ध कर रहे हैं यह उचित नहीं है और इसमें जो इकानामी होनी चाहिये वह किसी प्रकार से नहीं हो सकती है।

दूसरी एक ग्रांट जेल की है। इसके संबंध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि एक लाख ४९ हजार रुपया इसमें खादी खरीदने के लिये रखा है जो कि प्रिजनर्स को दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि खादी को प्रोत्साहन जरूर देना चाहिये और मैं यह कदापि नहीं कहना चाहता हूं कि खादी को सरकार प्रोत्साहन न दे, लेकिन "ऐट दि कास्ट आफ टैक्स पेयर" हमको खादी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। हम लोगों से कहें कि वे खादी को पहिनें, लेकिन इसके लिये जो आपने तरीका रखा है और जो उसमें दोसूती लिखा हुआ है और उसके कारण खादी को १ लाख ४९ हजार ८ सौ रुपया प्रोवाइड किया है। मैं समझता हूं कि यह गलत तरीका है कि खादी के प्रोत्साहन के लिये यह जो रुपया है वह टैक्स पेयर से आता है, इसलिये मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

इसके अलावा तीसरी बात जो है वह ग्रांट नम्बर ५ में फारेस्ट की ग्रान्ट है और इसमें २७ सौ रुपया एक्सेस टी० ए० में चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्टस ने चार्ज किया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या कारण है कि जिससे ओवर ऐंड ऐबव बजट फीगर्स टी० ए० में इन्क्लूड की गई। मैं समझता हूं कि यह ऐसी चीज है कि अगर इसको दिया गया तो टी० ए० बढ़ाने को एक प्रकार से इन्करेज किया जायेगा। अगर इसको रोका न गया तब तो शायद सभी अफसरान आसानी के साथ बजटेड फीगर्स को क्रास करने लगेंगे और इस तरह से वे एक्सेस टी० ए० ड्रा करने लगेंगे इससे हमारा बड़ा नुकसान होगा। यह तीन ही बातें थीं जिनकी ओर मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मैंने जो उचित समझा वह कह दिया और अपने विचार इसके लिये प्रकट कर दिए।

श्री परमात्मानन्द सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु हमारे सामने बैठे हुए अभी कुंवर साहब ने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें एक ऐसे प्रश्न का उन्होंने जिक्र किया कि जिस पर बिना बोले मैं नहीं रह सकता था। कुछ और बातों के अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जेल में इस तरह से खादी देकर और खादी को इस तरह से प्रोत्साहन दे कर टैक्स पेयर के रुपये का दुरुपयोग होता है। मैं समझता हूं कि हमारे मित्र और उनकी तरफ की बेंचों पर बैठे हुए सभी लोग इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि हमारे देश की इकानामी इस तरह से हो कि गरीब से गरीब आदमी और बेकस और कमजोर लोगों को रोजगार मिलता रहे।

खादी, यह कोई नया प्रश्न नहीं सब लोग जानते हैं खादी का सूत हाथ का बटा हुआ होता है और हाथ की कताई करने वाले वही बेकस और कमजोर लोग होते हैं जो और काम करके अपनी रोजी नहीं कमा सकते हैं और ज्यादा आमदनी नहीं पैदा कर सकते हैं। खादी की कताई में बहुत कम आमदनी होती है। जैसा कि कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा है कि यह टैक्स पेयर पर पड़ता है। इस कार्य के लिये जिससे बेकस और बेरोजगारों को रोजगार मिलता हो और उसके लिये थोड़ा सा अमीरों से लिया हुआ टैक्स का रुपया अगर लगा दिया जाता है तो

[श्री परमात्मानन्द सिंह]
मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा है। जो मोशन हमारे मंत्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--श्रीमान्, जो ऐप्रोप्रिएशन बिल माननीय मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसके समर्थन में दो एक शब्द कहना चाहता हूं। यह एप्रोप्रिएशन बिल जो हमारे सामने है उसमें हमारे प्रदेश की भलाई के लिये बहुत सी बातें रखी गयी हैं और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जिन कार्य के लिये यह मदें रखी गयी हैं और जिस स्प्रिट से यह मदें रखी गयी हैं उससे हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होगा। सब से बड़ी रकम इस बिल में सिंचाई के लिये रखी गयी है और मैं समझता हूं कि हमारे पूर्वी जिलों में जहां दुर्भिक्ष आदि अधिक पड़ते हैं और पैदावार ठीक तरह से नहीं होती है, वह सिंचाई की कमी के कारण है। ट्यूब वेल आदि की योजनायें रखी गई हैं और गल्ला उगाने वाली स्कीम को बढ़तरी देने के लिये एक नया कदम उठाया गया है और जो रकम दुर्भिक्ष आदि में करीब २० लाख की है उसका मैं समझता हूं कि भविष्य में आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सरकार उन इलाकों में जहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं वहां ऐसे साधन ढूंढेगी और नहरें आदि निकाली जायंगी जिससे इस बात की जरूरत न पड़े कि रकम दुर्भिक्ष के लिये निकाली जाय। इस प्रकार से पिछड़ी जातियों के लिये दस लाख रुपए के करीब की मांग इस एप्रोप्रिएशन बजट में की गई है। हमारे प्रदेश में जब से भारत स्वतंत्र हुआ पिछड़ी जातियों में जितनी उन्नति हुई है, हरिजनों में जितनी उन्नति हुई है, मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़ी बात है। मुझे इस बात की भी आशा है कि दस लाख रुपये की जो रकम रखी गयी है यह जहां इन पिछड़ी हुई जातियों को दूसरे ढंग पर सुधारने की कोशिश करेंगे वहां कुछ ऐसा भी होगा कि इनकी सोशल खराबियों को भी दूर करने के लिये सरकार की ओर से कदम उठायें जायेंगे। मैं जहां तक समझता हूं पिछड़ी जातियों की उन्नति करने के लिये सरकार बहुत से कदम उठा चुकी है और मैं समझता हूं कि पिछड़ी जातियां भी दूसरी जातियों के बहुत कुछ समान आ चुकी हैं। किन्तु उनमें अभी कुछ सोशल खराबियां हैं। मैं समझता हूं कि उनको दूर करने के लिये भी सरकार प्रयत्न करेगी।

इसी तरह से कालोनाइजेशन के लिये भी सरकार ने एक बड़ी रकम की मांग की है। हमें इस बात को न भूलना चाहिये कि कालोनाइजेशन की ही यह प्रगति है कि भाभर और नैनीताल जिले के वह स्थान जहां किसी जमाने में जंगल और झाड़ियों के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं मिलती थी जहां आदमियों का तो कोई काम ही नहीं था, शेर चीते और दूसरे बन के जानवर ही पाये जाते थे। वहां आज लहलहाते हुए धान के खेत हमको मिलते हैं। इसलिये इस ऐप्रोप्रिएशन बिल में कालोनाइजेशन के लिये जो लम्बी रकम रखी गयी है मैं समझता हूं कि यह मुनासिब खर्च है।

साथ ही साथ उद्योग धंधों और खादी के संबंध में जो रकम रखी गयी है उसके सिलसिले में हमारे एक भाई ने अभी एतराज किया। मैं समझता हूं कि खादी ही एक ऐसी चीज है जिस पर पूरे तरह से हमारा देश निर्भर है। खादी अगर हमारे गांव गांव में हो तो मैं समझता हूं कि रुपये का वितरण भी ठीक ढंग से हो सकता है। साथ ही साथ जितने भी बेकार आज मालूम होते हैं वह काम में लग कर स्वावलम्बी बन सकते हैं। खादी चाहे वह जेलों के अन्दर खरीद कर दी जाये, चाहे पुलिस विभाग में खरीद कर दी जाये, चाहे सरकार के दूसरे कर्मचारियों को खरीद कर दी जाये, अगर सरकार ने इस ओर ध्यान दिया तो देश की बेकारी की समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है। इससे हमारे देश से ऊंच-नीच का भेदभाव मिट सकता है और

समानता की स्थापना हो सकती है। इन शब्दों के साथ में ऐप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूं।

श्री श्याम सुन्दर लाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष जी, जो धनराशि अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिये इस एप्रोप्रिएशन बिल में है, उसके विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जतियों के छात्रों के लिये ऊंचे से ऊंचे दरजे की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। यूनिवर्सिटी में पढ़ वाले अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को छात्र वृति दी जा रही है। ने इंटर मीडिएट तक भी नीडी और डिजर्विंग छात्रों को छात्र वृत्तियां दी जाती हैं। स्कूलों से यूनिवर्सिटी तक सभी छात्र फ्री एजूकेशन पा रहे हैं जिस समय मूल बजट पेश हुआ था तो यह अनुमान किया गया था कि अनुसूचित जातियों के छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, उनको प्रोत्साहन देने के लिये जो धनराशि रखी गयी है वह काफी नहीं होगी। सप्लीमेंटरी बजट में ७ लाख रुपया उनकी फीस के लिये जो एडेड स्कूलों में पढ़ते हैं उसमें दिया गया है। पिछड़ी हुई जातियों के कल्याणकारी कार्यों के लिये भी डेढ़ लाख का प्रावीजन किया गया है। इसलिये सरकार हमारे धन्यवाद की पात्र है। छात्र वृत्ति के बारे में यह निवेदन करना है कि जो लड़के अभी तक नहीं पा सके हैं उन्हें इसमें से जो बचत हो उसको शीघ्रतिशीघ्र वितरण कर दिया जावे ताकि फाइनेंशियल इयर क्लोज होने के पहिले ही उनको छात्र वृत्ति मिल जावे। यह भी देखने में आया है कि बहुत लड़के जो साइंस लिये हुए हैं, उन्हें पुस्तकें लेने में बहुत कठिनाई होती है। मेरा सुझाव है कि उसी बचत से उन्हें पुस्तक के रूप में सहायता दे दी जाय। इन चन्द शब्दों के साथ में इस एप्रोप्रियेशन बिल का समर्थन करता हूं।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ऐप्रोप्रिएशन बिल से मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है। विशेषकर इस लिये कि इसमें इंडस्ट्रीज और उद्योग धंधों के लिये काफी प्रावीजन किया गया है। १० लाख रुपया इंडस्ट्रीज के लिये खर्च करने को है। यदि वर्ष के प्रारंभ में ही जो स्कीम इस समय बनाई गई है उनको चालू किया जाता तो अधिक लाभ होता। अधिकांश धनराशि इन १० लाख रुपए में हाथ करघा उद्योग के लिये है। जहां तक मैं जानता हूं जिन योजनाओं के लिये यह धन खर्च किया जा रहा है वह गवर्नमेंट के सामने बहुत दिनों से थी। संभव है कि यह प्रतीक्षा की जा रही है कि आल इंडिया सेस फंड से सहायता मिलने पर इनको चलाया जाय। लेकिन जहां तक इन उद्योग धंधों का संबंध है हमारा ऐसा विचार है कि सरकार को सर्वप्रथम प्रमुखता इनको देनी चाहिये। क्योंकि आजकल जितनी समस्यायें हमारे सामने हैं उनका हल इन उद्योग धंधों के विकास के बिना संभव नहीं है। अगर शिक्षित नवयुवकों का प्रश्न है, मिडिल क्लास के लोगों का प्रश्न इत्यादि जो समस्यायें हैं उनका हल केवल छोटे उद्योग धंधों को विकसित करने से ही संभव है। मुझे वास्तव में यह हर्ष है कि हाथ करघे उद्योग को जीवित रखने के लिये जो रकम इस समय रखी गयी है उससे संभव है कि कुछ लाभ हो। यद्यपि यह रकम बहुत बड़ी है। परन्तु जितनी बड़ी और जितनी विस्तृत हैन्डलूम की इंडस्ट्री है उसके संरक्षण के लिये बहुत अल्प है। फिर भी न होने से कुछ न कुछ होना अच्छा है।

जो स्कीम्स, जो योजनायें सरकार ने इस संबंध में अपने मेमोरेंडम में दिखाई हैं, उनके संबंध में भी मैं उस दिन कुछ कह चुका हूं परन्तु एक बात मैं फिर कह देना चाहता हूं कि पीस मील काम करने से इस उद्योग का संरक्षण संभव नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इस उद्योग के सामने बिक्री की है और बिक्री के लिये एक तीन लाख

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

रुपए से ७५ डिपो खोल देने से अधिक लाभ नहीं होगा। एक बड़े विस्तृत तरीके से मारकेटिंग की योजना को हमें हल करना है और उसके लिये यह आवश्यक है कि करीब करीब २०, २५ लाख रुपए से एक बिक्री का केन्द्र खोला जाय और उसके द्वारा यह समस्या जो खादी बुनने वालों के लिये बनी हुई है, वह हल की जाय और वह बिक्री केंद्र उस खादी को खरीदें और फिर बेचे। मेरे ख्याल में सब से बड़ी समस्या इस उद्योग के सामने यही है। मैं समझता हूं कि संभव है कि कुछ न कुछ इस तीन लाख रुपए से हो जाय लेकिन गवर्नमेंट का यह सामने रखना चाहिये कि एक काफी बड़ी रकम मारकेटिंग केन्द्र के लिये आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने उस दिन कहा था कि यह समस्या तो हल हो सकती है, परन्तु जो बुनियादी समस्या है उसका जब तक हल नहीं होगा तब तक यह उद्योग संरक्षित नहीं रह सकता है। जो मिलों के कपड़े पर एक पैसा रुपया सेस लगा कर खादी को तीन आने रुपए का रिबेट दिया जाता है, या जो रिबेट हैन्डलूम को दिया जाता है उससे यह इंस्डस्ट्री जीवित नहीं रह सकती है। एक लंगड़े को उसके पांव में बांस बांध कर कितने दिन खड़ा कर सकते हैं। उसके पांव को हमें मजबूत बनाना होगा। सेस से रिबेट आप कितने दिनों तक दे सकते हैं। हमको तो उन साधनों का प्रयोग करना चाहिये जिससे यह उद्योग अपने पांव पर खड़ा हो और यह तभी हो सकता है जब आप ऐसे तरीके अख्तियार करें जिससे उसे मिलों का सामना करने में आसानी हो या मिलों का सामना करने से बच सकें। हमको एक लाइन आफ डिमारकेशन बनानी होगी।

चेयरमैन--यह तो आप इस विधेयक को परिधि (scope) के बाहर जा रहे हैं।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं तो जरूर थोड़ा बाहर निकल गया लेकिन एक ऐसा विषय था जिसमें कि मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी थी। तो मैं यह कह रहा था कि एक लाइन आफ डिमारकेशन हमको खींचनी होगी और उसके लिये यह तरीका हो सकता है कि हम गवर्नमेंट आफ इंडिया से अनुरोध करें कि वह हमारे लिये यह नियत कर दें कि २० या २५ कोट का सूत केवल हाथ करघे के लिये ही प्रयोग किया जाय।

खैर, क्योंकि मैं विषय से बाहर जा रहा हूं इसलिये मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। केवल एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं जिसकी तरफ कुंवर साहब ने भी ध्यान दिलाया है और वह जरूरी है। इसलिये कि कहीं जो गलती की गई है वह आगे न करें। इसलिये मैं भी इसकी तरफ एक बार फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह है रैक्स रिकार्डर। जैसा कि कहा गया है मेमोरेंडम में, स्टेनोग्राफर की संख्या में कमी हो जायगी, वह तो हो नहीं सकती। उसके ऊपर काम करने के लिये भी आदमी चाहिए। जो शार्टहैन्ड की स्पीड होती है वह तो ज्यादा होती है। उस स्पीड से टाइप नहीं हो सकता है। मशीन पर काम करने वाले आदमियों की जरूरत होगी। इसलिये टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर्स की संख्या में कमी न होगी। अंत में मैं एप्रोप्रिएशन बिल के लिये मुबारकवाद देता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में जो तकरीरें हुई हैं उनमें सिर्फ एक तकरीर कुंवर साहब की ऐसी हुई है जिसमें उन्होंने कुछ एतराजात किये हैं। जहां तक उनके एतराजात का ताल्लुक है मैं यह समझता हूं कि वे ज्यादातर कुछ गलतफहमियों की वजह से हैं। पहला एतराज जो उनका है वह रैक्स रिकार्डर के ऊपर है। जिसके लिये बजट में कहा गया है कि २ हजार १ सौ रुपए बहैसियत एक्सपेरीमेंटल मेजर के,

उसके खरीदने के लिये खर्च किया जा रहा है। मैं यह तो नहीं जानता कि यह मशीन किस तरह की है और किस तरह काम करती है, लेकिन इसकी शिकायत गलत है। ऐसी मशीनों से सहूलियत हो जाती है। इसके खरीदने की मंशा यह नहीं है कि शार्टहैन्ड राइटर की जरूरत न पड़े। बल्कि बहुत से ऐसे मौके होते हैं जब कि काम करने की जरूरत होती है और उस वक्त शार्टहैन्ड राइटर या स्टेनोग्राफर मौजूद नहीं होता। उस समय उस मशीन से काम लिया जा सकता है। दूसरे यह लेबर सेविंग डिवाइस है। ये दो फायदे इस मशीन से हैं। मशीन के ऊपर साउन्ड रिकार्ड होती है और उसके बाद साउन्ड को कन्वर्ट करके टाइप किया जाता है। मशीन का काम भी ज्यादा अच्छा होता है, बनिस्बत उसके जो काम हाथ से किया जाता है। लिहाजा एक्सपेरीमेंटल मेजर पर ट्राई करना गलत न होगा। इस मशीन से ज्यादा काम भी हो सकेगा।

दूसरा उनका जो एतराज है वह यह है कि जेल के लिये खादी क्यों खरीदी जा रही है। मेरे ख्याल में यह जो पहला एतराज डिक्टाफोन मशीन के बारे में और जो दूसरा एतराज है जेल की खादी के बारे में। इन दोनों में कुछ इख्तिलाफ है। पहला एतराज यह है कि डिक्टाफोन मशीन क्यों खरीदी जा रही है क्योंकि इससे बेकारी बढ़ेगी और दूसरा यह कि खादी जेल के लिये क्यों खरीदी जाय जब गवर्नमेंट कपड़ा खरीदती है तो बहुत बड़े पैमाने पर खरीद कर इस्तेमाल करती है।

अगर हम किसी चीज को पापुलराइज करना चाहते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट उसको प्रायोरिटी दे। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उस इंडस्ट्री की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिये जब हमने यह फैसला कर लिया कि खादी को आगे बढ़ाया जाय तो वह तभी हो सकता है जब हम जल्द से जल्द खादी को दूसरे कपड़े की जगह रिप्लेस कर दें जो हम कर रहे हैं। इसलिये यह एतराज भी ठीक नहीं है। कंजरवेटर्स के टी० ए० के मुताल्लिक जो एतराज किया गया है मुझे उसका ज्यादा तजुर्बा नहीं है, मगर मैं इतना तो बता सकता हूं कि अफसरान ज्यादा टूर नहीं करते हैं तब भी एतराज किया जाता है और अब जमींदारी एबालिशन हो जाने से फारेस्ट डिपार्टमेंट की मातहती में ज्यादा पेड़ और फारेस्ट्स आ गए हैं, इसलिये उनको टूर ज्यादा करना पड़ता है और यह चन्द हजार रुपया का खर्च बहुत ही मुनासिब है। मेरी निगाह में कुंवर साहब के तीनों एतराज सब्सटेन्शल नहीं हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि इस बिल पर ज्यों का त्यों ही विचार किया जाय।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) विधेयक पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) विधेयक को, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) *विधेयक को, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* विधेयक के लिये देखिये नत्थी ङ २६८ पृष्ठ पर।

चेयरमैन--कल बजट दो बजे पेश होगा, इसलिये कौंसिल कल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ११ बज कर ४८ मिनट पर, २० फरवरी, १९५४, को दिन के २ बजे तक के लिये स्थगित हो गई)।

लखनऊ:
१९ फरवरी, १९५४

कृष्ण बहादुर सक्सेना,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल, उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये पृष्ठ संख्या २४८ पर)

प्रश्न संख्या (१) से सम्बन्धित तालिका

३—३१ जनवरी, १९५३ तक के लाभ का व्यौरा मिलना सम्भव नहीं है क्योंकि आंकड़े वित्तीय वर्ष (अर्थात् पिछले अप्रैल से अगले मार्च तक के) होते हैं। यह आंकड़े इस प्रकार हैं:—

औषधियों की संख्या		लागत		
		रु०	आ०	पा०
२२४	.. ..	२,०६,५२९	८	९

यदि इन औषधियों को, जैसा कि पहले होता था, हम बाहर से खरीदते तो हमें कुल ३,४९,१२३ रु० ५ आ० ३ पा० देना पड़ता। इससे यह स्पष्ट है कि निर्माणशाला की स्थापना से सरकार को वित्तीय वर्ष १९५१–५२ में, १,४१,५९३ रु० १२ आ० ६ पा० का लाभ हुआ। वित्तीय वर्ष १९५२–५३ में लाभ तथा हानि का पूर्ण विवरण तैयार किया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उक्त वर्ष में कुल १,६४,०७० रु० ८ आ० का लाभ हुआ।

४—उक्त रसायनशाला में ३१ मार्च, सन् १९५२ तक २,०६,५२९ रु० ८ आ० ९ पाई के मूल्य की तथा वित्तीय वर्ष १९५२–५३ में ४,५३,६७२ रु० १२ आ० ९ पा० मूल्य की औषधियां निर्मित की गईं। राजकीय चिकित्सालयों तथा ग्राम औषधि पेटिकाओं को देने के बाद ३१ मार्च, १९५३ को निर्मित औषधियां ४,०६,५४४ रु० ६ आ० मूल्य की भंडार में मौजूद थीं।

नत्थी "ख"

(देखिये पृष्ठ संख्या २५० पर)

(प्रश्न संख्या १७ के उत्तर से सम्बन्धित)

To

The Hon'ble Chief Minister,
Uttar Pradesh, Lucknow.

How the so-called congress man takes the liberty to crush others to achieve his own selfish ends

———A Muslim.

SIR,

Most humbly I beg to tell with great pain the tale how a local self-called congressman, Sri Shiv Kumar Sharma (Shastri), son of Pt. Daya Shanker, resident of Pilibhit, mohalla Shiekhchand is playing game with the life of a poor Muslim.

Before going into details of my sad story I think it would be better to give an account of Sri Kumar and his numerous achievements which he is enjoying at present.

Sri Shiv Kumar was arrested during the 1942 movement under suspicion of keeping in possession some explosive along with other two lads of the place. He pleaded his enmity with those lads and also requested for mercy. He was accordingly released. He then tried his best to entangle his fellows in the case known as Pilibhit Bomb Case and safeguard his own selfish personality. This clearly reveals the strength of his character.

Fortunately when the tree of Indian Independence brought the cherished fruits it was Sri Shiv Kumar who came forward as a Political sufferer leaving behind his companions to starve though according to him they were the true rascals of the baseless Bomb Case.

Thus on the ground of his being a Political sufferer, he moved the Government for a number of facilities. He is in receipt of the following gifts of the present days:

1. Two cloth licences: One he managed to get locally in his name and that of his father and the other was awarded to him by Government in the name of M/S Daya Shanker Shiv Kumar.
2. 25 BHP Electric Power Connection: This rare novelty was initially presented to him for Lime and Rora Milling, etc. on industrial measures. Now, very amazingly the power is being utilised on Flour, Rice and similar other purposes.
3. Controlled Building Materials : He received some 4 tons of Tin and equal quantity of Saria, etc. hundreds feet of Pipe tubing and 50 bags of cement for the construction of the Lime Factory. Everybody knows that nothing of the sort of factory was ever constructed and all the materials were sold in the Black Market which practice our Government are going to discourage at all costs.

4. Allotment of Residential and Business Accommodation : Sri Shiv Kumar enjoys possession over more than three residential and about nine business accommodations though some of them under forged names.

It is pity and shameful that in these days when a family has hardly got sufficient room to live in even with difficulty and many a youth is thinking to commit suicide that to live idle for want of business accommodation. Sri Shiv Kumar enjoys direct or indirect possession over a number of residential and business accomodation. (1) House in Mohalla Shiekhchand where he lives with his father, (2) One room (this concerns me and my tale) on the upper story in Bazar Chowk, (3) One house in Mohalla Mohatshim Khan where the Flour Mill has been installed. (4) One shop in Bazar Chawk in front of my shop (which is the point of dispute). (5) One shop in Najmandi, Pilibhit perhaps got allotted in the name of his real brother Sri Kameshwar Nath student of Class XD G.H.S. School, Pilibhit. (6) One spacious compound in Mohalla Punjabian, Pilibhit which had occupied to give a display of his Surkhi Karkhana. (7) Two Kothas in the Najmandi Bazar which would have otherwise rehabilitated two families are also in his possession. He is thus earning a lot by way ot their proposed sub-letting.

.My Sad Tale Begins

I have neither any grudge with Sri Shiv Kumar for his above acheivements nor I feel jealous. What I wish to express and what pains me very highly is that in spite of the unlimited privileges already being enjoyed by Sri Shiv Kumar he tried (and is still trying) his level best to uproot me and had not the district authorities given the timely help I would have gone to hell.

I was running a tailoring shop since a very long time in Bazar chawk, Pilibhit. This fortunately or unfortunately situates below the room (mentioned at No. 2) in para. 6 above occupied by Sri Shiv Kumar perhaps in an unauthorised way. This of my shop was looted during the unfortunate events of riots in the town and I had gone helplessly without any work and I was trying my best to re-equip the shop or to start some other work to earn my livelihood. My difficulty was that of finances.

In the meantime to my horror and amazement I one day saw that Sri Siv Kumar was busy in opening the shop though it was in my unchallenged possession. I ran to the authorities and came to know that Sri Shiv Kumar had maliciously succeeded in getting the shop allotted in the name of Sri Bankeylal by making wrong representations to the authorities. Sri Bankeylal is the President of the District Congress Committee and happens to be quite a gentleman. It was Sri Shiv Kumar who persuaded him to indulge himself in this desput, for Sri Shiv Kumar. This was evidently to make a fool of the general public.

I was highly disappointed seeing the state of affairs and moreover by the fact that Sri Shiv Kumar had challenged me not to interfere

in the matter to my own good. To save myself and my children from starvation in the hands of unemployment I moved the District Magistrate who very kindly was pleased to cancel the allotment in favour of Sri Bankeylal. It was now the question of the possession of the shop back to me. Sri Bankeylal was not the least interested in the shop himself but Sri Shiv Kumar was playing his role under the shield of Sri Bankeylal, President, District Congress Committee, Pilibhit, approached the district authorities to let the order remain standing. But the authorities very courteously did not accede to his requests and the shop was given under my possession in the presence of some prominent persons of town. It may be mentioned here that some of my bag and baggage was found in the shop.

Sri Shiv Kumar was said to have been busy from a long time to get the shop by uprooting me and was also said to have encouraged the element looting the shop during rioting. But, I did not give rather could not give any reliance to the voice. It is only now that I think that this is the sort of creature who ultimately defame the organization they belong to and bring a bad name to country.

I have now managed to keep sweets shop in the accommodation but the mean tactics of Sri Shiv Kumar from behind Sri Bankeylal continue. I may kindly be given your justice. The facts stated above are true to my knowledge but I do not challenge any version to the contrary.

Very respectfully,
Your Petty,
Petitioner,

Shafat Ullah Khan, c/o Chhotey Khan, Ashraf Khan,
Pilibhit.

नत्थी "ग"

(प्रश्न संख्या १६ के उत्तर से सम्बन्धित)

लोहा तथा इस्पात

क्रम-संख्या	परमिट संख्या व अवधि	श्रेणी	मात्रा	स्टाकिस्ट का नाम
			टन हं०	
१	आर०के०डी०/७७--बी० ४८०, ५-९-१९४९ से १५-१०-१९४९	जी० सी० शीट्स २४ जी०	० ५	सर्वश्री रामलाल राम गोपाल, पीलीभीत ।
२	जी०१००-बी०-४३१, २०-७-१९४९ से २०-८-१९४९	जी० सी० शीट्स २४ जी०	२ ०	सर्वश्री दीनानाथ फकीरचन्द, बरेली ।
		जी० आई० पाइप		
		इंच	फीट	
३	बी० २५/१५, दिनांक १२-१-१९४९	१ १/२	२००	सर्वश्री पाइप डील एसोसियेशन, कान पुर।
४	बी०-७५/२०, दिनांक ३-१२-१९४९	२	१५	सर्व [illegible] क [illegible]
५	बी०-१४५/१७, दिनांक ७-७-१९५०	१ १/४	८०	सर्वश्री मुरली मल सन्त राम, कान[illegible]
		२ १/२	८०	

नत्थी "घ"

(प्रश्न संख्या २७ के उत्तर से सम्बन्धित)

Copy of Office Memo. no. 9170-*A/V*—613-1953, *dated November* 27, 1953, *from the Joint Secretary to Government, Medical (A) Department, Lucknow addressed to* SRI RAJENDRA PRASAD DHULIA, *No.* 4/*C*/1, *Bank Road, Allahabad ; copy endorsed to* SRIMATI RUKMANI DEVI CHANDOULA, 95-*A*, *New Katra, Allahabad for information in continuation of endorsement no.* 1051 (1) *A/V*—613-53, *dated March* 14, 1953.

IN continuation of Office Memorandum No. 1051-A/V—613-1953, dated March 14, 1953, the undersigned is directed to inform Sri Rajendra Prasad Dhulia that enquiries made show that the death of the patient was not due to carelessness or negligence on the part of the staff of the Tej Bahadur Sapru Hospital, but to sudden failure of heart which was beyond remedy. For the loss of life every one feels extremely sorry.

APPENDIX 'A'

(Regarding answer to Question No. 27)

Copy of Office Memo. no. 9170-*A*/ *V*—613-1953, *dated November* 27, 1953, *from the Joint Secretary to Government,, Medical* (*A*) *Department, Lucknow addressed to* SRI RAJENDRA PRASAD DHULIA, *No.* 4/*C*/1, *Bank Road, Allahabad* ; *copy endored to* SRIMATI RUKMANI DEVI CANDOULA, 95-*A*, *New Katra, Allahabad, for information in continuation of endorsement no.* 1051(1)*A*/*V*—613-53, *dated March* 14, 1953.

IN continuation of Office Memorandum no. 1051-A/V—613-1953, dated march 14, 1953, the undersigned is directed to inform Sri Rajenra Prasad Dhulia that enquiries made show that death of the patient was not due to carelessness or negligence on the part of the staff of the Tej Bahadur Sapru Hospital, but to sudden filure of heart which was beyond remedy. For the loss of life every one feels extremely sorry.

नत्थी 'ङ'

(देखिये पृष्ठ संख्या २५९ पर)

१९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) विधेयक

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय :

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्ष नाम।

१—यह अधिनियम १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५३-५४ के लिये ६,७१,६६,६०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग ६,७१,६६,६०० रु० (छः करोड़, इकहत्तर लाख, छासठ हजार, छः सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क—राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट्स)			
१	कृषि आयकर की उगाही पर व्यय	४३,५००	—	४३,५००
२	मालगुजारी (रेवेन्यू)	१००	—	१००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	३,३९,८००	—	३,३९,८००
४	स्टाम्प	१,१०,०००	—	१,१०,०००
५	बन (फारेस्ट)	१४,२६,७००	—	१४,२६,७००
७	मोटर गाड़ियों के एक्टों के कारण व्यय	१४,४२,०००	—	१४,४२,०००
	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य	३००	—	३००
१०	सिंचाई (इरीगेशन) स्थापना पर व्यय	३,०९,०००	—	३,०९,०००
११	रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय	२००	—	२००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	३००	१२,३००	१२,६००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय	१००	—	१००
१५	न्याय प्रशासन	१००	—	१००
१६	जेल	१४,९२,७००	—	१४,९२,७००
१७	पुलिस	१००	—	१००
१९	शिक्षा	४००	—	४००
२०	चिकित्सा (मेडिकल)	८००	—	८००
२१	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	११,९४,४००	—	११,९४,४००
२२	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऐण्ड रिसर्च)	३००	—	३००
२३	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐण्ड कालोनाइजेशन)	३,६६,७००	—	३,६६,७००
२५	पशु-चिकित्सा (वेटेरिनरी)	२००	—	२००
२६	विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	१८,५५,०००	—	१८,५५,०००
२८	सहकारिता के आधार पर ऋण	१००	—	१००
२९	उद्योग	९,९९,६००	—	९,९९,६००
३०	श्रम (लेबर) और संख्या	१००	—	१००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एंड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३२	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	१००	—	१००
३५	नागरिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स)	२००	—	२००
३६	दुर्भिक्ष सहायता (फेमीन रिलीफ)	२,००,०००	—	२,००,०००
४०	विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज)	१,५३,७८,७००	—	१,५३,७८,७००
४१	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	१६,५०,०००	—	१६,५०,०००
४३	योजना और एकीकरण	५२,८३,२७०	—	५२,८३,७००
	योग 'क'—	३,२०,९५,२००	१२,३००	३,२१,०७,५००
	ख—राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय			
४४	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन	१,६३,२०,०००	—	१,६३,२०,०००
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले)	३२,६०,०००	—	३२,६०,०००
४७	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण—कार्यों (सिविल वर्क्स पर लागत आउटले)	६००	—	६००
४८	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत	५३,३४,४००	—	५३,३४,४००
४९	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पंजी की लागत	५,७४,०००	—	५,७४,०००
	योग 'ख'	२,५४,८९,०००	—	२,५४ ८९,०००
	ग—ऋणों और अग्र-ऋणों (लोन्स एंड एडवांसेज) का भुगतावा (डिसबर्समेंट)	—	—	—
५२	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (एडवांसेज)	— ९५,७०,१००	— —	९५,७०,१००
	योग 'ग'	९५,७०,१००	—	९५,७०,१००
	कुल योग	६,७१,५४,३००	१२,३००	६,७१,६६,६००

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद २०४ के साथ पठित अनुच्छेद २०५ के अनुसार विधान सभा द्वारा पूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मंडल में एक विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत पूरक अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित पूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से हो सके।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—२३१ एल० सी०—१९५४—८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

२० फरवरी, १९५४

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ३ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५६)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
मानपाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राय बजरंज बहादुर सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
वेणी प्रसाद टण्डन, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री)
श्री हुकुम सिंह (उद्योग मन्त्री)
श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मन्त्री)

सदन का कार्यक्रम

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री)—जनाब वाला, मुझे अफसोस है कि बजट की इस साल की किताबें गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद से ११ बजे तक नहीं आ सकीं, बल्कि उसके बहुत बाद तक नहीं आ सकीं। मुझे उसके बारे में यह मालूम हुआ कि जिस ट्रक से वह आ रही थी वह रास्ते में ही कुछ खराब हो गयी। मैं उसकी ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वह जगह लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में थी और इतने फासले पर थी कि उसके लिये यहां तक खबर भेजना मुश्किल था। खैर किसी तरह से वह ट्रक आ गयी, लेकिन काफी देर में आई, जिसकी वजह से असेम्बली में ११ बजे बजट पेश नहीं हो सका और यही वजह है कि बजट यहां पर भी इस वक्त पेश नहीं हो सका। इसलिये मेरी यह गुजारिश है कि यहां पर चार बजे बजट पेश होगा। इसके लिये मैं माफी चाहता हूं कि इस वक्त हाउस में बजट पेश नहीं हो सका। इसके साथ ही साथ मैं इस बात के लिये भी माफी चाहता हूं कि मैं उस वक्त हाउस में हाजिर नहीं हो सकूंगा और मेरे दोस्त ठाकुर हुकुम सिंह उस वक्त हाउस में बजट पेश करेंगे।

चेयरमैन—जो चिट्ठी कुंवर साहब ने भविष्य के कार्यक्रम के बारे में भेजी थी उसके लिये आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसके अलावा जनाब वाला, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि कुंवर गुरु नारायण साहब ने मुझे लिखा था कि यह हाउस २२ और २३ तारीख को न बैठे तो ज्यादा अच्छा होगा। चूंकि काम करने के लिये मौजूद है इसलिये मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता हूं कि न बैठा जाय। वह काम भी कुछ वक्त लेगा और उसके बाद बजट सेशन शुरू होगा। मैं समझता हूं कि उस सब काम को पूरा करने के लिये २२ तारीख को बैठा जाय।

†श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग यह चाहते हैं कि २३ तारीख को सेशन हो और २१, २२ तारीख को छुट्टी रहे तो उस रोज हमको मौका मिलेगा कि बजट को देख सकें। २३ तारीख को सेशन हो और जो काम बाकी है वह उस दिन पूरा कर लिया जाय।

चेयरमैन—सिर्फ दो बिल हैं, जो एक दिन में खत्म हो जायेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, जैसा कि अभी मेम्बर साहब ने फरमाया कि उसमें कोई खास बात है। लेकिन अगर हम उस काम को २२ तारीख को खत्म कर लेंगे तो २३ तारीख का दिन खाली रहेगा। बात एक ही है, दो दिन तो मिल ही जायेंगे, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में काम बराबर होता रहे तो ज्यादा अच्छा है।

चेयरमैन—ठीक है। हो सकता है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा है कि हमको सरटेन्टी नहीं है कि हमें २२ तारीख को समय मिलता है या नहीं। हमको काम करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम यह चाहते थे कि कम से कम दो दिन का समय हमको बजट को देखने का मिल जाता है क्योंकि इतना बड़ा बजट है और उसको अध्ययन करना है। मालूम होता है कि कुछ खास बातें इस बजट में रखी हुई हैं और उन बातों के साथ सरकार ने ऐसा उसको हमारे सामने पेश करना चाहती है। इस तरह से हमको दो दिन का पूरा समय देखने का मिल जाता है। इसलिये २३ तारीख को बैठा जाय तो ठीक होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह बात जो माननीय मेम्बर साहब ने फरमाई कि बजट पेश होने पर जेनरल डिसकशन के लिये दरमियान में ३ दिन का इन्टरवल

---

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।
†सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

हो, लेकिन इन्टरवल के मानी यह नहीं हैं कि कोई और काम ही उस बीच में न किया जाय। सभी जगह यह तरीका है कि काम किया जाता है। हर एक मेम्बर को रात में वक्त मिलता है। इस केस में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कल इतवार है और मन्डे (Manday) को काम करने के बाद इतना वक्त मिलेगा, जो बजट के लिये काफी होगा तो कोई खास वजह मेरी समझ में नहीं आई कि क्यों काम न किया जाय वैसे हाउस को अख्तियार है जैसा वह चाहे तय करे।

चेयरमैन—ठीक है। अभी ४ बजे तक के लिये कौंसिल को स्थगित करता हूं फिर उसके बाद सोमवार को ११ बजे से सदन की बैठक होगी।

(कौंसिल ३ बजकर ६ मिनट पर स्थगित हो गई और ४ बजे चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)।

वित्तीय वर्ष सन १९५४-५५ ई० का आय-व्ययक (बजट)

श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)—Sir, I rise to present the budget for the year 1954-55.

2. The budget of a State can be compared to a mirror that reflects faithfully the trends and directions of State policy; and budget estimates can be understood properly only against the background of the economic and political circumstances determining that policy. I should, therefore, like to mention briefly what the objectives of our financial policy have been hitherto and what are our objectives for the immediate future.

3. As you will remember, at the time when we took full charge of the administration in 1947 there was great economic distress in the land. The country was on the verge of famine. The value of money was dropping at an alarming rate. Lawlessness and violence were on the increase. The influx of a large number of displaced persons from Pakistan had created an extremely difficult political and administrative situation. Today, in spite of an increased population, the country is very near self-sufficiency in food. Inflation has been eliminated; and prices have been stabilised. The problem of rehabilitating displaced persons has been satisfactorily solved. The tendency towards violence has been curbed; and a number of gangs of dacoits have been liquidated. In addition, we have been able to induce a large amount of capital formation in the country by carefully planned expenditure in the public sector. We have built many big power houses. Thousands of miles of roads have been constructed. Schools and hospitals have been opened in large numbers. Big schemes of housing for industrial labour have been successfully implemented. Road transport has been partially nationalised. Big industrial projects have been taken in hand. The capital expenditure, which will have been incurred by the State Government from 1946 to the end of the current year is of the order of Rs. 25·47 crores on irrigation works Rs. 24·85 crores on electricity schemes; Rs. 32,30 crores on roads and buildings; Rs. 3·98 crores on nationalised road transport; and Rs. 3·85 crores on industrial development. All this expenditure was necessary in order to bring about the improvement in the economic condition of the country to which I have referred. On the other hand, all this expenditure, large as it is, is not sufficient to meet the requirements of the development programme of the State. But it was all that we could manage with our existing financial resources, even after taking into account our reserve funds. The establishment of a fully-fledged welfare State involves progressively increasing expenditure by the Government for providing

[श्री हुकुम सिंह]

more and more benefits to the people. As may be expected, the budget which the Government have prepared for the next year forecasts an increase in the tempo of development expenditure. On development schemes included in the State Five-Year Plan alone the expenditure next year will be of the order of Rs. 30 crores. The money needed for pushing up development expenditure could be raised by means of additional taxation; and there is an important section of responsible opinion in the country, which considers that there is scope for such additional taxation. But I may say at once that unless the progress of the State Five-Year Plan is found to be imperilled, the Government have no desire to enact at the present moment any new measure of taxation.

4. As in the past few years, in framing the budget this year also it has been kept in mind that the budget exercises a considerable influence in setting the pace of the progress of a nation or State. Perhaps no other individual department of a Government is so intimately and fully connected with the improvement and development of a country as the Finance Department; and a country's budgets are intimately connected with the country's rise and ascedency. It is the duty of the representatives of the people in a democracy to frame their budgets with foresight and to provide in the budgets the means for making their country great and powerful.

5. The standard of living of the people of our State is low. Our people are poor, they are not well-educated, their methods of cultivation are primitive; there are not many industries in which they can find occupation, and such industries as exist are not well-developed; they cannot get adequate medical attention, and a number cannot get employment. This in general is the condition not only of our cultivators, who constitute the large majority of our population, but also, of our labourers, artisans, tradesmen, teachers, the professional classes, etc. It is the duty of the Government to do everything in their power to raise the standard of living of all these classes of people by augmenting their incomes, by ensuring a more equitable distribution of wealth and by providing them with medical, educational and employment facilities. In other words, we have to improve cultivation, encourage industries, promote trade and commerce, increase production, build hospitals and dispensaries and schools and colleges, it is all these activities taken together that we call development. At a later stage in this speech I shall indicate the main directions along which development activities have been carried on in this State. I shall also indicate there the extent of development which had taken place up to the end of the last financial year, the progress achieved during the current year and the work which we hope to do in the budget year. I should, however, like to mention at this stage itself the fact that since 1951-52 development work in the State is being carried out in accordance with the Five-Year Plan. This plan which was evolved by the Planning Commission set up by the Government of India aims at a hundred per cent. increase in the *per capita* income of the country within a period of 22 years. In drawing up the Plan the Commission have been careful to keep in view the consideration that the increase in income should not benefit only certain classes of the people, but should be distributed as evenly as possible between

all classes. In other words, the Plan aims at a more equitable distribution of wealth in the country. In our State we are executing the Plan with that objective before us. The State part of the Plan involves a total expenditure of Rs. 130 crores to be incurred by the end of 1955-56; and the speed with which work is being carried on justifies the hope that the Plan will be fully implemented within the prescribed period. Indeed our attempt is to accelerate the work and complete it earlier, if possible.

6. Some of the items of development work for which provision has been made in the next year's budget are so important that I should like to refer to them specifically before coming to the strictly financial portion of my speech. I shall, of course, deal with them again, when I discuss in greater detail the developmental activities of the Government. The Rihand Dam Project costing Rs. 35 crores has been now formally included in the development plan of the State. Work on the Project will, therefore, be taken up in right earnest in the budget year; and a provision of Rs. 4 crores has been made for it in the budget. The Arjun Dam in district Hamirpur, the Ahraura Dam in district Mirzapur and the Chandraprabha Dam in Banaras District will be completed and brought into operation. 480 miles of irrigation channels will be constructed. 834 new tube-wells will start functioning. The output of electricity will be increased by more then 40,000 kilowatts. The large hydro-electric power stations at Pathri and Khatima will be completed and will begin supplying electric energy to a number of districts. Five temporary power stations will be constructed at Neebkarori, Sohawal, Gursahaigunj, Gorakhpur and Mau. The existing systems of electric transmission lines will be substantially extended. In the sphere of industrial development also, there will be a very noticeable increase of Government activity. Construction of the Government Cement Factory in Mirzapur District, which will produce 700 tons of cement a day, will be completed; and the Factory will start production. A State Industrial Finance Corporation for helping small industries will be set up. Special development work will be taken in hand in connection with handloom weaving, fruit preservation and other cottage industries. Work on the third phase of the industrial labour housing, scheme, estimated to cost over Rs. 2 crores, will be taken up and, if possible, completed in the budget year. The work of State roads will be improved and expanded. An important scheme for imparting agricultural instruction in 3,000 Junior High Schools will be brought into force. A new hundred-bedded tuberculosis hospital is being set up at Firozabad. A number of medical, public health, agricultural and veterinary schemes will be taken in hand. A third unit of operation will be started under the Etawah Pilot Development Project, 40 blocks under the National Extension Service Scheme will be opened. The total revenue and capital expenditure on development provided for in the budget is of the order of Rs. 60 crores as compared with the Rs. 44¾ crores provided in the current year's original budget. That there will be a great strain on the finances of the State in the budget year is, therefore, only to be expected.

7. I shall now place before the House the budgetary figures summarising the actual income and expenditure of the State during 1952-53, the revised estimates of 1953-54 and the budget estimates of 1954-55.

[श्री हुकुम सिंह]

8. The following statement summarises the accounts for the year 1952-53 :

	(In lakhs of rupees) Original Budget	Actuals
Opening balance	22,	22,
I—Consolidated Fund,		
(*a*) Revenue Heads:		
(i) Receipts	60,99,	64,83,
(ii) Charges	65,23,	64.83
	—4,24,	
(*b*) Capital Expenditure ...	20,74,	14,98,
(*c*) Net receipts from Public lans	+11,00,	+5,65,
(*d*) Other debt and deposit heads (net)	+3,88,	+2.77,
II—Contingency Fund	..	—5,
III—Public Account (net)	+11,80,	+13,95,
Net result of all the transactions in the year	+1,70,	+7,34,
Closing balance	1,92,	7,56

9. There was an addition of Rs. 320 lakhs to the resources of the State by way of a share in certain Union Excise Duties. The State's share of income-tax and receipts from agricultural income tax-taken together were also about Rs. 20 lakhs higher. These increases were, however, largely counterbalanced by substantial shrinkages in other sources of revenue. Receipts from Sales Tax, Entertainment Tax, Betting Tax and Sugarcane Cess fell by Rs. 42 lakhs. Excise and forest receipts dropped by Rs. 15 lakhs and Rs. 19 lakhs respectively. Net irrigation receipts were less by Rs. 22 lakhs ; and State agricultural and veterinary farm receipts were less by Rs. 31 lakhs. Relaxation of price and distribution controls over cloth and yarn led to a fall of Rs. 24 lakhs under 'extraordinary receipts'. The postponement of panchayat elections caused another drop of Rs. 70 lakhs. The net result of these and other variations was that the originally anticipated excess of expenditure over receipts was reduced from Rs. 424 lakhs to Rs. 292 lakhs. The excess was covered by a transfer of Rs. 292 lakhs from the Revenue Reserve Fund. In the Capital portion of the budget the net expenditure was less by Rs. 576 lakhs entirely because of the relaxation of controls over the supply and distribution of foodgrains.

10. The following figures summarise the revised estimates of the current financial year :

	(In lakhs of rupees) Original Budget.	Revised
Opening balance	1,95,	7,56,
I—Consolidated Fund		
(*a*) Revenue Heads :		
(i) Receipts	74,38,	73,54,
(ii) Charges ... —	78,80,	73,54,
	—4,42,	..

	(In lakhs of rupees) Original Budget.	Revised
(b) Capital Expenditure	7,09,	8,27,
(c) Net receipts from Public loans ..	+3,00,	+5,40,
(d) Other debt and deposit heads (net) ..	+6,26,	+7,80,
II—Contingency Fund	..	—5,
III—Public Account (net)	+1,66,	—10,11,
Net results of all the transactions in the year	—59,	—5,23,
Closing balance	1,36,	2,33,

11. As the revised irrigation rates were made effective only in the latter part of the year, net irrigation receipts are likely to be Rs. 250 lakhs less than the original budget estimates. Owing to the postponement of panchayat elections, there will be another decrease of Rs. 70 lakhs. State excise receipts and the States share of Union Excise Duties together are likely to be about Rs. 24 lakhs less. On the other hand, as it has not been possible to issue zamindari abolition bonds this year, the provision of Rs. 403 lakhs made in the budget for payment of equated instalments on the bonds will not be utilised. Owing to the facts that interest charges on floating loans will be less than originally anticipated and that the provision for repayment of rehabilitation loans is not likely to be utilised this year there is likely to be another reduction of about Rs. 53 lakhs in the original estimate of expenditure. As a result of the reorganisation of the land records staff a saving of about Rs. 50 lakhs has been effected in the land revenue budget. By the enforcement of economy measures. expenditure under the Police Grant and general administration has been reduced by about Rs. 21 lakhs. As a consequence of these and other variations the originally anticipated revenue deficit of Rs. 442 lakhs is likely to be reduced to Rs. 259 lakhs in spite of the expenditure incurred on various new development schemes for which supplementary grants have been voted this year. This deficit will be covered by a transfer of an equivalent sum from the Revenue Reserve Fund.

12. The budget estimates are summarised in the following table—

	(In lakhs of rupees)
Opening balance	2,33,
I—Consolidated Fund ...	
(a) Revenue Head:	
(i) Receipts	77,16
(ii) Charges	81,07
	- 3,91,
(b) Capital Expenditure	20,22,
(c) Net receipts from Public loans	+6,00,
(d) Other debt and deposit head (net)	+20,01,
II—Contingency Fund	...
III—Public Account (net)	—2,56,
Net result of all the transactions in the year ...	—68,
Closing balance	1,65.

[श्री हुकुम सिंह]

13. In the budget year land revenue receipts and forest receipts together are likely to be Rs.110 lakhs more. Stamp receipts, sugarcane cess receipts, receipts of the Education and Police Departments, and receipts from electricity schemes are together expected to be Rs. 156 lakhs higher. On the other hand, the budget estimates indicate an increase of Rs. 92 lakhs in the expenditure on education, of Rs. 26 lakhs in the expenditure on forest, of Rs. 19 lakhs in the expenditure of the Medical Department, and of Rs. 81 lakhs on the Reduction or Avoidance of Debt. The net effect of these and other variations is that the working of the budget year is likely to be better than of the current year by Rs. 51 lakhs, i. e., as against Rs. 442 lakhs in the current year, the original estimate of the revenue deficit in the budget year is Rs. 391 lakhs. To the extent that this deficit cannot be met by increasing our resources or by effecting economies, a withdrawal may have to be made from the Revenue Reserve Fund in the budget year also. This will then be the third year in succession during which such a withdrawal will have been made and this fact is indicative of the strain upon the State finances caused by the implementation of the development programme undertaken by the Government.

14. As I had observed when presenting the current year's budget it is inevitable that the indebtedness of the State should increase during a period of development when as much loan money as possible is being raised for financing the development programme. The tempo of work on irrigation, electricity, road and industrial projects is rising each year to levels never before attained. The contrast between the annual expenditure figures on such projects at the time when we took over the administration in 1946 and the corresponding figures appearing in the next year's budget is so impressive that it is not necessary for me to further emphasize the magnitude of the effort which the Government are making to raise the standard of living of the people of this State. The capial expenditure on the construction of irrigation works was Rs. 49 lakhs in 1945-46 The corresponding figure which appears in the next year's budget is Rs. 1,055 lakhs. The capital expenditure on electricity schemes was Rs. 52 lakhs in 1945-46. In 1954-55 the corresponding expenditure will be Rs. 1,024 lakhs. In 1945-46 there was no capital outlay on schemes of industrial development. In the budget year Rs.116 lakhs will be spent on the completion of the Government Cemen-Factory Project, the setting up of a State Industrial Finance Corporat tion, etc. The capital expenditure on the construction of roads and buildings which was of the order of Rs. 48 lakhs in 1945-46, is likely to exceed Rs. 338 lakhs in the budget year. As a consequence of these increases in capital expenditure, the indebtedness of the State is also going up very fast and the burden of repayment is becoming heavier each year. The Government are, however, making the fullest provision for the repayment of these debts, so that in spite of the spectacular increases in development expenditure to which I have referred, the financial soundness of the State is being fully safeguarded. Even though in respect of many of the loans which have been taken it is not obligatory to create sinking funds, still we have opened sinking funds for them and, what is more, are putting into those sinking funds the full amounts needed for liquidating the loans on the due dates. Moreover, the interest charges

on our development loans are fully covered by the interest earned from our existing projects of public utility. From the point of view of financial soundness, the position of the State is, therefore, eminently satisfactory. I should like the House to specially note the fact that this position has been maintained at a time when we have stepped up development expenditure to the extent necessary to ensure the full implementation of the State Five-Year Plan within the scheduled period

15. As the honourable members are aware, the gap between the cost of the Plan and the financial resources of the Government was initially so large that serious doubts were entertained whether it would be possible to bridge that gap within the Plan period. I am glad to say, however, that as a result of sustained efforts, considerable progress has been made by us in this direction. By stringent measures of economy, by some taxation and by obtaining large loans from the market, we have succeeded fully in discharging our commitment to the Planning commission in respect of the additional resources which we were to raise through our own efforts for financing the Plan. Last year when the Finance Commission came to Lucknow, we were able to convince the Commission about the justice of our claims to a larger share of the country's resources; and as a consequence a share of certain Union excise duties has been allotted to the State. The Government of India have also been pursuaded to take a more sympathetic view of our requests for loan assistance. All the money which has been thus raised has been used for financing the Plan schemes; and I should like it to be clear to every one that, so far as Uttar Pradesh is concerned. Plan expenditure has been maintained at the level necessary for the complete implementation of the Plan within the prescribed period of five years. By the end of the current financial year we shall have spent approximately Rs. 62 crores on the Plan. The next year's budget contains a total provision of about Rs. 30 crores for Plan expenditure. With a little more Central assistance and with a little increase in the help which we are already receiving from the people in the shape of *Sharmdan* and by way of investment of savings in the State Development Loans and the small savings schemes, I have no doubt whatever that the still larger expenditure which will be required in 1955-56 will also be met and the State Plan will be completed well on time. This will be an achievement of the greatest importance not merely because of the material benefits which will flow from the completed works and projects but because the Plan is also an act of faith and its successful and timely implementation will give a tremendous encouragement to the people's confidence in themselves and in their ability and capacity to build for the future. The successful completion of the Plan will set the stage for the introduction of a more ambitious, more comprehensive second Five-Year Plan in which industrialisation, social security, social organisation, etc., can be given top priority so that our country might attain more completely the ideal of a prosperous, welfare State.

16. The creation of the psychological atmosphere necessary for the successful inauguration of the second Five-Year Plan, and the sustenance of the spirit of co-operation, work and self-sacrifice necessary for the prosecution of development activities on an entirely vaster scale than hitherto depend wholly upon the successful completion of the Plan now in hand. It is, therefore, of prime importance that every man and

[श्री हुकुम सिंह]

woman in this State should help the Government in raising the resources which are urgently required for the execution of the present Plan projects. In the circumstances it will be seen how ill-conceived, and short-sighted, and harmful to the real interests of the people is the agitation which has been carried on by some misguided persons against the few measures of taxation imposed for financing the Plan. As I have already explained, the money is urgently needed for work designed to raise the standard of living of the people. If this money were not to be forthcoming, there would be a set-back in the realisation of that objective and much damage will be caused to the future prospects of the people. Indeed even the persons who are taking part in these agitations will stand to lose in the long run if their agitation were to be allowed to succeed. On the other hand the actual burden of the tax measures in question upon each individual person is small although the aggregate amount which becomes available to the State is substantial and enables a great deal of development work to be undertaken. The tax measures are few in number and have been selected with great care to avoid undue hardship to any section of the community. Some of those measures are, strictly speaking, not taxation measures at all but relate to charges for services rendered by the State. These services even after taking into account all the increases in charges made hitherto, cost the beneficiaries less than the alternative forms which have to be used by the remaining citizens who live in areas not yet served by State-owned public utilities. I would appeal to all those who have been participating in agitations of this kind to look at the question from this view-point and to accept willingly the small burden which they have been asked to bear in the larger interests of the State. I would also appeal to them to look more closely into the motives of those who foment these agitations. The results of such a scrutiny are likely to be both revealing and instructive.

17. Another point which everyone must keep in front of him throughout this period of development is that in the last analysis the pace of development of a country is determined entirely by the willingness of the citizens to shoulder their part of the burden cheerfully and without protest. On our side we shall see to it that the tax burden is kept as low as practicable and that its distribution is governed by the criterion of taxable capacity. If we find that any tax impinges harshly on any section of the community we shall not hesitate to modify the taxation measure so as to remove that defect. For instance, I am at the moment considering the possibility of giving exemptions from sales tax to certain small cottage industries. Similarly to the extent that we can find resources for an essential development activity by cutting down existing expenditure, we shall always do so, subject only to the qualification that efficiency cannot be sacrificed on the plea that expenditure has to be reduced. With the measures which we have taken to enforce economy in departmental expenditure the House has been kept duly informed. Our efforts in this direction have been purposive and continuous. In 1948 we set up a special Economy Committee to scrutinise all departmental expenditure and suggest economies. In 1949 we appointed a Reorganisation Commissioner to make further investigations in this field. Now we have created a special branch in the Finance Department to keep up a continuous scrutiny of all governmental expenditure and of all

governmental organizations with a view to enforce economics and to prevent the occurrence of loss of public money through financial irregularities. This year the Chief Minister personally issued a special economy directive and held personal discussions with Heads of Departments and others and, as a result, economies to the extent of about Rs. 2½ crores have been effected and much of the money made available for financing development schemes. In addition to all this we have just set up another Economy Committee, consisting of some Members of the Legislature also, to once again make a comprehensive review of our expenditure and indicate where economics appear to be possible.

18. I now wish to deal, at greater length, with some of those development activities to which a reference has been made earlier so that everyone may have before him a true picture of our present and future condition. I will be dealing with the various activities of this type separately so that the utility of each type of development activity may be quite clear to us. To start with I would take up the development of irrigation facilities.

Development of Irrigation

19. In the year 1946, there were 1,847 State tube-wells and 17,844 miles of irrigation channels in Uttar Pradesh which together, provided Irrigation for 68 lakh acres of land. As against that we are now irrigating 83,50,000 acres with 2,611 State tube-wells and 20,151 miles of irrigation channels. Thus, between 1946 and the end of March, 1953 764 new tube-wells and 2,327 miles of new irrigation channels have been constructed and this has involved a total cost of Rs. 544·01 lakhs. The major construction works undertaken to secure an increase in irrigation facilities are the Nagwa Dam, the Lalitpur Dam, the Saprar Dam, and the Kabrai Dam which can provide irrigation for an area of 175,000 acres. Construction work is going on at persent at the Chandraprabha, Ahrora, Matatila and Arjun dams and on the Belan and Tons canal projects which are expected, on completion, to provide irrigation for over 5 lakh acres. The irrigation works undertaken in the previous year were the Rangawan Dam and the Banganga canal; besides, 591 tube-wells and 425 miles of irrigation channels were constructed that year, which could provide irrigation facilities to an area of 3 lakh acres. An area of 1,66,000 acres of water-logged land was drained and thus reclaimed for cultivation. The pace of work on the irrigation projects which are still under execution will be accelerated in the budget year so that they may be completed in the Plan period. The Arjun Dam, which will provide irrigation for 27,000 acres of land in district Hamirpur, will be completed and put into use by June, 1954. The Ahrora Dam in district Mirzapur and the Chandraprabha Dam in District Banaras, will also be completed in the next financial year. Besides, 273 tube-wells will be completed and will go into commission, and work on another 85 new tube-wells will be started. The work of remodelling the Ganga canal in western Uttar Pradesh and the Eastern Yamuna canal, will be taken up at a fast pace.

Some small irrigation projects have also been drawn up for the southern and eastern parts of Uttar Pradesh where crops are often severely damaged by drought. These schemes are also under execution. The tube-wells which are under construction in eastern Uttar Pradesh

[श्री हुकुम सिंह]

at present are financed largely out of assistance received from the T. C. M. and the construction work has been undertaken by some foreign firms under arrangements made by the Government of India.

It is hoped that, by the end of the budget year, 834 new tube-wells will be completed and will start functioning and 480 miles of new channels will be dug. All these works will make it possible to extend irrigation facilities to an additional area of 4,65,000 acres.

We can generally expect a 20 per cent. increase in the output of land which has been brought under irrigation and on that basis the increase in our agricultural production between 1946 and now should be of the order of $2\frac{1}{4}$ lakh tons or 63 lakh maunds. For the most part the irrigation schemes which have been in execution in this State since 1950-51 are those included in the Five-Year Plan. An expenditure of Rs. 3,116 lakhs is involved in the schemes included in the Five-Year Plan of this State and in the remaining period of the Plan. Work will be carried on at a faster pace than hitherto.

At present we are constructing tube-wells for providing irrigation and power stations for providing electric power, in eatern Uttar Pradesh and the power stations at Deoria and Mau have already gone in production. On the completion of the schemes which are being executed under the Five-Year Plan we shall be having a total of 5,061 State tube-wells and 22,800 miles of irrigation channels in Uttar Pradesh and an area of 1,02,10,000 acres will have been brought under irrigation.

Agriculture and Animal Husbandry

20. Some of the schemes which are being implemented in the Agriculture Department are those included in the Five-Year Plan while some others are outside the Plan. Success has, however, been achieved in both types of schemes.

Among the more important of the schemes which are being executed at present is one for the establishment of a forest belt on the boundary between Uttar Pradesh and Rajasthan to halt the march of the desert. Other schemes relate to reclamation of Usar and other unproductive land, distribution of pedigree seed, plant protection service crop competitions and increasing the production of jute and cotton in the State. A sum of Rs. 10,00,000 has been provided in the budget for the next year for forest plantation. In view of the urgency of soil conservation work, the necessary law to help in the completion of this work is also being drafted. Work under the plant protection scheme covered crops on a total area of 10,000 acres, besides a lakh of fruit bearing trees. The cultivators of Uttar Pradesh took a keen interest in crop competitions. The Japanese method of paddy cultivation was introduced in 29 districts and the results have been very satisfactory. As a result of the improvements brought about in the cultivation of sugarcane, and the introduction of new varieties, the average production of cane has gone up to 460 maunds per acre. Besides, the Department has been launching schemes for the reclamation of waste lands, the drainage of water logged areas, construction of masonry wells, installation of persian wheels and pumping plants, and construction of tube-wells with State aid. These activities have continued during the current financial year and will be continued in the next year also. In the year 1953 Kans was eradicated from an area

of 34,000 acres and the total area from where Kans has been eradicated up till now comes to one lakh acres. Provision has been made in the next year's budget for undertaking Kans eradication work on a further area of 64,000 acres. In 1952-53 the construction of 300 tube-wells on a co-operative basis were sanctioned; in the current year another 200 such wells were sanctioned and the number has been fixed at 300 for the next financial year. A special scheme for the construction of 100 tube-wells has been sanctioned this year and a concessional rate of interest will be charged on loans advanced under this scheme.

Efforts have been made to ensure that only good quality seed was issued from co-operative seed stores and it has been decided to replace all the seeds in such seed stores by high class pedigreed seed within a period of 2 years. In the current year 520 birck-kilns were established by co-operative societies so that bricks may be easily available for development works and for meeting constructional requirements in rural areas. It is proposed to increase the number of such brick-kilns to 1,000 by 1955-56.

Considerable progress has also been made in schemes drawn up under the Five-Year Plan for cattle breeding and control of cattle diseases. Work in the biological laboratory at Lucknow was considerably extended and 71,00,000 doses of vaccine for controlling dangerous diseases like rinderpest were prepared at this laboratory. We have for the first time in India, started the manufacture of dry vaccine. Distribution of such vaccine has already started and in the last year dry vaccine was distributed in 4 districts for controlling rinderpest. In the current year the supply of dry vaccine was extended to another 8 districts and it is proposed to cover the whole State in the next 4 years.

Another important scheme which has been started this year aims at an improvement in sheep breeding and the production of wool. A start has been made with this scheme in the hill region of the State, near Rishikesh and efforts are being made to provide more pastures and improving the breed of sheep. A new farm has been started at Kalsi near Dehra Dun. Good progress has also been made in the current year for the development of fisheries and work is in progress for developing a number of tanks and irrigation reservoirs and it is expected that they will be stocked with 25,00,000 fingerlings by the end of the current financial year. This year we have also started celebrating the Gopashtami week in which people participated with great enthusiasm and at present we have a pressing demand from several quarters for a repetition of the celebration every year.

Development of Co-operation

21. I wished to place all matters connected with the Co-operative Department before the House, but I am compelled for lack of time, to confine myself to three or four of the most important features from which an estimate of the work done by the department could be made. First of all, however, I would like to emphasise that the main purpose of this department is to help in improving the economic condition of the village population. The Co-operative Societies which are set up have to arrange for some capital out of which they could advance loans to their members for use in the improvement of their cultivation. Hitherto the rate of interest charged on such loans has ranged from 12

[श्री हुकुम सिंह]

to 15 per cent. per annum but this has now been reduced to 9 per cent. per annum. Co-operative Societies have been established in about 30,000 villages of Uttar Pradesh, out of a total of slightly over one lakh, and these Societies are performing the functions of which they have been set up. The Co-operative Department have now drawn up a programme according to which Co-operative Societies would be established in the remaining villages also within a period of four years. Towards the attainment of this objective, 20,000 Co-operative Societies would be set up in the next financial year. A small drive for the establishment of Co-operative Societies was launched in the current financial year and the reults have been satisfiactory.

Apart from their other activities, Co-operative Societies have also taken up the work of establishing seed stores, multiplying pedigree seed, and distributing manure and implements. At present we have 9,000 seed stores in the State which have been set up by Co-operative Societies. This work of setting up seed stores is being carried on under a scheme according to which 200 new seed stores would be established every year for some time to come.

Co-operative Societies are also constructing tube-wells and in this work they receive financial assistance from Government. In the current financial year 235 tube-wells have been constructed and 315 more are to be constructed in the next year.

Since some matters to which I have referred earlier in the speech have bearing on the subject now under consideration. I will repeat those facts here. One of those facts is that Co-operative Societies are now setting up brick-kilns under a scheme which has been drawn up by the department. One of the advantages in the setting up of brick-kilns by Co-operative Societies has been that bricks have become available for use in development projects as also for meeting the ordinary requirements of the rural population. Another advantage has been that, with the setting up of these brick-kilns, the price of bricks has come down drastically—from Rs. 35 per thousand to Rs. 22 per thousand. Up till now 510 brick-kilns have been set up by Co-operative Societies in Uttar Pradesh.

Some Co-operative Societies in the hill districts have started the collection and supply of medicinal herbs and honey. In the next year a pharmacy will be set up by Co-operative Societies in Ranikhet for the preparation of medicines out of medicinal herbs and it is expected that this scheme will provide employment to a number of men in the hill areas.

Co-operative Societies in Lucknow, Kanpur, Allahabad, Banaras, Meerut and Haldwani have been running dairies with success and at present such dairies are distributing 450 maunds of milk every day in Uttar Pradesh. There is a scheme for establishing a similar dairy in Almora in the next year.

Adequate progress has been achieved this year in the development of co-operative farming and the number of co-operative farming societies has gone up from 60 to 93.

Development of Electric Power

22. For the economic uplift of the people of Uttar Pradseh, and particularly with a view to encouraging agriculture and cottage industries, the State Government have been incurring heavy expenditure every year on the development of electric power and to that end, they have set up a number of power stations, both big and small, and are continuing to set up more.

At the beginning of the current year the total electric generation in the State amounted to 203,880 kilowatts. Of this 127,149 kilowatts was being generated by Government themselves and the rest by private licensees. During the course of the current year; however, an additional 3,000 kilowatts of electric power has been made available. Of this, 1,800 kilowatts is being produced at Shahjahanpur, 600 kilowatts at Mau and the remaining 600 kilowatts at Deoria. Apart from the construction of these three new power stations, 700 miles of transmission lines were laid—from Kashipur to Ramnagar, from Khatima to Tannakpur, from Sumera to Moradabad, and from Shahjahanpur to Mohamdi—to energise 500 new tube-wells which had been constructed. Five hundred new sub-stations have also been erected in the rural areas. An additional boiler has been installed at the Rampur power house and electric sub-stations of 66 kilowatts, have been set up at Lucknow, Sitapur and Niri.

The present length of transmission lines in this State is over 6,000 miles and these lines convey electric power not only to energise the 2,900 Government tube-wells but also to provide power for cottage industries.

Provision has been made in the budget for the completion during the next financial year, of the Hydro-electric power stations at Pathri and Khatima, for the extension of the Harduaganj thermal station, and for the construction of new thermal stations at Nibkarori, Sohawal, Gursahaiganj, Gorakhpur and Mau. When all these power stations are ready, an additional 79,600 kilowatts of electric energy will have become available from the State-owned power stations. Out of this additional power, 42,800 kilowatts is expected to become available by the end of the next financial year. On the completion of these power stations, the total production of electric power from State-owned power stations would reach the figure of 2,24,749 kilowatts. In addition, provision has also been made in the budget for laying transmission lines, and for constructing sub-stations, to energise 1,275 State tube-wells, including the tube-wells constructed with the aid of the T. C. M. 1952 and 1953 programmes. Not only that, provision has also been made in the budget for the construction of Hydro-electric power stations in the hill districts, and for laying transmission lines, and constructing sub-stations, in the areas served by the Ganga and Sarda Hydel Systems.

An item of considerable importance in this budget is the provision of Rs. 4 crores made in it for carrying on the construction work at the Rihand Dam at full speed. Out of this a sum of Rs. 2,20,00,000 is to come as aid from T. C. M. and the remaining amount will be made available by the Government of India. This dam will be constructed on Rihand river in the Mirzapur District on Dudhi side. Its height will be 296 ft. and the area of the reservoir will be 180 sq. miles. The

[श्री हुकुम सिंह]

dam will provide power for irrigation purposes and will make river Son, of which Rihand is a tributary, navigable. This will also check floods in that area. The completion of this dam will enable the generation of 8,950 lakh units of electric energy every year. The cost of this power will come to six pies per unit. This power will be utilized in the district of Mirzapur, Banaras, Allahabad, Fatehpur, Pratapgarh, Sultanpur, Faizabad, Bahraich, Gonda, Basti, Gorakhpur, Deoria, Azamgarh, Ghazipur, Ballia and Jaunpur. The Government is going to set up a Board to expedite the construction of the dam and to provide all the necessary facilities in that connexion.

The administration of the Kanpur Electric Supply Organization was taken over by Government in the year 1947. The plant at that time was producing 14,40,00,000 units of electricity but the engineers of the Kanpur Electric Supply Administration have now been able to produce over 20,00,00,000 units of electricity with the same machinery. The number of consumers in Kanpur has also gone up to 30,000—against only 14,000 in 1947.

Public Works Department

23. The work of constructing buildings and roads of all types in this State is undertaken by the Public Works Department. Apart from the work of improving the existing roads, all other work which the Public Works Department are executing at present are those included in the Five-Year Plan. The work done by this Department from 1947 up to March, 1953 has been dealt with in the Budget of previous year. In 1953-54 the Department are constructing 90 miles of cement concrete tracts and 320 miles of pucca roads. They are also reconstructing a road length of 78 miles and undertaking the construction of 68 miles of kachcha roads. Eighty-five buildings of various types have been put up. Besides, the Department has completed the first phase of the Kanpur Industrial Housing Scheme. A provision of Rs. 10,19,72,500 has been made for works in the next financial year. Work is in progress on 20 bridges at present of which the following will bear mention :

(1) Suspension Bridge across the river Alakhnanda at Kirtinagar in district Garhwal,

(2) Steel girder bridge across the river Sarju at Ghat, district Almora,

(3) Bridge across the Lathia Nala at Chalthi in district Almora,

(4) Pucca Bridge on the Utangan in district Agra,

(5) Masonry arch bridges in district Banda on the Badhena, Barwa Nala and the Jhuria Nala, and

(6) Bridge across the Gandak in district Gorakhpur.

The roads on which work is to be undertaken in the next year are indicated in the Budget. In addition, the Department is also constructing houses for the middle classes at Kanpur, Lucknow and Bareilly.

There is great dearth of residential accommodation in Uttar Pradesh and this causes inconvenience to the people. Government consider it necessary to make proper arrangements so that this inconvenience may

be eliminated and it has been decided to set up a Committee to consider financial and other questions connected with the scheme for the construction of houses for the middle classes. The committee will be required to submit a report as early as possible and an announcement about the personnel of the Committee, and its terms of reference, will be made shortly.

Transport

24. As everyone knows, motor transport in this State was nationalized some years ago. According to the scheme of nationalisation, 14 new routes were taken over in the current financial year. By 31st March, 1953, the length of the routes which had been taken over came to 5,219,9 miles and this has increased to 5,301·6 miles by now. On account of certain legal complications and litigation, it may not be possible for the Government Roadways to take over all those new routes about which notifications have been issued but taking over of some of these may be possible. For the next financial year, provision has been made in the budget for taking over 62 new routes. In 1952-53 the U. P. Government Roadways transported 397 lakhs of passengers in ease and comfort. After taking over the new routes for which provision has been made in the next year's budget, the number of passengars transported each year would increase by 37 lakhs.

With the implementation of the programme of expansion of the Government Roadways as contemplated in the Five-Year Plan, the number of employees in the Roadways Organization would go up by a thousand. The taking over of the 62 new routes for which provision has been made in the next year's budget is expected to increase the income of the Government Roadways by Rs. 33,52,639. Since it is cheaper to run buses on diesel oil than on petrol, provision has been made in the next financial year for the purchase of 100 diesel buses with a view to affect economy in running expenditure. Besides, since temporary buildings cost more in the long run, it is intended to provide permanent structures for bus stands and workshops.

All the schemes of the Government Roadways are included in the Five-Year Plan.

Flying Club

25. Government are keen to make the residents of Uttar Pradesh airminded. For that purpose a club, known as the Hind Provincial Flying Club has been established for imparting training in flying. From this Club 283 persons have obtained 'A' Licences, 15 persons have obtained 'A-I' Licences and 62 have obtained 'B' Licences; in addition 77 persons have also obtained Pilot Instructors Licences and, out of these, 73 persons were in receipt of scholarships while under training. The Club receives financial assistance both from the Central and State Governments. The Club arranges for flying rallies off and on and renders necessary assistance to the State in times of need. This Club is working very well and it has annexed several prizes in various competitions. Two of its pilots were deputed to Assam for relief of flood stricken persons there and they were responsible for saving 48 lives.

Industrial Development

26. We now turn to the heavy and cottage industries in Uttar Pradesh. The State Government have been devoting all possible attention to

[श्री हुकुम सिंह]

industrial development in the State, including the development of cottage industries. The development of large-scale industries is mainly the responsibility of the Centre. Even so, the State Government, have contributed to the industrial development of Uttar Pradesh by undertaking some large-scale enterprises themselves. The Government Cement Factory, which is being set up at Churk, near Robertsganj, is estimated to cost Rs.4½ crores by the time it is completed, and will produce 700 tons of cement per day. The setting up of this factory will help, in a considerable measure, in meeting the demand for cement. Government have set up a Precision Instruments Factory at Lucknow, which is engaged at present in the manufacture of water meters. The Government of India have commended the water meters manufactured at this factory to other State Governments and have advised them to patronize this product. The Fruit Processing Factory at Ramgarh is also nearly ready, and will start working shortly. In the budget year, it is proposed to add another plant to this Factory for the manufacture of apple juice.

The development of small-scale and cottage industries has continued to receive Government's particular attention. This is obvious from the fact that the total expenditure allocated for the purpose over the Five-Year Plan period in Uttar Pradesh is much more than the provision made by other State Governments for that purpose. The numerous schemes which are in operation in this field are all designed to meet the major difficulties confronting cottage industries, in regard to raw materials, production techniques, standardization of quality, competitive price levels, and the expansion of sales, both within and outside the country. In this connexion mention may be made in particular, of the Handloom Scheme, now in force which provides for more efficient dye-houses and other tools and plants, better credit and marketing facilities to the weavers, and more effective co-operatives to organize the industry. The scheme, in its first phase, will benefit about 50,000 handloom workers. Similar schemes of the Government for the development of sericulture and woollen goods have also made steady progress. Workshops have been set up to afford necessary technical aid to the cottage manufacturers of locks and cutlery. The Quality Marking Scheme has made encouraging progress, and has devoted special attention to the needs of foreign markets for which an export division is also maintained at the U. P. Government Handicrafts. It is also proposed to launch a pilot project for studying the problems of a selected industry, or of a few industries, in all its aspects, with a view to evolving methods of work and business which may be of general application to other similarly placed industries.

One of the major obstacles in the way of small industries has been the lack of facilities for easy credit. The State Government have been giving financial assistance to cottage industries so far, but they have now made a provision in the budget for the setting up of a Finance Corporation, with an authorised capital of Rs. 3 crores, which will advance loans for cottage and other small industries. Preliminary work for the organization of the Corporation is already in hand. Government have also taken steps further to improve the facilities in respect of technical education. A new technology of chemical engineering is to be set up at the Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur, in accordance with the recommendations of the Ghosh Committee. The Government

School of Arts and Crafts at Lucknow is to be further improved. In order that Govenment's other technical institutions may serve their purpose more adequately, they are being gradually re-equipped, and an element of general education has recently been itnroduced in the course of instruction imparted at some of them. These institutions will be awarding High School (Technical) and Intermediate (Technical) Certificates in future. In addition to institutional education, vocational training in over 25 trades is also imparted at mobile centres in the rural and urban areas through tuitional classes. The aim of all such schemes of Government is to provide fuller employment and thereby to increase the purchasing power of the citizen.

Uttar Pradesh is ahead of other States in the production of sugar, dehydrated power alcohol, oils, leather, and glass. In 1946 our production of alcohol was 3.49 lakh L. P. gallons but by 1952 this had increased to 108·62 lakh L. P. gallons. The production of sugar went up from 5,51,000 tons in 1947 to 8,38,000 tons in 1952. An automatic plant for the manufacture of bottles is being set up and this will give a fillip to the glass industry.

Electric bulbs are also manufactured in this State and the output of this industry has gone up from an original of 1,500 bulbs per day to 18,000 per day.

During the last few years, a number of medium scale industries have come into existence in Uttar Pradesh. Eighteen such industries, which have been set up, manufacture lanterns, bicycle parts, torches, rubber goods, buttons, carbon and card paper, sports goods agricultural implements, hospital equipment, surgical, pathological and bacteriological apparatus. plastic goods, wood screws, biscuits and paints and varnishes. A number of articles manufactured in Uttar Pradesh find markets outside, e.g. gunny bags, vegetable oils, lac, locks and cutlery, Farrukhabad prints, Banaras silk goods, the gold and silver embroideries of Lucknow and Agra, cotton piece-goods, sugar, glasswares, tea, sports goods, brassware, rubber and leather goods, *Gur*, molasses, *rab*, brown sugar, and carpets. It may be mentioned here that the balance of trade, in regard to industrial products is favourable to this State.

The amount provided for the Industries Department in the current year's budget has been utilised for providing financial assistance, imparting technical education, and starting other schemes. The provisions made in the next year's budget are also for activities similar to those which have been mentioned earlier in this speech.

Educational Development

27. Education is an essential accomplishment for human beings and this is particularly so in a welfare State. Education is usually divided into three stages, viz. :

(1) Primary Education,

(2) Secondary Education, and

(3) University Education.

It is not possible for me to discuss each of these stages separately in this speech, nor does such a course appear to be necessary since people already know quite a lot about this subject and can find out some more

[श्री हुकुम सिंह]

facts from a perusal of this Budget. On this occasion I wish to deal with one or two special points only, but it should not be understood from the fact that I have not said more on the subject that Government do not attach the greatest importance to education. We already have 33,000 primary schools in existence in this State and at present we are engaged in the task of consolidating the gains which have been achieved in the recent past. It is felt that the present system of education stands in need of overhauling. In particular it is felt that the schools situated in the rural areas should cater to all the needs of the rural population and instructions have, therefore, been issued to secure, for all schools situated in the rural areas, plots of cultivable land at the rate of 5 acres for each primary school and 10 acres for each junior school. It is intended that those plots of land should be cultivated by the students themselves and should be used for growing vegetables and orchards. What is being aimed at is an improvement in quality rather than quantity, and the scheme is to start in the rural schools from July, 1954. A major portion of the expenditure to be incurred in this scheme is to come from the Centre. The scheme will affect 3,000 junior high schools situated in the rural areas and the implementation of the scheme will transform these schools into rural development centres where the cultivators will be able to learn of modern methods of cultivation which will help them in augmenting their agricultural output. These schools will become centres for propagation of the system of community living. The Scheme will absorb 1,000 Agricultural Graduates, who will be paid salaries in the grade of trained teachers, and 2,000 other persons possessing the Intermediate qualifications who will receive pay in the scales sanctioned for Under-graduate Teachers. 200 craft masters will also be employed. The scheme involves a recurring expenditure of Rs. 41,32,000 per annum and non-recurring expenditure amounting to Rs. 31,00,000.

Up to 1950 Government established a number of primary schools in the rural areas, but in October, that year Government transferred all such schools to the District Boards who are allowed a grant equivalent to the expenditure, which Government had been incurring on those schools. In that connexion, Government have now agreed to increase the grant paid to the District Boards by an amount sufficient to cover the Boards' contribution to the provident fund accounts of the teachers working in those schools. Accordingly, a sum of Rs. 11,00,000 is being distributed among the District Boards in the current financial year and provision has been made for payment of Rs. 5½ lakhs in the next financial year. Grants aggregating to Rs. 38,00,000 have also been paid to District Boards to enable them to clear off the arrears of salaries of teachers which had been outstanding hitherto.

Eighty-three High schools have been raised to the standard of Higher Secondary Schools and a number of Junior High Schools have been raised to the High School standard. Besides, the schemes of military education and social service were merged during the year with a view to intensifying training in citizenship. Post-Graduate classes have also been started in the two Government Degree Colleges at Naini Tal and Gyanpur.

Some time ago Government had set up a Committee, which came to be known as the Narendra Deva Committee, to consider various matters connected with education and to suggest changes in the educational system by which the education imparted in our educational institutions could contribute more usefully in the practical life of the citizens. The report of the Committee is now ready and is under Government's consideration.

The financial position of the Allahabad University has been very unsatisfactory during the last few years and in the previous two years the University had to borrow a sum of Rs. 10 lakhs from Government in order to meet their running expenses. A Committee was accordingly set up to look into the matter and it was found that the University had run into a debt of Rs.20,00,000, on account of incurring expenditure which was not covered by its income. Government have made a token provision of Rupees one lakh for this purpose so that the question of re-payment of the loan may be considered and a proper decision thereon taken in due course.

Medical and Public Health

28. A steady progress has been maintained in the sphere of Medical and Public Health since the advent of freedom. During the period 1947—53, the budget provision has increased from Rs.2,09,49,100 to Rs. 3,87,68,500. The extension of medical aid to rural areas, which has so far been deficient, has engaged the attention of the Government particularly. New dispensaries, both Allopathic and Ayurvedic, have been opened in increasing numbers. The number of allopathic dispensaries has increased from 59 to 319 and of indigenous dispensaries from 226 to 522. District hospitals and Dufferin hospitals have been provincialized and about Rs. 30 lakhs have since been spent over repairs and maintenance of hospitals and an equal amount on the purchase of necessary equipment. Medical education has also received due attention. The K. G. Medical College, Agra and G. M. Associated Hospitals, Lucknow, and the S. N. Medical College, Agra, are being expanded at the cost of Rs. 54 lakhs and Rs. 25·1 lakhs respectively. The two Colleges are now turning out a large number of medical graduates, who will be available to meet the increasing demand for doctors in the new dispensaries and hospitals. A dental college and post-graduate courses in ear, nose and throat diseases have been started at Lucknow. Post-graduate course in children's diseases has been opened at Agra. Special measures have been taken for the treatment of leprosy. Anti T. B. measures have also been strengthened to a large extent. The total bed strength for T. B. patients in the State has now been raised to 865. The number of free beds has also increased in the Bhowali Sanatorium. Nine teams have been giving B. C. G. vaccinations. A comprehensive scheme for the control of malaria has been launched covering almost all the endemic areas of this State. Travelling Kala-Azar units have been established in the eastern districts where the incidence of the disease is highest. The Employees State Insurance Scheme with 13 State dispensaries has been started in the industrial areas of Kanpur.

The new hospital buildings at Firozabad and Khurja have been completed during the year under review and the hospitals will be opened soon. The new hospital building at Deoria is nearing completion, and

[श्री हुकुम सिंह]

the building of a hospital at Bara Banki has been taken in hand. The construction of the new hospital building at Allahabad would start shortly. Nearly five lakhs have been spent on the repairs and maintenance of hospital buildings and an equal amount on the purchase of equipment during the year. In the rural areas and small towns twenty-six Allopathic and fifteen Ayurvedic dispensaries have also been opened. A new scheme has been launched for opening 200 Maternity and Child Welfare centres with the assistance of WHO/ UNICEF. Training of midwives and health visitors, a children's hospital at Lucknow and Paidiatrics Unit at Agra, five National Malaria Units under the Government of India National Malaria Control programme have been introduced.

In the Budget year 1954-55 important schemes include various constructions, specially in the two Medical Colleges at Lucknow and Agra. It is proposed to open 22 more new dispensaries in rural areas and to allot Rs. 90,500 recurring and Rs. 74,700 non-recurring for medicine and diet. A new 100-bedded T. B. hospital will soon come into existence at Firozabad. The Eye Hospitals of Sitapur and Aligarh and the Ram Krishna Hospital, the Kamla Nehru Hospital at Allahabad and the various mission hospitals which are doing good work, are being given increased grants. A 25-bedded T.B ward out of the funds collected by the teachers and students is proposed to be added to the Brij Seva Samiti Hospital at Vrindaban. On the health side, B. C. G. teams are being further strengthened by the addition of two more teams to carry on extensive vaccination drives. There will be further extension of Maternity and Child Welfare Scheme with foreign assistance. All this will mean an increase in the estimates from Rs. 3,87,68,500 in 1953-54 to Rs. 3,95,43,300 in the next year's budget.

Labour

29. The maintenance of harmonious relations, based on principles of social justice, between employers and workers, has been claiming the foremost consideration of Government. Despite that, occasional closures, strikes, lockouts, play-offs, etc. caused by a variety of reasons, like shortage of raw materials, accumulation of large stocks of manufactured goods and difficulties of finance, have at times, taken place. In general, however, peaceful conditions have been maintained as a result of the prompt and successful working of the conciliation machinery which has been set up by Government for resolving industrial disputes. It has been the constant endeavour of that organization to ensure the continued enjoyment of the amenities and conveniences which are available to the working classes at present; it has also been attempting to secure some leisure for the mazdoors for rest and recreation, and to improve their conditions of work. Workers in the organized industries and in other undertakings which came within the purview of the labour laws, continued actually to receive the wages which were fixed for them by law. In twelve districts where labour wages were exceptionally low, minimum wages were fixed by law even for agricultural labourers and Government have insisted on payment being made at

wages are being paid and this will be done in accordance with a 2-year plan which has been drawn up. An encouraging feature in recent years has been the successful resolution of disputes by mutual discussions between the reconciliation officers and the representatives of the employers and the employees, as in the dispute relating to the payment of bonus by sugar factories. Government have been studying the working of the textile and the sugar industries with a view to working out schemes for standardization and rationalization in these industries. It is intended, however, that such schemes should be introduced only with the common consent of Government, the millowners and the employees.

For some time past, special attention is being devoted to Housing Schemes for industrial labour. About 600 quarters have been nearly completed in 34 sugar factories out of grants from the Sugar Housing Fund. To provide wholesome living accommodation to industrial workers, as also to sweepers in municipal towns, a scheme for building 6,500 houses at Kanpur and Lucknow for industrial labour, and 2,150 sweepers' tenements, is in hand. Very good progress has been made under this scheme and 2,100 houses are now ready, and have been occupied at Kanpur. Another 560 houses are nearing completion at Lucknow. Under the Government of India's subsidized industrial housing scheme, further provision of Rs. 2 crores has been made in the Budget for the next year for the construction of 7,400 more workers' houses at important industrial centres, and the slum clearance scheme has been merged in this scheme.

Harijan Sahayak Department

30. The work of uplift of Harijans and other backward classes has been going on in Uttar Pradesh since 1946 and work in this field is being intensified every year. The department which is looking after this work is also looking after the criminal tribes in Uttar Pradesh. To help in this work, Government have set up a board which is known as the Harijan Sahayak Board. The Harijan Sahayak Department has taken steps for the spread of education among the Harijans and for improving their economic condition and standard of living. An idea of the extension of activities in this field can be had from the fact that the expenditure of the Harijan Sahayak Department which, in 1946-47 amounted to Rs. 6 lakhs only, is expected to amount to Rs. 35 lakhs in the current financial year. This works out to a six-fold increase in expenditure between 1946-47 and now. Again in the year 1947 the number of Harijan students in all the schools, colleges and Universities, was 2 lakhs as against which the number in the current year has increased to 5 lakhs. In 1947 the number of Harijan students in the degree colleges and in post-graduate classes was only 100 while in the current year the number has gone up to 2,000. The State Government has also arranged for spreading education among the aborigines residing in the Robertsganj and Dudhi tahsils of Mirzapur District and an expenditure of Rs. 20,000 per annum is being incurred on that account. Besides, for helping in the economic uplift of Harijans, Government gave financial assistance to students receiving technical education. Such financial assistance is [illegible]

[श्री हुकुम सिंह]

training in courses for electricians, turners, fitters, moulders, tailors, calico printers, motor mechanics and carpenters. From the year 1952-53 arrangements have also been made to give subsidies in cash as well as in kind, in the shape of machines, tools, etc., to the trained Harijans for developing or starting small-scale cottage industries. For giving such financial assistance, a sum of Rs. 50,000 was provided in the budget for the current financial year. Recently Government have also enhanced the reservation in the State Services for the Harijans from 10 to 18 per cent. Government has also given lands to landless Harijans for their rehabilitation. This year a scheme has been launched for setting up model Harijan colonies in which landless Harijans are being settled. Financial assistance is also given to Harijans for construction and repair of houses and wells, etc. Besides, subsidies are given for reconstruction of houses destroyed by calamities like fire and floods. The grant under this head is being increased every year and the expenditure provided for this purpose in the current financial year amounts to as much as Rs. 5,70,000. Propaganda is also being carried on to eliminate the barriers of untouchability and caste prejudices which have been operating in the past, to the detriment of the Harijans.

Work for the welfare of the ex-criminal tribes is also in progress and 4,575 of their members have been settled in 5 Settlements situated at 5 different places. Efforts have been made to provide employment to those residing in these settlements and 3,887 bighas of agricultural land has also been distributed among them for cultivation.

What has been stated earlier covers also the backward classes like the Ansaris, etc.

Relief and Rehabilitation

31. The task of rehabilitating the refugees who came to this State after the partition, having lost their hearths and homes, was not an easy one. Government, however, made all arrangements for their rehabilitation and re-settlement. A number of small industries were started for them. 13,500 displaced persons have already been trained and they have been suitably established after training. Those who wished to settle in business and industries were given financial assistance and, in this way, a total sum of Rs. 1,73,72,622 was advanced to 22,780 displaced persons in the shape of loans. Similarly a total sum of Rs. 45,34,000 was distributed between 5,276 persons who wished to engage in agriculture.

The children of displaced persons are being given financial aid to the extent of Rs. 15,00,000 which go to benefit 42,000 students belonging to displaced families. In the current financial year a sum of a little over Rs. 35,00,000 would be spent on the education of children belonging to displaced families. Certain institutions have been set up, at Mathura and Meerut for imparting training to displaced persons in various handicrafts. One such institution, which is for women only, is the Bapu Vocational Institution, Dehra Dun. Another institution for displaced persons to the Children National Institute, Allahabad which looks after orphans. Apart from loans, grants are also paid to displaced persons and, in fact, 3,500 displaced persons are receiving grants from Government. By the end of the current financial year a sum of Rs. 1,40,00,000 would have been spent on relief of displaced persons.

This State also undertook to take in refugees from East Pakistan and about 700 families of these have engaged in jute cultivation in the Naini Tal Tarai. Separate homes were established at Chunar and Banaras for women and children from East Pakistan, and 1,153 women and children are being maintained at these camps where training in handicrafts is also given. Some refugees from Kashmir have also come to Uttar Pradesh and several families of these have been settled at Hastinapur. Some financial assistance is being given to these displaced families also. As for residential and business accommodation, apart from the 2,350 shops and 3,200 residences which have already been constructed, 12,400 residences and 5,200 shops would be ready by the end of the current year. New townships have been set up for displaced persons at Govindpuri and Hastinapur in Meerut District, in Naini in Allahabad District and at Premnagar. Government have also granted loans to the tune of Rs. 1,80,00,000 for construction of houses. In the schemes for the rehabilitation of displaced persons which are included in the Five-Year Plan, provision has been made for the training of 15,000 displaced persons in technical lines.

Food and Civil Supplies

32. Due to increased food production Government started on a policy of gradual withdrawal of the rationing arrangements. This policy was, however, tempered with the consideration that the people living in the deficit areas may not be put to any hardship on that account. By the end of the year 1953, rationing was abolished in 62 towns but arrangements were made for the supply of foodgrains to the hill districts and to the eastern districts where production was not adequate to meet the demand and where adequate quantities of foodgrains were not available in the markets. The total population for which arrangements were made in this manner amounted to 70,00,000.

The preceding year witnessed an increase in the production of cloth as well as yarn, and for that reason, the control over those commodities was also relaxed, and the mills were allowed to sell 85 per cent. of their production without any restrictions, while control was exercised only in respect of the remaining 15 per cent of the output. Later, in June, 1953 control even to that extent was abolished, both in respect of cloth as also in respect of yarn. With a view to encouraging the handloom industry the Government of India have imposed certain restrictions on the production of *dhoties* by mills but it is too early yet to judge the effects of this measure.

Revenue

33. In the eastern districts of Uttar Pradesh particularly in Deoria, Basti and Gorakhpur, crops were severely damaged by hail and excessive rain. As a result, the financial condition of the residents of those districts deteriorated considerably and Government had to undertake an expenditure of over Rs. 85 lakhs in extending aid to these people in various forms.

In addition to the other activities, an important work which the Revenue Department has undertaken relates to the payment of compensation to the ex-intermediaries. The work of preparing compensation statements has progressed very well. 64,07,221 compensation statements have already been completed out of a total of 75,66,439. These

[श्री हुकुम सिंह]

statements have been prepared so carefully that only 23,624 objections have been received. Action has already been taken on 1,66,884 applications for interim compensation, out of a total of 1,83,368 applications which were filed, and a total sum of Rs. 3,28,09,517 has been disbursed as interim compensation. In addition, financial assistance to the extent of Rs. 14,18,549 has also been given to religious and charitable trusts and waqfs. It is expected that the Zemindari compensation bonds will have been distributed to the ex-intermediaries by the end of the next financial year. Another useful work which the Revenue Department have undertaken is the Consolidation of Holdings. A scheme for this has been drawn up and work under that scheme is to start in the next year. The bill which had been drawn up in connection with this scheme of Consolidation of Holdings has now received the assent of the President of India. A sum of about Rs. 48 lakhs has been provided for this purpose in the next year's budget and the work of Consolidation of Holdings is to be taken up in at least 20 districts. In 1953, Government had set up a Committee to deal with questions relating to floods. Although the recommendations of this Committee are still under Government's consideration, action is already being taken in respect of the more important of those recommendations, e.g. the provision of boats for use in floods, etc. A provision of rupees one lakh exists for this purpose in the Budget and a sum of Rs. 5 lakhs has been provided for carrying out surveys and tree plantations in districts which are liable to floods. Side by side with these activities of the Revenue Department, the Irrigation Department have also started investigations in connection with floods under another scheme.

Forest Department

34. The Forest Department is rendering a very essential service to the State. Heavy fellings were carried out in the forests of Uttar Pradesh during the last World War and a lot of forests were felled also in the period immediately before the abolition of Zamindari. Forests help considerably in soil conservation and the destruction of forests has been a great loss to the State. The Forest Department has undertaken schemes for replanting of forests with a view particularly to protecting the land which has been exposed to erosion on account of the denudation of forests. This year plantations were carried out by the department on an area of 7,411 acres as also along a length of 228 miles of roads. In addition, to provide wood of the right type for the sports industry, they have also planted an area of 2,500 acres with mulberry trees.

Police

35. The police discharge a very important function and, in fact, the existence and advancement of society is largely dependant on the police. The police maintain peace and order without which nothing can be achieved. It is the pre-requisite for all development and advancement that peace and order should be maintained so that people may engage fearlessly in activities which contribute to their personal betterment and to the betterment of society. If this is agreed to, it follows that the expenditure on police should be included in expenditure on nation building activities since the police create and maintain conditions necessary for all development and advancement and since, in the absence of those conditions nothing can be achieved.

In the past there have been some complaints about the large number of dacoities and other offences committed in the State. Government have, therefore, established village defence societies which are rendering good assistance to the police, particularly in combating dacoities. The police did some commendable intelligence work as a result of which they have been able to annihilate several notorious gangs of dacoits. The gangs of Charna, Mahabir and Mehdi have now ceased to exist and the police are vigorously continuing their efforts against Man Singh's gang. Other offences have also registered a fall in numbers.

Government are gradually extending the jurisdiction of the regular police over the hill areas in the north which, hitherto, have been with the Revenue Police. The Tanakpur-Pithauragarh Road was thus transferred from the jurisdiction of the Revenue Police to that of the regular police. Some additional expenditure has been undertaken on the Scientific Section in order to improve facilities for investigation work. Government are also conscious of the necessity of the Police keeping itself informed of the preparations and activities of intending criminals and law-breakers and necessary steps in that direction are being taken.

Jails

36. Jail labour continued to be employed on works of public utility in the current financial year and will continue to be so employed in the next financial year also. The scheme under which this is being done is described in what follows :

In September, 1952, a Prisoners' Camp was set up at Chakia in Banaras District and the inmates of this camp were employed on the construction of a dam which was being put up by the Irrigation Department across the river Chandraprabha. In October, 1953 the Camp was shifted to Naugarh, in the same district, for execution of similar works. Another dam is being constructed on the Karamnasa river. A portion of the wages earned by the prisoners is utilised in meeting the expenditure incurred on them and the rest of the wages are credited to their personal accounts which are paid over to them on their release. This scheme has been very successful and it is hoped that this year as many as 3,000 prisoners will be working at Naugarh and will continue to work in the next financial year also. The prisoners have been participating in this scheme with great enthusiasm and they take considerable pride in their work. The scheme has changed their very angle of vision. They get better food than in ordinary jails and remissions and interviews are allowed more liberally while, at the same time, arrangements are also made for their education and recreation. The scheme aims at making the prisoners earn for their up-keep even during the period of their incarceration so that they may become honest, industrious and useful members of society. The reforming of criminals is one of the main benefits of this scheme. By being made to lead a normal life, the prisoners develop self-confidence and self-respect which makes a change in their mental outlook so much easier.

[श्री हुकुम सिंह]

Administration of Justice

37. I now wish to say something about the administration of justice in Uttar Pradesh. Both the High Court and the Government have been keenly conscious of the necessity of expeditious. Disposal of cases in the High Court itself as well as in subordinate courts. I do not wish here to go into the causes of delay in the disposal of cases. Government have analysed those causes and have taken certain steps to eradicate such delays and I think it will be better to indicate here the steps which have been taken rather than to undertake an analysis of the causes of delay.

One of the steps taken to eradicate delays was to increase the number of Munsifs and other judicial officers. In the year 1949, 15 additional courts of Munsifs were established and the number of Civil and Sessions Judges and District Judges was raised from 45 to 82. In 1951 the number of District Judges was further increased from 30 to 37 and the number of civil and Sessions Judges was raised from 15 to 45 out of which 5 constituted a leave reserve. In 1952-53, 22 temporary courts of Civil and Sessions Judges were made permanent. Steps were also taken for increasing the efficiency of the process serving peons and other establishment of the various courts.

Government had set up a Committee under the Chairmanship of Justice Wanchoo to help in divising ways and means for the expeditious disposal of cases. The committee examined the question with great ability and submitted its recommendations to Government. After mature consideration, many of the recommendations made by the committee were accepted and put into effect.

There have been complaints of lack of proper accommodation for the courts and many of the court buildings are old and in bad condition. In this matter Government have not been able to do all that was necessary, or all that they wished to do, since large sums of money are required for developmental activities. Even so, some new buildings have been constructed and repairs to some others have been carried out. A sum of Rs. 3,21,000 has been provided in the budget for the construction of a Munsif's court in Ranikhet, a Sessions House in Pauri, and 4 court rooms at Meerut, and for additions and alterations to the existing court buildings at Bahraich.

Before parting with this subject, I would like to mention that in the hill districts of the Kumaun Division and in certain portions of the Dehra Dun and Mirzapur Districts, there have been no separate civil courts at all till recently. However, civil court work can be disposed of best by those who are experts in that line and, accordingly, separate civil courts have now been established for these areas.

Local Self-Government

38. The work of the Local Self-Government Department of a Government occupies an important place in a democracy. This department deals with both the rural and urban people and it supervises the working of Panchayats, District Boards, Municipalities, Town Areas and Notified Areas to whom it issues directions from time to time. In this State Panchayats have now been in existence for some years. These

Panchayats consist of the elected representatives of the villagers and they perform their functions in accordance with the Panchayat Raj Act and Rules in their respective areas. The functions of Panchayats include the maintenance of internal and external communications, distribution of land, making arrangements for street lighting, and the maintenance of public health. For discharging these duties the Panchayats need money, and power has therefore been given to them under the law to impose certain taxes. There would perhaps be no exaggeration in saying that our Panchayat Raj system is a unique example not only for the rest of India but also for the world at large. Most of the people living in the areas in which Panchayats have been established are not even literate but they have been found to possess more than average commonsense and patriotism. Considering their lack of education, the manner in which they have been discharging their duties cannot but be regarded as satisfactory. I do not say that there are no flaws or weaknesses; actually, the existence of some defects was natural as these uneducated rural people could not be expected to discharge their duties in the way in which highly educated city dwellers may have done. All the same, they have been given some powers as no one—be he educated or uneducated—can learn the proper use of powers except by practical experience. Ours is such a big State that we cannot hope to take up, through any central organization, all the items of work which appear to be necessary in our numerous villages. This also made it necessary that certain powers should be conferred on the village people without waiting for the long period which must elapse before educating them. Power itself instils a sense of responsibility in the person on whom it is conferred. Even taking into account all that is said against the Panchayats, it would not be correct to hold that, on the whole, they have not done well. We have set up Panchayati Adalats also which have been given the power to settle disputes and decide cases which are brought before them. As with the Panchayats, we hear a lot of things about these also but, here again, the fact of the matter appears to be that despite their mistakes it cannot be said that they have not, on the whole, done well. There is a lot to be learned from experience and with the passage of time there is bound to be steady improvement in the working of both the Gram Panchayats and the Panchayati Adalats. The number of Gram Panchayats and Panchayati Adalats in Uttar Pradesh at present stands at 36,139 and 8,543, respectively. The experience of working of the Panchayat Raj system during the last few years has revealed some lacunae in the Act under which the Panchayats have been constituted and an amending Bill has therefore been prepared which will be placed before the House shortly.

Apart from Panchayats, we have the District Boards also for the rural areas. The working of these Boards has given rise to certain questions, e. g. whether the constitution of the District Boards should remain as at present or should be changed, whether they should continue to shoulder all their present responsibilities or should be relieved of some, and how the Boards are to be enabled to meet their expenses in view of the fact that their present income is proving inadequate to their requirements. It is also a matter for consideration whether the present system of electing members for the District Boards should continue, or whether the system requires to be changed. A sub-committee of the Cabinet had been formed to consider these questions, and the

[श्री हुकुम सिंह]

decisions reached by the sub-committee are being incorporated in a Bill for amending the District Board Act which will be placed before the House shortly.

It is proposed to replace the Municipal Boards in the KABAL towns of Kanpur, Agra, Banaras, Allahabad and Lucknow by Corporations. The preliminaries for the change over are being undertaken through the Administrators and a Bill has been drafted which is shortly going to be placed before the House.

At present, the items of pressing necessity are Town Planning, drainage, waterworks, and improvement of roads. There may be other requirements also but these are the more important ones for the maintenance of public health. Government have accordingly drawn up a Five-Year programme in respect of waterworks which is included in the State Five-Year Plan and Government wish to complete this programme as early as possible. Government are in a position to undertake the drawing up of town planning, drainage, and water works schemes through specialist officers who have been drawing up such schemes for the local bodies.

During the current year the Town and Village Planning Department has prepared 415 schemes of varied nature, e.g. master plans for various towns, housing schemes, road improvement schemes, planning for shopping areas, and architectural designs for various types of buildings. The total number of such schemes prepared by the department since its inception is 659 and they will be preparing another 300 schemes in the next year. These schemes have been drawn up for guiding and regulating the development of our towns and villages on scientific, sanitary and artistic lines so as to provide better living conditions to the people of the State.

Of late the question of improving the condition in which sweepers employed by Municipal Boards have been working has been engaging Government's attention and the Boards have been instructed to improve their working and living conditions as far as possible. The State Government have now moved the Government of India to arrange for funds for use on schemes for the betterment of living and working conditions of sweepers, half as loan and half as subsidy; on the same terms as have been agreed to in the case of quarters constructed under the Industrial Housing Scheme. The Five-Year programme in respect of waterworks, to which I referred a little earlier, covers the period from 1953-54 to 1957-58 and financial assistance in the shape of loans and grants-in-aid have been made available to Municipal Boards under that scheme from the current financial year which witnessed the completion of seven of waterworks projects and one drainage project. With the completion of these projects we now have 40 waterworks in the State and ten towns with regular drainage and sewage systems. Thirteen existing waterworks were also reorganized.

An *ad hoc* Board to supervise and improve the working of widows, homes and orphanages in the State has been established. Government would be giving grants to widows' homes in the State amounting to Rs. 20,000 in the current financial year.

Provision has been made in the budget for the next financial year for the construction of seven new waterworks and reorganization of three old ones and for completing two drainage schemes, and a sum of Rs. 1 lakh has also been provided for giving financial aid to charitable institutions. A sum of Rs. 60,50,000 has been also provided for payment of salaries of the Secretaries of Gaon Panchayats and for giving financial assistance to Gaon Sabhas for meeting unforeseen calamities.

A provision of Rs.4,11,500 has been made in the budget for an audit machinery which is going to be set up for audit of Panchayat accounts. The scheme is expected to pay its own way.

I would like to point out, before leaving this subject, that Government have to incur an expenditure of over Rs. 5 crores a year on the Panchayats, District Boards, and other local bodies, apart from the expenditure which these bodies incur out of their own funds. Even then the condition of the Local Bodies is not so good as Government would have wished it to be. Before concluding I may point out that in the current year the Government have given grants to the extent of Rs.40 lakhs to various district boards in order that they may pay the salaries of their teachers and also that their salaries may be paid regularly in future.

The important question of financing the activities of these bodies is before us and Government is giving anxious thought to that question.

Before concluding the subject which I have been dealing, I want to express sorrow on behalf of the State Government and myself over the sad incident in the Kumbh Mela at Allahabad. The Government had made all the necessary arrangements in order that the pilgrims may not be put to any inconvenience, but I regret to say that what should not have happened has taken place.

Community Projects and National Extension Service

39. Seventeen new community project blocks were started this year, over and above the nine which were started last year. The existing community projects cover an area of 6,000 sq. miles and cater for a population of 26 lakhs. In these community project areas intensive work is being carried on for the improvement of cultivation by distributing improved seed and implements and chemical manures, by improving the method of applying manures, by extending irrigation facilities and by the introduction of advanced methods of cultivation.

The work of saturating these areas with high class seed has also progressed considerably in the community project areas and it is expected that considerable further progress in that direction will be made in the next year in respect of wheat, barley and various 'Dals'. A new method of sowing has also been introduced in these areas with a view to economising in the quantity of seed so that the available supplies of improved seed could be used in sowing larger areas. Special emphasis has been placed on extending irrigation facilities in the community project areas and it is expected that in another two years irrigation faiclities will be available to 50 per cent. of the area covered by community projects. The other schemes which are in operation in community project areas relate to Animal Husbandry, control and treatment of cattle diseases, improvement in communications through

[श्री हुकुम सिंह]

donations of voluntary labour, social education and the establishment of self-supporting cottage industries.

National extension service blocks have either been started or are shortly going to be started in the community project areas. There are 18 centres in these national extension service blocks where villagers can be trained in a number of arts and crafts. This year two Shramdan drives were launched in which people did tank digging, construction of Bundhis, culverts and irrigation channels, collection of Kankar and digging pits for plantation of trees. Besides, proper attention was also paid in these Shramdan drives to the maintenance of works constructed during the previous drives.

Unemployment

40. It is said that unemployment in Uttar Pradesh is on the increase and Government realise that unemployment does exist. Actually, however, unemployment, in some degree or the other, is to be found at all times and in all places. Full employment is an ideal of society which it should try to attain so that those who are not fully employed may be in a position to get more work but that ideal condition would be difficult of achievement in any country. It is, however, important that wherever unemployment exists to any extent, attempts should be made to eliminate it as early as possible and the State Government are unhappy to find that some unemployment or under-employment does exist in Uttar Pradesh. It is the sincere wish of this Government that unemployment and under-employment should be eliminated as early as possible.

The 5-Year Plan of this State covers several schemes which are likely to help considerably in the attainment of that objective. These schemes are part of the schemes connected with the development of industry, education, transport, agriculture, co-operation, rehabilitation, irrigation, electric power and planning. Besides, every expansion in governmental activity helps, to a certain extent, in eliminating unemployment.

I wished to place before the House facts and figures which could indicate, precisely, the extent of unemployment. However, reliable data is not available from which the figures of unemployment could be worked out, and this is true not only of Uttar Pradesh but of the whole of India. There is only one source from which some figures bearing on this subject could be obtained but even in regard to those I could not vouch for their accuracy. I am not quoting these figures as they are already published. They go to show the extent of unemployment among those who come out of the schools and colleges after completing their education. The figures also give some idea of the rate at which these men are being absorbed in the various trades, callings, and professions. The position as it emerges from a consideration of these figures calls for immediate remedial measures. The budget which I have just presented makes provision for giving financial assistance, as usual, for the establishment and expansion of industries; in addition, it also makes provision for the setting up of a Financial Corporation, for increasing the scope of education in technical schools, for the introduction of technical courses in ordinary

schools, and for training in agriculture in rural schools. The budget also makes provision for the expenditure to be incurred on the 5-Year Plan the Community Projects and the National Extension Service. All these activities are bound to increase employment in the country. A large part of the activities of Government for which provision has been made in the budget for the next financial year, and a large part of the activities undertaken in the current financial year and earlier, have the effect of providing more employment and eliminating unemployment.

Shramdan

41. Although I have referred to Shramdan at other places in this speech, I consider it necessary to make a special reference to it here as the idea of Shramdan has appealed to a very large number of men in our State. While several other factors contribute to the making of the national character, one point which has to be borne in mind is that we should not look down upon manual labour and in particular we should not hesitate to undertake any labour which may be needed in connection with works of improvement for the country. We had several schemes under the Five-Year Plan the implementation of which would be greatly aided by contributions of voluntary labour. Since the Plan has been drawn up for the betterment of the people at large, everyone should feel interested in it and should look upon all work connected with the Plan as if it was his own normal work. The enthusiasm which is necessary for this purpose can be crated by voluntary donations of labour. From what I have seen, I can say that the Five-Year Plan has made a place for itself in the hearts of the people and people not only do not hesitate in making voluntary donations of labour in connection with the plan but are positively keen to make such donations. At the time when I was presenting the Budget for the current financial year I had given facts and figures to show the success of the Shramdan movement. The Shramdan drive was again launched from 26th January this year and in that drive I have seen thusands of men at work, constructing and repairing roads and digging pits, and I found that even though at places no government official were present, people were carrying on the work with great enthusiasm. I would have placed the figures relating to this drive before the House but they have not yet been received by Government and I am therefore helpless in the matter.

42. The development activities of which I have made a mention earlier are so numerous that on their completion an improvement in the economic condition of the people of this state is bound to follow. It is not possible that the various and numerous activities which I have described earlier should not result in material prosperity. Prosperity is bound to come on us and the sincere efforts which we are all making must be crowned with success.

Appeal

43 In this speech I have tried to draw before the House a picture of our present situation, indicating also therein the work which has to be undertaken, and is being undertaken, for bringing about an improvement. I have placed this picture before the House so that we may all work and exert ourselves to the utmost exent in raising our country to a high level.

[श्री हुकुम सिंह]

For all of us in this country today, two ways are open; one way lies progress and prosperity and the other way the deluge; and the decision has to be made now or never. It is entirely up to us to build up our country or to let it go to wreck and ruin. The situation requires that we should work together for the common good. Our views may differ, our party association may not be the same, but the time is one of emergency in which we should sink all our differences and work as a unit for the betterment of our country. I would appeal through you, Sir, to all the members of this House, and if my voice will carry beyond the four walls of this House, to the people outside also and say that Uttar Pradesh belongs to us and we to Uttar Pradesh. Our Pradesh has the right of our allegiance and it is our duty to come to the rescue of our State in its time of need. It behoves us to work for our State to the utmost limit of our capacity so that we may be able to banish want and hunger and poverty from it and may be able to raise it to a high level. After attaining independence we should put an end to our internal differences and conflict and should have abstained from following wrong channels but instead we have started withholding ourselves from the service of our country as if we have been overpowered by the difficulties which face us, and we are not making all those sacrifices which we should have been willing to make in the cause of our country. Our future generations are likely to find fault with us for not discharging our duties with ability, zeal and courage. If we do not improve we shall be lost ourselves and with us will be lost all hope for the future of Uttar Pradesh. I am, however, confident that we shall correct ourselves in time and, sinking our differences, we shall face all difficulties as they come and shall place everything at stake for securing the advancement of our State. Let us all join forces for making a success of our Five-Year Plan end thereby converting our State into a land flowing with milk and honey.

44. In the end I wish to express my thanks to Sri B. G. Rau, Finance Secretary, who has looked after the financial position of the State with ability and who has been discharging his duties in such a way that the credit of the State has been safeguarded. I am also grateful to Sri B. B. Lal, Joint Secretary in the Finance Department, who has also proved to be of great assistance to the State in all financial matters. I also wish to express my gratefulness to Sri. K. S. Goyal, Sri Keshau Das and Sri N. C. Ray, and the officials of the Finance Department who have worked hard night and day in the preparation of the budget. Nor should I forget those who have helped in the preparation and translation of the budget speech and other connected matters.

Sir, I present the budget for 1954-55.

सदन का कार्यक्रम

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—बजट के सम्बन्ध में म निवेदन करना चाहता हूं कि २४ से हम लोग मीट करें तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे बजट को देखने के लिये काफी मौका मिल सके। चार दिन बजट पर विवाद रहेगा।

श्री हुकुम सिंह—मुझे कोई एतराज नहीं है।

चेयरमैन—सदन की अगली बैठक २४ फरवरी को ११ बजे से होगी।

अब कौंसिल २४ तारीख को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ५ बजकर ३२ मिनट पर, २४ फरवरी, १९५४ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी)।

लखनऊ,
२० फरवरी, १९५४।

कृष्ण बहादुर सक्सेना
सक्रटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०--२३२ एल० सी०--१९५४--८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

२४ फरवरी, १९५४

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५८)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर
राजाराम शास्त्री, श्री
राणा शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
ललिता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
वेणी प्रसाद टन्डन, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे :—

श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
श्री हरगोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)
श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)

प्रश्नोत्तर

(वर्त्तमान सन् (१९५४) के पहले बुधवार के लिये निर्धारित प्रश्न)

पीलीभीत में सड़कों की दशा

१--श्री शिव सुमरन लाल जौहरी (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार को मालूम है कि पीलीभीत जिले में जिला हेडक्वार्टर को तहसील हेडक्वार्टर से मिलाने के लिये कोई पक्की सड़क नहीं है?

श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--जी हां।

२--श्री शिव सुमरन लाल जौहरी--क्या सरकार बतायेगी कि पीलीभीत से पूरनपुर तहसील को पक्की सड़क द्वारा मिलाने की योजना सरकार ने १९४७-४८ या १९४८-४९ या १९४९-५० में बनाई थी और वह अब तक पूरी नहीं हुई?

श्री गिरधारी लाल--ऐसी कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई थी।

३--श्री शिव सुमरन लाल जौहरी--क्या सरकार को मालूम है कि जिला पीलीभीत के हेडक्वार्टर से तहसील बीसलपुर को जाने वाली सड़क बहुत खराब दशा में है?

श्री गिरधारी लाल--यह सड़क जिला बोर्ड के अन्तर्गत है। सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

४--श्री शिव सुमरन लाल जौहरी--क्या सरकार ने पीलीभीत पूरनपुर रोड पर कुछ earth work भी कराया है और वह earth work नष्ट हो रहा है?

श्री गिरधारी लाल--पीलीभीत पूरनपुर सड़क के पीलीभीत-गजरौला भाग में सीमेंट कंक्रीट ट्रैक्स का निर्माण किया जा रहा है। शेष भाग को कच्ची सड़क के रूप में निर्मित करके जिला बोर्ड को वापस कर दिया गया है। Earth work नष्ट होने की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

५--श्री शिव सुमरन लाल जौहरी--क्या सरकार पीलीभीत के जिला हेडक्वार्टर को बीसलपुर तथा पूरनपुर तहसीलों से मिलाने वाली सड़कों को १९५४-५५ के Financial year में बनवाने का इरादा रखती है?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं।

६--श्री शिव सुमरन लाल जौहरी--(क) क्या उक्त दोनों सड़कें सरकार की पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं?

(ख) यदि नहीं, तो जिला पीलीभीत की कौन सी सड़कें पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं?

(ग) यदि कोई सड़क पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं की गई है, तो क्यों?

श्री गिरधारी लाल--(क) जी नहीं।

(ख) जिला पीलीभीत की जो सड़कें पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं, उनका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई *सूची में दिया हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शिव सुमरन लाल जौहरी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह पीलीभीत जिले में जिला हेडक्वाटर को तहसील हेडक्वार्टर से मिलाना उचित नहीं समझती है?

श्री गिरधारी लाल--उचित तो समझती है लेकिन रुपये की कमी के कारण नहीं मिला रही है अगली पंच वर्षीय योजना में वह जरूरी समझा जायेगा।

---

*देखिये नत्थी "क" पृष्ठ ३६६ पर।

श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या सरकार को मालूम है कि पीलीभीत-टनकपुर होकर जो सड़क जाती है तो वहां पर जो नदी देवा है उसका बांध बरसात में टूट गया था ?

श्री गिरधारी लाल—हो सकता है, लेकिन इस की कोई सूचना नहीं है।

श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या सरकार इसका उचित प्रबंध करने की कोशिश करेगी और जो बांध टूट गया है उसकी सूचना मंगायेगी ?

श्री गिरधारी लाल—अगर माननीय सदस्य की ख्वाहिश है तो उस की इत्तला जरूर मंगाई जायगी।

गवर्नमेंट प्रेसिशन इन्स्ट्रुमेंट फैक्ट्री, लखनऊ

७—श्री सरदार संतोष सिंह (नाम निर्देशित)—क्या सरकार बतायेगी कि गवर्नमेन्ट प्रेसिशन इंस्ट्रुमेंट फैक्टरी लखनऊ में १/२ इंच वाले मीटर प्रति दिन कितने तैयार किये जायेंगे ?

7. **Sri Sardar Santokh Singh** (nominated) : Will the Government state how many meters of ½" are going to be prepared daily in Government Precision Instrument Factory, Lucknow ?

श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)—वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग २४, १/२ इंच वाले वाटर मीटर प्रति दिन बन रहे हैं। आशा है कि सन् १९५४-५५ में लगभग ३० वाटर मीटर प्रति दिन बनाये जावेंगे।

Sri Hukum Singh (Minister for Industries) : On an average 24, ½" water meters are being produced daily during the current financial year, and during 1954-55 the Factory is expected to produce about 30, ½" water meters daily.

८—श्री सरदार संतोष सिंह—क्या उक्त फैक्टरी में दूसरी नाप के मीटर बनवाने का सरकार का कोई इरादा है।

8. **Sri Sardar Santokh Singh :** Has the Government any intention of preparing Meters of the other sizes also in the above factory ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां। ३/४ वाले वाटर मीटर भी बनाने का इरादा है।

Sri Hukum Singh : Yes. ¾" water meters are also proposed to be manufactured.

९—श्री सरदार संतोष सिंह—क्या सरकार तफसील के साथ बतायेगी कि १९५१-५२ व ५२-५३ में इस फैक्टरी को कितना मुनाफा हुआ ?

9. **Sri Sardar Santokh Singh :** Will the Government give in detail t profit made by the above factory in the year 1951-52 and 1952-5?

श्री हुकुम सिंह—इन वर्षों में कोई लाभ नहीं हुआ।

Sri Hukum Singh : No profits were made during these

श्री सरदार संतोष सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतला फायदा नहीं हुआ तो क्या नुक्सान हुआ ?

श्री हुकुम सिंह—हां, कुछ नुक्सान जरूर हुआ।

श्री सरदार संतोष सिंह—कितना नुक्सान हुआ ?

श्री हुकुम सिंह—तादाद बतलाने के लिए नोटिस की जरू

१०—श्री सरदार संतोष सिंह—क्या सरकार का के हुई मशीन की उत्पादन शक्ति बढ़ाने का है ?

10. **Sri Sardar Santokh Singh**; Has Government any idea of increasing the capacity of the plant fixed in this factory ?

श्री हुकुम सिंह--जी हां ।

Sri Hukum Singh : Yes.

११--**श्री सरदार संतोष सिंह**--क्या सरकार बतायेगी कि इस फैक्टरी और इसकी इमारत पर माहवारी कुल कितना रुपया खर्च होता है ?

11. **Sri Sardar Santokh Singh** : Will Government state the total amount of money that is spent monthly on this factory and its building ?

श्री हुकुम सिंह--फैक्टरी पर लगभग ३५,००० रु० मासिक व्यय होता है । फैक्टरी की इमारतों पर पृथक् रूप से कोई व्यय नहीं होता है।

Sri Hukum Singh : On an average working expenses come to Rs.35,000 per mensem There is no separate expenditure on the buildings of the Factory.

१२--**श्री सरदार सन्तोष सिंह**--क्या सरकार बतायेगी कि इस फैक्टरी में कितने निपुण श्रमिक नौकर हैं ?

12. **Sri Sardar Santokh Singh** : Will Government state how many skilled workers are employed in this factory ?

श्री हुकुम सिंह--१४३ ।

Sri Hukum Singh : 143 skilled workers.

१३--**श्री सरदार सन्तोष सिंह**--(क) क्या सरकार बतायेगी कि अपरेन्टिसों को कोई सुविधायें दी जाती हैं ?

(ख) यदि हां, तो वह क्या हैं ?

13. **Sri Sardar Santokh Singh** : (*a*) Will Government state if any facilities are given to the apprentices ?

(*b*) If so, what are they ?

श्री हुकुम सिंह--अपरेन्टिस इन्जीनियर को ७५ रु० मासिक और ट्रेड अपरेन्टिस को २५ रु० मासिक वृत्ति दी जाती है ।

Sri Hukum Singh : A stipend of Rs.75/ per mensem is allowed to Apprentice Engineers and Rs.25/ per mensem to Trade apprentices.

१४--**श्री सरदार संतोष सिंह**--क्या इस फैक्टरी में अपरेन्टिसों और श्रमिकों को नौकर रखने के सम्बन्ध में कोई नियम है ?

14. **Sri Sardar Santokh Singh** : Are there any rules regarding the employment of the apprntices and workers in this factory ?

श्री हुकुम सिंह--योग्यता के अनुसार अपरेन्टिस इन्जीनियरों की भरती इन्जीनियरिंग विश्वविद्यालय रुड़की तथा सरकारी टेक्निकल इन्स्टीट्यूट लखनऊ व गोरखपुर (प्रत्येक में से एक एक) से की जाती है । ट्रेड अपरेन्टिस व श्रमिक ४ से ७ दिन के ट्रेड टेस्ट के पश्चात् भरती किये जाते हैं । श्रमिकों को मासिक या दैनिक मजदूरी उनकी योग्यता के अनुसार निश्चित की जाती है ।

Sri Hukum Singh : Apprentice Engineers are recruited from the Engineering University, Roorkee, and Government Technical Institutes Lucknow and Gorakhpur (one from each) according to merit. Trade apprentices and workers are employed after a Trade Test lasting from

4 to 7 days. The monthly or daily wages of the workers are fixed according to their skill in the trade.

१५-२५—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—[स्थगित]।

उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की योजना

२६—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने प्रदेश में कुछ नये प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के खोलने की योजना बनाई है ?

(ख) यदि हां, तो कितने स्कूल खोले जायेंगे और कितने अध्यापक उनमें रक्खे जायेंगे ?

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)—(क) कोई इस प्रकार की नई योजना नहीं बनाई गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

२७—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह कोई ऐसी योजना बना रही है अथवा बना चुकी है, जिसके अनुसार गांवों के जूनियर और प्राइमरी स्कूलों में कृषि की अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि इस कृषि शिक्षा के लिये सरकार ने भूमि को अलाट करने का क्या प्रबन्ध किया है और यह भूमि कहां से दी जायगी ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) जी हां, जू० हा० स्कूलों में कृषि शिक्षा अनिवार्य करने की योजना बनाई जा चुकी है। प्राइमरी स्कूलों के संबंध में योजना बनाई जा रही है।

(ख) भूमि स्थानीय जनता से दान के रूप में अथवा गांव सभाओं से बिना मूल्य प्राप्त की जायगी और जहां यह सम्भव न होगा वहां लगान पर भूमि लेने का प्रयत्न किया जायगा।

२८—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देहातों में जो जूनियर हाई स्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल पहिले से ही कृषि की शिक्षा दे रहे हैं उन्हें सरकार क्या सहायता देगी ?

श्री हर गोविंद सिंह—शासन का विचार जू० हा० स्कूलों में इस योजना के अन्तर्गत होने वाले आवर्तक व्यय को वहन करने का है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश में बहुत से जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं, जिनको कोई ग्रान्ट या एड नहीं मिलती है और जो ऐग्रीकल्चर की शिक्षा देते हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जूनियर हाई स्कूल अधिकतर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत होते हैं इसलिये उनको ग्रान्ट मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—बहुत से जूनियर हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत नहीं हैं बल्कि पब्लिक के अन्तर्गत हैं जिनके पास काफी पैसा नहीं है कि वह ऐग्रीकल्चर की शिक्षा व्यवस्थित रूप से दे सकें तो क्या सरकार को मालूम है ऐसे जूनियर हाई स्कूलों को ग्रान्ट नहीं दी गई है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—कुछ जूनियर हाई स्कूलों को ग्रान्ट मिलती है अगर माननीय सदस्य किसी खास स्कूल के बारे में कोई सवाल पूछना चाहें तो उसकी सूचना प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यह बताना कि कितने जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनको ग्रान्ट नहीं मिलती होगी, इस समय असम्भव है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जो भूमि इन शिक्षा संस्थाओं को दी जायगी उसको देने के क्या प्रोसीजर हैं। क्योंकि जब तक किसान भूमिधर नहीं बन जाता तब तक वह अपनी जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकता है।

श्री हर गोविन्द सिंह--वह भूमि जूनियर हाई स्कूलों को देंगे तो वह असामी भी हो सकता है और किसान भी हो सकता है, अगर किसी को भूमि के देने में कोई कानूनी अड़चन पैदा होगी तो उसको दूर करने की कोशिश की जायगी।

श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि इनमें जो अध्यापक रक्खे जायेंगे वह स्थायी आधार पर होंगे या अस्थायी आधार पर होंगे ?

श्री हर गोविन्द सिंह--अस्थायी।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि जो प्रधान अध्यापक हैं वह जूनियर स्कूलों में कितना वेतन पाते हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह--यह तो इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है लिहाजा उसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि यह प्रयोग एक छोटे से क्षेत्र में किया जाय, न कि सारे प्रान्त में ?

श्री हर गोविन्द सिंह--हां यों तो सारे प्रान्त में किया जा सकता है लेकिन यह प्रान्त भर के सिर्फ ३२०० स्कूलों में किया जा रहा है और प्रान्त में कई हजार स्कूल होंगे। इससे यह चीज सिद्ध होती है कि यह प्रयोग सारे प्रान्त भर में नहीं हो रहा है।

श्री हृदय नारायण सिंह-- क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो शिक्षा संस्थायें हैं वह व्यावसायिक आधार पर चल सकती हैं ?

चेयरमैन--यह तो राय की बात है।

बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट के कार्यालय में स्कूलों तथा कालेजों के मान्यता के लिये प्रार्थना-पत्र

२९--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट के कार्यालय में इस समय (अक्तूबर १९५३ तक) कितने प्रार्थना-पत्र स्कूलों और कालेजों की मान्यता के लिये मौजूद हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह--माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय में ३१ अक्टूबर, १९५३ तक हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेजों की मान्यता के लिये ५९३ आवेदन पत्र विचारधीन थे।

३०--श्री प्रताप चन्द्र आजाद-क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मान्यता के लिये जो प्रार्थना-पत्र आते हैं वह तुरन्त ही पहिली बैठक में क्यों नहीं पेश किये जाते हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह--परिषद् के नियमानुसार मान्यता सम्बन्धी आवेदन-पत्र पर सम्बंधित निरीक्षण अधिकारी तथा शिक्षा संचालक की संस्तुति प्राप्त करना अनिवार्य है, अतः आवेदन-पत्र प्राप्त होते ही तुरन्त उन्हें मान्यता समिति की पहिली बैठक में विचारार्थ रखना सम्भव नहीं है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह मान्यता के प्रार्थना-पत्र, जिनकी संख्या ५९३ है, आफिस में कितने वर्षों से पड़े हुये हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह--यह तो ३१ अक्तूबर, १९५३ तक आये हैं अब यह कितने दिन पहले से आये हैं यह बताना मुश्किल है क्योंकि इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

३१--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या यह सच है कि मान्यता के लिये आये हुये प्रार्थना-पत्र एक-एक साल तक कार्यालय में ही पड़े रहते हैं और मान्यता कमेटी के सामने पेश नहीं किये जाते हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह--जी नहीं।

३२--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार प्रश्न २९ में उल्लिखित मान्यता के लिये प्रार्थना-पत्रों को तिथिवार मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हर गोविन्द सिंह--जी नहीं। यह सम्भव नहीं है।

गन्ने के भावों में कटौती

३३--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार की ओर से गन्ने का जो भाव १ रुपया सात आना मन नियत है उसमें से उन किसानों का दो आना मन क्यों काट लिया जाता है जो गन्ना फैक्टरी से बाहर के गन्ना सेन्टरों पर भेजते ह ?

श्री हुकुम सिंह--इस प्रकार की कोई कटौती गन्ने के मूल्य में नहीं होती, किन्तु केन्द्रीय सरकार ने रेल सेन्टर पर बेचे जाने वाले गन्ने का भाव गेट में बेचे जाने वाले गन्ने के भाव से दो आने प्रति मन कम रक्खा है। जो गन्ना किसान फैक्टरी के बाहर के रोड सेन्टर्स पर बेचते हैं उस पर फासले आदि के अनुसार केन कमिश्नर ट्रांसपोर्ट चार्जेज के लिए तीन आने मन तक कटौती कर सकते हैं।

३४--श्री प्रताप चद्र आजाद--(क) क्या यह ठीक है कि १९५० से पहले इस प्रकार की कोई कटौती इन गन्ना सेन्टरों पर किसानों से नहीं की जाती थी ?

(ख) यदि हां, तो सरकार इस प्रकार की कटौती अब क्यों होने दे रही है ?

श्री हुकुम सिंह--(क) फैक्ट्री के बाहर के रोड सेन्टर पर बेचे जाने वाले गन्ने के भाव में फासले आदि के अनुसार कटौती १९५० के पहले से होती आई है किन्तु रेल सेन्टर पर बेचे जाने वाले गन्ने का भाव केवल पारसाल से केन्द्रीय सरकार ने दो आने प्रतिमन कम नियत किया है।

(ख) गन्ने का भाव अब केन्द्रीय सरकार नियत करती है और चूंकि मिल मालिक रेल में अपने खर्चे से गन्ना लाते है इसलिए उन्होंने रेल सेन्टर के गन्ने का भाव दो आने प्रतिमन कम रक्खा है।

गन्ना फैक्टरियों पर किसानों का बकाया रुपया तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

३५--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन-किन गन्ना फैक्टरियों पर किसानों का रुपया अबतक (अक्तूबर, १९५३) वाजिब है ?

(ख) क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वह इन फैक्टरियों के मालिकों के विरुद्ध क्या क़ानूनी कार्यवाही रुपया दिलाने के लिये कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह--(क) *विवरण संलग्न है।

(ख) उक्त मिलों के विरुद्ध गन्ना सहकारी समितियों ने यू० पी० शूगर फैक्ट्रीज़ कन्ट्रोल ऐक्ट ऐण्ड रूल्स और कोआपरेटिव सोसायटीज़ ऐक्ट के अन्तर्गत आर्बीट्रेशन दावे दायर किये थे और भी दावे दायर हो रहे हैं। कुछ में डिक्री भी दी जा चुकी है।

---

*देखिये नत्थी "ख" पृष्ठ ३६७ पर।

३६--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नये संशोधित ऐक्ट के अनुसार अब तक कितने ऐसे गन्ना मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है जिन्होंने किसानों के गन्ने का रुपया अदा नहीं किया है ?

श्री हुकुम सिंह--नये ऐक्ट के अन्तर्गत अभी किसी चीनी मिल के विरुद्ध किसानों के पुराने बकाये की वसूली के लिए कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि नये ऐक्ट के मुताबिक किसानों की ओर से कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई जब कि खुद माननीय मंत्री ने बताया कि किसानों के पुराने बक़ाये की वसूली का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है ?

श्री हुकुम सिंह--एक वक्त में दो कार्यवाही करना क़ानूनी तौर पर नामुनासिब है। पहले आर्बिट्रेशन के दावे चल रहे हैं इस वजह से दूसरी कार्यवाही नहीं हो सकती ।

३७-४०--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(स्थगित) ।

गोकुलनगर शूगर फैक्टरी के न चलाये जाने के कारण

४१--**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोकुल नगर शूगर फैक्टरी के मालिकों ने कुछ समय पूर्व किन कारणों से फैक्टरी चलाने से इनकार कर दिया था ?

(ख) क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब यह फैक्टरी किस आश्वासन पर खुल रही है ?

श्री हुकुम सिंह--(क) गोकुलनगर शुगर फैक्टरी के मालिकों ने १ मई, १९५३ को इस आशय का नोटिस दिया था कि १९५१-५२ और १९५२-५३ सीजनों में फैक्टरी में खर्चा ज्यादा होने तथा लाभ न होने के कारण वे १९५३-५४ सीजन में फैक्टरी नहीं चलायेंगे।

(ख) इस सीजन में यह फैक्टरी नहीं चल रही है ?

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि गोकुल नगर शूगर फैक्टरी को गन्ना कौन सी फैक्टरी से दिया जाता है ?

श्री हुकुम सिंह--उसे शायद बरेली और बहेड़ी से दिया जाता है ।

४२--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(क) क्या यह सच है कि गोकुल नगर शूगर फैक्टरी के मालिकों द्वारा न चलाये जाने की सूचना पर केन डेवलप्मेंट फेडरेशन (Cane Development Federation) ने इस फैक्टरी को चलाने की आज्ञा सरकार से मांगी थी ?

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों के अनुसार ?

(ग) क्या सरकार बतायेगी कि Federation ने यह फैक्टरी क्यों नहीं चलाई ?

श्री हुकुम सिंह--(क) जी हां।

(ख) यू० पी० केन यूनियन्स फेडरेशन इस शर्त पर गोकुलनगर मिल चलाने को तैयार था कि उसे गन्ने के मूल्य में से २ आना प्रति मन एक सस्पेन्स एकाउन्ट (Suspense account) में रख छोड़ने का अधिकार दे दिया जाय, और इस रक़म का भुगतान सीज़न के अन्त में यदि मिल को कोई नुक़सान हो तो उसको पूरा कर लेने के बाद किया जाय। अन्त में यदि हानि २ आना प्रति मन गन्ने से अधिक हो तो सरकार सेस में भी एक आना प्रति मन गन्ने तक की छूट दे ।

(ग) भारत सरकार ने फेडरेशन को Essential Supplies Act के अन्तर्गत २१ सितम्बर को गोकुल नगर मिल का नियन्त्रक नियुक्त कर दिया, किन्तु इस ऐक्ट के अन्तर्गत फडरेशन को बहुत ही सीमित अधिकार मिले थे, अतः फेडरेशन के कहने पर, भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि वह फेडरेशन को Industries Development and

Regulation Act के अधीन नियन्त्रक नियुक्त करें, किन्तु भारत सरकार ने इस मामले में कानूनी कठिनाइयों के कारण फेडरेशन को Industries Development and Regulation Act के अधीन फैक्टरी का Authorized Controller नियुक्त करने से इन्कार कर दिया और फलस्वरूप अपनी पहली २१ सितम्बर की विज्ञप्ति को भी रद्द कर दिया। इसलिये फेडरेशन इस फैक्टरी को न चला सका।

४३--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोकुल नगर शूगर फैक्टरी गन्ना देने वालों को सरकारी रेट के हिसाब से दाम दे रही है ?

(ख) यदि कम रेट के हिसाब से दे रही है तो इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुम सिंह--(क) यह फैक्टरी इस सीजन में नहीं चल रही है, अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

(ख) यह प्रश्न भी नहीं उठता।

शिक्षालयों में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को अवैधानिक आन्दोलन की प्रेरणा दिया जाना

४४--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास इस प्रकार के समाचार पहुंचे हैं कि कुछ शिक्षालयों में ऐसे अध्यापक हैं जो विद्यार्थियों को हिंसा और अवैधानिक आन्दोलन की प्रेरणा देते हैं और प्रचार करते हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--(क) इस प्रकार की कोई निश्चित सूचना नहीं है, परन्तु सम्भव है कि इस प्रकार के कुछ अध्यापक हैं।

(ख) जिनके सम्बन्ध में इस प्रकार की निश्चित सूचना मिले उनके विरुद्ध क़ानूनी अथवा विभागीय, जैसी आवश्यकता हो, कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री ने इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने की कोई कोशिश की है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--जी नहीं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री भविष्य में इस प्रकार की सूचना जानने के लिये कोई क़दम उठायेंगे ?

श्री हर गोविन्द सिंह--मेरे ख्याल में यह कोई ज्यादा उचित नहीं होगा कि मैं सभी जगह के लिये एक सर्कुलर इस तरह का भेजूं कि अध्यापक लोग ऐसा कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे हमें यह मानना चाहिये कि अध्यापक लोग ऐसा कार्य नहीं करते हैं, और अगर कहीं से हमारे पास इस प्रकार की सूचना आयेगी तो हम उसपर कार्यवाही करेंगे। जनरली इस प्रकार की सूचना जानना मेरी समझ में उचित नहीं है।

४५--४६--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--[स्थगित किये गये।]

चम्पावती नगरी के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

४७--**श्री कृष्ण चन्द्र जोशी** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार को विदित है कि चम्पावती नगरी, तहसील चम्पावत की आर्थिक दशा अत्यन्त गिर गई है तथा वहां शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का नितान्त अभाव है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--जी हां, परन्तु शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का नितान्त अभाव नहीं है।

४८—श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—तहसील चम्पावत के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा निम्न माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है। इनमें से हर एक मे विद्यार्थियों की संख्या क्या है?

श्री हर गोविन्द सिंह—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय १, विद्यार्थियों की संख्या ३४९। निम्न माध्यमिक विद्यालय ६, विद्यार्थियों की संख्या ३९९।

४९—श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—क्या सरकार को विदित है कि चम्पावत तहसील में शिक्षा की कमी को दूर करने के ध्येय से चम्पावती नगरी में जनता ने चन्दे से एक जूनियर स्कूल की स्थापना की हैं जो ६–७ साल से चन्दे से चल रहा है?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां।

५०—श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—(क) क्या जनता ने सरकार के पास प्रश्न नं० ४९ में वर्णित चम्पावत के जूनियर स्कूल को १,००० रुपये की सालाना मदद तथा ३,००० रुपये भवन निर्माण के हेतु प्रदान करने के निमित्त प्रार्थना–पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा भेजा था?

(ख) क्या सरकार इस प्रार्थना–पत्र पर विचार कर चुकी है?

(ग) उपर्युक्त प्रार्थना–पत्र पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) जी हां।

(ख) विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रार्थना-पत्र कब आया था?

श्री हर गोविन्द सिंह—मुझे इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कब तक यह प्रश्न उनके विचाराधीन है?

श्री हर गोविन्द सिंह—जब तक इस पर फैसला न हो जाय।

श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने दिन फैसला होने में लगेंगे या कितने साल फैसला होने में लगेंगे?

श्री हर गोविन्द सिंह—साल तो नहीं लगेंगे।

राज्य के विभिन्न विभागों में खादी का क्रय

५१—श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—(क) सरकारी आदेशानुसार राज्य के विभिन्न विभागों मे १९५३ में कितने मूल्य की खादी खरीदी गई?

(ख) इन विभागों के नाम क्या हैं?

श्री हुकुम सिंह—५,४९,२३४ रुपये की खादी खरीदी गई।

इन विभागों के नाम निम्नलिखित हैं :—

(१) चिकित्सा विभाग।

(२) सार्वजनिक निर्माण विभाग।

(३) जेल विभाग।

(४) अन्य विभाग।

श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन—क्या यह संभव नहीं है कि इन विभागों में अलग-अलग कितनी खादी खरीदी गयी है, बताया जाय ?

श्री हुकुम सिंह—हां कुछ हैं—जेल डिपार्टमेंट ३,४०,८९२ रु० ।
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट २६,००८ रु० ।
मेडिकल डिपार्टमेंट ९९,७५७ रु० ।

बकिया डिपार्टमेन्ट की अलग-अलग फिगर्स मौजूद नहीं हैं । टोटल ८२,५७७ और इस तरह से ५ लाख ४९ हजार हैं ।

श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन—क्या लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट में खादी नहीं खरीदी गई ?

श्री हुकुम सिंह—हो सकता है वह अदर डिपार्टमेंट में शामिल हो ।

श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि विधान मंडल के सदस्यों के लिये खादी पहनना अनिवार्य हो ?

श्री हुकुम सिंह—इस बात के लिये प्रेस नहीं किया जा सकता है, हर शख्स अपनी तबियत का मालिक है ?

राजकीय जूनियर हाई स्कूल, नौगढ़

५२—श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या शिक्षा मन्त्री को यह ज्ञात है कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल, नौगढ़, जिला बनारस के अध्यापक प्रायः गैर हाजिर रहते हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां, इस प्रकार की शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की गई थी ।

५३—श्री राम नन्दन सिंह—उपर्युक्त स्कूल कब स्थापित हुआ था ?

श्री हर गोविन्द सिंह—अक्टूबर १९४९ में ।

५४—श्री राम नन्दन सिंह—पिछली वार्षिक परीक्षा तक इस स्कूल से कितने विद्यार्थी दर्जा ८ पास कर चुके हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह—कोई नहीं ।

५५—श्री राम नन्दन सिंह—क्या वहां के अध्यापकों के गैर हाजिर रहने की शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक को भी प्राप्त हुई थी ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां ।

५६—श्री राम नन्दन सिंह—यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(१) अध्यापकों का वेतन अक्तूबर १९५३ से रोक दिया गया है और पूरी छानबीन करने के बाद आगे कार्यवाही की जायेगी ।

(२) राजकीय जूनियर हाई स्कूल, नौगढ़ अभी तक अमदहा ग्राम में लगता था जो नौगढ़ के पास है । अब उसे नौगढ़ में लगाने की व्यवस्था की गई है ।

(३) इस स्कूल की देखभाल के लिए स्थानीय समिति की व्यवस्था की गई है ।

(४) उप जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिया गया है कि वे इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत ध्यान दें और देखें कि विद्यालय सुचारु रूप से चल रहा है ।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास किसकी तरफ से शिकायत की गई थी । उस समय में मास्टरों ने तवज्जह के साथ पढ़ाया नहीं और इम्तिहान में बैठने के लिये फ़ीस भी नहीं दाखिल की गई ।

श्री हर गोविन्द सिंह—किसने शिकायत भेजी, इसकी तो सूचना है नहीं लेकिन शिकायत आई थी यह निश्चित है।

५७—६८—श्री राम नन्दन सिंह—[स्थगित]।

माध्यमिक शिक्षालयों के लिये एकाउन्ट रूल का निर्धारण

६९—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि माध्यमिक शिक्षालयों के लिये अभी तक (३१ दिसम्बर, १९५३) कोई एकाउन्ट रूल निर्धारित तथा प्रकाशित नहीं हुये हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह—सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लेखा नियम तथा फार्म शिक्षा संहिता के परिशिष्ट ३ में निर्धारित हैं।

७०—श्री हृदय नारायण सिंह—यदि प्रश्न संख्या ६९ का उत्तर हां में है, तो क्या सरकार उनके लिये एक आर्थिक नियम संग्रह फाइनेन्शियल हैन्ड बुक के तरीके पर तैयार करवाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन्डाउमेंट फन्ड कैसे रखा जाता है और उस रिकार्ड के लिये कोई नियम है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—मैं समझता हूं कि कोई नियम अवश्य है।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं उसका उत्तर लिखित चाहूंगा कि अगर कोई नियम हो तो बताया जाय, यह मैं चाहता हूं।

श्री हर गोविन्द सिंह—मैं आप को तरकीब बताता हूं आप एक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या माननीय मंत्री यह भी जानते हैं कि वह अक्सर शिक्षा संस्थाओं में जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कमेन्ट्स करते हैं। उनके कमेन्ट्स बड़े कान्फ्लिक्टिंग होते हैं।

चेयरमैन—इस संबंध में तो आप डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन से बातें कर सकते हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं कह दूं कि स्पष्ट नियम नहीं है। इन प्रश्नों के द्वारा मैं इस ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

७१—७९—श्री हृदय नारायण सिंह—[स्थगित]।

८०—८३—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—[स्थगित]।

प्रदेश के लेखकों, साहित्यकारों व पत्रकारों की दशा में सुधार

८४—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह प्रदेश के लेखकों, साहित्यकारों और पत्रकारों की दशा सुधारने के लिये कोई योजना बना रही है ?

(ख) यदि उत्तर हां में है, तो वह योजना क्या है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—एक योजना पहले से ही चल रही है।

८५—श्री प्रताप चंद्र आजाद—क्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत से अच्छे कवि, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार निर्धनता के कारण अपने साहित्य को जनता के सम्मुख उपस्थित नहीं कर सकते हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां, निर्धनता भी एक कारण है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्रकारों और साहित्यकारों के लिए जो पहले से योजना चल रही है, वह क्या है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—लेखकों, साहित्यकारों के साथ पत्रकार भी आ जाते हैं। अलग-अलग यह सब नहीं हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत कितने लेखकों, साहित्यकारों, पत्रकारों को सहायता दी गई ?

श्री हर गोविन्द सिंह—यह तो बड़ी लम्बी सूची होगी। प्रश्न के उत्तर में बतलाना सम्भव नहीं होगा।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जो सहायता की गई है वह किस प्रकार की है ? मानीटरी सहायता की गई है या किसी अन्य प्रकार की सहायता की गई है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—हां, मानीटरी सहायता की गई है। उनकी किताबों पर पुरस्कार दिए गए हैं, किताबें खरीदकर लाइब्रेरीज को दी गई हैं। अगर बीमार हैं तो उनके उपचार के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई है।

[वर्तमान सत्र (१९५४) के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित प्रश्न]

हायर सेकेण्डरी स्कूलों के टीचरों के लिए छुट्टी के नियम

*१—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)—(क) उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों के टीचरों के लिये छुट्टी लेने के संबंध में क्या नियम हैं ?

(ख) क्या सरकार उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

(ग) क्या यह छुट्टी के नियम उन छुट्टी के नियमों से भिन्न हैं जो सरकारी शिक्षा संस्थाओं के टीचरों के सम्बन्ध में हैं ?

1. **Kanhaiya Lal Gupta** (Teachers, Constituency) (*absent*): (*a*) What are the leave rules for the teachers of the recognised non-Government Higher Secondary Schools in U. P. ?

(*b*) Will the Government be pleased to place a copy of the same on the table of the House ?

(*c*) Are these leave rules any way different from those meant for the teachers of Government Institutions ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) ऐसे अध्यापकों के छुट्टी सम्बन्धी नियम शिक्षा संहिता के परिशिष्ट ५* तथा १० के अनुच्छेद ६ में लिखित हैं।

(ख) प्रतिलिपियां माननीय सदस्य के मेज़ पर रख दी गई हैं।

(ग) जी हां।

Sri Har Govind Singh : (*a*) Leave admissible to such teachers is given in paragraph 6 of *Appendix V and X of the Educational Code.

(*b*) Copies have been placed on the table of the Hon'ble member.

(*c*) Yes.

---

*प्रश्न संख्या १—६ श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन द्वारा पूछे गये।

*देखिए नत्थी 'ग' (अंग्रेज़ी में) पृष्ठ ३६८ पर

२—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों के टीचरों की ओर से कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र मिला है जिसमें उन्होंने यह प्रार्थना की है कि उनको वही छुट्टी सम्बन्धी सुविधायें मिलना चाहिये जो सरकारी स्कूलों के टीचरों को प्राप्त हैं ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है और वह कब से लागू हुआ है ?

2. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*) : (*a*) Have the Government received any representation from the teachers of non-Government Higher Secondary Schools of U. P. requesting that they be allowed the same leave previledges as the teachers in Government Schools?

(*b*) If so, what has been the decision of the Government in the matter and since when has it been made applicable ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) और (ख) जी नहीं। परन्तु सहायता-प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के छुट्टी सम्बन्धी नियमों में संशोधन का प्रश्न पहले से ही शासन के विचाराधीन है।

Sri Har Govind Singh: (*a*) No. But the question of revision of leave rules in respect of teachers, and

(*b*) of aided institutions is already under consideration of the Government.

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रिविलेज देने के लिए भी विचार किया जा रहा है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—उसमें यह सभी प्रश्न विचाराधीन हैं।

स्कूलों का प्राविडेन्ट फंड एकाउन्ट

३—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—(क) क्या यह ठीक है कि सहायता-प्राप्त सेकेन्डरी स्कूलों के प्राविडेन्ट फंड एकाउन्ट में सरकार की ओर से दिया हुआ पैसा प्रत्येक वर्ष नहीं जमा किया जाता ?

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) जी हां।

(ख) शिक्षा संहिता के परिशिष्ट ४ में दिये नियम ५ के अनुसार ऐसा किया जाता है। उक्त नियम की प्रतिलिपि* प्रस्तुत है।

४—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—(क) क्या यह ठीक है कि पिछले ६ वर्षों में अध्यापकों की संस्था ने उस सम्बन्ध में कई बार दरख्वास्तें की हैं ?

(ख) क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) जी हां।

(ख) यह प्रसंग बहुत समय से सरकार के विचाराधीन है इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी किया गया है। उक्त आदेश के फलस्वरूप राजकीय अंश के भुगतान में अधिक विलम्ब होने की सम्भावना नहीं होगी।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि प्राविडेन्ट फंड न जमा होने का एक कारण यह भी है कि गवर्नमेन्ट से अनुदान मिलने में विलम्ब होता है। इस कारण अध्यापक नहीं जमा करते।

---

*देखिये नत्थी 'घ' पृष्ठ ३६९ पर।

श्री हर गोविन्द सिंह—मेरे ख्याल से अनुदान विलम्ब से मिलने का तो कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। इसका गवर्नमेन्ट की अनुदान से कोई संबंध नहीं है। स्कूल का कंट्रीब्यूशन, टीचर्स की पे का कंट्रीब्यूशन तो जमा होना ही चाहिए।

५—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—(क) क्या राज्य में कोई योजना प्राविडेंन्ट फंड–कम–पेन्शन–कम–इन्श्योरेन्स स्कीम के नाम से लागू है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हर गोविन्द सिंह (क)—जी हां।

(ख) स्कीम के नियमों की एक प्रति* सदन की मेज पर प्रस्तुत की जाती है।

६—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार कोई ऐसी योजना सेकेन्डरी शिक्षा संस्थाओं के लिये लागू करने के सम्बन्ध में सोच रही है?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी नहीं।

७—१४—श्री राम किशोर शर्मा (अध्यापक निर्वाचन–क्षेत्र)—[स्थगित]।

१५—२२—श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—[स्थगित]।

२३—२८—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—[स्थगित]।

२९—३५—श्री कुंवर महावीर सिंह (विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र)—[स्थगित]।

देहातों के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल

३६—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है जिसके अनुसार देहातों के प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के प्रबन्ध के लिये गांव के प्रमुख व्यक्तियों की कमेटियां बनाई जायेंगी?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि वह योजना क्या है?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) जी हां।

(ख) योजना की एक प्रति* अवलोकनार्थ संबद्ध है?

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सब वेतन का योग पहले वर्ष कितना होगा?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो इस बात पर निर्भर होगा कि कितने ग्रेजुएट होते हैं और कितने अंडर–ग्रेजुएट होते हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या उनकी संख्या निर्धारित नहीं है?

श्री हर गोविन्द सिंह—हां। एक हजार ग्रेजुएट होंगे और बकिया दो हजार के करीब अंडर–ग्रेजुएट होंगे और २०० क्रेफ्ट टीचर्स होंगे। वह तो आप भी जोड़ सकते हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—और इक्विपमेंट में तथा जमीन प्राप्त करने में कितना खर्च लगेगा?

श्री हर गोविन्द सिंह—जमीन प्राप्त करने में तो अभी कोई धन व्यय नहीं करेंगे। इक्विपमेंट के सम्बन्ध में ऐसा समझा जाता है कि करीब १,५०० रुपये लगेंगे फी स्कूल।

३७—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देहातों में जो स्कूल स्थित हैं, सरकार उन्हें गांव सभाओं को देने का विचार कर रही है?

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार, यदि नहीं तो क्यों?

---

* देखिये नत्थी 'ङ' पृष्ठ ३७० पर।
*देखिये नत्थी "च" पृष्ट ३८३ पर।

श्री हर गोविन्द सिंह--(क) अभी तो कई कारणों से इस पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) वित्तीय और प्रशासकीय कठिनाइयां सर्व प्रधान हैं ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देहातों के जूनियर हाई स्कूलों में जो कृषि अध्यापक रक्खे जायेंगे उनका वेतन सरकार अपने कोष से देगी या स्कूलों को स्वयं प्रबन्ध करना पड़ेगा ?

(ख) यदि सरकार अपने कोष से देगी तो अध्यापकों का वेतन और मंहगाई क्या होगी ?

श्री हर गोविन्द सिंह--(क) उक्त कृषि अध्यापकों का वेतन सरकार देगी ।

(ख)

कृषि शिक्षा-प्राप्त ग्रेजुयेट अध्यापक	वेतन-क्रम १२०--८--२०० यो० प्र० १०--३०० एवं ३० रु० मासिक मंहगाई
कृषि में डिप्लोमा-प्राप्त अथवा अंडर-ग्रेजुयेट जे० टी० सी० एवं अन्य संस्थाओं के ऐसे प्रशिक्षित	वेतन क्रम ७५-५-१२० यो० प्र० ८-२०० एंव २५ रु० मासिक मंहगाई

प्रस्ताव कि एक सदस्य संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये चुना जाय

श्री हर गोविन्द सिंह--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेजिस्लेटिव कौंसिल जिस प्रकार और जिस तारीख को चेयरमैन आदेश दें, एक सदस्य संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये चुन ले।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल जिस प्रकार और जिस तिथि को चेयरमैन आदेश दें, एक सदस्य संस्कृत शिक्षा परिषद् उतर प्रदेश के लिये चुन ले ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चेयरमैन--परसों १२ बजे तक सेक्रेटरी के पास नाम भेज दिये जायं ।

वित्तीय वर्ष सन् १९५४-५५ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय जो बजट १९५४-५५ का माननीय वित्त मंत्री ने विधान मंडल के सामने उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं । श्रीमन्, बजट स्पीच जो होती है वह प्रायः एक प्रकार का सप्लीमेंट होता है गवर्नर के ऐड्रेस का और हम यह कह सकते हैं कि बजट जो यह प्रस्तुत होता है एक प्रकार का डिपार्टमेंटल रिव्यू हमको इसमें मिलता है ।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण कनफेशन अपनी बजट स्पीच में किये हैं । एक तो उन्होंने यह कहा कि सरकार उस समय एडीशनल टैक्सेशन करेगी जब कि वह देखेगी कि जो फाइव ईअर प्लान है उसकी प्रगति में रुकावट होती है इससे यह मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने एक प्रकार से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस बात को तस्लीम किया है कि हमारी स्टेट के लोग जो हैं वह अधिक टैक्स बरदास्त करने की सहनशक्ति नहीं रखते हैं ।

दूसरा कनफेशन माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो किया वह भी महत्वपूर्ण है वह यह है। उनका ऐसा ख्याल है और सही भी है, कि जो हमारी स्टेट के रिसोरसेज हैं वह काफी ड्रेनअप हो चुके हैं काफी रुपया लोगों से ले चुके हैं और स्टेट के लोग जो हैं उन पर मैक्जीमम स्ट्रेन है। इन दो कनफेसेशन से मैं इस कनक्लूजन पर पहुंचता हूं। निस्संदेह बजट बनाने में डेफिसिट फाइनेंसिंग की जो नीति है वह आज की मौजूदा परिस्थिति में जब कि जनता की क्रय शक्ति गिर गई है, तो आवश्यकता है कि हम उस नीति को रिवाईज करें। उसके ऊपर हमको अब दूसरे दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। इस बजट में एडीशनल टैक्सेशन नहीं है उसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है। प्रायः यह होता है कि जब कोई पार्टी हुकूमत पर आती है तो पहले और दूसरे वर्षों में टैक्सेस लगाती है और उसके बाद तीसरे और चौथे सालों में कर नहीं लगाती हैं। क्योंकि स्वाभाविक है अगर वह तीसरे और चौथे वर्ष में टैक्स लगायेगी तो उसको अपने अनपापुलर होने की भी चिन्ता रहती है और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वह सिचुएशन को एक्सप्लायेट कर लेती हैं। इसलिये अगर माननीय मंत्री जी ने कोई नया कर नहीं लगाया, तो इसमें कोई शुभा की बात नहीं है और वह धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इस के साथ ही साथ यह भी है कि कोई पापुलर सरकार हर साल अधिक कर नहीं लगा सकती है।

श्रीमन्, मैंने इस बजट की स्पीच को पढ़ा और बहुत ध्यान से अध्ययन भी किया और पढ़ने के बाद मैं निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि हमारी स्टेट की जो फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी है वह दिन पर दिन गिरती जा रही है और मेरा तो अपना यह ख्याल है कि अगर हुकूमत ने यही तरीका रखा और खर्च ज्यादा करती गई तो परिणाम बहुत बुरा होगा और मैं तो यह समझता हूं कि एक क्राईसिस की ओर हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह जा रही है। रेवेन्यू रिजर्व फंड की तो चर्चा बराबर होती है। सन् १९५२ ई० में रेवेन्यू रिजर्व फंड १२ करोड़ था सन् ५३ में रेवेन्यू रिजर्व फंड ९ करोड़ और सन् १९५४ में जो रेवेन्यू रिजर्व फंड है वह ७ करोड़ रह गया है। यह रेवेन्यू रिजर्व फंड एडवाइजरी रिजीम के वक्त वार कलेक्शन्स के सिलसिले में एकत्रित किया गया था और यह एक ऐसी ढाल थी हमारे तमाम फाइनेन्सेज को रोकने के लिये कि जिससे कि हम अपने खर्चों को बढ़ा-घटा सकते थे और कर सकते थे लेकिन जो बराबर कांस्टैंट ड्रेन हुआ रेवेन्यू रिजर्व फंड पर तो उसका परिणाम यह भी हो सकता है कि जब दूसरा चुनाव होगा और जब दूसरी कोई हुकूमत होगी तो उस समय तक हमारे पास कोई रेवेन्यू रिजर्व फंड रह ही नहीं जायगा इससे हमारा जो डेफिसिट था वह मीट किया गया और मैं तो समझता हूं कि कोई भी हुकूमत अगर रेवेन्यू रिजर्व फंड से अनप्रोडेक्टिव परपजेज के लिये खर्चा निकालती है तो वह बहुत ही गलत काम करती है और यह एक प्रकार का बैड सिस्टम आफ फाइनेन्सेज है जिसको कि हुकूमत को किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिये। इसके साथ ही साथ हमारी इनडेटेडनेस की क्या हालत है इसकी भी चर्चा काफी की गई। ७७ करोड़ १९५३ में था ९४ करोड़ १९५४ में और १९५५ में १९५ करोड़ हमारी इनडेटेडनेस होगी। ऐसी हालत में कि जब हम अपने रेवेन्यू रिजर्व फंड को ड्रेनअप करते चले जाते हैं हम अपनी इनडेटेडनेस को बढाते चले जाते हैं तो कैसे हम इस बात की आशा कर सकते हैं कि हम अपनी फाइनेन्शियल पोजीशन को स्टैबिल रखेंगे। अगर कोई भी हमारे सामने ऐसी जरूरी मदें आ जायं कि जिनके ऊपर हमें अवश्य खर्चा करना पड़े तो हम उनको कैसे ठीक रख सकेंगे।

श्रीमन्, ताज्जुब यह है, आश्चर्य यह है कि यह सब खर्चे जब हैं तब हमने तमाम नये-नये करों को तमाम एडीशनल टैक्सेशन को इस दो बरस के अन्दर किया है और बहुत से टैक्सेशन मेजर्स में अगर हमने कुछ नया नहीं किया तो उन में बढ़ती की है। हमने बहुत से कर लगाये और जो कर थे उनमें बढ़ती की तो इससे अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर हम आज प्रान्त के सामने, प्रदेश के सामने यह कहें कि साहब हमारी फाइनेन्शियल पोजीशन बड़ी स्टेबिल है हम बहुत ठीक तरीके से अपना इंतजाम कर रहे हैं तो या तो मैं समझता हूं कि जनता को भी धोखा देना होगा और अपने को भी धोखा देन

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

होगा। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं आता और मेरे जो भी आब्जरवेशन्स हैं वह सब मेरे व्यक्तिगत हैं। अगर मैं किसी दल की तरफ से आया होता तो यह एक लांछन लग सकता है कि चूंकि मुझे दूसरे दल की बात को नीचा करना है इसलिये मैं ऐसा कह रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी के जरिये से हुकूमत को खास तौर से काशन करना चाहता हूं वार्न करना चाहता हूं कि वह अपनी इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ठीक करे वरना कहीं ऐसा न हो कि जैसे ताश के पत्तों का मकान होता है जो एक ही हवा के झोंके में गिर जाता है ऐसे ही यह सब एक दम कोलैप्स न हो जाय और हम से कुछ भी करते धरते न बने।

श्रीमन्, इस बजट को जब मैंने पढ़ा था तो मैंने देखा लगभग २१,२६,९२,००० रुपया डेप्रीसियेशन रिजर्व फन्ड में प्रोवाइड किया गया है। यह फन्ड एनक्जोयर ए (Annexure A Volume II) पृष्ठ ९० पर प्रोवाइड किया गया है इस फन्ड को हुकूमत ने अनवेस्टेड रखा था, लेकिन उसको निकाल कर उसमें से भी हुकूमत ने रुपया खर्च किया है। मैं समझता हूं कि अगर किसी स्पेशल चीज के लिए कोई फन्ड बनाया जाता है और अगर हम उस रुपये को अनवेस्टेड रखें या उसको खर्च कर डालें, लेकिन बाद खर्च कर डालने के अगर किसी समय आपको उस रुपये की जरूरत हो और आपके पास रुपया न हो तो ऐसे अवसर में आप क्या करेंगे मैं समझता हूं कि ऐसे रुपये को सरकार को नहीं छूना चाहिये। डेप्रीसियेशन रिजर्व फन्ड से रुपया निकाल कर दूसरे मदों में खर्च कर डालें, यह बहुत ही अनुचित बात होगी। श्रीमन्, इसके साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से यह कहा जाता है कि अगर हमारे पास २१–२२ करोड़ रुपया अनवेस्टेड फन्ड का था उसे खर्च कर डाला तो हमारा करोड़ों रुपया दूसरों पर कर्ज भी तो है और वह हमको मिलेगा तो यह दलील कोई महत्व नहीं रखती। मैंने दूसरे हाउस में भी इस चीज को कहते सुना है और अखबारों में भी इसकी चर्चा पढ़ी है। सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि १,९५,००,००,००० रुपया हमारा इन्डेटेडनेस का है उसमें ७५ करोड़ रुपया ऐसा है जो जमींदारी एबालिशन में बांडस की शक्ल में दिया जायगा। मेरा कहना यह है कि आखिर वह कर्जा आपके ऊपर है। यह कोई सरकार की सही पालसी नहीं कही जा सकती। मान लीजिये आपने इन्डस्ट्रीज को नेशनलाइज किया तो आपकी पालसी के अनुसार आपका इकोनामिक स्ट्रक्चर खत्म हो जायगा तो आपकी दलीलें कोई दलील नहीं मालूम होती हैं कि आप पर कर्ज नेशनलाइजेशन की वजह से और अधिक हो गया। इसका नतीजा यह होगा कि हम मकरूज हो जायेंगे और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फारनेंशियल पोजीशन आपकी क्या होती जा रही है इस पर सही विचार नहीं किया गया। आप देखें कि जमींदारी अबालिशन फन्ड में करीब ३३,४०,९३,००० रुपया हुआ था उसमें इस साल २४,८४,८५,००० रुपया रह जायगा तो इसके माने यह है कि बाकी ८,५६,०८,००० रुपया उस मद से निकाला गया। लेकिन इस से पता नहीं चलता है कि जो यह ८ करोड़ ५६ लाख आठ हजार रुपया निकाला गया है किस मद में खर्च किया जायगा। वह मुआविजा देने में खर्च होगा या कैपिटल एक्सपेन्डीचर में या स्टाफ को पे देने में खर्च होगा। इसका कोई विवरण सही तौर पर नहीं मिलता है। इस के साथ ही साथ यह भी पता नहीं चलता है कि जो रुपया इन्वेस्टेड है जमींदारी अबालीशन फंड में तो उस का सूद मिलता है या नहीं। अगर आप उसको किसी दूसरी जगह देते तो उस का इन्टरेस्ट मिलना चाहिये उस का भी कोई पता नहीं चलता है। मैं समझता हूं कि जो यह काम करने का तरीका है वह बिलकुल गलत है। अगर हमने किसी काम के लिये कोई रुपया रखा है और उस को किसी दूसरे काम में खर्च कर देते हैं तो यह बहुत गलत बात है। मैं समझता हूं कि इस तरह से हम अपने देश की माली हालत को सही और ठीक नहीं कर सकते हैं।

इसी के साथ-साथ श्रीमान, जो स्टेट ट्यूबवेल और हाईडल स्कीम है, इस में जो आप का इनवेस्टेड कैपिटल है उसमें आप को बराबर नुकसान रहा है मसलन् सन् १९५० और

१९५१ ई० में ३६ परसेन्ट नुक्सान रहा है। १९५१–५२ में २·७१ परसेन्ट, १९५२–५३ में ४.७३ और १९५३–५४ में ४.९४ परसेन्ट नुक्सान रहा है और १९५४–५५ में आप ने निकाला कि १.६२ परसेन्ट रह जायेगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि वह इतनी जल्दी इतना कम कैसे हो जायेगा। इसी प्रकार से हाईडल स्कीम की भी हालत है। सन् १९५०–५१ ई० में ४६ परसेन्ट, १९५१–५२ में १·५३, १९५२–५३ में २.६९ परसेन्ट नुक्सान रहा है। १९५४–५५ में १·२८ परसेन्ट है। यह नुक्सान बराबर होता चला जा रहा है। श्रीमान्, जहां तक इस मुल्क की माली हालत का संबंध है उसके बारे में मैंने आप से पहले ही निवेदन किया। हम को जो काम करना चाहिए वह उस हालत को देख कर ही करना चाहिए। एक बड़ी शंका हमारे हृदय में है और वह यह है कि इरिगेशन स्कीम में जो ट्यूबवेल और हाईडल स्कीम के लिए खर्चा दिया जा रहा है और बराबर उसका इन्तजाम होता जा रहा है तो उस से जनता को कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। सरकार ने जो पूर्वी जिलों में ट्यूबवेल बनाये हैं तो उससे जनता कुछ फायदा भी उठा रही है या नहीं उठा रही है। लोगों की क्रय-शक्ति कम होती जा रही है। वह पानी जो इन ट्यूबवेल्स से मिलेगा जनता उस का ठीक से इस्तेमाल भी कर सकती है या नहीं। हम को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्यूबवेल्स या डैम हम बनायें तो उनके कास्ट आफ प्रोडक्शन को भी कम करने की कोशिश करें। जो पानी इन से मिले उस को जनता आसानी से इस्तेमाल कर सके। यह भी कहा जाता है कि ट्यूबवेल्स से जो पानी दिया जाता है वह बहुत ज्यादा रेट का होता है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा होता है। माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में यह कहा है कि स्टेट ट्यूब वेल जो है वह बन रहे हैं और उसमें ज्यादातर रुपया जो खर्च हो रहा है वह अमेरिकन ऐड से, टी० सी० एम० से खर्च हो रहा है तो इस तरीके से जो यह रुपया खर्च किया जा रहा है वह ज्यादातर अमेरिकन एड से स्टेट ट्यूब वेल बनाने में लग रहा है। फिर क्या वजह है कि आपके रेट्स हायर होते हैं यह मेरी समझ में नहीं आया। इसी तरीके से आपका रेहंड डैम है और अगर वह बनकर तैयार भी हुआ तो उससे जो लोगों को फायदा होगा वह कहीं ऐसा कास्टली न हो जाय कि वह किसी तरीके से भी फायदेमंद न साबित हो सके। श्रीमन्, मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हमारे सेंट्रल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि हीराकुंड डैम जो उड़ीसा में तैयार हो रहा है और उसमें करीब डेढ़ लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी तो इसके बाद उनको मुश्किल होगा कि जो डेढ़ लाख एकड़ जमीन उन्होंने इसके बनाने में लगाई तो उसकी करेस्पांडिंग लैंड उनको सिंचाई के लिये मिलना मुश्किल होगा जिससे लोगों को सिंचाई का फायदा पहुंच सके। जो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर सेंटर के हैं उनका कहना है कि हमें बड़ी शंका है और हमें इस बात का डर है कि कहीं इतनी लेबर और इतने एक्सपेन्सेज और इतनी सेक्रीफाइस जो हमने की, वह कहीं सारी की सारी बेकार न हो जाय। इसलिये हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम जो अपना काम करते हैं वह कितना फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह से अगर रेहंड डैम हमारा बनकर तैयार हुआ और उसके बाद अगर हम इतनी जमीन के ऊपर सिंचाई न कर सके और इससे ज्यादा लोगों को फायदा न हो सके तो इस तरह से जो हमारा फाइव इयर प्लान के सम्बन्ध में करोड़ों रुपया जा रहा है वह बहुत ही नुकसानदेह हो जायेगा और उससे हम किसी तरह से भी फायदा नहीं उठा सकते। इसलिये इसमें हुकूमत के सामने जो प्वाइंट स्ट्रेस करना है वह यह है कि जो आपने योजना बनाई उसको पहले अच्छी तरह से देखभाल लें और यह देख लें कि जितना रुपया आप लगा रहे हैं उससे अधिक लोगों को फायदा भी होगा या नहीं। श्रीमन्, इसमें सेल्स टैक्स, इंटरटेनमेन्ट टैक्स और बेटिंग टैक्स तथा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की जो इनकम रिसीट हुई है वह बहुत कम है। मैं नहीं समझता कि करेंट इयर में उसका फाल कितना होगा। यह कम से कम इसमें एक्सप्लेन में नहीं दिया गया है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमारे जो ऐक्ट्स बनते हैं वह प्रापरली इन्फोर्स नहीं होते या कहीं न कहीं रेवेन्यू में लीकेज हो सकता

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

है या यह भी हो सकता है कि हमारी जनता की क्रय-शक्ति गिर गई है और जितना उसको इस्तेमाल करना चाहिये वह नहीं कर पाती है तो इस कारण भी यह कमी हो सकती है या और कोई कारण है इसका एक्सप्लेनेशन संतोषजनक रूप से नहीं किया गया है। इसी तरह से ऐग्रीकल्चरल और वेटेरिनरी की जो रिसीट्स हुई है उसमे भी काफी कमी है और उसका भी प्रापर एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है।

श्रीमन्, मुझे आज फिर इस भवन में यह कहना पड़ेगा कि जहां तक अपने प्रदेश के स्टेट एक्साइज की पालिसी का सम्बन्ध है उसकी तरफ मै अपनी हुकूमत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इसके पूर्व भी मैंने हुकूमत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि जब हम अपने बजट को देखते हैं तो उसके देखने के बाद हम यह अन्दाजा लगा सकते है कि हमारी जो इन्कम है इक्साइज से वह दिन प्रति दिन इतनी घटती जा रही है इसका क्या कारण हो सकता है। सन् १९५०-५१ में हमारी आमदनी ६ करोड़ ५० लाख ६० हजार हुई, १९५१-५२ में ६ करोड़ ३१ लाख ९९ हजार हुई और १९५२-५३ में ५ करोड़ ९६ लाख ८८ हजार हुई, १९५३-५४ में ५ करोड़ ४९ लाख ३० हजार हुई और अब रिवाइज्ड बजट में ५ करोड़ ३७ लाख ५९ हजार इसमें रखा हुआ है। श्रीमन्, यह भी सत्य है कि मैंने खास तौर से माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की स्पीच को देखा और उसको गौर से पढ़ा।

[इस समय ११ बजकर ५९ मिनट पर डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।]

तो उसके अन्दर सूबे की प्रोहिबिशन स्कीम के बारे में एक भी शब्द नहीं दिया गया है। मै तो यह समझता हूं कि हुकूमत को इसके ऊपर अपना ध्यान ले जाना चाहिये और मेरा अपना अनुमान यह है कि फाल्स नोशन आफ प्रेस्टीज में न पड़ करके हमें इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। अभी आन्ध्र की हुकूमत ने भी इस प्रोहिबिशन की पालिसी को रिवाइज करने के लिये पंडित नेहरू से कहा है कि हम इसे रिवाइज करना चाहते है क्योंकि इससे हमारी आय बहुत कम पड़ जाती है। हम तो इसलिये यहां पर क्रिटीसिज्म प्रोहीबिशन का करते हैं कि जितना वह कम होना चाहिये था उतना कम नहीं हुआ है बराबर रलिनसिट डिस्ट्रीलेशन जारी है और उसका मुख्य कारण यह है कि जो कि सरकार बतला सकती है कि लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है लेकिन यह बात नहीं है। ९ जिलों में आपने खाली यह बन्द किया और बाकी जिलों में शराब पी जाती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि लोगों ने शराब पीना छोड़ ही दिया है। अगर आप पूरे सूबे में प्रोहीबिशन की इस स्टेट पालिसी को रिवाइज करते हैं तो मैं निस्सन्देह कह सकता हूं कि आपकी आय बहुत बढ़ेगी और इस तरह से आपको फायदा होगा, इससे आपको डेढ़ करोड़ की आमदनी बढ़कर होती है तो आप क्यों नहीं इसका फायदा उठा लेते और जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के ऊपर जो कम्पेन है और छोटी २ चीजों के ऊपर जो कम्पेन हो रहे हैं तो उसका कारण यही है कि मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर इन करों का भार पड़ता है और इस तरह हम देखते हैं कि लोगों में एक बेचैनी का आतंक फैल रहा है। इसलिये मैं हुकूमत से निवेदन करना चाहता हूं कि वह आज की अपनी इस पोजीशन को इस सूबे की किसी पालिसी के सम्बन्ध में न अपनाये नहीं तो उनको एक दिन वह रिवाइज करना पड़ेगा और अगर अपनी नीति को रिवाइज नहीं करते हैं तो मजबूरन उनको करना पड़ेगा। मैं यह नहीं मानता, आप चाहते हैं कि साहब चूंकि गांधी जी का यह ख्याल था और लोगों का यह कहना था उसके ऊपर हम कार्य करेंगे ताकि हमारी बदनामी न हो तो मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो प्रोहीबिशन को सारे सूबे में लागू किया जाय नहीं तो वैसे ही आपकी बदनामी होगी। क्योंकि ९ जिलों में आपने प्रोहीबिशन किया है और बाकी जिलों में नहीं किया, तो इस तरह से तो बदनामी खुद ब खुद हो ही रही है। यह सोचने की बात है कि अगर आप इस स्कीम को परमानेन्टली नहीं छोड़ सकते हैं, तो टेम्पोरेरिली ३,४ साल के पीरियड के लिये जब तक कि लोगों की हालत बिगड़ी हुई है इसको छोड़ दें, तो इससे कोई दोष उत्पन्न

नहीं होता, आपके ऊपर दोष तो स्वयं ही आ जाता है जब कि आप ९ जिलों में प्रोहीबिशन करते हैं और बाकी जिलों में नहीं करते । इसलिये हमारे सामने कोई फाल्स नोशन आफ प्रेस्टीज नहीं होनी चाहिये । हमें यह देखना चाहिये कि किस प्रकार से सहूलियत के साथ हम लोगों को आराम पहुंचा सकते हैं और उसमें किसी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं पैदा की जानी चाहिये ।

उसके बाद मैंने इस बजट में एक चीज जो बहुत महत्व की है उसके विषय में देखा और वह हमारी ग्राम पंचायतें हैं । श्रीमन्, हमारे प्रदेश में आज ३६,१३९ ग्राम पंचायतें हैं और उन पंचायतों को एक आना फी रुपया जनता से वसूल करने के लिये अधिकार दिया गया है । लेखपाल जो नये मुकर्रर हुए हैं इन पंचायतों के सेक्रेटरी हैं तो ये लेखपाल होंगे इस तरह से ३६ हजार १३९ लेखपाल मुकर्रर हो गये हैं । हमारी जो गांवों की आय है वाह तो १९ करोड़ २१ लाख रुपया है । इस हिसाब से हमारी गांवों की जो आय या रेवेन्यू है उसका हिसाब लगा करके हम एक आना फी रुपया में हटा दें तो लगभग सवा करोड़ रुपया उन गांव पंचायतों से वसूल किया जायेगा । मैं इसको भी एक प्रकार का टैक्स समझता हूं, लेकिन अगर आप यह कहें कि नहीं साहब यह तो गांवों की तरक्की के लिये है और इसमें जो रुपया वसूल होता है वह टैक्स का नहीं है और टैक्स का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है । मगर इसके साथ-साथ जब हम सवा करोड़ रुपये का खर्चा देखते हैं तो पता चलता है कि उनमें से जो खर्चा गांव पंचायत के सेक्रेटरीज के ऊपर जायेगा तो वह ९७ लाख ३१ हजार दो सौ रुपया है । सवा करोड़ आपने लिया और लगभग एक करोड़ रुपया इस तरह से सरकारी गांव पंचायत के सेक्रेटरीज की तनख्वाहों में खर्च कर दिया तो इसमें गांव का उत्थान कहां हुआ । इस तरह से कैसे गांव का उत्थान होगा और आप क्या २५ लाख रुपये में गांव वालों के लिये सोने चांदी के मकान बना देंगे । यह बात तो बिल्कुल गलत है । यह तो आपकी पूरी की पूरी मद जिसके लिये है उन्हीं गांव के लिये यह खर्च भी होनी चाहिये । लेकिन अगर हमारा उद्देश्य यह है कि हम गांवों से रुपया तो ले लें और दिखाने के लिये कहते रहें कि हम तो देहातों में इससे फायदा करने जा रहे हैं तो यह उचित नहीं होगा । अगर हम यह देखते हैं कि वहां का सारा का सारा रुपया सरकारी तनख्वाहों में चला गया तो फिर गांवों का क्या फायदा होगा । इस तरह से तो जनता को सोलहों आने धोखा देना है । मैं बजट के अवसर पर यह निवेदन कर रहा हूं और आपके द्वारा हुकूमत का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरीके के काम किसी भी राजनीतिक दल को ऊंचा नहीं उठाते हैं । जहां तक जनता का सवाल है वह तो अशिक्षित है और आप फीगर्स में जो चाहे रख लीजिये लेकिन जो सच बात है और जो सत्य है वह आखिर में सत्य होकर रहेगी और उसको कोई झूठ नहीं कह सकता है । यह तो आपका सरासर अन्याय है कि जनता से इस तरह से हुकूमत रुपया वसूल करे और उनको दूसरी चीजों में खर्च करे ।

श्रीमन्, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में यह भी कहा कि बहुत से टैक्सेज ऐसे हैं जिनको कि नया नहीं कहा जा सकता है, मसलन् उन्होंने रिफ्रेन्स दिया कि इलेक्ट्रिसिटी टैक्स जो बढ़ा दिया गया है वह नया टैक्स नहीं है । उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी को नया नहीं बतलाया है, मगर उसमें वृद्धि कर दी गई है । लेकिन बहरहाल वह टैक्स तो है और वह सारे क्लास आफ पीपुल को एफेक्ट करता है । इसलिये इस समय हमारे सामने जो प्रश्न है वह यह है कि कोई नये टैक्स लगाये गये या नहीं । मैं भी समझता हूं कि फाइव इयर प्लान को सफल बनाने के लिये हममें से हर एक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि हम उसको किसी तरह से भी कामयाब बनायें । लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी आंखें बन्द कर के नहीं कह सकता कि जो कुछ होना होगा, होता रहेगा और प्रदेश की जनता की जो भी हालत होगी, होती रहेगी । हम ध्यान न

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

देंगे और इसके माने यह है कि हम अपने को बैलेन्स करके नहीं चलेंगे, तो हम अपने को किसी तरह से भी सही नहीं रख सकेंगे और अल्टीमेटली हमारा क़दम खाई में गिरेगा। हमारा करोड़ों रुपया बरबाद होगा। हमारा बहुत सा रुपया इन डैम और टयूबवेल्स में बरबाद होगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इसलिये यह बहुत आवश्यक चीज़ है कि जो भी योजना हुकूमत बनाये तो उसकी हर बात को सोच कर बनाये। मैं फिर कहता हूं कि सबसे बड़ी जो खामी हमारी हुकूमत में आ गई है और राजनीतिक दृष्टि से वह यह है कि वह एक दूसरे से जल्दी करने में दौड़ लगाती है। वही हुकूमत सही तौर से कामयाब हो सकती है, अगर उसका क़दम चाहे स्लो हो लेकिन स्टडी होना चाहिये। अगर दौड़ की, तो घुड़दौड़ का नतीजा यह होगा कि प्रदेश को फायदा नहीं हो सकता।

श्रीमन्, जहां तक इस समय ला ऐण्ड आर्डर का संबंध है, मैं उस पर अधिक नहीं कहना चाहता। जो आंकड़े ला ऐण्ड आर्डर के हम को मिले हैं डकैती, राबरी, मर्डर्स, उनसे मैं समझता हूं कि ला ऐण्ड आर्डर कुछ ठीक हैं, लेकिन मै विश्वास नहीं करता, जो आंकड़े पुलिस ने इकट्ठा किये है, उन पर मुझे कोई विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मैं जानता हूं और अपनी आखों से देखता हूं कि ला ऐण्ड आर्डर की हालत क्या है। डकैती कितनी हो रही है, मर्डर, राबरी, बरगलरी कितनी इस प्रदेश में बढ़ी हुई हैं। आंकड़ों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मै माननीय मंत्री जी के ज़रिये सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब तक आपके पास सही आंकड़े न होंगे तबतक आपके पास कितनी ही अच्छी स्कीम होगी, वह फेल हो जायेगी। जब आपकी स्टेटिस्टिक्स ही गलत होगी तो कोई भी आपकी योजना सफल नहीं हो सकती। डकैतियों के बारे में अख़बारों में पढ़ता हूं कि आज मानसिंह का गैंग पकड़ा गया और चरना का गैंग पकड़ा गया उनके लिये स्पेशल पुलिस लगाई गई और इस प्रकार से जो छोटे छोटे बहुत से गैंग हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। बड़े गैंग जो एग्जिस्ट करते हैं उनके लिये अटेन्शन दी जाती है लेकिन जो प्रदेश में छोटे-छोटे गैंग हैं उनके ज़रिये राबरी और मर्डर होते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल कम अटेन्शन दी गई हैं, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने डिफेन्स स्क्वाड्स बनाये, आपको धन्यवाद, लेकिन आप देखिये कि जब एक गांव का आदमी है और वह स्क्वाड्स में है, लेकिन उसको बन्दूक चलानी नहीं आती तो उसके रहने से क्या फायदा। हमारा कर्त्तव्य होना चाहिये कि जो काम हम करायें उसके लिये हम ट्रेनिंग भी दें। आप एक या दो आदमी रखें, आप किसी गांव में ५० आदमी न रखें बल्कि जो रखे जायं उनके लिये ट्रेनिंग का इन्तज़ाम होना चाहिये और वह ट्रेन्ड एक या २ आदमी उन ५० अनट्रेन्ड आदमियों के मुक़ाबिले में ज्यादा फायदेमन्द हो सकते हैं।

श्रीमन्, इस संबंध में मुझे आज दुःख के साथ यह कहना पड़ता है, अभी हाल ही में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से यह डिमान्ड की गई कि जो कौंसिल के एलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें एलेक्टोरल रोल रिवाइज़ होना चाहिये। जो नये मेम्बर चुन कर आये हैं वह मेम्बर एलेक्शन नहीं करेंगे बल्कि पुराने मेम्बर जो रहे हैं उनका नाम एलेक्टोरल रोल में है। श्रीमन्, यह बात बहुत छोटी है और इस पर बहुत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप विचार करें और निष्पक्ष भाव से बैठकर सोचें तो आप महसूस करेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल के हाथ से ५–७ सीटें निकल आयें और दूसरे के हाथ में चली जायें इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। आज हमारा वास्तव में कर्त्तव्य है कि हम प्रजातंत्र को आगे बढ़ावें। हम सब का यह कर्त्तव्य है कि प्रजातंत्र का हनन न होने पाये। ऐसी स्थिति में क्या यह शोभा देगा कि जो नुमाइन्दे चुनकर आए हैं लोकल बाडीज़ में उनके द्वारा चुनाव न हो पुराने आदमी ही चुने जो अब मेम्बर नहीं हैं। यह तो कोई सही बात नहीं है। यह सही है कि इससे कुछ सीटें मिल सकती हैं लेकिन साथ ही साथ इसके दुष्परिणाम इतने ज्यादा हो सकते हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष रूप से नहीं मालूम होता लेकिन मनुष्यों के दिमाग़ पर इसका बहुत बुरा

असर पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का काम चाहे कोई भी सत्तारूढ़ दल करे या राजनीतिक दल करे, वह अपनी ही स्लो प्वायजनिंग करता है। आप के डर की वजह से आपके सामने आने की भले ही लोगों की हिम्मत न पड़े, लेकिन उनके दिमाग़ पर जो असर पड़ेगा उसके परिणामस्वरूप प्रेम और श्रद्धा घटेगी। मंत्री जी मंत्री जी हैं, मैं भी यही समझ कर उनसे मिलता हूं, लेकिन श्रद्धा होना दूसरी बात है और मंत्री जी समझना दूसरी बात है। इस-लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कोई भी ऐक्शन इस प्रकार का न हो जिससे जनता के किसी भी नागरिक को यह ठेस पहुंचे कि हम ग़लत काम कर रहे हैं, मगर उसको सही कहलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाऊं कि चंद सीटें उनको प्यारी न होना चाहिए बल्कि सब से ज्यादा उनको प्रजातंत्र प्यारा होना चाहिए जिसके लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां कीं और देश ने कुर्बानी करके स्वतंत्रता हासिल की। यह संकीर्ण दृष्टिकोण है। अगर यही दृष्टिकोण रहा तो मैं समझता हूं कि ठीक न होगा।

(इस समय १२ बजकर १६ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

दो-एक चीजों के लिए मैं अवश्य इस हुकूमत के लिए कहूंगा कि वाक़ई यह काम ऐसे हैं जिससे जनता का कल्याण हो सकता है। एक तो मिडिल क्लासेज़ के संबंध में जो मैंने प्रस्ताव किया था और उसमें माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मिडिल क्लासेज़ के लिए सरकारी कमेटी बनायेंगे, उसके लिए उन्होंने बजट भाषण में कहा है। इसके अलावा जो एक तीन करोड़ रुपये का प्रावीज़न करके एक फाइनेन्स कारपोरेशन माननीय मंत्री जी बनाना चाहते हैं काटेज इन्डस्ट्रीज़ के लिये वह भी हुकूमत का सराहनीय काम है। जो अच्छे काम हैं उनको मानना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि हुकूमत सही कर रही है। लेकिन अगर कोई काम ग़लत होता है तो मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ा उत्तरदायित्व उधर के लोगों का है और अपोज़ीशन के मेम्बरों का भी है, वह स्पष्ट कहें कि अमुक-अमुक कार्य ग़लत है और उसको न होना चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता जो हमारे मुल्क की है वह यह नहीं है कि बैठ कर हाथ उठा दें या मंत्रियों की जी हुज़ूरी करें, बल्कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। मंत्री कोई नाखुश हो जाये, हुकूमत नाखुश हो जाये, इसकी परवाह न करना चाहिए। हमें देखना यह है कि ईश्वर नाखुश न हो। अगर ईश्वर ही नाखुश हो गया तो फिर क्या होगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि लोगों को मंत्रियों की नाखुशी के डर या प्रलोभन में न आकर सही बात कहनी चाहिए। इससे गवर्नमेंट का मारेल बिगड़ता है। इसलिये जो चंद बातें थीं वे मैंने इस बजट के संबंध में कहीं और मैं समझता हूं कि मेरा जो समय निश्चित था वह भी खत्म हो गया इसलिये मैं अब ज्यादा न कहूंगा।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, १९५४–५५ का जो बजट पेश है उसके सम्बन्ध में अभी हमारे माननीय कुंवर साहब ने भाषण दिया और उन्होंने आखिर में यह भी चेतावनी दे दी कि बजट पर बजाय इसके कि सरकार के कामों की सराहना की जाय, आंख खोलकर सोच-विचार करना चाहिए। हो सकता है कि इस बजट में कुंवर साहब ने ३ लाख रुपये की बात के अलावा और कोई ऐसी बात न देखी हो जो प्रदेश के कल्याण के लिये और प्रदेश की भलाई के लिये हितकर हो। किन्तु उन्होंने जो अपना बजट का भाषण दिया चाहे इंटेंशनली कहा जाय, चाहे गैर इरादे से कहा जाय, उन्होंने यह कहा कि मैंने हर एक बजट आइटम को देखा और इसमें कोई अधिक क्रिटिसाइज़ करने की बात नहीं है। उन्होंने स्वयं यह माना कि टैक्स इस साल नहीं लगाये गये। उद्योग कारपोरेशन बनाया गया है। ये बातें उन्होंने स्वयं कहीं कि अच्छी हैं। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि उनके दिल ने यह गवाही दी कि इस बजट की सराहना की जाय चाहे शब्दों में उन्होंने नहीं कहा जिन शब्दों में उन्हें सराहना करना चाहिये। फिर भी उन्होंने इस बजट की कोई ठोस बुराई नहीं की। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जहां तक बजट का सम्बन्ध है हर एक सरकारी और गैर सरकारी

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

पक्ष का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो ठीक बातें हों उनके लिये सरकार की सराहना करे। जो काम रह गये हों, उनका सुझाव पेश करें। जहां तक इस बजट को मैंने देखा, मैं समझता हूं कि इस बजट के अन्दर बहुत कुछ इस बात की कोशिश की गई है कि अगले साल हमारा देश आगे बढ़े। जहां तक शिक्षा का संबंध है, जहां तक पंचवर्षीय योजना का संबंध है, जहां तक इन्डस्ट्री का संबंध है, जहां तक स्वास्थ्य और चिकित्सा का संबंध है, जहां तक कृषि और सिंचाई का संबंध है इस बजट के आंकड़ों को देखने के बाद पता चलता है कि सरकार ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि हमारे देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा इन विभागों की उन्नति हो। जहां तक शिक्षा का संबंध है इसमें इस बात की घोषणा की गई है कि देहातों में एक मील के एरिया में एक प्राइमरी स्कूल खोला जाय। जहां तक जूनियर हाई स्कूलों का सम्बन्ध है इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि देहातों के जितने जूनियर हाई स्कूल हैं उन सबमें कृषि और दूसरे उद्योग-धंधों की लाजिमी तौर से शिक्षा दी जायगी। वह जूनियर हाई स्कूल चाहे किसी प्राइवेट कमेटी के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हों, उन सब में सरकार अपना रुपया खर्च करेगी, अपनी ओर से वेतन देकर एक खेती के लिए टीचर रखेगी और उसके संबंध में अगली जुलाई से जब स्कूल खुलेंगे उस समय से इस योजना का प्रावीजन किया गया है। जहां तक पंचवर्षीय योजना का संबंध है, जहां तक और बहुत सी बातों का ज़िक्र किया गया है, नेशनल एक्स्टेन्शन ब्लाक्स का भी बजट के भाषण में और बजट के आंकड़ों म ज़िक्र है। सरकार ने बताया है कि वह हमारे प्रदेश में इस साल ५० ऐसे सेंटर क़ायम करना चाहती है जिसमें प्रत्येक सेन्टर में १०० गांवों को सन् १९५६ ई० तक अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बना दिया जाये। जहां तक उनकी शिक्षा, सिंचाई, रोड्स, बीज, खाद्य आदि की समस्यायें हैं, इन सारी बातों के संबंध में इन गांवों को मुकम्मिल कर दिया जाये और सन् १९५६ के आखिर तक कम से कम इनमें से हर एक सेंटर्स के १०० गांवों को ऐसा कर दिया जाये कि वह हमारे प्रदेश के आइडियल विलेज हो सकें। ५० सेंटर्स का यह मतलब होता है कि सन् १९५६ तक हम ५,००० गांवों को इस काबिल बना सकेंगे कि वह गांव हर प्रकार से अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

इसी प्रकार जहां तक सिंचाई का संबंध है, जहां पर नहरें नहीं खोदी जा सकती हैं उन स्थानों के लिए इस बजट में यह प्रावीजन रखा गया है कि ट्यूब वेल बनाये जायंगे, माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में भी उल्लेख है कि ऐसे इलाकों में सरकार ट्यूबवेल्स बना रही है और इस स्कीम के अन्तर्गत यह नहीं कि सरकार कुछ कुयें बनायेगी बल्कि हर एक गांव के अन्तर्गत हर एक इलाके में सरकार ने इस बात का आप्शन दिया हुआ है कि कोई भी दस व्यक्ति मिल कर एक ट्यूबवेल अपने गांव के लिए बना सकते हैं और ५,००० रुपये सरकार उनके लिए मदद की शक्ल में देगी और अगर इस मदद के बावजूद भी यह काम पूरा न हो सके तो ५,००० रु० उनको क़र्ज के रूप में दिया जा सकता है। इसी प्रकार से इन्डस्ट्री और बिजली का जहां तक संबंध है, मैं यह समझता हूं कि कोई भी निष्पक्ष आदमी यह नहीं कह सकता है कि इन योजनाओं में सरकार को जितनी कोशिश करनी चाहिए सरकार को जितना धन इन पर खर्च करना चाहिए, सरकार ने उसके खर्च करने में कोताही की है। सरकार के जो रिसोर्सेज हैं, सरकार के जो जराये हैं, वह बड़े लिमिटेड हैं। सरकार के पास लिमिटेड धन है और उस धन को देखते हुये और इस बजट के आंकड़ों को इस निगाह से देखते हुये कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सरकार ने किसी प्रकार की कोताही की है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हों, चाहे मैं हूं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी इस बात में सरकार की सराहना किये बगैर नहीं रह सकता कि इतने रुपये से हमारे प्रदेश में एक साल के अन्दर जितनी भी उन्नति हो सके, उतनी की जाय। हां, इसमें कोई शक नहीं कि जिस सरकार ने यह बजट बनाया है वह सरकार भी आदमियों की सरकार है। इस

बजट को बनाने वाले और पेश करने वाले भी मनुष्य हैं और हम में आप में से हैं। यह हो सकता है कि हमारे और आपके दिमाग़ में कोई सुझाव ऐसे हों जिसे हम और आप अपने नुक्तेनिगाह से आवश्यक समझते हों और सरकार के इस बजट के आंकड़ों में वह सुझाव न रक्खे गये हों, उन सुझावों को देने का सदन को पूरा अधिकार है। इसी संबंध में मैं भी दो–तीन बातों के संबंध में सुझाव के तौर पर सरकार से माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

जहां तक सब से पहला सवाल शिक्षा का है उसके संबंध में मैंने अभी अर्ज किया कि सरकार ने गांव के अंदर हर एक गांव के आदमी को लिट्रेट बनाने के लिये, पढ़ा–लिखा बनाने के लिये और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये पूरी कोशिश की है, किन्तु जहां तक विश्व–विद्यालयों का प्रश्न है, जहां तक माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न है, मैं यह समझता हूं कि उसके ढांचे को बदलने की जरूरत है और उसके अंदर जितना सुधार होना चाहिये, जिस प्रकार से उसका ढांचा तब्दील होना चाहिये इस बजट में वह नहीं मिल रहा है। जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है इस बजट में, मैंने यह देखा कि बहुत काफ़ी रुपया इनको दिया गया है और माध्यमिक शिक्षा के लिये भी बहुत काफ़ी रुपया इस बजट के आंकड़ों में रक्खा गया है। लेकिन जहां तक उनकी समस्या का ताल्लुक़ है, उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि वह समस्या आज भी हमारे सामने उसी शक्ल में है जिस शक्ल में आज से ३, ४, ५ या १० वर्ष पहले थी। इसके ढांचे के अंदर जब तक सुधार नहीं होता है तब तक इस देश का उतना कल्याण नहीं हो सकता है जितना हमारे शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं। इसका कारण यह है कि विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का, हर एक विद्यार्थी हमारे प्रदेश के सामने एक प्राब्लम बना हुआ है। अन–इम्प्लायमेंट के नुक्ते निगाह से देख लीजिये, दूसरी ओर जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए देख लीजिये, वह हमारे सामने एक प्राब्लम है और यही नहीं जहां तक इन यूनिवर्सिटियों का संबंध है कोई भी नई योजना, कोई भी नई धारणा, कोई भी नया काम ऐसा नहीं है जिससे यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी निकल कर हमारे देश का कल्याण कर सकें। आज भी अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि वहां हर साल सैकड़ों क़िस्म के झगड़े खड़े रहते हैं और छात्रों की मनोवृत्ति डिस्ट्रक्टिव ऐक्टिविटीज़ की ओर बढ़ रही है। उनमें से एक योजना का भी संबंध कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ से नहीं है। तो जब हमारी यूनिवर्सिटियों की धारणायें शुरू से लेकर आखिर तक ऐसी डिस्ट्रक्टिव मेन्टेलिटी की तरफ हैं, विध्वंसात्मक मनोवृत्ति की ओर हैं तो फिर हम कैसे उनसे इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वह हमारे प्रदेश में किसी प्रकार का बड़ा काम करके दिखलायेंगे। इसलिये मैं, अध्यक्ष जी, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक इन विश्वविद्यालयों की समस्या पूरे तौर से और हमेशा के लिये हल न होगी तब तक जितना रुपया हम इस बजट के अन्दर इन विश्वविद्यालयों के लिये रखते हैं उसकी मिसाल केवल इसी प्रकार की समझिये कि शिक्षा के अंदर एक सफेद हाथी बंधा हुआ है। इसी तरह से जहां तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी प्राब्लम और इसका मसला यूनिवर्सिटी की शिक्षा के प्राब्लम और उसके मसले से अलग है। हमारे शिक्षा विभाग ने बहुत कुछ यह मसला हल करने की कोशिश की है और दिन प्रति दिन इस बात की कोशिश की जा रही है कि हाई स्कूल के क्लासेज़ में कुछ उद्योग–धंधे सिखाये जायं, कृषि की शिक्षा दी जाय और दूसरी तरह की इंडस्ट्रीज़ या दूसरे तरह के साधन बनाये जायं, किन्तु आज लाखों की तादाद में हर साल विद्यार्थी परीक्षायें पास करते हैं जिनमें ९० फ़ीसदी इस प्रकार के विद्यार्थी हैं जिनको न किसी उद्योग धंधे से संबंध है और न उनका संबंध साइन्स या किसी प्रकार के विज्ञान से है, उनकी प्राब्लम्स भी आज वही है जैसी पहले थी बल्कि उनकी समस्या दिन पर दिन और जटिल बनती जा रही है। मगर उसके विपरीत शिक्षा विभाग में कर्मचारी पर कर्मचारी अप्वाइन्ट होते चले जाते हैं, डाइरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डाइरेक्टर, बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीजिएट इत्यादि और इसके अलावा सेक्रेटेरियट इन्स्पेक्टर अलग से हैं और इन सब कर्मचारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, मगर विद्यार्थी की समस्या और भी उलझती चली जाती है। मुझे

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

बोर्ड आफ हाई स्कूल एंड इन्टरमीजिएट एक सुपरफ्लोअस (फिजूल) बाडी नजर आती है। जैसा कि आज मैंने एक प्रश्न द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया है और मेरा अनुभव यह है कि मान्यता के लिए दरख्वास्तें १०-१०, १५-१५ साल से पड़ी हैं और हालत यह है कि उनको निकालने वाला कोई नहीं है कि उनपर कुछ भी हुक्म हो जाय। मेरी राय में डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के जो दफ्तर हैं, वही इन कामों के लिए काफ़ी हैं, उनसे भी इतना काम हो सकता है। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक माध्यमिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी शिक्षा में कोई (बेसिक) फन्डामेन्टल चेन्ज हम न करेंगे तब तक हम ऊपर से चाहे जितने बिल पास करें कोई लाभ नहीं हो सकता है। आगरा यूनिवर्सिटी बिल यहां से पास हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल भी पास हो जायगा, लखनऊ और दूसरी यूनिवर्सिटियों के संबंध में भी हम बिल पास करा सकते हैं मगर जब तक इसका ढांचा न बदला जायगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। श्रीमन्, मैंने सेवाग्राम में शिक्षा को देखा तो वहां हर विद्यार्थी स्वावलम्बी और होनहार हैं।

चेयरमैन--एक विभाग को लेकर २ घंटे तक आप बोल सकते हैं, इतना मैं जानता हूं मगर मुझे ४० मेम्बरों को ४ दिन के अन्दर टाइम देना है, अच्छा ५ मिनट आप और ले सकते हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--मैं इसी समय के अन्दर दो-तीन समस्याओं के संबंध में कुछ और अर्ज करना चाहता हूं। एक समस्या हमारी सरकार के सामने इकनामिक पालिसी के बारे में है जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है, कुंवर साहब ने भी इस पर ध्यान दिलाया है। हमारे देश की इकोनामी के संबंध में जो साधन मुहय्या किये जा सकते हैं, वह अवश्य किये जायं। अब मैं सबसे पहले यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक रेवेन्यू का संबंध है और जो रेवन्यू के रिजर्वेशन का धन है दिन ब दिन कम होता जाता है और इसके वास्ते दो-एक बातें अवश्य हो जानी चाहिये। जमींदारी अबालीशन के रुपये का जहां तक सवाल है जिसके संबंध में यहां अभी बताया गया है कि ८ करोड़ रुपया ३३ करोड़ में से निकाला जा चुका है और बाकी भी निकाला जा सकता है। मैं सरकार के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि जहां तक जमींदारों का संबंध है उनके बारे में मैं यह समझता हूं कि अब मुआविज़े देने की बात नहीं है शायद अब वह न लेने पर तैयार भी हो जायेंगे। रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट लेने के बाद वह अपना सारा का सारा मुआविज़ा सरकार के लिए छोड़ देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह सारी रक़म ३३ करोड़ या ३४ करोड़ जो कुछ भी हो, वह सब रिजर्व फंड में चली जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि कुंवर साहब भी इससे इत्तफाक़ करेंगे और तमाम जमींदारों को भी इससे इत्तफाक़ होगा।

इसके अलावा मैं एक बात स्वास्थ्य के संबंध में भी अर्ज़ करना चाहता हूं। स्वास्थ्य के संबंध में मैंने बजट में देखा है कि जो आंकड़े दिये गये हैं उससे यह पता चलता है कि इस में बहुत काफ़ी रुपया खर्च किया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफ़ी कोशिश की गई है। किन्तु एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार को चाहिए कि वह हर गांव सभा में एक अस्पताल खोले, चाहे उसमें कोई वैद्य रखे या कोई डाक्टर रखे। श्रीमान्, मैं आप के जरिये से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में वह इस बात पर जरूर ध्यान रखेंगे।

अब मैं कुछ थोड़ा कैटिल प्रोटेक्शन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं इसके लिए भी सरकार ने काफी रुपया बजट में रखा है और वह जानवरों की तरक्क़ी के लिए काफ़ी कोशिश भी कर रही है, इसके साथ ही साथ जानवरों की नसल को सुधारने के लिए भी काफी काम किया गया है। इसके लिए मेरा सरकार के सामने यह सुझाव है कि वह इसके लिये जो सारा काम इनडाइरेक्ट वे में (परोक्ष रूप में) करती है ऐसा न करके वह इसके लिए एक क़ानून बना दें तो ज्यादा अच्छा

होगा। अब हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है कि किसी भी वर्ग को इससे कोई इन्कार नहीं होगा और न किसी क़िस्म का कोई एतराज़ ही होगा। इस संबंध में सरकार को बहुत जल्दी एक क़ानून बना देना चाहिए।

जहां तक ला ऐन्ड आर्डर का संबंध है, उसके लिए मैं समझता हूं कि सरकार ने काफ़ी इन्तज़ाम किया है। चरना और महावीर आदि डाकुओं को पकड़ा गया है। सरकार ने ला ऐण्ड आर्डर को क़ायम करने के लिए काफ़ी कोशिश की है और वह अपने प्रयत्न में काफ़ी सफल भी रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे प्रदेश में ला ऐन्ड आर्डर को ख़त्म करने के लिए एक नये प्रकार का कम्युनलिज्म फैल रहा है। अलीगढ़ में एक मुस्लिम कांफ्रेन्स हुई और एक मुस्लिम जमात क़ायम हुई। इसके अलावा और भी कई शहरों में इस तरह को जमात कायम की गई है। इस जमात के उद्देश्य बहुत ही खराब हैं। इन लोगों का कहना है कि सन् १९५७ आने वाला है उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। कई जगहों पर हमारी सरकार ने, इसके जो बड़े–बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार भी किया है। लेकिन फिर भी हर शहर में इस प्रकार के ४ या ६ आदमी मौजूद हैं जो इसका काम करते हैं, पता नहीं उनको रुपया कहां से मिल जाता है जो इसके काम को चलाते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें ला ऐन्ड आर्डर को क़ायम करने के लिये रोकनी चाहिये इसलिये कि यह चरना और महावीर से भी अधिक हमारे प्रदेश की शांति और अमन के डाकू हैं।

*श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के सम्बन्ध में कुंवर गुरु नारायण जी का जो भाषण हुआ, उसको सुनने से ऐसा लगता था जैसे सारे बजट में भूल ही भूल और कमियां ही कमियां हैं। परन्तु बजट के हर पहलू के ऊपर विचार करने से, जैसा कि मैंने स्वयं अध्ययन किया है, ऐसा प्रकट होगा है कि ‍ कुछ भी हमारे प्रान्त की वर्तमान आर्थिक स्थिति है, इस स्थिति में सरकार ने बजट को ‍ करके जिस तरह से इस सदन के सामने रखा है, उससे अच्छा बजट और दूसरा नह‍ सकता है। वर्तमान बजट एक घाटे का बजट है और लगभग ३ करोड़ का इसमें ‍ है। पिछला बजट भी एक घाटे का बजट था जिसमें ४ करोड़ से ऊपर का ‍ प्रान्त की वर्तमान व्यवस्था में सरकार ने, माननीय मुख्य मन्त्री जी की प्रेरणा से ‍ करने का प्रयत्न किया, उससे दो करोड़ से ऊपर की बचत हो गई। ४ करोड़ के घाटे में से २ करोड़ केवल सरकारी व्यय में से इकोनामी करके कम ‍ सराहनीय बात नहीं है और नम्रतापूर्वक सदन की ओर से भी इसके ‍ करना चाहता हूं।

प्रान्त की आर्थिक व्यवस्था को अगर देखा जाय तो ऐसा ‍ इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा है और वह १ अरब ९५ करो‍ मुझे इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों के साथ अध्ययन करने का अवसर प्राप्‍ मालूम हुआ कि जितना भी बड़ा कर्जा सरकार के ऊपर है उस स‍ इस प्रकार का प्रयत्न कर रही है कि हर एक कर्ज की अदायगी ‍ जिसको आर्थिक भाषा में सिंकिंग फन्ड के नाम से कहते हैं। जि‍ वह सब भी सिंकिंग फन्ड होता है और उसकी सहायता से किसी ‍ प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देश में कोई भी सरकार हो अ‍ ऐसी सरकार नहीं मिलेगी जो कि कर्जा न लेती हो। आवश्यकता ‍ सरकार जो कर्जा ले, उसकी अदायगी का ठीक प्रबन्ध होता रहे ‍ कर्जा देने वालों का विश्वास बना रहे और वही आज हमारे प्रान्‍ जो कर्जा लेना चाहती है आसानी से उसको मिल जाता है और

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल]

विश्वास बना रहता है जिससे वह सरकार को जल्दी कर्जा देने के लिये आगे आ सकें।

जो चीजें अभी भाई प्रताप चन्द्र आजाद ने हम लोगों के सामने रखीं हैं उनमें से मैं एक बात का जिक्र विस्तार से करना चाहता हूं और वह है शिक्षा के सम्बन्ध में। अभी जो प्रश्न इससे पहले किया गया था कि यह ३,२०० स्कूलों का जो एक्सपेरीमेंट किया जाता है यह सारे प्रान्त में न होकर थोड़ी जगह में होता तो अच्छा होता। इस सम्बन्ध में भी मैं यह विचार कर रहा था कि आज जो भी एक्सपेरीमेंट हो रहे हैं यह भी एक बहुत छोटे क्षेत्र में हो रहे हैं। ३,२०० जो अध्यापक रखे गये हैं यह उन विद्यालयों में रखे गये हैं जो जूनियर हाई स्कूल कहलाते हैं और उनकी संख्या हमारे प्रान्त में इस समय ३,२०० ही है। इनमें से १ हजार तो वह अध्यापक रखे गये हैं जो कृषि के विषय में कोई न कोई डिग्री या डिप्लोमा पास हैं और यह अध्यापक पहले अध्यापकी की ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद फिर अपने अपने विद्यालयों में जायेंगे और २ हजार अध्यापक और रखे गये हैं जो कृषि के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत डिप्लोमा पास हैं जैसे कि इन्टरमीडियट या कृषि विशेषज्ञ वगैरह। वह ट्रेनिंग भी साथ में ही लेंगे और वहां से फिर कृषि पढ़ाने के स्कूलों में जायेंगे। इसी तरह से २०० अध्यापक ऐसे रखे गये हैं जो किसी न किसी क्राफ्ट में विशेषज्ञ होंगे। जैसे कि टेलरिंग है या बुक आर्ट है और इसी तरीके के दूसरे हुनर हैं, इन अध्यापकों को उन स्कूलों में भेजा जायगा जहां पर आवश्यकता होगी। इसका प्रभाव यह होगा कि जो विद्यार्थी बिना सोचे-समझे ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिये आगे बढ़ जाते हैं जिसके पश्चात् केवल बेकारी होती है तो वहां पर गांव में या उसके आस-पास के वातावरण में रखे जा सकेंगे और आगे पढ़ने के लिये केवल वही विद्यार्थी आयेंगे जो कि इस स्कूल के क्राफ्ट और दूसरे रोजगार को नहीं कर सकते हैं उससे किसी प्रकार का वह फायदा उठा सकेंगे।

इसके अतिरिक्त कितने प्राइमरी स्कूल और दूसरे स्कूल रह जाते हैं। प्राइमरी स्कूलों की संख्या इस समय हमारे प्रान्त में ३०,००० से भी ऊपर है और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि हर एक प्राइमरी स्कूल को ५ एकड़ जमीन प्राप्त हो सके और इसके बाद वहां भी ऐसे अध्यापक होंगे जो छोटे विद्यार्थियों को जिनकी कृषि में रुचि होगी, उनको आगे पढ़ा सकेंगे। वहां ५-५ एकड़ जमीन विद्यालयों को मिल जाने पर और जूनियर हाई स्कूलों को १०-१० एकड़ जमीन मिल जाने पर, जितने भी विद्यार्थी गांव में रहने वाले होंगे या ऐसे घरों में रहने वाले होंगे जिनका पेशा कृषि हो, वह अपना ध्यान कृषि में लगा सकेंगे, यद्यपि यह सच है कि आजकल के प्राइमरी स्कूल के या जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थी सेल्फ सपोर्टिंग या अपने पैरों के ऊपर खड़ा होकर खुद खर्च चलाने वाले विद्यार्थी हम नहीं बना सकते। परन्तु यह नितान्त आवश्यक है कि हम अपने विद्यार्थियों को हाथों का काम करने वाला बनायें और हाथों के काम से उन्हें किसी प्रकार की नफरत न हो, ताकि आगे बढ़कर जब भी उन्हें जीवन में अपने जीवनोपार्जन के लिये अपने हाथों से काम करने की आवश्यकता पड़े तो उसमें उनको कोई कठिनाई पैदा न हो। इस तरह से जूनियर हाई स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों में सुधार करना है जिसकी ओर सरकार का ध्यान पूर्णरूप से है।

यूनिवर्सिटी शिक्षा का भी यहां पर जिक्र हो चुका है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी से निकले हुये जितने भी ग्रेजुएट या स्नातक आते हैं उनके सामने विशेष रूप से समस्या होती है। वहां से जो भी विद्यार्थी निकल कर आ रहे हैं, वह हमारे ही प्रान्त के ही नहीं बल्कि देश भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनसे जो विद्यार्थी निकलते हैं वह लाभदायक नहीं सिद्ध हुये हैं और इस बात का प्रयत्न होना नितान्त आवश्यक है कि विद्यार्थियों को उचित रूप से किसी श्रम में रख दिया जाय जैसा कि पिछली योजना में

रखा है। तो मैं यह समझता हूं कि यह लाभदायक होगा और वह इस प्रकार न हो कि सप्ताह में केवल एक घंटा ही उनको मौका दिया जाय बल्कि यदि कुछ और समय उनको इस काम में रख दिया जाय तभी ठीक होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में वही विद्यार्थी भेजे जायेंगे जो वहां की शिक्षा से ठीक–ठीक लाभ उठा सकें। वहां से विद्यार्थी स्वास्थ्य, चरित्र और मस्तिष्क सम्बन्धी विषयों में उपयुक्त बन कर निकलें, जिससे वहां से निकलने के बाद फिर उन्हें किसी दफ्तर में या किसी ऐसे काम में, जहां उनका मन नहीं लगता है, जाकर अपना समय और जीवन नष्ट करें, उन्हें इस तरह से अलग रख करके अपना जीवन खराब करने का अवसर न मिले।

इसके अतिरिक्त मुझे एक आम बात यह निवेदन करनी है और जैसा कि मैं पिछली अवसर पर भी निवेदन कर चुका हूं कि जहां तक शिक्षा सम्बन्धी बजट है और बजट स्पीच में जितनी ग्रान्ट इसके लिये रखी गयी है, तो उसमें प्राइमरी स्कूल के पहले के बच्चों का कोई जिक्र नहीं है और थोड़ा सा जिक्र जो है वह नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के बारे में है। इसमें नर्सरी की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन सारे प्रान्त के लिये अभी तक सरकार का कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें कि प्राइमरी स्कूल से पहले बच्चों की शिक्षा होती हो। मैं नम्ररूप से यह समझता हूं कि सरकार इस ओर अवश्य कदम उठायेगी क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में आने से पहले बच्चों के चरित्र निर्माण की बहुत आवश्यकता पड़ती है। उनकी इस शिक्षा के लिये यह आवश्यक है कि सरकार की ओर से उनको प्रोत्साहन मिले। प्राइमरी स्कूलों में आने में बच्चों की कुछ आदतें ऐसी पड़ जाती हैं जिनको कि आप कुटेव कह सकते हैं। तो इस तरह से वहां आने में जिन विद्यार्थियों की ऐसी बुरी आदतें पड़ जाती हैं, तो इसके लिये अगर उन्हें पहले से शिक्षा मिली हो तो वे इससे बच सकते हैं। इसलिये प्राइमरी स्कूलों में आने से पहले अर्थात् ६–७ वर्ष की अवस्था में जिन बच्चों की बुरी आदतें इस तरह से रोक दी जाती हैं, तो वे इस तरह के कुटेवों से बच सकते हैं। इसलिये ६ वर्ष की या इससे कम अवस्था के बच्चों के लिये यदि इस प्रकार के कोई सेन्ट्रर्स हों या होम स्कूल्स हों या दूसरी संस्थायें हों जहां कि उनको इस प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा मिल सके, तो इस तरह से प्राइमरी स्कूलों के लिये उनका कार्य बहुत सरल हो जायगा।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि इस समय प्राइमरी शिक्षा, सेकेन्डरी शिक्षा और यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिये आपस में कोआर्डिनेशन की व्यवस्था नहीं है। मैं इस बात को सुझाव के रूप में माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि आज एक ऐसे बोर्ड की आवश्यकता है जो कि प्राइमरी शिक्षण, सेकेन्डरी शिक्षण और यूनिवर्सिटी शिक्षण को आपस में किसी न किसी तरह से कोआर्डिनेशन करता रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समझता हूं कि इस बजट को सरकार जितना अच्छा से अच्छा बना सकती थी, उसने उसे बनाने का प्रयत्न किया है।

चेयरमैन—कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १२ बजकर ५७ मिनट पर स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं भी अपने विचार इस बजट पर पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने इस क्राइसेस के जमाने में जबकि चारों तरफ अन्धेरा छाया हुआ है, ऐसा प्रोग्रेसिव बजट पेश किया है जिसका कि नोट डेवलपमेंट एक्टीविटीज आल राउन्ड है। मैं यह समझता हूं कि लड़ाई के बाद और पार्टीशन के बाद जो हालत पैदा हो गई वह काफी मुश्किल समस्या थी और उनके हल करने में काफी इनर्जी और वक्त सर्फ हुआ। इन साढ़े ६ साल में हमारी सरकार ने जो एचीवमेंन्ट्स किये उसमें शुबहा नहीं वह ऐडमाइरेबिल और इम्प्रेसिव हैं। जब मैं दूसरी स्टेट से मुकाबिला

[डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप]

करता हूं तो मालूम होता है कि उनसे बदरजहां बेहतर हमारी स्टेट है। अगर हम फारेन कन्ट्रीज की तरफ ध्यान देते हैं तो मालूम होता है कि वहां भी आजादी हासिल करने के बाद रिकन्स्ट्रक्शन आफ दि कन्ट्री में बहुत काफी वक्त लगा। रूस में सन् १७ में रिवोल्यूशन हुआ, उसने भी २४ या २५ साल के बाद इतना कर पाया जितना हमारी सरकार ने साढ़े ६ साल में किया।

अब मैं फाइनेन्शियल पोजीशन की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि फाइनेन्शियल पोजीशन सैटिसफैक्ट्री है। लेकिन मैं इस ख्याल से सहमत नहीं हूं। स्पीच के आखिरी हिस्से के पढ़ने से पता चलता है कि फाइनेन्शियल पोजीशन हर्गिज सैटिस्फैक्ट्री नहीं है।

फाइनेन्शियल पोजीशन को अगर हम गौर से विचार करें कि यह मालूम होगा कि ३ करोड़ बानवे लाख का जो डैफीसिट है उसको पूरा करने के लिये दूसरी मर्तबा भी रिजर्व फन्ड से यह डैफीसिट पूरा करना होगा। नये टैक्सेज के बारे में हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मौजूदा हालत में नए टैक्सेज लगाने का कोई इरादा नहीं है। मगर उन्हीं की स्पीच में हमको यह इन्डीकेशन मिलता है कि देयर इज पासिबिलिटी आफ न्यू टैक्सेजेशन ऐट लैटर स्टेज इफ प्रोग्रेस आफ फाइव ईयर प्लान इज इम्पैरल्ड (there is possiiblity of new taxation at later stage if progress of Five Year Plan is imperilled) और दूसरी तरफ वह कहते हैं कि नये टैक्सेज लगाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। इससे यह पता चलता है कि उन्होंने यह पासिबिलिटी अपने जेहन में रखी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो नये टैक्सेज लगाये जायेंगे। फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा है उन पार्टियों के खिलाफ जो प्लीड करती हैं "फार दि रिडक्शन आफ इग्जिस्टिन्ग टैक्सेज" से मेरे ख्याल में फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के लिये अपनी तकरीर में ऐसा कहना मुनासिब नहीं था। क्योंकि हम देखते हैं, खाली पोलिटिकल पार्टी ही नहीं, बल्कि फेडरेशन आफ चैम्बर आफ कामर्स के प्रेसीडेन्ट ने भी फैडरेशन के सालाना जलसे में कहा है। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी सरचार्ज को जो २५ परसेंट लगाया गया है वह बहुत ज्यादा है कम से कम आधा यानी साढ़े १२ परसेंट कम कर देना चाहिए। इस वजह से कि इसका असर जनता के तमाम तबकों पर पड़ता है और किसी तरह से भी इतना टैक्स जायज नहीं है। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने यह भी अपनी तकरीर में कहा है कि टैक्स को जस्टीफाई करने के लिये जो आमदनी होगी वह डेवलपमेंट परपजेज के लिये इस्तेमाल की जायेगी। मेरी समझ में यह एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है और नाकाबिले इत्मीनान भी है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स मौजूदा काटेज इन्डस्ट्रीज पर भी लिया जा रहा है, वह मुनासिब नहीं है। क्योंकि इससे काटेज इन्डस्ट्रीज को हानि पहुंचती है। मसलन आगरे में दरी और जूते का कारोबार बन्द होने का भय है। हमको यह आशा दिलायी गई है कि गवर्नमेंट यह विचार कर रही है कि कुछ काटेज इन्डस्ट्रीज को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया जाये। अब मैं ब्राइट फीचर्स आफ दि बजट की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(इस समय २ बजकर ७ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

और यह संक्षिप्त में हैं :—

(1) The setting up of a State Industrial Finance Corporation to help small-scale industries with an authorized capital of three crores.

(2) Completion of the construction of a Cement Factory at Mirzapur which is expected to produce 700 tons of Cement each day.

(3) Construction of 480 miles of irrigation channels.

(4) Increase in the out put of electricity by more than 40,000 k.w.

(5) Completion of large hydro-electric power stations at five places.

(6) Starting up of work on the third phase of the Industrial Labour Housing Scheme with an estimated cost of two crores.

(7) Taking in hand of development work in connection with handloom weaving.

(8) Bringing into operation of dams in Mirzapur and Banaras districts.

(9) Scheme for imparting agricultural instructions in 3,000 junior high schools.

(10) The setting up of two Committees (1) Economy Committee (2) Committee to consider financial and other questions connected with the Scheme for the construction of houses for middle classes.

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने पारसाल अपनी बजट स्पीच में कहा था कि जो गैप हैं बिटवीन सोर्सेज आफ रेवेन्यू और एक्सपेन्डीचर में, वह पूरा होना चाहिए। उसके लिये मैंने तीन बातें बतायी थीं। मुझे खुशी है कि उन बातों पर अमल हो रहा है। इसी सिलसिले में एक इकोनामी कमेटी मुकर्रर की गई है। उससे उम्मीद की जाती है कि जहां जहां यूजलेस एक्सपेन्डीचर हो रहा है, वे उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। उससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं कही जा सकती मगर फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच से मालूम होता है कि There is a possibility of imposition of new taxes at a later stage इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह जो इकोनामी कमेटी है वह बहुत ही जरूरी है। दूसरी जो कमेटी बनाई गई है to consider financial and of other questions for the constrction of houses for middle classes वह भी बहुत जरूरी है। उसके स्थापित होने से मिडिल क्लासेज की एक हद तक जो तकलीफें हैं वे दूर हो जायेंगी।

मैं अब कुछ एक खास मजमून के मुतालिक कहना चाहता हूं वह है अनइम्प्लायमेंट Unemployment is a growing menace to the stability of the State. अनइम्प्लायमेंट के लिये बहुत सी तजवीजें की गई हैं मगर मेरे ख्याल में वे काफी नहीं हैं। अन-इम्प्लायमेंट के लिये लाजिमी यह है कि जो एजूकेशन है उसमें तब्दीली हो। जिससे जो ग्रेजुएट निकलें? अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसी तरह से जहां तक इन्डस्ट्री और कामर्स का ताल्लुक है मुझे खुशी है कि इन्डस्ट्री के बारे में गवर्नमेंट ने जैसा कि मैंने पारसाल कहा था फाइनेन्शियल इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन बनाने की जरूरत को महसूस करके उसके बनाने की तजवीज की है, to help cottage and small scale Industries. मगर मेरे ख्याल में उसके साथ २ बिग इन्डस्ट्रीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर उन पर ध्यान न दिया जायगा तो बहुत सी ऐसी बात खत्म हो जायंगी, या कम हो जायगी मेरे ख्याल में यह यभी बहुत जरूरी है कि ओल्ड फैक्टरीज शुड बी रिनोवेटेड ऐन्ड इम्प्रूव्ड।"

जहां तक कि एजूकेशन का सवाल है, मैं यह समझता हूं कि यह तो सभी मानते हैं कि मौजूदा एजूकेशन इन आल दि थ्री स्टेज इज डिफेक्टिव। यह तो ठीक है मगर इसके साथ

[डाक्टर व्रजेन्द्र स्वरूप]

ही इस पर विचार करने की जरूरत होती है कि टीचर्स जो हैं कि वह अपनी जिम्मेदारियों पर भी काफी ध्यान दें। आज आमतौर पर यह पाया जाता है कि सभी तबके के लोग काम कम करना चाहते हैं। मौजूदा एजूकेशन में दो खराबियां आमतौर पर पाई जाती हैं। और इसी के कारण हम नीचे गिरते जा रहे हैं। एक खराबी तो यह है कि हम किसी मसले पर "नो" नहीं कह सकते हैं। स्कूलों में स्ट्राइक होती है, कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो स्ट्राइक नहीं करना चाहते हैं मगर वह स्ट्राइक करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनमें हिम्मत नहीं होती है कि वह "नो" कह सकें। इसी तरह से जो काम करना है उसको हम फौरन ही करते हैं और सुस्ती और काहिली से हटाते चले जाते हैं और यही वजह है कि हम गिरते चले जाते हैं। पब्लिक हेल्थ की निस्बत मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें यह ठीक है कि बजट में १९ लाख का इजाफा किया जा रहा है लेकिन इससे वह आइडियल प्राप्त नहीं हो सकता जो बजट में जाहिर किया गया है। बजट तकरीर में यह आइडियल रक्खा गया है कि किसी भी आदमी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिये ५ मील से ज्यादा न जाना पड़े। मैं समझता हूं कि १९ लाख के इजाफा से यह आइडियल प्राप्त नहीं हो सकता है। मेरा तजुर्बा यह है कि ८० या ९० फीसदी जो मेडिकल कालेज से डाक्टरी पास करके निकलते हैं वह देहातों में अपनी प्रैक्टिस सेट अप नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं कहता हूं कि जो डाक्टर कालेज से निकले पहले उन्हें गांव में काम करने का मौका दिया जाय। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हाई स्कूल्स या इन्टरमीडियेट पास हों उनको दो वर्ष तक एलीमेन्ट्री ट्रेनिंग preventive and curative madicine जो गांव में मामूली में प्रयोग की जाती हैं अमराज और माइनर सर्जरी का काम सिखलाकर सैटिल किये जायें। आज हमारे यहां डाक्टर्स की बहुत कमी महसूस हो रही है। अगर इंडिया और एडवान्स कन्ट्रीज का मुकाबिला किया जाये तो नतीजा हस्बजैल मालूम होगा :—

India	U. K.
One doctor for 6,300 persons in India	1 for 1,000 persons in U. K.
One nurse for 43,000 persons in India	1 for 300 persons in U. K.
One health visitor for 4 lakh persons in India.	1 for 4,710 persons in U. K.
One mid-wife for 60,000 in India.	
Oue dentist for 3,00,000 in India.	1 for 27,000 in U. K.

ऐसी हालत में मैं यह भी समझता हूं कि यहा भी यह बहुत जरूरी है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग दो साल की कुछ ऐसे डाक्टर्स से तैयार किया जाये जो कि खासकर अपना काम देहातों में शुरू कर सकें अगर यही तरीका यहां भी रायज किया जाय तो जैसा और मुल्कों में मुफीद पाया गया है वैसे ही यहां भी साबित होगा।

मैं हेल्थ के मुताल्लिक एक बात और कहना चाहता हूं कि एक होम्योपैथिक कालेज और एक होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी एक अच्छे पैमाने पर गवर्नमेंट को कायम करने की जरूरत है। होम्योपैथिक से कुछ ऐलोपैथिक डाक्टर्स प्रिजुडिस रखते हैं, मगर होम्योपैथिक मेरे जाती अमराज तजुर्बे में बड़ी मुफीद साबित हुई है. जहां आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पेंसरीज पर इतना खर्च किया जाता है वहां होम्योपैथिक पर भी गवर्नमेंट को कुछ खर्च करना मुनासिब होगा।

बजट में मैं देखता हूं कि इर्रीगेशन फैसिलिटीज और एग्रीकल्चरल आपरेशन्स के लिये काफी रुपया रक्खा गया है यह तो मुनासिब ही है लेकिन काफी ध्यान डेवलपमेंट आफ इन्डस्ट्रीज के ऊपर नहीं दिया गया है। जब तक कि नयी फैक्टरीज नहीं खोली जायेंगी और पुरानी फैक्टरीज में उन्नति नहीं की जायगी उस वक्त तक अनइम्प्लायमेंट का मसला पूरे और

काबिले इत्मीनान तौर पर हल नहीं हो सकता है। बजट स्पीच से हमें यह भी पता चलता है कि गवर्नमेंट स्टडी कर रही है working of textile and sugar industries with a view to rationalise these industries यह जो कुल रोशनलाइज की स्कीम है, वह कामयाब नहीं हो सकती है और स्कीम के चलाने में काफी देर हो गई है। यह सजेशन्स दिये गये थे एक मेमोरेन्डम में, जो स्टेट लेबर इन्क्वायरी कमेटी के सामने कई साल हुये, पेश किया गया था, मगर उस पर फैसला कोई अभी तक गवर्नमेंट का नहीं हुआ। जहां तक लेबर और कैपिटल का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में इनमें डेवलपमेंट आफ हारमोनियस रिलेशन्स की सख्त जरूरत है। इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से कोई अच्छा नतीजा साबित नहीं हुआ है और उससे लेबर और कैपिटल के जो ताल्लुकात थे, वे पेचीदा और खराब होते चले जाते हैं। मैंने अखबार में यह पढ़ा था कि इस बारे में लेबर और कैपिटल की ज्वाइन्ट कान्फ्रेन्स होनी चाहिए, ताकि वे दोनों मिलकर अपने झगड़े तय कर लिया करें। यह आइडिया अच्छी है लेकिन साथ ही इम्पलायर्स को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि लेबर का कोआपरेशन लेकर ही वह अपना काम फायदे के साथ चला सकते हैं।

अब ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर की है, उसमें काफी ध्यान दिया गया है, स्पीडी डिस्पोजल्स आफ वर्क की तरफ। मगर मैं यह समझता हूं कि जहां यह मसला है कि "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड" वहां पर इस मसले का भी ध्यान रखना चाहिए कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस मिसएकर्ड। सिर्फ इस पर ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि स्पीडी डिस्पोजल्स हो जाय, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि काम इन्साफ के साथ हो। इन्साफ के ऊपर किसी तरह का कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी के कारण बाज वक्त इन्साफ का खून हो जाता है इसीलिये कहा जाता है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस मिसएकर्ड। इसके अलावा मैं समझता हूं कि प्रोहिबिशन की स्कीम जो है, वह उस हद तक कामयाब नहीं हुई है, जिस हद तक कि कामयाबी की उम्मीद उससे गवर्नमेंट करती थी। प्रोहिबिशन की वजह से एक तो हमारे हाथ से आमदनी की एक बड़ी मद निकल गई है और दूसरे इसके कारण इलिसिटस डिस्टिलेशन बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ ही साथ उसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन भी बढ़ गया है। सेल्फ गवर्नमेंट की निस्बत मैं यह कहना चाहता हूं कि कारपोरेशन जो बनाने की स्कीम है, वह कारपोरेशन का बिल, मुझे इस बजट स्पीच के पढ़ने से मालूम होता है कि तैयार है और मैं समझता हूं कि उसको जल्द से जल्द पास हो जाना चाहिए और यह ऐडमिनिस्ट्रेटर्स की जो गवर्नमेंट है वह जितनी जल्द से जल्द हो सके, खत्म हो जानी चाहिए।

क्योंकि जब गवर्नमेंट का एक ऐसा जरिया है जिससे आगे इन्तजाम करने का एक जरिया पैदा होता है। ला ऐन्ड आर्डर के मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि कई गैन्ग डेक्वायट्स के खत्म कर दिये गये, मगर तब भी हमारी सैक्टिटी आफ ह्यूमन लाइफ है, वह प्रिजर्व नहीं हो रही है। मैं देखता हूं कि यंग गैन्ग रोज पैदा हो रहे हैं, लूट–मार काफी बढ़ रही है, उसको रोकने का उचित इन्तजाम सरकार को करना चाहिए। मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता और मुझे सिर्फ इतना ही कहना था।

*श्री बजरंग बहादुर सिंह (नाम निर्देशित)—श्रीमान् जी, आज बजट के बारे में कुछ कहना कम से कम तो मेरे लिये कुछ आसान बात नहीं रह गयी है, क्योंकि अगर मैं उसे क्रिटिसाइज ही करना चाहूं, तो जो कुछ कुंवर साहब कह सके हैं उससे ज्यादा मुझे क्रिटिसाइज करने को नही मिलता। और अगर मैं उसकी डिफेन्ड ही करना चाहूं तो मेरा यह दावा नहीं हो सकता कि मैं मिनिस्टर साहब से ज्यादा उसको डिफेन्ड कर सकूंगा। इसलिये मैं अपना समय इसमें खराब नहीं करना चाहता हूं। मेरा यह भी यकीन है कि मिनिस्टर साहब

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बजरंग बहादुर सिंह]

और उनकी कैबिनेट के दूसरे साहबान भी मिलकर अगर अपने मामले को डिफेन्ड करें, तो भी कुंवर साहब को इत्मीनान नहीं दिला सकते कि उनका क्रिटिसिज्म गलत है। अलावा इसके, हर आदमी को वक्त के साथ चलना पड़ता है क्योंकि जहां लाल बत्ती देखने में आती है, वह जो कुछ कहना चाहता है वह लाल बत्ती के डर से भूल जाता है। इसलिये मैं उसकी माफी चाहता हूं। हर मसले पर हर आदमी अपनी राय दे सकता है। हम उसे मुनासिब समझें या न समझें, लेकिन मैं सब के सम्बन्ध में न कह कर यह चाहूंगा कि एक आध चीज पर जिससे मुझे खास दिलचस्पी है, कुछ बातें कह दूं। मैं सबसे पहले मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसलिये कि आज इतने दिनों के बाद, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, यानी करीब ७ साल बाद ऐवियेशन का बजट में तजकिरा आया है। हम ऐवियेशन में रह रहे हैं, हम इसे भुला नहीं सकते हैं, चाहे हमें फायदा हो या नुकसान। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एयर लाइन्स को नेशलाइज किया है, उसको तीन महीने में काफी घाटा हुआ है, लेकिन हमें उस घाटे की ओर नहीं जाना है, दुनिया में आप देखें, एयर लाइन हर मुल्क में है और हर मुल्क इसका खर्चा अपनी आमदनी से पूरा नहीं कर पाता है, मगर वह इसे बन्द नहीं कर सका है, क्योंकि ऐवियेशन हर मुल्क की एक जान सी बन गई है, चाहे डिफेन्स के ख्याल से हो या कम्यूनिकेशन के ख्याल से। इसलिये हम उसकी सर्विसेज को ऐप्रीशियेट जरूर करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन यह देखकर परेशानी होती है कि हर मद में कुछ न कुछ इजाफा जरूर हुआ है, मगर यह ऐवियेशन अपनी जगह पर डटा है।

मैं समझता हूं, कि जो चीज तरक्की नहीं करती है वह तनुज्जली करती है, कोई चीज एक जगह पर नहीं रहती है। मेरे ख्याल में इसमें कुछ कमियां हैं और उनको दूर करना चाहिए या अगर नहीं है तो उसमें तरक्की करनी चाहिए, यही मेरी दरख्वास्त है और मुझे उम्मीद है कि इस पर जरूर गौर किया जायगा।

इसके अलावा हमारे यहां फूड का भी एक बहुत बड़ा प्राब्लम है। जब तक हमारे मुल्क की आबादी की बढ़ती हुई यही हालत रहेगी, उस वक्त तक इसके लिये कोई हल निकालना बहुत मुश्किल है। हमारी सरकार ने इसके लिये अब तक बहुत कुछ किया है और आइन्दा भी इसके लिये काफी करने की कोशिश कर रही है। इसके लिये मैं तीन चार बातें अर्ज करना चाहता हूं जिससे पैदावार बढ़ सकती है। एक तो यह है, कि जो जमीन काश्त में नहीं है, उस जमीन को काश्त में लाया जाय, दूसरे जो जमीन काश्त में है, उसकी हिफाजत की जाय, ताकि वह खराब न होने पाये, तीसरी बात यह है कि उसको फ्लड से बचाया जाय और चौथे यह कि इर्रीगेशन के तरीके में तरक्की की जाय। जहां तक पहिली बात का ताल्लुक है, इसमें काफी काम हुआ है और बहुत सी जमीन को काश्त के काबिल बनाया जा चुका है, सरकार ने भी काफी इसमें मदद की है। इस मामले में जमीन्दारी अबालिशन ने भी काफी मदद की है। लेकिन इस सिलसिले में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि एक काफी बड़ी तादाद ऐग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स की गवर्नमेंट के पास रखी हुई है। मेरे ख्याल में अगर उनकी कुछ कीमत कम करके काश्तकारों को दे दिया जाय तो सरकार को कोई भी नुकसान नहीं होगा और खेती में भी काफी तरक्की होगी। इसलिये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि उन इम्पलीमेन्ट्स की कीमत ५० फीसदी कम कर दी जाय तो ठीक होगा और काफी फायदा होने की भी संभावना है। मेरे ख्याल में इस सुझाव पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले को तय करना चाहिए और वह इम्लीमेन्ट्स जो इस वक्त बेकार पड़े हुये हैं, उनको काम में लाना चाहिए। आइन्दा जो फसल होगी उससे इसका फायदा फौरन मालूम हो जायगा। जहां तक स्वायल कन्जरवेशन का ताल्लुक है इसकी तरफ भी काफी ध्यान देने की जरूरत है इसके लिये मैं दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं, एक तो बात यह है कि फ्लड पर कन्ट्रोल होना चाहिए।

दूसरे इर्रिगेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जायगा, तो स्वायल कंजरवेशन ठीक नहीं हो सकता है। फ्लड रिलीफ कमेटी ने अभी हाल ही में एक-दो सुझाव दिये थे। घाघरा, ताप्ती और खास कर देवरिया जिले का एक रिव्यू करना चाहिए।

उसमें कहीं-कहीं ऐसी चीजें होंगी जिससे स्वायल कंजरवेशन को आगे बढ़ा सकें। मेरे ख्याल में यह सजेशन कमेटी का निहायत अच्छा था और उसको गवर्नमेंट को जल्द से जल्द मंजूर कर लेना चाहिये। ताकि इस वक्त प्रान्त की उन्नति होने में देर न हों। जहां तक इरिगेशन का ताल्लुक है बड़ी-बड़ी इर्रिगेशन स्कीम चल रही हैं वह चलती रहेंगी। जहां तक सूबे के इर्रिगेशन का ताल्लुक है उसके लिये इन चीजों का होना निहायत जरूरी है।

इसके साथ ही साथ जहां तक स्वायल कंजरवेशन का ताल्लुक है इसके लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि जितना नुक़सान छोटे-छोटे नालों और नदियों से पहुंचता है, उतना बड़े नालों से नहीं पहुंचता है। खास कर उन आदमियों को इसका तजुर्बा होगा, जिनको ऐसे अवसर पर रहने का मौक़ा मिला हो, तो उसको यह साफ नजर आता है कि एक बरसात में जो गांव मौजूद हैं दूसरे-तीसरे बरसात में वह वहां से साफ हो जाता है और इस पानी की वजह से आज जिलों में, खास कर लखनऊ को देखेंगे कि इरोजन बढ़ता चला जा रहा है। कम से कम एक बरसात में ऐसी-ऐसी जगह देखने को मिलेंगी, जहां मीलों तक इरोजन बढ़ता चला जाता है, इसलिये अगर इन छोटी स्कीमों को चलाया जाय तो निहायत मुनासिब होगा और इस काम में काफ़ी तरक्की होगी। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो अक्सर फ्लड से धुलते रहते हैं वहां पर जो पानी निकलता है वह एकदम निकल जाता है, परन्तु उस पानी से जो नुक़सान होता है, वह यह कि जब पानी निकल जाता है, तो वहां इर्रिगेशन का कोई तरीक़ा नहीं रह जाता। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सी ऐसी जगह हैं, जो स्टेट ट्यूब-वेल्स के जरिये से इर्रिगेट होते हैं। यह भी सच है कि वहां के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है, फिर भी वहां के इर्रिगेटेड लैन्ड का परसन्टेज नहीं के बराबर है। लिहाजा इस क़िस्म की चीजों को अगर ऐडाप्ट किया जाय तो निहायत मुनासिब होगा।

एफौरेस्ट्रेशन का जो इस वक्त ढंग है, मेरा ख्याल है उसमें एक चीज को 'ऐज ए पालिसी फारेस्ट' डिपार्टमेंट को ऐडाप्ट कर लेना चाहिये और वह यह है कि हमारे सूबे में जितने दरख्त लगाये जायं, वह ऐसे हों कि काफ़ी फलदार हों या फिर जिनके पत्ते और शाखें जानवरों के चारे वगैरह के काम में आ सकें। थोड़ा सा तजुर्बा मुझे इस सम्बन्ध में है और मेरा यह ख्याल है कि कोई ऐसी जगह नहीं है, जहां के लिये फलदार या फीडर प्लान्ट्स न मिल सकें। अगर थोड़ी सी तकलीफ़ उठा कर के यह चीज 'ऐज ए पालिसी ऐडाप्ट' कर ली जाय, तो एक बहुत बड़ी प्राब्लम इरोजन की और साथ ही साथ कैटिल की साल्व हो सकती है। कैटिल के संबंध में मुझे यह अर्ज करना है और मेरा यह ख्याल है कि इस मसले को हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझे हैं कि यह चीज किस कदर तकलीफदेह है और होने वाली है। मैं अपनी छोटी सी समझ से यह समझता हूं कि देश में डिफेन्स के बाद अगर कोई दिक्क़ततलब बात है, तो वह कैटिल के संबंध में है। हमें उसका उसी दृढ़ता से मुक़ाबिला करना पड़ेगा वरना एक सख्त मुसीबत आने का अंदेशा है। इस संबंध में गवर्नमेंट ने एक गौ सम्वर्धन समिति बनाई है और मेरा ख्याल है कि वह कमेटी अपनी डिटेल्स बाद में पेश करेगी। इसलिये इस वक्त उसके ऊपर कहने का कोई मौक़ा नहीं है परन्तु आगे चलकर यहां पर खासकर इस कमेटी की रिपोर्ट में बहुत सी चीजें ऐसी आयेंगी, जो बिल्कुल नई होंगी और जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते होंगे। बहुत से ऐसे-ऐसे मसले हमारे सामने आ सकते हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने ख्याल नहीं किया है।

अब सिर्फ मैं एक चीज और अर्ज कर देना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे सूबे में इस वक्त ५१ जिलों में २३४ वैटेरीनरी हास्पिटल हैं। उसका ऐवरेज ४.६ आता है। यदि हिसाब लगाया जाय, तो केवल ७ हास्पिटल फ़ी जिला पड़ता है, जब कि पंजाब में १४ वैटेरीनरी हास्पिटल प्रति डिस्ट्रिक्ट हैं। लिहाजा गवर्नमेंट ने इस मसले को हल करने के लिये एक

[श्री बजरंग बहादुर सिंह]

वैटेरीनरी कालेज खोला है और वहां पर विद्यार्थियों की तादाद ६० से १०० तक है फिर भी मुझे डर है कि यह मसला कहीं अधिक गम्भीर न हो जाय। इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस तरफ अधिक ध्यान होना चाहिये, ताकि बाद में ऐसी कोई बात न आ जाय जिससे हमको पछताना पड़े और जिस वक्त हमें यह मालूम हो कि हम बहुत पीछे रह गये तब हम इस पर क़ाबू पाने के लिये कुछ नहीं कर सकते।

मैं अब फिर एक बात की तरफ आपके ज़रिये से अपने दोस्तों का ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह मसला ऐसा है कि शायद इस सदन में वह पहले कभी नहीं आया। मैं नहीं समझ पाया कि वह किसी तरीक़े से गैरमुनासिब समझा जायेगा फिर भी मैं इस बात को कहने के लिये माफ़ किया जाऊं, इसलिये कि मैं उसको बहुत ज़रूरी समझता हूं और वह मैं आपके ज़रिये से गवर्नमेंट के सामने पेश कर देना चाहता हूं। हमारे यहां इस वक्त गवर्नमेंट का और जनता का तथा हमारे दोस्तों का चिल्ड्रेन वेलफेयर की तरफ ध्यान जा रहा है और वह ऐसी चीज़ है, जो कि बहुत दिनों तक नेगलेक्ट की गई और जिसकी तरफ वर्षों से किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन एक चीज है, जिसकी तरफ हम लोगों ने सही तरीके से देखने की कोशिश नहीं की है और वह यह है कि इस क़िस्म के बच्चे जो मां बाप के रहते हुये यतीम हुआ करते हैं, जिनका सोसाइटी उनके बिना किसी पाप के, उनकी बिना किसी ज़िम्मेदारी के बहिष्कार करती है तथा उनको सज़ा देती है, जिनकी पैदावार सोसाइटी रोक नहीं सकती परन्तु जिनको अपने समाज में स्थान नहीं देती है, जिनके लिये सोसाइटी एक तरफ तो यह कहती है कि इस क़िस्म के लोग म्युनिसिपल बोर्ड से अलग कर दिये जायं, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि वह बच्चे जिनके लिये मां बाप भी नफरत करते हैं और जिनको मां-बाप स्वयं लेना पसन्द नहीं करते, उनका स्थान क्या है, वे कहां जायं। इस तरह आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि बनारस में जब बी० एन० मेहता थे तो श्रीमती मेहता ने इस काम का बीड़ा उठाया था। मगर उनके जाने के बाद आज वह काम ख़त्म हो गया है और अगर नहीं ख़त्म हुआ है तो क़रीब-क़रीब ख़त्म होने के बराबर ही है। मुझे कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि इस वक्त एक ही शख्स है, जो कि इसको अपनी ज़िम्मेदारी पर बिना किसी मदद के किसी ऐसे भरोसे के कि इस काम में आगे के लिये इमदाद मिलेगी या इस काम के लिये कोई सज़ा मिलेगी, बिला इस ख्याल के वह इस काम को कर रहे हैं और वह हैं कमला नेहरू हास्पिटल में डा० श्यामा। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने १५ ऐसे बच्चों के लिये घर बनवाया है जिनको उनके पैदा होते ही हमारे समाज में कोई स्थान नहीं रक्खा है और उनको मरने से उन्होंने बचाया है। अजीब रिवाज है हमारे देश का, अजीब हालत है हमारे मुल्क की, कि वह इन बच्चों को न तो मरने देती गरकोई इनको मारने की कोशिश करे तो उसे सज़ा मिलती है, और न उनको समाज में हां कोई स्था। प्राप्त है, न तो मरने की सुविधा है और न जीने का सुभीता है, न उनके मां-बाप उनके वारिस होते हैं न समाज वारिस होता है और न कोई होने वाला है, तो मैं यह नम्रता से निवेदन करूंगा कि अगर इसको हम ध्यानपूर्वक विचार करने की कोशिश करें तो हममें से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका इस तरफ ध्यान न जाय। आप यह देखें कि इन बच्चों के लिय यह कहा जाता है कि यह इलेजिटीमेट हैं। भगवान की निगाहों से कोई भी बच्चा इलेजिटीमेट नहीं होता। उसकी निगाह में सब बराबर हैं अगर कोई इलेजिटीमेट हो सकता है तो वह उसके मां-बाप हो सकते हैं परन्तु उसका कोई पाप नहीं है, उसने कोई अपराध नहीं किया है जिससे उसको इस बात की सज़ा मिले। इससे तो अच्छा था कि पैदा होते ही उनका गला घोंट दिया जाता। अगर कोई यह सोचने की कोशिश करे कि उस मां का क्या हाल होता है जो यह जानते हुये कि यह मेरा बच्चा है और अपने हाथों से उसका गला घोंट देती है क्योंकि उसका समाज में कोई महत्व नहीं है आज वह एक बच्चा है। पता नहीं किसी दिन क्या होने वाला है, यह कोई नहीं जान सकता। इसलिये ऐसे बच्चों की ओर ध्यान दिलाने के लिये सरकार को भी आवश्यक सहायता देनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं फिर गवर्नमेंट को और मिनिस्टर साहब को इस बजट के लिये धन्यवाद देता हूं और चूंकि आपने मुझे अधिक समय बोलने के लिये दिया, इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं।

*श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् १९५४–५५ ई० का आय–व्ययक का लेखा, जो आज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है और उसको प्रस्तुत करने के लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने जो दूरदर्शिता दिखलाई है, मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देने खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जब कहीं कोई आय-व्ययक का हिसाब आता है, तो उसमें लोगों का अपना–अपना दृष्टिकोण होता है और हर आदमी उसके लिये अलग-अलग राय बनाता है। उसमें कई मौलिक सिद्धान्तों का भी भेद हो सकता है और अलग–अलग आदमियों में कई दूसरी बातों में भी भिन्नता हो सकती है। ऐसी चीजों को बनाने के लिये जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, वह यह है कि जिस चीज़ को हम पास कर रहे हैं, उसको पास करने में हमारा ध्येय क्या है और इस ध्येय को प्राप्त करने के लिये ही जो इसे पेश करने वाले हैं, उन्होंने कैसे इस ध्येय को प्राप्त किया इन बातों को ध्यान में रखकर ही इसे पेश किया है। इस आय–व्ययक बजट को जब हम देखते हैं तो यह बात देखते हैं कि इस गवर्नमेंट की मन्शा एक वेलफेयर स्टेट क़ायम करना है और वह वेलफेयर स्टेट को कोआपरेशन के ज़रिये से क़ायम करना चाहती है। उसके दृष्टिकोण को देखते हुये हमें इस बात को समक्ष लाने की आवश्यकता है। हम इस राष्ट्र को इस तरह से चलाना चाहते हैं कि सरकार ने जनता के सामने अपना जो ध्येय रखा है, उस ध्येय को ध्यान में रखते हुये वह यहां एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहती है। हम जब इस ध्येय को देखते हैं तो हमें इसके लिये जनता का भी ध्यान रखना पड़ता है और इस ध्येय की प्राप्ति के लिये किन्हीं रास्तों को अपनाना पड़ता है। तो जो भी रास्ता हम इसके लिये अपनायेंगे वह बहुत ही सुसंगठित रास्ता होगा, जिससे कि हमें किसी तरह से पीछे हटने का मौक़ा नहीं मिल सकेगा। अगर इस दृष्टिकोण से बजट को देखा जाय तो इसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपनी बजट की स्पीच दी, उससे पता चलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिये अग्रसर होना है। यह बात आप कह सकते हैं और मैं भी इसे मानता हूं कि हम उतनी तेज़ी से और रफ्तार से उस चीज़ में नहीं पहुंच रहे हैं, जितनी जल्दी कि हमें पहुंचना चाहिये और जैसा आज काम हो रहा है उससे जनता की भी पूरी तकलीफ दूर नहीं हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही मैं इस बात को भी मानता हूं कि जो दृष्टिकोण आज हम अपने सामने रखते हैं और जिस रास्ते से हम चलना चाहते हैं, उससे जनता को पीछे लौटने की आवश्यकता नहीं है और उसे आगे ही बढ़ना है। तो यदि बजट में हम सरकार के आंकड़े देखें तो उनसे पता चलता है कि उसने अपने दृष्टिकोण में एक क़दम आगे बढ़ने की ही कोशिश की है। आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिये, किसी भी इलाके को ले लीजिये, यद्यपि इसके लिये मैं कुछ अंशों में अपने सुझाव बाद में दूंगा, लेकिन यह बात निश्चित है कि आज इसके लिये क़दम आगे बढ़ रहे हैं।

सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बजट में देखने को मिली वह तिब्बत इलाक़े की है और जिसकी ओर सरकार ने अपना ध्यान आकर्षित किया है। यह इलाक़ा बहुत नेगलेक्टेड था और चीन का तिब्बत में अधिकार हो जाने से वहां की जनता का रोटी का ज़रिया भी छिन गया और उनका जो ऊन का व्यापार था वह भी नष्ट हो गया। दूसरी बात यह है कि वहां के लोग बहुत ग़रीब हैं और उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, ऐसी हालत में उन लोगों की क्या दशा होगी यह आप सभी समझ सकते हैं। आज उनकी दशा की तरफ सरकार ने अपना ध्यान आकर्षित किया है और जो वहां के जूनियर हाई स्कूल हैं उनकी तरफ और ऊन के व्यापार की तरफ जो सरकार ने ध्यान आकर्षित किया है, वह उसके लिये धन्यवाद की पात्र है।

इसी तरह आज हमारे सामने अनइम्प्लायमेन्ट का क्वेश्चन फैला हुआ है। मैं एक बात सदन के ध्यान में लाना आवश्यक समझता हूं वह ऐसा प्रश्न है जो पर्वतीय इलाकों के लिये और जगहों से ज्यादा है। वह अनएज्यूकेटेड अनइम्प्लायमेंट की समस्या है। इस बारे में मैं एक निश्चित राय रखता हूं वह यह कि एज्यूकेटेड अनएम्प्लायमेन्ट के लिये जो हम कर रहे हैं उससे शायद हम इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं इसकी जड़ एज्यूकेशन सिस्टम

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कृष्ण चन्द्र जोशी]

मानता हूं और इसकी सबसे बड़ी कमी अपने विचार में यह समझता हूं कि मारेल शिक्षा देना बिल्कुल बन्द कर दी गई है। हम अपनी संस्कृति शिक्षा अपने विद्यार्थियों में नहीं भरते हैं बल्कि एक भावना विदेशी हुकूमत के समय से वेस्टर्न आइडिया की बहुत हद तक फैल गई है और वह नुक़सानदेह है और अब पीछे लौटना कठिन हो गया है। मैं इस चीज़ की ओर सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। जब मारेल शिक्षा नहीं है और इस क़िस्म की हालत है जैसे यूनीवर्सिटी में विद्यार्थियों में और मास्टरों में सामञ्जस्य नहीं है वह सद्भावना नहीं है जो पुराने गुरुओं के लिये थी। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि सरकार के विचार में, शिक्षा में उलटफेर करने का प्रश्न है। इन्डस्ट्रीज़ के लिये सरकार ने पर्वतीय इलाके में ध्यान दिया है, एक तो उन्होंने ऊल के लिये इन्तज़ाम किया है। रामगढ़ और टनकपुर में कोल्ड स्टोरेज़ खोलने का विचार किया है और यह आवश्यक था। अगर इस साल की हालत सरकार को मालूम होती कि उस इलाक़े में लाखों मन आलू बरबाद हो गया और इसी कारण बरबाद गया कि उसके बचाव का कोई चारा नहीं था। यह चीज़ आवश्यक थी। अब हमको यह दीखता है कि इधर ही नहीं बल्कि सरकार उन पिछड़ी हुई जगहों में भी कार्य कर रही है यह बात मैं इस बजट में पहली बार देख रहा हूं। वैसे तो और काम सरकार ने किये हैं। और भी ज्यादा ज़रूरी काम जो रह गये हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं पर्वतीय इलाकों के लिये आवश्यक समझता हूं, उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं वह टेनेन्सी ला की परिस्थिति है। सरकार ने जिस तरह से यहां किया, उस तरह से शायद पर्वतीय इलाकों में न चले, लेकिन स्थिति ऐसी डांवाडोल है वहां पर बड़े-बड़े जमीन्दार तो हैं नहीं, एक-दो को छोड़ कर बाकी सब छोटे-छोटे जमीन्दार हैं और वह भी नौकरी पेशा हैं और जमीन को सिरतानों को दे दिया है। न टेनेन्ट्स को सिक्योरिटी है क्योंकि कोई ला नहीं है। मैं उस इलाके से वाकिफ हूं। मैं यह नहीं कहता कि किस प्रकार से वहां किया जाय, यह सरकार जैसा उचित समझे करे जिस तरह से ठीक व्यवस्था हो और किसी का नुकसान न हो। जो दशा हमारे यहां हो रही है उसमें जो सिरतान हैं वह भी लैन्डलार्ड को रक़म नहीं देते हैं और सिरतान हिस्सेदार पर ज्यादती करता है। नतीजा यह है कि जो भाईचारे की भावना थी वह खत्म हो गई है जो आज से १० साल पहले थी।

इसका कारण शायद कोई यह कहेगा कि चेतना आ गई है। मैं तो कहूंगा कि यहां चेतना का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि सिरतान और हिस्सेदार दोनों ही अपनी आने वाली दशा से सशंकित हैं। इसलिए स्थिति साफ़ हो जाना चाहिए। सिरतान की टेनेन्सी सिक्योर हुए बग़ैर कोई काम नहीं हो सकता। देखभाल कर स्थिति सुलझाना बहुत ही आवश्यक है। अगर स्थिति नहीं सुलझती है तो इसके गम्भीर नतीजे होंगे। इस छीना झपटी में अवश्य ही टेनेन्ट बेचारा मारा जाता है। उनकी कहीं डिग्री होती है तो कहीं कुर्की होती है। क्योंकि बलवान का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, चाहे वह सही करे या गलत। दूसरी स्थिति जो वहां है, जैसा कि मैंने अभी कहा, वहां खेती के लिए कोई साधन नहीं हैं। पर्वतीय प्रदेश का कुमायूं का इलाक़ा ऐसा है जहां पर ज्यादातर लोग एज्यूकेशन वाले नौकरी-पेशा हैं। एज्यूकेशन की हालत मैं आपसे अभी कह चुका हूं। जमीन है नहीं, जहां पर वह बसें। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए एज्यूकेशन में अनइम्प्लायमेन्ट होता है। अब सवाल यह उठता है कि हो क्या? आप स्कूल खोल रहे हैं। आप कहते हैं कि हम हर स्कूल में कम्पलसरी खेती-बाड़ी का काम करायेंगे। लेकिन जमीन कहां से देंगे? यह प्रश्न तो सबसे बड़ा है। सरकार ने एक स्कीम बनाई थी वह स्कीम थी तराई और भाबर के इलाक़े में लोगों को बसाना। इसमें दिक्कतें भी हैं क्योंकि वहां के लोग अधिक गर्मी बरदाश्त करने के आदी नहीं हैं। कुछ लोग टनकपुर में और कुछ खटीमा में बसाये गये। टनकपुर के लोगों को यह आश्वासन सरकार ने दिया था कि आप के लिए नहर बनाई जायेगी। इसलिए सरकार को इस संबंध में ध्यान देना जरूरी है। अगर बसाया जाये तो उसके लिए कम से

कम साधन भी जोड़े जायें। क्योंकि वह इलाक़ा ऐसा नहीं है जो बहुत धनवान हो या अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज एक अंग को उन्नत करने से देश की उन्नति नहीं हो सकती। अगर हम एक अंग की उन्नति करते हैं और सारे अंग को सड़ने देते हैं तो सारा अंग ही सड़–गल जायेगा। मैंने आज एक प्रश्न शिक्षा के संबंध में पूछा था। जवाब मुझे यह मिला कि एक जूनियर स्कूल सारे डिवीज़न में है।

(इस समय २ बजकर ५७ मिनट पर डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

जिस डिवीज़न की लम्बाई २५ मील और चौड़ाई २४ मील हो उस जगह के लिए एक जूनियर स्कूल काफ़ी नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपना फर्ज़ समझता हूं कि इस ओर आप का ध्यान आकृष्ट करूं। ताकि हम एक सुव्यवस्थित शरीर की तरह अपना काम कर सकें।

दूसरी चीज़ जिसकी ओर मैं आप का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, वह है रेडटैपिज्म। रेडटैपिज्म को ख़त्म करने की बड़ी आवश्यकता है। अगर आप तरक्क़ी करना चाहते हैं तो सब ओर तरक्क़ी करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल वही पुराना रेड–टैपिज्म चल रहा है। किसी–किसी अर्ज़ी का जवाब साल भर तक नहीं दिया जाता। एक इलाका है मौज़ा सोलां। वहां पर नीलाम से पेड़ बेचे गये। ६ साल से रुपया वसूल नहीं हो रहा है। जवाब दिया जाता है कि यह इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी। एक ठेकेदार को नाजायज़ फायदा दिलाने के लिये क्यों नहीं रुपया वसूल किया गया। आप कितनी ही तरक्क़ी क्यों न करें जब तक आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान न देंगे तब तक जनता की तकलीफें दूर न होंगी। जो आपकी स्कीम्स हैं अगर वे चल जायं तो कोई वजह नहीं कि प्रदेश ऊंचा न उठे। मैं आपका ध्यान प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। पर्वतीय प्रदेशों में जब कभी कहीं मीटिंग होती है तो आवागमन के रास्ते इतने मुश्किल होते हैं कि आसानी से लोग पहुंच नहीं सकते। जब आवागमन के रास्ते ठीक नहीं होते हैं तो वहां कोई काम नहीं हो पाता है। सारा पूर्वी इलाक़ा ही ऐसा है। पूर्वी अलमोड़े में कितना काम हुआ है यह आप प्लानिंग डिपार्टमेंट से मालूम कर सकते हैं। क्योंकि अब लाल झंडी भी हो गई है मुझे आदेश का पालन करना चाहिए। मैं इस बजट के लिये वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री सरदार सन्तोष सिंह—माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैंने १९५४–५५ के बजट को अच्छी तरह से पढ़ा है और पिछले सालों के बजट से कम्पेयर किया है। जो बजट हमारे सामने इस वक्त है इस बजट में सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्सेशन नहीं लगाया है और जनता की भलाई और उन्नति के लिये सब चीजें इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने क्या उन्नति की है। हमारे देश के अन्दर जब हिन्दोस्तान का पार्टीशन हुआ, हमारे मुल्क में बहुत सी तकलीफें थीं उनमें सबसे ज्यादा क़हतसाली की तकलीफ थी। गवर्नमेंट ने बहुत सी योजनायें सोची और बाहर के देशों से अनाज मंगवा कर हिन्दोस्तान की कमी को पूरा किया और फाइव इयर्स प्लान को रखा। चूंकि मुल्क में फूड का शारटेज था इसलिये फाइव इयर्स प्लान में 'ग्रो मोर फूड' का ख्याल रखा गया, उसको सबसे पहले अपनाया गया। हमारे प्रदेश की गवर्नमेंट ने सोचा कि जो हमारे पास बैरन लैन्ड्स हैं उनको खेती बाड़ी के इस्तेमाल में लाया जाय। उसके लिये गवर्नमेंट ने बहुत से ट्रैक्टर्स खरीदे और जनता को मुफ्त दिये और जो रिफ्यूजी बाहर से आये थे उनको ज़मीन मुफ्त दी गई और ट्रैक्टर मंगवा करके और ज़मीन प्लाऊ करके दिया और तकावी का रुपया दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने इरीगेशन के वास्ते ट्यूबवेल लगवाये। ४६–४७ के अन्दर ट्यूबवेल बहुत कम थे, उनकी तादाद १७४७ के करीब थी। उसके बाद सात साल के अन्दर गवर्नमेंट की ज्यों-ज्यों ताक़त बढ़ती गई त्यों-त्यों ट्यूबवेल्स की संख्या भी बढ़ती गई। जो जमीन पहले ६८ लाख एकड़ थी वह जमीन सन् ५२ में

[श्री सरदार संतोष सिंह]

८० लाख ८५ हजार एकड़ के करीब हो गई और ५३ में ९३ लाख एकड़ से ऊपर बढ़ गई। इसके माने यह है कि हर साल १०९ ट्यूबवेल्स लगाये गये। १०९ ट्यूबवेल्स कहने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इनका लगवाना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट के पास कोई मशिनरी, टूल्स बहुत ज्यादा नहीं थे। मैं जानता हूं कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास केवल २० सेट हैं, लेकिन फिर भी बहुत काम किया गया। यह मामूली बात नहीं थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इरिगेशन चैनेल्स बनवाये और सात साल में २,५०० मील बनवाया। इसके माने यह हैं कि साल में ३६० मील के हिसाब से इरिगेशन चैनेल्स बनाई। कल्टीवेटर्स के लिए गवर्नमेंट ने अच्छे से अच्छा सीड दिया और उसके अलावा उनको हर तरह की मैन्योर और दूसरी मददें दीं जिससे कि हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर ने तरक्की की और बराबर रोज-बरोज तरक्की होती चली जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा यह बतलाना चाहता हूं कि सब से मेन क्राप हमारे प्रदेश की शुगर केन की है। इसका एवरेज जो पहले २०० या २५० मन एक एकड़ में होता था आज ४०० से ४५० मन तक पहुंच गया है। इसका कारण अच्छी खादों का देना और अच्छे बीजों का गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई करना है। यह सब चीजें गवर्नमेंट की कोशिशों का ही नतीजा है। इसके अलावा हमारे यहां ग्रेन की कमी जो थी वह भी इसी तरह से पूरी होती चली जा रही है। आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर १० या १५ मन से ज्यादा पैडी नहीं पैदा होती थी। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अब यहां ५० और ५५ मन पर एकड़ पैडी की पैदाइश हो रही है और इसी तरह से गेहूं जो कि १५ या १० मन से ज्यादा नहीं होता था वह भी ५० या ६० मन पर एकड़ तक पहुंच चुका है। अगर इसी तरह से यह कोशिश जारी रही तो मेरा ख्याल है कि थोड़े दिनों के अंदर ही हमारा देश बड़ी खुशहाली की हालत में होगा और जिस वेलफेयर स्टेट का ख्वाब हम देख रहे थे, वह भी पूरा होकर ही रहेगा।

अब इसके अलावा मैं इरिगेशन के बाद पावर की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इरिगेशन के साथ-साथ ही जो गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल लगाये तो यह सोचा गया कि या तो इन ट्यूबवेल्स के लिये इंजन मंगाये जायं या फिर बिजली पैदा की जाय। तो इंजन मंगाने पर भी उनके लिये दूसरे आयल्स और दूसरी तरह की तमाम चीजें बाहर से मंगानी पड़तीं। इसलिये यह सोचा गया कि इनको एलेक्ट्रिक इनर्जी से चालू किया जाना चाहिये और इसलिये हाइड्रो-एलेक्ट्रिक स्टेशन्स बनाने की कोशिश की गई और तकरीबन इस प्रदेश के अंदर सरकार ने बहुत से हाइड्रो-एलेक्ट्रिक स्टेशन्स बनाये और उनमें से जो इनर्जी पैदा की वह तकरीबन दो लाख किलोवाट से ऊपर है। आजकल हमारे प्रदेश के अंदर बड़े से बड़ा जो हाइड्रो-एलेक्ट्रिक स्टेशन बनाया गया है वह इस वक्त तक खतीना के पास लोहिया हेड है। यह थोड़े अरसे में ही चलने वाला है जिसमें से ४० या ४१ हजार किलोवाट बिजली पैदा होगी और जो पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर वगैरह में डिस्ट्रिब्यूट की जायगी इस तरह से उस इलाके के अंदर जो-जो ट्यूबवेल्स हैं और जो-जो किसान हैं जिन्होंने ट्यूबवेल्स लगाये हैं या जो लगाने वाले हैं उनको सिंचाई के वास्ते बहुत आसानी हो जायगी और इसके लिये उनका बहुत कम रुपया खर्च होगा और उनको सब तरह का सुख होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रेहन्द डैम बनाने की कोशिश की है और उसमें भी मेरा ख्याल है कि २ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जा सकेगी। दो लाख किलोवाट बिजली पैदा करने से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत फायदा पहुंचेगा और जो तकलीफें वहां आज तक महसूस की जा रही हैं वह भी हल हो जायंगी। मगर मैं यहां पर गवर्नमेंट को एक सुझाव दूंगा कि सब रुपया बिजली पर ही न खर्च किया जाय। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में अब बिजली के ऊपर रुपया खर्च करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर काफ़ी से ज्यादा कैनाल्स हैं और वहां पर बिजली के भी काफ़ी स्टेशन्स हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट आफ इंडिया ने नंगल भाकड़ा डैम जो बनाया है उसमें से ८ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जायगी जिसमें से कुल ढाई लाख किलोवाट का कन्जम्पशन होगा। बाकी बिजली रिजर्व में रहेगी। अगर यू० पी०

गवर्नमेंट को बिजली की जरूरत हो तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वह वहां से ले सकती है। इसलिए गवर्नमेंट को यह चाहिये कि वेस्टर्न साइड्स में बिजली पर और ज्यादा रुपया न खर्च करे।

अब मैं काटेज इन्डस्ट्रीज़ की तरफ आता हूं। काटेज इन्डस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने एक फाइनेन्स कार्पोरेशन बनाया है और तीन लाख रुपया देने को कहा है छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, यह बात बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं पहले बहुत कुछ कह चुका हूं। कुंवर साहब ने भी आज सुबह इसकी तारीफ की है और यह स्कीम वाकई में बहुत अच्छी है मगर रुपया का उपयोग उचित ढंग से अगर किया जाय तो काफ़ी उन्नति होगी। मेरी राय में यह रुपया अच्छे कामों में लगाना चाहिये। हमारे प्रदेश में छोटी इन्डस्ट्रीज़ जहां-जहां पर हैं, मैं उनको नीचे बताता हूं। मुरादाबाद में ब्रासवेयर, बनारस में सिल्क, आगरा में कार्पेट्स, मिर्ज़ापुर में रग्स एण्ड कार्पेट्स, , अलीगढ़ में ताले, बरेली में छोटी और बड़ी कार्पेट्स् और फर्नीचर का काम बड़े जोरों से होता है। रुड़की में काटेज इन्डस्ट्री है उसमें डाइंग और सरवे मैटीरियलस तैयार किया जाता है जो पहले बाहरी मुल्कों से यहां आता था, मगर वह अपनी क्वालिटी को बहुत गिरा रहे हैं। लाक्स अलीगढ़ में तैयार किये जाते हैं मगर उनकी भी हालत वही है और हार्ड कम्पिटीशन की वजह से उनकी क्वालिटी गिर रही है, इसलिए सरकार को चाहिये कि वह क्वालिटी मार्किंग खुद कर दिया करे वरना ज्यादा दामों पर माल नहीं बिक सकेंगे। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि गवर्नमेंट ऐसा कोई इन्तज़ाम जरूर करे क्योंकि काटेज इन्डस्ट्री से हमारे देश का अन-इम्प्लायमेंट दूर होगा। काटेज इन्डस्ट्री हमारे देश की गुड इन्डस्ट्री है। हमारे देश में जितना गन्ना होता है, यू० पी० में उसका ज्यादा हिस्सा पैदा होता है और यहां इसकी १२५ फैक्ट्रीज़ हैं, इसलिए वह पूरे गन्ने को क्रश नहीं कर पाती है, इसलिए गुड़ का बनना बहुत ज़रूरी है और जो शुगर न इस्तेमाल करना चाहें वह गुड़ का इस्तेमाल कर सकें। साथ ही यह भी चाहता हूं कि गुड़ बनाने के लिए उनको अच्छी मशीनरी दी जाय, क्योंकि १०० मन गन्ने में मुशकिल से १०, १२ मन गुड़ बन पाता है। मैं गवर्नमेंट को सुझाव देना चाहता हूं कि तीन वर्कशाप छोटे-छोटे इसके लिए खुलने चाहिये--एक रुड़की, दूसरा बरेली और तीसरा गोरखपुर, क्योंकि इन्हीं जगहों में गन्ने की पैदावार ज्यादा होती है। मेरा पूरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी तो काश्तकार खुशहाल होंगे। इस पर मैं काफ़ी अर्ज़ कर चुका हूं और मेरा ख्याल है कि सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देगी।

इसके अलावा मैं कुछ बातें स्टील फैक्टरी के बारे में भी कह देना चाहता हूं। जहां तक स्टील का संबंध है यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का काम है। इस तरफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है। एक स्टील फैक्टरी उड़ीसा और रुहेकेला में बनायी जा रही है, उसका ठेका भी एक कम्पनी को ७१ करोड़ रुपये का दे दिया गया है। यह फैक्ट्रीज़ दो-तीन साल में बन जायगी और हमारे देश में जो करोड़ों रुपये की स्टील बाहर से आती है वह अब नहीं आयेगी और हम अपनी ज़रूरियात को इसके ज़रिये से ही पूरा कर सकेंगे। हमारी सरकार को काटेज इन्डस्ट्री की तरफ भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां एक बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री ज़रूर होनी चाहिए। वैसे तो कई छोटी-छोटी फैक्ट्रियां हैं लेकिन बड़ी कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि कानपुर में एक वर्कशाप ज़रूर होना चाहिए जो इस प्रान्त की ज़रूरियात को पूरा कर सके। एक साइकिल कम्पनी नाम की फैक्टरी थी लेकिन अब वह ख़त्म हो गई है। बहुत से और छोटे-छोटे वर्कशाप हैं लेकिन उनसे कोई ख़ास फायदा नहीं होता है, इस वजह से कोई कलकत्ता जाता है और कोई बम्बई जाता है। मैं समझता हूं कि कानपुर एक ऐसी जगह है जहां पर एक बड़ी फैक्टरी बन सकती है। वहां पर लोहा बनाने के तो कारखाने हैं जिससे मुल्क को काफ़ी फायदा भी हो रहा है। इसके बारे में मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह इसकी तरफ और अधिक ध्यान दें, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिससे मुल्क को फायदा हो सकता है।

इसके अलावा मैं कुछ बातें एजूकेशन के बारे में भी कहना चाहता हूं। सरकार ने काफ़ी स्कूल खोलने का विचार किया है। प्राइमरी स्कूलों के लिए ५ एकड़ और जूनियर

[श्री सरदार सन्तोष सिंह]

स्कूलों के लिए १० एकड़ ज़मीन देने का प्रबंध किया है। यह प्रबंध उसने रूरल एरिया के लिए किया है। मैं समझता हूं कि सरकार को शहर के स्कूलों के लिये भी इन्तजाम करना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी इसके लिए कम ट्रेन्ड टीचर मिलेंगे लेकिन धीरे-धीरे मिलने लगेंगे। थोड़े दिनों के बाद यह काम ठीक से चलने लगेगा। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए बजट में बहुत अच्छी चीजें दी हुई हैं। हमारे मुल्क को तरक्की देने के लिये जिन चीज़ों की जरूरत हो सकती है वह सब बजट के अन्दर मौजूद हैं। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा अच्छा बजट बनाया है जो हमारे प्रदेश को वेलफेयर स्टेट बना सकता है।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने रक्खा, वह पिछले सालों से भी अधिक आशाप्रद और वास्तविकता पर निर्भर है, जिसमें उन्होंने हमारे प्रान्त के सभी क्षेत्रों की उन्नति को बिलकुल स्पष्ट रूप से नाप-तोल कर हमारे सामने रख दिया। मैंने जब इस बजट को पढ़ा तो इसको पढ़ करके मुझे अत्यन्त खुशी और गर्व हुआ और मैं वित्त मंत्री जी को इस बजट के बनाने के लिये बधाई देती हूं। सबसे अधिक संतोष की बात तो इसमें यह है कि इतनी बड़ी विशाल योजनायें प्रान्त में चालू रखने के लिये उन्होंने कोई कर भी जनता के ऊपर नहीं लगाया। बल्कि स्माल काटेज इंडस्ट्रीज़ पर से बिक्री कर हटाने का ही विचार किया है, यह कितनी सराहनीय बात है। अब हमको अपनी सरकार की योजनाओं को फलीभूत बनाने के लिये आगे बढ़ना चाहिये। और हम लोगों का कर्त्तव्य हो जाता है कि जो कर लगाया जा चुका है उसका भार बिना किसी आपत्ति के शांतिपूर्वक सहन करें तथा इस बात पर विश्वास करें कि इस साल कम से कम हमारे ऊपर कोई कर नहीं बढ़ाया जायेगा।

दूसरी पार्टी के जो हमारे भाई कुंवर गुरु नारायण जी जब बजट की आलोचना करते हैं और इसमें केवल यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि यह बजट समस्त प्रान्त की जनता के लाभ, हित, आर्थिक उन्नति तथा प्रगति का नहीं है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल ईर्ष्या के कारण ही हमारी सरकार के सुन्दर कार्यों की आलोचना करना चाहते हैं। या तो वह अपने प्रदेश के उज्ज्वल कार्यों की ओर देखते नहीं या उधर देखना नहीं चाहते। क्योंकि यदि वह उस ओर देखें तो उनको बात बिल्कुल उसके विपरीत ही नजर आ रही है। एक तरफ तो मेरे भाई साहब यह कहते हैं कि इन सब योजनाओं को मैं अच्छी समझता हूं और उनको जरूर सफल होना चाहिये और दूसरी ओर यह कहते हैं कि यह कर नहीं लगने चाहिये। लेकिन उन्होंने कोई बात इस भवन में ऐसी नहीं बताई कि यह रुपया कहां से आये? रिजर्व फंड से रुपया निकाल लेने से उनको इस बात का दुख है कि यदि अगले चुनाव में उनसे सम्बन्धित दूसरी पार्टी के लोग आयें तो उनको रुपया खर्च करने के लिये कहां से मिलेगा? अधिक दुख उनको इसी बात का है कि अगर रिजर्व फंड से रुपया निकल गया तो जब उनकी पार्टी शासन प्राप्त कर लेगी तो अपना कार्य कैसे चलाएगी, उन्होंने यह नहीं बताया कि यदि यह रिजर्व फंड से रुपया न खर्च किया जाय तो इतनी जल्दी-जल्दी इन योजनाओं को चालू करने के लिये पैसा कहां से आये? दूसरी उनकी शिकायत है कि योजनायें बहुत जल्दी-जल्दी चालू की जा रही हैं। वह यह कहते हैं कि इतना ज्यादा रुपया निकाल करके कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस सरकार एक पैकेट आफ कार्ड की तरह बैठ जाए। मैं अपने भाइयों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उनकी यह दुष्कामना कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि जब तक यह समय आयेगा तब तक हमारे देश में इतनी ज्यादा प्रगति हो जायेगी कि इस बात का डर हमारी सरकार को नहीं रह जायेगा। इन ४ वर्षों में हमारे प्रान्त में जो पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि में, सिंचाई में, पैदावार में, शिक्षा में और घरेलू उद्योग-धन्धों में, स्वास्थ्य विभाग में और सभी विभागों में जो उन्नति हो रही है उसको देखकर के हमें हर्ष और संतोष होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के कुशल कार्यों की प्रशंसा में एक बात मैं कहे बिना नहीं रह सकती और वह यह है कि

इन चार वर्षों में उसने हमारे देश को महामारी, और दूसरे वबाओं से बचाया है जो उसके पूर्व हमारे देश में बड़ी भयंकर ववाएं फैलती थीं जैसे कि हैजा है, प्लेग है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, जिनसे हमारे गांव की बस्तियां और नगरों के मोहल्ले के मोहल्ले साफ हो जाते थे। परन्तु वह भयंकर बीमारियां अब नहीं होती हैं और अगर होती हैं तो वह सीमित स्थानों पर ही रोक दी जाती हैं। इससे हमारे देश का स्वास्थ्य बहुत उन्नत हो रहा है। पुलिस विभाग के संबंध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे प्रान्त में आज दाहिने बायें आगे पीछे रात दिन चोरियां व क़त्ल हो रहे हैं जिससे जनता प्रांत की बड़ी दुखी व परेशान है। यदि चरना व मानसिंह के गोल कहीं आगरे के जंगल में पकड़े भी गए तो शहर की जनता को इससे कोई संतोष नहीं होता उनको तो तभी संतोष होगा जब शहरों में क़त्ल व चोरियों की संख्या कम हो, इन चार वर्षों के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पुलिस विभाग ने कोई भी बड़ी चोरी बरामद नहीं की और कहीं कोई छोटी २ चोरियां बरामद भी हुईं तो उनकी सूचना हमको अखबारों से मिली। इससे बेचारे ग़रीबों का जिनकी चोरी हुई थी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनको अपना माल वापस न मिला, अब चाहे भारतीय संस्कृति और साहित्य के अन्तर्गत हम अपनी पुलिस को आरक्षी के नाम से पुकारें परन्तु अध्यक्ष महोदय इस आरक्षी से देश की रक्षा व समाज की रक्षा बहुत कम हो रही है। मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करते हुये केवल दो बातें अपनी सरकार के विचारार्थ रखना चाहती हूं। मैंने यह बातें पिछले बजट के समय भी रखीं थीं परन्तु मुझे शोक है कि अभी तक उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में १७ या १८ हजार प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा के स्कूल हैं और मुझे अपनी सरकार से निवेदन करना है कि इन अनिवार्य शिक्षा के स्कूलों की स्थिति संतोषजनक अभी नहीं हुई है और उनको अभी कुछ अधिक गौर करने की आवश्यकता है। अधिकतर इन स्कूलों के पास न कोई मकान है न कोई कमरा है यह यों ही खुली भूमि पर लगते हैं। बच्चों को पानी, सर्दी से, गर्मी से और गंदगी से बचाने के लिये कोई भी साधन नहीं है। मैं आपके ज़रिये से यह कहना चाहती हूं कि जहां लाखों रुपया हमारी सरकार बेघर लोगों के लिये हज़ारों मकान बनाने पर ख़र्च कर रही है वहां हमारे देश के इन ग़रीब बच्चों की सुविधा के ऊपर भी ख्याल करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जब पिछले साल के बजट में हमारे सारे प्रान्त की स्त्रियों के उत्थान के लिये केवल १ लाख रुपया दिया गया था तो उस समय भी हम स्त्रियों ने उसको थोड़ा समझा था। और protest की थी हो सकता है यह मेरी ग़लतफ़हमी हो परन्तु उस समय ऐसा मालूम हुआ था कि सरकार ने भी उसको कम समझकर अगले साल के बजट में ज्यादा देने का आश्वासन दिया था और हमें बड़ी-बड़ी आशायें थीं और हमने बड़े ऊंचे विचार बांधे थे, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने बजट खोला तो उसमें स्त्रियों के नाम का ही सफ़ाया था। मगर संतोष की बात यह हुई जब मैंने बजट की बड़ी वाली किताब पढ़ कर देखी तो हमारी महिला संघ के संबंध में ५० हज़ार रुपया लिखा हुआ मैंने देखा। जब कि हमारी साढ़े ५ लाख रुपये की मांग थी तथा हमारी सरकार ने भी इस बात को माना है कि हमारी महिला संघ को यदि साढ़े ५ या ६ लाख रुपया भी दिया जाय तो वह कम है, क्योंकि वह बहुत कुछ अच्छा काम कर रही है। मगर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इतना कम मिला। हमने मांगा तो अधिक था लेकिन फिर भी कम मिला। चौबे जी छब्बे होने गये थे दुबे होकर रह गये। अब आंसू पोछने के लिये केवल २०,००० रुपया सारे प्रान्त भर के विधवा-आश्रमों व अनाथालयों की सहायता के लिये पर्याप्त समझा गया। मैं नहीं समझती कि हमारे प्रदेश के अन्दर कितनी ऐसी संस्थायें हैं क्योंकि उनकी सूची मेरे पास नहीं है, परन्तु जहां तक मैं जानती हूं यह अधिक संख्या में हैं और अगर रुपया बांटा जायगा तो सम्भव है कि एक संस्था को पूरा १०० रुपया भी नहीं मिल पायेगा। यदि यह सब रुपया किसी एक ही अच्छी संस्था को सौंप दिया जाय तो अधिक उपयोगी हो सकता है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अब हम स्त्रियों ने यह शिक्षा ग्रहण की है कि अब हम अपनी सरकार के सामने कुछ नहीं कहेंगे और किसी प्रकार की रुपये की मांग नहीं रखेंगे। इसका कारण यह है कि यदि हम ऐसा न करें तो इससे

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

प्रसन्न होकर हमारी सरकार शायद अगले बजट में हमें कुछ अधिक दे दे। क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि "बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख"। इन चन्द शब्दों के साथ में माननीय वित्त मंत्री जी के इस बजट का हृदय से स्वागत करती हूं।

*प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष जी, पता नहीं हमारी बहिन ने इस बजट का स्वागत किया या इस बजट का बहिष्कार करने का निश्चय किया, क्योंकि उन्होंने अभी कहा कि वह स्त्री समाज के लिये सरकार के सामने कोई मांग ही नहीं रक्खेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि "चौबे जी छब्बे बनने गये, और दुबे रह गये"। उनके वाक्यों से यह तो जरूर साबित होता है कि कांग्रेस दल से संबंध रखने के कारण हमारी बहिन को यह तो कहना पड़ा कि वह इस बजट का स्वागत करती हैं, पर वास्तव में वह यह समझती हैं कि यह बजट हमें आगे की ओर ले जाने के बजाय, पीछे की ओर ले जा रहा है। "छब्बे बनने गये और दुबे बनने जा रहे हैं। स्त्री समाज की संख्या इस प्रदेश में आधे से अधिक है। यदि कोई सरकार स्त्री समाज की उन्नति की उपेक्षा करती है तो वह सरकार आधे से अधिक जनता की उपेक्षा करती है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्त्री समाज के ऊपर उठे बिना सारे समाज का ऊपर उठना सम्भव नहीं है।

श्री हर गोविन्द सिंह--समाज का ज्यादा हिस्सा भी उनको लेकर है।

प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल--मार्क्स ने कहा है कि समाज की कितनी उन्नति हुई है इसका अन्दाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि स्त्री समाज की क्या दशा है और स्त्री समाज कितना उन्नत है। हमारे शिक्षा मंत्री जी यह समझते हैं कि सब की उन्नति से ही स्त्रियां खुश हो जायेंगी और उसी में वे अपनी उन्नति समझ लेंगी। वे समझ लेंगी कि सभी की उन्नति हुई है इसलिये स्त्रियों की भी उन्नति हुई है।

श्री हर गोविन्द सिंह--मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि समाज की उन्नति होती है और उसमें आधे से ज्यादा संख्या स्त्रियों की है, तो इसके माने यह हैं कि इसमें उनकी भी उन्नति हुई है।

प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल--माननीय उपाध्यक्ष जी, समाज में कई वर्ग, तबक़े और क्लास होते हैं और जब उनकी उन्नति हो, तभी समाज ऊपर उठ सकता है। हमारी बहिन ने जो कांग्रेस की सदस्या हैं, और जिन्होंने अब तक के कांग्रेस के बजटों का स्वागत किया है, उन्होंने जिन शब्दों में स्त्री समाज की उपेक्षा की बात आज कही है, वह बात अवश्य ही ध्यान देने योग्य है।

श्री हर गोविन्द सिंह--आपको ग़लतफ़हमी हो गई है।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--मैं समझता हूं कि अगर शिक्षा मंत्री जी जरा ध्यान देंगे तो उनको पता चलेगा कि उस स्वागत में भी कितना दुख भरा हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज स्त्री समाज की उपेक्षा बढ़ती चली जा रही है और उसकी उन्नति की ओर जितना ध्यान देना चाहिये उतना ध्यान सरकार नहीं दे रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक हम स्त्री समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक हम उनके दृष्टिकोण में कोई तब्दीली पैदा नहीं करेंगे, जब तक हम उनके दृष्टिकोण को जनतांत्रिक नहीं बनायेंगे, तब तक हम समाज की उन्नति नहीं कर सकते हैं। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि स्त्रियों के लिये हमें जितना करना चाहिये, वह हम नहीं कर रहे हैं। वास्तव में स्त्रियों के लिये शिक्षा के क्षेत्र में यह बात जरूर दिखलाई दे रही है और जब मैं इस सदन में नहीं आया था, उस समय राज्यपाल जी ने अपने सम्बोधन में इस बात की व्याख्या की थी कि ५ वर्ष के अन्दर वह प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बना देंगे। आज उस प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिये कोई प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

आज क्वालिटी के नाम पर क्वान्टिटी को बुरा बताया जा रहा है। शिक्षा के विस्तार करने के बजाय शिक्षा संस्थाओं को बन्द किया जा रहा है। वित्त मंत्री के वक्तव्य से यह साफ जाहिर होता है कि प्रारम्भिक शिक्षा का ध्येय फिर से निश्चित करना निहायत जरूरी है कि किस आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा हो और किस तरह से इस प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा हम अच्छे नागरिक पैदा करें, यह हमारे सामने प्रश्न है। लेकिन सरकार इस ओर कोई तवज्जह नहीं दे रही है। सरकार द्वन्द मचाती है कि हमारे नवयुवकों का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है लेकिन वह नैतिक स्तर कैसे सुधारा जा सकता है। जनतन्त्र के अन्दर डंडा दिखा कर के नवयुवकों का नैतिक स्तर किसी प्रकार सुधारा नहीं जा सकता है। जनतंत्र के अन्दर सामाजिकता के आधार पर जनतान्त्रिक शिक्षा दे कर ही नवयुवकों का नतिक स्तर ऊंचा किया जा सकता है लेकिन सरकार ने सामाजिक शिक्षा की ओर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया है। उसकी ओर सरकार उपेक्षा कर रही है। प्रारम्भिक शिक्षा में जो छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको केवल छोटे-छोटे रोजगार करने वाले बच्चे ही बनाना नहीं होता है, हमारा यह मक़सद भी होता है कि हम उन्हें अच्छे मनुष्य बना सकें और एक अच्छा नागरिक बना सकें।

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

केवल ५ एकड़ जमीन प्रारम्भिक स्कूलों को दे कर और उनकी ५ एकड़ जमीन में बाग लगा कर या तरकारी लगाकर हम अपने बच्चों को एक सच्चा नागरिक और एक सच्चा मनुष्य नहीं बना सकते, इसलिये हमारी सरकार से प्रार्थना है। जिस प्रार्थना को मैं कई बार कर चुका हूं कि सरकार प्रारम्भिक शिक्षा के संबंध में एक कमेटी नियुक्त करे और भारतीय जनतंत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये एक प्रारम्भिक शिक्षा का कार्यक्रम निश्चय करे और उसके आधार पर उस पाठ्यक्रम के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा अपने बच्चों को दी जा सके। मुझे याद है सन् १९३७ ई० में जब कांग्रेसी सरकार थी, उस समय नरेन्द्रदेव कमेटी ने शायद यह सुझाव पेश किया था कि प्रारम्भिक शिक्षा का भार सरकार स्वयं ले और अगर मैं गलती नहीं करता तो उस समय कांग्रेसी सरकार इस बात पर विचार भी कर रही थी। हमारा यह निश्चित मत है कि संविधान के अन्दर प्रान्तीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह १९६० तक १४ वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध करे और यह जिम्मेदारी सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर नहीं छोड़ सकती क्योंकि उनसे यह काम ठीक तरह से संचालित नहीं हो सकता।

हाफिज साहब ने अपने वक्तव्य में स्वयं इस बात को तस्लीम किया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है और यह सोचना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के ऊपर जो खर्च की जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को कैसे कम किया। मेरा निश्चित मत है कि डि० बोर्डों के ऊपर से प्रारम्भिक शिक्षा के खर्च का बोझ अवश्य लेना चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा का पूरा प्रबंध सरकार को करना चाहिये। सरकार का कर्तव्य है कि वह संविधान के आदेशानुसार सन् १९६० तक सारे प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क और व्यापक बनादे। माध्यमिक शिक्षा के संबन्ध में एक कमेटी बनी थी और यह कहा गया कि जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक माध्यमिक शिक्षा को फिर से संगठन करना कहां तक सम्भव हो सकता है। मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अपने कोई विचार इसलिए नहीं रखे कि जब विद्वानों की एक कमेटी बनाई गई हो और जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव जैसे हों, तब उस कमेटी की रिपोर्ट को देख लेना निहायत मुनासिब होगा। कमेटी की रिपोर्ट जुलाई में छपी है और सरकार के पास तो शायद उससे भी एक दो महीना पहले आ गई थी। लेकिन जब से अब तक उस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार ही हो रहा है। सरकार यह नहीं बतलाती कि उनके जो सुझाव हैं, उन सुझाओं में से कौन से सुझाव सरकार को पसंद हैं, मंजूर हैं और सरकार ने उनको लागू करना शुरू कर दिया है। केवल एक बात का जिक्र है और वह यह कि हर एक जूनियर स्कूल को दस एकड़ जमीन दे दी जायेगी। लेकिन जहां उस कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है कि माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए उद्योग–धंधों की शिक्षा का प्रबंध किया जाये, वहां पर उस कमेटी ने इस बात की भी सिफ़ारिश की है कि हायर सेकेन्ड्री स्कूल में उद्योग–धंधों की शिक्षा का जो प्रबंध हो, वह इस तरह से हो कि

[प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल]

उद्योग धंधों के शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों से फ़ीस न ली जाये और उद्योग धंधों की शिक्षा पाने के बाद विद्यार्थियों को अपना रोज़गार चलाने के लिए, अपना उद्योग चलाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाये। अगर हम वास्तव में यह चाहते हैं कि औद्योगिक शिक्षा समाज के लिए लाभदायक हो तो यह आवश्यक होगा कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार की औद्योगिक शिक्षा दें जिसको पाकर वह आगे चलकर अपना रोज़गार चला सकें और उनमें से अधिकांश ग़रीब विद्यार्थी होंगे, इसलिए कि वह रोज़गार चला सकें, उस कमेटी की सिफारिश के मुताबिक़ यह ज़रूरी है कि हम उन विद्यार्थियों को रोज़गार चलाने के लिए आर्थिक सहायता भी किसी न किसी रूप में दें। नरेन्द्र देव कमेटी ने इस बात की भी सिफ़ारिश की है कि औद्योगिक विद्यालयों में जनतंत्र की शिक्षा का, सामाजिक शिक्षा का और ह्यूमैनिटी की शिक्षा का भी उचित प्रबंध हो ताकि उद्योग धंधों की शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी भी अपने जनतान्त्रिक नागरिक के कर्त्तव्यों को पूरी तरह से पालन कर सकें। सरकार ने हमारे सामने जो इस वक्तव्य में सुझाव रखे हैं, बजट में सुझाव रखे हैं, उसमें उसका कोई ज़िक्र नहीं है।

आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि हर ज़िले में कम से कम पोल्योटेक्निक इंस्टेट्यूशन ज़रूर खोला जाय। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी और जल्द से जल्द इस प्रकार की संस्थाओं का प्रबंध करेगी। प्लानिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिखा है कि सेकेन्डरी ऐजुकेशन के ज़रिये से हमें ग्रामीण जनता के लिये नेतृत्व मुहैया करना है। मैं समझता हूं कि इन माध्यमिक शिक्षालयों में इस प्रकार से शिक्षा दी जायगी कि इन संस्थाओं के द्वारा जो बच्चे निकलें वे आगे चलकर यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त करें लेकिन बाकी बच्चे कम से कम एक अच्छे नागरिक का जीवन व्यतीत कर सकें और हमारी ग्रामीण जनता के लिये एक आवश्यक जनतांत्रिक नेतृत्व मुहैया कर सकें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद ऐसा पता चलता है कि जो हमारे माध्यमिक शिक्षालयों के प्रबंधक हैं, वे सरकार की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। बेटर मैनेजमेंट कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, उन पर भी अमल नहीं किया गया।

श्री हर गोविन्द सिंह---सरकार ने कोई आज्ञा जारी नहीं की।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल---अगर सरकार ने कोई आज्ञा जारी नहीं की है तो बेटर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर जल्द से जल्द ग़ौर करें और उस पर अमल करें। आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट मई, जून में सरकार को मिली है। लेकिन बेटर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास बहुत पहले से है। उस रिपोर्ट पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया न आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की सिफारिशों पर कोई ध्यान दिया गया और न उन पर अमल करने के लिये मैनेजिंग कमेटीज़ को बाध्य किया गया। आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने से पता चलता है कि अध्यापकों को वेतन ठीक समय पर नहीं मिलता है।

श्री हर गोविन्द सिंह---माननीय सदस्य को कुछ ग़लतफ़हमियां हैं। अगर उनको वे जान लें तो ज्यादा अच्छा हो।

चेयरमैन---गलतफहमियों को किसी के भाषण के बीच में दूर करना तो ठीक नहीं मालूम होता। अगर दो चार जुमले कहना चाहें तो आप कह सकते हैं।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल---आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मैंने माध्यमिक शिक्षा को छोड़कर अधिक नहीं कहा। मैं शिक्षा मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों को पढ़ने के बाद मैं अपने विचार सदन के सामने रख रहा हूं।

श्री हर गोविन्द सिंह---मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, इसका आपको पता नहीं है।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल---इतने अधिक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ नहीं कहा गया। मेरा कहना यह है कि मई से लेकर इस वक्त तक ८ महीने के अन्दर विचार किया जा सकता था और यह बताया जा सकता था कि उस पर यह विचार हुआ है।

मैंने राज्यपाल के सम्बोधन पर बोलते हुये इस प्रश्न को उठाया था और अगर शिक्षा मंत्री चाहते या इस सदन के नेता चाहते तो उस समय इस सदन को यह बता सकते थे कि सरकार ने इस संबंध में क्या किया है। मेरे सामने जो विचार हैं, उन्हें मैं सदन के सामने रखता हूं। मुझे बहुत खुशी होगी यह जान कर के कि बहुत से विचार जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं उन विचारों को कहां तक सरकार सही समझ कर इस साल काम करने वाली है या अगले वर्ष में कहां तक वह काम करेगी। यह बात तो निर्विवाद है कि आज माध्यमिक शिक्षालयों में किन्हीं विशेष मैनेजिंग कमेटियों का प्रबन्ध नहीं है। कहीं तो प्रबन्धक कमेटी बिलकुल है ही नहीं। एक बार इस सदन में यह बतलाया गया था कि चैरीटेबुल इन्डाउमेन्ट ऐक्ट की वजह से प्रबन्धक कमेटियां नहीं बनाई जा सकती हैं लेकिन नरेन्द्रदेव कमेटी ने जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव हैं, इस बात की सिफारिश की है कि अगर जरूरत पड़े तो चैरीटेबुल इन्डाउमेन्ट ऐक्ट को तब्दील करके एक ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि प्रत्येक विद्यालय के लिये एक मैनेजिंग कमेटी हो। कौन नहीं जानता है कि बहुत से विद्यालयों का प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है कि जिनका विद्या से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है या कोई विशेष सम्पर्क नहीं रहा है। हो सकता है कि उन्होंने अपने धन के द्वारा या उनके किसी बुजुर्ग ने धन के द्वारा विद्यालय की सहायता की हो और इसलिये उन्हें भी कुछ उसमें बातचीत करने का अधिकार दिया जा सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्रबन्धक कमेटियां हों, उन कमेटियों में कम से कम आधे तो ऐसे शख्स हों जो यह जानते हों कि शिक्षा किसे कहते हैं। प्रबन्धक समितियों में कुछ अध्यापक विद्यालय के ही हों और कुछ ऐसे शिक्षक हों जिनका कि विद्यालय से संबंध न हो लेकिन जो शिक्षाविद कहे जा सकते हों। आज उन माध्यमिक विद्यालयों में किस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति होती है यह भी किसी से छिपा नहीं है। अध्यापकों को परमानेन्ट न रख कर टेम्पोरेरी रखा जाता है, ८-८ या १०-१० महीने के लिये नियुक्ति की जाती है और आठ दस महीने के बाद अलग कर दिया जाता है और वह भी औने-पौने दामों पर नियुक्त किये जाते हैं। पूरे वाक़यात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी बात को ध्यान में रख कर नरेन्द्रदेव कमेटी ने सिफारिश की थी कि चार महीने के लिये आप टेम्पोरेरी रख सकते हैं लेकिन इसके बाद एक प्रोबेशन के आधार पर नियुक्ति की जाना चाहिये, शिक्षकों को ठीक समय पर पूरा वेतन मिलना चाहिये। शायद नरेन्द्र देव कमेटी ने यह नहीं कहा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उन शिक्षकों की नियुक्ति एक सेलेक्शन कमेटी से होना चाहिये और उस सेलेक्शन कमेटी में कम से कम आधे लोग एजूकेशनिस्ट हों। आज यूनीवर्सिटी के लेक्चरार की तक़र्रुरी इक्जीक्यूटिव कौंसिल स्वयं नहीं करती है। वह बोर्ड आफ एप्वाइन्टमेंट की सिफारिश पर करती है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो माध्यमिक शिक्षालयों की प्रबन्ध समितियां हैं, उनके सदस्यों से इक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य कहीं ज्यादा योग्य होते हैं।

श्री हर गोविन्द सिंह--लेकिन करते दोनों वही हैं।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--फिर भी सरकार यह जरूरी समझती है कि उनकी नियुक्ति एक सेलेक्शन कमेटी के जरिये से हो। कोई वजह नहीं नजर आती कि हम इस सेलेक्शन कमेटी का इंतजाम माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्यों न करें। मैं जानता हूं कि शिक्षा का सुप्रबंध करना कोई बहुत आसान कार्य नहीं है। बहुत सी कठिनाइयां हैं। लेकिन अगर वह आसान काम होता तो फिर एजूकेशन मिनिस्ट्री की भी कोई जरूरत नहीं होती। फिर तो वह चीफ मिनिस्टर के जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के साथ-साथ एजूकेशन मिनिस्ट्री भी नत्थी कर दी जाती। चूंकि वह काम कठिन है, बड़ा है, बड़ा आवश्यक है इसीलिये एक पृथक् एजूकेशन मिनिस्ट्री बनाई गई है, इसीलिये एजूकेशन मिनिस्टर साहब का पद और बहुत से मिनिस्टरों से ऊंचा पद समझा जाता है। मैं बताऊं कि अफलातून की नजर में तो एजूकेशन मिनिस्टर की तरह का कोई मिनिस्टर ही नहीं है, उसके विचार में शिक्षा मंत्री की तुलना में कोई दूसरा मंत्री नहीं है, क्योंकि वही तो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, उसी के द्वारा तो बच्चे अच्छे नागरिक और मनुष्य बनते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे शिक्षा मंत्री कठिनाइयों से घबड़ायेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। उनका जो कर्त्तव्य है उसको वह पालन करने की कोशिश करेंगे और मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी जब किसी बात का इरादा

[प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल]

कर लेते हैं तो फिर उस इरादे से डिगने वाले थोड़े ही हैं। अगर वह निश्चित कर लें कि ठीक तरह से शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो अवश्य वह उस व्यवस्था को कर सकते हैं। आर्बीट्रेशन ट्रिब्यूनल का प्रबंध है लेकिन रिपोर्ट से भी पता चलता है और बातचीत करने से भी पता चलता है कि प्रबंधक लोग आर्बीट्रेशन की ट्रिब्यूनल की कुछ परवाह ही नहीं करते हैं।

श्री हर गोविन्द सिंह--ऐक्ट आ रहा है, उसको आप देख लीजिये।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--मुझे बड़ी खुशी है कि वह चीज़ ऐक्ट में आ रही है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आर्बीट्रेशन ट्रिब्यूनल के फैसलों का जल्द से जल्द इंतजाम होना चाहिये ऐक्ट के ज़रिये से या एजूकेशन कोड के ज़रिये से। अध्यापकों की सर्विस कंडीशन्स निश्चित होना चाहिये और उन सर्विस कंडीशन्स का पालन करना हर एक शिक्षा विद्यालय के प्रबंध का कर्त्तव्य होना चाहिये। चूंकि शिक्षा मंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि ऐक्ट आने वाला है और ऐसा पता चलता है कि मेरी बहुत सी बातें शिक्षा मंत्री जी को मान्य हैं और उनका प्रबंध इस ऐक्ट में है इसलिये मैं इस संबंध में अब उसी समय कहूंगा कि जब वह ऐक्ट आयेगा। लेकिन दो बातें और अर्ज़ कर दूं। वह यह हैं कि सुना जा रहा है कि सरकार ने कोई ऐसी विज्ञप्ति निकाली है कि वह जून या जुलाई, १९५४ से म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेकेन्डरी एजूकेशन के संबंध में कोई रुपया खर्च नहीं कर सकेंगे। अगर यह बात सच है तो ज़रा सोचने की बात है। नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस समय जो माध्यमिक शिक्षा है उनमें से आधे से ज्यादा शिक्षा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूल दे रहे हैं। इन आधे स्कूलों में ३०-३५ फ़ीसदी विद्यार्थी इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या हमारी सरकार एक कलम से......

श्री हर गोविन्द सिंह--यह फीगर्स ग़लत हैं।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--रिपोर्ट की गलती होगी। पता नहीं कि रिपोर्ट में यह फ़ीगर्स ग़लत क्यों दी हुई हैं। तो क्या सरकार एक कलम से ५० फ़ीसदी माध्यमिक शिक्षा को जुलाई, १९५४ में खत्म करना चाहती है। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बजाय उसका इन्तजाम सरकार ले लेगी, लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि अगर आपने आगरा यूनिवर्सिटी को दिखा दिया कि वह पोस्ट-ग्रेजुएट कालेजेज को नहीं चला सकती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड सेकेन्ड्री शिक्षा को नहीं चला सकती है तो इस संबंध में यह नहीं कहा जाता है कि सेकेन्ड्री शिक्षा में जो कमी होगी उसे सरकार पूरा करेगी और अगर वह पूरा नहीं करती तो यह कितनी अन्यायसंगत बात होगी। मेरा विचार यह है कि कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड सेकेन्ड्री शिक्षा को उस समय तक मदद देते रहें जब तक कि उसका कोई पूरा इन्तज़ाम सरकार न कर दे। इसी तरह से अगर यह किया जाता है कि पोस्ट-ग्रेजुएट कालेजेज, इन्टरमीजिएट कालेजेज न चलावें तो मैं कहता हूं कि मेरठ, कानपुर, लखनऊ, आगरा आदि में सरकार स्वयं इन्टरमीजिएट कालेजेज चलाये। मेरठ, आगरा के जो इन्टरमीजियट कालेजेज हैं, जिस स्तर की शिक्षा इन कालेजों में दी जाती है, वह दूसरी जगह नहीं दी जाती है। मैं यह कह सकता हूं कि अगर सरकार ने इनको बाध्य किया कि वह न चलावें तो शिक्षा का स्थान ऊंचे उठने के बजाय और गिर जायगा। मंत्री जी को इसका कोई पता नहीं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव, गांव पंचायतों के चुनाव कब होंगे। मैं समझता हूं कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का चुनाव ठीक समय पर होना चाहिये, उनको बराबर टालना जनतान्त्रिक जीवन के लिए बड़ा घातक है, क्योंकि ऐसा न करने पर जनतान्त्रिक व्यवस्था से देश का विश्वास हट जाता है। वित्त मंत्री के भाषण से यह पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कैसे कराया जाय। खबर सुनी है कि वह डायरेक्ट चुनाव के बजाय इन-डायरेक्ट चुनाव कराना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विदेशी साम्राज्य शाही में जिसे हम पुलिस राज्य कहते हैं उसमें डायरेक्टर होते थे मगर मौजूदा हुकूमत जो जन-तान्त्रिक हुकूमत बनने का दावा करती है उसे इनडायरेक्ट चुनाव में तब्दील करना चाहती है। इस संबंध में मैंने राज्यपाल महोदय के ऐड्रेस में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे वित्त मंत्री के भाषण को पढ़ कर यह शुबहा जरूर हो रहा है कि सरकार इनडायरेक्ट चुनाव

कराने को सोच रही हैं। इसलिए इस समय में जोरदार शब्दों में यह कह देना चाहता हूं कि अगर डायरेक्ट चुनाव के बजाय इनडायरेक्ट चुनाव किये गये तो जितनी जनतान्त्रिक पार्टियां हैं, वह सब इसका पूरे तौर से विरोध करेंगी मैं जानता हूं कि कांग्रेस में भी जनतांत्रिक विचार के कुछ लोग हैं इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि कांग्रेस के अन्दर जो लोग जनतान्त्रिक विचारधारा के हैं उनको भी इस इन्डायरेक्ट चुनाव से दुख होगा, अगर सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में डायरेक्ट के बजाय इन्डायरेक्ट चुनाव कराने का प्रबन्ध किया।

पता चलता है कि गांव-पंचायत आर्थिक स्थिति के कारण कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकती है। कहा जाता है कि ५ करोड़ रुपया हम स्वशासन संस्थाओं को ग्रान्ट की शक्ल में देते हैं। हमारे इतने बड़े बजट में ५ करोड़ की रकम रुपये में एक आने के बराबर भी नहीं होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्थानीय संस्थायें पनपें और वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें तो उसके लिये यह जरूरी हो जाता है कि सरकार अपनी आमदनी में से जिसको लगान कह सकते हैं एक बड़ा हिस्सा गांव-पंचायत को दे और ग्राम-पंचायत उसके जरिये से गांव का विकास कर सके।

जब मैंने न्यायालय के सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री जी का भाषण पढ़ा तो मैं बड़े अचरज में रह गया। माननीय मन्त्री जी कहा करते थे कि कांग्रेस कोई सोशलिस्ट पार्टी नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रम पर काम करना कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है। लेकिन माननीय वित्त मन्त्री जी इस बात को जरूर मानेंगे कि भारत का संविधान जो बनाया गया है तो इस संविधान के बनाने में बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी का हाथ है। जो भारत का संविधान है। उसके आदर्श को कार्य रूप में परिणत करना हर सरकार का कर्तव्य हो जाता है। कांग्रेस सरकार का विशेष रूप से कर्तव्य है क्योंकि उसने ही इस संविधान को बनाया है। संविधान में एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग करने पर काफी जोर दिया गया है। प्रश्न था कि इस कार्य को ३ वर्ष में पूरा कर दिया जायगा। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने संविधान सभा में साफ कहा था कि ३ वर्ष के बाद यह हटा दिया जायगा। बड़े-बड़े प्रदेशों में जहां पर पुरानी न्याय-व्यवस्था कायम है, वहां पर भी एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी अलग हैं। हमारे यहां इसको अलग करने के लिये तीन साल का समय रखा गया, लेकिन वह तीन साल भी खत्म हो गये और अब चौथा वर्ष भी खत्म हो गया है और अब अलग करने के बजाय वह बात ही भुला दी गई है कि एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग कर दिया जाय। स्पीडी जस्टिस का सवाल उठाया गया। लेकिन इसके बारे में मुझे यह कहना पड़ता है कि बहुत धीरे-धीरे काम होता है और काम ठीक से नहीं चल रहा है। हजारों रुपया कोर्ट फीस की शक्ल में वसूल किया जाता है, लेकिन मुकदमें वर्षों तक फैसल नहीं होते हैं और उनके बारे में सालों तक कोई सुनवायी नहीं होती है। दीवानी के मुकदमे के बारे में कौन कहे फौजदारी तक के मुकदमे पड़े रहते हैं। सरकार ने स्वयं बड़े गोल शब्दों में इस बात को माना है कि ला एन्ड आर्डर की दशा ठीक नहीं है। भाई गोविन्द सहाय जी जो वेलफेयर स्टेट के पंडित हैं, वही बतायेंगे कि हमारा देश इसमें कहां तक आगे बढ़ा है। वही वेलफेयर स्टेट के पंडित हैं और वही इस बात के लिये बतायेंगे।

बेरोजगारी के बारे में भी जिक्र किया गया है। लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि बेरोजगारी घट रही है या बढ़ रही है। आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, उनका जमा करना तो सरकार का ही काम है। दिखाई तो ऐसा देता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। आज योजनाओं की दोहाई बताई जाती है और बेकारी बढ़ती चली जाती है। वह क्या आर्थिक निर्माण योजना है जिस आर्थिक निर्माण के जमाने में बेरोजगारी घटने के बजाय बढ़ती चली जाय। मैंने कई बार अर्ज किया है और अब भी अर्ज करता हूं कि यदि हमें आर्थिक निर्माण के प्रश्न को हल करना है, हमें पैदावार, वितरण और रोजगारी तथा आर्थिक संगठन, इन सब प्रश्नों को एक साथ ही लेना होगा तभी हम देश की आर्थिक दशा सुधार सकते हैं। शिक्षकों के मुंह पकड़े चले जाते हैं, कहा जाता है कि शायद उन्हें

[प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल]

उद्योग-धंधों में आगे विद्यार्थियों को ले करके चलना है, लेकिन आज जो शिकायत है, बेकारी बढ़ी हुई है, उसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैंने कई बार इस सदन का ध्यान दिलाया है कि जो स्टेट्स मर्ज्ड हो गई हैं जैसे रामपुर बनारस और गढ़वाल, उनके बहुत से पुराने नौकरों को निकाल दिया, लेकिन उनके पुनर्वास का हमने कोई प्रबन्ध नहीं किया, उसकी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं वित्त मन्त्री जी से तथा शिक्षा मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह रामपुर में जायें और ठंडे दिमाग से वहां की परिस्थिति को देखें और देखें कि वहां के मध्यम वर्ग के लोगों की आज कितनी शोचनीय परिस्थिति है। आज वह लोग दिन में बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि तन ढकने के लिये उनके पास कपड़े तक नहीं हैं और यह सोचनीय दशा उनके लिये ही घातक नहीं है बल्कि समाज के लिये भी घातक है और समाज को जर्जर कर रही है।

ऐग्रीकल्चर के सम्बन्ध में, खेती के सम्बन्ध में कई बातें कही गयी हैं, लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग का इसमें कोई जिक्र नहीं है। हमारी सरकार अपना लक्ष्य कोआपरेटिव कामनवेल्थ बताती है, लेकिन कोआपरेटिव कामनवेल्थ बताते हुये भी कोआपरेटिव फार्मिंग से घबड़ाती है। अगर मैं गलती नहीं करता तो संविधान के शब्दों में जो कल्याणात्मक सिद्धांत निश्चित किये गये हैं, उसमें कोआपरेटिव फार्मिंग की ओर बड़ा जोर दिया है। वित्त मन्त्री जी के भाषण को पढ़ने के बाद मुझे एक बात की खुशी हुई कि कोआपरेटिव के आधार पर बनी हुई भट्ठियों ने मुकाबिला किया और जो थोड़े से भट्ठे निजी मुनाफे पर बने हुये थे उनके कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये से जो ईंटों के कारखाने बन गये थे और व्यापारियों ने कीमत बढ़ा दी थी उसके लिये कोआपरेटिव सोसाइटी ने ईंटों के कारखाने चलाये और व्यापारियों का मुकाबिला करके ईंटों की कीमत को गिरा दिया। व्यापारियों की कीमत को गिराने पर मुझे खुशी हुई कि इस क्षेत्र में उस प्रदेश में भी काम हुआ है और यह काम यह साबित करता है कि सहकारिता के द्वारा हम अपनी हालत को अच्छी बना सकते हैं। पृथ्वी के रिडिस्ट्रिब्यूशन का भी कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है। भू-दान द्वारा कुछ जमीन मिल सकती है तो मिल जाय। लेकिन भू-दान के द्वारा भूमि का फिर से बटवारा करके एक सुनियोजित व्यवस्था कायम करना संभव नहीं है, आज इन्डस्ट्रियल वर्कर की हालत बिगड़ती चली जा रही है। उनकी दशा को सुधारने के लिये सरकार कोशिश नहीं कर रही है। एक जमाना था कि जब हड़तालों के विषय में सन्देह होता था और सरकार यह समझती थी कि समाजवादी लोग, कम्युनिस्ट लोग और ट्रेड यूनियन के लोग ही ऐसे हैं जो हड़तालों पर हड़ताल कराते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। लेकिन आज हड़तालें नहीं हो रही हैं। आज तो कटनी-छटनी हो रही है, आज तो लाक आउट्स हो रहे हैं और इस तरह से मजदूरों को बेकार किया जा रहा है, उनकी बेकारी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। अन्त में मुझे यह कहना है कि यदि हमें इस देश में एक सुयोग्य और सम्पन्न समाज को बनाना है तो हमें अपने सरकारी दृष्टिकोण को बदलना होगा। हर स्थान पर सहकारिता और समाज-कल्याण के आधार पर एक सुदृढ़ जनतन्त्र शासन इस देश में कायम करना होगा तभी हम इस देश की दशा सुधार सकते हैं।

श्री खुशहाल सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर वित्त मन्त्री जी ने हमारे प्रदेश का बजट जो हमारे सामने रखा है, उसके लिये मैं उनको अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि जो बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है, वह इस प्रदेश के लिये कल्याणकारी होगा और उससे यह प्रदेश तरक्की करेगा। इस सदन में सरकार के कई कामों की आलोचना की गई है परन्तु मैं यह समझता हूं कि शायद आज तक इस प्रदेश में इतने काम कभी नहीं हुये होंगे और उन्हीं के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि हम आने वाले वर्ष में इस प्रदेश को और भी आगे बढ़ा ले जायेंगे और जो हमारा प्रदेश है उसको कल्याणकारी राज्य बनाने में हमें सफलता मिलेगी। सबसे पहली बात यह है कि आज यह कहा जाता है कि यह प्रदेश अपनी आर्थिक स्थिरता फाइनेन्शियल स्टैबिलिटी को कायम नहीं रख सकता है और सरकार इस प्रदेश की फाइनेन्शियल इस्टैबिलिटी को खत्म करने जा रही

हैं, यह गलत है। मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो काम किये हैं वह सराहनीय हैं और इतने बड़े-बड़े कारखानों के जरिये इस प्रदेश की फाइनेन्शियल स्थिति को सुधारने में पूरी-पूरी कोशिश की है। मैं कह सकता हूं कि यह प्रदेश अपनी फाइनेन्शियल स्टैबिलिटी को खत्म न करेगा बल्कि उसको और भी दृढ़ करता रहेगा और लोगों को इसके विषय में नुक्ताचीनी करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। आज जो इस तरह का एतराज उठाया गया है तो उसके विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारा देश अविकसित है और जब हमारे देश में कई काम करने को बाकी हैं, जिससे यहां के रहने वालों की स्थिति को सुधारा जा सके उस समय विकास के कार्यों की अवहेलना कर सरप्लस बजट पेश करके अगर हम यह चाहें कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े तो यह निश्चित है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि इस प्रदेश के विकास के कार्यों के लिये घाटे का भी बजट पेश करना पड़े तो उचित ही है। हर एक देश ने, जिसने तरक्की की है, उन्होंने अपने देश की तरक्की के लिये घाटे के बजट पेश किये हैं। यह तो पूंजीवादी दृष्टिकोण है जो यह कहा जाता है, कि यह बजट सरप्लस होना चाहिये था, मैं इससे कतई इत्तिफाक नहीं कर सकता हूं। यह कहना कि देश की प्रगति चाहे न हो, चाहे विकास के कार्य रुक जायं, लेकिन, जो बजट हो वह सरप्लस हो, सही दृष्टिकोण नहीं है अगर घाटे का बजट इसलिये पेश किया जाता है कि उसके द्वारा हम देश को समृद्धिशाली बना सकते हैं और अपने राज्य को एक कल्याणकारी राज्य में बदल सकते हैं तो वह सराहनीय है।

आज यह कहा जाता है कि कल्याणकारी राज्य के लिये पुलिस की आवश्यकता नहीं है तो यह उनकी भूल है। मैं यह कह सकता हूं कि यदि आप कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं और खास कर जबकि हमारे समाज में कई वर्गों के लोग हैं उसमें बहुत से एजीटेशन होते हैं, देश में अपराध होते हैं तो इन सबसे देश की जनता को बचाने के लिये, उनकी रक्षा के लिये और सुव्यवस्थित रूप से देश में काम करने के लिये पुलिस की आवश्यकता होती है। यदि देश में प्रगति करना आवश्यक है तो इसके लिये यह जरूरी है कि हम पुलिस का संगठन देश में कायम रखें। आज लोगों को एतराज होता है कि इस प्रकार के बजट पर, जिसमें हम पुलिस के ऊपर इतना खर्च करते हैं अगर इस दृष्टिकोण से न देख करके हम यह देखें कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या क्या है उसके आधार पर हमारी पुलिस कितने बड़े दायरे में है तो उसको देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में यह व्यय कुछ भी नहीं है जो बाहर के देशों में है, उनके मुकाबिले में हमारे प्रदेश में सबसे कम पुलिस है। मैं सरकार से कहूंगा कि अगर उसे शान्ति व्यवस्था कायम करना है तो उस शान्ति व्यवस्था के निमित्त जरूरत पड़ने पर पुलिस पर और भी खर्चा करे तो कोई हर्ज नहीं है। पुलिस ही एक ऐसी संस्था है जोकि देश के आन्तरिक मामलों को संभालती है और शान्ति-व्यवस्था कायम रखती है।

एक बात यह कही जाती है कि आज की सरकार ब्यूरोक्रेसी पर चल रही है, तो मैं इसके लिये कहता हूं कि यदि वास्तव में देखा जाय तो डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी का होना आवश्यक है। इसका उदाहरण फ्रांस है। मैं कह सकता हूं कि वहां की डेमोक्रेसी सबसे ऊंची है। फ्रांस में मन्त्रि मंडल जल्दी-जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं और अगर वहां पर ब्यूरोक्रेसी न हो तो वहां पर अव्यवस्था हो जाय। तो डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिये हमारे लिये यह ठीक नहीं होगा कि हम ब्यूरोक्रेसी को बिलकुल ही खत्म कर दें। डेमोक्रेसी की सफलता इसके होने में ही निर्भर करती है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि अगर ब्यूरोक्रेसी एक इविल है तो मैं इसे जरूरी इविल समझता हूं। यह ठीक है कि सरकार को आज नौकरशाही के पंजे से दूर रहना चाहिए। सरकार का अपने अधिकारियों पर बहुत बड़ा अंकुश होना चाहिए, जिससे कि वे सरकार का कार्य अच्छी तरह से चला सकें। इस तरह से काम न करने से सरकार को बहुत सफर करना पड़ता है। मुझे आज इस बात का गर्व है कि जो आज के अधिकारी हैं वे सरकार की नीति को अच्छी तरह से समझते हैं और उसके अनुसार कार्य भी करते हैं। उदाहरण के लिये आप श्रमदान को ही देख लीजिये। उसमें सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी काम करते हैं और उनके इस तरह से कार्य संभालने में ही सरकार अच्छी तरह से सफल हो सकती है।

[श्री खुशहाल सिंह]

एक बात मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में कही जाती है कि उनकी हालत बहुत खतरनाक और बुरी होती जा रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि आज मध्यम वर्ग के लोगों की हालत बड़ी खराब है, लेकिन इसके साथ ही मैं यह बात भी कहता हूं कि आज अब हम एक वर्ग-हीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आयेगा जबकि हमें मध्यम वर्ग को खत्म करना ही पड़ेगा।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--शिक्षित मध्यम वर्ग कभी नहीं खत्म होगा।

श्री खुशहाल सिंह--मैं इसका जवाब इस समय नहीं दूंगा। लेकिन चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित, मध्यम वर्ग को हमें खत्म करना ही पड़ेगा और तभी हम वर्गविहीन समाज की स्थापना कर सकते हैं। इस तरह मध्यम वर्ग रहने से प्रगतिशील समाज नहीं बन सकता है। आप मिसाल के लिये रूस को ले सकते हैं। आज हमारे समाज में जितने वर्ग हैं उनको मध्यम वर्ग ही अलग-अलग कड़ियों में बांधे हुये हैं। अगर मध्यम वर्ग को नष्ट कर दिया जाय तो समाज बहुत प्रगतिशील और वर्गविहीन हो जायेगा। इस बात का मुझे अफसोस है कि आज मध्यम वर्ग के लोग बहुत कठिनाई में हैं, लेकिन जबकि हमारा उद्देश्य एक वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है, तो उसके लिये यदि उनको इतना कष्ट सहन करना पड़े, तो कोई हानि नहीं है।

कुछ बातें करों के सम्बन्ध में यहां कही गई हैं और खासतौर से जो बिजली कर बढ़ाया गया है, उसके बारे में यहां कहा गया है। वास्तव में जो आन्दोलन बिजली कर के लिये चल रहा है वह कुछ पूंजीपतियों का ही है और अगर आज आप बड़े-बड़े शहरों में देखिये तो बिजली का कर वहां बढ़ा हुआ है। वैसे इसके लिये जो आन्दोलन चल रहा है वह बड़े-बड़े मिल वालों और कारखाने वालों से ही ज्यादातर सम्बन्धित है। मेरे ख्याल में इस बिजली का असर केवल १०-१५ प्रतिशत व्यक्तियों पर ही पड़ता है, जोकि शहरों में रहते हैं, वैसे देहात के लोगों पर इसका कुछ असर नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल में अगर २५ प्रतिशत के बजाय आप बिजली कर ५० प्रतिशत भी बढ़ा दें तो कोई हानि नहीं है। सरकार इस प्रकार से विकास के कार्य कर सकती है और उसे शहरों के अलावा आज गांवों में भी कई योजनायें चलानी हैं।

इस अवसर पर मैं सरकार का ध्यान अपने जिले की ओर दिलाना चाहता हूं, तब मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सकूंगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं टेहरी-गढ़वाल की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और मेरा सौभाग्य है कि शिक्षा मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं शिक्षा के ही सम्बन्ध में सबसे पहले कहूंगा और उन्होंने वहां की स्थिति देखी है। वहां लोग कितने गरीब हैं। वहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड न होकर भी सरकार ने जूनियर हाई स्कूल खोले हैं और उनका संचालन करती है और जिस तरह से फजीता अन्य जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कारण स्कूलों का है वह वहां पर नहीं है। जूनियर हाई स्कूल वहां पर बढ़ाये जा रहे हैं। टेहरी में कुछ जूनियर हाई स्कूल्स हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि पहले वहां पर अन्तरिम मन्त्रिमंडल था, उसने वादा किया था कि यदि जनता बिल्डिंग्स बना देगी, तो सरकार उन्हें प्रति बिल्डिंग आठ हजार रुपया ग्रान्ट देगी, लेकिन विलीन होने के बाद उनको कोई रकम आज तक नहीं दी गई। मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वह इस विषय पर विचार करेंगे। अगर पूरी धनराशि एक दम न दी जा सके तो कुछ कुछ करके अवश्य दी जाय, जिससे वह स्कूल चल सके। एक बात और मैं ध्यान में लाना चाहता था कि जिन लोगों ने स्कूल बनवाया था, अब उन पर मुकदमे चल रहे हैं और उन पर नोटिस जारी कर दी गई है, इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार कुछ ऐसे प्रबन्ध कर दे जिससे उनके मुकदमें जल्द से जल्द खत्म हो जायें। इसी तरह से अन्जनी सेण स्कूल की बिल्डिंग्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि ग्रांट मन्जूर हो रही है। इस सिलसिले में एक ग्रान्ट पिछले वर्ष ही मन्जूर हुई थी, लेकिन वह काम अभी तक प्रारंभ भी नहीं हुआ। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार ऐसा आदेश करे जिससे वह बिल्डिंग जल्द बन जाय।

इस अवसर पर मैं शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान टेहरी लाइब्रेरी की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि उसके लिये हर साल १ हजार रुपये की धनराशि रखी जाती थी लेकिन इस वर्ष नहीं रखी गई है। मैं समझता हूं कि शायद वह गलती के कारण हो गई है और वह सुधार किया जायेगा। टेहरी जिले में कुछ नगर हैं जहां पानी की कमी है। टेहरी, देवप्रयाग और नरेन्द्रनगर। नरेन्द्रनगर में महाराजा की सीट थी और इसलिये वहां प्रत्येक बंगले में दो दो नल थे। वहां पर कहा जाता है कि पानी की कमी है मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार वहां पानी की कमी है। बजट में उसके लिये ८७ हजार रुपये का प्राविजन किया गया है देवप्रयाग में जरूर पानी की कमी है पिछले वर्ष के बजट में उस कमी को पूरा करने के लिये ग्रान्ट थी पर काम तक प्रारम्भ नहीं किया गया। इस साल भी टेहरी और देवप्रयाग का कोई जिक्र बजट में नहीं है। यह ताज्जुब की बात है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो रुपया नरेन्द्रनगर के लिये रखा गया है वह टेहरी, देवप्रयाग तथा नरेन्द्रनगर के लिये रख दिया जाय तो समस्या हल हो सकती है। भेड़ ऊनके विकास के लिये योजना रखी गयी है और ३ लाख की रकम रखी गयी है लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भेड़ पालने के लिये ऋषिकेश उपयुक्त स्थान नहीं है वहां पर गर्मी अधिक पड़ती है। वहां पर भेड़ों का रहना असंभव है। मैं कह सकता हूं कि अगर भेड़ ऊन विकास योजना को सही अर्थों में चलाना है तो ऐसी जगह पर चालू करना चाहिए जो ठंडी जगह हो और वह स्थान टेहरी जिले में डुडा व जरभोला है वहीं यह योजना चल सकती है।

क्योंकि समय हो गया है, मैं अधिक नहीं बोल सकूंगा। मैं इतना निवेदन माननीय मन्त्री जी से अवश्य करूंगा कि टेहरी का जो पिछड़ा इलाका है उसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

*श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत बजट पर अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें एक ओर असन्तोष और दूसरी ओर सन्तोष, दोनों ही भावनायें मिश्रित हैं। यह हर्ष की बात अवश्य है कि सरकार ने इस वर्ष कोई नया कर नहीं लगाया। अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस बात का पूर्ण रूप से उल्लेख किया है कि कौन कौन सी बातें हैं जिन पर सरकार अपना रुपया खर्च कर रही है तथा कल्याणकारी राज्य के लिये जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों पर, उन विकास योजनाओं पर सरकार अपना रुपया खर्च कर रही है। लेकिन साथ ही साथ इस बात को हम कदापि भूल नहीं सकते कि इस बजट में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि जो मौजूदा कर हैं उनका भार जनता पर कम है या अधिक। मेरी समझ में जितने कर लगाये गये हैं उनका भार जनता पर बहुत अधिक है। कहीं भी संकेत इस बजट में नहीं किया गया है कि किस प्रकार से जनता को इन करों के भार से रिहाई मिल सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा बजट पंचवर्षी योजना के प्रोपेगेन्डे का ही बजट है। और यह बात तो स्पष्ट ही है कि बजट डेफिसिट बजट है। यदि आप आज्ञा दें तो पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों को मैं आप के सामने रखूं जिससे आपको पता चल जायगा कि साल ब साल से हमारा बजट डेफिसिट ही चला आ रहा है सन् १९५२-५३ के आंकड़े अगर आप लें तो आपको पता लगेगा कि इस वर्ष चार करोड़, २४ लाख का डेफिसिट था, ५३-५४ का बजट अगर आप लें तो यह रकम चार करोड़ ४१ लाख मिलेगी, और इस साल बजट ५४-५५ का है इसमें तीन करोड़ नब्बे लाख का डेफिसिट दिखलाया है। तीन वर्ष से तो कम से कम सरकार का डेफिसिट बजट बराबर चला आ रहा है। माना कि फाइनेन्स के दृष्टिकोण से डेफिसिट बजट कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ डेफिसिट बजट भी अच्छे बजट की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। ८१ करोड़ के बजट में ४ करोड़ ९० लाख की रकम। अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। रकम का यहां पर कोई सवाल नहीं है। सवाल तो नीति का है

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी]

कि आया डेफिसिट बजट ठीक संकेत अच्छी सरकार का है या नहीं। डेफिसिट बजट के माने हैं कर्ज पर कर्ज लिये जाना। जहां तक कर का ताल्लुक है इस वर्ष जरूर कोई कर नहीं लगाया गया है लेकिन जब हमारा एक तरफ डेफिसिट बजट चल रहा है तो क्या आशंका नहीं है कि आगे चल कर इस डैफिसिट को पूरा करने के लिये कर का आयोजन न पेश कर दिया जायेगा। इसलिये मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा कि डेफिसिट बजट की जो परिपाटी बन रही है उसको रोका जाय।

दूसरी बात मैं कैपिटल एक्सपेन्डीचर के बारे में कहना चाहता हूं। यदि आप देखें तो कैपिटल एक्सपेन्डीचर की रकम इस वर्ष २१ करोड़ के बजट में २० करोड़ २१ लाख की है। उसमें ८ करोड़ ७२ लाख की रकम इर्रीगेशन वर्क्स पर रक्खी गयी है। ९ करोड़ ३३ लाख की रकम एलेक्ट्रिसिटी पर है। १८ करोड़ के लगभग इन दोनों मदों पर खर्च किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि एलेक्ट्रिसिटी पर २५ फीसदी कर बढ़ जाने से कितना आन्दोलन मच रहा है। बजट स्पीच में इस बात की ओर संकेत किया गया कि यह जो एजीटेशन हो रहा है वह ठीक नहीं मालूम पड़ता है। आगे चल कर रीयलाईज़ किये हुये कर का रुपया कल्याणकारी कामों में खर्च किया जायगा लेकिन साधारण आदमी इस बात को नहीं समझ सकता है। वह तो अपने सामने की मौजूदा स्थिति को देखता है। वह इस बात का अनुमान नहीं कर सकता है कि भविष्य में चल कर इस कर से बहुत फायदा होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आउटले एक्सपेंडीचर जो हो उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर का भार जनता पर अधिक न पड़े। इर्रीगेशन पर ८ करोड़ ७२ लाख की रकम रखी गयी है लेकिन जो इर्रीगेशन के रेट्स हैं क्या आप कह सकते हैं कि वे ऐसे रेट्स हैं जिनको आम जनता बर्दाश्त कर सकती है। मेरी समझ में यह चीज भी भारस्वरूप होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं जो सरकार की इटावा में पायलट स्कीम है, एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां नये तरीके से जो खेती की गई है वह लहलहाई हुई है। जहां किसानों की खेती हो रही है उसमें और जो पायलट स्कीम के अन्दर खेती हो रही है उसमें जमीन आसमान का अन्तर है। मैं आपके द्वारा इस बात को जानना चाहूंगा कि इस पायलट स्कीम की सहूलियतें उन गरीब किसानों को भी मिलेंगी जिनकी खेती मामूली तरीके से होती है। क्या उनको इम्प्रूव्ड सीड्स मिलेंगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हर किसान को वे चीजें सुगमता से मिल सकें जिनका प्रदर्शन पायलट स्कीम में कर रहे हैं। गांवों में बहुत से घरों में बाथ रूम बनाये गये हैं और बर्तन साफ करने की जगह बनादी गई है जिससे मकान साफ सुथरा मालूम पड़ता है। जिन बातों का प्रदर्शन किया गया है ऐसे मार्ग निकाले जाय जिससे आम जनता को भी आम किसानों को भी वे बातें सुगमता से मिल सकें जिससे किसान और आम जनता समझ सके कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वह वास्तव में कल्याणकारी है।

अब मैं एजूकेशन के सम्बन्ध में दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूं। प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल ने प्राइमरी और सेकेन्डरी एजूकेशन का खाका और उसका एक नग्न चित्र बड़े सुचारु रूप से खींच दिया है, उसके बाद फिर कुछ कहना कोई मतलब नहीं रखता है किन्तु दो एक बातें मैं कहना चाहता हूं। प्राइमरी एजूकेशन जिसके सम्बन्ध में एक नई स्कीम चालू होने वाली है और जिसके लिये शिक्षक लोगों का सेलेक्शन हो रहा है उसके लिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या यह स्कीम वैसी तो नहीं है जैसी कि आज से कुछ वर्ष पहले जब दो हजार स्कूल खोले गये तो उसका नतीजा क्या हुआ था वह इस सदन के सामने है। सरकार को लाचार होकर उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सुपुर्द करना पड़ा था। बहुत से स्कूलों को न तो दीवालें थीं और न बहुतों में छतें थीं। यह स्कीम जिसके लिये

तीन हजार टीचर्स का सेलेक्शन हुआ है और जिस स्कीम के मातहत प्राइमरी स्कूलों के लिये ५ एकड़ और जूनियर स्कूलों के लिये १० एकड़ जमीन का देना निश्चय हुआ है वह जमीन तो उन गांव वालों से ही आयेगी लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या गांव वालों के पास कोई जमीन का खजाना है, यह रही एक बात। दूसरी ओर आप देखिये जो वहां पर शिक्षक रहें उनको तीन महीने की ट्रेनिंग दी जायेगी और वह जुलाई से कार्य आरम्भ करेंगे। लेकिन ट्रेनिंग का खर्चा उन्हीं से लिया जायगा, सरकार तो केवल नाममात्र को स्टाईपेंड देगी। अध्यापक जो इस आशा में हैं कि आगे हमको काम मिलेगा, उनकी क्या अवस्था होगी, जिस समय उनसे ही खाना खर्चा ट्रेनिंग पीरियड का लिया जायगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—Is it a fact?

श्री हर गोविंद सिंह—नहीं, ऐसा नहीं है, हम ट्रेनिंग पीरियड में स्टाईपेंड देंगे, मैंने तो आज सुबह ही प्रश्नों के जवाब में यह बताया था, शायद माननीय सदस्य ने सुना नहीं।

श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी—मैं माननीय शिक्षा मन्त्री का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने मेरी एक गलतफहमी दूर कर दी। मुझे विश्वस्त सूत्र से ऐसा मालूम हुआ था इसलिये मैंने यह बात कही। अब मैं दूसरी बात रखता हूं, शायद वह भी गलत हो। वह यह कि यह जो अध्यापक होंगे इनका कन्ट्रोल कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन करेगा या शिक्षा विभाग का इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स।

अगर इस बात को सरकार निश्चित रूप से तय नहीं करती है तो फिर आप समझ लीजिये कि कैसा मल्लयुद्ध होगा जिसके बीच में यह बेचारे टीचर्स फंस जायेंगे। एक तरफ आपका डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स एक आर्डर देगा और दूसरी तरफ बोर्ड का चेयरमैन अपनी कहेगा। तो मैं इस सम्बन्ध में यह चाहता हूं कि किसी निश्चित नीति की घोषणा होनी चाहिए। यह स्कीम अच्छी तरह से कामयाबी के साथ काम कर सके। क्षमा चाहता हूं कि शायद आपको यह विचार पसन्द न हो कि शिक्षक कुछ काम नहीं करते हैं और खाली बैठे रहते हैं लेकिन परिस्थिति को देखिये। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बात को वह स्पष्ट रूप से कह दें कि किसके कन्ट्रोल में यह टीचर्स रहेंगे। अच्छा तो यह होगा कि वह शिक्षा विभाग के कन्ट्रोल में रहें और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के चंगुल से वह बाहर रहें, वरना शिक्षा का कार्य वैसा ही रह जायगा जैसा कि पहले दो हजार स्कूल खुले और वह सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हवाले कर दिये गये।

तीसरी बात मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त यह खेती का कार्य १० एकड़ जमीन पर होगा और गर्मी के अवकाश में अध्यापक अपने-अपने घरों को चले गये होंगे।

श्री हर गोविन्द सिंह—मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्या बात थी कि दो हजार स्कूल खुले और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिये गये; मुझे तो ऐसी कोई बात पता नहीं चली कि कहां दो हजार स्कूल्स खोले गये.........।

श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी—तो तीसरी बात मैं यह कह रहा था कि जिस वक्त गर्मी की छुट्टी होगी और अध्यापक और लड़के अपने अपने घर चले जायंगे तो उस खेती की रक्षा कौन करेगा। क्या आप इस बात का अनुमान नहीं कर सकते हैं कि जहां पर खेती अच्छी प्रकार से की गई वहां पर खेती को देखकर वहां के किसानों के अन्दर द्वेष की भावना नहीं पैदा हो जायेगी और संभव है कि वह अपने जानवरों को छोड़कर आपकी खेती को नुकसान पहुंचावें। तो इस प्रकार से इसका भी कुछ प्रबन्ध होना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं शायद अध्यापक होने के नाते वह बात मेरे मुंह से अच्छी न मालूम पड़े, लेकिन टीचर्स के वेतन का एक बड़ा प्रश्न है। आज उनकी क्या हालत है इसको पहले अच्छी तरह से देखिये। उनको वेतन ठीक समय पर मिले इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने अपने कोष से हाल ही में एक बड़ी रकम दी है जिससे कि पिछला वेतन उनको दिया

[श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी]

जायगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि अगर हमको इस बारे में ठीक तरह से काम करना है तो जो खतरे हैं, जो और दूसरे प्राब्लम्स हैं उनके लिये हमको ठीक प्रिकाशन लेना होगा।

अब मैं सेकेन्डरी एजूकेशन की तरफ आता हूं। सेकेन्डरी एजूकेशन देने वाले जो स्कूल हैं वह एक अजीबोगरीब मुअम्मा हैं। वह एक पजल हैं। वह एक ऐसी जगह हैं कि जहां पर गवर्नमेंट आर्डर्स पूर्णरूप से नहीं तो अधिकांश रूप से पालन नहीं किया जाता है। मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि अक्टूबर १९४९ में बेटर मैनेजमेंट कमेटी पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था। मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि बेटर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया। और इसके फलस्वरूप गवर्नमेंट ने हर स्कूलों को लिख कर भेजा कि एक कमेटी १५ को मेम्बरों की बनाई गई है जिसमें ३ मेम्बर सरकार की तरफ से होंगे। इसके साथ साथ लीव रूल्स वगैरह भी बनाये गये, इसलिये मैं कैसे मान लूं कि सरकार ने बेटर मैनेजमेंट कमेटी के डिसीजन नहीं लिया। जिस समय कोई झगड़े का मसला पेश हो किसी भी टीचर का इकरारनामा भरा हो या न भरा हो उसके केस को ट्रिब्यूनल के सामने भेज दिया जा सकता है। ऐसा भी सरकार ने मान लिया है।

श्री हर गोविन्द सिंह—आपके स्कूल का कोई नामनी इसमें है?

श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी—मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि गवर्नमेंट ने इस कमेटी का डिसीजन ले लिया। इसके बारे में बीसियों बार पेपर्स में लिखा गया परन्तु कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया। मैं ज्वाइन्ट सेक्रेटरी से कई बार मिला, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे बेटर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट को दिया। मैं जो कुछ आज तक समझ सका हूं वह यह कि मैं इन स्कूलों को छोटी छोटी जमीन्दारी कहता हूं इसलिये कि मैनेजमेंट अथारिटीज टीचर्स को छोटी छोटी नोटिस तक नहीं देते हैं और बगैर नोटिस के ही अक्सर उन्हें निकाल देते हैं अक्सर पुलिस की मदद लेकर उनको निकाल दिया जाता है। लखनऊ शहर के भी ऐसे बहुत से केसेज हैं मैं उनको यहां कोट कर सकता हूं। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि जब तक सरकार मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर कोई रोकथाम न करेगी तब तक यह अपना जोर जुल्म जारी रखेगी। जहां तक अध्यापकों के वेतन का प्रश्न है वह नहीं कह सकता हूं कि उसे कितने दिनों से वेतन नहीं मिला है। तीन तीन महीने तक तो कोई बात नहीं है। मैं लखनऊ की ही मिसालें पेश कर सकता हूं कि कितनों को तीन तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। आप देखें कि एक तरफ तो सरकार की ओर से उसे आरबिट्रेशन का हक दिया जाता है और दूसरी तरफ जब वह स्कूल में जाता है तो मैनेजमेंट कहता है कि आरबीट्रेशन एग्रीमेंट फार्म के भरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिये सरकार को यह भी देखना चाहिए कि अरबीट्रेशन एग्रीमेन्ट फार्म की कदर मैनेजमेंट वाले करते हैं। बहुत से पुराने टीचर्स हैं जिन्हें ४-४, ६-६, साल हो गये मगर उनसे यह फार्म नहीं भराया गया। इनकी तरफ सरकार की ओर से तो कुछ नहीं कहा जाता मगर चाहे वह फार्म भराये जायं या न भराये जायं अगर यह मान लिया जाय कि उनको ट्रिब्यूनल के सामने भेजना है तो भेजे जा सकते हैं। एक चीज आप और देखें कि मान लीजिये कि ट्रिब्यूनल ने एक डिसीजन दे दिया कि किसी टीचर को वेतन मिलना चाहिए मगर दूसरी तरफ यह हम देखते हैं कि एक महीने के अन्दर सरकार की तरफ से दूसरा आर्डर जाता है कि उसको वेतन नहीं मिलना चाहिए। यह कहां का इन्साफ है कि एक के लिये दो दो आर्डर इस तरह के दिये जाते हैं।

श्री हर गोविन्द सिंह—क्या आरबीट्रेशन सरकार का है?

श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी—मैं उसे सरकार का ही कहता हूं इसलिये कि सरकार ने उसे बिठायी थी। अब मैं एक मिनट में कुछ प्राविडेन्ट फन्ड के मुताल्लिक कहना चाहता

है। जिस समय टीचर रिटायर होता है उस समय उसे मैनेजमेंट का कान्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, जो उसने कान्ट्रीब्यूट किया है वह भी मिल जाता है मगर सरकार का कान्ट्रीब्यूशन उसे नहीं मिल पाता है। सरकार को इसके लिये एक आर्डर निकालना चाहिए जिसका पालन करना सबके लिये जरूरी हो जाय। अध्यापकों को अपनी जिन्दगी में ही प्राविडेन्ट फण्ड मिल जाना चाहिए जहां तक रुपये पैसे का सम्बन्ध है.........

श्री हर गोविन्द सिंह---बजट से रुपये पैसे का क्या सम्बन्ध है ?

श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी---इससे इसका काफी सम्बन्ध है। जहां तक तनख्वाहों का सवाल है वह उनको ठीक समय पर मिलनी चाहिए। इसके साथ ही साथ सरकार के न्याय का भी ठीक से पालन होना चाहिए। एग्रीमेन्ट्स फार्म्स होने चाहिए जिससे सर्विसेज की सिक्योरिटी हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

चेयरमैन---कौंसिल की बैठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ५ बजे, गुरुवार, २५ फरवरी, १९५४ को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गई)

लखनऊ :
२४ फरवरी, १९५४।

कृष्ण बहादुर सक्सेना,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

[देखिये प्रश्न संख्या ६ पृष्ठ ३१० पर]

जिला पीलीभीत की जो सड़कें पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं उनके विवरण की सूची।

पक्की सड़कें

१--बरेली-पीलीभीत-न्योरिया-टनकपुर सड़क।

२--बीसलपुर-बिलसन्दा सड़क।

सी० सी० ट्रैक्स --

१--पीलीभीत-गजरौला सड़क। ६ मील।

कच्ची सड़कें

१--पीलीभीत-शिवनगर-ओ० डी० आर० ८ मील।

२--देवरिया कलां-बीसलपुर ओ० डी० आर० ९ १/२ मील।

३--देवरिया-दियोहना बी० आर० ४ मील।

४--बिलसन्दा-पोवायां ओ० डी० आर० ६ मील।

५--पूरनपुर-सिवनगर ओ० डी० आर० १२ मील।

६--देवरिया कलां-बरखेरा बी० आर० ९ मील।

७--पूरनपुर-कूथर ओ० डी० आर० १० मील।

नोट:--उपरोक्त कच्ची सड़कें जिला बोर्ड को हस्तगत कर दी गई हैं।

नत्थी "ख"

[देखिये प्रश्न संख्या ३५ पृष्ठ ३१५ पर]

जिन गन्ना फैक्टरियों पर किसानों का गन्ने के मूल्य का रुपया अब तक (अक्टूबर, १९५३) वाजिब था उनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं।

(१९५२-५३ सीजन)

१—मुहीउद्दीनपुर
२—जसवन्त (मलियाना)
३—खटौली
४—सहारनपुर
५—देवबन्द
६—बरेली
७—बहेड़ी
८—अमरोहा
९—बिलारी
१०—बिजनौर
११—धामपुर
१२—सेवहारा
१३—काशीपुर
१४—गोकुलनगर
१५—रामपुर
१६—रोजा
१७—र्योली
१८—गोला
१९—ऐरा
२०—हरगांव
२१—बाराबंकी
२२—मसोधा
२३—शाहगंज
२४—नवाबगंज
२५—बलरामपुर
२६—तुलसीपुर
२७—फरेन्दा
२८—पिपराईच
२९—सरदारनगर
३०—छिटौनी
३१—खड्डा
३२—कैप्टेनगंज
३३—लक्ष्मीगंज
३४—पडरौना
३५—सेवराही
३६—रामकोला (के)
३७—रामकोला (पी)
३८—कठकुइंया
३९—देवरिया (पी)
४०—बेतालपुर
४१—परतावपुर

नत्थी "ग"

[देखिये प्रश्न सं० १ पृष्ठ ३२१ पर]

Extract of paragraph 6 of Appendix V of the Educational Code

6. The teacher may be allowed leave as follows :

(*a*) *By the headmaster*—Not more than fourteen days' casual leave in any school year, to include holidays which may occur immediately before or after or during the period of absence.

(*b*) *By the manager*—(On application submitted through the headmaster)—

(i) Not more than one month's leave on full pay on medical certificate for every completed three years of service in the school, but not more than three months at any one time.

(ii) Not more than one month's leave on half pay for every completed year of service, but not more than three months at any one time.

(*c*) *By the Committee*—(On application submitted through the headmaster)—Such other leave on such terms and for such period, as the Committee may, in each individual case decide.

Leave cannot be claimed as a right. Leave shall be granted with due regard to the exigencies of the school, and when leave is refused the grounds of refusal shall be recorded on the application.

Extract of paragraph 6 of Appendix X of the Educational Code

6. The headmaster may be allowed leave as follows :

(*a*) *By the manager*—

(i) Not more than fourteen days' casual leave in any school year, to include holidays which may occur immediately before or after or during the period of absence.

(ii) Such duty leave as may be necessary to attend to official business such as serving on a jury or attending educational committees on which he is serving with the approval of the Committee.

(*b*) *By the Committee*—(On application submitted through the Manager)—

(i) Not more than one month's leave on full pay on medical certificate for every completed three years of service in the school but not more than three months at any one time.

(ii) Not more than one month's leave on half pay for every completed year of service, but not more than three months at any one time.

(iii) Such other leave on such terms and for such period as the Committee may in each individual case decide. Leave cannot be claimed as of right but shall be granted with due regard to the exigencies of school and when leave is refused the grounds of refusal shall be recorded on the application.

नत्थी "घ"

[देखिये प्रश्न संख्या ३ पृष्ठ ३२२ पर]

Copy of Rule V, Appendix IV of the Educational Code :

V—Contribution by the Government and the management of the Institution

Both Government and the management will contribute. The management will contribute a sum equal to half the contribution of the teacher/matron/clerks which will be paid into the teacher's/matron's/clerk's account along with their own deposits. The contribution of Government will take the form of a single lump contribution at the time the depositor retires or for other legitimate reasons withdraws his deposit. When permission has been given to withdraw advances there will be added (for purposes of calculating the Government contribution) the amount of any balances still outstanding, the Government contribution being recknned as one-third of the total thus arrived at. In the case of deposits in the post office Savings Bank the Government contribution will be one-third of the amount standing at the depositor's credit.

नत्थी "ङ"

[देखिये प्रश्न संख्या ५ पृष्ठ ३२३ पर]

GOVERNMENT OF THE UNITED PROVINCES

FINANCE (M) DEPARTMENT

No. M-1496/X—377-1947

Dated Lucknow, April 7, 1948

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN exersise of the powers conferred by clause (*b*) of sub-section (2) of section 241 of the Government of India Act, 1935, as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947, and section 2 of the Police Act, 1861 (Act V of 1861), the Governer of the United Provinces is pleased to make the following rules to regulate the Contributory Provident Fund. Pension and Insurance benefits for servants holding pensionable posts in the provincial subordinate (including the ministerial) and inferior services or holding individual pensionable posts under control of the Government of the United Provinces.

THE UNITED PROVINCES CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND PENSION-INSURANCE RULES, 1948

Short title and commencement.

1. (i) These rules may be called the United Provinces Contributory Provident Fund-Pension-Insurance Rules, 1948.

(ii) They shall come into force with effect from April 1, 1948.

Application.

2. These rule shall apply to all government servants (other than those who were under the rule-making control of the Secretary of State for India immediately before August 15, 1947), who hold a lien on a permanent pensionable post under the Government or would have held a lien on such a post had their lien not been suspended:

Provided that all government servants who are already in the service of the Government on the date on which these rules come into force, shall have the option to elect these rules any time within three years from that date. The option once exercised shall be final:

Provided further that all government servants subject to these rules including those mentioned in the above proviso who elect these rules shall have also the option mentioned in rules 16 and 17.

Exception—These rules do not apply to the staff attached to the High Court of Judicature at Allahabad and the Chief Court of Avadh, and the members and staff of the United Provinces Public Service Commission but they may be made applicable to them by the

competent authority under section 242(4) or 265 (2) of the Government of India Act, 1935, as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947, as the case may be.

I—Contributory Provident Fund

3. In these rules, unless there is any thing repugnant in the subject or context, the words defined in rule 2 of the Contributory Providnt Fund Rules (United Provinces) shall have the meaning respectively assigned to them in the said rules.

4. The Contributory Provident Fund under these rules shall be administered by the Government of the United Provinces and shall be maintained in rupees within the Indian Union.

5. Every government servant to whom these rules apply shall join the Fund with effect from the date on which he is confirmed in a perment pensionable post and shall from that date be a subscriber to the Fund :

Provided that if he has rendered any temporary service before confirmation which shall count for pension under Article 370 of the Civil Service Regulations, he shall be deemed to have joined the Fund from the date his continuous temporary service counting for persion commenced :

Provided further that government servants mentioned in the first proviso to rule 2 who elect these rules shall be deemed to have joind the Fund on the date from which their pensionable service commenced.

6. An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be credited :

(i) the subscriber's subscriptions,

(ii) contributions made by Government to his account,

(iii) interest, as provided dy rule 9, on subscriptions, and

(iv) interest, as provided by rule 9, on contributions.

7. The amount of subscription shall be fixed by the subscriber subject to the following condituons :—

(a) It shall be expressed in whole rupees.

(b) It may be any sum so expressed not less than $6\frac{1}{4}$ per cent. of his emoluments (i.e. one anna in the rupee, and not more than 15 5/8 per cent. (i.e. two annas and six pies in the rupee).

Notes—(1) for purposes of this rule the "emoluments" of a subscriber shall be the same as described in clause (2) of rule 8 of the Contributory Provident Fund Rnles (United Provinces).

(2) A subscriber whose case falls under the first proviso to rule 5 shall not be required to pay subscriptions in respect of the temporary service which shall count for pension under Article 370, Civil Service Regulations. His subscrption shall begin from the date of his confirmation.

(3) A subscriber whose case falls under the second proviso to rule 5 shall not be required to pay subscriptions in respect of his previous pensionable service but shall pay them from the date he joins the Fund.

8. (1) Except as provided otherwise in this rule, the Government shall make a contribution to the account of each subscriber at the rate of $6\frac{1}{4}$ per cent, or one-sixteenth of the subscriber's emoluments from the date he joins the Fund.

(2) If a subscriber is on deputation out of India on foreign service or on transfer to another Provincial Government within the Indian Union or to the Government of the Union, the contribution shall be paid by the Uinted Provinces Government on the emoluments which the subscriber would have drawn had he been on duty under that Government.

(3) If a subscriber elects to subscribe during leave, his leave salary shall for purposes of this rule, be deemed to be emoluments drawn on duty.

(4) The amount of contribution payable shall be rounded to the nearest whole rupee (eight annas or more counting as the next higher rupee) :

Provided that in the case of a subscriber to whom the first proviso to rule 5 applies, the Government shall pay the contribution together with the interest there on in respect of the entire temporary service including periods of leave with allowances counting for pension under Articles 370, 407 and 408 of the Civil Service Regulations :

Provided futher that in the case of a subscriber to whom the second proviso to rule 5 applies, the Government shall pay the contribution together with the interest thereon in respect of his entire pensionable service including periods of leave with allowances counting for pension previous to the date of his joining the Fund.

9. In respect of interest payable by the Government on the amount at the credit of a subscriber to the Fund, the provisions of rule 11 of the Contributory Provident Fund Rules (United Provinces) shall apply.

10. A Government servant shall not be debarred from joining the General Provident Fund (United Provinces) by reason of his being a subscriber to this Fund.

11. Temporary advances may be granted to a subscriber from the amount standing to his credit in the Fund, provided that no such advance shall be admissible from this Fund to a subscriber who has also joined the General Provident Fund. The grant of advances shall be regulated by rules 12 and 14 of the Contributory Provident Fund Rules (United Provinces). In making an advance under rule 12(*c*) of those rules, the sanctioning authority shall see that the balance of subscriptions and intrest thereon left in the Fund is sufficient to make payments of insurance premia under rule 21 of these rules.

12. A subscriber to this Fund shall not be allowed to make a withdrawal from the amount of subscriptions with interest thereon standing to his credit in the Fund to make payments towards insurance policies or a family pension fund except an insurance policy taken under these rules.

13. No Government servant shall be allowed to withdraw the amount at his credit in the Fund or the amounts of his subscriptions and interest thereon in the Fund before he actually retires.

14. In the event of resignation from service by a Government servant or his removal or dismissal by Government, he shall be paid the amount of his subscriptions together with interest thereon at his credit in the Fund on the date of his resignation, removal or dismissal as the case may be. The amount of Government contribution together with the intrest thereon standing at his credit shall be withdrawn by Government.

15. In other respects, rules 5, 7(1), (2) and (3), 8(3) and (4), 8-A, 9, 25, 27, 29, 30 and 31 of the Contributory Provident Fund Rules (United Provinces) shall apply *mutatis mutandis* in respect of this Fund.

II—Pension

16. The pension rules contained in the Civil Service Regulations shall apply to all Government servants to whom these rules apply, and the amount of pension admissible shall be regulated by Articles 474 and 474-A of the Civil Service Regulations :

Provided that the amount of pension actually payable shall be the amount of which the commuted value is the difference between the commuted value of the sanctioned pension and the total amount of contribution made by Government under rule 8 *plus* interest thereon paid under rule 9 to the account of the Government servant in the Contributory Provident Fund.

Provided further that all Government servants to whom these rules apply and those who elect them under the first proviso to rule 2 shall have the option to take the full pension admissible under Articles 474 and 474-A of the Civil Service Regulation and to forego the amount of Government contribution under rule 8 together with the interest theron at their credit in the Contributory Provident Fund at the time of retirement or to accept the pension actually payable under the above proviso together with the full amount at their credit in that Fund including the amount of the Government contribution and the interest thereon. This option shall be exercised in writing at any time but not later than one complete year before the date of retirement. The option once exercised shall be final :

17. If only a gratuity is payable to a Government servant in accordance with clause (*a*) of Article 474 of the Civil Service Regulations, the actual amount of gratuity payable to a Government servant subject to these rules shall be the difference between the amount of gratuity sanctioned and the total amount of contribution *plus* interest

thereon paid by Government to the account of that Government servant in the Contributory Provident Fund :

Provided that if a Government servant desires to take the full amount of gratuity admissible under clause (*a*) of Article 474 of the Civil Service Rugulations, and makes a written request to that effect soon after his retirement, the full amount of gratuity shall be paid to him but the amount of Government contribution together with the interest thereon at his credit in the Contributory Provident Fund shall be withdrawn by Government.

18. The pension actually payable under rule 16 shall be paid to the Government servant till the date of his death. If the Government servant dies before retirement no pension shall be payable.

19. A Government servant subject to these rules who elects to draw the pension payable under the first proviso to rule 16 shall be entitled to commute for a lump sum payment any portion not exceeding one-third of the pension actually payable to him under that proviso of rule 16 in accordance with the United Provinces Civil Pensions (Commutation) Rules.

III—Insurance

20. A Government servant subject to these rules whose pay does not exceed Rs. 100 per mensem on the date of confirmation shall take a life insurance policy of such amount as may be prescribed by Government from the State Insurance Department of the Government. Insurance with this department in the case of Government servants subject to these rules drawing pay of over Rs. 100 per mensem on the date of confirmation shall be optional :

Provided that Government servants who elect these rules under the first proviso to rule 2 shall, if their date of compulsory retirement falls within five years from date of such election, not be permitted te take any insurance policy from the State Insurance Department.

21. The premium payable by a Government servant towards his life insurance policy shall be paid from the amount of subscriptions including interest thereon standing to his credit in the Contributory Provident Fund under these rules.

22. On the retirement of Government servant or on his resignation or removal or dismissal from Government service, the policy shall be re-assigned or returned to the Government servant who may keep it alive by paying the premuim direct to the State Insurance Department.

23. In other respects the rules framed by the State Insurance Department shall apply.

By order,
P. A. GOPALAKRISHNAN,
Secretary to Government,
United Provinces.

No. M-1496(1)/X—577-1947

COPY forwarded to all Heads of Departments and Principal Heads of Offices, for information.

No. M-1496(2)/X—377-1947

COPY also forwarded to all Departments of the Secretariat, for information.

No. M-1496(3)/X—377-1947

COPY also forwarded to the Accountant Genral, United Provinces, for information.

By order,
D. K. JOSHI,
Under Secretary to Government,
United Provinces.

GOVERNMENT OF THE UNITED PROVINCES

FINANCE DEPARTMENT

No. G-2-399/X—377-47

Dated Lucknow, September 10, 1949

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by clause (*b*) of sub-section (2) of section 241 of the Government of India Act, 1935, as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947, and section 2 of the Police Act, 1861 (Act V of 1861), the Governor is pleased to direct that the following amendment shall be made in the United Provinces Contributory Provident Fund-Pension-Insurance Rules, 1948, namely.

Insert the following note clause (3) of rule 8 :—

"NOTE—Pay drawn by Government servant immedately before proceeding on leave or pay drawn immediately on resumption of duty on return from leave, whichever is less, shall be deemed to be emoluments for the purpose of calculating the Government's contribution in respect of periods of leave on full average pay or equivalent leave counting for pension prior to the date of admission to the Fund. Similarly, in respect of leave on half average pay counting for pension under Article 408 of the Civil Service Regulations, half of the pay drawn immediately before or after leave, taken before the date of admission of the Fund, whichever be less, shall be deemed as emoluments for the same purpose. In respect of leave taken on full average pay or half average pay

after the date of admission to the Fund, the calculation of Government's contribution shall be based on the leave salary actually drawn."

By order,
B. G. RAU,
Joint Secretary.

No. G-2-999 (1)/X—377-47

COPY forwarded to all Heads of Departments and Principal Heads of Offices for information.

No. G-2-999(2)/X—377-47

COPY also forwarded to all Departments of the Secretariat for information.

No. G-2-999(3)/X—377-47

COPY also forwarded to the Accountant General, United Provinces, for information.

By order,
D. K. JOSHI,
Under Secretary.

GOVERNMENT OF THE UNITED PROVINCES

FINANCE (G-2) DEPARTMENT

No. G-II-1180/X—416-1948

Dated Lucknow, October 19, 1949

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by clause (*b*) of sub-section (2) of section 241 of the Government of India Act, 1935, as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947, and section 2 of the Police Act, 1861 (Act V of 1861) the Governor is pleased to make the following amendment to rule 20 of the United Provinces Contributory Provident Fund-Pension-Insurance Rules, 1948, with effect from April 1, 1948.

Insert the following as a second proviso to rule 20 :

"provided further that such Government servants who draw pay not exceeding Rs. 100 per mensem on the date of election of thes rules shall have the further option to take or not an Insurance policy from the State Insurance Department."

By order,
P. A. GOPALAKRISHNAN.
Secretary to Government,
United Provinces.

No. G-II-1180(1)/X—416-1948

COPY forwarded to all Heads of Departments and Principal Heads of Offices, for information in continuation of Government Endorsement no. M-1496(1)/X—377-1947, dated April 7, 1948.

No. G.-II-1180(2)/X—416-1948

COPY also forwarded to all Departments of Secretariat, for information in continuation of Government Endorsement no. M-1496(2)/X—377-1947, dated April 7, 1948.

No. G-II-1180(3)/X—416-1948

COPY also forwarded to the Accountant General, United Provinces, for information in continuation of Government Endorsement no. M-1496(3)/X—377-1947, dated April 7, 1948.

By order,
D. K. JOSHI,
Under Secretary to Government,
United Provinces.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FINANCE DEPARTMENT

No. G-II-926/X—503-49

April 12, 1950

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to direct that the following amendments shall be made in the United Provinces Contributory Provident Fund-Pension-Insurance Rules, 1948, namely :

In clause (*a*) of rule (7) *after* the word "rupees" substitute for full-stop a colon and *insert* the following proviso :

Provided that in the case of a subscriber who is also an insurant under the U. P. State Insurance and Endowment Assurance Rules, 1949, his subscription may be increased or reduced, as the case may be, within the limits prescribed in clause (*b*) of this rule, and expressed in rupees and annas, so that the net amount of the subscription after deduction of the premium is always in whole rupees.

By order,
B. G. RAU,
Secretary.

No. G-II-926(1)/X—503-49

COPY forwarded to all Heads of Departments and Principal Heads of Offices in Uttar Pradesh, for information.

No. G-II-926(2)/X—503-49

COPY also forwarded to all Departments of the Secretariat, for information.

No. G-II-926(3)/X—503-49

COPY also forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, for information.

By order,
D. K. JOSHI,
Under Secretary.

GOVERNMENT OF THE UNITED PROVINCES

FINANCE (G-2) DEPARTMENT

No. G-2-288/X—377-47

May 23, 1949

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by clause (*b*) of sub-section (2) of section 241 of the Government of India Act, 1935, as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947, and section 2 of the Police Act, 1861 (Act V of 1861), the Governor is pleased to direct that the following amendments shall be made in the United Provinces Contributory Provident Fund-Pension-Insurance Rules, 1948; namely :

Amendments

(1) *For* the substantive part of rule 2, *substitute* the following :

"These rules shall apply to all Government servants under the rule-making control of the Provincial Government who hold a lien on a permanent pensionable post under the Government or would have held a lien on such a post had their lien not been suspended."

(2) *Add* the following as notes 1 and 2 below rule 5 :

NOTE 1—"Executive authorities should inform the Accountant General as soon as any such Government servant becomes liable to subscribe."

NOTE 2—"If a Government servant fails to subscribe with effect from the date he joins the Fund, the total amount due to the Fund on account of arrears of subscription shall, with interest thereon at the rate provided in rule 11 of the United Provinces Contributory Provident Fund Rules forthwith be paid by the subscriber to the Fund, or in default be ordered by the Account Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance."

By order,
P. A. GOPALAKRISHNAN,
Secretary.

No. G-2-288 (1)/X—377-47

COPY forwarded to all Heads of Departments and Principal Heads of Offices, for information.

No. G-2-288(2)/X—377-47

COPY also forwarded to all Departments of the Secretariat, for information.

No. G-2-288(3)/X—377-47

COPY also forwarded to the Accountant General, United Provinces, for information.

By order,
D. K. JOSHI, *Under Secretary.*

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FINANCE (G-2) DEPARTMENT

No. G-2-2396/X—503-51

Dated Lucknow, August 6, 1953

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to direct that the following amendment shall be made in the U. P. Contributory Provident Fund-Pension-Insurance Rules, 1948:

Amendment

In rule 3, *for* sub-rule (1), *substitute* the following:

"3 (1) Except as provided otherwise in this rule, the Government shall, with effect from the 31st March of each year make a contribution to the account of each subscriber at the rate of $6\frac{1}{4}$ per cent, or 1/16th of his emoluments; provided that if a subscriber quits the service or dies during a year, contribution shall be credited to his account for the period between the close of the preceding year and the date of the casualty.

By order,
B. G. RAU, *Secretary.*

No. G-2-2396(1)/X—503-51

COPY forwarded to all Heads of Departments and Principal Heads of Offices in Uttar Pradesh, for information,

No. G-2-2396(2)/X—503-51

COPY also forwarded to all Departments of the Secretariat, for information.

No. G-2-2396(3)/X—503-51

COPY also forwarded to the Accountant General (Fund Section), Uttar Pradesh, for information.

By order,
S. K. JOSHI,
Assistant Secretary.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FINANCE (G-2) DEPARTMENT

No. G-2-1159/X—503-1951

Dated Lucknow, May 25, 1953

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to direct that the following amendments shall be made in the U. P. Contributory Provident Fund-Pension-Insurance Rules, 1948 :

Amendments

(1) In rule 5, *for* the words "with effect from the date on which he is confirmed in a permanent pensionable post" *substitute* the words "with effect from the date of issue of orders confirming him in a permanent pensionable post".

(2) In note (2) below rule 7, *for* the words "from the date of his confirmation" *substitute* the words "from the date of issue of orders confirming him in a permanent pensionable post ".

By order,
B. G. RAU,
Secretary.

No. G-2-1159/X—503-1951

COPY forwarded for information to—

1. all Heads ef Departments and Principal Heads of Offices in Uttar Pradesh.

2. all Departments of the Secretariat, and

3. the Accountant General, Uttar Pradesh, with reference to his letter no. Fund (Spl.)I/R-139, dated November 3, 1951.

By order,
BHARAT NARAIN,
Joint Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE DEPARTMENT

No. G-2968/X—515-51
MISCELLANEOUS

May 1, 1953

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following amendment to the U. P. Contributory Provident Fund-Pension-Insurance Rules, 1948.

Amendment

Insert the following note below rule 16 :

"NOTE—Where a govenment servant actually retires on one of his birthdays, the age next birthday for the calculation of commuted value of the sanctioned pension and the amount of pension actually payable under this rule, should be taken as the completed years of age on the date of retirement. In all other cases the commuted values should be calculated on the basis of the age next birthday."

By order,
B. G. RAU,
Secretary.

No. G-2-968(1)X—515-51

COPY forwarded to all Heads of Departments and all other Principal Heads of Offices in Uttar Pradesh, for information.

No. G.2-968(2)/X—515-51

COPY also forwarded to all Departments of the Secretariat, for information.

No. G-2-968(3)/X—515-51

COPY also forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, for information.

By order,
R. C. CHATTERJI,
Assistant Secretary.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (G-2) DEPARTMENT

No. 2-1163/X—416-1948

Dated Lucknow, May 28, 1951

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to direct that the following amendment shall be made in the U. P. Contributory

Provident Fund-Pension-Insurance Rules, 1948, published with notification no. M-1496/X—377-1947, dated April 7, 1948:
Rule 2—

In the first proviso to this rule, for the words "within three years", *substitute* the words "within four years".

By order,
B. G. RAU,
Secretary.

No. G-2-1103(1)/X—416-1948

COPY forwarded to all Heads of Departments and Principal Heads of Offices, for information.

No. G-2-1103(2)/X—416-1948

COPY also forwarded to all departments of the Secretariat, for information.

No. G-2-1103(3)/X—416-1948

COPY also forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, for information.

By order,
D. K. JOSHI,
Deputy Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

"Number rule 3 of the Uttar Pradesh Contributory Provident Fund-Pension-Insurance Rules, 1948, as clause (*a*) of rule 3 and insert the following as clause (*b*) of rule 3 :

(*b*) The words 'Pensionable Service' used in these rules, mean service qualifying for pension rendered in a post under the Uttar Pradesh Government, and, except in cases mentioned in clause (2) of rule 8 below, do not include service qulifying for pension rendered in a post under the Union Government or under any other State Government, irrespective of the fact whether the pensionary charges in respect of that service, are to be borne by the Uttar Pradesh Government or the Union or the other State Government."

नत्थी "च"

(देखिये प्रश्न संख्या ३६ पृष्ठ ३२३ पर)

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की पुनर्व्यवस्था

इस नयी शिक्षा योजना की नीचे दी हुई रूप रेखा का सम्बन्ध विशेषतः जूनियर हाई स्कूलों से है और यह उस "संहत योजना" का एक अंग है जिसके अनुसार बेसिक शिक्षा का पुनर्संगठन होगा और उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुपार्श्वीय संस्थाओं में परिवर्तित कर दिया जायगा।

गत कुछ वर्षों से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता का अधिकाधिक अनुभव किया जाता रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने १९५१ ई० में ही इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये थे। तब स अब तक उन्होंने अनेक अवसरों पर निर्देश किया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली का प्रदेश की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों से पूर्ण समन्वय होना चाहिए। इस प्रदेश की अस्सी प्रतिशत से भी अधिक जनता जीवन यापन के लिये कृषि पर निर्भर है। अतः इस भारी जन संख्या को हमारी शिक्षा प्रणाली से भरपूर लाभ उठाना चाहिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर उसे फिर से व्यवस्थित एवम् संगठित करने की नई योजना बनानी होगी, इस योजना की सफलता अधिकांश में दो बातों पर निर्भर करेगी। टेक्निकल योग्यता प्राप्त कार्यकुशल कर्मचारियों पर तथा समाज के प्रति नागरिकों की सहर्ष कर्तव्य पालन की इच्छा पर। इसीलिये यह आवश्यक है कि आज के प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक को ऐसे उपयोगी "सामाजिक केन्द्रों" में बदल दिया जाय जिनमें विद्यार्थी नियमित पाठों का कंठ करने की जगह इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकें जो उनकी संस्कृति और परम्परा तथा उनके आर्थिक साधना एवम् भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

इस नई योजना के अनुसार सामान्यतः गांवों के सभी प्रारम्भिक बेसिक जूनियर हाई स्कूलों एवम् कतिपय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा पाने वालों को कृषि की शिक्षा दी जायगी। जूनियर हाई स्कूलों में, विशेषतः नगर के जूनियर हाई स्कूलों में, उद्योगों की शिक्षा भी दी जायगी जिससे छात्र इन स्कूलों से निकल कर या तो छोटे-मोटे शिल्पकार बन सकें अथवा बहुपार्श्वीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जाकर उद्योगों की अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त इस योजना के अनुसार प्रदेश के टेक्निकल स्कूलों में उद्योग तथा कौशल की शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को सामान्य बौद्धिक शिक्षा भी प्रदान की जायगी।

(२) पुनर्व्यवस्था

यह प्रस्तावित पुनर्व्यवस्था हमारे प्रदेश की शिक्षा के तीन मुख्य भागों, प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्ध रखती है।

(अ) प्रारम्भिक स्कूल प्रदेश के समस्त ३०,००० प्राथमिक स्कूलों में से प्रत्येक को पांच एकड़ भूमि दी जायगी! इस खेत में स्कूल के अध्यापक और वे विद्यार्थी-कार्य करेंगे जिनकी अवस्था ९ वर्ष से अधिक होगी खेत में जो कुछ पैदा होगा उसे शिक्षक और विद्यार्थी उसी तरह आपस में बांट कर उपभोग करेंगे जिस प्रकार गांव का सम्मिलित कुटुम्ब करता है। इन स्कूलों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जायगी जिससे ये ऐसी उपयोगी वस्तुयें भी बना सकें जो स्थानीय बाजारों में बिक सकें। पुराने स्कूलों को इस प्रकार से नए स्कूलों में परिवर्तित करने में कुल व्यय ११·२५ करोड़ रुपये अनावर्तक तथा ३·७ करोड़ रुपये आवर्तक होगा। यह व्यय वर्तमान ४ करोड़ रुपये के आवर्तक व्यय के अतिरिक्त है।

इस प्रस्तावित योजना के अनुसार प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा की पुनर्व्यवस्था करने पर इन स्कूलों में पढ़ायी जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन करने के अतिरिक्त इनके पाठ्य क्रम और टाइम टेबल में भी संशोधन तथा परिवर्तन करना होगा। ९ वर्ष से अधिक आयु के

विद्यार्थी स्कूल का आधा समय खेती के व्यावहारिक कार्य में व्यतीत करेंगे। कार्य आरम्भ करने के पहले अध्यापकों की प्रशिक्षा का सुचारु प्रबन्ध किया जायगा। इस योजना की सफलता के लिये जनता के सहयोग की बड़ी आवश्यकता होगी। अतः इन स्कूलों के लिये एक सलाहकार समिति बनाने का निश्चय किया गया है जिसमें गांव की सभा के सभापति, गांव के मुखिया, गांव पंचायत के सरपंच और स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे। इनको गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों का "कोआप्ट" करने का अधिकार होगा।

(ख) जूनियर हाई स्कूल

नई योजना के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों को उपयोगी तथा प्रभावपूर्ण सामाजिक केन्द्रों में परिवर्तित करना है जिससे वे अपने पास-पड़ोस की जनता की सेवा कर सकें। साधारणतः २५–३० गांवों के बीच में एक जूनियर हाई स्कूल होता है। इन नवीन स्कूलों में शिक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित चार प्रकार का कार्य होगा :

(१) कृषि—कृषि के क्षेत्र में स्कूलों का कार्य निम्नांकित है :

(अ) बीजों का संग्रह और वितरण

(ब) यन्त्रों का वितरण।

(स) छोटे पौदों तथा बेहन के वितरण के लिये पौदघरों का निर्माण।

(द) गांवों के पथ-प्रदर्शन एवम् लाभ के लिये फार्मों का आदर्श फार्मों के रूप में परिवर्तन।

(ई) समुन्नत कृषि प्रणालियों का प्रचार और प्रसार।

(२) जन हित के कार्य—

(अ) सामूहिक स्वास्थ्य और स्वच्छता।

(द) गांव की सफाई।

(३) कुटीर उद्योग—

(अ) एक या अधिक हस्त कौशल में विशेष दक्षता।

(ब) निर्मित वस्तुओं का विक्रय।

४—सामाजिक एवम् सांस्कृतिक शिक्षा—

(अ) अभिनय, लोक कला तथा लोक संगीत।

(क) त्योहारों के अवसर पर मनोरंजन तथा संगठित खेल-कूद का कार्यक्रम।

(स) प्रदर्शनियों का सामयिक आयोजन।

यह स्पष्ट है कि इस नयी योजना की सफलता स्थानीय जनता के उत्साह एवम् सहयोग पर अवलम्बित है। यह भी सत्य है कि आज गांवों में एक नये प्रकार के नेतृत्व के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। यह कार्य नवीन जूनियर हाई स्कूलों के प्रसार द्वारा अधिक संभव है। यदि वे स्कूल जनता की सेवा का ध्येय लेकर अग्रसर हों तो निश्चय ही वे जनता के अधिकाधिक सहयोग की आशा कर सकते हैं। यदि हमारे अध्यापक प्राणपण से इन योजनाओं को सफल करने में लग जायें तो अपने स्तर को ऊंचा उठाने की उनकी महत्वाकांक्षा भी पूरी हो सकेगी। इस प्रकार स्कूल सामाजिक विकास के केन्द्र हो सकेंगे।

अतः इस योजना के आधार पर चलने वाली ३,००० शिक्षा संस्थाओं में से प्रत्येक को १० एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव है। अनुमान है ५–६ अध्यापक तथा १०० विद्यार्थी इस १० एकड़ भूमि को जोत कर उपयोगी बना सकेंगे जिससे इन शिक्षा संस्थाओं को निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी मिल जायगी। ऐसी अवस्था में शिक्षा की पुनर्व्यवस्था के लिये प्रत्येक दिशा में परिवर्तन की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम में सुधार की अपेक्षा होगी। कृषि एक अनिवार्य विषय होगा। और स्कूल के साधारण कार्य-क्रम के अतिरिक्त नित्य ६ घंटे कृषि के शास्त्रीय ज्ञान तथा १२० मिनट क्रियात्मक अथवा व्यावहारिक

कार्य के लिये निश्चित होंगे। ग्रामोपयोगी शिक्षा जैसे वैकल्पिक विषय भी कृषि के अन्तर्गत ही पढ़ाये जायेंगे। वर्तमान पाठ्यक्रम में समुचित सुधार करके उसमें पशुपालन, ग्रामीण अर्थशास्त्र, सहकारिता तथा प्रसार प्रणालियों के सामान्य ज्ञान को भी सम्मिलित किया जायगा। इन स्कूलों में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अनेक उद्योगों में से किसी एक में विशेष दक्षता प्राप्त करने के लिये ३ वर्ष के एक प्रशिक्षण कोर्स की भी व्यवस्था होगी। स्कूलों में जो अवकाश दिये जाते हैं उनमें इस प्रकार परिवर्तन किया जायगा जिससे कि अध्यापक तथा विद्यार्थी बोआई और कटाई के अवसरों पर आवश्यकतानुसार अपना सम्पूर्ण समय कृषि के काम में लगा सकें। जूनियर हाई स्कूलों का साप्ताहिक कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जायगा कि विद्यार्थी तथा अध्यापक अपने समय का लगभग आधा भाग सरलता-पूर्वक कृषि-कार्य में लगा सकें। आशा की जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी और अध्यापक अपने समय का लगभग आधा भाग सरलतापूर्वक कृषि-कार्य में लगा सकें। आशा की जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी और अध्यापक दो घंटे प्रतिदिन कृषि का कार्य करेगा। इन शिक्षा संस्थाओं की महत्ता को ध्यान में रखते हुये उन्हें सभी प्रकार से सक्षम बनाने का विचार है। कृषि-शिक्षण का उद्देश्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि ऐसे योग्य अध्यापकों का प्रबन्ध न कर दिया जाय, जो विद्यार्थियों को इस अनिवार्य विषय का शास्त्रीय ज्ञान देकर फिर उन्हें फार्म पर ले जाकर विषय की सफल व्यावहारिक शिक्षा भी दे सके। शिक्षा की इस नयी योजना की सफलता अथवा असफलता वास्तव में अध्यापक के दृष्टिकोण, उसकी निष्ठा, उसके आत्मबल तथा कार्य-कुशलता पर निर्भर है। अतः यह परमावश्यक है कि इस कार्य के लिये अध्यापकों के चुनाव में पूरी सावधानी रक्खी जाय और साथ ही उनके प्रशिक्षण का भी सुचारु प्रबन्ध किया जाय। इस योजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से इन शिक्षा संस्थाओं में जुलाई सन् १९५४ से कृषि शिक्षा प्राप्त ५०० ग्रेजुएटों, कृषि में डिप्लोमा प्राप्त १,००० व्यक्तियों तथा इस प्रदेश के जे० टी० सी० कालेजों तथा अन्य संस्थाओं के प्रशिक्षित १,००० अध्यापकों तथा २०० हस्तकौशल के अध्यापकों, अर्थात् कुल ३,२०० अध्यापकों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की जा रही है? ये अध्यापक फार्मों पर चलने वाली विविध कार्य पद्धतियों के निरीक्षक का कार्य करेंगे, कृषि की समुन्नत प्रणालियों की शिक्षा देंगे और उत्पादित वस्तुओं के विक्रय में सहायता करेंगे। वे कृषि के विषय में अपने पोषक (फीडर) प्राइमरी स्कूलों का भी पथ-प्रदर्शन करेंगे। इन संस्थाओं में नियुक्त दस्तकारी के अध्यापक, विद्यार्थियों को उनकी प्रवृति के अनुसार चुने हुये उद्योगों में ३ वर्ष तक शिक्षा देकर उन्हें दक्ष बनायेंगे जिससे कि जूनियर हाई स्कूल से निकले हुये विद्यार्थी छोटे-मोटे कुटीर उद्योग चला सकें। इस योजना के अन्तर्गत जिस प्रकार के जूनियर हाई स्कूलों की कल्पना की गई है उन्हें चलाने के लिये जनता के सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है। अस्तु यह प्रस्तावित किया गया है कि इन शिक्षा संस्थाओं के संचालन के लिये एक ऐसी सक्षम सलाहकार समिति का निर्माण किया जाय जिससे स्थानीय नेताओं, पंचायती विकास तथा सहकारी समितियों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। इस समिति के सेक्रेटरी स्थानीय प्रधानाध्यापक होंगे। ये समितियां प्राइमरी पाठशाला परिषद् तथा जिला समिति के बीच की सम्बद्ध शृंखला होगी जो कि दोनों से सम्पर्क बनाये रहेंगी।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की पुनर्व्यवस्था में वर्तमान विद्यालयों में जहां एक टेकनिकल शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देना होगा वहां दूसरी ओर आज के टेक्निकल स्कूलों में सामान्य शिक्षा को भी विशेष प्रबन्ध किया जायगा। नवीन योजना के उद्देश्य आज के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुपार्श्वीय संस्थाओं में परिणत करने का है। इस नई योजना के अन्तर्गत चार पोलीटेक्निकल संस्थायें खोलने का भी प्रस्ताव है। पाठ्यक्रम जहां तक कृषि और हस्तकौशल के शास्त्रीय ज्ञान का सम्बन्ध है उक्त दोनों प्रकार की शिक्षा के पाठ्यक्रम में किसी तात्विक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु पशुपालन, दुग्धशाला, कृषि-प्रसार योजना, सामाजिक विकास प्रणालियों तथा ग्रामीण मनोरंजन सम्बन्धी

विषय जोड़ दिये जायेंगे। जनस्वास्थ्य के विषय को भी इस पाठ्यक्रम में स्थान देना आवश्यक होगा। वास्तव में आज प्रत्येक विद्यार्थी के लिये उसके पाठ्यक्रम में ५० घंटा के सामुदायिक कार्यों की व्यवस्था हो चुकी है। फिर भी कृषि कार्य के क्रियात्मक ज्ञान के लिये अधिक समय की व्यवस्था करनी होगी। स्कूलों में विभिन्न उद्योग-धंधों की शिक्षा की व्यवस्था वहीं की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार होगी। बौद्धिक शिक्षा की अपेक्षा औद्योगिक शिक्षा के बढ़ते हुये महत्व को देखकर उसी के अनुरूप शिक्षा संस्थाओं में चलने वाले कार्य का समय-विभाजन भी फिर से करना पड़ेगा। इसी प्रकार ज्यों ही यह शिक्षा-योजना कार्यान्वित होगी त्योंही वर्तमान पाठ्य पुस्तकों को भी बदलना पड़ेगा।

नार्मल स्कूलों का नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरण

नार्मल स्कूलों का उद्देश्य ग्रामीण पाठशालाओं के लिये शिक्षक तैयार करना है, अतः उन्हें स्वभावतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थित भी होना चाहिए। कृषि के अत्यधिक महत्व को देखते हुये यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि भूमि उपलब्ध होते ही नार्मल स्कूलों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया जाय। धीरे-धीरे वे स्कूल शिक्षण केन्द्र के साथ साथ उत्पादन केन्द्र का रूप भी धारण कर लेंगे और ग्रामीण नेतृत्व के निर्माण में विशेषरूप से सहायक हो सकेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी।

राजकीय शिक्षा परिषद् तथा स्कूल समिति

यह निश्चय है कि जनता के समुचित सहयोग के अभाव में शिक्षा की यह पुनर्व्यवस्था योजना सफल नहीं हो सकती। इस योजना के लिये सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होगी जहां भूमि मिल जायगी वहां योजना तीव्रगति से चल पड़ेगी जिन उद्देश्यों से आज के स्कूलों के स्वरूप में परिवर्तन करने का विचार किया गया है जनता को उनसे पूर्णतः परिचित कराना आवश्यक है। अतः स्कूलों के लिये जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्कूलों में एक परिषद् होगी, जिसके सदस्य गांव के सभापति तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति होंगे जो कि स्कूल की उन्नति और हितसाधन में पूरी दिलचस्पी रखते हों। स्थानीय अध्यापक इस समिति का सचिव होगा। जूनियर हाई स्कूलों में भी एक परिषद् होगी जिसके सदस्यों की संख्या अधिक होगी। इस परिषद् का सम्बन्ध प्राइमरी स्कूल परिषद् से होगा। इसके अतिरिक्त एक जिला परिषद् भी होगी। जिनमें कि स्थानीय एम० एल० ए० भी सम्मिलित होंगे। इस परिषद् के सेक्रेटरी जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे। इन सब के ऊपर प्रान्तीय स्तर पर एक दूसरी राजकीय शिक्षा परिषद् होगी।

४—योजना की अर्थ व्यवस्था

शिक्षा की इस पुनर्व्यवस्था योजना के सम्पूर्ण आवर्तक व्यय का भार वहन कर सकना वास्तव में शासन की शक्ति के बाहर है, किन्तु फिर भी इस योजना के उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये शासन इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये उत्सुक है और आशा करता है कि स्थानीय जनता अपने धन और श्रम दोनों ही से इसे कार्यान्वित करने में कोई कसर उठा न रखेगी। इस योजना के लाभ प्रत्यक्ष हैं—

(अ) यह योजना प्रत्येक स्तर पर उत्पादक है और इस पुनर्व्यवस्था से स्कूलों के लिये एक ठोस आय की निश्चित आशा की जाती है। इस आय से एक ओर अध्यापक को बोनस मिलेगा और दूसरी ओर विद्यार्थियों को भी इतना आर्थिक लाभ होगा जिससे उनकी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की विभिन्न कक्षाओं की फीस, पाठ्य पुस्तकों का मूल्य तथा मध्याह्न के भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। प्राइमरी, जूनियर और नार्मल स्कूलों से कुल आय लगभग २० लाख रुपये की होगी। उद्योगों और दस्तकारियों से २ लाख की आय होगी।

(ब) यह योजना आधुनिक शिक्षा के नवीनतम सिद्धांतों पर आधारित है फिर भी आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। सन् १९३९

में वर्धा कमेटी ने इस बात की सिफारिश की थी कि प्राइमरी स्कूलों की सम्पूर्ण शिक्षा किसी न किसी उद्योग के माध्यम द्वारा होनी चाहिए और इस शिक्षा की आधारशिला स्वावलम्बन होना चाहिए । प्रथम और द्वितीय आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात को अत्यधिक महत्व दिया गया है कि प्राइमरी कक्षाओं की सम्पूर्ण शिक्षा विभिन्न दस्तकारियों के माध्यम से दी जाय और जहां तक संभव हो साधारणतः दूसरे स्कूलों में कृषि और औद्योगिक तथा टेक्निकल पाठ्यक्रम की उचित व्यवस्था की जाय । इस योजना में इन समितियों तथा अन्य विशेषज्ञों की संस्तुतियों का पूरा ध्यान रक्खा गया है । इस बात की आशंका नहीं होनी चाहिए कि इस शिक्षा योजना से बौद्धिक स्तर गिरेगा । वास्तव में विशेषज्ञों का अनुमान तो यह है कि इस योजना से छात्रों का बौद्धिक स्तर और अधिक ऊंचा उठेगा, क्योंकि यहां शिक्षा का जीवन से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा और हाथ का काम सम्पूर्ण शिक्षा का साधन बन जायेगा ।

(स) यह योजना शिक्षितों की बेकारी दूर करने के एक सामयिक प्रयास से अधिक महत्व की वस्तु है । सब को पूर्ण रूप से काम देने की शासन की निश्चित नीति की यह एक अंग है । उपभोग और अवकाश दोनों ही दृष्टियों से बेकारी की समस्या का समाधान आवश्यक है। यदि बेकारी दूर करने की किसी योजना से उत्पादन और क्रियाशीलता नहीं बढ़ती तो वह अपने उद्देश्य में असफल ही समझी जायेगी । इस दिशा में यह नवीन योजना एक ऐसे क्रियाशील समाज का निर्माण करती है, जिससे इन लक्ष्यों की वास्तविक पूर्ति होती है और बेकारी की समस्या हल हो जाती है। सर्व प्रथम यह उत्पादन में वृद्धि करती है जिसका मूल्य २ करोड़ रुपये है । इसका उद्देश्य है कि जूनियर हाई स्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों से प्रतिवर्ष २० से २५ हजार तक की संख्या में ऐसे विद्यार्थी निकलें जो खेती और दस्तकारियों में दक्षता प्राप्त करके सफल कृषक तथा व्यवसायी का जीवन व्यतीत कर सकें । इनके अतिरिक्त इन संस्थाओं से लगभग ५,००० विद्यार्थी ऐसे भी निकलेंगे जो प्रतिवर्ष उद्योगों की उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के बाद माध्यमिक उच्चतर विद्यालयों में चले जायेंगे ।

(द) शिक्षित वर्ग के गांव से नगर की ओर पलायन का क्रम आज निरन्तर जारी है और जिसके कारण आज देहातों में दरिद्रता बढ़ रही है, वह भी इस योजना के कारण रुक जाता है । इनमें सन्देह नहीं कि इस पलायन से देहातों की जीवन की प्रगति को बड़ा धक्का लगा है और सुखी, सांस्कृतिक ग्रामीण जीवन की कल्पना तब तक स्वप्नवत् है जब तक कि यह पलायन रुक न जाय । हमारा शासन विशेष अवसरों पर सदैवअपने गांवों में सुरक्षित जन-शक्ति का मुखापेक्षी रहा है । अस्तु कोई आश्चर्य नहीं है कि यदि गांवों से शहरों की ओर भागने का यह क्रम न रुका तो एक दिन उसे आशातीत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । इस योजना से निश्चय ही शिक्षित जनसमूह का एक बहुत बड़ा भाग गांवों में ही रह जायगा ।

(इ) इस पुनर्व्यवस्था के कुछ लाभ विद्यार्थी वर्ग के लिये भी विशेष महत्व रखते हैं । शिक्षा संस्थाओं में आज जो अनुशासनहीनता सर्वत्र दिखायी दे रही है, उसमें भी निश्चित रूप से सुधार होगा । भूमि और उद्योग मनुष्य को अनुशासन और स्थिरता प्रदान करने में सदैव सहायक रहे हैं । पूरे समय तक रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण विद्यार्थियों के पथ-भ्रष्ट होने अथवा उद्योगपूर्ण कार्यों में संलग्न होने की आशंका नहीं रहेगी । इससे समाज में हाथ से काम करने की महत्ता और सर्वमान्यता बढ़ेगी । इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से इस योजना के प्रसार से सामाजिक स्तर के उन्नयन में निश्चित सहायता मिलेगी ।

(ई) इस योजना से बेसिक स्कूल की समस्या हल करने में भी पर्याप्त सहायता मिलेगी। इस प्रदेश के शासन ने सन् १९३८-३९ में ही बेसिक शिक्षा का श्री गणेश किया था । इसको सफल बनाने के लिये शासन ने स्कूलों को आवश्यक सामग्री देने, अध्यापकों के प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण तथा शिक्षा को "उद्योग केन्द्रित" बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। उस समय शासन का विचार था कि शिक्षा के सिद्धान्त को उत्पादन सम्बन्धी सिद्धान्तों के अधीन न किया जाय और बेसिक शिक्षा को पूर्णतः अथवा अंशतः किसी रूप में भी स्वावलम्बी

बनाने की कल्पना अव्यावहारिक समझ कर छोड़ दी जाय। आज इस प्रदेश के शासन का यह विश्वास है कि अपेक्षाकृत कई गुना अधिक द्रव्य व्यय किये बिना बेसिक शिक्षा में सुधार कर सकना संभव नहीं है। सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने अध्यापकों के लिये जिस वेतन-क्रम की सिफारिश की है उसे तथा स्कूल के लिये आवश्यक सामग्री और अतिरिक्त वार्षिक व्यय को ध्यान में रखते हुये यदि इस प्रदेश के ८० लाख बच्चों को बेसिक शिक्षा देने का आयोजन किया जाय तो इस शिक्षा पर ४० करोड़ रुपये से कम व्यय नहीं होगा। एक ही योजना पर इतना अधिक व्यय शासन के लिये संभव नहीं है। इस योजना के अनुसार जो छोटे-छोटे फार्म प्रत्येक स्कूल को उपलब्ध होंगे, उनसे न केवल अध्यापकों को ही आर्थिक सहायता मिलेगी, अपितु इन संस्थाओं में हस्तकौशल की शिक्षा के लिये अपेक्षित कोष की भी व्यवस्था हो जायगी। इस प्रदेश ने शिक्षा में समन्वय के सिद्धान्त को भी स्वीकार किया है और उसे कार्यान्वित भी किया है। जहां तक संभव है, शिक्षा दस्तकारी के माध्यम से दी जाती है। किन्तु पर्याप्त साधनों के अभाव में स्वभावतः इस कार्य के स्तर में भी अवनति हुई है। नवीन योजना के कार्यान्वित होने पर इस दिशा में भी सुधार हो जायगा।

(उ) पंचवर्षीय योजना में जन-शक्ति के समुचित उपयोग का जो लक्ष्य रखा गया है उस पर भी इस योजना में भली भांति विचार किया गया है। शिक्षा के प्रत्येक कक्षा की पाठ्य पुस्तक के पुर्निर्धारण में राष्ट्रीय विकास एवम् प्रसार योजनाओं की मांगों का पूरा ध्यान रखा गया है। पर्याप्त संख्या में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देकर विभिन्न उद्योग-धंधों की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से सद्विषयक शिक्षण के लिये इस योजना में सुविधा प्रदान की गई है।

यद्यपि निश्चित आंकड़ों के उपलब्ध न होने के कारण राष्ट्रीय प्रसार योजना की मांगों के सम्बन्ध में ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता और इस योजना के संचालन के लिये अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगा सकना कठिन है। तथापि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जनशक्ति के उपयोग की दिशा में यह योजना अवश्य ही राष्ट्रीय विकास योजना को सहायता प्रदान करती है।

पी० एस० यू० पी०--४० एल० सी०--१९५४--८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

गुरुवार, २५ फरवरी, १९५४

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५८)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
मान पाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशी धर शुक्ल, श्री
बीर भान भाटिया, डाक्टर
वणी प्रसाद टंडन, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)।
श्री चन्द्र भानु गुप्त (स्वास्थ्य व रसद मंत्री)।
श्री हरगोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)।
श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री)।

प्रश्नोत्तर

१--श्री नरोत्तम दास टण्डन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित।

२--६--श्री परमात्मानन्द सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित।

७--१२--श्री मान पाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित।

रुड़की यूनिवर्सिटी की सीनेट के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा

चेयरमैन--रुड़की यूनिवर्सिटी की सीनेट के लिये केवल श्री बालक राम वैश्य व श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी का नाम निर्देशन श्री जगन्नाथ आचार्य द्वारा व उनका अनुमोदन श्री महावीर सिंह द्वारा किया गया है। क्योंकि केवल इनका ही नाम निर्देशन किया गया है इसलिये मैं इनको रुड़की यूनिवर्सिटी की सीनेट के लिये निर्वाचित घोषित करता हूं।

वित्तीय वर्ष सन् १९५४-५५ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद (जारी)

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर बहुत वादविवाद हो चुका है। बजट को निष्पक्ष भाव से देखने से प्रतीत होता है कि इसमें देश-प्रेम, आशावादिता और लोकप्रियता की पूरी झलक है। हमारे वित्त मंत्री जी बहुत ही अनुभवी और समझदार व्यक्ति हैं और इस सदन के नेता की हैसियत से जिस प्रकार से वह सदन का कार्य चलाते हैं उसकी प्रशंसा किये बगैर कोई भी सदस्य नहीं रह सकता है। उन्होंने इस बजट को सदन के सामने प्रस्तुत करके एक सराहनीय कार्य किया है और अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया है। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक बहुत ही बड़ा प्रदेश है। इतिहास की पुस्तकों में लिखा है कि इसका महत्व प्राचीन काल से चला आता है। सर एलफर्ड लायल, गवर्नर जनरल यू० पी० के बड़े विद्वान शासक थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि प्राचीन समय में, जो मनुष्य गंगा और यमुना के दोआब का राजा होता था, उसका सब लोग आधिपत्य स्वीकार करते थे। परन्तु आजकल राजा होने की तो कोई बात ही नहीं रह गई है, फिर भी आजकल उत्तर प्रदेश भारत में काफी महत्व रखता है। इसलिये हमारे मंत्रिमंडल को और हमारे विधान मंडल को इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये कि इस सूबे का शासन सुचारुरूप से चलता रहे। जब से हमको स्वत्रतंता मिली है मुझे हर्ष है कि इस प्रदेश का शासन सुचारुरूप से चल रहा है। यों तो शासन में त्रुटियां होती ही हैं कोई भी शासन दोष रहित नहीं कहा जा सकता है। परन्तु जिस प्रकार से हमारा शासन चल रहा है और प्रत्येक विभाग का कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है उसकी प्रशंसा करना मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के प्रत्येक निवासी का कर्त्तव्य हो जाता है। इसका श्रेय हमारे मुख्य मंत्री जी को है कि उन्होंने अपनी योग्यता, न्यायप्रियता तथा सहिष्णुता पर हमें पूर्ण भरोसा है। उनकी अध्यक्षता में हमें आशा है कि हमारी योजनायें सफल होंगी। जिस आदर्श का इस बजट में चित्रांकन किया गया है वह उनका बहुत दिनों का स्वप्न है। हमें आशा है कि शीघ्र ही यह स्वप्न वास्तविक रूप ग्रहण करेगा।

अध्यक्ष महोदय, आप बजट की ओर देखिए। बजट पर दृष्टिपात करने के दो कोण हो सकते हैं। एक तो इस में आय व्यय का लेखा है और उसमें सरकार के आय व्ययक के बारे में यह बतलाया गया है कि हमारे प्रदेश की इस समय आर्थिक दशा क्या है उसमें क्या सुधार हुए हैं

और भविष्य में क्या सुधार होने वाला है दूसरा दृष्टिकोण यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपने बजट भाषण में सरकार की नीति का निर्देशन किया है और बतलाया है कि सरकार किस नीति का प्रयोग करना चाहती है । इस बात को देख कर मुझे खुशी होती है सरकार ने अपनी नीति का वर्णन किया है। सरकार ने यह नहीं कहा है कि वेलफेयर स्टेट अर्थात् कल्याणकारी राज्य बन गया है। सरकार ने यह कह है कि हम कल्याणकारी राज्य के लिये निन्तर प्रयत्न कर रहे हैं मंत्री जी ने इस बात का भी इजहार किया कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हमारा स्तर या स्टैन्डर्ड आफ लिविंग क्या है, हमारे देश में बहुत से दुखी लोग हैं, अनेक दिशाओं में उन्नति की आवश्यकता है। इन सब बातों को वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे सामने बड़ी-बड़ी योजनायें हैं। एक बात जिससे बहुत संतोष होता है वह यह है कि उन्होंने यह कहा कि हम अब टैक्स लगाने का इरादा नहीं करते हैं। पृष्ठ ९ पर आप पढ़ेंगे कि जहां तक सरकार का संबंध है वह इस बात का ध्यान रखेगी कि टैक्स का बोझ जहां तक मुमकिन हो कम डाला जाय और लोगों को टैक्स देने की ताकत के अनुसार उन पर टैक्स लगाया जाय। मगर सरकार को यह पता चलेगा कि किसी टैक्स के बोझ से किसी तबके को तकलीफ पहुंच रही है, तब वह उस बोझ को हल्का करने में न हिचकेगी। ऐसा आश्वासन सफल हो और मैं समझता हूं कि यह सदन इन शब्दों को स्वीकार करने में अपना हर्ष प्रकट करेगा।

मितव्ययता की ओर सरकार ने पूरा ध्यान दिया है और इस प्रकार ढाई करोड़ रुपए की बचत को देखकर सभी को संतोष होना चाहिये। यह हमारे मुख्य मंत्री जी के आदेश से हुआ है। सरकार ने एक एकोनामी कमेटी नियुक्त की है जिसमें कि सरकारी और गैरसरकारी सदस्य हैं और वे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि इस समय खर्चे में कितनी कमी हो सकती है। मुझे पूर्ण आशा है कि जो मंत्री जी का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है वे इसके लिये पूर्ण चेष्टा करेंगे और इसमें सख्ती से काम करेंगे और जहां तक हो सकेगा अपव्ययता न होने देंगे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसमें कड़ाई की आवश्यकता है । सरकारी विभागों में अनेक विभाग ऐसे हैं जहां कि अनुचित खर्चा हो रहा है। जब तक सख्ती से काम नहीं लिया जायगा तब तक खर्चे में कमी होने की संभावना नहीं होगी । कई जगह कहा गया है कि जो किफायत की गई है वह महज नाममात्र है हमें आशा है कि भविष्य में कमेटी अपव्ययता को रोकने का पूरा प्रयत्न करेगी ।

अब आप आय-व्यय के लेखे को देखिए। हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ रही है। मैं एक बात से इत्तिफाक नहीं करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि १९४६-४७ में इतना खर्चा था और अब हम इतना खर्चा कर रहे हैं, ठीक है आपका खर्च तो बढ़ेगा क्योंकि आपने अनेक योजनायें ऐसी बनाई हैं जिनमें खर्च होगा। परन्तु उसके साथ यह कहना भी आवश्यक है कि आपके प्रदेश की, आपके राज्य की आमदनी पहले से बहुत बढ़ गई है इसका उस समय लोगों को अनुमान भी नहीं हो सकता था कि आमदनी बढ़ने से, खर्च अधिक करने की संभावना होगी। इसके बारे में कोई आश्चर्य की बात नहीं है । सन् १९५२-५३ में आपकी आय ६४ करोड़ से ऊपर थी, १९५३--५४ में ७३करोड़ से ऊपर हो गई और १९५४-५५ में ७७ करोड़ से ऊपर आपकी आमदनी हुई। अब यदि आप खर्चे को देखें तो १९५२--५३ में ६४ करोड़ का खर्चा था और उस समय बजट संतुलित रहा। सन् ५३--५४ में ७८ करोड़ ८०लाख के करीब खर्चा हुआ और सन् ५४-५५ में ८१ करोड़ ८६ लाख ७१हजार के करीब बजट में खर्चा दिखाया गया है। अब इस खर्चे में यह मालूम होता है कि खर्चा इतना अधिक हो गया जिससे ३ करोड़ ९१ लाख की इसमें कमी होती है । डेफिसिट बजट से कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसा डेफिसिट नहीं है जिसको गवर्नमेंट पूरा न कर सके। मेरे मित्र कुंवर गुरु नारायण जी ने कल कई बातों पर जोर

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

दिया था उसमें से एक बात यह भी कही थी रेवेन्यू रिजर्व फंड से रुपया लेना ठीक नहीं है और उन्होंने यह कहा कि रेवेन्यू रिजर्व फंड बराबर कम होता चला जाता है, यह उचित नहीं है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है और किसी स्टेट के लिये भी कर्ज का बढ़ाना ठीक नहीं मालूम होता है। तीसरी बात उन्होंने कही कि इर्रीगेशन और एलेक्ट्रिसिटी पर, और दूसरी योजनाओं पर बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है और हमको यह मालूम नहीं होता है कि ट्यूब वेल इत्यादि पर खर्चा करने से कितना लाभ होगा? राज्य को उससे कितना नफा होगा? कुंवर साहब ने जो बातें कहीं उनका उत्तर फाइनेंस मिनिस्टर साहब के बजट के भाषण में है। परन्तु मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि यदि इन बातों को अभी ही रोक दिया जाय तो ठीक है। कर्ज़े को बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है और रेवेन्यू रिजर्व फंड से बराबर रुपया खर्च करना भी कोई समझदारी की बात नहीं है। मंत्री जी ने उसके उत्तर में कहा है कि सिंकिग फंड में हमने इस बात का प्रबन्ध किया है और गवर्नमेंट सिंकिग फंड के द्वारा इस प्रकार के कर्जे को रोकने की कोशिश कर रही है। उससे जो सूद की रकम मिलेगी उसका भी इस फंड में प्रबन्ध किया गया है और भी बहुत से उपाय बताये हैं जिनमें इस कर्जे को कम किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात इस बजट में देखने की यह है कि इन योजनाओं पर गवर्नमेंट रुपया खर्च कर रही है और कैपिटल एक्स-पेंडीचर १९५४--५५ में २० करोड़ से अधिक हो गया पिछले वर्ष में ८ करोड़ ८६ लाख ८२ हजार रुपये से ज्यादा था। यह हर्ष की बात है कि गवर्नमेंट ने सार्वजनिक योजनाओं पर, जिनसे जनता को लाभ होगा, उन पर अधिक रुपया खर्च करने का इरादा किया है। योजनाओं को पूरा करने में समय लगेगा। परन्तु यह नहीं बताया गया कि यह जो प्राविजन किया गया है ५४-५५ में उन स्कीमों पर जिनका आपने अपने बजट भाषण में वर्णन किया है, कितनी सफलता प्राप्त होगी। अगर वह सब इस साल पूरी हो जाती तो अच्छा होता।

परन्तु एक बात का बजट में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है और वह यह है हाइड्रो एलेक्ट्रिक जिसके लिये बजट में जीरो लिखा हुआ है। क्या गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल ही परित्यक्त कर दिया है। क्या एक साल के अन्दर यह सब योजनायें सफल हो सकेंगी, कर्जा इस रेट पर बढ़ रहा है और मेरे पास उसकी जो फिगर है वह ११८ करोड़ की है परन्तु कुंवर साहब ने कहा कि १९५ करोड़ का कर्जा है। उस कर्जे में उन्होंने वह रुपया भी शामिल कर लिया है जिसके द्वारा जमींदारों को बान्ड्स दिये जायेंगे। कर्जे की अदायगी का तरीका मंत्री महोदय ने भी बताया है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में अधिक शंका करने की आवश्यकता नहीं है। बजट को निष्पक्षता के साथ देखने से यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक फेल्योर बजट है, डल बजट है, बैंक करप्ट स्टेट का बजट है। सरकार की आय दिन प्रति दिन बढ़ रही है और स्टेट बड़ा भारी इरादा इस बात का कर रही है कि जनता को सुखी और सम्पन्न बनाये और इस प्रकार के कार्य करे जिनसे जनता में संतोष पैदा हो। अब यह योजनायें कहां तक सफल होंगी यह तो ईश्वर ही जानता है लेकिन जहां तक मनुष्य कर सकता है और जहां तक मनुष्य के कार्य करने की शक्ति है वहां तक इस बात की कोशिश की जा रही है कि अधिकाधिक धन ऐसे कार्यों में खर्च किया जाये जिनसे जनता का लाभ हो यह बजट वेलफेयर स्टेट की ओर हमको ले जा रहा है। मैं फिर सदन के सामने कहना चाहता हूं कि इस बात में गलतफहमी हमको नहीं होनी चाहिये कि हमारे यहां वेलफेयर स्टेट स्थापित हो गई है। अभी इसमें बहुत समय लगेगा। इंगलैन्ड में भी अभी वेलफेयर स्टेट पूर्णरीति से कायम नहीं हुई है जो प्रगतिशील देश है। परन्तु इसका प्रयास बराबर जारी है और ऐसे कार्य किये जा

रही है जिनसे इस बात की संभावना है कि यह वेलफेयर स्टेट हो जायगी। यह जो प्रयास है यह सर्वतोमुखी है परन्तु एक बात पर अवश्य ध्यान देना है और वह यह है कि योजनायें हमारी बड़ी बड़ी हैं हमारे देश में एक बात का भय रहता है और वह यह कि कहीं पब्लिक का रुपया बरबाद न हो जाय, मैं बराबर लोगों से इस बात को सुनता हूं कि बहुत सा रुपया ऐसी स्कीमों में वेस्ट हो जायगा। इसलिये मंत्री महोदय को इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये कि वह ऐसी स्कीमें न चलायें जिसमें जनता का रुपया बरबाद हो। जिस चीज से जनता का फायदा हो उसी को किया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह तो बजट की बात रही मेरी सम्मति में यह बजट आशाप्रद है। इसमें त्रुटियां अवश्य हैं परन्तु वह ऐसी नहीं हैं जिनसे प्रदेश को किसी प्रकार की हानि पहुंचने की आशंका हो सकती है।

अब मैं एजूकेशन की ओर आता हूं। बजट भाषण में बहुत सी बातों का वर्णन फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने किया है परन्तु शिक्षा के बारे में मैं दो-चार शब्द कहना चाहता हूं। शिक्षा के ऊपर सरकार ९ करोड़ से अधिक खर्च करती है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि उस ९ करोड़ में वह भी रुपया शामिल है जो अछूत जातियों के लिये रक्खा गया है। फिर भी अगर इसको भी शामिल कर लिया जाय तो उसको देखने से यह पता चलता है कि बजट का १/८ हिस्सा शिक्षा पर व्यय होता है। शिक्षा के लिये मेरी राय में यह काफी नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा के काम में उत्साह से ध्यान दिया है और मैं नहीं समझता था कि कोई मिनिस्टर वकालत का पेशा करने वाला शिक्षा के काम को इतने उत्साह के साथ अपने हाथ में लेगा। यह अवश्य होता है कि कभी वह आवेश में आकर अध्यापकों को उनके कार्य के लिये दोषारोपण करते हैं परन्तु जहां तक उनके मन्तव्य का ताल्लुक है वह शिक्षा-संस्थाओं को सुधारने का है। हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि जो त्रुटियां हों उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के तीन भाग हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के विषय में यह बात इस सदन में कही जा चुकी है कि इसके लिये एक कमेटी नियुक्त होनी चाहिये वह कमेटी इस बात की सिपारिश करे कि किस तरह यूनिवर्सल कम्पलसरी एलीमेंटरी एजुकेशन हमारे प्रदेश में हो। १९१० में श्री गोखले ने यह बिल पेश किया था कि हमारे देश के अन्दर यूनिवर्सल कम्पलसरी एलीमेंटरी एजुकेशन हो लेकिन हमें दुःख है कि सरकार ने इस बात का प्रयत्न अभी तक नहीं किया है। नयी प्रणाली जो अब चलने वाली है उसका मैं स्वागत करता हूं और यह कहा गया है कि कृषि विज्ञान की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा और बालकों को ऐसी शिक्षा दी जायगी जिससे उनको कृषि के इस विषय में जानकारी प्राप्त हो, स्कूलों में बहुत से ग्रेजुएट्स अध्यापक रक्खे जायंगे, और उसके साथ ही साथ बेकारी की समस्या भी हल हो जायेगी।

हर्ष की बात है कि प्राइमरी शिक्षा के अध्यापकों के वेतन के लिये सरकार ने इस बजट में रुपया दिया है। सेकेंडरी एजुकेशन के लिये नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं किया गया है। बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की हालत खराब है। माननीय मंत्री जी ने कई बार कहा है कि मैं शीघ्र ही एक बिल लाने वाला हूं जिससे इसकी हालत में सुधार किया जायेगा, परन्तु अभी तक नहीं आया है। मैं आशा करता हूं कि बोर्ड में जो दोष हैं वह शीघ्र दूर किये जायेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपने भाषण में कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बजट में विशेष रूप से उल्लेख है। आपको याद होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जांच के लिये सरकार ने जस्टिस मूथम की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी और उस की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है परन्तु

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

नहीं मालूम देर क्यों हो रही है। इस रिपोर्ट के सिफारिश के अनुसार यूनिवर्सिटी में शीघ्र सुधार होने चाहिये। यह मुझे देख कर हर्ष होता है कि मंत्री जी ने १ लाख की नानरिकरिंग ग्रांट दी है और ३८ हजार की एक ग्रांट और १३ लाख ७८ हजार की ग्रान्ट दी है। यूनिवर्सिटी के लिये सरकार ने यह ग्रान्ट देकर बड़ी उदारता दिखलाई है। मूथम कमेटी ने भी सिफारिश की है कि १७ लाख रुपये की ग्रांट यूनिवर्सिटी के लिये होनी चाहिये। १७ लाख तो नहीं है लेकिन १३ लाख ७८ हजार की है, धीरे धीरे और जो सिफारिशें मूथम कमेटी की हैं उन पर भी विचार किया जायेगा और वे कार्यान्वित की जायेंगी ग्रान्ट को बढ़ाने की भी चेष्टा की जायगी। मैं मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता था। आपने रुपया दिया। परन्तु मैंने प्रार्थना की थी सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स के समय कि हमारी दो जरूरतें बहुत बड़ी हैं और उनकी ताईद कमेटी ने भी की है। पहली यह कि लाइब्रेरी का प्रबन्ध यूनिवर्सिटी में ठीक नहीं है। आनरेरी लाइब्रेरियन से काम नहीं चलता है। जिस समय ८०० या १००० विद्यार्थी थे उस समय तो काम चल जाता था लेकिन अब जबकि ६ हजार ८ सौ विद्यार्थी हैं लाइब्रेरी का प्रबन्ध बिना होल टाईम लाईब्रेरियन के नहीं हो सकता है। वित्त मंत्री जी ने एक प्रकार से आश्वासन दिया था कि सरकार इसका प्रबन्ध करेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी शिक्षा मंत्री जी से बातचीत करेंगे और इस बात की सुविधा करेंगे कि यूनिवर्सिटी में एक होल टाईम लाइब्रेरियन नियुक्त हो जिससे लाइब्रेरी का काम ठीक तरह से हो सके क्योंकि यूनिवर्सिटी का शिक्षा स्तर पुस्तकालय के सुप्रबन्ध पर निर्भर है। दूसरी बात जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि गरीब विद्यार्थियों के लिये पुस्तकों का प्रबन्ध करना। पिछली बार शिक्षा मंत्री जी ने १० हजार रुपए गरीब लड़कों को टेक्स्ट बुक खरीदने के लिये दिए थे इस रकम से किताबें खरीदी गई हैं और दीन विद्यार्थियों को बड़ा लाभ हो रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल बन गया है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही वह इस सदन में प्रस्तुत होगा और सदस्य विचार करेंगे कि यूनिवर्सिटी के विधान में क्या संशोधन आवश्यक हैं।

बेकारी का प्रश्न हमारे सामने है और बड़ा भारी प्रश्न है। मुख्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है। सब से बड़ा प्रश्न जो इस समय है वह बेकारी का है शिक्षित का भी और अशिक्षित का भी, शिक्षित समुदाय में अनइम्प्लायमेंट बहुत बढ़ रहा है। उसको दूर करने के लिये सरकार ने कुछ उपाय भी किए हैं। अनइम्प्लायमेंट को दूर करने के लिए सब से जरूरी बात यह है कि शिक्षा की पुनर्व्यवस्था हो हमको टेकनिकल और वोकेशनल एजूकेशन अवश्य देना चाहिए। दूसरी बात अनइम्प्लायमेंट को दूर करने के लिए जो आवश्यक है वह है देश का इन्डस्ट्रियलाइजेशन अर्थात् उद्योग धंधों की उन्नति हमें अपने युवकों को उद्योग-धंधों की ओर ले जाना चाहिये। देहातों को और मनोरंजक बनाना चाहिये जिससे लोग शहरों की ओर न दौड़ें। फ्रीमेंटल साहब जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे कहा करते थे। जो लड़का अंग्रेजी शिक्षा पा जाता है वह गांव के लिये तो मृतप्राय हो जाता है अब भी ऐसा होता है कि जो लड़के पढ़-लिख जाते हैं वह शहरों की ओर ही अधिक आकर्षित होते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ग्राम्य जीवन को इतना आकर्षक बनाया जाय कि हमारे नवयुवक ग्रामों में रहना पसंद करें।

दूसरी बात बेकारी रोकने के लिये जो ज्यादा जरूरी है और जिसके बारे में मेरे मित्र प्रभु नारायण जी अधिक जिक्र करेंगे वह है सोशलाइजेशन आफ लार्जर इनकम्स बड़ी आयों का सामाजिक वितरण बड़ी-बड़ी जो आमदनियां हैं उनका वितरण करना चाहिये। आपको

यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा जनतंत्र बिना आर्थिक समानता के नहीं चल सकती। आपको यह समस्या हल करना पड़ेगी। इस पर सीधे तौर से हमला करने की आवश्यकता है। मैं सरकार के सामने यह प्रस्ताव करता हूं कि वितरण थोड़ा या बहुत होना चाहिये। इसकी बड़ी आवश्यकता है। चौथी बात यह है कि बड़े-बड़े जो वेतन हैं उनमें कमी होना चाहिये। इस पर सरकार विचार भी कर रही है। परन्तु यह ऐसे काम हैं जो एक दिन में नहीं हो सकते। केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान इस ओर गया है और मुझे आशा है कि धीरे-धीरे यह समस्या हल होगी। अब मैं आपका ध्यान उन विषयों की ओर आकृष्ट करूंगा जो बड़े महत्व के हैं। पहला विषय सुरक्षा का है। ला ऐंड आर्डर के संबंध में मुझे होम मिनिस्टर साहब का एक वाक्य पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हुआ। होम मिनिस्टर साहब का वाक्य नहीं शायद फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ही है। अपने भाषण के २९ वें पेज पर आप ने फरमाया है कि--

"It is the pre-requisite for all development and advancement that peace and order should be maintained, so that people may engage fearlessly in activities which contribute to their personal betterment and to the betterment of society."

बिलकुल ठीक है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। बिना शान्ति के आर्ट, कल्चर लर्निंग कोई भी चीज समृद्ध नहीं हो सकती। परन्तु आगे चल कर जो आप का कहना है उससे हम सहमत नहीं हो सकते--

"If this is agreed to (*'it is agreed to'*) it follows (*yah galat hai*) that the expenditure on Police should be included in expenditure on nation-building activities, since the Police create and maintain conditions necessary for all development and advancement and since in the absence of these conditions, nothing can be achieved."

यह शब्द ऐसे हैं जो इस बजट के भाषण में मेरी सम्मति में न होना चाहिए थे। ला ऐंड आर्डर की हालत खराब है। यह आंकड़े जो दिये गए हैं वह पुलिस रिपोर्ट्स के आधार पर दिये गए हैं। इसलिये यह विश्वासनीय नहीं हैं। डकैतियां और कत्ल अब भी जारी हैं। लखनऊ जैसे शहर में ही डाक्टर हुक्कू का कत्ल हो चुका है और अब तक तहकीकात कर के पुलिस ने कोई नतीजा नहीं निकाला है।

पुलिस का खर्च बढ़ गया है। उस पर मैं कोई हमला नहीं करना चाहता क्योंकि अपराध (जुर्म) बढ़ने लगे हैं। उनका प्रतिकार करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि पुलिस का खर्च बढ़ाया जाय। परन्तु जो कुछ हो रहा है वह काफी नहीं है। कुछ ऐसी विचार धारायें हैं जिनसे अपराधों की उत्पत्ति होती है। उन विचार-धाराओं को रोकना सरकार का कर्त्तव्य है। शिक्षा उसका एक साधन है। जो मनोवृत्ति लोगों की बदल रही है वह दूर होनी चाहिये। मनुष्य धर्म और न्याय के मार्ग पर अपनी इच्छा से चले तभी समाज सुख से रह सकता है।

न्याय के बारे में भी कुछ कहा गया है। कल प्रोफेसर मुकुट बिहारी जी ने कहा था कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव दोनों को अलग कर देना चाहिये। इसका प्रयास अंग्रेजी शासन में भी हुआ था परन्तु कई कारणों से पूरा नहीं हो सका। डाक्टर काटजू ने भी विचार किया था लेकिन कुछ हो नहीं सका। इन दोनों के मिलान में जो खराबी हैं उनसे जनता की स्वतंत्रता का ह्रास होता है। जहां तक हो इस कार्य को सरकार शीघ्र करने का प्रयत्न करे। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र उपाय करे कि जिससे एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी जल्द से जल्द अलग हो।

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

जनता के साथ न्याय हो ताकि जनता का विश्वास बढ़े और उसे इत्मीनान हो कि सरकार हमारे हितों की पूर्ण प्रकार से रक्षा करेगी।

पब्लिक हेल्थ के संबंध में जो कुछ मंत्री जी ने कहा है उससे पता चलता है कि सरकार प्रयास कर रही है कि जनता का स्वास्थ्य अच्छा हो परन्तु अमली हालत में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता है। इलाज के कई तरीके हैं। एलोपैथिक इलाज कीमती इलाज है। किसी को इंटेस्टाइनल कोलिक हो गया। अगर वह डाक्टर के पास गया तो उसने तीन रुपए की दवा लिख दी। उसने दो-तीन रोज दवा जारी रक्खी लेकिन बाद में रुपये न होने की वजह से दवा बन्द कर दी उसको कोलिक पेन जारी रहा। ऐलोपैथिक चिकित्सा गरीब लोगों के लिये मौजूं नहीं मालूम होता। सरकार को इस तरह ध्यान देना चाहिये कि जो भिन्न २ प्रकार के तरीके प्रचलित हैं इलाज करने के उनमें देखें कि कौन सा ऐसा है कि जिससे जनता को लाभ हो सकता है। अस्पतालों में दवा ठीक नहीं मिलती। आपने कहा है कि डाक्टरों को मदद देनी चाहिये। जो डाक्टर एम० बी०, बी० एस० है वह देहातों में रहना पसंद नहीं करेगा। यह सरकार का जो प्रयास है वह सफल नहीं होगा। आप आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक आदि इलाजों को भी प्रोत्साहन दें। तभी जनता का लाभ हो सकेगा। इंग्लैन्ड में आप देखें कि नया तरीका जारी है। एक क्षेत्र में जो डाक्टर रहता है वह उस क्षेत्र के स्वास्थ्य के लिये जिम्मेदार रहता है। यदि सरकार ऐसा कर दे कि जिस क्षेत्र में जो डाक्टर रहता है वह उस क्षेत्र के स्वास्थ्य के लिये जिम्मेदार है तब जनता का लाभ हो सकेगा।

अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट देखें तो आपको मालूम होगा कि सरकार ने नियुक्ति में नियमों से काम नहीं लिया है। रिपोर्ट कहती है नियमों को तोड़ा गया है। कई बातें ऐसी की गई हैं जिससे कमीशन को शिकायत है, इसलिये मेरा कहना है कि जो नियुक्तियां हों वह कमीशन द्वारा हों और सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शंस, जैसा कि प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल ने कहा है, जल्दी होना चाहिए। सरकार इसकी अवहेलना न करे।

हाउसिंग प्राब्लम के लिये कुंवर साहब ने बहुत जोर दिया है। जब उन्होंने इस संबंध में एक बिल पेश किया था तो सरकार की ओर से यह कहा गया था कि इस बिल को सरकार नहीं मान सकती लेकिन हाउसिंग एकोमोडेशन के लिये एक कमेटी बना दी गई है जो उस पर विचार कर रही है। मिडिल क्लास के लिये हाउसिंग एकोमोडेशन की बड़ी सख्त जरूरत है। सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिये। मैंने पहले भी कहा है कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से लोगों ने जमीन सस्ते दामों में खरीदी थी, तीन तीन हजार में खरीदी थी लेकिन आज उसी जमीन के वह २५ हजार मांग रहे हैं। इस तरह का ब्लैक मारकेटिंग कहां तक ठीक है इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिये। सरकर ऐसी जमीनों को जिन पर मकान नहीं बनाये गए हैं क्यों नहीं वापस ले लेती। मेरा कहना है कि पब्लिक लैन्ड्स का प्रयोग इस प्रकार से नहीं होना चाहिये। इस मामले में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट कर देना चाहिये।

बजट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट हमारे उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक है और इसको कार्यान्वित करना हमारा, मंत्रियों का और सरकारी अधिकारियों

का कर्त्तव्य है। प्रत्येक गवर्नमेंट को केवल योजना से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये, प्रोपेगेंडा की भावना को दूर रखना चाहिये, स्कीमों में इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि पब्लिक का रुपया नष्ट न हो। पब्लिक के रुपए से सवा सोलह आना काम होना चाहिये न कि पन्द्रह आना। यह भावना हमारे अफसरों के हृदय में होनी चाहिये तभी काम चल सकता है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बड़ी बड़ी योजनायें चल रही हैं और लोगों के हृदय में यह बात आ गई है कि इनसे रुपया कमा कर हम मकान बनवा लें और कुछ ले लें तो यह मनोवृत्ति अच्छी नहीं। जनहित, लोकहित, पार्टी के हित से ऊपर है। अगर सरकार अपने मन्तव्यों को पूरा करना चाहती है तो जो त्रुटियां बताई गई हैं, इस सदन में या इस सदन के बाहर उन पर सरकार को कड़ाई से ध्यान देना चाहिये, अल्पमत की राय, विरोधी दल की राय पर सरकार को विचार करना चाहिये। अल्पमत की राय की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। विरोधी दल की बात पर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिये। बहुमत अल्पमत की सहायता से शासन का प्रबन्ध करता है। यह डिमोक्रेसी का सिद्धांत है।

अब मैं एक शब्द फाइनेंस मिनिस्टर साहब की अपील के बारे में कहूंगा। वित्त मंत्री जी ने एक अपील की है और वह ऐसी है कि कोई भी मनुष्य उस अपील से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उसके शब्द ऐसे हैं जिनसे हृदय हिल जाता है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि "उत्तर प्रदेश हमारा है और हम उसके हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम आवश्यकता के समय इसके काम आवें।" इन शब्दों को पढ़ कर मुझे फ्रांस के क्रान्तिकारी नेता दांतों की याद आ गई जिसने कहा था कि लेट माई नेम बि ब्लाटेड आउट आफ एक्जिसटेंस इफ ओन्ली फ्रांस बी फ्री। (let my name be blotted out of existence if only France be free) हम सबको को यह अपील सुन कर इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, उसकी उन्नति हो, इसलिये इस बात की आवश्यता है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारा प्रदेश सुखी और समृद्धिशाली बने यदि ऐसा हुआ तो जनता भी प्रसन्न होगी। हमारा जो प्रदेश है आर्यावर्त का हृदय है, यह पुरानी संस्कृति का केन्द्र है, इसमें अनेकों साम्राज्यों का उत्कर्ष और पतन हुआ है। इसकी उन्नति से हमारे देश की प्रतिभा, ऐश्वर्य और सम्पत्ति में वृद्धि होगी। इसलिये मैं मंत्री जी की अपील का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि सदन का प्रत्येक सदस्य इस अपील पर ध्यान देगा और इसके सुझावों को कार्यरूप में परिणत करेगा। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ऐसा न हो कि आगे आने वाली नस्लें कहें कि हम खुद डूबे और अपने साथ इस उत्तर प्रदेश को भी हमने डुबा दिया। बड़े सुन्दर शब्द हैं। मैं समझता हूं कि सभी सदस्य इन शब्दों पर ध्यान देंगे और जो अपील आपने की है उसका समर्थन करेंगे। मैं मंत्री जी से एक शब्द और कह कर बैठ जाऊंगा और वह यह है कि आप इस प्रदेश का आर्थिक प्रबन्ध करते हैं। आपके सामने बड़ बड़े आइडियल्स हैं। गोविन्द सहाय जी आपके सामने आदर्श लायेंगे रूस से, चीन से, कोरिया से और बड़े बड़े देशों से और मंत्री जी को डरायेंगे। मंत्री जी डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने जमाना देखा है, परन्तु मैं उनका ध्यान एक बात की ओर दिलाऊंगा सम्राट अशोक का स्तंभ इलाहाबाद के किले में लगा हुआ है। उसमें उसने अपने हाकिमों और मंत्रियों को यह आदेश दिया है कि प्रजा के साथ वही व्यवहार करो और प्रजा की रक्षा उसी प्रकार करो जिस प्रकार कि धाय नवजात शिशु की करती है।]

चेयरमैन—मैं जरा सदस्यों का ध्यान इस रोशनी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जब लाल रोशनी हो तो उसके दो मिनट के भीतर वह अपना भाषण बन्द कर दें और जब यह बुझ जाय तो वह फौरन ही बैठ जायं।

*श्री शिव सुमरन लाल जौहरी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष के बजट के बारे में मैंने ऐसा महसूस किया कि अधिकांश लोगों ने इसकी प्रशंसा की है और यह प्रशंसा के योग्य है भी। जिन लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत खींचतान करके कुछ त्रुटियां पेश भी की हैं उनको देखने से ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने विरोधी पक्ष में होने के नाते अपनी जगह को जस्टीफाई किया है। मुझे खुशी है कि कुंवर गुरु नारायण जी ने भी अपनी बहुत सी बातें कहने के सिलसिले में यह भी कहा कि इसमें दो तीन जगहें ऐसी हैं कि जिनके बारे में सभी सदस्यों की एक ही राय होनी चाहिये। मेरा ख्याल है कि वह दिल से इस बजट को पसंद करते हैं। लेकिन उधर बैठने के नाते कुछ कहना मुनासिब था ही वही उन्होंने कहा। बजट में १९४६ से लेकर अब तक की तरक्की का जो जिक्र किया गया है वह हकीकत है और जो स्कीम्स इसमें चालू की जा रही हैं वह भी जब पूरी हो जायेंगी तभी हम उनको और उनके फायदे को समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि जब वह समय आयेगा कि जब हमारी डेवलपमेंट की स्कीम्स पूरी हो जायेंगी तब इस प्रदेश के सभी लोग इस बात को महसूस करेंगे कि हां, वाकई में यह बजट बिल्कुल ठीक था। आज इस मौके पर इस बजट पर सभी सदस्यों ने अपने सुझाव और अपनी तजवीजें पेश की हैं और यह मुनासिब भी है। यही मौका है कि लोग अपने सजेशन्स पेश कर सकें। मेरा भी ऐसा ख्याल है कि मैं भी कुछ अपने सजेशन्स इस हाउस के सामने, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार के सामने रक्खूं। इस बजट में कुछ थोड़ा सा और गौर करने से और थोड़ा सा ऐडजस्टमेंट करने से और बहुत सी सुविधायें बढ़ सकती हैं। कब्ल इसके कि मैं उन बातों का जिक्र करूं मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का कि इस बजट को पढ़ने से मुझे एक बात में बड़ा डिसअप्वाइंटमेंट हुआ। बजट स्पीच में जो अनइंप्लायमेंट का जिक्र किया हुआ है उससे मुझे बड़ा डिसअप्वइंटमेंट हुआ और मैं समझता हूं कि सदन के जो सदस्य भी इसे पढ़ेंगे उनको भी होगा, इसलिये कि इसमें कुछ ऐसे मौलिक परिवर्तन नीति में कर दिये गए हैं कि जो नहीं होने चाहिए। इस बजट स्पीच में भी दबी जबान से सरकार ने इस मर्ज को लाइलाज करार दिया है और कहा है कि हर समय में, हर मुल्क में किसी न किसी मात्रा में अनइंप्लायमेंट रहा है। इसको पढ़ने के बाद मैं यह समझने पर मजबूर होता हूं कि वास्तव में सरकार ने यह महसूस कर लिया है कि वह अनइंप्लायमेंट को दूर नहीं कर सकती है।

आज अगर यह सरकार अनइंप्लायमेंट को दूर करने के सिलसिले में कोई काम करने के बाद जब असफल होती और उस समय इस सदन के सामने कोई बात सरकार रखती तब तो मुझे खुशी होती कि सरकार ने आखिर कुछ प्रयत्न तो किया, उसे सफलता मिली या न मिली, लेकिन इस किस्म का कोई कदम उठाये बिना ही अगर निराशा देख पड़ती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। जिस कांग्रेस के और कांग्रेस सरकार के ६ साल से यह आइडियल्स रहे हैं और जिसके लिये महात्मा गांधी ने खास तौर पर आवाज उठाई थी उसके लिये सरकार की ओर से निराशा प्रकट की जाय तो आप सोचें कि उसका जनता पर क्या असर पड़ेगा। मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि इससे जनता को बहुत बड़ी निराशा होगी क्योंकि आम जानता यह समझेगी कि अनइम्प्लायमेंट अब दूर नहीं हो सकती है, हालां कि चाहे भले ही आप किसी हद तक उसे दूर करने में सफल ही हों। यह वही चीज होगी कि जैसे किसी मरीज की पाचनशक्ति खत्म हो जाय तो आप कितना ही अच्छा भोजन उसके सामने रखें मगर वह यह समझ कर कि उसे पच नहीं सकता है वह उस खाने

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

को छोड़ देगा। सरकार की ओर से बजट स्पीच में कहा गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को एहसास तो है, मगर वह कहना नहीं चाहती है। मैं यह कह सकता हूं कि जितनी जल्दी जल्दी विकास योजना चल रही है उतनी ही जल्दी जल्दी और उसी तरह से अनइंप्लायमेंट भी बढ़ता जाता है। इसलिये हमें इसके मौलिक सिद्धांत को मालूम करना होगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब तक आपका प्रेजेंट इकोनामिक स्ट्रक्चर बना रहेगा तब तक अनइंप्लायमेंट खत्म नहीं हो सकता है। आप देखें जब से कल और करखाने ईजाद हुए हैं तब से अनइंप्लायमेंट बढ़ रहा है। हां, काटेज इंडस्ट्री के संबंध में तो मैं भी कह सकता हूं कि उससे कुछ अनइंप्लायमेंट दूर हो सकता है, अगर देश को उस पर निर्भर रखा जाय। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। काटेज इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा उद्योग है, जिसके जरिये से अनइंप्लायमेंट को रोजी मिल सकती है। सन् ४५–४६ ई० में कपड़े की बहुत कमी थी और यह वह समय था जब जो खादी भी नहीं पहिनते थे वह भी खादी आश्रम में जा कर अपना नाम लिखा आते थे और उस समय खादी की बहुत बिक्री बढ़ गई थी, लेकिन जैसे ही मिलों ने कपड़ा बनाना शुरू किया खादी की बिक्री कम हो गई। काटेज इंडस्ट्री को किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है और न उसकी तरक्की की ही तरफ कोई ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि आज अनइंप्लायमेंट दूर नहीं हो रहा है, इसकी तरफ सरकार को खास ध्यान देना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री ने बेरोजगारी को दूर करने के लिये कुछ बातें अपनी बजट स्पीच में कही हैं, लेकिन वह संतोषजनक नहीं है। हमारे पास इस बात का रिकार्ड होना चाहिये कि इस साल कितने आदमी अनइंप्लाइड हैं और अगले वर्ष कितने रह गए उनमें से कितनों को नौकरी मिली है। सरकार को चाहिये कि वह इस तरफ बहुत गंभीरता के साथ कदम उठाये और अपने देश की बेरजगारी को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करे।

[इस समय ११ बज कर ४७ मिनट पर डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।]

लेबर के सिलसिले में माननीय वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि मजदूरों की हालत बहुत संतोषजनक है। लेबर के सिलसिले में सरकार ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया है, जिससे उनकी बहबूदी हो सके। इस सिलसिले में स्टैन्डर्ड-इजेशन की बात कही गई। सरकार का यह ख्याल है कि मजदूरों की हालत संतोषजनक है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लेबर की हालत बहुत ही असंतोषजनक है। निम्बकर कमेटी की भी बात कही जाती है। उस कमेटी की भी रिपोर्ट सरकार के पास आई, लेकिन उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मजदूरों के सिलसिले में कानून बनाये जाते हैं कि इससे उनको फायदा होगा लेकिन मैं देखता हूं कि उनको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता है। फैक्ट्रियों के मजदूरों की हालत तो बहुत ही खराब है। मिल मालिकों को बराबर फायदा होता चला जा रहा है, लेकिन वह मजदूरों की तनख्वाहों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। सरकार कहती है कि छटनी नहीं हो रही है, लेकिन मैं देखता हूं कि बराबर छटनी होती चली जा रही है। मिल मालिक सरकार की बातों की भी कोई परवाह नहीं करते हैं। चार साल की मेहनत के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने उस रिपोर्ट पर कोई अमलदरामद नहीं किया। बजट स्पीच में भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। शुगर फैक्टरीज में भी कोई खास तरक्की नहीं हुई है। मिल मालिकों के लिये वहां पर छटनी का मैदान खुला हुआ है, जो उनका जी चाहता है वे करते हैं। सरकार को चाहिये कि वह एक आदेश निकाले कि इस वक्त जो आदमी काम कर

[श्री शिव सुमरन लाल जौहरी]

रहे हैं उनको निकाला नहीं जा सकता है। बराबर छटनी होती चली जा रही है। जिसके कारण आदमी बेकार होता जा रहा है । केवल शब्दों से ही मजदूरों को संतोष नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ आपके जरिये से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि लेबर की तरफ सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिये। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूं कि किसी आदमी को जेल में बन्द कर दिया जाय और कहा जाय कि उसके जेल मे बन्द हो जाने से बाहर संतोष है तो इस प्रकार से शान्ति ही स्थापित हो सकती है । जब मजदूर अपनी मांगें सरकार के सामने पेश करते हैं तो सरकार पहले उन में कांट छांट करती है तब उसकी तरफ जा कर कुछ ध्यान देती है। कितने ही मामले ऐसे हैं जो कि अभी तक बिना तय किये हुए पड़े हैं और आज तक वे भी एडज्युडिकेशन को रिफर नहीं हुए हैं। मुझे अफसोस है कि सरकार उनको संतुष्ट समझती है। बाज बाज जगहें ऐसी भी हैं जहां कि मजदूर कोशिश करते हैं कि उसका मामला किसी तरह से एडज्यू-डिकेशन के पास पहुंच जाय, मगर वैसा हो नहीं पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि पीलीभीत में एक आयुर्वेदिक कालेज है और वह बिजनेस लाइंस पर रन (run) करता है और वहां पर मजदूरों को जो वेतन मिलता है वह २५ रुपया है और वहां के मजदूर दो साल से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मामला किसी तरह से एडज्यूडिकेशन के सामने आये, मगर वह उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है और उनकी बात थ्रेश आउट कर दी जाती हैं। एक बात और भी है और वह यह है कि इन इंडस्ट्रियल बोर्ड्स के जरिये से या कन्सीलियेशन बोर्ड के जरिये से बहुत से काम जो होते हैं, तो उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनमें कि आपस में मतभेद है और इसी तरह से यह नौबत नहीं आने पाती कि किसी मामले का जल्दी फैसला हो जाय। कई जगह जब मजदूरों की मजदूरी नहीं दी जाती है और वे इन बोर्ड्स के पास जाने की कोशिश करते हैं तो वहां भी इनके फैसले नहीं हो पाते हैं। मजदूर लोग इस तरह से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। इन्डस्ट्रियल बोर्ड और कन्सीलियेशन बोर्ड के बाद की जो सीढ़ी है और बाद में जहां अपील हो सकती है वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरह से जो न्याय होते हैं उनमें बहुत समय लग जाता है और मैं समझता हूं कि इस तरह से वे ८, १० सालों तक बोर्ड के न्यायों की प्रतीक्षा में खर्च कर देते हैं। अगर सरकार इस बात पर ध्यान दे तो इनका विशेष प्रकार से प्रबन्ध हो सकता है। वह इस बात को देखे कि जो भी मामले ऐसे हों उनका जल्दी से फैसला होना चाहिये और इस तरह से मजदूरों को भी संतोष हो सकता है। जिस तरह से आज बोर्ड्स के फैसले होते हैं उनमें तब्दीली की आव-श्यकता है और अगर मजदूर चाहते हैं कि उनके मामले एडज्युडिकेशन्स तक पहुंच जायें, तो उसके लिये भी पूरा इंतजाम होन चाहिये। वह उसकी वर्किंग को देखें और इस तरह से मजदूरों को जितनी सहूलियत हो सकती है वह उनको दे। अगर सरकार मजदूरों की दिक्कत को महसूस करेगी तो इसमें अवश्य उसे तब्दीली करनी चाहिये और उसे इस बात की कोशिश करनी चाहिये जिससे कि आटोमैटिक रिफरेंस टू एडज्यूडिकेशन हो जाय।

एक बात उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो अर्ज करनी है वह यह है कि एज्यूकेशन के बारे में बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया है कि आज बहुत से स्कूल्स और कालेजेज बढ़ रहे हैं, यह बात ठीक भी है और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं लेकिन मैं सरकार के सामने एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मैं पीलीभीत की बात कहता हूं, वहां पर ४ इंटरमीडिएट कालेज हैं और इंटरमीडिएट के बाद वहां पर विद्यार्थियों को आगे पढ़ने के लिये दूसरी जगह जाना पड़ता है, इससे उनका बहुत

खर्चा होता है और उनको तकलीफ होती है, इसलिये यदि वहां पर एक डिग्री कालेज खोल दिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो। वहां पर कालेज का खर्च सब वहीं के फंड से होता है और गवर्नमेंट उसके लिये कुछ भी रुपया नहीं देती है। म्युनिसिपैलिटी जो वहां खर्चा चलाती थी, तो वह अपने फंड में से हायर एज्यूकेशन के लिये खर्चा नहीं कर सकती है, तो इसके लिये मैं एक सुझाव देता हूं और वह यह है कि सन् १८६६ में पीलीभीत में एक नवाब ने एक वक्फ कायम किया था और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी एज्यूकेशन के लिये उसकी आमदनी में से खर्चा किया जाय, तो आप एज्यूकेशन के लिये उसमें से रुपया ले सकते हैं। ड्रमंड महोदय ने इसकी स्थापना की और उनके नाम से यह खोला गया। उसकी आमदनी उस वक्त ३२ हजार रुपया थी। चूंकि १८६६ में इंगलिश तालीम का ज्यादा रिवाज नहीं था। इसलिये यह समझा गया कि पीलीभीत में एक ही स्कूल काफी है सरकार ने भी इस तरह से उसको कुछ इमदाद दी और रफ्ता रफ्ता उसकी तरक्की हुई। उसके बाद कुछ और स्कूल खोले गए और उन स्कूलों को सरकार की ओर से ग्रान्ट भी दी जाने लगी। फिर भी जितनी ग्रान्ट उनको दी जाती है वह काफी नहीं है। जो ड्रमंड ट्रस्ट था उसकी आमदनी से ही इंगलिश स्कूलों का खर्चा चलता था। लेकिन उसके बाद यह मालूम हुआ कि यह ट्रस्ट अपने अख्तियारात का नाजायज तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और १९४६ में सरकार की ओर से यह समझौता हुआ और वह यह हुआ कि १०,००० रुपया सालाना पीलीभीत के गवर्नमेंट स्कूलों के लिये दिया जाय और गवर्नमेंट उसको चलाती रहे। फिर सरकार ने हर जिले में एक एक स्कूल मेनटेन किया लेकिन पीलीभीत में जो ट्रस्ट बना हुआ है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है एक उसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट स्कूलों में सरकार का इतना रूपया खर्चा होता है परन्तु पीलीभीत के इस स्कूल पर कुछ खर्चा नहीं होता। मुझे दुख होता है कि जो सरकारी एडेड संस्थायें हैं उनको भी गवर्नमेंट ने सिर्फ १० हजार रुपया देने का इरादा किया है और २५०० रुपया एकमोलेटिव फंड से इनको मिलता है उसका नतीजा यह होता है कि ६४,००० रुपया इन कालेजों का होता है। परन्तु २ साल में उनका रिकरिंग एक्सपेन्डीचर २५,००० रुपया के करीब होता है और नान रेकरिंग ५०,००० रुपया है। रेकरिंग एक्सपेन्डीचर में उसकी ३२,००० रुपया सालाना इनकम थी और वह प्राइवेट नेगोसियेशंस से अब भी बढ़ सकती है। उसमें किसी प्रकार की मुकद्दमेबाजी या किसी तरह का लीटिगेशन नहीं होगा। ट्रस्टी की जितनी दूकानें हैं उनका किराया बढ़ाया जाय और वह रकम ४०,००० तक हो सकती है। उसमें से ५,००० मेंटेनेंस के लिये रखा जा सकता है और १०,००० स्कूलों का खर्च निकाल कर भी २५,००० रुपए की बचत हो सकती है और उससे रेकरिंग एक्सपेंडीचर मीट किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में सरकार ध्यान देने की कोशिश करेगी।

एक बात हाउसिंग के बारे में मुझे अर्ज करनी है और उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा और वह यह है कि हाउसिंग के बारे में रेंट कंट्रोल ऐक्ट बहुत दिनों से हमारे यहां लागू है और उससे किराया वगैरह वसूल करने में तथा मकान मिलने में काफी सुविधा है और मकान मालिक किसी को ज्यादा परेशान नहीं करते लेकिन यह रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट हमारे यहां इतना अधिक बढ़ गया है कि अगर उसमें अधिक ध्यान देने की कोशिश नहीं की जायगी तो इस रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट के बना लेने से जनता को विशेष फायदा नहीं पहुंच सकता है और इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मकान वगैरह बनाना चाहते हैं उनके पास पैसा भी है और वह मकान बनाने की प्रबल इच्छा भी रखते हैं परन्तु उनके मकान बनाने के लिये जमीनें नहीं हैं। उनको जमीनों की जरूरत है जो

[श्री शिव सुमरन लाल जौहरी]

कि वह बड़ी से बड़ी कीमत पर भी लेने को तैयार हैं इस तरह से लोग मकान बनाने से वंचित रह जाते हैं।

(इस समय १२ बजकर ४ मिनट पर, चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

अगर सरकार जमीन देने की रफ्तार को इसी तरह धीमी रक्खेगी तो फिर डेवलपमेंट का काम कैसे हो सकता है। तमाम जगह रिफ्यूजीज क्वार्टर्स बनाये गए हैं परन्तु पीलीभीत में कोई रिफ्यूजी क्वार्टर नहीं हैं उनके लिये कोई जमीन का प्रावीजन नहीं किया गया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी जमीन देने की अगर व्यवस्था न की जाय तो डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी इन बातों पर विचार करेगी।

*श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को उनके बहुत सुन्दर लिखे हुए भाषण के लिये मुबारकबाद देता हूं। जहां तक भाषण के पढ़ने का ताल्लुक है उसके पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि सरकार ने पिछले ५, ६ साल में बहुत सारे काम किए हैं और इस साल भी बहुत काम करने का इरादा है। इसलिये मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि बहुत काम नहीं हुए हैं। मैं तो यह मान कर चलता हूं कि सरकार का वक्त और धन उनके दिमाग के मुताबिक उनकी हालत के मुताबिक ही आंका जा सकता है जिस पाबन्दी के अन्दर उन्होंने काम करने का इरादा कर रखा है उसमें जितना वह कर सकते थे उतना उन्होंने किया है और मैं जब बजट डिबेट में दिलचस्पी लेता हूं तो मेरा एक ही मकसद होता है कि जो काम सरकार ने किए हैं उनके बारे में मैं न कहूं क्योंकि उनके बारे में सरकार की तरफ से काफी कहा जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच को ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से बोलने वाले लोग सुन्दर बना देते हैं और आखिर में डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने भी रहे-सहे काम को पूरा कर दिया। जो हुआ है, उसके बारे में कोई बहस की बात नहीं है। मेरा मकसद तो यह है कि जो नहीं हुआ है, और जो हो सकता था परन्तु नहीं हुआ है और जिसके लिये करने की कोशिश की जा सकती थी उसको नहीं किया है और जिन बातों को किया गया है उसका पूरा फायदा हमारे सामने आता है या नहीं इन बातों को मैं आपके सामने रखूंगा ताकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखने को मिल जायगा। बजट के माने यह होते हैं कि बजट वह शीशा है जिसके जरिये से एवाम की जिन्दगी का चित्र देखने को मिला करता है। आज मैं देखता हूं कि बजट के आंकने का एक तरीका है वह यह है कि उससे हमने ऐसे कार्यों को करके लोगों की इखलाकी जिन्दगी, लोगों की भौतिक उन्नति को, नैतिक उन्नति को समझ लिया और शिक्षा के काम के अन्दर हमने लोगों को कितनी मदद दी है। लोगों की उन्नति हमें चौतरफा से देखना चाहिये। शायद किसी तरीके से सरकार को इसका पता भी हो मगर उसके बरखिलाफ बावजूद इसके कि सरकार की ऐक्टिविटीज काफी बढ़ीं, शिक्षालय काफी खोले गए, अस्पताल काफी खोले गए, कुएं काफी खोदे गए यह सब होने के बावजूद जो लोगों की इखलाकी जिन्दगी है, मारल जिन्दगी है, कल्चरल जिन्दगी है, उन सब की तरक्की कहां तक हो सकती है। मैं अध्यक्ष महोदय, बड़े अदब के साथ कह सकता हूं कि इतना होते हुए भी जो फैक्ट्स हैं उनसे आंख मूंद नहीं ली जा सकती।

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जो मैं जानता हूं उस संबंध में कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। पहले मैं मारल स्टैन्डर्ड की तरफ आता हूं। ट्रेजरी बेंचेज के लोग चाहे इसको किसी भी रूप में लें, लेकिन जितनी आज कल कांग्रेस पार्टी के लोगों की स्पीचेज उधर से होती हैं उनसे यह पता चलता है कि वह इस नतीजे पर आते जा रहे हैं कि लोगों का नैतिक पतन होता जा रहा है। इस तरह के आर्गेनाइजेशन अगर यह कहें कि लोगों का नैतिक पतन होता है यानी लोगों के अन्दर बुरे कार्य करने की ओर अग्रसर होने की भावना है बुरे कार्यों का मुकाबला करने में उनके सामने कमजोरियां आती हैं और जो अच्छे कार्य होते हैं उनको ग्रहण नहीं कर सकते तो अगर किसी समाज का मोरल स्टैन्डर्ड गिर गया है तो चाहे गवर्नमेंट कितनी ही तरक्की के काम करे, उस समाज का रैजिस्टेन्स आफ इविल बढ़ता जाता है।

अब मैं मैटीरियल मारल की तरफ आ रहा हूं। चाहे किसी क्लास के लोगों को कुछ कहा जाय, लेकिन आज हर एक के मुंह से यह सुनने को मिलता है कि कहीं भी वगैर सिफारिश के काम नहीं होता है तो यह इस बात का सबूत है कि लोगों का माइंड मैटीरियल स्टैन्डर्ड से गिरता जा रहा है। अगर किसी समाज का मैटीरियल स्टैन्डर्ड गिर जाता है तो फिर चाहे सरकार की कितनी ही आमदनी क्यों न हो अगर जितना उसकी आमदनी है उस हिसाब से या उससे ज्यादा वह लोगों के मैटीरियल स्टैन्डर्ड को सुधारने के काम में नहीं खर्च करती है और उससे जनता का कोई फायदा नहीं होता है तो सरकार की आमदनी बढ़ने से कोई फायदा नहीं है।

अब सरकार की आमदनी कितनी बढ़ी, सन् ४६ और ४७ में सरकार का बजट २६ करोड़ रुपया का था और आज ७७ करोड़ रुपये पर पहुंचता है यानी सरकार की आमदनी २६ करोड़ से लेकर ७७ करोड़ ७ साल में बढ़ कर आई। अब देखना यह है कि इस मात्रा में जनता के किस तबके की आमदनी बढ़ी। मैं देखता हूं कि सरकार की इनकम तो बढ़ी, लेकिन पीपुल की इनकम उस मात्रा में नहीं बढ़ी जिस मात्रा में सरकार की इनकम बढ़ी। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से यह कहूंगा कि पीपुल की इनकम नहीं बढ़ी और सरकार की इनकम डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्सेज करके बढ़ सकती है और सरकार पब्लिक की आमदनी बढ़ाने में मददगार नहीं हो सकती है।

जहां तक गवर्नमेंट सरवेन्ट्स का ताल्लुक है जिस पर सरकार का ६५ फीसदी खर्च होता है उनमें से अधिक ऐसे हैं जिनको ७५ रुपया से नीचे वेजेज मिलती हैं उनकी इनकम में कोई बढ़ती नहीं हुई। थोड़े से मुट्ठी भर लोगों की इनकम सन् ४७ में जो थी और सन् ५४ में उनकी इनकम तो मैं कह नहीं सकता लेकिन ४८, ४९ और ५० में २५ से ३० फीसदी तक बढ़ी थी। ईजेन्स, इरीगेटेड और अनइर्रीगेटेड पीजेंट्स की आमदनी सन् ५१, ५२, ५३ तक नहीं बढ़ी है ४९, ५०, ५१ में वार के कारण किसानों के पास पैसा आया और सन् ५३-५४ में वह खत्म हो गया। अब आप १० गांव की स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए मैं आनरेबिल फाइनेंस मिनिस्टर साहब को दावत देता हूं कि वह अपने घर पर ही नगीना के १५ गांव या नगीना शहर में ही देख ले और स्टैटिस्टिक्स लोगों की आमदनी उतनी मात्रा में नहीं बढ़ी है जितनी मात्रा में सरकार की आमदनी बढ़ी है, तो मैं कैसे समझूं कि मैटिरियल तरक्की हो रही है। मेरा ख्याल है कि मेटेरियल तरक्की इस प्रोपोरशन में नहीं हो रही है जितनी कि उम्मीद की जाती है। मैं यह नहीं कहता कि तरक्की कुछ नहीं हुई। बढ़ना इस बात से

[श्री गोविन्द सहाय]

जांचा जाता है जिनके लिये बढ़ा हो उनकी जिन्दगी के अन्दर एक नई जिन्दगी दिखाई दे। इस मात्रा में जब मैं देखता हूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि सन् ४९, ५० और ५१ तक तो छोड़ दीजिये ५१, ५२ और ५३ में वह नीचे की तरफ गिरने लगें तो इस ख्याल से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फिगर निकली है कि हमारी सारी प्रोडक्शन १३ फीसदी बढ़ी ह सब फ्रंट्स पर और इस प्रोडक्शन के बढ़ने से परचेजिंग कैपेसिटी ३० और ४० फीसदी कम हो गई, नये नये रोजगार खत्म हो गए। मैं कह सकता हूं कि मेटिरियल तरक्की जितनी आज कही जाती है जितना आपका ख्याल है उससे कम है जिस मात्रा में आपकी आमदनी बढ़ी। जनता की आमदनी उस मात्रा में नहीं बढ़ी और जनता में और ज्यादा टैक्स न देने की प्रवृत्ति बढ़ गई।

दूसरी तरक्की कल्चरल तरक्की हो सकती है। कल्चरल तरक्की भी मुल्क के लिये जरूरी होती है। मैंने वित्त मंत्री जी की स्पीच को बड़े गौर से पढ़ा। हालांकि वक्त कम था लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की पढ़ने की। मुझे ताज्जुब हुआ सारे बजट स्पीच के अन्दर कहीं भी ५ पैसे स्टेट की तरफ से कल्चरल एक्टिविटीज के बढ़ाने के लिये नहीं है। शायद मैं यह समझा कि इस सूबे के कर्णधारों का ख्याल यह है कि कल्चरल तरक्की भी ऐग्रीकल्चर का जुज है और चूंकि उसमें ज्यादा पैसे दिये गए हैं इसलिये कल्चरल तरक्की के लिये कोई जरूरत नहीं है। एक मुल्क तभी जिन्दा रहता है जब उसकी कल्चरल तरक्की बढ़ती है और कल्चरल तरक्की के लिये पोएट्स, आर्टिस्ट, पेन्टर्स और लेखक का बड़ा हाथ होता है। श्रीमान् जी, मैं आपके द्वारा बड़े अदब से ट्रेजरी बेंचेज के सभी सदस्यों से जानना चाहूंगा कि बजट स्पीच में किस तरह से कल्चरल एक्टिविटीज को मदद मिलती है। आजकल पोएट्स और लेखक लिखते हैं लेकिन वह किताबें गिरवी रखी जाती हैं। जब मैं कल्चरल स्टैन्डर्ड और मारेल स्टैन्डर्ड को मुख्तलिफ तबकों में देखता हूं और मैटीरियल स्टैन्डर्ड को देखता हूं तो देखता हूं कि खुद सब लोग यह कहते जा रहे हैं कि लोगों की दिमागी तरक्की होने के बजाय तनज्जुली हो रही है। यानी जो लड़का एम० ए० पास करके आता है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)--अगर आप शेर कहना शुरू करें तो आपको इनाम दिया जाय।

श्री गोविंद सहाय--आपको मौका है इनाम देने का। शेर से ही आपको जवाब दिया जा सकता है।

सभी लोग यह कहते हैं कि लोगों की दिमागी तनज्जुली हो रही है। जेनरल नालेज की हालत यह है कि इकनामिक्स से एम० ए० पास लड़का यह नहीं जानता कि क्यों बेकारी बढ़ रही है। मैं बड़े अदब से हुजूरवाला आपके जरिये से यह जानने की कोशिश करूंगा कि जो काम आप कर रहे हैं उनसे कहां तक मकसद पूरा हुआ है। मकसद आपका अच्छा होते हुए भी जो काम आप कर रहे हैं उनके नतीजे उलटे निकलते हैं। इससे तो इतना ही कहा जा सकता है कि कोई बेसिक खराबी आपके एप्रोच में ऐसी है कि जो नतीजे आप निकालना चाहते हैं वह न निकल कर उलटे निकलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि कागज पर कोआपरेटिव एक्टिविटीज बढ़ रही है लेकिन असिलियत यह है कि लोगों में

इंडिविजुयल थिंकिंग की भावना बढ़ती जा रही है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन पर्चेजिंग पावर घट रहा है। प्लानिंग की चर्चा ज्यादा हो, मगर लोगों में अनप्लान्ड तरीके से काम करने की स्पिरिट बढ़े। इन सब बातों से सिर्फ एक ही नतीजा निकाला जा सकता है और वह यह है कि कोई कोई कंट्रेडिक्शन है आपके तरीकों में।

पुलिस बढ़ी और क्राइम्स भी बढ़े। सन् १९४७ में जब पुलिस बजट पेश किया गया था तो उस वक्त यह कहा गया था कि मौजूदा हालात का मुकाबला करने के लिये जितनी पुलिस है उतनी काफी नहीं है और ठीक भी था। उस वक्त सारे मुल्क में आग लगी हुई थी। एक गैर मामूली हालत की वजह से पुलिस पर कुछ खर्च बढ़ाने की मांग की गई थी। सन् ४७ से लेकर आज तक वह खर्च डेवढ़े के करीब हो गया है। आप कहेंगे, क्राइम्स लिखे नहीं जाते। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप सोसाइटी का ट्रेंड मालूम करें। जो लोग अभी क्राइम नहीं करते थे आज क्राइम करने के लिये मजबूर हो रहे हैं। डकैतियां वगैरह ही क्राइम नहीं है। क्राइम के माने हैं सोसाइटी के लोगों में कानून तोड़ने की तरबियत का बढ़ना। हमें देखना है आज सोसाइटी में कानून की इज्जत बढ़ रही है या कानून तोड़ने की तरबियत बढ़ रही है। अगर कानून के लिये नफरत बढ़ रही है तो मैं कहूंगा कि क्राइम्स न लिखे जाने पर भी क्राइम्स बढ़ रहे हैं। क्या कोई ऐसा आदमी है जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के आंकड़े पूरे देता है। हर एक की प्रवृत्ति झूठे आंकड़े देने की है। हुजूरवाला, हम सब की वही प्रवृत्ति है। कानून यह कहता है कि झूठे बिल बनायेंगे तो ज्यादा मिलेगा, इसलये हमें झूठे आंकड़े देने पड़ते हैं। ट्रेवेल किसी में करते हैं और देना कुछ पड़ता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं का क्राइम लिगलाइज हो गया है और कहीं नहीं। पुलिस का बढ़ना, और साथ में क्राइम्स का बढ़ना कोआपरेटिव मूवमेंट का बढ़ना और साथ ही इंडिविजुअल वे आफ थिंकिंग का बढ़ना यह जो कंट्रेडिक्शन्स आते हैं इनकी निस्बत इशारतन में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मेरा कोई निजी इस बात में मतभेद नहीं है कि ५ लाख रुपया कम हुआ या ज्यादा हुआ, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा यह कनविक्शन है, जैसा कि आपका यह कनविक्शन है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रहे हैं, मेरा यह कनविक्शन है कि आपके काम करने के तरीके में कोई बुनियादी वजह ऐसी है जिससे जो नतीजे निकल रहे हैं वह इस सूबे को बरबादी की ओर ले जा रहे हैं। इस सूबे को बदअमनी की तरफ ले जा रहे हैं।

मैं बहुत जानने की कोशिश करता हूं कि इस लीडरशिप का क्या कंट्रीब्यूशन है। सड़कें बनती हैं, नहरें बनती हैं, वह तो इंजीनियर्स का काम है। आखिर लीडर शिप का क्या कंट्रीब्यूशन है। जो सच्चे लीडर होते हैं वे नई व्यवस्था का निर्माण करते हैं। जो सामाजिक बुराइयां होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं और नए ख्यालात के ऊपर नया मकान बनाने की कोशिश करते हैं। जितना पैटर्न हम आज देख रहे हैं वह ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा है। ब्रिटिश ने हमको जुडीशियरी दी। उसके अन्दर पहले लोग कहते थे कि सिपारिश नहीं होती है। लेकिन आम लोगों का ख्याल यह है कि वगैर सिफारिश के मुकद्दमें में कुछ नहीं होता है। इस जुडीशियरी की बुनियाद ही ऐसी है कि झूठ बोल कर कानून की आड़ में अपने को कैसे बचाया जाय। वही प्रोसीड्योर वही सिस्टम पुराने जमाने का चला आ रहा है। कौन सी ऐसी चीज है इस लीडरशिप की जिसमें बुनियादी तरीके से सामाजिक व्यवस्था बदली हो। मान लीजिए कि वेलफेयर स्टेट नाम है आपकी स्टेट का। वह वेलफेयर स्टेट बन रही है या बन चुकी है यह तो बहस

[श्री गोविन्द सहाय]

की बात है। अगर हमें उसे हासिल करना है तो लोगों के दिमागों को मोड़ना होगा। जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बदलना होगा। एजुकेशन को बदलना होगा। ब्यूरोक्रैसी के पैटर्न को बदलना होगा। अगर हम ऐसा करें तब तो वेलफेयर स्टेट बनाने में हमको जनता की मदद मिल सकती है। अगर हम नहीं बदलते हैं तो हमारा उद्देश्य कदापि पूरा नहीं हो सकता। आप देखिए हर तरफ अनइंप्लायमेंट बढ़ रहा है। स्टेट भी रिट्रेंचमेंट कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी रिट्रेंचमेंट कर रहा है। स्टेट बराबर ५२--५३ से रिट्रेंचमेंट कर रही है। जब स्टेट और प्राइवेट सैक्टर दोनों में रिट्रेंचमेंट हो रहा है तब अनइंप्लायमेंट कैसे दूर हो सकता है। ट्रेजरी बेंचेज से एक बात कही गयी कि जिस वक्त अंग्रेजों का राज्य था उस समय खादी ज्यादा बिकती थी। अब उतनी खादी नहीं बिकती। अब काटेज इंडस्ट्री तबाह हो रही है। सिर्फ रुपया अलाट कर देने से कोई रोजगार नहीं चल सकता। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों के हाथ में देश की बागडोर है उनके सोचने का तरीका गलत है। उनके सोचने का तरीका है कमेटी अप्रोच। जो काम करना है उसके लिये एक कमेटी बन जाती है। ७ साल के अन्दर इतने कानून बन गए हैं जितने कभी नहीं बने। २४, २५ कमेटियां इन हाउसेज से मुकर्रर हुई हैं। उनके ऊपर ५०-६० लाख रुपया जरूर खर्च हुआ होगा। आप देखिए क्या आपने ५ परसेंट भी कमेटीज की रिकमेंडेशन्स को माना है। इन कमेटियों का अप्रोच केवल कानून बनाने का है।

जब तक लोगों का दिल दिमाग आप अपने साथ नहीं लेते, उनके दिल दिमाग को जुडीशियरी और एजूकेशन आफ एक्सपेंशन के अनुकूल नहीं बनाते तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आज शिक्षा का बड़ा प्रचार है। आज प्रेसीडेंट राजेन्द्र बाबू से लेकर श्री हर गोविन्द सिंह तक शिक्षा से बहुत परेशान हैं। आज शिक्षा से सभी परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन चार साल पहले तक आपकी पालिसी थी एजूकेशन आफ इक्सपेंशन। जब आपने देखा कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ, जब आपने देखा कि उससे बेकारी बढ़ी तो फिर आप इसमें आमूल परिवर्तन करने वाले हैं। मेरा यह कहना है कि आप १० एकड़ जमीन स्कूलों के साथ लगा कर बेसिक एजूकेशन नहीं बदल सकते हैं। आपने इस सूबे में कई बड़े कदम उठाये, लेकिन आप उनमें फिर पीछे लौटे हैं। जैसे पी० आर० डी० यूथ मूवमेंट जैसा कोई मूवमेंट नहीं था। वही पी० आर० डी० जो आपके हाथ से उठाया गया। यह कहते डसा गया कि यह ला ऐंड आर्डर के लिये खतरा है, यह ला ऐंड आर्डर को तोड़ देगा। फिर देखिए कि आपने एजूकेशन का इंसपेन्शन किया लेकिन फिर पीछे लौटे। मैं यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि आपकी जो पालिसी रही है उससे प्राइवेट सेक्टर और स्टेट सेक्टर दोनों को नुकसान पहुंचा है। प्राइवेट सेक्टर इसलिये परेशान है कि उसकी पोजीशन आज खराब हो रही है दूसरी तरफ स्टेट जिस काम को लेती है, जिस इंडस्ट्री को लेती है उसमें मुनाफा के बजाय टोटा हो जाता है।

एक दूसरा बड़ा काम था लैन्ड रिफार्म का। किसानों के अन्दर एक नया जोश, एक नया लगाव जमीन के लिये आप पैदा करना चाहते थे। मैं हुजूरवाला, अभी पेशीनगोई नहीं करता हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जो आपका लैन्ड रिफार्म का तरीका था उससे आप देखिए कि उसने तशद्दुत पैदा किया। आज बेकारी बढ़ी है, आज आप काम नहीं दे सकते हैं तो गांव के बैलेंसेज को आपने गड़बड़ किया है। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि इस मुल्क में लोगों का ख्याल है कि जो काम सरकार लेती है वह सोशलिज्म की तरफ होता है

लेकिन किसी इंडस्ट्री को ले लेने से यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका नेशनालाइजेशन हो गया है। खाली किसी चीज को गवर्नमेंट हाथ में ले ले तो उसका नेशनलाइजेशन हो गया यह बात नहीं हो सकती है। ऐसा तो इंपीरियल फैसिस्ट स्टेट्स भी कर सकती हैं। चूंकि सरकार का जमीन पर कब्जा हो गया इसलिये उसका नेशनलाइजेशन हो गया, यह कुछ ठीक नहीं मालूम होता है। मैं कहता हूं कि आप कोई भी १० विलेजेज ले लीजिए, नगीना को ले लीजिए, बिजनौर को ले लीजिए, या कहीं और ले लीजिए, आप वहां के किसानों में देखिए कि क्या वह जोश उनमें पैदा हुआ है जो आप पैदा करना चाहते हैं। अगर यह चीज आप दिखा देते हैं तो मैं मान लूंगा कि वाकई आपके राज्य में तरक्की हो रही है। मैं तो मुल्क की तरक्की चाहता हूं, चाहे वह आपके जरिये से हो या किसी दूसरे के जरिये से हो। अभी म्युनिसिपल बोर्ड्स के इलेक्शन्स हुए मैंने भी कम्पेनिंग किया है। मैंने लोगों से कहा कि अगर कांग्रेस ने उनका भला किया है, उनकी तरक्की की है तो फिर इस डाक्टर को नहीं बदलना चाहिये। एलेक्शन्स, मौका हुआ करते हैं जनता के लिये अपनी राय के इजहार करने को और उसकी राय का इजहार यह है। मैं नहीं मानता कि लोगों ने कोई कांस्पेरेसी करके ऐसा किया है कि जिस जिस जिले या कस्बे से कोई भी आदमी मिनिस्ट्री में आया है वहां जनता ने जरूर सरकारी पक्ष को दूसरे चुनाव में हराया है। इसके माने यह हैं कि जिस जगह के हमारे यहां सिम्बल आफ पावर है, उस जगह के लोगों के खिलाफ वोट देने के साफ माने हैं कि आपकी बेहतरीन नीति के होते हुए भी आपके कामों से लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। यही वजह है कि बड़ौत, नगीना, बहराइच, ओरई, बुलन्दशहर, बिजनौर जहां से भी इस सूबे के मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर आये हैं उस जगह के लोगों ने आपके खिलाफ वोट दे कर यह बतला दिया है कि आपकी पालिसी में कोई बुनियादी खराबी है। उससे जनता को जितना फायदा होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। आपको मैं एक उसूली बात बताना चाहता हूं कि पीपुल का ट्रेन्ड जो है वह पालिसी के ऊपर होता है। यह कहना कि जनरल ऐलेक्शन के समय लोग काबिल थे और अब नाकाबिल हो गए हैं, एक हंसी की बात है। इस किस्म की लाजिक तो एक अजीब किस्म के लोग ही दे सकते हैं। पिछले एलेक्शन में लोगों ने कांग्रेस को वोट दे कर अपनी सही मनोवृत्ति का परिचय दिया था, इसलिये कि उस समय लोग एक स्टेबिल गवर्नमेंट चाहते थे और आज उन्होंने आपके खिलाफ वोट देकर यह बतलाया है कि आपके खिलाफ बेचैनी बढ़ रही है। मैं हर तरह के लोगों से मिलता हूं, बात चीत करता हूं और मैं नहीं समझ पाता कि क्या कारण है कि दुनियां के किसी मुल्क के अन्दर इतने स्टेट प्रोजेक्ट नहीं बढ़ रहे हैं, दुनियां के किसी मुल्क में मिनिस्टरान इतना काम नहीं करते हैं कि जितना कि इस हमारे प्रदेश में करते हैं। हर मुल्क में लोग डेढ़ दिन रेस्ट लेते हैं, एक सप्ताह के अन्दर लेकिन इस मुल्क में मिनिस्टरान को मिनट का भी चैन नहीं मिलता, उनको अपने बीबी बच्चों से बात करने की फुरसत नहीं मिलती। यह सब चीजें होते हुए, हमारे लीडरान के इतना मेहनत करने पर, हमारी इन्कम बढ़ने पर, हमारे स्टेट के प्रोजेक्ट बढ़ने पर भी लोग खिलाफ वोट देते हैं तो मैं यह कहने पर मजबूर हूं हालां कि मेरी ख्वाहिश ऐसा कहने या समझने की जरा भी नहीं है, कि कोई कारण ऐसा है जरूर कि जिसकी वजह से लोग इस सरकार को पसन्द नहीं करते, खिलाफ वोट देते हैं और उस कारण को हमें जानना चाहिये। आनरेबिल फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसमें एक अजीब बात फरमाते हैं कि बेकारी का सवाल नया सवाल नहीं है। बेकारी तो अमेरिका में भी बढ़ रही है। यह तो कोई बात नहीं है। अगर मुल्क की व्यवस्था ठीक नहीं है तो मुल्क के समृद्धिशाली होते हुए भी एक तरफ प्लेन्टी हो सकती है

[श्री गोविन्द सहाय]

और दूसरी तरफ पावरटी हो सकती है। अमेरिका में स्टेट ने लोगों की तरक्की के साधन मुहैया किये, लेकिन अपने सोशल इंटीट्यूशन्स को नहीं बढ़ाया। उसने पीस (peace) की बात की, लेकिन उसको लोगों के जीवन में नहीं ढाला और इसका नतीजा यह हुआ कि वहां की व्यवस्था ने उस देश को वार (war) की तरफ जाने पर मजबूर किया। यह कोई दलील नहीं हो सकती। इन मामले में हमारी राय अदालत में खड़े हुए वकील जैसी नहीं होनी चाहिये। लोग कहें कि कुम्भ ट्रेजेडी हुई और उसमें इतने ज्यादा लोग मर गए तो यह कहा जाय कि क्वीन एलिजाबेथ के कोरोनेशन में भी तो इतनी मौतें हुई थीं। बेकारी के लिये कहा जाय कि अमेरिका में भी तो बेकारी बढ़ रही है। आपको जानना चाहिये, हालांकि कुछ लोग, दूसरे कुछ मुल्कों का नाम सुनने से बिदकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा, एक मुल्क आपसे पिछड़ा हुआ था उस मुल्क में जब यहां की गवर्नमेंट के स्पोक्समैन गए तो उन्होंने भी यहां आने पर कहा था कि वहां बेकारी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपने यहां के तमाम प्राब्लम्स को हल कर लिया है। वहां के लोगों में उन्हें हल करने के लिये इंथ्यूजियाज्म है लेकिन यहां आपको अपील करनी पड़ती है जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये।

अब मैं आखिरी बात पर आता हूं, यानी अपील की बात पर। हुजूरवाला, मुझे लाल बत्ती तो दिख गई है इसलिये मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। मैं अपील की बात पर कहना चाहता हूं कि हमारे डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी पर इस अपील का बड़ा असर पड़ा। यह तो अपनी अपनी आदत है। कुछ लोग जल्दी ठंडे होते हैं और कुछ लोग जल्दी गरम हो जाते हैं। लेकन मैं तो उनमें से हूं कि जो न जल्दी गरम होता हूं और न जल्दी ठंडा ही होता हूं। आखिर यह क्या बात है कि यहां के लीडरान अपील करते हैं कि जनता में मेल होना चाहिये, जनता को सहयोग देना चाहिये, मगर कोई जमात यूनिटी की तरफ नहीं जाती है। यहां तक कि जिस जमात में वह लोग रहते हैं वह तक यूनिटी की तरफ नहीं जाती है यहां के मेम्बरान की कमेटियां बनाई जाती हैं, मगर हम देखते हैं कि मेम्बरान होने की हैसियत से उनके ज्यादा से ज्यादा इमालूमेंट्स बढ़ जाते हैं। अगर आप इस सब की तह में जायें तो आपको मालूम होगा कि हमारी अपील वैसी ही होती है जैसे हमारे कानून बनते हैं। हमारी अपील ठीक वैसे ही है जैसे पादरियों की अपील जंग को बन्द करने के लिये होती है जिनके एक हाथ में अमन रहता है और दूसरे हाथ में तलवार रहती है। अगर आप चाहते हैं कि देश में अमन व अमान कायम करने की भावना पैदा हो तो आपको जनता में विश्वास दिलाना होगा और सही माने में आपको सहयोग की बात करनी होगी। यह जो आप नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी या नेशनल गवर्नमेंट में पार्टी की हुकूमत नहीं होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर मुझे पूर्ण विश्वास हो जाय कि आपकी नियत सही माने में वही है जो आप कहते हैं तो मैं अपने आपको ५, १० साल के लिये सरेन्डर कर सकता हूं। मैं नियत का लफ्ज वापिस लेता हूं। इसलिये कि इसके बहुत से माने लगाये जा सकते हैं। इस पर यहां काफी बहस हो सकती है। अमल लफ्ज का इस्तेमाल सही होगा, यानी जब अमल आपका बिल्कुल बरअक्स रहता है उसके कि जो आप कहते हैं तो मैं आपकी अपील के भी वैसे ही मानी लेता हूं। आपका कहना है कि पीपुल क्वाप्रेट करें तो आप बतायें कि किस चीज में क्वाप्रेट करें, आया क्रिमनल टेंडेंसी को बढ़ाने में क्वाप्रेट करें या अनइम्प्लायमेंट के बढ़ाने में आपका सहयोग दें। कोई आदमी ठेके पर

या मजदूरी पर काम में लगाया जाता है तो उसमें हम क्या क्वाप्रेट करें। आप बतायें कि किस काम और उद्देश्य को लेकर हम आपके साथ क्वाप्रेट करें। जहां तक इंसानियत और खूबियत का सवाल है उसके लिये आपकी अदालतें कहती हैं कि हमारी अदालत में अगर सच बोलें तो फौरन सजा होगी। आप देखें कि आपका कानून खुद लोगों को कानून तोड़ने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि आपकी अपीलें बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। जहां तक देश की तरक्की या आजादी का सवाल है तो मुझे किसी से कम मुल्क की हमदर्दी नहीं है क्यों कि हम सबने मुल्क की आजादी के लिये कंधे से कंधा मिला कर लड़ाई लड़ी है और मुल्क के बचाने में इतना ही हाथ बटाया है जितना किसी दूसरे ने। यह कहना कि आजादी जो हमें मिली है उसको गिरते हुए देखने में हमको दर्द नहीं हैं, यह बात नहीं है, जब हम देश की तनज्जुली को देखते हैं तो हमारा कलेजा फटने लगता है मगर हम क्या करें, यही सवाल है। उसके कराने की जम्मेदारी ज्यादा तर आप पर है अगर आप चाहें तो देश का मारल स्टैन्डर्ड ऊंचा हो सकता है। जहां तक हमारे सूबे के मारेल का सवाल है उसकी यह हालत है कि यहां एम० एल० ए० और एम० एल० सी० होते हैं वे हमेशा फर्स्ट क्लास का टी० ए० लेते हैं, चाहे ट्रेन में फर्स्ट क्लास हो या न हो। यह क्यों है, इस लिये कि आप का कानून ही वैसा है। आपकी व्यवस्था, आपकी ऐक्टीविटी का एक्सपेंशन आपकी तालीम, आपका मारल स्टैन्डर्ड ही इसी तरह का है, जो मारेल स्टैन्डर्ड या जो प्रतिक्रिया आपकी होनी चाहिये, वह नहीं है। आपने बाहरी बिजली जरूर पैदा की है लेकिन लोगों के अन्दर की बिजली को आप ने बिल्कुल खत्म कर डाला है। आपने सड़कें बनायीं, स्कूल खोले, मगर जागृति की कोई शिक्षा लोगों को नहीं मिल रही है। आप देखें कि आज एशिया काफी जद्दोजेहद की तरफ बढ़ रहा है। लोगों में आजकल काफी चेतना पैदा हो गयी है लेकिन हमारे देश का अगर यही हाल रहा तो उसकी वह भी स्टेटस नहीं रहेगी जो आज है। मैं यह मानता हूं और मेरा यह विश्वास है कि आपके हटने के बाद किसी संस्था में इतनी शक्ति अभी नहीं पैदा हुई है कि वह देश को संभाल सके। लेकिन आज सफरिंग फ्राम वाट्स जिसे कहते हैं वह बढ़ रही है उसे खत्म करने की आप कोशिश करें।

आजादी के माने हैं फ्री टू ग्रो (free to grow) हमारी असली आजादी छिनती जाती है और उसके बदले में हमको मसनुयी आजादी मिलती जा रही है।

डाक्टर वीर भान भाटिया (नाम निर्देशित)--Sir, I shall be grateful if you would kindly permit me to speak while sitting as I am still in a very weak state of health.

At the outset I would like to congratulate the Hon'ble Minister of Finance and the Government of U. P. for a very sound budget which they have presented before us. At this season when the budget is presented in the legislatures all over the world, there is only one theme which is presented by the Opposition and that is, that the taxes are high and they should be lowered, that the unemployment is on the rise and that it should be decreased, that the wages are low and they should be increased and that the hours of duty are great and they should be reduced. Such a theme may sound very sweet to some people who have not got the necessary intelligence but people who have got a functioning grey matter fail to see any sense in words like these. How can any Government on the face of this earth increase employ-

[डाक्टर वीर भान भाटिया]

ment, give more wages and get less work without having greater income and how can they have greater income without having some sources such as taxes etc. Therefore I fail to understand ho w can this Government reduce the taxes, reduce the burden on the common man and yet improve employment and give more wages. I am one of those who does sincerely believe that every man who can work must have work. I also sincerely believe that every man must have a living wage. But I do not agree with the Socialists who on one hand cry for increase in wages and on the other hand say that the hours of work should be reduced. I believe that wages should be entirely on the basis of the quantity of work and the quality of work which is put forth. If every labourer is paid according to the quantity and the quality of work that he puts forward then and then only the employers will be able to get their worth of money and they will be able to pay them more and more wages. But the tendency at the present moment is that the labourers must get more money and they must put in less work. And this is not the tendeney to-day only in our country but I have seen the same tendency in other countries which in the past had been socialists.

I had occasion to live for a couple of years in England in 1927-28. At that time there were large number of people unemployed but those who were employed were of such moral standard that in the house where I was living some plumbering work had to be done. A plumber came to work at about 8 a. m. and at 9. 30 a. m. when we were having our breakfast a cup of tea was offered to him which he refused. He said that between 8 and 1 he would not stop for a moment even to smoke a cigarette. If he were given a cup of tea at 1 p. m. he would welcome it. Now, that was the state of affairs in England in 1928. I had occasion to visit that country in 1950 when it was under Labour regime and this time I found that in the hospitals where they used to commence work at 8 in the morning at 9 the doors were still shut. I went again there at 9. 30. I found the Secretary slowly coming in. I enquired what has happeded to this hospital. He replied that now it would open at 10 o'clock. At 10 the staff came and after an hour they dispersed for a cup of coffee At 1 o'clock there was the lunch interval. They came back from the lunch at 2 o'clock and after an hour there was another interval for a cup of tea. In the Secretary's office where I saw only one girl clerk working in 1928 now four girls were sitting and hardly any work was being done. Well, certainly in 1950 our England could say that there was no unemployment but at the same time there was less work being done. The work which was perviously being done by one person was now being done by four persons the result of this type of socialization quite obvious that the country has gone down tremendously. In the same year I had occasion to go to America and I found there that a work which was being done by four people in England was again being done by one person in America. On a public bus the driver was working as a conductor, as well he was selling tickets, closing doors etc. Work done by two people in England was done by one person in America and if such people get higher wages they fully deserve it. If a man works

for ten or twelve hours a day, he certainly deserves more wages. The only way by which we can increase the efficiency of our country is by putting in much more work than we are doing at present. Even our peasantry if they would work harder and for more hours will certainly be able to produce more from the land. one of the causes of the poverty of this country is that we do not work hard. If we employ labourers they are supposed to do eight hours work but each and every half an hour, in India, he has to go to smoke a *biri* or he has to go to attend the call of nature. That is the reason why we do not get full 8 hours work from a mason who gets Rs. 3 a day and a coolie Rs. 1-8 a day. On the other hand in other countries to a similar mason or a labour you give three or four times more wage but you still get your money's worth.

Now, one of the causes of our inability to put in hard work is our ill health. Our health to some extent not is good because of our poor nutrition. But to a great extent our health is not good because of the large number of diseases which are prevalent in our country. It is in this respect I feel that full atention is not being given to the health of the people in the budget that it deserves. We find that in our State the expenses on medical relief fall to about 6 per cent. of the total budget. In some other States, particularly in the State of West Bengal, this is about 11 per cent and in other countries it is as much as 25 per cent. Therefore, our State is spending very much less compared to some other States in India on medical relief.

But still I think the medical relief under the present regime has extended a great deal. The two medical colleges have expanded, many more doctors are being produced and many more dispensaries are being opened yet I feel, and I feel very strongly, that in the Five-Year Plan of the Government of India and in the Five-Year Plan of our state sufficient stress has not been given to the health of the nation.

In our State the State Health Board formed a Sub-Committee sometime in last September to improve on the health plan. This Sub-Committee met on two or three occasions and formulated a plan which was not likely to cost very much more but was certainly going to improve the health of the people and was going to provide better facilities to people in rural areas. However, I am very much pained to see that the Health Board was not able to consider the report of that Sub-Committee even at the one or two meetings which were held after that. We were told that a special meeting may be held in Naini Tal to consider the Scheme but that meeting also did not mature and the result is that as the recommencation of the Sub-Committee were not considered by the Provincal Board those could not come before the Cabinet and nothing has been done in the present year to provide better medical aid in rural areas.

The Committee had suggested that there should be some medical aid within a radius of two or three miles, that in villages there should be

[डाक्टर वीर भान भाटिया]

provision for some emergency treatment, there should be provision for three or four beds, provision should be made for the removal of urgent cases at the tahsil level. It was suggested that there should be at least two doctors over there—one expert on the medical side and the other in surgical side and it was further suggested that in the Tahsil the provision of at least 25 beds should be made and at the district level there should be provision for a hospital of 200 beds.

There should be again a medical expert, a surgical expert, a midwifery expert, radiologist, pathologitt and ophthalmology. I had given some questions, the answers of which I have not received, but I know that in the Provincial Health Service, at present, there are at least more than 50 doctors who are experts in medicine. That is, they are either M.D. or M.R.C.P. from London or Edinbourgh. Similarly, on the surgical side there are surgical specialists who are M.S. or F.R.C.S. We have been pressing on the Government for a very long time that in the districts instead of having a Civil Surgeon and an Assistant Surgeon both of whom are doing the same sort of work and thus are rivals of each other, they should keep a surgical specialist who should confine himself to the surgical side and a medical specialist who should confine himself to the medical side and whoever is senior should be given a small allowance for the administrative work. By doing this the efficiency in the districts would considerably improve. This would not cost the Government any extra expenditure but still, somehow or other, they have not been able to give to this Scheme which has been repeatedly brought to their notice from the Health Advisory Council. Similarly, we find that for the last several years a referesher course which was being given to the Provincial Service doctors has been discontinued. In 1940 it was said that it was discontinued because of war but now the war has ended for nearly eight years, we had a national Government for our six years and yet this referesher course has not been restored. In these days when the science is making such rapid progress it is very essential that all the medical officers employed by the State must have an uptodate knowledge and must undergo a short referesher course for about three months every three or four years. The course would not cost any money to Government because the medical staff of the colleges was ready to give the teaching free of any charge.

Next, we find a great deal of talk in every quarter and from every side that we in this country do not devote enough time or energy to medical research and that this country has not found a place on the map of the world which outlines medical research. When I enquired from the Hon'ble Minister I was informed that the total amount of money which is spent on medical research is about Rs. 22,000. Well, that Rs. 22,000 cannot even buy you even elementary equipment for research. Now countries which are producing medical research and which are discovering new drugs for the alleviation of human suffering are doing so at a tremendous cost. In U.S.A. whatever amount is spent on medical relief half of that amount has been spent on medical research. A small country like New Zealand is spending nearly £5 million on

medical research. Canada is spending over £10 million. Here, in this State, with a population of six crores and with an income of Rs. 70 crores or so you are spending Rs. 22,000 on medical research and you expect that medical research of outstanding value be produced. Whatever medical research America is doing to-day is being done by the tremendous amount of money at its disposal. It is money and money alone which is producing medical research. We, in this country have got the intelligence, and necessary talent for medical research, we have got plenty of youngmen keen to devote themselves medical research but the State is not able to give them even the living wage They want to give Rs. 100 to a medical man who has spent five or six years of his life in order to get an M.B,B.S. degree, has spent another four or five years to get M.D. and then he wants to do medical research and he is only offered Rs. 100 or Rs. 150 at the most. Medical research cannot be done in this way. People who are engaged in whole-time research must have a good living wage, They must have the necessary equipment, they must have the necessary apparatus and then in that sphere after spending years and years of hard labour they are likely to find something which in the long run will add something to alleviate the human suffering.

Disease in this country has got a different pattern from diseases in other countries. In every tropical disease something more has got to be learnt to. There is not a single disease about which we can say our knowledge is complete. In every disease something more has got to be found out and that can only be found by research, research not by a few or by two or three people in Lucknow or by two or three people in Agra but research by all the doctors working all over the province. Even in remote villages if they observe patients more thoroughly, they can add something to our knowledge, but for this purpose the Government must provide funds. From the Health Advisory Council we have been requesting the Government to give at least a grant of Rs, 2 lakhs for medical research, but for the last several years we have been getting only a sum of Rs. 22,000 for the two medical colleges. and yet we are blamed that we are far behind in the advancement of medical science, we are not making any contribution to medicine research. I am afraid the fault is not ours, The fault is of the State which provides such meagre sums for researh.

Well, in spite of some shortcomings of our members, in spite of the fact that people are losing faith in them, I still feel that our Government has been doing their best for the country in many directions. I admit the standard of morality is not today what it should be. If there is increase in crime, the fault is not entirely of the Government. The fault is of every one of us who sits here and gives lengthy speeches but do not do what we preach. Certainly we aspire that bribery should be wiped out from all spheres, crime should be wiped out and that the standard of morality should improve but that will not be achieved by mere speeches over here. That will only be done when every one of us wlll practise what he preaches.

चेयरमैन--कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १ बज कर २ मिनट पर स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट भाषण इस सदन में दिया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के कल्याण-कारी होने के लक्षण इस बात से आंके जा सकते हैं कि उस राज्य में भोजन, वस्त्र, रहने के लिये मकान तथा निरक्षरता आदि को समाप्त करने के लिये उचित व्यवस्था हो। इस बजट को पढ़ने के बाद जहां तक मुझे मालूम हुआ है इस दिशा में सरकार ने उचित कदम उठाया है और काफी प्रयत्न किया है। तीन चार साल के अन्दर हमारे राज्य की कितनी प्रगति हुई है इसी से आंका जा सकता है कि जिस समय हमने स्वराज्य लिया उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि देश के रहने वालों को भोजन के लिये न तो अन्न था और न पहिनने के लिये पर्याप्त वस्त्र ही मिलता था। विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था, हमें कन्ट्रोल करना पड़ता था और अन्न वस्त्र में कटौती करनी पड़ती थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि खाद्य में अधिक अंशों में हम स्वावलम्बी हो चुके हैं, काफी जमीन उपजाऊ हो चुकी है। अन्न पहले की अपेक्षा काफी हो रहा है। वस्त्र भी काफी हो रहा है। निरक्षरता दूर करने के लिये पर्याप्त स्कूल खोले जा चुके हैं। हमारे जो आलोचक हैं, जो कहते हैं कि सरकार ने जो काम किया है वह कल्याणकारी दिशा की ओर नहीं ले जा रहा है, नितान्त गलत है। यह निश्चित है कि सरकार ने जो कुछ काम किया है उससे हमारे देश की उन्नति हुई है और सरकार की यह हार्दिक अभिलाषा है कि हम देश को अच्छी जगह ले जायें। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह देना चाहता हूं कि आलो-चकों की तरफ से कई भाइयों ने यह बात कही है कि स्वराज्य प्राप्त करने में कन्धे से कन्धा लगा कर हमने भी मेहनत की है। बात ठीक भी है। समुद्र मंथन के समय सुर और असुर दोनों ने मिलकर रत्न निकालने का प्रयत्न किया था। परन्तु जब रत्न निकले और बटवारे के प्रश्न को लेकर झगड़ा मचा तब भगवान ने रत्न सुरों को ही अधिकारी समझ कर उन्हें दे दिया। इसी प्रकार से जनता जनार्दन ने भी शासन सूत्र हमारे माननीय मिनिस्टरों को ही अधिकारी समझ कर उनके हाथ में दे दिया है। इससे उन भाइयों को थोड़ी सी डाह पैदा हो रही है और उनके सारे कार्य इसी दृष्टि-कोण से हो रहे हैं कि हम इनको किस तरह से नीचा दिखला कर इन कुर्सियों पर बैठें। जब इस दृष्टिकोण से कार्य होने लगता है तो विवेक दूर हो जाता है और उस समय आदमी अकार्य करने लगता है।

यह कहा जाता है कि राज्य में अव्यवस्था है, राज्य में तमाम तकलीफें हैं। यह तो ठीक है, लेकिन देखना तो यह है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जनता सदियों से गुलाम रही है, सदियों से अव्यवस्था चली आ रही है, वह इतनी जल्दी दूर नहीं की जा सकती। सरकार के खिलाफ तमाम प्रचार किया जाता है वह इसीलिये किया जाता है ताकि इन कुर्सियों पर आ जायं। आलोचना में यह प्रवृत्ति होनी चाहिए कि सरकार मजबूत हो न कि ऐसी बात कही जाय कि जिनसे ठेस लगे। जो आलोचनायें हो रही हैं, वह गलत हैं। किसी काम के करने में जितना समय लगता है उसकी अपेक्षा बिगाड़ने में बहुत कम समय लगता है। इतने थोड़े समय में जो कुछ काम हुआ है क्या वह प्रसंशा करने के योग्य नहीं है। देखने वालों को काम अच्छा न लगे यह दूसरी बात है। लोग कहते हैं कि देश में नैतिकता की गिरावट हुई है। यह बात ठीक है। लेकिन हमें देखना यह है कि हम उस दिशा में प्रगति कर रहे हैं या नहीं। हम हर दिशा में प्रगति कर रहे हैं। सरकार कर्ज लेकर भी देश हित के लिये काम करने को तैयार है। नहरें बनवाईं, सड़कें बनवाईं क्या यह देश के अहित में है। सरकार जहां तक कर सकती है उन्नति के लिये काम कर रही है। भावनाओं में फर्क हो सकता है। अगर सेवा करना चाहते हैं तो सेवक का भाव होना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि पुलिस की जानकारी में बदअमनी पैदा हो रही है। मैं कहता हूं कि

जितना पहिले जुर्म होता था उतना अब नहीं होता है। जो कुछ होता है उसका यह कारण है कि सरकार ने लिखने बोलने की स्वतन्त्रता दे दी है। उससे सरकार विरोधी प्रचारों को बल मिलता है और बुरे लोगों के दिमाग ऊंचे हो जाते हैं। ऐसी जनता के बीच में भावना पैदा करना गलत चीज है। सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया है, जिधर ध्यान नहीं किया है। हर दिशा में कुछ न कुछ काम हो रहा है। हर दिशा में पहले से काफी प्रगति हुई है। हमारे अध्यापक बन्धुओं की ओर से कहा गया कि देश की नैतिकता गिरी हुई है। बात ठीक है किन्तु देश की नैतिकता सदियों से गिरी हुई है। वह एक दो साल में नहीं सुधर सकती। देखना तो यह है कि हम प्रगति कर रहे हैं।

लेकिन हमें तो उन लोगों के भाषणों को सुन कर निराशा हुई। क्योंकि किसी देश को आगे बढ़ाने के लिये शिक्षक समुदाय ही विशेष जिम्मेदार होता है। हम देखते हैं कि शिक्षक समुदाय की तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि अध्यापकों को कम वेतन मिलता है, उनको अधिक रुपया दिया जाय, इसके अलावा कोई बात नहीं कही जाती है कि जिससे हमारा नैतिक स्तर ऊंचा हो। क्या बिना पैसे के नैतिक स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। बहुत से अध्यापक ऐसे है कि जिनके पास अपने घर का पैसा है लेकिन क्या उनका नैतिक स्तर ऊंचा उठ रहा है। आज जो चरित्र हीनता, अनुशासन हीनता, अनैतिकता फैल रही है उसकी दोषी सरकार ही केवल नहीं कही जा सकती है। सरकार तो जनता, अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर बनी है। मान लीजिये एक मशीन है और उसका एक पुरजा बढ़िया है लेकिन और बहुत से पुरजे खराब हैं तो वह मशीन कैसे अच्छी तरह से चल सकती है तो हमारी सरकार और सरकार की तरफ से काम करने वाले दिल जान से चाहते हैं कि नैतिकता का स्तर ऊपर उठे लेकिन जब कई एक वर्ग बदअमनी पैदा कर रहे है या बदअमनी पैदा करना चाहते हैं तो सरकार पर ही इसका दोष लाद देना कितनी बेजा बात है।

आज अध्यापकों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रुपये की कमी की वजह से हमारे शिक्षक काम नहीं कर पाते। पहले जमाने में शिक्षकों की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं हुआ करती थी। शिक्षक तो त्यागी हुआ करते थे उनकी वेष भूषा साधुओं जैसी हुआ करती थी। उस समय शिक्षा ऊंची थी और नैतिकता का स्तर भी ऊंचा था और जब उन्हें आज पैसे की ही फिक्र है तो कहां तक वे शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, यह सोचने की बात है। एक प्रकार की शिक्षा तो तोता मैना को भी दी जाती है। वह भी राम राम रटना जान लेता है लेकिन वह उचित शिक्षा नहीं कही जा सकती है। हमारे शिक्षितों का चरित्र ऊंचा होना है। सरकार तो इसके लिये काम कर रही है लेकिन क्या अध्यापक बन्धु भी इसके लिये प्रयत्नशील हैं। वे भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं उनको चाहिए कि समय समय पर इकट्ठा होकर या अपनी सभा बनाकर इस बात पर भी विचार करें कि किस तरह से हम अपने शिक्षार्थियों के नैतिक स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। क्या किसी अध्यापक मंडल ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है। मेरा तो विश्वास है कि ऐसा प्रस्ताव नहीं पास हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सरकार की तमाम मशीनरी और साथ ही अध्यापक लोग भी दिलोजान से काम करेंगे तो काम आगे बढ़ सकता है और हमारा चरित्र ऊंचा हो सकता है। लोगों ने रूस और चीन का भी हवाला दिया। क्या रूस और चीन तथा हमारी सरकारी नीति में अन्तर नहीं है। क्या हम हिंसा के बल पर काम नहीं कर सकते थे। हमारी नीति में और वहां की नीति में महान अन्तर है। हिंसक जितने समय में काम करा सकता है उतने समय में क्या अहिंसक भी करा सकता है जबकि अहिंसक को अपनी प्रार्थना से काम कराना है। यदि इस विचार को हम अपने सामने रखें तो सरकार ने हर तरीके से जहां तक हुआ काम किया है। इस तरह से कौन काम कर सकता है। मेरा विश्वास है कि जिस

[श्री राम नन्दन सिंह]

तेजी से सरकार ने काम किया है उतनी तेजी से कोई भी पार्टी काम नहीं कर सकती है । बेरोजगारी की समस्या के बारे में भी कहा गया है । बेरोजगारी जरूर है। पुराने जमाने में लोग वर्ण और आश्रम के आधार पर चलते थे । उसमें खास बात यह थी कि एक आदमी एक ही काम की जिम्मेदारी लेकर चलता था और जहां तक हो सकता था एक ही काम करता था । किन्तु आज तो यह देखा जाता है कि जिनके घर काफी जमीन है अगर उनके घर के लड़के शिक्षित हो गये तो वह खेती नहीं करना चाहते और वह आगे नौकरी के लिये दौड़ मारते हैं। व्यवसाय भी उन्हीं के हाथ में चला जाता है। इस दशा में सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिनके पास साधन नहीं हैं जिनके लिये कि सचमुच बेरोजगारी है पहिले उनको नौकरी में और व्यवसाय में स्थान मिलना चाहिए और जिनके पास जीविका के साधन हैं, जो कुछ काम कर सकते है या कर रहे हैं, उनको स्थान उन लोगों के बाद ही मिलना चाहिए। अगर इसी व्यवस्था से काम किया गया तो मेरा विश्वास है कि जब हम अन्न वस्त्र में स्वावलम्बी हो जायेंगे तो उसके साथ ही साथ हमारा वितरण भी ठीक ढंग से रहेगा और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पैदा न होगी ।

अब दूसरी बात मैं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आज सरकार की तरफ से हमारे स्वास्थ्य विभाग पर जो खर्चा हो रहा है वह कम नहीं हो रहा है, काफी हो रहा है और काम भी प्रसंशनीय है। लेकिन मुझे इसमें एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना है और वह यह है कि जो दवादारू हमारे देश को प्राप्त है वह देशवासियों के लिये बड़ी महंगी पड़ रही है । हमारे अस्पताल चाहे ऐलोपैथिक हों, चाहे आयुर्वेदिक, उनसे हमारी घरेलू जड़ी-बूटियों का लोप होता चला जा रहा है । हमारे गांव के लोग जितनी दवाओं को जानते थे और जो दवाइयां प्रकृति ने हमारे यहां पैदा कर रक्खी हैं वह लोग धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं । मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जहां रोग होता है वहां दवा भी पैदा हो जाती है । मैं आज देखता हूं कि जहां लोग गांव में मामूली जड़ी बूटियों से अपना इलाज कर लिया करते थे उनकी जगह जब वह अस्पताल में जाते हैं तो डाक्टर या वैद्य उनको महंगी दवा देते हैं या नुस्खा लिख दिया करते हैं जिसमें उनका पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और उनकी मेहनत भी ज्यादा लगती है। इन अस्पताल की दवाइयों से लाभ भी उतना नहीं होता। इन घरेलू जड़ी बूटियों का प्रचार होना चाहिए और इसके लिये सरकार को आयुर्वेद के प्रचार की ओर ध्यान देना चाहिए । अगर इस ओर ध्यान दिया गया तो हमारे देश का स्वास्थ्य बढ़ेगा और हमारी बीमारियां भी कम होंगी । क्योंकि मेरा विश्वास है कि घरेलू दवाइयां इतनी चमत्कारिक हैं कि बाज वक्त इन बड़ी बड़ी दूकानों और अस्पतालों की दवाइयों से ज्यादा फायदा करती हैं। सरकार को इस दिशा में भी कुछ करना चाहिए यह मेरी इस सम्बन्ध में राय है ।

अब इन बातों के बाद जो हमारे भाइयों ने कहा है कि वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है तो क्या इस दिशा में सरकार ने जो जमींदारी उन्मूलन किया है उससे अधिक लोगों को रोजगार नहीं मिला है। हो सकता है कि कुछ कानूनी कठिनाइयों से न मिला हो लेकिन सरकार का जो मतलब है जमींदारी उन्मूलन से वह यही है कि जो दरअसल खेती करने वाले हैं उनको जमीन मिल जाय और वास्तव में इससे लाखों आदमियों को खेती मिली है और इस सिलसिले में काम हो रहा है । हां, इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करनी है कि उत्तर प्रदेश में यह जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हो चुका है, लेकिन हमारे यहां की स्थिति कुछ दूसरी ही थी । हमारे यहां महाराजा

बनारस की जमींदारी रही । वहां की सत्ता वहां के राजा के हाथ में १९११ में आई और उनके बाद उनके नाम की जगह बनारस स्टेट का नाम खेवट में दर्ज हो गई और स्टेट के राज्य में निहित हो जाने के बाद उस जगह सरकार का नाम आ गया। जो गवर्नमेंट की प्रापर्टी हो गई इसलिये उस पर यह अधिनियम प्रभाव नहीं रखता है इसलिये हमारे यहां के १५५६ पूरे गांव और ११९ गांवों के कुछ हिस्से के किसानों को इस अधिनियम से कोई लाभ नहीं हुआ है। ऐसे नियमों के हमारे यहां लागू न होने से वहां के १९,००० किसानों को जिन्हें ६५,००० एकड़ जमीन का अधिकार मिलता, वञ्चित किया जा रहा है। इससे बनारस स्टेट के लोगों को कम लाभ हुआ है उस हिसाब से कि जिस हिसाब से कि बाकी प्रदेश के लोगों को हुआ है। अब लाल झन्डी दिखाई दे रही है इसलिये अब मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर शीघ्र ही अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा।

चकिया के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। वहां एक हायर सेकेन्डरी स्कूल है। जिसके लड़के भवन की कमी के कारण प्राईमरी स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी लड़कियों के स्कूल में पढ़ते हैं और लड़कियां आदित्य पुस्तकालय के भवन में पढ़ रही हैं। यदि सरकार हायर सेकेन्डरी स्कूल की इमारत पूरी बना दे तो सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जगह में पढ़ने लगें। इस प्रकार पुस्तकालय भवन खाली हो जावे और उससे वहां के लोगों का लाभ होने लगे। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में अपील करता हूं कि सरकार वहां के लिये एक भवन बनवा दे जिससे विद्यार्थियों को सुविधा हो जाये। दूसरी बात यह कहना है कि चकिया की अधिक जनता पहाड़ों में रहती है, वहां शराब की कई भट्टियां हैं और वहां की जनता का लाखों रुपया शराब खोरी में चला जाता है इसीलिये वहां की जनता काफी गरीब है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि वहां नौगढ़ से शराब की भट्ठियां तोड़ दी जायं और वहां की नशा-खोरी बन्द की जाय।

तीसरी चीज यह है कि चन्द्रप्रभा और कर्मनाशा जो दो नदियां हैं जिनकी वजह से बरसात के महीने में यातायात बन्द हो जाता है, यातायात की वहां बहुत कमी है। श्रमदान के सिलसिले में हम लोगों ने वहां १९ मील लम्बी सड़क बनाई है, लेकिन तब भी दोनों नदियों में पुल न होने से हमारी कोशिश बेकार रही। इसलिये उन नदियों पर जहां जहां पुल बनाने की आवश्यकता है वहां बना दिये जायं तो हमारा यातायात बरसात में भी जारी रह सकता है वरना बरसात के महीनों में हमारा नाता चकिया के बाहर वालों से टूट जाता है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ माननीय वित्त मन्त्री के भाषण की मैं प्रशंसा करता हूं और उसका स्वागत करता हूं। हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य की तरफ चल रहा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वह हमारे विरोधी दल को सद्बुद्धि दे ताकि वे भी हमारे कार्य में सहयोग दें।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में जो भाषण प्रस्तुत किया है उससे यह पता चलता है कि हमारी सरकार कल्याणकारी मार्ग की ओर बढ़ती चली जा रही है और उन सब कार्यों को कर रही है जो प्रदेश के लिये आवश्यक हैं। मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। जो आंकड़े वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में दिये हैं उनको सदन के सम्मुख रखना मैं नहीं चाहता। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि उन आंकड़ों से यह पता चलता है कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है। परन्तु विरोधी दल की ओर से यह सिद्ध करने की कोशिश की गयी है कि जो

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

बजट के आंकड़े हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसके दो मुख्य कारण बतलाये गये एक तो यह कि हमारे बजट का संतुलन दो वर्ष से नहीं हो रहा है । जिसके कारण रिजर्व फन्ड के घाटों की पूर्ति की जा रही है और दूसरा कारण यह बतलाया गया है कि ऋण भी बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि रिजर्व फन्ड में १२ करोड़ से घट कर ७ करोड़ रह गया है और हमारा ऋण .५७ से बढ़कर १९५ करोड़ तक पहुंच गया है। यह आंकड़े ठीक हैं परन्तु उन आंकड़ों से यह कैसे सिद्ध होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। जो ऋण उत्पादक हैं उनके द्वारा तो ऐसे कार्य हो, रहे हैं जिनसे देश और प्रदेश को समृद्धि होती जा रही है या उसका विकास हुआ है उस ऋण को किसी प्रकार से भी प्रदेश के लिये हानिकारक नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार से रिजर्व फन्ड के बारे में कहा गया है उसके लिये मैं यह बतला देना चाहता हूं, अपने उन भाइयों को, जिन्होंने कि उसकी आलोचना की है कि रिजर्व फन्ड का उद्देश्य ही यह है कि विशेष आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग किया जावे । महायुद्ध के दौरान में जब यह रिजर्व फन्ड कायम किया गया था उस समय उसका यही उद्देश्य था । विदेशी शासन में सरकार के जिन एडवाइजर ने रिजर्व फंड की स्थापना की थी उनको भी यही अभिप्रेत था कि आवश्यकता पड़ने पर उसको देश के कार्य में और विकास के कार्य में लगाया जा सके। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि यह कैसे कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति खराब है । मैं तो कहता हूं कि जिन आंकड़ों को माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में दिया है उनसे यह भली प्रकार मालूम होता है कि हमारी आर्थिक हालत सन्तोषजनक है। अब जो आर्थिक कठिनाइयां रह गई हैं उनको भी हमारी सरकार दूर करने की बराबर कोशिश कर रही है। ऋण के सम्बन्ध में सरकार ने सिंकिंग फन्ड जारी किया है जिसके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जिस तारीख को जो ऋण वाजिब होगा, उसकी अदायगी ठीक तौर पर होगी। सूद के सम्बन्ध में जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने कहा है जो ऋण उत्पादक कार्य के लिये लिया जाता है उसके सूद की पूर्ति उन विकास के कार्यों में से होती है जिनमें यह प्रयुक्त किया जाता है और उससे फायदा ही होता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति मेरी समझ में नहीं आती है कि यह कहा जा सकता है कि हम दिवालियापन की ओर जा रहे हैं, जैसा कि यहां पर एक सज्जन ने कहा है । हम तो विकास की ओर ही जा रहे हैं।

जो हमारी विकास की योजनायें हैं उनकी चर्चा विस्तारपूर्वक हमारे वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में की है, उनको फिर मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, परन्तु मुझे यह आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की आलोचनायें की जाती हैं जिनसे किसी प्रकार का भी लाभ नहीं हो सकता । मैं तो यह समझता हूं कि कोई इस सदन का सदस्य निष्पक्ष भाव से अगर उस भाषण को पढ़े और उसमें जो विकास की योजनायें हैं उनको सामने रख कर देखें, तो वह उनसे इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि हम समृद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उसकी केवल आर्थिक स्थिति ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की स्थितियां आगे की ओर प्रगति करती जा रही हैं। क्या कोई कह सकता है कि जिस सरकार ने पिछले ५,६ सालों में ६६ लाख मन गल्ले का उत्पादन बढ़ाकर, खाद्य की जो कठिनाइयां थीं, उनको पूरा किया है और प्रदेश को स्वावलम्बी बनाया है, वह इस प्रकार से कोई कार्य कर सकती है जिससे कि प्रदेश को नुकसान हो । मैं तो यह कहूंगा कि जो सिंचाई के लिये भूमि में वृद्धि करके और नई भूमि तोड़ करके जिस प्रकार सरकार ने देश को और

प्रदेश को आगे बढ़ाया है वह सर्वथा सराहनीय है। हर विभाग में जो उन्नति हुई है उससे यह पता चलता है कि कोई भी मद ऐसी नहीं है जिसमें कि हम आगे न बढ़े हों। पिछले वर्षों में ७६४ नलकूप लगाये गये और उनसे २,३१७ मील लम्बी नालियां बनाई गई हैं। सन् ५६ तक ५,०६७ नलकूप बनाकर, २,२४२ मील लम्बी नाली बनाना है जिससे बहुत सी सिंचाई का कार्य हो जायगा। मैं पूछता हूं कि क्या यह कार्य जो सरकार ने किया है, कोई कम सराहनीय है ?

आप बिजली के विस्तार को ही ले लीजिए। पिछले वर्षों में काफी प्रगति बिजली के उत्पादन में हुई और पथरी, व खटीमा पावर हाउस बन जाने के बाद तो ७६ हजार ९ सौ किलोवाट पावर उससे प्राप्त हो जायेगी जिससे सिंचाई और उद्योग-धंधों के कार्यों को करने में सहायता मिलेगी। रिहन्द डैम योजना पूरी हो जाने के बाद २ हजार ९ सौ ५० किलोवाट बिजली प्राप्त होगी जिसके उत्पादन में कोई दो पैसे यूनिट व्यय होगा। इन सब बातों का उल्लेख माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में विस्तार पूर्वक कर दिया है। इन मदों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। परन्तु मैं बजट के आलोचकों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्रगति का काम बिना रुपये के हो सकता है। एक तरफ तो कहा जाता है कि नये टैक्स न लगायें जायें, ऋण न लिया जाय, रिजर्व फन्ड से रुपया न लिया जाय तो यह एक अरब ३६ करोड़ रुपये की पंचवर्षीय योजना जिसको सन् ५६ तक हमको पूरा करना है, उसको कहां से पूरा किया जाय।

बिना धन के वह काम पूरा होने वाला नहीं है और धन के लिये जो साधन हो सकते हैं उन साधनों को हमारे आलोचक महोदय मानने से इन्कार करते हैं तो फिर इसके सिवाय और कोई दूसरा जरिया नहीं है कि इस योजना को ही बन्द कर दें। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे हमारे प्रदेश का क्या हित हो सकता है उसको वही स्वयं समझ लें। उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्त प्रगति के उपरान्त भी हम यह नहीं कह सकते कि हमारे प्रदेश की स्थिति पूर्णरूप से सन्तोषजनक कही जा सकती है। जैसा कि वित्त मन्त्री महोदय ने भी कहा है कि देश में गरीबी है, देश में बेरोजगारी है, उत्पादन कम है, क्रय शक्ति भी कम है, शिक्षा भी कम है, यह अनेक कमियां हैं और उन सब कमियों को हमें पूरा करना है तथा इस समस्त परिस्थिति को हमें शीघ्र से शीघ्र बदलने का प्रयत्न करना है। यह संभव है कि जो सामूहिक योजना नेशनल एक्सटेन्शन की योजनायें चालू हैं उनसे इन कठिन समस्याओं को हल करने में सहायता मिलेगी परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उन और उद्देश्यों की तरफ बढ़ने का प्रयत्न न करें, जिनसे इन समस्याओं का हल और भी अधिक शीघ्र हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके जरिये सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि पंच वर्षीय योजना कोई रिजिड चीज नहीं है जिसमें परिवर्तन न हो सके और स्वयं प्लानिंग कमीशन में बेरोजगारी की समस्या को सामने रखते हुए उसमें परिवर्तन किया है और यह निश्चित किया है कि छोटे उद्योग-धंधे बढ़ाने के लिये तथा देश की औद्योगिक प्रगति के लिये नये प्रकार से प्रयत्न किया जाय। नई योजनायें बनाई जायं। बेरोजगारी का प्रश्न एक बड़ा भीषण रूप धारण किये हुये है। यह नई समस्या हमारे लिये एकदम पैदा नहीं हुई है बल्कि किसी न किसी रूप में यह सदैव स्थित रही है परन्तु कुछ विशेष कारणों से आज इसका रूप भयंकर हो गया है। वह कारण क्या है ? उसके लिये मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो मौजूदा बेरोजगारी है वह हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली की देन है और उस आर्थिक अवनति का परिणाम है जो विदेशी शासन की दुर्नीति तथा उस समय की गफलत के कारण हमको भुगतना पड़ रहा है। उस बेरोजगारी के प्रश्न को हमको हल करना है और जल्द से जल्द करना है। मेरे एक मित्र ने कहा और उन्होंने वित्त मन्त्री के भाषण के

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

कुछ अंशों को पढ़ा जिससे उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सरकार उस ओर अधिक ध्यान नहीं दे रही है। मैं उनसे कदापि सहमत नहीं हूं। मैं देखता हूं कि सरकार ने इस ओर पूरा ध्यान दिया है और बजट में इसके लिये मुझे १० लाख रुपये की रकम दिखाई देती है जो अनइम्प्लायमेंट रिलीफ के लिये रखी गई है। यद्यपि उस रकम को खर्च करने के क्या जरिये होंगे और किन साधनों पर वह रकम खर्च की जायगी उसका मुझे इसमें कोई उल्लेख नहीं मिला। लेकिन १० लाख रुपये की रकम अनइम्प्लायमेंट रिलीफ के लिये उसमें रखी गयी है यह निश्चित है। यह रकम कितनी ही थोड़ी हो लेकिन उससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सरकार का ध्यान उस समस्या के ऊपर पूरे तौर से है और वह उसको जल्द से जल्द तय करना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानता हूं कि हमारे माननीय मन्त्री भी इसके लिये बहुत उत्सुक हैं और वह यह चाहते हैं कि इस बेरोजगारी को दूर करने के लिये जल्दी ही कोई साधन अमल में लाये जायें। इसके लिये हमारे मुख्य मन्त्री ने उद्योगपतियों और दूसरे लोगों को बुलाया और उनसे सुझाव मांगे थे कि यह बेरोजगारी प्रदेश के अन्दर से कैसे दूर हो सकती है। मैंने भी सुझाव इस सम्बन्ध में उस कमेटी के अन्दर दिये हैं और लिखित भी दिये हैं, वह सरकार के सामने है उसको इस वक्त मैं दोहराना उचित नहीं समझता हूं परन्तु इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस बेरोजगारी की समस्या का भीषण रूप जो आज हमारे सामने है उसको बढ़ने देने से प्रदेश का अहित हो सकता है क्योंकि इस समस्या के अन्दर शिक्षित नवयुवकों की समस्या भी साथ में जुड़ गई है और उसने उसको और भी भीषण रूप दे दिया है। आज लाखों की संख्या में हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से लड़के निकलते हैं जो निकलने के बाद राह न देखकर निराशा के समुद्र में गोते लगाते हैं। वह लड़के, वह नवयुवक जिन पर प्रदेश और देश का भविष्य निर्भर करता है यदि वह निराशा के अन्दर डूब जायेंगे तो उसका केवल यही परिणाम होता है कि हमारे प्रदेश का भविष्य भी निराशा में डूबेगा। उनका उद्धार करने के लिये उनको निराशा से निकाल कर, उनके जीवन को आशा प्रदान करना है और यह सबसे बड़ी समस्या है जो बेरोजगारी के समस्या के साथ लगी हुई है। उसका एकमात्र साधन जो मैं आवश्यक समझता हूं वह यह है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में तुरन्त ऐसा परिवर्तन करें जिससे उनका जीवन वास्तव में ऐसा जीवन बन सके जिसके द्वारा वह जीवका प्राप्त करने के योग्य बन सकें। मैं मानता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जीवन निर्वाह तक ही सीमित नहीं है परन्तु हर चीज का लक्ष्य उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलना पड़ता है। आज हमारे देश की यह आवश्यकता है कि इन शिक्षित नौजवानों को कोई काम मिले, वह उत्पादन के साधन बनें तो उसके लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिससे उनके जीवन देश के लिये लाभप्रद हो सकें। उपाध्यक्ष महोदय, लाल झन्डी मेरे सामने है लेकिन यह समस्या जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वह ऐसी है कि इसके सम्बन्ध में मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे कुछ मिनिट और बोलने की इजाजत दे दें।

डिप्टी चेयरमैन—आप ५ मिनिट और बोल लीजिए।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—इस थोड़े से समय में मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव सदन के सम्मुख गवर्नमेंट के विचार के लिये रखना चाहता हूं। बेरोजगारी की समस्या का छोटे उद्योग-धंधों की समस्या के साथ ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध है कि एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते। इसलिये मैं यह समझता हूं कि अगर इस समस्या को हल करना है तो हमको इसके लिये वह वातावरण सबसे पहले

पैदा करना चाहिए जिसके न होने से आज हमारे उद्योग-धंधे पनप नहीं पाते और हम पिछड़े हुये हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने पालियामेंट में दिसम्बर के महीने में जो स्पीच दी उसमें उन्होंने माना है और यह कहा है कि सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम देश में ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे लोगों का ध्यान उद्योग की तरफ जाय विशेष रूप से उन नवयुवकों में जिनकी शिक्षा का यह परिणाम हो रहा है कि वह निराश होते जा रहे हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि सरकार को यह प्रबन्ध करना चाहिए कि हर जिले के अन्दर कम से कम एक उद्योग विद्यालय हो और जो सरकारी स्कूल्स इस प्रदेश के अन्दर हैं उन सब में औद्योगिक शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए ।

दूसरा सुझाव यह है कि जितनी औद्योगिक पालीटेक्निक्स इस समय हमारे प्रदेश में हैं उन सबको हमको विस्तार करना चाहिए । हम उनकी संख्या डबल और ट्रिबिल शिफ्ट करके बढ़ा सकते हैं। पार्ट टाइम क्लासेज खोले जा सकते हैं। उसमें प्रशिक्षण मिल सकता है । इसके अलावा एप्रेन्टिस की प्रणाली जारी की जाय । जितने बड़े-बड़े कल कारखाने हैं उनमें सरकार प्रबन्ध करे वह शिक्षित नवयुवकों को अपने यहां एप्रेन्टिस रख कर प्रशिक्षण दें और सरकारी कारखानों में भी इसी तरह से एप्रेन्टिस क्लास खोलें जायं ।

चौथा सुझाव जो इस सम्बन्ध में मैं देना चाहता हूं वह यह है कि उन नवयुवकों को जो शिक्षित हैं और किसी काम में लगना चाहते हैं उनकी कोआपरेटिव सोसाईटीज बनाई जायं । हर जिले में कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाने का सरकार प्रबन्ध करे और उनके जरिये से छोटे-छोट नये उद्योग जारी करे और प्रशिक्षण दे और जब काम चालू हो जाय तो वह उन सोसाइटियों के सुपुर्द कर दिया जाय । इसके लिये सरकार की ओर से प्रबन्ध करना जरूरी है । यह काम कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से ही संभव हो सकता है ।

एक बात की ओर मैं सरक.र का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि छोटे उद्योग-धंधों के मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं उनका विवरण सरकार के पास पहुंच चुका है । जो लघु ग्राम उद्योग सम्मेलन अभी हाल में मेरठ में अक्टूबर के महीने में हुआ था उसके रिज्योलूशन की प्रतिलिपियां सरकार के पास पहुंच चुकी हैं और उसके ऊपर मैं जानता हूं कि विचार भी हो रहा है। लेकिन फिर भी दो बातें हैं जिन के विषय में मैं खासतौर से इस समय चर्चा करना चाहता हूं । एक तो यह है कि जो फैक्ट्री लाज है, फैक्ट्री ला के अन्तर्गत जो रूल्स हमने बनाये हैं वह छोटे-छोटे कारखानों पर लागू नहीं होने चाहिये क्योंकि जो कारखाने शहरों में गलियों के अन्दर बने हुए हैं उनसे फैक्ट्री लाज के बमूजिब यह उम्मीद करना कि वह तमाम कायदों की पाबन्दी कर सकते हैं जो फैक्ट्रीज लाज के मुताबिक जरूरी है नामुमकिन है। इसलिए अक्सर ऐसे कारखाने बन्द हो जाते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह इन फैक्ट्री लाज के अन्दर ऐसी तरमीम करे जिससे छोटे उद्योग-धंधों पर फैक्ट्री लाज लागू न हों । सरकार यह भी कर सकती है कि फैक्ट्री ऐक्ट में जो "फैक्ट्री" की डिफनीशन है वह बदल कर पुरानी डिफनीशन कर दी जाये। अर्थात् जहां बिजली का प्रयोग नहीं होता और बीस आदमी वहां काम करते हैं वहां फैक्ट्री ऐक्ट लागू न हो और अगर बिजली से काम होता है और ५० आदमी वहां काम करते हैं तो वहां फैक्ट्री ऐक्ट लागू हो । दूसरी चीज जो मैं महत्वपूर्ण समझता हूं वह यह है कि छोटे-छोटे उद्योगों को सेल्स टैक्स से बरी किया जाये । वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में इसकी चर्चा की है और कहा है कि इस पर विचार किया जायेगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स कमिश्नर ने जो लिस्ट भेजी है सेल्स टैक्स आफिसर्स के पास उसमें कुछ ऐसी इन्डस्ट्रीज को नहीं रखा है । जैसे फीरोजाबाद की बैंगिल (bangle) इन्डस्ट्री ।

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

वह एक छोटी इन्डस्ट्री है जो थोड़ा पनपी है। यदि उसको इस प्रकार का संरक्षण मिले तो सम्भव है कि वह और भी प्रगति कर सके। इसी प्रकार और भी अनेक छोटे-छोटे उद्योग हैं।

अब समय बहुत हो गया है और वह ५ मिनट भी खत्म हो गए जो मुझको मिले थे इसलिए मैं अन्त में केवल एक बात कह कर अपनी जगह ग्रहण करूंगा और वह यह है कि मेरठ के जिले में बिजली की कमी होने के कारण छोटे उद्योग-धंधों को काफी दिक्कतें पड़ती हैं। जो रिस्ट्रिक्शन्स लगाये गये हैं उनका असर बड़े-बड़े उद्योग-धंधों पर तो पड़ा नहीं है। उनका असर छोटे-छोटे उद्योग करने वालों पर जैसे कैंची वाले, चाकू वाले इन्हीं पर पड़ा है, जिनके पास दो-तीन हार्स पावर की बिजली थी। मैं गवर्नमेन्ट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि अगर छोटे-छोटे उद्योग-धंधों पर इस प्रकार की कठिनाइयां आयेंगी तो वह उद्योग-धंधे किस प्रकार पनप सकते हैं। एलेक्ट्रिसिटी की यदि वहां पूर्ति नहीं हो सकती तो कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाय कि ऐसी कठिनाइयां उनके मार्ग में न आयें और यदि कोई छोटे उद्योग जारी करना चाहें तो उनको प्रायरिटी देना चाहिए और उनको बिजली अवश्य मिलना चाहिए जिससे वह धंधा सफर न करे।

श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत है और उसके सम्बन्ध में जो वित्त मंत्री ने भाषण के दरमियान में यह बात कही कि बजट सरकार के कार्यक्रम का आइना होता है मैं भी इस बात को मानता हूं। सरकार की जो नीति होगी, जो कार्यक्रम होगा उसके जरिये सूबे की अवाम की जो बहबूदी होने वाली होगी या उनको जो राहत मिलने वाली बात होगी, बजट से ही होगी। इस साल बजट जो प्रस्तुत है उसके देखने से मालूम होता है कि सूबे की जनता जहां थी वह उसी जगह कायम रहेगी। उसकी जिंदगी पर जो टैक्सों का बोझ लदा था वह हल्का न होगा। बल्कि अपनी जगह पर कायम रहेगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दरमियान में यह बात कही कि नया टैक्स नहीं लगाया गया लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी तो टैक्स लगाने से बाज न आयेंगे। जो टैक्स लगाने की बात है उसकी गुंजायश वित्त मंत्री रखते हैं। इस बजट को देखने से मालूम होता है कि जनता पर टैक्स का बोझ अगर इस साल नहीं तो अगले साल अवश्य बढ़ेगा। चार करोड़ २४ लाख का डेफीसिट बजट था। सरकार को कुछ आमदनी ऐसी हुई जिसका कोई सवाल सरकार के सामने नहीं था। ३ करोड़ २० लाख रुपया इक्साइज ड्यूटी के रूप में सेंटर से सूबे की सरकार को मिला। लेकिन बजट डेफीसिट रहा और उसको रेवेन्यू रिजर्व फंड से पूरा करना पड़ा। जब हम १९५३-५४ के बजट को देखते हैं तो इस बात को देखते हैं कि काफी एकोनामी की गई। ढाई करोड़ की एकोनामी हुई। इस सिलसिले में सरकारी अधिकारियों ने बहुत योग्यता से काम किया। लेकिन बावजूद इस एकोनामी के ४ करोड़ ३ लाख रुपया जो जमींदारों को बांड ईश्यू करने के सिलसिले में था वह उनको नहीं दिया गया। जब हम १९५४-५५ के बजट को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि ३ करोड़ ९१ लाख का डेफीसिट अगले साल होने जा रहा है। आज की हालत में हम रेवेन्यू रिजर्व फंड को कमजोर करते जा रहे हैं। बावजूद इन बचतों के इसका नतीजा यह होगा कि हमारे फाइनेंस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी के साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय हम इस बात को देखते हैं कि सूबे की कर्जदारी बढ़ती जा रही है। इस समय एक अरब १२ करोड़ रुपये का और साथ ही साथ जमींदारी ऐबालिशन के सम्बन्ध में भी रुपया देना है इस तरह से १ अरब १५ करोड़ रुपये का कर्ज हुआ। इस बात को देखते हुये जब हम बजट को देखते हैं और वित्त मंत्री के इस आश्वासन को देखते हैं कि हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं लेकिन बहुत से लोगों की राय है कि आज भी टैक्स लगाये जा सकते हैं और ऐसी हालत में

यदि आवश्यकता पड़ी तो हम टैक्स लगायेंगे तो हम जब इस बात को देखते हैं तो हमें खतरा है कि टैक्स बढ़ेंगे और अगले आने वाले साल में जिस पंच वर्षीय योजना का इतना प्रचार किया गया है जिसका जिक्र सारी बजट स्पीच में किया गया है यदि हम यह कहें कि सारी बजट स्पीच में उसी पंच वर्षीय योजना का जिक्र है तो कोई गल्ती न होगी उसे पूरा करने के लिये ३८ करोड़ या ४० करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी और जो रुपया पिछले समय में खर्च हुआ है वह ३० करोड़ है तो ऐसी हालत में यह साफ दिखाई पड़ता है कि टैक्स बढ़ेगा ।

इस स्पीच के देखने से यह मालूम होता है कि टैक्सों का बढ़ाना अनिवार्य है । वित्त मंत्री ने कहा कि हम टैक्स नहीं बढ़ाने जा रहे हैं लेकिन जो उन्होंने उपदेशात्मक वाक्य कहे विरोधी पार्टी के लोगों के लिये कि उनको यह सोचना चाहिये, विरोध नहीं करना चाहिये और भी इसी तरह के उपदेशात्मक वाक्य कहे, मैं यह कहना चाहता हूं और बहुत सफाई से कहना चाहता हूं कि कोई कहे या न कहे वित्त मंत्री कहें या न कहें कि चूंकि अपोजीशन ने टैक्सेज का विरोध किया इसलिये सरकार की हिम्मत टैक्सों को बढ़ाने की नहीं हुई । इस बजट स्पीच में जब वित्त मंत्री कहते हैं कि बहुत से लोगों की राय है कि टैक्स बढ़ सकते हैं । एक तरफ तो यह बात है दूसरी तरफ सूबे की गरीबी का भी हवाला दिया जाता है । इन दोनों बातों को देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है वित्त मंत्री अपनी बजट स्पीच में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के रहने वालों के जीवन का स्तर यानी स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बहुत नीचा है, वे गरीब हैं । उनमें शिक्षा यानी तालीम की कमी है । उनकी खेती घटिया है और उनके यहां इतने उद्योग-धंधे नहीं हैं जिनमें उन सबको काम मिल सके और जो कुछ उद्योग-धन्धे हैं वे भी कमजोर हैं। बीमार होने पर उनको इलाज के काफी साधन नहीं मिलते और बहुत से लोग बेरोजगारी के शिकार बने रहते हैं । आप अपनी बजट स्पीच में यह कहते हैं कि यह स्थिति है और दूसरे लहजे में कहते हैं कि बहुत से माननीय लोगों की राय है कि टैक्सेज को बढ़ाया जा सकता है । जब हम यह चीज देखते हैं तो हमें यह खतरा महसूस होता है कि आगे चल कर सरकार की टैक्स बढ़ाने की टेन्डेन्सी है । बेटरमेन्ट और डेवलपमेन्ट के नाम पर बहुत सी बातें कही गईं और कहा गया कि टैक्स तो लगाना अनिवार्य है लेकिन सरकार ने कभी भी इस बात को नहीं सोचा कि जनता की आमदनी बिना बढ़ाये हुये यदि टैक्स बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि हम जनता का शोषण अधिक से अधिक केवल कुछ नारों की पूर्ति के लिये ही कर रहे हैं । जब हम पंच वर्षीय योजना को देखते हैं तो उससे जैसी आशा हमें होनी चाहिये थी वह नहीं दिखाई पड़ रही है हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि यह चीज पूरी नहीं हो रही है ।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने एक प्लानिंग कमीशन भारत के तमाम राज्यों के लिये बनवायी और इसलिये बनवाया कि इस योजना में ऐसे-ऐसे काम रक्खे जायं, जिनसे २२ वर्ष में भारत में रहने वालों की आमदनी दुगनी हो जाय और इन कामों की तरतीब ऐसी रक्खी जाय कि बढ़ने वाली आमदनी किसी खास क्लास या जमाअत में महदूद न हो जाय बल्कि उसका बटवारा सभी रहने वालों में ठीक तौर पर हो जिसको अगर अंग्रेजी में कहा जाय तो यों कह सकते हैं कि दौलत की तकसीम इक्वीटेबिल हो। माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि दौलत का बटवारा हो। एक तरफ तो डेवलपमेन्ट हो लेकिन साथ ही साथ दौलत का बटवारा हो । लेकिन क्या आज सरकार यह सोचती है कि ऐसा हो रहा है ? मैं एक छोटा सा उदाहरण इस सिलसिले में दूंगा हालांकि उसकी काफी चर्चा सभी जगह हो चुकी है । वह बात शुगरकेन के सिलसिले में है। शुगर केन टैरिफ बोर्ड की यह रिपोर्ट है कि जब शक्कर का दाम २७ रूपये मन हो तो किसान को ईख का दाम एक रुपया १० आना मन के हिसाब से मिलना चाहिये। लेकिन सरकार ने इसका दाम पहले एक रुपया ३ आने मन रक्खा था फिर एक रुपया

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

पांच आने मन किया और इस साल उसका दाम एक रुपया सात आने मन किया है लेकिन चीनी जिस दाम पर बिक रही थी वह उसी दाम पर बिक रही है। क्या यही इक्वीटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन का तरीका है ? इक्वीटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन का तरीका तो यह होता कि हजारों-लाखों किसान जोकि ईख का उत्पादन कर रहे थे उनको चीनी के मुनाफे का ज्यादा दाम पूंजीपति की जेब से निकाल कर दिलाया जाता। यह नहीं कि चन्द पूंजीपति मुनाफा कमा कमा कर दिन पर दिन मोटे होते चले जायं और जनता की जिन्दगी, गरीब किसान और मजदूर का जीवन स्तर दिन प्रति दिन गिरता जाय ।

आपने बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई, बड़ी-बड़ी नहरें निकालीं, सड़कें बनाई, लेकिन इन सब से फायदा तो उन्हीं लोगों का होगा जो कि सौ-दो सौ बीघे जमीन जोतते हैं, जिनके पास काफी अच्छी खेती है। वह लोग क्या करेंगे कि जो गरीब हैं जिनके पास जमीन नहीं है, खेती नहीं है और जो दूसरों की मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। आपको इक्वीटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन के लिये तो यह करना चाहिये था कि उन गरीब लोगों को जमीनें देते ताकि वह भी उसमें अन्न पैदा करें और रुपया कमा कर अपना जीवन-स्तर ऊंचा उठा सकें। क्या कभी सरकार ने इस बात को सोचा ? सरकार यह कहती है कि छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को बढ़ाना चाहिये और हमारे वित्त मंत्री महोदय भी यही कहते हैं। बड़े-बड़े उद्योग-धंधे तो सेन्टर के हाथ में हैं लेकिन छोटे तौर पर उनको बढ़ाने का काम हमारी प्रदेश की सरकार का है। मैं तो उस दिन उनकी सफलता समझता कि जब हमारी सरकार की तरफ से हर दस-बीस गांव के अन्दर एक छोटा सा कारखाना होता और उसमें वहां के रहने वालों के दस-बीस या पचास आदमी काम करते होते । गांव वाले भी समझते कि हां भाई वाकई में काटेज इंडस्ट्री कोई चीज है, उसके कुछ फायदे हैं और उन्हें हमें तरक्की देना चाहिये। लेकिन यहां तो सिलसिला ही बदला हुआ है। हमें इससे क्या कि आपकी योजनायें कितनी बड़ी हैं और आपने कितना रुपया खर्च कर दिया है। आपके पास रुपया है आप करोड़ों रुपया बरबाद कर सकते हैं और उसका कोई फायदा जनता को हासिल न हो ऐसा भी हो सकता है। हम तो उस फायदे को इस मोटे तौर पर आंकना चाहते हैं कि उससे हमारी कितनी काटेज इंडस्ट्री बढ़ी, हमारा कितना एम्प्लायमेन्ट बढ़ा, हमारी आमदनी में कितना इजाफा हुआ। काटेज इंडस्ट्रीज का यहां बड़ा चर्चा हुआ। मुझे खुशी है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कारपोरेशन बना करके ३ करोड़ १६ लाख की गुन्जायश की गई लेकिन क्या आज वह सफल हैं? आज इस काटेज इंडस्ट्री में आप देखें कि जिस जिले में भी कोई इंडस्ट्री रही वह तमाम की तमाम बरबाद हो गई है।

चाहे वह मेरठ का इलाका हो या चाहे बनारस का इलाका हो वह चाहे सिल्क का उद्योग हो या पीतल का हो सभी चौपट हो गये हैं। आज पीतल के व्यवसाइयों की क्या हालत है आज वह अपने बर्तन और मकान बेच रहे हैं। आप देखें आपकी तेल मिलों की क्या हालत है, वह मिलें आज बन्द होती चली जा रही हैं। अगर केवल यही आंकड़े हम निकाल लें कि कितनी मिलें तेल की बन्द हो गईं और क्यों बन्द हुईं तो उसकी वजह यही मिलेगी कि केवल वह सेल्स टैक्स का सिलसिला था जिसको आपने लादा और जिसकी वजह से तेल की मीलें बन्द हो गईं । इन्डस्ट्रीज की क्या हालत है इस पर आपने कभी विचार किया। रोज कहीं चार महीने की नोटिस दे कर मिल मजदूरों को निकाला जा रहा है, कहीं मिलों के लाक अप होने की नोटिस निकाली जाती है और कहीं कुछ और कह कर मजदूरों को धमकाया जाता है। हमको इसमें भी देख कर बहुत परेशानी हुई वित्त मंत्री जी के भाषण से ऐसा मालूम होता है कि अगले साल लेबर के लिए बहुत ही खतरनाक साल साबित होने जा रहे हैं वित्त मंत्री ने इसमें कहा है कि सरकार कपड़े और चीनी के मिलों का अध्ययन इस उद्देश्य से कर रही है कि उसमें

इन्डस्ट्रियलाइजेशन हो जाय लेकिन सरकार चाहती है कि वह मिल मालिकों और मजदूरों के सहयोग से हो। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मजदूरों को जबरदस्ती इसमें खींच कर चाहे कुछ कराया जाय मगर उससे उसका कोई भला नहीं हो सकता हैं। मैं यह कह सकता हूं कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के नाम पर अगले साल लेबर का रिट्रेन्चमेन्ट और ज्यादा होगा। काटन और शुगर दोनों फैक्ट्रीज में एक बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा होगी और चूंकि लेबर वीक है इसलिये सरकार पूंजीपतियों की ओर होगी। इस तरह से अगले साल लेबर की क्या हालत होगी, उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

इसीलिये मैं इस बजट के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि बजट में जो मुझे आशा थी वह इसमें अब नहीं देख पड़ रही है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी पंच वर्षीय योजना के सिलसिले में जो दृष्टिकोण होना चाहिये वह नहीं है और न कोई तब्दीली इसमें की गई है। जब तक इसमें कोई तब्दीली न की जायगी तो मैं कह सकता हूं कि तब तक हमारे सूबे में चाहे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाय मगर वह तरक्की नहीं कर सकता है। हमारे सामने कहा जाता है कि हमने इतना रुपया खर्च किया। आप देखें कि यदि वह रुपया कायदे से न खर्च किया गया हो तो उन रुपयों के आंकड़ों से आप क्या अन्दाजा लगा सकते हैं? क्या उससे जज (judge) किया जा सकता है? रेहन्ड डैम के ऊपर आपने लाखों और करोड़ों रुपया बरबाद करके बन्द कर दिया। अहरोरा में आपने लाख-दो लाख रुपया पानी में बहा दिया। सीमेन्ट फैक्ट्री में २ करोड़ रुपये के बजाय ४ करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आज आप जो हमको आंकड़े देते हैं वहां पर हम केवल इस बात से आपके प्लान को जज नहीं कर सकते हैं कि कितना रुपया इसमें लगा है बल्कि इससे जज करेंगे कि उसका आउट पुट क्या है। पंच वर्षीय योजना को देख कर यह मैं आसानी से कह सकता हूं कि यह योजना जिस नाम से शुरू की गई उसके खत्म तक आम जनता के जीवन-स्तर में कोई तरक्की नहीं होगी। ऐसी हालत में जब आम जनता की आमदनी में कोई बढ़ती न होगी तो इससे हम सूबे के आम लोगों को खुशहाल नहीं कर सकते हैं।

आज की हालत में हम महसूस करते हैं कि हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिये जो कि किफायत की हो और सीधी-सादी हो जिस से अधिक से अधिक आउट पुट पैदा हो और जनता पर कम से कम बोझ डाला जाय। इस माने में जब हम बजट को देखते हैं कि टैक्स रिलीफ फंड से आज सरकार ने अपनी आमदनी को बढ़ाया है बिना जनता की आमदनी को बढ़ाये हुये। जब हम बजट की ओर निगाह डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि ५४–५५ का बजट ८१ करोड़ का है। जब हम जनता की आमदनी को बढ़ाने के लिये कहते हैं तो कहा जाता है कि हम पंचवर्षीय योजना के द्वारा ऐसा कर रहे हैं। आपकी जो पंचवर्षीय योजना है उससे जनता को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है।

आज हमें सिंचाई योजना की ओर भी ध्यान देना है। आप बराबर कहते हैं कि हम बड़ी-बड़ी योजनायें चला रहे हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान छोटी-छोटी योजनाओं की ओर भी दिलाना चाहता हूं। सरकार इन छोटी-छोटी योजनाओं की ओर बिलकुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जहां आप यह आंकड़े देते हैं कि हजारों एकड़ जमीन के लिये हमने सिंचाई के साधन किये वहां आपको यह भी देखना चाहिए कि हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई का साधन बेकार भी हो गया है। आपको ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिसके जरिये से आपके जो छोटे-छोटे सिंचाई के साधन हैं उनकी हिफाजत हो सके। पिछली दफा मैंने भदोही हा के बारे में कहा था कि वहां पर कई ऐसे तालाब हैं, जिनसे काफी सिंचाई होती थी, लेकिन अब वह नहीं हो रही हैं, करीब १० हजार एकड़ जमीन पर सिंचाई बन्द हो गई है। जहां पर आप आंकड़े पेश करते हैं वहां पर आपको ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिससे उन पुराने

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

तालाबों के पट्टे बड़े बड़े जमींदारों ने कर दिये हैं और जिससे काफी सिंचाई भी होती थी, उन तालाबों की हिफाजत हो सके। वह उनकी सीर और खुदकाश्त में दर्ज हैं। उनको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसके जरिये से हजारों एकड़ सिंचाई का साधन खत्म हो गया है। इसके साथ ही साथ हम को इस बात को देखना चाहिए कि आज जो खेतीबाड़ी के तरीके हैं उनमें तरक्की होनी चाहिए। हमको जनता के सामने साधन रखने चाहिए जिससे खेती में तरक्की हो सके। आप देखेंगे कि आज ट्रैक्टर का रिवाज चल गया है। बड़े-बड़े ट्रैक्टर आ गये हैं। लेकिन इसके साथ आपको यह भी देखना है कि यह इतने महंगे हैं कि जनता इससे कुछ भी फायदा नहीं उठा सकती है। हम को वह बात करनी चाहिए जिस से अधिक से अधिक आउटपुट हो और कम से कम खर्च हो। हमको ऐसे हल निकालने चाहिए जो अच्छे से अच्छे हों और गांव का लोहार उनको बना सके और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा खेती की जमीन को खोद सके। आज आप यह भी कहते हैं कि हम दूसरे मुल्कों से सहायता ले रहे हैं और हमारी सरकार इसका काफी नारा भी लगा रही है कि दूसरों की सहायता पर हम बहुत कुछ कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों की सहायता पर बहुत सी बातें कही जाती हैं लेकिन मैं इस बात को ठीक नहीं समझता हूं कि दूसरे देश के बल पर हमें अपनी तरक्की करनी चाहिए, हम को खेती की तरक्की के लिये ऐसे साधन निकालने चाहिए जिनसे आम जनता को सहूलियतें हों और वह उनको आसानी से अपना सके। आपने ट्यूबवेल की भी काफी चर्चा की है मैं इसके सिलसिले में अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि इसमें दूसरे मुल्कों से सहायता ली जा रही है।

यदि हम कहते कि सिंचाई की योजना इस तरह से हो तो उसके लिये दूसरा रास्ता था और हमें काफी रुपया इस तरह से मिल जाता जो कि हम गांवों के छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों में खर्च कर सकते थे जिससे कि वहां की आमदनी में भी बढ़ोत्तरी होती। आज जो पंचवर्षीय योजना का सिलसिला है और जो तस्वीर उसकी हमारे सामने है उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि इस पंचवर्षीय योजना से मुल्क हमारा जितना आगे जाना चाहिये था उतना आगे नहीं जा सकता है।

इसी तरह से हम शिक्षा की बात भी देखते हैं। आज हम शिक्षा के अन्दर जो चीज चाहते हैं और जिस प्रकार की हमें आवश्यकता है और जिस प्रकार की शिक्षा एक जनतंत्र प्रणाली शासन के अन्दर होनी चाहिए वह शिक्षा हम नहीं दे रहे हैं, जनतंत्र प्रणाली के अन्दर जिस प्रकार की भावना लोगों को शिक्षा से होनी चाहिये वह नहीं हो पा रही है और हमें इसके लिये यह करना चाहिये कि हम अधिक से अधिक जनता में शिक्षा को फैलावें न कि शिक्षा पर किसी तरह से रोक लगायें। क्वालिटी और क्वानटिटी की बात कही जाती है। मैं तो यह चाहता हूं कि शिक्षा की क्वालिटी अच्छी हो मगर इसके साथ हम यह भी चाहते हैं कि हमारे सूबे के सभी लोग शिक्षित हों और जो यहां के एडल्ट्स हैं वे अच्छी तरह से पढ़-लिख जायें। सरकार को लोकतंत्रात्मक के जिन आदर्शों को अपनाना चाहिये वह यह है कि हमारे यहां की जनता अधिक से अधिक पढ़ी-लिखी हो लेकिन मैं कहता हूं और इसके सम्बन्ध में मैं यह देखता हूं कि इसी देश में प्राइमरी स्कूल एक सूबे में कुछ संख्या में हैं तो दूसरे सूबे में कुछ दूसरी संख्या में हैं। इसके अलावा यहां कुल ३४ फीसदी शिक्षित हैं और दूसरे सूबों में ९८ फीसदी तक शिक्षित हैं। जब एक ही देश के अन्दर यह अन्तर शिक्षा का है तो उसकी क्या हालत हो सकती है। जो हमारे पुराने शिक्षा मंत्री जी थे उनकी नीति शिक्षा के प्रोत्साहन को सब तरह से आगे बढ़ाने में थी मगर जो नये शिक्षा मंत्री जी हैं वे इस बात के लिये रुकावट डालना चाहते हैं और सरकार अपने फरमान द्वारा प्राइमरी शिक्षा की नीति को भी बदलना चाहती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा को सर्वप्रथम प्रायरिटी मिले और हम जल्द से जल्द इस बात की कोशिश करें कि सूबे के अन्दर ज्यादा से ज्यादा लोग

पढ़े-लिखे हों जिससे कि वे अपनी जरूरतों को ठीक तरह से समझ सकें और उनको पूरा कर सकें। इसी के सम्बन्ध में माननीय प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी ने कहा कि १४ वर्ष तक की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये। मगर यहां निःशुल्क शिक्षा की बात सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि जहां प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल खोलने के लिये रुपया न हो और कई जगह उसे सरकार बन्द करने जा रही हो वहां पर निःशुल्क शिक्षा की बात करना कहां तक उचित हो सकता है। इस प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा नहीं हो सकती है लेकिन इस बात की ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये कि जहां तक हो वह जगह जगह पर शिक्षा के प्रसार को फैलावें और कई जगहों पर तरक्की इसी माने में हो सकती है कि वहां के लोग अच्छी तरह से पढ़-लिख जायें और वे सूबे की समस्याओं को ठीक तरह से समझ सकें और उस पर विचार कर सकें और इस तरह से जनतंत्र की भावनाओं को और उसकी आईडियोलाजीज पर पूर्ण रूप से विचार करके अपने कार्य को इस प्रदेश में कर सकें। शिक्षित हो कर ही वे इन सिद्धान्तों को शुरू कर सकेंगे।

इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने जो सूबे की पुलिस है, उसके बारे में और यहां की शान्ति व्यवस्था के बारे में कहा है। जो शान्ति व्यवस्था आज पुलिस की है और जो पुलिस पर आज खर्चा हो रहा है वह उपाध्यक्ष महोदय किसी भी मुल्क की तरक्की के लिये और वहां पर शान्ति व्यवस्था को कायम रखने के लिये आवश्यक है। कोई भी मुल्क यह नहीं चाहता है कि उसके यहां शान्ति व्यवस्था न क़ायम रहे। लेकिन आज पुलिस की हालत क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहूंगा कि आज की पुलिस की पार्टी इन पावर को मदद देने को तैयार रहती है और जो पुलिस डिपार्टमेन्ट है अगर हम उसे देखते हैं, तो उससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि पुलिस भी जो रूलिंग पार्टी का आदमी होता है या जो एम० एल० ए० होता है यह कहीं पर मिनिस्टर्स हैं और उनकी पार्टी किसी तरह से भी कमजोर हो जाती है तो जो दरोगा होता है वह उन्हीं का साथ देता है।

इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस बात को महसूस किया कि जिस शान्ति और न्याय व्यवस्था की आप बात कहते हैं उसमें हमने इस बात को देखा है कि आज की पुलिस सूबे के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट में भाग लेती है। पार्टी इन पावर का साथ देती है। जहां पर हमने देखा कि किसानों को हक मिला हुआ है वहां पर उनके हकों को छीनने के लिये पुलिस वाले कांग्रेस पार्टी का साथ देते हैं। जहां पर कांग्रेस पार्टी ने लेजिस्लेशन पेश किया वहां पर हमने देखा कि पुलिस वाले उनसे १० कदम आगे हैं। उनकी शिकायतें होती रहती हैं परन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। परन्तु ऐसी हालत में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के नाम पर पुलिस सहायता देती है हुकूमत को पुलिस को ऐसा बनाना चाहिये जो न किसी पार्टी पालिटिक्स में पड़ करके, पार्टी इन पावर की तरफदारी न करके, एक ऐसी संस्था हो जो अपने फर्ज को पूरा करती रहे। मुझे दुःख होता है जब मैं इस बात को देखता हूं कि आज सरकार की क्या नीति होती जा रही है। कहा जाता है कि देश की रक्षा के लिये पुलिस की आवश्यकता होती है परन्तु उदाहरण के लिये मैं पुलिस डिपार्टमेन्ट की पत्रिका को पढ़ देना चाहता हूं। उसमें मुख्य मंत्री महोदय ग्राम रक्षा के सिलसिले में एक मीटिंग में गये और वहां मुख्य मंत्री की ख्याति तथा जनता का कांग्रेस के प्रति विश्वास दर्शाया गया है। उसमें लिखा है कि इन उत्सवों में ग्रामीण जनता में मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त की ख्याति तथा जनता का कांग्रेस तथा उनके नेतृत्व में विश्वास स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दिया। मैं यह कह सकता हूं कि यह पत्रिका सरकार की तरफ से नहीं निकलती है परन्तु कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकलती है। आप कहते हैं कि आपने योजनाओं में साथ नहीं दिया है, हम तो योजनाओं में साथ देने के लिये तैयार हैं लेकिन क्या आप योजना में साथ लेंगे भी? आप देखते हैं कि ग्राम-रक्षा में २० हजार के करीब लोग आते हैं और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और दूसरे लोग इनको ग्राम-रक्षा के लिये इकट्ठा करते हैं परन्तु वह तो कांग्रेस नीति में विश्वास करने की बात है। आपकी सरकारी पत्रिकायें हैं वह कांग्रेस का ही प्रचार करना

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

शुरू कर देती है। सरकारी नीति का प्रचार उसमें नहीं किया गया है। क्या आप का यही तरीका है। आप कहते हैं कि आज हम वेलफेयर स्टेट की तरफ जा रहे हैं। मैं यह मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां पर रूलिंग पार्टी इस नीति को बर्तने की कोशिश कर रही है जहां पर इस बात की कोशिश की जा रही है कि विरोधी दल को कुचल करके अपना काम निकालने की कोशिश की जा रही है उस नीति से काम नहीं चल सकता है ।

इसके साथ ही साथ मैं इस बात को मानता हूं जैसा कि मेरे मित्र कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा कि आज लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट जो हमारी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का संचालन करती है उनको बहुत कम रकम दी जाती हैं। हमारा विश्वास है कि उनको अधिक से अधिक ताकत देना चाहिये । इसके साथ ही साथ आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा उनको मिलना चाहिये । परन्तु हम यह देखते हैं कि जहां पर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि हमने ग्रामीणों में ऐसा उत्साह भर दिया है कि वह स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं। परन्तु आज जो हमारी पंचायतें हैं उनकी कोई ताकत नहीं है । आज हम देखते हैं कि पंचायतों को बदनाम करने के लिये आपने इस बात को रक्खा है कि वह ग्रामीण जनता से टैक्स वसूल करें और इस बात की कोशिश नहीं की गई है कि जो आमदनी होती है उसका कुछ हिस्सा गांव पंचायतों में ले सकें जिससे गांव पंचायतें स्वास्थ्य के मसले, शिक्षा के मसले पर कुछ गौर कर सकें। साथ ही साथ रचनात्मक कार्यों के सिलसिले में सड़कें बनाने के सिलसिले में आपने उनके अधिकारों को छीन कर प्लानिंग डिपार्टमेंट नियुक्त किया है और इसके जरिये आप इस बात की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग आफिसर केवल वहां तशरीफ ले जायं और ४–६ बार वहां पर दौरा करें चाहे जनता का काम हो या जो निर्माण के कार्य हैं वे चाहे हों या न हों परन्तु हजारों रुपये भत्ते के रूप में उनको मिलें । इससे तो ज्यादा अच्छा यह होता कि छोटे–छोटे प्लानिंग के काम गांव के हाथ में देर करके प्लानिंग डिपार्टमेन्ट को इससे अलग ही रखते ।

डिप्टी चेयरमैन––आज जरा समय का भी ख्याल रखें ।

श्री प्रभु नारायण सिंह––जी अच्छा, जहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को ताकत देने की बात है वहां पर वित्त मंत्री जी यह कहते हैं कि हम इस बात को सोच रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पास क्या क्या अधिकार हैं और उन ताकतों में से हम क्या क्या उनके पास रहने दें और क्या न रहने दें। उसके सम्बन्ध में वह कहते हैं कि पंचायतों के अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी इनके सम्बन्ध में एक सवाल यह पैदा हो गया है कि उनका ढांचा वही रहे जो अब तक था या उसमें कोई तब्दीली हो। जो काम उनके सुपुर्द हैं उनमें से आगे चलकर कौन से उनके पास रहें और कौन से न रहें । यह बात नहीं कही गई है कि कौन–कौन काम उनको दे दिये जायं ? तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड और पंचायतों के अधिकार हैं उनको अधिक से अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अधिक न कह कर केवल इतना कहता हूं कि खास तौर से स्वशासन विभाग के सिलसिले में जहां पर इस बात का अधिकार था कि लोकल बाडीज का चुनाव ऐसे मौके पर किया जाता जिस मौके पर कि म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज के लोग चुनाव में अपना वोट दे सकते । वहां इस लालच में आकर कि चूंकि ५–६ लोकल बाडीज में कांग्रेस हारती जा रही है इलेक्शन को स्थगित कर दिया । ऐसी हालत में मैं तो यही कह सकता हूं कि यह कांग्रेस के प्रति अविश्वास है जो जनता के हृदय में भरा हुआ है । स्वशासन विभाग के सिलसिले में गवर्नमेन्ट की जो नीति रही है उस नीति के कारण अविश्वास की बात कही जा सकती है। हमारे वित्त मंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि विरोधी पक्ष की तरफ से हमें सहयोग नहीं मिलता । मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आज सूबे के रहने वाले

इस बात को महसूस करते हैं कि मुल्क हमारा है और सूबा हमारा है और यही कारण है कि यदि इस बात की भावना न होती तो आज हम सरकारी बेंचेज में दिखाई पड़ते, आज हम अपोजीशन के रूप में यहां नहीं होते। चूंकि हम अपना मुल्क समझते हैं और उसकी बहबूदी को अपनी बहबूदी समझते हैं इस वजह से आज हम विरोधी पक्ष की हैसियत से काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम सहयोग के लिये हमेशा तैयार रहेंगे पर यदि आप हमसे सहयोग चाहें। जब पंच वर्षीय योजना की बात सामने आती है तो हमने ऐज अपोजीशन इन इंडिया इस बात को कहा कि आप इस पंच वर्षीय योजना को थोड़ा तब्दील करें। उसमें कुछ संशोधन करें तो हम उसमें शिरकत करने के लिये तैयार हैं लेकिन आप देखते हैं कि हमारी राय का कोई फायदा नहीं हुआ। आज यह कहा जाता है कि मुल्क में एक साथ मिलकर काम करना चाहिये और जब तक आप एक साथ काम करने की भावना से दूर रहेंगे तब तक हम आपको सहयोग नहीं दे सकते। हम आज देखते हैं कि २६ जनवरी और १५ अगस्त ,जो राष्ट्रीय त्योहारों के दिन हैं, इन अवसरों पर भी लोग एक साथ मिलकर काम नहीं करते। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जब देखा कि कांग्रेस पार्टी महज अपने नाम से इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाती है और राष्ट्र का सहयोग नहीं लेना चाहती तो हमने अपने को इससे अलग ही रक्खा। जहां आजाद मुल्कों में इन राष्ट्रीय पर्वों को एक साथ मिलकर के मनाया जाता है वहां हमारे देश में एक पार्टी की शक्ल में इसको मनाया जाता है तो फिर उसमें सहयोग की गुंजायश नहीं रह जाती है। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस बजट के सिलसिले में यह कहा जाय कि यह पंच वर्षीय योजनाओं का एक नक्शा है उस नक्शे को यदि आप पांच साल बाद देखेंगे तो यह पता चलेगा कि जहां से हम आये थे वहां से कुछ ही थोड़े आगे गये हैं और इसमें वह चीजें नहीं मिलेंगी जिनका जिक्र इस बजट स्पीच में किया गया है।

आज बड़ी-बड़ी बातें बजट की स्पीच के संबंध में कही गईं कि यह किया जा रहा है और वह किया जा रहा है। इसमें हम यह देखेंगे कि कुछ काल के बाद हम जहां थे उससे थोड़ा सा आगे गये हैं और बाद में मालूम होगा बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी जो रास्ता हमारा था वह गलत था उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। इस समय एक नये आदर्श को लेकर काम करने की आवश्यकता है।

श्रीमती तारा अग्रवाल (नाम निर्देशित)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसके संबंध में कुछ अपने विचार प्रकट करने के लिये उपस्थित हुई हूं। यह बजट जिस प्रदेश की जनता की भावना को लेकर बनाया गया है वास्तव में मैं उस भावना के लिये सरकार को बधाई देती हूं। इतना बड़ा बजट बनाते वक्त हो सकता है कि कुछ कमियां रह जायं मैं कुछ कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इस बजट में जिस तरह से अनुदान रखे गये हैं उसमें न्याय प्रशासन विभाग की ओर से अदालत की कार्यवाही में कोई भी उन महिलाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जिनको आये दिन अत्याचारों के द्वारा परेशान किया जाता है। वह महिलायें अपने समाज की तरफ से अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से अदालत के बहुत से मामलों में पैरवी करने में असमर्थ हो जाती हैं और चाहती हैं कि किसी तरह से हमारा मामला जल्दी से जल्दी तय हो जाय और अत्याचारी को दंड मिले। वह महिलायें इस प्रकार की होती हैं जो आये दिन गुन्डों के द्वारा भगाई जाती हैं। उन पर अत्याचार होता है, चरित्र भ्रष्ट किया जाता है और वह अदालत के द्वारा चाहती हैं कि अन्यायी को दंड दिया जाय तो उस समय सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सुविधा नहीं प्राप्त होती है जिससे उनका मसला जल्दी तय हो सके और अन्यायी को उचित दंड दिला सकें। सरकार ने कभी इस बात पर विचार नहीं किया, वास्तव में वह महिला होती हैं जैसे हमारे समाज की अन्य महिलायें हैं और संविधान के अन्दर

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

उनको भी समान अधिकार प्राप्त है तो फिर क्या वजह है कि वह महिलायें अदालत में जाकर निराश हो कर आती हैं और परेशान की जाती हैं। इसके लिये मैंने पहले भी कहा था कि एक विभाग इस प्रकार का सरकार कायम करे जिसमें आये दिन होने वाली तकलीफों को दूर करने की सुविधा सरकार की ओर से दी जाय। मगर अफसोस है कि माननीय मंत्री जी ऐसा सोचने लगे हैं कि चूंकि संविधान में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो चुके हैं इसलिये जो कार्य दूसरों के लिये होगा उसी में महिलाओं की भी गणना हो जायेगी लेकिन यह नहीं मालूम कि वास्तव में महिलाओं की गणना उस क्लास में हैं जिसको बैकवर्ड क्लास कहते हैं और संविधान में उनको विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं।

लेकिन महिलाओं के लिये किसी प्रकार की विशेष सुविधा के साधन नहीं जुटाये गए हैं। क्या इसी प्रकार से महिलाओं को वह स्थान प्राप्त हो सकता है जो पुरुषों को प्राप्त है। इसलिये मैं चाहती हूं कि कम से कम कुछ वर्षों तक अवश्य इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमारे मंत्रियों को कि स्त्रियां जब तक उस स्थान पर न आ जायें, उनका उत्थान न हो जाये तब तक बजट में उनके लिए विशेष सुविधायें अवश्य होना चाहिए।

इसके साथ साथ उनकी शिक्षा का भी प्रश्न आता है। बेरोजगारी का भी सवाल आता है। मैंने कल से और आज तक बेरोजगारी के संबंध में माननीय सदस्यों के भाषण सुने। लेकिन किसी मेम्बर साहब ने ऐसी तकलीफ गवारा नहीं की कि जहां छात्रों का प्रश्न आता, जहां विद्यार्थियों का प्रश्न आता वहां छात्राओं का भी नाम लिया क्यों नहीं जाता, महिलाओं का भी ख्याल क्यों नहीं किया जाता। आज बेकारी बढ़ रही है। यह सब जानते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए हमारे मंत्री गण भी चिन्तित हैं उसका निराकरण करने के लिये योजनायें भी बना रहे हैं और अब की बजट भाषण में वित्त मंत्री जी का ध्यान उस बेरोजगारी की तरफ गया भी है उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि गांवों में इस प्रकार के स्कूल खोले जायंगे जहां खेती की शिक्षा भी छात्रों को दी जायेगी और खेती के द्वारा उनकी बेरोजगारी दूर करके उनको कार्य के उपयुक्त बनाया जायेगा। क्या मैं पूछ सकती हूं कि केवल खेती के द्वारा इस प्रकार की समस्या का हल होना सम्भव है।

प्र अगर इस खेती के साथ-साथ तेल बनाने का प्रबंध किया जाये, हाथ के करघे का भी बंध किया जाये और इसके साथ ही साथ छात्राओं के लिए कम्पलसरी नर्सिंग, होम साइंस, दर्जीगीरी आदि सिखाने का भी प्रबंध किया जाये तो इस प्रकार की समस्या का कुछ न कुछ निराकरण अवश्य हो जाये। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार को इस बात का भी ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा कि जितनी भी तेल की खपत अपने प्रदेश में होती है उसकी पूर्ति न्हीं तेल की घानियों से की जायेगी। इसके साथ ही उन मिलों में जहां कपड़ा बनता हैं, वहां हाथ करघे के बने हुए तौलिए-झाड़न आदि ऐसे कपड़े जो दैनिक जीवन के उपयोग में आ सकते हैं और कुछ हैंडलूम के कपड़े व्यवहार में लाये जा सकते हैं उन कपड़ों का बनाना इन मिलों में बन्द कर दिया जाये। इससे बहुत कुछ सम्भव है कि बेकारी की समस्या का हल निकल आये। इसी प्रकार से यदि लड़कियों को भी नर्सिंग सिखलाई जाये तो हमारे प्रदेश में जो नर्सों की कमी है, डाक्टरों की कमी है और जो घरों में रहने वाली माताओं के बच्चों के लालन-पालन में कमी है वह पूरी की जा सकती है।

इसके साथ उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी का ध्यान बस सर्विस वाले अनुदान की ओर भी आकृष्ट करना चाहती हूं। आज बस सर्विस वाले अनुदान को मैंने देखा और खुशी हुई। हमारी सरकार ने यातायात की सुविधा के लिए, जनता के आसानी के लिये बस की सहूलियत दी है। लेकिन इसके साथ ही जहां बस का अनुदान है, जनता की आसानी का ध्यान है, वहां एक वर्ग हमारे शहर का ऐसा भी है जो बेकार होता जा रहा है।

यदि इसी प्रकार की सुविधायें जनता के लिये दी गईं तो वह वर्ग पिसता ही न जायेगा बल्कि उसके पेट के लाले पड़ जायेंगे। वह वर्ग है रिक्शे और तांगे वालों का। रिक्शे वाले कम्पटीशन की वजह से अमीनाबाद से चौक तक चार–पांच आने सवारी

(इस समय ३ बजकर ४५ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

लेकर अपनी जिंदगी की बाजी लगाते हैं। इतना अफसोस होता है रिक्शे वालों को देखकर कि उनको कम्पटीशन के कारण चार आने में इतनी दूर चढ़ाई तक जाना पड़ता है। उसी प्रकार से तांगे वालों की हालत है। दिन ब दिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। तांगे वाले सवारियों को ढूढ़ते-फिरते हैं और यह कहते हुए नजर आते हैं कि कम से कम हमें पेट भरने के लिये पैसा कमा लेने दीजिए। तांगों की वजह से वह तबका भी बेकार हो जायगा जो बढ़ई हैं, लोहार हैं, रंगसाज है और नाल लगाने वाले हैं, यह ऐसा तबका है जो रुपये–दो रुपये रोज कमा कर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। इस वर्ग को बेकार बनाना देश के हित में न होगा। अनइम्प्लायमेन्ट का हाल यह है कि रिक्शा वाले बी० ए० तक पढ़े हुए मिलते हैं। जहां बेकारी की समस्या को हल करने के लिये इतना ध्यान सरकार दे रही है वहां इस वर्ग की ओर ध्यान देना भी जरूरी है। इसके लिए बस सर्विस पर कुछ न कुछ बंदिश लगानी पड़ेगी। छोटी–छोटी सड़कों पर या गलियों में जाने के लिये रिक्शा वालों को सुविधा मिलनी चाहिए।

बजट को पढ़ने से मुझे एक बात मालूम हुई कि जो शहर औद्योगिक शहरों में अच्छी गणना रखता है उसकी तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों माननीय मंत्री का ध्यान कानपुर की तरफ नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है कि कानपुर के साथ सौतेलेपन का व्यवहार होता है। मालूम पड़ता है कि कानपुर के नाम से इसी बात का ख्याल आ जाता है कि वहां तो अधिकतर धनी वर्ग है। लेकिन मैं नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि जहां कानपुर में धनी वर्ग रहता है वहां गरीब भी रहते हैं। जो बड़े-बड़े धनी होते हैं वे दिल के बड़े निर्धन होते हैं। कानपुर की शिक्षा संस्थाओं के लिये या अन्य बातों के लिये कोई रकम नहीं रखी गई है। जो प्रयोग होता है वह केवल ४-५ शहरों में ही होता है जेल का प्रयोग कानपुर शहर में नहीं किया गया। कानपुर की जेल के अन्दर जब मैं जाती हूं तो देखती हूं कि एक छोटे से बेरक में जहां ८–१० महिला कैदियों को रहना चाहिए वहां ४०–५० महिला कैदी रहती हैं उनके दिन–रात कैसे कटते हैं ईश्वर ही जाने।

लेकिन कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से कानपुर के अस्पतालों की बाबत भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। कानपुर के अस्पतालों की जो संख्या है वह कानपुर की अबादी को देखते हुये इतनी नाकाफी है कि नहीं के बराबर है लेकिन फिर भी मैंने एक प्रस्ताव माननीय मंत्री के सामने इस बात का रखा था कि कानपुर में एक जच्चा–बच्चा अस्पताल शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाय और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि ऐसा अस्पताल बनवाया जायगा लेकिन मैं देखती हूं कि मेरे उस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया गया और कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनवाया गया। मैं फिर माननीय मंत्री का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि वह इस बजट में अगर नहीं हो सका तो भविष्य में कानपुर के स्वास्थ्य की हालत को देखते हुये एक ऐसा अस्पताल जरूर बनवा दें। आप देखिये कि उन जच्चाओं की क्या हालत होती है जो अपने जीवन की घड़ियां गिनने के लिये जमीन पर पड़ी रहती हैं। दवाई के नाम पर उनको लाल–पीले रंग का पानी पिलाया जाता है। उसी के साथ-साथ अगर इस बात की आवश्यकता होती है कि उनको खून दिया जाय तो उसके लिये रुपया नहीं, बिल्डिंग के लिये साधन नहीं, बेड्स का कोई इन्तजाम नहीं। ऐसी हालत में जो अस्पताल चल रहे हैं वह नहीं के बराबर हैं। धन्य है उस अमरीकन व्यक्ति को जिसने काफी दिन हुये कानपुर के अस्पतालों की मरम्मत कराई और इस योग्य बनाया कि

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भरती हो सकें लेकिन आज कानपुर की आबादी बढ़ रही है। इस तरह से वह अस्पताल बेकार हैं । कानपुर की हालत देख कर वहां पर एक या दो अस्पताल का निर्माण अवश्य कराना चाहिये। इसी के साथ-साथ टी० बी० का भी प्रकोप कानपुर में देखने को मिलेगा । टी० बी० का सब से ज्यादा हमला कानपुर में है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति कानपुर में होगा जो यह कह सकता है कि उस पर टी० बी० का असर नहीं है । वहां पर १६ बेड्स का एक टी० बी० का ब्लाक है उस अस्पताल की क्या हालत है, वहां पर डाक्टर की क्या हालत है इसको आप देख सकते हैं । टी० बी० के पेशेन्ट भरती नहीं हो पाते लिस्ट पर उनका नाम चढ़ा रहता है और वह भगवान के यहां इन्तजार ही इन्तजार में पहुंच जाते हैं । कम से कम टी० बी० की तरफ भी हमारे मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और उसके लिये भी कोई न कोई प्रबन्ध करना चाहिये । इन कमियों के बावजूद जिस प्रकार का कल्याणकारी बजट बनाया गया है उसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और आशा करती हूं कि मेरे सुझावों पर विचार किया जायगा ।

श्री वेणी प्रसाद टण्डन (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, कल से बजट पर हमारे मित्र अपने अपने विचार इस सदन में रख रहे हैं और बहुत सी बातें कहीं भी जा चुकी हैं अब मैं ज्यादा समय न ले कर के सिर्फ उन बातों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा जो कि अभी तक नहीं कही गई हैं । सब से पहले इस बजट को डेफिसिट बजट कह कर कुछ लोगों ने इसकी अवहेलना की है । मेरा विचार डेफिसिट बजट के बारे में यह है कि हमारे इस राज्य में जहां कि ८० करोड़ के करीब रेवेन्यू है और जिसकी आर्थिक स्थिति तीन सौ करोड़ के ऊपर समझी जाती है उसमें ३ करोड़ या ४ करोड़ के डेफिसिट से हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और हम लोग बिल्कुल तबाह हुए जा रहे हैं । डेफिसिट बजट के माने आज की दुनिया में प्रगतिशील बजट के होते हैं। हम प्रगतिशील तभी हो सकते हैं कि जब हम अपनी नई-नई योजनाओं को बढ़ाने की कोशिश करें और उनके खर्चे के लिये रुपया लगायें। इसलिये डेफिसिट से तो मुझे कोई ज्यादा चिन्ता नहीं है परन्तु मुझे यह अवश्य कहना है कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्च है यह प्रतिवर्ष इस कदर बढ़ता जा रहा है कि उसका उपयोग हमको मिलता है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता । मैं इस बात के लिये सरकार का ध्यान अवश्य दिलाना चाहता हूं। जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हर साल सप्लीमेन्टरी बजट में बढ़ाया जाता है और नये नये लोगों की नियुक्ति की जाती है और नये-नये विभाग भी खोले जाते हैं, परन्तु जब किसी काम के लिये कोई आता है या कहीं किसी विभाग में जाती है तो उसका अनुभव यह होता है कि काम में शिथिलता है और काम सुचारुरूप से नहीं चल रहा है । छोटे-छोटे कामों के लिये लोगों को पचीस-पचीस दफा या ज्यादा दौड़ना पड़ता है । इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान विशेष तौर पर दिलाना चाहता हूं कि वह इसकी खोज करे और हमारा जो भी करे सिस्टम हो कुछ लोग इसे ब्यूरोक्रेटिक बताते हैं तो वह ब्यूरोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक इस झगड़े में पड़ता हुआ मैं यह जरूर जानता हूं कि वह कुछ डिफेक्टिव जरूर है और हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमारा काम देर में होता है । इसलिये जब हम ८ करोड़ के करीब ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करते हैं और फिर भी कठिनाई जनता को होती है तो वह जरूर दुःख की बात है और यह समझ में नहीं आता कि क्या बात है कि आखिर काम क्यों नहीं होता ।

अब ज्यादा न कह कर मैं आपका ध्यान इस विषय पर दिलाना चाहता हूं कि हम कहते तो हैं कि हमारी आमदनी बढ़ी और हमारा खर्चा बढ़ा । मगर अपने अध्ययन के समय जब मैं पिछले ३० वर्षों के आंकड़ों से उसका मुकाबला करने बैठा तो मैंने देखा कि

हमारे जो समाज की उन्नति करने के लिये खास खास चीजें हैं उनकी तरफ हमारा खर्चा ३० वर्ष में नहीं बढ़ा है। आप देखिये कि शिक्षा विभाग में सन् १९२२ में १०.७ प्रतिशत खर्चा होता था सन् ३२ में १६.८ और सन् ३७ में १६.४ और सन् ५४ में ११.६। अगर प्रतिशत कोई चीज है जिससे कि यह जाना जा सके कि हमारा राज्य उन्नति की ओर जा रहा है तो आप इसका खुद निर्णय करें कि सन् २२ में १०.७ प्रतिशत खर्चा था और आज हमारा खर्च ११.६ है। सिर्फ एक प्रतिशत का अंतर शिक्षा विभाग में २० वर्ष में हुआ ह जबकि इस कदर तेजी से दुनिया तरक्की की तरफ बढ़ रही है। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में सन् २२ में हमारे राज्य में ४.१ प्रतिशत खर्च होता था, सन् ३२ में ४.३ सन् ३७ में ४.२ और सन् ५४ में ४.७। आप इससे देखेंगे कि स्वास्थ्य के ऊपर हमारा खर्च प्रतिशत के हिसाब से ३० वर्ष में कुछ भी नहीं बढ़ा है केवल कहने के लिये एक करोड़ रुपया बढ़ाया गया है जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि सन् ५३ के मुकाबिले में हम एक करोड़ रुपया अधिक खर्च कर रहें हैं। मगर आप देखेंगे कि क्या कोई फर्क है तो आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। इस समय में केवल ३ विषयों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करूंगा। शिक्षा के संबंध में मुझे यह कहना है कि हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आर्थिक हालत बहुत खराब है और सोचनीय है मूथम कमेटी रिपोर्ट भी सरकार के सामने आ चुकी है और उसमें यह लिखा है कि उस यूनिवर्सिटी को कम से कम १६ लाख रुपया मिलना चाहिये लेकिन मैं देखता हूं कि पिछले साल एक लाख रुपया नानरेकरिंग के रूप में उसे दिया गया था और वही एक लाख की रकम इस वर्ष भी दिया जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मूथम कमेटी रिपोर्ट से क्या नतीजा निकला अगर एक लाख के बजाय ५ लाख रुपया ही उसे दे दिया जाता तो मैं समझता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट का कुछ असर सरकार पर हुआ और आगे के लिए भी कुछ सरकार सोच रही है। जूनियर हाई स्कूलों के लिये यहां पर बहुत से लोगों ने अपने-अपने विचार रखें मुझे भी एक बात कहनी है वह यह कि क्या कृषि शिक्षा देने से जूनियर हाई स्कूल सेल्फ सफिसेन्ट हो जायंगे जैसा कि सरकार का विचार है। हमें इसमें विश्वास नहीं है और न हम इसको मानने को तैयार हैं क्योंकि हमने ७ वर्ष में अलग अलग विचार इस संबंध में करते आये हैं और हर तरफ हम लोगों ने अपने हाथ-पैर फेंके और हर तरफ नई-नई योजना चलाई मगर यह अब भी सरकार को सोचना पड़ रहा है कि शिक्षा के संबंध में कुछ करना है। मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार का अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। मैं इस समय आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट की एक विशेष चीज पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा गया है कि सिक्स क्लास से लेकर एथं क्लास तक की जो शिक्षा है वह बहुत कठिन और उसका कोई संबंध नाइन्थ टु अलेविंथ क्लास तक कुछ नहीं है और न पहले का दूसरे से कोई को-आर्डिनेशन ही है इस लिए इस संबंध में आचार्य कमेटी की जो सिपारिश है उस पर सरकार ध्यान दे, यही मेरी ख्वाहिश है। जिस तरह से सरकार ने डिपार्टमेन्टल कोर्सेज कमेटी बना दिया है मैं चाहता हूं कि उसी तरह से एक बोर्ड बनाया जाय जो कोर्स निश्चित करे कि किस तरह का कोर्स होना चाहिये नीचे के क्लासों का और उसी तरह से हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट क्लासेज में भी सुधार की आवश्यकता है। उस संबंध में भी वह अपनी सिफारिश दे। शिक्षा मंत्री जी ने भी कई बार यह कहा है कि हम विचार कर रहे हैं कि किस तरह की तब्दीली करें।

लिहाजा मैं आप के द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि इन्टरमीडियेट के कांस्टीट्यूशन को बदलना निहायत जरूरी है और उसको जितनी जल्दी हो सके सरकार करे। हमारी शिक्षा में यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारा कोई एजूकेशन कोड नहीं है। एक पुराना एजूकेशन कोड था उसको बदलने के लिए सरकार ने एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी मुकर्रर किया था जिनका नाम श्री भगवती सरन था। उन्होंने कुछ संशोधन किये लेकिन हम

[श्री वेणी प्रसाद टंडन]

लोगों को नहीं मालूम हो सका कि उन्होंने क्या संशोधन किये। उस की प्रतिलिपियां गवर्नमेंट प्रेस से ही निकल कर बाहर नहीं आई इसलिए मेरा सुझाव यह है कि सरकार को एक एजूकेशन ऐक्ट बनाना चाहिए। सरकार को एक ऐक्ट का रूप जरूर देना चाहिए। एडेड स्कूलों के मुताल्लिक बहुत सी बात कही जाती है कि उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है किसी के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि वहां पर पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम एक ऐक्ट के द्वारा शिक्षा की हालत को कुछ ठीक कर सकें हमारे राज्य में हर जमात में एक प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए और एक प्रकार की सर्विस कंडीशन होनी चाहिए और एक प्रकार का कोर्स भी होना चाहिए। आज हमारे देश की यह हालत है कि शिक्षा का इतना खर्च बढ़ गया है कि मध्यम वर्ग के लोग जिनकी आमदनी सौ रुपया होती है वह अपने तीन-चार बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह शिक्षा का भार उठा सकें। इसके बारे में और ज्यादा न कह कर इस को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।

अब मैं उद्योग-धन्धों के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मेरा यह विचार है कि आपका जो काटेज इन्डस्ट्री का आर्गनाइजेशन है वह ठीक नहीं है, उसमें कुछ तब्दीली होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बड़ी इन्डस्ट्री कानपुर में है और वही सारे सूबे की इन्डस्ट्रियों का इन्तजाम करती है। मेरे ख्याल में एक डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजेशन हर जिले में होने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर हम उद्योग-धन्धों की तरक्की चाहते हैं तो हम को ऐसा करना ही होगा। इसके साथ ही साथ मेरा भी ख्याल है कि म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा, अगर्चे उसके कानून में कोई तरमीम करने की जरूरत हो तो की जाय एक कमेटी बनायी जाय जो इन्डस्ट्री के विकास को कायम रखे। इन्डस्ट्री के विकास की जिम्मेदारी म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर भी होनी चाहिए और यह तभी हो सकता है जब हमारे कानून में किसी प्रकार का रद्दोबदल किया जाय।

चुंगी के मामले में भी बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं। हमको यह तय करना चाहिए कि काटेज इन्डस्ट्री पर कम से कम चुंगी रहे ताकि उसका विकास अच्छी तरह से हो सके। घरेलू धंधों के सामान पर ज्यादा चुंगी नहीं होनी चाहिए ताकि उनका दाम न बढ़ने पाये। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसको उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने के लिये इस मामले की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। मेरा तो विचार है कि इस पर चुंगी बन्द कर दी जाय तो ज्यादा अच्छा है। उद्योग धन्धों के सामान को जितना सस्ता कर सके करे। छोटे-छोटे कारखानों की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और इनकी तरक्की के लिये सरकार को अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए।

इसके अलावा में हाउसिंग स्कीम के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया है लेकिन हमारी सरकार ने इस तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। सरकार को चाहिए कि वह मजदूरों के रहने के लिये भी प्रबंन्ध करे। जहां तक हो सके जल्द से जल्द उनके रहने की व्यवस्था करे। टेकनिकल एजूकेशन जो कि हम इस समय विद्यार्थियों को दे रहे हैं उसमें हम यह अनुभव कर रहे हैं कि हमारे जो शिक्षित लोग वहां से निकलते हैं वे क्या चाहते हैं? वे नौकरी चाहते हैं मगर नौकरी है कहां? लिहाजा हम देखते हैं कि उस टेकनिकल एजूकेशन से भी अनइम्पलायमेन्ट रहता है और हम राज्य में जितने ही ऐसे स्कूल्स खोलते जा रहे हैं, उतना ही अनइम्प्लायमेन्ट बढ़ता चला जा रहा है। केवल स्कूलों के खोल देने से ही लोगों को इम्प्लायमेन्ट नहीं मिल सकता है, लिहाजा सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

बेसिक इन्डस्ट्री का कार्य न तो हमारे राज्य के फाइव इयर प्लान में है और न सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने ही इस ओर ध्यान दिया है तो किसी ने भी बेसिक इण्डस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं दिया है। क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करेगी कि हमारे राज्य में कहीं न कहीं बेसिक इन्डस्ट्री को भी चालू किया जाय।

स्वास्थ्य विभाग के बारे में मुझे थोड़ा सा कहना है और वह यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपनी बजट स्पीच में इलाहाबाद टी० बी० हास्पिटल के बारे में बतलाया तो मैंने उसको देखा मगर उसके साथ ही जब मैंने अनुदानों को देखा तो मुझे मालूम हुआ कि उसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपके द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि सप्लीमेंटरी बजट में इस इलाहाबाद सैनिटोरियम की मांग अवश्य रखी जाय। आयुर्वेदिक डिसपेन्सरीज की ओर हम लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। आयुर्वेदिक डिसपेन्सरीज की योजना सरकार ने रखी है और उसमें उसने बतलाया है कि हमारे राज्य में ७ सौ डिसपेन्सरीज यूनानी और आयुर्वेदिक की होंगी और जिस प्रकार से १० डिसपेन्सरीज खोलने की योजना उसने रखी है उस तरह से तो हम करीब ७० वर्ष में ७ सौ डिसपेन्सरीज खोल सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि गांव सभा से कहा जाय कि वे लोग जनता का सहयोग लेकर गवर्नमेन्ट एड सिस्टम से कम से कम एक डिसपेन्सरी हर गांव सभा में खोलें तो यह ज्यादा ठीक होगा। इसी प्रकार से म्युनिसिपैलिटियों के अन्दर हमारे जो ऐलोपैथिक डाक्टर्स हैं उनको खर्च की आवश्यकता है। मेरा सुझाव यह है कि हम म्युनिसिपैलिटियों से कहें कि आप हर मुहल्ले में एक डाक्टर को नियुक्त करें और इस प्रकार की नियुक्ति करने के लिये एक कानून बना दें कि ५ रुपया या ४ रुपया उसे हर फैमिली से माहवार खर्च के मिल जाय। वह स्कीम चल सकती है। मैं इन्हीं सब बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री केदार नाथ खेतान (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट हाउस में पेश है उसमें सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी राय का इजहार किया है तो इस सम्बन्ध में मैं भी अपने ख्यालात हाउस के सामने रखना चाहता हूं। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। यह बजट गरीबों की उन्नति और हमारे देश के लोगों के लिये बहुत ही अच्छा है। कुछ वर्ष पहले जबकि गल्ले पर कन्ट्रोल था तो मेरा ख्याल है कि अध्यक्ष महोदय भी इसी कुर्सी पर बैठते थे। उस समय स्पीचेज हुआ करती थीं कि गल्ले का जैसा भाव है वह बहुत तेज है और कुछ लोग कहते थे कि कन्ट्रोल हटा दिया जाय। हमारी सरकार के लिये यह दिक्कत थी कि वह कन्ट्रोल हटाये या न हटाये मगर तब से हमारी सरकार ने गल्ले के वृद्धि में काफी उन्नति की है। आज वह दिन आ गया और हमारे देश में इतना गल्ला पैदा हो गया है कि वह हमारी जनता के लिये काफी है और हो सकता है कि गल्ला हमें बाहर भी भेजना पड़े। इसका कारण क्या है। इसका कारण हमारी सरकार ही है क्योंकि उसने ही लाखों बीघे बजर जमीन को खेती के काबिल बनाया, उसके लिये पानी का साधन किया, उसके लिये नहरें बनाई, उसके लिये बिजली बनाई। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बजट की वजह से ३ साल के अन्दर आठ या दस रुपये मन गेहूं का भाव हो जायेगा। मेरा ख्याल है कि इस बजट की वजह से गल्ले का भाव, कपड़े का भाव, तमाम चीजों का भाव गिर जायेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा कम हो भले ही कम हो परन्तु हमारे देश के गरीबों को इससे बड़ा फायदा होगा। हमारी यू० पी० में जितने इंडस्ट्रीज हैं जिस वक्त प्रभु नारायण सिंह जी ने उसके बारे में यह कहा कि गन्ने का भाव जिस वक्त १ रु० १२ आने मन था उसको १ रु० १४ आना करना चाहिये था गवर्नमेन्ट ने मुश्किल से १ रु० ७ आना मन किया है तो मेरा ख्याल है कि प्रभु नारायण सिंह जी कानों से सुनते हैं आंखों से शायद नहीं देखते हैं। शायद आपको मलूम है कि १ रु० ७ आना

[श्री केदार नाथ खेतान]

कर देने से मिलों को कोई मुनाफा नहीं हुआ जिनकी गन्ने की पिराई १४ लाख मन से कम है मैं यह बताना चाहता हूं कि उन मिलों के अन्दर जिनमें ७ लाख मन गन्ना पेरा गया। वह हमारे गोरखपुर और देवरिया की मिलें हैं वहां पर भी किसी को फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस पर भी लाल टोपी वाले झुंड में वहां पहुंचे जो स्पीच दिया करते हैं और कहा करते हैं कि हम गरीबों के रक्षक हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि वह वहां पर पहुंचे और उस दिन पहुंचे जब कि १ हजार गाड़ी लाइन पर खड़ी थीं लाल टोपी वालों ने प्रार्थना की कि तुम लोग गाड़ियां खड़ी कर दो वापस ले जाओ। उसके बाद जब उन लोगों ने कहा कि हम गाड़ी वापस नहीं ले जायेंगे तो वे वहां लेट गये और कहा कि हमारे ऊपर गाड़ी ले जाओ। अब सुनिये उनकी करतूत जो गरीबों का फायदा करने वाले हैं। दो रोज तक गाड़ी खड़ी रह गई, बैलों ने कुछ नहीं खाया, बैलगाड़ी वाले भूखे रहे। अन्त में जब गाड़ीवानों ने यह कहा कि हम तुम्हारे ऊपर ही गाड़ी ले जायेंगे तो इनसे कुछ नहीं बन पड़ा।

पडरौना जो एक छोटी सी जगह है वहां पर सैकड़ों एकड़ भूमि परती पड़ी हुई थी और वहां के जो काश्तकार हैं उन लोगों को इन लाल टोपी वालों ने यह सलाह दी कि तुम खुद जोत लो। वे समझते थे कि यह लोग मिनिस्टरों के सामने डरते नहीं हैं और वहां मिनिस्टरों के सामने उल्टी-उल्टी बातें करते हैं इसलिये वे लोग इनके बहकावे में आ गये। जमींदारों ने पुलिस में रिपोर्ट की मुकदमा चलाया तो उस वक्त आप लोग वहां तशरीफ नहीं ले गये सैकड़ों रुपये उनके खराब हुये और जेलखाने गए मगर उस वक्त इन लाल टोपी वालों ने उनको कुछ भी मदद नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये उन लोगों से यह कहना चाहता हूं कि कम से कम आप लोग गरीबों को न बहकावें। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि बेरोजगारी हमारे प्रदेश में जरूर बढ़ी है और मेरा ख्याल है इसका कारण यह है कि जो इस वक्त एजूकेशन चल रही है उससे अनइम्प्लायमेन्ट बढ़ रही है। उसके लिये इस एजूकेशन में मेरी राय यह है कि जब तक इसमें कुछ चेंजेज न किये जायं ताकि लड़के स्कूलों से निकल कर कुछ अपना बिजनेस कर सकें, अपना काम कर सकें। इस वक्त मैं देखता हूं कि जितने पढ़े-लिखे बी० ए० या एम० ए० होकर निकलते हैं वे स्कूलों से निकल कर बेकार हो जाते हैं। क्योंकि नौकरी नहीं मिलती। इसलिये इस एजूकेशन में अध्यक्ष महोदय, कुछ चेंजेज अवश्य करने होंगे। अगर इसमें चेंजेज न किये गये तो इसमें बेरोजगारी रोकने की कोई गुन्जाइश नहीं है। अभी कानपुर में मैंने सुना एक लड़का पकड़ा गया जेब काटते हुये और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने अपना बयान दिया कि मैं एक ग्रेजुएट हूं, कितनी ही जगह मैंने नौकरी के लिये दरख्वास्त दी, परन्तु मुझे नौकरी नहीं मिली। इसलिये मैंने यह पेशा अख्तियार किया। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कई मिसालें हमारे समक्ष आती हैं। इसलिये एजूकेशन में कोई तब्दीली करें ताकि लड़का पढ़-लिख करके कोई ऐसी चीज सीख करके आये जिससे वह अपनी फैमिली की परवरिश कर सके।

इसके बाद मुझे एक बात यह कहनी है कि जब जमींदारी का खात्मा हुआ तो जमींदारों ने जैसे ही यह देखा कि जमींदारी का खात्मा होने जा रहा है उन्होंने एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ी और सारी जमीन रुपया लेकर उठा दी। अब देहातों में मवेशियों को बड़ी तकलीफ है, चरागाह न होने की वजह से जो गरीब आदमी हैं उन्होंने मवेशी रखना छोड़ दिया। इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे गांवों में थोड़ी सी जगह ऐसी छोड़ दी जाय जहां मवेशी चर सकें।

एक बात मैं और देखता हूं कि जब लड़के पढ़ते हैं और मुझे इस बात का अनुभव है क्योंकि मैंने भी एक हाई स्कूल खोल रक्खा है और उसमें मैं देखता हूं कि लड़के

खूब मेहनत करते हैं परन्तु उनको गिजा नहीं मिलती और इसके कारण वह टी० बी० के शिकार हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ५-६ लड़के मेरे पास आये जो टी० बी० के बीमार थे। उनको भुवाली भेजा गया परन्तु वहां उनको जगह नहीं मिली इसलिये मैं गवर्नमेंट से यह कहना चाहता हूं कि भुवाली में कुछ और बेड बनने चाहिए ताकि लड़कों को जगह मिल सके और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि १०-५ बेड ऐसे बनने चाहिए कि जो लड़कों के स्कूल के लिये ही रिजर्व हों। ३ लड़के जिनको मैं १५० रुपये माह दे रहा हूं वह भुवाली और पटना इलाज कराने गए हैं और जो टी० बी० के मरीज हैं। मेरे कहने का मतलब यह है हेल्थ मिनिस्टर साहब भी आ गये हैं, टी० बी० के मर्ज के लिये हास्पिटल बनने चाहिए। इस वक्त जो हास्पिटल हैं वह कम हैं और हमारे देश में इस समय टी० बी० बड़े जोरों पर हैं इसलिये इसको दूर करने के लिये कुछ न कुछ होना चाहिए।

चीनी मिलों में इस वक्त शुगर केन बहुत कम हो गया है और उसका कारण यह है कि जो आपका केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वह बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल ही केन डेवलपमेंट करने के लिये ध्यान नहीं देता। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ ही वर्षों में हमारे देश में केन खत्म हो जायगा। इसलिये मैं आपके द्वारा गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि वह विभाग तोड़ दिया जाय और मिलों के हाथ कर दिया जाय या उन लोगों को जमीन दी जाय ताकि वह लोग २५ या ५० एकड़ गन्ना स्वयं पैदा करके डेवलपमेंट वालों को दिखलावें कि इस प्रकार कार्य किया जाता है।

मुझे अब यह कहना है कि जो गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि हर स्कूल को १० एकड़ जमीन दी जायेंगी तो जमीन की आजकल बहुत बड़ी प्राब्लम है क्योंकि हमारे देवरिया जिले में काश्तकारों के पास जमीन बहुत कम है और हर जगह यह जमीन दी जा रही है तो अगर १० एकड़ जमीन स्कूलों को दे दी जायेगी तो इससे काश्तकारों को तकलीफ होगी। इसलिये इसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए कि वह जमीन कहां से दी जाय। अगर काश्तकारों के पास जमीन है तब तो ठीक है परन्तु अगर काश्तकारों के पास इतनी जमीन नहीं है और उनकी जमीन स्कूलों के पास पड़ती है तो इसका नतीजा यह होगा कि काश्तकारों के पास गुजारे भर के लिये भी जमीन नहीं रह जायगी। अभी कुछ काश्तकार इस सिलसिले में मेरे पास आये थे कि अगर स्कूलों को १० एकड़ जमीन दे दी जायगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा।

पुलिस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सत्य हैं कि चोरी-डकैती में कमी हुई है। मेरे जिले में देवरिया और गोरखपुर में चोरी-डकैती और कत्ल में कमी है लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि जितनी जरूरत है एक गांव, शहर को देखते हुये कान्स्टेबुलों की संख्या बहुत कम है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगा कि पुलिस में कान्स्टेबिलों की भरती और होनी चाहिए।

मेरे देवरिया और गोरखपुर जिले में इस वक्त इतने मच्छर हो गये हैं कि बड़ी मुश्किल है इसलिये कोई ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए ताकि मलेरिया की बीमारी फैल न सके। मैंने अभी कुम्भ मेले में देखा था वहां पर एक भी मक्खी या मच्छर नहीं था। हालांकि उधर वालों ने कुम्भ मेले के ऊपर बहुत लांछन लगाये थे मैं उस दिन बोल नहीं सका। मैं उस समय वहां मौजूद था। जितना अच्छा इन्तजाम होना चाहिए उतना किया गया और ऐसा अच्छा इन्तजाम न कभी किया गया और न शायद होगा ही। यह कहना कि पुलिस का इन्तजाम ठीक नहीं था मैं कहता हूं कि पुलिस का इन्तजाम बिल्कुल ठीक था लेकिन यह हो सकता है कि पुलिस कम रही हो। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)—माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। बजट के

[श्री सभापति उपाध्याय]

विषय में भिन्न-भिन्न मत प्रकट किये गये हैं। कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया और कुछ सदस्यों ने उसका स्वागत भी किया इसका कारण क्या है। मैं तो समझता हूं कि हमारे यहां बहुत से दर्शन हैं, ६ दर्शन आस्तिकों के, ६ नास्तिकों के और उनमें सभी का भिन्न भिन्न मत है। इसका कारण बुद्धि भेद है। इसी तरह बजट में भी बुद्धि भेद से भिन्न भिन्न प्रकार से देखते हैं। कहा गया है कि "दोषा दृशां भान्ति। गुणा भान्ति गुणादृशाम्" इसी के अनुसार जो दोष की दृष्टि से देखता है उसको दोष ही दिखायी देते हैं और जो गुण की दृष्टि से देखता है उसको गुण दिखायी देता है। तो मैं भी कहूंगा कि दोष की दृष्टि से देखना भी दूषित नहीं है, वह सावधान करने के लिये है। ऐसी ही जिससे सरकार सावधानी से काम करे दूषित काम न करे। हमारे कुंवर साहब ने कहा कि सरकार बहुत खर्च करती चली जा रही है। आर्थिक कोष क्षीण होता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहां कहा गया है कि "कमण्डलु समोऽमात्य:" आर्थिक मन्त्री कमण्डलु की तरह होना चाहिए जिससे कि जरूरत के मुताबिक ही पानी निकलता है और भरता जल्दी। आर्थिक कोष को मजबूत होना चाहिए यह सही है और दूसरी तरफ बजट में यह कहा गया है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि यद्यपि जनता कर से पीड़ित है तथाऽपि मेरा तो यह ख्याल है बिना दुख के सुख नहीं होता है क्यों कि कहा हुआ है कि "नहि सुखं दुःखं बिना लभ्यते" दुःख पहले उठाना पड़ता है तो वहां सुख होता है। यह भी कहा गया है कि कर अधिक लगते हैं इसलिये जनता दुखित है। तो यह ठीक ही है कि कर से ही राजा के पास धन आता है और जनता से ही धन लिया जाता है अगर प्रजा से धन न लिया जाय तो कोई काम भी नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रजाजन सुखी हो तो कर लिया जाय और लिया जाय तो प्रजा सुखी हो यह तो अन्योन्याश्रय दोष होगा। इसलिये प्रजा के सुख के लिये कर लेना अनुचित नहीं है। इसलिये हमारे शासक वर्ग ने इस कर की ओर ध्यान दिया है और कर लेने की व्यवस्था की है। इसमें भी त्रुटियां हो सकती हैं यह सही है। दूसरी बात श्री प्रभु नारायण जी ने कही है कि हम अपने देश को अपना देश समझते हैं और अपने सूबे को अपना सूबा समझते हैं। तो क्या और जो लोग हैं वह इस देश को और इस सूबे को अपना नहीं समझते हैं। हमारे जो शासक लोग हैं उनके हृदय में यह नहीं है कि हमारी प्रजा दुःखी हो या हर एक तरह से सताई जाय। राज्य का सदैव यही ध्यान रहता है कि हमारी प्रजा की उन्नति कैसे हो, हमारा देश कैसे बढ़े। इसलिये जो यह कहा जाता है कि शासकों का दोष है यह मैं नहीं मानता हूं।

दूसरी बात यह है कि पुलिस के लिये कहा जाता है कि आज पुलिस ऐसी हो गयी है कि जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखती, वह जनता के लिये कष्ट का कारण बन रही है। डकैतियां बढ़ रही हैं चोरियां हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज की पुलिस कहीं बाहर से नहीं आई है, यह वही पुलिस है जो पहले थी परन्तु मेरे विचार से यही ज्ञात होता है कि हर एक विभाग में हिंसावादियों का प्रवेश हो गया है। उन्हीं लोगों के कारण हर एक विभागों में अनेक प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं। इसलिये मेरी सम्मति से पुलिस को दोष देना उपयुक्त नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पहले चोरियां नहीं होती थीं। क्या पहले डाके नहीं पड़ते थे। आज जो कुछ हो रहा है इसका कारण क्या है। मैं समझता हूं कि जो अनेक प्रकार के कम्यूनिस्ट इत्यादि हिंसावादी दल पैदा हो गये है इन्हीं के कारण यह अव्यवस्था फैल रही है। इसका आप यह अर्थ न लगायें कि पुलिस भी कम्यूनिस्ट हो गयी है।

आपने कहा कि मजदूर बहुत दुखी है और धनी वर्ग धनी होता चला जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसा विपरीति बुद्धि की वजह से ही कहा जा रहा

है। मैं तो समझता हूँ कि आजकल मजदूर वर्ग शोषक हो रहा है और धनी कमजोर होते जा रहे हैं। राजाओं का राज्य चला गया। जमींदारों की जमींदारी चली गयी। मजदूर जो चार आना पहले पाता था आज चार रुपया पा रहा है। इस तरह से मैं मजदूरों को शोषक कहूँ या धनियों को शोषक कहूँ। आजतक जितने स्कूल बने हैं, जितने अस्पताल इत्यादि धार्मिक या सार्वजनिक विभाग बने हैं सब धनियों के द्वारा बने हैं। अब यह कहना कि धनियों के द्वारा कोई काम नहीं होता, वह अपना धन अपने घरों में संग्रह कर रहे हैं उचित नहीं मालूम होता। मैं समझता हूं कि धनियों को गिराने की दृष्टि से जो आप चल रहे हैं उससे कोई संस्था नहीं रह जायेगी, न मन्दिर रह जायेंगे और न कोई संस्था रह जायगी। इसलिये यह कहना कि धनियों से धन छीन लिया जाय, मकान वालों से मकान छीन लिया जाय उचित नहीं मालूम पड़ता। शिक्षा विभाग के लिये यह कहा जा रहा है कि इसके कारण बेकारी बढ़ रही है। बेकारी बढ़ने का कारण क्या है। बेकारी बढ़ने का कारण मेरी दृष्टि में यह आ रहा है कि गांवों में खेती करने वाले लड़के नहीं मिलते। जो शिक्षित हो जाते हैं उनसे यह नहीं होता कि खेत से बोझा ढोकर अपने घर में ले जायें। सर्वसाधारण के लिये आपने ऐसी शिक्षा कर दी जिससे कि वह कोई काम नहीं कर सकते। इसलिये शिक्षा उन्हीं को देना चाहिए जो बुद्धिमान हैं। जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनको खेती की शिक्षा देनी चाहिए। दूसरी बात यह कही गयी कि बड़ी-बड़ी योजनायें बना दी गयी हैं, और चाहे शिक्षा विभाग हो या कोई विभाग हो, एक कमेटी बना दी जाती है, परन्तु कमेटी जो विचार प्रकट करती है उसके अनुसार कार्य नहीं किया जाता। ऐसा कहना भी अदूरदर्शिता है। क्योंकि हमारे यहां कहा गया है "सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमा पदां पदम्" कोई कार्य जल्दी में नहीं करना चाहिए। हर कार्य पर विचार करना चाहिए। विचार के लिये समय की अपेक्षा होती है। विचार करके जो कार्य किया जाता है वह दृढ़ होता है।

शिक्षा विभाग में हमारे शिक्षा मन्त्री ने उन्नति अवश्य की है। मैं कह सकता हूं कि पाठ्य-क्रम चाहे उपयुक्त न भी हों परन्तु जो पाठ्य-क्रम है उसके अनुसार शिक्षा विभाग में उन्नति अवश्य हुई है। दूसरी बात यह है कि आज तक शिक्षा में इंगलिश के बुद्धिमान छात्रों को विशेष सहायता दी जाती थी परन्तु संस्कृत के छात्रों को सहायता नहीं दी जाती थी। इस वर्ष शिक्षा मन्त्री ने संस्कृत छात्रों को भी सहायता देने की व्यवस्था की है। इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं।

परन्तु मैं यह कहूंगा कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने संस्कृत शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया है। हमारे यहां डेढ़ हजार संस्कृत पाठशालायें हैं लेकिन बहुत कम संस्कृत पाठशालायें ऐसी हैं जिनको सहायता दी जाती है। संस्कृत की तरफ ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। संस्कृत की उन्नति के लिये हमारे राज्यपाल महोदय तथा राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश जी डाक्टर सम्पूर्णानन्द, डाक्टर काटजू हृदय से चाहते हैं कि संस्कृत की उन्नति हो। संस्कृत बहुत उपयोगी है। उसकी तरफ ध्यान न देना एक बड़ी त्रुटि है। जब तक संस्कृत का प्रचार हर विभाग में न होगा तब तक उच्छृंखलता दूर न होगी। संस्कृत की शिक्षा शान्तिप्रिय है। इसलिये मैं चाहूंगा कि संस्कृत का प्रचार हर एक विभाग में किया जाय। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नवीन पाठ्य-क्रम संस्कृत में चलाया जाय। गत वर्ष ७८ हजार रुपया नवीन पाठ्य-क्रम के अनुसार पठन-पाठन के लिये दिया गया है। अध्यापकों के वेतनों में कुछ वृद्धि की गयी है। गत वर्ष ८८ आदर्श स्कूल बनाये गये हैं। आज मैं सुन रहा हूं कि गवर्नमेंट ने रुपया देना अस्वीकार कर दिया है। गवर्नमेंट ने जब एक बार घोषणा कर दी तब उसका पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। मेरे यहां कहा गया है कि "अंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति आचार्याः कृत्वा न निवर्तन्ते" इति। मैं शिक्षा मन्त्री जी से कहूंगा कि जो उन्नति इस सिलसिले में हो रही है उसमें बाधा न डालें।

[श्री सभापति उपाध्याय]

एक बात में और यह कहना चाहता हूं कि संस्कृत कालेज बनारस में जो छात्र हैं उनके लिये कोई छात्रावास नहीं है। मुझे खेद है कि हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं प्रार्थना करूंगा कि छात्रावास के लिये अवश्य ध्यान दिया जाय।

मैंने एक बार सरकार का ध्यान काशी के घाटों की तरफ दिलाया था और कई सदस्यों ने इसको माना भी था। उसको सरकार ने स्वीकार तो नहीं किया था लेकिन सहयोग दिया था। मेरा कहना यह है कि सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार का ध्यान इस ओर फिर आकर्षित करना चाहता हूं कि काशी के जो घाट बने हुये हैं अगर उनकी मरम्मत न कराई गयी तो वह सब नष्ट हो जायेंगे और फिर काफी रुपया खर्च करके भी वे नहीं बनाये जा सकते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर एक दम से उनको नहीं सुधारा जा सकता है तो थोड़ा थोड़ा हर साल सुधार किया जाय। संसार में काशी के घाट बहुत प्रसिद्ध हैं। इस तरह के घाट कहीं नहीं हैं। देश देश से लोग उनको देखने आते हैं। इसलिये उनकी तरफ अवश्य ध्यान दिया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राजाओं के जमाने में जो पाठशालायें थीं, संस्थायें कायम थीं और जो पाठशालायें अब भी हैं जो जमींदारों के व्यक्तिगत धन से चलती थीं उनके लिये सरकार ने कहा कि उनको मदद नहीं मिल सकती है। इसके लिये मेरा कहना है कि शिक्षा मन्त्री को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए जैसे और पाठशालाओं को मदद दी जाती है उसी तरह उनको भी मदद दी जाय।

श्री मानपाल गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्षा सन् ५४-५५ का जो बजट हमारे सामने है उसमें अनेक मित्रों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। यह कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के आदमी सरकार की ही बात कहते हैं लेकिन बड़े हर्ष की बात है कि आज इस सदन के एक बड़े विद्वान सज्जन ने इस बजट की प्रशंसा करते हुए सैकड़ों बातें बतलाई हैं। वे सज्जन डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी हैं। तो जब वे इस तरफ के नहीं हैं और जो बात वे कहते हैं वह एक अच्छा प्रमाण माना जा सकता है और यही चीज है। अब जैसा कि और दूसरे मित्रों ने कहा है मैं समझता हूं कि इन सब बातों को दोहराना उचित नहीं है। क्योंकि ऐसा करने में केवल समय नष्ट होगा। मैं इस बजट के लिये, जिसे कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने बड़े परिश्रम से और बड़ी छानबीन के साथ बनाया है और जो हमारे लिये कल्याणकारी है, उन्हें बधाई देता हूं और इसका स्वागत करता हूं। इस सिलसिले में मेरे जो थोड़े से सुझाव हैं वह मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मन्त्री जी के सामने रखता हूं। कोई चीज मनुष्य की पूर्ण होती नहीं और इसलिये अगर इसमें कोई कहीं कमी रह गई है या अगर कोई बदल फेर की कोई बात सोची जाय तो वह हो सकती है मेरी जो विचारधारा है उसे मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मन्त्री जी के और सरकार के सामने रखता हूं।

(इस समय ४ बजकर ४५ मिनट पर, डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

कलेक्शन के चार्जेज के विषय में आप अमीनों की नियुक्ति कर रहे हैं। इसमें एक दिक्कत यह होती है कि वह जब रुपया वसूली के लिये किसान के पास जाते हैं और किसान के पास पैसा नहीं होता है तो उनको वापस लौटना पड़ता है और फिर दोबारा उनको वसूलयाबी के लिये जाना पड़ता है। कभी कभी इस काम के लिये अमीन लोगों को कुछ भेंट-दक्षिणा भी दी जाती है। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये अगर यह काम ग्राम सभाओं के द्वारा लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। जो पैसा अमीनों को वेतनरूप में दिया जाता है वह भी इन सभाओं को दिया जाय और उनको जो करों से आमदनी होती है वे सब मिलाकर वे गांव की उन्नति काफी अच्छे पैमाने

पर कर सकेंगी । इसलिये मेरा एक सुझाव यह है कि यह वसूली का काम ग्राम सभाओं को दे दिया जाना चाहिए अथवा पंजाब में जो एक तरीका प्रचलित है कि हर किसान के पास डाकखाने की एक पास बुक हो जिसमें कि जमीन और उसके लगान का पूरा ब्योरा दर्ज हो और वह अपना रुपया समय पर डाकखाने पर जमा कर दिया करे। इससे किसी को परेशानी भी न होगी और इस तरह से किसी भी भ्रष्टाचार की गुन्जाइश भी न रह जायगी ।

पुलिस के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि अपराध बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के देखने से तो यह पता नहीं चलता लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अपराध बढ़ रहे हैं और इसका कारण यह है कि हममें नैतिकता का अभाव है । मैंने इस सिलसिले में एक बात माननीय गृह मन्त्री जी को भी लिखी थी और आज आपके द्वारा फिर मैं उसी बात का सुझाव रखना चाहता हूं कि यदि कारतूसों के अग्रभाग पर अर्थात् bullets पर नम्बर पड़ जायं और विदेशों से खरीदने के समय ही उन पर क्रमानुसार नम्बर पड़ जावें तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो कारतूस डकैतों और बदमाशों को लाइसेंस व आर्म्स डीलर्स से मिल जाते हैं, उसमें कमी हो जायगी। उन आर्म्स डीलर्स में फिर एक भय रहेगा कि यदि वह कारतूस किसी प्रकार से ऐसे लोगों के पास मिल गये तो उनकी खैर नहीं और संभव है कि इससे अपराधों में बहुत कमी हो जाय ।

एक बात यह कहना है कि बहुधा जो शिकायतें जिलों के अधिकारियों की की जाती हैं वह उन्हीं के पास जांच के लिये भेज दी जाती है । सरकार के पास एक डी० आई० एस० का विभाग है । उस डी० आई० एस० के विभाग को सीधे डी० आई० जी के अन्डर में रख कर अगर इस तरह की सारी चीजें उसके जरिये से कराई जायं तो मैं समझता हूं कि बहुत सी सही बातों का आपको पता चल सकता है । अभी चूंकि वह डी० आई० एस० जिले के एस० पी० के अन्डर में है, वहां के लोगों की तरक्की और दूसरे सर्विस के मामलों में कप्तान का हाथ रहता है इसलिये वह ठीक तरह से काम नहीं कर पावेंगे ? अगर ये डी० आई० एस०, डी० आई० जी० के अन्डर रहे तो उन लोगों के ऊपर किसी किस्म का दबाव पड़ने की गुन्जाइश न रहेगी और काम ठीक तरह से हो सकता है । यह मेरा तीसरा सुझाव है ।

पब्लिक हेल्थ के बारे में रिसर्च की बात कही गयी थी परन्तु मैं यह कहता हूं कि अगर आप इन सब चीजों की विदेशों से तुलना करते हैं तो रुपये की बहुत ज्यादा जरूरत होगी । हमारे देश में रुपये की कमी है इसलिये हमारे यहां जरूरी है कि निजी आमदनियों को देखें और उनको प्रोत्साहित करें । मैं अपने एक मित्र को जानता हूं वह डाक्टर झा हैं, आगरा यूनिवर्सिटी में साइन्स के प्रोफेसर हैं, वह रिसर्च करते हैं। लिक्विड गोल्ड (Liquid Gold) जो उन्होंने तैयार किया था वह बहुत अच्छी प्रकार का था । अगर ऐसे आदमियों को, प्रोत्साहन मिले तो निर्धनता की हालत में भी बहुत कल्याणकारी कार्य देश में हो सकता है । अभी मेरे दोस्त श्री बेणी प्रसाद जी ने परसेंटेज की बात कही है । मेरा कहना है कि हम परसेंटेज को देखें परन्तु यह न देखें कि रुपये की तादाद कितनी बढ़ी है तो यह बात सराहनीय नहीं कही जा सकती है । हम रुपये को न लेकर परसेंटेज की बात करके बजाय तारीफ करने के आलोचना करें यह हमें शोभा नहीं देता। मेरा यह सुझाव है कि हम एलोपैथिक के इलाज में न पड़कर यूनानी और आयुर्वेदिक के इलाज को प्रोत्साहन दें तो ज्यादा उचित है इसलिये भी कि विदेश से दवायें आने में दिक्कत हैं और दूसरें यह कि इलाज बड़ा कास्टली पड़ता है । जिसका बोझ हमारा गरीब देश नहीं उठा पाता हैं। यूनानी और आयुर्वेदिक इलाज हमारे देश में बहुत पहले से प्रचलित है ।

ट्रान्सपोर्ट के विषय में मेरा यह सुझाव है कि अगर इसका राष्ट्रीयकरण करना है तो जितनी भी प्राइवेट बसेज अच्छी अच्छी हैं उनको रुपया देकर ले लिया जाय, खराब और रद्दी बसों

[श्री मानपाल गुप्त]

को नहीं, इस तरह से एक साथ हमारे प्रान्त भर में ट्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण हो सकता है और जो आदमी बेकार हो जायंगे और जिनकी किसी प्रकार से विरोधी बनने की आशंका है उनको टामस की योजना के अनुसार आधा शेयर दे दिया जाय, यानी आधा उनको दे दिया जाय और आधा सरकार को मिले। उनसे भी रुपया आ सकता है। दूसरी बात यह भी है कि हम अपना रुपया जो बसेज के खरीदने के लिये विदेशों को भेजते हैं इस तरह से वह भी बच जायगा। इतना ही नहीं जो रोडवेज की बसेज २ या ३ साल में खत्म हो जाती हैं वे दुगुने समय चलेंगी और रोडवेज को बहुत अधिक आर्थिक लाभ होगा बेरोजगारी दूर होगी तथा वैमनस्य भी न रहेगा।

मैं अपने जिले की एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि वहां पर रोडवेज की बसेज चलती हैं। लेकिन कासगंज से ले कर एटा तक सड़क इतनी खराब है कि जो बसें वहां पर चलती हैं वह बहुत जल्द खराब हो जाती हैं और बहुत सी चीजें कमानी आदि उनकी टूट जाती हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि सबसे पहले सरकार को वहां की सड़कों को बनाना चाहिए। एक तो इससे व्यापार में भी आसानी होगी और बसें भी जल्दी खराब नहीं होंगी।

इसके अलावा मैं अब मद्य निषेध के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसके बारे में सरकार ने जो योजना बनायी है उसमें काफी सफलता भी नहीं मिली है मैं तो यह कहता हूं कि हम लोग जो कांग्रेसी होने का दावा करते हैं और महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता मानते हैं उनकी बातों पर भी पूरे तौर पर ध्यान देना चाहिए। उनके आदेशों पर चलकर हम अपने देश का कल्याण कर सकते हैं, अपने देश को ऊंचा उठा सकते हैं मैं तो समझता हूं कि १० या २० जिलों में ही नहीं बल्कि सारे देश के समस्त प्रदेशों में इस कानून को सख्ती से लागू किया जाय। तभी सरकार को सफलता मिल सकती है और यह चीज हमारे देश के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगी। इस मादक द्रव्य निषेध से पूर्व समस्त नारकोटिक ड्रगों का राष्ट्रीयकरण हो जाये फिर कड़े नियम बनाकर यदि इस Prohibition को समूचे देश में एक साथ शुरू किया तो सफलता अवश्य होगी।

शिक्षा के सम्बन्ध में भी यहां काफी कहा गया है इसलिये इस पर मैं अधिक नहीं कहूंगा। आजकल जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है उससे हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती है। अगर हम अपने बच्चों को पुरानी पद्धति से शिक्षा दें तो मेरा विश्वास है कि जो आज विद्यार्थियों की हालत खराब होती जा रही है वह ठीक हो जायेगी। आजकल की शिक्षा की ओर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे विद्यार्थी जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद गृहस्थ आश्रम में जायें तो इस लायक हो सकें कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

इसके अलावा मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान काटेज इन्डस्ट्रीज की ओर भी दिलाना चाहता हूं। आज जो जुलाहे और कोरी हैं उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर अगर संभव हो सके और जैसा कि बजट में भी फाइनेंसिंग कारपोरेशन का जिक्र किया गया है तो उसके द्वारा उन लोगों से स्वयं उसका हिस्सा डाल करके वहां प्रदेश में इस प्रकार की मिल हो जाय जो कि उनको सूत मिल सके। चूंकि अबतक सूत की काफी दिक्कत थी तो वह भी इससे दूर हो जायेगी। बेरोजगारी की बात बहुत जोर से कही गयी है, तो मैं कहता हूं कि उसका खतरा यहां ही नहीं है बल्कि दूसरे देशों में भी है और मैंने एक अखबार में पढ़ा कि अमेरिका में भी तीस लाख आदमी बेकार हैं, जिसके कारण वहां के राजनीतिक परेशान हैं तो यह बात जब अमेरिका में हो सकती है, तो उससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जो आज हम कल और कारखानों द्वारा काम

बढ़ा रहे हैं उससे तो और भी बेरोजगारी बढ़ जायेगी। हमारे लिये यह ज्यादा अच्छा है कि हम ऐसी बात को यहां ज्यादा प्रोत्साहन न दें। सीमेंट फैक्ट्री राबर्ट्सगंज के बन जाने के बाद, इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी बहुत कुछ समस्या हल हो जायेगी लेकिन जो आज देश में मकान बनने की प्रवृत्ति हो रही है और जिस प्रकार से गांव में भी पक्के मकानों की होड़ हो रही है तो सीमेंट की जो कमी है वह क्या इससे दूर हो जायेगी। यद्यपि मैं इस बात में कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं लेकिन मैं इतना आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं कि आगरा जिले के पास अछनेरा में इस तरह का क्षेत्र है, जहां एक दूसरी सीमेंट फैक्ट्री शुरू की जा सकती है और इस दूसरी फैक्ट्री बन जाने के बाद, यू० पी० की सरकार वहां अपनी जरूरतों को ही पूरा नहीं कर सकेगी बल्कि वह बाहर भी सीमेंट भेज सकेगी और तब हमारे यहां इस चीज की बिल्कुल कमी न रहेगी और तब वह नौबत भी नहीं आयेगी कि हम दूसरी जगहों से सीमेंट मंगायें जैसा कि हमने हाल ही में सौराष्ट्र से मंगाकर अपना काम चलाया।

सेल्स टैक्स की बाबत, जहां तक इसमें टैक्स के देने की बात है, व्यापारी लोगों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हर दूकानदार को चाहे वह छोटा दूकानदार ही क्यों न हो और चाहे उसकी बिक्री सौ या दो सौ रुपये की क्यों न हो, उसको इसके लिये एक रजिस्टर रखना पड़ता है और उसने अपना बही खाता लिखना पड़ता है। मैं कहता हूं कि जब उनको टैक्स देने में कोई आपत्ति नहीं है, तो इस प्रकार से तंग करके उनसे यह टैक्स वसूल न किया जाय। इसको मल्टी प्वाइन्ट के बजाय, सिंगल प्वाइन्ट ही रहने दिया जाय और चाहे इसकी दर पैसे के स्थान में आना क्यों न हो जावे। जो पर्चूनियां पढ़ा नहीं है, पेट भरता है, उसे मुनीम रखना कठिन है और मैं समझता हूं कि यह ज्यादा लाभकर भी हो सकता है और इस तरह से उसको देने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

अन्त में मैं एक बात नमक के बारे में कहना चाहता हूं। कुछ आदमी जो कि हमारे कस्बे से आयें, उन्होंने कहा कि हमारे यहां सांभर झील है वहां बहुत सा नमक होता है और दूसरे किस्म का नमक जो यहां आजकल बिकता है, एक तो उसकी क्वालिटी खराब है और दूसरी वह एक रुपये, सवा रुपये बोरी अधिक पड़ता है, तो इस तरह से नमक जो वहां से आये आप उसको लें। यह दामों में भी कम है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। जब वहां नमक बनता है, तो मेरे विचार से वहीं से लोगों को नमक दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर वित्त मन्त्री जी को इस बजट के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत सुन्दर बजट बनाकर हम लोगों के समक्ष रखा।

डिप्टी चेयरमैन--कल ११ बजे तक के लिये हाउस स्थगित किया जाता है।

(कौंसिल ५ बजे, २६ फरवरी, १९५४ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।)

लखनऊ,
२५ फरवरी, १९५४।

कृष्ण बहादुर सक्सेना,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल, उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०--२३५ एल० सी०--१९५४--८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

शुक्रवार, २६ फरवरी, १९५४

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५५)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
वीर भान भाटिया, डाक्टर
व्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिवसुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री)
श्री चन्द्रभानु गुप्त (स्वास्थ्य व रसद मन्त्री)
श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मन्त्री)

प्रश्नोत्तर

पी० एम० एस० अफसरों के लिए रिफ्रेशर कोर्स

१--डाक्टर वीरभान भाटिया (नाम निर्देशित) (*अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पी० एम० एस० अफसरों के लिये रिफ्रेशर कोर्स आखिरी बार कब हुआ था ?

1. **Dr. B. B. Bhatia** (nominated) (*absent*) : Will the Government be pleased to state when was the last refresher course of the P. M. S. Officers held ?

श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)--रिफ्रेशर कोर्स पिछली बार १९४९-५० में हुआ था।

Sri Mohan Lal Gautam (Minister for Local Self-Government): The refresher course was last held in 1949-50.

२--डाक्टर वीरभान भाटिया (अनुपस्थित)--क्या यह कोर्स वित्तीय कठिनाई के कारण स्थगित कर दिया गया था या कि वह लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ ?

2. **Dr. B. B. Bhatia** (*absent*) : Was this course suspended for reasons of financial stringency or was it not found useful ?

श्री मोहन लाल गौतम--अफसरों की कमी के कारण युद्ध काल में यह कोर्स स्थगित कर दिया गया था।

Sri Mohan Lal Gautam : It was suspended during the war owing to dearth of officers.

३--डाक्टर वीरभान भाटिया (अनुपस्थित)--(क) इस कोर्स के चलाने में वार्षिक कितना खर्चा होता था ?

(ख) क्या मेडिकल कालेज, लखनऊ, के स्टाफ को इस कोर्स के चलाने के लिये पारिश्रमिक दिया गया था ?

3. **Dr. B. B. Bhatia** (*absent*) : (*a*) What was the annual expenditure involved in running this course ?

(*b*) Was any remuneration paid to the staff of the Medical College, Lucknow for running this course ?

श्री मोहन लाल गौतम--(क) १९४९-५० में १७,३४६ रुपया।

(ख) जी नहीं।

Sri Mohan Lal Gautam : (*a*) Rs. 17,346 in 1949-50.

(*b*) No.

४--डाक्टर वीरभान भाटिया (अनुपस्थित)--क्या सरकार निकट भविष्य में इस कोर्स को फिर से चलाने का इरादा रखती है ?

4. **Dr. B. B. Bhatia** (*absent*) : Does the Government intend to re-start this course in the near future ?

श्री मोहन लाल गौतम--प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Sri Mohan Lal Gautam : The matter is under consideration of Government.

---

* प्रश्न संख्या १--६--श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार द्वारा पूछे गये।

५--डाक्टर वीरभान भाटिया (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि:-

(क) पी० एम० एस० १ और पी० एम० एस० २ सर्विस में मेडिकल विशेषज्ञों (एम० डी० या एम० आर० सी० पी०) की कुल संख्या क्या है ?

(ख) पी० एम० एस० १ और पी० एम० एस० २ सर्विस में सर्जिकल विशेषज्ञों (एम० डी० या एफ० आर० सी० एस०) की कुल संख्या क्या है ?

5. **Dr. B. B. Bhatia** (*absent*) : Will the Government be pleased to state :

(*a*) the total number of medical specialists (M. D. or M. R. C. P.) in P. M. S. I. and P. M. S. II. Service ;

(*b*) the total number of surgical specialists (M. S. or F. R. C. S.) in P. M. S. I. and P. M. S. II Service ?

श्री मोहन लाल गौतम--(क) पी० एम० एस० १		..	३४
पी० एम० एस० २	..	..	६
(ख) पी० एम० एस० १	..	..	३१
पी० एम० एस० २	..	...	६

Sri Mohan Lal Gautam (*a*) :	P.M.S. I	..	34
P.M.S. II	..	..	6
(*b*) P.M.S. I	..	..	31
P.M.S. II	..	..	6

६--डाक्टर वीरभान भाटिया--क्या मेडिकल और सर्जिकल विशेषज्ञों को प्रत्येक जिले में रखने की योजना अमल में लाई जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो किन जिलों में ?

6. **Dr. B. B. Bhatia** (*absent*) : (*a*) Is the scheme of keeping medical and surgical specialists at district levels being given effect to in any district ?

(*b*) If so, in which districts ?

श्री मोहन लाल गौतम--(क) तबादला करते समय यह बात ध्यान में रक्खी जाती है लेकिन विशेषज्ञों के अभाव के कारण हर तबादले में यह संभव नहीं होता ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Sri Mohan Lal Gautam : (*a*) This is kept in view while making transfers, but it is not possible to do so in many cases for want of adequate number of specialists in the cadre yet.

(*b*) Does not arise.

सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत राज का (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक

श्री मोहन लाल गौतम--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

वित्तीय वर्ष सन् १९५४-५५ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद

डाक्टर प्यारे लाल श्रीवास्तव (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--Sir, I rise to congratulate the Finance Minister for his most excellent budget proposals that he has placed before the House on behalf of his Government. The Government rightly deserves the heartiest co-operation of every section of this House as well as of people outside the House in carriyng out its plans and particularly in completing the Five-Year State Plan.

Since 1947 this State has spent Rs. 90,45,00,00-on irrigation works, electricity schemes, roads and buildings, road transport, and industrial development of the State. On the development schemes of the State Five-Year Plan which are included in this budget, Rs. 30 crores will be spent during the next financial year. While the total revenue and capital expenditure on development provided for in the budget is of the order of Rs. 60 crores as against Rs. 44,75,00,000 provided in the last year's budget, the deficit anticipated in the last year's budget was 4,41 crores whereas this year the anticipated deficit is Rs. 391,00,000 only. This means, Sir, that while the income and the expenditure have both increased, the gap between them has decreased and this has been achieved without imposing any fresh taxes on the people. Sir, these figures speak for themselves. They bear an eloquent testimony to the sound financial policy which has been consistently followed by this Government since it came into power as well as to their keen desire to raise the standard of living of the common man. It is true, Sir, that the people are not as happy as they should be. In no country of the world people ever feel that they are as happy as they should be, howsoever prosperous and affluent that country may be. There is always room for improvement, but no member should deny that the standard of the common man has been raised during the last few years and that the income per capita has increased. Besides, when these development schemes are completed the people of the State are bound to be more prosperous and more happy.

There is no doubt that the budget as a whole can be rightly called a development budget. The entire energies of the Government are directed towards developing the State on sound financial principles. This is a great news that no fresh taxes have been levied on the people. There are some taxes which are very irksome. We would certainly like that some of the taxes should be taken off. The increase in irrigation rates, duty on electricity and sales-tax—these are taxes under which we are all heavily suffering. If relief is urgently needed from taxation, money is equally urgently needed for the development of the State and the Government has very rightly to strike a balance somewhere. The Government deserves congratulations for not bringing forward any fresh taxation measure. This should be a consolation and each one of us should be prepared to bear a part of the burden so that the posterity may bless us as

we are blessing our fore-fathers and our past leaders for fighting the battle of freedom for us. They did not enjoy the fruits of those battles ; nor did they get any reward for their sacrifices. If they laid down their precious lives, they laid them down, so that the posterity may be liberated and we are enjoying to-day the first fruit of that independence and liberty. In same manner, Sir, on our part each one of us should be prepared to bear a part of the burden so that the future generation may bless us. The future generation is bound to be more prosperous than ourselves. We are sacrificing so that we may build the nation. I strongly support every word that the Finance Minister has said in his address particularly in its concluding portion where he has made a fervent appeal to every section of the people, to every man in the street, for his contribution towards the development of the State, for his co-operation in the efforts of the Government to raise the status of the State and to raise the living standard of the common man. It is true, Sir, that individually each one of us can find a fault here and a fault there. This is all true, of all human arrangements. No human arrangements can be said to be perfect. The budget before us is certainly not perfect. There are many things which remain to be desired. There are many schemes which should have found a place in the budget but which for want of money have not found a place in the budget.

There are, however, two or three schemes which deserve particular mention. Firstly, the Rihand Dam scheme, a project which the Government is going to take up earnestly during the course of the year. It will cost us about Rs. 4 crores. When this scheme is completed it will change the entire shape of the eastern districts of Uttar Pradesh. The prosperity that will come to this State will be abundant. Therefore, we hope and trust that the Government will carry this project into execution as soon as possible and as soon as practicable. The other scheme is the one for the establishment of a Cement Factory in the district of Mirzapur. This factory is going to produce 700 tons of cement every day. We should be very happy that the cement in such a quantity will be available to the State and that there will be a lot of improvement in the buildings, in the town plannings and in the roads of the State as a result of establishment of the cement factory. Then the Government is also establishing an Industrial Finance Corporation to assist small scale industries.

We are further assured in the budget that the Five-Year Plan of the State will be completed well within time. It will be an act of faith, as the Finance Minister says. It will encourage us to embark upon a Second Five-Year Plan, once it is completed. Even now we can see that the Plan is likely to be completed, as the Government says, well within time. The Second Five-Year Plan that we are envisaging will give a top priority to the industrial development and social security schemes. Therefore, while we are labouring under taxes, and have our own difficulties and troubles, we should rise equal to the occasion. The occasion is one which requires sustained effort from every member of the State and from every member of this

[डाक्टर प्यारे लाल श्रीवास्तव]

House and the least that we can do is to support the proposals placed before us and assure the Government that we on our part and those whom we have the honour to represent will try to support the proposals of the Government as best as we can. The message of this budget is to be carried to every nook and corner of this State. There is no beneficial field of activity which has not been touched by the Government in this budget. An increased provision has been made for health and medical aid. As a citizen of Allahabad I am very happy that a new hospital will be shortly built up in that city and I congratulate the Minister for Health to have put forward this proposal in this House.

Now, coming Sir, to the subject of education I cannot conceal my disappointment on certain omissions in the budget. I had hoped that by this time the Government will have come to its final decision on the Mootham Committee Report so far as its recommendations in regard to the finances of the Allahabad University are concerned. The Mootham Committee has recommended an annual grant of Rs. 17,76,000 to the Allahabad University. The Government proposal in that regard is falling short by four lakhs. Unless the Government makes up its mind quickly and accepts the recommendations of the Mootham Committee this huge annual deficit of Rs. 4 lakhs will continue to accumulate. In the last year's budget the Government had promised to wipe out all the deficits of the two Universities of Lucknow and Allahabad. Those deficits too have not yet been wiped off. We hope and trust that the Government will take early steps to wipe out the deficits of these two Universities and give them block grants which will enable these Universities to carry on their work without any future deficit. Some grant has been given to the Lucknow University. Sir, it is a very well deserved grant. More should have been given to that University. It is doing excellent work not only so far as under-graduate classes are concerned but also so far as post-graduate classes are concerned and I am very happy that the Government is continuing the J. K. Institute of Sociology in the Lucknow University. I am also happy that the Government has decided to enable the Allahabad University to open the Geophysics Department in the very fine building built by the J. K. Institute with one Reader, one lecturer and one Laboratory Assistant in Geophysics. Also one lecturer in Pali has been sanctioned to the Allahabad University and we are very grateful to the Government for this addition. Grants have also been made to the degree colleges for buildings, for science apparatus and equipment. In this connection I will bring to the notice of the Government the case of Chaudhry Mahadeo Prasad Degree College, Allahabad, which is purely a science college and which therefore has to incur a great expenditure in running its classes. The Management has purchased the Zamindars' Association building at a cost of Rs. 1,30,000 and has approached the Government for its share of the grant to enable the Management to shift the degree classes from the Kayastha Pathshala Inter. College to this new building in the course of the next year. I hope the Government will sym-

pathetically consider the case of this College for a non-recurring building grant.

Then, Sir, as regards primary education I am very happy to feel that the primary schools and junior schools are going to have five acres and 10 acres of land attached to them from the next session. These will be used as orchards and gardens by students growing vegetables and fruits. This is new experiment and we wish it all success. This experiment is also going to absorb a number of Agriculture graduates in its service.

Sir, as the time has expired I will appeal to the House to support the proposals that have been placed before us by the Government and to endorse every word of the appeal that has been made by the Finance Minister in the concluding portion of his address.

*श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में हम कई दिन से विचार कर रहे हैं। किन्तु वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण के प्रारम्भिक शब्द इस तरह से शुरू किये हैं। "किसी भी राज्य का बजट एक ऐसा आईना या दर्पण होता है जिसमें उस राज्य के नीतियों की सच्ची झलक दिखायी देती है", और मैं यह समझता हूं कि जब किसी राज्य का बजट पेश होता है तो जहां एक तरफ यह बात साबित होनी चाहिए कि सरकार की नीति क्या है, सरकार का स्वरूप क्या है, उसके साथ-साथ इस तरह का बजट होना चाहिए जिससे जनता की जो असली हालत है उसका अन्दाजा भी कुछ न कुछ लगाया जा सके।

जब भी बजट आता है तो गरीब जनता आम तौर से साल भर के बाद इस बात की आशा किया करती है कि हमारे ऊपर जो बोझा लदा हुआ है शायद अब सरकार की हालत कुछ ठीक हुई हो और उसके ऊपर जो बोझा लदा हुआ है उसमें किसी तरह की कोई कमी हो। इस निगाह से जब हम इस बजट को देखते हैं तो हम को ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की आमदनी कुछ वर्ष पहले १२ करोड़ थी और अब वह आमदनी बढ़ कर ७७ करोड़ तक हो गयी है तो सरकार की आमदनी बढ़ती जाती है। सरकार के आंकड़े काफी तेजी की रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी पक्ष में और इधर के पक्ष में एक मौलिक मतभेद है यह मालूम पड़ता है कि सरकार के बजट के आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं उससे सरकार का यह ख्याल है कि देश की जनता, हमारे प्रदेश की जो जनता है उसकी उन्नति भी बराबर बढ़ती जाती है। इधर बैठने वालों का ख्याल यह है कि सरकारी आंकड़े अगर बढ़ते जाते हैं तो यह ठीक बात है उससे यह मालूम पड़ा कि सरकार की आमदनी बढ़ती जाती है लेकिन यह इस बात का द्योतक नहीं है कि प्रदेश की जनता की जो हालत है उसमें तेजी के साथ सुधार हो रहा है। सरकार ने इस बात का दावा किया है कि शुरू में सन् ४६ और ४७ में हमने राज्य की बागडोर संभाली और उस वक्त हिंसा बढ़ रही थी, चीजों की कीमतें बढ़ रही थीं, चारों तरफ अराजकता थी और अब ५४ में आ करके हिंसा की प्रवृत्ति रुक गई है, अपराध कम हो गये हैं, चीजों की कीमतों में सुधार हो गया है और हमने स्कूल खुलवाये हैं। सड़कें बनवाई हैं और अस्पताल बनवाये हैं यानी चारों तरफ उन्नति ही उन्नति नजर आ रही है। यह सरकार का दृष्टिकोण है और अगर इस बात के लिये सरकार ने कुछ टैक्स लगाये तो इसके लिए कहा गया कि तुम्हारी उन्नति के लिये यह सब कुछ किया जा रहा है। इसलिये हमने थोड़ा सा बोझा जनता के ऊपर डाला है, जनता को चाहिए कि उस बोझे

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राजाराम शास्त्री]

को अपना बोझा समझकर बरदाश्त करे और इसके लिये अन्त में अपील की गयी कि सभी लोगों को समझना चाहिए कि प्रदेश अपना है जनता अपनी है तो सरकार थोड़ा बहुत बोझा पब्लिक पर डालती है उसको जनता को खुशी से स्वीकार करना चाहिए और इस बात की घोषणा बड़े गर्व के साथ की गई है। इस बात की संभावना होते हुये भी क्योंकि बहुत से जिम्मेदार लोगों का यह कहना है कि अभी हमारे सूबे की ऐसी हालत है कि अगर उन पर और टैक्स लगाया जाय तो वह बरदाश्त कर सकते हैं लेकिन सरकार ने मेहरबानी करके यह इरादा किया है और कोई टैक्स इस वक्त तक नहीं लगाया है। हां इस बात का इशारा जरूर है कि अगर हमारी पंचवर्षीय योजना में किसी तरह की रुकावट पड़ी तो टैक्स लगाया जा सकता है ।

तो जो भी बजट हमारे सामने पेश होता है मुझे बजट के आंकड़ों के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी इस वक्त की सरकार का ढांचा है जिस प्रकार की व्यवस्था अंगीकार की जा रही है उसको देखते हुये जो कुछ किया जा रहा है वह इसी ढंग से होता जायगा और जो कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं वह सराहनीय हैं और मेहनत का काम है। मुझे उन पर कोई सन्देह नहीं है और न यह शिकायत है कि नीति ठीक नहीं है और जनता के हितों का ख्याल नहीं है लेकिन मेरा यह विश्वास है कि जहां तक आंकड़े बढ़ रहे हैं अगर २० गुने और बढ़ जायं तो भी मेरा यह विश्वास है कि जहां तक जनता की गरीबी का ताल्लुक है और जहां तक जनता के असन्तोष का ताल्लुक है उसमें सुधार नहीं हो सकता है क्योंकि रास्ता गलत है। इसलिये मेरी शिकायत इन आंकड़ों पर नहीं है। जब तक वह मौजूदा रास्ते पर चलते चले जायेंगे तब तक आंकड़े कितने ही क्यों न बढ़ते चले जायं शान्ति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि रास्ता गलत चुना गया है।

जब हम ऐसा यकीन करते हैं तो मानी हुई बात है कि हमारे दृष्टिकोण और सरकार के दृष्टिकोण में बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है। हमने बिल्कुल पश्चिमी ढंग की शासन व्यवस्था एडाप्ट कर ली है। हमारा उत्पादन बढ़ाने का तरीका वही है। लेकिन मौलिक अन्तर पश्चिमी देशों में और हमारे देश में यह है कि इन देशों में आदमियों की तादाद कम है लेकिन पूंजी ज्यादा है। हमारे यहां पूंजी कम है लेकिन आदमियों की तादाद ज्यादा है। इसलिये उनके यहां यह तरीका अख्तियार किया गया कि कम से कम आदमियों से हम ज्यादा से ज्यादा काम लें और ऐसे कल-कारखाने बनायें जिन में अरबों की सम्पत्ति लगा सकते हों। इस प्रकार से उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया और यह व्यवस्था उन्होंने इस युग में अपनाई जब दुनियां के देशों को गुलाम बनाकर, उनका आर्थिक शोषण करके अपने राज्य की उन्नति करने का उनको पूरा मौका था। हमने जब राज-काज संभाला तो चूंकि यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की व्यवस्था थी, उसके हम उत्तराधिकारी बने, उसी की हमने शिक्षा पाई, उसी की मनोवृत्ति पाई। परिणाम यह हुआ कि उसकी व्यवस्था को देश के हित में समझ कर हम चल पड़े। उसकी योजना को लेकर हम आगे चल पड़े और इस बात की चेष्टा की कि उसी योजनाओं को लेकर हम अपने मुल्क की उन्नति करें। नतीजा क्या हो रहा है। कि जो परिणाम गवर्नमेंट चाहती है उसके विपरीत हो रहा है कोई यह न कहे कि हम को गवर्नमेंट के कामों में खराबियां ही खराबियां नजर आती हैं, अच्छी बात कोई भी नजर नहीं आती इसलिये मैं पहले कहना चाहता हूं कि जहां हम यह समझते हैं कि गवर्नमेंट के कामों में अनेक त्रुटियां हैं वहां कुछ भले काम भी गवर्नमेंट कर रही है ।

मान लीजिए कि छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज को तरक्की देने के लिये गवर्नमेंट ने एक कारपोरेशन बनाया । मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने यह सही काम किया अगर वह

छोटे छोटे व्यवसायों पर से सेल्स टैक्स हटाने की व्यवस्था करती है जिससे वह इन्डस्ट्रीज मरने न पाये, तो यह सही काम है। उन्होंने जिला बोर्ड के अध्यापकों को वक्त पर तनख्वाह मिले इसके लिये जो ३८ लाख की व्यवस्था की उसकी मैं सराहना करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कानपुर, बरेली आदि में मिडिल क्लास के लिये मकान बनाये जायेंगे और मजदूरों तथा मेहतरों के लिये मकानों की व्यवस्था की जायगी, मैं समझता हूं कि यह सही कदम है और होना चाहिए।

सरकार का ध्यान इस तरफ भी गया कि अपने सूबे में जूट और कपास की पैदावार बढ़े, यह सही बात है। ऊन की पैदावार बढ़ाने तथा ऊन के व्यवसाय की उन्नति करने के लिये सरकार जो कदम उठाने जा रही है वह भी सराहनीय है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आजकल अक्सर यह कहा जाता है कि वह आन्दोलन चलाया जाता है, वह आन्दोलन चलाया जाता है, इन आन्दोलनों से कोई लाभ नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उदाहरण के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि न मालूम कितने जमाने से इस प्रदेश के गरीब अध्यापक महीने से तनख्वाह नहीं पाते हैं परन्तु इस तरफ कभी गवर्नमेंट का ख्याल नहीं गया। लेकिन जब वह सदन के दरवाजे पर आए और प्रदर्शन किया, सैकड़ों की संख्या में जेल भी गये और हमने भी गवर्नमेंट की हजार भली-बुरी बातें सुनीं इस सब का इतना प्रभाव तो आप मानेंगे ही कि उस आन्दोलन के बाद आपने इतनी रकम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी। आप अन्दाज लगाइये, अगर वह प्रदर्शन न हुआ होता तो जैसे अब तक आप यह समझते रहे कि उनकी हालत अच्छी है, इसी तरह से आगे भी समझते रहते। हमारा यह विश्वास है कि जो प्रदर्शन हुआ है, उस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान गया है।

इसी तरह से जो यह बताया गया है कि इतने नलकूप बनेंगे और दूसरी योजनाओं के जो आंकड़े पेश किये गये यह सही काम है जो मौजूदा स्थिति को देखते हुये करने चाहिए। इसके सम्बन्ध में किसी को कोई शिकायत नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है, ठीक कर रही है।

लेकिन आखिर को यह सब इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि जनता में सुख और शांति कायम हो। आपने एक तरफ की बात कहीं। आप जो नतीजा निकालना चाहते हैं क्या वह निकल रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिये आप नारे लगाते हैं लेकिन उसकी वजह से क्या आप कह सकते हैं कि जनता की क्रय-शक्ति बढ़ी। बाजारों में आज कपड़ा रखा है लेकिन वह बिकता नहीं है। आपको विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। अगर उत्पादन बढ़ाया जाय और लोग कपड़े को न खरीद पायें तो इसके माने हैं कि लोगों में क्रय-शक्ति नहीं है। अगर उत्पादन के साथ-साथ दौलत का बटवारा ऐसा नहीं होता है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े तो वह बेकार हो जाता है। अगर माल नहीं बिकेगा तो कारखाने नहीं चलेंगे। अगर क्रय-शक्ति नहीं है तो कारखाने बंद हो जायेंगे। गवर्नमेंट के हजार प्रयत्नों के बावजूद भी मिलें बन्द हो जाती हैं। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। अभी काकोरी मिल बन्द हुई है, आखिर बन्द हुई क्यों? क्या हम चाहते हैं कि देश की दौलत बढ़े और कारखाने बन्द होते जायं। सोचिये कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। आपकी नियत ठीक है लेकिन आपका रास्ता गलत है। हमें अफसोस हुआ कि हम समझते थे कि हमारी सरकार बेकारी की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करेगी। हम समझते थे कि बेकारी के कारण हमारी सरकार परेशान है। उसको दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन वित्त मन्त्री जी ने उसको एक सेंटेन्स में खत्म कर दिया। आपने कहा कि बेकारी दुनिया में कहां नहीं है। उधर से बोलते हुये एक माननीय सदस्य ने कहा था कि किसी ने जेब काट ली और

[श्री राजाराम शास्त्री]

निकले वे बी० ए० पास । बात तो छोटी है । आज तो बी० ए० पास लोग जेब काट कर सन्तोष कर लेते हैं, यकीन मानिये अगर जनता की यही हालत रही लोगों की गरीबी दूर न हुई और बी० ए० एम० ए० पास लोग बेकार रहे तो ये दोनों मिल कर दुनियां के बड़े-बड़े लोगों का गला काटेंगे । आज आपकी जेब कटती है और आप कहते हैं कि दुनियां में कहां बेकारी नहीं है । यह भी आप परिणाम समझ लीजिए कि जहां देश की दुर्दशा होती है, लोगों में गरीबी होती है, वहां गरीबी के साथ साथ हिंसात्मक क्रान्ति लगी रहती है । अगर हमारे देश की यही दशा बनी रही तो यह खून खराबी की ओर बढ़ता चला जायगा । मन्त्री जी का कहना है कि सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो जनता में बदअमनी पैदा करते हैं । हमारा कहना है कि बदअमनी हमारी वजह से नहीं है । यह आपकी गलत नीति के कारण है । आपका रास्ता गलत है । दावा यह है कि बेकार लोगों को काम देंगे परिणाम यह हो रहा है कि बेकारी बढ़ रही है । दावा हो रहा है कि हिंसात्मक प्रवृत्ति को खत्म करेंगे लेकिन वह बढ़ती जा रही है ।

अखबार जाकर देखिये, कहीं निकलता है कि प्लेटफार्म पर फलां आदमी ने रिवाल्वर दिखा कर इतना रुपया छीन लिया, कहीं अखबारों में पढ़ते हैं कि प्लेट-फार्म पर आदमी आये और औरत को उठा कर ले गये, किसी जगह पढ़ते हैं कि यह अपराध हुआ, वह अपराध हुआ । यहां मन्त्री जी कहते हैं कि हमने हिंसा की प्रवृत्ति को रोक दिया है । तो वास्तविकता में और मन्त्रियों के तथा सरकार के विचारों में जमीन आसमान का अन्तर है। हम देखते हैं कि उधर जो माननीय सदस्य बैठते हैं वह महसूस करते हैं कि वास्तव में अपराध कम हो रहे हैं अगर आपका यह ख्याल है तो मैं कहूंगा कि आप धोखा खा रहे हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और यह जानते हुये भी सदन में मन्त्रियों की प्रशंसा के सिवा कोई बात नहीं करते हैं तो मैं कहूंगा कि आप भूल कर रहे हैं। सरकार के अर्थशास्त्र में और हमारे अर्थ शास्त्र में एक ऐसा अन्तर है कि जिसकी वजह से उनके बताने पर भी और उनके बजट के आंकड़ों की सहायता होते हुये भी हमको उन्नति नहीं दिखलाई देती है । जो असली चीजें हैं, जो असली हालत है यह उनके सामने नहीं आती है ।

मैंने वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री के भाषणों को सुना है । मुख्य मन्त्री ने अपने अर्थ-शास्त्र के भाषण में यह पेश किया था कि कुछ दिनों की तरक्की में हमारे प्रदेश की हालत जितनी अच्छी इस वक्त है उतनी कभी नहीं थी और जब हमने सवाल उठाया कि हालत खराब है तो मुख्य मन्त्री ने कहा था कि आबादी बढ़ती जाती है और अगर आबादी बढ़ती जाती है तो इसका मतलब यह है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है । हमारी दलील यह थी कि गरीबों के यहां बच्चे ज्यादा होते हैं और अमीरों के यहां कम हैं । मुख्य मन्त्री कहते हैं कि उत्पादन बढ़ा और बाजार में कीमतें कम नहीं हुईं । इसका मतलब है कि खुशहाली है और लोग पहले की अपेक्षा ज्यादा माल खरीदते हैं। यह दलील कि उत्पादन बढ़ा, कीमतें कम नहीं हुईं इसलिये लोग माल ज्यादा खरीदते हैं, यह कहां तक ठीक है। आप बाजार में देखिये, व्यापारियों से पूछिये तो आपको यह मालूम होगा कि हर व्यापारी यह महसूस कर रहा है कि माल है लेकिन खरीदार नहीं है । इसके माने यह होते हैं कि खरीदारों के पास पैसा नहीं है और इसलिये मांग बढ़ नहीं रही है । हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन मांग है तो यह जो अर्थशास्त्र है मन्त्री जी का, तो इसके लिये पता नहीं कि वह किस चश्मे से देखते हैं । उल्टे चश्मे से देखते हैं या सीधे चश्मे से देखते हैं। आप देखते तो हैं लेकिन आप ठीक तौर से नहीं देख पा रहे हैं। यह भी आपकी

दलील विचित्र है। हम अक्सर सदन और पब्लिक में कहा करते हैं कि मन्त्री लोग अक्सर यह कहा करते हैं कि अगर हमने टैक्स लगाया और जनता टैक्स से नाराज है तो जनता अपनी नाराजगी क्यों नहीं इजहार करती। अगर जनता नाराजगी नहीं इजहार करती है तो आप कहते हैं कि सही टैक्स है। मैं पूछता हूं कि कैसे आपको समझाया जाय कैसे साबित किया जाय कि जनता नाराज है। आप केवल यह देखते हैं कि हम चुनाव में जीत गये हैं। जनता ने हमको वोट दिये हैं इसलिये जनता यह समझती है कि यह टैक्स सही है लेकिन मैं कहता हूं कि बात ऐसी नहीं है।

मेरा अपना ख्याल है कि आज की स्थिति में आप देखिये कि जो टैक्स लगाये जाते हैं, वह लगाना चाहिए या नहीं। आज हम इस सदन में विचार कर रहे हैं और हमसे यह कहा जाता है कि चारों तरफ तरक्की हो रही है। आप देखिये, अध्यक्ष जी, इटावा में इसी टैक्सेशन के खिलाफ सत्याग्रह चल रहा है, आबपाशी के टैक्स के खिलाफ। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि आगरा के व्यापारी सेल्स टैक्स के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने की बात सोच रहे हैं। लखनऊ के व्यापारियों ने बिजली के टैक्स के खिलाफ आवाज उठायी है। तो यह सब क्या है? क्या ये सब के सब सोशलिस्ट हो गये? क्या हमारी ताकत इतनी बढ़ गयी? क्या हमारे समझाने के तरीकों का इतना असर है कि आगरा के व्यापारी, इटावा के किसान, लखनऊ के लोग सब हमारे साथ आ गये और आपके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं? मैं तो समझता हूं कि सूबे भर में जो भी हो रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि लोगों के अन्दर असन्तोष है। पांच–पांच एम० एल० ए० जेल में बैठे हुये हैं। हम लोग हर दूसरे महीने जेलखाने की हवा खाया करते हैं और इसके बावजूद कहा जाता है कि हम लोगों को शौक है कि जेल जा कर नाम कमा लें। मैं तो समझता हूं कि हममें, इधर के बैठने वालों में और उधर के बैठने वालों में सिर्फ एक ही फर्क है और वह यह कि अगर जनता में कोई असन्तोष है तो उधर के बैठने वाले तो उसके होते हुये भी आपकी और सरकार की प्रशंसा किया करते हैं और इधर के बैठने वाले, हम लोग उसको व्यक्त कर देते हैं। यह हमारी गलती जरूर है लेकिन उसको हम व्यक्त करते हैं इसीलिये कि हम जानते हैं कि हमें उस असन्तोष की कीमत देनी पड़ेगी। जो भी शख्स जनता का साथ देगा उसका आज एक ही फल होगा कि वह जेल जायगा और मुसीबत भोगेगा।

हमारे माननीय मन्त्री जी ने एक बहुत अच्छी दलील दी है कि हमारे यहां सूबे में देश के सारे और सूबों से कम टैक्स हैं और इसके साथ ही साथ मुख्य मन्त्री यह भी कहते हैं कि टैक्स क्या गरीबों पर लगता है। आपका कहना यह भी है कि हमारे सूबे में सबसे कम टैक्स हैं तो क्या इस का मतलब मैं यह न लगाऊं कि देश में हमारा सूबा सबसे ज्यादा गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है। यहां की पब्लिक की माली हालत ऐसी है कि आप ज्यादा टैक्स लगा ही नहीं सकते। और अगर आप टैक्स लगायेंगे तो इस उत्तर प्रदेश को भी आप बंगाल बना कर छोड़ेंगे। आप जरा गौर से सोचिये कि कितनी छोटी सी बात को लेकर एक कितनी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, उसका सत्याग्रह का रूप हो जाता है और नतीजा यह होता है कि पुलिस के साथ जनता का युद्ध शुरू हो जाता है। आज की जनता पुलिस के खिलाफ बलीकेट बनाना सीख गई है। आज पुलिस की नीति, सरकार की नीति, मिनिस्टरान की नीति, उनकी जनता के प्रति उपेक्षा, जनता को गवर्नमेंट के मुकाबले में ला रही है। हाउस में आप भले ही कहें कि जनता और सरकार एक है परन्तु सदन के बाहर दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों के बीच की जो खाई है वह धीरे धीरे बढ़ रही है, चौड़ी होती जा रही है। एक जमाना था जब जनता आपकी भक्ति करती थी। पुलिस लाठी चार्ज करती थी, अत्याचार करती थी, फिर भी जनता कुछ नहीं करती

[श्री राजाराम शास्त्री]

थी, लेकिन आज हवा बदल रही है । पुलिस अगर एक लाठी चलाती है तो जनता उसका जवाब पत्थर से देती है, अगर पुलिस मशीनगन चलाती है तो जनता उसका जवाब बेलोकेट बना कर देती है ।

आप भवन में भले ही कुछ कहिये लेकिन समझने वाले समझते हैं कि आज हवा किस तरफ बह रही है, देश की आज क्या दशा है । दीवार पर साफ साफ लिखा हुआ है, "आंखें खोल कर कदम आगे बढ़ाइये" । आज जनता कमजोर है लेकिन उसका विरोध बढ़ रहा है । कहां वह आपकी भक्ति करती थी और कहां आज मुकाबिले के लिये वह बेलोकेट बनाती है । आपके बजट के आंकड़े जनता के इस विरोध को नहीं रोक पायेंगे । इस विरोध को तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक कि आप अपनी नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं करते । पुलिस की ताकत, सरकार की ताकत आज जनता को मुक्ति देने के लिये नहीं है वह तो जनता के ऊपर एक बोझ बनी हुई है । उसको दूर फेंकने के लिये आज जनता लड़ाई लड़ रही है लेकिन आज आप जो देश के वेस्टेड इन्टरेस्ट हैं उनकी रक्षा के लिये आगे बढ़ रहे हैं । नतीजा क्या है आपकी ताकत को जनता अपनी ताकत नहीं समझती है । जनता अपनी ताकत को समझती है कि जनता के जो शोषक हैं, उनके आप रक्षक हैं ।

आपने जो सहयोग की अपील की है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर एक बात देश में हो जाय तो देश का बेड़ा पार हो जाय । जो बात आप कहते हैं तो आपका अमल भी वैसा ही होना चाहिए । हमें सरकार से शिकायत है कि कहने के लिये उनका एक सिद्धांत है । परन्तु उसका दूसरा है आप सहयोग की अपील करते हैं । आपके अपील करने में इतना असर था कि डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी का उसे पढ़ कर दिल हिल गया सिर्फ इतने से कि सूबा हमारा है और हम सूबे के लिये हैं । मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर डाक्टर साहब देहातों में जायं, कानपुर के मिल मजदूरों में जायं और उनकी करुणा को सुनें, तो मुझे विश्वास है कि यहां उनका दिल केवल हिला है मगर जब वहां उनकी करुणा को वह सुनेंगे तो वह शीशे की तरह टूट जायगा । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर सरकार सहयोग चाहती है तो हम उससे एक बात पूछते हैं कि जब आप सहयोग बढ़ा रहे हैं तो विरोधी दल क्यों न सहयोग का हाथ बढ़ाये । रोज कहते थे कि हमारा सहयोग करें तो जय प्रकाश नारायण जी ने सहयोग का हाथ बढ़ाया तो उस वक्त यह कहा गया कि बहुत शौक है और शौक यह है कि गद्दी पर बैठ जायं इसीलिये सहयोग करते हैं। मगर हमारे कुछ कार्य-क्रम हैं, उनको आप करें तब तो सहयोग की बात ठीक है। आप चाहें कि जनता के कार्य-क्रम को न मानें, केवल आपके बगल में बैठ जायं तो यह तो कम से कम हमारी पार्टी से नहीं हो सकता है । क्या आप चाहते हैं कि आप आबपाशी पर टैक्स बढ़ाते चले जायं और किसानों के आन्दोलन को कुचलने में हम आपको सहयोग दें, लेबर मिनिस्टर साहब मजदूरों का गला घोंटते रहें और हम उसमें आपका सहयोग दें, मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि ऐसे सहयोग से एक बार नहीं हजार बार हमें इन्कार है । हां, अगर आप नीति को बदलें और हमारे कार्य-क्रम को अपनायें तब हम आपका साथ किसी हद तक दे सकते हैं । हमारी लड़ाई आंकड़ों से नहीं है, हमारा विरोध आपकी शोषण नीति से है । हमारा विश्वास है कि अगर आपका रास्ता सही हो जाय, जनता का विश्वास इसमें हो कि आपका रास्ता सही है तो इतना क्या चौगुना बोझ जनता पर लाद दिया जाय तो वह हंसी खुशी से उस बोझ को उठायेगी और आपको सहयोग देगी । अगर हमें देश की उन्नति करना है तो जनता से अपील की जाय कुर्बानी की, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता कुर्बानी देने से इन्कार नहीं कर सकती है । आज आप दुनिया के किसी

मुल्क को ले लीजिए, अगर वहां ईमानदारी के साथ अपील की गई हो तो जनता ने जरूर कुर्बानी दी होगी । कभी किसी देश की जनता ने कुर्बानी देने से इन्कार नहीं किया होगा । इसीलिये मैं फिर कहता हूं कि आपकी जो बात होनी चाहिये वह जनता के हित में होनी चाहिए । केवल चन्द लोगों के जेब को भर दिया जाय तो जनता के दिलों में अधिक उत्पादन बढ़ाने का उत्साह नहीं आ सकता है, आप चाहें कितने दिनों तक इसी तरह से अपील करते रहें, उससे कोई लाभ आपको नहीं मिल सकता है ।

मेरे सामने एक अखबार रखा हुआ है, कल जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे इसमें यह लिखा हुआ मिला कि कल लखनऊ शहर के अन्दर किसी बेगम साहिबा का पीकदान खो गया, इस पर पुलिस को बड़ी सरगर्मी करनी पड़ी और एक निर्दोषी आदमी को पकड़ कर खूब पीटा, इतना पीटा कि वह अस्पताल में पड़ा हुआ है लेकिन बाद में वह निर्दोषी साबित हुआ और छोड़ दिया गया । दूसरी तरफ आप देखें गाजीपुर में एक हमारे साथी दल सिंगार दुबे हैं, वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनको कुछ गुन्डों ने इतना पीटा कि वह मरते मरते बचे, कहा जाता है कि उन गुन्डों में कुछ पुलिस के लोग भी शामिल थे । मगर हमने देखा कि इतने दिन हो गये मगर उन मारने वालों को कोई पूछने वाला आज तक नहीं है । क्योंकि वह विरोधी पक्ष के थे । बेगम साहबा के पीकदान के लिये पुलिस ने इतनी सरगर्मी दिखायी ।

अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कानपुर की बात बतलाऊं कि हम लोगों को यह खबर मिली कि मिल के कुछ गुन्डे हम लोगों पर हमला करने वाले हैं हमने पुलिस को इत्तिला की कि कुछ गुन्डों ने हम लोगों पर हमला करने को सोचा है। गुन्डों ने हमला किया, हम लोगों ने भी उनका मुकाबला किया। लेकिन जिस वक्त पुलिस आयी तो उस वक्त गुन्डे तो सब भाग गये और पकड़े गये राजाराम शास्त्री, क्योंकि उनके अमन आमान में दखल पड़ रहा था। श्रीमान् जी यह आपका राज्य, है एक दफा नहीं १० दफा आप हमको पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं । लेकिन इससे मुल्क को कोई खास फायदा नहीं होता है । अभी देवरिया के बारे में पढ़ा कि वहां पर गड़बड़ हो रही है । हम और आप भवन में बैठ कर चाहें इन बजट के आंकड़ों पर बहस करें लेकिन इससे पब्लिक का कोई भला नहीं होता है । आज देश की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है और जनता बहुत ही परेशान है। जब आप यह आंकड़े बजट के पेश करते हैं और हम उस पर कुछ कहते हैं तो आपकी तरफ से बहुत सी बातें सुनने में आती हैं। इसके लिये यही हो सकता है कि हम आपकी आंख में उंगली डाल कर बतायें, लेकिन यह काम तो बहुत ही अप्रिय है। हम लोग तो आप की आलोचना ही करते हैं और वह भी बहुत ही सीधे सादे शब्दों में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करते हुये आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूं और वह है मजदूर विभाग। सरकार की यहां पर उधर से प्रशंसा की जाती है कि देश में शान्ति व्यवस्था कायम है, कोई गड़बड़ी नहीं है । लेकिन अगर आप मजदूर वर्ग की ओर ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि उनकी दशा कितनी खराब होती जा रही है। जिन लोगों ने उनकी दशा नहीं देखी है वह तो ऐसा समझते हैं लेकिन हमारे ऐसे लोग जो रोजाना उनके हालत को देखते रहते हैं कि दिन बदिन कितनी गिरती जा रही है । सरकार ने १५ अगस्त सन् ५० को यह तय किया कि मजदूरों के मुकदमों के फैसले ३० दिन के अन्दर तय हो जायेंगे । इसके बाद वह मुकदमे अपीलेट ट्रिब्यूनल में गये तो वहां पर मालूम हुआ कि सरकार को कोई हक नहीं था कि मुकदमों का फैसला ४० दिन में कर दे । तो अध्यक्ष महोदय, जितने भी फैसले थे मजदूरों के पक्ष में, वह सब रद्द कर दिये गये । इसके साथ ही साथ इसका नतीजा एक यह भी हुआ कि सन् ४९-५० के कितने

[श्री राजाराम शास्त्री]

भी बोनस के मामले थे वह सब अपनी जगह पर रद्द हो गये और मजदूरों में एक प्रकार की परेशानी फैल गयी । १८ फरवरी को यह आर्डर निकाला कि अब ४० दिन के बजाय १८० दिन में होंगे । जब वह १८० के दिन बाद गये तो कन्सीलियेशन आफिसर ने कहा कि पहले जो मुकदमे चले आ रहे हैं वह ४० दिन में ही तय होंगे और अब जो नये आयेंगे उनके लिये १८० दिन मुकर्रर किया गया है । इस प्रकार से वह मुकदमें फिर वापस हुये । तो अध्यक्ष महोदय, आपके काम के करने का जब यह तरीका है तो इससे जनता को बहुत ज्यादा परेशानी होती है । इसके अलावा हाई कोर्ट में एक रिट भेजा गया था आज ४ वर्ष हो गये हैं । मुकदमा पड़ा हुआ है और अभी तक पता नहीं कि उसका क्या फैसला हुआ है । एक सबसे अच्छी बात अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से भवन के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि सरकार के कुछ मुकदमें सूती मिल के सन् ४९-५० के बोनस के मामले के थे, उस पर सरकार का फैसला हुआ और हाई कोर्ट में मुकदमा बढ़ा । वहां पर सिर्फ इस बात का फैसला होगा कि सरकार को इस पर निर्णय देने का अधिकार है या नहीं । तीन चार वर्ष हो गये, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम हो सका कि क्या हुआ है ।

सबसे बड़ी मजबूरी की बात तो यह है कि अदालतों के लिये तो कानून है और अगर मुझे कोई तकलीफ होती है या ऐसी जरूरत होती है तो मैं अदालत में चला जाता हूं और वहां मुकदमा चलाता हूं, लेकिन मजदूरों के मामले में ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं । अगर वह चाहें कि मुकदमा अदालत में पेश कर दिया जाय तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि इस बात का फैसला गवर्नमेंट करती है कि कौन सा मुकदमा अदालत में जाना चाहिए और कौन सा मुकदमा अदालत में नहीं जाना चाहिए । मैं तो कहता हूं कि उन लोगों को मुकदमा लड़ने दिया जाय । वैसे मजदूरों की लड़ाई में उन्हीं को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है । आज सबसे बड़ी खतरनाक चीज यह हो गयी है कि मिल मालिकों का कोई भी तबका यह देखता है कि ट्रेड यूनियन के कुछ लोग मजदूरों का फेवर कर रहे हैं तो वे पहले से गुन्डों को बुलाकर तैयार रखते हैं और इस तरह से लाठियों का प्रहार करते हैं । कानपुर की कई मिलों में आज यह बात हो गई है और वहां उनको इस बात तक का भी पता रहता है कि फलां मजदूर फलां दिन पीटा जायगा । अगर पुलिस में इसके लिये रिपोर्ट लिखाई जाय तो कोई सुनवाई नहीं होती है । वे मिल मालिकों के गुन्डों से मिले रहते हैं । इस सदन में आने से पहले मैंने अखबार में छपा हुआ पढ़ा कि कानपुर में मजदूरों पर गुन्डों ने हमला किया और यह उसी मिल की बात है जहां कि आज ६ वर्ष पहले से लड़ाई चली आ रही है । वहां कोई भी मजदूर किसी तरह से पहुंच जाय, तो वह पीट दिया जाता है । तो इस तरह का जो आज आपका शासन है, मैं कहता हूं कि आपको उसी तरफ ध्यान देना चाहिए ।

अन्त में इतना कह कर मैं यह बात जरूर चाहूंगा कि कि आपके बजट की खूब सराहना हो और जितनी आप की प्रसंशा कर सकें करें, लेकिन आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि आज जो गरीब जनता की हालत है वह इससे बिल्कुल विपरीत है । आपका बजट कितना ही अच्छा क्यों न हो और माननीय वित्त मन्त्री जी का भाषण इसके लिये कितना ही सुन्दर क्यों न हो, लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जब तक आप जनता की भलाई नहीं करेंगे, जनता का इस पर असर नहीं पड़ेगा । जब तक आप जनता को शान्त और सुखी नहीं बनायेंगे, वह इस चीज को कभी अनुभव नहीं करगी कि आपका बजट अच्छा है । आज आपको जनता की मनोवृत्ति बदलनी है । जिससे कि वह जनतन्त्र प्रणाली के अन्दर अपनी भावनाओं को

ठीक से समझ सकें। इतना कह कर मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह जहां तक हो सके इस बात का प्रयत्न करे कि जनता का कल्याण हो और वह इस प्रदेश में सुखी हो सके।

श्रीमती महादेवी वर्मा (नाम निर्देशित)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमान पत्रक हमारे सामने है, अंकों की वर्णमाला जीवन की अपूर्णतम संकेतलिपि है। जब हम उसे अतीत की उपलब्धि, वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की रूप रेखा के साथ रख कर देखते हैं तभी हमें अर्थ बोध प्राप्त होता है। जनता शासनतन्त्र को करों के रूप में कुछ अर्थ ही देती है, परन्तु प्रतिदान में वह ऐसे साधन और उपकरण चाहती है, जो उसके समग्र जीवन को स्पर्श कर उसे विकास दे सके। कोई भी सरकार और किसी प्रकार का भी शासनतन्त्र खाद्य को तो महत्व देगा ही। माता अपने बालक को भोजन देती है और इक्केवाला अपने टट्टू की व्यवस्था करता है, परन्तु दोनों के लक्ष्य में अन्तर है। मां बालक में अपनी आत्मा का अवतार देखना चाहती है। उसमें अपने स्वप्नों को साकारता देती है और पशु का पालक केवल उससे भार वाहन का कार्य लेना चाहता है। विदेशी सरकार के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि वह हमारा सांस्कृतिक उत्थान नहीं चाहती थी। हमारे चरित्र का निर्माण उसे अभीष्ट नहीं था, परन्तु आज अपने शासनतन्त्र से तो हम ऐसी अपेक्षा नहीं करते। मनुष्य केवल समूह जीवी नहीं है। वह ऐसे समाज का अंग है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ को समष्टि स्वार्थ की छाया में चलना पड़ता है अतः मनुष्य के हृदय और बुद्धि को ऐसे परिष्कार की आवश्यकता होती है जिससे वह इस सहयोग को सामंजस्यपूर्ण बना सके। विदेशी शासन तो हमें अपनी सत्ता की स्थिति के लिये जीवित चाहता था, परन्तु आज हम अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिये जीवित रहना चाहते हैं। स्वतन्त्रता के इतने वर्षों में हम अपने नैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक धरातल को ऐसा नहीं बना सके कि हम विवेकशील मानव कहे जा सकें। हमारे शासनतन्त्र की दृष्टि में शिक्षा की प्राथमिक आवश्यकता नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है। उसका हमारे जीवन में कहां और कौन सा स्थान है यह कहना कठिन है।

जहां तक मुझे स्मरण है सन् १९३८-३९ ई० के अनुमान पत्रक में शिक्षा पर १६ प्रतिशत के लगभग व्यय किया गया था और आज हम ११प्रतिशत से अधिक नहीं कर सके और हम विश्वास करते हैं कि इससे अधिक किया ही नहीं जा सकता। इस सत्य को स्वीकार करके भी हमें परिणाम से ही इसका मूल्यांकन करना चाहिए। जब हम किसी बीज को बो देते हैं तो धूप, हवा या जल को नाप-तौल कर उसे नहीं देते परन्तु उसके विकास से ही अपने प्रयत्न का परिणाम निकाल लेते हैं। जब उसमें हरे पत्ते निकलते हैं, फूल आते हैं, शाखायें फैलती हैं, तब हम समझते हैं कि हमारा प्रयत्न ठीक था। हम जो दे रहे हैं उससे विकास में प्रगति हो रही है। जब ऐसा नहीं होता तो हम समझते हैं कि हमारे साधनों में कहीं विषमता है। गत कुछ वर्षों में हमारे जीवन का स्तर निम्न से निम्नतर हुआ है। हमारा बुद्धिजीवी वर्ग चाहे वह साहित्यकार हो, चाहे पत्रकार, चाहे अध्यापक हो, चाहे विद्यार्थी ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जिसे बनाये रख कर हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते और संभव है कि यह स्थिति परिणाम में हमारे लिये दुखद ही सिद्ध हो। शिक्षा के सम्बन्ध में हमारी नीति अनिश्चित है। हमारे कुछ स्कूल खुलते हैं और कुछ बन्द होते हैं।

पढ़ायी बन्द की जाय या न की जाय इस पर विवाद होते हैं और परिणाम वही अनिश्चित रहता है। यह विवाद बहुत कुछ वैसा ही है जैसा यह विवाद कि बीज पहिले

[श्रीमती महादेवी वर्मा]

हुआ या वृक्ष। यह भी सत्य है कि बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और यह भी असत्य नहीं कि वृक्ष से बीज की सृष्टि होती है। शिक्षा के सम्बन्ध में कोई अनिश्चित योजना न होने के कारण ही हम यह नहीं कह सकते कि आगामी पांच वर्षों में हम कितने प्रतिशत व्यक्तियों को साक्षर बना लेंगे अथवा अपने बौद्धिक विकास के लिये किस दिशा में प्रयत्न करेंगे। अतीत के ज्ञान की नींव पर बना हुआ हमारा शिक्षा का प्रसाद कलश तक हिल उठा है। उसके मूल में ऐसा भूकम्प है जिसकी ओर ध्यान न देने से उसका ठहरना कठिन होगा। यह कहना कि हमारे विद्यार्थी अनुशासनहीन और उनकी अनुशासनहीनता का कारण हमारे अयोग्य अध्यापक हैं। हमारी समस्या का कोई हल नहीं माना जा सकता। हमें यह देखना होगा कि हमारी शिक्षा में कहां त्रुटि है। व्यक्ति एक सामाजिक क्षेत्र में एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में कार्य करता है। जब हम किसी बड़े अभाव से पीड़ित और चिंतित होते हैं तब सामान्यतया सुन्दर और रम्य दृश्यों की ओर भी हमारी दृष्टि नहीं जाती। आत्मीयजनों के प्रति भी हम खीज उठते हैं। जब मैं ऐसे अध्यापकों की कल्पना करती हूं कि जो अपने बच्चे को दवा नहीं दे सकते, भोजन नहीं दे सकते, उसको पुस्तकें खरीद कर नहीं दे सकते तो उनकी मानसिक स्थिति की कल्पना भी सहज ही हो जाती है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वे दूसरों के स्वस्थ बालकों को देख कर प्रसन्न न हों, उनके वस्त्र और खिलौने देख कर उन्हें असमर्थता पर क्षोभ हो। वे उस स्नेह को न दे सकें जो अध्यापक से विद्यार्थी को प्राप्त होता है जीवन में अनेक दुर्वह कष्ट जिन्हें घेरे हुये हैं वे दूसरे को स्वस्थ विकास के साधन देने में समर्थ नहीं होते। हमारी प्राथमिक शिक्षा जिस वातावरण में चल रही है, उस वातावरण में बालक को विकास के साधन अप्राप्त ही रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं, अनिश्चय उसकी भी रूपरेखा को अस्पष्ट बनाये हुये है। वैसे सैनिक का जीवन भी अनिश्चित होता है, परन्तु उस अनिश्चय के साथ कोई महान् आदर्श हो तो मृत्यु का वरण जीवन से अधिक मूल्यवान जान पड़ता है। हमारी अनिश्चित स्थिति के साथ किसी ऊंचे आदर्श की पृष्ठभूमि नहीं है। इसी से उसके लिए किसी त्याग का महत्व नहीं रह जाता। आज न अध्यापक यह विश्वास कर पाता है कि वह समाज का आवश्यक अंग है और न विद्यार्थी और बिना इस आस्था के कष्ट सहिष्णुता उसके लिए एक प्रकार की यातना ही है। हम यह कहने के अभ्यस्त हो गए हैं कि उनमें त्याग की कमी है, परन्तु हम यह भूल जाते हैं कि जो वस्तु उनके पास नहीं है उसका त्याग वे कैसे करें। जब तक वे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक त्याग की बात कल्पनामात्र है।

विश्वविद्यालय का प्रश्न भी समस्या बनता जाता है। समस्या को सुलझाने के लिए या भूल जाने के लिये हम सोचते हैं कि उन्हें बन्द कर दें या जिज्ञासुओं की संख्या कम कर दें। हमारा विश्वास है कि हम महान् होने वाले विद्यार्थियों को पहिले से चुन लेंगे और अपने प्रयत्न से उन्हें महान् बना लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा संभव नहीं होता। जब अनेक व्यक्ति दर्शन पढ़ेंगे तो एक राधाकृष्णन् जैसा दार्शनिक पैदा होगा। जब अनेक व्यक्ति विज्ञान के खोजी होंगे तब कोई एक जगदीशचन्द्र बसु उत्पन्न होगा। ज्ञान के क्षेत्र में किसी महान् व्यक्तित्व को पाने के लिए हमें अनेक व्यक्तियों को सुविधा देनी पड़ती है। पर्वत को तोड़ कर ही हम रेडियम का एक कण पाते हैं। यदि हम इसके लिए प्रस्तुत नहीं हैं तो हमें कुछ मूल्यवान प्राप्त नहीं हो सकेगा। ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वालों को न हम आर्थिक सुविधा दे सके हैं, न सम्मान दे सके हैं। हमसे उन्हें केवल उपेक्षा और निंदा ही प्राप्त होती है।

जहां तक साहित्यकार का प्रश्न है उसकी स्थिति इससे भी दयनीय है। साहित्य के माध्यम से संस्कृति का विकास होता है और आज उसके लिये न समाज में कोई महत्वपूर्ण स्थान है और न शासनतंत्र में। सरकार साहित्य के विकास के लिए ५०,००० रुपये की निधि रखती है और इस निधि से पुरस्कार दिये जाते हैं। वस्तुतः स्थिति ऐसी है कि साहित्यकार यदि अपनी पुस्तक प्रतियोगिता में भेजना चाहता है तो या तो उसे चार प्रतियां टाइप

करानी होती है या उसे किसी प्रकाशक का सहारा लेना पड़ता है। टाइप कराने में १५० या २०० रु० तक व्यय हो जाना सहज है और प्रकाशक तो उसकी आवश्यकता जान कर बिना कुछ दिये ही उसकी पुस्तक छापना चाहता है। इस प्रकार पुरस्कार की निधि से जिन्हें ३०० या ५०० रु० प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें भी इसके अतिरिक्त कोई लाभ नहीं होता। जिन्हें पुरस्कृत होने का संयोग नहीं प्राप्त होता उन्हें तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पहिले प्रकाशक कुछ देकर पुस्तकों का कापीराइट खरीदता था और अब सरकार कुछ देकर उनके लिए कापी राइट सुलभ कर देती है। एक विशिष्ट विद्वान ने ३० वर्ष के परिश्रम से एक व्युत्पत्तिमूलक कोष बनाया है, प्रकाशक उसका कापी राइट २०० रुपये में खरीदने के लिए प्रस्तुत है। यदि वह दे देता है तो उसके जीवन भर की पूंजी चली जाती है और यदि नहीं देता तो पुस्तक अप्रकाशित रह जाती है। इस प्रकार के उदाहरण एक दो नहीं असंख्य हैं। सरकार को ऐसी निधि अवश्य रखनी चाहिये जिससे पुस्तकों का प्रकाशन किया जा सके। प्रकाशन की योजना को कार्यान्वित करने के लिये वह विद्वानों, साहित्यकारों की सरकारी और गैर सरकारी संस्था बना सकती है।

गत वर्ष मैंने श्री निराला जी की स्थिति के विषय में सदन में विस्तार से कहा था, किन्तु उनकी स्थिति आज भी वैसी ही है। गोली से मरना साहस का काम है, किन्तु यह भी कम साहस का काम नहीं है कि हम अपने आत्मीय जनों को बूंद बूंद विष पीकर दम तोड़ते हुए देखें और इस प्रकार का साहस आज प्रत्येक साहित्यकार को करना पड़ता है। पत्रकार की स्थिति तो इससे भी कठिन हो जाती है। साहित्यकार यह सोचकर संतोष कर सकता है कि 'कालो–हिअमनिवधि विपुला च पृथ्वी'। किसी समय कोई समान धर्मा उत्पन्न हो सकता है, जो हमारे ग्रन्थ को समझेगा, परन्तु पत्रकार को तो तात्कालिक समस्या पर लिखना पड़ता है और उसका महान् से महान् लेख भी दूसरे दिन महत्व खो देता है। यदि उसे जीवन की सुविधा और समाज का विश्वास न मिले तो उसका कार्य दुर्गम हो जाता है। आज हमें मनस्वी पत्रकार कम मिलते हैं क्योंकि ऐसे वातावरण में इनका उत्पन्न होना उत्तरोत्तर असंभव होता जाता है। यदि बुद्धि जीवी वर्ग के साथ शासक वर्ग का सम्बन्ध अच्छा नहीं होता तो दो ही परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं या तो वह सक्रिय विरोध करे या गतिरोध में आत्मघात करे। विदेशी शासन–तंत्र से हमारा सक्रिय विरोध था। उस समय शिक्षा के क्षेत्र में जितना निर्माण हुआ वह उसी विरोध का परिणाम था। महाकवि टैगोर का शांति निकेतन, गुरुकुल, काशी विद्यापीठ और अनेक राष्ट्रीय विद्यालय उत्पन्न हुये, जिन्होंने बौद्धिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से देश को बहुत आगे बढ़ाया।

जब किसी देश का बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक स्तर गिरता है तब समझना चाहिये कि वह जाति रसातल की ओर जा रही है क्योंकि मनुष्य केवल बाहर से नहीं बनता, वह यंत्र मात्र नहीं है। उसके समग्र निर्माण के लिए अन्तर्गत का निर्माण होना अनिवार्य है। एक दिन हमारी दृष्टि का केन्द्र स्वतन्त्रता थी, परन्तु जब से हमारी दृष्टि उस केन्द्र से हटी है तबसे हमारे पास कोई केन्द्र नहीं रहा। हम स्वयं नहीं जानते कि हम क्यों बनना चाहते हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपराधों की आवृत्तियां हो रही हैं। उसके प्रतिकार के लिए हम यही चिन्ता करते हैं कि पुलिस बढ़ायें, सेना बढ़ायें परन्तु इन साधनों से मन के भीतर बढ़ने वाली विषमता और अपराधों की प्रवृत्ति की रोक थाम नहीं हो सकती। हम कटघरा बनाकर इतने अधिक व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में नहीं खड़ा कर सकते। बौद्धिक विकास की इस स्थिति के समान ही हमारी सामाजिक संस्थाओं की दुर्गति है। आज भी हमारे यहां ऐसे अनाथालय हैं जिनके बच्चे भीख मांगते, घूमते रहते हैं। जिस दिन वह भिक्षाटन में कुछ मांगकर नहीं लाते अनाथालय का प्रबंधक उन्हें भोजन नहीं देता। स्वतन्त्र देश में कोई अनाथ क्यों कहा जाय और भिक्षुक बनाने वाली संस्थायें क्यों रहें? हमारे विधवा आश्रमों की स्थिति भी भीषण है। जीवन का गर्हित व्यापार मात्र उनकी विशेषता है। ऐसी स्थिति में यह कल्पना करना कि शिक्षा हमारी प्राथमिक आवश्यकता नहीं है और जब जो।

[श्रीमती महादेवी वर्मा]

के अन्य क्षेत्र विकास कर चुकेंगे तब हम इसके विकास पर ध्यान देंगे। कितनी बड़ी भूल है, यह कहना व्यर्थ है।

मनुष्य का सबसे बड़ा निर्माण मनुष्य ही है। शासनतंत्र का भी सबसे बड़ा सृजन मनुष्य में ही मिलता है। सुन्दर प्रासाद बनाने वाले को समाज भूल जाता है और प्रासाद भी खंडहर हो जाता है, परन्तु जिन्होंने राष्ट्र को बनाया, मनुष्य को बनाया उनके निकट मनुष्यता कृतज्ञ रहती है। आज विचार और विचार का संघर्ष है और विश्व दो खेमों में बंट गया है। विचारों की लड़ाई में भी वही सफल होता है जिसकी दृष्टि जीवन को गहराई में पकड़ती है। यदि हम यह विचार करें कि व्यक्ति की विकृतियां सामूहिक विकृतियां नहीं हैं तो हमारा यह विश्वास हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। यंत्र में यदि एक पुरजा भी खराब है तो वह कार्य नहीं कर सकता। व्यक्ति भी समाज की ऐसी ही इकाई हैं। जिस समाज के इतने अंग खराब हों, उसे चला लेना सम्भव न होगा। हमें अपने सामाजिक धरातल को ऊंचा उठाने के लिए अविलम्ब कोई योजना बनानी है। आज से कुछ वर्ष पहिले जितने कलाकार, विद्वान, तपस्वी थे, आज वे हमें नहीं देखते क्योंकि हम उन विशेषताओं को महत्व देना भूल गए हैं। समय हमारे लिये रुक नहीं सकता। समय के प्रवाह के साथ हमें अपनी गति की संगति बैठानी होगी। इसमें विवाद या मतभेद का अवसर नहीं है। दो खंभे नहीं मिल सकते किन्तु जल की दो धारायें मिल सकती हैं और उन धाराओं से बनने वाली नदी समुद्र में मिल सकती है। जीवन में ऐसी ही तरलता गतिशील होती है। जब शासक और शासित दोनों मिलकर "एक ऐसी नदी बन जाते हैं, जो जीवन को विकास के महान् समुद्र तक पहुंचा सके, तभी राष्ट्र जीवन का स्थायी निर्माण संभव होता है।

*श्री बालक राम वैश्य (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, ५४-५५ का जो बजट वित्त मंत्री जी ने इस भवन में प्रस्तुत किया है उस पर मैं अपने विचार आपके द्वारा प्रगट करना चाहता हूं। इस बजट में जिस तरह से यह प्रस्तुत किया गया है और जो उनका भाषण है उसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। जहां तक मेरा विचार है यह बजट बहुत ही कुशलतापूर्वक तैयार किया गया है और उनका प्रयत्न इस बजट के प्रस्तुत करने का सराहनीय है। मैं उनको आपके द्वारा बधाई देता हूं कि ऐसा बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस बजट में जो विशेषतायें हैं वह कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात जो खास तौर से बजट में रखी गई है वह सरकार की यह नीति है कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। उससे सबको सन्तोष है और विरोधी पक्ष वालों ने आमतौर से सराहना की है। टैक्स न लगाते हुये जिस प्रगति को सरकार ने कायम रखा है और उसको तेजी से बढ़ाने की कोशिश की है वह अत्यन्त सराहनीय है।

दूसरी बात जो उसमें बहुत ही उपयोगी है वह यह है कि मध्यम श्रेणी के लोगों की ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है और सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये मकान बनाये जायं और लोगों का स्तर ऊंचा किया जाय और उनकी गिरती हुई हालत को सम्हाला जाय। वस्तुतः मध्यम श्रेणी के लोग ही समाज को ऊंचा बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। उनकी गिरती हुई दशा को सुधारने के लिये, उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिये और उनमें एक नई स्फूर्ति पैदा करने के लिये जो कदम सरकार ने उठाया है वह बहुत ही सराहनीय है। इस बजट में सरकार का ध्यान जनता की बेरोजगारी की ओर भी गया है और जो योजना सरकार ने रखी है उससे अवश्य किसी हद तक बेरोजगारी को सरकार दूर

(इस समय १२ बजकर ३० मिनट पर डिप्टी चेयरमैन, (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

करेगी। यह कहने में मुझे संकोच नहीं होता है कि बेरोजगारी हर जगह, हर समय कुछ न कुछ अंशों में कायम रहती है और रहेगी। कितना ही प्रयत्न कोई सरकार करे, बेरोज़गारी शत–प्रतिशत दूर नहीं हो सकती है।

परन्तु हमें यह देखना है कि ऐसी योजनाओं का जिक्र इस बजट में है कि नहीं कि जिनसे बेरोज़गारी कम हो और वह घटती चली जाय। जहां तक मैंने अध्ययन किया है वहां तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस प्रदेश की हर बात पर सरकार की दृष्टि गई है और उसने सब हालात और सारी परिस्थितियों का अध्ययन करके हर तरफ उन्नति की ओर कदम बढ़ाने की चेष्टा की है। जैसे इस वर्ष के अंत तक रेहन्द डैम और उसी के साथ ही साथ और कई डैम के कार्य समाप्त करने की जो बात रक्खी गई है उससे मैं यह समझता हूं कि प्रदेश में कृषि की काफी तरक्की होगी और काफी बिजली तैयार की जायगी, जिससे कि हम यहां पर हर तरह के उद्योग–धंधों को बढ़ा सकते हैं और उनको डेवलप कर सकते हैं।

सन् १९५५–५६ ई० के अंत तक पंच वर्षीय योजना में सरकार ने १३० करोड़ रुपया व्यय करने का संकल्प किया है। वह भी इस बजट में प्रस्तुत है और मैं समझता हूं कि इस पंच–वर्षीय योजना में जिस प्रगति के साथ उन्नति हो रही है उससे हम काफी दूर तक अपने मकसद को हासिल कर लेंगे। और ऐसा होने से हम इस प्रदेश की जो बेरोजगारी है और जो आर्थिक स्थिति है, उसमें काफी तरक्की कर पायेंगे। इसके साथ ही साथ और जो योजनायें हैं जैसे सीमेंट फैक्टरी की योजना जिसमें सात सौ टन सीमेंट रोज तैयार किया जायगा, इनके पूरा होने पर हमें जो सीमेंट दूसरे प्रदेशों से मंगाना पड़ता है वह नहीं मंगाना पड़ेगा और हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो जायगी। सीमेंट फैक्ट्री हमारे प्रदेश में बन जाने से हम देश में निर्माण कार्य काफी अच्छे पैमाने पर कर सकेंगे क्योंकि आजकल निर्माण कार्यों के लिये सीमेंट की सबसे पहली आवश्यकता है, इसलिये इस सीमेंट फैक्टरी के कम्पलीट होने का कार्य और इसकी योजना हमारी सरकार की एक अत्यन्त सराहनीय योजना है। सबसे सराहनीय कार्य जो हमारी सरकार इस समय कर रही है इस प्रदेश को बढ़ाने के लिये वह यह है कि जो रेगिस्तान राजपूताने की तरफ से इस प्रदेश में बढ़ता चला आ रहा है उसको रोकने की योजना एक ऐसी योजना है कि जिससे यह बढ़ता हुआ रेगिस्तान रोका जा सके। इसके लिये वह उस हिस्से में जंगल लगवा रही है जिसके फलस्वरूप वहां खेती भी हो सकेगी और यह बढ़ता हुआ रेगिस्तान रोका भी जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में बहुत से ऐसे कार्य हो रहे हैं जो देश को उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं।

मैं आपके द्वारा कुछ अपने विचार सरकार के सामने रखना चाहता हूं, कुछ सुझाव रखना चाहता हूं जो कि शिक्षा के संबंध में हैं। प्रारम्भिक शिक्षा जिस प्रकार इस समय चल रही है उससे छोटे–छोटे बच्चों का कोई अधिक लाभ नहीं हो रहा है। इस शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां के प्राइमरी स्कूलों में ५ एकड़ और हायर सेकेन्डरी स्कूलों में और अधिक भूमि की व्यवस्था की गई है, इससे कुछ लाभ अवश्य होगा। परन्तु हमें इसमें बहुत बड़े चेन्ज की जरूरत है और सरकार इसमें अपना कदम आगे जरूर बढ़ाये। इसके अलावा प्रारम्भिक शिक्षा को ले लीजिए जो ज्यादा छोटे होते हैं उनके निर्माण की प्रणाली आपको ऐसी बनानी चाहिए जिससे छोटे–छोटे बच्चों के मस्तिष्क ऊंचे उठ सकें। यहां लखनऊ में ३, ४ मोन्टेसेरी स्कूल्स हैं, परन्तु उनमें व्यय इतना होता है कि मध्यम श्रेणी के लोग क्या उच्च श्रेणी के लोगों को उसमें बच्चे भेजना मुश्किल हो जाता है क्योंकि खाना, बस और किताबों का खर्चा एक बच्चे पर करीब २० रुपये महीने पड़ता है, जिसके तीन चार बच्चे हों वह ८० या १०० रुपये केवल बच्चों पर व्यय नहीं कर सकता, इसलिये ऐसे स्कूल खोले जायं जिसमें बच्चे कम खर्च पर पढ़ सकें और उसमें ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे उनके मस्तिष्क का विकास हो, जिससे वह प्राइमरी स्कूल और सेकेन्डरी स्कूलों में जब जायं तो उनका विकास अच्छी तरीके से हो जाय। इसके अलावा आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान यूनिवर्सिटी एज्युकेशन की तरफ ले जाना चाहता हूं।

[श्री बालक राम वैश्य]

यूनिवर्सिटी एज्युकेशन में जो आजकल खराबियां हैं, वे अकथनीय हैं। विद्यार्थियों में कोई नियन्त्रण नहीं है, वे नियन्त्रण में रहना भी नहीं चाहते हैं। इसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण यह है कि यूनिवर्सिटी के शिक्षकगण जिनका स्वयं यूनिवर्सिटी में काफी अधिकार रहता है वे हमेशा पालिटिक्स में लगे रहते हैं और वे यह कभी फिक्र नहीं करते हैं कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को कैसी शिक्षा दी जाय। वे अपना समय पावर पालिटिक्स में ही खर्च करते हैं। इसलिये उनका जितना कम हाथ यूनिवर्सिटी के अधिकार में रक्खा जाय उतना ही अच्छा होगा। नतीजा इसका यह होता है कि विद्यार्थी खुद उनको देखकर पावर पालिटिक्स में अधिक रुचि रखते हैं और वे यह उन्हीं शिक्षकगणों से सीखते हैं। परिणाम यह होता है कि वे आपस में लड़ते हैं और उन पर कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता है और न उनका विकास ही अच्छी तरह से हो पाता है। वे उचित शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिये यूनिवर्सिटी एज्युकेशन के लिये हमारा सुझाव है कि विद्यार्थियों का ऐडमीशन कम्पिटीशन से होने चाहिये, इससे योग्य और मेहनती विद्यार्थी ही केवल उसमें जा सकेंगे और उनका स्तर ऊंचा रहेगा। उनकी योग्यता अच्छी होनी चाहिए, अगर रद्दी किस्म के विद्यार्थी इसमें रखे जायेंगे, तो देश में अनएजुकेटेड अनइम्प्लायमेन्ट बढ़ेगा। सरकार को इस ओर अधिक ध्यान रखना चाहिए ताकि शिक्षा का स्तर न गिरने पाये। यूनिवर्सिटी की शिक्षा के लिये मेरा एक सुझाव और है और वह यह है कि वहां के विद्यार्थियों के लिये एक विशेष विषय रखा जाय, जो उनके चरित्र के नियन्त्रण के संबंध में हो। इस विषय में जो विद्यार्थी पास न हो उसको यूनिवर्सिटी की डिग्री न दी जाय। मैं समझता हूं कि अधिक नियन्त्रण रखने से वह चरित्रवान बन सकेंगे।

इसके अलावा मैं आपके द्वारा एक सुझाव सरकार को इन्फारमेशन डिपार्टमेंट के लिये देना चाहता हूं और वह यह है कि जो पुस्तकें वहां से प्रकाशित होती हैं, वह बहुत अच्छी होती हैं और उससे काफी सूचना भी मिलती है और उससे काफी विकास भी हो सकता है, इसलिए मेरा सुझाव यह है कि वहां से जो पैम्फलेट निकलें वह हर स्कूल और कालेज में भेजे जायें, हर पब्लिक लाइब्रेरी आदि में भी भेजे जायें। इससे जनता पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। ग्राम पंचायतों में भेजे जायें तो बहुत अच्छा होगा। यही मेरे सुझाव थे जो मैंने सरकार को दिये हैं। माननीय वित्त मंत्री जी को उनके इस बजट के भाषण की सराहना करते हुए उनको बधाई देता हूं।

*श्री एम० जे० मुकर्जी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—Sir, I thank you for the opportunity offered to me for speaking on the Budget of the State. It is an opportunity for every one of us who are present here to express our views on the activities of the Government. The Government have given an account fully of their stewardship, but we also as the representatives of the people have to consider whether the money given to them previously has been properly spent or not and to see that the demands made for the future are adequate and worthy of the trust reposed in them.

Pretty many things have been said from all parts of the House favouring or otherwise the conditions in the Budget, and it is not for me to say either way because the criticisms will be replied to by the Hon'ble the Finance Minister. But I can not help saying that the budget presented shows courage, determination and faith. In spite of the budget being a deficit one and knowing full well that arrows will be flying all round. We have been presented with a budget that

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

shows clearly a deficit of nearly 4 crores, 3·9 crores to be more correct. It has been said that a deficit budget does not need to create a panic. I should say that it gives us a clear indication and the conditions expressed truthfully and honestly. The Government have acknowledged that we are poor in this State. Our standard of living is low. To that has been added the question of unoccupation and the problem of men educated and uneducated both not getting either the work of their choice or any work at all. All these are facts we must acknowledge. The problem is to better these conditions and in this we are all one whether we belong to this party or that. We have come to this House with one objective and that is how to create this State a welfare State and how to create a situation whereby the defects that have been pointed out can be eradicated. With this oneness of purpose we are asked to co-operate and to join hands together, and I think that is the right course.

I would not like to waste the time of the House by going into the details of the budget. I have already said that it shows courage, it shows determination and it shows faith—determination in the fact that whatever plans we have got we must accomplish and faith in the people that what we are doing is for their good. And what makes it more acceptable is the promise that no more taxes will be levied. The Government have said that they would not impose any new tax so far as possible. I, however, hear in this House the probabilities or the possibilities of taxation if the five year plans are in any way obstructed. For the good of the people the plan provides for production and more production of food, clothing and shelter. These are the three basic needs and we should appreciate the work that has been taken upon themselves by the Government.

If there are some people who are sceptical about it, I would invite them to go and see the dams that have been erected by the Government. If they do so, their eyes will be opened and they will see the tremendous task that has been undertaken by the Government. They need see only one of the dams and one of the bigger power houses that have been constructed. Near the Sarda Canal at Banbasa the Lohaghat Electrical Power House is expected to commence its work from June next and we hope that there will be sufficient power to enable the villagers to take power at a lower price. These plans have been started in the hope that they are going to provide the deficiencies that have so far been felt. The criticism, if any, should be on account of the fact that the Government has taken too much on itself and the people have not yet come forward sufficiently to produce plans whereby the people and the Government could unite.

Now, coming to the different topics of the budget that have been discussed, I would like to take first and foremost, the question of health. We are glad that T. B. hospitals at Firozabad and Allahabad would be opened. I would suggest that from the point of view of economy, the existing arrangement could be improved and made use of. In this Pradesh, there are three good T. B. mission hospitals, and enough

[श्री एम० जे० मुकर्जी]

use not being made of them. One of them is at Almora, the other at Naini and the third one at Bareilly is proposed to be opened. The authorities there have offered to open 500 beds if they could only be given the land adjoining the jail. The Ministry has been approached, but their only objection is that the jail might be extended in the very near future and therefore this land could not be given. By the way, there is no likelihood in the near future of the jail being extended; at present it is not being used even; I would strongly suggest, therefore, that the portion of the land between the jail and the road be given and authorities encouraged to open the hospital. This will be economical from the point of view of Government expenditure.

So far as the Almora Hospital is concerned, the authorities have offered to sell it to Government for Rs.1½ lakhs, and if the Government takes it up, the authorities there have promised that even that 1½ lakhs of rupees will be devoted to the construction of a T.B. ward in Bareilly. So we have here an opportunity for co-operation with the existing hospitals. Then, there are certain good hospitals that could be taken over by the Government instead of building new buildings where capital outlay will be far greater than by subsidizing the existing hospitals.

I feel that we are giving due attention to T.B., but we are not giving enough attention to something else, and that is as heinous and as bad as could be. I refer to the problem of leprosy. We find lepers roaming about every public place, at railway platforms, etc. We know it is an infectious disease that may affect even the progeny. The sufferer himself is not in a very happy position and it is up to Government to make some decent arrangement for them. They should be housed in properly maintained places and adequate arrangements made for them. I can give you information about three of these leper asylums that the missions are carrying on in this Pradesh. Again, one of them is at Naini, another is at Almora and the third in Faizabad District. All these hospitals are working under a body known as the mission for Lepers and I am sure they will be able to share the burden of the Government in providing for the lepers that roam about in the bazars in the form of beggars.

There is another thing which I wish to bring in connection with this health question that we have not yet tackled. It is a very delicate question, viz. the question of prostitution. I feel it is an important question from both moral and health points of view and that something must be done. We want to raise the womanhood of our country, but if they could be used as chattels and animals and degraded to the lives that they have to live for their earning and for their living, it does not speak very well of the Government. We will have to take some steps in that direction.

A great deal has been said about education in this House and I think worthier people than myself have expressed their views in this

connection and they have all said that our education is not very satisfactory. We have just heard a beautiful speech from Srimati Mahadeviji in connection with this, and I agree with her in most of the things she has said. Our education lacks from the fact that it is not purposeful, that there is no purpose behind it. We have not yet considered the national needs which must be supplied by an adequate education in our country. We have taken a system that was advocated in the year of grace 1834, when the only aim of education was to prepare clerks for the offices and it is that same aim which is being carried on throughout—whether primary, secondary or university education. We have not considered how to plan this education in a more rational way—in a more national way—and prepare our youths not only for making them able to earn their living but also for the service of our country and humanity. We have not taken into consideration the manner in which the primary education should be arranged and how to take a definite step from primiary to secondary and then to university education. Primary education must be based on the things that are natural to the boy and that are natural to the atmosphere of the boy. We have seen the animals preparing their young ones in order to make them fit for the purpose of life. We have seen how in their places they learn to depend upon themselves, they learn to rely upon themselves, they learn to provide food for themselves and so on. I have seen a group of monkeys. An old monkey was training the younger ones for the struggle of life. One of the young ones jumped into the lap of the mother. The mother at once slapped it and sent it back for the fight that it was having with the other young ones. We have to prepare the children for the purposes that they have to serve in life, and thus, in contact with Nature, they have to be taught. Our primary education should not be the multiplication of subjects, but should be the training of observation and inference therefrom—observation of Nature, the study of nature; on that it should be based. But as soon as we introduce it as a subject, books begin to appear and instead of a study of Nature, we begin the study of books. Bookishness is the bane of our education and the more we get away from it the better it well be for most of us. I feel, Sir, that as you have switched on the red lamp and as I have to make some more remarks, I may be allowed to continue my speech after lunch.

डिप्टी चेयरमैन—No, no. That can not be allowed. There are a number of other speakers. You may take two or three minutes more.

*श्री एम० जे० मुकर्जी—Well, then, I was saying that we should emphasize on the two main reports that have come into the sphere of education. Acharya Narendra Deva Committee Report, and the Mootham Committee Report. Acharya Narendra Deva has definitely mentioned that we should have high school education and high school stage should be considered as sufficient for the examination purposes. Most of our education flounders on the ground of economy and I would suggest—I do not know whether others will

[श्री एम० जे० मुकर्जी]

agree with me or not—that the Intermediate classes should be given to the degree colleges and made into a full unit and the degree colleges should be so arranged as to be able to complete the education that the boys try to receive. Our post-graduate studies should be carried on in the university centres. High School education should also be bifurcated after the junior high school as has been suggested, with a view to providing some general education which might lead them later, by their further training, in the polytechnics and technical classes. We should base our education on the training of leaders. Schools should not all be of the same type. There should be in those schools proper arrangements for specialisation in the training of leaders of all professions, not only political leaders, but also leaders in profession like medicine, agriculture, animal husbandry and others.

Well, Sir, the budget as has been presented to us has been prepared with great labour and I wish to thank the Hon'ble Minister through you and the whole Secretariat that have devoted their time and their labour in this connection.

डिप्टी चेयरमैन—हाउस २ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

(कौंसिल १ बज कर २ मिनट पर स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री तेलू राम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५४ ई० के बजट पर काफी वार्तालाप हुआ और यद्यपि इस तरह के बजट में भी विरोधियों को काफी एतराज है। वस्तुतः बात ऐसी है कि बजट के बारे में यदि हम वस्तुस्थिति को देखें और फिर बनाने वालों की नियत को देखें तो हम कह सकते हैं कि इससे बेहतर बजट की बात होना आजकल के हालात में मुश्किल है। इसलिए उसके लिए सरकार अवश्य बधाई की पात्र है। जहां तक विरोधियों के एतराजात का ताल्लुक है, उन्होंने तो गांव पंचायत ऐसे विषयों पर भी एतराज किया है। उन्होंने कहा यह घाटे का सौदा है। अगर हम देखें तो यह कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार ने राज बांटा है। राजा महाराजा और नवाबों ने दान बांटे हैं, जकात दिये हैं, लेकिन राज किसी ने नहीं बांटा। लेकिन इस सरकार ने तो राज बांटा है और व्यापक रूप से बांटा है। ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को अधिकार देना एक तरह से राज बांटना ही है। हमारे विरोधी भाई मिडिल क्लास की बात लेकर बहुत कुछ कहते हैं। एक तरफ मिडिल क्लास (वोटर) भी है। वह अपनी बात स्वयं कहता है। जो कहने वाला है वह अपनी बात अच्छे ढंग से कहता ही है। प्रश्न यह है कि राज्य की व्यवस्था क्या शहरों में ही देखी जाये, शहरों में जो कुछ हो रहा है क्या उन्हीं चीजों को पैमाना बनाकर सारी चीजों को नापा जाये। उन्होंने तो यहां तक कहा कि व्यापारी जाति बहुत परेशान है और वह इस राज्य को पसंद नहीं करती। उन पर टैक्स लगे हुए हैं। एक तरफ तो वे कहते हैं कि व्यापारी दलाली का तबका है। उनका यह भी कहना है कि उत्पादन का वह तबका मालिक न होना चाहिए जो उत्पादन न करता हो।

टैक्सेज के बारे में भी लोगों को ज्यादा एतराज हुआ। यह ठीक है कि टैक्स जैसी चीज पसंद नहीं होती। लेकिन ईमानदारी से यदि देखा जाये तो जहां टैक्स लगे हैं, क्या कोई मद ऐसी है, जो उनसे बेहतर थी जिस पर टैक्स लगने चाहिए थे। ऐसा उन्होंने कोई सुझाव भी नहीं दिया। पानी के लिहाज से यदि देखें तो हम पाते हैं कि नहर के पानी

से सस्ता कोई पानी नहीं हैं । रेल की सवारी से सस्ती दूसरी सवारी नहीं है । और बिजली की रोशनी से दूसरी सस्ती रोशनी नहीं है । यदि इन चीजों को आप देखें तो सब चीजों का अंकन होता है । मैं यह नहीं चाहता कि टैक्स रहें या टैक्स बढ़ें । तो भी जो दोस्त यह चाहते हैं कि देश की भौतिक और नैतिक उन्नति हो उनको इन सब चीजों पर विचार करना पड़ेगा । मैं अर्ज करूं, जहां तक भौतिक उन्नति का ताल्लुक है, प्रदेश की बहुत प्रकार की उन्नति हुई है । पंचवर्षीय योजना की दृष्टि से श्रमदान के पखवारे में लोगों ने देखा है, उन्होंने मनुष्य की छिपी हुई शक्तियों को प्रकट होते देखा है । परन्तु पता नहीं हमारे विरोधी अपनी बातें किस आधार पर कहते हैं । श्री राजाराम शास्त्री जी की स्पीच यदि दुनिया के दूसरे मुल्कों में चली जाये जिसने हिन्दोस्तान नहीं देखा है तो न जाने कौन सा नक्शा वह अपने सामने रखें । कुछ साथियों ने तो यहां तक कह डाला कि एलेक्टोरल रोल्स इसलिए नहीं बनाए जा रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है कि कुछ उनके आदमी चुन कर चले आयें ।

कान्स्टीट्यूशन की बात का रोज हवाला देते हैं । लेकिन यों कहना कि कांग्रेस यह चाहती है, वह चाहती है, किसी सदस्य के लिये गुमराह करने वाली बात हो सकती है । जहां तक बिजली का ताल्लुक है, खेती का ताल्लुक है, पानी का ताल्लुक है, उद्योग का ताल्लुक है, सड़कों का ताल्लुक है, एक महा क्रांति सी नजर आती है । लेकिन यह सब भौतिक उन्नति है । नैतिक उत्थान नहीं हुआ है । यहां पर पंचवर्षीय योजना में भी देश का भौतिक निर्माण हो रहा है । उसकी सड़कें बनती हैं, नहरें बनती हैं । यह सब फिजिकल निर्माण हैं । मारेल का निर्माण नहीं हो रहा है । इस युग को हम साइंस का युग कह सकते हैं । वैज्ञानिक साधनों द्वारा तो अब मनुष्य मनुष्य से बहुत जुड़ गया है, दूरी उसके लिए दूरी नहीं बोझ बोझ नहीं । लेकिन यदि हम हृदय से देखें तो वह बहुत अलग-अलग हो गया है । आज कोई एक दूसरे का विश्वास नहीं करता । कोई किसी पर श्रद्धा नहीं रखता । हृदय से वह एक दूसरे से बहुत दूर हो गया है । इससे पहले यदि किसी गांव में किसी को कोई दुख होता था, तो सारा गांव वहां जाता था ।

हम यह भी जानते हैं कि उद्योग की बहुत चर्चा है । बेरोजगारी के मसले को उद्योग-धंधों के जरिये से हल करना चाहते हैं । आज वार (war) प्लानिंग चल रही है । आज लड़ने के साधनों को जुटाने में संसार जुटा हुआ है । जब केन्द्रीयकरण होता है तब लड़ने के साधन जुटते हैं । एक तरफ आबादी बढ़ती जा रही है दूसरी तरफ केन्द्रीयकरण बढ़ता जा रहा है और बेकारी को दूर करने के लिये उद्योगों की बात करते हैं । पर मैं एक मिसाल दूं । एक शेर को एक बकरी के साथ बांध दिया जाय और कहें कि इसके लिये प्रोटेक्शन के उपाय यह करें वह करें तो वे सब बेकार हो जायेंगे । वही हाल यहां बेरोजगारी को दूर करने के लिये उद्योग-धंधों का है, मशीन के सामने हाथ नहीं टिक सकता । मशीनें भी तीन प्रकार की होती हैं । एक सहायक, दूसरी संहारक और तीसरी समय-साधक । सहायक मशीनें वे होती हैं, जिनसे मनुष्य को काम करने में सहायता मिलती हो । काम करने में सहूलियत मिलती हो । संहारक मशीनें वे हैं जो नाश करने वाली है, जो रोजगारी को मिटाती हैं । समय-साधक वे हैं, जिनसे समय की जरूरत पूरी होती है, जैसे रेलगाड़ी आदि ।

धोतियों की चर्चा चल रही है, धोतियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उसमें शंका होती है कि यह पनपेगा या नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि वह मशीन के मुकाबले में नहीं टिक सकता है । इसलिये अगर उत्पादन की बात है तो फिर रोजगार की बात नहीं । आप देखिये, आज अगर सबसे कोई सस्ती चीज है तो वह इंसान है । सब से कम मोल इंसान का है । विज्ञान का मोल बढ़ा हो, पैट्रोल का बढ़ा हो और दूसरी चीजों का बढ़ा हो, लेकिन इतना तो अवश्य है कि मनुष्य का मोल कम होता जा रहा है । आज सरकार अमेरिका की नकल खेती में भी करती है । खेती करने के लिये अमेरिका से ट्रैक्टर मंगाया जा रहा है । खेती में भी विदेशों की नकल की जा रही है । हम देखते हैं कि खेती उस तबके को दी गई, जो अनपढ़ था, जो व्यवसाय में नहीं जा सकता था, जो नौकरियों में नहीं

[श्री . तेलूराम]

जा सकता था, जिसको अनपढ़ कहा गया वह जमीन के लिये रखा गया । तो उनकी जो जमीन पर खेती करते हैं, क्या हालत है ? बड़े लोगों ने व्यापार किया, उसमें ब्लैकमार्केटिंग हुआ । असत्याचरण हुआ । पिछड़े वर्ग की बात कही जाती है और कहा जाता है कि उसका बड़ा उत्थान किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि समान साधन जब तक न हों तब तक समान अधिकारों की कोई बात लाभप्रद नहीं हो सकती है । मान लीजिये कि सामान बाजार में है, लेकिन उसके खरीदने के लिये पैसा नहीं है तो फिर आप उसे कैसे खरीद सकते हैं। इसी तरह से पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात है । जब तक समान साधन न हों तब तक उत्थान की बात बेकार है । साधन होने चाहिये । मैं सरकार का ध्यान सहारनपुर के उस इलाके की तरफ दिलाऊंगा जिसको धार कहते हैं और जहां पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है । दूसरी बात अर्ज कर दूं कि मार्च का महीना आ रहा है इसमें रुपया पानी हो जाएगा । आप देखते हैं कि ११ महीने में कितना खर्च हुआ और कितनी बचत हुई । मैं वित्त मंत्री से यह कहूंगा कि वह यह देखें कि इस बारहवें महीने में भी उसी हिसाब से खर्च होता है या नहीं कि जिस हिसाब से पिछले ११ महीनों में हुआ है ।

एक बात मुझे लगान के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना है । कुछ किसान १० गुना देकर भूमिधर बने, दूसरे जिनका लगान सरकिल रेट से कई गुना है वे अभी भी पिस रहे हैं। हम देखते हैं कि उचित लगान के लिए उनके लिये आज इस योजना में कोई सुविधा नहीं है। मैं समझता हूं कि वह तबका जो बहुत गरीब किसान का था, उसको कोई सुविधा नहीं मिल सकी।

चरित्र की बात कही जाती है । लेकिन जो सिनेमा हैं, उनके बारे में किसी सदस्य ने यहां कुछ नहीं कहा । जो चित्र बनते हैं वह वैज्ञानिक लोग हमारे चरित्र को देख कर ही बनाते हैं। इनके रहते चरित्र-निर्माण स्वप्नवत् हो रहा है ।

पंजाब की चकबन्दी के लिये हमने बहुत सी बातें सुनीं, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां की चकबन्दी बड़ी निर्दोष रही है । वहां बड़ी ईमानदारी से काम हुआ है और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने पाया है । एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक असंतोष के बढ़ने की बाबत कहा गया है और यह कहा गया है कि वह जनता में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है फैल रहा है तो मैं समझता हूं कि जितना हम समानता के निकट आते जायेंगे उतना ही समाज में असंतोष बढ़ता चला जायगा। (disparity) डिस्पैरिटी कम करना है चाहे ऊपर उठा कर या नीचे को होकर कल मैंने हाउस में बड़ी अजीब सी एक बात सुनी और वह थी केन डेवलपमेन्ट सोसाइटी को बंद करने के बारे में । पता नहीं जमाना आगे की तरफ को जा रहा है या पीछे की तरफ लेकिन यह बात तो १९वीं सदी की मालूम पड़ती है । हमारे अन्दर जो असंतोष है वह तो इसलिये है कि जो साधन सम्पन्न हैं वह नहीं चाहते कि समाज के अन्दर जो फर्क है, वह खत्म हो जाय । जहां तक आदर्श गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं कि जो यह इतनी भारी और बड़ी रकम के लिये बजट बना है इससे प्रदेश का लाभ ही होगा, परन्तु हमारे वित्त मंत्री जी को यह भी जान लेना चाहिये कि हमारी सरकार जनप्रिय है और सरकार के जनप्रिय होने के नाते उसे जनता का नैतिक स्तर ऊंचा उठाना होगा, उसको उसके नैतिक चरित्र, को सुधारने की तरफ जरूरत से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा । इसके लिये इस बजट में हमारा और हमारे प्रदेश के लोगों का चरित्र ऊंचा उठाने के साधन भी होने चाहिये । हमारे साधन इंसान की फिजिक को ही नहीं उसकी (सोल) आत्मा को भी बनाने वाले होने चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ अपने वित्त मंत्री महोदय को ऐसे कल्याणकारी बजट बनाने के लिये बधाई देता हूं ।

*श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)---जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, जो बजट हमारे सामने वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसकी मेरे विचार में दो विशेषतायें हैं। सब से बड़ी विशेषता तो यह है कि इसमें जितने आइटम्स पर खर्च किया गया है उसमें से अधिकतर जनहित कार्य के लिये हैं। फिर भी जब लोग यह कहते हैं कि यह वेलफेयर स्टेट नहीं है तो मुझे सुन कर ताज्जुब होता है। दूसरी जो विशेषता इस बजट की है वह यह है कि जनहित कार्य करते हुए भी इसमें जितनी मदों में खर्चा किया गया है उनके लिये कोई नया कर नहीं लगाया गया। इसके अतिरिक्त मैं इसकी विशेष मदों पर अपने कुछ विचार आपके सामने रक्खूंगा। सब से पहले मैं शिक्षा के विषय में कुछ कहूंगा। संतोष की बात है और हर्ष की बात है कि ७७ करोड़ रुपये के बजट में शिक्षा पर इस वर्ष ९ करोड़ ४७ लाख रुपया रक्खा गया है। यह विगत वर्ष के बजट से ९१ लाख ७९ हजार रुपया अधिक है। इससे हमें संतोष होना चाहिये। मैं तो यह समझता हूं कि वह दिन भी दूर नहीं है कि जिस समय हमारा बजट शिक्षा के लिये और अधिक बढ़ेगा। पुलिस के ऊपर ७२१ लाख रुपया खर्च हुआ है, उसमें खर्च करने पर जो कुछ भी बचत हो वह हम शिक्षा के ऊपर खर्च कर सकें, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये। अब मैं शिक्षा के तीन विभागों पर कुछ जिक्र करूंगा। पहला विभाग युनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी विभाग में प्रसन्नता की बात यह है कि २ लाख ९५ हजार रुपये की वृद्धि हुई है। दूसरी बात जो प्रसन्नता की है वह यह है कि लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज का १ लाख रुपया का टोकेन ग्रांट दिया गया है जिससे उनमें ५० लाख रुपये का डेफिसिट जो है वह पूरा किया जायगा और दोनों यूनिवर्सिटियों का हर साल लगभग १.२५ लाख रुपया सूद देना पड़ता है, यह उन पर एक बहुत बड़ा बोझ है जहां इतनी बात मैंने यूनिवर्सिटीज के बारे में कही वहां मैं २, ३ बातें विशेष रूप से और कहना चाहता हूं। सबसे प्रथम बात जो मैं यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक एम्फेसाइज करना चाहता हूं वह रिसर्च की है। बहुधा देखने में आया है कि हमारे प्रोफेसरान जो कुछ वृद्ध हैं वह एज लिमिट के कारण ६० वर्ष के बाद रिटायर कर दिये जाते हैं। मेरा कहना यह है कि जिन लोगों की आउट स्टैंण्डिग रिसर्च में अच्छी रही हो उनको अवसर दिया जाय कि वह फिर रिसर्च कर सकें। यूनिवर्सिटीज में कुछ रिसर्च प्रोफेसरशिप्स रखी जाती हैं और जो लोग रिसर्च करते हैं उनको ७५ रुपये मासिक रिसर्च प्रोफेसरशिप दी जाती है। उसमें उनको २५ रुपये फीस का देना पड़ता है इस तरह से उनको केवल ५० रुपये बचते हैं। यदि आप देखें कि एम० ए० और एम० एस० सी० पास करने के बाद वह ५० रुपये में कैसे बसर कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जो रिसर्च प्रोफेसरशिप दी जाती है वह कम से कम २०० रुपये से और अधिक से अधिक २५० रुपये होनी चाहिये। इससे कम में उनका बसर होना कठिन है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यूनिवर्सिटीज में गांधियन फिलासफी को स्थापित किया जाना चाहिये। इसकी अहमियत बताने की जरूरत नहीं है। रोज कहा जाता है कि हमारे देशवासियों का स्तर गिरता चला जाता है। यदि चेयर्स की स्थापना हर यूनिवर्सिटी में हो जायगी तो इससे हमें अपना मारल स्टैन्डर्ड ऊंचा उठाने में काफी सहायता मिलेगी। यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने लोगों से इस हाउस में और पेपर्स में सुना है ऐकेडेमिक ऐटोनामी के बारे में बात करते और वह कहते हैं कि यूनिवर्सिटी अफेयर्स में ऐडमिनिस्ट्रेशन का हाथ नहीं होना चाहिये।

अगर उनकी बात को मान लिया जाय तो फिर आप देखें कि आपके देश में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वह कायम रह सकती हैं। अक्सर लोग कहा करते हैं कि पालिटिक्स से उनको अलग रखना चाहिए। मैं आपके जरिये से बतलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष में सब से प्राचीन जो विश्वविद्यालय है, मेरा मतलब हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस से है,

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी]

जिसकी स्थापना श्री मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, वह भी एक राजनीतिज्ञ थे। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने कुछ नाम पेश करना चाहता हूं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी को श्री मुकर्जी जी ने स्थापित किया था, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने की थी। यह लोग भी बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ थे। बम्बई और पूना यूनिवर्सिटी को श्री गोखले ने कायम किया था। इसी तरह से मैं आपके सामने कुछ और मिसालें रखना चाहता हूं। श्री लक्ष्मण स्वामी ने मद्रास विश्वविद्यालय, श्री रामा स्वामी आर्य ने अनामाली विश्वविद्यालय, सर मिर्जा इस्माइल ने मैसूर और जयपुर यूनिवर्सिटी, श्री हंस मेहता ने बड़ौदा यूनिवर्सिटी और श्री आचार्य नरेन्द्रदेव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में काम किया है और आजकल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में काम करते हैं। डाक्टर बृजेन्द्र स्वरूप ने आगरा विश्वविद्यालय में भी काफी काम किया है। इन नामों से आपको पता चलेगा कि सब लोग राजनीतिज्ञ थे। मैं तो समझता हूं कि यह जो विश्वविद्यालय हैं वह एक फेमली की तरह से हैं। इसमें किसी में एक दूसरे में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने एक कान्फ्रेंस जो लन्दन में हुई थी उसकी कुछ बातें रखना चाहता हूं। उसमें यह लिखा हुआ है :—

Extract from an article entitled "Academic Autonomy in effect" by H. C. Dent, Editor of Times Educational Supplement, London and author of a number of books on educational subjects.

"We (that is the University Grants Committee) believe that the relationship between the State and the universities which is now being evolved may properly be conceived as a form of partnership. On our side of universities there is every evidence of a progressive spirit and of the genuine desire to accommodate their policies to the various demands of the public interest; on the side of Government there is full recognition of the overriding duty of those who follow the academic path to ascertain the truth and to proclaim it without respect to the convenience of Government."

आगे चल कर उसमें लिखा हुआ है :—

"In July 1946 the Committee of Vice-Chancellors and Principals wrote that the universities entirely accept the view that the Government has not only the right but the duty to satisfy itself with every field of study which in the national interest ought to be cultivated in Britain is—in fact being cultivated in the university system and that the resources which are placed at the disposal of the universities are being used with full regard both to efficiency and to economy."

स्टेट और यूनिवर्सिटी का संबंध दिखाया गया है कि वहां ऐसा होना चाहिये। उसके लिये यह है—

"Without the State the universities can not obtain sufficient funds to enable them to do their work. Without the universities there would be no way of meeting the needs of men and women adequately trained to advance knowledge and to hold positions of responsibility in Government industry and the professions."

इसके बाद मैं अब हायर सेकेन्डरी एज्यूकेशन के विषय में कहूंगा। मेरे विरोधी दल के एक सदस्य ने हायर सेकेन्डरी एज्यूकेशन का जिक्र करते हुये कहा था कि आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित हुये लगभग ८ महीने हो गये और इस पर सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपके द्वारा श्रीमन्, यह बतलाना चाहता हूं कि मैं माध्यमिक परिषद का सदस्य हूं और उसी सदस्य होने के नाते यह कहता हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट पर परिषद् ने विचार किया और अपने विचार सरकार के पास भेजे हैं। मेरा ख्याल है कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में सरकार अपना कोई डिसीजन देगी। इसके अतिरिक्त आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने टेक्निकल एज्यूकेशन और वोकेशनल एज्यूकेशन के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव उपस्थित किये थे। हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट बोर्ड और टेक्निकल एज्यूकेशन कमेटी जो नियुक्त की गई है वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही बोर्ड के समक्ष रखेगी।

इसके अतिरिक्त मैं थोड़ा सा प्राइमरी एज्यूकेशन के सम्बन्ध में कहूंगा। प्राइमरी एज्यूकेशन के सम्बन्ध में जैसा यहां पर सदन के कई सदस्यों ने कहा है कि उसमें रिआर्गेनाइजेशन की अत्यन्त आवश्यकता है तो मैं भी इससे सहमत हूं और मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही सरकार इस ओर ध्यान देगी और इसके लिये एक कमेटी बनायेगी।

इसके अतिरिक्त मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान चिल्ड्रेन्स ऐक्ट के बारे में दिलाना चाहता हूं। प्रस्तुत बजट में चिल्ड्रेन्स के लिये २० हजार रुपये की रकम रखी गई है। यह रकम रखी गई है मगर यह ऐक्ट तो अभी तक इम्पलीमेन्ट नहीं हो सका है। यह ऐक्ट सन् ५१ में हमारे प्रदेश ने पास किया था और इस ऐक्ट से बालकों को कितना लाभ होगा, यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष गवर्नमेन्ट इस ऐक्ट को अवश्य लागू करेगी।

अब मैं आपसे कुछ बातें चिकित्सा विभाग के सम्बन्ध में कहूंगा। चिकित्सा विभाग के लिये इस साल २.६५ करोड़ की रकम रखी गई है। यह रकम पिछले वर्ष से १९ लाख अधिक है। इस सम्बन्ध में मेरे दो सुझाव हैं। अभी हाल ही में मुझे रायबरेली जाने का अवसर हुआ था तो वहां मैंने देखा कि एक सुन्दर अस्पताल सरकार ने बनाया है और वहां पर जो कमी है वह यह है कि उसमें कोई एटेन्डेन्ट का प्रबन्ध नहीं है। मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां एक अटेन्डेन्ट्स अवश्य देना चाहिये।

दूसरी बात मेडिकल बजट के सम्बन्ध में जो मुझे कहनी है वह यह है कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक कालेज खोला गया है तो उसमें इस वर्ष के लिये ५० हजार रुपये की ग्रान्ट रखी गई है। बजट को देखने से पता चलता है कि आयुर्वेदिक अस्पताल को कोई ग्रान्ट नहीं है। कोई भी मेडिकल कालेज या लखनऊ का कालेज इसको नहीं चला सकता है, जब तक यह उसके साथ अटैच न हो। जो इसके लिये ग्रान्ट दी गई है वह भी पूरी नहीं है। २७ हजार रुपया वैद्यों और हकीमों के लिये बहुत कम है।

पुलिस के सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा सरकार से दो बातें कहूंगा। एक बात तो यह है कि आगरा या उसके समीपवर्ती जिलों में अभी तक मानसिंह और अन्य डाकुओं के गिरोह को पकड़ने का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ, जिसके कारण वहां गांव के लोग भाग कर शहरों में आ रहे हैं, गांव उजड़ते जा रहे हैं, इसका जितना जल्दी प्रबन्ध हो सकें उतना अच्छा होगा।

जेल के सम्बन्ध में मुझे विशेष तौर से रिफार्मेटरी स्कूल के सम्बन्ध में कहना है। इस स्कूल का बजट देखने से मुझे मालूम हुआ है कि पारसाल इस मद के लिये २६,३०० रुपया रखा गया था और इस वर्ष केवल २४,७०० रुपया रक्खा गया है। इस प्रकार इस साल करीब १६ या १७ सौ रुपये की ग्रान्ट कम कर दी गई है। मेरा रिफार्मेटरी स्कूल से थोड़ा सा सम्बन्ध है और वहां की टोटल स्ट्रेन्थ जहां पहले ८४ थी वहां पर अब ७६ इन्मेट्स है। फिर बजट को देखने से मालूम होता है कि वहां केवल ५४ इन्मेट्स के लिये प्रबन्ध किया गया है।

डिप्टी चेयरमैन--आप जरा समय का भी ध्यान रखिये।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी--जी अच्छा। जुडीशियरी के सम्बन्ध में भी मेरे एक मित्र ने कल बहुत बड़ा आक्षेप किया था। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश की जुडीशियरी करप्ट है। मैं यह सुन कर स्तम्भित हो गया। मैं नहीं जानता कि उनके पास इसकी क्या जानकारी है। मेरा कचहरी और बार से ३० वर्ष का पुराना सम्बन्ध है। उसके अनुभव में मैं, श्रीमान्, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक हमारे प्रदेश की जुडीशियरी है वह इंडिपेन्डेन्ट और इन्टीग्रिटी के लिये प्रसिद्ध है, फिर इस प्रकार का आरोप करना मेरी समझ में नहीं आता कि कहां तक उचित है।

डिप्टी चेयरमैन--आपका समय समाप्त हो गया। अभी बहुत से बोलने वाले मेम्बर हैं, उनको भी समय मिलना चाहिये।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी--मैं एक बात और कह कर समाप्त करता हूं। मुझे केवल ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में एक दो बात कहनी है। पहली बात जो एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में है वह यह है कि हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट्स जो सेक्रेटेरिएट में हैं उनका हमारे डिस्ट्रिक्ट से टच कम होता जा रहा है। मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनको समय-समय पर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाय और इस तरह से उनका सम्पर्क बढ़ाया जाय। अब चूंकि समय नहीं रह गया है, इसलिये मैं इतने में ही समाप्त करके अन्त में वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और अपनी स्पीच समाप्त करता हूं।

श्री श्याम सुन्दर लाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगले वर्ष यानी ५४-५५ के बजट में अन्न, वस्त्र, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बिजली इत्यादि का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा गया है और पंचवर्षीय योजना को कार्यरूप में परिणत करने का पूरा प्रयत्न किया गया है। इस कल्याणकारी बजट के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। छोटे और गृह उद्योगों के लिये बराबर हमारी राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती आई है और इस बजट में धनराशि का प्राविजन इसलिये किया गया है कि इसके जरिये से एक फाइनेन्स कारपोरेशन बने, जिसकी पूंजी ३ करोड़ रुपया हो और उस रुपये से छोटे तथा गृह उद्योगों के लिये ऋण दिये जायं। इस व्यवस्था की मैं सराहना करता हूं और स्वागत करता हूं, क्योंकि इससे छोटे-मोटे उद्योग तथा घरेलू धन्धों को प्रोत्साहन मिलेगा और बहुत से अनइम्प्लाइड लोग इस तरह से उद्योग-धंधे में लग सकेंगे।

अब मुझे कुछ बातें अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा और उत्थान के विषय में कहना है। पहली बात यह है कि चालू वर्ष में इस मद में ५४ लाख ५५ हजार रुपये का प्राविजन किया गया था और इस बजट में अर्थात् आगामी वर्ष के बजट में ७० लाख का प्रावीजन किया गया है। शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है ४६-४७, में उनकी शिक्षा के लिये ६ लाख खर्च किया गया था और चालू वर्ष में उस पर लगभग ३५ लाख खर्च हो जायेगा। सन् १९४७ में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या १०० थी और इस समय उनकी संख्या लगभग २००० है। जो सुविधायें सरकार उन्हें दे रही है और आगामी वर्ष में जो प्राविजन उनकी शिक्षा और उत्थान के लिये किया गया है उसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या बहुत काफी है और वह टोटल पापुलेशन के लगभग पांचवां हिस्सा है। उनके उत्थान सम्बन्धी अन्य कार्यों के अतिरिक्त हमारे प्रदेशीय सरकार की यह निश्चित नीति है कि उन्हें ऊंची शिक्षा मिले और वह ऊंचे स्थानों पर जा सकें, जिसके फलस्वरूप उनका स्तर ऊंचा हो। उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में यह अनुभव से प्रतीत होता है कि हाई स्कूल तक तो लड़के पढ़ते जाते हैं, परन्तु इन्टरमीडियेट क्लास में उन्हें उनकी आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण

कठिनाई होती है। बहुत से इच्छुक उत्साही तथा डिजर्विंग छात्र निराश हो जाते हैं। उन्हें पढ़ाई समाप्त करने के लिये बाध्य होना पड़ता है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि जैसे डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में परिगणित जाति के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है वैसे ही इन्टरमीडियेट क्लास में भी परिगणित जाति के सभी छात्रों को छात्र-वृत्ति देने की सरकार कृपा करे। इसकी सहायता से उन्हें इन्टरमीडियेट स्टेज से उत्तीर्ण होकर उच्च शिक्षा के लिये यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने का मौका होगा और इस तरह से वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

दूसरी बात मुझे उनके छात्रावास के विषय में कहनी है। सरकार ने उनके छात्रावास का प्रबन्ध किराये के मकानों में किया है, उसका सरकार किराया देती है और अन्य सुविधायें देती हैं। परन्तु यह छात्रावास बस्तियों में हैं। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि उनके लिये छात्रावास का प्रबन्ध लखनऊ तथा इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी एरिया के अन्दर किया जाय और उनके लिये छात्रावास वहां बना दिये जायं। बेहतर तो यह है कि जो होस्टल वहां है उसमें उन्हें भी स्थान दिया जाय। लेकिन इस वक्त दोनों ही जगह जो होस्टल हैं वह पूरे भरे हुये हैं, इस कारण उनमें वह एकोमोडेट नहीं हो सकते। उनके लिये छात्रावास से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि सिर्फ यही व्यक्ति उसमें रहें बल्कि अन्य लड़के भी उसमें रहें। मेरा अभिप्राय केवल यह है कि यूनिवर्सिटी एरिया में रहने से वहां के एटमासफीयर में रहेंगे तथा यूनिवर्सिटी की कारपोरेट लाइफ में सम्मिलित होंगे और इस तरह से वे यूनिवर्सिटी ऐजुकेशन का पूरा लाभ उठा सकेंगे।

तीसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है वह उनकी टेक्निकल एजुकेशन के विषय में है। बख्शी का तालाब तथा अन्य सरकारी स्कूलों में उन्हें टेक्निकल शिक्षा दी जा रही है और वहां से उत्तीर्ण होने पर उनके सामने उद्योग-धन्धों का प्रश्न होता है। वैसे तो सरकार छोटे-मोटे उद्योग-धन्धों के लिये उन्हें आर्थिक सहायता देती है। लेकिन मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके अतिरिक्त उन्हें सरकारी डिपार्टमेन्ट्स में भी जगहें दी जाया करें। जैसे किसी ने मोटर का काम सीखा हो तो उसको ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट में जगह दे दी जाय।

चौथी बात यह निवेदन करना है कि यहां लखनऊ में गरीब लोगों के रहने के स्थान बड़ी शोचनीय अवस्था में हैं। वह उन स्थानों में रहते हैं जैसे चार बाग के पास केनाल एरिया में, मोलवी गंज में नाले पर तथा अन्य स्थानों में ऐसे दूषित वातावरण तथा स्टिंकिंग स्मेल में वे अपने परिवारों सहित जीवन व्यतीत करते हैं और बहुधा भयंकर रोगों से ग्रसित रहते हैं। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन गरीब तबके के लोगों के लिये भी खुली जगहों में चाहे हायर परचेज सिस्टम में या जैसे सरकार उचित समझे उनके लिये रहने का इन्तजाम करे। मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि यहां लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट्स ट्रस्ट ने कई प्रोपोजल इस विषय में सरकार के पास भेजे हैं और वह सरकार के विचाराधीन हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने का संकेत अपने बजट भाषण में किया है जो हाउसिंग प्राब्लम को कन्सीडर करेगी। मेरा अनुरोध है कि वह कमेटी उन गरीब लोगों के लिये भी इन्तजाम करे। वे ऐसे स्थान पर बसाए जायं जहां शुद्ध जलवायु उन्हें प्राप्त हो और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं और इस बजट का स्वागत करता हूं।

*श्री लल्लू राम द्विवेदी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश किया गया है उस पर बहस चल रही है। मैं भी इस बजट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकतायें तीन होती हैं। उसको भोजन चाहिये, कपड़ा चाहिये और रहने के लिये मकान चाहिए। बजट के आंकड़े

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री लल्लू राम द्विवेदी]

देखने से मालूम देता है और बजट इस बात का प्रतिबिम्ब है कि अन्न के मामले में हम स्वावलम्बी हैं। अनाज बाहर से मंगाने की समस्या आज नहीं है और आज समस्या यह है कि जो अनाज हमारे पास स्टाक में था उसको बाजार में बेचा जाय और उसको निकाला जाय। कन्ट्रोल जिसकी वजह से हमको बहुत दिक्कत थी और करप्शन था और अच्छा अनाज नहीं मिलता है, आज कन्ट्रोल खत्म हो गया है और सरकार के रेवेन्यू में २ करोड़ की बचत हुई है। यह बजट जाहिर करता है कि मनुष्य की पहली आवश्यकता पूरी हो गई।

दूसरी आवश्यकता कपड़े की है। कपड़े का कन्ट्रोल खत्म हो गया है और उत्पादन बढ़ गया है और ३३ फीसदी तक भी कहीं कहीं बढ़ गया है और कपड़े का दाम भी कम हो रहा है। हमारा प्रदेश कपड़े के मामले में स्वावलम्बी है। बल्कि कपड़ा हम बाहर भी भेज देते हैं और उससे दूसरी जरूरत की चीजें हासिल करते हैं।

तीसरी बात मकान की थी। मकान की समस्या में अभी सचमुच लोगों को कठिनाई है। मगर बजट में जो आंकड़े हैं वह इंगित करते हैं कि इस तरफ भी सरकार का ध्यान जा रहा है। जहां तक मध्यम श्रेणी का संबंध है उसके लिए भी प्राविजन किया गया है। बजट में कई लाख रुपये का दो तीन जगहों के लिये प्राविजन है और खासतौर से हमारे श्रमिकों के लिये भंगियों के लिये भी प्राविजन है। साथ ही साथ इस तरफ भी ध्यान गया है कि सहकारी समितियों के द्वारा ईंटों के भट्ठे चलाये जायं। जो भट्ठे बनाए गए हैं वे ज्यादातर देहातों में चल रहे हैं। देहातों में पक्के मकान भी बन रहे हैं। यह कहना कि मकानों की समस्या बड़ी विकट है किसी हद तक ठीक हो सकता है, परन्तु सब के लिये नहीं। नगरों की १५ फीसदी जनता के लिये जरूर कठिनाई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक हाउसिंग कमेटी बनाई जा रही है। यह एक शुभ चिन्ह है मकानों की समस्या हल करने के लिए। हां, मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूं। छोटे-छोटे कस्बे जहां हैं वहां अफसरों की संख्या बढ़ जाने से कुछ समस्या पैदा हो गई है। मैं सरकार के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि वह गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की सहयोग समितियां बनाये। इससे उनकी समस्या हल होगी, उनको भी सहूलियत मिलेगी। हाउसिंग कंट्रोल ऐक्ट जो बना है उससे संबंधित मकानों की समस्या हल करने के लिये जो सहकारी समितियां बनी हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज इस वक्त भी इन कमेटियों का कार्य किन्हीं जिलों में ठीक तरह से नहीं संचालित हो रहा है। वहां के जिलाधीश अपनी मनमानी कर रहे हैं। कमेटियों की मीटिंगें नहीं की जाती हैं।

कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के जीवन की तीन आवश्यकतायें इस बजट में प्रतिबिम्बित हैं। अब मैं बजट के दूसरे अंग को लेना चाहता हूं। कहा यह गया है कि हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मैं अपने विरोधी दल के मित्रों से जिन्होंने ऐसा कहा है निवेदन करूंगा कि अगर परचेजिंग पावर कम हो रही है तो क्या वजह है कि शुगर का उत्पादन जो पहले ९ लाख टन था आज १५ लाख टन हो गया है। आज सीमेन्ट की इतनी मांग है कि हमारे प्रदेश की सरकार को सौराष्ट्र से सीमेन्ट मंगाना पड़ रहा है। लोहे की मांग भी बढ़ रही है। और जैसा कि मैंने निवेदन किया ईंटों की मांग भी बढ़ रही है और मकान भी बन रहे हैं ऐसी सूरत में यह कहना कि हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है सही नहीं मालूम पड़ता। इसमें विरोधाभास है। यह बात अवश्य है कि अब तक जो प्रिविलेज्ड क्लास था, जो सम्पन्न क्लास था उनमें शक्ति थी कि अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद कर रख लेता था, मगर आज उस क्लास में यह होर्सिंग की जो शक्ति थी वह निस्संदेह समाप्त हो गई है और

मेरी राय में इक्वीटेबुल डिस्ट्रीब्युशन की दृष्टि से ऐसा होना जरूरी भी है। ऐसी अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है। कामन मैन की हालत कमजोर हो रही है। यह बजट कामन मैन का बजट नहीं कहा जा सकता। यह बात ठीक नहीं मालूम होती है।

मेरी गुजारिश यह है कि हमारे प्रदेश में ८५ फीसदी काश्तकार रहते हैं और १५ फीसदी शहर के रहने वाले हैं। आज अगर आप ८५ फीसदी काश्तकारों की हालत को देखें तो आपको मालूम होगा कि उनके पास अच्छे बैल हैं। वहां टाइलेट का सामान जाता है। ज्यादातर गांवों में स्कूल मौजूद हैं। वे भी आज आराम की सामग्री चाहते हैं। आज उनकी हालत पहले से बहुत अच्छी है। जब ८५ फीसदी जनता की हालत अच्छी है तो फिर यह कहा जाय कि यह कामन मैन का बजट नहीं है, यह मुनासिब मालूम नहीं होता। जनतंत्र के युग में ऐसा नहीं हो सकता कि सभी की हालत सुधर जाय। जब समाज का नया ढांचा बनता है यह ध्रुव बात है कि समाज के एक अंग को तकलीफ उठानी पड़ती है। जमींदारी का विनाश हुआ, उसमें कुछ जमींदारों को तकलीफ हुई। इसी तरह से जब सरकार का ध्येय है कि हमें खेती बढ़ाना है, सिंचाई बढ़ाना है, विद्युत् बढ़ाना है, तो जरूर दूसरी तरफ से हमारा ध्यान हटेगा, ग्रेटेस्ट गुड टू दी ग्रेटेस्ट नम्बर (greatest good to the greatest number) यह बजट का ध्येय है। यह किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता कि यह कामन मैन का बजट नहीं है। समाज के दूसरे पहलू पर भी इस बजट में काफी झलक है। हरिजनों के लिये पहले ५-६ लाख रुपया खर्च किया जाता था, आज उसकी संख्या ३५ लाख हो गई है। हरिजनों को वजीफा दिया जा रहा है। स्त्रियों के लिये भी एक विशेष स्कीम चलाई जा रही है। जो स्कीम पहले केवल १२ जिलों में थी वह २३ जिलों में होने जा रही है। उस पर ५ लाख रुपये खर्च होने जा रहे हैं जब कि पहले केवल २ लाख रुपये खर्च होते थे। शिक्षा के विषय में भी काफी प्रकाश डाला गया है। एक बात इस बार नई की गई है जो पिछले दफा देखने में नहीं आई थी, शिक्षा का ढांचा ही रिमाडेल किया जा रहा है। सामूहिक विकास के लिये विभिन्न केन्द्र बनाये जा रहे हैं। कृषि को साइंटिफिक तरीके से करने के साधन जुटाये जा रहे हैं। उत्पादन के मामले में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत गुंजाइश है। हायर सेकेन्डरी स्कूलों को मल्टी परपज इन्सटीट्यूशन्स बनाया जा रहा है। उसमें एक प्रिंसिपल है और फन्डामेन्टल प्रिंसिपल यह है कि जो हायर सेकेन्डरी स्कूलों से बच्चे पढ़ कर निकलते हैं उनका नुक्तेनजर यह होता है कि हम नौकरी करें तो उस नुक्तेनजर को बदलना है, इसलिये उनको ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जायगी ताकि वह वहां से पढ़ने के बाद नौकरियों के लिये न घूमते फिरें और स्वावलम्बी बन सकें। अपने जीवन के लिये जीविका उपार्जन कर सकें और उनको उसके लिये दूसरे का मुंह न ताकना पड़े। तो मेरा सरकार से यह कहना है कि शिक्षा में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि जो कदम इस वक्त हम उठावें फिर उसके बाद वह कदम हमको दोहराना पड़े। इसमें अच्छी तरह से विचार कर लिये जायं और अगर जरूरत हो तो दूसरी कमेटी बना कर इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करवाया जाय और फिर विचार करने के बाद हम एक क्रान्तिकारी योजना तैयार करें और फिर लोगों में यह असन्तोष न हो कि शिक्षा का ढांचा गलत जा रहा है। प्राइमरी एजूकेशन की बाबत हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। पहले अंग्रेजों के जमाने में मान्टेसरी स्कूल छोटे बच्चों के लिये कायम हुये थे, लेकिन अब उन स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के इन्सटीट्यूशन्स हमको बनाना चाहिये।

अब बुन्देलखंड की सिंचाई की जो योजना मंजूर की गई है उसके लिये सरकार को मुबारकबाद देता हूं, पर यह बात जरूर कह देना चाहता हूं कि अभी सिंचाई की जितनी स्कीम चालू की है उससे केवल १४ फीसदी सिंचाई हो सकती है। जब कि

[श्री लल्लू राम द्विवेदी]

मेरठ और दूसरे पूर्वी जिलों में सिंचाई ४० फीसदी तक होती है। जो योजना बुन्देलखंड के लिये बनाई गई है उससे १४ से १६ फीसदी तक सिंचाई होगी। माताटीला स्कीम जो अभी चालू है उस स्कीम के बारे में वित्त मंत्री से मैं यह कहना चाहता हूं कि माताटीला स्कीम मल्टीपरपज योजना में तब्दील होना चाहिये। यहां जो बिजली का उत्पादन होगा वह माताटीला की स्कीम में साढ़े पांच पाई फी यूनिट होगा और इस तरह से वह रेहन्ड डैम योजना से कम ही होगा। बुन्देलखंड जो एक पिछड़ा हुआ देश है उसमें अभी बिजली आने के बाद कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिये बहुत मौका है। बिजली आने से वहां काफी उन्नति होगी और वह प्रदेश का एक बड़ा अच्छा भाग बन जायगा। आज वहां श्रमदान से जो काम हो रहा है वह इस बात का सूचक है कि वहां रिस्पान्स अच्छा है। विरोधी दल से यह कहा गया कि बजट यह जाहिर नहीं करता कि लोगों को उसमें दिलचस्पी है, यह भी कहा गया कि गांव का बैलेन्स बिगड़ रहा है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब हमारा डिसेन्ट्रलाइजेशन कायम हो गया और गांव सभायें कायम हो गईं तो देहाती जीवन में एक चेतना है, एक स्पन्दन है, एक जागरण है और उस स्पन्दन, उस जागरण का यह नमूना है कि आज श्रमदान में हजारों मील लम्बी सड़कें, नालियां और तालाब खोदे जा रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि जो हमारा फाइव ईयर प्लान है और जिसको पूरा करने का इरादा इस बजट में मिलता है वह कामयाब होकर रहेगा। जो निश्चय अभी तक हमने किया उसको हमने पूरा किया और आज बजट देखने से यह बात साफ जाहिर होती है कि अब हमारा ध्यान इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है और एजूकेशन की तरफ जा रहा है।

इंडस्ट्री के लिये हमने इंडस्ट्रियल कारपोरेशन बना कर २५ लाख रुपये की गुंजायश की है और हैन्डलूम इंडस्ट्री के लिये भी २१ हजार रुपये का इंतजाम किया है। इंडस्ट्री की दिशा में भी इस बजट में काफी अच्छा प्राविजन किया गया है। हां, यह बात जरूर है कि बजट में टाउन एरियाज के लिये जिनकी संख्या २६५ के करीब हैं, कुल ५० हजार रुपया रक्खा गया है जो बहुत ही कम है। म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हालत किसी से छिपी नहीं है और अगर हमें नगरों की उन्नति करनी है, उनकी सफाई की उन्नति करनी है, उनके ड्रेनेज को अच्छा बनाना है, वहां पानी की सुविधा देना है तो बजट में उसके लिये और ज्यादा प्राविजन होना चाहिये, क्योंकि बजट में जो रकम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड्स के लिये रक्खी गई है वह तो सिर्फ वहां के अध्यापकों के लिये ही काफी होगी, उससे वह अपनी सड़कें नहीं बना सकेंगे और समाज की उन्नति के लिये जो दूसरी जरूरी चीजें हैं उनकी तरफ अपना ध्यान नहीं दे सकेंगे।

ट्रान्सपोर्ट हमारे बुन्देलखंड में बहुत कम है। सूबे के और दूसरे हिस्सों में आपने ट्रान्सपोर्ट के लिये रास्ते लिये हैं, बसें चलाई हैं, लेकिन हमसे झांसी, जालौन और हमीरपुर के जिले वालों ने यह मांग की थी कि झांसी से कालपी की सड़कों को भी उसी स्कीम के अन्दर ले लिया जाय, उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया इस ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अंत में मैं यह कह कर कि हमारा बजट एक कल्याणकारी राज्य का बजट है और माननीय वित्त मंत्री जी ने सर्वोदय समाज की उन्नति के लिये उसकी बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें ढूंढ कर बजट तैयार किया है और वह एक शानदार और सुवासित पुष्पों की माला कल्याणकारी राज्यदेवी के सम्मान के लिये प्रस्तुत की गई है, जो एक सराहनीय कार्य है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हां, अगर यहां विरोधी पक्ष के लोगों को उसमें खुशबू न आती हो और सिर्फ कांटे ही दिखलाई पड़ते हों तो दूसरी बात है। यह तो हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि अगर हम अच्छे-अच्छे पुष्पों को चुन कर उनकी माला गूंथ कर तैयार करते हैं तो हमें कांटों की चिन्ता नहीं होनी चाहिए। जो गुल के आशिक

हैं उन्हें खार का क्या खटका। जिनको अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखलाई पड़ता है, उजाले की कोई किरण नहीं दिखाई पड़ती उन्हें हम कहां तक उजाला दिखा सकते हैं। उनके लिये तो सब कुछ एक सा है नथिंग गुड फार बैड (nothing good for bad) में यही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री हयातुल्ला अन्सारी (नाम निर्देशित)—जनाब वाला, असेम्बली में जो तकरीरें हुई उसमें बाज बातें ऐसी हो गई जिसकी वजह से मुझे मुनासिब मालूम हुआ कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर दूं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब यहां अंग्रेजों ने अदालतों में उर्दू रायज की उस वक्त कुछ लोगों ने कोशिश की कि अदालतों में हिन्दी और देवनागरी कोभी रायज किया जाय। उस वक्त उर्दू वालों ने और उस वक्त की हुकूमत ने उसकी मुखालिफत की। हिन्दी की इस सख्त मुखालिफत को कम से कम ३० साल हुये हैं और आज भी उस वक्त के मुकाबिला करने वालों में से कुछ सूर्मा मौजूद हैं। इसके बाद दूसरा मुकाबिला हिन्दी का उस वक्त हुआ जब मुस्लिम लीग अपने पूरे जोरों पर आई। यह वह वक्त था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक जबरदस्त जद्दोजहद चल रही थी, उस वक्त भी मुस्लिम लीग के मानने वालों ने हिन्दी की सख्त मुखालिफत की। इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि हिन्दी के मानने वालों के दिमाग में अपने मुखालिफीन के खिलाफ इतने जबरदस्त ख्यालात पैदा हो चुके हैं, जो हटाये नहीं जा सकते। जहां भी किसी ने उर्दू का नाम लिया फौरन उसको मुस्लिम लीगी, देश-द्रोही और न जाने किन-किन नामों से पुकारा जाता है। सिर्फ इसलिये कि वह उर्दू से काफी चिढ़ से गये हैं। अगर आप उनके दिल देखें तो आज भी उनके दिल में तकलीफें बाकी हैं। गो कि उनके जो जजबात हैं उनकी कोई ग्राउन्ड नहीं है। उनका ताल्लुक सिर्फ उससे है जो पहले हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि हमारी रवायात इतनी सख्त हैं कि उससे कोई निकल नहीं सकता है और उसी लाजिक की बिना पर आज भी उर्दू के हिमायतियों को यह कहा जाता है कि यह मुस्लिम लीगी है, पाकिस्तानी है। आजकल मैं देखता हूं कि चारों तरफ यही लाजिक छाई हुई है।

मैंने बहुत से बुजुर्गों से बातें की हैं, जिन्होंने उस लड़ाई को लड़ा है, उनका ख्याल कुछ और ही है। ५० साल होते हैं जब मैंने आंखें खोलीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस किसी ने उर्दू की हिमायत की उसे उस वक्त और आज भी लोग यही कहते हैं कि यह हिन्दी का, हिन्दुओं का और भारत का दुश्मन है। यह इसी लायक है कि इसे शूट कर दिया जाय, शीशे की गोली से नहीं, बम और गोले से नहीं, बल्कि जबान से शूट कर दिया जाय। मेरा ख्याल यह है कि ख्यालात लोगों के बदल सकते हैं, मगर रवायात नहीं बदली जा सकती।

मैं तो समझता हूं कि तमाम जमाने को बदला जा सकता है, लेकिन ख्यालात को नहीं बदला जा सकता है। अजन्ता, ताजमहल वगैरह को भुलाया जा सकता है, लेकिन हिन्दी उर्दू के झगड़े को नहीं भुलाया जा सकता है। अगर कोई शख्स जो उर्दू जानता है और वह हिन्दी से भी हमदर्दी रखता है, लेकिन आजकल लोग उसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। आजकल हिन्दी और उर्दू का मुकाबिला कहां। अब इनकी लड़ाई का जमाना नहीं रह गया है। हिन्दी अब सिर्फ टंडन जी की ही मिल्कियत नहीं रह गई है, वह अब हमारी भी है और आइन्दा हमारे आने वाले बच्चों की भी है। अब हिन्दी और उर्दू के झगड़े को भूल जाना चाहिए। अब लोगों को अपने दिलों से इस बदगुमानी को निकाल देना चाहिए। यह तो सब ही जानते हैं कि अब उर्दू हिन्दी का मुकाबिला नहीं कर सकती है। लोगों को यह बातें अपने दिल से निकाल देनी चाहिए।

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस हाउस में किसी शख्स ने कोई खास बात उर्दू के बारे में नहीं कही है, जिसका आप जवाब दे रहे हैं। यहां पर किसी प्रकार की कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं हुई है ।

डिप्टी चेयरमैन--आप बजट के बारे में बोलें, उर्दू हिन्दी का यहां पर कोई सवाल नहीं है ।

श्री हयातुल्ला अन्सारी--मैं समझता हूं कि इसका ताल्लुक बजट से है, क्योंकि एजूकेशन डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट के नुक्तेनजर से इसका ताल्लुक है।

डिप्टी चेयरमैन--यहां पर हिन्दी उर्दू के बारे में कोई बातें नहीं कही गई हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हाउस के सामने पेश कर सकते हैं। आप एजूकेशन डिपार्टमेंट को सुझाव दे सकते हैं।

श्री हयातुल्ला अन्सारी--मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस चीज का गवर्नमेंट के नुक्तेनजर से या एजूकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक है उस पर बहस की जा सकती है या नहीं ?

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री)--जनाब वाला, मैं तो यह समझता हूं कि कुंवर साहब ने जो फरमाया कि इसका ताल्लुक बजट से नहीं है वह ठीक है । क्योंकि यहां पर उर्दू के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा है कि यह होना चाहिए । हयातुल्ला साहब ने फरमाया कि इसका ताल्लुक एजूकेशन डिपार्टमेंट से है तो मैं इसको मानता हूं। लेकिन जहां तक कन्ट्रोवर्सी का ताल्लुक है उसके बारे में इस हाउस में कोई बात नहीं उठी है। यहां पर हिन्दी उर्दू के झगड़े के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है, इसलिये मैं समझता हूं, कि उसके बारे में इस वक्त यहां पर कुछ कहना ठीक नहीं है ।

डिप्टी चेयरमैन--आप उर्दू की तरक्की के लिये सुझाव पेश कर सकते हैं।

श्री हयातुल्ला अन्सारी--जनाब वाला, मैंने तो यह मुनासिब समझा कि जो गलतफहमी है वह दूर कर दी जाय। उर्दू की तालीम को बढ़ाने के लिये कोई अच्छी बात नहीं की गई है । जो इसके मकसद की शक्ल है मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूं। १९४८ ई० में एक किसी तबके में एक बच्चे ने अपने रजिस्टर में अपनी मादरी जबान उर्दू लिखी, तो उसका नतीजा यह हुआ कि वहां जितने बच्चे थे और जिनकी मादरी जबान उर्दू थी वे नहीं लिये गये और इस तरह से वे वहां नहीं रहे। इसके बाद मिस्टर सिन्हा ने एक सर्क्यूलर निकाला था कि कोई बच्चा ऐसा न हो जिसकी मादरी जबान उर्दू न हो। साल, डेढ़ साल तक ऐसा तरीका रहा। इसके बाद मिस्टर सिन्हा ने जो सर्क्यूलर निकाला था उसको विद्ड्रा कर लिया, मगर यह पूरी पावर से विद्ड्रा नहीं किया गया इसके बाद दो-एक बातें और हो गईं। उर्दू की टैक्स्ट बुक छपना बिलकुल बन्द हो गई जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने उर्दू पढ़ना ही बन्द कर दिया, क्योंकि जब टैक्स्ट बुक ही नहीं होगी तो क्या कोई पढ़ेगा। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि स्कूल में सब बच्चे जिनकी मादरी जबान उर्दू थी और जो उर्दू को एक दम से नहीं छोड़ सकते थे, वे वैसे ही रह गये, और उनकी मांग कम हो गयी । मगर चूंकि वे एक दम से उर्दू को नहीं छोड़ सकते थे और मगर मजबूरी तरीके से किसी स्कूल में ऐसा होता हो और वह भी ऐसे स्कूल में जहां कि ४० ही नहीं बल्कि ५०, ६० लड़के ऐसे हों जिनकी मादरी जबान उर्दू हो, लेकिन वे एकदम से हिन्दी नहीं ले सकते हों, तो

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

यह बात कहां तक उचित है। जबकि वहां ४० बच्चे इस जबान के मौजूद हैं और दूसरी तरफ यह बात हो कि उर्दू की टेक्स्ट बुक छपनी बन्द हो गई हो और इसके साथ ही ४० बच्चे एकदम से हेडमास्टर के पास इसके लिये न जा सकते हों, वहां क्या हालत होगी। हेडमास्टर के पास भी एक समय में ४-५ लड़के ही जा सकते थे। इस तरह से आप देखते हैं कि इतनी मैजारिटी में होते हुये भी उर्दू की क्या हालत हुई। इस तरह से तो यह जबान खत्म हो जायेगी। जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि अगर उर्दू खत्म हो जायेगी तो इससे नेशनल लास होगा। हमें इसको पुराने नजर से नहीं देखना चाहिए, हमें अपने नये फैसलों को आज अपनाने की जरूरत है। उर्दू के इस तरह से खत्म होने से जो नुकसान हमको पहुंचेगा वह बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप इस बात को देखें कि उर्दू भी एक जबान है या नहीं, तो मैं आपसे कहता हूं कि जबतक कान्स्टीटयूशन में १४ जबानें हैं और उनमें से उर्दू भी एक जबान है, तब तक इस बात में किसी तरह की बहस नहीं हो सकती है। यह एक जबान है वह आपको मानना होगा यह बात दूसरी है कि आप कह दें कि यह तो एक ब्रान्च है। लेकिन फिर भी इस तरह से मैं कहता हूं कि वह एक जबान है। आप देखिये कि हर लाइब्रेरी में उर्दू की किताबों का खजाना है। इसके लिये किसी किस्म की बहस नहीं हो सकती है। मैं तो कहता हूं कि हम लोगों को अपने उस पुरानी नजर से इस चीज को नहीं देखना चाहिए और इसके लिये कन्ट्रोवर्सी में भी नहीं पड़ना चाहिए। हम इस बात को देखें कि उर्दू का जो खजाना है और इसके लिये यदि हम कोशिश करें तो हिन्दुस्तान को ही नहीं हम इससे दुनिया को भी कुछ देने लगेंगे। मगर इसके लिये हमें सही रास्ता अपनाना चाहिए और इसको तरक्की देनी चाहिए आज हमें इसको पहले इसको पैट्रोनाईज करना है और पूरी तरह से तरक्की देना है। हमें इसको फलने-फूलने का मौका देना होगा और हमें इसके लिये कोई रास्ता अपनाना होगा। यह मसला ऐसा नहीं होगा कि जैसे यूनिवर्सिटी में आग लग गई हो या लाइब्रेरी जला दी गई हो, मैं तो कहता हूं कि इसकी तरक्की के लिये हमें इसको पूरी तरह से अपनाना चाहिए और मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको इसे पुराने नजर और किस्से के रूप में नहीं देखना चाहिए। बल्कि इसको देखना चाहिए कि इस वक्त इसमें क्या-क्या हो और अगर वह उसको बचाये तो उससे हिन्दुस्तान को कहां तक फायदा पहुंच सकता है और अगली नेशन को कितना फायदा पहुंच सकता है। मैं यकीन करता हूं कि यदि इस नजर से उसको देखे तो जैसा वह समझते हैं कि यह वैसी चीज नहीं है बल्कि हमारे कौम की, मुल्क की एक बड़ी भारी दौलत है जिससे आगे आने वाली नेशन को वाकिफ होना चाहिए।

*श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो बजट वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है उसको देखने से मालूम होता है कि उन्होंने सूबे में हर तरफ अपनी निगाह दौड़ाई है, उसको अच्छी तरह से देखभाल कर सारी चीजें इसमें रक्खी हैं। मगर मैंने कुछ चीजों पर ध्यान दिया तो देखता हूं कि जहां सब जगह ध्यान दिया गया है तहां हमारे छुट नजर अन्दाज किया गया है। भइयों की तरफ से जरा आज जब हम पुलिस को देखते हैं और मैंने पुलिस की ग्रान्ट देखी तो देखा कि आज भी उनको वही ६ आने भत्ता मिलता है जब कि आज हम लोग अगर चाय पीने जायं तो एक रुपया खर्च हो जाता है। तब फिर यह उम्मीद करना कि पुलिस वाले ६ आने में दिन भर काम करने के बाद पेट भर खाना खा सकेंगे यह जरा समझ के बाहर की चीज है। आज जब कि महगाई का समय है तो वह ६ आने में अपने दिन भर का खाना कैसे खा सकते हैं जबकि दिन भर वह मेहनत करेंगे तो ६ आने में कैसे गुजर कर सकते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान इस

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री पन्नालाल गुप्त]

तरफ दिलाना चाहता हूं कि वे इस बात का इन्तजाम करें जिससे वह दिन भर की मेहनत के बाद अपना पेट भर सकें और खाना खा सकें। जबकि वह दौरे पर जाते हैं तो ६ आने पर कैसे गुजारा कर सकते हैं। मेरी पुलिस वालों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि साहब हमारी रिश्वत की शिकायत की जाती है, हमारी शिकायत यह की जाती है कि हम देहातों में जबरदस्ती खाना खाते हैं मगर यह देखा जाय कि ६ आने में किस तरह से पेट भर सकता है इसलिये मुझे बड़े अदब के साथ अर्ज करना है कि इस तरह भी ख्याल किया जाय। जहां हम पुलिस की और चीजें देखते हैं और यह देख रहे हैं कि वह किस तरह से काम करते हैं, उनकी नुक्ताचीनी भी करते हैं जहां वह गलत काम करते हैं वहां उनको सजायें भी दी जातीं। आज अगर पुलिस की तरफ कोई नुक्ताचीनी हो सकती है तो वह सिविल पुलिस की तरफ हो सकती है। क्योंकि सिविल पुलिस का रवैया इस तरह का है वह पब्लिक के टच में रहते हैं उनकी लगाम थोड़ी खींचने की जरूरत है। परन्तु जहां तक पी० ए० सी० और आर्म्ड पुलिस का ताल्लुक है उनकी बहुत सुन्दर कारगुजारियां हैं। मेरे कुछ दोस्त इलाहाबाद गये और उन्होंने बताया कि पी० ए० सी० वालों ने आदमियों को लूटने से बचाया, कुचलते हुये लोगों को बचाया और उसके लिये जब लोगों ने सौ-सौ और दो-दो सौ रुपया इनाम देना चाहा तो पी० ए० सी० वालों ने कहा हमारी ड्यूटी है, हम सरकारी काम करते हैं, इसलिये हम पैसा नहीं लेंगे। आज जब पुलिस वालों का हम यह रवैया देखते हैं तब सरकार के कामों के लिये सरकार को बधाई देने की तबीयत होती है और उन पुलिस वालों को गले से लगा लेने की तबीयत होती है जिनकी आज ऐसी आदत देखने को मिलती है वह कहते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम सेवा-भाव से आये हैं। मगर जब सिविल पुलिस पर निगाह जाती है तो हमें इस बात को मानना पड़ता है कि उनका रवैया जनता के साथ अच्छा नहीं है। पिछली मर्तबा पुलिस मन्त्री ने अपने व्याख्यान में इस बात को स्वीकार किया है कि वह रिपोर्ट गलत लिखते हैं और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और सिविल पुलिस में सुधार करने की आवश्यकता है और इस तरह से पुलिस को सुधारने का काम तभी हो सकता है जब उनको पेट भर खाना मिले। इसलिये अगर उनका भत्ता बढ़ा दिया जाय तो उनके चरित्र में सुधार हो सकता है या फिर जैसा थानेदारों के लिये किया गया है उसी तरह से उनको भी तरक्की दी जाय तो शायद वह ईमानदारी पर आ जायें।

इसी तरह से जहां हम बड़े २ आफिसरों को देखते हैं उनके टी० ए० और डी० ए० को देखते हैं वहां दूसरी तरफ जब हम चपरासियों को देखते हैं जो आज उनको ४५-५० रुपया देने पर उनसे दिन भर मेहनत ली जाती है और उसके बाद भी अगर कहीं मन्त्री महोदय या दूसरे अफसर बड़ी देर तक हाउस में रह गये तो उन बेचारों को १० बजे १२ बजे रात तक छुट्टी मिलती है। इसलिये जहां मन्त्री महोदय इतना खर्च कर रहे हैं वहां थोड़ा सा इन चपरासियों की तरफ भी ध्यान दिया जाय। उनको भी इतना जरूर दिया जाय जिससे उनका पेट पल सके क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत से चपरासी हैं जिनके लड़के आज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं मगर वह बेचारे कहीं से पैसा लेकर, अपना पेट काट कर, अपना खाना कम करके अपने लड़कों को पढ़ाते हैं। वे इस आशा में पढ़ाते हैं कि शायद बुढ़ापे में यह हमारी मदद करें। मगर आज उनको ४५-५० रुपये मिलते हैं। आज वह भी जमाना नहीं है जो उनको इनाम मिलता हो या उनको किसी काम के लिये नजराना मिलता हो। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा कि वह इनकी तरक्की का भी कुछ इन्तजाम करें।

श्री कुंवर गुरु नारायण--अगर पार्टी मीटिंग में आप इन बातों को कहें तो अच्छा हो।

श्री पन्ना लाल गुप्त--पार्टी में तो आप भी कहते हैं और हम भी कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आज सिंचाई की तरफ हमारी सरकार ने कदम उठाया है। पूर्वी जिलों में जो कदम उठाया है, वह वाकई सराहनीय है आज सिंचाई का इतना अच्छा प्रबन्ध हमारी सरकार कर रही है कि आगे कभी इन जिलों में दुर्भिक्ष का सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा। मगर जहां मैं अपनी तरफ देखता हूं कि आज पूर्वी जिलों का प्रबन्ध हो गया, पश्चिमी जिलों का प्रबन्ध हो गया, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि कानपुर, फतेहपुर और इलाहाबाद किन जिलों में आते हैं। यह पूर्वी जिलों में आते हैं या पश्चिमी जिलों में आते हैं या बीच में ही लटक रहे हैं त्रिशंकु की तरह? आज फतेहपुर और कानपुर की हालत यह है कि वहां उत्तर की तरफ कोई सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है। आज भगवान के भरोसे वहां के काश्तकार रहते हैं, पानी बरस गया तो गल्ला पैदा हुआ अगर पानी नहीं बरसा तो गल्ले की पैदावारी बिल्कुल बरबाद हो जाती है और उनको लगान तक देने में कठिनाई हो जाती है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि जहां २००, १५० ट्यूबवेल और जिलों को दिये जाते हैं वहां अगर इन जिलों में १००, ५० ट्यूबवेल भी दे दें तो सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध होगा और काश्तकारों का अधिक गल्ला पैदा होगा और वह सरकार को भी गल्ला दे सकेंगे।

दूसरी तरफ जहां और चीजें हैं। वहां हम यह भी देख रहे हैं कि फतेहपुर में अभी तक एक चमड़ा रंगने का स्कूल था मगर अब उसे भी सरकार तोड़ने जा रही है। जब एक तरफ ग्रामीण-उद्योग-धंधों की तरक्की हो रही है, जहां हमारे जिले में एकमात्र उद्योग-धंधा चमड़ा रंगने का स्कूल था उसको भी तोड़ा जा रहा है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार ने उस तरफ से क्यों अपनी नजर हटा ली है और क्यों इस स्कूल को तोड़ने जा रही है मुझे नहीं मालूम है कि उसमें क्या खराबियां हैं और क्या परेशानियां सरकार को हैं?

दूसरी तरफ जहां आज लड़कियों के स्कूल हर जिलों में बढ़ाये गये हैं वहां हमारे जिले में सिर्फ लड़कियों का एक ही हाई स्कूल है और उसमें भी जब लड़कियां हाई स्कूल पास हो जाती हैं तो बेचारे इन गरीब घरों की लड़कियां आगे नहीं बढ़ पातीं हैं और वहीं से पढ़ाई समाप्त कर घर बैठ जाती हैं। कई साल से मैं बराबर कह रहा हूं और मेरे भाई बद्री प्रसाद कक्कड़ ने भी कहा है कि वहां एक इन्टरमीडियेट क्लास खोल दिया जाय मैं सरकार का ध्यान आपकी तरफ से दिलाना चाहता हूं कि वहां पर एक इन्टरमीडियेट क्लास खोल दिया जाय जिससे लड़कियों का पढ़ना जारी रहे जो हाई स्कूल के बाद महरूम हो जाती हैं।

इसी तरह से जनाने अस्पताल का सवाल है। हमारे जिले फतेहपुर में एक जगह बिन्दकी है। वहां की आबादी १८ हजार की है वहां कोई जनाना अस्पताल नहीं है सिर्फ एक अस्पताल है और उसमें भी कोई नर्स या मिडवाइफ नहीं है। अगर अस्पताल खोलने में दिक्कत होती है तो अस्पताल में एक मिडवाइफ या नर्स का इन्तजाम कर दिया जाय पहले वह अस्पताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में था लेकिन अब तो वह सरकार के अधीन है इसलिये सरकार को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उस अस्पताल के बारे में यह कहना है कि इन्डोर पेसेन्ट के लिये कोई वार्ड नहीं है जिसमें १० या ५ चारपाई हो, मेरी सरकार से नम्र प्रार्थना है कि उसके अन्दर इन्डोर पेशेन्ट के लिये एक वार्ड बनवा दिया जाय क्योंकि वह लोग आसमान की छाया में पड़े रहते हैं और कोई जगह नहीं है।

[श्री पन्नालाल गुप्त]

दूसरी तरफ मैं आपके जरिये से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह एक सड़क की ओर है जो स्टेशन, सिटी रोड और बिन्दकी को मिलाती है यह ६ मील का टुकड़ा है और इतना खराब है कि अगर आप इक्के पर बिना पकड़े बैठ जायं तो नीचे गिर जायेंगे। एक मील भी आप नहीं चल सकते हैं। इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां की रिपोर्ट भी आ चुकी है और एस्टीमेट भी आ चुका है सिर्फ मन्जूरी देना है लेकिन २ साल से उसको मन्जूरी ही नहीं मिलती है।

अब मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा आपके द्वारा नम्र शब्दों में कि हमारी सरकार जो अच्छा कार्य करती है और काफी रुपया बजट में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में खर्च करती है अगर अफसरों की ओर भी निगरानी रखे तो ज्यादा अच्छा काम हो। अफसरों की थोड़ी सी लापरवाही से पैसा ज्यादा खर्च होता है और काम ठीक नहीं होता है। अभी मैं २१ तारीख को अपने जिले में गया था और एक प्लानिंग अफसर से मिला उसने कहा कि आज २२ तारीख है एक पत्र सरकार का प्लानिंग विभाग का २० तारीख का लिखा हुआ मुझे ४ बजे मिला है और उसमें मुझसे यह मांगा गया है कि मैं एक नक्शा दे दूं कि मेरे जिले में कितना श्रमदान का काम हुआ तो आप ही बताइये कि किस तरह से २४ तारीख तक नक्शा भेजा जा सकता है। मेरे पास कोई नक्शा बनाने वाला नहीं है। मैं हवा में कैसे काम कर सकता हूं मेरे पास कोई अलाउद्दीन का चिराग तो है नहीं जो मैं भेज दूं।

इस तरह की बात मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि अफसरों की जहां आप बहुत तारीफ करते हैं, जहां उनकी तारीफों के पुल बांध देते हैं और उनके काम पर उनको बधाई देते हैं वहां उनकी लापरवाही के लिये उनकी लगाम भी खींचें, जिससे कि वे ठीक तरह से काम करें। यहां से जो खत जिलों को जायें उनमें इतना मौका दिया जाये जिससे वह उन पत्रों में लिखी हिदायतों के अनुसार जवाब दे सकें।

खादी के सम्बन्ध में हमारे हकीम साहब ने सवाल पूछा था। उनके सवाल के जवाब में जो बताया गया उससे मालूम हुआ कि हमारे सूबे में सन् १९५३ में ५,४९,२३४ रु० की खादी खरीदी गयी। जब सरकार का यह आदेश है कि हर अफसर, हर विभाग खादी को प्रथम स्थान दे। तो मैं पूछूंगा कि क्या सरकार इससे मुतमईन है कि केवल ५,४२,९३४ रु० का ही कपड़ा सरकारी विभागों द्वारा खरीदा गया होगा। निश्चय ही इससे ज्यादा का खरीदा गया होगा। मैं मन्त्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि अगर वह यह आदेश जारी कर दें कि खादी का ही कपड़ा सरकारी काम के लिये खरीदा जाये तो इससे खादी को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। अगर सरकार खादी को इस्तेमाल करेगी तो पब्लिक भी इस्तेमाल करेगी। इसलिये मैं खादी के मसले की ओर विशेष तौर से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(इस समय, ३ बजकर ४२ मिनट पर, चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

जिससे गरीबों को और जुलाहों को भी आमदनी हो सके आज बिन्दकी में दो-ढाई सौ घर जुलाहों के हैं, जो ईंटगारा ढोते हैं, घास खोदते हैं। ऐसा वह इसलिये करते हैं कि क्योंकि उनके पास अपना काम नहीं रह गया है। इसलिये अगर गवर्नमेंट के काम के लिये खादी का लेना कम्पलसरी कर दिया जाय तो उन बेचारों का भी उद्योग चल सकता है आखिर में मैं वित्त मन्त्री जी को इस तरह का जट बनाने और गरीबों की परवरिश करने के लिये बधाई देता हूं। ग्राम उद्योग और काटेज इन्डस्ट्री के लिये जितना प्रावीजन उन्होंने किया है अगर उसी तरह से उसकी खपत के लिये भी वह आर्डर कर दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री अम्बिका प्रसाद वाजपेयी (नाम निर्देशित)--अध्यक्ष महोदय, बजट के सम्बन्ध में बहुत भाषण हुये। बहुत से भाषण ऐसे हुये कि जिनमें पहले बड़ी

प्रशंसा की गई और पीछे बहुत से सुझाव दिये गये या आलोचना की गई। परन्तु इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। अपना काम यह है कि वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उस पर उनको बधाई दी जाये क्योंकि उन्होंने कोई टैक्स अभी नहीं लगाया है। परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि आगे भी कोई टैक्स न लगेगा। संभव है कि आगे कोई सप्लीमेन्ट्री आ जाये और जो कसर रह गई है वह पूरी कर दी जाये। खादी और हैन्डीक्रैफ्ट के सम्बन्ध में भी इसमें व्यवस्था की गई है। परन्तु जो बात कसर की है वह यह है कि देश के लोगों में गांधी जी के जीवन काल तक खादी के लिये जितना प्रेम था वह अब नहीं है। इसका कारण यह है कि खादी पर किसी ने बहुत जोर नहीं दिया। सन् १९०६ में जब कलकत्ते में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस हुई थी तब स्वदेशी का प्रस्ताव आया था। जब वह प्रस्ताव आया तो उसके अन्दर तिलक ने यह क्लाज बैठा दिया "ऐट ए सैक्रिफाइस" अर्थात् क्वालिटी चाहे अच्छी न हो तो भी स्वदेशी लो, अधिक दाम देना पड़े तो भी स्वदेशी लो।

वह बात अब हमारे ध्यान से उतर गई। अब कोई सैक्रिफाइस की बात नहीं है। हमारे देश में ६ वर्ष से कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस ने स्वदेशी और खद्दर के प्रचार के लिये कोई अधिक काम नहीं किया है। देशबन्धु चित्तरंजन दास और नेता जी सुभाष बोस आदि ने इस सम्बन्ध में बहुत काम किया था। कलकत्ता कारपोरेशन में उन्हीं के कारण जितने कर्मचारी हैं सब खद्दर पहनते हैं। सरकार को जितना ध्यान इस तरफ देना चाहिए था उतना नहीं दिया। इस तरफ ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है। चपरासियों और अर्दलियों आदि के लिये खद्दर की तुरन्त व्यवस्था कर देनी चाहिए। हैन्डीक्रैफ्ट के सम्बन्ध में शिल्प उद्योग का जो काम है उसमें गृह शिल्प का अधिक काम है। जापान में बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज कम हैं। इसीलिये जापान ने काफी उन्नति की है। छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज में लोगों को पैसा भी मिलता है और देश की उन्नति भी होती है। जापानी लोग बम्बई से रुई ले जाते थे और अपने यहां कपड़ा बनाते थे। वह कपड़ा बम्बई के कपड़े से सस्ता पड़ता था। हमारे यहां भी कुछ इसी तरह का उद्योग होना चाहिए। ताकि कपड़ा सस्ता मिले।

शिक्षा के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई है उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। ९ करोड़ के ऊपर शिक्षा के ऊपर व्यय किया जा रहा है। लेकिन यह जो प्राइमरी और कम्पलसरी एजूकेशन की बात कही जाती है उसको देखने से ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग इस सम्बन्ध में डूम्सडे तक कृतकार्य नहीं हो सकते। यह सब धन के ऊपर निर्भर है। जब तक धन नहीं होगा तब तक यह सब कैसे होगा, सेकेन्डरी एजूकेशन तो दूर रही प्राईमरी एजूकेशन होना भी कठिन मालूम पड़ता है। शिक्षक हड़ताल इसीलिये करते हैं कि धन का अभाव है। धन कहां से आवे इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इसके सम्बन्ध में मेरी समझ में एक लाटरी निकाली जाय। लाटरी उसी प्रकार निकल सकती है जैसी आइरिश हास्पिटल स्वीप स्टेट लाटरी निकलती है। उस लाटरी से उन्होंने अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो ऐसा यहां भी हो सकता है। इससे पैसे की समस्या हल हो सकती है। यूनिवर्सिटी शिक्षा के सम्बन्ध में कहा गया। उसमें यह कहा गया कि शिक्षा का स्टैन्डर्ड गिरता जा रहा है। उसके सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिए।

जो जिस योग्य हो व जिस विद्या में उसको जितनी योग्यता हो वैसी ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का उसे अवसर दिया जाय। अभी तक यह होता है कि इन्टर-मीडियेट पास हुये और यूनिवर्सिटी को दौड़े, चाहे लेक्चर समझने की भी योग्यता

[श्री अम्बिका प्रसाद वाजपेयी]

न हो। तो मेरा कहना यह है कि उनको कोई ऐसी शिक्षा दी जाय कि जिस शिक्षा के वे योग्य हों। शिक्षा में इस स्टैन्डर्डाइजेशन से बड़ी हानि हो रही है। आज शिक्षा का स्तर इसी कारण गिर रहा है और भी बहुत सी कठिनाइयां होती हैं जो किसी से छिपी नहीं है। जो हमारे यहां शिक्षा दी जाती है वह इस शिक्षा से एक नई जाति शिक्षितों की बन गई है। कई वर्ष हुये जब मेरे पास कलकत्ते में एक दुसाध आया था जो कुछ पढ़-लिख गया था लेकिन उसने अपने भाई बिरादरी को शिक्षा नहीं दी थी। खड़गपुर में उसको १५ रुपये की नौकरी मिल रही थी पर उसने कहा कि हम १५ रुपये की नौकरी नहीं करेंगे, २० रुपये से कम न करेंगे। हमने कहा कि तुमने बड़ी भूल की है। तुमको १५ रुपये की नौकरी कर लेनी चाहिए थी। यह कई साल पहले की बात है। तो जो थोड़ा पढ़-लिख जाते हैं, जिनके यहां कोई दूसरा पढ़ा-लिखा नहीं होता या जिनके यहां कम शिक्षा होती है तो वह अपने भाइयों को नीची निगाह से देखने लगते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यह जो नई जात पढ़ कर बन रही है उससे देश को बड़ी हानि पहुंचती है। एक दूसरी बात शिक्षा के विषय में यह है कि शिक्षा पर जो व्यय हुआ वह १६ या १७ फी-सदी है और हम यह कहते हैं कि बम्बई और दूसरे प्रान्तों में हमारे वहां से अधिक कर भार है। बम्बई में २० परसेंट रेवेन्यू शिक्षा पर खर्च होता है। मैसूर में २२ परसेंट शिक्षा-व्यय है। और हमारे यहां सिर्फ १६ या १७ फीसदी तो यह देखने की बात है।

कुछ बात पत्रों के सम्बन्ध में हैं। पत्रों के सम्बन्ध में सरकार का जो रवैया है उससे ऐसा जान पड़ता है कि सरकार पत्रों के सम्बन्ध में अच्छे भाव नहीं रखती है। गांव पंचायतें ३६ हजार हैं। हम देखते हैं कि इसमें जो पंचायती राजपत्र है वही लिया जाता है और दूसरे पत्रों की खपत वहां नहीं होती है। मेरा कहना है कि उनको इस मामले में स्वतन्त्र कर देना चाहिए। जो पत्र वह लेना चाहें, लें। पंचायत राज भी चाहे वह ले और भी पत्र जो वह लेना चाहें लें। पंचायत राज लेने से उस गांव के लोग संसार के दूसरे समाचारों से वंचित रह जाते हैं। इसलिये किसी पत्र का लेना या न लेना उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाय।

फिर ऐसा जान पड़ता है कि विज्ञापन आदि के सम्बन्ध में भी सरकार पक्षपात करती है। पंचायतें गांव-गांव में हैं और उनको विज्ञापन अंग्रेजी में देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहां अंग्रेजी तो कोई पढ़ता नहीं है और फिर अगर कोई पढ़ता भी है तो एक-दो व्यक्ति, तो एक दो व्यक्तियों के लिये विज्ञापन अंग्रेजी में देना कहां तक ठीक है। अब सरकार यह बतावे कि पिछले जनतन्त्र दिवस पर कितने रुपये के विज्ञापन किस पत्र को दिये गये और फिर यह पता लग सकता है कि यह कहां तक ठीक है।

अखबारों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है क्योंकि इन्डियन न्यूज क्रानिकल, जिसका नाम बदलते बदलते अब इन्डियन एक्सप्रेस हो गया है, उसके लखनऊ करस्पान्डेन्ट को हटा दिया गया और डेढ़ साल की जांच के बाद भी उसका मामला ऐडजुडीकेशन में नहीं भेजा गया है। अमृत पत्रिका का एक केस तो ऐडजुडीकेशन में भेज दिया गया था लेकिन फिर वह वहां से वापस ले लिया गया। हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि वह वापसी गलत थी। इसके बाद फिर भेजा ही नहीं गया और अब यह मामला टाइम बार हो गया है। अंतिम बात यह है कि साहित्य और साहित्यकारों का जितना ध्यान रखना चाहिए, यह सरकार उतना ध्यान नहीं रखती है। यह ठीक है कि कुछ पुस्तकों पर इनाम दिया गया परन्तु साहित्य के विषय में उसका अपना कोई काम नहीं होता है। हिन्दी के बारे में भी कई बार कहा गया लेकिन सरकार ने अभी तक हिन्दी बोर्ड की स्थापना नहीं की है और न इस बारे में उसने अपना कोई विचार ही प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में बार-बार इसी विषय के लिये सरकार को कहना बहुत अनुचित सा है किन्तु जब तक

बार-बार नहीं कहा जाता तब तक सरकार को इसका ध्यान भी नहीं आ सकता। सरकार के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह ध्यान तो देती है, ध्यान रखती भी है लेकिन भूल जाती है और इसीलिये यहां बार बार यह बात कही जाती है कि उसको फिर से याद हो जाय और वह भूलने न पावे। लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह बातें उसी को करनी हैं और उसी के लिये ये बातें हो सकती हैं।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, इतने आशापूर्ण बजट के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। इसके अन्दर हमारे सूबे में जो अभी तक तरक्की के काम हुये हैं वह बताये गये हैं और जो आगे कुछ होगा उसका नक्शा इसमें खींचा गया है। जो कुछ करना था वह कुछ किया गया इसका मतलब यह नहीं है कि हमें जो कुछ पाना था वह पा लिया। बहुत कुछ करना है और इसी के लिये मन्त्री महोदय ने जब उसके अन्त में हमारे सूबे की गरीबी का, बेकारी का, मुफलिसी का जिक्र किया है तो उसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने इस विषय में कुछ किया ही नहीं। किन्तु इसका मतलब यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आज जो सूबे के कोने में छिपी हुई गरीबी, मुफलिसी और नंगापन जो है, वह उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ है। जो कुछ किया गया है वह उस पर संतुष्ट नहीं हैं। यह इस बात की निशानी है कि हमें अपने काम पर घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है और हम इस बात के लिये तुले हुये हैं कि जितनी इसमें कमी है, वह नष्ट हो जाय और हम अपने सूबे को देश के सब से अच्छे सूबों में ही नहीं बल्कि दुनिया के अच्छे से अच्छे इलाकों के रूप में पेश कर सकें। मुझे देश के उज्ज्वल भविष्य के ऊपर बड़ा भरोसा है और इस देश के उज्ज्वल भविष्य को बनाने में हमारे सूबे का जो हिस्सा है वह बहुत बड़ा है। इसीलिये यहां के नागरिकों से मन्त्री महोदय ने जो अपील की है वह बिल्कुल मुनासिब अपील है और अगर हम सब मिल कर के एक ध्येय की तरफ चलें तो कोई वजह नहीं है कि हम अपना हिस्सा इस तरक्की में अदा क्यों न कर सकें।

किन्तु इस विषय में जिस दशा के अन्दर हम जा रहे हैं हमारा कुछ मतभेद हो सकता है। यह हो सकता है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं न करते हों, उसमें कमियां हों। किन्तु इसमें कोई शक नहीं है कि जो काम किया गया है वह अच्छी नियत से किया गया है, उसमें किसी को भी जरा भी अंगुली उठाने का हक नहीं है।

शुरू शुरू में बजट में यह बता दिया गया है कि इस साल इस सूबे में कोई नया टैक्स न होगा। इस सम्बन्ध में हमारे कुछ साथियों ने यहां पर यह कहा कि हमारी पार्टी के आन्दोलन का यह परिणाम है कि टैक्स नहीं बढ़ाये गये, कितनों ने यह कह दिया कि यह तो इस डर से नहीं बढ़ाया गया कि चुनाव आगे आयेगा और फिर दो सालों में इतने ज्यादा टैक्स बढ़ाये गये हैं कि यदि आगे और बढ़ाये जायं तो अच्छा न होगा। मैं कहता हूं कि नियत पर शक करना कोई अच्छी परिपाटी नहीं है। जो कुछ किया गया वह इस सूबे की तरक्की के लिये किया गया है और अगर आज भी यह सोचा जाय कि इस सूबे की तरक्की के लिये रुपये की जरूरत है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस सदन का हर मेम्बर इस सूबे की बहबूदी के लिये यही राय देगा कि सूबे के नागरिकों से यह रुपया लिया जाय चाहे वह कर के रूप में ही क्यों न लिया जाय। यदि हमको मकान बनाना है तो हम अपने खर्च को ही कम करके मकान बनाने की कोशिश करेंगे, हम कर्ज लेकर नहीं बनाना पसन्द करेंगे। यदि कर्ज लेना ही पड़े तो उत्पादन के लिये कर्ज ले लेना कोई हर्ज की बात नहीं है। आज और कल हमारे सूबे की माली हालत के सिलसिले में बहुत कुछ कहा गया है। मैं नहीं कह सकता कि यहां की माली हालत कैसी है मगर अच्छी ही होगी। मैं नहीं कह सकता कि पैसे और रुपयों से अंकित होती है। मेरा विचार यह है कि प्रान्त की हालत इस बात पर अंकित है कि नागरिकों की हालत कितनी अच्छी हुई है। मुझे इसमें जरा भी शुबहा नहीं है कि जिन नियोजन का यहां पर जिक्र किया गया है उनसे करीब किसानों की गरीबी ही नहीं दूर हुई है किन्तु शहर के रहने वाले मध्यम श्रेणी के

[श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार]

लोगों की हिम्मत बढ़ी है, और उनमें उत्पादन की शक्ति भी बढ़ी है। उत्पादन की शक्ति के बढ़ने से क्रय-शक्ति के घटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है मैं यह नहीं मानता हूं कि हमारे सूबे में लोगों में क्रय-शक्ति बिल्कुल कम नहीं हुई है। कुछ लोगों की क्रय-शक्ति कम जरूर हुई है लेकिन बहुतों की बढ़ी भी है। कांग्रेस सरकार केन्द्रीयकरण के पक्ष में नहीं है इसीलिये शक्ति बढ़ी है, पैसा बढ़ा है, उत्पादन का साधन बढ़ा है तो उसके साथ साथ यह स्वाभाविक था कि वह अमीरों की क्रय-शक्ति को कम करके गरीबों की क्रय-शक्ति को बढ़ाये और क्रय-शक्ति के साथ साथ माली हालत भी लोगों की बराबर हुई है इसमें कोई शक नहीं है।

एक बात इस सम्बन्ध में यह कहूंगा कि इस सूबे की हालत, आपकी हालत, आपके शरीर की हालत और आपके उत्पादन के साधन बढ़ रहे हैं, उत्पादन की योग्यता बढ़ रही है, किन्त यह नहीं जानता हूं कि यह बात देखी गई है या नहीं कि हमारे सूबे के अन्दर बाहरी लड़ाई की ताकत बढ़ी या नहीं। अगर किसी आदमी को नापा जाता है कि वह स्वस्थ है तो उसमें इस बात के देखने की जरूरत है कि वह बीमारियों का मुकाबिला भी कर सकता है, जो उसके खिलाफ गुन्डे हैं उनका मुकाबिला कर सकता है। माफ किया जाऊं अगर कोई बात मेरे मुंह से निकल जाय। आज हमारे यहां के अध्यापक जो हमारे राष्ट्र के बच्चों को बनाते हैं वे सच्चाई की तरफ नहीं जा रहे हैं। वे बीमारी का बहाना करके छुट्टियां लेते हैं। तो फिर विद्यार्थी झूठी छुट्टी की दरख्वास्त क्यों न दें। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह भी कहना चाहता हूं कि हमको अपनी तरक्की के लिये बुराई से लड़ने की ताकत होनी चाहिए। हमारी नैतिक ताकत से ही हमारी माली हालत अच्छी हो सकती है। क्या यह बात सच है कि कानून होते हुये भी हमारे यहां के शादी शुदा बच्चे हाई स्कूल के इम्तहान में स्कूल से बैठते हैं और अध्यापक उनको शादी शुदा नहीं लिखते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस कमरे में चार दरवाजे हैं और उनसे बाहर जाने का रास्ता है यह ठीक है लेकिन अगर मैं नजदीक के लिए यहां से दीवार को तोड़ दूं और एक नया रास्ता निकाल लूं तो उन रास्तों का कोई उपयोग नहीं रहेगा। अगर हम एक बार झूठ बोलने को कहते हैं तो हमारे अन्दर सच्चाई के लिये कोई जगह नहीं रह जाती है। हमारे अन्दर उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। इसलिये मैं आपके द्वारा यह चाहता हूं कि हर मनुष्य को सच्चाई के पैमाने से अपनी तरक्की को नापना चाहिए। हमको अपने राष्ट्र की ताकत को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान न करे कि हमारे यहां अब विदेशी लोग आयें, लेकिन अगर कोई ताकत आती है तो हमको उसका मुकाबिला करना चाहिए। हमारे यहां हर नागरिक को ऐसा होना चाहिए जो उसका सामना कर सके। जापान में एक एटम बम पड़ा तो वहां पर लोग बहुत परेशान हो गये। वहां की फौज और पुलिस सब एक तरफ रह गई। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हम को सच्ची ताकत चाहिए। फौज में नहीं बल्कि सच्ची ताकत इस बात में चाहिए कि हम किसी भी तरह से आये हुये संकटों का मुकाबिला कर सकेंगे और उनका विरोध कर सकेंगे।

चाहे वह किसी पार्टी की तरफ से हो या जनता की तरफ से हो। यदि जनता भी आज बुरी बात कहे तो हमें चाहिए कि हम हिम्मत के साथ उसका मुकाबिला करें। जनतन्त्र के लिये मैं एक बात कहना चाहता हूं। जनतन्त्र में यह बात जरूरी नहीं है कि जनता जो कुछ कहे हम उसको कर दें। जनता के हित के लिए यदि हमें जनता के खिलाफ भी कुछ करना पड़े तो यह हमारा फर्ज है कि हम हारने का खतरा लेकर उसका यह फायदा करें। इसीलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी बातें यहां कही गई हैं और उसमें बहुत सी बातें अच्छी भी हैं, तो उसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए

कि विद्यार्थियों में, शिक्षकों में, नौकरों में, जहां जहां भी और जिस जिस क्षेत्र में लोग हैं और हर एक क्षेत्र में हमें बुराई से दूर हटना चाहिये और लोगों में इसके लिये अच्छी भावना पैदा करना चाहिए इन सब बातों को ध्यान में रखने से हमारा देश और हमारा सूबा पूर्णरूप से तरक्की कर सकेगा।

*श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट आज हमारे सामने पेश किया गया है, मैं उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ी हुई हूं और इसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं। अध्यक्ष महोदय, सन् १९४७ ई० से अर्थात् जब से हमारी जनप्रिय सरकार आई है, तब से अब तक सरकार ने अनेक कार्य किये हैं और उन अनेक कार्यों को हमारे सामने रखा भी है। मैंने यहां पर कई सदस्यों की बातें और उनके विचार पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में सुने हैं। जो पंचवर्षीय योजना गवर्नमेंट की है और जो वेलफेयर स्टेट वह बनाना चाहती है, तो आज अगर हम देखें तो वास्तव में हमारे प्रदेश ने काफी उन्नति कर ली है, हमारे राज्य का जो प्लान है उसकी रिपोर्ट से जाहिर होता है कि सन् ४७ से अब तक हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रदेश में बहुत सी योजनायें बनाई हैं और उनके द्वारा बहुत सा कार्य किया है। उस रिपोर्ट से यह भी मालूम होता है कि हमारे गांवों ने आज कितनी प्रगति कर ली है और गांव की जो हालत पहले थी वह अब नहीं रही। गांव में जितनी चीजों की आवश्यकता थी, खेती, चिकित्सा, उद्योग धंधे, सफाई, इत्यादि, इन सभी की ओर सरकार ने ध्यान दिया है और इनमें प्रगति की है। इस बजट से जाहिर होता है कि कितना कार्य अब तक हमारी सरकार ने किया है और आगे उसका कितना करने का इरादा है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने गांवों की तरक्की के लिये जो आधार अपनाया है वह अच्छा है और जो योजनायें वहां के लिये हैं, उससे वहां काफी प्रसार हो जायेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सरकार ने गांव के अन्दर कम्यूनिटी प्रोजेक्ट की भी योजना रखी है और इस योजना के अन्तर्गत उसने शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग–धंधों को भी अपने हाथों में लिया है। आज गांवों में किसानों की जो हालत है वह पहले की तरह नहीं रह गई है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सब योजनाओं से उनको बहुत लाभ हो रहा है। बजट भाषण में एक बात यह भी कही गयी है कि गांवों में तीन हजार स्कूल्स ऐसे खोले जायेंगे जिनमें बच्चों को कृषि की शिक्षा दी जायेगी और इसके साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की जायेगी कि वे अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकें। लेकिन इसके साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि वह जहां कृषि की शिक्षा के लिये लड़कों पर तो ध्यान दे रहे हैं, परन्तु गांवों में जो अबोध लड़कियां हैं, उनको उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

लड़कों के लिये ही व्यवस्था न करें बल्कि लड़कियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए और उनके लिये भी व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा के बारे में मुझे यह कहना है कि आज लड़कियों की शिक्षा में काफी तरक्की हुई हैं। मुझे इस बात से खुशी है कि शिक्षा की तरफ हमारी महिलाओं ने काफी हाथ बटाया है और देश के निर्माण–कार्य में वह काफी कार्य कर रही हैं। नरेन्द्र देव कमेटी ने महिलाओं की शिक्षा के लिये एक खास योजना बना रक्खी है और मैं नहीं जानती की हमारे सूबे की सरकार ने उसके अनुसार कोई व्यवस्था की है या नहीं। यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो जो नरेन्द्र देव कमेटी ने सुझाव रक्खे हैं उनके अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। गांव में लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गांव में लड़कियों के लिये काफी स्कूल खुलने चाहिए।

एक बात और मैं कहना चाहती हूं और वह यह कि हमारे जो हास्पिटल खुलते हैं वह ऐसे स्थानों पर होते हैं कि गांव वाले उसका फायदा नहीं उठा सकते बजट में कहा गया है कि हम नये अस्पताल खोल रहे हैं मगर देखने में यह आता है

* सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्रीमती शांति देवी अग्रवाल]

कि देहातों में इनका उचित प्रबन्ध नहीं है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि वह अधिक से अधिक अस्पताल खोलें और जो हास्पिटल खोले जायं उनमें अच्छी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारी सरकार के ऊपर कोई धब्बा न आये। इस तरह का कोई आक्षेप सुनने को भी न मिले कि यहां पर यह सामान नहीं मिला और अमुक दवाइयां नहीं मिलीं। इसलिये हम अच्छे नहीं हो सके। नर्सिंग ट्रेनिंग के बारे मे जहां तक मुझे मालूम हुआ कि कानपुर में एक सेन्टर है जहां नर्सिंग ट्रेनिंग दी जाती है और मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगी कि यदि सूबे में एक ही सेन्टर है तो कुछ सेन्टर और बढ़ाये जायं। अभी हाल में मुझे तजुर्बा हुआ है कि क्वीन मेरी हास्पिटल में जो नर्सेज काम करती हैं वह अन्ट्रेन्ड हैं और मेरे पास ऐसी शिकायत आई है कि वहां की किसी-किसी नर्स को टेम्परेचर तक देखना नहीं आता है। मुझे दुःख है कि इस तरह की अधूरी शिक्षा पाने वाली महिलाओं को इस तरह की ड्यूटीज दी जाती हैं जिनको वह पूरा नहीं कर सकतीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो सेन्टर नर्सिंग ट्रेनिंग के लिये हैं उनमें पढ़ी-लिखी लड़कियां भेजी जानी चाहिए। मुझे यह मालूम हुआ है कि सिर्फ चौथी पास तक की लड़कियां उसमें ली जाती हैं और वह नहीं समझ पाती की उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। इसके अलावा क्वीन मेरी हास्पिटल में मुझे भी मालूम हुआ कि १६-१६ बेड एक नर्स के जिम्मे दिये जाते हैं। मैं नहीं समझती कि एक नर्स १६ बेड को कैसे संभाल सकती है? यह बिल्कुल असंभव है इसलिये मेरी विनती है कि महिलाओं की ओर इस तरह अवहेलना की दृष्टि से न देखा जाय और इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग के लिये और सेंटर खोल दिये जायं और वहां से ट्रेनिंग पाने के बाद ही उनको ड्यूटी पर भेजा जाय। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि जो हाई स्कूल लड़कियां हैं वह ट्रेनिंग लेना पसन्द नहीं करती हैं और क्यों नहीं वह पसन्द करती हैं इसके बारे में मुझे यह मालूम हुआ है कि उनके साथ दुर्व्यहार होता है। उनको ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे कि एक मेहतर को भी नहीं देखा जाता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि उनका सम्मान अधिक हो, उनकी इज्जत अधिक हो। चाहे कोई भी जाति हो, चाहे वह ग्रेजुएट हों, चाहे अनपढ़ हों लेकिन वह यही चाहती हैं कि हमारा सम्मान हो, इज्जत हो तभी वह हमारे मरीजों की देख-भाल कर सकेंगी। इसलिये इस ओर और भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी को इस बात के लिये बधाई देती हूं कि उन्होंने महिला संघ के लिये ५० हजार रुपये की रकम रक्खी है। यद्यपि यह पिछले साल के मुकाबिले में बहुत कम है। पिछले साल इसके लिये एक लाख रुपया रखा गया था लेकिन इस साल कुल ५०,००० रुपया ही दिया गया है फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्री जी ने इस ओर ध्यान दिया है। मुझे यह भी देखने को मिला है कि इसी तरह महिला संस्था के लिये भी ५ लाख २६ हजार रुपया रखा गया है। जहां तक इस रकम का सम्बन्ध है इससे मैं यह समझी हूं कि यह उस महिला मंडल योजना के लिये रक्खा गया है जो गांव में नारी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की ट्रेनिंग देते है यदि मैं गलत नहीं समझती हूं तो यह इस कार्य के लिये है। मुझे आशा है कि जहां वह संस्थायें पहले १२ जिलों में कार्य करती थीं आज उसका प्रसार २३ जिलों में होने जा रहा है। लेकिन जहां तक हमारा विधवा आश्रम से सम्बन्ध है उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है, उनकी बहुत बुरी हालत है। मैं आशा करती हूं कि उस ओर सरकार ध्यान दे। अभी हाल ही में आगरा की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिससे मालूम हुआ कि आगरा में ४,००० वेश्यायें १,००० लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा कर ले गई हैं। लेकिन इस ओर हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और न हमारे समाज सुधारकों का ध्यान ही इस तरफ गया। यदि हमारे समाज सुधारकों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है तो कम से कम हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि

जहां इस तरह के अड्डे शहरों में हों उनको शहरों से निकाल दिया जाय। जब तक यह कदम कानूनन नहीं उठाया जायगा तब तक हमारी इन महिलाओं का उद्धार किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। इसलिये मेरी माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना है कि वह इस ओर अधिक से अधिक ध्यान दें और इस ओर कोई ठोस कदम सरकार को बढ़ाना चाहिए। अन्त में मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को आगामी बजट पर बधाई देती हूं।

*श्री नरोत्तम दास टंडन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने सदन के सामने जो ५४-५५ का बजट रखा है मेरी राय में यह बजट बहुत अच्छा बजट कहा जायगा क्योंकि इसके अन्दर किसी प्रकार का नया टैक्स जनता पर नहीं लगाया गया है परन्तु इससे हम लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि आइन्दा इस प्रकार के कोई नये टैक्स नहीं लगाये जायं। माननीय मन्त्री जी ने यह कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी और पंचवर्षीय योजना के लिये टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी तो टैक्स लगाये जा सकेंगे। पंचवर्षीय योजना के कारण हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश के ऊपर कर्जा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष १३,६९७ लाख रुपये का कर्जा हमारे प्रदेश के ऊपर था और इस समय यह ऐसा कहा जाता है कि ५,६१५.९ लाख इस साल कर्जा अदा कर दिया जायगा और इस तरह से करीब ९ हजार लाख का कर्जा बाकी रह जायगा। जब तक प्रदेश पर दिन पर दिन कर्जा बढ़ता जायेगा तो यह लाजमी है कि कोई न कोई नया टैक्स लगाया जाय। हम देखते हैं कि पारसाल काफी टैक्स लगाये जा चुके हैं जैसे एलेक्ट्रिक पर कोर्ट-फीस पर टैक्स लगाये गये, बस का किराया बढ़ाया गया, इर्रीगेशन रेट बढ़ाये गये और कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स पर टैक्स बढ़ाया गया और टैक्स बढ़ाने का नतीजा यह हुआ कि लोगों को खरीदने की शक्ति दिन पर दिन कम होती जा रही है जिसका परिणाम यह है कि हम देखते हैं कि बेटिंग टैक्स, सेल्स टैक्स, इन्टरटेनमेंट टैक्स में दिन पर दिन कमी होती जा रही है।

अब मैं यह देखता हूं कि सरकार की आमदनी किस प्रकार बढ़ सकती है। मेरी समझ में जो प्रोहिबिशन की स्कीम है उसको खतम कर देना चाहिए। प्रोहिबिशन खतम करने से बहुत लाभ होगा क्योंकि जो लोग इल्लीगल तरीके से बनाते हैं और चरित्र को खराब करते हैं वह बातें दूर हो जायंगी और जो लोग पीने वाले हैं वह भी किसी न किसी तरह से पीते ही हैं। इसके अलावा मैं देखता हूं कि जो कानपुर शहर में हर तम्बोली की दूकान पर शराब का छोटा भाई टिन्चर मिलता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इससे कोई खास फायदा सरकार को नहीं है।

अब मैं बसेज के बारे में कहूंगा अगर सरकार प्राइवेट इन्डीवीजुवल्स को दे दे तो उससे काफी फायदा होगा। सरकार रोडवेज पर टैक्स वसूल कर सकती है। मैं देखता हूं कि सरकार इस वक्त ३ करोड़ रुपया छोटे-छोटे धंधों के लिये रखा है लेकिन बड़े कारखानों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया है, इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए यह मैं देखता हूं कि हमारे देश के लोगों के रहने वालों का रहन-सहन और उनकी तरक्की की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है यानी जो छोटे-छोटे नौकर हैं उनको भी कोई तरक्की नहीं दी गई है।

सरकार अपनी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने जा रही है लेकिन मैं देखता हूं कि पढ़ाई की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए उतना सरकार नहीं दे रही है। डेमोक्रेसी में प्राइमरी शिक्षा और मेडिकल एड फ्री होना चाहिए और इन दोनों का प्रबन्ध आवश्यक है। मैं बजट में देखता हूं कि १९ हजार रुपया मन्त्रियों को प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया है।

[श्री नरोत्तम दास टंडन]

लिये रखा गया है मैं समझता हूं कि यह बेकार का खर्च है और इस काम में मन्त्रियों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यदि वह समझें तो खर्च को कम कर सकते हैं। हमारे इलाहाबाद शहर में कारपोरेशन बनने जा रहा है लेकिन पता नहीं कि कब तक वह बनेगा। वहां की हालत खराब हो रही है। हमारे मिनिस्टर साहब आजकल नये नये कानून बना रहे हैं। आज जिस तरह से मकानों की दिक्कत है उन्होंने ऐसा कर दिया है कि नया नक्शा तब तक पास न किया जायगा जब तक '२ परसेंन्ट आन दि एस्टीमेटेड कास्ट आन दि प्लान' न जमा कर दें। नक्शा पास होने के बाद समय दिया जाता है कि एक साल के अन्दर मकान बनवाया जाय। परन्तु वहां कानून इस प्रकार का है कि नक्शा तब तक पास नहीं किया जायेगा जब तक २ परसेंट उस पर वाटर टैक्स न जमा कर दिया जाय। मैं आपके द्वारा सरकार को यह ज्ञात कराना चाहता हूं कि यह २ परसेंट पेनालिटी है या कि वाटर चार्जेज।

वहां पर एक तरफ तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से नोटिस दी जाती है कि जिन लोगों ने ट्रस्ट की जमीन ली है वह अपने मकान बनायें और जब वह अपने नक्शे को देते हैं तो उनसे कहा जाता है कि हमारे पास मीटर नहीं है और अगर आपको मकान बनाना है तो आप दो परसेंट एडवांस वाटर चार्ज जमा कर दीजिए। इससे जनता में बड़ा असन्तोष है। मैंने ऐडमिनिस्ट्रेटर साहब से पूछा कि म्युनिसिपल ऐक्ट के किस कानून के जरिये से आप ऐसी मांग कर रहे हैं। पहले तो वह महीनों हीला-हवाला करते रहे। लेकिन बाद में जब मैं उनसे जाकर मिला और पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसा कानून तो नहीं है परन्तु चूंकि रुपये की जरूरत म्युनिसिपैलिटी को है इसलिये हमने ऐसा कर दिया है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि कोर्ट फीस वगैरह सब तो बढ़ गई है, परन्तु जो केसेज टी० आर० ओ० के यहां जाते हैं, जिनके लिये ४५ दिन की मियाद है वह बारह-बारह, तेरह-तेरह महीने तक पड़े रहते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अब यह केसेज टी० आर० ओ० के यहां न भेजे जाकर मुन्सिफ के यहां भेजे जाया करें जैसे सब केसेज भेजे जाते हैं।

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि हमारे कैदी लोग सब तरह के काम करने के लिये उत्साहित हैं और नागरा डैम में तीन हजार कैदी काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस तरह के सुधार किये जायें तो जो कैदी क्रिमिनल माइन्डेड हो गये हैं वह कुछ दिन में सुधर जायेंगे।

*श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, यह बजट जो १९५४-५५ का पेश हुआ है उसका स्वागत करने और सरकार को धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं। गुजिश्ता साल जब बजट पेश हुआ था तब मैंने कुछ सुझाव रखे थे। उनमें से कई सुझावों पर तो सरकार ने अमलदरामद करना शुरू कर दिया है जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा। इसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी को मजीद मुबारकबाद पेश करता हूं। पहली बात तो यह है कि स्कूलों में जराअत की तालीम और उद्योग-धंधों की तालीम के इन्तजाम की तरफ मैंने सरकार का ध्यान दिलाया था। यह खुशी की बात है कि उसके शुरू करने का इन्तजाम कर दिया गया है। दूसरी चीज मैंने यह अर्ज किया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया की मार्फत निर्माण-कार्य और रचनात्मक कार्य करने की कोशिश की जाये। मुझे खुशी है कि श्रम के द्वारा स्थानीय संस्थाओं को काम करने की काफी सुविधा सरकार की तरफ से दी गई। मथुरा और आगरा के जिलों में जो आहिस्ता-

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

आहिस्ता रेगिस्तान होते जा रहे हैं और जहां सारे भारत के लाखों यात्री प्रति वर्ष या यों कहिए, हर मास आते रहते हैं अगर आप गिरि गोवर्धन की परिक्रमा जो १४ मील की है करने के लिये तशरीफ ले जायें तो देखेंगे कि अब वह स्थान कितना सुन्दर कितना रमणीक और वृक्षों से हरा-भरा हो गया है और १४ मील की परिक्रमा करते हुये धूप में भी यह नहीं मालूम पड़ता कि हमने कोई अधिक परिश्रम किया है। सरकार ने एक साल के अन्दर वहां इन्कलाब कर दिया है। जन्माष्टमी के मौके पर हजारों आदमियों ने ५-५ रु० वहां देकर अपने हाथ से वृक्ष लगाये। वह एक ऐसा दृश्य था जो देखने से ही ताल्लुक रखता था।

हजारों धार्मिक भक्तजनों ने अपने को ही नहीं बल्कि अपनी पीढ़ियों को भी कृत-कृत्य किया। उस समय विचित्र दृश्य था पेड़ लगाने का। उसके लिये भी सरकार मजीद धन्यवाद की मुस्तहक है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यापकों को तनख्वाह समय से नहीं मिलती थी। उसके लिये मैंने कहा था कि अगर लोकल बोर्ड के पास रुपया नहीं है तो सरकार उनको अनुदान दे या कर्ज दे। सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को काफी रुपया दिया गया है। अब वे चढ़ी हुई अध्यापकों की तन्ख्वाहें आसानी से दे सकते हैं।

हर एक प्राइमरी स्कूल की तनख्वाह मनीआर्डर से भेजी जाती है। उसमें करीब पांच-छै या आठ हजार रुपया मनीआर्डर फीस में खर्च होता है। मैंने सुझाव दिया था कि अगर एक जीप के जरिये स तनख्वाह भेज दी जाय तो सबको तनख्वाह पहली दूसरी तारीख तक मिल सकती है और खर्च भी कम होगा। मुझे खुशी है कि इस चीज की इजाजत मिलने लगी है। जो लोकल बोर्ड ऐसा करने जा रहे हैं उनको इसकी इजाजत मिल गयी है। इसके लिये भी सरकार शुक्रिये की मुस्तहक है।

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में भी सरकार ने पहले से ज्यादा रुपया रखा है। इसके अलावा जो राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी प्रयोगशाला लखनऊ में है उसके इन्तजाम के लिये, बिल्डिंग बनाने के लिये और सामान मुहैया करने के लिये काफी रुपया रखा गया है। इस सिलसिले में एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे कानून में इस बात की इजाजत है कि अगर कोई लूट करता है तो उसको फांसी की सजा मिले। कुछ लोगों को मालूम है कि दवायें अमूमन बाजार में अच्छी नहीं मिलती हैं। जब कोई मरीज टाईफाईड का अपने बिस्तर पर होता है तो अगर उसके लिये मोतियों का खमीरा तजवीज किया जाता है तो बाजार में जो मोती ४ आने तोले का मिलता है उसकी कीमत ४-५ रुपये के हिसाब से ले ली जाती है और मोती भी अच्छा नहीं मिलता है। अगर मरीज दो दिन में मरने वाला होता है तो खराब मोतियों के खमीरा से कुछ घंटों में ही मर जाता है। अत्तार या जो दूसरे लोग दवाइयां बेचने वाले हैं उनके लिये कोई इन्तजाम होना चाहिए ताकि खराब दवाइयां न बेच सकें। मैं इसके लिये पेशगी शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जो खराब दवाइयां बेचते हैं उनके लिये कोई कानून बनाया जाय ताकि उनको वही सजा मिल सके जो चोरी करने वाले की होती है।

मथुरा से गोबर्धन, गोबर्धन से बरसाना, बरसाना से नन्दगांव को मिलाने वाली कोई सड़क इस वक्त तक हमारे जिले में नहीं थी और इसी साल वह सड़क बन कर तैयार हो गयी है। इस तरह से ३०-४० मील का सफर जो अब तक कठिनाई से होता था उसको यात्री आसानी से तय कर लेते हैं। इस सिलसिले में मैं बृजवासियों की तरफ से सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं।

एक दूसरी बात की तरफ मुझे सरकार की तवज्जह दिलानी है कि बेशुमार चैरिटेबिल इन्डाउमेंट हमारे सूबे में हैं। शिक्षा के लिये, मन्दिरों के लिये तथा और चीजों के लिये इन्डाउमेंट मौजूद हैं। यहां तक कि कम्बल बांटने के लिये ट्रस्ट भी मौजूद है। अनाथालय, विधवाश्रम, स्कूल कालिजों के लिये करोड़ों की सम्पत्ति हमारे सूबों में है।

[श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन]

अगर सरकार मुमकिन समझे तो यह धन पंचवर्षीय योजना तथा ऐसी ही दूसरी योजनाओं के लिये इस धन को इस्तेमाल करे। सरकार की तरफ से मेरे सवाल के जवाब में यह बताया गया था कि इस बारे में रिसर्च किया जा रहा है और रिपोर्ट आने पर कोई मुनासिब कार्यवाही की जायगी । इस धन्यवाद के बाद में इस मौके से यह फायदा उठाना चाहता हूं कि दो-तीन सुझाव सरकार के सामने और रखूं जिन पर सरकार तवज्जह दे ।

श्री नरोत्तम दास टन्डन जी ने फरमाया कि शराब चूंकि नहीं बन्द हो रही है इसलिये उसको जो बन्द करने के कायदे हैं वह हटा दिये जायं तो इसका मतलब यह है अगर चोरी होती है और चोर नहीं मानते हैं, तो फिर चोरी करने की आम इजाजत दे दी जाय। मैं समझता हूं कि यह दलील शायद ही कोई माने या इसको ठीक समझे। ९ जिलों में नशाबन्दी इस समय है लेकिन अफसोस है कि इस साल कोई जिला इस योजना में नहीं लिया गया। मेरा कहना यह है कि कहीं बने या न बनें लेकिन मथुरा में शराब बन्दी हो और बृन्दावन में न हो तो फिर इसकी वजह से बहुत खराबियां पैदा हो जाती हैं। कानपुर में शराबबन्दी है और लखनऊ में नहीं है तो लोग आकर कानपुर से लखनऊ में पी जाते हैं। बात तो यह ठीक है लेकिन कम से कम सरकार को कुछ न कुछ फायदा हो ही जाता है रेल का किराया तो मिल ही जाता है न यहां की सरकार को सही, सेन्ट्रल की सरकार को तो मिल ही जाता है। फिर वही लोग यहां पीने आते हैं जो एफोर्ड कर सकते हैं। इसलिये मैं सरकार से दस्त-बस्ता दरख्वास्त करूंगा कि वह योजना भले ही कहीं न लागू करें लेकिन कम से कम मथुरा जिले में, जिसको बहुत रमणीक बनाया गया है वहां पर तो यह शराबबन्दी कर ही दी जाय। केवल कुछ लाख का नुकसान इससे होगा। मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दें।

घाटों के निर्माण के बारे में माननीय मन्त्री ने कहा था कि गोकुल, कैलाश, मथुरा आदि के घाटों के प्रबन्ध के लिये रुपया लोकल बाडीज को दिया जायगा। इसके लिये मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ कार्यवाही करने के लिये और आहिस्ता-आहिस्ता इसके निर्माण के लिये सरकार जरूर ध्यान देगी।

कुटीर उद्योगों के लिये काटेज इन्डस्ट्रीज के लिये जो कार्यवाही सरकार कर रही है उसमें मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि जहां और चीजों के लिये उन्होंने इन्तजाम किया है वहां एक चीज का वह और भी इन्तजाम करे जिसकी आज जरूरत है और वह यह है कि हमारे आसव, अरिष्ट, गिलोय के साथ ही मुलेठी, उन्नाव आदि का सत भी निकलवा कर औषधालयों को दिलाया करें। यह सत जो बाजार में मिलते हैं उनसे खांसी को तो आराम होता नहीं बल्कि और बढ़ जाती है। काजल से रंग करके और उसमें मुलेठी का रंग देकर मुलेठी का सत तैयार किया जाता हैं। तो इस काटेज इन्डस्ट्री में औषधि निर्माण का कार्य भी शामिल कर लें, तो इससे बहुत से बेरोजगारों को रोजगार मिल जायगा और जो उस बारे में कमी है वह भी दूर हो जायगी। इसके अलावा खाने-पीने की चीजों में इस कदर मिलावट शुरू हो गयी है कि मक्खन कभी-कभी लखनऊ में भी बिलकुल शुद्ध मिलना मुश्किल हो जाता है। इसमें सरकार ने कुछ कड़ाई की है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह भी उसी किस्म की चीज है कि जैसे सच्चे मोती की जगह पर कांच का मोती देना और इस सिलसिले में और ज्यादा कड़ाई की जरूरत है।

सिंचाई की व्यवस्था की तरफ मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा और इसके साथ ही साथ मैं शहरों में बिजली जो दी जाती है, उसके बारे में भी कहूंगा। जब टैक्स बिजली कम्पनी लेती है तो यह उसका फर्ज है कि वह लोगों को

बिजली यूज करने के लिये पूरा मौका दे। यह कहना कि लोड नहीं है, ठीक नहीं। जब लोड नहीं ले सकते हैं तो आप नये कनेक्शन्स ही क्यों देते हैं। यही हालत आबपाशी की है। हमारे जिले में जितनी सिंचाई होती थी, इन पिछले चार सालों में सरकार की तरफ से बताया गया कि उसमें ९० हजार एकड़ ज्यादा हुई है। नहरों में ज्यादा पानी नहीं आया, नई नहरें नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी यह इसलिये बताया कि शुरू-शुरू में पानी दे दिया गया और बाद में पानी वहां पहुंचा या नहीं इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया। सरकार को मजबूर किया जाता है कि वह नये लोगों को सिंचाई की सुविधा दे, लेकिन जब आपके पास साधन नहीं हैं, जब आप के पास पानी नहीं है तो ऐसी मांग आपके लिये न मानना ही अच्छा है। इस तरह की मांगों को मान कर आप अगर सौ लोगों को खुश कर लेते हैं, तो उससे दस हजार आपको गाली देने वाले पैदा हो जाते हैं। तो यह तरीका अख्तियार करें बिजली के मामले में, आबपाशी क मामले में कि अगर आपके पास गुन्जाइश है तब तो आप नये लोगों को उसका सुभीता दें, नहीं तो आपको उनको न कर देना चाहिए, तब तक के लिये जब तक कि आपके नये प्रोजेक्टस अपना काम शुरू न कर दें।

मुझे सिर्फ एक ही बात और अर्ज करनी है कि हमारे भाई कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा कि सरकार रिजर्व फन्ड भी खर्च कर रही है और कहीं ऐसा न हो कि जो अगला एलेक्शन हो और उसके बाद जो सरकार बने तो वह यह देखे कि उसके पास कोई रिजर्व फन्ड ही नहीं है। मैं उनसे बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें शायद अगले चुनाव तक रिजर्व फन्ड रखने की जरूरत ही न पड़े। हम अपने काम को इस तरह से चला रहे हैं कि हमें उसके प्रयोग की आगे कोई जरूरत ही न रह जायगी और इसके लिये घबड़ाने की कोई बात नहीं है। एक चीज और उन्होंने फरमाई थी कि उन्हें ९ जिलों में मद्य-निषेध की शिकायत है। मैं तो इस शिकायत को ५२ जिलों में देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि अगला चुनाव आने तक यह बीमारी सारे सूबे में फैल जाय तो अच्छा है।

तीसरी बात यह कि ग्राम पंचायतों की सवा करोड़ की तो आमदनी है और उनका अपना खर्च ही एक करोड़ रुपया हो जाता है। तो मैं तो यह कहता हूं कि न तो यह आमदनी ही काफी है और न यह खर्चा ही। अगर हमें अपने गांवों को स्वर्ग बनाना है जो यकीनन बने हैं और बनकर रहेंगे, तो उनकी इन बातों से काम नहीं चलेगा, उनको यह कहना चाहिए कि जितना रुपया गांवों के सुधार के लिये चाहिए उतना दिया जाय। वह तो कांग्रेस में ही हैं और न किसी दूसरी पार्टी ही से उनका सम्बन्ध है। तो उनके लिये यह एक अच्छा मौका है कि वह अपना जीवन और अपनी सम्पत्ति गांव के सुधार में लगा दें। मुझे आखीर में यह कहना है कि प्रोजेक्टस जो बने हैं, उनमें विरोधी दल का बहुत सन्देह है और इस सम्बन्ध में मुझे भी सरकार से कुछ शिकायत है वह यह कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा इन्तजाम होना चाहिए कि कुंवर साहब और दूसरे विरोधी दल में बैठने वाले लोगों को तमाम प्रोजक्टस दिखा दिये जायं अगर वह अपने खर्च से नहीं देखना चाहते हैं तो खर्च दिया जाय और साथ ही इसके हम में से जो लोग देखना चाहें वह भी देख लें। मुझे यकीन है कि विरोधी दल के लोग भी जब उन्हें देखकर आयेंगे, तो वह भी अपनी राय बदल देंगे, जो आज उन्होंने जाहिर की है। दूसरे मेम्बर साहबान भी जो यहां तशरीफ रखते हैं। वह भी देख लेंगे, इसलिये कि जो कुंवर साहब की शिकायत है तो वे लोग भी जोरदार लफ्जों में बता सकेंगे कि आपके ख्यालात गलत क्यों हैं। इन शब्दों के साथ मैं बजट स्पीच का स्वागत करता हूं जो वित्त मन्त्री जी ने पेश की है।

संस्कृत शिक्षा परिषद् के लिए एक सदस्य का निर्वाचन

चेयरमैन—एक नाम संस्कृत शिक्षा परिषद् के लिये यहां से चुनना था। श्री सभापति उपाध्याय का नाम श्री परमात्मानन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत किया है और उसका अनुमोदन श्री जगन्नाथ आचार्य द्वारा किया गया है। इसलिये मैं श्री सभापति उपाध्याय का नाम संस्कृत शिक्षा परिषद् के लिये निर्वाचित घोषित करता हूं।

सदन का कार्यक्रम

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बजट के डिस्कशन के बाद इस हाउस के पास चार बिल और हैं। एक तो जो पंचायतें हैं, उसकी मियाद के बढ़ाने का सवाल है और एक है सेल्स टैक्स बिल, एक कैटिल ट्रेसपास के मुताल्लिक बिल है और जो चौथा है वह है इन्कम्बर्ड इस्टेट बिल। यह ४ बिल हैं इनमें से दो बिल ऐसे हैं, जिनके जरिये से मियाद बढ़ायी जा रही है, उनको मुकर्ररा मियाद में होना चाहिए जो हमारे कान्स्टीट्यूशन के अन्दर मुकर्रर है, इनको इसी नशिश्त में होना है। बहरहाल सेल्स टैक्स बिल की भी मियाद है और उसे भी होना है उसी मियाद के अन्दर। दो और बिल हैं, जिनके लिये मुझे ज्यादा जोर नहीं देना है। लेकिन मैंने सोचा है कि अगर यह चारों बिल इसी डिस्कशन के बाद हो जायं, तो क्या हर्ज है ? कल की २७ तारीख तो यूं ही निकल जायगी, २८ तारीख को इतवार की वजह से बैठक नहीं हो सकेगी, पहली तारीख के लिये कुंवर साहब ने लिखा था कि उस दिन नान-आफिशियल बिल हो जायगा, मैंने उनको लिख दिया है कि मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि नान-आफिशल रेजोल्यूशन्स के लिये अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है इसलिये वह शायद न हो सकें। अगर मेम्बर साहबान जाना चाहें तो उसकी एक सूरत यह हो सकती है कि जहां तक नान-आफिशल रेजोल्यूशन का सवाल है उनके लिये हम ऐसा कर सकते हैं कि अगले नशिश्त में ३ दिन कान्टीनुअस ले लें।

मेरा यह सुझाव है कि अगली जो बैठक होगी उसमें तीन दिन नान-आफिशल डे हो जायेंगे। अभी जो काम है वह मेरे ख्याल में इसी बैठक में पूरा कर लिया जाय तो अच्छा होगा। मेरी यही राय है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है इसके अलावा जैसे भी हाउस मुनासिब समझे किया जायगा। इसके अलावा मैं यह भी दरियाफ्त करना चाहता हूं कि कल बजट के ऊपर गवर्नमेंट को कब से बोलने के लिये वक्त दिया जायगा।

चेयरमैन--गवर्नमेंट को कल २ बजे से ५ बजे तक वक्त दिया जायगा, मैं समझता हूं कि यह काफी होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--ठीक है।

चेयरमैन--मुझसे तो यह भी कहा गया है कि पहली तारीख को कुछ इलेक्शन वगैरह है इसलिये कुछ मेम्बर उस दिन बैठक नहीं चाहते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि लीडर आफ दि हाउस ने कहा कि वह तीन रोज नान-आफिशल डे देंगे तो यह ठीक है। उसके लिये काफी प्रस्ताव और बिल भी हैं जैसा कि श्रीमान् आपने पहले कहा था कि एक नान-आफिशल डे में प्रस्ताव होंगे और दूसरे में बिल लिये जायेंगे तो दोनों चीजें बिल और प्रस्ताव काफी हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि एक नान-आफिशल डे इस बैठक में दे दिया जाय और दो अगली बैठक में दे दिये जायें तो अधिक ठीक रहेगा। मैं समझता हूं कि इसमें किसी कोई को एतराज नहीं होगा। जहां तक पहली तारीख का ताल्लुक है उस दिन शायद राजाराम जी को कुछ इलेक्शन वगैरह का काम है। अगर वह उस दिन नहीं बैठना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब वाला, मुझे भी कोई एतराज नहीं है अगर आप लोग पहिली तारीख को नहीं बैठना चाहते हैं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि इस वक्त जो काम आया है वह पूरा हो जाय और यह तय कर लिया जाय कि वह किस दिन होगा। नान-आफिशल डे अगली बैठक में हो जायेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमान्, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि एक नान-आफिशल डे इस बैठक में हो जाय और दो नान-आफिशल डे अगली में हो जायें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं है।

चेयरमैन---मैं समझता हूं कि हाउस का यही साधारण मत है कि पहिली तारीख को बैठक न हो। इसलिये जो और काम है वह दूसरी तारीख को लिया जाय। तीसरी तारीख को छुट्टी है इसके बाद ४ तारीख को बैठक होगी। इसके बाद जब मार्च में हम लोग मिलेंगे तो नान-आफिशल डे हो जायेंगे।

कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ५ बजे दूसरे दिन २७ फरवरी, १९५४ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।)

लखनऊ,
२६ फरवरी, १९५४,

कृष्ण बहादुर सक्सेना
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०--१ एल० सी०--१९५४--८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

२७ फरवरी, १९५४

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५२)

अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
दीप चन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
वीर भान भाटिया, डाक्टर
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हरगोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :—

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मन्त्री)
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री)
श्री चन्द्र भानु गुप्त (स्वास्थ्य व रसद मन्त्री)
श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मन्त्री)
श्री गिरधारी लाल (निर्माण मन्त्री)

सन् १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि सन् १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश औषधि (नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २९ जनवरी, १९५४, को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५४ ई० का दूसरा अधिनियम बना ।

वित्तीय वर्ष सन् १९५४-५५ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद

चेयरमैन--अब बजट पर साधारण विवाद जारी रहेगा ।

*श्री हरगोविन्द मिश्र (नाम निर्देशित)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अत्यन्त सुन्दर और सर्वप्रिय बजट का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं अपने मुक्त कण्ठ से इस सुन्दर बजट की प्रशंसा करता हूं। हर प्रकार से सुन्दर और सुचारुरूप से बने हुये इस बजट को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा सुन्दर बजट कभी देखने में नहीं आया है । इसमें सत्य हस्त की झलक प्रतीत होती है । हमारे माननीय मुख्य मन्त्री (श्री पन्त जी) एक महान सम्पत्ति-शास्त्री और एक महान् सम्पत्तिशास्त्रवेत्ता हैं । उनके शासन काल में इस प्रकार का बजट आना एक स्वाभाविक सी चीज है । भारत वर्ष के समस्त सम्पत्तिशास्त्रवेत्ताओं में पन्त जी का स्थान सर्वोच्च है। अपनी आंखों से देखी बात है कि जिस समय देहली असेम्बली में बड़े बड़े अर्थ शास्त्री लोग और वित्त विभाग के बड़े-बड़े लोग आते थे तो वे चारों तरफ निगाह दौड़ा कर यह देखते थे कि कहीं पन्त जी तो नहीं बैठे हैं। जब वे लोग घर से चलते थे तो देवी देवताओं को मना कर चलते थे कि कहीं पन्त जी से मुठभेड़ न हो जाय । इस प्रकार से सम्पत्तिशास्त्रवेत्ता को मैं अपना मुख्य मन्त्री देखकर धन्य-धन्य समझता हूं। यह कहना अनुचित न होगा कि बजट बहुत ही सुन्दर है। यह बजट क्या है, यह तो गोविन्द की बाहुओं पर गोवर्धन पर्वत है और ग्वाल-बाल अपनी लकुटी लगाये हुये हैं। इतना सुन्दर बजट होने पर अगर सब माननीय सदस्य इस सुन्दर बजट का स्वागत करते और अपना सहयोग देते, तो कितना अच्छा होता। इस प्रदेश में हमारा सूबा सबसे उत्तम बन सकता है, अगर हमको सबका सहयोग प्राप्त होता और इस बजट में दी हुई योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने में हम सफल हो सकते। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि समस्त प्रदेश में सुख और शान्ति का राज्य है । परन्तु योजनायें कितनी ही उत्तम बनायी जायं, बजट अच्छा से अच्छा प्रस्तुत किया जाय, फिर भी कुछ तात्कालिक प्रश्न उसमें उठ सकते हैं। यह प्रश्न कोई आज का नहीं है, अनन्त काल से इस प्रकार के प्रश्न उठते रहे हैं । यह कोई आज की बात नहीं, बल्कि चौदहवीं शताब्दी की बात है । पुरातत्व काल में भी एक महान विद्वान् ने इस प्रकार का प्रश्न उठाया था, जिसको कि मैं आज मन्त्रिमंडल के सामने फिर दोहराना चाहता हूं । महाकवि कालीदास के काव्यों में उल्लेख होने वाले मल्यनाग चौदहवीं शताब्दी में हुये । उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न राज्य के सामने उपस्थित किया था, उसका मैं यहां जिक्र कर देता हूं। उनके परिवार में उनकी मां, उनकी पत्नी और वे स्वयं अर्थात् तीन जने रहते थे । वे बड़े दरिद्र थे, जैसा कि बहुधा विद्वान् लोग हुआ करते हैं । एक रोज माता ने कह-सुन कर उनको राजा के पास भेजा कि वे वहां जाकर धन लायें । वे वहां गये, मगर संकोच के साथ राजा से कुछ मांग नहीं सकते थे, परन्तु जो श्लोक उन्होंने राजा के सामने पढ़ा, उससे सारा सार आ जाता था । वही श्लोक मैं आपकी आज्ञा से यहां सुनाना चाहता हूं। "अम्बा तुष्यति न मयम्"

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

इसका अर्थ है कि मेरी मां मुझसे प्रसन्न नहीं है। "नचयुमया न सा सम्ब्रया", इसका अर्थ है कि मेरी मां, स्त्री से प्रसन्न नहीं है और न मेरी स्त्री, मेरी मां से खुश है और न मुझसे खुश है। "अहमपि नतया, नतया", मैं भी न अपनी मां से प्रसन्न रहता हूं और न अपनी पत्नी से प्रसन्न रहता हूं। "वद राजन् कस्य दोषयं", हे राजन् बतलाइये कि इसमें किसका दोष है। यह त्रिकोणिक समर हमारे परिवार में चल रहा है, तो उसमें किसका दोष है। राजा बड़ा चतुर था, उसने एक थैली मंगाई और कहा कि यह किसी का दोष नहीं है और इसी के कारण तुम्हारे यहां लड़ाई होती है, तुम इसको ले जाओ। यही महान् प्रश्न आज सभी प्रदेशों के सम्मुख उपस्थित है और वह भी बड़े भयंकर रूप में है। मिल-मालिकों को देखिये, चाहे मजदूरों को देखिये। मजदूर मिल-मालिक से प्रसन्न नहीं और मिल-मालिक मजदूरों से प्रसन्न नहीं हैं, मिल-मालिक और मजदूर दोनों सरकार से असन्तुष्ट हैं तो इस तरह की बात आज हो गई है। सब कहते हैं कि आज इसका कोई उत्तर मिलना चाहिए जिससे कि यह त्रिकोणिक युद्ध किसी तरह से समाप्त हो, लेकिन यह हो कैसे। आजकल के गणराज्य में और गणतन्त्र राज्य में राजा और प्रजा का सम्बन्ध तो नहीं रहा, न अब पहले जैसा राजा है और न वह प्रजा है, परन्तु थैली की जरूर आवश्यकता है। हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि किसी तरह से हमें थैली मिलती रहे। आज की गवर्नमेंट थैली कहां से लाये, गवर्नमेंट तो स्वयं जनता से कर आदि ले करके काम करती है। यह तो हम सब का काम है कि हम बड़ी-बड़ी योजनायें मन्त्रिमंडल के सामने उपस्थित करें, जिसके द्वारा कि धन-धान्य और समृद्धिशाली प्रदेश में उन्नति हो। सम्पत्तिशास्त्रियों ने बतलाया है कि आदिभाव दो प्रकार से होता है, एक तो भूमि से और दूसरे व्यवसाय से हो सकता है। वसुन्धरा (पृथ्वी) को इसलिये कहा गया कि वह सब प्रकार की सम्पत्तियों को उपार्जित करती है। अस्तु पहली थैली जो हमको निकालनी है वह कृषि द्वारा निकालनी है। कृषि की सम्पत्ति से हम उसको बड़े पर्याप्त रूप में इस बजट के अन्दर पाते हैं और दूसरे वाणिज्य व्यापार के द्वारा। 'उत्तम खेती मध्यम बान' यह हमारे पुरखा लोग कह गये हैं। खेती का प्रबन्ध ठीक है, सिंचाई की योजनायें हैं, बड़े-बड़े काम हुये हैं। इस बजट के अन्दर जो योजनायें हैं उसके द्वारा प्रान्त की जितनी इन्डस्ट्रीज और व्यवसाय का जहां तक सम्बन्ध है उसके ऊपर तो तुषार पड़ गया है। हरी-भरी लहलहाती इन्डस्ट्रीज आज भयंकर रोग से पीड़ित है। जो फैक्ट्रियां बीहाइव की तरह से इस प्रदेश में चलती थीं, उनके ऊपर एक प्रकार से वज्रपात आज पड़ गया है। मैं किसी शिकायत के रूप में मन्त्रिमंडल के सामने यह बात पेश नहीं करता हूं, परन्तु मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं कि इन परेशानियों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करूं। संभव है, कार्य अधिक होने के कारण वह इस तरह के कार्य न कर सके हों और मेरा इन चीजों का जिक्र करने का केवल यही अभिप्राय है कि मैं उसको स्मरण दिला दूं कि इन्डस्ट्रीज के बगैर काम नहीं चलेगा। व्यापार और इन्डस्ट्री की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। कहा गया है कि 'व्यापारे बसते लक्ष्मी'। लक्ष्मी का निवास तो व्यापार और उद्योग-धंधों में है। जिस देश में उद्योग-धंधे चलते हैं उस देश में सुख-शान्ति और समृद्धि का राज्य होता है। यह कहना अनुचित न होगा कि व्यापार को बढ़ाने के लिये ही लोग एक देश से दूसरे देश में अपनी गवर्नमेंट ले जाते हैं। अस्तु मैं अत्यन्त सम्मान के साथ और अत्यन्त विनीत होकर मन्त्रिमंडल से प्रार्थना करूंगा कि वह कृपा करके वाणिज्य और इन्डस्ट्री के ऊपर पूरे तौर से गौर करें। आज क्या हो रहा है, वह मैं थोड़ा सा सदन में बतला देना चाहता हूं। इन्डस्ट्रीज की शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है, जो कुछ शिकायतें हैं

[श्री हरगोविन्द मिश्र]

वह लेबर की तरफ से होती हैं। और आज ट्रिपार्टिक कान्फ्रेन्स वगैरह होती हैं, उनमें भी लेबर की बातें कही जाती हैं, परन्तु यह भूल जाते हैं कि लेबर और इन्डस्ट्री का पारस्परिक सम्बन्ध है।

श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--आपके नुमाइन्दे भी वहां गये थे।

श्री हरगोविन्द मिश्र--पहले मेरी बात सुन लीजिये, फिर आपको जो कुछ कहना हो बाद में कहिए। इन्डस्ट्रीज की आज क्या हालत है, यह किसी से छिपी नहीं है। इस प्रदेश में कानपुर सबसे प्रधान स्थान है, इन्डस्ट्रीज के लिये, जितनी इन्डस्ट्रीज कानपुर में हैं उतनी किसी शहर में नहीं हैं, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अपने देश में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या अन्य प्रान्तों को ले लीजिए और बाहरी मुल्कों में अमेरिका, इंग्लैन्ड, जर्मनी इत्यादि को ले लीजिए। कानपुर के बराबर कोई स्थान इन्डस्ट्रीज के लिये इतना प्रसिद्ध नहीं है, परन्तु फिर भी उनके ऊपर इतना बोझ लाद दिया गया है कि वह बेचारे तिलमिला गये हैं। एलेक्ट्रिसिटी को देखिये, उनके रेट्स वैसे ही ऊंचे थे और यदि कानपुर में उसका एवरेज १२ पाई पड़ता है तो बम्बई कलकत्ता में केवल ५ पाई प्रति यूनिट पड़ता था। अब उसके ऊपर २५ प्रतिशत ड्यूटी और लगा दी गयी है, उसकी वजह से १२ पाई के स्थान पर १५ पाई हो जाता है। संभव है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूं। मगर अपनी स्मरण शक्ति से मैं यही कह सकता हूं कि २५ प्रतिशत बढ़ जाने से उसका एवरेज १५ पाई पर यूनिट पड़ता है। अब कलकत्ता काटेन मिल्स में देख लीजिए कि वहां पांच पाई पड़ता था और अगर २५ प्रतिशत यहां भी बढ़ गया है तो वह कलकत्ता काटेन मिल्स में ड्यूटी देने के बावजूद भी सवा पाई और बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर कलकत्ता बम्बई में सवा लाख रुपये की ड्यूटी दी जायगी तो इस प्रदेश में ५ लाख या ६ लाख ड्यूटी पड़ेगी। जे० के० ग्रुप काटेन मिल्स के ऊपर उसका भार ६ लाख के ऊपर पड़ता है। स्वदेशी काटेन मिल्स के ऊपर ६ लाख, बी० आई० सी० के ऊपर ८ लाख के ऊपर भार पड़ता है। इस प्रकार से एक नन्हें बच्चे की तरह बम्बई और कलकत्ता के हाथ में एक बांस का डन्डा दे दिया गया है और दूसरे जो समृद्धिशाली मिल्स हैं उनके हाथ में दोनली बन्दूक दे दी गयी है तो बतलाइये कि किस तरह से मुकाबिला हो सकता है। मेरा मतलब यह नहीं है कि इस प्रदेश का खर्चा कम कर दिया जाय, मैं तो कहता हूं कि आप खर्च कीजिए और शौक से कीजिए, मगर दोनों में तुलनात्मक सम्बन्ध रखिये। आप यदि कर और बढ़ाना चाहें तो बड़ी खुशी से बढ़ा सकते हैं। हम कर देने में कमजोर नहीं हैं और मैं समझता हूं कि देश को यदि समृद्ध बनाना है तो कर लगाना अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर कर लगाना ही है तो जो मिलें बम्बई, कलकत्ता और अहमदाबाद में हैं उनके ऊपर भी आप गौर कर लें, अगर इन्हीं के बराबर ले लिया जाय, तो कोई अनुचित न होगा। कलकत्ता काटेन मिल्स में ५० रुप २ आना ५ पाई एक मजदूर को मिलता है जो उसकी बेसिक तनख्वाह और डी० एफ० ए० लगा करके होता है, वह कानपुर की मिलों में करीब १०० रुपये के पड़ता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि सौ रुपये काट कर आप ५० रुपये कर दें, आप १०० के १५० कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु इतना ध्यान रखिये कि उन मिलों के मजदूरों को भी १५० दिया जाय ताकि हम एक दूसरे के समान हो सकें तथा एक दूसरे का मुकाबिला कर सकें। आज परिस्थिति क्या है, आज स्वदेशी काटेन मिल

में १०,००० आदमी काम करते हैं, जबकि बम्बई की मिलों में ६,००० आदमी से कम काम करते हैं ।

अब हमारी इन्डस्ट्रीज को ले लीजिए। पीलीभीत शुगर मिल्स में एक हजार टन का उत्पादन होता है और वहां तीन हजार आदमी काम करते हैं, जबकि बम्बई के मिलों में दो हजार टन के उत्पादन में ५०० आदमी काम करते हैं । तो भला किस प्रकार से मुकाबिला हो सकता है । इसका परिणाम यह होता है कि इन्डस्ट्रीज का न कोई विकास होता है न कोई उन्नति होती है और दिन प्रति-दिन उसका ह्रास होता चला जाता है। आज दूसरी जगहों में फायदा हो रहा है । होजरी इन्डस्ट्रीज को ले लीजिए, जिसके साथ मेरा ४० वर्ष तक का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और ४० वर्ष के अथक परिश्रम से उस इन्डस्ट्री को स्थापित किया गया और इस इन्डस्ट्री का जन्मदाता कानपुर रहा है । बम्बई कलकत्ता में तथा सारे भारतवर्ष में कानपुर से ही इन्डस्ट्री फैली, परन्तु आज क्या है, दूसरी जगह तो इन्डस्ट्रीज चल रही हैं और कानपुर, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर जैसे छोटे मंडलों में, जहां-जहां पर इन्डस्ट्रीज पहले चालू थीं, अब बिलकुल खत्म हो गई हैं।

२० और २५ वर्ष से काम करने वाले मजदूर जिनके बाल सफेद हो गये हैं, वह आज इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, उनको काम नहीं मिलता है । कारण क्या है ? ३ वर्ष हुये तब मैंने गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि अगर सेल्स टैक्स का ठीक तरह से प्रबन्ध न किया गया तो यह होजरी की इन्डस्ट्री नष्ट हो जायगी । हमारे यहां के सेल्स टैक्स के आफिसर्स मिस्टर दास, सिद्दीकी आदि बड़े अनुभवी आफिसर्स हैं और वह कन्विन्स हो गये थे और कहते थे कि यह ठीक बात है, परन्तु दुर्भाग्यवश फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने उस बात को नहीं माना, परिणाम यह हुआ जैसा कि मैंने ३ वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी, आज वह इन्डस्ट्री खत्म हो गयी । फैक्टरी में लाखों करोड़ों का स्टाक पड़ा है, बड़ी-बड़ी सुन्दर मशीनें दर्शनमात्र की चीज रह गयी हैं । यह बड़े खेद का विषय है कि हमारे स्वदेशी राज्य में एक हरी-भरी इन्डस्ट्री इस तरह से उनकी आंखों के सामने नष्ट हो जाय । हुआ क्या, मैं आपको बताऊं । यह जो फैक्टरी का रा-मेटीरियल है उसके ऊपर यू० पी० में ३ रुपया २ आना प्रति सैकड़ा सेल्स टैक्स लिया जाता है और इस तरह का कोई भी टैक्स बम्बई कलकत्ता में नहीं है और न पंजाब में है। यार्न पर ३ रुपया २ आना सेल्स टैक्स प्रति सैकड़ा लिया जाता है । एक बार तो यार्न पर टैक्स लिया जाता है और उसके बाद जब उस यार्न से माल तैयार होता है तो उस पर ३ रुपया २ आना सेल्स टैक्स प्रति सैकड़ा लिया जाता है । इस तरह से डिफरेन्स में ९ प्रति सैकड़ा पड़ जाता है उसका परिणाम यह हुआ कि कलकत्ते का बना हुआ माल ९ परसेंट सस्ता आकर के हमारे मार्केट में बिका और हमारी फैक्टरी बन्द हो गयी। यह कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा हूं जिसको साबित करने में प्रयास की जरूरत है । मन्त्रिमंडल जानता है कि बनारस ऐसे नगर में इन्डस्ट्रीज चल रही थी, लेकिन अब उसका सर्वनाश हो गया है । मैं मन्त्रिमंडल से नम्र शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि इन हजारों आदमियों की बेकारी को दूर करने के लिये वह कृपा करके उस सेल्स टैक्स को यार्न पर से हटा लें । लाखों की तादाद में हैन्ड लूम का काम करने वाले हमारे यहां हैं उनको जो यार्न सप्लाई होता है उस पर ३ रुपया २ आना फी सैकड़ा के हिसाब से सेल्स टैक्स लिया जाता है और मैं समझता हूं कि इस टैक्स को हटाने से कोई ज्यादा नुक्सान न होगा और दूसरी ओर लाखों आदमियों की रोटी चल जायगी और बेकारी दूर होगी । इसलिये मैं करबद्ध होकर बड़े नम्र भाव से मंत्रिमंडल से प्रार्थना करूंगा कि वह कृपा करके इस सेल्स टैक्स को हटा लें और अगर न हटा सकें तो यह कर सकती है कि जो दूसरे

[श्री हर गोविन्द मिश्र]

प्रदेश से हमारे यहां माल आता है उस पर ३ रुपया २ आने सैकड़े की ड्यूटी यार्न पर लगा दें । यह हमारी जिन्दगी और खाने-पीने का साधन है, इस पर इस तरह का टैक्स न लगाना चाहिए। आप बड़ी खुशी से फिनिश्ड माल पर टैक्स लगा सकते हैं यह छोटी छोटी बातें हैं जिनकी ओर मैं मन्त्रिमंडल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज इन इन्डस्ट्रीज में त्राहि-त्राहि मची हुई है। इसके लिये कुछ न कुछ उपाय सरकार को अवश्य सोचना चाहिए। सेल्स टैक्स की एकोनामी भी खूब हो रही है। जो माल बाहर से आता है वह बिना बिल और पुर्जे के आता है, उस पर कोई सेल्स टैक्स नहीं मिल सकता है, यह जो चोरी होती है उसको भी रोकने का प्रयत्न करना चाहिए और मैं कहता हूं कि इस प्रकार से वह चोरी रुक नहीं सकती है। मैं यह बात गवर्नमेंट आफिसर्स के लिये दोष-दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, बल्कि वह काम इस तरह से हो रहा है कि अच्छे से अच्छा आफिसर भी उसको चेक नहीं कर सकता है।

उसका तो कोई दूसरा उपाय ही सोचना पड़ेगा और वह उपाय यह है कि माल आने के पहले ही जिस प्रकार से रेल रिसीट से चुंगी वसूल की जाती है उसी प्रकार से रेल में रेलवे रिसीट पर उसे कलेक्ट कर लिया जाय। इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और पूरा पूरा टैक्स वसूल होगा और जो इस प्रकार कम्पटीशन खड़ा हो गया है जिससे हमारी इन्डस्ट्री बन्द हो गई है, उसके लिये भी हेल्प मिल सकेगी। मैं करबद्ध होकर मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर अवश्य ध्यान दें। क्योंकि भूखी जनता तिलमिला उठी है और बड़े पुराने-पुराने और अनुभवी मजदूर मारे-मारे फिरते हैं। उन पर आप दया कीजिए। लाखों हैन्डलूम चलते हैं। उन पर भी दया कीजिए। देखिये फिर आपका देश कैसे हरा-भरा हो जाता है। इसमें आपके लिये कोई मुश्किल नहीं होगी। मुमकिन है दस-बीस लाख रुपये का नुकसान हो जाये। मगर दस-बीस लाख रुपया गवर्नमेंट के लिये क्या चीज है। यह मामला होजरी इन्डस्ट्री के लिये ही नहीं है। आगरा की शू इन्डस्ट्री में भी यही असामंजस्य है। जहां-जहां यह टैक्स लगा हुआ है वहां-वहां इस प्रकार का असामञ्जस्य है या सेल्स टैक्स लेने का ठीक प्रबन्ध नहीं है। गत वर्ष भी मैंने मन्त्रिमंडल का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि कर देने से हम लोग डरते नहीं हैं। बराबर कर देंगे, परन्तु कर देने का ठीक प्रबन्ध हो। यह नहीं कि एक फैक्टरी में तो कर लग रहा है और पास की फैक्ट्री में कर नहीं लग रहा है। इससे कोई इन्डस्ट्री चल नहीं सकती है। जनता को महान पीड़ा होती है जैसा कि आज हो रहा है। "व्यापारे बसति लक्ष्मी" अगर उस महान विद्वान् को उत्तर हमारे शासन को देना है, तो वह इसी प्रकार से दिया जा सकता है। वह देश के व्यवसाय व्यापार और कृषि को बढ़ा कर ही दिया जा सकता है और उसके बढ़ाने में यदि कोई दिक्कतें होती हैं तो उनको साफ करके दिया जा सकता है।

दूसरी बात लीजिए, ला डिपार्टमेंट की। एक छोटा सा व्यापारी दस-पन्द्रह हजार रुपये से व्यापार प्रारम्भ करता है। व्यापार में उधार अवश्य किया जाता है। उस पन्द्रह हजार की पूंजी में से अगर आठ-दस हजार रुपया उधार दे दिया और जिसको उधार दिया वह चुपचाप बैठ गया, तो फिर उसके पास क्या साधन है। निश्चय ही वह कचहरी जायगा और कचहरी में पांच-पांच छः-छः वर्ष मुकद्दमा चलता है। पांच-छः वर्ष में तो उस व्यापारी का अन्त हो जायगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि ला डिपार्टमेंट में भी उन्नति हो। अगर वहां काफी जज नहीं हैं तो उनकी भी संख्या बढ़ायी जाये। यह भी उतना ही इम्पार्टेन्ट काम है जितना कृषि और इन्डस्ट्री को बढ़ाना। कोई किसी का उधार लेकर बैठ जाये और वापस न दे

तो व्यापार कैसे चल सकता है । व्यापार न चलेगा तो कृषि से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का विकास कैसे संभव हो सकता है। अतः मैं मन्त्रिमंडल से दूसरा निवेदन यह करता हूं कि हमारे जस्टिस विभाग में भी पूरी पूरी उन्नति होनी चाहिए और इस प्रकार का नियम बनाना चाहिए कि जिससे ६ महीने, तीन महीने या इसी प्रकार निश्चित समय के अन्दर मुकदमों का निर्णय हो जाये । ६ महीने या तीन महीने से अधिक समय न लगना चाहिए । अभी हाल में जब राष्ट्रपति महोदय इलाहाबाद आये थे, तो सुनने में आया है कि उनसे चीफ जस्टिस महोदय ने बताया कि साहब पचास-पचास वर्ष के केसेज चल रहे हैं। यह बड़ी दुर्व्यवस्था है । जस्टिस का ठीक से प्रदान न होना एक महान इनजस्टिस है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जस्टिस डिपार्टमेंट में भी सुधार किया जाय ।

वस्त्र और अन्न के बाद रहने के मकान की आवश्यकता होती है । जरूरत इस बात की है कि हजारों, लाखों मकान प्रदेश के अन्दर बनें जिससे सब लोग आनन्द से अपना जीवन व्यतीत कर सकें । आज क्या दशा है । मकान रहने के लिये नहीं मिलते । कोई मकान बनाना चाहता है मगर वह समझता है कि मकान बनायेंगे तो किरायेदार आयेगा । पता नहीं कि वह किराया दे या न दे । कचहरी जाऊंगा, तीन वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष लगेंगे । तब तक मैं क्या खाऊंगा । यहां भी जस्टिस डिपार्टमेंट का मामला आ जाता है ।

मकान सम्बन्धी जो मुकदमें हैं, उनका भी जल्दी फैसला होना चाहिए । इसी प्रकार की और बातें हैं और भी काम हैं जिनकी वजह से आजकल सब विकल हो रहे हैं । न्यूज पेपर इन्डस्ट्री को ले लीजिए। यह इन्डस्ट्री बगैर एडवर्टीजमेंट के कभी नहीं चल सकती । अमेरिका में एक पेपर निकला जिसका नाम था पी० एम०, उन्होंने सिद्धांत रखा था कि हम एडवर्टीजमेंट नहीं लेंगे । उसमें करोड़पति आदमी लगे थे । कुछ वर्षों बाद उसका भी अन्त हो गया । तात्पर्य यह कि अगर इन्डस्ट्री, व्यापार और कृषि आदि में उन्नति नहीं होती तब तक न्यूज पेपर इन्डस्ट्री चल नहीं सकती । जितने न्यूज पेपर्स हैं वे सब त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट नहीं मिलता । अध्यक्ष महोदय, स्वराज्य प्राप्त करने में जितनी कठिनाइयां न्यूज पेपर इन्डस्ट्री और व्यापारी वर्ग ने उठायी हैं वे किसी से कम नहीं हैं । आज भी न्यूज पेपर्स मन्त्रिमंडल और सरकार का बराबर गुणगान करते हैं और सबसे अधिक स्थान उनकी कार्यवाहियों को देते हैं और देना भी चाहिए । इसी प्रकार इन्डस्ट्री वर्ग पर जब जब मन्त्रिमंडल का कोई आदेश आता है वे उनकी आज्ञा का पालन करने के लिये तैयार हैं और तैयार रहेंगे । न्यूज पेपर इन्डस्ट्री की तरफ जिसके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और कई वर्ष तक न्यूज पेपर कान्फ्रेन्स का प्रधान रहा हूं और आज भी एक न्यूज पेपर निकाल रहा हूं, ध्यान देने की जरूरत है । अगर सुन्दर रूप से देश को उठाना है तो इन्डस्ट्री, व्यापार, कृषि और न्यूज पेपर इन्डस्ट्री आदि सबको प्रोत्साहन देना होगा । मैं काफी कह चुका हूं और मैं आशा करता हूं कि मन्त्रिमंडल मेरी कही हुई बातों पर ध्यान देगा । एक बात मैं भूल गया संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिये राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि बनारस संस्कृत कालेज को यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया जाय । मैं आशा करता हूं कि मन्त्रिमंडल इस कार्य को इस अवधि में समाप्त करेगा । संस्कृत टीचर्स के लिये एक स्केल बनाया गया था, मैं प्रार्थना करूंगा कि उसके लिये भी ध्यान दिया जाय ।

*श्री निजामुद्दीन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय चेयरमैन साहब, मैं वित्त मन्त्री जी को सन् १९५४-५५ के बजट के लिये मुबारकबाद पेश करता हूं ।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री निजामुद्दीन]

किसी बजट पर गौर करने से पहले यह बात जानना जरूरी होता है कि इस बजट के अन्दर जो योजनायें रखी गयी हैं वे जरूरियात जिन्दगी को मुकम्मिल करती हैं या नहीं । जब मैं इस बजट की योजनाओं पर नजर करता हूं तो मुझे पता चलता है कि जितनी जरूरियात जिन्दगी की हैं जिनसे इन्सान की जिन्दगी चल नहीं सकतीं, वे कुल इसके अन्दर मौजूद हैं ।

इसके मुताल्लिक इस बजट के सिलसिले में बहुत सी स्पीचेज हुईं । इधर से भी, उधर से भी बहुत सी आलोचनायें हुईं और यह कहा गया है कि हमारी जरूरियात जिन्दगी पूरी नहीं हो रही हैं और हमारा नैतिक स्तर गिरता जा रहा है । लोगों में उत्साह नहीं है । यह सब बातें कही गयीं । मगर उसी के साथ-साथ इस बात पर नहीं गौर किया गया कि इसकी बैकग्राउन्ड्स क्या हैं । इस बैक ग्राउन्ड्स की तरफ अगर हम नजर डालते तो हमको पता चल जाता कि किस स्थिति में हमारी सरकार काम कर रही है । सन् १९४७ में यह आजादी हम को प्राप्त हुई और जिस माहौल में और जिन सरकमस्टान्सेज में यह सरकार मालिक हुई उस वक्त की स्थिति क्या थी । उस पर गौर करना निहायत जरूरी है । मेरे ख्याल में जिस वक्त यह मुल्क आजाद हुआ उस वक्त यह एक उजड़ा हुआ मुल्क था । यह हर कन्डीशन में खराब हो चुका था, माली हालत खराब हो चुकी थी, गल्ला और कपड़ा बिल्कुल नहीं रह गया था और मैं समझता हूं कि बृटिश गवर्नमेंट ने जब इसको आजाद किया तो इस मुल्क को हमारे सुपुर्द इसलिये किया कि वे यह समझते थे कि यहां के लोग नाकाबिल हैं और वे इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं । आप मुलाहिजा फरमाइये कि यहां गल्ले की कमी थी, कन्ट्रोल लगाना पड़ा, कपड़े की कमी थी, उस पर कन्ट्रोल लगाना पड़ा । मगर आप यह देखिये कि यह तमाम दिक्कतें मैजिक लैन्टर्न से तो दूर नहीं हो सकती थीं । इसके लिये कुछ वक्त की जरूरत थी, कुछ समय चाहिए था । आप देखिये कि गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी जरूरत जो इन्सान की जिन्दगी कायम रखने के लिये होती है गल्ला और कपड़ा, इसको किस खूबी के साथ अन्जाम दिया । मैं तो सरकार को मुबारिकबाद देता हूं । आज कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो वह इस हिम्मत के साथ काम नहीं कर सकती थी । आज हम देख रहे हैं कि गल्ले के मामले में हम सेल्फ सफीशेन्ट हैं । कहा जाता है कि गांव वाले तकलीफ में हैं । गांव वालों की हालत खराब है । मैं तो यह समझता हूं कि जमीन्दारी खत्म होने के बाद आज अगर उनकी जिन्दगी को गौर से देखिये तो पता चलेगा कि वह आज ज्यादा खुशहाल हैं । जब वह शहरों में आते हैं तो यहां से सोना, चांदी खरीदते हैं । आज हमको गल्ला मंगाने की जरूरत बाहर से नहीं पड़ रही है । करोड़ों रुपया जो बाहर इस खरीद में जाया करता था, अब बच रहा है और मुझे तो यकीन है कि अब गल्ला यहां इतना पैदा हो जायगा कि उसको बाहर भेजना पड़ेगा और जो हमारा रुपया बाहर भेजा जाता था वह रिजर्व फन्ड में जमा होगा और उससे दूसरी योजनायें चलायी जायेंगी । कहा जाता है कि हमारी स्थिति खराब हो गयी है । आज चीजों की कीमत को देखिये । जो चीजें १२ आने या १ रुपया सेर बिक रहीं थीं, वह अब २ आने १० पैसे सेर में खरीदी जा सकती हैं । कपड़ा जो पहले हम नहीं पाते थे आज जितना और जिस किस्म का चाहें, ले सकते हैं, गल्ला जितना चाहें, हम खरीद सकते हैं । मैं तो यह समझता हूं कि यह तो हो नहीं सकता कि तमाम चीजें एक बारगी ही ले ली जाय । गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रुपया है और उसी हिसाब से उसको काम करना चाहिय । किसी शख्स ने यह नहीं बताया कि यह जो योजनायें रखी गयी हैं, वह नामुनासिब हैं । सब इनकी सराहना करते हैं कि जो भी योजनायें रक्खी गयी हैं वह सब मुनासिब हैं और इसके जरिये जो हमारी

जिन्दगी के लिये जरूरी चीजें हैं; वह रफ्ता–रफ्ता होंगी। कुल काम एक दिन में ही तो नहीं हो सकता है। अगर आप चाहें कि हमारी सारी कमी एक दो या तीन साल में ही पूरी हो जाय और सब कुछ मुकम्मिल हो जाय तो यह बिल्कुल नामुनासिब बात है। मेरे दोस्त गोविन्द सहाय जी ने जो यह कहा कि यहां का मारेल स्टैन्डर्ड गिर गया है, मैटीरियल स्टैन्डर्ड गिर गया है और तमाम सी बातें कहीं तो मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता हूं और समझता हूं कि उनकी बातों का जवाब देना नामुनासिब है। उनकी जितनी बातें हैं वह तो सब उल्टी ही नजर आती हैं। उनको तो अगर कहा जाय कि यह दिन है तो वह इसको दिन नहीं मानेंगे, वह कहेंगे कि तारे निकले हुये हैं, यह तो रात है। मैं उनके मुताल्लिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं चमगादड़ जो जानवर है उसको दिन में दिखायी नहीं देता। इसमें उस आफताब का कसूर नहीं, कसूर तो उसका है। हमारे भाई राजा राम और प्रभु नारायण जी ने भी इसकी बड़ी आलोचना की है और यह कहा है कि कोई उत्साह नहीं है और जनता का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है और तमाम बातें हैं। मगर मैं तो यह कहूंगा कि यह सब प्रोपेगैन्डा है और यह जो लोगों में उत्साह नहीं है वह तो इसलिये कि आज कांग्रेस की यही कमजोरी है। उसके कार्यकर्त्ता जनता तक पहुंचते नहीं, उसको अपनी बातें नहीं बताते, उसको यह नहीं बताते कि आज सरकार क्या करने जा रही है या उनके लिये वह क्या कर रही है और वहां प्रोपेगैन्डा इस बात का किया जाता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। मैं कहूंगा कि अगर हम इसका सीरियस व्यू लें और इस सारी बात को संजीदगी से देखें तो हमें पता चलेगा कि ज्यादातर यह जो कहा जा रहा है कि हमारा नैतिक स्तर गिर गया है और इस तरह की बातों का जो ढिन्ढोरा पीटा जा रहा है यह सब महज पार्टी प्रोपेगैन्डा है। यह सब सेल्फिश मोटिव से किया जा रहा है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि किसी साहब ने भी जितनी स्कीम्स पिछले साल चलायी गयी थीं उनमें से एक के लिये यह नहीं कहा कि वह सफल नहीं हुई या वह फेल हो गयी हैं। जितना काम हमने एक साल के लिये या दो साल के लिये लिया था उसको पूरा किया है लेकिन इसके बाद यह सोचना कि एक दो साल ही में हम सेल्फ सफीसियेन्शी हासिल कर लेंगे, मजाक करना है। प्रभु नारायण सिंह जी और राजा राम जी को तो इसकी तारीफ करना चाहिए कि जो योजनायें हैं वे सराहनीय हैं। इस साल हमने अपना ध्यान इन्डस्ट्री की तरफ दिया है। इस सिलसिले में काफी रियायतें दी जा रही हैं और उम्मीद है कि हम इसमें काफी उन्नति करेंगे। कहा जाता है कि डेफिसिट बजट है। मैं तो कहूंगा कि डेफिसिट बजट होना एक बड़े इस्तकलाल की बात है। गवर्नमेंट के हाथ में बजट बनाना था और अगर वह चाहती तो इसको वह एक बैलेन्स्ड बजट कर सकती थी। उसको इसमें कोई रुकावट नहीं थी।

जिसकी जरूरत थी उसको कायदे के साथ रखा गया, कर्ज की जो आप बात कहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कर्ज कभी नहीं हो सकता है। गल्ला से रुपया आयेगा वह रिजर्व फंड में जायगा। रिजर्व फंड तो इसीलिये है कि वह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर लगाया जाय। मेरे लायक दोस्तों को यही सब बातें देखना है। मुल्क बहुत नाजुक वक्त से गुजर रहा है। इस वक्त हम सब लोगों के लिये यह जरूरी है कि इतने परिश्रम से हमने आजादी हासिल की है उसको हर कीमत पर कायम रक्खें और देश को तरक्की की ओर ले जायें। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी के बजट भाषण का स्वागत करता हूं और उनको बहुत धन्यवाद देता हूं।

*श्री परमात्मानन्द सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)––माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर समय का अन्दाज कुछ मिल जाय और लाल झंडी न दिखाई जाय तो मैं उसी हिसाब से कुछ बोलूं।

---

*सदस्य ने भाषण शुद्ध नहीं किया।

चेयरमैन—१५ मिनट रखे गए हैं।

श्री परमात्मा नन्द सिंह—खैर मैं कोशिश करूंगा। श्रीमान् जी, मैं पूरे विश्वास और उत्साह के साथ अपने मंत्रिमंडल और विशेषकर वित्त मंत्री जी को इस भाषण के उपस्थित करने के लिये बधाई देता हूं। जो कुछ बजट की स्पीच में वित्त मंत्री जी ने कहा है जिसमें बहुत काफी विस्तार के साथ प्रत्येक अंग पर प्रकाश डाला गया है उसको यहां पर यह कह कर कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किये हैं मैं इस सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। सभी हमारे दोस्त, जो विरोध में हैं या कांग्रेस में हैं उन्होंने इसको देखा है और सभी ने इसको महसूस किया है। हर्ष यह है कि विरोधी भाइयों ने इसको गलत नहीं बताया या किसी ने रिफ्यूट करने की कोशिश नहीं की है। यही बताया है कि जो कार्य हमने किया है, वह कार्य ठोस है। अगर किसी ने कुछ कहा है तो यही कहा है कि यह काम नहीं हुआ है वह काम नहीं हुआ है और यह बात ठीक भी है कि कभी कोई काम बिल्कुल ठीक नहीं बताया जाता।

कोई चीज पूर्ण नहीं है और बड़े बड़े लोगों ने भी यह कहा है "Empty brain is a devil's workshop." इसका दावा न हमने किया है और न हम कभी कर सकते हैं। जो कुछ हमने दावा किया है वह सब के सामने प्रत्यक्ष है। जैसा टूटा हुआ खंडहर यहां अंग्रेजों से हमको दिया गया था उसका उल्लेख इस समय मैं नहीं करना चाहता। लेकिन वह सब के सामने है। न यहां गल्ला था न लोहा और न कोयला था और चारो तरफ न ही न देख पड़ता था।

(इस समय ११ बज कर ५० मिनट पर डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

इस खंडहर को बहुत हद तक छानने की हमने कोशिश की। खासतौर से हमारे सामने दो चीजें हैं। मैं तमाम बातों की चर्चा न करके इन्हीं दो बातों का उल्लेख आपके सामने करूंगा। मारेल और कल्चर को तो आप अलग रक्खें।

आज की दुनियां में हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या है, यह चीज बहुत जरूरी हो गयी है। अभी थोड़े दिन की बात है कि अमेरिका के प्रेसीडेंट ने हमारे प्रधान मंत्री के नाम एक पत्र भेजा, वह खत रेडियो में भी आया और अखबार में भी आया। उसमें भी इस बात का जिक्र था कि हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिये और दृढ़ होनी चाहिये। इस व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिये हमको कुछ सुविधायें पैदा करनी पड़ेंगी जिनके जरिये से हमारे देश की संपत्ति बढ़ सके। इसके लिये हमको सबके सहयोग की भी जरूरत होती है। यह बात सही है कि इस प्रकार के एक प्लान की व्यवस्था हुई। इस प्लान की व्यवस्था हमारे प्रधान मंत्री के दिमाग में उस वक्त भी आयी थी जब हमारा देश गुलाम था। आजादी हासिल करने के बाद वह प्लान शुरू हुआ। पांच वर्ष का प्लान आया। पांच वर्ष किसी देश के लिये बहुत अधिक नहीं होते हैं। यह जो पांच वर्ष की व्यवस्था बनी इसमें सहयोग देना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। हमारे भाई ने जो कहा और उनसे मेरी यह शिकायत भी है कि वह हमारे साथ पूरी तौर से सहयोग नहीं दे रहे हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी कल हमारे एक भाई ने यह भी कहा कि श्री जय प्रकाश नारायण जी ने अपना हाथ कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिये बढ़ाया, किन्तु हमारे कांग्रेस के लोगों ने उसको नहीं पकड़ा। मैं इस बात को मानता हूं कि उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, इसके लिये हमें बहुत ही खुशी है कि उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री से बातचीत की। उनकी कुछ ऐसी बातें थीं जिनको दो चार दिन में माना जा सकता था। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि कांग्रेस के लीडरों

ने किसी बात से इंकार नहीं किया। यह दूसरी बात है कि कुछ डिटेल में अपनी राय न दी हो। मैं एक बात यह भी चाहता हूं कि हमारे सामने बैठे हुए भाई क्या मेरी इस बात का जवाब देंगे कि जो हाथ श्री जय प्रकाश जी ने बढ़ाया उस हाथ के बारे में उनके दल की क्या राय थी। क्या श्री जय प्रकाश नारायण जी ने इस बात का प्रश्न नहीं किया गया कि उन्होंने यह हाथ क्यों बढ़ाया। मैं तो यह कहना चाहता हूं और उस वक्त मैं नैनीताल में था जब पंडित जवाहर लाल जी का भाषण प्लानिंग के विषय में हुआ था। मैं तो कहता हूं कि जो प्लानिंग बने उसमें उनको सहयोग देना चाहिये। आगे भी अब पांच वर्ष की प्लानिंग आने वाली है, उसमें अपना वह सहयोग दें। मैं कांग्रेस दल के एक बून्द के बराबर हूं, लेकिन फिर भी मेरा जो कर्त्तव्य है उसको पूरा करने के लिये तैयार हूं। तो आज जो पांच वर्ष का प्लान है, उसको आप बनाइए, उसमें आप अपना सहयोग दीजिए और उसको इस तरह से करने की कोशिश कीजिए कि वह सफल हो सके। आज आप कहते हैं और जैसा कि मेरे भाई गोविन्द सहाय जी ने कहा कि हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हमारे और आपके बीच में फंडामेंटल डिफरेंसेज हैं और हमारे और आपके एप्रोच में भी फर्क है। एप्रोच और फन्डामेंटल डिफरेंस की बात, हमारे और आपके देखने की नहीं है। मैं आप से कहता हूं, कि आप सहयोग के लिये हाथ आगे बढ़ाइए और पांच वर्ष का जो प्लान है, हम उसे दुरुस्त करने का प्रयत्न करेंगे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को भी इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। वे आपका बढ़ा हुआ हाथ पकड़ कर, अपने साथ आपको बिठाने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई, मैं अभी आपसे कहना चाहता हूं कि यही तमाम बातें हैं, डिफरेंसेज होते हैं और दूसरी बातें भी होती हैं, परन्तु जो कार्य हमें करना है और जो चीज हमारे सामने है, हम उसको मिल कर करें। मैं आपसे कहता हूं कि जब एक बात तय हो गई है कि हमारे प्रदेश में डेवलपमेंट होना है, विकास की योजनायें पूरी होनी हैं। विकास की योजनायों की बात तय हो चुकी है और कई जगह विकास हो भी चुका है, उसमें आपने भी कार्य किया और हमने भी किया और मैं भी यह मानने के लिये तैयार हूं कि आप १६ आने करते हैं तो हम १२ आने करते हैं। मगर इसमें कोई संदेह नहीं है कि विकास हुआ है और आगे भी हमें विकास करना है। आप यह भी मानते हैं कि इन पांच वर्षों में हमें बहुत से विकास के कार्य करने हैं। मैं कहता हूं कि आप इन विकास की योजनाओं में हमारा हाथ बटावें, हमारा साथ दें, उसमें काम करें और अगर फिर हम उनको पूरा न कर सकें, तो आप कह सकते हैं कि तुमने जो कहा था, उसको पूरा नहीं किया। मैं कहता हूं कि आप हमें हिम्मत दिलाइए, हमारे देश को हिम्मत दिलाइए, तभी हम अपने कामों में आगे बढ़ सकते हैं, आप लोगों के अन्दर निराशा के भाव पैदा न करें, आप जोरों से यह न कहें कि हमारा देश नीचे गिर रहा है, उसकी अवनति हो रही है, वह पतन की ओर जा रहा है, आप इस तरह की निराशा की मनोवृत्ति लोगों में पैदा न करें, बल्कि जहां हमारे डेवलपमेंट के काम हैं, उसमें आप हमारा हाथ बटावें, हमारा सहयोग दें, उसे पूरा करने की कोशिश करें और लोगों की हिम्मत उसके लिये बढ़ायें, इस प्रकार की एक कहावत है, "पुट दि टेलिस्कोप टू दि माइंड्स आई ऐंड शो दैट वी आर विलिंग"। (put the telescope to the mind's eye and show that we are willing)

इस तरह की मनोवृत्ति आपको रखनी चाहिये और तभी हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं इन्हीं थोड़ी सी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं आप इस बात को सोचने की चेष्टा करेंगे।

एक बात स्टैन्डर्ड आफ लिविंग के बारे में कही जाती है और स्वयं माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट स्पीच में इसका जिक्र किया है। स्टैन्डर्ड आफ लिविंग कई दृष्टियों से देखा जा सकता है। जहां तक इस बात का जिक्र है कि रोज हजामत बनाई जाय, शेव किया जाय, कपड़े रोज धोबी से धुलने चाहिये, मोटरों पर जरूर चढ़ा जाय, हाथ में घड़ी जरूर हो, फाउन्टेन पेन के अलावा दूसरी कलम से न लिखा जाय, तो जहां तक

[श्री परमात्मा नन्द सिंह]

इन सब चीजों का संबंध है, मैं यह जरूर समझता हूं कि स्टैन्डर्ड आफ लिविंग इस तरह से आज बढ़ गया है।

लोगों की जरूरियात बढ़ती चली जाती हैं, आवश्यकतायें बढ़ती चली जाती हैं, परन्तु मैं तो यह चाहता हूं कि स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जाय। मैं इसको बुरा नहीं कहता हूं परन्तु हमको थोड़ा सा सफाई के साथ में भी रहना चाहिये, हम अच्छी तरह से बैठें, उठें, सफाई के साथ अपने स्थानों को भी रखें, मैं यह नहीं कहता हूं कि यह बुरी चीज है। परन्तु यह आगे जा कर हमारे लिये ही हानिकारक नहीं होगी बल्कि हो सकता है कि यह चीज सारे देश के लिये हानिकारक हो। जहां हम दुनियां भर की शान और शौकत की तरफ ध्यान देते हैं, वहां हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। महात्मा गांधी ने जब यह देखा कि हमारे देश के नौजवान अंग्रेजों की नकल करते हैं, किस तरह से वह अपनी सादगी से बाहर हुए जा रहे हैं तो उस समय महात्मा गांधी अपनी सूट-बूट छोड़ कर कुर्ता और धोती पहिनने लगे और उसके कुछ दिन के बाद ही उन्होंने कुर्ता और धोती भी छोड़ दिया और केवल एक लंगोटी पर रहने लगे। उनका मतलब यह था कि हम अपने देश के अन्दर सादगी लाने की कोशिश करें। लोगों का जो स्टैन्डर्ड आफ लिविंग है वह सादगी की तरफ चले बजाय इसके कि उसमें कम्प्लीकेशन्स पैदा हो, उसमें निफासत और पेचीदिगियां पैदा करें। हमारा स्टैंडर्ड आफ लिविंग सादगी पर होना चाहिये और इसके साथ ही हमारे विचार ऊंचे हो सकते हैं। यह आवश्यक है कि हमारे दिमाग जहां तक भी खुराफात से बचे रहें, उतना ही अच्छा है क्योंकि तभी हम अच्छी बातें सोच सकेंगे। अगर हमारे दिमाग में खुराफातें भरी हुई हैं और हम इस तरह से निफासत में रहने की बातें सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छी बातें नहीं आ सकतीं। हमारा दिमाग उसी तरफ अधिकतर रहेगा और अच्छी बातों की तरफ हमारा ख्याल नहीं जा सकता।

कल जैसा कि श्री गोविन्द सहाय जी और श्रीमती महादेवी वर्मा ने कुछ बातों की ओर इशारा किया है और उसके बारे में कम से कम मैं उन महानुभावों के साथ हूं। मैं यह चाहता हूं कि जहां हम स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को ऊंचा करना चाहते हैं, वहां हम मारेल और कल्चर को भी ऊंचा उठाने की कोशिश करें। क्योंकि बगैर नैतिक स्तर के ऊंचा हुए यह आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं हो सकता और यदि हम आर्थिक स्तर को ही ऊंचा करें तो यह संभव है कि यह चीज हमें गलत रास्ते की तरफ ले जाय। थोड़ा बहुत नमूना हमारी आंखों के सामने आता है, मैं सांस्कृतिक विषय में नमूने के तौर पर यह कहूंगा कि कौंसिलर्स रेजीडेंस और लेजिस्लेचर्स रेजीडेंस में जहां पहले फर्शों पर चटाइयां बिछी होती थीं इसलिये कि बाहर से खट खट की ध्वनि न आये और वहां लोग शान्ति के साथ लिख-पढ़ सकें, वहां आज यह दिखाई देता है कि बाहर लोग और छोटे-छोटे लड़के खटपट लगाये रहते हैं। आज वहां की हालत यह है कि बाहर लोग जोर जोर से आवाजें मारते हैं। नौकर बहुत जोर से चिल्लाते हैं। इसी तरीके से नमूने के तौर पर यह भी कहता हूं कि अभी कुछ दिये हुए एक मुहकमें के बड़े आफिसर मेरे जिले में तशरीफ ले गए थे, उनके बहुत से प्रोग्राम थे और उन प्रोग्रामों के हस्बमामूल मेरे इंटरव्यू का भी एक प्रोग्राम था। मेरा तो ख्याल था कि वह इंटरव्यू के लिये समय नहीं देंगे परन्तु उन्होंने कृपा करके मुझे समय दिया। उनके दिए हुए समय के मुताबिक मैं ठीक ७ बजे पहुंच गया और ८ बजे तक उनका रास्ता देखता रहा, परन्तु उनका काई पता न था थोड़ी देर में एक साहब आये जिनसे मालूम हुआ कि वह कलक्टर साहब के यहां चले गए और वहां बैठ कर उनसे बातें कर रहे हैं। मैं एक कार्ड पर अपना नाम लिख कर वहां छोड़ आया इस उम्मीद में कि जब वह देखेंगे तो यह सोचेंगे कि यह भी लेजिस्लेचर के एक कम्बख्त मेम्बर हैं जो मुझसे मिलने के लिये आये हैं और इसको देख कर शायद आफिसर यह विचार करे कि कम से कम मैंने उनको मिलने का समय दिया था और मैं नहीं रहा तो वह एक चिट्ठी मेरे पास भेजेंगे।

परन्तु उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। थोड़े दिनों के बाद मैंने उनको एक पत्र लिखने की हिमाकत की और उसमें बताया कि आप फलानी जगह तशरीफ ले गए थे और उसमें मुझसे मिलने का आपका प्रोग्राम था। मैं आपके यहां गया परन्तु आपके दर्शन न हो सके। आप यह बतायें कि इसमें गलती मेरी समझी जाय या आपकी। मैं उम्मीद करता हूं कि जब कभी भी आप प्रोग्राम बनायेंगे और उस प्रोग्राम में जो आपका निश्चय हो उसको आपको कम से कम पूरा करना ही चाहिये। अगर इसमें मेरी कोई गलती है तो आप मुझे समझा दें। आज १५ या २० दिन हो गये परन्तु उन्होंने इतनी भी कृपा नहीं की कि मेरे खत का जवाब दे देते। इस तरह से मैं देखता हूं कि आज हमारी जो कल्चरल तरक्की है वह बाज-बाज खित्तों में नीचे की तरफ चली आ रही है। हमारा ध्यान इन चीजों की तरफ भी होना चाहिये।

दूसरी चीज का खास जिक्र है, वह है अनइम्प्लायमेंट। अनइम्प्लायमेंट वाकई में बहुत बुरी चीज है और अगर वाकई में लोग अनइम्प्लायड रहेंगे तो यह सही है कि "एम्पटी ब्रेन इज ए डेविल्स वर्कशाप" जब आदमी बेकार रहेगा तो वह कुछ न कुछ शरारत करने की कोशिश करेगा। अगर हम यह चाहेंगे कि लोगों को इम्प्लायमेंट मिले तो उनके लिये यह आशा करना निर्मूल है कि सरकार ही उनके लिये प्रबन्ध करे या इंस्टीट्यूट खोले। उसके लिये उनकी शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिये और शिक्षा के द्वारा ऐसी सुविधायें पैदा की जायें जिससे वह अनइम्प्लायमेंट दूर करने के लिये अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इसके लिये दो चीजों पर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये। एक तो शिक्षा जिसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्योंकि इस भवन में शिक्षा से संबंध रखने वाले बहुत से मेम्बर हैं और बहुत से लोगों ने इसके विषय में कह दिया है कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिये और यह ठीक है। शिक्षा में आमूल परिवर्तन होना चाहिये और उसमें मैं एक चीज सजेस्ट करने के लिये तैयार हूं जिसको यदि शिक्षा विभाग के लोग नोट करके शिक्षा मंत्री तक पहुंचा दें तो अच्छा हो और वह यह है कि जहां एक ही जिले में २,४ कालेज हैं, उनमें हमारे विभागों को एफीलिएशन नहीं देना चाहिये जब तक कि हर एक इंस्टीट्यूशन की अलग-अलग लाइन न हो। मसलन मेरे बलिया जिले में अलग-अलग डिग्री कालेज हैं और वह सब एक ही लाइन पर चल रहे हैं इसलिये उनको एक लाइन पर न चला करके अलग-अलग लाइन पर चलना चाहिये। जैसे एक स्कूल आर्ट में एस्पेशलाइज करे, एक साइंस में स्पेशलाइज करे, एक टेक्निकल चीजों में स्पेशलाइज करे और इस तरह से अलग-अलग प्रबंध होना चाहिये। बजाय इसके कि हर शख्स बी० ए० पास करता चला जाय और उससे अनइम्प्लायमेंट क्रिएट होता चला जाय, उनमें ऐसी सुविधायें दी जानी चाहिये जहां से लड़के निकल कर स्वयं अपने कारोबार के लिये प्रयत्न कर सकें।

इसके सिलसिले में मुझे एक चीज याद आ गई कि बलिया में बेशक लड़कियों के पढ़ाने के लिये हाई स्कूल हो गया। मगर इस समय वहां कोई इंटर कालेज लड़कियों के लिये नहीं है और इसके लिये कई प्रकार की कठिनाईं पड़ती हैं। मेरा सुझाव यह है कि वहां पर जिले भर के अन्दर इस समय लगभग ४० हाई स्कूल हो गए हैं और जब इतने हाई स्कूल वहां हैं तो फिर गवर्नमेंट के हाई स्कूल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जो वहां गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं। इसको कनवर्ट करके गर्ल्स इंटर कालेज बनाया जाय तो इस तरह से वहां बनी बनाई चीज होगी और उससे लड़कियों को भी सहूलियत पैदा हो जायगी।

अब मैं थोड़ा सा हेल्थ डिपार्टमेंट के विषय में निवेदन करना चाहता था। हो सकता है कि मेरी यह आवाज इस समय बेसुरी हो मगर अगर गौर किया जाय तो उससे बहुत बड़ा तथ्य निकलेगा, वह यह है कि स्वास्थ्य विभाग के जो २ डिपार्टमेंट हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। अगर इन दोनों विभागों के कर्मचारी अलग रहें और दोनों डिपार्टमेंट के एक ही हेड हों जैसे सिविल सर्जन जो है वह प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों डिपार्टमेंट का इंचार्ज हो और डिस्पेंसरी में जो डाक्टर्स हैं उनमें से एक सर्जरी का

[श्री परमात्मानन्द सिंह]

एक्सपर्ट हो और एक फिजिक्स का हो। मैं उचित यह समझता हूं कि यह दोनों डिपार्टमेंट एक कर दिये जायं और एक ही की मातहती में रख दिए जायं तो काम अच्छा होगा और रिसपांसिबिलिटी भी महसूस करेंगे। मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि यहां पर बलरामपुर हास्पिटल है उसमें सरकारी नौकरों के लिये कुछ खास रेट्स हैं और स्पेशल वार्ड की सुविधायें हैं। मैं चाहता हूं कि लेजिस्लेचर के मेम्बरान जो यहां लखनऊ में आते हैं वह भी गवर्नमेंट ड्यूटी में ही आते हैं और गवर्नर के आदेश के अनुसार हम लोग यहां पर आते हैं वे भी ऐज गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स ट्रीट किये जायें और उनको भी वही सुविधा मिले जो और गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को मिलती हैं।

डिप्टी चेयरमैन--आपका वक्त खत्म हो गया। आप २५ मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं।

श्री परमात्मा नन्द सिंह--अन्ततोगत्वा मैं सरकार को इस बात पर बधाई देता हूं कि उसने लैन्ड में एक रिवोल्यूशन किया है। एक तरह से रिवोल्यूशन हमारे आचार्य विनोवा भावे जी कर रहे हैं और लैन्ड अक्वायर कर रहे हैं दूसरी तरह से भी हमारी सरकार लैन्ड रिवोल्यूशन कर रही है और वह रिवोल्यूशन बड़ी तेजी के साथ हमारे प्रदेश में चल रहा है और मैं उसकी सक्सेस के ऊपर सरकार को बधाई देता हूं मैं इन शब्दों के साथ सरकार को इस बजट के लिये बधाई देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)--मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब जो इस वक्त यहां मौजूद हैं, वह दोपहर के बाद शायद मौजूद नहीं होंगे इसलिये उनको इस वक्त बोलने की इजाजत दे दी जाय और २ बजे के बाद और कोई साहबान बोलना चाहें तो उनको इजाजत दे दी जाय।

*श्री चन्द्र भानु गुप्त (स्वास्थ्य व रसद मंत्री)--उपाध्यक्ष महोदय, बजट के संबंध में सदन के बहुत से साथियों ने बजट के ऊपर विभिन्न पहलुओं से सुझाव रखे हैं तथा आलोचनायें की हैं। मैं इस समय सिर्फ उन सुझावों के संबंध में कुछ बातें सदन के सामने रक्खूंगा। जो बातें स्वास्थ्य विभाग के संबंध में सदन में उपस्थित की गई हैं। जहां तक बजट के और पहलुओं से संबंध है, हमारे सम्मानित वित्त मंत्री जी उन बातों पर अपने विचार देंगे। जिन साथियों ने स्वास्थ्य विभाग के संबंध में बातें कहीं उनमें से प्रमुख व्यक्ति डाक्टर भाटिया थे। जहां तक स्वास्थ्य संबंधी बातों का संबंध है वह उसके पंडित कहे जा सकते हैं उन्होंने जो सबसे बड़ा एतराज स्वास्थ्य बजट के संबंध में सदन के सामने उपस्थित किया, वह यह था कि स्वास्थ्य बजट इतना लम्बा चौड़ा नहीं है जितनी इस प्रदेश की जन-संख्या का अनुपात है तथा अन्य प्रदेशों के खर्च को देखते हुए होना चाहिये जो हमारे प्रदेश से जन-संख्या में कम हैं और जिसकी आमदनी भी कम है।

जहां तक उनकी इस आलोचना का संबंध है, उनकी यह आलोचना तो सत्य है ही। इसके बारे में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। यह आलोचना प्रत्येक वर्ष सदन के सामने हमें सुननी पड़ती है। लेकिन इसका क्या कारण है। यह बात सदन के सामने अवश्य साफ तौर से आ जाना चाहिये। हमारे प्रदेश को और इस सदन को इस बात का निर्णय करना है कि पहले प्रदेश में हमें किन खामियों और कमजोरियों को अपने बजट से हटाना है। क्या हमें उन चीजों को अपने बजट से हटाना है, जो बीमारियों को पैदा करती हैं या सिर्फ बीमारियों का ही इलाज करना है। हममें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो यह अच्छी तरह से नहीं जानते कि बीमारियां किन कारणों से हमारे बीच में पैदा होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा खाना न मिल सके, पेट भर खाना न मिल सके, पहिनने को वस्त्र

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

न मिल सके, अच्छी आबोहवा में रहने की व्यवस्था न हो सके तो यह लाजिमी है कि उसके बीच में बीमारियां पैदा होंगी, फैलेंगी और वह सदैव उसकी तन्दुरुस्ती को बिगाड़ती रहेंगी। हमें, जैसा कि मैंने अभी कहा इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि वह सरकार और यह सरकार ही क्यों हमारे देश के तमाम व...त जो आज विभिन्न योजनाओं के ऊपर समय-समय पर प्रकाश डालते रहते हैं, उन सबका तो यह मत है कि हमें पहले प्रदेश में और देश में ऐसी कमियों और कमजोरियों को रफा करना चाहिये जिससे हमें खान–पीने की कमी महसूस न हो और जिससे देश का हर एक नागरिक भरपेट अन्न प्राप्त कर सके और साथ ही हम करोड़ों रुपयों को, जिनको बाहर भेजते हैं, उन्हें बचा सकें, अगर हम सब इस राय से सहमत हैं तो हमें इस बात को तय करना पड़ेगा कि जहां तक स्वास्थ्य के बजट का संबंध है, उस बजट को हमें इतनी प्राथमिकता योजनाओं के बनाने के सिलसिले में नहीं देनी होगी जितनी प्राथमिकता या प्रायरिटी हमें उन चीजों के बनाने के संबंध में देनी होगी जिनसे अन्न अधिक पैदा हो सके जिनसे कपड़े अधिक बन सकें, जिनके द्वारा लोगों की आमदनी अधिक बढ़ सके। यही कारण है कि प्रदेश की सरकार आज प्राथमिकता उन उन विषयों को दे रही है जिनसे अधिक अन्न उपजाया जा सकता है और अधिक अन्न उपजाने के लिये आज इस बात की आवश्यकता है कि हम समझते हैं कि किसान के लिये वह साधन मुहैया कर दें जिससे वह अपनी मौजूदा खेती से अधिक अन्न पैदा कर सकें। ऐसा करने के लिये हमें नहरों की आवश्यकता है, हमें चैनल्स की आवश्यकता है, हमें ट्यूबवेल्स की आवश्यकता है। हमें अच्छे जानवरों को पैदा करने की आवश्यकता है। अगर हमें इन तमाम चीजों को पैदा करने और बनाने की आवश्यकता है तो हमें प्राथमिकता उन विषयों के बजट पर देनी होगी। इसी दृष्टि–कोण से हम इन्हीं चीजों को बजट में प्राथमिकता दे भी रहे हैं। करोड़ों रुपया इरिगेशन में इलेक्ट्रिसिटी के पैदा करने में, जानवरों को ठीक और तन्दुरुस्त बनाने में व्यय कर रहे हैं। एतराज करने वाले, आलोचक यह कह सकते हैं कि आज जानवरों की व्यवस्था ठीक करने के लिये तो इतना रुपया व्यय कर रहे हैं और इंसानों की तन्दुरुस्ती ठीक करने के लिये इतना रुपया नहीं व्यय कर रहे हैं। हमें इस बात को समझ लेना चाहिये और हम समझते हैं कि अच्छे जानवरों का पैदा करना हमारे देश की वेल्थ में, उसकी आमदनी में, उसकी संपत्ति में बहुत बड़ा स्थान रखता है, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदेश की विभिन्न कमजोरियों को, खामियों को दूर करने के लिये हर चीज के लिये उतनी ही मात्रा में धन निकालना होगा जितनी मात्रा में उन कमजोरियों को उन खामियों को दूर करने में धन की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग के लिये ज्यादा धन नहीं रखा गया है उसका कारण यह है कि हम चाहते हैं कि जिन चीजों की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, वह जल्द से जल्द दूर हों। आज मैलन्यूट्रीशन के कारण बहुत सी बीमारियां फैलती हैं और सैकड़ों आदमी मर जाते हैं। यदि हमें मैलन्यूट्रीशन को दूर करना है तो उसके लिये अधिक अन्न पैदा करने की जरूरत है। उसके लिये साधनों को जुटाने की भी आवश्यकता है। इसके माने यह नहीं हैं कि हमने ४, ५, ६ वर्ष में इस बात की कोशिश नहीं की है, हमने अपने बीच से उन बीमारियों को रफा नहीं किया, जो सदा के लिये हजारों मनुष्यों को उठा ले जाती हैं। ४, ५ वर्षों में जो संक्रामक रोग पैदा हुआ करते थे, उनमें काफी कमी हुई है। यद्यपि बजट में इसके लिये बहुत रुपया नहीं रखा गया, बहुत लम्बा चौड़ा उसको नहीं बनाया गया। जितना लम्बा चौड़ा आपकी राय के मुताबिक होना चाहिये था, ताहम इस बात की कोशिश की गयी है कि जहां तक लोगों के मरने के आंकड़े प्राप्त हैं, उसमें काफी कमी हुई है। जब हम दूसरे प्रदेशों से मरने वाले व्यक्तियों के आंकड़े देखते हैं तो हमें इस बात का गर्व होता है कि हमारे यहां डेथ–रेट में काफी कमी हुई है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सन् ४६ से ५० तक के बीच के। ४, ५ वर्षों में हमने जितना धन व्यय, संक्रामक रोगों को रोकने के लिये किया है उनसे डेथरेट में काफी कमी हुई है। हम कह सकते हैं कि यद्यपि हमने अधिक व्यय स्वास्थ्य के ऊपर नहीं किया है ताहम आज हम जो बड़े–बड़े प्रदेश इस देश के समझे

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

जाते हैं उनके डेथ रेट के आंकड़े देखने से हमारे यहां डेथरेट में कमी हुई है। मेरे पास जो आंकड़े प्राप्त हैं, वह मैं पढ़े देता हूं।

(इस समय १२ बज कर २३ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

मध्य प्रदेश में ३०·७४, मद्रास में १८·७५, बम्बई में २०·१ वेस्ट बंगाल में १७ और उत्तर प्रदेश में १३·५३। ये फी हजार के मौत के आंकड़े हैं। क्या इन आंकड़ों के देखने से यह बात साफ नहीं हो जाती कि हमें संक्रामक रोगों के रोकने में काफी सफलता मिली है। यद्यपि आंकड़े दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में बहुत लम्बे चौड़े नहीं हैं ताहम हमारा प्रदेश ऐसा रहा है कि जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। जिन लोगों को देहात में रहने का सौभाग्य प्राप्त है, वे यह नहीं कह सकते कि जब हर साल कालरा और प्लेग आया करता था उसकी रोकथाम नहीं की गयी। हमारे यहां साल में कहीं न कहीं मेले लगते ही रहते हैं। वे अक्सर बीमारियों को लेकर खत्म होते थे। कभी कालरा हो जाता था और कभी कोई बीमारी। मेले में हजारों की संख्या में लोग हैजे के शिकार हो जाते थे, हमने अपने प्रदेश में हैजे की काफी रोकथाम की। बड़ा भारी मेला कुंभ का हुआ। यह ऐसा मेला होता था जहां अक्सर मेले के खत्म होने पर हैजे कि बीमारी फैल जाती थी, लेकिन इस बार जब कि ४०-४५ लाख आदमी कुंभ में गये तो कोई बीमारी फैलने नहीं पाई और उसका कारण है जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि हमने इन रोगों को रोकने के लिये काफी तेजी के साथ कदम उठाया है। बहुत अधिक पैसा हम व्यय नहीं कर पाये ताहम हमने इन संक्रामक रोगों को रोका है। डाक्टर साहब ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह सरकार अनुसंधान के ऊपर अधिक रुपया नहीं व्यय करती है। कुछ प्रश्न उन्होंने इस विषय में पूछे थे और हमने बताया था कि हम प्रति वर्ष २५ हजार के लगभग खर्च करते हैं। यह वह रकम है जो समय-समय पर मेडिकल कालेज से मांगी गयी है। जब कभी मांग की गयी तो सरकार ने उस मांग को ठुकराया नहीं है। सरकार तो सदैव इस बात की कोशिश करती रही और आज भी वह यह चाहती है कि हमारे प्रदेश में अधिक अनुसंधान करने वाले पैदा हों और हमारे यहां मेडिकल कालेजेज में जहां तक स्वास्थ्य संबंधी विषय हैं उन पर अधिक से अधिक अनुसंधान हो। अगर मेडिकल कालेजेज से अनुसंधान के लिये रुपये की मांग न हुई तो इसके लिये सरकार कसूरवार नहीं है बल्कि यह कसूर उनका है जो इस दिशा में कार्य करते हैं, या रिसर्च करते हैं। अक्सर हमारे पास इस बात की शिकायतें आती हैं और लेजिस्लेचर में यह शिकायत सुननी पड़ती है कि लखनऊ के मेडिकल कालेज देश के मेडिकल कालेजेज में एक प्रथम स्थान रखता है और यहां की सरकार धन भी उस पर बहुत अधिक व्यय करती है। लेकिन अगर हम उस धन के व्यय के आंकड़ों को देखें और उसकी तुलना दूसरे प्रदेशों के मेडिकल कालेजेज से करें तो हमको मालूम होगा कि अभी तक कोई ऐसा अनुसंधान नहीं हुआ है जिस पर हम गर्व कर सकें, तो यह हमारे लिये एक शर्म की बात है। हम एक ऐसे प्रदेश के रहने वाले इंसान हैं जिसका संसार में एक स्थान है और जो स्वतंत्र हैं। तो आज यह दोष कि यहां कोई ऐसा अनुसंधान नहीं हुआ जिस पर गर्व किया जा सके, सरकार के कंधे पर नहीं डाला जा सकता है बल्कि उन वैज्ञानिकों पर डाला जा सकता है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य करते हैं और उन अनुसंधान-कर्त्ताओं का, जो विज्ञान के क्षेत्र में स्थान भी रखते हैं। यह बात नहीं कि जो हमारे यहां शिक्षक हैं या अनुसंधानकर्त्ता हैं, वे पंडित नहीं हैं। वह पंडित हैं परन्तु वह अपना अधिक समय अनुसंधान के विषय में नहीं दे पाते हैं। मेडिकल कालेज के बारे में यह आवाज उठती है कि अध्यापकगण अधिक समय अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में देते हैं, उन्हें समय नहीं मिलता है कि वह अनुसंधान करें। मैं डाक्टर भाटिया से नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि

जहां तक सरकार का संबंध है, अगर सचमुच वहां अनुसंधान करने की प्रवृत्ति पैदा हो गयी है तो जितने भी रुपये की आवश्यकता होगी, वह देगी। वह इस विषय में पीछे नहीं हटना चाहती है। इन ४, ५ वर्षों में लखनऊ मेडिकल कालेज में ६०, ६५ लाख रुपया नार्मल बजट से अधिक दिया गया है। शिक्षकगणों से और अनुसंधान कर्त्ताओं से अगर यहां की जनता फायदा उठाती है तो बहुत अच्छा है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—४, ५ वर्ष में रिसर्च के लिये कितना दिया गया ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—जितना मांगा गया कभी भी उस मांग के ऊपर कोई रुकावट नहीं डाली गई। २५ हजार रुपया दोनों कालेजेज से रिसर्च के लिये मांगा गया और वह हमने दिया।

कहने का तात्पर्य यह है कि जहां तक रिसर्च का सम्बन्ध है सरकार उसे उन्नति प्रदान करना चाहती है और उसमें सहयोग प्रदान करना चाहती है सहायता देना चाहती है और यदि कोई योजना मेडिकल कालेज से इस अनुसंधान के विषय पर उपस्थित की जायगी, सरकार उन सारी योजनाओं को सहानुभूतिपूर्वक देखेगी और उनके प्रति जो कुछ उसे मदद करना चाहिए, वह मदद करेगी।

डाक्टर महोदय ने एक और बात कही थी कि विज्ञान का क्षेत्र बढ़ रहा है और बढ़ते हुये क्षेत्र को नजर में रखते हुये यह आवश्यक है कि हमारे वह डाक्टर्स जोकि सरकारी कर्मचारी हैं और जो कि सरकारी कर्मचारी होने के कारण विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं उन्हें एक रिफ्रेशर्स कोर्स प्रत्येक वर्ष देना चाहिए जिससे कि उनकी जानकारी आधुनिक विज्ञान के सम्बन्ध में हो जाय और वह किन्हीं डाक्टरों से, जहां तक आधुनिक विज्ञान का सम्बन्ध है, पीछे न रहने पायें। पहले इस प्रकार का कार्य विभाग के अन्तर्गत हुआ करता था। प्रत्येक ऐसे डाक्टर को, जोकि सरकार में कर्मचारी के रूप में काम करता था, एक रिफ्रेशर्स कोर्स लेने के लिये अपनी नौकरी के कुछ वर्षों के बाद उस मेडिकल कालेज में आना पड़ता था। परन्तु लड़ाई के जमाने में यह पद्धति रोक दी गई और उसका मुख्य कारण यह था कि डाक्टरों की संख्या उस समय कम थी। बहुत से डाक्टर लड़ाई के ऊपर भेज दिये गये थे और हमारे अस्पतालों में समुचित संख्या में डाक्टर नहीं थे। लड़ाई खत्म होने के बाद सन् ४९ में फिर इस विषय पर विचार हुआ और उस समय हमने अपने अस्पतालों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी थी और इसलिये उस समय भी हमारे पास समुचित संख्या में डाक्टर नहीं थे जिससे कि हम अपने उन सरकारी कर्मचारियों को, जिन्हें हम रिफ्रेशर्स कोर्स की ट्रेनिंग देकर, आधुनिक विज्ञान से भलीभांति परिचित कराना चाहते थे, रिफ्रेशर्स कोर्स की स्टडी के लिये मेडिकल कालेज नहीं भेज सकें। मैं डाक्टर साहब को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगले वर्ष से हमारा यह विचार है क्योंकि अब हमें डाक्टरों के मिलने की आशा हो गयी है, हम अपने सरकारी कर्मचारियों को जो सिविल सर्जन के ओहदे पर काम करते हैं, उन्हें रिफ्रेशर्स कोर्स की ट्रेनिंग के लिये इन मेडिकल कालेजों में भेजा करेंगे और इस प्रकार से उनको आधुनिक विज्ञान से परिचित करायेंगे।

इसके बाद डाक्टर साहब ने एक शिकायत और की थी इसी दौरान में कि सरकार ने एक कमेटी की सिफारिशों पर विचार नहीं किया। जिस कमेटी को यू० पी० हेल्थ बोर्ड ने नियुक्त किया था और जिसने एक योजना तैयार की थी। मुझे दुख है कि इस कमेटी की सिफारिशें अभी यू० पी० हेल्थ बोर्ड के सामने विचार के लिये प्रस्तुत नहीं की जा सकीं। हमारा विचार नवम्बर के महीने में उन सिफारिशों पर विचार करने का था परन्तु दुर्भाग्यवश न तो हम समय निकाल सके और न हमारे कई साथी जोकि उस कमेटी के सदस्य थे और जो अपनी-अपनी राय उन सिफारिशों के विषय में रखते थे, वह हमें

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

समय पर मिल सकें और इसलिये हम उस कमेटी की सिफारिशों पर विचार नहीं कर पाये। परन्तु जो कुछ उस कमेटी ने सिफारिशें की हैं, हम जो कुछ कार्य रहे हैं, जो कुछ स्वास्थ्य विभाग में किया जा रहा है, जो भी अस्पताल आदि खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं, वह सब करीब-करीब इन्हीं लाइन्स पर किया जा रहा है जोकि उस कमेटी के अन्तर्गत रक्खी गयी थीं और जिनके ऊपर कमेटी में विचार किया गया था।

हां, एक बात अवश्य है कि कुछ कमेटी की सिफारिशें ऐसी हैं कि जिनके लिये हमें अधिक धन की आवश्यकता है। जहां तक उस कमेटी की सिफारिशों का सम्बन्ध हमारे मौजूदा जिले के अस्पतालों से रहा है और जिनके बारे में उसने सिफारिश की थी कि प्रत्येक जिले के हेड क्वार्टर पर एक अस्पताल ऐसा बनना चाहिए जिसमें प्रत्येक प्रकार का आधुनिक ढंग पर इलाज किया जाय, तो मैं उस सिलसिले में आज सदन के सामने कहना चाहता हूं कि इन चार, पांच वर्षों में हमारा प्रयत्न यह रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जितने अस्पताल हों वह आधुनिक सज्जा से, आधुनिक इक्विपमेन्ट से सम्पन्न कर दिये जायं। यही वजह है कि हमने इन ५, ६ वर्षों में जहां तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का सम्बन्ध रहा है हमने लाखों रुपया सज्जा और इक्विपमेंट के लिये खर्च किया है, आज भी हमने ५ लाख रुपया इसके लिये रखा है, पहले १५, १५ लाख रुपया रखा जाता था। यही वजह है कि जो अस्पताल कमजोर हो गये थे, जिनकी इमारतें गिर गई थीं हमने उनकी सज्जा और इक्विपमेंट के लिये काफी रुपया रखा है। इस बजट में भी ५ लाख रुपये सज्जा और इक्विपमेंट के लिये रखे गये हैं और मरम्मत के लिये भी ४० हजार रुपया रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि हमारा यह प्रयत्न रहा है कि हमारे सभी अस्पताल अच्छे हो जायं और जो देहात के निर्धन लोग हैं जो दूसरी जगह इलाज समुचित ढंग से नहीं करा सकते हैं। वह इन अस्पतालों में ठीक से इलाज करा सकें। हमारा यह भी प्रयत्न रहा कि तहसील हेडक्वार्टर्स में भी अस्पताल बना दिये जायं तो इसके लिये जहां पर अस्पताल पहले से थे वहां हमने कुछ बेड्स और बढ़ा दिये और दूसरी सुविधायें भी जहां तक हो सकीं हमने पहुंचाने की कोशिश की ताकि लोगों को इलाज कराने में भी आसानी हो और उनका ठीक तरह से इलाज हो सके। परन्तु बहुत सी तहसीलों के हेडक्वार्टर्स ऐसे हैं जहां पर अस्पताल बनाने में हम असमर्थ रहे हैं, कुछ जगहों पर तो हमने बनाने का प्रयत्न भी किया है कारण केवल यही बताया जा सकता है कि हम बहुत सा रुपया इन अस्पतालों के लिये नहीं दे सके परन्तु हमारा प्रयत्न्त यही है कि उन हेडक्वार्टर्स पर अवश्य ही हम शीघ्र से शीघ्र अस्पताल बना दें।

इसके अलावा इर्रिगेशन डिपार्टमेंट और फारेस्ट डिपार्टमेंट में भी अस्पताल हैं उन पर जितना रुपया हम खर्च कर सकते हैं, खर्च कर रहे हैं। पौने पांच करोड़ रुपया हम स्वास्थ्य और सुरक्षा में व्यय कर रहे हैं जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा था कि हमारी मदों का यह ६ फीसदी पड़ता है और अगर हम बंगाल से इसका मुकाबिला करें तो यह कम है तो उनका कहना ठीक है। जैसा मैंने स्वयं कहा कि हमको बहुत सी कमियों को पूरा करना है। पहले हमको फूड की कमी पर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ा, इसलिये हम इसमें ज्यादा न कर सके। साथ ही साथ उन प्रदेशों से फर्क इसलिये भी रहा है कि उनकी संख्या के मुकाबिले में हमारे प्रान्त में कालेजों की कमी रही है। जहां तक कलकत्ता और बम्बई का सम्बन्ध है वहां पर अस्पताल ज्यादा थे उनको डाक्टर भी मिल जाते थे, लेकिन अगर हम प्रारम्भ में ही ज्यादा अस्पताल खोल देते तो हम उनके लिये डाक्टर कहां से लाते, ट्रेन्ड कम्पाउन्डर हमें कहां मिल पाते, इतनी ज्यादा नर्सेज जिनकी विशेष आवश्यकता पड़ती है, वे हमें कहां मिल सकतीं। इतने कम समय में बहुत से डाक्टरों को हम नहीं पैदा कर सकते थे। कम्पाउन्डर

और नर्सेज को ट्रेन्ड नहीं कर सकते थे यही खास वजह थी जिसके कारण हमने प्रारम्भ में ज्यादा अस्पताल खोलना मुनासिब नहीं समझा अब हमने अपने कालेज में विद्यार्थियों की तादाद बढ़ा दी है। पिछले चार–पांच वर्षों में जो शिक्षित विद्यार्थी कालेजों से निकले हैं उनकी संख्या तिगुनी और चौगुनी पहले की अपेक्षा अब हो गई है और अब थोड़े ही समय के बाद यह संभव हो सकेगा कि उतनी संख्या में हम इन्हें पैदा कर सकेंगे, जितनी उनकी आवश्यकता है।

मैं अवश्य इस बात का अहसास रखता हूं कि हमको आधुनिक ढंग से इलाज करना चाहिए। जब हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ जायगी और हमारी कमियां और हमारी कमजोरियां हमारे बीच से हट जायेंगी तो अधिक बीमारियां भी हमारे बीच में नहीं पैदा होंगी। हमने इन चार–पांच वर्षों में मलेरिया पर काफी काबू पा लिया है और उसके लिये काफी रोकथाम भी कर ली है। हमने तपेदिक के मरीजों के लिये भी बहुत से बेड का इन्तजाम कर लिया है और उसके लिये भी काफी रोकथाम का प्रबन्ध किया है। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने अपनी आलोचना में यह बात कही कि क्या अच्छा होता कि सरकार आयुर्वेदिक की ओर अधिक ध्यान देती और इसके प्रसार के लिये अधिक खर्च करती। जहां तक आयुर्वेदिक का सम्बन्ध है, सदन में सबको यह मालूम है कि इसके प्रसार के लिये सरकार ने काफी खर्च किया है और इसकी तरक्की के लिये काफी जोर दिया है। इसके साथ ही साथ आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के लिये सरकार ने काफी रुपया खर्च किया है। आज से ५ वर्ष पहले इसके ऊपर केवल ४ या ५ लाख रुपया ही खर्च होता था लेकिन आज के बजट में इसके लिये ३० लाख रुपया रखा गया है। जो आयुर्वेदिक और यूनानी शिक्षा के कालेज हैं, उनको भी सरकार काफी मदद कर रही है। उत्तरोत्तर हमारा यह प्रयत्न रहा है कि देहाती क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान के जानने वाले हों और साथ ही आयुर्वेदिक और यूनानी में भी ज्ञान रखते हों। अगर आप देहाती क्षेत्रों में जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि हमने इस ओर काफी तरक्की का कदम उठाया है। आज हमारी यह चेष्टा है कि हम यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं के प्रसार के लिये अधिक से अधिक जो कुछ भी मदद कर सकें, करें। परन्तु हमारी यह अभिलाषा रही है कि विज्ञान के जानने वाले आधुनिक विज्ञान का भी ज्ञान रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर वह लोग आधुनिक विज्ञान से फायदा उठायें तो देश को बहुत ही फायदा होगा। जो व्यक्ति आयुर्वेदिक जानने वाले हैं, उनको चाहिये कि वे आधुनिक विज्ञान से पूरा-पूरा फायदा उठायें। अगर देहाती क्षेत्र में कोई बीमार पड़ता है तो वे इस बात की चिन्ता नहीं करते हैं कि वह वैद्य का इलाज करते हैं या किसी डाक्टर का उनको तो किसी प्रकार से अपना मरीज अच्छा करना होता है। जब ऐसी व्यवस्था है तो हमें आधुनिक पद्धति को भी अपनाना चाहिए। इसलिए आज हम आधुनिक प्रसार पर अधिक व्यय कर रहे हैं।

आधुनिक विज्ञान द्वारा जो दवाइयां आजकल तैयार होती हैं, तो वे कीमती होती हैं और चूंकि वे विदेशी हैं इसलिये उनपर पैसा खर्च नहीं करना चाहिये, मैं समझता हूं कि इसमें कोई तत्व की बात नहीं है। जब हमें वे फायदा देने वाली हैं और आज हमें जो फायदा कहीं नहीं मिल पाता है, वह फायदा हमें उस आधुनिक ज्ञान से प्राप्त होता है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—मगर आज डाक्टरों की फीस बहुत बढ़ रही है।

श्री चन्द्र भानु गुप्त—जहां तक एम० बी०, बी० एस० डाक्टरों का देहाती क्षेत्रों में रहने के विषय का सम्बन्ध है, तो हम उत्तरोत्तर इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे देहाती क्षेत्रों में अधिक से अधिक जायें और उनको सब प्रकार के सुभीते दिये जायें जिससे कि वे वहां रह सकें। हम जानते हैं कि एम० बी०, बी० एस० डाक्टरों के लिये देहाती क्षेत्रों में वे सब सुभीते नहीं हैं जो कि किसी शहर के अन्दर किसी डाक्टर को प्राप्त हो सकते हैं। उनको सुभीते देने के लिये ही हम चाहते हैं कि हमारे यहां के देहातों में एज्यूकेशन अधिक से अधिक हो और वहां अधिक से

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

अधिक संख्या में स्कूल खोले जायं जिससे कि जो अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, वे वहां रह कर उनको शिक्षा दिला सकें। इसी तरह से रेडियो और दूसरी आधुनिक बातें हैं जिनकी कि आज देहातों में जरूरत पड़ने लगी है। इस तरह की सभी व्यवस्था हो जाय और अधिक से अधिक चीजें देहातों में प्राप्त हो सकें और लोगों की सभी जरूरतें वहां पूरी हो जायें और उनको सब सुविधायें मिलने लगें, तो वे अपनी जिन्दगी में परिवर्त्तन ला सकते हैं।

सब्सीडाइज्ड स्कीम देहाती क्षेत्रों में हम बढ़ा रहे हैं। आज सब्सीडाइज्ड स्कीम के अन्तर्गत ७५ डाक्टर काम कर रहे हैं और इस स्कीम के अन्तर्गत ९२ अस्पताल हैं। यह बात नहीं है कि डाक्टर लोग सब्सीडाइज्ड स्कीम के अन्तर्गत काम करना पसन्द नहीं करते हैं। मगर जब तक देहाती क्षेत्रों में सभी प्रकार की सुविधायें प्राप्त नहीं हो जाती हैं, उस ओर लोग जाना पसन्द नहीं करते हैं। इसलिये हम उन सब सुविधाओं को पहुंचाने का प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्रीमती तारा अग्रवाल ने अपने सुझावों के सम्बन्ध में कानपुर के स्वास्थ्य के सम्बन्ध का विशेष जिक्र किया और उन्होंने यह बात प्रकट की कि कानपुर की आबादी को देखते हुये वहां अधिक अस्पताल बनने चाहिए। यह बात ठीक है कि कानपुर हमारे प्रदेश के और शहरों से बड़ा शहर है और वहां की आबादी को देखते हुये भी हमें वहां अधिक अस्पताल खोलने चाहिए। वहां दो बड़े अस्पताल ऐसे हैं जैसे कि हमारे दूसरे शहरों में मेडिकल कालेज के अस्पताल हैं और वहां के अस्पतालों के बेड्स की संख्या करीब ७०० या ७५० हैं। इन दो अस्पतालों के अलावा वहां एक टी० बी० क्लीनिक है जो कि सरकार की ओर से है और दूसरा टी० बी० क्लीनिक वहां के टी० बी० एसो-सियेशन ने बनाया है। हम चाहते हैं कि कानपुर में एक टी० बी० अस्प-ताल और बनना चाहिए। दुर्भाग्यवश इन सालों में वहां कोई अस्पताल नहीं खुल सका। यद्यपि टी० बी० के बेड्स बढ़ाने की तरफ, हमने तीन-चार सालों में बढ़ती की है। भुवाली सैनीटोरियम, गेठिया सैनीटोरियम, डाकपथरी सैनीटोरियम हमने टी० बी० के इलाज की व्यवस्था के लिये खोले हैं और इनमें अधिक बेड्स की व्यवस्था भी की है। अगले वर्ष में हम टी० बी० के लिये एक नया अस्पताल, जिसमें कि १०० बेड्स की व्यवस्था हो सके फिरोजाबाद में खोलने जा रहे हैं। इटावा में भी हम एक अस्पताल की स्थापना करना चाहते हैं। इलाहाबाद में भी एक टी० बी० के अस्पताल की स्थापना करने का हमारा पहले से ही इरादा था।

परन्तु वहां से जो प्लान हमने मंगा रखे थे वह समय पर हमारे पास न आ सके, इसलिये इस अस्पताल का निर्माण मौजूदा बजट में आइन्दा साल के लिये नहीं रखा जा सका। अब वह प्लान हमारे पास आ गया है और हमें इस बात का यकीन है कि अगले अप्रैल या मई तक इलाहाबाद में इस अस्पताल को बनाने के लिये और नये टी० बी० अस्पताल के निर्माण के आर्डर चले जायेंगे। मेरा विश्वास है कि अगले वर्ष के अन्त तक वह अस्पताल भी वहां स्थापित हो जायेंगे। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में हमारी यह इच्छा है कि हम सारनाथ में एक टी० बी० का सैनीटोरियम स्थापित करें और उसका भी प्लान तैयार किया जा रहा है। हमने निर्णय कर लिया है कि वह अस्पताल अगले वर्ष तक वहां स्थापित किया जायगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बिना इन अस्पतालों के प्लान्स के जो कि विभागों के पास न आ सके, हम इनको इस वर्ष के बजट के अनुदान में न रख सके और वह रकम मजबूरन इस वर्ष के अनुदान में नहीं रख सके। परन्तु हमारा विश्वास है कि जब आइन्दा साल के बजट तक बहस करने के लिये हम लोग यहां उपस्थित होंगे तब तक यह अस्पताल कदाचित् सप्लीमेंन्टरी बजट द्वारा स्थापित हो जायेंगे और वहां की जनता को टी० बी० की बीमारी से बचाया जा सकेगा और इस विषय में इसके रोकथाम के विषय पर जितने भी गौर करने योग्य बातें हैं उनपर गौर करके जनता की सेवा करने के लिये अस्पतालों का निर्माण कर लिया जायगा।

श्री मुकर्जी ने हमारे सामने मिशीनरी हास्पिटल्स के सम्बन्ध में कई सुझाव रखे। उन्होंने बताया कि मिशीनरी एसाइलम और लेप्रासी एसाइलम के सम्बन्ध में अधिक से अधिक अनुदान उन्हें दिया जाना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि वह इस वर्ष का बजट देखेंगे और दूसरे वर्ष के बजट को देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने काफी रकमें इन मिशीनरी एसाइलम्स की मदद के लिये इन अनुदानों में रखी हैं। उन्होंने एक जगह डाक्टर पैरल का जिक्र किया था और सदन के सामने सुझाव के रूप में उन्होंने यह मांग की थी कि डाक्टर पैरल जो कि मिशीनरी डाक्टर हैं और बरेली में एक बड़े अस्पताल का संचालन कर रहे हैं, उन्हें अधिक जगह अपने अस्पताल को बढ़ाने के लिये सरकार की ओर से दी जाय जिससे उनके अस्पताल का कार्य और आगे बढ़ जाय। मैंने कल भी जब उन्होंने मुझसे बातचीत की, उन्हें इस बात का वचन दिया कि सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी और यदि वह आवश्यकता महसूस करते हैं कि उन्हें जमीन की आवश्यकता है तो सरकार देने का भरसक प्रयत्न करेगी।

देवरिया में भी एक अस्पताल के लिये एक सुझाव किसी साहब ने पेश किया था। अगले वर्ष देवरिया में भी एक टी० बी० क्लीनिक इसी नये ढंग से खोलने का सरकार का विचार है और उसपर भी हम अगले साल के बजट में ही गौर कर सकेंगे। इस विषय में जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस चीज को इस साल के बजट में हम नहीं रख सकेंगे। मैं अधिक और न कहते हुये जो कई सुझाव आये थे और जिनको मैंने मुनासिब समझा उन सुझावों के सम्बन्ध में कुछ बातें सदन के सामने रख दीं। परन्तु मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हमारा प्रयत्न बराबर यह रहता है कि हम उन सुविधाओं को, जो इस सम्बन्ध में प्रदेश की जनता के लिये आवश्यकता रखते हैं, बढ़ाने के सम्बन्ध में हमारी चेष्टा रहती है और प्रत्येक वर्ष में ३०--४० लाख रुपया मेडिकल बजट में बढ़ाते रहते हैं। मुझे आशा है कि यह रकम यद्यपि बहुत कम है, तो भी हम जनता के स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे और अपने बीच से उन बीमारियों और तकलीफों को रोकने में कामयाब हो सकेंगे जो कि हमारे प्रदेश के लोगों को समय-समय पर सताते रहते हैं। मुमकिन है कि इस कार्य में कुछ समय लगेगा, परन्तु मुझे आशा है कि इस कार्य में सदन का हर सदस्य सहयोग देगा और साथ ही हमें जनता का सहयोग भी प्राप्त रहेगा, जिस सहयोग के बिना हमारी यह तमाम योजनायें सफल नहीं हो सकतीं। अगर हम यह चाहते हैं कि शीघ्रता के साथ हम देश में आधुनिक सुविधायें प्राप्त कर लें तो विदेशों की तरह से हमारे देश की जनता को भी इसको आगे बढ़ाने के लिये पूरा हाथ देना चाहिये जिस तरह से विदेशों में प्राइवेट इन्स्टीटयूशन प्राइवेट चैरिटी के द्वारा कायम किये जाते हैं उसी तरह से इस प्रदेश में भी प्राइवेट चैरिटी द्वारा इस काम को करने में जनता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा जिसके बगैर हम आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। यहां की जनता अधिक से अधिक इस प्रकार की संस्थायें कायम करने में हमें मदद दे, जिससे हम शीघ्रता के साथ इन समस्याओं का निरा-करण कर सकें और प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सकें। मैं इन चन्द शब्दों के साथ उन माननीय मेम्बरों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने विभिन्न प्रकार के सुझाव हमारे सामने रखे हैं और धन्यवाद देते हुये इस बात की आशा प्रकट करता हूं कि उन सुझावों पर जितना शीघ्र भी हो सके सरकार पूरी तरह से विचार करेगी और सदस्य भी इस कार्य को कार्यरूप में परिणत करने के लिये सरकार को सहयोग देने की पूरी चेष्टा करेंगे।

चेयरमैन--अब कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १२ बज कर ५६ मिनट पर स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने स्वाधीनता-प्राप्ति के जद्दोजेहद में जो भी आदर्श रखा उसको देश के सामने रखा और विधान पास करने के बाद और बहुत से राइट्स देने के बाद देश की जो कमियां थीं जैसे आर्थिक आजादी और अज्ञान, इससे मुक्ति पाने का ध्येय था और आज तक वह ध्येय रहा, इसके साथ-साथ एक वर्गविहीन समाज की रचना का भी ध्येय कांग्रेस के सामने रहा । उसकी प्राप्ति के लिये समय की आवश्यकता है, वह थोड़े समय में नहीं हो सकती है । निरन्तर कई वर्षों तक उसको करना पड़ता है और उसके बाद उन चीजों की प्राप्ति हो सकती है इसके लिये यह सोचा गया कि हम प्लान्ड तरीके से काम करें और एक प्लानिंग कमीशन ने प्लान बनाया और उस प्लान की हम पहिली सीढ़ी पर इस समय हैं । फर्स्ट फाइव इयर प्लान इस समय देश के सामने है और प्रदेशों ने उस पर कार्य करने का निश्चय किया है । भारत को एक सुख और समृद्धिशाली देश बनाना है जिससे दुःख-दारिद्र और सब प्रकार का अज्ञान दूर हो, तो यह मानी हुई बात है कि इसमें यदि हम निरन्तर प्रयत्न करते जावेंगे तब कई वर्षों में जाकर हम अपने ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे ।

अब प्रश्न जो इस वक्त प्रदेश के सामने है वह यह है कि जो फाइव इयर प्लान बनाया गया है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाय और उसको पूरा करने के लिये जिसने फाइव इयर प्लान देखा है उनको मालूम पड़ा होगा कि उसमें कितने बड़े-बड़े साधनों और प्रयत्नों की आवश्यकता है और रुपये की आवश्यकता है और उसके बाद वह ध्येय प्राप्त किया जा सकता है । आपके सामने यह कहा गया कि जब कांग्रेस ने यहां इस प्रदेश की बागडोर संभाली तब यहां के जो साधन थे, रेवेन्यू था, वह २५ या २६ करोड़ था ।

इन साधनों को बढ़ाने और अन्य साधनों को उपलब्ध करने के लिये जिससे पांच वर्षों के अन्दर हम उस प्रगति को प्राप्त कर लें जो प्रगति हमारे लिये निर्धारित की गई है । हमारे लिये आवश्यक है, इस समय आप देखेंगे कि हमारे साधन ७७ करोड़ रुपये के हैं । यह रेवेन्यू के साधन हैं । यह गलत ख्याल है कि यदि कोई कहता है कि रुपया टैक्सों के द्वारा बढ़ाया गया है । यदि आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे ७७ करोड़ की मद में २० प्रति सैकड़ा से भी कम आमदनी टैक्सों से है । अधिकतर आमदनी रेवेन्यू, रोडवेज और अन्य साधनों से है, गवर्नमेंट आफ इंडिया की ग्रान्ट से भी आमदनी काफी बढ़ी है । यह तो रेवेन्यू के साधन उपलब्ध हुये । इसके अलावा आप देखेंगे कि स्वराज्य-प्राप्ति से पहले कोई कैपिटल खर्च बड़ी-बड़ी मदों में नहीं किया जाता था । इसके लिये करोड़ों रुपयों के साधन उपलब्ध किये गये, ताकि बड़े-बड़े डैम, पावर हाउस इत्यादि स्थापित हो सकें । जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में बताया है, हम फाइव इयर प्लान अवधि से पहले पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमारे प्रान्त के फाइनेन्स भी सुदृढ़ रहेंगे और जो दूसरा फाइव इयर प्लान आयेगा उसके लिये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा आधार रहेगा । यही कारण है कि आज वित्त मन्त्री जी को चारों तरफ से बधाई मिल रही है और विरोधी दल भी उनके बजट की तरफ उंगली नहीं उठा सका है । हां, किसी ने यह कहा है कि कल्चर की उन्नति नहीं हुई, किसी ने कहा कि कोई दूसरा अंग बिना उन्नति के रह गया । परन्तु यह बात ध्यान देने की है कि ५ वर्ष में सारी तरक्की नहीं हो सकती । ५ वर्ष के अन्दर तो सबसे ज्यादा गरीब किसानों की उन्नति करके खाद्य समस्या को हल करने की आवश्यकता है । इसीलिये इस बजट में सिंचाई इत्यादि की ओर ध्यान अधिक दिया गया है । इस समस्या के हल हो जाने के बाद अन्य चीजों का भी स्थान आयेगा और उनमें भी तरक्की होगी । शिक्षा के लिये यह कहा गया कि प्राइमरी एज्यूकेशन कम्पलसरी

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

होना चाहिए । कांग्रेस का तो यह ध्येय ही है । प्राइमरी एज्यूकेशन को कम्पलसरी करने के लिये ही तो प्राइमरी स्कूलों की तादाद इतनी बढ़ायी गई है । इसमें कम से कम दस करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जोकि आज बढ़ कर १३ करोड़ के करीब बैकवर्ड क्लासेज को मिला कर आता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मिसाल को लेकर यह मालूम होगा कि हम किस प्रगति से बढ़ रहे हैं । इस साल जहां तक बिजली का ताल्लुक है, दो पावर हाउसेज तैयार हो जायेंगे उनसे काफी बिजली तैयार हो सकेगी ।

एक बात जो विरोधी दल की तरफ से कही गयी वह यह कि टैक्स क्यों लगाया गया । मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर टैक्सों की तरफ नजर डालें वह तो रेवेन्यू का एक भाग है । आप देखेंगे मोटर के रजिस्ट्रेशन का टैक्स करीब एक करोड़ के आता है । इसी प्रकार एलेक्ट्रिसिटी से टैक्स आता है तो इसी प्रकार के टैक्सों से कुछ मदें बढ़ गयी हैं । हमें सोचना यह है कि आखिर इन टैक्सों का भार किसके ऊपर पड़ता है । कांग्रेस का मतलब एक अहिंसा के तरीके से क्रांति को पैदा करना है । उसमें इस बात की आवश्यकता होती है कि अमीरों से टैक्स ले करके गरीबों का भला किया जाय । यही समाजवाद है जिस समाजवाद से बिना खून बहाये सब वर्गों को अपने स्थान पर रख सकते हैं । अमीरों की जेब से पैसा लेकर अगर गरीबों का भला किया जाय तो इसमें क्या हर्ज है । अगर विरोधी दल इस पर विरोध करता है तो यह उनकी भूल है । आप इसके अतिरिक्त देखेंगे कि हमारे समाजवादी मित्रों ने इस बजट के विरोध में बहुत कुछ कहा । उन्होंने कहा कि नया दृष्टिकोण होना चाहिए, नया तरीका होना चाहिए लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह क्या होना चाहिए । जिस तरह कांग्रेस डिटेल्ड प्लान बना कर काम कर रही है उसी तरह से उनका एक प्लान होना चाहिए, एक प्रोग्राम होना चाहिए । उनका कोई प्रोग्राम नहीं है । यह उनकी कमजोरी है । उनकी बैठक नेशनल कन्वेन्शन के नाम से इलाहाबाद में हुई थी । उन्होंने वहां तय किया कि किस प्रकार का प्रोग्राम देश के सामने रखा जाय, ताकि देश की उन्नति हो । उसमें उन्होंने बतलाया कि पावर बढ़ाया जाय, इर्रीगेशन बढ़ाया जाय, एलेक्ट्रिसिटी बढ़ायी जाय, जो चीजें सरकार कर रही है उन्हीं चीजों का तजकिरा उन्होंने किया । उनका भी यही दृष्टिकोण है । इसलिये विरोध की बात करना गलत चीज है ।

दूसरी कमी जो उनकी है, वह यह कि उनके सारे कन्वेन्शन की प्रोसीडिंग्स पढ़ जाइए, कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि पैसा कहां से आये । लोग कहते हैं कि इर्रीगेशन बढ़े, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि पैसा कहां से आये । उनके सामने कोई तस्वीर साफ नहीं है । इस चीज पर उन्होंने पूरा-पूरा विचार नहीं किया । उनका यह कहना है कि टैक्सों के विरोध में सारी जनता खड़ी हो गई है, बिल्कुल गलत है । उन्हें जनता के नाम पर बोलने का अधिकार नहीं है । जनता उनके साथ नहीं है । वह जो विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे बगावत होगी ।

लेकिन आज कहा जाता है कि गन्ना उत्पादकों ने बहुत भारी सत्याग्रह किया है । मैंने हल्द्वानी में यह सत्याग्रह देखा है । वहां सत्याग्रह का केन्द्र रहा है । सत्याग्रह का रूप यह है कि जो लोग गन्ना लाते हैं उन्हें गन्ना नहीं बेचने दिया जाता है और गन्ना लाने वालों को रोकते वह लोग हैं जो कोई दूसरा रोजगार करते हैं, जैसे पान की दूकान करते हैं या इसी तरह से कुछ और करते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह गन्ना उत्पादकों का सत्याग्रह है या गन्ना उत्पादन करने वालों के खिलाफ सत्याग्रह है । मैं समझता हूं कि जो सत्याग्रह उन्होंने किया है वह गन्ना उत्पादकों के खिलाफ है । नतीजा क्या हुआ, १००-५० आदमी जेल गये, जो गन्ना उत्पादक नहीं थे । मैं यह कहूंगा कि वोट के पीछे दौड़ने से वोट नहीं मिलते हैं । वोट मिलते हैं उस चीज में सहयोग देने से, जिसको आप अच्छा समझते हैं । अगर आप इस तरह करेंगे

[श्री इन्द्र सिंह नयाल]

तो आपकी प्रतिष्ठा होगी । जो लोग कहते हैं कि जनता का विश्वास कांग्रेस में नहीं है या कम हो रहा है तो मैं इस बात को मानने के लिये नहीं तैयार हूं और म्युनिसिपल बोर्ड स से जो नतीजा निकालते हैं उसे भी मैं नहीं मानता हूं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा मत मिले। स्वतन्त्र उम्मीदवारों ने अपने प्रभाव के कारण सबसे ज्यादा मत प्राप्त किये, लेकिन दूसरी और कौन पार्टी है जिसने कांग्रेस के मुकाबिले में मत प्राप्त किये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक बात और कहना चाहता हूं। एक दो बातें यहां गलत ख्याल की बताई गई। एक माननीय सदस्य ने कहा कि १ अरब ९५ करोड़ का कर्जा है। लेकिन यह बात नहीं है। प्रदेश का कर्जा ३१ मार्च को ९४ करोड़ का है। इस वर्ष के अन्त तक लिखा गया है कि १ अरब ९५ करोड़, तो मेरा कहना है कि एक अरब के करीब जमीन्दारों को बान्ड्स में देना है। उनको इन्स्टालमेंट्स में दिया जायगा और वह इस प्रदेश के फाइनेन्सेज में कोई बर्डन नहीं है। वह समय-समय पर दिया जायगा और दूसरे हाथ से वसूल भी तो होगा। अब बचता है ९४ करोड़। २० करोड़ हमको लेना है, इस तरह से ७४ करोड़ रह जाते हैं। ५० करोड़ गवर्नमेंट आफ इंडिया से ग्रान्ट मिलेगी, तो ५० करोड़ इस तरह से एडजस्ट हो जायगा। अब २४ करोड़ रह जाता है, वह भी एडजस्टेबुल है। तो यह कहना कि १ अरब ९५ करोड़ का कर्जा है, गलत है। वास्तव में वह २४ करोड़ से ज्यादा नहीं रह जाता और उसके लिये भी सिंकिंग फन्ड रखा हुआ है। इन कारणों से मैं कहता हूं कि यह बजट बहुत साउन्ड है। अन्त में मैं यह कहूंगा कि वित्त मन्त्री ने यह अपील की है कि इसको पूरा करने में सहायता दी जाय। मैं भी समझता हूं कि उसमें सबको सहयोग देना चाहिए। आप कहते हैं कि क्या सहयोग दिया जाय। सहयोग के लिये इच्छा चाहिये और अगर सहयोग की इच्छा नहीं है तो फिर विरोध का ही रास्ता निकलता है। क्रय-शक्ति के बारे में कहा गया। आप कहते हैं कि कानपुर में सामान पड़ा हुआ है। इससे आप यह समझते हैं कि क्रय-शक्ति घट गई है, लेकिन यह बात नहीं है। असल बात यह है कि वह माल अन्य प्राविन्स के माल के मुकाबिले में स्टैन्ड नहीं कर सका। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री को इस बजट के लिये मुबारकबाद देता हूं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद आचार्य (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री ने जो उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया है उसको देखने से पता चलता है कि हम लगातार उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कुछ मेरे माननीय मित्रों ने इसकी बड़ी कटु आलोचना की है। ऐसा होना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि उनको तो यह आशा थी कि प्रदेश में जनता पर नये-नये कर लगाये जायेंगे, जो कर लगे हुये हैं उनमें वृद्धि की जायगी। लेकिन जो कुछ हुआ वह सब इसके विपरीत था। यह तो एक निर्माण का बजट है। आज हमारा देश राष्ट्र-निर्माण की ओर अग्रसर हो रहा है। आज राष्ट्र-निर्माण की बेला है और इस बेला में आपका जो भी बजट होगा वह डेफिसिट बजट तो होगा ही। आपको निर्माण कार्य के लिये रुपये की आवश्यकता है, आपको विकास की तरफ बढ़ना है।

(इस समय २ बज कर २० मिनट पर चयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

इस निर्माण के लिये जनता को यह आशा थी कि हमारे ऊपर नये कर लगाये जायेंगे, लेकिन जनता इस बजट को देख कर स्तब्ध रह गयी है, आश्चर्य में पड़ गई है कि इस ढंग से यह बजट बनाया गया है कि हम निर्माण कार्य की ओर अग्रसर होते हुये भी किसी अतिरिक्त प्रकार से टैक्स नहीं किये जा रहे हैं। हमारे ऊपर

कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है । यहीं तक नहीं, अपितु भविष्य में टैक्स कम करने की भी आशा है । हमारे आलोचक भाइयों की आशा पर तुषारापात हो गया है, इस बजट को देख कर । लेकिन हमें आज इस राष्ट्र-निर्माण की बेला में यह देखना है कि हम जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार जिस प्रकार जनहित के लिये कार्य कर रही है, उसी प्रकार, उसी तेजी से हम उसे सहयोग दें । हमारा प्रत्येक कार्य रचनात्मक हो । यह न हो कि हम रात में धूमकेतु की तरह चमकें और हमारा हर कार्य विध्वंसात्मक हो । बजट को देखने से यह बात पूर्ण रूप से ज्ञात होती है कि हम हर तरह से और हर तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं । बजट के विषय में हमारे मित्रों ने आलोचना और प्रत्यालोचना की है । इसी सिलसिले में मैं भी माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान अपने कुछ सुझावों की ओर दिलाऊंगा चूंकि उनको भी बोलना है और समय कम है इसलिये मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा ।

मैं शुगर इन्डस्ट्री की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह इन्डस्ट्री हमारे सूबे की एक बड़ी भारी इन्डस्ट्री है । संसार में जितना गन्ना पैदा होता है उसका एक चौथाई हमारे प्रान्त में पैदा होता है । हमारे यहां दो लाख एकड़ के करीब गन्ने की खेती है । गन्ने से शुगर इन्डस्ट्री के दो रूप हैं, एक गुड़ योजना है और दूसरी है शकर योजना । तो जहां तक गुड़ बनाने का ताल्लुक है, इस गन्ने का बड़ा अंश उसी में खप जाता है । करीब ६२ से ६५ प्रतिशत तक गन्ने की उपज का गुड़ बनाया जाता है । २२ से २५ प्रतिशत तक चीनी बनाने में काम आता है और बाकी १० प्रतिशत चूसने या बीज आदि के काम में आ जाता है । इस तरह से करीब छः करोड़ मन गुड़ तैयार होता है जिसमें ५ करोड़ मन तो यहां खप जाता है और एक करोड़ मन गुड़ बाहर भेजा जाता है । गुड़ विभाग योजना बनी है इसके द्वारा ग्रामों में काफी काम हो रहा है । आपको इसको तरक्की देना है । यह तो ठीक है, लेकिन आप देखिये कि आपके यहां जो चीनी पैदा होती है उसका दाम बाहर से आई हुई चीनी से ज्यादा ही बैठता है । इसका भी समाधान होना चाहिए कि ऐसा क्यों ? गन्ने की कीमत का भी सवाल है । गन्ने की कीमत १ रुपया ७ आने मन आप [illegible] कह सकते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहां मिलों में जो गन्ने की खुइया बच रहती है उसका दाम एक रुपया ४ आने मन है । यह सिर्फ जलाने के काम आती है । इसको किसान मवेशियों के खिलाने के लिये अधिक ले जाते हैं । इस साल चारे की कमी के कारण इसका दाम १।) प्रति मन तक हो गया । इसके मानी यह नहीं हैं कि अगर खुइया एक रुपया चार आने मन बिक जाती है, गन्ने का भाव और न बढ़ाया जाय । हमें देखना है कि क्या कारण है कि गन्ना आपके यहां इतना पैदा होता है तब भी चीनी महंगी पड़ती है । इसकी वैज्ञानिक ढंग से खोज होना चाहिए । हमारे यहां गन्ने की किस्में बहुत खराब हैं, उसकी कई वरायटीज हैं, हमारे यहां भिन्न प्रकार का गन्ना बोया जाता है । कोई तो दिसम्बर में पकता है, कोई फरवरी और अप्रैल तक पकता है । तो इसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो गन्ना जिस समय पकता है उसी समय पर वह ले लिया जाय । कहने का मतलब यह कि जो गन्ना दिसम्बर में पकता है वह दिसम्बर तक ले लिया जाय और जो गन्ना फरवरी और अप्रैल में पके वह तब लिया जाय । वरना बाद में वह सूखने लगता है और उसमें गन्ना उत्पादन करने वाले का काफी नुकसान होता है । साथ ही चीनी भी कम पड़ती है इससे मिल मालिक का भी नुकसान होता है । इसके अतिरिक्त जो गन्ना डेवलपमेंट कमेटियां हैं उनमें बहुत सी कमियां हैं, उनको दूर करने के लिये सरकार को चाहिए और हम लोगों को भी चाहिए कि उन लोगों से मिल कर उनके सामने कुछ सुझाव रखें जिससे उनकी दशा सुधर सके । मैं देखता हूं कि इस प्रश्न पर जितना सुधार होना चाहिए, नहीं हो रहा है और विशेष ध्यान इस ओर सरकार को देना चाहिए क्योंकि मैं देखता हूं कि किसान इन सोसाइटियों से खुश नहीं हैं ।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद आचार्य]

दूसरी चीज जिससे गन्ना उत्पादन करने वालों की हालत सुधर सकती है, वह यह है कि गन्ना बोने वाले लोग जब अपना गन्ना तौलने के लिये कांटे पर ले जाते हैं तो वहां पर उनके साथ बड़ी बेईमानी की जाती है और अगर उनका गन्ना २५ मन है तो वह २२-२३ मन ही तौला जाता है। सरकार की तरफ से इसकी देखभाल के लिये कुछ कांटा चेकर नामिनेट होते हैं। परन्तु वे ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि सरकार पंच, सरपंच और सभापति को जो उस एरिया में रहते हैं जहां पर गन्ना कांटे पर लगाये जाते हैं, उनको यह अधिकार दे दे कि वह कांटे को चेक कर सकें तो इससे बहुत सी खराबी कम तौलने की दूर हो सकती है। यह सरकार को कर देना चाहिए। यह फाजिल गन्ना मिल मालिकों की जेब में नहीं जाता है बल्कि वही पूंजी मोहर्रिर और उसके सम्बन्धी लोग तथा ठेकेदार मिल कर जाली पर्ची पर गन्ना तौल कर उसका रुपया ले लेते हैं। जहां तक पर्चों मिलने का सवाल था वह तो इस साल काफी हद तक ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूट की गई है।

अभी हाल में हमारे समाजवादी भाइयों की गन्ना हड़ताल हुई। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पिछले साल काफी दिनों तक गन्ना पड़ा रहा और मई और जून तक वह पेरा गया तो इस पर इन भाइयों ने क्या किया। मगर इस साल जब उनको कोई शिकायत नहीं है तो समाजवादी लोगों ने जबरदस्ती गाड़ियों के सामने लेटना शुरू कर दिया कि गन्ने को मिल न जाने देंगे, उनका यह कार्य निन्दनीय है। इस तरह से मैं जानता हूं कि उनका कोई असर गन्ना उत्पादकों पर नहीं पड़ रहा है। उल्टे किसान यानी गन्ना उत्पादक इससे नाराज हैं। हमारे भाई श्री राजाराम शास्त्री और दूसरे लोग यहां उपस्थित हैं। मेरा उनसे यह कहना है कि मजदूरों और दूसरे लोगों के मामलों को लेकर वह आगे बढ़ रहे हैं, मगर करोड़ों हमारे जो कृषि मजदूर (खेतिहर मजदूर) निर्धन भाई देहातों में रहते हैं जो बहुत परेशान रहते हैं, जिनकी सुनने वाला आज कोई नहीं है, उनमें हमारे समाजवादी भाई क्यों नहीं जाकर उनकी कुछ सेवा करते हैं। उनका देहातों में कोई संगठन नहीं है और न हो सकता है, उनके लिये कोई कानून भी नहीं बनाया जा सकता। वे इधर-उधर असंख्य ग्रामों में फैले हैं। जो मिल मजदूर हैं, आज मिलों में मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिये काम करने के घंटे नियत हैं तथा मजदूरी की दर नियत है। परन्तु इन बेचारे खेतिहर मजदूरों के लिये न तो समय नियत है न काम करने के घंटे ही नियत हैं। इन्हीं के बल पर सारा कृषि कार्य होता है। मगर उनके लिए कुछ नहीं होता है। उनमें आपस में फूट और झगड़े इतने रहते हैं कि अगर एक आदमी कुछ दामों पर काम करने को तैयार होता है तो दूसरा आदमी उससे भी कम दामों पर काम करने के लिये तैयार हो जाता है। इनके लिये उनको कुछ सेवा करनी चाहिए। महात्मा गांधी की यह इच्छा थी कि हमारे यहां १० लाख ग्राम हैं, उसमें कम से कम १० लाख ग्राम सेवक जाकर बस जायं तो उनकी हालत सुधर सकती है। वे वहां ग्रामों में रह कर उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न करें। उनके लिये कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों ने इसके लिये गोरखपुर जिले में कुछ प्रयत्न किये, परन्तु उनमें सामाजिक चेतना के न जागृत होने के कारण वहां पर पूर्णरूपेण सफल नहीं हो सके हैं। वहां पर इतना अन्धकार है कि वहां की प्रगति की तरफ काफी ध्यान नहीं है। यदि वहां पर शिक्षा का प्रचार हो और प्रौढ़ रात्रि-पाठशालायें चलायी जायं तो काफी उन्नति हो सकती है। देश में नाना प्रकार की पार्टियां हैं, लेकिन ग्रामीणों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस तरफ उचित ध्यान दे। आज जमींदारी समाप्त हो चुकी है। इन जमीन्दारों के द्वारा भी काफी उनका शोषण हो चुका है। मुझे पूर्वी जिले की घटना याद है। मेरे सामने एक जमीन्दार साहब एक मजदूर को मजदूरी दे रहे थे और वे कहते थे कि इसकी फटी गमछी में मजदूरी दो, ताकि इसका अनाज घर जाते-जाते कुछ रास्ते में छिट जाय जिससे वह कल भी मजदूरी करने के लिये आये। जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो

मालूम होगा कि वे किसी सरपंच के घर बैठ कर फर्जी रिपोर्ट बना देते हैं। यदि इन लोगों से इन खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने का काम लें तो बड़ा अच्छा होगा। मैं पूर्वी जिलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उन जिलों की ओर सरकार का ध्यान काफी आकर्षित हुआ है। वहां पर काफी सिंचाई की व्यवस्था हो रही है। गोरखपुर में फरेन्दा तहसील में डब्डा नहर है जो कि १५ नवम्बर से १५ जून तक चलाई जाती है। लेकिन इस साल १५ नवम्बर के पहले तक के लिये भी पूरा चार्ज कर लिया गया है। जब धान के लिये इस नहर में पानी की व्यवस्था अभी नहीं है तो भी इर्रीगेशन टैक्स चार्ज किया जाता है। जहां तक मुझे मालूम है, इस वर्ष ६० एकड़ जमीन पर चार्ज किया गया है। पूर्वी जिलों की समस्या हल हो रही है। हमारे यहां यूनिवर्सिटी बन रही है, इसके लिये गवर्नमेंट ने कुछ रुपया टोकेन के तौर पर रक्खा है।

मैं अब आपका ध्यान बद्रिकाश्रम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बद्रिकाश्रम गढ़वाल में एक सांस्कृतिक केन्द्र रह चुका है। शंकराचार्य ने वहां पर अपनी गद्दी स्थापित की थी और भारतवर्ष में चार गद्दियां स्थापित की थीं। इस तरह से भारतवर्ष में एकता का संगठन किया था, लेकिन वहां पर आजकल काफी गरीबी है। वहां के लोग ईमानदार हैं। वहां पर हमारे भारत के चीफ जस्टिस माननीय पतंजलि शास्त्री तथा महामहिम राज्यपाल महोदय भी गये थे और इस प्रान्त के महापुरुष भी गये थे। वहां पर एक सड़क कोटद्वारा से पीपलकोटी तक जाती है, लेकिन सड़क इतनी पतली है कि जरा भी मोटर ड्राइवर चूका कि वह गड्ढे में गिर जायगा। इस साल २५ आदमियों को लेकर एक बस गिर गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। नैनीताल की सड़क पर जैसे प्रोटेक्शन के लिये बनाया गया है वैसे ही इस रास्ते पर भी निर्माण होना चाहिए।

वहां पर प्रकृति के काफी साधन भी हैं। अगर आप वहां पर कुछ रुपया खर्च करें तो वह सुन्दर स्थान बन सकता है। वहां पर एक फ्लावर वैली है, वहां पर भी काफी डेवलपमेंट का कार्य हो सकता है। जो लोग विदेश से आते हैं वह लोग उसको काफी पसन्द भी करते हैं। यदि उस पर कुछ रुपया लगाया जाय तो अच्छा है। साथ ही साथ मजदूरों को मजदूरी भी मिल सकेगी और सरकार को भी फायदा होगा। जो बद्रिकापुरी है, उसकी एक बड़ी समस्या है। वहां पर अलखनन्दा नदी है, वह नदी बराबर पुरी को काट रही है, साथ ही ऊपर से हिमस्खलन भी हो रहा है, इससे पुरी का काफी नुकसान हो रहा है। इसके लिये अलखनन्दा का बांध और बड़ा बनाया जाना चाहिए तथा साथ ही जंगल विभाग द्वारा पुरी के ऊपर की तरफ वृक्ष लगाये जाने चाहिए ताकि हिमस्खलन से पुरी की रक्षा हो।

इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर अगर एक पुल की व्यवस्था कर दी जाय तो बहुत ही अच्छा होगा। इसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अलखनन्दा के पार की जमीन जो खाली पड़ी है, पुरी के लिये दे दी जाय। इससे लोगों को रहने के लिये सुरक्षित स्थान मिल जायगा। इस तरह से हम एक प्राचीन तीर्थ-स्थान की रक्षा कर सकेंगे और भारतीय संस्कृति का भी काफी विकास हो सकेगा। वहां पर एक माडा ग्राम है जहां पर शिक्षा की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। यह तिब्बत की सीमा पर है। इसलिये यहां पर भारतीय संस्कृति का कम प्रभाव है। यहां पर अधिकतर लोग तिब्बत की बोली बोलते हैं। सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि वहां पर वह अपनी भाषा का प्रचार करे। इसकी तरफ सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। कुछ कठिनाइयां तो हर जगह होती हैं। सरकार को चाहिए कि वहां पर हर प्रकार की सुविधा पहुंचाने की कोशिश करे। भौगोलिक स्थिति देखने से पता चलता है कि वहां पर नाना प्रकार की कठिनाइयां हैं। लेकिन फिर भी सरकार को उसकी देख-रेख करनी चाहिए। उस प्रान्त की भलाई सारे भारत की भलाई है।

अब हम थोड़ा निवेदन पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में करना चाहते हैं। जो छोटे-छोटे आफिसर्स होते हैं वे सरकार की योजनाओं को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने में सहयोग नहीं देते हैं। सरकार को उन कर्मचारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार की योजनायें सफल तो जरूर होती हैं। लेकिन उनका काफी प्रचार जनता में नहीं होता है। जो

[श्री जगन्नाथ प्रसाद आचार्य]

आफिसर किसी योजना को चला रहा है उसके लिये यह भी देखना चाहिए कि वह उस योजना के आदर्श को लेकर काम करें, सिर्फ अपना फर्ज ही न समझें। बहुत से आफिसर ऐसे होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि यह योजना तो बेकार है। श्री विनोवा जी ने हमारे यहां भूमि की समस्या को काफी हल कर दिया है। लेकिन फिर भी वह समस्या अभी पूर्णरूप से हल नहीं हुई है। इसके बारे में भी बहुत से आफिसर कहते हैं कि यह तो एक बेकार सी चीज है। आपको अपनी योजना को सफल बनाने के लिये अच्छे आफिसरों की भी जरूरत है। उनको यह नहीं समझना चाहिए कि यह काम तो हम पर थोप दिया गया है। वह लोग सिर्फ फोटो ही न खिचायें। इन आफिसरों की इन योजनाओं में सच्ची निष्ठा होनी चाहिए।

लेकिन आफिसर जितना काम करते हैं उस पर उतना ध्यान नहीं रखते हैं, यह बात उनके लिये ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि सरकार के कामों को उन्हें ठीक प्रकार से करना चाहिए और रचनात्मक कामों को जनता के सामने रखना चाहिए। इसी तरह से वे निर्माण करके आगे कदम बढ़ा सकते हैं।

एक बात म्युनिसिपल एलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के हारने की बात कही गई। मैं इस बात को नहीं मानता। पहले इन म्युनिसिपल बोर्डों में कितने कांग्रेसी थे। अभी चार बाई एलेक्शन एसेम्बली के हुये, इनमें तीन स्थान कांग्रेस को मिले, खुद गेंदा सिंह जी अपने क्षेत्र में हारे हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--गेंदा सिंह तो असेम्बली के मेम्बर हैं।

श्री जगन्नाथ आचार्य--मेरा मतलब उनकी पार्टी से है।

मैं जो कुछ निवेदन करना चाहता था वह आपसे निवेदन कर चुका। अन्त में इस बजट के लिये मैं पुनः वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मन्त्री)--श्रीमन्, मुझे दुख है कि इस भवन के जितने माननीय सदस्यों ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे, उसमें से प्रायः सभी माननीय सदस्य आज इस समय अनुपस्थित हैं।

श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--उस रोज आप भी नहीं थे, आज वे भी नहीं हैं।

श्री हर गोविन्द सिंह--अगर मैं नहीं था, तो उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में जो अपने विचार प्रकट किये थे, वे शायद इसी आशा पर किये होंगे कि उसकी सूचना किसी न किसी प्रकार से मुझे हो जायगी और वे उसके उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे होंगे। वे इसलिये बोले कि यहां मैं अनुपस्थित था और उनकी बात किसी तरह से मेरे पास पहुंच जाय। एक इसका कारण मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि जितने प्रश्नों पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किये थे, उन सब की सूची मेरे सामने उपस्थित है, लेकिन मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि उनका एक-एक करके उत्तर देना ठीक होगा या नहीं। कम से कम जहां तक इस भवन का सम्बन्ध है, बजट के इस अवसर पर यह ठीक बात है कि सरकार की नीति की आलोचना की जाय और उसके समक्ष सुझाव रखे जायं। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा अवसर होता है जिस अवसर पर कि इस पक्ष के लोगों को इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि विपक्षियों द्वारा बहुत आलोचना की जा रही है। हां, दुख उस समय होता है जब कि दृष्टिकोण बदलकर, उसको एक विकृति रूप दे करके और तोड़-मोड़ करके, कुछ अवांछनीय तरीकों से चीजों को सामने रखा जाय। यहां यह मैं समझता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्य आज अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और उसके अनुकूल, उसके अनुसार अपने विचारों को रखना चाहते हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहा गया कि बजट में इसके लिये और अधिक होना चाहिए था तो साधारणतया यह कहा जा सकता है कि वह कम है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि हम यह कहें कि शिक्षा सम्बन्धी बजट बहुत अधिक

है, तो मैं यह ठीक नहीं समझता । मैं समझता हूं कि जितने अनुदान इस समय बजट में हैं यदि शिक्षा के लिये उससे ज्यादा रखा जाय, तब भी उससे सन्तोष नहीं हो सकता है क्योंकि एक प्रजातन्त्र राज्य में शिक्षा के ऊपर जितना ही खर्च किया जाय उतना ही कम है ।

केवल उसकी सफलता पूर्णतया शिक्षा पर ही निर्भर हुआ करती है । लेकिन फिर भी यह एक सन्तोष की बात है कि जो अनुदान सन् १९४६ में २ करोड़ कुछ लाख का था वह आज आपके सामने ९ करोड़ ४८ लाख के करीब है और उसमें यदि यह सोचा जाय कि यहीं तक शिक्षा का अनुदान सीमित है तो यह भी गलती है । इस अनुदान में कृषि शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि जितनी भी शिक्षायें हैं वह इसमें शामिल नहीं हैं और इसके अतिरिक्त जो हरिजन सहायक डिपार्टमेंट का बजट है करीब-करीब उसमें भी ज्यादातर शिक्षा के सम्बन्ध में खर्च होता है। यदि शिक्षा के इस बजट में कृषि शिक्षा, इंजीनियरिंग की टेक्निकल एजुकेशन या सभी इस तरह की शिक्षायें जोड़ दी जायं तो मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण बजट का एक बड़ा अंश शिक्षा में ही आता है । दूसरे प्रान्तों का जो शिक्षा का अनुदान है वह देखने में हमसे अधिक जरूर है, लेकिन उसमें यह सब जितनी और प्रकार की शिक्षायें दी जाती हैं, वह सब शामिल हैं । हमारे प्रान्त में यह शिक्षा सम्बन्धी बजट केवल जनरल एजुकेशन से ही सम्बन्ध रखता है। टेक्निकल एजुकेशन या मेडिकल एजुकेशन या इन्जीनियरिंग एजुकेशन का अनुदान अलग से ही होता है और शिक्षा के अनुदान में वह प्रतिबिम्बित नहीं होता । इस कारण यदि मैं इस भवन में यह संतोष प्रकट करूं कि हमारी शिक्षा का अनुदान ऐसा नहीं है जिसके प्रति हमको कोई दुख हो तो मैं समझता हूं कि यह धारणा ठीक ही होगी ।

हमारी शिक्षा यूनिवर्सिटीज, प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा ४ विभागों में विभक्त है । यूनिवर्सिटी में हमारा अनुदान प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है और यदि मैं आपके सामने आंकड़े रखूं तो जो अनुदान यूनिवर्सिटीज का ३६ लाख १९५३-५४ में था वह १९५४–५५ में ३८ लाख ५५ हजार हुआ। इस तरह से २ लाख ५५ हजार इस साल में वह बढ़ा है । इसमें सन्देह नहीं है कि हमारे विश्वविद्यालयों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यह एक बड़ी भारी समस्या हो रही है कि जो लड़के विश्वविद्यालयों में जाते हैं, उनका क्या किया जाय । यह भी सत्य है कि माध्यमिक शिक्षा के अन्त पर अभी तक कोई उपाय नहीं है कि उनकी ऐसी दशाओं में किस ओर प्रेरित किया जाय कि वह कुछ सीख करके अपने पैरों पर खड़े हो सकें । मैं जहां तक समझता हूं कि वास्तविकता तो यह है कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद शायद बहुत से विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में इसलिये जाते हैं कि थोड़े दिन तक उनकी बेकारी की समस्या और टल जाती है। इस तरह से यह एक समस्या बढ़ती जा रही है इसमें कोई सन्देह नहीं है। इस पर क्या हो । यह तो आप जानते ही होंगे कि बहुत सी समितियां इस पर बैठीं और उन्होंने अपने विचार भी प्रकट किये । लेकिन इसमें यह कह देना कि कौन नीति अख्तियार की जायगी कम से कम मेरे लिये असंभव है । क्योंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल एक या दो प्रान्तों से नहीं है बल्कि इस प्रश्न का सम्बन्ध प्रायः देश भर से है । इस पर भी विचार हो ही रहा है। हां, मेरा विश्वास है कि हमारे यहां की शिक्षा जिससे प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध है उसका इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा तीन विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध है । आप जानते ही हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक कमेटी नियुक्त हुई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, विचार भी हो रहा है कि किस प्रकार से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर या लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कर्जा है वह अदा किया जाय और उनका सालाना अनुदान क्या हो, यह निकट भविष्य में ही निश्चित हो जायगा । चूंकि इस समय इस कर्जे की अदायगी के लिये बजट में, मेरा ख्याल है प्रेस की गलती से रह गयी है, १ लाख का एक अनुदान रखा गया है, वह एक तरीका मात्र है कि हमारे लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो कर्जा है, उसकी अदायगी के लिये रखा गया है और जहां तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ब्लाक ग्रान्ट का सम्बन्ध है, वह मैं समझता हूं कि हम मार्च तक निश्चित कर लेंगे कि कितनी ब्लाक

[श्री हर गोविन्द सिंह]

ग्रान्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को दी जाय जिसके लिये मैंने उनके रजिस्ट्रार वगैरह को निमन्त्रित किया है कि वह आयें और मुझसे बातचीत करके बतायें कि ब्लाक ग्रान्ट के लिये कितनी रकम तय की जाय । लेकिन यह जरूर है कि इसके बारे में मैं पहले भी अपने विचार भवन के सामने, इस भवन में और दूसरे भवन में प्रकट कर चुका हूं कि जो कर्जा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर इस समय है उसमें से अधिकांश भाग उनका स्वयं किया हुआ है और यह एक ऐसी नीति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अख्तियार की कि इस कर्जे का परिणाम किसी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि वांछनीय है । उन्होंने सरकार के आदेशों के प्रतिकूल अपने यहां बहुत से डिपार्टमेंट वगैरह खोले, अपने यहां महंगाई ऐसी दे दी जिसके कारण वहां कर्जा बढ़ता गया और मूथम कमेटी की रिपोर्ट से ऐसा मालूम होता है कि १५ लाख और कुछ हजार जो कर्जे की रकम कही जाती है उसमें उन्होंने लिखा है कि १४ लाख कुछ हजार तो केवल इस कारण वहां कर्जा हो गया है कि उन्होंने किसी नियम का पालन नहीं किया था और मूथम साहब ने अपनी रिपोर्ट में यहां तक लिखा है कि नियम का पालन तो दूर रहा, उन्होंने नियमों के बिल्कुल विरुद्ध और गैरकानूनी तरीके से यह कर्जा अपने ऊपर बढ़ा लिया है और शायद वह इस कारण बढ़ा लिया कि वह यह समझते थे कि विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है कि जिसके ऊपर जितना भी कर्जा कर लिया जाय, सरकार स्वयं इस बात के लिये मजबूर होगी कि इस कर्जे का बोझ अपने ऊपर ले लेगी । किसी विश्वविद्यालय में ऐसी प्रवृत्ति होना और उससे प्रभावित होकर इस प्रकार से कर्जा कर लेना यह विश्वविद्यालय के लिये ही श्रेयकर बात नहीं है, इससे उसको ही धब्बा लगता है और चाहे जो भी हो लेकिन यह पारसाल ही वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि मैं इन यूनिवर्सिटियों का कर्जा अदा करूंगा । जो भी हमारी सरकार की स्थिति है उसमें भी उस कर्जे को अदा करना ही है, लेकिन इस सम्बन्ध में अब यह आवश्यक मालूम होता है कि इन यूनिवर्सिटीज के लिये ऐक्ट बने । इलाहाबाद का ऐक्ट हमारे पास तैयार है और उसमें ऐसे प्रतिबन्ध रखे जाय कि भविष्य में इस बात की संभावना न रहे । हो सकता है कि आवश्यकताओं के कारण और किसी जरूरत से प्रभावित हो करके उन्होंने कर्ज को बढ़ा लिया, लेकिन फिर भी यह तो होना ही चाहिए कि अपनी आमदनी देखकर खर्च बढ़ाना चाहिए । तो जरूरत होते हुये भी यदि आमदनी नहीं है तो कर्जा बढ़ाना ठीक किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता है । मैं यह पहले भी कह चुका हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता का प्रश्न है, मैं उसका हामी हूं और रक्षा करना चाहता हूं । रक्षा करना हमारा धर्म और कर्तव्य है । इसलिये मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों को बांध कर रखना आवश्यक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय ऐसे स्नातक पैदा करेंगे जो स्वतन्त्रता के पुजारी होंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि स्वतन्त्रता विश्वविद्यालयों की सुरक्षित रखी जाय । यह ठीक है, लेकिन यदि वह नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। आज हमारे सामने इन विश्वविद्यालयों ने करीब-करीब ४० लाख रुपया कर्ज कर लिया है वह ठीक नहीं मालूम होता है कि किसी साधारण व्यक्ति की तरह से इन विश्वविद्यालयों पर दावा हो और उनके सीनेट हाल को नीलाम किया जाय । इसलिये यह ठीक है कि उनके कर्जे का बोझ सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन यह अवसर है जब मैं आप से अनुरोध करूं कि भविष्य में यदि आप देखें कि ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं तो उस पर आक्षेप न होना चाहिए । मैं किसी भी तरह से उनकी स्वतन्त्रता पर कुठाराघात नहीं कर रहा हूं। आपने आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट पास किया है और निकट भविष्य में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ के लिये भी अपना ऐक्ट ला रहा हूं।

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय मुकुट बिहारी लाल जी ने यह कहा जैसा कि मैंने कहा था और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि शायद वह यह बात गलतफहमी पर कह रहे हैं और आक्षेप लगा रहे हैं। एक कमेटी इस सम्बन्ध में नियुक्त

की गयी थी और उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। वास्तव में बात यह है कि ५ या ७ महीने हुये आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें मैं यह समझता हूं कि शायद एक हफ्ता भी नहीं बीता होगा कि उसके अन्दर ही जहां तक सरकारी आदेश से संभव हो सकता था या उनमें जो सिफ़ारिशें की गई थीं उनको एक हफ्ते के अन्दर सरकारी आदेश से कार्यान्वित कर दिया गया, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पर बिना इन्टरमीडियेट बोर्ड की राय के कोई कार्य नहीं हो सकता है और वह कानूनी दिक्कतें हैं।

इस बीच में, श्रीमान् जी शायद आपको याद होगा कि केन्द्रीय सरकार ने भी एक सेकेन्डरी एजुकेशन कमीशन नियुक्त किया और कमीशन नियुक्त होने के बाद केन्द्रीय सरकार से एक आदेश भी आया कि आप तब तक अपनी कमेटी की रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही न करें जब तक इस कमीशन की रिपोर्ट न आ जाये। क्योंकि उनका शायद यह अभिप्राय था कि वह इस मसले को देश भर में या सब प्रान्तों में कैसे सुलझा सकते हैं। एक ओर तो जहां हम इस बात का इन्तजार कर रहे थे कि उनके कमीशन की रिपोर्ट आ जाये जिससे हम यह देख सकें कि किस प्रकार से वह हमारी रिपोर्ट से भिन्न हैं या वह क्या सिफ़ारिश करता है, क्योंकि वह हिन्दोस्तान भर में एक प्रकार से लागू करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह उचित ही था कि उसकी भी प्रतीक्षा की जाये और जैसा कि मैंने कहा कि दूसरी ओर इन्टर-मीडियेट बोर्ड की राय लिये बगैर भी कोई कार्य नहीं हो सकता था। लिहाजा उसकी राय ली गई और एक महीना, डेढ़ महीना हुये उसकी भी राय आ गई है। अब हमारे सामने सब सामग्री एकत्रित हो गई है और मैं आशा करता हूं कि बहुत निकट भविष्य में हम आपके सामने एक बिल इस सम्बन्ध में उपस्थित कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में बेटरमेंट कमेटी की बात भी हमारे मित्र मुकुट बिहारी लाल जी ने कही। इसमें सन्देह नहीं कि बेटरमेंट कमेटी बहुत पहले नियुक्त हुई थी और मेरा ख्याल है कि उसकी रिपोर्ट आये हुये भी दो-ढाई वर्ष हो गये। उसने सिफारिश की कि जो व्यवस्था हमारे असरकारी माध्यमिक विद्यालयों में है वह सन्तोषजनक नहीं है सरकार की ओर से १५ आदमियों की मैनेजमेंट कमेटी नियुक्त की जाये। उसमें एक प्रिंसिपल हुआ करे, एक टीचरों का कोई प्रतिनिधि हो और तीन सरकारी सदस्य हुआ करें तथा १० अन्य लोग हुआ करें। उसमें मैं स्वयं यह समझता था कि शायद इससे कोई बड़ा भारी उपकार नहीं होने वाला है। एक तो इतने विद्यालय हैं कि सब विद्यालयों के लिये तीन व्यक्तियों को चुनना भी कोई आसान काम नहीं है। चाहे जिस पक्ष की सरकार हो, उस पर आप यह आक्षेप लगा सकते हैं कि वह अपने आदमियों को इन कमेटियों में रखना चाहती है, और मैं स्वयं हमेशा इस राय का रहा और अब भी हूं कि हमारे विद्यालय चाहे वह जिस स्तर के हों, शिक्षा का कोई सम्बन्ध स्वतन्त्र देश में पालिटिक्स से नहीं होना चाहिए। कम से कम उस नीचे स्तर की पालिटिक्स से जो आज हमारे देश में चल रही है तो नहीं ही होना चाहिए। इसलिये भी मैंने यह ठीक नहीं समझा कि हम तीन आदमियों को जो पता नहीं शिक्षा सम्बन्धी विषयों में रुचि रखते हैं या नहीं उनको बिना वहां के लोगों की मर्जी के मैनेजमेन्ट बोर्ड में रख दूं। उस पर एक सरक्यूलर भी भेजा गया और ७० फ़ीसदी माध्यमिक विद्यालयों ने उसको स्वीकार भी किया कि हमारे यहां तीन आदमी सरकार द्वारा मनोनीत कर दिए जायें, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा, मैं स्वयं उससे बहुत लाभ की आशा नहीं रखता। जिस समय आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी बैठी हुई थी उस समय बेटरमेन्ट कमेटी की रिपोर्ट भी मैंने उनको भेज दी थी और उनसे यह प्रार्थना की थी कि इस कमेटी की रिपोर्ट पर भी आप अपनी राय दें कि इसको कार्यान्वित होना चाहिए या नहीं, आप अपनी स्वयं राय दें। क्योंकि एक माध्यमिक शिक्षा कमेटी बैठी हो बेटर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट के कार्यान्वित करने के लिये उसकी राय न ली जाय, यह ठीक नहीं मालूम हुआ। उन्होंने जो राय दी, मुझे दुख है, वह यह राय दी कि बेटर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट कार्यान्वित नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्कूल का मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो सरकार को चाहिए कि उसके मैनेजमेंट को बदल दे, लेकिन सब पाठशालाओं में

[श्री हर गोविन्द सिंह]

तीन २ आदमी सरकार की ओर से मनोनीत हो जायं, यह ठीक नहीं होगा। इसलिये बेटर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट कार्यान्वित नहीं की गई। इस संबंध में मुझे दूसरे हाउस में बैठकर वहां के विरोधी नेता की बात सुनने का मौक़ा मिला था। उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट कार्यान्वित होने पर सरकार की निंदा की। यह अच्छा होता कि यदि एक राजनैतिक दल की नीति स्पष्टतया मालूम हो जाती। उसका उत्तर दिया जा सकता था। हम उस सम्बन्ध में एक ऐक्ट बना रहे हैं। इसमें इस बात का प्रयत्न करेंगे कि किसी को कोई शिकायत न रह जाय।

श्री प्रभु नारायण सिंह--यहां तो किसी ने कुछ कहा नहीं।

श्री हर गोविन्द सिंह--वहां भी आप ही के नेता हैं। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैं स्वयं चिंतित हूं, अराष्ट्रीय पाठशालाओं की स्थिति को देख कर वहां के अध्यापकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जो नहीं होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि अध्यापकों का दोष नहीं है। उनमें भी दोष है लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की तरफ से उनकी जो उपेक्षा की जाती है वह कदापि नहीं होनी चाहिए और इस कारण और भी नहीं होनी चाहिए कि उन्हीं शिक्षालयों में, हम उन्हें भविष्य के नेता कहें, नागरिक कहें, उनका वहां निर्माण होता है। मैं स्वयं बहुत चिंतित हूं, लेकिन यह समस्या इतनी बड़ी है, इतनी जटिल है, इतनी आपस में उलझी हुई है कि किस प्रकार से इसका सुलझाव निकले, यह बड़ा जटिल प्रश्न है। यों तो प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी ने कहा कि उस समस्या का कोई हल निकालना चाहिए। मैं प्रयत्न कर रहा हूं। जो हल आवेगा उस विधेयक में आवेगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--कमेटीज का कान्सटीट्यूशन स्थगित कर दिया गया है।

श्री हर गोविन्द सिंह--नहीं, अधिकार ही नहीं है कानून से। अगर प्रबंध ठीक नहीं है तो एड बंद कर सकते हैं।

(इस समय ३ बजकर ८ मिनट पर डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

अध्यापक मारा जाता है, उसकी तनख्वाह नहीं मिलती है या स्कूल बन्द हो जाते हैं जिससे विद्यार्थियों का नुकसान होता है तो क़ानून से सरकार को कोई अख्तियार नहीं है कि वह किसी स्कूल की प्रबन्धक समिति को बदल सके या दूसरी प्रबन्धक समिति बना सके। ऐसा कोई अधिकार सरकार को नहीं है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--कोर्ट से भी नहीं है?

श्री हर गोविन्द सिंह--कोर्ट से ऐसा अख्तियार नहीं मिलता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जो विधेयक हम ला रहे हैं उसके लिये हम आशा करते हैं कि आप सभी माननीय सदस्य और कम से कम वह सदस्य जिनका शिक्षा संस्थाओं से किसी तरह का सम्बन्ध है वह अपने सुझाव यदि देंगे तो मैं बहुत आभार मानूंगा। इसी सम्बन्ध में आप जानते ही हैं कि एक नई योजना का भी संचार किया जा रहा है। वह एक ऐसी योजना है जिससे हम आशा करते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को जिस वातावरण में वह रहते हैं उसी वातावरण के अनुकूल शिक्षा दे सकेंगे। उसकी सफलता भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं यह आशा करूंगा और आपसे अपील भी करूंगा कि हर एक राजनीति को भुला करके उसमें हर एक का सहयोग होना चाहिये, क्योंकि उससे राष्ट्र के भविष्य का सम्बन्ध है और मैं आशा करता हूं कि उसमें जितने भी सहयोग की आशा होगी वह सभी दलों से मिलेगा

प्रारम्भिक शिक्षा की जहां तक बात है वह आप जानते ही हैं कि अध्यापकों की तनख्वाह का, वेतन-क्रम का, प्राविडेन्ट फन्ड का प्रश्न था। जहां तक वेतन-क्रम

का सम्बन्ध है उस पर तो इस भवन में कई अवसरों पर हमारे मुख्य मंत्री ने, वित्त मंत्री ने और मैंने स्वयं अपना पक्ष रखा है। मैं यह जरूर चाहता हूं कि जो वेतन-क्रम है वह महीने-महीने मिलना चाहिये और आपने देखा कि क़रीब-क़रीब ३२ या ३३ लाख रुपया हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को इसलिये दिया कि अध्यापकों का जितना बकाया वेतन है, वह दे दिया जाय। राष्ट्रीय पाठशालायें जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को ट्रान्सफर कर दी गई थीं उनके अध्यापकों को भी प्रावीडेन्ट फन्ड मिलेगा, उसी रूप में जिस रूप में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचरों को मिलता है। दूसरी जो नई व्यवस्था है उसमें भूमि से जो उत्पादन होगा वह सरकारी खजाने में नहीं आवेगा बल्कि थोड़ा अंश उन स्कूलों के निर्माण के लिये होगा और अधिक अंश वहां के विद्यार्थियों और टीचर्स को मिलेगा जिससे वह प्रोत्साहित हों और अपनी इस शिक्षा को सफल बनावें। प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं हुआ। हम प्राइमरी स्कूलों से ही अपनी शिक्षा को प्रारम्भ करते थे। उस सम्बन्ध में अभी एक नर्सरी स्कूल खोला गया है। यह तो शिक्षा के संबंध में जो मूल बातें ऐसी हैं जो आपके सामने रखना इस समय आवश्यक था वह मैंने प्रयत्न किया आपके सामने रखने का। अब इसके अलावा और बहुत सी बातें कही गई हैं जिनका एक-एक करके उत्तर देना तो शायद असंभव सा होगा, लेकिन कुछ मूल प्रश्न उठाये गये हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो यह कहा गया कि हर एक यूनिवर्सिटी में हरिजनों के लिये एक अलग होस्टल हो, निवास-स्थान हो। मैं इस नीति को ठीक नहीं समझता। यूं तो इस समय हर जिले में हमारा एक निवास-स्थान है, जिसमें कि हम हरिजन बालकों को निवास देते हैं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है और इस ओर प्रयत्न भी होना चाहिये कि वे और लोगों से अधिक मिलें, उनके संपर्क में आवें और इस प्रकार से उनके अंदर जो एक भावना है कि हम छोटे हैं, उस भावना का अन्त हो। तो मैं कभी भी इस नीति को आगे नहीं बढ़ाऊंगा कि उनका अलगाव और बढ़ाया जाय और इसलिये मैं इस बात का प्रयत्न करता हूं।

श्री श्याम सुन्दर लाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि उनको भी यूनिवर्सिटी के हास्टल्स में स्थान दिया जाय और अगर ऐसा न हो सके तो उनको यूनिवर्सिटी में तो कोई जगह रहने के लिये मिलनी ही चाहिये।

श्री हर गोविन्द सिंह—मैंने तो यह कहा कि मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो होस्टल्स हैं उनमें हमारे इन बच्चों को भी उसी प्रकार स्थान मिले जैसे और लोगों को मिलता है।

(इस समय ३ बजकर १५ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

मैं चाहता हूं कि यह जो अलगाव की नीति है उसका अंत किया जाय जिससे कि वह समाज के और नजदीक आयें और उनमें जो यह एक भावना समाज से छोटे होने की है, वह नष्ट हो जाय। दूसरी बात हिन्दी और उर्दू के बारे में कही गई। मैं था नहीं उस समय, लेकिन शायद यह कहा गया कि इस बजट में इस बात का कोई प्रबंध नहीं है कि उर्दू की शिक्षा दी जाय। मैं समझता हूं कि इस बजट में किसी शिक्षा का भी प्रबंध नहीं है। बजट में तो शिक्षा, जिसमें कि सभी शिक्षा सम्मिलित है, उसका प्रबंध है। किसी भाषा को अलग करके इस बजट में उसके लिये कोई अनुदान कहीं नहीं दिया गया है, आप इस सारे बजट के पन्ने लौट जाइये, एक रक़म भी आपको इस तरह की न मिलेगी कि किसी भाषा की शिक्षा के लिये अलग से इंतजाम किया गया हो। यह भी कहा गया कि उर्दू के प्रति सरकार की नीति दोषपूर्ण है। मैं नहीं समझता कि क्यों और किन कारणों से यह कहा गया। यदि कारण यह है कि उर्दू का वह स्थान नहीं है जो कि हिन्दी का है, तो मैं समझता हूं कि मुझे आपके समक्ष अपने को दोषी ठहराने में तनिक भी हिचक नहीं है। हिन्दी राज्यभाषा है। उसका स्थान सब भाषाओं से ऊंचा है और होना ही चाहिये। यदि कोई हमारे प्रान्त की या प्रान्त के बाहर की किसी भी भाषा के लिये यह समझे कि वह हिन्दी के समकक्ष है

[श्री हर गोविन्द सिंह]

या होनी चाहिये तो मैं समझता हूं कि उसका यह समझना निराधार है। यह कभी भी नहीं होना चाहिये। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि कोई भाषा यदि यह समझे कि हम सब भाषाओं से अलग हैं, हमारा एक अलग अस्तित्व है तो यह भी गलत है। मैं समझता हूं कि आप चाहे किसी भी भाषा को ले लीजिये, उसका उत्थान, उसकी उन्नति, उसका विकास इस बात पर बहुत हद तक निर्भर है कि और दूसरी भाषाओं का विकास भी उसके साथ–साथ होता जाय, उनकी उन्नति भी उसके साथ–साथ होती रहे। इसी कारण हमारे प्रान्त में जितनी भी भाषाएं हैं हम सब की रक्षा करना चाहते हैं। सब को हम इस बात का पूरा अवसर देना चाहते हैं कि उसको पूरे विकास का मौक़ा मिले और वह बढ़े, किसी भाषा की किसी दूसरी भाषा से कोई टक्कर नहीं है और हो ही कैसे सकती है। जब एक दूसरे का विकास एक दूसरे पर निर्भर होता है तो यह कहना कि किसी भाषा के प्रति सरकार की नीति ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है।

आज मैं जानता हूं कि हमारे प्रान्त में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उर्दू को कोई स्थान नहीं मिला। यह विवाद की बात है। अगर वह समझते हैं कि उर्दू एक भाषा है और हमारे बच्चों को उसे पढ़ाने की आवश्यकता है तो मैं उनको फिर बता देना चाहता हूं कि समय–समय पर सरकार ने इस सम्बन्ध में आर्डर्स भेजे हैं। जिन्हें कहीं भी आव–श्यकता होगी, जो बालक यदि किसी भाषा में शिक्षा पाना चाहता है, तो सरकार उसका प्रबन्ध जरूर करेगी और सरकार कायर है अगर वह इसका इन्तजाम नहीं कर सकेगी। हम यह कहना उचित समझते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा का सब से ऊंचा स्थान होगा। यहां सरकार का न कभी ऐसा भाव रहा है और न होगा कि हम किसी भाषा का गला घोटें या उसको खत्म कर दें। शायद मैं यहां उस समय उपस्थित न था जब महादेवी जी का भाषण हुआ था, शायद उन्होंने यह कहा कि इस बात का प्रबन्ध नहीं है कि साहित्यिकों को कोई यहां मदद या सहायता दी जाय। हमारे पास वह आंकड़े मौजूद हैं और हम इस समय भी करीब–करीब ६०–७० हजार रुपया साल साहित्यिकों की मदद में खर्च करते हैं। उनकी पुस्तकें हम खरीदते हैं और धनहीन की हालत में जो होते हैं उनकी सहायता करते हैं। ६०–७० हजार रुपया हम अपनी हालत को देखते हुये इस वक्त भी उनको देते हैं। यह दूसरी बात है कि जितना होना चाहिये उसको देखते हुये शायद यह रक़म कम हो। साहित्यिकों के प्रति यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, यह कहना गलत है। उनके साहित्य के लिये हम अनेक ढंग से ५०–६० हजार रुपया हर साल खर्च करते हैं। इस बजट के सिलसिले में जो विचार प्रकट किये गये थे, मैंने क़रीब–क़रीब सब चीजों का उत्तर दे दिया। अब शायद कोई ऐसी बात न रह गयी हो। हां, टेहरी के सम्बन्ध में एक चीज़ है। जब वहां इंटेरिम सरकार थी, तब यह कहा गया था कि सहायता देंगे और उसकी समस्या भी शायद करीब २ लाख से ज्यादे की है। २ लाख उनके लिये है तो उनको दिया जाय। इस पर इस समय क्या हो सकता है, इस पर मैं विचार कर रहा हूं, लेकिन फिर भी समझता हूं कि इस पर विचार करने का मतलब यह है कि वह किस प्रकार से रुपया दिया जाय कि वह समाप्त हो सके। इस पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं प्रयत्न कर रहा हूं। यदि हो सका तो उस दिशा में भी मैं प्रयत्न करूंगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—ओ० एस० डी० का क्या हुआ?

श्री हर गोविन्द सिंह—कार्य के अनुकूल उनकी संख्या बढ़ाई जाती है और जब वह कार्य समाप्त हो जाता है तो वे हटा दिये जाते हैं। इस समय भी ओ० एस० डी० हैं। अगर ओ० एस० डी० टेक्स्ट बुक हटा देना चाहिये तो ऐसी बात नहीं है, इस समय बेसिक रीडर बुक लिखी जा रही है और यह नई पुस्तक भी आ जायेगी। वह इतना बड़ा काम है कि अगर वह हमारे अधिकारी के जिम्मे कर दिया जाय तो वह बड़ा मुश्किल हो जायेगा। ओ० एस० डी० टेक्स्ट बुक के जो व्यक्ति हैं, वे आजकल हमारे यहां अन्डर सेक्रेटरी हैं और कौन ओ० एस० डी० हैं। डाक्टर साहब हमेशा ओ० एस० डी० की बात करते हैं। अगर

कोई दूसरा हो तो वे हमें बतावें। यह ज्यादे अच्छा है कि वह हमारे विवाद के अन्दर न आये। यह भी कहा गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अफसरों की संख्या बढ़ रही है तो जब सन् १९४६ में २ करोड़ ६५ लाख का बजट था और आज उसका बजट १० करोड़ का हो गया तो इसमें यह आवश्यक है कि अफसरों की संख्या में वृद्धि हो। इसलिये यह कहना कि इतने ही से काम चल सकता है तो मेरे ख्याल में यह असंभव है। जिस प्रकार से वादविवाद का विषय हो रहा है और किस तरह से नई योजनाओं को लाना चाहते हैं। एक ओर यह कहा जाय कि इसमें मूल परिवर्तन होना चाहिये और इसका ढंग बदलना चाहिये तो इसमें अफ़सरों की संख्या पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि वह कभी कभी ऐसा हो जाता है। चिल्ड्रेन ऐक्ट की बात कही गयी। आपको शायद मालूम है कि यहां इस भवन से और उस भवन से चिल्ड्रेन ऐक्ट पास हुआ। उसमें आवश्यकता इस बात की हुई कि इसमें रूल्स बनें। उसके लिये यहां डिप्टी सेक्रेटरी बहुत दिनों तक रहे। अब वह रूल्स बनकर तैयार हो गये हैं। आर्थिक संकट के होते हुये भी मैं इस बात का प्रयत्न करता रहा कि आप उस ऐक्ट को कार्यान्वित करें।

लेकिन इस में धन की बहुत आवश्यकता है और शायद उस पैमाने पर जिस पैमाने पर हम उस कार्य को करना चाहते हैं वह सम्भव नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि रूल्स और अधिनियम बन गये हैं इसलिये उस ओर क़दम बढ़ाना जरूरी है।

लड़कियों की एजुकेशन के बारे में भी कुछ बातें कही गईं। जहां तक हमारे प्रान्त का संबंध है, कई म्युनिसिपैलिटियां लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं। ८६ म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हैं जो लड़कों को निःशुल्क शिक्षा देती हैं और १० म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हैं जो लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देती हैं। ठीक है, हम भी इस तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। अभी अन्तिम वर्ष में दो म्युनिसिपैलिटियों ने लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देना शुरू कर दिया है। सम्भव है कि अगले वर्ष और म्युनिसिपैलिटियां इस कार्य को करेंगी।

मैं समझता हूं कि जो बातें शिक्षा के संबंध में कही गई हैं उनका एक-एक करके मैंने जवाब देने का प्रयत्न किया है। मैं आशा करता हूं कि वह संतोषजनक होगा और जो प्रगति हम शिक्षा में कर रहे हैं, वह ऐसी है जिस पर हमको अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए संतोष करना चाहिए।

*श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जब यहां पर अगले साल के बजट पर बहस हो रही थी तो मैं यहां पर हाजिर न हो सका, हालांकि मेरी यह ख्वाहिश रहती है कि मैं यहां पर मौजूद रहूं लेकिन किन्ही वजूहात से मैं हाजिर न हो सका। इस सदन से हम लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। यहां पर जो भी तरक्की की बातें कही जाती हैं और जो भी मसला सदन के सामने आता है उस पर कुछ नई रोशनी पड़ती है। यहां पर काफ़ी आलिम लोग भी हैं और काफ़ी तजुर्बेकार भी हैं। लिहाजा जो कुछ भी बातें वह यहां पर कहते हैं या जो भी सुझाव वे हमको देते हैं, उससे उसको, जिस पर यहां के इन्तजाम की जिम्मेदारी है, कुछ मदद मिलती है। परन्तु हमेशा खुद हाजिर होकर जानने का मौक़ा नहीं मिलता है। जहां तक मेरे ख्यालात इस बजट के मुताल्लिक हैं, मैंने दूसरी शक्ल में जाहिर कर दिये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिये बधाई देता हूं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। मैं तो समझता हूं कि जहां तक विकास का संबंध है ऐसा बजट पहिले नहीं पेश हुआ है। जो मकसद और उद्देश्य हमारे सामने रखा गया है उसके जरिये से हम इस बजट में कुछ आगे बढ़े हैं। यह किसी का भी दावा नहीं है कि अब इस बजट में किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे बजट की हमारे देश को जरूरत थी। इसका जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिये सब को सहयोग देना चाहिए।

हम तालीम में काफ़ी पिछड़े हुये हैं, हमारी ग़रीबी काफ़ी है, यहां उद्योग-धन्धे इतने नहीं हैं जिससे कि सभी लोग काम पा सकें। यहां हमें मलेरिया को भी दूर करना है और

*मुख्य मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

सेहत को सुधारने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे काम भी हैं जिससे आज इस प्रदेश को सुधारने की आवश्यकता है और यह सभी का काम है। आखिर इन सब को हमें लगन के साथ और हिम्मत के साथ करना है और इसी ख्याल से, इसी उद्देश्य को सामने रखते हुये यह कोशिश की गई है कि हमें आज कर्जा लेना पड़ा और इसके लिये जो तरीक़े इस्तेमाल में लाने पड़े वे लोगों के लिये बहुत तकलीफ़देह नहीं हैं। इस तरह से हमें हर ओर विकास के काम को बढ़ाना है। हमारे प्रदेश में सबसे पहले हम १०५ करोड़ रुपया एक साल में ख़र्च करने का इरादा रखते हैं और जहां तक हमारे बजट का सम्बन्ध है और उसके पैसे का सम्बन्ध है, तो क़रीब-क़रीब सारे ही जो काम आज हो रहे हैं, वे विकास के काम करने के लिये हो रहे हैं। ८१ करोड़ रुपया जो हम ख़र्च करना चाहते हैं तो २४ करोड़ रुपया कैपिटल डेवलपमेंट के लिये हैं। एक्सपेन्डीचर होगा तो रेवेन्यू से भी रुपया आयेगा। इस तरह से डेवलपमेंट के काम में काफ़ी खर्चा होगा और सूबे में जो डेफिसिट हो रहा है, यह इसीलिये हो रहा हो, तो यह बात नहीं है। हमारे यहां डेफिसिट ज़रूर है और डेफिसिट होना कोई बुरी बात नहीं है। यह बजट साहूकारों का बजट नहीं होता कि रुपया गिन करके तिजोरी में बन्द कर दिया जाय, बल्कि यहां तो जितने पैसे हैं वह सर्कुलेट होते रहने चाहिये और काम में आने चाहिये। इस तरह से रुपया लगाने से आमदनी बढ़ती है और इस प्रकार से जो रुपया मौजूदा रहता है वह काम में आ सकता है। संस्कृत में इस बात के लिये एक जगह कहा गया है। शासक तो जैसे कि सूरज था और उससे जितना खालिस पानी होता है, वह उसको खींचता है, परन्तु इस प्रकार से जो बादल होते हैं, उससे पानी बनकर बारिश होती है। तो वह पानी खींच ले और बादल बनाकर पानी को बरसा दे जिससे कि सूखी हुई ज़मीन उर्वरा हो जाय जिससे लोगों को खुशी मिल सके। इसी तरह से कोशिश की जाती है जिससे कि लोगों को कुछ मिल सके और जो ढंग उसके लिये हों, वे बढ़ाने के काम में लाये जायें और इसी उद्देश्य से इस बजट को भी बनाने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के लोगों की हालत पहले के ५, ७ सालों के मुक़ाबिले में सुधरी है, हमारी पैदावार बढ़ी है, हमारी इन्डस्ट्रीज़ में तरक्क़ी हुई है और जो गल्ला हमें बाहर से मंगाना पड़ता था, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यदि कोई ख़ास कुदरत की तरफ से बेजा सख्ती नहीं हुई तो हम अपनी और भी कई ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। इनसे जाहिर होता है कि इन्डस्ट्रियल आउटपुट और एग्रीकल्चरल आउटपुट दोनों में बढ़ती हुई है। इसमें सन्देह नहीं है कि यही ज़रिये हैं जिससे कि मुल्क आगे बढ़ सकता है। प्रोडक्शन के ज़रिये से भी मुल्कों की तरक्क़ी हो सकती है और उसकी वजह से हमें पहले खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ा क्योंकि पहले ज़रूरी यह था कि हमारे सूबे में खाना हो सके और इसके लिये हमको बाहर से लाने की ज़रूरत न पड़े। करोड़ों रुपया हमारा बाहर से अनाज लाने में जाता था और विदेशों से लाखों मन बल्कि करोड़ों मन गल्ला हम साल में खरीदते थे जिसमें काफ़ी रुपया निकल जाता था। अब जब कि हम अपने ही प्रदेश के अन्दर अपने ही पैदा किये हुये अनाज पर गुजर कर सकेंगे तो इस हद तक हमारे प्रदेश की हालत बढ़ गई, इसमें शुबहा कोई नहीं हो सकता।

इस समय जो कुछ आबपाशी इस बीच में बढ़ गई और सिंचाई पर जो रेट्स बढ़े, जो बंजर ज़मीनों में खेती बढ़ी और जिससे आज खेत की पैदावार सुधर गई और तरीक़ों में तब्दीली हुई उसका भी काफ़ी असर इस पैदावार के बढ़ाने में हुआ। हमने जो टारगेट अपने सामने रक्खा था कि हमें अगर यह करना है और ऐसी बातों में हमको इतनी अवधि के अन्दर में अपना रास्ता तय कर लेना है वह तो क़रीब-करीब इतने में कर दिया। यह एक तस्कीन की बात है कि इस तरीक़े पर हम आगे बढ़ते आये, पर हमें करना तो बहुत ज्यादा है और उसको कैसे करेंगे इस चीज़ को भी सोचना है और यह भी है कि इसके करने में वक्त भी लगेगा। परन्तु हमें इस बात की कोशिश करना चाहिये कि जितनी तेजी से हो सके उस रफ्तार से आगे बढ़ सकें। इस ख्याल से यह बजट इस तरह से बना है। वह ऐसे ढांचे में ढाला गया है कि उससे

अब कोई शुभा नहीं रहता। आपने उसकी तफसील देखी होगी। काफ़ी रक़म सिंचाई, बिजली और उद्योग-धन्धों को बढ़ाने में और इसी तरह के कामों के करने में, जिससे लोगों की और सूबे की आमदनी बढ़े और लोगों की हालत सुधरे, लगाई जा रही है।

इसके साथ-साथ जो बातें कही जा सकती हैं लोगों की रोजमर्रा की ज़िन्दगी और खास कर कामन मैन को सुधारने के लिये, इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें अगर किसी को तकलीफ हो तो उसे यह समझकर बर्दाश्त करना है कि करोड़ों लोगों की भलाई के लिये अगर कुछ तकलीफ भी बर्दाश्त करना पड़े, तो करना होता है। यह जरा अजीब सी हालत होती है जब कि ग़रीब मुल्क अमीर बनने की कोशिश में है और अगर ग़रीब मुल्क अमीर बनने की कोशिश करता है, तो ग़रीबों पर भी जब उसका बोझ पड़ेगा तभी यह सम्भव हो सकता है नहीं तो जिस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में ग़रीब हैं, वह यह समझे कि जब तक सभी लोग अमीर नहीं होते तब तक किसी को छेड़ा न जाय तब तो वक्त आ ही नहीं सकता कि देश की ग़रीबी दूर हो। इसलिये अगर किसी पर बोझ पड़ भी जाय और वह यह समझे कि उसके लिये यह आसान भी नहीं है, उसको सहन करने के लिये यह समझ लेना है। जिसके पास पैदावार कम होती है। बाज वक्त उसको बीज के लिये तो अनाज बचाना ही होता है चाहे वह खाली पेट हो, चाहे वह खाने में कमी करे, नहीं तो फसल हो ही नहीं सकती। इसलिये अगर इससे उसको दुख हो कि उसके लिये कमी है तब उसको इस ख्याल को सामने रखना है। अक्सर कहा जाता है कि आज सिंचाई का टैक्स बढ़ गया, बिजली का टैक्स बढ़ गया तो सवाल यह पैदा होता है कि हमें तरक्क़ी करना है या नहीं और अगर तरक्क़ी करना है तो क्या दूसरे ज़राये ऐसे हैं जो कि इससे कम तकलीफदेह हों, जहां पर ज्यादा बोझ डालना मुनासिब न हो। इस तरह से हमको क्या एक काम के करने में मदद मिल सकेगी। जहां तक सिंचाई का ताल्लुक़ है, आजकल अनाज की पैदावार को देखते हुये और दूसरी बातों के लिहाज से और इस ख्याल से कि चूंकि एक खेत जो आबपाशी नहीं पा रहा है, उसकी पैदावार उनके दूसरे खेत से उसी शख्स की जिसमें आबपाशी नहीं होती है, ड्योढ़ी या दुगुनी होती है, उसके लिये भी यह फायदेमंद है कि सिंचाई के लिये कुछ पैसे दे ताकि उसके दूसरे खेत में भी सिंचाई करने की गुंजाइश निकल सके। इस तरीक़े पर सिंचाई जिस खेत की होती है। उसका मुनाफा सिंचाई का टैक्स देकर उसको उठाना चाहिये। इस तरह से उसको दूसरे खेत की पैदावार का भी मुनाफा उठाना चाहिये जिसमें सिंचाई आज तक नहीं होती थी। जहां तक स्टेट का ताल्लुक़ है सब इस सूबे के गरीबों के दिये हुये पैसे से वह सिंचाई का काम अब तक चला है, इसलिये उनको अगर इसके एवज में कुछ मिले तो उसको बोझ नहीं समझना चाहिये।

इसके लिये काफ़ी लोगों में एक गलतफहमी करने की बाज वक्त कोशिश की जाती है और लोगों से यह कहा जाता है कि तुम टैक्स मत दो, परन्तु फिर भी टैक्स वसूल हो जाता है। अगर इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाये गये तो क्या उसको टैक्स कहा जायेगा। वह टैक्स है या नहीं है, इस बारे में भविष्य ही तय करेगा। इटावा में ९० और ९५ फीसदी लोगों ने इर्रीगेशन के बढ़े हुये रेट्स बगैर किसी प्रदर्शन के जारी हुये, जब कि लोगों को कहा जाय कि मत दो, तब भी उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और बढ़े हुये रेट्स दे दिये। अब यह देख कर कि हमारी बात कोई नहीं सुनता फिर वह तरीक़ा निकाला गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बंगलों को घेरो और वहां से शोर-गुल करो तथा किसी तरह से अपने को पकड़ाओ ताकि यह कहा जा सके कि इर्रीगेशन के रेट्स जो बढ़े थे, कम नहीं हुये, तुमने नहीं माना, लेकिन हमने तो तुम्हारे लिये किस हद तक कुर्बानी की, तुमने तो इस तरह की बेवकूफी की मगर फिर भी हम अपने अपने काम में डटे रहे लिहाज़ा उनके लिये हम पश्चाताप करें इस ख्याल से सब किया जाता है तब तो उस का जवाब देना किसी दलील से भी बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर वैसे ही बिजली का टैक्स आज से १२ माह पहले लगाया गया, लोगों ने महीने ब महीने उसको दिया। जब कि सारे राज्य के मुक़ाबिले में शहरों की हालत यह रही है कि अनाज भी जहां आज उनको एक रुपया खर्च करने पर प्राप्त हो सकता है उसकी जगह में पहले सवा और डेढ़ रुपया

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

खर्च करना पड़ता था तब तो देते आये। अगर अब लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है कि तुम १२ माह से गलती करते आये हो। कम से कम हमारी बात अब तो समझ लो और यह मत दो। तो यह कहना कहने वाले के लिये कोई दिक्कत की बात नहीं है मगर लोगों को यह लगता है कि अगर हम इसको न दें तो जिन कामों को किया जा रहा है वह कैसे होंगे। अगर बिजली का टैक्स न दें तो मिट्टी का तेल जलावें, रोशनी कम हो तो उससे ज्यादा रोशनी हमें मिले उसमें ज्यादा पैसा लगेगा या कम, इस तरह से थोड़ी देर के लिये अगर गौर किया जाय किसी जलसे में लोगों को समझाने से यह लगता है कि लोग यह समझते हैं कि एक तो हम अपने सूबे की बेहतरी के लिये मदद देना चाहते हैं दूसरे यह कि सारे सूबे की हालत को देखते हुये जो किया गया है वह ठीक था। इन सारे कामों को देखते हुये लोगों की ख्वाहिश यह है कि तरक्की हो और जिस हद तक हम सहयोग दे सकते हों, दें। जो असहयोग आपने बताया है, इस लोकतंत्र में उसकी जगह नहीं है। यहां सदन में बहस होती है और बाद में जो फैसला हो जाय, वह सब को मान्य होता है। अगर यह रवैया रहा कि जिस पार्टी या दल के लोग जिन पर गवर्नमेंट चलाने की जिम्मेदारी नहीं है या विरोध में हैं, अगर कोई फैसला गवर्नमेंट करे और वह उनको मान्य न हो फिर वह उस पर डाइरेक्ट ऐक्शन करें तब तो डिमोक्रेसी चल नहीं सकती। इसलिये वैधानिक ढंग को मानना चाहिये। लोकतंत्र और राजतंत्र चलाने के लिये यह किया गया है कि जनता के मत के अनुसार चलें, यह मुमकिन है कि गलती हो जाय। कोई काम होता है उसके लिये नहीं कहा जा सकता है कि हमेशा ठीक ही किया जाता है। मगर डेमोक्रेसी में अगर आप चाहते हैं तो उसकी गवर्नमेंट जिस ज़माने की है और वह जो कुछ करती है, वह सही तरीक़े से करती है, उसको समझा जाय, अगर वह ठीक काम नहीं करती है तो उसके ज़माने में उसको बरदाश्त किया जाय और गवारा किया जाय। फिर इलेक्शन के वक्त उससे फायदा उठाया जाय। इस तरीक़े पर इन चीज़ों की मुखालिफत और अमली तरीक़े पर मुखालिफत या सत्याग्रह या क़ानून शिकनी के ज़रिये से कोई काम करना, यह आधार बुनियाद को खोखला कर देता है। आखिर में जो लोग यहां हैं चाहे वह इस सदन के हों या दूसरे सदन के हों, हम लेजिस्लेचर में हैं। हमारा काम क़ानून का बनाना है और क़ानून को मनवाना। बनाने के २ ढंग हैं। एक तो क़ानून जो इस सदन से बना, वह चाहे बहुमत से पास हुआ हो, चाहे एक का बहुमत हो या २०, २५ का हो, चाहे कोई विरोध में हो, लेकिन जो क़ानून बनता है, वह सदन का क़ानून है। वह किसी पार्टी का क़ानून नहीं है, वह लेजिस्लेचर का क़ानून है। वह तो एक विधान व्यवस्था जो बनाई गई है उसके अनुसार जो निर्णय हुआ, उस निर्णय को न मानना अवैधानिक है। वह फिर उसकी जड़ को खो देता है। हां, जो लोग यह चाहते हैं कि हम कोई देश में बवन्डर पैदा करें, इस तरह की हालत पैदा करें जिससे सब डांवाडोल हो जाय, फिर जो चाहे वह करे। डेमोक्रेसी न रहे, डिक्टेटरशिप आ जाय, वह इस तरह की बात सोच सकते हैं। मगर जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, वह सोचें कि यह कहां तक ठीक है। यह जो बजट पेश किया गया है, उसके बारे में यहां अर्ज किया गया कि डेफिसिट है। यह कहा गया कि यह बजट दिखलाता है कि सूबे की माली हालत कमजोर है, यह बात नहीं है, क्योंकि इसमें २ करोड़ रुपया जो है वह रैशनल क़र्ज़ है, उसको पूरा करने के लिये रखा गया है। अगर वह रक़म न दी जाती तो बजाय ३ करोड़ के १ करोड़ का डेफिसिट होता।

इसके अलावा क़रीब तीन करोड़ रुपया जो डेवलपमेन्ट फंड में जाता है अगर वह उसमें न जाता तो करीब दो करोड़ की बचत होती। इसलिए जहां तक सारे हालात को देखने के बाद एक नतीजा निकालने की बात है, वह यह दिखलाता है कि हमारे फाइनेंन्सेज बड़े साउन्ड हैं और इससे बेहतर किसी स्टेट के फाइनेन्सेज़ का होना मुश्किल है। इस बात को समझते हुए कि इतनी बड़ी रक़म को हम ख़र्च कर रहे हैं, यह भी ज्यादा तस्कीन की बात है कि इन सब में जो खास विकास से संबंध नहीं रखती जैसे जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस इनके ख़र्च में इज़ाफ़ा

बहुत कम हुआ है या नहीं हुआ है और जो विकास से संबंध रखने वाली मदें हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा खर्च इसमें रखा गया है। इसलिए जो नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनका खर्च कई तरह पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हैं, उसमें खर्च नहीं बढ़ा है। इसमें यह भी ख्याल करना है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन पर भी सब बातों का असर पड़ता है।

पुलिस के बारे में बाज वक्त कहा जाता है कि पुलिस पर बहुत खर्च किया जा रहा है। अगर इस सदन के या लेजिस्लेचर के मेम्बर ही क़ानून तोड़ने लगें तो इसके माने यह होते हैं कि पुलिस बढ़ाने का उनका तक़ाज़ा है। गवर्नमेंट का यह फ़र्ज़ है कि इस लेजिस्लेचर ने उनको जो ज़िम्मेदारी दी है, उसको ठीक से निभायें और क़ानून को मनवायें। अगर क़ानून की मुखालिफत एक जगह होती है तब तो चोर भी कह सकता है कि क़ानून की मुखालिफ़त एक जगह होती है और कुछ नहीं होता तो मुझे क्या करना है, मैं भी क़ानून तोड़ूंगा। क़ानून की मुखालिफत अगर लेजिस्लेचर के मेम्बर ही करें तब तो इस बात के लिए मजबूर करना है कि पुलिस बढ़ाओ, क्योंकि वह लीडर होते हैं, उनके पीछे जनसमूह होता है और अगर क़ानून को मनवाना है तो फिर जिस एजेन्सी से यह काम होता है। उसको बढ़ाना ही पड़ता है। हमने पुलिस को नहीं बढ़ाया और न उसका खर्च ही बढ़ा है। सिर्फ थोड़ा सा ख़र्च इसलिए बढ़ गया है कि हमारे नार्दर्न बार्डर पर कुछ पुलिस स्टेशन्स क़ायम किए गए हैं। पर यदि हम चाहते हैं कि क़ानून ठीक तरह से चले और पुलिस का खर्च कम हो तो जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग क़ानून मानें और क़ानन को मनवाने में, एक मत से काम करें। अगर हम ऐसा करें तो मैं समझता हूं कि पुलिस का खर्च घट सकता है। क्योंकि यदि सब लोग जनता को शांति से काम करना बतलायें और यह कहें कि क़ानून की मुखालिफत करना बुरी बात है तो पुलिस का खर्च कम हो सकता है। मगर क़ानून शिकनी से उसके बढ़ाने की जरूरत होती है इसलिए मैं आशा करता हूं कि इसका ख्याल रखा जायेगा। इस वक्त जैसा कि मैंने अर्ज किया कुछ पैदावार बढ़ी है और जो देहात में रहने वाले हैं, उनकी हालत कुछ हद तक पहले से बेहतर है। पर इसके माने यह नहीं है कि वह जैसी होना चाहिए वैसी हो गई है। अभी तो बहुत ज्यादा करना है और मैं कई जगह कह चुका हूं कि जो कुछ काम हुआ है, अभी हमें उससे कई गुना ज्यादा करना है। इसके लिए इस बात की जरूरत है कि हमारे जो कुछ भी साधन हैं उनको इस तरह पर विकास के काम में लगायें जिससे बिना कारण कोई अड़चन न पैदा हो सके। हम रास्ते को इस तरह से बन्द करने की कोशिश न करें जिससे विकास के काम में दिक्क़तें पैदा हों।

आखिर ग़रीबी को दूर करना, जो कुछ लोगों की स्वास्थ्यहीनता है, उसको सुधारना, लोगों की उम्र को बढ़ाना, इनमें सभी की दिलचस्पी हो सकती है और होनी चाहिए। आज सवाल बेकारी को दूर करने का है। मैं समझता हूं कि वह बहुत जरूरी सवाल है। इसकी ओर सभी को ध्यान देना चाहिए। इस बजट में ख़ासतौर से कोशिश की गई है कि अमली और बुनियादी तरीक़े से इसको हल किया जाय। तालीम अगर ठीक ढंग की हो तो बेकारी तालीमयाफ्ता लोगों में न हो। इस बजट में एजूकेशन के ढांचे को बदलने की और उसे ठीक ढर्रे पर रखने की कोशिश की गई है। मेरा ख्याल यह है कि तीन हजार जो जूनियर हाई स्कूल हैं, उन सबमें ऐसा काम हो कि वे कम्यूनिटी सेंटर बन जायं। उन रूरल एरियाज में क्वालीफाइड ग्रैजुएट, अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर रहें, जो कि लड़कों को खेती का काम अमली तरीक़े से सिखायें। शहरों में क्रैफ्ट वग़ैरह सिखलाया जाय। स्कूल के साथ एक कमेटी लोगों की हो, जिनका सम्बन्ध उससे रहे। ये स्कूल का काम ही नहीं बल्कि अच्छे बीज पैदा करना, ऐग्रीकलचर को अच्छे तरीक़े से बढ़ाना आदि काम भी करेंगे। वे एक तरह से कम्यूनिटी सेंटर, नेशनल ऐक्सटेंशन सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर तीनों को एक तरह से कम्बाइन होकर काम करेंगे। इस तरह करने से खेती में बदलाव हो सकता है। टेक्निकल एजुकेशन को सुधारने का प्रयत्न किया गया है। हार्टकोर्ट बटलर टेक्निकल इंस्टीटयूट के सुधारने का भी प्रयत्न किया गया है। दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स को ठीक करने की कोशिश की गई है। इंडस्ट्रीज़ को सही पैमाने पर रखने की और उनको बढ़ाने की कोशिश की गई है। बुनकरों की स्थिति को सुधारने के लिये क़रीब ३५ लाख रुपया रखा गया है। इसी तरह से कई इंडस्ट्रीज़ को एक नये

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

ढंग से चलाने की कोशिश की गई है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने की कोशिश की गई है जिनमें काफ़ी लोगों को कुछ न कुछ काम मिल सकेगा। एजुकेशन को सुधारना, इंडस्ट्रीज़ को सुधारना, एजुकेटेड आदमियों को सेटिल करना, ये सब बातें इसमें रखी गई हैं। जिस ढंग से बेकारी कम हो सके और लोग पैदावार बढ़ा सकें, वे उसूल सामने रखे गये हैं। उसी ख्याल से कम्युनिटी सेंटर नेशनल एक्सटेंशन सेंटर भी खोले गये हैं, जिनमें हज़ारों की तादाद में लोगों को काम में लगाया जा सकता है। इसलिये अनइम्प्लायमेंट के मसले को हल करने के लिये, उसको एक काफ़ी मुक़द्दम जगह देकर इसमें काफी प्रयत्न किया गया है। इन सब कामों में सभी का सहयोग मिलेगा। जहां तक और इस बजट की तफसीली बातें हैं, उनको आपके सामने रखना कठिन सा है। बहुत सी तफसीली बातें बजट में होती हैं, उन पर कहीं-कहीं पर एतराज भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी कहा गया होगा उसका फायदा उठाने की पूरी-पूरी कोशिश की जायगी। अगर कोई ऐसी चीज है जिससे कि इस प्रदेश को ज्यादा फायदा हो सकता है तो हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो साल आ रहा है उसमें हमारे प्रदेश में जो कुछ भी उन्नति अब तक हुई है वह और भी बढ़ेगी और आइन्दा जो प्लान हमने बनाये हैं, वह प्लान और उसके अलावा दूसरे कामों को भी करने की कोशिश की जायगी और उम्मीद है कि हम उन कामों को करने में कामयाब होंगे जिससे सूबे की माली हालत सुधरे और लोगों में एक नया उत्साह, एक नई ज़िन्दगी पैदा हो। आज देहातों में काफ़ी नया उत्साह है और लोग काफ़ी मेहनत करके अपना काम कर रहे हैं। उनमें एक लगन है कि हमें अपनी अवस्था को सुधारना है और इसी तरह से तरक्की हो सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। उस उत्साह को क़ायम रखना और बढ़ाना ज़रूरी है।

यहां कुछ संस्कृत भाषा और दूसरी जबान के बारे में कहा गया है इस सब का जवाब शिक्षा मंत्री दे चुके हैं। गवर्नमेंट की मंशा यह नहीं है कि किसी जबान को दबाया जाय। हम चाहते हैं कि सब जबानों की उन्नति हो, लेकिन जहां तक सरकारी काम है, वह इस ढंग से करना चाहिये जिसमें ख़र्चा न हो और सरल ढंग से काम हो। कान्सटीट्यूशन ने इसके लिये हिन्दी को माना है। हमारे वहां सरकारी काम के लिये हिन्दी को माना गया है। हम किसी जबान को दबाना नहीं चाहते हैं। हम उर्दू की भी तरक्क़ी चाहते हैं। मजहबी तरीक़े से किसी जबान को देखना ठीक नहीं है। उर्दू किसी कौम की जबान नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरह की जबान शहरों में बोली जाती है। देहातों में गांव के रहने वाले मुसलमान भी उन्हीं सीधे-साधे लफ्जों में बोलते हैं, जो वहां के हिन्दू बोलते हैं और शायद वह लोग उन लफ्जों को न समझ सकें जिनको कि हम काम में लाते हैं। इसको किसी मजहब के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। यह हमारी संस्कृत का एक अंग है। यह हमारे देश में बनी, हमारे देश की भाषा से ही पैदा हुई। इस नजर से देखना कि उसको चोट लगे, यह ठीक नहीं है। सब में आपस में भलमनसाहत रह सके ऐसा काम हमको करना है। हमें अपनी ग़रीबी को दूर करने के लिये पूरी कोशिश करना है, पूरी ताक़त लगाना है। जो और बातें सामने आयें, उनसे ऐसा नतीजा नहीं निकालना चाहिये जिससे नुक़सान हो। मैं यह आशा करता हूं कि सभी लोग इस बात को महसूस करें कि आज़ादी के बाद यह सबका फर्ज हो जाता है कि हमें काफ़ी मुद्दत के बाद जो चीज मिली है, वह क़ायम रहे, और इस आज़ादी की रोशनी में हम लोग अपने यहां की ग़रीबी, अपने यहां की बेकारी और अपने यहां के लोगों की जो भी दिक्क़तें हैं, उन्हें दूर कर सकें और भारत को ऊंचा उठा सकें और जो संसार में अशान्ति फैल रही है उसकी जगह शान्ति क़ायम कर सकें और अपने सब लोगों को ऊंचा करते हुए औरों को भी जितना हमसे बन सके सेवा करके उनका दिल बढ़ाने में और उनको ऊंचा उठाने में कामयाब हो सकें।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब चेयरमैन साहब, मैं उन तमाम मेम्बर साहबान का जिन्होंने कि इस बजट की बाबत मुबारकबाद दी, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जो

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

बातें तीन दिन इसके मुताल्लिक सुनी गई उनमें बहुत कुछ ऐसी थीं कि जिनको किसी हद तक जरूरी कहा जा सकता है। उनकी बाबत में कुछ जवाब तो देता नहीं, सिर्फ इतना बतला देता हूं कि जो-जो बातें ठीक हैं, उनके मुताल्लिक उन-उन मुहकमों में विचार करके यह तय किया जायगा कि क्या करना है। मेरा काम तो बहुत ही हल्का हो गया है और शायद इसकी जरूरत तो है नहीं कि मैं कुछ अर्ज करूं। अगर मेम्बर साहबान को यहां आगे बैठने में कुछ दिलचस्पी न रह गई तो मैं कुछ कहे बिना ही खत्म कर सकता हूं। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो अर्ज कर सकता हूं।

मैंने अभी आज की बहस में एक बात कानपुर के बाबत सुनी। हमारे कानपुर के मुअज्जिज मेम्बर साहब जो तशरीफ रखते हैं, आपने सुनाई और जितनी तकरीर आपकी हुई उसके बड़े हिस्से का खुलासा यह है कि दो चीजों से कानपुर की इंडस्ट्री तबाह हो रही है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और दूसरा सेल्स टैक्स और उन्होंने खासतौर पर बतलाया कि कानपुर की होजरी इंडस्ट्री इसी सेल्स टैक्स की वजह से तबाह हो गई है। तो जहां तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से कानपुर की इंडस्ट्री के तबाह होने की बात है उसकी बाबत अभी दो महीने हुए मेरे पास कानपुर के मिलवालों का एक डेपुटेशन आया था और उन्होंने मुझसे यह फरमाया कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वजह से हमको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। मैंने उनसे यह अर्ज किया कि मुख्तलिफ बातें करने के बजाय बिजनेस प्वाइंट आफ व्यू से जो हो रहा है, महज उस पर एक वजह हमको बतायें कि आपका नुकसान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वजह से क्या हो रहा है। असल में उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन इतना पड़ रहा है कि वह कम्पीट नहीं कर सकते हैं। यहां पर उन चीजों से, जो यहां बिकती हैं, उस कीमत पर नहीं बिक रही हैं जिस पर वह बेचना चाहते हैं, यूं यहां के इन्डस्ट्रीज को नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हो कर नहीं आये थे, बाद में हम इसका जवाब देने आएंगे। लेकिन आज मेरी इस बात को कहे हुए क़रीब दो माह हो रहे हैं और इस दर्मियान कई मर्तबा उनकी वजह से तारीखें मुझे बदलनी पड़ीं हैं मगर अभी तक वाक़ई वह मेरे पास नहीं आये हैं। लेकिन जो मैंने अर्ज किया उसका नतीजा यह जरूर निकलता है कि मैं यह समझूं कि एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वजह से यहां की इन्डस्ट्रीज तबाह हो रही हैं तो मैं उसको मुनासिब नहीं समझूंगा। मैं आप साहबान के सामने यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि अगर मौजूदा सरकार को यह विश्वास हो जाय कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वजह से यहां की इन्डस्ट्रीज तबाह हो रही हैं तो वह कभी ऐसी ड्यूटी को लगाना मुनासिब नहीं समझेगी।

जहां तक लेबर मैन का ताल्लुक़ है तो एक बात पहले अर्ज कर दूं। इस बात के कहने से पहले, वह यह अर्ज कर दूं कि जहां तक सरकार का ताल्लुक़ है सरकार इन्डस्ट्रीज का भला चाहती है, उसकी बढ़ती चहती है, किसी तरह से यह नहीं चाहती कि वह तबाह हो और उसके इस मकसद को करने के लिए जो कुछ सरकार को करना चाहिये वह सरकार करने को तैयार है। एक बात और है कि लेबर की भलाई भी इसी में है कि अगर इन्डस्ट्रीज होंगी तो उसके अन्दर काम करके वह कुछ कमा खा सकते हैं। इसलिए इन्डस्ट्रीज के कायम रखने का जहां तक सवाल है उसके रखने के अलावा और कोई जवाब नहीं हो सकता है। हां, इतना मैं शिकायत के तौर पर यहां एतराज कर सकता हूं। मैंने अपने एक दोस्त से यहां पर कुछ सुना अगर उन्हें यही बात फरमाना था तो मैं कह दूं कि अगर वह इसको दूसरी तरह से फरमाते तो शायद मैं उनकी तरफ कुछ ध्यान भी देता। सेल्स टैक्स की बात है। उसके लिए यहां भी कहा गया कि चूंकि लोगों की खरीदने की कूवत और शक्ति कम हो रही है, इसीलिए सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स की आमदनी में कमी आ रही है।

(इस समय ४ बजकर २२ मिनट पर डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

मेरी समझ में यह दलील उनकी नहीं आई और इसलिए नहीं आई कि सेल्स टैक्स ऐसी चीज है जिसका एक बराहरास्त ताल्लुक़ कीमत से है। जो-जो शख्स चीजें बेचता है, उसकी जितनी बिक्री होती है, उसकी उसको जितनी कीमत मिलती है, वह अगर घट जाय तो सेल्स टैक्स घट जाय। जहां तक और लोगों का कहना है कि पब्लिक की पर्चेजिंग पावर घट गयी है, लेकिन

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

इन्टरटेन्मेन्ट टैक्स और सेल्स टैक्स उन पर ज्यादा लग गया है तो उल्टी बात सामने आती हैं। लोगों की पर्चेजिंग पावर घट गयी है तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने सिनेमाओं में जाना बन्द कर दिया है, लेकिन जब मैं सिनेमाओं की तरफ से गुजरता हूं तो मैं यह देखता हूं कि जितने आदमी सन् ४७ में जाते थे, उससे आज ज्यादा जाते हैं। जहां तक हाफ रेट का ताल्लुक़ है, वहां पर आदमी भी देखने के लिये काफ़ी आते हैं तो उस पर जो हमारा टैक्स है, उसमें भी फायदा हो सकता है। पब्लिक को भी फायदा होता है चुनान्चे वह भी वहां पर पहुंचती है। मेरे एक दोस्त ने फरमाया कि लोगों की पर्चेजिंग पावर घट गयी है लेकिन इसके ऊपर भी यहां पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है। यह टैक्स सिंगिल प्वांइट है और वह ६ पाई है। उसका हिसाब ३ रुपया २ आना नहीं आता है लेकिन जो असल जड़ है, वह ६ पाई है। मेरे ख्याल में मैंने जोड़ा, लेकिन वह आया नहीं। वह ६ पाई है। यह प्वाइंट देख लेने को है कि वह घटता है और जगह के बारे में जो बतला रहे थे उसमें मुलाहजा फरमाइये कि उसमें मलटी थ्री प्वाइंट है। हमारे सूबे में ५ करोड़ की आमदनी सेल्स टैक्स से है, लेकिन दूसरी जगहों पर १० या १२ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स से आता है।

यहां पर तो ६५ चीजें ऐसी हैं जो सेल्स टैक्स से अलग कर दी गई हैं। यहां पर यह भी कहा गया कि होजेरी पर टैक्स बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कुछ व्यापार में भी नुक़सान हो रहा है, चूंकि टैक्स ज्यादा हो गये हैं। खैर यह बातें तो कहना बहुत आसान है, लेकिन इनका हल निकालना मुश्किल है। मैं तो कहता हूं कि कोई साहब इसके लिये मुनासिब और ठीक सुझाव दें तो मैं उसको मानने के लिये तैयार हूं। ऐडमिनिस्ट्रेशन की गलती निकालना तो ठीक है, लेकिन उसको कोई मुनासिब सुझाव भी देना चाहिए। रास्ता खाली है जो साहब चाहें वह अपने मुनासिब सुझाव दें उस पर जरूर अमल किया जायगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—आपने कहा कि हैंडलूम फैक्टरी फेल हो रही है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हैंडलूम के बारे में तो मैंने नहीं कहा है उसके लिये तो सबको मालूम है कि सरकार क्या-क्या करने जा रही है। उसके लिये सब बातें बजट में हैं। सरकार उसकी तरफ काफ़ी तवज्जह कर रही है। इसके बारे में यहां पर कोई जिक्र नहीं किया गया और न मैं खासतौर से करना ही चाहता हूं। अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो मैं उसको समझाने के लिये तैयार हूं।

एक बात सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ, एक साहब ने इधर से फरमाया और एक साहब ने उधर से भी फरमाया, वह यह है कि सरकार ने अनइम्प्लायमेन्ट को ज्यादा अहमियत नहीं दी है। मैं तो समझता हूं कि यह बात नहीं है। अगर आप ने मेरी बजट स्पीच को गौर से पढ़ा होता तो आपको मालूम हो जाता कि उसमें इस के बारे में दिया हुआ है। आजकल लोग अनइम्प्लायमेन्ट का नाम ले कर बहुत डराते हैं कि यह एक अजीब चीज है। मैं इसको मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इस से डरने से तो काम नहीं चलेगा। यह कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि इसको स्टेट एक दम कर दे। सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि मुल्क से जल्द से जल्द बेरोजगारी दूर की जाय। मेरे दोस्त जो सामने बैठे हुये हैं, उनकी तकरीरों का खुलासा जो उन्होंने कहा है, वह यह है कि हम जो कुछ कर रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ हो रहा है, उससे कोई फायदा इस स्टेट को नहीं पहुंच रहा है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—स्टेट की बेसिक ऐप्रोच गलत है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उनका कहना है कि स्टेट को कोई फायदा नहीं पहुंचता है, तो मैं यह अर्ज करूं और उनसे कहूं कि वहां होना क्या चाहिये। वे बातें उलट-उलट कर जो चाहें कह देते हैं, लेकिन यहां जो कुछ किया जाय उसकी नजर में कुछ नहीं है तो फिर मैं कहता हूं कि कैसे किया जाय या यह हो सकता है कि मेरे हाथ से पानी देने में किसी खेत में कुछ नहीं हो सकता है और अगर वे अपने हाथों

से पानी दें, तो सब कुछ हो सकता है, तो यह दूसरी बात है। हो सकता है और मुमकिन है कि मेरे हाथ में यह असर हो। इस तरह से मुझे चले जाना चाहिये क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है और मैं जाने के लिये तैयार हूं। आपको मैं भेजता हूं और मैं जाने के लिये तैयार हूं, मैं इसके लिये आपको दावत देता हूं। आखिर जो बिजली मैं पैदा करता हूं, वह बिजली ऐसी है कि उससे अंधेरा होता है, जो सड़क मैं बनाता हूं, वह टूट जाती है और लोग उस पर गिर पड़ते हैं। जो बात मैं बतलाता हूं उससे आदमी का दिमाग उलटता है। ये सब बातें मुझमें हैं, तो मैं इस चीज़ को नहीं समझता हूं। मैं दूसरे मुल्कों की बात नहीं करता क्योंकि मैं चीन नहीं गया, मैं और दूसरी जगहों में भी नहीं गया हूं लेकिन मैंने यह समझा कि पानी का असर होता है। बुरी चीज़ का असर होता है और पानी का भी असर होता है, लेकिन जो इन्तज़ाम हमारी तरफ से किया गया और जो भी विकास के कार्य किये गये, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे कैसे होने चाहिये। कई चीज़ें हैं और यह हो सकता है कि हमने उनको न किया हो और यह बात ठीक भी है, लेकिन हम जो काम नेकनियती से कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसमें क्यों शक होता है। मैं इस बात को नहीं समझता हूं क्योंकि जो कुछ कहा जाता है वह तो हम कर रहे हैं। यह बात मेरे नजदीक है और मैं कहता हूं कि करने वालों पर फिर एतराज़ किया जायेगा और इसके लिये दो बातें हैं, एक मुश्किल भी है और दूसरा आसान भी है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो इतना कहते हैं वे खुद करके भी देख लें, मगर उनको मैं क्या कहूं जो कि भाग जायें। आखिर मेरे एक दोस्त ने फरमाया कि विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है और कितने सुन्दर तरीके से यह हमारे देश में हो रही है। कुंवर साहब ने अपने एक अमेंडमेंट में इस ख्याल का इजहार किया था और मैं उस बात को मानता हूं कि वह ख्याल अच्छा है और हकीकत रखता है, तो यह उनके जांचने का तरीका ठीक है। लेकिन अगर वही बात मेरी जबान से आ जाये, तो वह गलत है। सरकार को उससे कोई इनकार नहीं हो सकता है लेकिन जब मेरी जबान से निकला तो वह गलत है। मैं अगर कहूं कि यह विकास का काम हुआ, और इससे स्टेट की इतनी तरक्की हुई तो जहां तक आमदनी का सवाल है, वह तो उसका एक टुकड़ा है। देश के रहने वाले आदमियों के लिये एक टुकड़ा है। सरकार के पास कहां से रुपया आयेगा। अगर कर्जा लूंगा तो हुजूर से लूंगा, टैक्स लूंगा तो हुजूर से लूंगा, मैं तो आमदनी में हिस्सेदार हूं। मैं उस आमदनी का जिक्र नहीं कर रहा हूं कि जो सरकार की बढ़ी है, बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस सूबे की आमदनी बढ़ी। इस स्टेट की आमदनी बढ़ी और वह बराबर बढ़ती आ रही है। अगर मैं यह कह दूंगा जैसा कि कहने वाला हूं कि साहेब, आमदनी में इतनी तरक्की हुई है, तो फिर उसका जवाब जो हो सकता है वह यह कि वाकई हुई। मालूम नहीं मैंने कहां से गड़बड़ करके गोरखधंधा पैदा करके, यह गलत किस्म की बात पेश कर दी। मैं कहता हूं, हुजूरवाला, सन् ४७ से ले करके सन् ५२–५३ तक तकरीबन ढाई अरब की आमदनी बढ़ चुकी है। इस स्टेट की आमदनी ४७–४८ में १२ अरब ८० करोड़ थी और सन् ५२–५३ में १५ अरब ६२ करोड़ हुई तो अब उसमें फर्क निकाल कर देख लीजिए कि कितनी आमदनी इसमें बढ़ी। यह मैं यहां के नेशनल एवीडेन्ट को देखते हुये जो कि एकोनामिस्ट्स ने तैयार की है और जिसकी फीगर्स मन्थली बुलेटिन में गवर्नमेंट आफ इंडिया के स्टैटिसटिक्स विभाग की तरफ से बराबर छपती रहती है, वह नेशनल इनकम मैंने बतलाई। किसी जगह को जांचना कि वहां के कोई इकानामी किसी खास काम की वजह से आ रही है या नहीं आ रही है देखने के लिये दोनों बातें जरूरी हो सकती हैं।

(इस समय ४ बज कर ३५ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

उसमें से एक बात यह है जो कि मैंने अर्ज किया कि आमदनी वहां के रहने वाले का मुजमुई तौर से जो खर्चा है, कितने आदमी उसमें से ऐसे होंगे, जो आमदनी वाले होंगे लेकिन वह जो तरीका है वह उसमें भी दिखाई देता है। इसके साथ नेशनल डेवीडेन्ट देखने के लिये यह देखा जाय कि उस सम्पत्ति में कोई तरक्की हुई या नहीं हुई। आमदनी यह देखी जाय कि वहां का जो आदमी काम करता है प्रोडक्शन में, तो उसके

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

प्रोडक्शन के मुआफिक में हालत वहां की हैं या नहीं हैं, उनके अन्दर कोई तरक्की हुई या नहीं हुई है, उसको देख कर गौर कर लें। एक तो आदमी वह है बराहरास्त काम करने वाला, प्रोडक्शन का काश्तकार है। यों तो कहा गया कि साहब, जमींदारी मन्सूख के अन्दर क्या हुआ, लैन्ड रिफार्म कानून में क्या फायदा हुआ, उसका जिक्र आया था जहां तक मेरी याद में है, बराहरास्त पैदा करने वाला है काश्तकार और उसकी वर्किंग कन्डीशन में जो इम्प्रूवमेन्ट हुआ है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो सुनने वाला मान नहीं सकता है। मेरे दोस्त का दिल दुखा। मैं उनके साथ रहा हूं और जमीन्दारों के वह बहुत हमदर्द रहे हैं शायद उनको इस मुल्क की तमाम तकलीफों में मुबतिला होना है और वह हुये हैं। काश्तकारों के लिये इस स्टेट को जमीन्दारी मन्सूख की गयी और वह इसलिये की गयी कि काश्तकारों के सामने जो रुकावटें पैदा हुई थीं, उनको दूर किया जाय। वह जमीन मांगें तो न मिले। वह बैल खड़ा करने के लिये जगह मांगें तो न मिले। हर तरह की चीजों के लिये मुहताज हों और किसी दूसरे की मुहताजी से अगर उसको आजाद कर दिया गया इसलिये कि वह अपना काम करने के वास्ते आगे बढ़े, अपने काश्त को बढ़ा सकें, तो उसको किस तरीके से नापा जाय। क्या इस तरह से नापा जाय कि वह १५ रुपये लगान देते थे और जमीन्दारी मन्सूख हो जाने के बाद भी वह कमबख्त १५ रुपये देते चला आया है तो इससे जमीन्दारी मन्सूखी से क्या फायदा हुआ। मैं कहता हूं कि फायदा हुआ और जरूर हुआ। उस बेचारे के लिये अपनी पैदावार बढ़ाने के लिये आसानी मुहय्या की गई वह जहां चाहे वहां से अपने लिये सहूलियत पैदा करे, जो चाहे उससे पैदा करे, जितना चाहे मेहनत करे। अब तो कोई शिकन्जा उसके सर के ऊपर नहीं है।

लेबर के बारे में कुछ इरशाद फरमाया गया और मेरे एक दोस्त ने लेबर के बारे में कहा कि लेबर की तरक्की नहीं हुई। लेकिन लेबर के इम्प्रूवमेंट के लिये क्या-क्या काम किये गये, वह मैं बताता हूं। मकानात उनके लिये बनाना, शफाखाने इलाज के लिये बनाना, क्या उनके लिये तरक्की का काम नहीं है। एक साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि मजदूरों की तरक्की नहीं हुई है। एक बात मैं मानता हूं कि वह यह कि अगर कोई शख्स पहले पांच रुपये पाता था और आज उसको ५० रुपये देने की जरूरत है और वह ५० रुपये नहीं पा रहा है, लेकिन २० रुपये पा रहा है, तो क्या वह तरक्की पर नहीं जा रहा है।

श्री राजा राम शास्त्री--मंहगाई भी तो देखिये कि मंहगाई कितनी बढ़ गई है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मंहगाई के लिहाज से ही मैं कह रहा हूं। मंहगाई को ही मद्देनजर रखते हुये मैंने ५ रुपये के ५० रुपये किये हैं मान लिया कि मंहगाई दस गुना हुई और पहले वह ५ रुपया पाता था लेकिन वह पाता है २० रुपया, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। क्या यह तरक्की का रास्ता नहीं है? एक साहब ने कहा कि स्टेट की जो इनकम है उसी प्रपोर्शन से खर्च करना चाहिए। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मैं किसी गरीब को दूं और उसके एक पास पैसा नहीं है अगर उसको दो कदम ले गया तो दो पैसे हुये, चार कदम ले गया तो तीन पैसे हुये, चौदह कदम ले गया तो पांच पैसे हुये तो क्या यह तरक्की नहीं हुई? मैं नहीं मानता कि इसको तरक्की न कहा जाय। अगर कोई उसको तरक्की न कहते हुये उसको तबाही कहे तो ठीक है, वह तबाही है।

श्री राजा राम शास्त्री--मंहगाई तो आपने ६ पाई कर दी तो उससे क्या मंहगाई में उसे फायदा हो सकता है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं मानता हूं कि तबाही है। मैंने तो मंहगाई का लिहाज रक्खा। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि एक आदमी को ५० रुपया चाहिए और

उसको ५ रुपये मिलता था और मैंने उसके लिये २० रुपये का इन्तजाम कर दिया, तो क्या यह उसके लिये कुछ नहीं होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि यह तरक्की नहीं हुई। मैं तो कहता हूं कि जो लोग यह समझते हैं कि तरक्की नहीं है, वह गलती पर हैं। यहां चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा और मैंने पहले भी अपनी तकरीर में कहा है कि जो कुछ होना चाहिए था वह नहीं हुआ है जो कुछ करना चाहिए था। वह नहीं किया है। क्या किसी का दावा है कि आज जो मुल्क में काम हुआ है वह किसी तरह से भी तरक्की के रास्ते पर मुल्क को नहीं ले गया। थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ है लेकिन हुआ तो। अगर आप लोग यह समझ लें कि कुछ हुआ ही नहीं है तो यह समझायें कि जो कुछ हुआ, वह क्या हुआ।

खैर, मैं दूसरी बात अर्ज कर रहा था, बीच में उनके एतराज की वजह से यह बात खामखा आ गयी, कि लेबर के लिये जो कुछ सूरतें होनी थीं। यहां नहीं दी गईं। वह मैंने अपनी बहस में बतला दी है कि इस हद तक जो कुछ भी बढ़ा उसमें लेबर की तरक्की हुई। अब मैं अर्ज कर रहा था सम्पत्ति की बात। अभी इस वक्त मुझे एग्रीकलचर की फीगर याद नहीं है लेकिन इन्डस्ट्रीज के आंकड़े बताता हूं। हुजूरवाला, जहां तक सन् ४६-४७ का ताल्लुक है। इन्डस्ट्रीज में कैपिटल था ४६ करोड़ का और ५२-५३ में वह ५९ करोड़ हो चुका है। तो इसके लिये वह यह साबित करें जिसकी निस्बत हम यह सुन रहे थे, कि वह तबाही हो रही है।

आदमी दुनियां में मरता भी है, पैदा भी होता है, तरक्की भी करता है। हर काम कुदरत के उसूल पर हो रहा है। मैंने अपनी स्पीच में कहा कि कितनी इन्डस्ट्रीज पैदा हुईं और जो काम इस वक्त हो रहे हैं, मैंने उनको गिनाया भी है। तो यह कहना कि मैंने इन्डस्ट्रीज की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी। यह हो सकता है कि जितनी देनी चाहिए थी, उतनी नहीं दी। यह तो सोचने की बात है, हुजूर, जब मैंने सुना कि साहब इस मद में खर्च ज्यादा होना चाहिए लेकिन इस चीज के बारे में कोई स्कीम है जिसके मुताबिक चला जाय, कोई सजेशन नहीं मिला। जो इस वक्त विकास हो रहे हैं। जिस तरह से चल रहे हैं, इर्रीगेशन बढ़ाओ, बिजली बढ़ाओ, एजूकेशन बढ़ाओ, इन्डस्ट्रीज बढ़ाओ, फलां चीज बढ़ाओ, फलां चीज बढ़ाओ और यह ताकीद मेरे लिये की जाय कि पैसा किसी से न लो और अगर पैसा मांगा जाय तो कहा जाय कि इसको कल्चर तक का ख्याल नहीं है। इस बजट स्पीच में तो मैंने मांगा नहीं है। सजेशन के तौर पर हो सकता था कि एक स्कीम बताई जाती कि १०० जरूरतें हैं इनमें से १५ ले ली जायं और बाकी छोड़ दी जायं और उनको पूरा करने के लिये खर्च किया जाय। यह एक स्कीम हो सकती है। दूसरी स्कीम यह हो सकती है कि दुनियां के जितने काम हैं। सब आपको करना चाहिए मगर एक काम मत करना, किसी से कुछ मांगना नहीं। यह मेरा हो और बाकी आप चाहें जो कुछ करे। तो जनाबवाला, यह लाजिक मेरी समझ में तो आती नहीं। मुझे कहा जाय कि टैक्स मत लो और जितने काम हैं सब करते जाओ तो कैसे किया जाय। फिर मेरी नेकनियती पर भी शुभा किया गया। तो मैंने अर्ज किया स्पीच में मैंने एक्सप्रेस किया और हिन्दी की स्पीच में है कि सरकार का इरादा या नीयत यह है कि जब तक वह यह न देखे कि जो फाइव इयर प्लान है, वह तबाह हो रहा है और चल नहीं सकता है तब टैक्स लगाया जायगा। इस फिकरे की बदौलत टैक्स पर इतनी बहस हो गई। हालांकि कोई बहस की चीज नहीं थी और अगर मैं कहता कि टैक्स की जरूरत है तब तो उस पर बहस हो सकती थी लेकिन इतना कहने का गुनहगार हूं। मैंने तो एक खुशखबरी सुनाई लेकिन उस पर मैंने सुना कि डर गया। हमारे सामने कहा गया कि हमारे डर की वजह से यह किया गया। आज भी वह है और मैं भी हूं और उस वक्त भी वह थे और मैं भी था, डर की क्या बात है। लेकिन अगर डर के मैंने किया है तो भी हुजूर गनीमत समझिये। मैदान जो था अपनी कोशिश का, उसमें जरा सी हिचक पैदा हो जाती है। लिहाजा यह बात तो इस तकरीर में न आना चाहिए थी, वह काबिले एतराज बन गई। किसी गवर्नमेंट से, किसी फाइनेन्स मिनिस्टर से, यह तवक्को कोई कैसे कर सकता है। मैं एक बात साफ कहता हूं, आज मेरे दिल में यह हो कि अब टैक्स न लगाया जायगा,

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

यह कभी नहीं कहा जा सकता। यह तो दुनिया है, कौन इस नतीजे पर पहुंच सकता है, कल किसको क्या करना पड़ेगा, अभी जो बातें आप करते हैं, अगर कहीं हुकूमत में पहुंच जायं, खुदा जाने अगर हुकूमत में पहुंच जाय तो भी ऐसी ही बातें करेंगे या नहीं। एक साहब ने मुझको दिखलाया कर्ज के मामले में सन् १९२६ में जो बजट यहां पेश हुआ था उसमें मैंने तकरीर की थी, उस वक्त मैं अपोजीशन में था। उस वक्त कर्ज की तादाद शायद ३२ करोड़ थी। मैंने अपनी स्पीच में यह कहा था कि इतना इस स्टेट पर कर्ज है लिहाजा यह खतरनाक बात है। कुछ और बातें थीं वह उन्होंने नहीं पढ़ीं जिन साहब ने मेरी तकरीर का हवाला दिया था। मेरे इस बजट में जो १९४ करोड़ रुपया कर्ज का लिखा हुआ है इसके लिये उन्होंने यह कहा कि सन् २६ में जिसने ३२ करोड़ रुपया कर्ज खतरनाक बतलाया था वह आज १९४ करोड़ रुपया लिये हुये हैं। यह क्या बात है। यह उन्होंने सवाल किया। इसकी निस्बत मैं अर्ज करूं कि उस वक्त कर्ज को अदा करने के लिये कोई फन्ड नहीं था। असेट्स जो थीं उस वक्त की वह असेट्स के मुकाबिले में कुछ भी नहीं थीं, आमदनी जो थी १२ करोड़ से ज्यादा नहीं थी। एक स्टेट की ११-१२ करोड़ की आमदनी हो, उसके पास असेट्स ऐसी हो नहीं और वह रुपया ज्यादातर खर्च होता हो किसी और किस्म की चीजों के ऊपर, तो उस कर्ज को उसी नजरिये से देखा जाता है। आज जो कर्ज है, उसको मैं उस नजरिये से नहीं देख सकता।

श्री राजा राम शास्त्री--इधर बैठिये, तो दिखलाई पड़ने लगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अगर वह इस कदर गलत जगह है तो कम से कम मैं तो खुदा के लिये उस जगह से तोबा करता हूं। इनको नहीं कहता हुजूर, मगर उस जगह पर बैठकर अगर कोई आदमी अंधा हो जाय तो मैं वहां से बाज आया।

मैंने यह अर्ज किया कि आपकी जो राय है तो मैं यह चाहता था कि अब भी अगर कोई बतलाये कि स्कीम आफ थिंग्स यह होना चाहिए तो वह कन्सीडर करने के काबिल हो सकती है और बगैर किसी दूसरी स्कीम के अगर कोई कहे कि ये गलत है, वह गलत है, तो उसकी कही हुई बात समझ में नहीं आती।

ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हुजूर, ५ बजने वाले हैं, मगर किया क्या जाय, जबान पर आई हुई बात रुकती भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि म्युनिसिपल एलेक्शन का और इस बजट का क्या ताल्लुक है।

श्री गोविन्द सहाय--पब्लिक ओपीनियन का डिमांस्ट्रेशन होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं पब्लिक ओपीनियन के डिमांस्ट्रेशन से डरूं, यह शायद मेरे दोस्त का मतलब है। यह तो अपने अपने ख्यालात हैं बातिल ख्यालात दिमागों में हैं। जैसे उनके दिमाग में यह ख्याल है कि जो आदमी उधर बैठता है वह बदअक्ल हो जाता है। ऐसे ही औरों का भी यह ख्याल होगा। मैं उन बातों के अन्दर जा नहीं रहा हूं। मेरा कहना यह था कि काश्तकारों की वर्किंग कन्डीशन बेहतर कर दी गयी है। इन्डस्ट्रीज के लिये ६९ करोड़ रुपया रखा गया है बजाय ४६ करोड़ के। किसानों की हालत पहले से बेहतर हो गयी है। यह हुआ कैसे। उस पानी से हुआ जो खेती को जलाता हो। उस बिजली से हुआ जो अंधेरा करती हो। उन शफाखानों से हुआ जो बीमार करते हों। इससे ज्यादा काम करना मौजूदा हालत में किसी भी तरह किसी स्टेट के लिये मुमकिन नहीं है। मैंने कहा कि जितनी जरूरत के मुताबिक खुशहाली आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। जितनी भूख थी उतना मिला नहीं है। मुझे एक बात याद आ गई, आखिर इलाज क्या है, तमाम ईविल्स का। एक इलाज की तजवीज है। वह यह कि जिनकी बड़ी तनख्वाहें हैं वे घटें। ५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह किसी की होनी नहीं चाहिए। इस बजट से आपको मालूम होगा कि अबकी इस स्टेट का क्या खर्च है। लोगों को जो सैलेरी मिलती है, डीयरनेस एलाउन्स मिलता है और ट्रैवलिंग

एलाउन्स दिया जाता है, उन सब का टोटल २१ करोड़ रुपया है। २१ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ५०० रुपये से ऊपर तनख्वाह पाने वालों की तादाद करीब १,००० है। उनकी तनख्वाह घटा दीजिए। जितने चपरासी हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ गई। विकास के लिये भी रुपया रखा गया। यह सब कहां से मीट हो सकता हैं। कुछ इनडेटेडनेस भी हो गई। जमींदारी खत्म हुई और उसके लिये मैं कुंवर साहब का मकरूज हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--मकरूज होना था तो पूरा-पूरा हो जाते।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह जरूरत के ऊपर मुनहसिर है। उसके अन्दर इतनी रकम है कि उसमें एक अरब जमींदारों के कर्ज का है, वह उसके अन्दर शामिल है, अब ९० करोड़ और जो कर्ज है जबकि स्टेट की आमदनी ८१ करोड़ की हो और जितने असेस्ट्स हों, कितने ही डैम्स हों, कितना काम हो चुका हो, कितने पावर हाउसेज तैयार हो गये हों, तो जिस स्टेट के पास इतने असेट्स हों, उसके ऊपर अगर ९०-९५ करोड़ का कर्ज हो जाय तो क्या। वह स्टेट कुछ नहीं कर रही है जिस पर कि कर्ज न हो। यह मतलब साफ निकलता है। मेरे दोस्त एक कैपिटलिस्ट बैठे हुये हैं। जो कैपिटलिस्ट हैं, वह कितने हैं। रुपया चाहे कुछ न हो सिर्फ कागजों पर ही हो, लेकिन वह भी कर्ज लेकर काम करते हैं। बिजनेसमैन तो यही करते हैं कि इधर से कर्जा लिया, हिसाब लगाया कि इतना कर्जा लेने के बाद और इतना बिजनेस करने के बाद इतना मुनाफा होगा तो वह कर्जा लेकर काम करते रहते हैं। इसी तरह से इस गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट भी देखती है कि इस काम करने से इतना मुनाफा हो सकता है तो वह उस काम को करने के लिये कर्ज ले लेती है। जिस काम से गवर्नमेंट को न मुनाफा हो, पब्लिक को ही हो, वह भी वह करती है। तो यह कहना कि कर्जा न हो और अगर कर्जा हो गया तो गलत है, यह चीज दिमागों से निकाल देना चाहिए।

पांच बज गये हैं। एक बात और सुनानी है। एक खास बदगुमानी पैदा हो गई है। इस स्पीच में मैंने अर्ज किया कि मूथम कमेटी जो बैठी थी उसने यह रिपोर्ट दी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर बहुत कर्जा है तो उस कर्जे की अदायगी के वास्ते गवर्नमेंट ने एक टोकेन एमाउन्ट रखा है। मैं यह लिखना भूल गया कि उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी भी शामिल है। जहां तक फाइव इयर प्लान की दिलचस्पी का जनता से ताल्लुक है उससे कोई इन्कार करता है तो वह मेरे साथ चले। मैं उसको दिखलाऊं अगर कोई साहब चाहें तो वह चल कर मेरे साथ देख सकते हैं। मैंने स्पीच में कहा है कि बगैर किसी सरकारी आदमी की मौजूदगी में लोग काम कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि लोग इस प्लान में कितनी दिलचस्पी लेते हैं। आज फाइव इयर प्लान के अन्दर इतनी कुशादगी पैदा हो गई है कि गांव का आदमी प्लान मांगता है और यह जो प्लान ऊपर से आ रहे हैं दिल्ली से बनकर आ रहे हैं और यहां सूबे से बन कर जो गांव वालों के पास जा रहे हैं इनकी जगह पर जल्दी ही वह दिन आने वाला है कि ये सब नीचे से ऊपर की तरफ आयें। गांव वाले, पंचायत के लोग, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सब अपने प्लान बनाकर हमारे पास भेजें, सब तैयार हैं और सबको इस काम में दिलचस्पी है। अब अगर मुझे दिलचस्पी नहीं है तो वह किसी खास वजह से हो सकती है। मैंने अपील की, वह इसलिये कि इसकी मांग को मेरी आंखों ने देखा। मैंने इस अपील की जरूरत को समझा और इस बात को समझा कि इससे उनकी दिलचस्पी में कुछ ज्यादती ही होगी। कुछ आदमियों की निस्बत मेरे दिमाग में पहले ही से था कि इस अपील का कोई फिकरा भी उनके दिल तक नहीं पहुंचेगा। मैं इस बात को पहले से ही जानता था। आप किसी की भी तकरीर को ले लीजिए, पंडित हैं, मोलवी हैं, पादरी हैं, उनकी तकरीरें ऐसी भी होती हैं कि जिनसे दिल तक उनकी बात उतरती चली जाती है और ऐसी भी होती हैं कि जिन का कुछ भी असर न हो। तो मैं उनकी इस बात से मायूस नहीं होता। मैं मायूस होने वाला नहीं हूं। इन अल्फाज के साथ मैं खत्म करता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३, को जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १९ फरवरी को पारित किया गया और यहां आज २ बजकर १० मिनट पर आया, मेज पर रखता हूं।

सदन का कार्य-क्रम

चेयरमैन—पहले हमें यह निश्चित करना है कि हमें अगली बैठक कब करनी है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—दूसरी तारीख के लिये तय हुआ था। लेकिन यहां एक बात है कि तीसरी तारीख को शिवरात्रि है और इस वजह से कुछ साहबान चाहते हैं कि उसके बाद चार को बैठक हो।

श्री कुंवर गुरु नारायण—चार तारीख को बैठने से तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप बैठक आठ तारीख को रखिये।

चेयरमैन—हमारे पास एक मनी बिल है जो कि १४ दिन के अन्दर ही पास हो जाना चाहिए। अगली बैठक ४ मार्च को होगी। उस दिन का कार्यक्रम इस प्रकार होगा कि पहले हम उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स (सैकेन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५३ को लेंगे फिर उत्तर प्रदेश पंचायत राज पदावधि अनूपूरक विधेयक, १९५३, फिर उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड स्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३, फिर उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३, और फिर कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४ को लेंगे।

कौंसिल ४ तारीख को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ५ बजकर ७ मिनट पर गुरुवार, ४ मार्च, १९५४ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ,
२७ फरवरी, १९५४

कृष्ण बहादुर सक्सेना,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—२९ एल० सी०—१९५४—८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

४ मार्च, १९५४

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान-भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५१)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्णचन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रतापचन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजय आफ विजयानगरम, महाराजकुमार, डाक्टर
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री)
श्री चरण सिंह (माल मन्त्री)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३ ई०

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री)—Sir, I move that the Uttar Pradesh Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1953, as passed by the U. P. Legislative Assembly, be taken into consideration.

जनाब वाला, इस बिल के मुताल्लिक जो सबसे पहली बात अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि इस बिल के जरिये से टैक्स में न कोई कमी हो रही है और न कोई बढ़ोत्तरी ही हो रही है। इसके जरिये से कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया जा रहा है। अब तक तजुर्बे से कुछ ऐसी बातें मालूम हुई हैं कि जो सेक्शन इसमें हैं उनके बाज शब्दों में कुछ तब्दीली करने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ नये सेक्शन के बढ़ाने की भी जरूरत महसूस हुई, इसलिये कुछ नये सेक्शन भी बढ़ाये गये हैं। इसी के साथ साथ कुछ सेक्शन निकालने की भी जरूरत हुई है तो वे भी निकाले जा रहे हैं। जहां पर इबारत की तब्दीली की जरूरत महसूस हुई वहां पर एक इबारत की जगह पर दूसरी इबारत भी रख दी गई है। ये सब अमेंडमेंट इस किस्म के हैं और जिन मेम्बर साहबान ने इस बिल को पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि एक-दो बातें इसमें नई भी आ गई हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ऐक्ट में कोई ऐसा प्राविजन नहीं है जिसकी वजह से ठीक वक्त पर टैक्स की अदायगी न होने की वजह से कोई पेनाल्टी ली जा सके या कोई उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। इस वजह से एक बात यह मालूम हुई कि एक किस्म की सजा मुकर्रर कर दी जाय और उस पर मुकदमा चलाया जाय और सजा दी जाय। बहुत से हालत के खिलाफ यह बात महसूस हुई कि यह चीज लाना बहुत ही जरूरी है ताकि टैक्स की अदायगी ठीक वक्त पर हो सके। इसके अलावा मैं समझता हूं कि इसमें कोई खास बात नहीं है और चूंकि इसमें अब कोई क्लाज ऐसा भी नहीं बढ़ रहा है जिसके जरिये से टैक्स में कमी या ज्यादती हो रही हो इसलिये मैं इस पर और ज्यादा कहना सदन का वक्त बेकार जाया करना समझता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन इसको जरूर मन्जूर करेगा। इन शब्दों के साथ मैं यह बिल हाउस के सामने रखता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स (सेकेन्ड अमेन्डमेंट बिल), सन् १९५३ का इस भवन के सम्मुख अभी माननीय वित्त मन्त्री जी ने रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं अपना विचार रखना चाहता हूं। पिछले साल सेल्स टैक्स ऐक्ट में दो प्रकार के अमेंडमेंट हुये। एक प्रकार का अमेंडमेंट तो उस समय हुआ था जबकि माननीय वित्त मन्त्री जी को याद होगा कि उन्होंने इस बात का अश्योरेन्स दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को बढ़ाने के बाद इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर जो सेल्स टैक्स होगा, वह नहीं लगेगा और दूसरी बार जो अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके लिये माननीय मन्त्री जी ने इस हाउस में कहा था कि और मुख्य मन्त्री जी ने असेम्बली में कहा था कि कुछ चीजों पर इन्टर-स्टेट सेल्स टैक्स जो है, उसका ध्यान करके करीब १० हजार रुपये रोज की आमदनी में कमी हो रही है लिहाजा यह जरूरी है कि इन्टर-स्टेट सेल्स टैक्स कि वजह से, जिसमें कि कोई रूलिंग सुप्रीम कोर्ट में भी हुई और जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें थीं, तो इसी का ख्याल करते हुये हम इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। यह जरूरी है और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के सामने यह जस्टीफिकेशन हो सकता है और होना भी चाहिए कि अगर हम किसी ऐक्ट को लागू करें तो उससे एक्सपीरियन्स करने के बाद अगर कोई खामी रह जाय तो उस लाइट में ही हम उसको अमेंड करें। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी मारेल रिस्पांसिबिलिटी भी है और इसके लिये हमें पब्लिक की ओपीनियन को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस अमेंडिंग बिल को पढ़ने के बाद मैंने यह पाया कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि पहले पब्लिक इन्जाय करती थी और अब वे रूल्स इस वक्त करटेल हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जिसका ध्यान में माननीय वित्त मन्त्री जी को दिलाना चाहता हूं, वह यह है कि यह जो अमेंडिंग बिल है, इस अमेंडिंग बिल के जरिये से इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर सेल्स टैक्स लग जायगा।

*मंत्री ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह गलत है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमन्, जो सेल्स टैक्स ऐक्ट ओरीजिनल है, उस ओरीजिनल सेल्स टैक्स ऐक्ट में जो गुड्स की डेफिनीशन दी हुई है, उसमें यह साफ है और उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं :

" 'Goods' means all kinds of movable property other than actionable claims, stocks, shares or securities and includes electrical energy and every material, article and commodity whether or not to be used in construction, fitting out, improvement or repair of immovable property."

तो इस ओरीजिनल ऐक्ट में गुड्स की डेफीनीशन और इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्क्लूडेड थी। जो अमेंडिंग ऐक्ट दूसरा उन्होंने अमेंड किया और जिसके लिये उनकी मुझसे भी बात हुई, तो उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिकल इनर्जी एक्जेम्प्ट कर दी। उन्होंने भवन के समक्ष यह अश्योरेन्स दिया कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी जो होगी चूंकि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी २५ प्रतिशत बढ़ गयी है, लिहाजा अब इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर हम किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगायेंगे जब तक कि हमारी इन्क्रीज्ड ड्यूटी इलेक्ट्रिक के ऊपर पूरी रहेगी।

श्रीमन् जो दूसरा सप्लीमेंट्री बिल सन् १९५२ में आया उसको भी मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। सेक्शन २ में लिखा हुआ है :

"In clause (*b*) of section 2 of the U. P. Sales Tax Act, 1948, hereinafter called the Principal Act, the words "electrical energy" shall be omitted."

जो आपका दूसरा अमेंडमेंट सन् १९५२ में पुट अप हुआ था उसमें इलेक्ट्रिकल इनर्जी ओमिट कर दी गई है। उस समय माननीय मन्त्री जी ने इस हाउस में वादा फरमाया था कि जिस वक्त तक हमारी इन्क्रीज्ड इलेक्ट्रिकल ड्यूटी रहेगी उस वक्त तक हम इसको एक्जेम्प्ट करते हैं। अब जो मौजूदा डेफीनीशन है और उसमें जो अमेंडिंग बिल की धारा है उसको पढ़ने के बाद श्रीमन्, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी भी उस ड्यूटी में शरीक हो जाती है और वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं जो मौजूदा बिल है उसके सेक्शन २ में यह गुड्स की जो डेफीनीशन दी हुई है। वह इस प्रकार है :

" 'Goods' means every kind of movable property and includes growing crops, grass, trees and things attached to or fastened to anything permanently attached to the earth but which, under the contract of the sale, are agreed to be severed, but does not include actionable claims, stocks, shares or securities."

तो इस डेफीनीशन को पढ़ने के बाद एक्सनेबुल क्लेम्स जैसे स्टाक्स, शेयर्स और सिक्यूरिटी के ऊपर किसी प्रकार से सेल्स टैक्स चार्ज न हों लेकिन इलेक्ट्रिकल इनर्जी के ऊपर इस गुड्स की डेफीनीशन को जो कोर्ट होगी वह इस बात का आदेश दे सकती है कि इलेक्ट्रिल इनर्जी के ऊपर भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। उसके बाद यह भी कहा जा सकता है कि जो डेफीनीशन में जमीन से अटैच की बात कही हुई है वह ऐसी वाइड डेफीनीशन है कि उसमें हाइड्रो-इलेक्ट्रिक स्कीम में भी यह कहा जा सकता है कि वह भी जमीन से अटैच होती है और उसमें इलेक्ट्रिकल इनर्जी भी शामिल कर सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि बिल की जो यह डेफीनीशन है वह बहुत ही इम्ब्रेसिंग है और यह उम्मीद करते हुये गवर्नमेंट अपने इक्जीक्यूटिव आर्डर से इलेक्ट्रिकल इनर्जी के ऊपर किसी मौके पर भी चाहे तो सेल्स टैक्स लगा सकती है। माननीय मन्त्री जी आज यह अश्योरेन्स दे सकते हैं कि हम नहीं लगायेंगे लेकिन जहां पर इस तरह की डेफीनीशन दी हुई है उसमें कोर्ट भी अपने आदेश जारी कर सकता है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने तो बतलाया कि यह गलत है। हम कोई सेल्स टैक्स नहीं लगा रहे हैं। इस पर बोलने की जरूरत नही है। इसमे जो कुछ भी हो, मैंने जब यह कह दिया है कि तो उसके साफ मतलब है कि हम नहीं लगा रहे है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमन्, इसमें दो बाते है एक तो यह कि हम सेल्स टैक्स नहीं लगा रहे हैं जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया और एक यह कि गुड्स की डेफीनिशन में इले-क्ट्रिकल इनर्जी भी आ सकती है तो मेरा यह सवाल है कि इस डेफीनिशन मे इलेक्ट्रिकल इनर्जी भी आ सकती है। यह सही है कि माननीय मन्त्री जी आज यह कह सकते है कि हम नहीं लगा रहे है लेकिन जो आपका यह यह अश्योरेन्स है कि उसके ऊपर नहीं लगाया जायगा तो उसका परिणाम यह होगा कि वह कोर्ट्स से लगाया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का भी शुबहा नहीं हो सकता है अगर माननीय मन्त्री जी की यह मन्शा है कि हम नहीं लगा रहे है तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध मे जो मेरा संशोधन है उसे आप स्वीकार करें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इसमे इस प्रकार की बात कोई नहीं है यह हर्गिज इस कानून की रू से नहीं लग सकता है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मेरा सबमिशन यह है कि जो डेफीनिशन ऐक्ट की रखी हुई है वह बिल्कुल साफ है कि उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगाया जा सकता है, यह दूसरी चीज है कि माननीय मन्त्री जी अश्योरेन्स दे दें। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी साफ होना चाहिए और इसी वजह से मैंने इस आशय का एक अमेंडमेंट भी रक्खा है। अगर आप उसको स्वीकार कर लें तो इससे यह और भी बिल्कुल साफ हो जायगा। इलेक्ट्रिकल इनर्जी के सम्बन्ध मे जो बात थी वह मैंने आपके सामने निवेदन कर दी। यह मै इसलिये भी चाहता हूं कि मैं इस चीज को बिल्कुल डिस्प्यूटेड समझता हूं और उसको क्लियर होना चाहिए। जो ऐक्ट की डेफीनिशन है उसको भी साफ होना चाहिए और इस प्रकार की एम्बीगुअस चीज उसमें नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम महसूस करते है कि आज एक चीज आपने फरमाई तो डेफीनिशन को देखते हुये कोई वजह नहीं है कि उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जा सकता और इसमें बड़ी भारी दुश्वारी पैदा होगी। फिर आपने इसमें स्टाक्स, शेयर्स और सिक्योरिटी को जोड़ दिया तो इसमें अगर आप यह भी लिख देते कि सेल्स टैक्स इन पर लगाया जायगा तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि यह तो बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट पर एफेक्ट करता है। इसमें हमें कोई एतराज न था। लेकिन जो चीज एक कामनमैन को परेशान करती है वह किसी तरह से भी इसमें नहीं होनी चाहिए इसलिये मैंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया। माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि नहीं लगा रहे है। लेकिन मै भी अपनी जगह पर कन्विंस्ड हूं कि गुड्स की डेफीनिशन के अन्दर जो चीज आती है उसमें इलेक्ट्रिकल इनर्जी के ऊपर भी सेल्स टैक्स लगाया जा सकता है।

इसके अलावा इसमें एक-आध चीज, जिसकी तरफ मुझे माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना है, वह यह है कि जो प्रिंसिपल ऐक्ट था उसमे कुछ लाइसेंसेज ग्रान्ट करने के लिये जो मैन्युफैक्चरर थे या जो होलसेल डीलर थे, शायद उसको अख्तियार था कि वह अपने एजेन्ट को लाइसेंस दे सकते थे और वह सब एजेन्ट उनकी जगह पर काम करते थे लेकिन शर्त यह थी कि जो प्राइस वह चार्ज करेंगे वह वही प्राइस होगी जो कि और कोई मैन्युफैक्चरर या होलसेल डीलर चार्ज करेगा तो उससे लोगों को एक प्रकार की सहूलियत थी। वह चीप रेट पर लोगों को माल देते थे लेकिन यह जो सहूलियत है उसको एक क्लाज के द्वारा अमेंड किया गया है और इसके सम्बन्ध में भी मैंने अपना एक अमेंडमेंट रक्खा है। अगर यह रेट निकल जायगा तो उसका नतीजा यह होगा कि होल-सेल डीलर या मैन्युफैक्चरर की जो चीज होगी और उनका जब टर्न ओवर होगा तथा उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जायगा और उस टर्न ओवर टैक्स में वह सहूलियत जो पिछले बिल में थी, वह न रही तो जनता को परेशानी होगी और तब रेट्स में जो इस प्रकार की सहूलियतें मिल सकती हैं वह नहीं मिल सकेंगे।

इसके अलावा इस बिल में मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि इस अवसर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई चीजों पर, जैसे सोप, टायलेट्स, फुटवेयर्स वगैरह पर टैक्स लगाया है और इस हालत में मैं यह भी जानता हूं कि जिन चीजों पर सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स लग रहा है उसका मध्यम वर्ग की श्रेणी के लोगों के ऊपर ज्यादातर प्रभाव पड़ेगा। तो कम से कम उनके ऊपर से यह सेल्स टैक्स हटा लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और साधारण श्रेणी के जो लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जायगी।

इसके साथ-साथ जो अमेंडिंग बिल आया है वह यह है कि जो प्रिंसिपल ऐक्ट था उसमें असेसमेंट जो डिटरमिन किया जाता था वह ईयरली और रेगुलर असेस किया जाता था लेकिन इससे असेसिंग अथारिटी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी पोरशन आफ दी ईयर में किसी भी टर्न ओवर पर बिजनेस में असेस कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में जबकि ईयरली असेस किया जाता था तो उनको कुछ सहूलियत मिल जाती थी लेकिन एनी पोरशन आफ दि ईयर से उनको काफी हैरेसमेंट होगा, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को काफी परेशानी होगी और इस चीज से उन व्यापारियों को अधिक दुश्वारी होगी जो छोटे-छोटे हैं। जो बड़े व्यापारी हैं यह स्वाभाविक है कि उनको काफी लीगल सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं और वह किसी न किसी तरह से अपना काम चला सकते हैं लेकिन जो छोटे हैं उनको दुश्वारी होगी। बजाय इसके कि हर साल रेगुलर तरीके से उनका असेसमेंट हो, आप साल के किसी हिस्से में उन पर असेसमेंट कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यह गलत राइट है और ड्रास्टिक पावर हो जायेगी। यह चन्द बातें मैं मन्त्रिमंडल के सामने रख देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इन बातों पर विचार करेंगे और जो गुड्स की डेफीनिशन बतायी जा रही है उसको गौर से देखने के बाद निश्चय ही आपको मालूम होगा कि हां इसमें गुन्जाइश है। यह जरूर है कि हुकूमत की तरफ से आप यह कह सकते हैं कि हम नहीं लगायेंगे लेकिन जो गुन्जाइश है उसके अनुसार इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर सेल्स टैक्स लग सकता है।

*श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना है। मैं सिर्फ सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाऊंगा कि गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि जो मूल अधिनियम है उसमें जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करने के लिये एक संशोधन विधेयक लाया जाय। सरकार ने यह भी महसूस किया है कि बहुत से व्यापारी लोग इससे बच जाते हैं इसलिये इस बिल के जरिये से उन पर दण्ड लगाने की व्यवस्था की गई है और सरकार यह महसूस कर रही है जितनी अधिक दण्ड की व्यवस्था बढ़ती जायगी उतना ही इस कानून के जरिये से हम विधेयक को लागू कर सकेंगे और व्यापार में तरक्की हो सकेगी। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में जो व्यापारियों की राय हो रही है और जो वे महसूस कर रहे हैं वह यह है कि जो कानून बना है उससे अधिक लोगों को तकलीफ इस बात से हो रही है। मुझे जब कभी व्यापारियों से बात करने का मौका मिलता है तो मैं देखता हूं कि वे इस तकलीफ को महसूस करते हैं। सरकार ने इसको कार्यान्वित करने के लिये इन्स्पेक्टर और जांच करने वाले लोगों को रक्खा है। सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि जिससे छोटे-छोटे व्यापारियों को अपना काम चलाना असंभव होता चला जा रहा है। आपके जो इन्स्पेक्टर्स हैं उनको एक तरीके से खुला बाजार मिल गया है अपना स्वशासन करने के लिये। बजाय उन व्यापारियों को कुछ सुभीता मिल सके और अपना काम वे अच्छी तरह से चला सकें उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब उनकी व्यवस्था गिरती चली जा रही है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि आपने १२,००० रुपये की शर्त रखी है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हमेशा से यही है।

श्री राजाराम शास्त्री—मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप संशोधन के लिये बिल ला रहे हैं और लोगों को असन्तोष है तो मैं यह कहता हूं कि आपने १२,००० क्यों रखा है। मेरा ख्याल है कि इससे जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं और यह जो चीज चलती आ रही है, उससे

*सदस्य ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये।

[श्री राजाराम शास्त्री]

उनको दिक्कत हो रही है। व्यापारी वर्ग ने यह महसूस किया है कि किस तरह से उनको कठिनाई हो रही है। आप यह समझते हैं कि यह चीज ठीक तरह से लागू की जा रही है। जिस तरह से आप कानून को लागू कर रहे हैं और जिस तरह से आप सोचते हैं कि इस तरह का दण्ड दो तो इससे व्यवस्था ठीक हो जायेगी। आज का अखबार हमारे सामने है। उसमें दिखाया गया है कि अपने सूबे भर में और कानपुर में आप के अधिनियम की वजह से आज व्यापारियों को कितना कष्ट हो रहा है। आज के अखबार में है कि लोहा और किराना का जो बाजार है वह सारा का सारा बाजार बन्द किया गया उस कानून के विरोध में जो लागू किया जा रहा है। उसके लिये मैं चाहता हूं कि उसकी व्यवस्था ठीक की जाय। आगरा के अन्दर जो शू मार्केट है वहां इस सेल्स टैक्स के खिलाफ में हड़ताल की गयी। दूसरा अखबार जो हमारे सामने है उसमें कानपुर के बारे में लिखा है कि साइकिल के जो व्यापारी लोग हैं वे गवर्नमेंट का ध्यान दिला रहे हैं और कहते हैं कि आप जो चीज कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। दो की हड़ताल चल रही है और बाजार बन्द है। तीसरे का प्रतिनिधि मंडल मिलने आया है। आप बाजारों के अन्दर किसी तरह के लोगों को देखिये तो उनमें असन्तोष है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप दण्ड की व्यवस्था बढ़ाते जाते हैं लेकिन दण्ड-व्यवस्था से आप चाहें कि हम किसी तरह से उनके बोझ को, जो उन पर पड़ता है, उसको कम कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। उसको आप दण्ड-व्यवस्था से रोकना चाहें तो आपको सफलता नहीं मिल सकती है। मैं जब किसी व्यापारी के पास जाता हूं और उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है तो वे कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम गवर्नमेंट का बार-बार ध्यान दिलाते हैं लेकिन हममें जो असन्तोष है उसको गवर्नमेंट महसूस नहीं कर रही है। हम हजारों बार चिल्लाते हैं लेकिन गवर्नमेंट सुनती नहीं है। अदालतों में जैसे-जैसे फैसला होता चला जाता है वैसे-वैसे आप ठीक करते चले जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप जो यह विधेयक पास कर रहे हैं इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक इस सदन के सामने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को प्रस्तुत करने से वास्तव में वह सारी दिक्कतें और वह सारी कठिनाइयां, जो सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में इस विधयक को कभी कभी इनएफेक्ट भी बना देती थीं, मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक से वह सारी परेशानी, वह सारी दिक्कतें और वह सारी अवैधानिकता दूर हो जायगी। सबसे बड़ी दिक्कत जो इस सेल्स टैक्स को रियलाइज करने में, इस सेल्स टैक्स के वसूल करने में और उसका ठीक ठीक अन्दाजा लगाने में है, वह व्यापारियों का रजिस्टर है। व्यापारियों का जो बहीखाता और व्यापारियों का जो रजिस्टर है और जिसके सम्बन्ध में सुधार करने की इस बिल में कोशिश की गई है, मैं यह समझता हूं कि एक बहुत बड़ा अहम कदम है। माननीय उपाध्यक्ष जी, हर बड़े शहर में आप यह देखेंगे कि हर एक बड़े व्यापारी के पास दो रजिस्टर होते हैं। एक वह रजिस्टर असली रखता है और एक नकली। असली रजिस्टर तो वह होता है जिसके अन्दर कि वह बेचता है और उससे रुपया पैदा करता है और नकली रजिस्टर व्यापारी का वह होता है जो सेल्स टैक्स देखने के लिये कोई इन्स्पेक्टर आया या कोई और बड़ा अफसर आया तो उसको दिखाने के लिये रख छोड़ता है। इस प्रकार से सरकार के पास कोई साधन नहीं है कि उसके असली रजिस्टर को सरकार अपने कब्जे में कर सके और उस असली रजिस्टर के मुताबिक सेल्स टैक्स वसूल करके सरकार की आमदनी बढ़ायी जा सके। इसका पिछले बिल में कोई साधन नहीं था। इस बिल के अन्दर जो सेक्शन १४ है उसमें कई बातें इस प्रकार की रक्खी गयी हैं कि सेल्स टैक्स के जो अधिकारी हैं उनको उन रजिस्टरों को अपने कब्जे में लेने के लिये किसी भी व्यापारी या किसी भी दूकान की सर्च लेने का और इस सम्बन्ध में जो भी और कार्यवाही हो सकती है उसको करने का अधिकार दिया गया है। तो मैं यह समझता हूं कि इससे दो फायदे हैं। एक तो फायदा गवर्नमेंट को यह है कि मुनासिब रुपया, जो रुपया कि किसी खरीद-फरोख्त पर आना चाहिए, जो रुपया बिक्री के सम्बन्ध में सही-सही तौर पर आना चाहिए। एक तो वह रुपया इस बिल के

पास करने से आयेगा, दूसरा यह कि जिन लोगों की जाल बनाने की, चोरी करने की और अपने बहीखाते और कैश बुकों को छिपाने की आदत पड़ गई है, वह आदत इस बिल की वजह से खत्म होगी।

एक दूसरी जो सबसे बड़ी वैधानिक दिक्कत थी वह यह थी कि इससे पहले की फर्म है या एक दूकान है। एक साहब उसके मालिक हैं और खुदा नखास्ता वह मर जाते हैं और उनके मरने के बाद इस बिल के अन्दर कोई प्राविजन न था। मैंने स्वयं अपने जिले में देखा है अदालतों में ऐसे मुकदमे पहुंचे, सेल्स टैक्स अफसर द्वारा उनसे सेल्स टैक्स वसूल करने की कोशिश की गई तो उसकी वसूलयाबी में बहुत बड़ी दिक्कतें हुई। मैं समझता हूं कि ज्यादातर मामलों में सरकार की डिफीट हुई और वारिसों की जीत हुई। इसलिये इस बिल के अन्दर दूसरी बात जो रखी गई है वह यह कि सेल्स टैक्स का रुपया किसी भी दूकानदार के मरने के बाद जो उसका रिप्रेजिन्टेटिव हो या जो उसके काम को देखने वाला हो उनसे इस बिल के अधीन रुपया वसूल किया जा सके तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पर क्रिटिसिज्म की कोई आवश्यकता ही नहीं हो सकती। सेल्स टैक्स ऐक्ट का जो मकसद था कानूनी तौर पर उसमें न आने की वजह से वह मकसद पूरा न हो सका जिसकी उसमें खास आवश्यकता थी और जिसकी वजह से यह बिल लाया गया है। आपको मालूम होगा कि बजट के सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री जी ने बताया था कि बम्बई का सूबा जो हमारे सूबे से जन-संख्या और दूसरे लिहाज से छोटा है लेकिन वहां की सेल्स टैक्स की आमदनी जो है वह हमारे सूबे की सेल्स टैक्स की आमदनी से कहीं ज्यादा है और उसका एक ही कारण मेरी समझ में आता है कि इस सेल्स टैक्स के वसूल करने के सम्बन्ध में जो पहला ऐक्ट था उसमें कोई क्लीयर प्राविजन नहीं था और जो यह विधेयक आया है वह इन सारी बातों को और सारे सिद्धांतों को कवर करता है। जहां तक इलेक्ट्रिक इनर्जी का मामला है, इस विधेयक में कहीं इस प्रकार का जिक्र नहीं है और न इससे कोई ऐसा मतलब निकाला जा सकता है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने साफ तौर से कह दिया है कि इलेक्ट्रिक इनर्जी के सम्बन्ध में न सेल्स टैक्स लगने जा रहा है और न आपको इससे कोई मतलब है।

एक बात मैं सुझाव के तौर पर माननीय वित्त मन्त्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि मैं समझता हूं कि जो हमारा सेल्स टैक्स ऐक्ट है, इस ऐक्ट को बने हुये बहुत दिन हो गये हैं। अब इस ऐक्ट को पूर्ण संशोधित करने की जरूरत है ताकि बार-बार संशोधन न करना पड़े और मेरा यह भी ख्याल है कि हमारी बहुत काफी आमदनी सेल्स टैक्स से हो सकती है, अगर इस ऐक्ट को कायदे से रायज किया जाय। बहुत सी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिनके बने हुये माल पर सेल्स टैक्स नहीं है और बहुत से ऐसे छोटे-छोटे काम हैं जिन पर टैक्स है लेकिन इन पर नहीं होना चाहिए। इसलिये एक कमीशन सरकार इस सम्बन्ध में जरूर बिठाये और उसकी रिपोर्ट के बाद उन बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज पर, जिन पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाता है, उन पर लगाया जाय और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप की हैं उन पर से सेल्स टैक्स हटा लिया जाय। बरेली में फर्नीचर का काम किया जाता है, रुहेलखन्ड में भी इसकी बड़ी-बड़ी दूकानें हैं। इसमें ऐसा है कि जिनके फर्नीचर मार्ट स हैं और उनकी दूकानें भी अपनी निजी हैं यानी वह असल में मालिक हैं और खुद ही फर्नीचर तैयार करते हैं, उनको बढ़ई कहना चाहिए क्योंकि वे खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन चूंकि एक दूकान खोल ली, इसलिये एक शाप हो गई और सेल्स टैक्स लागू हो गया।

इस तरह से प्रेसेज का भी किस्सा है। वहां पर भी दोहरा सेल्स टैक्स लगता है। एक तो प्रेस वाले, जब कागज खरीद कर लाते हैं तब सेल्स टैक्स देना पड़ता है उसके बाद जब बेचते हैं तो फिर देना पड़ता है। इसके द्वारा यह मसला भी हल हो सकता है। बड़ी बड़ी चीजें जो सेल्स टैक्स से बच गई हैं जिनसे सरकार को बड़ी बड़ी आमदनी हो सकती थी, अगर उन पर सेल्स टैक्स की व्यवस्था हो जाये, जिस प्रकार से बम्बई वगैरह में है, अगर पूरे गौर खौज के साथ प्रदेश की जितनी भी चीजें हैं उनका फिर से अजसरे नौ रिव्यू किया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ सकती है।

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

जहां तक संशोधन विधेयक का सम्बन्ध है यह निहायत ही मुनासिब और माकूल बिल है। इसके द्वारा उन कानूनी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई है जो आज हमारे सामने हैं। इसलिये म इसका समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--मुझे केवल इतना निवेदन करना है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर भी टैक्स लग सकता है, उनका ऐसा सोचना बिल्कुल भ्रामक है। ऐक्ट में गुड्स की डैफीनिशन इस प्रकार दी हुई है "गुड्स मीन्स एनी मूवएबुल प्रापर्टी, ऐन्ड इन्क्लूड्स इलेक्ट्रिकल इनर्जी।" लेकिन मौजूदा संशोधन के जरिये से यह बात दूर हो जाती है। दूसरी बात गौर करने के लायक यह है कि दफा तीन के चौथे हिस्से में जो मूल ऐक्ट में इलेक्ट्रिकल इनर्जी इक्जेम्प्ट की गई थी, वह इस प्रकार है:--

The definition clearly lays down that no tax shall be payable on goods which includes electrical energy.

"Goods means all kinds of movable property other than acceptable claims, stocks, shares or securities and includes electrical energy."

लेकिन अब चूंकि "इन्क्ल्यूड्स इलेक्ट्रिकल इनर्जी" निकाल दिया गया है, इसलिए ये शब्द भी हटा दिए गए हैं।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है, वह यह कि "करेन्ट असेसमेन्ट आफ दि ईयर" में भी टैक्स लग सकता है। तो यह व्यवस्था तो पहले भी थी। पहले दफा सात के अन्तर्गत था। इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ लफ्जों का हेर-फेर है। मेरा निवेदन है कि जो विधेयक है वह कई बातों को साफ करने के लिए सदन के सामने आया है। इसमें ऐसी बात कोई नहीं है जिसके लिए उज्र किया जा सके।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कुंवर साहब को बिल्कुल यह यकीन है कि गुड्स की जो डेफीनेशन दी गई हैं उसके अन्दर इलेक्ट्रिकल इनर्जी भी शामिल है और उस पर टैक्स लग सकता है। कुंवर साहब ने जो हिस्ट्री उसकी ट्रेस की, उसमें बताया कि जब ड्यूटी लगी तो उस वक्त गवर्नमेंट ने सेल्स-टैक्स के पेमेन्ट से इलेक्ट्रिकल इनर्जी को इक्जेम्प्ट किया। अब यह कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका इक्जेम्प्ट किया तो क्या कार्यवाही हुई। यह कार्यवाही हुई कि गुड्स की जो डेफीनिशन थी वह यह थी :-

" 'Goods' means every kind of movable property, and includes growing crops, grass, trees and things attached to or fastened to anything permanently attached to the earth, but which under the contract of sale are agreed to be severed but does not include actionable claims, stocks, shares of securities."

गुड्स की डेफीनिशन में यह कहा गया कि हर किस्म की मूवएबुल प्रापर्टी को गुड्स कहते हैं। उसमें यह हो सकता था कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी को शामिल कर सकते हैं। तब हमने उसको मुस्तस्ना किया। जब मुस्तस्ना किया तो यह किया कि यह लफ्ज जो इलेक्ट्रिकल इनर्जी का लिखा हुआ था उसे डिलीट कर दिया गया। अब दूसरी बात यह है कि इसमें कहीं इलेक्ट्रिकल इनर्जी का जिक्र नहीं है। मैंने तकरीर करते हुये यह कहा था कि यह बिल्कुल गलत है, न किसी का इरादा है और न कानून इस मंशा को पूरा करता है कि कोई ड्यूटी इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर लगाई जाय।

दूसरी बात कुंवर साहब ने फरमाया था कि इसमें यह प्राविजन है कि एक दुकानदार है और उसका असेसमेन्ट होना है, उस पर टैक्स लगाना है। तशखीस होने के बाद जितना टैक्स होता है, वह लग जाता है और उसका असेसमेन्ट हो जाता है, लेकिन कई केसेज ऐसे निकल आते हैं कि उनके मुताल्लिक तहकीक करने की कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिनको मालूम

*सदस्य ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये।

किये बगैर वह टैक्स नहीं लग सकता है। उसके लिये डेढ़ दो साल का वक्त लग सकता है। इसके लिये कुंवर साहब का यह ख्याल हुआ कि यह नई बात है। लेकिन यह नई बात नहीं है। जहां ऐसा केस होता है वहां एक ओरिजिनल टैक्स तशखीश कर दिया जाता है। मान लीजिये कि कोई ऐसा केस होता है तो उस पर उस वक्त ५०० का टैक्स लग जाता है। अब अगर तशखीश के बाद वह टैक्स ज्यादा हुआ तो जितना ज्यादा होता है वह वापस कर दिया जाता है और अगर कम होता है तो उतना ही ले लिया जाता है। यह तरीका पहले से चला आता है। रूल ४० एक है उसके मातहत यह तरीका रखा गया है। तो मेरा कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है और किसी के खिलाफ कोई नया हार्डशिप नहीं इम्पोज़ किया जा रहा है। चूंकि सिर्फ इसमें इतना ही सवाल है, इसके अलावा इसमें कोई कमी और ज्यादती नहीं हो रही है। इसमें कोई खास बात नहीं है जिसको कुंवर साहब ने फरमाया है।

एक बात कुंवर साहब ने और कही जिसको उन्होंने बिलकुल उल्टा ही समझा है। इस बात की तो इस ऐक्ट के ज़रिये से आसानी हो जाती है। यह जो ऐक्ट इस वक्त है उसके अन्दर तो एजेन्ट भी शामिल हैं, लेकिन इस ऐक्ट के ज़रिये से ऐसा नहीं होगा। जिनका नाम इसमें दिया हुआ है उन पर तो असेसमेन्ट होगा और जिनका नाम नहीं दिया हुआ है उन पर कैसे असेसमेन्ट हो सकता है। उन पर टैक्स लगाने से तो कोई वास्ता ही नहीं है। हम तो उनके लिये आसानी पैदा कर रहे हैं। जिन लोगों के बारे में कानून में लिखा हुआ है कि फलां फलां पर कार्यवाही हो सकती है उन्हीं पर हो सकती है और दूसरे पर नहीं हो सकती है। चूंकि एजेन्ट के लिये यह समझा गया कि इन पर नहीं होना चाहिए इस लिये नहीं लिखा गया है। मैं तो समझता हूं कि जितनी बातें कुंवर साहब ने कही थीं और जो मुझे याद हैं उनका तो जवाब दे चुका हूं। इन्हीं बातों पर कुंवर साहब के अमेन्डमेंट भी हैं। मेरा ख्याल है कि मैं उनका भी जवाब दे चुका हूं और कुंवर साहब अब उन बातों को बार बार न कहेंगे।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खंड--२

२--संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० (जिसे इसमें आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में--

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा २ का संशोधन।

(१) खंड (ग) में--

(क) शब्द "बेचने" और शब्द "का कारोबार करते" के बीच में आने वाले शब्द "और पूर्ति करने (सप्लाई करने)" निकाल दिये जायं।

(ख) शब्द "माल बेचते" और "हों" के बीच में आने वाले शब्द "या पूर्ति करते (सप्लाई करते)" निकाल दिये जायं।

(ग) स्पष्टीकरण में शब्द "बेचने" और शब्द "का काम करता" के बीच में आने वाले शब्द "या उसकी पूर्ति करने (सप्लाई करने)" निकाल दिये जायं।

(२) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(घ) "माल" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति से है और इसके अन्तर्गत उगने वाली फसल, घास, पेड़ और ऐसी वस्तु हैं जो भूमि से लगी हुई (attached) अथवा भूमि से स्थायी रूप से लगी हुई (attached) किसी वस्तु से जकड़ी हुई (fastened) हो, किन्तु जिसका बिक्री के मुआहिदे (contract of sale) के अन्तर्गत पृथक करना तय हो चुका हो,

परन्तु इसके अन्तर्गत वाद योग्य दावे (actionable claims) स्टाक, हिस्से या सिक्योरिटियां सम्मिलित नहीं हैं।"

(३) वाक्य-खंड (ङ) निकाल दिया जाय।

(४) वाक्य-खंड (ञ) में--

(क) दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित तीसरे प्रति-बन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय :--

"तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि उत्तर प्रदेश के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति का एजेन्ट उत्तर प्रदेश में उसकी ओर से माल बेचे तो उक्त बिक्री से प्राप्त धनराशि एजेन्ट के विक्रय-धन (turn over) में सम्मिलित कर ली जायगी।"

(ख) "स्पष्टीकरण" के उप-वाक्यखंड (३) में शब्द 'उस माल को उक्त ग्राहक के हाथ बेच दे" के स्थान पर "उस माल को बिना लाभ लिये उक्त ग्राहक के हाथ बेच दे" रखा जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न-लिखित संशोधन पेश करता हूं :--

In clause 2 sub-clause (ii) (d) add the following words between "property" and "and" in the beginning of second line :

"including actionable claims, stocks, shares or securities." and delete all the words beginning with "actionable" in the seventh line up to and inclusive of "securities" in the end and substitute "electrical energy."

श्रीमान्, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो विद्युत् शक्ति के बारे में बात कही कि इस पर सेल्स टैक्स नहीं है तो यह चीज इसमें बिलकुल साफ है। मैंने बहुत कुछ कोशिश की कि मैं उसको समझूं लेकिन फिर भी मैं अपनी ही बात को ठीक समझता हूं। जो प्राविजन आप ने विधेयक में रखा है इससे तो सेल्स टैक्स लगता है। कम से कम मैं तो इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि सेल्स टैक्स तो इससे लगता है। श्रीमन्, मैं फिर एक मर्तबे आपकी आज्ञा से यह पढ़ना चाहता हूं, जो कि इस विधेयक में भी दिया हुआ है :--

In section 2 (ii) for clause (*d*) the following shall be substituted :

"(d) "Goods" means every kind of movable property and includes growing crops, grass, trees and things attached to or fastened to anything permanently attached to the earth, but which under the contract of sale are agreed to be severed but does not include actionable claims, stocks, shares or securities."

मैं "अटैच्ड टू दि अर्थ" (attached to the earth) इन शब्दों पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं। पहला जो विधेयक पास हुआ है उसमें यह स्पष्ट ही दिया हुआ है :--

In clause (d) of section (2) of the U. P. Sales Tax herein called the Principal Act the word "electrical energy" shall be omitted.

जो प्रिंसिपल ऐक्ट है, उसमें इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर सेल्स टैक्स, उस समय ओमिट किया गया था जो कि पहले पास हो चुका है। उस वक्त इलेक्ट्रिकल इनर्जी के संबंध में कुछ नहीं रखा था। जो माननीय मंत्री जी ने डेफीनिशन दी है, तो उसमें पूरा नहीं तो कम से कम इतना तो माननीय वित्त मंत्री जी स्वीकार करेंगे ही कि "अटैच्ड टू दि अर्थ" इस डेफीनिशन में आती है या नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--नहीं आती है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—जिस वक्त गवर्नमेंट कोई काम करती है तो उसको करने के लिये वह इसी तरह से किसी चीज को ट्विस्ट करके रखती है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इनर्जी आती है या नहीं, मुझे इसके लिये सफाई चाहिये। अगर किसी चीज में एम्बीग्युइटी होती है तो उसके लिये सफाई होनी चाहिये। मैं तो कहता हूं कि यह स्पष्ट नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी इसमें शामिल हो जायेगी या नहीं। तो जब किन्हीं चीजों में फर्क हो जाता है तो उसका तरीका यह है कि आप उसका ठीक तरह से क्लेरिफिकेशन कर दें। मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी इसमें पुटअप कर दी जाय। जो मेरा संशोधन है उसमें मैंने यह भी रखा है कि उसमें स्टाक्स, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ पर भी सेल्स टैक्स लगे। यह तो हुकूमत के ही फायदे की चीज है। जब से सेल्स टैक्स लागू हुआ है, तो अब यही उम्मीद है कि वह हट नहीं सकता है। यह जिन बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्टस् पर एफेक्ट करता है, उनको यह अधिक खलेगा भी नहीं और इसीलिये मैं समझता हूं कि जो यहां बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्टस् हैं, उन्होंने इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—friends are in the jury.

श्री कुंवर गुरु नारायण—आपकी इन्कम भी इस तरह से ज्यादा बढ़ेगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उनको आज टैक्स की बहुत जरूरत है और बजाय इसके कि आप टैक्स को कम करें, क्यों न उन पर इस तरह से टैक्स लगाया जाय। आप स्टाक्स, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ पर भी लगाइये, इसके साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रिकल इनर्जी को छोड़ दिया जाय, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। माननीय वित्त मंत्री जी की दलील मैं नहीं समझा, बल्कि मैंने निश्चित रूप से ही इस बात को समझ कर यह संशोधन रखा है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई चीज़ एम्बीग्युस है तो उसका इन्टरप्रिटेशन डिफरेन्ट हो सकता है। बहरहाल, कोर्ट्स में यही होता है कि गवर्नमेंट जब एक ऐक्ट बनाती है और वह कोर्ट में चैलेंज होता है तो एक कोर्ट में उसका कुछ इन्टरप्रिटेशन होता है और दूसरे कोर्ट में कुछ और होता है तथा हायर कोर्टस में उसका कुछ और इन्टरप्रिटेशन होता है तो यह जो चीज़ है इसमें कोर्ट को अथारिटी होगी कि वह जैसा उचित समझे इन्टरप्रिटेशन लगाये। इसी में मेरा और माननीय मंत्री जी का मतभेद हो सकता है। इसके अलावा मैं यह कहता हूं कि यह एम्बीग्युस ही नहीं, बल्कि निश्चित है कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर सेल्स टैक्स लग जायेगा जो कि कामन मैन को एफेक्ट करेगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस चीज़ को बिल्कुल साफ कर दें तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ी देर के लिये अगर माननीय मंत्री जी समझते हैं कि उनके कहने से यह चीज़ नहीं आती है तो इसको साफ करने में भी उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, मैंने इस हाउस में बहुत सी दफा यह दलील सुनी है कि अगर यह नहीं है तो उसको साफ कर दें, अभी एक साहब ने इरशाद फरमाया कि कानून की इबारत कैसी होनी चाहिये, उसका उसूल क्या हो? मैं कहता हूं कि इस तरह की फिजूल चीज लाने की जरूरत नहीं है। इस तरह की तमाम फिजूल चीजों को शामिल करना निहायत गलत काम है कि ऐसी चीज इसमें शामिल हो और उसको खुलकर लिख दें और इस किस्म की सफाई उसमें करते रहें तो कानून की शान एक नयी और निराली पैदा हो जायेगी। कानून की इबारत में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। अभी इसके लिये एक दलील निकाली है और वह दलील बिजली के गुड्स की डेफीनिशन में शामिल होने की दलील थी और वह यह कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है जो कि पानी से चलती है उसके ऊपर इस कानून की रूहसे टैक्स लग सकता है और जो दूसरी तरह की बिजली बनती है उसके ऊपर इस कानून का दूसरा असर होगा। क्लाज में यह लिखा हुआ है :—

"Growing crops, grass, trees and things attached to or fastened to anything permanently attached to the earth."

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

चूंकि वह पोल खड़ा रहता है जिन पर की तार चलती है और उनके अन्दर बिजली दौड़ती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का किस प्रकार से आइडिया लगाया जा सकेगा कि वह चीज पासिंग टू दि अर्थ है या यह जो चीज निकलती है पानी के अन्दर से निकलती है। इन अल्फाजों से बिजली की जो जाति है उसके अन्दर कोई फर्क पैदा नहीं होता। फिर अगर यह दलील हो कि यह चीज होती ही है तो उसके अन्दर सिर्फ इतना ही नहीं लिखा हुआ है बल्कि उसके आगे और भी लिखा हुआ है But which, under the contract of sale. जैसे कि दरख्त है और वह जमीन में खड़ा है तो वह दरख्त इम्मूवएबिल प्रापर्टी हुई, लेकिन उसके लिये अगर मैं खरीदने का वायदा कर लूं तो वह मूवएबिल हो जायगी और उसको काटने के लिये या उखाड़ने के लिये मैंने १५ रुपये में दरख्त को खरीद लिया कि मैं उसको उखाड़ कर ले जाऊंगा और अपने काम में लाऊंगा तो वह मूवएबिल प्रापर्टी में बदल जायेगा। इसलिये यह जो चीज इसमें शामिल है यह "अटैच टू दि" ऐक्ट में शामिल नहीं होगी। हां, यह जब आयेगा जब कि इस किस्म का मुहायदा हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पहली तरमीम हुई है उस तरमीम में से वह अल्फाज निकाले गये जो कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी के बाबत लिखे हुए हैं। वह मैंने साफतौर पर पढ़ कर सुना दिया है कि खासतौर से यह चीजें शामिल की गई हैं और अगर हम इसको शामिल नहीं करेंगे तो:

"Goods means all kinds of immovable property other than actionable claims, stocks, shares or securities and includes electrical energy."

यह चीज खासतौर से मेरी समझ में नहीं आती। मैं दलील के लिये नहीं कह रहा हूं, महज जवाब देने के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं वाकई मजबूर हूं कि किस तरह से यह बात निकलती है कि यह जो इलेक्ट्रिकल इनर्जी है उसके ऊपर सेल्स टैक्स जब मौकूफ हो गया है और उसके ऊपर अगर यह तरमीम देखी जाय तो वह सेल्स टैक्स कैसे चेंज हो जायेगा। अगर हमने उसको नहीं भी किया तो इस तरमीम से उसकी शुरुआत हो जायगी।

दूसरे जो कुंवर साहब का कहना है कि स्टाक्स और सेयर्स के ऊपर टैक्स लगाया जाय तो मैं हुजूर से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अख्तियार दिया जाय कि मैं इस तरह का हक इस्तेमाल कर सकूं और उनके ऊपर टैक्स लगाने का मुझे हक हो तो मैं यह जरूर कर दूं मगर यह तो यूनियन लिस्ट में है और यहां पर महज मिसाल के तौर पर आई है। अगर आप यह चाहें कि उनके ऊपर टैक्स लगाना वाजिब है तो मैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता यह तो यूनियन लिस्ट में है और मैं किसी सूरत से भी टैक्स नहीं लगा सकता। इसलिये यह दोनों अमेंडमेंट बेकार हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस पुराने तजुर्बेकार आदमी है और जिस खूबी से हंसते हुये वह बात कहते हैं उससे यह दर्शा देते हैं कि हमारी जो बात है वह वाकई में और वह जो बात कहते हैं उसके सही होने में कोई शक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह यह समझने से मजबूर हैं कि यह संशोधन कैसे रख दिया गया। तो मैं भी खुद मजबूर हूं और खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कहां तक सही है कि जैसा कि आपने फरमाया है कि इससे कानून का अल्फाज खत्म हो जायेगा। जहां तक फ्रेजियोलोजी का संबंध है, मैं शिकायत के तौर पर नहीं कहता, लेकिन श्रीमान्, आपको मालूम होगा और इस सदन को भी मालूम होगा कि ऐसे कितने ऐक्ट हुये हैं जो कोर्ट्स में चैलेंज हुये हैं और कितने वैलीडेट किये गये हैं। आजकल की हुकूमत के जितने भी ऐक्ट बनते हैं बड़ी आसानी के साथ चैलेंज हो जाते हैं और उसके बाद अमेंडिंग ऐक्ट हुकूमत लाया करती है तो इसके बाद यह दावा करना कि कानून की फ्रेजियोलोजी बिल्कुल सही है और इससे वह गलत हो जायेगी, तो यह ऐसी बात नहीं है। मैं अब भी अपनी पोजीशन पर स्टिक करता हूं। इलेक्ट्रिकल इनर्जी की बात इस डेफीनिशन में आ जायगी, जब आपने इस प्रकार की डेफीनिशन रख दी कि "अटैच्ड टू दि अर्थ" तो इस तरीके से आप इसके ऊपर भी लगा सकते

हैं। मैं इस तरह से किसी काम में या झगड़े में नहीं पड़ता हूं, बल्कि जिस चीज को मैं सही समझता हूं वह मैंने आपके सामने रख दी है। मैंने उसको आपके सामने रखा, अब यह दलील दी जाती है। अगर नहीं है तो मंजूर कर लिया जाय। बिल्कुल सही। मैं समझता हूं कि एम्बीग्युस है और चाहता हूं कि क्लियर हो जाय। अक्सर ऐसा होता है कि क्लेरिफिकेशन रह जाता है। श्रीमन्, यह कहा गया कि स्टाक, सिक्यूरिटीज और शेयर्स यूनियन लिस्ट में आते हैं। ठीक है, मैं इस संशोधन को विदड्रा कर लूंगा, लेकिन आगे वाला जो इलेक्ट्रिकल इनर्जी वाला है उसको ही मंजूर कर लिया जाय। क्योंकि इसमें मैंने दोनों साथ मूव किये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जो समझे हों या जो समझाया गया हो, वह गलत है और आपको बाद में इसके लिये अमेंडिंग बिल लाना पड़ेगा, अगर कोई बात हुई। क्योंकि यह आप के ही कहे हुये अल्फाज हैं कि हम सेल्स टैक्स न लेंगे। मैं समझता हूं कि यह जो मेरा संशोधन है, जरूरी है, अगर इस वक्त न भी प्रेस करूं, तो आगे मेरा संशोधन है।

*प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—कुंवर साहब चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी बात सुनने के लिये तैयार हो, फार दी सेक आफ क्लेरिफिकेशन।

डिप्टी चेयरमैन—The question is :

In clause 2 sub-clause (ii) (*d*) add the following wo ds between "property" and "and" in the beginning of second line :

"including actionable claims, stocks, shares or securities and" delete all the words beginning with "actionable" in the seventh line up to and inclusive of "securities" in the end and substitute—
"electrical energy"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण—मेरा यह इलैक्ट्रिक इनर्जी के सम्बन्ध में जो अमेन्डमेन्ट है, मैं उसको मूव करूंगा :

In clause 2 sub-clause (ii) (*d*) add the following after the word "securities" in the end :

"or electrical energy"

कोई स्पीच इस संबंध में नहीं देना चाहता हूं, जो कहना था मैं कह चुका। यह इलेक्ट्रिकल इनर्जी से संबंध रखता है और इस पर सेल्स टैक्स लग सकता है। इसलिये इसको मूव करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब की तवज्जह दिलाऊं, कुंवर साहब की तवज्जह चाहे न जा सके, लेकिन यह अमेन्डमेंट मूव नहीं हो सकता। अभी अभी जो पहला अमेन्डमेंट था, उस पर हाउस ने अपना डेसीजन नेगेटिव में दे दिया और हाउस ने नामंजूर कर दिया। फिर दूसरे अमेन्डमेंट के जरिये से इसको लावे तो यह मूव नहीं हो सकता, मगर मूव हुआ है, मेरा जवाब हाउस सुन चुका है और ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता।

*प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—मैं नहीं समझता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि पहले संशोधन के समय सदन के नेता ने यह कहा होता कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी इसमें शामिल है, तब आगे चल कर इसको एक्सक्लूड करने की बात कही जाती तब तो एक गलत बात समझी जा सकती थी। सदन के नेता ने कहा कि पहले क्लाज में इलेक्ट्रिकल इनर्जी शामिल नहीं है, यह बात समझ कर सदन के बहुत से लोगों ने उस अमेन्डमेंट के विरुद्ध वोट दिया। इसलिये जब फिर अमेन्डमेंड पेश किया जाता है तो वह अमेन्डमेंट पहले क्लाज का विरोधी

*सदस्य ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये।

[प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल]

नहीं कहा जा सकता है। कुंवर साहब ने पहले भी कहा कि इस बात को साफ कर दिया जाय। अगर पहले क्लाज को पेश करते वक्त साफ नहीं किया गया तो दूसरे क्लाज को पेश करते वक्त साफ कर दिया जाय और उसको मंजूर कर दिया जाय कि इसके अन्दर कोई कानूनी हुज्जत पैदा नहीं हो सकती है। सदन को खुशी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि यद्यपि विचार भेद सदन के नेता और हम में भले ही हो, लेकिन हमारा और उनका सम्बन्ध दोस्ताना सम्बन्ध है और उसे वह कायम रखना चाहते हैं उसके माने साफ हैं। जहां तक हमारे और उनके सिद्धान्तों में भेद है तो वहां पर वे अपने फर्ज की अदायगी करेंगे, लेकिन यहां सिद्धान्तों में कोई भेद नहीं है और उसूलों में कोई भेद नहीं है। कुंवर साहब की मंशा है कि अगर यह लफ्ज न इस्तेमाल किया गया तो सरकार जो मतलब चाहती है वह पूरा नहीं होगा। इसलिये कुंवर साहब चाहते हैं कि वह शब्द जोड़ दिया जाय। मुझे तो इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं दिखाई देती है। मैं चाहता हूं कि पालियामेन्टरी सिस्टम को चलाने के लिये शायद सदस्यों की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव पेश हो, जिसमें कि कोई सैद्धान्तिक मतभेद न हो। वैसे अमेन्डमेंट मंजूर कर लिया जाय।

श्री इन्द्र सिंह नयाल--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। यह चीज आप के सामने है कि यह अमेन्डमेंट मूव किया जा सकता है या नहीं। उस अमेन्डमेन्ट में स्पीच देना एलाऊ नहीं हो सकता है, जब तक कि आप एलाऊ न करें।

श्री राजाराम शास्त्री--इस पर बहस हो चुकी, इसलिये इसमें एलाऊ होने का प्रश्न नहीं है।

डिप्टी चेयरमैन--यह संशोधन एलाऊ कर दिया गया है। इसमें और पहले संशोधन में थोड़ा सा फर्क है।

श्री इन्द्र सिंह नयाल--पहले अमेन्डमेन्ट में था "and does not include electrical energy"

डिप्टी चेयरमैन--आप बैठ जाइये। यह संशोधन एलाऊ कर दिया गया है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--नो रूलिंग इज वान्टेड। मैंने एतराज कर दिया था कि उसको इस वक्त उठाना नहीं चाहिए। चूंकि उस वक्त ऐसी बात थी, इसलिये उसको कह दिया कि यह मूव नहीं होगा। चेयर की रूलिंग की आवश्यकता नहीं है। मैंने जवाब दे दिया और मैं इसे नहीं मानता हूं। मैंने मेरिट की बात कही थी, बाकी वैसे इसको नहीं मानता हूं कि यह हो सकता है।

प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल--मैं यह अर्ज कर रहा था कि पालियामेंटरी सिस्टम को चलाने के लिये यह तो निहायत जरूरी होता है कि हर शख्स और हर पार्टी इस उसूल पर कायम रहे कि उसूल में कोई भेद हो तो उसका फैसला वोट के जरिये से हो। लेकिन पालिया-मेंटरी सिस्टम को चलाने के लिये यह जरूरी होता है, अगर उसूल में भेद नहीं है सिर्फ लफ्जों का भेद है तो वहां पर आपस में समझौते से काम लिया जाय ताकि अपोजीशन के लोगों को यह महसूस न हो कि सरकार कोई एक बात भी सुनने के लिये तैयार नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जिस समय यह कहा गया था उस समय मैंने एतराज किया था कि ऐसी तकरीरों की जरूरत नहीं है।

प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल--क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सदन के नेता के यह अल्फाज तकरीर के बीच में कुछ मुनासिब थे? कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर तो है नहीं। अगर अपनी पर्सनल पोजीशन के एक्सप्लेनेशन में सदन के नेता साहब भी एक मेम्बर की तकरीर के बीच में उठेंगे तो फिर तो सदन के नेता का मुकाबिला इस सदन का कोई सदस्य कर नहीं सकता और मैं समझता हूं कि फिर तो गुफ्तगू करना भी मुश्किल हो जायगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बराबर करते हैं। कौन नहीं करता है?

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—मैं अर्ज कर चुका हूं कि अगर साधारण सदस्यों की तरह सदन के नेता तकरार करेंगे तो मुश्किल हो जायगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सदन के नेता ने जो कसूर किया था वह तो मान लिया और इसलिये इस पर बहस की जरूरत नहीं है।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—मैं, उपाध्यक्ष जी, यह दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं कि यदि प्रोसीजर आफ ला एक ला की क्वालिटी है तो क्लैरिटी आफ ला भी एक ला की क्वालिटी है और अगर सदन के नेता प्रीसीजन के ऊपर जोर देते हैं तो कुंवर गुरु नारायण जी क्लैरिटी पर जोर देते हैं और मैं सदन के नेता से दरख्वास्त करूंगा कि वह क्लैरिटी आफ ला की जरूरत को भी महसूस करते हुये कुंवर गुरु नारायण जी के शब्दों पर गौर करें।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे सारी बहस सुन कर ऐसा महसूस हुआ कि एक तरफ वकील हैं और एक तरफ वकील नहीं हैं। वकील की यह खूबी होती है कि कानून ऐसे ढंग का अदालत के सामने पेश कर दें कि जिसकी वजह से जब जैसा मौका हो उसके मुताबिक गुन्जाइश निकल आये और कुंवर गुरु नारायण जी मेरा अन्दाजा है कि वकील नहीं हैं। वे चाहते हैं कि ऐसा साफ लिखा हो कि अनपढ़ आदमी भी अदालत के सामने खड़ा हो जाये और उसको वकील की जरूरत न हो। यह अमेंडमेंट ऐसा ही है। लेकिन आपकी बात को सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ गुन्जाइश वकालत की रहनी ही चाहिए नहीं तो काम नहीं चलेगा। क्लेरिफिकेशन भी ला की एक जरूरत है। इतनी बात के बाद मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय नेता सदन जितना ही इस पर ज्यादा जिद्द कर रहे हैं उतना ही हमारे दिल में शक बढ़ता जाता है कि अगर यही बात है तो उसको मान लेने में क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिये कि कुंवर गुरु नारायण जी वही बात कहते हैं जो आपके दिल में है तो इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है। आपमें और उनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन वकीलों की जैसी अदालत में बहस होती है वैसी ही यहां सदन में हो रही है। आपने कई बार इस सदन में इस बात की अपील की है कि हम चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों अगर सब मिलकर एक भावना से काम करें तो ठीक है। आपने कई बार यह बात भी कही कि हम लोग जिस बात को करना चाहते हैं उधर के बैठने वाले उसको दूसरी निगाह से देखते हैं, वैसे ही मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी बात को अगर कुंवर गुरु नारायण जी अपने शब्दों में कहना चाहते हैं और बात वही होती है और उसमें सदन की सर्वसम्मति से एक राय है तो क्या वकालत है कि उसको आप मानने को तैयार नहीं हैं। हां, अगर कोई अन्दर की बात हो तो साफ-साफ कह दीजिये ताकि बाद में आपके दिल में और हमारे दिल में कोई बदगुमानी पैदा न हो, लेकिन अगर दिल मिला हुआ है, विचार मिले हुये हैं, ख्यालात मिले हुये हैं लेकिन शब्दों के पीछे लड़ रहे हैं तो यह नामुनासिब है। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर बात एक ही है तो अमेंडमेंट मान लेना चाहिए।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या अर्ज करूं आपसे, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं या माननीय मन्त्री जी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन एक चीज उसूली है कि माननीय मन्त्री जी जिसको फालो करते हैं, मैंने हमेशा देखा है कि चूंकि व पुराने पालियामेन्टिरियन हैं जो चीज गलत होती है उसको वह बहुत ही जोर के साथ कहने लगते हैं ताकि गलतियां छिप जायं। मेरा तजुर्बा तो बहुत थोड़े दिनों का है और माननीय मन्त्री जी को बीसियों वर्ष का तजुर्बा है और वह अपनी बात को अच्छी तरह से निभा भी लेते हैं। मैं कोई वकील भी नहीं हूं, यह बात भी सही कही कई गई है। माननीय मन्त्री जी वकील हैं, वह ज्यादा अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। वकील जब ब्रीफ ले लेता है तो वह चोर और डाकू को झूठ बोलकर छुड़ाने के लिये तैयार हो जाता है। मैं सच कहना चाहता हूं कि अगर मैं कन्विस होता कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी इसमें शामिल न होगी तो मैं इस संशोधन को पेश न करता। इसलिये मैं अपनी जगह पर जस्टीफाइड हूं और मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की एम्बीग्युटी इसमें रह जाय जिससे इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर टैक्स लगाया जाय। प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी ने भी कहा है कि अगर आप इसको मान लेते हैं तो दूसरे

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

सदन से भी आप इसको पास करा ही लेंगे, क्योंकि इस समय वह हाउस मीट कर रहा है, आपको कोई परेशानी उठाना नहीं है। अगर इलेक्ट्रिकल इनर्जी को आप इससे एक्जेम्प्ट नहीं करेंगे तो मैं भी अपनी जगह पर अटल हूं और मैं इस पर स्ट्रेस करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं जानब की इजाजत से एक बात कुंवर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स में एक चीज मौजूद है और उसकी जगह पर यह चीज सब्स्टीट्यूट हम कर रहे हैं। असल ऐक्ट में न इलेक्ट्रिकल इनर्जी शामिल थी और न इसमें भी इन्क्ल्यूडिंग का कोई वर्ड है। तो फिर यह कैसे कहा जा रहा है कि सेल्स टैक्स इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर भी लागू किया जायगा। मेरा यह कहना है कि यह पोजीशन जो कुंवर साहब फरमा रहे हैं इस तरमीम से पैदा हो रही है जो इस वक्त हाउस में है कि शायद अब लगाई जाय। जो डेफीनिशन इस वक्त हो रही है उस डेफीनिशन को निकाल दिया जाय और पहले जैसी चीज जो ऐक्ट में है तो उससे क्या फायदा होगा। मैं तो कहता हूं कि इस ऐक्ट में कोई दिखा दे कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी को पहले कहां इन्क्ल्यूड किया गया था। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है और इसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है। इस मकसद को हासिल करने के लिये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया। मुझसे कहा जाता है कि अमेंडमेंट मान लो। लेकिन मैं अर्ज करूं कि अगर किसी शायर से यह कहा जाय कि तुम अपने शेर का एक मिश्रा बिगाड़ लो तो क्या वह बिगाड़ लेगा। किसी कानूनसाज से कहा जाये कि अपने कानून में कोई लफ्ज इधर से उधर कर दो तो क्या वह कर देगा ? रेपीटीशन करना और गैर जरूरी चीजों को शामिल करना जबरदस्त गलती है और खास कर ला में तो कोई चीज ज्यादा आनी ही न चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी बात पर इसरार करना चाहता हूं कि कुंवर साहब का संशोधन गैर जरूरी है। कहीं इस वक्त कानून में लिखा हुआ नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी मुस्तसना की गई। वह अब भी है और जब भी था।

डिप्टी चेयरमैन--The question is :

In clause 2, sub-clause (ii) (d), add the following after the word "securities" in the end :

"or electrical energy."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और निम्नलिखित विभाजन के पश्चात् अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में (२)

(१) श्री कुंवर गुरु नारायण
(२) श्री राजा राम शास्त्री

विपक्ष में (२३)

(१) श्री अब्दुल शकूर नजमी
(२) श्री इन्द्र सिंह नयाल
(३) श्री केदार नाथ खेतान
(४) श्री कृष्ण चन्द्र जोशी
(५) श्रीमती तारा अग्रवाल
(६) श्री तेलू राम
(७) श्री प्रतापचन्द्र आजाद
(८) श्री परमात्मानन्द सिंह
(९) श्री प्रसिद्ध नारायण अनद
(१०) श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार
(११) श्री बशीर अहमद
(१२) श्री बालक राम वैश्य
(१३) श्री महमूद अस्लम खां
(१४) श्री मानपाल गुप्त
(१५) श्री राम नन्दन सिंह
(१६) श्री राम लगन सिंह
(१७) श्री लालता प्रसाद सोनकर
(१८) श्रीमती शान्ति देवी
(१९) श्रीमती शिवराजवती नेहरू
(२०) श्री शिव सुमरन लाल जौहरी
(२१) श्री श्याम सुन्दर लाल
(२२) श्री सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद
(२३) श्री सरदार सन्तोष सिंह

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ३ का संशोधन। अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण किया जा सकना।

"३—(१) इस अधिनियम के आदेशों के प्रतिबन्ध सहित, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के पूर्व वर्ष के अपने विक्रय-धन (turnover) पर जो उस रीति से, जैसी निर्धारित की जाय, निश्चिय किया जायगा, तीन पाई प्रति रुपये की दर से कर देगा,

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को, धारा १८ में की गयी अन्यथा व्यवस्था के न रहते हुये कर नहीं देना पड़ेगा यदि बदनी (भविष्य के मुआहिदों) (forward contracts) के विक्रय-धन को छोड़कर जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया गया हो, पूर्व वर्ष का उसका विक्रय-धन १२,००० रुपये से या उस अधिक धनराशि से, जो इस सम्बन्ध में निर्धारित की जाय, कम हो;

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर किसी माल या माल के वर्गों के सम्बन्ध में विक्रयधन पर कर की दर कम कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसे विक्रयधन पर कम की हुई दर से कर देय होगा ;

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में पहले प्रतिबन्धात्मक खन्ड में निर्धारित धनराशि कम कर दी जाय तो व्यापारी द्वारा पूर्वोक्त प्रकार के देय कर का हिसाब निम्नलिखित ढंग से लगाया जायगा ; अर्थात्

(क) कम करने के पूर्व अवधि के विक्रय धन पर उस हिसाब से, मानों की धनराशि कम नहीं की गई है, और

(ख) शेष धनराशि पर उस हिसाब से, मानों की कम की हुई धनराशि उन सभी दिनांकों पर प्रचलित थी जिनका उस विषय में कोई महत्व हो (on all material dates)।

(२) राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है कि कोई व्यापारी या व्यापारियों का वर्ग पूर्व वर्ष के विक्रयधन पर कर भुगतान करने के बजाय कर-निर्धारण वर्ष के विक्रयधन पर कर भुगतान करे और तत्पश्चात् इस अधिनियम के सभी आदेश ऐसे व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो जहां कहीं भी प्रसंगानुसार अपेक्षित हो, शब्द "पूर्व वर्ष" के स्थान पर शब्द "कर निर्धारण वर्ष" रख दिया गया है।"

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड संख्या ३ में यह संशोधन रखना चाहता हूं—

In the explanatory proviso of 3 (1) substitute the figures 15,000 for 12,000.

श्रीमन्, जो इसमें टर्न ओवर की टैक्सेबुल लिमिट रखी गयी है वह १२ हजार रुपया रखी गयी है। मैं चाहता हूं कि वह जो टर्न ओवर लिमिट है वह १२ हजार से बढ़ाकर १५ हजार कर दी जाय। जहां तक बड़े व्यापारियों का सम्बन्ध है वह लोग तो २० और २५ हजार

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

से ऊपर ही पहुंच जाते हैं उनको तो कोई फायदा नहीं है। वह तो टैक्स ही में आ जाते हैं। आज हमारे प्रदेश में कीमतें बढ़ रही हैं छोटे छोटे दुकानदार का टर्म ओवर १२ हजार से ऊपर हो जाता है, इसलिये उनको इससे मुक्त करने के लिये १५ हजार करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको १२ हजार के बजाय १५ हजार कर दें तो अच्छा होगा। इससे छोटे-छोटे वर्ग के लोगों को काफी आसानी होगी। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इस प्राविजन को जरूर रखें ताकि छोटी श्रेणी के लोगों को फायदा हो सके। यह १२ हजार रुपये सन् ४८ में नियुक्त किये गये थे और आज यह सन् ५४ है। उस वक्त से इस वक्त तक काफी फर्क हो गया ह। कीमतें भी बहुत काफी बढ़ गई हैं। ऐसी हालत में अगर १५ हजार कर दिया जाय तो बहुत ही अच्छा होगा और छोटे वर्ग के व्यापारियों को ज्यादा फायदा होगा। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस अमेंडमेंट को मान लें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, यह जो १५ हजार रुपये की तरमीम आयी है, तो मैं समझता हूं कि कानून में १५ हजार की लिमिट रखी गई है। १२ हजार पर तो टैक्स लगाया जायगा लेकिन अगर सरकार जरूरत समझेगी तो उसको १५ हजार कर देगी। गवर्नमेंट तो उस लिमिट को बढ़ा सकती है। मैं तो समझता हूं कि इस तरमीम को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वक्त देखकर तो सब कुछ हो सकता है। अगर किसी वक्त गवर्नमेंट को यह जरूरत हुई कि १५ हजार से २० हजार कर दिया जाय तो वह कर सकती है। अगर आज मैं १५ हजार मान लेता हूं तो इसको आप २० हजार भी कर सकते हैं। लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट को इसके अन्दर यह अख्तियार है कि वह इस लिमिट को बढ़ा भी सकती है। मेरे ख्याल में १५ हजार कर देने से कोई खास फायदा नहीं होगा। मैं तो इस तरमीम के लाने की जरूरत नहीं समझता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे समझा नहीं। इसम टर्न ओवर टैक्स के लिये १२ हजार की लिमिट रखी गयी है, तो अभी माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा कि १२ हजार से १५ हजार तक गवर्नमेंट उसे कर सकती है, तो मैं इस बात को समझा नहीं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो गवर्नमेंट के कानून में पहले से है। १२ हजार रुपये के ऊपर जितनी ज्यादा रकम हो, तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन और आर्डर के जरिये से उसे कर सकती है। हमने १२ हजार के बजाय १५ हजार कर रखा है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--१२ हजार के बजाय १५ हजार पर लग सकता है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--१५ हजार जिसके ऊपर हो, उस पर टैक्स लग सकता है। १५ हजार तक हम कर सकते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने एक्सप्लेन किया है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं।

डिप्टी चेयरमैन--क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव वापस लिया जाय ?

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित संशोधन खण्ड (३) में उपस्थित करना चाहता हूं :--

Add the following explanatory proviso at the end of clause 3 (2).

"Explanation--For purposes of assessing the turnover of a dealer, the amount charged as sales tax on goods sold shall not be taken into consideration. Only the sale price of the goods sold excluding all taxes levied on them shall be deemed to be turnover."

श्रीमन्, यह जो मेरा संशोधन है, यह स्वयं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेरी मन्शा इस संशोधन को लाने से यह है कि जो टर्न ओवर है, वह भी इसमें शरीक कर लिया जाता है और जब वह

शरीक हो जाता है, तो जो सेल्स टैक्स लिया जायगा और जो रियल सेल्स हैं तो वह भी इसमें मिल जायगा। इन दोनों में फर्क हो जाता है और इस तरह से टर्न ओवर ज्यादा ले लिया जाता है। इसलिये मैंने यह जो संशोधन रखा है, मैं चाहता हूं कि जो टर्न ओवर मुकर्रर किया जाय और जो कि सेल्स टैक्स गुड्स पर चार्ज किया जाता है, वह उसमें ऐड न किया जाय। इस संशोधन से जो टर्न ओवर हम करेंगे तो इससे थोड़ी सी सहूलियत लोगों को मिल जायगी, यही मेरा कहना है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जो जरूरियात, जनाबवाला, कुंवर साहब ने फरमाई है इस तरमीम की, उसकी वजह यह मालूम हुई है जो कुंवर साहब को मालूम नहीं है कि टर्न ओवर कार्डिन्ग के अन्दर टैक्स की रकम शामिल नहीं की जाती है। मसलन ५ रुपये ३ आने की एक चीज बेचनी है तो उसमें से ३ आने सेल्स टैक्स के जो हैं वह टर्न ओवर में जो उसको करना है, छोड़ दिये जायेंगे। मेरे इस तरह के कहने का मतलब यह है कि जो मांगने वाला करता है वह कानून के अन्दर ही मांग करता है, अगर वह कानून के खिलाफ करता होता तो एक दूसरी बात थी।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो सेल्स टैक्स होता है क्या वह टर्न ओवर में काउन्ट नहीं होता है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यही तो मैंने कहा है कि वह नहीं होता है। मैंने तो मिसाल देकर के बतलाया कि एक दुकानदार जो है, अगर वह एक टोपी को पांच रुपये तीन आने में बेचता है जिसमें कि तीन आने अपने सेल्स टैक्स के वह खरीदने वाले से लेता है तो हमारे टर्न ओवर में वह तीन आने नहीं लिये जायेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण--अगर यही बात है, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बतलाया है तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

डिप्टी चेयरमैन--क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव वापस लिया जाय?

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खण्ड ३ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४--वर्तमान धारा ३-ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :--

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ३-ख का संशोधन।

"बदनी (भविष्य के मुआहिदों) के सौदों के विक्रय धन पर कर।

"३-ख--बदनी (भविष्य के मुआहिदों) के सौदों के सम्बन्ध में जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया जाता, किसी व्यापारी के विक्रय धन का हिसाब कर-निर्धारण और कर-भुगतान के प्रयोजनार्थ उसके शेष विक्रय धन से अलग लगाया जायगा और अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी उस पर कर लगाया जा सकेगा जो ऐसी दर से २ रुपया प्रति इकाई (यूनिट) से अधिक न हो, जैसा कि निर्धारित किया जाय, देय होगा।"

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खण्ड ४ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

सं० प्र० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ६ का निकाला जाना।

५--मूल अधिनियम की धारा ६ निकाल दी जायगी :

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ५ निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, यह जो संशोधन है तो जो रेलीवेन्ट सेक्शन प्रिंसिपल ऐक्ट का है, उसके अनुसार टर्न ओवर के सम्बन्ध में एक्जम्पशन दिया गया है। मसलन मान लिया जाय कि कानपुर की एक मिल है या कोई डीलर है और वह अपनी ब्रांच लखनऊ में सेट अप करना चाहता है और वह लाइसेन्स ले लेता है तो ऐसी हालत में जो सेल्स टैक्स होगा वह प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर या होल सेल डीलर ही अदा करेगा और इस तरह से जो एजेन्ट होगा वह कन्ज्यूमर्स से सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेगा तो इस तरह की सुविधायें प्रिंसिपल ऐक्ट में दी हुई हैं लेकिन जो मैं संशोधन चाहता हूं, वह यह है कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लाज रहेगा तो ज्यादा अच्छा है और जो अमेन्डिंग क्लाज है वह हटा दिया जायगा तो ऐसी हालत में जो इफेक्ट कन्ज्यूमर्स पर पड़ने वाला है, वह नहीं पड़ेगा। अगर उनसे सेल्स टैक्स लिया जायगा तो इसका परिणाम यह होगा कि मान लिया जाय कि कानपुर में कोई मैन्युफैक्चरर है या होलसेल डीलर है और उसने अपना एजेन्ट रख लिया जो कि जाकर कपड़ा बेचे या कोई चीज बेचे तो वह जब एजेन्सी ले लेता है और सेल्स टैक्स जो होगा वह ओरीजनली मैन्युफैक्चरर या होलसेल डीलर के टर्न ओवर में हो जायगा तो जो एजेन्ट है उसको टर्न ओवर देने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन अब अगर उससे यह अधिकार ले लिये जाते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि जो चीप रेट पर कन्ज्यूमर्स को कोई चीज मिल सकती है वह फिर नहीं मिलेगी और फिर एक दुकानदार की तरह हर शख्स पर सेल्स टैक्स लगा सकता है। फिर वह जाकर कन्ज्यूमर्स के ऊपर इफेक्ट करेगा इसलिये मैं समझता हूं कि जो मेरा संशोधन है, वह अपनी जगह पर सही है। अगर माननीय मन्त्री जी इसको उचित नहीं समझते हैं तो वह मुझे अच्छी तरह से समझायें वरना मेरी समझ में मेरा यह संशोधन मन्जूर होना चाहिए।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अगर आपके पास ऐक्ट है तो उसके सेक्शन ६ को मुलाहिजा फरमायें। सेक्शन ६ जो है वह इस अमेंडमेंट की रू से उसमें से निकाल दिया गया है तो इसमें अब किसी को लाइसेंस नहीं मिलेंगे और जो बाकी लाइसेंसी को जरूरत पड़ेगी वह सिर्फ वही हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं। उसकी वजह यह है कि जो असली ऐक्ट है उसकी रू से एक एजेन्ट के ऊपर भी टैक्स लगाने का हक था अब वह मौकूफ कर दिया जा रहा है। हम किसी आदमी के ऊपर जो कि एजेन्ट हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहते जब हम उससे टैक्स नहीं लेना चाहते तो उसको भी टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो वह चोरी करता है। हम तो जो प्रिंसिपल है उसी से टैक्स लेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण--लेकिन वह तो आखिर कन्ज्यूमर्स पर ही पड़ेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने कह दिया कि अगर वह ऐसा करता है तो चोरी करता है। इस कानून में एजेन्ट के खिलाफ लाइबिलिटी क्रियेटेड हैं उसको हम निकाले दे रहे हैं जब वह लाइबिलिटी कानून से निकाल दी गई तो फिर एजेन्ट से हम कोई टैक्स नहीं मांग सकते हैं और ऐसी हालत में उसको भी कोई हक नहीं है कि वह किसी से टैक्स ले।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--इस तरमीम की शायद जरूरत पड़ेगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो कुंवर साहब की गलतफहमी है। उनका ख्याल है कि जो सस्ती चीजें मिलती थीं वह इसकी रू से अब नहीं मिलेंगी तो इससे उसका कोई मतलब नहीं है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--एजेन्ट के रहने से वह प्रिंसिपल होलसेल डीलर या मैन्युफैक्चरर से लेकर जो चीज बेचेगा तो अगर आप इस एजेन्सी सिस्टम को हटा देंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि वह एक दुकानदार की हैसियत से बैठेगा और वहां से चीज लाकर बेचेगा। अगर वह दुकानदार की हैसियत से बेचता है तो स्पष्ट है कि वह उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करेगा और जब वह ऐसा करेगा तो उसका इफेक्ट कन्ज्यूमर्स पर पड़ेगा। अगर कानून में हम यह रहने देते हैं, कि जो मिल मालिक हैं उनसे वह उसी प्राइस पर कामोडिटी को हासिल कर सकता है और कोई टैक्स कन्ज्यूमर्स से नहीं लेगा और अगर एजेन्ट नहीं है तो वह दुकानदार की हैसियत से बेचेगा। इसलिये मेरी मन्शा दूसरी है और माननीय मन्त्री जी जो कुछ कहते हैं उनकी मन्शा दूसरी है। अगर वह दुकानदार की हैसियत से आता है तो फिर उसको इस हालत में टैक्स लेने का हक भी होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--हुजूर, यहां पर न मैं कोई सौदागर हूं और न आप ही कोई सौदागर हैं। हम जो काम करते हैं उसका सबूत हमारे पास है। चेम्बर आफ कामर्स ने इसका इस्तकबाल किया है लेकिन कुंवर साहब का जो मतलब है, वह मैं यही समझा कि जो एजेन्सी के खिलाफ लाइबिलिटीज हैं, उसको ऐक्ट में कायम रखना है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--जी हां, मेरा संशोधन का अभिप्राय यही है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--ऐसी हालत में मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खण्ड ५ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[कौंसिल की बैठक १ बजे स्थगित हो गई और २ बजकर ५ मिनट पर ऐक्टिंग चेयरमैन (श्री ज्योति प्रसाद गुप्त) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

खण्ड ६

६--मूल अधिनियम की धारा ७ में-- *सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ७ का संशोधन।*

(१) वर्तमान उपधारा (१) और पहिले प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :--

"(१) प्रत्येक व्यापारी, जिसे इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करना है, पूर्व वर्ष या कर-निर्धारण वर्ष के विक्रय-धन का ऐसा विवरण-पत्र return या ऐसे विवरण-पत्रों को जो ऐसी अवधि में लागू होता हो या होते हों, ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति में प्रमाणित (तसदीक) करके देगा जो निर्धारित की जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को जो केवल ऐसे माल का व्यापार करता है जिसके विक्रय-धन पर कर भुगतान करने का उसका दायित्व न हो, कोई विवरण-पत्र देने की आवश्यकता न होगी।"

(२) उपधारा (३) में शब्द "व्यापारी के पूर्व वर्ष के धनराशि" स्थान पर शब्द "व्यापारी का विक्रय-धन" रखा जाय।

ऐक्टिंग चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खण्ड ६ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

७--मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें ७-क, ७-ख और ७-ग बढ़ा दी जायं :-- *सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ७-क, ७-ख और ७-ग का बढ़ाया जाना।*

"७-क--(१) राज्य सरकार किसी व्यापारी या किसी व्यापारियों के वर्ग को धारा ७ में उल्लिखित विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों के अतिरिक्त कर-निर्धारण वर्ष के ऐसे भाग के विक्रय-धन का विवरण-पत्र, ऐसी अवधियों पर और ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाय, देने के लिये आदेश दे सकती है और कर-निर्धारण अधिकारी उक्त धारा के आदेशों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना, इस

कर–निर्धारण वर्ष के निर्धारित भाग के लिये विक्रय–धन का विवरण पत्र।

अधिनियम के आदेशानुसार जहां तक वे लागू हो सकते हों, वर्ष के भाग के सम्बन्ध में स्थायी रूप से (provisonal) कर निर्धारित कर सकता है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी व्यापारी के कर–निर्धारण वर्ष के भाग के लिये भी विवरण–पत्र देने के लिये कहा जाय और कर–निर्धारक अधिकारी ने ऐसे भाग के लिये स्थायी रूप से कर निर्धारित किया हो, तो इस प्रकार कर निर्धारित किये जाने के कारण पूरे वर्ष का कर–निर्धारण करने तथा पूरे वर्ष का विक्रय–धन पुनः निश्चित करने में कर–निर्धारक अधिकारी को कोई बाधा न होगी।"

किसी वर्ष में सभी कर–निर्धारणों में कर की दर या उससे मुक्ति समान होगी।

"७–ख(१) किसी विशेष कर–निर्धारण वर्ष में किसी माल या माल के वर्ग के विक्रय–धन के सम्बन्ध में कर की दर या उससे मुक्ति (exemption) उक्त वर्ष के सभी कर–निर्धारण में समान होगी, चाहे निर्धारित विक्रय–धन पूर्व वर्ष का हो या कर–निर्धारण वर्ष का हो।

(२) यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष के दौरान में किसी माल के वर्ग के विक्रय–धन के सम्बन्ध में कर की दर बदली जाय या ऐसे वर्ष के दौरान में धारा ४ के अधीन कोई मुक्ति दी जाय और नई दर या मुक्ति के प्रचलित होने के पहिले पूर्व वर्ष के विक्रय धन पर ऐसे वर्ष के लिये कोई कर निर्धारित किया जा चुका हो तो नई दर या मुक्ति को ध्यान में रख कर फिर से ऐसा कर निर्धारण किया जायगा।"

मृत व्यक्ति के कर का भुगतान उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जायगा।

"७–ग–(१) यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो उसका निष्पादक (executor) प्रशासक (administrator) या अन्य विधिक प्रतिनिधि (legal representative) ऐसे व्यक्ति द्वारा देय निर्धारित कर या कोई अर्थ दन्ड (penalty) जो यदि वह न मरा होता तो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय होता, मृत व्यक्ति की सम्पत्ति (estate) से उस सीमा तक, जहां तक व्यय सम्पत्ति से पूरा हो सकता है, भुगतान करेगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर धारा ७ के अनुसार जारी किये गये नोटिस, यदि कोई हो, के तामील होने के पूर्व मर जाय, तो उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि, पूर्वोक्त नोटिस तामील होने पर उसका पालन करेगा और कर–निर्धारक अधिकारी मृत व्यक्ति के विक्रय–धन पर उसी प्रकार कर–निर्धारण करेगा, मानो ऐसा निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति है जिस पर निर्धारित करना है।

(३) यदि कोई व्यक्ति धारा ७ के आदेशों के अधीन अपेक्षित विवरण–पत्र प्रस्तुत किये बिना या ऐसे विवरण–पत्र प्रस्तुत कर के, जिसके संबंध में कर–निर्धारक अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वह अशुद्ध या अपूर्ण है, मर जाय, तो कर–निर्धारक अधिकारी ऐसे व्यक्ति का विक्रय-धन निश्चित कर सकता है और ऐसे निश्चित किये गये विक्रय–धन के आधार पर उसके द्वारा देय कर निर्धारित कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये नोटिस द्वारा मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि से कोई लेखा, लेख–पत्र (document) या अन्य साक्ष्य, जिसे इस अधिनियम के आदेशों के अधीन मृत व्यक्ति से प्रस्तुत करने के लिये कहता, प्रस्तुत करने के लिये आदेश दे सकता है।

(४) उपधारा (१) से (३) तक आदेश किसी भागीदारी (partnership) फर्म पर, जिसके एक या एक से अधिक भागीदार मर गये हों, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(५) धारा ९, १० और ११ के अधीन अपील, निरीक्षण (revision) और समाधान (reference) से सम्बद्ध आदेश इस धारा के अनुसार किये गये कर-निर्धारण पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानो पूर्वोक्त निष्पादक, प्रशासक अथवा विधिक प्रतिनिधि स्वयं ही व्यापारी है।"

श्री कुंवर गुरु नारायण--

Sir, I beg to move that in Clause 7—C(1) *delete* the words beginning with "or" in the beginning of last but one line up to the end of the para.

श्रीमन्, यह जो अमेन्डिंग बिल है इसमें ७-सी इस प्रकार है:--

"Where a person dies, his executor, administrator or other legal representative shall be liable to pay out of the estate of the deceased person to the extent to which the estate is capable of meeting the charge, the tax assessed as payable by such person, or any penalty which would have been payable by him under this Act, if he had not died."

श्रीमन्, यह एक सीधी सी बात है कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो फिर उसके बाद उससे जितना उसका एरीयर्स टैक्सेज वसूल करेंगे किसी हद तक सही है, लेकिन उसके बाद जो पेनालिटी इम्पोज की गयी है तो मैं समझता हूं कि कम से कम कोई सुभीता होना चाहिये। उसके सक्सेसर्स पर इसका गुनाह क्यों लादा जाय। उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया। वे पेनालिटी भी देते हैं तब जब उनका आदमी भी जिन्दा नहीं रहता है तो मैं समझता हूं कि यह सही चीज नहीं है। जो स्टेट ड्यूटी लग चुकी है उसमें काफ़ी देना पड़ेगा। इन्हीं कारणों से मैं समझता हूं कि कम से कम जहां तक उस पेनालिटी का संबंध है इस क्लाज से ओमिट कर देना चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, यह पेनालिटी किसी आदमी के मर जाने के बाद उसके रिप्रेजेन्टेटिव से उस वक्त वसूल होगी कि जब वह पेनालिटी उस पर वाजिब हो चुकी होगी। अगर किसी आदमी पर पेनालिटी वाजिब नहीं हुई है तब तो उसकी वसूलयाबी का उसके बाद कोई सवाल ही नहीं उठता लेकिन जिस आदमी पर पेनालिटी वाजिब हो गई है, उस पेनालिटी का, उसके असेट्स से उस शख्स के जिसके खिलाफ पेनालिटी वाजिब हुई थी, वसूल करना न कोई खिलाफ इन्साफ बात है और न कोई खिलाफ क़ानून बात है। इसलिये कि किसी मरे हुए आदमी के वारिसों के ऊपर कोई लायबिलिटी ऐसी नहीं लादी जा सकती जो उनकी जात पर पड़ सकती हो या खुद उनके अपने माल पर पड़ सकती हो, लेकिन वह उस माल से वसूल की जा सकती है जो शख्स कि छोड़ कर मरा है और जिस माल पर वह लायबिलिटी है। तो इसकी वसूलयाबी के अंदर एतराज होना या उसकी वसूलयाबी के लिये जो तरीक़ा इसमें लिखा गया है वह यह माने रखता है कि जिस आदमी पर पेनालिटी लगी अगर वह मर जाय तो उससे वसूलयाबी नहीं हो सकती। यह तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों न वसूलयाबी की जाय उसके माल से जब कि वह अपना माल छोड़ गया है। ऐसी बात तो मैंने उन तकरीरों में भी नहीं सुनी जो कि इस अमेंडमेंट के फेवर में हुई हैं। इसलिये यह अमेंडमेंट मंजूर करने के क़ाबिल नहीं हो सकता।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यह पेनालिटी जो है वह उसके माल पर है। मैं उसको इस तरह से नहीं देखता। मैं तो इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि यह पेनालिटी जो आप वसूल कर रहे हैं यह उसके किये हुए गुनाह की पेनालिटी है और जो चीज इसमें हम देखते हैं वह यह कि गुनाह कोई दूसरा करे और पेनालिटी हम उठायें, यह कहां का इंसाफ है? इंसाफ की बात तो जो माननीय मंत्री जी ने कही तो जहां तक उसके एरियर्स का ताल्लुक़ है, उसके टैक्सेज का और उनके वसूल होने

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

का, उसके संबंध में तो मैं कह सकता हूं कि साहब, इंसाफ यह कहता है कि अगर उसने कोई एरियर छोड़ा इस प्रकार का जो कि वाजिब है गवर्नमेंट को मिलने का, वह मिले, लेकिन अगर कोई गुनाह हुआ और उसके लिये कोई पेनालिटी उसके ऊपर लगाई गई तो उसके गुनाह का खामिआजा उसके सक्सेसर उठायें यह इंसाफ नहीं। इंसाफ तो यह है कि जिसका सिन है उसको सजा मिले उसकी सजा उसके सक्सेसर को नहीं मिलनी चाहिये और इसी उद्देश्य से मैंने इसको रक्खा और दूसरी सब से बड़ी चीज यह है कि गवर्नमेंट हमारे यहां स्टेट ड्यूटी लगा रही है वह तो देना ही पड़ेगा। तो अगर मैं थोड़ी सी सहूलियत पाने के लिये आपसे रिक्वेस्ट करूं कि कम से कम मरने के बाद उसकी पेनालिटी को तो आप माफ कर दीजिये क्योंकि जो दूसरे आदमी होंगे उनका इसमें कोई क़सूर न होगा तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी जगह पर इंसाफ ही की दरख्वास्त गवर्नमेंट से करता हूं और यह गैर इंसाफी होगी अगर पेनालिटी की सजा किसी भी सक्सेसर को दी जायगी। तो इसलिये मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी से कि वह, जिस दृष्टिकोण से मैंने इस संशोधन को रक्खा है, उसको देखें। यह तो रेगुलर टैक्सेशन की मद भी नहीं है, यह कोई रेगुलर रेवेन्यू भी नहीं है और इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क़ भी नहीं पड़ता है। यह तो अकस्मात किसी काम की पेनालिटी है और इसको आसानी से माफ किया जा सकता है और ऐसा करने से उसका बोझ उसके सक्सेसर पर नहीं पड़ेगा। मुझे यही कहना है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बहर हाल अगर सारा बोझ सक्सेसर पर पड़ता है तो मैं इसको खुशी से मंजूर करता हूं। मैं कुंवर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कुंवर साहब का मुझसे कोई मुआहिदा हो और मैं उसको खिलाफ वरजी कर दूं तो कुंवर साहब उसको माफ कर देंगे या अगर मैं मर जाऊं तो मेरे माल से उसको वसूल करना इंसाफ होगा या नाइन्साफी होगी। तो जब उनके वसूल करने में वह इंसाफ है और क़ानून है तो गवर्नमेंट को डिसएडवान्टेज में रखा जाय यह कहां का इंसाफ होगा। कुंवर साहब खुद तो वसूल कर सकते हैं मगर गवर्नमेंट नहीं वसूल कर सकती है। कुंवर साहब अगर किसी की पेनालिटी को माफ कर दें, जैसे किसी के खिलाफ कुंवर साहब को ५ हजार रुपये की डिग्री मिल जाय और उसके मर जाने के बाद कुंवर साहब उसकी जायदाद से वसूल न करें, उसे माफ कर दें तब तो मैं भी मान सकता हूं वरना नहीं मान सकता। इसलिए कि सवाल प्रिन्सिपुल का है कि अगर एक शख्स पर रुपया वाजिब होगा तो वह उसकी असेट से वसूल कर ले लेकिन गवर्नमेंट को यह हक़ हासिल न हो। तो मैं इसे कैसे मान लूं, मैं तो क्या, कोई भी इसको नहीं मान सकता। उसूल की निगाह में सब एक हैं। इसलिए यह कहना कि उसकी सजा एक उस आदमी को दी जा रही है जिसने गुनाह नहीं किया है ग़लत होगा। यहां सवाल उसकी असेट का है कि जिसके ऊपर पेनालिटी की गई हो। मैं उसूल के खिलाफ किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता।

डेप्टिंग चेयरमैन---प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड ७-ग (१) की चौथी पंक्ति से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं---"या कोई अर्थ-दंड (पेनालिटी) जो यदि वह न मरा होता तो"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद---मैं अपने किसी भी संशोधनों को पेश नहीं करना चाहता।

डेप्टिंग चेयरमैन---प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड ८—११

८—(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ८ को धारा ८ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय और उसमें शब्द "उसी प्रकार वसूल की जायगी मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) हो" के स्थान पर शब्द "उपधारा (२) के अनुसार वसूल की जा सकेगी" रखा जायगा । सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ८ का संशोधन

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जायगा—

"(२) कोई कर अथवा अन्य शेष धनराशि (due) जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय हो, उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह मालगुजारी का शेष बकाया (as arrears of land revenue) हो।"

९—मूल अधिनियम की धारा ८-क में निम्नलिखित उपधारा (३-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ८ का संशोधन

"(३-क) उपधारा (३) के अधीन किसी क्रेता (purchaser) से कर वसूल करने के प्रयोजनों के लिये कोई रजिस्टर्ड व्यापारी मूल्य में आठ आना तक रुपये की भिन्न (fraction of a rupee) की गणना नहीं करेगा और आठ आना से अधिक भिन्न की एक रुपया मान कर गणना करेगा।"

१०—मूल अधिनियम की धारा ९ में— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ९ का संशोधन

(१) वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(१) कोई व्यापारी, जो धारा १५-क के अधीन अर्थदंड लगाने वाली आज्ञा अथवा धारा ७, ७-क, ७-ख, १८ या २१ के अधीन निर्धारित करके विरुद्ध आपत्ति करता है, आज्ञा की प्रतिलिपि अथवा कर-निर्धारण का नोटिस, जैसी भी दशा हो, के तामील होने के दिनांक से ३० दिन के भीतर ऐसे अधिकारी के सामने अपील कर सकता है, जो निर्धारित किया जाय।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील गृहीत (entertain) न होगी यदि उसके साथ इस बात का संतोषप्रद प्रमाण न होगा कि अपीलकर्ता (appellent) ने उतने कर का, जिसका दायित्व वह मानता हो, अथवा उसकी ऐसी क़िस्तों का, जो देय हो गई हो, भुगतान कर दिया है।

दूसरा प्रतिबंध यह है कि अपील सुनने वाला अधिकारी किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग न करेगा और न किसी ऐसे अन्य कार्य का सम्पादन करेगा, जो ऐसे अधिकारी की हैसियत से उसे दिये या सौंपे न गये हों।"

(२) उपधारा (३) में वाक्य-खंड (ख) के अन्त के पूर्ण विराम के स्थान पर अर्द्ध-विराम रखा जाय, जिसके बाद शब्द "अथवा" होगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित एक नया वाक्य-खंड (ग) बढ़ाया जायः—

"(ग) अर्थदंड लगाने वाली आज्ञा का समर्थन (confirm) कर सकते हैं या उसे निरस्त (cancel) कर सकते हैं या लगाये गये अर्थदंड की धनराशि को कम कर सकते हैं।"

(३) उपधारा (५) के बाद निम्नलिखित उपधारा (६) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

[खंड १०]

"(६) इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली अपीलों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १८०८ की धारा ५ लागू होगी।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १० का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा १० में—

(१) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(३) फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी (revising authority) किसी भी समय स्वतः (*suo motu*) अपने विवेक से (in his discretion) या बिक्री कर कमिश्नर या असंतुष्ट व्यक्ति की प्रार्थना पर इस अधिनियम के अनुसार किसी अपील सुनने वाले अधिकारी या कर-निर्धारक अधिकारी की किसी आज्ञा का लेखा (record) आज्ञा के विधान युक्त या उचित होने के संबंध में अपने को सन्तुष्ट करने के लिये मांग सकता है तथा उसकी जांच कर सकता है और ऐसी आज्ञा, जिसे वह उचित समझे, दे सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी मामले में कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र गृहीत न किया जायगा यदि ऐसी आज्ञा के विरुद्ध अपील हो सकती हो, किन्तु की न गई हो।"

(२) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३-क) और (३-ख) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(३-क) उपधारा (३) के अधीन दी गई आज्ञा की एक प्रतिलिपि प्रार्थी पर तामील की जायगी।"

"(३-ख) उपधारा (३) के अधीन प्रार्थना-पत्र उस आज्ञा के तामील होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर दिया जायगा, जिसके संबंध में आपत्ति की गई हो, किन्तु फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी (revising authority) पर्याप्त कारणों के प्रमाण पर किसी प्रार्थना-पत्र को और अधिक ६ माह के अवधि के भीतर गृहीत (entertain) कर सकता है।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ११ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"हाई कोर्ट के मामले का विवरण।"

"११—(१) धारा १० की उपधारा (३) के अधीन आज्ञा के तामील होने के दिनांक से एक सौ बीस दिन के भीतर, असन्तुष्ट व्यक्ति लिखित प्रार्थना-पत्र द्वारा जिसके साथ १०० रु० शुल्क (फीस) दिया जायेगा, फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी से प्रार्थना कर सकता है कि वह उक्त आज्ञा से उत्पन्न होने वाले किसी कानूनी प्रश्न को समाधान (reference) के लिये हाई कोर्ट को भेज दे और फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी, यदि वह प्रार्थना-पत्र को गृहीत करने से इन्कार न कर दे, ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने से एक सौ बीस दिन के भीतर मामले का विवरण तैयार करेगा और समाधान के लिये हाई कोर्ट को भेज देगा।

(२) यदि फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी उपधारा (१) के अधीन मामले को समाधान के लिये भेजने से इन्कार करे तो वह प्रार्थी

को नोटिस द्वारा तदनुसार सूचित करेगा और तब प्रार्थी उक्त इन्कार का नोटिस पाने के दिनांक से ३० दिन के भीतर अपना प्रार्थना-पत्र वापस ले सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो शुल्क (फीस) उसे लौटा दिया जायगा।

(३) उपधारा (१) के आदेश इस परिवर्तन के साथ बिक्री-कर कमिश्नर पर भी लागू होंगे कि उसके लिये कोई शुल्क (फीस) जमा करना आवश्यक न होगा।

(४) यदि उपधारा (१) या (३) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी इस आधार पर मामले का विवरण देने से इन्कार करे कि उसमें कोई कानूनी प्रश्न नहीं उत्पन्न होता तो असन्तुष्ट व्यक्ति या बिक्री कर-कमिश्नर यथास्थिति, उस पर उक्त इन्कार का नोटिस तामील किये जाने से नब्बे दिन के भीतर हाई कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दे सकता है और हाई कोर्ट, यदि इस बात से सन्तुष्ट न हो कि फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी का निर्णय सही था, फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी से कह सकता है कि वह मामले का विवरण समाधान के लिये भेज दे और इस आदेश के प्राप्त होने पर फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी मामले का विवरण देगा और उसे समाधान के लिये भेजेगा।

(५) यदि हाई कोर्ट को इस बात का संतोष नहीं होता कि इस धारा के अधीन समाधान के लिये भेजे हुये मामले का विवरण इस बात के लिये पर्याप्त है कि वह उसके आधार पर उठाये गये प्रश्न का निर्णय कर सके, तो वह उस विवरण में ऐसी बातें सम्मिलित करने और उसमें ऐसे परिवर्तन करने के लिये जैसा कि उक्त कोर्ट निदेश दे, उस विषय को फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी के पास वापस भेज सकता है।

(६) किसी ऐसे मामले की सुनवाई करके हाई कोर्ट उसमें उठाये गये कानूनी प्रश्न का निर्णय करेगा और उसके संबंध में अपनी तजवीज देगा जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया जायगा जिनके आधार पर उक्त निर्णय किया गया है और उस तजवीज की एक प्रति फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी तथा बिक्री-कर कमिश्नर के पास भेजेगा, जिस पर न्यायालय की मुहर लगी होगी और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे और तदुपरान्त फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी उस मामले के उक्त तजवीज के अनुरूप निबटारे के लिये ऐसी आज्ञायें देगा जो आवश्यक हों।

(७) जब कोई मामला इस धारा के अधीन समाधान (reference) के लिये हाई कोर्ट को भेजा गया हो, तो उसका व्यय दिलाना जिसमें उपधारा (१) में निर्दिष्ट शुल्क सम्मिलित है, हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर होगा।

(८) फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी की आज्ञा के अनुसार देय करों की उस धनराशि का, यदि कोई हो, भुगतान जिसके संबंध में उप-धारा (१) या (३) के अधीन समाधान के लिये प्रार्थना-पत्र भेजा गया हो, उक्त समाधान के विचाराधीन होने तक स्थगित न किया जायगा, किन्तु यदि उक्त समाधान (reference) के परिणामस्वरूप वह धनराशि कम कर दी जाय तो भुगतान किया हुआ अधिक कर व्याज सहित, जिसकी दर २ प्रतिशत से अधिक न होगी जैसा भी हाई कोर्ट दिलाये लौटा दिया जायगा।

(९) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५, उप-धाराएं (१) (३) और (४) के अधीन प्रार्थना-पत्रों पर लागू होगी।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ई० की धारा १२ का संशोधन।

१३--मूल अधिनियम की धारा १२ में शब्द "तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसको धारा ६ के अधीन लाइसेंस दिया गया हो" के स्थान पर शब्द "जिसमें कोई ऐसा व्यापारी भी सम्मिलित है जो उक्त अधिनियम के किसी आदेश के अधीन शुल्क देने पर कर से मुक्त कर दिया गया हो," रखे जायं।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १३ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"लेखों को दिखाने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार"

"१३--(१) कोई ऐसा अधिकारी जिसका पद कर-निर्धारक अधिकारी से निम्न न हो और जिसको राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिकार दिया हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यापारी को यह आदेश दे सकता है कि वह उसके सामने ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखे उपस्थित करे जिनका संबंध उसके व्यवसाय से हो और उक्त अधिकारी उनका निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है तथा उनकी प्रतिलिपि ले सकता है और व्यापारी से उसके व्यवसाय के संबंध में ऐसी जांच कर सकता है जो आवश्यक हों।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष से ४ वर्ष पूर्व से अधिक की अवधि की बहियां, लेख-पत्र या लेखे तलब नहीं किये जायेंगे जब तक कि किसी विशेष स्थिति में, जिसके लिये कारण अभिलिखित करने होंगे, उक्त अधिकारी उनका तलब किया जाना आवश्यक न समझे।

(२) ऐसी सब बहियां, लेख-पत्र और लेखे, जिनको कोई व्यापारी अपने व्यवसाय के संबंध में साधारणतया रखता हो, माल जो उसके पास हों और उसका कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र (vessel) अथवा गाड़ी सब यथोचित समयों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिये प्राप्य रहेंगे जिनको राज्य सरकार इस संबंध में अधिकार दे।

(३) उप-धारा (२) के अधीन अधिकार-प्राप्त कोई अधिकारी उक्त उपधारा में उल्लिखित किसी भू-गृहादि (premises) यान-पात्र (vessel) या गाड़ी में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सब यथोचित समयों पर प्रवेश कर सकता है।

(४) यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा (custody) या नियंत्रण में ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखा हो जिसके निरीक्षण का अधिकार उप-धारा (२) के अधीन किसी अधिकारी को दिया गया है, ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखे को निरीक्षण के लिये उपस्थित करने से अनुचित रूप से इन्कार करे या जानबूझ कर उपस्थित न करे या बनावटी दूसरा लेखा रखे या यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो कोई ऐसी सूचना दे सकता है जो इस धारा के अधीन आवश्यक हो, उक्त सूचना देने के लिये कहे जाने पर अनुचित रूप से इन्कार करे या जान बूझ कर न दे, या जानबूझ कर ऐसी सूचना प्रस्तुत करे जो किसी महत्वपूर्ण विवरण-पत्र के संबंध में असत्य हो, तो प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी ठहराये जाने पर उसे अर्थदंड दिया जा सकेगा जो १,००० रु० से अधिक न हो।

(५) यदि बिक्री-कर कमिश्नर के पास ऐसा विश्वास करने के लिये यथोचित कारण हों कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन किसी बिक्री-कर के भुगतान के दायित्व से बचने का प्रयत्न कर रहा है, और यह कि उसके दायित्व के जांच के प्रयोजनों के लिये आवश्यक कोई बात किसी लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्रों में प्राप्त की जा सकती है, तो वह ऐसे कारणों सहित लिखित आज्ञा द्वारा किसी कर-निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि वह उक्त व्यापारी के किसी कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी में प्रवेश करे और ऐसे लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र पर अपना अधिकार कर ले जो आवश्यक हों। उक्त लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र पर अधिकार करने वाला अधिकारी उनके लिये तुरन्त रसीद देगा और वह उनसे ऐसी प्रतिलिपियां या उद्धरण लेने के बाद, जो आवश्यक समझी जायं, इस प्रकार अधिकार करने के दिनांक से १५ दिन की अवधि के भीतर उन्हें उस व्यापारी या व्यक्ति को लौटा देने के लिये बाध्य होगा जिसकी अधिरक्षा से लेकर उन पर अधिकार किया गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त व्यापारी उस लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र के लिये, जो उसे लौटाया जाय, लिखित रसीद दे। कर-निर्धारण अधिकारी उक्त व्यापारी को लेखा, खाता (रजिस्टर) या लेख-पत्र लौटाने के पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है, और अपनी सरकारी मुहर लगा सकता है, और ऐसी दशा में व्यापारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अपनी दी हुई रसीद में उन स्थानों की संख्या का उल्लेख करे जहां पर कर-निर्धारक अधिकारी की मुहर या हस्ताक्षर, या दोनों ही प्रत्येक लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र में लगाये गये हों।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १४ का संशोधन।

१५——मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नांकित रखा जायः-

"१४——किसी ऐसे व्यक्ति को जो——

अपराध तथा दण्ड

(क) जानबूझकर असत्य विवरण-पत्र प्रस्तुत करे, अथवा ऐसा विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे जो इस अधिनियम के आदेशों के अधीन अथवा तदधीन निर्मित नियमों के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक हो; अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन उस पर लगाया गया कर नियत समय के भीतर जानबूझ कर न दे या देने से बचे; अथवा

(ग) किसी ऐसे अधिकारी को, जिसे धारा १३ के अधीन अधिकार दिया गया हो, किसी भू-गृहादि, यान-पात्र या गाड़ी में प्रवेश न करने दे अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अधिकारी को उसके कर्त्तव्य पालन के संबंध में निरीक्षण करने से रोके या उसमें बाधा डाले; अथवा

(घ) जानबूझ कर इस अधिनियम के या तदधीन निर्मित नियमों के आदेशों का उल्लंघन करे; अथवा

(ङ) किसी ऐसे माल की बिक्री पर, जो धारा ४ के या उसके अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति के अधीन बिक्री-कर से मुक्त कर दिया गया हो, बिक्री-कर मांगे या वसूल करे, या इस अधिनियम के आदेशों के अधीन देय कर से, अधिक दर से कर मांगे या वसूल करे।

[खंड १५]

प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी ठहराये जाने पर, किसी अन्य कानून के अधीन जो उस समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर बिना किसी विपरीत प्रभाव के ऐसा अर्थ-दंड दिया जा सकेगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है और यदि अपराध बराबर होता रहे, तो और भी अधिक अर्थ-दंड दिया जा सकेगा जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अपराध बराबर होता रहे, ५० रु० तक हो सकता है।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० में एक नयी धारा १५-क क बढ़ाया जाना

१६--मूल अधिनियम की धारा १५ के बाद निम्नांकित एक नयी धारा १५-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"१५-क--(१) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान में इस बात का संतोष हो जाय कि--

वितरण न प्रस्तुत करने के लिए दण्ड।

(क) किसी व्यापारी ने बिना यथोचित कारण के अपने विक्रय-धन का विवरण-पत्र जिसे उसे धारा ७ के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक था, प्रस्तुत नहीं किया है अथवा बिना यथोचित कारण के नियत समय के भीतर तथा निर्धारित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा

(ख) अपने विक्रय-धन के व्योरों को छिपाया है अथवा जानबूझ कर ऐसे विक्रय-धन के ठीक-ठीक व्योरे प्रस्तुत नहीं किये हैं, अथवा

(ग) बिना यथोचित कारण के, नियत समय के भीतर, उस पर निर्धारित किये गये कर का भुगतान नहीं किया है, तो वह यह निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी, दंड के रूप में, वाक्य-खंड (क) और (ग) में अभिलिखित दशाओं में, उसके द्वारा देय-कर की धनराशि के अतिरिक्त, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो यदि कर की राशि १०,००० रु० तक हो तो देय कर के २५% से और यदि कर की राशि १०,००० रु० से अधिक हो तो देय कर के ५०% से अधिक न होगी, और वाक्य खंड (ख) में अभिलिखित दशाओं में, उनके द्वारा देय किसी कर के अतिरिक्त ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो कर की उस धनराशि के डेढ़ गुना से अधिक न होगी, जिसके भुगतान से वह बच जाता यदि वह विक्रय-धन, जिसको ऐसे व्यापारी ने विवरण-पत्र में दिया था, सही विक्रय-धन के रूप में मान लिया गया होता।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वोक्त खंड के अधीन कोई अर्थ-दंड (पेनाल्टी) न लगाया जायगा :

(१) जब तक कि व्यापारी को सूचना न दे दी गयी हो, और

(२) खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों की स्थिति में, जब तक कि धारा ७ के अधीन अपेक्षित विवरण-पत्र (रिटर्न्स) प्रस्तुत करने के दिनांक के पश्चात् साठ दिन की अवधि व्यतीत न हो गयी हो।

(२) कोई भी धनराशि जो उपधारा (१) के आदेशों के अधीन दंड के रूप में लगाई गई हो, उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) हो, यदि उसका भुगतान, ऐसे समय के भीतर, जो दंड लगाये जाने के दिनांक से तीस दिन से कम न होगा, जैसा कि कर-निर्धारक अधिकारी अनुज्ञात करे, नहीं किया जाता।

(३) उप-धारा (१) के अधीन उस समय तक कोई आज्ञा नहीं दी जायगी, जब तक व्यापारी की सुनवाई न कर ली जाय अथवा उसकी सुनवाई के लिये यथोचित अवसर न दे दिया जाय।

(४) धारा १४ के अधीन कोई अभियोग (Prosecution) उन्हीं बातों के संबंध में नहीं चलाया जायगा, जिनके लिये इस धारा के अधीन कोई दंड लगाया जा चुका हो।

(५) कर-निर्धारक अधिकारी, बिक्री-कर कमिश्नर अथवा किसी ऐसे अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, जिसे राज्य सरकार ने सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया हो, इस धारा के अधीन कोई दंड नहीं लगायेगा।

(६) इस धारा के आदेश, आवश्यक परिवर्तनों के साथ (*mutatis mutandis*) धारा ७-ग में अभिलिखित निष्पादन (executor), प्रबन्धक तथा विधिक प्रतिनिधि पर भी लागू होंगे।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १८ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा १८ में :—

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) उस दशा में जब किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में ऐसा परिवर्तन हुआ हो अथवा व्यापार बन्द हो गया हो, और व्यापारी पर पूर्व वर्ष के विक्रय-धन के आधार पर ऐसे वर्ष के लिये कर-निर्धारित किया गया हो, तो निर्धारित कर अनुपातत: कम कर दिया जायेगा।"

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(३) (क) प्रत्येक व्यापारी अथवा पुनर्निर्माणित फर्म, जिसने किसी कर-निर्धारण वर्ष के बीच व्यापार आरम्भ किया हो, और जिसका अनुमानित मासिक औसत विक्रय-धन वर्ष की शेष अवधि के लिये कम से कम एक हजार रुपया हो, अथवा उससे उतनी बड़ी धनराशि का १/१२ हो, जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबंधात्मक वाक्य के अधीन निर्धारित की गयी हो, उस मास के समाप्त होने से ३० दिन के भीतर जिसमें वह व्यापार आरम्भ किया गया था, इस बात की सूचना कर-निर्धारक अधिकारी को दे देगा और साथ ही अपने विक्रय-धन का एक विवरण-पत्र ऐसे रूप में, ऐसी अवधि पर और ऐसी रीति से प्रमाणित करके देगा, जो निर्धारित किये जायं।

(ख) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, संतोष हो जाय कि वाक्य खण्ड (क) के अधीन दिया गया विवरण-पत्र या दिये गये विवरण-पत्र सही और पूर्ण हैं, और यह कि औसत मासिक विक्रय-धन उस धनराशि से कम नहीं है, जो उपर्युक्त वाक्य खंड (क) के अनुसार हिसाब लगाकर आती है, तो वह उक्त व्यापारी पर

[खंड १७]

उस कुल विक्रय-धन के संबंध में, जो विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों में दिखाया गया हो, कर निर्धारित करेगा।

(ग) यदि कोई व्यापारी वाक्यखंड (क) के अधीन उसके लिए नियत अवधि के भीतर कोई विवरण-पत्र नहीं प्रस्तुत करता अथवा यदि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विवरण-पत्र अशुद्ध अथवा अपूर्ण प्रतीत हो, तो कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात्, जिसको वह आवश्यक समझे, व्यापारी के विक्रय-धन को अपने विवेक-बुद्धि के अनुसार निश्चित करेगा और वह देय-कर को, यदि कोई हो, निर्धारित कर सकता है, किन्तु यह प्रतिबंध सदैव रहेगा कि यदि कर-निर्धारण वर्ष के अन्त में, औसत मासिक विक्रय-धन, वाक्य-खंड (क) में निर्दिष्ट धनराशि से कम पाया जाय, तो भुगतान किया गया कर लौटा दिया जायगा, सिवाय उस धनराशि के जिसके जमा करने का दायित्व व्यापारी पर धारा ८-क की उपधारा (४) के अधीन आता हो।"

(३) उपधारा (४) निकाल दी जाय।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा २१ का संशोधन।

१८--मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

'उस विक्रय धन पर जिस पर वर्ष के भीतर कर निर्धारित न किया गया हो कर निर्धारित करना।

"२१--यदि किसी भी कारण से किसी वर्ष में किसी व्यापारी के विक्रय-धन के पूरे अथवा थोड़े भाग पर कर लगने से रह गया हो, तो कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसे वर्ष के समाप्त होने से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय और व्यापारी को नोटिस देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करके, जो आवश्यक हो, ऐसे विक्रय-धन पर देय-कर निर्धारित कर सकता है।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा २४ का संशोधन।

१९--(१) मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) में वाक्य-खंड (ङ) के बाद शब्द "तथा" निकाल दिया जाय और वाक्य खंड (च) के बाद निम्नलिखित नये वाक्यखंड (छ) और (ज) जोड़ दिये जायं :--

"(छ) धारा ८-क की उपधारा (४) के अधीन जमा की गयी धनराशियों की वापसी (refunds), ऐसी वापसियों (refunds) के लिये प्रतिक्रिया तथा वह अवधि जिसके भीतर वे की जा सकती हैं; और

(ज) ऐसे विषय जिनको निर्धारित करना है अथवा जिनको निर्धारित किया जा सकता है।"

एक्टिंग चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ८ से लेकर १९ तक विधेयक का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड-१

यह आवश्यक है कि इसमें आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट १९४८ ई० में और संशोधन किया जाय :

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, १९५४ होगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

एक्टिंग चेयरमैन--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खंड १ विधेयक का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--

Sir, I move that the Uttar Pradesh Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1953, as passed by the U. P. Legislative Assembly, be passed.

*श्री हरगोविन्द मिश्र (नाम निर्देशित)--सम्माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं। इस बात की परमावश्यकता है कि सरकार को पूरा-पूरा टैक्स मिले। पूरा टैक्स मिलने से ही निर्माण के कार्य हो सकते हैं और जनता का जीवन आगे चलकर सुखमय बन सकता है। इस बिल में एक बड़ी कमी पूरी की गई है वह कमी यह है, दूसरे प्रदेशों से जो माल बनकर अब तक हमारे यहां आता था उसमें प्रायः और बहुतायत से टैक्स फ्री निकल जाता था। हमारे माननीय वित्त मंत्री को यह शिकायत रही है कि मुझे केवल ५ करोड़ रुपया ही सेल्स टैक्स से मिलता है। जब कि मद्रास जैसे प्रान्त में भी १५,१६ करोड़ रुपया मिलता है। मेरा निवेदन यह है कि यदि सेल्स टैक्स को सुचारु रूप से चलाया जाये और उसके अन्दर जितने छिद्र हैं वह बन्द कर दिए जायें तो सेल्स टैक्स की मद से काफी आय गवर्नमेंट को हो सकती है। यद्यपि इस बिल के द्वारा यह प्रयत्न किया गया है कि वह छिद्र बन्द हो जायें और सरकार को काफी कर मिले मगर मेरी राय में अभी भी उस मार्ग में पर्याप्त कदम हम लोगों ने नहीं उठाये हैं। मेरा ख्याल है कि इस बिल के पास होने पर भी छिद्र उसमें काफी रहेंगे और बावजूद इसके कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े सुयोग्य आफिसर्स हैं, मिस्टर दास, मिस्टर सिद्दीकी ये ऐसे आफिसर्स हैं जो ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलेंगे। परन्तु वह बेचारे क्या करें। संस्कृत में एक कहावत है जिसका अर्थ यह है कि धन का मामला ऐसा है कि उसके सम्पर्क में जहां आदमी आया तो आदमी तो क्या ऋषि-मुनियों का भी मन डिग जाता है। अगर लूप होल्स छोड़ देंगे तो जरूर कुछ आदमी ऐसे मिलेंगे जो पूरा-पूरा फायदा उठायेंगे। अब देखिए माल चलता है रेल से अथवा ट्रक से, तो मेरा निवेदन यह है कि रेलवे रसीद पर ही अगर सेल्स टैक्स वसूल कर लिया जाये तो सरकार को काफी आमदनी हो सकती है, और किसी को शिकायत भी नहीं होगी। अभी तो सब से बड़ी शिकायत जो है वह यह है कि एक आदमी पर सेल्स टैक्स पड़ता है तो दूसरे पर नहीं। तो जो आदमी आनेस्ट हैं और सेल्स टैक्स देते हैं उनकी दुकानदारी बन्द हो जायगी और जो सेल्स टैक्स नहीं देते हैं और बेईमानी करते हैं वह सस्ता माल होने की वजह से

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हर गोविन्द मिश्र]

अपना माल बेंच लेंगे और इस तरह से गवर्नमेंट को नुकसान भी होगा। इसलिये वित्त मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि जैसे भी हो कोई ऐसा नियम बनावें कि रेलवे रसीद पर ही सेल्स टैक्स वसूल कर लिया जाय। यह तो हुआ रेल से आने वाले माल के लिये, अब रहा सड़क से आने वाले माल के बारे में। सड़क से आने वाला माल जो है वह टैक्सी के जरिये से आता है। टैक्सी वाले भी रसीद काटते हैं। तो उस रसीद पर भी सेल्स टैक्स वसूल किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि रेलवे रसीद पर सेल्स टैक्स वसूल करने में दिक्कत होगी। मैं यह नहीं मान सकता। आखिर चुंगी भी तो वसूल की जाती है। चुंगी का एक क्लर्क बैठा रहता है और वह वसूल कर लेता है। कर देने में किसी को आपत्ति नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि कर लिया जाय और थोड़े से लोग अगर नहीं चाहते हैं या झूठी किताबें रखते हैं तो उसके माने यह नहीं हैं कि सभी ऐसा करते हैं। मेरे एक मित्र ने कहा कि बाजार में लोग दो-दो किताबें रखते हैं। मुझे खेद है कि उन्होंने ऐसी बात कही है। सभी फिरकों में अच्छे और बुरे आदमी होते हैं, अच्छे आदमी अच्छा काम करते हैं और बुरे आदमी बुरा काम करते हैं मगर यह कह देना कि सभी बुरे हैं, यह ठीक नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं। रेलवे रसीद द्वारा सेल्स टैक्स वसूल हो सकता है और उस पर किसी को शिकायत न रहेगी। सम्भव है गवर्नमेंट आफ इंडिया की इस विषय में आपको कुछ हेल्प लेनी पड़े। मैं समझता हूं कि अगर ठीक-ठीक रिप्रेजेन्टेशन किया जाय तो वह जरूर इस बात को मान लेंगे। इसमें न केवल प्राविंशियल गवर्नमेंट को नुकसान है बल्कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी नुकसान है क्योंकि जो आदमी सेल्स टैक्स नहीं देता है वह इन्कम टैक्स भी नहीं देता है तो इस तरह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है। हम लोग यानी व्यापारी वर्ग भी इस बात का गवर्नमेंट पर प्रेशर डालेगा कि रेलवे रसीद के जरिये से सेल्स टैक्स वसूल कर लिया जाय।

दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा कि कुछ चीजों पर सेल्स टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये लेकिन उन पर लगाया जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं मसलन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। आजकल इलेक्ट्रिक का युग है। बड़े-बड़े पावर हाउसेज बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं। उनमें इलेक्ट्रिकल एसेसरीज की बहुत आवश्यकता होगी। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह टैक्स उन चीजों पर न लगावें जब तक कि वह कार्य पूरे न हो जायं। अस्तु, जो उनका सुझाव था कि एक कमेटी बनाई जाय और उस पर विचार किया जाय और वह रिपोर्ट दे कि किन पर टैक्स लगना चाहिये और किन पर नहीं उसके लिये मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी चीज है। इससे गवर्नमेंट को भी लाभ होगा और जनता को भी लाभ होगा। इस विधेयक में यह कहा गया है कि अमुक समय के बाद से यह प्रारम्भ किया जायगा। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जो ट्रान्जेक्शन पहले हो चुके हैं उन पर कर न लगाये जाय नहीं तो व्यापारी वर्ग बहुत कठिनाई में पड़ जायेगा। जो कुछ कीजिये वह विधेयक पास होने के बाद कीजिये। देहली में इसी प्रकार से हुआ है। विधेयक पास होने के बाद पहली अप्रैल से यह लगाया गया था यहां कहीं ऐसा न हो कि विधेयक पास होने के बाद पहले वाले ट्रान्जेक्शन पर भी यह लागू कर दिया जाय।

बार-बार बोलने का तो हम लोगों को यहां पर मौका नहीं मिलता है। परन्तु इस विषय पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ सेल्स टैक्स में खराबियों की वजह से बहुत तकलीफ होती है। वह इस प्रकार से होती है कि कहीं-कहीं पर इन्डस्ट्रीज को डबल टैक्स देना पड़ता है। मैं कई बार कह चुका हूं और माननीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि अगर कोई ऐसा मामला होगा जिसकी वजह से इन्डस्ट्रीज बन्द हो रही होगी तो उस पर पूरा-पूरा विचार किया जायगा। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सूत पर जो सेल्स टैक्स लिया जाता है उससे बहुत परेशानी हो जाती है। लखनऊ, कानपुर, बनारस जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं उनमें इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज है जहां पर रा-मैटिरियल पर भी सेल्स टैक्स

लिया जाता है और फिर फिनिश्ड गुड्स पर भी टैक्स लिया जाता है। इस प्रकार से कलकत्ता और बम्बई में टैक्स नहीं लिया जाता है इस कारण हम उनका मुकाबिला नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से तमाम इन्डस्ट्रीज बन्द हो रही हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इस पर पूरा–पूरा गौर करें और यह न समझें कि केवल साढ़े तीन फीट का आदमी बोल रहा है और उस पर गौर न करके उस को टाल दिया जाय। यह बहुत ही जरूरी चीज है और इससे लाखों आदमियों की रोजी नष्ट हो रही है। यह लाखों आदमियों की रोटी का सवाल है और आजकल बेकारी का जमाना है इसलिये इस पर जरूर गौर करना चाहिए। अगर सूत पर से सेलस टैक्स हटा लिया जाय तो लाखों आदमियों को फायदा होगा। इन शब्दों को कह कर मैं फिर एक बार माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस चीज पर जरूर गौर करें क्योंकि यह लाखों आदमियों का सवाल है। इसके साथ ही साथ मैं उनसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह रेलवे रसीद और ट्रक रसीद पर जरूर सेलस टैक्स लगायें इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*डाक्टर व्रजेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)——जनाब वाला, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन उन वजूहात से नहीं जिन वजूहात से श्री हर गोविन्द जी ने इस पर बहस की है। इस बिल में बहुत से ऐसे प्राविजन हैं जिनको पूरा करने की कोशिश की गई है। खासतौर से कई ऐसे प्राविजन हैं जिनसे फायदा पहुंच सकता है। पहला प्राविजन जिसकी तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि सेक्शन ५ को पूरे तौर पर साफ कर देना चाहिए। जो शख्स कानून को जानता है वह इस बात को अच्छी तरह से समझता है। दफा ५ की रू से अपील तैयार कर सकता है और अप्लीकेशन दे सकता है।

दूसरी बात जिस पर मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि जो रुपया ज्यादा वसूल कर लिया गया है, यानी एक्सेस एमाउन्ट जो हाई कोर्ट ने रिफन्ड के लिये कहा तो मैं आपसे कहता हूं कि वह रुपया रिफन्ड किया जाय। इस रिफन्ड के लिये अब तक कोई प्राविजन ऐसा नहीं था कि उसको सूद दिया जाय मगर इस प्राविजन से उसको सूद वापस करना पड़ेगा। एक बात और मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं और वह यह है कि अगर कोई शख्स या कोई बिजनेस मैन एक्जेम्पटेड गुड्स में टैक्स लेता है तो रूल्स के मुताबिक उसके ऊपर एक हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है और फिर भी अगर वह उसे वापस नहीं करता है तो ५० रुपये रोज उसके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। ये बातें ऐसी हैं जिनसे कि वह एक्सेस नहीं ले सकता है।

इसमें कुछ बातें अच्छी होने के साथ ही साथ एक-दो बुराइयां भी हैं और मैं समझता हूं और मैंने देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स है और वह बकाया रुपया टैक्स का किसी प्रकार भी नहीं देता है तो उसके ऊपर १० हजार रुपये में २५ प्रतिशत तक पेनालिटी हो सकती है और अगर इससे ज्यादा एमाउन्ट है तो ५० प्रतिशत तक पेनालिटी हो सकती है। इसके लिये मैं कहता हूं कि अगर कोई शख्स रुपया नहीं देता है और यह कहता है कि मैंने किन्हीं वजूहात की वजह से ऐसा किया तो क्या २५ प्रतिशत या ५० प्रतिशत उसके ऊपर पेनालिटी लगाना कोई ज्यादा अच्छी चीज होगी मैं समझता हूं कि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये। मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि बजट की स्पीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यह आशा दिलाई थी कि हैन्डलूम इन्डस्ट्रीज और काटेज इन्डस्ट्रीज की चन्द चीजें एक्जम्पट कर दी जायेंगी, लेकिन इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। इसका जिक्र खासतौर से इस

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया

[डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप]

इसलिये नहीं है कि सेक्शन ३(ए) में यह पावर गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में ले ली है मगर मैं आशा करता हूं कि रूल्स में गवर्नमेन्ट जरूर हैन्डलूम और काटेज इन्डस्ट्रीज को एक्जेम्प्ट कर देगी। इसमें बहुत सी काटेज इन्डस्ट्रीज आजकल ऐसी हैं जो कि सो रही हैं और अगर उनके ऊपर से सेल्स टैक्स हटा दिया जायेगा तो वे काटेज इन्डस्ट्रीज फलने-फूलने लगेंगी इस तरह से एक्जेम्प्शन का मसला भी हल हो जायेगा। यही चन्द बातें कह कर मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूं और इस बात के लिये मुबारकबाद देना चाहता हूं कि यह बिल लाया गया। यह ठीक है कि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स का पेमेन्ट नहीं करते हैं लेकिन जितनी इससे आमदनी होती है तो उसके लिये जरूर कोई जरिये अपनायें जायें जिससे कि टैक्स सभी से वसूल हो सके। यह ठीक है कि जो पेनालिटी का प्राविजन इसमें रखा गया है उससे कुछ हद तक इसमें कमी होगी, मगर कुछ लोग ऐसे होशियार होते हैं कि वे तरह-तरह के डिवाइसेज इस्तेमाल करते हैं और टैक्स से बचना चाहते हैं इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो शख्स इसमें काम कर रहे हैं वे काफी ईमानदारी से काम करें और इस तरह से जो टैक्स वसूल होगा वह बहुत ज्यादा होगा। इसमें ज्यादा रेट को बढ़ाने की जरूरत नहीं। इसमें बहुत से टैक्स ऐसे आ जायेंगे कि जो कुछ रुपये की कमी है वह भी इससे पूरी हो जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी स्पीच खत्म करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, इसमें कोई शक नहीं है कि सेल्स टैक्स का मिसयूज होता है और कितनी ही बातें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से वह लोग जो कि सेल्स टैक्स लेने के जिम्मेदार हैं उनको कुछ दिक्कतें भी पेश आती हैं। गवर्नमेन्ट चाहती है कि जिस हद तक यह मुमकिन हो उसका ठीक तरह से बन्दोबस्त किया जाय और इस तरह की बातें रोकी जायं। इसके अलावा जो दिक्कतें इस वक्त दूकानदारों को इस मामले में पेश आती हैं उनकी दिक्कतों को दूर करने की भी पूरी कोशिश की जायेगी। इन बातों के मुताल्लिक जिन लोगों से भी जो-जो मशविरे और राय गवर्नमेन्ट को हासिल हो सकते हैं वह राय लेने के लिये गवर्नमेन्ट तैयार है और उस पर सोच-विचार करके उसके मुताबिक कार्यवाही करने के लिये हुकूमत तैयार है। मैंने इस हाउस में एक बात अर्ज कर दी थी और उसको फिर दोहराता हूं कि गवर्नमेन्ट का हरगिज यह मकसद नहीं है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको किसी तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़े और वह किसी तरह से तबाह हों। अगर इंडस्ट्रीज तबाह हो जाती हैं तो हमें सेल्स टैक्स भी नहीं मिल सकता? मैं अपने दोस्त से फिर सदाकत के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ मशविरे वे दे सकते हैं उनको सुनने के लिये और उन पर गौर करने के लिये तथा अच्छी तरह से सोच-विचार करने के लिये मैं हमेशा तैयार हूं।

जहां तक रेलवे रसीद के जरिये से वसूल करने का ताल्लुक है उसके बारे में मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने उसमें यह अर्ज किया था कि मैं पर्सनली उसको ठीक चीज समझता हूं इसलिये कि उसके अन्दर से बहुत सी दिक्कतें निकल जाती हैं। मगर यह जरूर है कि इसके मुताल्लिक रेलवे वालों को कठिनाई हो सकती है और चूंकि उन्होंने इरशाद फरमाया कि वह खुद भी इस मामले में दिलचस्पी लेंगे तो उसमें जहां तक गवर्नमेन्ट से मुमकिन हो, एक माकूल हद तक गवर्नमेन्ट इस मामले में विचार करने के लिये तैयार होगी। इस मामले में इस तरीके से सोच-विचार किया जायगा कि आया गवर्नमेंट इसको कामयाबी के साथ चला सकती है या नहीं चला सकती है।

डाक्टर साहब ने मेरी बजट स्पीच का हवाला दिया था उसमें जो मैंने अर्ज किया वह यह था कि गवर्नमेन्ट इस पर गौर करेगी कि जो काटेज इंडस्ट्रीज इस प्रदेश में हैं उनमें से कौन-कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर आगे से सेल्स टैक्स न लगाया जाय

और वही पोजीशन अब तक है। इस प्रकार अमल दरामद करने के लिये हम यह सोचते हैं कि जो इस वक्त फाइनेन्सियल सूरत है वह यह है कि अगले साल जो फाइनेन्सियल इयर शुरू होगा उसके पहले ही इस काम को कर दिया जाय। जो-जो इंडस्ट्रीज इस काम के लिये सेलेक्ट की गई हैं उनके मुताल्लिक कुछ अहकामात हो जायं। इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें किसी तरह की डिले हुई है बल्कि वह गवर्नमेन्ट के सामने है और उसको करने वाली है।

जहां तक पेनाल्टी क्लाज का ताल्लुक है उसमें जो कहा गया है कि १० हजार रुपये तक की लाइबिलिटी जिनकी है उनके खिलाफ २५ फीसदी कि पेनाल्टी लगाई जा सकती है और उससे ऊपर जो रकमें हैं उस पर ५० फीसदी पेनाल्टी लगाई जायगी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसके ऊपर भी कुछ लिया जायगा बल्कि वह मैक्जीमम की तजवीज इसमें की गई है। हम ऐसी हालत देखें कि अगर किसी शख्स ने टैक्स अदा नहीं किया तो यह मालूम करना होगा कि आया उसने यह काम विलफुली किया है या कोई ऐसी सूरत पेश आ गई जिसकी वजह से उसको मजबूरन करना पड़ा, तो इसी हिसाब से वह पेनाल्टी भी इन्फोर्स की जायगी। इसके अलावा इसकी जिम्मेदारी किसी छोटे अफसर पर नहीं छोड़ी गई है बल्कि वह प्राविजन इस तरह किया गया है कि अगर सेल्स टैक्स कमिश्नर उसको मंजूर करता है तो वह पेनाल्टी लगाई जाय। इसलिये पेनाल्टी का क्लाज रखा गया है। इस वक्त सूरत यह है कि कई आदमी ऐसे हैं जो इससे बचना चाहते हैं मगर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता फिर भी कई मिसालें ऐसी हैं कि इसको वसूल करने की कोशिश करते हुये दो-दो साल हो जाते हैं और कितने ही आदमी ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि अगर १ लाख रुपये का टैक्स वसूल करना है तो वह उसको रोक लेते हैं और इससे जो रकम पैदा होती है उसको अपने काम में लगाते हैं। इस तरह की कई टैक्टिस लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बजाय दूसरी सूरत भी मुकर्रर कर दी गई है, यह इसलिये नहीं की इससे किसी के लिये हार्डशिप क्रियेट की जाय बल्कि इसलिये किया गया है कि इंसाफ के साथ उसको देख कर कि उस पर कितना लगना चाहिये। इस तरह के जो कुछ भी मशविरे मिले हैं वह तारीफ के काबिल हैं और उनके ऊपर गवर्नमेन्ट विचार करेगी। मैं खाली जबान से नहीं कहता हूं बल्कि आप भी तजुर्बा करके देखें कि मैं इस पर अमल करता हूं या नहीं करता हूं। इसलिये गवर्नमेन्ट खुद इस बात की तलाश में है कि इस किस्म के जो मशविरे हों वह मिलें और जितने आसान तरीके मालूम हो सकते हैं उससे हम अधिक आसानी पैदा करने की कोशिश करें।

श्री हर गोविन्द मिश्र--मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कलेक्ट करने के बारे में कहीं कोई रिट्रासपैक्टिव इफेक्ट (retrospective effect) न हो जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जहां तक इस अमेंडमेन्ट का ताल्लुक है इसमें शायद कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन एक बात हो सकती है और वह शायद आपके ख्याल में भी है कि इन्कम टैक्स ऐक्ट जो है उसमें जो केसेज हैं उनमें से पिछले रिकार्ड आप देख सकते हैं उनमें कोई इस तरह की चीज नहीं है और न आइन्दा होने की कोई गुंजाइश है।

ऐक्टिंग चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्यक्रम

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम-- जनाबवाला, इस समय इन्कम्बर्ड स्टेट बिल और स्वायल कन्जरवेशन बिल हाउस के सामने है और इनसे ताल्लुक रखने वाले मंत्री

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

भी यहां पर तशरीफ रखते हैं। इसलिये अगर पहले इनको ले लिया जाय तो अच्छा हो।

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमान् जी, हमने जितने भी अमेंडमेन्ट दिये थे उस समय हमारा यह ख्याल था कि पहले सेल्स टैक्स बिल लिया जायगा और उसके बाद पंचायत राज चलेगा और बाद में इन्कम्बर्ड इस्टेट और स्वायल कंजरवेशन बिल हम लोग लेंगे। इसलिये हम सेल्स टैक्स और पंचायत राज के सिलसिले में ही तैयार हो कर आये थे, तो मैं लीडर आफ दि हाउस से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोई जल्दी ऐसी न हो और मुनासिब समझें तो कल से यह दोनों बिल्स ले लिये जांय क्योंकि हम इसके लिये तैयार नहीं हैं। मेरा ख्याल था कि श्री प्रताप चन्द्र आजाद अपने अमेन्डमेन्ट मूव करेंगे और उसमें भी वक्त लगेगा।

श्री चरण सिंह (माल मंत्री)--मैं आप की इजाजत से कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैं तो यह नहीं कह सकता हूं कि जो कुछ कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा है वह उन्होंने गलत या सही कहा है। लेकिन उनका यह कहना कि वह स्वायल कन्जरवेशन और कैटिल ट्रेस पास पर तैयार होकर नहीं आए, सेल्स टैक्स अमेन्डमेन्ट के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा उससे उसकी ताईद नहीं करता। स्वायल कन्जरवेशन असेम्बली से पास होकर आया और उससे पहले भी उनकी निगाह के सामने आ चुका था और पहली तारीख जो डिसकशन के लिये रखी गयी थी उस समय तक उनका कोई अमेन्डमेन्ट नहीं था और अब उन्होंने अपने अमेन्डमेन्ट रखे हैं। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वह यह कि मैं यह समझता था कि पहली तारीख को यह कौंसिल चलेगी। इसलिये मैंने अपना प्रोग्राम बाहर जाने के लिये ५ और ६ तारीख को रखा है। अगर आप ८ या ९ को मीट करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप ८ तारीख को मीट कर लीजिये।

श्री राजाराम शास्त्री--वैसे कोई एतराज की बात नहीं है। उस वक्त यह एनाउन्स किया गया था कि यह विधेयक इस सिलसिले में लिये जायेंगे। पहले सेल्स टैक्स फिर पंचायत राज। इसलिये मैं यह समझता था कि आज सेल्स टैक्स और पंचायत राज हो पायेंगे। अब चूंकि मंत्री जी भी यह बिल लेना चाहते हैं तो ले लीजिये, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन यह तरीका अच्छा नहीं मालूम होता है कि आप एनाउन्समेन्ट कुछ करें और बाद में उसको बदल दें। वैसे एतराज नहीं है।

श्री चरण सिंह--पंचायत राज में तो कोई अमेन्डमेन्ट है नहीं, होगा क्या जब अमेन्डमेन्ट ही नहीं है।

ऐक्टिंग चेयरमैन--जो एजेन्डा है उसमें सारे बिल्स रखे हुये हैं। गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि इन्कम्बर्ड स्टेटस विधेयक और यू० पी० स्वायल कन्जरवेशन पहले ले लिये जांय। मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति हमको नहीं होनी चाहिये।

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमान्, मैंने लीडर आफ दि हाउस से एक रिक्वेस्ट की है जिसको मैं हाउस के सामने कहना चाहता हूं। जैसा कि माननीय चरण सिंह जी ने कहा कि यह सही है कि अमेन्डमेन्ट दिये गये। इसके माने यह नहीं है कि बिल आता है, अखबार में हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि क्या है, किस तरह से हमको बोलना है, लेकिन फिर भी जब हाउस में बिल आता है तो किस तरह से हमको बोलना चाहिये, यह दूसरी चीज है और खासतौर से माननीय चरण सिंह जी के सामने काफी तैयार होकर आना पड़ता है। जिससे जरा भी गड़बड़ी न होने पाये। इस वजह से मैंने रिक्वेस्ट लीडर आफ दि हाउस से की थी कि ८ तारीख को रखना चाहिये, अगर आप कन्वीनिएन्ट समझें। ७ तारीख को इतवार है, ८ तारीख को दोनों ले लिये जांय। पंचायत राज बिल को कल ले लेंगे।

ऐक्टिंग चेयरमैन--तो आप क्या चाहते हैं ?

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं यह चाहता हूं कि यह पंचायत राज बिल लिया जाय और कैटिल ट्रेस पास, इन्कम्बर्ड स्टेट्स और स्वायल कन्जरवेशन ८ तारीख को लिये जायं ।

श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--२५, २६ तारीख को ले लिया जाय ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--क्या मैं जनाब के जरिये से मालूम कर सकता हूं कि हाउस को ८ तारीख को बैठना मंजूर है ।

श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार--२५, २६ तारीख को लिया जाय ।

ऐक्टिंग चेयरमैन--क्या यह समझा जाय कि ८ तारीख सदन को मंजूर है । इन्कम्बर्ड स्टेट्स और स्वायल कन्जरवेशन के लिये सदन ८ तारीख को बैठना चाहता है ?

श्री कुंवर गुरु नारायण--हाउस को मंजूर है और मिनिस्टर साहब को भी कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार--अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि २५, २६ को जब हम फिर बैठें तब यह बिल लिया जाय ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--तो मैं दूसरा सेलूशन रखता हूं । अगर २६ तारीख को रख दिया जाय तो आपको कोई एतराज न होगा ।

ऐक्टिंग चेयरमैन--२६ तारीख को जब दूसरी सिटिंग होगी उस वक्त इसको ले लिया जायेगा, तब तो मैं समझता हूं कि आप इत्तिफाक करेंगे । इस वक्त आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस वक्त पंचायत राज बिल ले लिया जाय ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४ ई०

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--

Sir, I move that the U. P. Panchayat Raj (Term of Office) (Supplementary) Bill, 1954, be taken into consideration.

पंचायत राज्य ऐक्ट जो इस वक्त इस सूबे में है उसके इलेक्शन हुये ५ साल हो गये । पंचायत राज्य ऐक्ट में संशोधन की एक लिस्ट है उस पर सरकार विचार कर रही है और उनकी कमियों को व खामियों को दूर करने की कोशिश कर रही है और उनको ज्यादा इफीसेन्ट बनाना है । इस वक्त तक तजुर्बे से जो कमियां और खामियां मालूम हुई हैं उनको दूर करने के लिये उसको फिर से तरमीम किया जाय और उसके बाद गौर करने के लिये एक बिल लाने की तजवीज हुई है जैसा कि मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था । वह काम जरूरी है ।

मैंने अपनी बजट स्पीच में यह अर्ज किया था कि इस किस्म के सवाल पैदा हो गये हैं कि जिनको हल करने के लिये कुछ करना है । पंचायतों का कोर्स क्या हो, उनके दूसरों से ताल्लुकात किस तरह से रहें, उनके टैक्स लगाने की क्या मदें हैं, उनका खर्च किस तरह हो, पंचायती अदालतें, जो इस वक्त तक काम करती रही हैं, उनके मुताल्लिक जो खराबियां महसूस हुई हैं उनकी इसलाह के लिये क्या जरूरी है । यह सब ऐसी बातें हैं कि जिन पर कुछ कानून बना कर इस ऐक्ट में तरमीम करना जरूरी है । इसलिये उस वक्त के आ जाने पर एक आर्डिनेन्स जारी किया गया था जिसके जरिये से मियाद उसकी ६ साल मुकर्रर की गई थी । यह बिल सिर्फ इस बात का है कि वह आर्डिनन्स अब न रहे और उसकी जगह कानून ले ले जो कि कांस्टीट्यूशन के द्वारा होना चाहिये । तो इसमें और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उसकी मियाद

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

बढ़ाई जा रही है। उसकी मियाद को बढ़ाना इसलिये जरूरी है और इसीलिये यह बिल पेश किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस उसको मंजूर करेगा कि इसकी मियाद बढ़ा दी जाय इसके आफिस का टर्म बढ़ा दिया जाय और कानून बन जाने के बाद जरूरी इंतजाम कर लिया जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय सभापति महोदय, जो यह उत्तर प्रदेश पंचायत राज (टर्म आफ आफिस) (सप्लीमेंटरी) बिल, १९५४ को अभी माननीय वित्त मंत्री ने इस भवन के सम्मुख रक्खा है, जहां तक इस बिल का संबंध है इससे कोई विरोध तो किसी प्रकार का किसी को हो नहीं सकता, लेकिन जो एक शिकायत आमतौर से हम लोगों को है और मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट के भी हक में है कि जो गवर्नमेन्ट का तरीका ज्यादातर आर्डिनेन्स को पहले ले करके और फिर इन विधेयकों के जरिये से उसको सही कराना, यह एक बहुत ही गलत चीज है। कम से कम इस प्रजातंत्र के युग में जहां तक हो सके हमें इसको एवाइड करना चाहिये। दिसम्बर में ही लेजिस्लेचर बैठा हुआ था और यह बात गवर्नमेन्ट के दिमाग में बहुत दिनों से चल रही थी कि हमें इसको बढ़ाना है। इसकी कमेटी भी नैनीताल में हुई और काफी उसकी सिटिंग्स हुई तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जब गवर्नमेन्ट सोच रही थी कि हमें यह करना है और जब दोनों हाउसेज बैठे हुए हैं तो वह क्यों न बिल ले आती और उसे पास करा लेती। अगर ऐसा होता तो कोई बेजा बात न होती। लेकिन उस समय तो हम विधेयक को नहीं लाये। हमने एक आर्डिनेन्स जारी कर दिया और उसके बाद अब हम विधेयक को लायें तो यह बहुत गलत तरीका है और मैं तो समझता हूं कि जहां तक हो सके इस चीज से बचना चाहिये। इससे हुकूमत के दल की कोई पापुलैरिटी नहीं बढ़ती है, बल्कि अनपापुलैरिटी ही बढ़ती है। शायद स्टुडेन्ट्स एजीटेशन के सिलसिले में पुलिस मंत्री जिस समय बहस कर रहे थे उस समय उन्होंने अंग्रेजी तरीकों की बहुत तारीफ की थी और लन्दन टाइम्स अखबार में एजीटेशन के संबंध में जो न्यूज छपी थी उसका और कारोनेशन के सिलसिले में जो दुर्घटनायें हुई थीं उनका भी हवाला दिया था और कहा था कि विलायत में एक ट्रेडीशन जनरलिज्म का हुआ करता है और हमारे भारतवर्ष में इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म और यह चीजें चलती हैं। मैं देखता हूं कि यह सरकार बहुत सी चीजों को जो यूनाइटेड किंगडम की पसन्द आती हैं पेश कर देती है कि वहां ऐसा होता है या यह हुआ है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यूनाइटेड किंगडम में कितने आर्डीनेन्स जारी किये जाते हैं और हमारे यहां कितने जारी किये जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि वहां शायद ही कभी कोई आर्डीनेन्स जारी किया जाता हो, लेकिन यहां यह चीज रोजमर्रा की हो गई है। मेरा कहना केवल इतना है कि जो चीज हम बिला आर्डीनेन्स के कर सकते हैं उसके लिए आर्डीनेन्स क्यों जारी किये जायं। यह क्या जब सूट किया तो यूनाइटेड किंगडम और अमरीका की मिसाल रखें दें, वरना नहीं। मैं समझता हूं कि यह चीज बिल्कुल गलत है और आर्डीनेन्स बहुत जल्दी जल्दी न लागू किये जायं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि पंचायत राज का जो ऐक्ट है उसके लिए कोई टाइम मुकर्रर कर दिया जाय कि तब हम एक्सेंट करें कि यह विधेयक के रूप में हमारे सामने लाया जायगा। हो सकता है कि फिर इसी तरह का कोई बिल लाकर इस संबंध में हमसे पास करा लिया जाय। इसलिए एक डेफनिट उसूल इसका होना चाहिये। यह हमारी कुछ आदत सी पड़ गई है कि जब मन में आय, कोई काम कर लिया, यह नहीं समझते कि किसी को बुरा कहने का मौका ही क्यों दें। मैं इसको प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ समझता हूं। आपने टाइम बढ़ाया यह ठीक है। मैं यही चन्द शब्द इस पंचायत राज बिल के संबंध में कहना चाहता था।

श्री राजाराम शर्मा--माननीय ऐक्टिंग चेयरमैन, पंचायत राज के संबंध में जो विधेयक हमारे सामने इस समय पेश है उसके संबंध में राज्यपाल जी ने जो अध्यादेश जारी किया है उसको पूरा कराने के लिए हमारे सामने यह विधेयक पेश किया गया है। यह परम्परा रही है कि जब दोनों सदनों का काम चलता है, उस समय सरकार इस संबंध में विचार नहीं कर पाती है कि हमें इस वक्त क्या करना है और क्या नहीं। (इस समय ३ बजकर ७ मिनट पर, डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।) मगर जब दोनों सदन समाप्त हो जाते हैं तब सरकार सोचती है कि अब हम को क्या करना है और उसे आर्डिनेन्स के रूप में जारी कर देती है। जब आगरा यूनिवर्सिटी बिल पेश हुआ था तो उस समय भी सदन के सामने आर्डिनेन्स पेश किया गया था। जब दोनों सदनों के अधिवेशन हो रहे थे तब उसका कोई जिक्र नहीं किया था तो उस समय भी कहा गया था कि आर्डिनेन्स का पास कराना रोजमर्रा की चीज नहीं होनी चाहिये। आर्डिनेन्स का जारी कराना उस वक्त ठीक नहीं कहा जा सकता जबतक कि कोई अचानक से चीज सरकार के सामने न आ जाय, जब दोनों सदनों के अधिवेशन न हो रहे हों। लेकिन मैं देखता हूं कि इसका जारी करना एक परम्परा सी हो रही है, अगर चार दिन के लिए भी सदन न बैठा रहे, तो फौरन आर्डीनेन्स जारी कर दिया जाता है।

कुछ दिन पहले दोनों सदनों की मीटिंगें हुई थीं। पंचायत राज ऐक्ट में यदि हमें कुछ संशोधन करना है, जिला बोर्ड के विधान में अगर हमें संशोधन करना है तो क्या सचमुच यह चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की समझ में तब तक नहीं आतीं जब दोनों सदनों का अधिवेशन होता है। इस वक्त मुझे न तो इसकी धाराओं पर बहस करनी है और न किसी चीज पर, इस वक्त तो मुझे केवल इतना कहना है कि जो यह तरीका है काम करने का, अध्यादेश जारी करने का कि जब चाहा अध्यादेश जारी कर दिया. जब चाहा बिल पेश कर दिया, यह गलत चीज है। ग्राम पंचायतों के चुनाव हुये बहुत अर्सा गुजर गया। इतने दिन त ग्राम पंचायतों ने जो काम किया है, वह अच्छा है या बुरा, पंचायतों ने जो इतने दिन तक शासन व्यवस्था की है उसके सम्बन्ध में जनता की क्या राय है, यह चुनाव के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। अगर वक्त पूरा हो गया है तो चुनाव होने चाहिए। यह गलत है कि चूंकि किसी ऐक्ट में संशोधन करना है, इसलिये उसको रोक कर यह प्रथा चलाई जाये। मैं समझता हूं कि यह प्रथा गलत है, सरकार को इसे नहीं करना चाहिए।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय उपाध्यक्ष जी, पंचायत राज की मियाद बढ़ाने के सम्बन्ध में एक छोटा सा अमेंडिंग बिल हमारे सामने है। इसके सिलसिले में हमारे उधर के बैठने वाले भाइयों को बड़ा अच्छा मौका मिला है कि वह क्रिटिसिज्म कर सकें। मैं समझता हूं कि वैसे तो इस बिल में कोई बात नहीं है, एक साल की मियाद बढ़ाना है। हो सकता है की आर्डीनेन्स न आता। दिसम्बर में ही अगर यह बिल आपके सामने आता तो भी एक साल की मियाद बढ़ानी पड़ती। मैं समझता हूं कि उस वक्त कोई भाई इसकी मुखालिफत करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिये कि इस बिल की मुखालिफत करना उत्तर प्रदेश के चुने हुये प्रतिनिधियों और पंचों की मुखालिफत करना है। खुले तौर से यह भी नहीं कह सकते कि वह इस बिल की मुखालिफत करें। जो एतराज करने का मौका मिला वह यही कि साहब यह आर्डीनेन्स क्यों आया। आर्डीनेन्स न आना चाहिए था और बिल एक महीना पहिले आ जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष जी, मैं भी एक बात अर्ज करना चाहता हूं, इससे जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं वह बड़ा नाजायज फायदा उठाते हैं। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की कमजोरी से कि वक्त पर बिल नहीं पास होते, वक्त पर बिल नहीं बनते इससे उधर के बैठने वाले भाई जरूरत से ज्यादा नाजायज फायदा उठाते हैं। म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन्स के दौरान में मैंने इस बात को देखा कि हर एक ने इस बात को कहा, भाई गोविंद सहाय जी गए तो उन्होंने भी कहा और राजा राम जी गये होंगे तो उन्होंने भी कहा होगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट तो म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव नहीं कराना चाहती थी, हम ने ही इलेक्शन्स कराये, अपोजीशन वालों ने जोर लगाया और जोर लगाने के बाद ऐक्ट पास कराके आप लोगों

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

को यह अधिकार दिलाया जिससे आपके नुमाइन्दे म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर पहुंच सकें। यह प्रोपेगेन्डा हर जगह था और अब पहले ही से बनाया जा रहा है कि पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिये पहले ही से प्रोपेगेन्डा तैयार किया जा रहा है कि गवर्नमेंट आर्डीनेन्स पर आर्डीनेन्स निकाल रही है और वह चुनाव नहीं करना चाहती है। म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के वक्त भी ठीक इसी तरह का प्रोपेगेन्डा किया गया और कहा गया कि य तो हम ही अपोजीशन में थे जो इसका विरोध करते रहे और चुनाव के लिये सरकार को मजबूर किया। पंचायत राज ऐक्ट पास हुआ और उसके मुताबिक चुनाव भी हुआ, लेकिन एक आर्डीनेन्स पास हो जाने से आज फिर विरोधी पक्ष को यह मौका मिल गया है। इसलिये मैं यह बात कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट बिल भी बना रही है फिर भी मेरी समझ में यह नहीं आता कि क्या बात है कि टाइम के अन्दर वह बिल नहीं आ जाते और इस तरह से एक मौका अपोजीशन को मिल जाता है। इसलिये मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से कार्य किया जाय जिससे कि अपोजीशन को यह मौका न मिले कहने का कि यह तो टालना चाहते थे, आर्डिनेन्स पर आर्डिनेन्स पेश कर रहे थे। आपके डिपार्टमेंट की थोड़ी सी गलती से उनको यह मौका मिल जाता है। इसलिये बिल का जहां तक सम्बन्ध है, मैं इसकी मुआफिकत करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक साल के बाद जब पंचायत के इलेक्शन्स आवें तो उसी ढंग के नारे न लगाये जायं, जिस ढंग के कि अपोजीशन ने म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के वक्त लगाये थे।

दूसरी बात मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जहां तक कारपोरेशन बिल का सम्बन्ध है या जिला बोर्ड बिल का सम्बन्ध है, उसका भी यही हाल है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार को जल्दी करनी चाहिये और इस बात का मौका नहीं देना चाहिये जिससे इसको इलेक्शन स्टन्ट बना कर लोग नाजायज फायदा उठावें।

*श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--डिप्टी चेयरमैन महोदय, यह बिल बजात खुद इतने मासूम किस्म का है कि इस पर किसी किस्म की बहस मुनासिब नहीं लगती, लेकिन मैं अपने दोस्त आजाद साहब को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस निर्जीव मसले में एक ऐसी जान पैदा कर दी कि जिस पर मुझे कुछ कहने की जुर्रत हुई। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सरकार अपने तजुर्बे के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि पंचायतों में कुछ खामियां हैं, उन्हें दूर करना चाहिए और उसके लिये एक ऐसा बिल पेश करती है तो सही बात है कि सरकार जो तजुर्बा करती है उससे फायदा उठाया जा सके और इस बात को पूरा करने के लिये वह कानून पेश करती है। मेरा ख्याल है कि इस इरादे में कोई मुखालिफत नहीं हो सकती है। आजाद साहब ने कहा कि मुखालिफत जब होती है जब इरादे के बारे में शक होने लगता है। मेरा कहना यह है कि अच्छा इरादा भी अगर ठीक वक्त पर नहीं किया जाता है तो दुश्मनों को मौका मिल जाता है उससे फायदा उठाने का। तो मेरा भी कहना है कि जो इरादा किया जाय वह ठीक वक्त पर किया जाय और आजाद साहब की इस बात की मैं कद्र करता हूं। जहां तक मुखालिफत का ताल्लुक है आजाद साहब को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनके वहां एक नहीं बहुत सी खामियां हैं। एक दौर आता है सरकार की जिन्दगी में उस वक्त वह अच्छा काम भी करते हैं तो वह उल्टा ही पड़ता है और मैं उनको यकीन दिलाकर कहना चाहता हूं कि उसी दौर से यह सरकार गुजर रही है और हमें इस बात का मौका मिलता ही रहेगा। आज इस बात की गांव-गांव में चर्चा होने लगी है। जम्हूरियत में क्या जरूरी है क्या नहीं, इस बहस में मैं इस वक्त नहीं पड़ना चाहता हूं लेकिन फिर भी जम्हूरियत में एक चीज बहुत जरूरी है कि लोगों को कान्फीडेन्स हो कि जब उन्होंने ताकत दी है तो उनकी राय की कद्र करनी चाहिए। अगर लोगों को यह यकीन हो गया है कि वह किसी पार्टी से वाबस्ता रखता है तो नुकसानदेह बात हो जाती है।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

म्युनिसिपल इलेक्शन के बारे में जहां बहुत से वजूहात थे वहां पर वाकया यह भी था कि लोगों को यकीन हो गया था कि आप इसको नहीं कराना चाहते हैं। मैं आपसे इशारतन कहना चाहता हूं कि गांव पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के बारे में जो आपका तरीका है इससे लोगों को बदगुमानी जरूर हो गई है। चाहे आपकी नीयत नहीं है, आपका इरादा न हो, फिर भी लोगों को आप के ऊपर शक पैदा होता है। लोगों के दिमाग आपके खिलाफ होते जा रहे हैं। इसलिये इस पर अच्छी तरह से नजर डालने की जरूरत है। म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया के तजुर्बे के बाद आप यह गलती नहीं कर सकते हैं। इसलिये आप यह आर्डीनेन्स भी निकालते जा रहे हैं। जनता के दिल में आपकी तरफ से गलतफहमी पैदा हो गई है। मेरे ख्याल में आप चुनाव करायेंगे, लेकिन उस वक्त जब आप की हार निश्चय होगी। आप किसी काम को उस वक्त करते हैं जब हालत बहुत ही बिगड़ जाती है। म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव भी आपने ऐसे वक्त पर कराया जब हालत आपके काबू से बाहर हो गई। अब चुनाव को आगे के लिये बढ़ाना जनता को अपनी तरफ से गुमराह करने का मौका देना है। अगर आपकी नीयत न हो, लेकिन फिर भी कुदरती तौर पर लोगों के दिमाग में यह ख्याल पैदा हो जायगा। तजुर्बा हो जाने के बाद मैं समझता था कि आप चुनाव जल्द से जल्द करायेंगे। आप जो करने जा रहे हैं वह आराजी तरीका कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की क्या पोजीशन है, गांव पंचायत की क्या पोजीशन है, यह आप खूब समझते हैं। हुजूरवाला, मैं आपके जरिये से बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आजाद साहब की इस शिकायत पर जरूर गौर किया जाय। अगर ठीक काम ठीक वक्त से किया जाय तो दुश्मन को मौका नहीं मिलता है कि वह किसी तरह का नाजायज फायदा उठा सकें। कम से कम आप मेरा मशविरा न मानें तो आजाद साहब का मशविरा तो जरूर मान लें और इस काम को जल्द से जल्द कर दें।

श्री इन्द्र सिंह नयाल—माननीय डिप्टी चेयरमैन, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है उसमें किसी बात की कोई गुन्जाइश नहीं है। यह सब लोगों को मालूम है कि पंचायतें थोड़े दिनों से कायम की गई हैं और यह इस सरकार का पहला पहला तजुर्बा है। ग्राम पंचायत को स्वतंत्रता का मौका यह पहला है। यह एक नई चीज कायम की गई है, इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की तरमीम करना ठीक नहीं है। सरकार काफी अच्छी तरह से काम कर रही है और यकीन है कि वह अपने इरादे में पूरी भी उतरेगी। स्वायत्त शासन में यह एक अच्छे ढंग का काम है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायत राज्य का आपस में समन्वय है। यह चीज ऐसी नहीं है जो पंचायत राज्य पर ही खत्म हो जाय। इस पर जांच-पड़ताल और विचार होना जरूरी है। इस वक्त ऐसा काम करना चाहिए जिससे स्वायत्त शासन की बुनियाद मजबूत हो और इसमें सुचारुरूप से सुधार हो सके।

तो इसके लिये यह व्यवस्था की जा रही है, सोच-विचार किया जा रहा है और अमेंडमेंट लाने की व्यवस्था की आवश्यकता समझी गयी है जो कि बाद में सदन के सामने पेश किया जायेगा। इसके साथ ही साथ यह भी विचार किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उन पंचायतों के साथ समन्वय किया जाय, लेकिन जब तक गांव में स्वायत्त शासन न हो, तब तक यह कैसे किया जाय। यह सब ऐसी चीजें नहीं हैं जो कि बिना सोच-विचार के की जायें। दूसरे मुल्कों में भी ऐसी बातें नहीं हैं जिससे कि उनकी नकल कर ली जाय। ग्राम पंचायतों की आज हमें जरूरत है और हमारा देश का अपना यह नया विचार है। कोई भी शासन चाहे वह तानाशाही का क्यों न हो, ग्रामों के आधार के बिना नहीं हो सकता है और यह ऐसी चीज भी नहीं है जिसको कि हम किसी से नकल करके इस सदन के सामने रख दें। यह इसी भूमि पर उत्पन्न होगी और यहीं के तजुर्बे से पास की जायगी। इसलिये इसमें समय लगना अनिवार्य है। एक प्रश्न यह आ जाता है कि चुनाव इस ऐक्ट के अन्दर क्यों न कर दिये जायें, तो इसमें मेरा निवेदन यह है कि अगर हम बार-बार चुनाव करेंगे तो इसमें हमें बहुत दिक्कत पड़ती है। अगर आज किसी तरह से चुनाव हो जायें तो फिर साल भर के बाद अमेंडमेंट होने पर फिर चुनाव होंगे तो इसमें गांव के लोगों के लिये बहुत परेशानी हो जायेगी और इस तरह से अगर काम होगा तो उसमें लाखों रुपये भी खर्च हो जायेंगे। कितने रुपये तो टिकट इत्यादि में खर्च हो जाते हैं।

[श्री इंद्र सिंह नयाल]

७० लाख रुपया इस बजट में इलेक्शन के लिये है। बार–बार इलेक्शन करना ऐसी चीज नहीं है जो कि ठीक हो और कोई भी शख्स जोकि ग्रामों में फैले हुये हैं, वे इस तरह से अपनी पूंजी साल भर में बार–बार खर्च करते रहेंगे। इसके लिये यह आवश्यक है कि जब तक यह अमेंडमेंट सदन के सामने न आ जाय तब तक ये चुनाव स्थगित रहें और यह ख्याल है कि साल भर या ६ महीने के अन्दर चुनाव हो जायेंगे। एक तरफ यह भी कहा गया है कि इसको जो स्थगित किया जा रहा है, वह बोर्ड का फैसला हो। लेकिन इसको माननीय सदस्य भूल गये हैं कि ग्राम पंचायतों का चुनाव किस तरह से होगा। इसमें ग्राम पंचायत और बोर्ड का विशेष सम्बन्ध इस तरह से नहीं है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि पंचायतों का इलेक्शन इसलिये हटाया जा रहा है कि वहां पर किसी बोर्ड विशेष का शासन है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसे अपने शासन में रखना चाहती है, तो यह बात नहीं है। जब तक इस प्रकार का अमेंडमेंट न हो जाय, तब तक वहां पर इलेक्शन न होने चाहिए। यह एक साधारण सा विधेयक है और इसमें वाद–विवाद की जरूरत नहीं है।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक के विरोध करने के लिये अपने को एक प्रकार से बाध्य पाता हूं। भाई इन्द्र सिंह जी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य किसी राजनैतिक दल को मदद देना नहीं है, क्योंकि गांव पंचायतों का चुनाव दलबन्दी के आधार पर नहीं हुआ था और आज भी यह नहीं कहा जा सकता कि आज भी गांव पंचायतों में किसी एक विशेष दल का आधिपत्य है और चुनाव के बाद इस प्रकार के आधिपत्य के हट जाने का डर है। भाई इन्द्र सिंह जी की इस बात में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन अगर उसमें दलबन्दी नहीं है तो कम से कम यह एक हुकूमत की नाकाबिलियत का सबूत जरूर है। यदि हमें जनतंत्र को कायम रखना है तो हमें चुनाव के प्रति आदर की भावना रखनी होगी। यदि हमने चुनावों से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया कि जब चाहा चुनाव किया और जब चाहा चुनाव न किया तो फिर जनता का विश्वास जनतंत्र पर से अवश्य ही उठ जायेगा। मैं तो इस सदन में कई बार कह चुका हूं कि मैं जनतन्त्र को अपना इष्टदेव मानता हूं, अपना सामाजिक आदर्श मानता हूं इसलिये सरकार पचास बार चुनाव में तब्दील करे फिर भी जनतन्त्र से मेरा विश्वास नहीं उठ सकता। जब सरकार चुनाव के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करती है तो इस सरकार पर मेरा विश्वास उठ सकता है, उसके इस दावे पर विश्वास उठ सकता है कि वह एक जनतान्त्रिक दल है लेकिन जनतन्त्र से मेरा विश्वास नहीं उठ सकता है। लेकिन जनसाधारण तो ऐसा नहीं है, जनसाधारण में जनतन्त्र की भावनाओं को हमें पुष्ट करना है और उसकी पुष्टी कराने के लिये यह जरूरी है कि हम जनतान्त्रिक नियमों का ठीक-ठीक पालन करें लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो चुनाव दो–तीन वर्ष के लिये हुये थे, उन चुनावों के ऊपर चुनी गांव सभाओं को हम साल–ब–साल बढ़ाते चले जाते हैं और कोई विशेष कारण भी नहीं बताया जाता। बावजूद इसके आज हम यह सोच रहे हैं कि गांव सभाओं में किस तरह से संशोधन किया जाय और उसकी व्यवस्था को संशोधित करके ही हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब है। तीन वर्ष के अन्दर हम यह अन्दाज भी नहीं कर पाये कि इन गांव सभाओं की व्यवस्था में क्या संशोधन हों और चूंकि यह अन्दाज नहीं कर पाये इसलिये चुनाव भी साल–ब–साल टलते चले जाते हैं। क्या इस तरह से हम इस देश के अन्दर जनतान्त्रिक भावनाओं को प्रतिष्ठित कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि जनतन्त्र के अन्दर सरकारें आती हैं और चली जाती हैं लेकिन जनतन्त्र को कायम रखने के लिये उस जनतन्त्र के प्रति प्रतिष्ठा और श्रद्धा जरूर होती है। मुझे दुःख है कि इस तरह से चुनाव टाल कर हमारी सरकार जनता के हृदय में जो जनतन्त्र के प्रति श्रद्धा और प्रतिष्ठा है, उसके ऊपर कुठाराघात कर रही है और इस तरह से इस देश के जनतन्त्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। फिर यह चुनाव कानून के जरिये से नहीं रोके जाते हैं। विधान मंडल के द्वारा निश्चित अधिनियम के द्वारा नहीं टाले जाते या रोके जाते हैं, बल्कि आर्डीनेन्स के द्वारा रोके जा रहे हैं। मैं इस सरकार को तानाशाही सरकार कहने के लिये तो तैयार नहीं लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि यदि

यह सरकार गांव पंचायतों, म्युनिसिपल बोर्डों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव आर्डीनेन्स के द्वारा बदलने की कोशिश कर रही है तो दूसरों को तानाशाही का रास्ता जरूर दिखलाती है। देश को तानाशाही के लिये तैयार कर रही है। मैंने पहिले भी कहा था, फिर भी मैं अर्ज करता हूं कि जिस समय संविधान सभा ने आर्डीनेन्स बनाने की आज्ञा प्रादेशिक सरकारों को दी थी और केन्द्रीय सरकार को भी दी थी, उस समय संविधान सभा का यह उद्देश्य नहीं था कि जब चाहे सरकार संविधान के द्वारा साधारण नियमों के द्वारा कानून बना ले और जब चाहे आर्डीनेन्स के जरिये से कानून बना ले। उसका उद्देश्य तो यह था कि यदि देश के सामने कोई बड़ी जरूरत आ पड़ी तो उसके लिये फौरन कानून बनाने की आवश्यकता हो और विधान मंडल को बुलाने का समय न हो तो आर्डीनेन्स के जरिये कानून बनाया जा सकता है। लेकिन आज जो ग्राम पंचायतें हमारे सामने हैं जिनमें अध्यादेश का हवाला हमारे सामने है, क्या कहा जा सकता है कि इसको हम पहिले से सोच नहीं सकते थे? फरवरी के महीने में विधान मंडल बैठा। दिसम्बर के आखिर तक विधान मंडल कार्य कर रहा था। क्या दिसम्बर के आखिर तक हम यह नहीं सोच सकते थे कि हमें कानून के जरिये से चुनाव के तरीकों को बदलना है। आप यह जनवरी के महीने में ही सोच सकते थे अगर आप इसको पहले से नहीं सोच सकते थे तो सरकार का फर्ज था कि वह अध्यादेश पास करने के बजाय विधेयक को विधान मंडल के सामने लाती और इस पर सदन की राय लेती तब अधिनियम बनाने के बाद तरीकों में तब्दीली की जाती। यदि सरकार दिसम्बर के महीने में यह भी नहीं सोच सकती थी कि जनवरी में उनकी मियाद खत्म होने वाली है और ग्राम पंचायतों का चुनाव जनवरी के महीने के अन्त तक हो जायेगा और उनको टालना पड़ेगा तो फिर इससे ज्यादा निकम्मापन एक सरकार का क्या हो सकता है कि दिसम्बर के महीने में यह निश्चित नहीं कर सके कि जनवरी के महीने तक चुनाव संभव न हो तो फिर यह भी निश्चित नहीं कर पाते तो कैसे शासन के कार्य को हम सोच सकते हैं। मुझे यह कहने में तनिक भी सन्देह नहीं है कि संविधान सभा में जिन कांग्रेसी सदस्यों ने अध्यादेश बनाने का प्रबन्ध संविधान में किया था उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि इस अध्यादेश के द्वारा केन्द्रीय सरकार या प्रदेशीय सरकार स्वशासन संस्थाओं की स्वतन्त्रता के ऊपर इस तरह से कुठाराघात करेंगे और अपनी मनमानी करेंगे। उनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करेंगे, इन कारणों से मैं इस विधेयक के निहायत खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि यदि एक बार विधान मंडल ने इस तरह से किसी एक विधेयक को ठुकरा दिया तो वह सरकार को बता देंगे कि इस तरह से जनतन्त्र से खिलवाड़ करने के लिये भारत की जनतन्त्र तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि एक बार का सबक इस सरकार को और बाकी अपनी जितनी सरकारें हैं उन सब के लिये एक खासा अच्छा सबक होगा और आइन्दा वह इस बात से बचे रहेंगे और इस विधान मंडल द्वारा हम इस देश में जनतन्त्र की पुष्टि कर सकेंगे तथा उसको प्रतिष्ठित बना सकेंगे। जनता में भी जनतान्त्रिक भावनाओं के प्रति श्रद्धा पैदा कर सकेंगे। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं और कई बार अर्ज कर चुका हूं तथा अब भी अर्ज करना चाहता हूं कि गांव पंचायतों की व्यवस्था में परिवर्तन करने के बाद से ही गांव पंचायतों की दशा नहीं सुधर सकती है। उनकी दशा सुधारने के लिये यह जरूरी है कि हम ग्राम पंचायतों को ग्राम के निर्माण-कार्यों में सहायता दें और उसके लिये हम लगान का कुछ हिस्सा गांव पंचायतों को दें। ग्रामों के अन्दर एक स्वस्थ सामाजिक शिक्षा के द्वारा उचित व्यवस्था और जनता के अन्दर सामाजिक भावना पैदा करें। डर हो रहा है ग्राम पंचायतों में जातीयता की भावनायें बढ़ रही हैं। सोशल इनोगरेशन नहीं हो रहा है और उसको करने के लिये यह जरूरी है कि हम उनके अन्दर स्वस्थ सामाजिक शिक्षा दें कि सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, किस प्रकार से मिल करके समाज में काम करना है यह सभी बातें हमें सिखाना है जिसकी ओर हमने कोई तवज्जह नहीं दी है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन के सामने उपस्थित है उसके सम्बन्ध में मैं इस बात को महसूस करता

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

हूं कि जो सूबे के अन्दर ग्राम राज्य की कल्पना रही और उस कल्पना को प्रस्तुत करने के लिये जो पंचायत राज कानून बना, उसके अन्दर जो कमियां और खामियां थीं उसको दूर करने के लिये यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। जहां तक इस सिद्धांत का सवाल है कि पंचायतों की जो ग्राम सभायें हैं उनका क्या अधिकार हो, उनके क्या कर्तव्य हों क्या विधान हो उसके सम्बन्ध में आगे चलकर समुचित रूप से विचार करने के लिये एक नया विधेयक लाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं, मैंने इस बात को देखा कि अब राज्यों को अबसल्यूट बनाने के लिये सब की कोशिश है। मैंने पूंजीवाद समाज में देखा वह स्टेट को अबसल्यूट बनाने के ध्येय से आगे बढ़ रहे हैं। कम्युनिस्ट जो स्टेट के मुरझाने की बात कहते हैं उनकी धारणा भी अब स्टेट को मजबूत बनाने की है उनका भी मुरझाने की तरफ कदम नहीं बढ़ रहा है बल्कि अबसल्यूट बनाने की ओर कदम बढ़ रहा है। ऐसी हालत में मैंने महसूस किया कि जो शक्ति केन्द्रित होने जा रही थी वह विकेन्द्रीयकरण की ओर जा रही है। गांव को ताकत मिले, स्थानीय स्वायत्त शासन को अधिक से अधिक ताकत मिले, इस माने में मैंने गांव सभा को देखा, इस ग्राम राज्य की चर्चा जिसके बारे में कांग्रेस वाले इस बात को कहते हैं कि दुनिया में कोई मिसाल नहीं जैसी कि हमने सूबे के अन्दर कर दिखायी तो मैं कहता हूं कि जो ग्राम राज्य की स्थापना हुई है और जो विकेन्द्रीयकरण की बात मैं चाहता था वह मैंने इन ग्रामों के अन्दर पंचायत राज कानून के जरिये से नहीं देखा और जो ध्येय था वह पूरे तरीके से नहीं हुआ है। मैंने इस बात को देखा कि जो श्रद्धा और आसरा पैदा होना चाहिए था गांव पंचायत की तरफ वह नहीं पैदा हो पाया। इसलिये मैं इस बात को महसूस करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए इसमें पंचायतों की पावर बढ़नी चाहिए, उसका जो कार्य है उसमें वृद्धि होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ उसके विधान में परिवर्तन होना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। जो सरकार इस समय पावर में है वह कितनी ताकत और देना चाहती है यह तो बाद में मालूम होगा लेकिन मैं बहुत दूर तक देखता हूं और यह सत्य है कि जिस हद तक देना चाहिए उस हद तक नहीं दे पाई है। लेकिन जो प्रश्न है और जहां तक सिद्धान्त के बदलने का है या पावर देने का सवाल है आखिर यह सवाल सरकार के सामने पहले से क्यों नहीं आया ? आज पंचायतें ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं और गांव सभा ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। ऐसी हालत में तब्दील करने का सवाल उठना चाहिए। कांग्रेस की नई सरकार को बने हुये आज आठ साल पूरे हो गये। इस हालत में जब यह चीज ध्यान में होती तो पहले ही सदन के सामने आ गई होती। लेकिन मैं यह देखता हूं कि आज की सरकार की यह एक खासतौर से रीति बनती जा रही है कि जिस किसी चीज को करना हो तो उसके सम्बन्ध में आर्डीनेन्स पास कर दे। उसके सम्बन्ध में भले ही गुन्जाइश हो, दो साल का मौका हो और बावजूद उस मौके के अन्दर इस बात की कोशिश न की जाय कि किसी नियम के अन्दर दोनों सदनों के सामने बिल लाकर उसके काम को किया जाय। बल्कि जब दोनों सदन उठ जायें तो उस काम को आर्डीनेन्स के जरिये से किया जाय। मैं प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल की राय से सहमत हूं, जनतन्त्र की परम्परा कायम होनी चाहिए। चुनाव का जो सिलसिला है उसको टाला न जाय। दो साल हो गये यदि आप को परिवर्तन करना था तो आप निर्णय कर सकते थे और विधान मंडल के सामने बिल ला सकते थे। उसमें तरमीम करके जिस तरह से आप पंचायतों को चाहते थे, उसी तरह से बना सकते थे। अब हमें परेशानी हो रही है।

कारपोरेशन के सिलसिले में इतना अनुभव हो गया। कारपोरेशन बनने से पहले ऐड-मिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये गये। पता नहीं कि कारपोरेशन का चुनाव कब होगा ? जनरल इलेक्शन के पहिले होगा या बाद में होगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को देखिये ९ साल गुजर गये, लेकिन आजतक उनके चुनाव का कोई सिलसिला नहीं। आज पंचायतों का चुनाव टालने के सम्बन्ध में हमारे सामने आर्डीनेन्स आया। पहले तो यह कहना चाहता हूं कि आर्डीनेन्स क्राइसेस के

समय में आता है। जब सूबे के अन्दर कोई संकट पैदा होने वाला होता है तब आर्डीनेन्स लागू होता है। यदि आर्डीनेन्स पास नहीं होगा तो बड़ी बरबादी सूबे के अन्दर होगी। उस मौके पर केन्द्र की तरफ से और सूबे की तरफ से आर्डीनेन्स लाया जा सकता है, लेकिन आज वाइस-चान्सलर के चुनाव को रोकना है तो आर्डीनेन्स जारी किया जाता है आज कोई चुनाव रोकना हो और विधान मंडल बैठा हो तो उस वक्त बिल नहीं लाते हैं। नतीजा यह होता है कि इसकी इतनी दुर्गति होती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर छोटे-छोटे कामों के सम्बन्ध में भी आर्डीनेन्स जारी होने लगे हैं। आर्डीनेन्स किसी खास मौके पर आना चाहिए। उस समय आप कोई बिल न लायें, जब सेशन होता हो और बाद में आर्डीनेन्स ला दें तो यह तरीका ठीक नहीं है। विशेषकर चुनाव को टालने के सिलसिले में आर्डीनेन्स का प्रयोग करते हैं तो यह कोई सुन्दर, स्वस्थ डेमोक्रेटिक कन्वेन्शन कायम नहीं करते हैं। इस विधेयक के सम्बन्ध में और इसके सिद्धान्तों में दो राय नहीं होगी। जो संशोधित विधेयक होगा और जो कुछ ताकत आप दे रहे हैं, उसके सम्बन्ध में मैं अपनी राय जाहिर करूंगा। आज हम इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप आर्डीनेन्स पेश करते हैं उस तरीके का हम विरोध करते हैं। इसलिये मैं प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल की राय से सहमत हूं। ऐसे मौके पर जहां आप आर्डीनेन्स लायें, ऐसे छोटे-छोटे काम के लिये या खासतौर से इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिये तो ऐसे मौकों पर हम ऐसे आर्डीनेन्सों का विरोध करेंगे। जो कुछ हो वह सिस्टम से होना चाहिए और बिल के रूप में होना चाहिए। इन शब्दों के साथ जो विधेयक हमारे सामने आया है, मैं उसकी मुखालिफत करता हूं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री पंचायत राज बिल जो आज हमारे सामने प्रस्तुत है उस पर अब तक मैंने दो, तीन भाषण सुने और मेरे मित्र प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल ने यह बतलाया कि ऐसे आर्डीनेन्सेज के द्वारा जनतन्त्र को बड़ा आघात पहुंचता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पंचायतों की दशा ठीक नहीं थी, उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी और अनेक स्थानों से इस बात की शिकायतें सरकार के पास आई थीं कि पंचायतों के कानून में संशोधन करने की बड़ी आवश्यकता है। सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया, विशेषकर पंचायती अदालतों के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें आई बहुत से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने लिखा और अन्य सार्वजनिक जीवन में भाग लेने वाले अनुभवी व्यक्तियों ने भी गवर्नमेंट को लिखा की पंचायतों की व्यवस्था में अवश्य ही परिवर्तन होना चाहिए। सरकार ने इस पर ध्यान दिया और एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की जिसने पंचायत राज सम्बन्धी विषयों पर विचार किया। प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी ने और श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा है कि जनतन्त्र को इससे आघात पहुंचता है। यह बात सत्य है। आर्डीनेन्स की व्यवस्था हमारे संविधान में है और यद्यपि प्रभु नारायण सिंह जी ने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक नहीं है लेकिन उसमें यह लिखा है कि यदि राज्यपाल समझें कि ऐसी स्थिति है कि आर्डीनेन्स जारी करना चाहिए तो आर्डीनेन्स जारी होगा। मैं जब विचार पूर्वक देखता हूं तो यह मालूम पड़ता है कि आर्डीनेन्स जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। आर्डीनेन्स एक विशेष परिस्थिति में लागू किया जाता है। कोई भी सरकार जो जनतान्त्रिक होने का दावा रखती है आर्डीनेन्स को नार्मल प्रोसेस आफ लेजिस्लेशन नहीं बना सकती और न उसको बनाना चाहिए। मैं समझता हूं हमारी सरकार भी नहीं चाहती है कि नार्मल प्रोसेज आफ ला को आर्डीनेन्स के द्वारा चलाये। हम लोग अपने देश में एक ऐसी नयी वैधानिक परम्परा स्थापित कर रहे हैं, जिसका कि लोग आगे चल कर अनुकरण करेंगे। यह ठीक है कि जनतन्त्र का विकास हमारे देश में धीरे-धीरे होगा और इसमें सन्देह नहीं है कि वैधानिक विकास किसी भी देश में धीरे धीरे होता है। वैधानिक परम्पराय बनने में समय लगता है, परन्तु हमको इसका श्री गणेश करना है, हमको इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे जनता यह समझे कि सरकार किसी तरह चुनाव की अवहेलना करती है। प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी ने कहा कि चुनाव की तारीख को स्थगित करना ठीक नहीं है और वैधानिक दृष्टि से उनका कहना सही है। चुनाव की तारीख मुल्तवी करने से जनता में असन्तोष फैलता है और जनता यह समझती है कि शायद हमारी सरकार का मन्तव्य चुनाव के करने का नहीं है। पंचायत राज बिल आवश्यक था और

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

मिनिस्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने उसको इस सदन में प्रस्तुत किया था, तब उन्होंने यह कहा था कि हम बहुत ही शीघ्र एक बिल लायेंगे, जिससे कि पंचायतों की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पंचायत राज बिल पर विचार करने के लिये एक कमेटी जून के महीने में बैठी थी। मुझे भी उस कमेटी का एक सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने दस-बारह दिन तक अनेक बातों पर विचार किया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने भी जो रायें भेजी थीं, उन पर भी विचार किया गया था। हम लोगों का ख्याल था कि अब जल्द ही इस सम्बन्ध में बिल विधान सभा के सामने पेश किया जायगा, परन्तु ७-८ महीने हो गये अभी तक बिल सदन के सामने नहीं आया। मेरा ख्याल था कि यह बिल अवश्य लाया जायगा, जब आगरा यूनिवर्सिटी बिल पारित हो जायगा, परन्तु किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ। इसमें सरकार ने जितना समय लगाया है वह ठीक नहीं है। मैं आशा करता हूं कि अब सरकार जल्द ही उस बिल को सदन के सामने उपस्थित करेगी और आयन्दा इस बात का ख्याल रखेगी कि वह कोई ऐसा काम न करे कि जिससे जनता में असन्तोष पैदा हो। फिर चुनाव में देर करना या टाल-मटोल करना जनतन्त्र की अवहेलना करना है। इससे जनता का ख्याल अपनी सरकार के प्रति अच्छा नहीं रह सकता। चुनाव को स्थगित करने से हम जनतन्त्र की परम्परा को देश में मजबूत नहीं बना सकते। पंचायत राज बिल बहुत ही सुविधा से अब तक लाया जा सकता था और इससे स्वायत्त शासन विभाग की असावधानी प्रकट होती है। इससे जनता को आवश्यक और अनावश्यक मौका मिलता है सरकार की बुराई करने का। खासकर चुनाव तो ठीक समय पर होना ही चाहिए। उसमें किसी प्रकार से देरी करना ठीक नहीं कहा जा सकता है। मुझे आशा है कि पंचायत राज बिल बहुत जल्द ही सदन के सामने उपस्थित किया जायगा।

आर्डीनेन्स के बारे में कई सदस्यों ने इस सदन में बहुत कुछ कहा है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आर्डीनेन्सेज विशेष स्थिति में ही जारी किये जाने चाहिए वरना आर्डीनेन्स का जहां तक कम उपयोग किया जाय, वही अच्छा है।

महाराज कुमार डाक्टर विजय आफ विजयानगरम (नाम निर्देशित)—Sir, I have been following this debate with very great interest. Very interesting speeches have been made, and I rise in support of this Bill not merely because I happen to be on the Treasury Benches sitting on this side of the House. But because I strongly feel that freedom is still a young baby and it is still in its infancy. We must first go to the root of the Panchayat Raj. Why was this introduced by Government is the main theme that I wish to speak about. Obviously litigation in this country has risen to a great extent and expenses in this connection have become astronomical and it was thought that when freedom was achieved by this country we would have Panchayat Raj. Obviously, Panchayat Raj was introduced with a view to reduce the expenditure and it was hoped that the common man would be benefitted by it. It would take time to find out the defects of the Panchayat Raj. These defects had to be removed and so an Ordinance had to be issued so that in the meantime these defects might be studied. The Opposition has made full use of it and they have taken up cudgels against it. When an Ordinance is issued, it is for a good purpose—the purpose is to study the full defects of the Panchayat Raj in order that at a later stage they might put forward a scheme by which those defects could be got over. The Opposition has pointed out that the Congress has suffered very much by *tallowing* (delaying) the Municipal elections. I wonder whether it suits them to say that. They should be very happy if the Congress were playing into their

hands. I for one, as I have said, would stand for an Ordinance only if it is for the purpose of achieving some good object. I personally feel that the Panchayat Raj Ordinance was issued for a good purpose and so I support it wholeheartedly.

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—श्रीमान् डिप्टी चेयरमैन साहब, मजमून सिर्फ तौसी उम्र का है यानी किसी की जान घुट रही है और इजाजत मांगी जा रही है कि जनाब इजाजत दी जाये कि इसकी जिन्दगी बढ़ जाये। अफसोस इस बात का है तवील जिन्दगी में भी आर। लेकिन भाई प्रभु नारायण साहब की तकरीर से एक सबक जरूर मिला और वह सबक यह है :

'रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद।'

यह मजमून इस कदर सादा और इस कदर छोटी अपनी हकीकत रखता था कि उसमें भी जान आ गई। जनाब, को मालूम है और हर हजरत को यह बात रौशन है कि पंचायत राज ऐक्ट और पंचायत इस सूबे की जिन्दगी और जान है। अगर यह हमला किया जाये या इस बात पर जोर दिया जाये कि यह गफलत कैसे, यह देरी कैसे तो अपनी जगह पर यह कुछ जा भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है :

कै आमदी कै पीर शुदी।

अभी पन्चायत शीरखार ही तो है। कब आपने देखा, कब आपने जांचा कि क्या खामियां हैं ? जनाब, अगर नुक्ताचीनी और नुक्तादानी से देखें और ख्याल दौड़ायें तो आपको मालूम होगा कि दरअसल इसमें इतनी खामियां हैं, जिनको दूर करने की जरूरत है और ताम्मुल से काम लेने की जरूरत है और यह ताम्मुल इस बात का प्वाइन्टर है कि आर्डी-नेन्स आये। जनाबवाला, एक बुजुर्ग ने फरमाया कि इसमें कमेटी फार्म की जा सकती थी। उसी जगह से और उसी बेन्च से एक आवाज चन्द महीना पहले यह थी कि किसी चीज में देरी करने के लिये निहायत अच्छा तरीका यह हुआ करता है कि एक कमेटी फार्म कर दीजिए।

श्री प्रभु नारायण सिंह—आपकी क्या राय है ?

श्री बद्री प्रसाद कक्कड़—जनाब, का सवाल है, "अपने मन में डूब जा और पा जा सुरागे जिन्दगी" मैं क्या हूं और आप क्या हैं दोनों अपनी आंखों से देखें। यह बात तो बिल्कुल सदाकत में है कि जो कदम इस ऐवान का उठे वह बिल्कुल सच्चा उठे, पोख्ता उठे।

"आइने नक्शे कफा बनाते चलिये—चार चांद जमीं पे लगाते चलिये"।

यह बात तो सही है कि आर्डीनेन्सेज का लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसमें है क्या ? इसमें अगर कोई जान है तो यह जान कि इसकी तौसीह हम चाहते हैं। कुछ चीजें इसमें आई। कुछ खामियां हो सकती हैं। लेकिन उन पर आपको पूरी तरह से तशखीस करना है, उन पर आपको खुद गौर करना है कि उसमें क्या खामियां हैं और मैं तो कहता हूं कि यह तो शुभ का मुकाम है कि जनाब को दिमाग लगाने की जरूरत हुई, लेकिन यह बात तो नहीं कही जा सकती है कि कोई शख्स अगर किसी दूसरी पार्टी का है और किसी बात में वह गलती करता है तो उसका मन्शा यह हो कि वह सही बात करना ही नहीं चाहता। आपके सामने एक बहुत बड़ा बिल आवेगा जिसमें गवर्नमेंट को अन्दाज लगाना होगा कि क्या क्या खामियां हैं और उनको दूर करने की जरूरत है और फिर जनाब जो जो कहेंगे वह खामियां दूर की जायेंगी। मेरे ख्याल में इसको आप समझ लेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब सदर, बहस तो इस बिल पर काफी लम्बी हुई लेकिन उस तमाम बहस का कोई फैसला अगर निकाला जाये तो वह एक जर्रे के बराबर है। एक तो यह बात की यह आर्डीनेन्स क्यों जारी किया गया, बहुत बड़ा जुर्म हुआ। इसके मुता-ल्लिक जो तकरीरें हुई मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता। इसलिये कि यह बात एक दफा

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

से ज्यादा इस हाउस के सामने बहस में आ चुकी है और यह सवाल कि किन हालत में आर्डीनेन्स जारी हो सकता है या किन सूरतों में वह जारी हो सकता है और कहां तक वह जनतन्त्र से कान्सिस्टेन्ट है यह सब बातें ऐसी हैं जो कई बार कही जा चुकी हैं और जवाब भी दिया गया है और फिर मैं उनके जवाब देने में वक्त सर्फ करूं मैं इसको जरूरी नहीं समझता । सिर्फ इतना अर्ज कर देना है कि किसी आर्डीनेन्स को जारी करने के लिये कुछ जस्टीफाइंग सरकम्स्टान्सेज होने चाहिए, जैसा कि इस आर्डीनेन्स में लिखा है । वह क्या हैं ? इसके मुताल्लिक दो राय हो सकती हैं। मैं एक राय पर पहुंचता हूं कि यह सरकम्स्टान्सेज हैं, मुमकिन है दूसरा उस राय पर न पहुंचता हो, लेकिन उस राय के लिये जिस पर मैं पहुंचता हूं यह अख्तियार से नहीं कहा जा सकता है कि यह उस राय का मिसयूज है या इसका गलत इस्तेमाल है । जहां तक इस बिल का ताल्लुक है आप इसका विरोध या अपोजीशन तो कर सकते हैं । यह कहा गया कि आर्डीनेन्स क्यों जारी किये गये और इलेक्शन को क्यों नहीं कराया जा रहा है । एक साहब ने यह कहा कि इलेक्शन आप उस वक्त करायेंगे जब आपकी हार निश्चित हो जायगी । इसके अलावा एक साहब ने यह भी इशारा किया कि इन्सान को ठीक वक्त से ठीक काम करना चाहिए । अगर ठीक वक्त से काम नहीं होता है तो उसका नतीजा खराब निकलता है । सही बात है वह ठीक कहते हैं। वह दौर हम पर ही आ रहा है हम ही उस दौर से गुजर रहे हैं । वह साहब इस वक्त यहां पर नहीं हैं । जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसको हम समझते हैं कि क्या है ? हाउस यहां पर बैठा है वह समझता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं । अगर हम इस बात को समझ लें कि दूसरा आदमी क्या सोचता है तो हम कभी गलत रास्ता अख्तियार ही न करें । जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाहते हैं तो उस मंजिल पर जाने के लिये हमको सब रास्ते तय करने पड़ेंगे । हमको अपना मकसद हासिल करने के लिये आगे बढ़ना ही है । एक बात मेरी जबान पर इस वक्त आयी और मैं चाहता हूं कि उसको सुना दूं, लेकिन फिर रुक गया, अब इसको और किसी वक्त सुना दूंगा । वह दौर जो आज आया है उसी का नतीजा है और आदमी अपनी हालत से मजबूर हो जाता है ; मुझे एक शेर याद आ गया है :

'इसी बायस तो कत्लेआम से मना करते थे ।
अकेले फिर रहे हो यूसुफ बे कारवां होकर ।'

तो अब इन बातों का दौर आ रहा है । पंचायत राज के इलेक्शन के बारे में यह बात कही गयी कि शायद इलेक्शन कराने का हमारा इरादा नहीं है । हम अपनी नाकामयाबी का इन्तजाम कर चुके हैं । वह साहब चले गये हैं वरना मैं उनको इसके लिये मुबारकबाद देता ।

मैं अपनी बदकिस्मती कहकर खुद अपनी राय बिगाड़ रहा हूं । मगर यही बेहतर है। यह एक छोटी सी बात है और इसमें एक प्वाइन्ट है और आसानी के साथ जो कुछ भी उन्होंने फरमाया तो मैं उसका जवाब पहले ही दे चुका हूं । गवर्नमेंट भी इस चीज से मुत्तलिक नहीं हो सकती है लेकिन जो असली बात है वह यह है कि आज हमें पंचायतों की हालत को सुधारना है और किसी ने भी अपनी स्पीच में यह नहीं कहा कि उनकी हालत सुधारनी चाहिए । मैंने अपनी स्पीच में यह कहा था कि हमें उनकी हालत को इम्प्रूव करना है और उनको बेहतर बनाना है और जो उसकी खराबियां हैं, उनको भी दूर करना है और इसी को दूर करने के लिये अभी एक कानून को आना है । यह कहना कि इस मामले को सोचने में इतनी देरी क्यों हुई, तो अगर इन्साफ की नजर से देखा जाय तो अगर मुझे केवल एक-दो मामले सोचने हैं, तो मेरी निस्बत तो यह बात हो सकती है कि इतनी देर क्यों हुई लेकिन अगर किसी दूसरे के पास बहुत से मामले सोचने के लिये हैं तो उनकी निस्बत यह सवाल मुश्किल हो सकता है । क्रिटिसिज्म कर देना तो बड़ी आसानी की चीज है और बाहर से कोई भी क्रिटिसिज्म कर सकता है मगर जो अन्दर काम करता है वही उस बात को ठीक तरह से समझ सकता है और उसका अन्दाजा लगा सकता है । कोई जानबूझ कर यह नहीं चाहेगा कि ऐसे काम में देरी हो । दूसरा जो इसमें प्रोबलम है वह फाइनन्स

का है और जिस वक्त इस किस्म का सवाल यहां आता है तो हमसे कहा जाता है कि हम करें तो सब, मगर कहां से ? पंचायतों के लिये रुपयों का क्या इन्तजाम हो। यह आप कह देंगे कि जो मालगुजारी मिलती है उसका एक टुकड़ा उनको दे दें, लेकिन जो गवर्नमेंट के खर्च में कमी हो, उसके लिये हम क्या करें। यह तो मैंने थोड़ी सी बात कही कि एक प्रोब्लम इसमें यह है। फिर दूसरी बात मैंने कही कि वहां कोआर्डीनेशन का सवाल है। यह भी देखना है कि उनके मेम्बरों की तादाद जितनी है उतनी ही रहे या कम हो या ज्यादा, उनका कान्स्टीट्यूशन किस तरह का हो और अदालतों के लिये भी बहुत कुछ यहां कहा गया है और अदालतों के लिये बहुत सी मुख्तलिफ शिकायतें भी हैं, तो उनको भी देखना है। बहरहाल, इन तमाम बातों को ओवरहाल करने के लिये और जनतन्त्र प्रणाली को कायम करने के लिये ये सभी बातें मुनासिब हैं और मैं नहीं समझता कि ये तबाह करने के लिये हैं। इस तरह से जो अमेंडमेंट होगा, मैं नहीं समझता हूं कि वह गलत है। काम करने में सहूलियत हासिल होनी चाहिए और फिर अगर कोई शख्स एक साल के बजाय डेढ़ साल में काम करता है, लेकिन वह काम ठीक है, तो फिर समय का कोई सवाल नहीं रहता। इस तरह इल्जाम लगाना उनके अख्तियार में ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि उस काम के लिये देरी लगाना कोई खराब बात नहीं है।

बातों का तजकिरा हो चुका, मैं कहता हूं कि इसके बाद एक दूसरा बिल भी है और अगर हाउस कल बैठना नहीं चाहता है और एतराज न हो तो उसे भी आज ही ले लिया जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण--वह जानवरों का है और यह आदमियों का हो रहा है। यह बिल आज खत्म भी नहीं हो पायेगा। इस बिल में अमेंडमेंट भी हैं और डिस्कशन भी होगा। अगर यह आज खत्म हो जाता तो कोई बात नहीं थी। अगर हमें कल का दिन और मिल जाता है, तो हम इसे कल खत्म कर लेंगे।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--मुझे तो अभी इस बिल की थर्ड रीडिंग पर भी बोलना है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अगर आप बोलना चाहेंगे तो मैं भी जवाब देने के लिये तैयार हूं। असल में मैं यह चाहता हूं कि दूसरा बिल भी आज ही ले लिया जाय तो बेहतर हो।

श्री राजा राम शास्त्री--अगर कल कर लिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि यह कैटल का मामला है और इसमें काफी बहस होने का अन्देशा है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कल हो सकता है कि मेरे पास यहां आने की फुरसत न हो।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २-३

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में पद "गांव पंचायत," "गांव सभा" और "पंचायती अदालत" का तात्पर्य यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ के अधीन स्थापित क्रमशः "गांव पंचायत", "गांव सभा" और "पंचायती अदालत" से है।

परिभाषा

१९४७ का यू० पी० ऐक्ट २

गांव सभाओं के प्रेसीडेन्ट और वाइस प्रेसीडेन्ट तथा गांव पंचायतों के सदस्य तथा पंचायती अदालतों के पंचों और सरपंचों की पदावधि का बढ़ाना।

३---किसी गांव पंचायत के सदस्य तथा गांव सभा के वाइस प्रेसीडेन्ट अथवा प्रेसीडेन्ट तथा पंचायती अदालत के पंच अथवा सरपंच की, जो इस अधिनियम के आरम्भ पर उस रूप से पद ग्रहण किये हों, पदावधि इस प्रकार अवधारित की जायगी मानों यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११ की उपधारा (३) और धारा १२ की उपधारा (३) और धारा ४५ की उपधारा (१) में शब्द "Five years" के स्थान पर शब्द "Six years" रख दिये गये थे, और छः वर्ष का कार्यकाल निर्दिष्ट करती हुई घोषणा उक्त धाराओं के अनुसार तथा अधीन यथोचित रूप से कर दी गई हो।

निवर्तन।

४---उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५४ एतद्द्वारा निरस्त (repealed) किया जाता है, और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि यह उत्तर प्रदेश के किसी ऐक्ट (अधिनियम) द्वारा निरस्त ऐक्ट (अधिनियम) हो।

डिप्टी चेयरमैन---प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३ और ४ इस बिल के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) अधिनियम, १९५४ ई० कहलायेगा।

(२) इसे २० जनवरी, १९५४, से प्रचलित समझा जायेगा।

*श्री परमात्मा नन्द सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)---मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १ के भाग दो में अंक और शब्द '२० जनवरी' के स्थान पर शब्द और अंक '१८ जनवरी' कर दिया जाय। अंग्रेजी में यह '१८ जनवरी' है और आर्डीनेन्स में भी '१८ जनवरी, है सिर्फ हिन्दी में ही यह गलती रह गयी है जो क्लेरिकल मिस्टेक है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मुझे कोई एतराज नहीं है।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल---माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं। विरोध इसलिये करता हूं कि यदि यह विधान मंडल इस विधेयक को पास भी करे, तो इस अधिनियम के पास करने की जिम्मेदारी आज से लेनी चाहिए। आज से पहले की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, जिसने यह अध्यादेश पास किया है। मैं कोई कारण नहीं समझता कि यह अधिनियम उस दिन से चालू किया जाय, जिस दिन से यह अध्यादेश सरकार ने पास किया है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, कोई बिल जो आर्डीनेन्स बन करके आये, उसका इन्फोर्समेंट उस वक्त से होगा, जिस वक्त से वह आर्डीनेन्स पास हुआ हो। वरना अगर इस वक्त इस कानून की जरूरत न होती तो आर्डीनेन्स की ही क्या जरूरत होती। इसलिये हमेशा इसको इस वक्त से रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देना है, यह कोई अनयूजवल बात नहीं है।

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खण्ड १ के भाग दो में अंक और शब्द "२० जनवरी" के स्थान पर अंक और शब्द "१८ जनवरी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खण्ड १ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५४ द्वारा संशोधित हुआ था, और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल के अधिनियम का होना आवश्यक है अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस बिल का भाग बनी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--Sir, I move that the U. P. Panchayat Raj (Term of Office) (Supplementary) Bill, 1954, be passed.

प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल--माननीय उपाध्यक्ष जी, जो बहस इस विधेयक के सम्बन्ध में इस सदन में हुई, उस बहस में हाफिज जी को एक जर्रा भर ही बात काम की नजर आई। लेकिन मैं हाफिज जी को इत्मीनान दिलाता हूं कि जो उन्होंने तकरीर की है और जिन बातों को तकरीर में उन्होंने कहा, उन दोनों बातों को मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। कक्कड़ साहब ने कहा कि गांव पंचायतें जो हैं वह तो इस सूबे की जान हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गांव पंचायतें हमारी जनतान्त्रिक जीवन के प्राण हैं। यदि गांव पंचायतें जनतान्त्रिक ढंग से चलती हैं और उनके जनतान्त्रिक मान और मर्यादा की ठीक तरह से रक्षा होती है तो उससे जनतन्त्र का भविष्य भी उज्ज्वल हो, लेकिन यदि इन गांव पंचायतों के बच्चे का गला अभी से घोंट दिया जाता है तो फिर जनतन्त्र के सम्बन्ध में एक शंका पैदा हो जाती है। कक्कड़ साहब ने कहा कि यह तो सिर्फ उम्र की तौसीह का सवाल है और इस पर भी हुज्जत की जाती है। सवाल तो उम्र की तौसीह का नहीं है बल्कि सवाल तो पंचायतों की जिन्दगी और मौत का है और मेरा यह निश्चित मत है कि अगर गांव पंचायतों की जनतान्त्रिक स्वतन्त्रता का इस प्रकार से आर्डीनेन्स के द्वारा अपहरण किया गया तो फिर इस जनतन्त्र के पनपने के सम्बन्ध में सन्देह ही पैदा हो सकता है। महाराज कुमार साहब ने कहा कि आर्डीनेन्स पास करना कोई गुनाह नहीं है। रिज्योलूशन में गुनाह का सवाल नहीं उठता है लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि जिस तरह से यह आर्डीनेन्स पास किया गया है वह जनतन्त्र के आदर्श में एक जुर्म जरूर कहा जा सकता है। हाफिज साहब ने कहा कि ऐसी हालत में आर्डिनेन्स पास किये जायं, इसके मुताल्लिक इख्तलाफ राय हो सकती हैं, बात बिल्कुल सही है लेकिन मैं समझता हूं कि कोर्ट के अन्दर सरकार को यह साबित करने की जरूरत पड़े या न पड़े कि जब आर्डीनेन्स पास किया गया उस समय आर्डीनेन्स के पास करने की जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन उत्तरदायी शासन के अन्दर सरकार को विधान मंडल के सदस्यों को यह जरूर समझाना पड़ेगा कि आर्डीनेन्स को पास किये बिना काम नहीं चल सका। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हाफिज जी ने यह साबित करने के लिये एक भी बात नहीं कही कि आखिर इस प्रकार के यदि किसी कानून की जरूरत थी तो वह कानून दिसम्बर के महीने में क्यों नहीं लाया जा सका। ठीक है सरकार के पास काम हैं, उसके पास सैकड़ों झंझटें हैं लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि यह आधे पृष्ठ का विधेयक भी क्या स्वशासन विभाग दिसम्बर के महीने में नहीं बना सकता था या जिस विधेयक को घंटे डेढ़ घंटे के अन्दर विधान परिषद् में पास कर लेते हैं और इसी तरह से विधान सभा में पास कर लेते हैं तो इतना समय भी इस विधान मंडल को नहीं दिया गया कि सरकार यह प्रश्न विधान मंडल के सामने ला सके। यदि इस देश के अन्दर जनतान्त्रिक परम्परा की प्रतिष्ठा होती, यदि मन्त्रिमंडल

[प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल]

क अन्दर जनतन्त्र की भावनायें पुष्ट होतीं तो वे इस बात को कभी सोच भी नहीं सकते थे और अगर मजबूरन उन्हें उम्र बदलने या तौसीह की जरूरत होती तो वह जरूर कानून के जरिये से करने की कोशिश करते, न कि आर्डीनेन्स के द्वारा ऐसा करने की कोशिश करते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो दुख: की बात है कि हाफिज साहब ऐसे आर्गूमेन्ट्स का जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझते हैं, जो दलीलें आर्डीनेन्स के पास करने के खिलाफ दी गईं। उन्होंने किसी अपनी पुरानी तकरीर का हवाला दिया।

डिप्टी चेयरमैन--इस समय सदन के सामने यह विधेयक है, न कि आर्डीनेन्स।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--हम आर्डीनेन्स को रेगूलराईज कर रहे हैं। मैं ठीक हूं वैसे जो आप कहें, मैं फालो करूंगा।

डिप्टी चेयरमैन--आप इस वक्त इस विधेयक की पहली पढ़ाई पास कर चुके हैं।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--थर्ड रीडिंग के बाद पास होगा। आर्डीनेन्स ८ जुलाई से किया जाय या न किया जाय।

I am within order. This is my contention. I think I am absolutely within my p. i ıts and I am within the jurisdiction of the Bill.

जब हाफिज जी थर्ड रीडिंग का तजकिरा कर रहे थे तो मुझे भी पुरानी बात याद आ गयी, उसे मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं। मार्ले-मिन्टो रिफार्म सन् १९०९ में पास हुआ उस समय बहुत से शिक्षित लोगों को आशा थी कि इससे कांग्रेस की तेजी धुन्धली हो जायगी और लोग लेजिस्लेचर्स की तरफ अपनी निगाह रखेंगे। यदि उस समय का इतिहास पढ़ा जाय तो पता चलता है कि उस मार्ले-मिन्टो रिफार्म में कांग्रेस की तेजी बहुत कुछ कम हो गई थी, लेकिन आगे चल कर वह बात नहीं रही। फिर उसके ऊपर जब मान्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफार्म्स आये तो उस पर यह बहस हुई कि क्यों यह बात हुई। उसमें कहा गया कि मार्ले-मिन्टो रिफार्म के जमाने में यह हुआ कि विरोधी दल की ओर से जो दलील दी गई उस पर सरकार की ओर से खामोशी बढ़ती गयी और वोट के जरिये से जो चाहा उन्होंने पास कर लिया। नतीजा यह हुआ कि विरोधी पक्ष की ओर यह प्रभाव पड़ा कि यह सदन जो चाहे कर सकता है। एक खिलवाड़ है बेकार की चीज है और जनता की दृष्टि में मार्ले-मिन्टो रिफार्म गिर गया और उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा। यही हाल इस सदन का होने वाला है। ठीक है वित्त मन्त्री जी के पीछे बहुत बड़ी तादाद है और जो चाहें वह कर सकते हैं वह चाहें तो हमारी दलीलों का जवाब दें और न चाहें तो नहीं दें। वह इस सदन के नेता हैं जो चाहें वह पास करा सकते हैं लेकिन यदि वह ऐसा करेंगे तो परिणाम यह होगा कि लोग इस व्यवस्था से बेइत्मीनान होने लगेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कम से कम यदि सरकार की जनतन्त्र भावनाओं पर बेइत्मीनान पैदा हो जायेगा तो जनसाधारण इस विधान मंडल को भी उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगेंगे जिस तरह से मार्ले-मिन्टो रिफार्म को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा। हाफिज जी इस ख्याल के नहीं हैं। वह कभी नहीं चाहते हैं कि इस देश की वह हालत हो जाय कि जनता विधान मंडल को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। इसलिये मैं हाफिज जी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि वह दलील का जवाब दलील से देने की कोशिश करें, खामोश रह कर सिर्फ हाथ उठवा कर पास कराने की कोशिश न करें।

श्री इन्द्र सिंह नयाल--उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं। यह जो माननीय सदस्य प्रोफेसर साहब ने मार्ले-मिन्टो रिफार्म के बारे में कहा है वह गलत बात है। मार्ले-मिन्टो रिफार्म की जो कौंसिल थी उसमें चुने हुये मेम्बरों की तादाद-ज्यादा नहीं थी जो एक्जीक्यूटिव थी वह चुने हुये लोगों की न थी। इसलिये उसका मुकाबिला करना गलत है। मार्ले-मिन्टो रिफार्म में जो बहुमत था वह चुने हुये लोगों का न था लेकिन आज तो बिल्कुल

दूसरी बात है। आज इसको अपने वोट से पास करने जा रही है। बहुमत की रिप्रेजेन्ट करते हुये जो विरोधी पक्ष से कह रहे हैं उनका जनमत तो कम है। यह बिल्कुल उल्टी बात उन्होंने कही है।

आजकल जो एक्जीक्यूटिव है और जो गवर्नमेंट के लिये जिम्मेवार है वह जनतन्त्र से चुनी हुई है और वह जनमत के बहुतायत से है। मेरा कहना है कि अगर प्रोफेसर साहब सोचते हैं विरोधी पक्ष जिसका नम्बर न्यूनतम है उसकी मन्शा से पास कर दिया जाय तो उसका मतलब होगा कि जो जनमत के विरोधी हैं और विरोधी पक्ष से आये हैं उसको पास कर दिया जाय तो यह गलत बात होगी। जनमत हमारे विधान में रखा गया है। एक्जीक्यूटिव एक जनमत की वजह से है। आर्डीनेन्स के लिये कोई रोक हमारे विधान में नहीं है। जिस वक्त एक्जीक्यूटिव अपने काम के लिये जरूरी समझे उस वक्त पास करेगी। आर्डीनेन्स के पास होने से कोई जनमत की हानि होती है तो ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आर्डीनेन्स पास करके वह बिल कौंसिल के सामने आया है। यदि वह बहुमत जो पहले ठुकरा सकती थी तो आज भी ठुकरा सकती है। यह कोई अर्थ नहीं रखता कि कौंसिल और असेम्बली बुलायी जाती और लाखों रुपये खर्च किये जाते। यदि ऐसी परिस्थिति होती, उस समय यह कहा जाता कि यदि आप कौंसिल और असेम्बली के सामने रखते तो उसको ठुकरा देती। जब जनमत उसके साथ है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें कोई नहीं कह सकता है कि इसको पहले क्यों नहीं लाये। वह जो बहुमत पहले था वह बहुमत आज भी है। दूसरी बात यह है कि आर्डीनेन्स की एक छोटी सी बात है और कुछ पीरियड को एक्सटेन्ड करना है। इसमें वाद-विवाद की जरूरत नहीं है। जब जरूरी मसले के लिये आर्डीनेन्स पास नहीं होगा तो फिर किस मसले के लिये आर्डीनेन्स पास होगा। प्रोफेसर साहब का जो ख्याल है वह गलत है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं प्रोफेसर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक नेक सलाह दी। मगर उन्होंने बावजूद मेरी गुजारिश सुनने के फरमाया यह कि मैंने कोई दलील नहीं दी और दलील का जवाब दलील से देना जरूरी है खामोशी से नहीं देना चाहिए। अभी जो कुछ मैं यहां कहता रहा हूं वह इस हाउस के इल्म में है। लेकिन जो आर्डीनेन्स की बात थी उसके निस्बत मैंने यह कहा कि बहुत सी दफा चूंकि इस पर बहस हो चुकी है इसलिये मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जो मेन आर्गूमेन्ट था वह मैंने दिया कि जो इसको क्राइसिस के समय लाने की जरूरत समझी जाती है, ऐसा मैं नहीं मानता। कान्स्टीट्यूशन में लिखा है कि उसके लाने के लिये कुछ जस्टीफाइंग सरकमस्टान्सेज होने चाहिए।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—अरजेन्सी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अरजेन्सी नहीं। न उसमें इमरजेन्सी है और न क्राइसिस उसमें सिर्फ यह लिखा है कि कोई जस्टीफाइंग सरकम्स्टान्सेज हों उसकी बिना पर गवर्नमेंट इसको ला सकती है। तो मैंने दलील तो दी और वह दलील कमजोर है, लचर है, यह बात दूसरी है। लेकिन जहां तक दलील देने का ताल्लुक है, वह मैंने दी। दूसरी बात यह है कि प्रोफेसर साहब को शायद यह याद नहीं रहा कि वह मुद्दतों बाद यहां तशरीफ लाये हैं। इस बिल के ऊपर गुफ्तगू और उसके पहिले मैं तकरीर कर चुका हूं और फिर बहस शुरू हुई और उसमें उनको पता नहीं कि मैं क्या क्या बोला। तो अगर कोई यहां की सारी बहस को मिलाकर देखे तो यह इल्जाम मेरे जिम्मे नहीं लग सकता। अब यह कि उसके मुताल्लिक अगर और तफसील से आप बहस करना चाहते हैं तो मैं और आर्डीनेन्स ला दूंगा। अब तो हमें इस बिल को पास करना है सो कर लीजिये और जो मशविरा और मेम्बरान ने दिया इस मामले में, मैं उसके लिये उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत उम्दा बात है, एक नेक बात की तरफ तवज्जह दिलाना और उसको मानने में मुझे कोई इन्कार नहीं है।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन--कौंसिल कल तारीख ५, को दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल की बैठक ४ बजकर ४० मिनट पर ५ मार्च, १९५४ ई०, को दिन के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ :
४ मार्च, १९५४।

कृष्ण बहादुर सक्सेना,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०--३६ एल० सी०--१९५४--८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

५ मार्च, १९५३

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (४९)

अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभू नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विजय आफ विजयानगरम, महाराज कुमार डाक्टर
विश्वनाथ, श्री
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री) भी उपस्थित थे :

प्रश्नोत्तर

१—१२ श्री लाल सुरेश सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

सन् १९५४ ई० का कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री)—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५४ ई० के कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

कुछ दिनों से स्टेट में लोगों की यह बहुत शिकायत हो गई है कि कैटिल की वजह से खेती का बहुत नुकसान होता है। लोग जानवरों को छोड़ देते हैं और वह खेत में जाकर या और दूसरे तरीके से नुकसान करते हैं। इसके लिये इस स्टेट में सन् १८७१ से एक कानून जारी है, जिसके मातहत कार्यवाही हो सकती है। मगर जो उस कानून में सजा इसके लिये रखी गयी है वह बहुत ही कम है और कोई भी शख्स उस सजा के खौफ से इस बात से डर नहीं सकता है कि वह अपने मवेशियों को आवारा न छोड़े। क्योंकि यह बात बहुत बढ़ गई है, इसलिये जरूरत महसूस की गई कि उस सजा को जो कानून में दी हुई है और बढ़ाया जाय। अगर उस ऐक्ट को किसी ने देखा होगा, जो मूल ऐक्ट है, जिसमें संशोधन किये गये हैं, उस ऐक्ट के जरिये से, शायद १० रुपया जुर्माना हो सकता है। यह रकम इतनी कम है कि उसके खौफ से लोगों से यह उम्मीद की जाय कि वह अपने मवेशियों को आवारा नहीं छोड़ेंगे, बहुत मुशकिल है। इस वजह से यह तय हुआ कि उस कानून में तरमीम की जाय और कड़ी सजा इस बात के लिये रखी जाय ताकि लोगों को ध्यान रहे कि उस सजा से बचने के लिये वह अपने मवेशियों की काफी देखभाल करेंगे और उनको आवारा नहीं छोड़ेंगे। मूल अधिनियम का जो २६ सेक्शन है और जिसमें कि १० रुपये के जुर्माने की सजा मुकर्रर है, उसमें इस संशोधन के जरिये से तरमीम हो रही है और मेम्बरान के पास वह बिल मौजूद है, उसको पढ़ने से उनको यह मालूम हो जायगा कि उसको तरमीम करके, जो १० रुपये की सजा है, उसको तो कम से कम सजा रखी जा रही है और इस तरमीम के करने से जो ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती है, तो उसको २५० रुपये किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें तीन महीने की सजा का प्रावीजन भी किया जा रहा है और तीन महीने के लिये इस जुर्म में वह जेल भेजा जा सकता है। मगर यह बात मुनासिब नहीं है कि इस ऐक्ट को सभी जगह एक तरह से लागू किया जाय। सेक्शन २६ में जो तरमीम है उसमें लिखा हुआ है कि पहले उसका ताल्लुक सारे स्टेट से है जहां कि वह लागू किया जाय, मगर किसी खास हिस्से में यह चीज ज्यादा पाई जाय तो इस बिल के शिड्यूल के अन्दर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सेक्शन २६ के अन्दर ऐसी तरमीम करके यह बात लागू की जा सकती है और गवर्नमेंट के नोटीफिकेशन के जरिये से इस तरह का आर्डर उस एरिया के लिये हो सकता है। तो इसमें इतनी बात बढ़ा दी गई है कि जो जुर्म करेगा उसके लिये एक बार जो सजा होगी वह तो २५० रुपये या कैद, लेकिन अगर दुबारा या तीसरी बार कोई शख्स ऐसा जुर्म करेगा तो इस प्रकार से उस पर जुर्माना २५० रुपये से बढ़कर ५ सौ रुपये तक भी हो सकता है। यह मैक्सीमम एमाउन्ट है। सौ, दो सौ और ५ सौ रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इस बिल में यही दो बातें हैं कि जुर्माना बजाय १० रुपये के २५० रुपये हो जाये और तीन महीने की सजा हो जाय और किसी खास हिस्से के लिये नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है और इस तरह से किसी को ५ सौ रुपये तक का भी जुर्माना हो सकेगा। और कोई ज्यादा बातें इसमें नहीं हैं, इसलिये मुझे इतना ही कहना है।

---

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कैटिल ट्रेसपास यू० पी० अमेंडमेंट बिल अभी लीडर आफ दि हाउस ने इस भवन के सामने रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है और जिस उद्देश्य के लिये यह विधेयक यहां लाया गया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है और लाडिबुल आबजेक्ट है। आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत से कैटिल छोड़ दिये जाते हैं और इससे तमाम फसल का नुकसान होता है।

यह जो विधेयक कैटिल ट्रेसपास का लाया गया है और जो कि संशोधित किया जा रहा है सन् १८७१ का यह सेन्ट्रल ऐक्ट है और सेन्ट्रल ऐक्ट में जहां तक हमारे प्रदेश का सम्बन्ध है उसके एप्लीकेशन के सिलसिले में हम इसको बदलना चाहते हैं। श्रीमान्, एक बात मैं इस समय जरूर जानना चाहूंगा माननीय वित्त मन्त्री जी से और वह यह कि जब हम कोई ऐक्ट बदलें तो हमको अपनी जगह पर यह तय कर लेना चाहिए कि क्या जो ऐक्ट हम बदल रहे हैं उससे कुछ फायदा होगा या नहीं। इस विधेयक के जरिये से ओनर आफ कैटिल जो होंगे उनकी सजा में कुछ वृद्धि कर दी गई है। जो इसमें पहले ५० रुपये तक जुर्माना हो सकता था, वह अब पहले आफेन्स में २५० रुपये तक जुर्माना हो सकता है और दूसरे आफेन्स में ५०० रु० तक हो सकता है तथा इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट की धारा भी इसमें रख दी गई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे फीगर्स हैं या नहीं, जिससे कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट के सम्बन्ध में यह निश्चय हो कि अगर कोई इस तरह से स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट के पास हैं तो उसके आधार पर हम एक नतीजा निकाल सकें। लेकिन आमतौर से यहां यह देखा जाता है कि जानवर खेतों को नुकसान करते हैं, यह भी सही है, अब हमें यह भी विचार करना है कि अगर हमने सजा बढ़ा दी तो ऐसी सजा के बढ़ा देने से क्या जिस आबजेक्ट को हम पाने के लिये कोशिश कर रहे हैं वह हल भी हो जायगा या नहीं। हमारा अपना ख्याल यह है कि जो ५० रुपये की सजा थी वह भी काफी थी, लेकिन जो आब्जेक्ट हमारा हल नहीं होता है उसका कारण यह है कि आज लोग अदालतों में मुकदमा दायर करना नहीं चाहते। वह नहीं चाहते कि अगर किसी खेत को कैटिल ने नुकसान किया तो वह जाकर यह सोचें कि हम अदालत में मुकदमा दायर करें और फिर यह भी नहीं मालूम की उसमें कितनी पेशियां होंगी कितनी पैरवी करनी होगी। तो इस मुशीबत को बचाने के लिये वह अदालत में नहीं जाना चाहते। इसलिये नहीं कि उनकी सजा कम है बल्कि मेरा अपना ख्याल यह है कि हो सकता है कि थोड़ी सी सजा बढ़ा देने से मुकदमें ज्यादा दायर हों और लोगों को मुकदमा करने के लिये कुछ हिम्मत मिले लेकिन असल चीज जो है वह यह है कि आज वह लोग कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट के मातहत मुकदमा दायर नहीं करना चाहते हैं यह इसलिये कि वह इस बादरेशन से बचना चाहते हैं कि हम तमाम इन मुसीबतों में पड़ें और न मालूम कितनी पेशियां होंगी और हम दौड़-धौड़ परेशान हो जायेंगे। इसका खास उद्देश्य मैं तो यही समझता हूं कि यही दावा न दायर करने का है। इस सम्बन्ध में कोई स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने होती तो हमको थोड़ी सी रोशनी मिलती कि किस प्रकार से लोग इस कानून का इस्तेमाल करते हैं।

अब इसमें एक चीज जो रक्खी गयी है वह यह है कि पहले ही आफेन्स में २५० रुपये का फाइन रखा गया है और उसके साथ ही साथ ३ महीने का इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि पहले आफेन्स के लिये ३ माह की सजा ज्यादा है, अगर यह दूसरे अपराध में होता तो भी किसी हद तक ठीक था। क्योंकि हमारे सामने एक चीज और भी है कि आज जो जानवर जाकर खेतों का नुकसान करते हैं तो उनके लिये हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के जरिये से कटघरे (Pounds) बना रक्खे हैं। यह भी हमें नहीं मालूम कि गवर्नमेंट का क्या अन्दाजा है कि कटघरे कितने हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पास जहां जानवरों को बन्द किया जा सकता है। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के मातहत यह कटघरे हैं आखिर उनमें क्यों जानवर काफी नहीं बन्द किये जाते। बहरहाल इसकी पैनाल्टी उनको देनी ही पड़ती है और तब उसके पूरे जानवर वापस मिलते हैं तो जो चीज हमारे सामने है वह यह है कि आया इस

[श्री कुंवर गुरुनारायण]

विधेयक से हम इसको रोक सकेंगे या नहीं। मेरा ख्याल है कि जब तक हम इस विधेयक को अच्छी तरह से चालू करने की सुविधा नहीं पहुंचायेंगे तब तक हम किसी सजा मात्र से ही इन जानवरों से किये गये नुकसान को हम रोक नहीं सकते।

आज तो एक ही मुसीबत नहीं है। कैटिल की ही मुसीबत क्या इससे ज्यादा तो आज कल बन्दरों की मुसीबत है और मैं समझता हूं कि बन्दरों से इनसे भी अधिक नुकसान पहुंचता है और उसके लिये एक या दो आदमी मुकर्रर किये जाते हैं कि वह बन्दरों को भगायें। होता यह है कि एक गांव वाले उनको दूसरे गांव में पहुंचा देते हैं और दूसरे गांव वाले तीसरे में, नतीजा यह होता है कि तमाम खेतों को नुकसान होता है। इसके लिये भी कुछ न कुछ ड्राइव होना चाहिए और गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान अवश्य देना चाहिए तथा कोई न कोई कदम इस सम्बन्ध में भी उठाना चाहिए।

जहां तक इस विधेयक के सम्बन्ध में उसका जो उद्देश्य है वह बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह उद्देश्य खाली सजा बढ़ा देने से ही हल नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि इससे लोगों को हैरेसमेन्ट हो सकता है। ओनर परेशान भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी तथा मूल बात तो यह है कि सूबे में आज आपने भूदान यज्ञ मूवमेंट चलाया है। जिससे कि जितनी जमीन देहातों की है वह इसमें चली गई। देहातों में जमीन्दारी अबालिशन हुआ और उस अबालिशन में जमीन्दारों ने अपनी तमाम जमीन दूसरों के नाम पट्टा किया या उसमें अपनी खेती-किसानी करते हैं और यह करना उनके लिये स्वाभाविक ही था। तो एक तरफ तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये यह सब करना पड़ा और दूसरी तरफ भूदान यज्ञ मूवमेंट चालू किया तो उसमें यह हुआ कि उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गयी कि जिसके पास जमीन हो वह क्या सब दे दे। इससे जितने चरागाह हैं वह सब के सब चले गये और यह मानी हुई बात है कि जब हम लोग मनुष्य होकर जानवरों की चीजों पर कब्जा करेंगे तो फिर जानवर भी हमारे घरों में कब्जा करेंगे। वह आखिर कहां जायं ? वह बेजबान हैं अगर चरने चले जाते हैं तो वह करें ही क्या। इसके सम्बन्ध में मैं एक विधेयक पास्चर लैन्ड के सम्बन्ध में भी लाया हूं कि हर गांव में कुछ जमीन की प्रतिशत डैफिनिटली हमको मुकर्रर करनी है जिसमें चरागाह बनाये जायं और जो इस तरह से जमीन छोड़ी जाय उससे जानवरों को खाने की कमी न हो। आज जो हमारे देहातों के जानवर हैं उनकी शक्ल को देखकर ही अन्दाजा हो जाता है कि किस प्रकार उनको खाना दिया जाता है और किस तरह से वह रहते हैं, तो ऐसी हालत में हमें सारी बातों को मिला करके काम करना होगा तब तो हम इस प्राब्लम का हल निकाल सकते हैं और अगर इन सब बातों को नहीं विचारते हैं और महज सजा बढ़ा देने से इसका हल निकालना चाहते हैं तो जैसा यह बिल १८७१ ई० में था अब भी वैसे ही रहेगा और शायद १०० वर्ष के बाद भी अगर इस बिल में संशोधन लायेंगे तो उससे कोई हल नहीं निकल सकता है। इसलिये हमको हर तरीके से देखना पड़ेगा जिससे हम जानवरों के लिये चारा पैदा कर सकें और तब जो खेतों को नुकसान होता है उससे हम खेतों को बचा सकेंगे।

जहां तक सजा का सम्बन्ध है मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सजा ज्यादा है और पहले ही अपराध में कम से कम इतनी सजा करना एक प्रकार से हैरेसमेंट लोगों के लिये होगा। आजकल जो हमारा चरित्र है हम जानते हैं कि वह किस तरीके से चल रहा है ऐसी हालत में इससे और भी हैरेसमेंट होने की गुन्जाइश है। जब हम सब चीजों की तरफ अपने ध्यान ले जायेंगे तब हम अपना कुछ फायदा कर सकते हैं। यही चन्द बातें मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में कहनी थीं।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं जो मोशन हाउस के सामने पेश है उसकी ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं। जिन साहबान ने

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

देहाती जिन्दगी का तजुर्बा उठाया है और उनको अदालत फौजदारी से तजुर्बा था, उनके दिमाग में यह बात रौशन होगी कि देहात के लोगों की कौन कौन सी वजूहातें हुआ करती हैं जिसपर कि वह बजंग आमादा के मजमून पर कमरबस्ता हुआ करते हैं, जंग, लड़ाई करते हैं । मेरा तो ऐसा ख्याल है कि ३ या ४ किस्म की लड़ाई देहातों में ज्यादातर देखी जाती हैं। जिस वक्त कठिनाई का वक्त हो, आबपाशी का वक्त हो या गांव में मजदूरों को निकालने का वक्त हो, उस वक्त इस कदर शिद्दत से लड़ाई हुआ करती है और उसी के असरात हैं कि बलवे बेइन्तिहा हुआ करते हैं और उसी का यह खास नतीजा है कि बेइन्तिहा मर्डर्स होते हैं और मर्डर्स की तादाद आज तक कम नहीं हुई है और वह भी एक खास सूरत रखते हैं। यह जो मोशन इस वक्त हमारे सामने है वह इस बात को जाहिर करने का एक सबूत है कि देहात में अपने फरायज और उन फरायज पर अमल करने की कूवत जाया हो गई। उनको एहसास नहीं है कि फर्ज किसको कहते हैं, एखलाक किसको कहते हैं और हालत यह हो गई है कि वह अपने एखलाक से बिल्कुल हट गये हैं । उसकी खास वजह यह है कि देहात में इस बात का नगमा रखते हैं कि कौन फौजदारी अदालत में ज्यादा जानकारी रखते हैं। अदालत आने जाने से उनके एखलाक में भी काफी असर हो गया है

यह शिकायत जो इस वक्त हमारे सामने हैं, दरअसल यह अपना महत्व रखती है । इस पर गौर किया जाना चाहिए, हालांकि जो मसायल सरकार के सामने आते हैं, गवर्नमेंट उन पर ध्यान रखती है और इस वक्त जो सबसे बड़ी खामी है वह कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स न होने की है। कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स हो जाने के बाद ऐसी सूरत बहुत कम आ सकती है। आजकल यह होता है कि लोग अपने जानवर चरने के लिये भेजते हैं, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा रहता है और वे उनको छोड़ देते हैं, तो इस तरह जानवर दूसरे का खेत चर जाते हैं। वे बचते हैं कि आज जानवरों को भूसा, चोकर दाना न देना पड़ेगा। यह सूरतें खुद जाहिर कर रही हैं कि किस कदर गैर जिम्मेदारी लोगों में आ रही है । फाडर लैन्ड का ईक्वल डिस्ट्रि-ब्यूशन नहीं है। फर्ज कीजिये कि हमारे पास १० बीघा जमीन है तो मेरे जानवर उसमें चर सकते हैं लेकिन ऐसी सूरत नहीं है । दूसरी जो सबसे बड़ी भारी बातें हैं, वह यह हैं कि कैरेक्टर गिरा हुआ है । आज हम और आप चाहें कि एवाम के जरिये से बढ़ाये तो उनका कैरेक्टर नहीं बढ़ सकता है। कैरेक्टर का कल्टीवेशन अलहदा होता है। ख्वाह कोई चीज जिस कदर हो लेकिन उसका कैरेक्टर गिरा हुआ है। वह कैरेक्टर कोई कैरेक्टर नहीं है।

"The prosperity of the country does not depend upon its fortifications and palatial buildings. It depends upon men of character and men of enlightenment."

तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि लोगों में एखलाकी माद्दा पैदा किया जाय।

दूसरी बात यह है कि कैरेक्टर का जहां तक तजकिरा आता है और यह मालूम होता है कि यह जानवर कहां जाते हैं तो वहां पर पांड्स कीपर का कैरेक्टर देखिये। एक मर्तबा एक शख्स मेरे पास आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पांड्स कीपर-मुकर्रर करा दीजिए। उनकी परेशानी देखकर मुझे दर्द हुआ। मैंने उनसे कहा कि इस वक्त यह काम नहीं मिल सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि बिला तनख्वाह ही करा दीजिए। एक शख्स है, अपनी रोजी की तलाश में, लेकिन पांड-कीपरी चाहता है बिना तनख्वाह के। आजकल जितने पांड-कीपर होते हैं और वे जिस तरीके से अपना पेट पालते हैं, वह अफसोसनाक है। मवेशियों के साथ जिस तरह से बर्ताव करते हैं. वह भी दुःख की बात है।

अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि मन्की का इन्तजाम हो। उनका भी हमला बहुत सख्त होता है। मैं भी जी० ए० डी० में रहा हूं। उनको हलाक कर देना चाहिए। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में इस गुनाह को खुद अपने ऊपर लेने के लिये तैयार हूं और इकबाल करने के लिये तैयार हूं। मैं उन जानवरों की सूरत को भी कभी पसन्द नहीं करता। यदि यह हुक्म

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

दे दिया जाय कि ये मन्की मार दिये जायं तो मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं, न इस पर वोट दे सकता हूं। न मैं इस सूरत को पसन्द कर सकता हूं। जिस कदर हो उनको पकड़ने के लिये इन्तजाम किया जाय और उनको फारेस्ट में छोड़ दिया जाय। लेकिन यह कहा जाय कि उनको कत्ल किया जाय तो यह सूरत नागवार है और बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो मुझसे इत्तफाक करते हैं। जो तजवीज रखी गयी है कि पहले आफन्स पर २५० रु० और हैबीचुअल आफैन्स करने वाले पर ५०० रू० जुर्माना किया जाय, बहुत अच्छी तजवीज है।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी ने विधेयक को पेश करते हुये यह बात कही कि इस समय सूबे में कैटिल ट्रेसपास के केसेज बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी हालत में हमें सजा को अधिक बढ़ाना चाहिए और जब सजा अधिक बढ़ेगी तब इस तरह के जुर्म होना बन्द हो जायेंगे। मैं उनकी इस राय से इत्तफाक नहीं करता हूं क्योंकि केवल पनिशमेंट बढ़ा देने से ही जुर्म रुक जाया करे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमें देखना इस बात को चाहिए कि आखिरश यह जुर्म बढ़ते क्यों हैं। किन कारणों से यह जुर्म बढ़ रहे हैं और जैसा कि मन्त्री जी ने कहा उपाध्यक्ष जी, कि इधर यह जुर्म बहुत अधिक बढ़े, इससे यह मालूम होता है कि गांवों में चरागाहों की जमीनें जो हैं वह नहीं के बराबर रह गई हैं। इसलिये उसका सही तरीका तो यह था कि हम चरागाह की जमीन का बन्दोबस्त करें, लेकिन बजाय इसके हमने रास्ता यह सोचा कि हम सजा को और बढ़ा दें। तो जो सही तरीका समस्या का हल करने का है वह तो सरकार करती नहीं और उसकी जगह पर एक गलत तरीके से इस समस्या को हल करने का रास्ता निकालती है। इस सजा के सिलसिले में जब हम इस बात को देखते हैं कि किन लोगों को सजा मिलेगी जब कैटिल ट्रेसपास होगा किसी जमीन पर या उसके सिलसिले में यदि किसी क्राप को नुकसान पहुंच जाय, तो हम देखते हैं कि उसके मालिक को सजा हो सकती है या उन जानवरों के रखने वाले व्यक्ति को हो सकती है या उनके अटेन्डेन्ट को भी हो सकती है। मतलब यह है कि जो चरवाहा चराने जाता है बैलों को, भैंसों को लेकर और उनका मालिक कोई दूसरा है, उसको भी सजा २५० और ५०० रुपये तक की हो सकती है। किन्तु यह बात इस विधेयक को बनाते हुये नहीं सोची गई कि आखिर चरवाहा जो होता है वह कौन होता है। वह कहां से लायेगा ५०० रुपये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कैद हो जायगी।

श्री प्रभु नारायण सिंह---उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने यह फरमाया कि कैद हो जायगी। लेकिन इस विधेयक में यह नहीं लिखा है कि कैद होगी तो कैद के साथ जुर्माना नहीं होगा बल्कि माननीय मन्त्री जी ने तो बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया कि कैद और जुर्माना साथ-साथ हो सकता है।

"for the first offence to a fine not less than Rs. 10/ but not exceeding Rs. 250/ or to imprisonment for a term not exceeding three monts or to both." और उसके बाद माननीय मन्त्री जी ने उसको स्पष्ट करने के लिये कह दिया "और बोथ"। "बोथ" शब्द भी उसके विश्लेषण में जोड़ दिया कि सजा या जुर्माना होकर ही न रह जाय बल्कि सजा और जुर्माना होना चाहिए। तो यह जो विधेयक हमारे सामने है और उसमें मैंने जब यह देखा कि बेचारा चरावाहा भी इसमें शामिल है तो उसको देखने के बाद मैं परेशान हुआ कि यह बड़ी मुसीबत की बात है। यदि १० या ५० रुपये का सवाल हो तो वह भी उसको देना मुश्किल हो जायगा और उसकी जगह पर २५० या ५०० की तो बात भी नहीं सोची

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जा सकती । फिर आप यह भी सोचिये कि आज हमारे गांव की क्या हालत है। बीच में रास्ता पड़ा है, अगल-बगल खेत हैं । १०-२० बैलों का झुन्ड चरवाहा ले जा रहा है और उसके बीच से एक जानवर निकल गया। जब तक वह पहुंचता है और जानवर का झुन्ड के बीच लाता है तब तक कुछ न कुछ खेत का नुकसान हो ही जाता है। उसका इन्टेंशन नहीं है खेत को नुकसान पहुंचाने का, वह कोशिश करता है कि किसी तरह पर कोई नुकसान न होने पाये, फिर भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसी हालत में इस जुर्म की रकम बढ़ाने से हार्डशिप बढ़ेगी। आप देखिये कि आज हालत यह हो गई है कि गाय १०० या १५० रुपये में मिल जायेगी, बैलों का भी यही हाल है, लेकिन आप जुर्माना करना चाहते हैं २५० या ५००। तो ऐसी हालत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सजा की रकम बढ़ा देने की वजह से अगर आप यह सोचें कि जुर्म होना बन्द हो जायगा ऐसा संभव नहीं है। और अभी हमारे माननीय सदस्य कक्कड़ साहब जिनको अपने आनरेरी मैजिस्ट्रेट होने का भी अनुभव है उन्होंने बताया है कि कैटिल ट्रेसपास के केसेज ऐसे भी होते हैं जिन पर काफी झगड़ा-फसाद, मार-पीट और अक्सर मर्डर तक हो जाते हैं। उन्होंने यह भी अपना अनुभव बताया है कि अक्सर ऐक्चुअली अकरेन्सेज नहीं होते हैं, केवल लोगों को परेशान करने के लिये अपनी जाती रन्जिश की वजह से ऐसे मुकदमें दायर किये जाते हैं। जब कक्कड़ साहब का ऐसा अपना अनुभव है तो उन्होंने अपने आनरेरी मैजिस्ट्रेट की हालत में बहुत से केसेज को छोड़ भी दिया होगा जिनके बारे में यह समझे होंगे कि यह मुकदमें झूठे हैं। उनके सिर हिलाने से पता चलता है कि उन्होंने जरूर छोड़ा है। इसलिये अगर इसका दूसरा पहलू उनके सामने होता तो उनको परेशानी होती कि जिनके मुकदमें रन्जिश की वजह से दाखिल किये गये हों उन केसेज में क्या किया जाय। इसको रोकने का यह हल जरूर है जैसा कि कुंवर साहब ने बताया कि पासचर लैन्ड्स का बन्दोबस्त हो। अगर सरकार सोचती है कि देहातों में पासचर लैन्ड्स की कमी हो गई है, जिससे काफी यह चीज बढ़ रही है तो सरकार को पासचर लैन्ड्स प्रोवाइड करना चाहिए।

जहां तक इसका सवाल है कि मारल देशवासियों का काफी गिर गया है, राष्ट्रीय जीवन चरित्र काफी गिर गया है, किसानों का चरित्र भी उसी के साथ-साथ गिरा है और वह लोग यह नहीं सोचते हैं कि अपने जानवरों से दूसरों का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि इससे राष्ट्रीय नुकसान होता है। थोड़ी सी फसल बैल, भैंस और गाय खाती है मगर मुख्य पैदावार खत्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा इन्तजाम करने से और पासचर लैन्ड्स का बन्दोबस्त करने से यह चीज खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आप डेटरेन्ट पनिशमेंट देने की सोचें तो इससे आपका कोई मसला हल नहीं हो सकता है। इस लिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इसको इस लाइट में सोचेगी और इसका इन्तजाम करेगी जिस लाइट में मैंने भवन के सामने अपनी चीज को प्रस्तुत किया है।

*श्री एम० एन० मुकर्जी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय यह जो संशोधन विधेयक हमारे सामने पेश है इससे यह मतलब है कि जानवर खेत का नुकसान न करें। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं कि जो संशोधन विधेयक हमारे सामने रखा हुआ है, वह गलत है या उससे जानवरों से खेत के नुकसान बन्द न होंगे। इसमें कोशिश की गई है कि उन अपराधों को जो अपने जानवरों को दूसरों के खेत में छोड़ देने से होते हैं, उनको ऐसी सजा दी जाय कि जिससे वह उस अपराध को दोहरायें नहीं। इस उसूल को सभी मानते हैं कि जब तक अपराधी को सजा अपराध के समय न दी जाय, अपराध खत्म नहीं हो सकते हैं।

इसलिये इसमें जो सजा बढ़ायी गई है और जो सजायें रखी गयी हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत माकूल हैं। यह जरूरी बात नहीं है कि एक साथ ही जुर्माना भी किया जाय और कैद भी की जाये। लेकिन इसकी मांग रखी गयी है कि मौका पड़ने पर जरूरत के मुआफिक

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[एम जे० मुकर्जी]

दोनों सजायें दी जा सकें। उम्मीद की जाती है कि इतनी बड़ी सजा के डर से ही शायद बहुतेरे मनुष्य ऐसे होंगे जो अपने पशुओं की ज्यादा खबरदारी करेंगे। इससे तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इन्सानों के खाने की चीज जानवर नुकसान कर देते हैं और उस नुकसान को इन्सान को भुगतना पड़ता है।

श्री कुंवर गुरु नारायण---इन्सान तो जानवरों को ही खा जाता है।

श्री एम० जे० मुकर्जी---अगर इन्सान जानवरों को खा जाता है तो जानवर भी इन्सानों को खा जाते हैं। लिहाजा इस मामले में दोनों बराबर हैं। इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

मैं यह बात अर्ज कर रहा हूं कि जहां पर जो सजा रखी गयी है वह उन लोगों के लिये है जिनके लिये मालूम है कि गाय बैल उनके हैं। लेकिन बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनके मालिक का पता ही नहीं होता है। गो सम्बर्धन कमेटी जो बैठी हुई है वह इस पर विचार कर रही है कि उनके बारे में क्या किया जाय। मैं समझता हूं कि इस महीने के आखीर तक वह अपना फैसला दे देगी और वह सरकार के हुजूर में बहुत जल्द पेश होगा। यह तो जरूर सच है कि मुकदमेंबाजी में लोग जल्द नहीं फसते और जहां तक होता है कचेहरी जाने से जान बचाते हैं। अगर उनको मुवाविजा मिलने की उम्मीद भी होती है तो भी कचहरी जाना पसन्द नहीं करते। लिहाजा कोई तरकीब ऐसी की जाय जिससे बगैर मुकदमा किये हुये ही ऐसा इन्तजाम हो जाये कि लोग अपने जानवरों को खेत में न छोड़ें।

पासचर लैन्ड के सम्बन्ध में जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, मेरा अपना ऐसा ख्याल है कि पश्चिम के जैसे पासचर लैन्ड अपने यहां नहीं हो सकते। उनका हम मुकाबिला नहीं कर सकते। हमारे यहां फसल पानी पर निर्भर होती हैं और चार महीने के अलावा हमारे यहां पानी बहुत कम बरसता है। लिहाजा उस तरह के पासचर लैन्ड यहां नहीं हो सकते। खैर, पासचर लैन्ड्स का जिक्र तो उस समय किया जायेगा जब हमारे कुंवर साहब बिल लायेंगे लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है कि अगर सरकार पासचर लैन्ड्स दे दे तो यह मोअम्मा हल हो जाये। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह बिल बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कोई इन्तजाम ऐसा किया जाय जिससे मालूम हो सके कि कितने कैटिल किसके पास हैं। उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाज वक्त ऐसा होता है कि लोग इन्कार कर देते हैं और कह देते हैं कि हमारी गाय नहीं है और बाद को पान्ड से १ रुपया देकर छुड़ा लाते हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय उपाध्यक्ष जी, जो संशोधन विधेयक माननीय वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां जानवर फसल को बहुत काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और उनका कोई प्रबन्ध नहीं होता है, कोई इन्तजाम नहीं होता है। मैं खुद अपने इलाके की एक बात का अर्ज करूंगा। हमारे शहर के करीब एक गांव बन्जारों का है और उस गांव का हर एक बन्जारा करीब करीब १०० या १५० जानवर रखता है और जानवरों की खरीद-फरोख्त भी करता है। उनके जानवरों के मुताल्लिक आस पास के गांवों के लोगों को यह शिकायत है कि बन्जारों के जानवरों का कोई प्रबन्ध करने वाला नहीं है। हम लोगों के पास उन गांवों के आदमी आये और कहा कि यह जो बन्जारों का गांव है उनके जानवर छूटे रहते हैं और हमारी फसल को बरबाद कर देते हैं और अगर हम इसके खिलाफ कोई काम करते हैं तो इनकी तादाद हमारे गांव से ज्यादा है इसलिये यह लोग हमसे फौजदारी करने के लिये आमादा हो जाते हैं और इस प्रकार से हम अपनी फसल को नहीं बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक नहीं बहुत सी मिसालें हैं हमारे यहां के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने देखा कि हमारे लिये कोई पावर है या नहीं तो शायद उन्होंने इसी ऐक्ट के मुताबिक नोटीफिकेशन जारी किया था और जिनके जानवर आया करते थे उनको तम्बीह भी किया था। यह तो ठीक

ही है कि जिन इलाकों में वहां की फसल बुरी तरह से जानवर बरबाद करते हैं उसको बचाने के लिये और उन काश्तकारों को बरबादी से बचाने के लिये इस प्रकार का कोई न कोई बिल अवश्य होना चाहिए और इसमें यह दिया हुआ भी है कि यह उन्हीं इलाकों में लागू होगा जहां इसकी जरूरत समझी जायगी और उसका नोटीफिकेशन भी होगा, लेकिन मैं मन्त्री जी से एक सुझाव अर्ज करना चाहता हूं। अभी मुकर्जी साहब ने फर्माया कि बहुत तादाद ऐसे जानवरों की है कि जिनका कोई मालिक नहीं है। अब तक यह हालत है कि शहरों में जहां गाय इस काबिल रहती हैं कि दूध देती रहें तब तक तो वह लोग उनको रखते हैं या बैल जब तक हल जोतने के काबिल रहता है उसको रखते हैं और जब गाय दूध देने के काबिल नहीं रहती है या बैल हल जोतने के काबिल नहीं रहता है तो उसको आवारा बना कर छोड़ देते हैं। वह मवेशी लावारिस घूमते हैं और फसल को बरबाद करते हैं। हजारों की तादाद में ऐसी गायें और बैल हैं। ऐसे जानवर शहरों में ज्यादा होते हैं और जो सब्जी शहर के आस-पास होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं मन्त्री महोदय से यह अर्ज करता हूं कि इन जानवरों से ज्यादा खतरनाक वह जानवर हैं कि जिन जानवरों के मालिक होते हैं वह तो डरते हैं क्योंकि कांजी हाउस में जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन जो आवारा जानवर घूमते रहते हैं उनका न कोई मालिक होता है और न कोई छुड़ाने वाला होता है इसलिये मेरा कहना है कि उनके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह जानता हूं कि जहां तक रेवेन्यू या एग्रीकल्चर का मोहकमा है उसकी सबसे ज्यादा आमदनी है। उस आमदनी से एक प्रकार से गोशाला बना दिया जाय और उसमें वह बूढ़े जानवर रखे जायं। अगर ऐसा हो जाय तो बहुत अच्छा होगा।

एक बात और है, वह यह है कि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि वह जानवर जो बूढ़े हो जाते हैं या काम करने के लायक नहीं रहते हैं उनको अक्सर अवारा ही छोड़ दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक देहात की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि एक गांव में ऐसा कायदा है कि जिन लोगों के यहां ज्यादा जानवर हो जाते हैं और वह लोग उसको मेन्टेन नहीं कर सकते हैं तो वे उनको सांड बना कर छोड़ देते हैं और लोहा गर्म करके उनके ऊपर एक निशान लगा देते हैं जिसका मतलब यह होता है कि यह जानवर आवारा है, इसका कोई मालिक नहीं है। इस प्रकार के बहुत से जानवर शहरों में और बहुत से जानवर देहातों में भी होते हैं, उनका कोई न कोई इन्तजाम होना ही चाहिए।

जहां तक चरागाह का सम्बन्ध है तो बहुत से देहातों में जमीन्दारी खत्म होने के बाद जमीन्दारों ने बन्जर जमीन और तालाब वगैरह का भी पट्टा अपने नाम दर्ज करा लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक देहात की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक जमीन्दार साहब ने बंजर जमीन, तालाब जिसमें पानी भरा हुआ है अपने नाम पटवारी के कागज में दर्ज करवा दिया है। मैंने खुद इस बात की कमी महसूस की है कि गांवों में पासचर लैन्ड्स नहीं हैं। बरेली में एक गांव से मैजिस्ट्रेट के पास अप्लीकेशन आई थी और शायद सरकार के पास भी भेजी गयी थी कि वहां पर कोई चरागाह नहीं है। जानवरों की तादाद काफी है और उनके लिये चरागाह का कोई इन्तजाम नहीं है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा और मैं उनके सामने यह सुझाव रक्खूंगा कि जानवरों को छोड़ने के समय उनके लिये कोई पाबन्दी लगा दी जाय जिसके डर से वह ऐसा न करें। मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में माननीय मन्त्री जी कोई ऐसी स्कीम लायेंगे जिससे जानवरों की यह समस्या हल हो जायगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री विनोबा जी के भूदान यज्ञ के सम्बन्ध में यह कहा गया कि उनको भी ऐसी जमीन दान में दे दी गई है जहां पर चरागाह वगैरह थे, मैं समझता हूं कि यह बात गलत है। वहां पर इन चरागाहों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। चरागाह तो ज्यादातर गांव सभा के अधीन होते हैं। वह दान में नहीं दिये जा सकते हैं। मैं इस बात को बिलकुल ही नहीं मानता हूं कि भूदान यज्ञ में चरागाह की जमीन दे दी गई है। मुझे पूरी आशा है कि इस विधेयक के जो उद्देश्य हैं वह ठीक हैं और उन लोगों के इलाके में जहां फसल बरबाद होती है, यह विधेयक लागू होगा।

*श्रीमती शान्ति देवी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक इस समय सदन के सामने लाया गया है इसकी बहुत ही आवश्यकता थी क्योंकि जानवर खेतों में छोड़ दिये जाते हैं जिससे बहुत अधिक नुकसान होता है। कई जगह गाय, बैल ही नहीं बल्कि सुअर तक भी परेशान करते हैं। दिन-रात मुकदमें आते हैं और असामी, उनके आदमी और औरतें आती रहती हैं। किसी के खेत में फसल तैयार होती है तो उसको सुअर चर जाता है। अगर इसके लिये उनके मालिकों से कहा जाय तो वे कहते हैं कि अब दुबारा वे वहां नहीं जायेंगे कभी वे कहते हैं ये हमारे सुअर नहीं हैं। इस तरह से सबको बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिये मैं समझती हूं कि यह विधेयक बहुत ही अच्छा है और जरूर लागू किया जाय।

श्री सरदार सन्तोष सिंह (नाम निर्देशित)---माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, यह जो कैटिल ट्रेसपास बिल हाउस के सामने पेश है, मैं इसकी निस्बत यह समझता हूं कि यह बहुत ही मौजूं है। अमूमन ज्यादा से ज्यादा जानवर गांव में पाये जाते हैं और गांव वाले अपने जानवरों को अकसर दूसरे खेतों में छोड़ देते हैं और वे रात में चराते हैं। आपस में इस तरह से वे एक दूसरे से दुश्मनी भी निकालते हैं। पहले हमारे कानून में जो बात थी, तो उससे वह ज्यादा से ज्यादा यह समझते थे कि हमारे मवेशियों को वे कांजी हाउस में दे देंगे और थोड़े से रुपये दे करके हम उनको छुड़ा लायेंगे, लेकिन अब यह बात नहीं हो सकेगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं जिला नैनीताल, लखीमपुर और पीलीभीत में जितनी जमीनें गैर आबाद थीं, उनको गवर्नमेंट ने फार्मर्स को दे दिया और उन्होंने जानवरों और ट्रैक्टर्स आदि में रुपया लगा करके उन जमीनों को ठीक किया और उनके अन्दर फसलें बोना शुरू कर दीं। जब उनकी फसलें तैयार हो जाती हैं, तो गांव के लोग अमूमन रात या दिन में अपने जानवरों को वहां छोड़ देते हैं और वे इस ख्याल से छोड़ देते हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। जो लोग रुपया लगाते हैं, इस तरह से उनका बहुत नुकसान होता है और कभी-कभी जब इसके लिये लड़ाई हो जाती है, तो कई आदमी मारे भी जाते हैं। मैं आपको हाल ही में हुये एक इन्सीडेन्ट के बारे में बतलाना चहता हूं। हमारे यहां जिला पीलीभीत में एक मौजा है जिसको सूरजपुर कहते हैं। एक आदमी पंजाब से वहां आया और ५ सौ एकड़ जमीन खरीद कर उसने उसमें बहुत सा रुपया लगाया। जब उसके खेत तैयार हुये तो गांव वालों ने उसके दो सौ एकड़ खेत को चरा दिया। दूसरे या तीसरे दिन उसने गांव वालों से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए मगर गांव वालों ने उसका ख्याल नहीं किया और फिर चौथे दिन उसके खेतों को चरा दिये उसने कुछ लोगों के साथ उनके मवेशियों को कांजी हाउस में दे दिया। जब वे लोग अपने मवेशियों को पकड़ने गये तो गांव के लोगों की तादादा ज्याद होने की वजह से उन्होंने लाठियां चलानी शुरू कर दीं जिससे वह आदमी दो, तीन घंटे बाद ही मर गया। इस तरह से रोज ही वाक्ये हुआ करते हैं। फार्मर्स इसमें हजारों रुपया लगाते हैं और इस तरह से अपनी गुजर करते हैं, तो उनके लिये यह कानून फायदेमन्द है। अगर यह कानून एक या डेढ़ साल पहले आ जाता, तो मेरे ख्याल में आज तक उनको ज्यादा रुपये खर्च न करने पड़ते। मगर मैं समझता हूं कि "देर आयद, दुरुस्त आयद"। अब भी अगर यह कानून पास हो जाय तो इससे गांव वालों की तकलीफ बच जायेगी।

और चूंकि उन गांव वालों के पास कोई चरागाह नहीं रहे हैं इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा और गवर्नमेंट को सुझाव दूंगा कि वह हर ३-४ गांव के एरिया के अन्दर कुछ जमीन उनके वास्ते खाली छोड़ने का प्रबन्ध करे ताकि वह लोग अपनी गाय, भैंस वहां चरा सकें और जो यह रोजमर्रा की तकलीफें हैं वह दूर हो सकें। इस कानून के होने से भी उनकी तकलीफें बहुत कुछ कम हो जायेंगी मगर मैंने जो सुझाव दिया है उस पर भी सरकार ध्यान दे। कुंवर साहब ने कहा कि वह सजा एक ही होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी

*सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

चाहिए, मेरे ख्याल में जो दो सजायें हैं वह मौजूं हैं और होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो वह लोग वैसा ही करते रहेंगे जैसा कि वह पहले करते थे। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह कानून मौजूं है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके लिये मैं गवर्नमेंट को बधाई देता हूं।

श्री जगन्नाथ आचार्य (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का हमारे कई सदस्यों ने स्वागत किया। सिर्फ भाई प्रभु नारायण जी को उसमें आपत्ति है। वह कहते हैं कि इसके लिये भावना उत्पन्न करना है, लेकिन इसमें प्रश्न यह होता है कि जब तक विरोधी दल के लोग और अन्य लोग साथ नहीं देंगे तब तक भावना नहीं पैदा हो सकती। सरकार को केवल अपने नियमों से ही सन्तोष होता है, वह नियम बना देती है और वह चाहती है कि लोगों में इस कानून के प्रति सद्भावना हो और उसका पालन करवाना हम सब लोगों का कर्तव्य होता है। भावना तो तब उत्पन्न हो सकती है जब दूसरे लोग भी इसमें शामिल हों। अब जहां तक संशोधन का सम्बन्ध है वह नितान्त आवश्यक है और खासकर हमारे पूर्वी जिलों की समस्या इतनी विकट है कि आप देखेंगे कि वहां गांव गांव में लाखों लोगों की फसलें बरबाद हो जाती हैं और उनमें जानबूझ कर लोग अपने जानवर चरा देते हैं। इस समय जब अरहर की फसल तैयार हो जाती है और जिससे कि उनको काफी आर्थिक सहायता पहुंच सकती है, चरवाहे जानबूझ कर हरी फसल चरा देते हैं। लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं होता है कि वह इन तमाम नुकसानों से अपनी फसल को बचा सकें। लोगों में इस प्रकार नुकसान करने का कोई भय नहीं है, इसलिये जब तक उनमें भय उत्पन्न नहीं किया जायगा तब तक वह भावना शायद लोगों में आयेगी नहीं "बिनु भय होहिं न प्रीति" आज यह कहना कि भावना उत्पन्न करके इस चीज को रोका जा सकता है और गवर्नमेंट इतना कानून बना रही है उससे लोगों का हैरेंसमेंट हो रहा है तो यह निर्मूल बात है। इस कानून से यह मुनासिब हो सकेगा कि मवेशियों द्वारा इस प्रकार जो नुकसान पहुंचाया जा सकता है उसको रोका जा सके। इसके द्वारा किसान दावा दायर कर सकते हैं और उसका निश्चित ही कुछ न कुछ अच्छा प्रभाव होगा। साथ ही साथ लोगों को इस बात का डर रहेगा कि इस तरह करने से वह सजा के भागी होंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन के लाने की नितान्त आवश्यकता है और मेरी समझ से सर्वसम्मति से इसका समर्थन होना चाहिए।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इस बिल पर बोलने की कोई इच्छा नहीं थी, परन्तु शान्ति जी के बोलने से मेरी भी इच्छा हो गई और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें सरकार को कुछ न कुछ प्रयत्न करना चाहिए। मवेशी से मेरा कोई विशेष काम नहीं पड़ता। हां, कुंवर साहब ने बन्दरों की शिकायत पेश की है, उनसे जरूर मेरा काम पड़ता है। लेकिन वह बन्दर ऐसे नहीं हैं कि उनको अगर कोई बात समझाई जाय, तो वह न मानें। मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक है यह अपना खास महत्व रखता है। आजकल हम देहातों में देखते हैं कि वहां भी ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि लोग खेतों में जानबूझ कर अपने मवेशी छोड़ देते हैं और कुछ भी परवाह नहीं करते कि खेत को क्या नुकसान होता है। जो लोग ऐसा करते हैं वह लोग देहात के जोरदार मनुष्यों में से होते हैं जिनके पास बल होता है, जिनके कुटुम्ब में १०,२०,५०, आदमी होते हैं और जो गरीबों की परवाह नहीं करते हैं। बेचारे गरीब जी मसोस कर रह जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सामने कानून का कोई आदर नहीं रहता, जिनके अन्दर बुरी प्रवृत्तियां होती हैं। शहरों में भी अगर आप देखें तो इस तरह जानवरों को छोड़ दिया जाता है। आप इलाहाबाद जैसे शहर में जाइये, वहां की सिविल लाइन्स किसी जमाने में हरी-भरी थी लेकिन आजकल उजाड़ दिखायी देती है, क्योंकि वहां मवेशियों को रोकने के लिये कोई बन्दोबस्त नहीं है। वहां रात भर मवेशी चरते हैं परन्तु फिर भी

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता। वहां धोबी अपने गधे छोड़ देते हैं, रात भर वह चरते रहते हैं, अक्सर बंगलों में सड़कों पर वहां आठ दस गधे चिल्लाते हुये पाये जाते हैं और तमाम हरी पत्तियां चर जाते हैं। ग्वाले निडर हो कर गाय छोड़ देते हैं। बहुत से तो ऐसे उदन्ड होते हैं कि अगर उनसे आप कुछ कहें तो वह आपका मुकाबिला करने के लिये तैयार हो जाते हैं। इसलिये उनके लिये भी कुछ न कुछ प्रबन्ध होना चाहिए।

श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र)--उनके लिये दारुलशफा बना दें।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--दारुलशफा में तो आप लोग रहते हैं, मुमकिन है कि आपके सम्पर्क से वह अच्छे हो जायें। गवर्नमेंट के जो पार्क इत्यादि हैं यहां भी रात भर जानवर चरते हैं कोई कुछ परवाह नहीं करता। रात भर लोग गायें चराने की सुविधा ग्रहण करते हैं। किसी का कोई भय नहीं है। इस प्रकार सन् १८७१ ई० से लेकर के अब सरकार ने इस ओर ध्यान दिया जबकि इस प्रकार स्थिति भयंकर हो गई। इसलिये शान्ति जी को भी यह प्रतीत हुआ कि परिस्थिति ऐसी है उसके लिये कुछ न कुछ सरकार को करना ही चाहिए। इसलिये सदस्यों का कर्तव्य है कि वह सरकार के इस मन्तव्य को पूरा करायें। कानून में जो सजा जुर्माने की रखी गयी है वह आवश्यक प्रतीत होती है। अभी भाई प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा कि मान लिया जाय कोई छोटा लड़का चराता है तो अगर कोई जानवर किसी तरह से खेत में चला गया, ऐसी हालत में भी सजा होगी, परन्तु मेरा ख्याल है कि ऐसी हालत में सजा नहीं होगी और न कोई मुकदमा चलेगा। परन्तु कभी २ यह भी देखा जाता है कि कई लड़के ऐसे उदन्ड होते हैं जो जानबूझ कर जानवरों को खेतों में छोड़ देते हैं। अगर कोई जानवर बकाबू हो गया तो ऐसी हालत में न मुकदमा चलेगा, न सजा होगी। परन्तु जो लोग लालैस हैं, लोगों का मुकाबिला करने को तैयार होते हैं, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए कि वह दूसरों की फसलों को नुकसान न पहुंचायें। मैं कुंवर साहब की इस बात से सहमत हूं कि सजा का जो प्रभाव पड़ेगा वह यह होगा कि बहुत से लोग अदालतों में जाना नहीं चाहेंगे। जैसे उपाध्यक्ष महोदय, आपके बंगले में कोई गाय घुस जाय तो आप यही कहेंगे कौन तवालत मोल ले और कौन परेशान हो, समझा बुझाकर छोड़ दो। परन्तु हजार बार समझाओ कोई सुनता नहीं है। इससे लाभ होगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता। जो लोग जबरदस्त हैं जो मुकदमा चला सकते हैं उन्हें लाभ होगा साधारण लोगों को कोई लाभ नहीं होगा।

दूसरी बात जो कुंवर साहब ने कही उससे मैं सहमत हूं। इस अराजकता को फैलाने के बहुत से कारण हैं, परन्तु एक कारण यह है कि चरागाह अधिक नहीं पड़ते हैं। किसी जगह भी आजकल बंजर दिखायी नहीं पड़ते हैं। काश्तकारों ने जमीन को जोत लिया है, या पचायतों ने उन पर कब्जा कर लिया है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां एक बीघा भी जमीन ऐसी नहीं है जो जानवरों के लिये चरागाह का काम दे सके। इससे लोगों को कष्ट होता है और मजबूर होकर लोग मवेशियों को इधर-उधर छोड़ देते हैं। हमको इस प्रवृत्ति को बदलना है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति कैसे बदली जाय आया कानून के द्वारा उन आदमियों को सजा देंगे जो लालैस हैं और जो मुकाबिला करने के लिये तैयार रहते हैं या उनको वैसे ही मनमानी करने की छोड़ देंगे।

आराजकता की ओर प्रवृत्ति बढ़ रही है इसी क्षेत्र में ही नहीं सभी जगह पर ऐसा ही हो रहा है। हमारी परीक्षाओं में ही देखिये। एक विद्यार्थी सिगरेट पी रहा था इनवेजीलेटर ने कहा कि सिगरेट न पिओ तो वह जवाब देता है कि बगैर सिगरेट पिये मैं लिख ही नहीं सकता। आज से ३० या ४० साल पहले कोई विद्यार्थी इस तरह से नहीं कह सकता था। प्रवृत्ति बढ़ रही है। रोकने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो समाज का कर्तव्य हो सकता है। समाज सुधार हो। समाज कानून का आदर करे। दूसरा यह कि जो शरीर हैं, उदण्ड हैं, उनके लिये सख्त सजा का प्रबन्ध किया जाय। ऐसे भी हैं जो

कहते हैं कि क्या करें लोग ज्यादा से ज्यादा ५० रुपया जुर्माना होगा, दे देंगे, लेकिन जब सजा होगी तो वह डरेंगे, क्योंकि उनका काम का हर्ज होगा। मैं समझता हूं कि इस बात की आवश्यकता है। कुंवर साहब ने इस बात की आशा दिलाई है कि एक बिल वह इस आशय का ला रहे हैं, चरागाहों के सम्बन्ध में जिससे जानवरों के चरने का प्रबन्ध होगा। लेकिन जो कदम सरकार ने उठाया है वह ठीक है। यह कहां तक सफल हो सकता है, मैं नहीं कह सकता। सरकार का जो मन्तव्य है वह यही है कि फसल का जो नुकसान होता है वह न हो और जो फसल बोता है, वह उसका फल भी काटे।

श्री महाराज कुमार विजय आफ विजयानगरम् (नाम निर्देशित)--Mr. Dy. Chairman, Sir. Many amusing things have been said including the "Saad" and I would like to make a few suggestions to the Leader of the House because I happen to be a *shikari* myself. So for as *shikar* is concerned, I have some practical experience of it all over the country. One of the prime needs of the villagers is that one gun man should be appointed in every village so that the pests in the winter time consisting of geese and '*Karakul*' may be scared away. These are the things that have not been taken into consideration by Government. I fully agree with the Bill that has been put forth and the measure that Government is about to take is a correct one. I would like to make a few suggestions in this connection to Hon'ble Leader of the House that all the fields are devastated completely by these birds and they do a great deal of harm to the crops. They harm the crops more than even the cattle and the villagers find themselves completely helpless. If a gun man is appointed in every village he might scare away the birds. If Government are thinking of introducing these measures, I am sure they will be very helpful to the villagers who are constantly suffering owing to these difficulties. So for as the devastation by the cattle is concerned, it has become a thing of almost daily occurrence, and as mentioned by so many members here it has become a regular habit of the people to feed their cattle on other people's fields and gardens. Now, Sir, what about the two-legged animal which visits every man's house in the village without permission. What about introducing some legislation to prevent his trespass? I hope that the Government will take into consideration that lawlessness of the two legged animal had reached a stage when it should be completely checked and measures taken in order to check that habit which has become a very prevalent and common thing. I would like to stress once again that the villagers now-a-days suffer not only from the bird pest and stray cattle but also from the blue-bull which is supposed to be a scared animal in India. I mean the *Neel Gai*. In many parts of Northern India the *Neel Gai* is considered a scared animal and it goes into the fields and feeds on the crop and the people can do nothing. I do hope that Government will consider these suggestions because I happen to be a *Shikari* and I know what damage these blue-bulls do to the crop and it is considered to be a crime in every village if this *Neel Gai* is shot. I do not, however, subscribe to that theory of view. Nevertheless it is considered an unholy thing to shoot a *Neel Gai* to-day. Well, this is one of the great difficulties that the villagers

[श्री महाराज कुमार विजय आफ विजयानगरम्]

are faced with a part from the bird pest and the stray cattle and above all I would like these wen aspects that are problems of the day to be taken up by Government without delay, although it is not in this Bill. I know that the village crop i.e. *Chana* is completely devasted by birds. These birds come annually during the winter season and literally go to every field and the villagers are helpless, and so I hope the Leader of the House will bear this fact in mind and will introduce some legislation by which in every village a responsible man with a gun is appointed not for killing birds for eating purposes but just to scare them away so that the villagers will benefit by this legislation. I am in full agreement with the Bill that has been put forward and I hope the measure suggested by Government will be looked upon with respect and I see no reason why it should not receive full support from all quarters.

*श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल था कि इस विधेयक पर सबसे कम बहस होगी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस पर काफी बहस हो रही है। साथ ही साथ मैं सरकार की सूझ-बूझ की तारीफ करता हूं कि अभी तक जितने बिल आते थे उनका ताल्लुक मनुष्य-समाज से हुआ करता था, लेकिन अब सरकार की निगाह बहुत दूर तक गयी है। अब तक ऐसा था कि जिस रोज कोई आदमी अगर कानून तोड़ता था तो उसको सजा दी जाती थी, लेकिन अब अगर कोई जानवर यह महसूस करे कि वह किसी दूसरे के खेत में जाकर चरे और सरकार के कानून से बच जाय, तो वह बच नहीं सकता है। चन्द रोज में उनको भी मालूम पड़ जायेगा कि अगर सजा इन्सानों को मिल सकती है तो उनको भी सजा मिल सकती है। मैं कभी कभी महसूस करता हूं कि जब आदमी खुद कानून नहीं मानता है और गवर्नमेंट कानून बनाते बनाते थक गई तो उसकी दृष्टि जानवरों की तरफ गयी और उनके लिये भी कानून बनाना शुरू किया। सवाल यह उठता है कि इसी तरह से कानून बनता जाता है तो सन्तोष किया जा सकता है कि हमने कानून बनाया और बुराई की ओर ध्यान दिलाया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कानून जब इस ढंग से बनता है तो परिणाम यह होता है कि लोगों का विश्वास उस पर नहीं होता है और कानून के खिलाफ कार्य होता है। आजकल बुराइयों की तरफ ध्यान दिया जाता है, लेकिन बुराइयों के कारण की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि अपराध कम करने की जितनी कोशिश की जाती है उतना ही वह बढ़ता जाता है। जितने कानून बनते हैं और जिस प्रकार पास होते हैं, उसको देखने से यह मालूम होता है कि आजकल हमारे समाज में कितनी व्यवस्था खराब है। जिधर निगाह दौड़ाइये उधर आजकल अराजकता नजर आती है; अगर गौर से देखा जाय तो मालूम होगा कि लोगों की माली हालत खराब है। जब माली हालत खराब है, तो अपराध में वृद्धि ही दिखायी देती है। उस चीज को आप देखें। जो विधेयक हमारे सामने है इसमें भी मैं यह मानता हूं, अपराध दो दृष्टि से देखना चाहिए। लापरवाही से अगर कोई काम करता है, जान-बूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिये काम करता है, तो उसको सजा मिलनी एक बात है, लेकिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर, मजबूरी की हालत में, अगर कोई चीज होती है तो उसको दूसरी निगाह से देखना चाहिए। पहली दृष्टि से दण्ड देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जहां तक दूसरी दृष्टि का ताल्लुक है उसको आपको सही मानों में एक वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करना पड़ेगा कि यह व्यवस्था जिसकी वजह से अपराध होते हैं, उसको कैसे हम दूर कर सकें। अभी यह बात यहां पर कही गई कि

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

१८७१ में यह कानून पास हुआ और उस समय से लेकर आज तक हम यह देखते हैं कि हमारा काम ५० रुपये के जुर्माने से ही चलता रहा, लेकिन आज हम यह महसूस करते हैं कि अब हमारा काम ५० रुपये से नहीं चलता है और इसलिये हमें जुर्माना २५० रुपया करना पड़ेगा और अगर फिर भी काम न चला तो ५०० रुपया जुर्माना करना पड़ेगा। इसके बाद तीन महीने की सजा और अगर केवल इससे काम न चला तो फिर तीन महीने की सजा और ५०० रुपया जुर्माना दोनों ही किया जा सकता है। इस तरह से हम यह कोशिश करते हैं कि क्यों न दण्ड के भय से कानून तोड़ने वालों के दिल में डर पैदा हो जाय। जैसा कि कहा गया कि "बिन भय होय न प्रीति।" मैं समझ रहा हूं कि कहीं यह भय प्रीति उत्पन्न करने के लिये ही तो नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि दण्ड बढ़ाने से रत्ती भर भी प्रीति पैदा न होगी। आज आप देखें कि गांव में, जनता में, समाज में, क्या प्रीति बढ़ती नजर आ रही है। हर जगह आप इस बात को महसूस करेंगे कि कुव्यवस्था बढ़ती ही चली जा रही है। जरा सोचिये कि आखिर उसमें क्या लुत्फ आता है कि जैसा कि यहां पर अधिकांश व्याख्यानों में कहा गया कि अरहर का दूसरे का खेत खड़ा है और हम अपनी गाय को उसमें छोड़ दें। जहां पर कोई ऐसा करता है तो उसके लिये सोचा जा सकता है कि यह क्या बात है और उसके लिये सजा होनी भी चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी देखिये कि वह लोग कैसे होंगे। आज आप देहात में देखिए कि चरागाह बिल्कुल कम हैं, रास्ते बहुत कम हैं। जो कुछ जमीन इधर-उधर खाली पड़ी थी, खेतों में तब्दील कर दी गई है और निकलने तक का कहीं रास्ता नहीं है। जिन लोगों को गांव में जानवर चराने का मौका मिला है, मुझे तो बहुत मिला है और अपने तजुर्बे से मैं कह सकता हूं कि यह कितना कठिन काम है। दूसरे अनुभवी लोग भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। जितने गांव के जानवर हैं उनको लेकर एक आदमी चराने जायगा। वहां अकेला उनको देखने वाला होगा और गांव के सैकड़ों जानवर होंगे। २०, २५ साल पहले जब गांव में बहुत सा ऊसर था, जमीन बहुत खाली पड़ी थी, उस समय भी यह होता था कि जानवर अक्सर खेतों में घुस जाया करते थे। अब तक यह व्यवस्था थी कि लड़कों को डाट-डपट दिया जाया करता था कि तुम यहां जानवर क्यों ले आते हो और यही चीज सभी के साथ होती थी। तो गांव के लोग आपस में ही कह सुन कर अपनी व्यवस्था कर लिया करते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि आप इस नतीजे पर पहुंचते चले जा रहे हैं कि हमें इस तरह पर सजा बढ़ाते चलना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा ?

एक चरवाहा गांव के १०० जानवरों को लिये हुये कहीं जा रहा है, रास्ते बहुत छोटे हैं, कहीं इधर खेत और कहीं उधर खेत रहते हैं, जरा देर के लिये एक जानवर किसी के खेत में चला गया तो उसका क्या परिणाम होगा, सिवाय झगड़ा फसाद बढ़ने के और आपको क्या मिलेगा ? मैं कहता हूं कि आप कानून बढ़ाते जायं, उससे आज यह होता है कि दुश्मनी बढ़ती जाती है। इस कानून को ही आप ले लीजिए इससे क्या होगा ? आप देखेंगे कि आपस में लड़ाई झगड़ा करने का लोगों को बहुत मौका मिलेगा। देहातों में रोजमर्रा ऐसे तमाशे होते रहते हैं और इससे भी लोग काफी दुश्मनी निकालेंगे। और फिर इसमें सजा रही है ओनर, कीपर और अटैन्डेन्ट पर। अब आप देखें कि खबर मिली कि मेरा खेत चर गया, अगर चरवाहा न पकड़ मिला तो उसके मालिक के यहां पहुंचे। आप जानते हैं कि वकीलों से खुदा बचाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी वकील हैं, मगर आप इससे बुरा न मानें। किसी लड़के से गलती हो गयी और लड़के से क्या जानवर से गलती हो गयी, क्योंकि वह भूखा है, किसी के खेत में चला गया। पर वकील साहब तो कहेंगे कि अगर चरवाहा भाग गया तो मालिक को जाकर लीजिए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाइये। आप देखें कि इस तरह से झगड़े देहातों में बढ़ते चले जायेंगे। हमारे दिमाग में, एक जमाना था जब गाय का बहुत बड़ा आदर होता था। लेकिन आजकल आप देखें तो पता चलेगा कि भैंस गाय की जगह ले रही हैं। गाय के लिये बहुत कम फिक्र की जाती है। मैं इसका यह मतलब लगाता हूं कि आप मन्त्री जी भले ही अपने भाषणों में कुछ

[श्री राजाराम शास्त्री]

कहें कि गांव की हालत अच्छी हो रही है, गांव माला-माल हो रहे हैं। मगर मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको अपने व्याख्यानों से न जांचें, आप गांव में जाकर देखें कि किसी के पास एक भैंस है, तो किसी के पास दो भैंसें हैं, उनकी अपनी इतनी आमदनी नहीं है कि वह अपने बाल-बच्चों को खिलायें या भैंसों को रख कर उनको खिलायें। वह केवल इतना समझते हैं कि किसी न किसी तरह से वह अपना काम चला लें, परन्तु भैंसों की व्यवस्था न करना पड़े। जैसा यहां कहा गया है कि गायों की व्यवस्था कौन करे, मनोवृत्ति यह हो गई है कि जब तक गाय ने दूध दिया उसको हमने खिलाया, पर बुढ़ापे में उसे क्या किया जाय। धर्म कहता है कि उसे कसाई के यहां दे नहीं सकते, बैठकर उसे खिला नहीं सकते, तब कहते हैं कि जाओ माता जी, जहां हो सके चरो। इसलिये मुझे डर लगता है कि इसकी भी वही हालत न हो जाय जैसी इलाहाबाद में कुम्भ में हुई कि एक तरफ आपने इधर से जाने वालों को रोका नहीं और दूसरी तरफ कोई इन्तजाम उनके लिये नहीं किया, नतीजा यह हुआ कि गड़बड़ हो गई एक तरफ हम खिला-पिला नहीं सकते हैं, रखने का इन्तजाम नहीं कर सकते हैं और दूसरी तरफ कानून पर कानून सख्ती के बनाते चलें, तो इससे कोई भूखा जानवर लहलहाता हुआ खेत देख कर खाने से रोका नहीं जा सकता और यह नहीं हो सकता कि वह न खाय। जैसा कि जिक्र यहां पर किया जा चुका है कि गो संवर्धन कमेटी बैठी हुई है, मैं आपसे सच बताऊं कि जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने बूढ़े जानवरों के रखे गये कि वह काटे जायें या न काटे जायें, मैं आपसे कहता हूं कि वह लाखों और करोड़ों की तादाद में स्टैटिस्टिक्स हमको मिले हैं।

उनको देखकर सचमुच हम लोग हैरान थे कि समस्या इतनी बड़ी मालूम पड़ती है कि या तो जानवर ही जिन्दा रहें या हम लोग जिन्दा रहें। यह परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित होती जा रही है। जैसा कि विचार किया जा रहा है कि गो सदनों की व्यवस्था की जाये। ठीक है, मगर चीज यह है कि बूढ़े जानवरों को अगर आप खाना दे पायेंगे, तब तो यह व्यवस्था चल सकेगी। अब सवाल यह उठता है कि जहां करोड़ों ऐसे जानवर हों उनके लिये कितनी गो सदनों की जरूरत होगी। इन गो सदनों को स्थापित करने के लिये टैक्स लगेंगे। जानवर को खिलाने के लिये आदमी को अपने बच्चों को मारना पड़ेगा। यहां भी अर्थशास्त्र का विषय ही सामने आ जाता है। इसलिये जब तक आप इकोनामिक स्थिति को दुरुस्त न करेंगे तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। उपाध्यक्ष जी, मुझे कहते हुये यह बात याद आ गई कि माननीय मन्त्री जी ने बड़ी सूझ बूझ और कमाल के साथ इस कानून को बनाया है। लेकिन इसमें एक बात बाकी रह गई, अगर उनके ख्याल में पहले आ गई होती तो वह जोड़ देते। आपने कीपर, ओनर और अटेन्डेन्ट सबके लिये तो सजा रख दी है। लेकिन वह पशु जो खेत में चरने के लिये जायेगा उसको बिलकुल बेदाग छोड़ दिया है। उसके लिये कोई सजा नहीं रखी। वरना जैसा कि श्रीमती जी ने भाषण करते हुये कहा कि अगर आपकी समझ में आ गया होता तो इसमें एक दफा यह भी बढ़ा देते कि भैंस को कितनी सजा मिलेगी, गाय को कितनी सजा मिलेगी और सुअर को कितनी सजा मिलेगी। साथ ही साथ यह जो गो संवर्धन कमेटी की मीटिंग हुई उसमें एक बड़ी भारी समस्या जो नीलगायों की है, उस पर भी विचार हुआ। नीलगाय को न आप पकड़ सकते हैं और न मार सकते हैं, लेकिन इनकी भी बहुत बड़ी तादाद होती जाती है। कहीं धार्मिक भावनाओं की वजह से, कहीं दूसरी भावनाओं की वजह से, नाना प्रकार की समस्यायें इस चीज के साथ लगी हुई हैं। लेकिन इस कानून को जो आप पास कर रहे हैं, परिणाम क्या निकलेगा ? क्या इससे कोई भी समस्या हल हो सकेगी। मैं समझता हूं कि इससे किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। इसका परिणाम यह निकलेगा कि जहां किसी के खेत के अन्दर कोई जानवर गया, फौरन पकड़ लिया जायेगा और जब पकड़ लिया जायेगा तो उससे कहा जायेगा कि चलो अदालत। तो आप देखेंगे कि जो पकड़ा जायेगा और जो पकड़ने वाला होगा इन दोनों की बात चीत होगी। जो पकड़ा जायेगा वह कहेगा कि साहब मर जाऊंगा, छोड़ दीजिए, गरीब आदमी हूं। जिसने

पकड़ा है वह कहेगा कि अच्छा तुम हमको ६० रुपये दो, तो छोड़ें दें। इससे और करप्शन बढ़ेगा। पचासों तरह के करप्शन तो थे ही, एक नए टाइप का करप्शन और आ जायेगा। इन अटेन्डेन्ट साहब की कौन सी बड़ी हैसियत है, जिनके लिये आपने ढाई सौ रुपये की सजा रख दी। वह कौन लोग हैं जो चराने के लिये जाते हैं। गरीबों के लड़के ही चराने के लिये जाते हैं। ऐसी हालत में आप एक ऐसा हथियार दे रहे हैं जिससे गरीबों को सताने का मौका मिलेगा। मैं यह मानता हूं कि आप का उद्देश्य बहुत पवित्र है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था आप कर रहे हैं उससे एक दूसरे को परेशान करने का मौका मिलेगा। मैं यह तो प्रतिपादन नहीं कर रहा हूं कि कोई सजा न मिलनी चाहिये। हमारा कहना यह है कि गांव का कोई आदमी जिसका कोई जानवर खेत में चरने चला जाये, तो क्या उसको ५० रुपये की सजा पर्याप्त नहीं है। मेरा ख्याल है कि वह बहुत काफी सजा है। इसलिये इस कानून में जो ५० रुपये की सजा है, मेहरबानी करके उससे ज्यादा न बढ़ायें, वरना जिस उद्देश्य से आप कानून बना रहे हैं वह हर्गिज न पूरा होगा। मैं आशा करता हूं कि जो बात कही गई है, उस पर गवर्नमेंट ध्यान देगी।

*डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं इस बिना पर कि जो न्यूसेन्स हैं वह रोज बरोज बढ़ता जा रहा है और उसको रोकना बहुत जरूरी है। मगर मेरे दिल में एक शुबहा हो रहा है, उसका इजहार किये देता हूं यह बिल जो है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १८७१ का था, उसको तरमीम कर देता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १८७१ में पहले तरमीम हुई, उसमें प्राविंशियल गवर्नमेंट को कुछ अख्तियारात दिये गये। वह ऐक्ट जो तरमीम किया गया वह यह था—

"Provincial Government by notification in the official gazette may, from time to time, with respect to any local area specified in the notification, direct that the foregoing portion of this section shall be read as if it had reference to cattle generally or to cattle of a kind described in the notification, instead of to pigs only, or as if the words "fifty rupees" were substituted for the words "ten rupees."

मेरा ख्याल है कि १० रुपया असली बिल में था और उसको ५० रुपया नोटीफिकेशन के जरिये से किया गया। मगर इस बिल में दो बातें हैं। कैटिल इन जेनरल का इस्तेमाल ठीक है। दूसरे जो अटेन्डेन्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, वह इस तरमीम के जरिये से हासिल नहीं था और इस तरह से जो बिल बना था उसमें ५० रुपये से ज्यादा नहीं था। जो इम्पीरियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को अख्तियारात हैं उसमें यह शामिल नहीं हैं। इसलिये मैं शुबहा इजहार किये देता हूं और उम्मीद करता हूं कि लीडर आफ दि हाउस इस पर रोशनी डालेंगे। जहां अटेन्डेन्ट का लफ्ज है, मैं इसकी भी मुखालिफत करना चाहता हूं, अटेन्डेन्ट एक मामूली शख्स होगा और उसके ऊपर भी "बाई नेगलेक्ट आर अदर वाइज" के अनुसार जुर्माना हो सकता है। इसमें जो सजा २५० रुपये की रखी गयी है, वह कम होनी चाहिए। इसमें अटेन्डेन्ट का लफ्ज बढ़ाया जा रहा है, इसमें मैं यह समझता हूं कि यह लफ्ज काट देना चाहिए या कम से कम जुर्माने की रकम कम होनी चाहिए। इसको मैं ठीक समझता हूं। बस मुझे इतना ही कहना है।

*श्री गोविन्द सहाय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा आज बहस करने का नहीं था, लेकिन इस हाउस में आबोहवा ऐसी पैदा हो जाती है और कुछ लोगों की शक्लें मेरे अन्दर ऐसी तेजी पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से मैं बोलने खड़ा हो जाता हूं। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मुझे खुद ताज्जुब है कि ऐसे मासूम बिल पर इस हाउस का क्यों इतना वक्त खराब किया जा रहा है। जब मैं खुद इसकी बहस में हिस्सा लेता हूं तो मैं

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]

समझता हूं कि जनता का पैसा हाउस पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी सोचता हूं कि और मेरा यकीन है कि यह लेजिस्लेचर वह कानून पास करता है, वह ताकत एक्जीक्यूटिव को देता है और उस किस्म की ताकत पैदा करता है कि अगर उसका इस्तेमाल चोप तरीके से हो, तो काफी नुकसान भी हो जाता है। आखिर कानून बनता क्यों है? कानून तीन वजह से बनता है। एक तो यह है कि समाज के अन्दर जो एन्टीसोशल लोग हैं उनको डर पैदा हो जाय, दूसरे जो मजलूम हैं उनकी हिफाजत हो सके और तीसरे आम जनता में कानून मानने के लिये एक तम्बीह पैदा की जाय। इन्हीं तीन मकसदों को लेकर कानून बनाया जाता है। अगर हमारे कानून से इन तीन बातों का मकसद हल नहीं होता है और उस ताकत को जिसे हम देते हैं, दूसरे तरीके से इस्तेमाल होता है, तो एक अच्छे कानून के होते हुये भी उसके नतीजे अच्छे नहीं होते हैं। सरकार पब्लिक के फायदे के लिये ही कानून बनाती है। जब यह बिल यहां पर आया, तो मैंने खुद यह महसूस किया कि हमारी सरकार खुद इस नतीजे पर आयी है कि देहातों के अन्दर ऐसे वाक्यात होते हैं कि लोग एक दूसरे की फसल काट लेते हैं और जान बूझ कर आपस में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का अमल एक बात को हमारे सामने लाता है कि लोग जानबूझ कर ऐसा काम करते हैं। यह बहुत खतरनाक बात है। इससे समाज के अन्दर बहुत ही खतरनाक बातों के पैदा होने का डर है। अगर जान बूझ कर लोग ऐसा करते हैं। तो क्या एक्जीक्यूटिव से ऐसी ताकत पैदा की जा सकती है कि लोग एक दूसरे को नुकसान न पहुंचायें, लोग आपस में एक दूसरे से बदला निकालते हैं। मेरा यह यकीन है कि जहां तक इस कानून का ताल्लुक है इससे कोई ज्यादा व्यावहारिक फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी आपका यह ख्याल है कि इससे लोगों को डर पैदा हो जायेगा। मुमकिन है कि इसमें कुछ कमी हो जाय, लेकिन मुझे डर यह लगता है कि लोग इस कानून का इस्तेमाल करके आपस की दुश्मनी निकालेंगे। मैं खुद खेती करता हूं और मुझे भी खेती करने का थोड़ा बहुत तजुर्बा है। यह सही बात है कि लोग जानते हैं और जानकर आपस में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गांव के अन्दर तो ऐसी आबोहवा है ही। मैं तो समझता हूं कि लोग इस कानून के डर से अपनी हरकत को छोड़ेंगे नहीं। बिल को लाकर सरकार ने इस बात को तस्लीम किया है कि देहातों की हालत काफी खराब है और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिये लोग ऐसी हरकत करते हैं। अगर वाकई यह बात है तो मैं समझता हूं कि महज कानून बना देना ही ठीक नहीं है। मैं ज्यादा बहस में जाना नहीं चाहता हूं। कानून बना कर आप जबरदस्ती पब्लिक ओपीनियन नहीं पैदा कर सकते हैं। आप सिर्फ कानून बना सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती अपने कानून के पक्ष में कोई पब्लिक ओपीनियन नहीं पैदा कर सकते हैं। आज सामाजिक कार्यकर्त्ताओं में ऐसी आबोहवा पैदा हो गई है कि वे अपनी इक्तसादी जिन्दगी में किसी प्रकार की चीज पैदा नहीं कर पा रहे हैं। लोग जानवरों को खोल देते हैं और खेत को चरा लेते हैं, फिर मुकदमेबाजी होती हैं, रिश्वत चलती है, चोरी होती है और तरह तरह की बातें होती हैं। आज पब्लिक का यह ख्याल है कि लोग जानवरों को आपस की लड़ाई की वजह से भी छोड़ देते हैं।

किसी के मालिकों में आपस में लड़ाई हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जानवरों में तो अभी यह बुराई नहीं है। जानवर खुद एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं करते। मैं कहता हूं कि जितने जानवर इस तरह से जाते हैं, आप उनका डाटा इकट्ठा कर लीजिए। मैं जिला बिजनौर की एक बात आपको बतलाता हूं, वहां ५० गज जमीन गंगा खादर में नहीं मिलती है। पहले जमीन्दारों ने शुरू किया और चप्पे-चप्पे जमीन ले ली, उसके बाद आजकल गांव पंचायत भी कम नहीं हैं जो कि इस प्रकार का काम न करती हो। जिसको जमीन देना होता है, एक गज जमीन गांव की दे दी गई है। जब आपको यह बेगार दी जाती है-तो उनके अन्दर जानवरों को खुशी से चराया जा सकता है: लेकिन यह तो इन्टर रिलेटेड बात है। आपके गांव का नक्शा ही बिगड़ा हुआ है। मैं अब

तक समझता था कि कानून लागू होने का मकसद यह था कि आदमी ऐसे काम करता है और उसके लिये ही कानून हैं, मगर जानवर तो बेचारे शरीफ हैं, अगर इससे उन पर भी असर पड़ जाय तो दूसरी बात है। वैसे इस तरह के कानून पास कर देने से कोई फायदा नहीं होगा। जितने इस तरह के आदमी होंगे, इस कानून के पास हो जाने के बाद, उनके अन्दर एक दूसरे को इस तरह नुकसान पहुंचाने की तबियत ज्यादा होगी। आज आपके कानूनों से लोगों को डर भी नहीं रहा है और मोहब्बत भी नहीं रही है। जब डर नहीं है और मोहब्बत भी नहीं है तो कानून सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिये मैं इसके असरात की ओर आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहता हूं। जब आप कानून बना रहे हैं तो लोगों में भी इस तरह की भावनायें पैदा कीजिए, उनको आपको बदलना है, नई आबोहवा में रखना है, तभी वे उसको समझ सकते हैं। आदमियों की बात अब जानवरों के दायरे में आ गई हैं और उसके वास्ते भी कोई न कोई इलाज होना चाहिए, तो इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं है और कोई भी पार्टी वाला यह नहीं कहेगा कि खेतों को इस तरह से चरा दिया जाय और उनको नुकसान पहुंचाया जाय। पार्टी के लोगों का भी इसमें साथ हो सकता है, मगर गांव के लोगों के अन्दर इस तरह का कोआपरेशन हो कि वे अच्छी तरह से किसी चीज के इस्तेमाल को समझ सकें। सिर्फ आपका कानून ही कुछ नहीं कर सकता है और आपको उसके साथ एक्सट्रा ऐक्टीविटीज को भी जोड़ना चाहिए और तभी आपका कानून सफल हो सकेगा। जब एक्सट्रा एक्टीविटीज हो जायेंगी तो कानून पास करके कुछ फायदा भी हो सकता है। आप कानून पास करके पावर एक्जीक्यूटिव को दे देते हैं तो सिर्फ इससे ही लोगों के दिल और दिमाग नहीं बदल सकते। कानून तो बन गया, परन्तु यदि उसका गलत इस्तेमाल होगा, तो इससे परेशानी घटने के बजाय और बढ़ेगी। मैं महज इस बात को इस ख्याल से नहीं कह रहा हूं कि जितने कानून बने हैं सब वैसे ही हैं, बल्कि मैं आपसे कहता हूं कि जहां तक हो सके आप कम कानून बनाइये, मगर आप तो कोई भी बात हो जाय उसके लिये कानून बना देते हैं और आप समझते हैं कि वह काम कानून से ही सही हो जायगा। तो इस तरह का आज आपका रवैया हो गया है और आपका दिमाग तो उस हकीम का सा हो गया है जो कि हर मर्ज के लिये एक ही दवा देता है, चाहे वह मलेरिया हो या इन्फ्लुन्जा हो। इस तरह से आप लेजिस्लेचर को जस्टीफाइड करते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप कानून कम बनाइये और ऐसे बनाइये कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी इज्जत कर सकें। अगर कानून कम होंगे तो लोगों में उनके लिये ज्यादा इज्जत होगी। यह बात ठीक भी नहीं है कि आप लोगों के सामने तमाम कानून लाकर रख दें। इस बिल के बारे में तो न कोई मुखालिफत की जा सकती है और न मुआफिकत और जानवर जो आज नुकसान कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिये यह बिल आज यहां लाया गया है। लेकिन जो गांव के लोग हैं वे इस बात की अहमियत को तो समझें। कुछ लोग अन्डर डाग होते हैं और वे इन बातों को पूरी तरह से समझते ही नहीं हैं और आपके कानून से उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूं कि आप गांव पंचायत के जरिये से, कांग्रेस के आर्गेनाइजेशन के जरिये इस तरह की आबोहवा पैदा करें कि लोग खुद ही इस तरह की बातें करना छोड़ दें और इस तरह से उनको आपके कानूनों की जानकारी भी हो जायगी। अगर गांव के अन्दर इस तरह की आबोहवा हो जायगी और नये नये तरीकों को अपनाया जायगा और वे अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तो उनकी तरक्की के लिये ये बातें, बहुत ठीक हो सकती हैं। अगर आप इसके लिये कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि इससे उनको बहुत फायदा हो।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं यह तो समझ सकता था कि इस कानून के ऊपर बहस हो, अगर्चे मेरा ख्याल यह था कि इतनी बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह मैं किसी तरह से नहीं समझ सकता था कि बाज साहबान ने इसमें जिस किस्म की तकरीरें की हैं, उस किस्म की तकरीरें भी हो सकती हैं। शायद इस हाउस के शान के खिलाफ हो यह बात कि मैं बावजूद एक जिम्मेदार शख्स होने के इस किस्म के ख्यालात का इजहार करूं किसी के मुताल्लिक, जिसका नतीजा यह निकलता

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

हो कि वह लोग इन्सानियत से परे हैं। जो तकरीरें यहां की गई हैं उनका खुलासा यही निकलता है और अगर उनमें से कोई साहब मुझसे समझना चाहेंगे तो मेरे पास वह लिखी हुई हैं, मैं उनको समझा सकूंगा। यह तकरीरें किस किस्म की हैं, मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता हूं, बल्कि इस तरह इजहारे अफसोस करता हूं कि इस हाउस में इस किस्म की तकरीरें की गई हैं, जिसमें इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई है और इस किस्म के ख्यालात का इजहार किया गया है, जो मेरे नजदीक इस हाउस के लिये किसी तरह से मौजूं नहीं थीं। कानून तो यह बना है इन्सान के लिये, उसके लिये नहीं बना जिस जानवर के लिये उसका ताल्लुक है। कौन उसको बनाये, मैं कहना नहीं चाहता कि इसको कौन बनायेगा, अगर इस देश के रहने वालों की जहन्नियतों में ऐसे ही तब्दीली हो जायेगी, तो मैं समझता हूं कि आगे इस सूबे की जहन्नियत में ऐसी हुकूमत आये जो इस किस्म के कानून बनाये। बात जो इसमें मतलब की कही गई है, वह कुंवर साहब ने फरमाई और वह बात सही है कि किसी कानून के लाने से जिसमें किसी किस्म की सजा किसी आदमी के लिये रखी जाय, किसी चीज को जुर्म करार दिया जाय, उसके यह माने नहीं हैं और कोई नहीं निकाल सकता है कि इसके माने क्या होंगे। जो मैं समझा, वह मैं यह समझा कि इसके बनाने वालों ने एक कानून बना दिया और मसला पूरे का पूरा हल हो गया। आज कानून क्या है? कानून मजहबों ने बनाये, मजहबों ने हुक्म दिया कि कानून बनाओ। आज जो अच्छे से अच्छा मुल्क है जो दुनिया की ताकतों के भी ऊपर अपनी हुकूमत चलाये और जिनका काम तमाम दुनिया वालों को पसन्द हो, वहां बावजूद कानून होने के, क्या लोग जुर्म नहीं करते हैं। हमेशा से दुनिया में जुर्म करते आये हैं। अगर नहीं करते आये हैं तो मैं इस बात को मान सकता हूं कि इस कानून को बनाना बेकार है। कानून बनता है, फिर भी लोग जुर्म करते हैं और मैं समझता हूं कि करते रहेंगे। यह तो एक रोक है, एक रुकावट पैदा करना है। जितने इन्सानों के ऊपर इसका असर हो जाय उतना अच्छा। इस काम को करने के लिये कोई बड़ी तजवीज करनी पड़ती है और मुनासिब है तो उसको करने से कोई गवर्नमेंट इनकार कर दे, तो वह उसकी हिमाकत है, वह गलती करती है।

चरागाहें हों तो सही है, चरागाह होने चाहिए, चरागाह नहीं रहेंगे तो यह भी सही है, मैं दोनों बातें मानता हूं। मेरे दोस्त ने कहा और कुंवर साहब ने भी फरमाया कि सूबे के अन्दर चरागाहों की कमी हो गई है, लेकिन एक तरफ से मैंने यह सुना कि यह कानून बहुत गलत है और नहीं बनना चाहिए। खाली चरागाह बना दें, मैं इसकी मिसाल और जिन्दा मिसाल इस हाउस के सामने बयान करता हूं। यह कानून १८७१ में बना है और मैं समझता हूं कि उस वक्त यू० पी० के अन्दर चरागाह ही चरागाह थे, कितनी ही जमीन यहां की खाली पड़ी रहती थी और उसके ऊपर भी खेतों में मवेशी चरते थे, उस वक्त भी इस कानून को बनाने की जरूरत थी। अगर चरागाह थे, तो उस वक्त मवेशियों को चराने के लिये काफी जगह खाली पड़ी रहती थी, फिर क्यों उनको जरूरत हुई, खेतों में चराने की, क्यों ट्रेसपास कैटिल होता था जिसके लिये यह कानून बनाया गया। यह जरा सोचने की बात है और मैं तो इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं कि महज चरागाह बना देने से यह मसला हल हो जाय, इसके लिये ऐसा कानून बनाना जरूरी नहीं है, तो मैं इस कानून को दस्तबस्ता बन्द कर दूं। इस कानून को बलायें ताक रख दूं, लेकिन क्या ऐसी बात होगी? क्या ऐसा हो सकता है? मैं समझता हूं कि अगर चरागाह दसगुना भी हो जायें तब भी लोग इस किस्म का काम करते हैं, वह करते रहेंगे। किसी ने अपने पड़ोस की सुनाई तो मैं भी अपने पड़ोस की सुनाता हूं। मेरे पड़ोसी हैं, मेरा उनका घर मिला हुआ है और मैंने खुद देखा है कि वह ऐसे साहब हैं, जिनको खुदा ने काफी खाने को दे रखा था और वह गाय पालते थे, मगर उनकी गाय कभी अपने घर में रात को नहीं देखी गई और वह बराबर अपनी गाय खेतों में चरने के वास्ते छोड़ते थे। जिन लोगों के खेतों में वह अपनी गाय को ले गये, उन्होंने उनके खिलाफ

शिकायतें कीं। उसका इलाज यही है और क्या इलाज हो सकता है। मगर एक काम करना कि महज इस बिना पर इस कानून की मुखालिफत कर दें, यह तो बेबुनियाद है, अगर इसका कोई दूसरा इलाज हो सकता है, तो मैं इसको बलाये ताक रख दूं और इस बिना पर कि चरागाह नहीं है इसलिये चरागाह बना दिये जायं और इस बिल की जरूरत न हो, तो मैं यह बात नहीं मानता, चरागाह होंगे तब भी इस किस्म के जुर्म होंगे और न रहेंगे तब तो होंगे ही। यह सही है चरागाह नहीं हैं, होने चाहिए, इसके लिये कुंवर साहब ने फरमाया कि हम बिल ला रहे हैं। गवर्नमेंट को कुछ करना है तो वह अलग बात थी और अलग कही जा सकती थी। उस वक्त हमारे सामने वह सजेशन के रूप में लायी जा सकती थी और दरमियान तकरीर में मुनासिब अल्फाज में कहा जा सकता था।

तो इस कानून के मुताल्लिक जहां तक इस हाउस का ताल्लुक है, मेरे नजदीक वही है, मुखालिफत एक या दो साहब ने की है, बाकी जो तकरीरें हैं, उनको सुनने से सबकी राय यही मालूम होती है कि यह मनासिब है और इसको बनाना चाहिए।

डाक्टर साहब ने फरमाया और उनको शुभहा है इसकी लीगेलेटी पर कि आया यह कानून यहां आ सकता है या नहीं। इसके मुताल्लिक मैं तवज्जह दिलाऊं, उनके पास किताब नहीं है, कान्स्टीट्यूशन में है, यह कान्करेन्ट लिस्ट में है और प्राविंशियल लिस्ट में भी है। हमारे पास किताब है, मुलाहिजा फरमा लीजियेगा। दोनों में है, इसमें कैटिल के लिये भी है और अफेन्सेस रिलेटिव टू दि कैटिल (offences relative to the cattle) इसके अलावा कान्करेन्ट लिस्ट में भी मौजूद है। चूंकि यह मौजूद है इसके लिये यह समझा जा सकता है कि यह स्टेट इस किस्म का कानून बना सकती है और चूंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून था और वह जारी था। स्टेट की तरफ से कोई कानून नहीं था, इसलिये उस कानून में ही यह तरमीम पेश की गई जो इस वक्त हमारे सामने है। कुछ बातें ऐसी कही गई, जिनका ताल्लुक आगे आने वाली बातों से है, इसलिये मैं उन बातों की ओर कुछ इस वक्त नहीं कहना चाहता। जहां तक और बातें कही गयीं तो उनके लिये कहां तक रोया जाय और यह सही है कि रोज का रोना है और जो इधर या उधर से गुफ्तगू हुई उसमें कुछ ऐसी बातें भी कही गयीं।

एक सदस्य—आपके पास दवा भी तो है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हमारे पास दवा तो जरूर है, दवा ऐसी है कि क्या उसकी तारीफ करूं।

एक सदस्य—लास्ट की है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—लेकिन जिनकी निस्बत लागू करना है उनके लिये हक नहीं है, मैं उनको कैसे खिला दूं।

तो मैं हाउस की तवज्जह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जितनी बात हो, वह उसी हद तक रखी जाय, उससे बढ़ाना बेकार होता है, उसके लिये भी मौके आते हैं कि इस किस्म की बातें की जायें।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५४ ई० के कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ व ३

१८७१ का ऐक्ट १ की धारा २६ का संशोधन

२—कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

"Penalty for damage caused to and by cattle.

26. Any owner, keeper or attendant of cattle, who, through neglect or otherwise, damages or causes or permits to be damaged any land, or any crop or produce of land by allowing such cattle to trespass thereon, shall on conviction before a Magistrate, be liable to a fine not less than Rs. 10 but not exceeding Rs. 250 or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both."

कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में १८७१ के ऐक्ट १ की धारायें २६ और २८ का संशोधन

३—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में यह प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा २६ तथा मूल अधिनियम की धारा २८, जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है और अधिक संशोधित तथा परिष्कृत रहेंगी और उक्त प्रख्यापन के दिनांक से मूल अधिनियम तदनुसार संशोधित रहेगा।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खण्ड २ और ३ इस बिल के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

१—इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

"Penality for damage caused to land by cattle."

26. Any owner, keeper or attendant of cattle, who, through neglect or otherwise, damages or causes or permits to be damaged any land or any crop or produce of land by allowing such cattle to trespass thereon, shall, on conviction before a Magistrate, be liable—

(a) for the first offence to a fine not less than Rs. 10 but not exceeding Rs. 250 or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both,

(b) for the second or subsequent offence to an imprisonment for a term not exceeding three months and fine not exceeding Rs. 500."

२—मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

"Application of fines recovered under sections 25, 26 or 27.

28. All fines recovered under section 25, clause (a) of section 26 or section 27 may be appropriated in whole or in part as compensation for loss or damage proved to the satisfaction of the convicting Magistrate."

श्री कुंवर गुरु नारायण—Sir, I beg to move that in the proposed section 26 (a) in the schedule (clause—1) *delete* all the words in the paragraph beginning with "or" immediately after "Rs. 250."

श्रीमन् यह जो विधेयक है इसमें २६ (ए) में यह जो पहला आफेन्डर होगा उसके लिये जो सजा मुकर्रर की गई है उसमें ५०० रुपये तक फाइन हो सकता है और तीन

महीने तक इम्प्रीजनमेंट हो सकता है या दोनों चीजें हो सकती हैं। मेरा निवेदन है कि पहले आफेन्स में इतनी ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए। दूसरा आफेन्स हो तब तो हमें गुन्जाइश मिलता है, लेकिन पहले ही इतनी सजा का प्रावीजन होना मुनासिब नहीं है। जहां तक इस विधेयक पर बहस मैंने सुनी तो मैंने शुरू में इस बात को कहा था कि आब्जेक्ट जो है उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन हम जरूर महसूस करते हैं कि यह प्रैक्टिकेबिल नहीं है। इस पर हमें विचार करना है कि इस सजा को बढ़ा देने के बाद हम इस चीज को रोक सकेंगे या नहीं। मैंने पहले शुरू में ही यह कहा कि आपने केसेज बताये तो उन आंकड़ों से हमको कुछ पता चलता कि लोग इस कानून से फायदा उठा रहे हैं या नहीं लेकिन वह कोई चीज मालूम नहीं हो सकी। शायद गवर्नमेंट के पास इसकी स्टैटिस्टिक्स न हो। आमतौर पर कुछ शिकायत आई होगी तो उससे हमें अन्दाज नहीं लगता है। लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि सजा बढ़ाने से आप इस चीज को रोक नहीं सकते हैं। मैंने शुरू में यह चीज कही थी और आज भी उसको दोहराना चाहता हूं। जहां तक पास्चर लैन्ड का सम्बन्ध है वह भी एक सबब हो सकता है भले ही वह अकेला सबब नहीं है। वह सबब हो सकता है, जिससे हम रोक सकते हैं। इस वक्त जो संशोधन मैंने रखा है उसका मुख्य परपज जो है वह यह है कि हम पहले आफेन्स में ज्यादा सख्ती न करें। यह बहुत ज्यादा होगा और मैं समझता हूं कि इसको कुछ थोड़ा सा कम करना चाहिए। मैं दरख्वास्त करूंगा वित्त मन्त्री जी से, जिन्होंने कि इस विधेयक को इस भवन में आज उपस्थित किया है कि वे मेरी बातों पर गौर करें।

*श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो संशोधन कुंवर साहब ने पेश किया है उसकी खास दलील यह भी है कि यह कानून प्रैक्टिकेबिल न होगा, इसको क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सकेगा, इस को काम में नहीं लाया जा सकेगा। साथ में उसके यह भी फरमाया कि सिर्फ कानून बनने से या कानून में सजा बढ़ा देने से कोई फायदा नहीं होगा। कुंवर साहब ने जो संशोधन रखा है उसमें स्वयं इस बात को मान लिया है कि कानून में जो सजा पहले दी गई थी उसको बढ़ा दिया जाय। पहली सजा ५० रुपये थी, उसके बारे में यह मान लिया कि उसको बढ़ा कर २५० कर दिया जाय और उसके बाद यह कहा गया कि जो अल्फाज ये हैं कि "आर दि इम्प्रिजनमेंट (or the imprisonment)" यह निकाल दिया जाय। मेरी नम्र सम्मति में तो इन शब्दों के निकालने के बाद यह सब का सब इंप्रेक्टिकेबिल हो जाता है, क्योंकि कोई भी कानून आप लीजिए, हालांकि मैं वकील नहीं हूं लेकिन उसमें लिखा होता है कि जुर्माने की न अदायगी की सूरत में सजा होगी। अगर किसी पर २५० रुपया जुर्माना किया जाता है और वह अदा नहीं करता तो अगर उसके साथ इम्प्रिजनमेंट न हो तो वह खुद ही इंप्रेक्टिकेबिल हो जाता है। जब १० रुपया मिनिमम है और २५० रुपया मैक्सीमम और कोई दूसरी चीज नहीं है तो क्या होगा? अगर अमेन्डमेन्ट पर सिर्फ जुर्माना इतना बड़ा रख दिया जाय तो देखने में भी एक हंसी की चीज हो जायगी। या तो यह बिल्कुल ही नहीं होता और अगर है तो जिस हालत में है वह उस हालत में ठीक है। तो इसलिये मैं इस अमेन्डमेन्ट की, जिसे कुंवर साहब ने पेश किया है, मुखालिफत करता हूं।

इसके साथ ही साथ मुझे एक बात और निवेदन करनी है। वह यह कि मुझे खेद है कि इस समय श्री राजाराम जी उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने बहुत दलील के पश्चात् यह फरमाया कि गऊ को हम माता की तरह मानते हैं। जब तक वह दूध देती है उसको अच्छी तरह से रखते हैं और जब वह दूध देना बन्द कर देती है तो हम अपने धार्मिक संस्कारोंवश उसे कसाई को नहीं बेच पाते। हम उसे चारा नहीं खिला सकते और चरागाहों में भी नहीं भेज सकते इसलिये कि चरागाह हैं नहीं हैं और यह हमसे देखा नहीं जाता कि हम उसे भूखा मारें, इसलिये होता यह है कि हे गऊ माता तुम जाओ और जहां चारा मिले

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल]

वहीं रहो। हमारे सामने यह कानून इन्हीं बातों को रोकने के लिये है। यह नहीं होना चाहिए कि दूध हम लें और नुकसान दूसरों को पहुंचायें। जैसा कि अभी वित्त मन्त्री साहब ने एक मिसाल दी कि जो लोग सब कुछ कर सकते हैं और उसका दूध भी पीते हैं, लेकिन चरने के लिये दूसरों के खेतों में छोड़ देते हैं, तो इसी नियत को रोकने के लिये ही यह बिल लाया गया है। दुनिया में जितने कानून बनते हैं वह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिये नहीं होते हैं कि जो इस बात को सोचा करते हैं कि किस तरह से कानून तोड़ा जाय। हम ताला लगाते हैं घर में, तो हर ताला लगाने वाला जानता है कि वह चोर के लिये ही ताला नहीं लगा रहा है बल्कि वह उन लोगों के लिये भी ताला लगा रहा है कि जो यह इरादा रखते हैं कि माल लावारिस है, उसको उठाया जा सकता है। अगर ताला लगा है तो उनको ध्यान रहेगा कि इसको तोड़ना और चोरी करना एक मुश्किल काम है और इसलिये वह चोरी नहीं कर सकते। इसमें अटेन्डेन्ट भी शामिल है, कीपर भी शामिल है और ओनर भी शामिल है और इसीलिये तीनों को वहां रक्खा गया है कि जिसका भी कसूर हो उसको इसमें इन्वाल्व किया जा सके। इन अल्फाज के साथ मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--हुजूरवाला, बात तो कुछ बड़ी सी है और जहां तक कि इस अमेंडमेंट का ताल्लुक है वह यह चाहता है कि बिल में तीन महीने की जो सजा रखी हुई है, उसको निकाल दिया जाय, वह ऐसी बात है कि मैं उसको कन्ट्राडिक्ट कर सकता था, लेकिन जो इसको रखने की वजह है वह मैं गुजारिश किया चाहता हूं। पहले अफेन्स के होने के यह मानी नहीं हैं कि वह पहला अफेन्स होने की वजह से हल्का हो। अफेन्स के करने के जो ढंग अख्तियार किये जायं और जो नतीजे उसके आयें, मुरत्तब हों और तब वह केस किसी अदालत के सामने ज्यादा संजीदगी से आये और एक दूसरा केस उसी अदालत में आये जिसमें वाकई में इस किस्म की संजीदगी न हो, तो अदालत पहले में बहुत ज्यादा और दूसरे में बहुत कम सजा देती है, ऐसा रोजमर्रा देखने में आता है। यह हम सब का तजुर्बा है, जो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी अदालत में रोज होता है। मैं किसी के खेत को चरा दूं, उस खेत के चराने के हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि जो तीन महीने की सजा इसमें रखी गई है। अगर इसमें इससे ज्यादा सजा रखी गई होती, तो भी नाकाफी शायद समझी जाती। मैं खुद भी वकील हूं और मैं कितने ही केसेज इस तरह के साईट कर सकता हूं, जिनके जरिये इस किस्म की बातें बता सकता हूं कि उनके लिये जितनी भी सजा इसमें रखी जाय, कम होगी। फिर अफेन्स करने वालों को एक कैटेगरी में रख कर उनको छोड़ दिया जाय तो वह ठीक नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि अदालत खुदा न खास्ता बेमानी करे, पुलिस के लिये भी कहा गया कि इससे और भी रिश्वत लेना शुरू कर देगी, जैसा कि यहां कहा गया, तो इसका मतलब तो यह निकलता है कि अदालतों के दरवाजे बन्द कर दिये जायं, वरना जहां ऐसा केस गया वहां तीन महीने सजा जरूर दे दी जायगी, गो मैं तो यह भी तवक्को नहीं करता कि वह २५ रुपये से ज्यादा सजा करेंगे। लेकिन अगर कोई केस ऐसा हो कि उसमें इतनी ज्यादा सजा दी जाय तो अदालत दे सकती है। कोई केस अदालत में जाता है उसे अख्तियार है कि वह बिलकुल सजा न दे, खाली जुर्माना ही जुर्माना करे, यह भी उसे अधिकार है। शायद किसी का शुबहा इस तरफ था कि अदालत सजा और जुर्माना दोनों करेगी, तो अदालत को अख्तियार है कि वह कितना ही जुर्माना और सजा दे, कोई इसमें लाजिमी और जरूरी चीज नहीं रखी गई है। इसलिये इसमें कोई ऐसे अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। यूं अगर कुंवर साहब चाहते हों तो वह कह सकते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा है वह अपनी जगह पर इतना तो सही है कि जुर्म ज्यादा बड़े होते हैं और जुर्म मामूली भी होते हैं, यह तो मैं मानता हूं लेकिन फिर भी मैंने इस नियत से इस संशोधन

को रखा है, मैं समझता हूं कि कम से कम जो पहला आफेन्स हो उसमें कम सजा दी जाय अगर कोई इस तरीके के काम करने का आदी है तो उसके लिये आपने अपनी सजा रख दी, तो फिर जो पुराना ऐक्ट हमारा चल रहा है, जिसमें ५० रुपये तक जुर्माना रखा था उसको बढ़ाकर आपने २५० रु० रख दिया तो यही बहुत काफी है क्योंकि अगर कोई जुर्म करना नहीं चाहता है तो उसके लिये ५० रुपये फाइन ही बहुत काफी है वरना आदी आदमियों के लिये चाहे आप जितनी सजा या जुर्माना रखें, वह कम है इसलिये कि वह जुर्म तो करेगा ही। लेकिन जहां तक सजा की अहमियत का ताल्लुक है वह २५० रुपये बहुत काफी है और अगर हम इम्प्रीजनमेंट भी रखेंगे तो यह बहुत ज्यादा सजा होगी। पहले तो यह होता था कि कैटिल को ले जा कर किसी पान्ड में बन्द कर दिया जाता था, दूसरा ऐक्शन यह होता था कि हम दावा कर दें। सजा का जो फोर्स है वह २५० रुपये जुर्माना और इम्प्रीजनमेंट से ज्यादा जरूर हो जाता है और मैं समझता हूं कि यह ज्यादा है पहले आफेन्स के लिये। इसीलिये मैंने इसको रखा है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--डाक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब जब तकरीर फरमा रहे थे तो उन्होंने एक बात फरमाई थी जो बहुत सही थी और उसका तजुर्बा हमको यहां सोसाइटी में हो चुका है। सुना होगा सब ने शायद इस बात को, लोगों ने बावजूद यह जानने के कि मुकदमा हम पर चला तो जुर्माना हो जायगा ब्लैक मार्केटिंग किया, उन्होंने समझा कि हम पर दो हजार, तीन हजार रुपया ही जुर्माना होगा और हमने १५ हजार रुपये कमा लिये इसमें कोई हर्ज नहीं। यह जहनियत है। डाक्टर साहब अपनी तकरीर में फरमा रहे थे कि यह इब्राहीम अपने मवेशी को किसी खेत में छोड़ दें, दो चार दफा जुर्माना हो गया तो क्या वर्षों अपने मवेशी को खिला तो लिया। इसलिये सही बात तो यह निकलती है कि जुर्माने के बजाय अगर खालिस कैद ही रखा जाता तो वह और अच्छा होता। मगर इसमें तो अदालत को एक लटीट्यूड दिया हुआ है कि चाहे तो जुर्माना करे, चाहे कैद करे। मैं समझता हूं कि अदालत को यह लटीट्यूड देना निहायत मुनासिब है।

डिप्टी चेयरमैन--The question is that in the proposed section 26 (a) in schedule (clause—1) *delete* all the words in the paragraph beginning with "or" immediately after "Rs. 250."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह जो अगला अमेंडमेंट है, मैं अर्ज करता हूं कि अवैधानिक है। कुंवर साहब के पास कान्स्टीट्यूशन है। इसमें पहले आर्टिकिल २६६ खोला जाये। यह "कन्सालिडेटेड फन्ड्स आफ इंडिया एन्ड आफ दि स्टेट्स (consolidated funds of India and of the states) की बाबत है। इसमें क्लाज २ जो है उसको पढ़ा जाये। नम्बर वन क्लाज जो है इसमें यह बताया गया है। कन्सालिडेटेड फन्ड्स में क्या २ चीजें शामिल हैं। नम्बर दो में बतलाया गया है कि--

Art. 266 (2) "All other public moneys received by or on behalf of the Government of India or the Government of a State shall be credited to the public account of India or the public account of the State, as the case may be."

१९९ आर्टिकिल जो है इसका ताल्लुक मनी बिल्स से है। मनी बिल कौन होगा इसके लिये १९९ (एफ) मुलाहिजा फरमाइये।

Article 199 (f)—"The receipt of money on account of the Consolidated fund of the State or the public account of the State or the custody or the issue of such money; or"

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जो पब्लिक एकाउन्ट आर्टिकिल २६६ में बयान है, वह इसमें रखा हुआ है कि वह मनी बिल हो जाता है, तो इस तरह से वह मनी बिल हो जाता है। उसके आगे २०७ देखिये। मनी बिल तो यहां आ नहीं सकता है लेकिन मैं आर्टिकिल २०७ की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं :—

Article 207—"A bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clause (a) to (f) of clause I of Article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council."

इसमें अमेंडमेंट का अमेंडमेंट आया है। मैंने १९९ और उसके एफ की तरफ तवज्जह दिलायी है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—किसी अमेंडमेंट के जरिये से फाइनेन्शियल प्राविजन नहीं हो सकता है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—नहीं हो सकता है। इन आर्टिकिल्स का खुलासा मैं यह निकालता हूं कि उस रुपये से जो इस तरह से हासिल होगा और उसमें से जो खर्च में दिया जायगा......।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—आइडिया को आप ले लीजिए।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उस रुपये से एक फण्ड कायम किया जाय जिसे कैटिल की हालत दुरुस्त करन पर खर्च किया जाय। यह आइडिया अच्छा है, लेकिन मन्जूर नहीं हो सकता है।

डिप्टी चेयरमैन—In view of the fact that for moving this amendment the recommendation of the Governor is essential under Article 207 (i) and since it has not been obtained it is out of order.

प्रश्न यह है कि अनुसूची इस बिल का भाग बनी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रिएम्बुल तथा खण्ड १

कुछ प्रयोजनों के निमित्त कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधन करना आवश्यक है। अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

१८७१ का ऐक्ट १

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रिएम्बुल तथा खण्ड १ इस बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५४ ई० का कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५४ ई० का कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्ताव कि मन्त्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के लिए सदस्य चुने जाय

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, स्टैन्डिंग कमेटियों की मियाद शायद ३१ मार्च को खत्म हो रही है, इसलिये उसके नामिनेशन्स के लिये कोई तारीख मुकर्रर हो जानी चाहिए। इसलिये मैं आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह विधान परिषद् जिस प्रकार और जिस तारीख को चेयरमैन आदेश दें, मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के नियमों के अनुसार हर एक समिति के लिये तीन सदस्य चुन लें।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि यह विधान परिषद् जिस प्रकार और जिस तारीख को चेयरमैन आदेश दें, मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के नियमों के अनुसार हर एक समिति के लिये तीन सदस्य चुन लें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्यक्रम

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मेरी गुजारिश यह है कि २७ मार्च को यह हाउस बैठे। उस दिन एक एप्रोप्रियेशन बिल लिया जायगा। २८ तारीख को इतवार है, इसलिये यह एप्रोप्रियेशन बिल २९ तारीख को पास हो जाना चाहिए। इसके बाद और जो काम बाकी रह गये हैं, उनको लिया जायगा। शायद दो बिल आ गये हैं और इसी दौरान में दो बिल और आ जायेंगे। इन चारों बिलों को एप्रोप्रियेशन बिल के पास हो जाने के बाद लिया जायगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण—नान आफिशियल डे किस दिन होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसके लिये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि उस वक्त जब बैठक होगी, दिन मुकर्रर कर लिये जायेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण—आप पहले ही मुकर्रर कर दें तो अच्छा होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं इसके लिये कोई दिन मुकर्रर करने खड़ा नहीं हुआ हूं। उस वक्त जो दिन मुकर्रर होंगे, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा। जो सरकारी काम हैं वह तो पहले खत्म ही किये जायेंगे।

३० तारीख को १२ बजे तक के लिये का वक्त इन कमेटियों के नामिनेशन के लिये मुकर्रर किया जाय।

डिप्टी चेयरमैन—३० तारीख को १२ बजे तक सेक्रेटरी के पास नामिनेश[illegible] दिये जायं।

अब कौंसिल २७ मार्च को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती

(कौंसिल ४ बजकर ३५ मिनट पर २७ मार्च, १९५४ को दिन के के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ : कृ[illegible]

२ मार्च, १९५४।

पी० एस० यू० पी०—३७ एल० सी०—१९५४—[illegible]

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

की

कार्यवाहियों

की

अनुक्रमणिका

खंड ३४

प्रश्नोत्तर

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१७७ एल० सी०—१९६०—८५०।